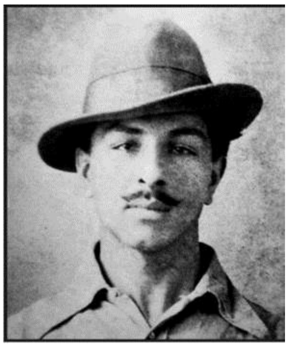

प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल समूह (अपंजीकृत) के प्रस्ताव,श्री राजीव दीक्षित जी द्वारा समर्थित

तीन लाइन का क़ानून गरीबी और भ्रष्टाचार कम कर सकता है कुछ ही महीनों में

–पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) !!

जब सत्ता कुछ ही लोगों के पास होती है तो समाज में भ्रष्टाचार होता है. इसीलिए सत्ता हर एक जन के पास होनी चाहिए.सत्ता जानने की, सत्ता बताने की और सत्ता निर्णय लेने की.

एक तीन लाइन के क़ानून पारित होने से ये संभव है कुछ ही महीनों में.

कृपया इस जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) का समर्थन करें और मांग करें |

ये क़ानून-ड्राफ्ट किसने लिखे ?

सभी बंधू जन,

यदि कोई आप से प्रश्न पूछे ----" किसने प्रस्तावित सरकारी राजपत्र अधिसूचना क़ानून-ड्राफ्ट लिखा है जैसे `जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली`, प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल(भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रधान मंत्री , प्रजा अधीन लोकपाल, प्रजा अधीन सुप्रीम कोर्ट-मुख्य जज ,प्रजा अधीन रिसर्व बैंक गवर्नर , नागरिकों और सेना के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)(एम.आर.सी.एम),प्रजा अधीन न्यायतंत्र (जूरी सिस्टम) आदि, कृपया जोर से बोलें कि आप ने स्वयं लिखा है|

उदहारण के लिए, एक कलम और कागज़ लें और उसपर `जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` का तीन लाइन का क़ानून-ड्राफ्ट लिखें एक पन्ने पर और फिर यदि आप कहते हैं कि आपने स्वयं `जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` लिखा है , तो ये तथ्य और कानूनी रूप से सही है क्योंकि `जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली `क़ानून-ड्राफ्ट में केवल कॉपी-लेफ्ट है कॉपी-राईट नहीं |

और ये नैतिक रूप से भी सही है, क्योंकि सभी मालिक हैं गैर-कॉपी-राईट सामग्री का, जब तक वे चाहें मालिक होना | और यदि ओई पूछता है " किसने ये क़ानून-ड्राफ्ट पहले लिखे हैं", तो बताएं कि प्रजा अधीन राजा अथर्ववेद में दिया है, और इसीलिए श्री सूर्य ने पहली बार लिखा था कोई ८० लाख वर्ष पूर्व | और श्री सूर्य को भी कोई कॉपी-राईट नहीं चाहिए |

अनुवादक- श्री नीरज श्रीवास्तव

प्रूफ-संशोधन - अनिल, हर्षित, अनुभव, मंज़ूर भाई, महेश कुमार ,सुमित वर्मा, अलोक वर्मा, महेंदर सिंह, सुरेंदर और अन्य |

हम कोई राजनैतिक पार्टी नहीं हैं `पार्टी` शब्द समूह के अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है कुछ सन्दर्भ में | हम अपंजीकृत समूह हैं ,ये सरकारी अधिसूचना को पारित करने की मांग कर रहे हैं –

(1)`जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकयात/प्रस्ताव प्रणाली`
(2)`नागरिक और सेना के लिए खनिक रोयल्टी (आमदनी)` (एम.आर.सी.एम)
(3) प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का नागरिकों का अधिकार) सभी मुख्य पदों पर
(4) प्रजा अधीन न्यायतंत्र (जूरी सिस्टम) न्यायालय/कोर्ट में

वेबसाइट- www.righttorecall.info / http://www.righttorecall.com
http://www.righttorecallindia.com

ब्लॉग : http://blog.righttorecall.info
फोरम : http://forum.righttorecall.info
ई-मेल : info@righttorecall.info
स्काइप : rrgindia

फेसबुक पेज : http://www.facebook.com/RightToRecall
फेसबुक समूह : https://www.facebook.com/groups/rrgindia/
गूगल समूह : http://groups.google.com/RightToRecall/
आर्कुट समूह : http://www.orkut.co.in/Community.aspx?cmm=21780619
ट्वीटर : http://twitter.com/RightToRecall
मुफ्त डाउनलोड - http://righttorecall.info/301.h.pdf

हमारा मुख्य प्रस्ताव `जनता की आवाज़` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली है |(पहला अध्याय देखें) इसी के द्वारा अन्य प्रस्ताव आयेंगे कुछ ही महीनों में |अन्य प्रस्ताव की बाराकियों या पूरे प्रस्ताव से पाठक असहमत भी हो सकते हैं| क्योंकि एक बार `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)`सरकारी अधिसूचना(आदेश) पारित होने पर जनता निर्णय करेगी कि इस पुस्तक में अन्य प्रस्ताव पारित होने चाहिए के नहीं या कोई इनसे भी अच्छे प्रस्ताव जनता द्वारा पारित किये जाएँ |हम ये जनहित के क़ानून करोड़ों आम-नागरिकों के समर्थन द्वारा लाना चाहते हैं |

कॉपी-लेफ्ट

मैं इस पुस्तक की कॉपी-राईट(copyright) केवल इतना सुनिश्चित करने के लिए कर रहा हूँ कि कोई भी अन्य व्यक्ति इसकी सामग्री की कॉपी-राईट ना कर सके और इसके वितरण पर नियंत्रण न कर सके| ये कॉपी-राईट किसी को पर्चे,आदि कॉपी बनाने और वितरण करने में बाध्य नहीं है| कोई भी भी इस पुस्तक या इसके अंश की प्रतियां/कापियां बनाने के लिए स्वतंत्र है, और वितरण करने मुक्तरूप से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी रूप में बिना हमारे नाम दिए| कोई भी इस पुस्तक या अंश को अनुवाद करने के लिए स्वतंत्र है किसी भी भाषा में | कोई अनुमति या भुगतान की आवश्यकता नहीं है या अपेक्षा भी है|

------ प्रजा अधीन राजा समूह (राईट टू रिकाल ग्रुप), लेखक

राजीव दीक्षित जी ने राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने की प्रणाली) का समर्थन किया है (समर्थित यू-ट्यूब विडियो) -

http://www.youtube.com/watch?v=pL-DoRQmcl0

http://www.youtube.com/watch?v=EywTrIr3-M

प्रिय पाठकगण,

मैंने इस पुस्तक को पंक्तिरूप (linear fashion) में लिखने का प्रयास किया है | यदि पाठक ये चाहता है कि वो केवल `क` पन्ने पढे, तो वो केवल पहले `क` पन्ने पढना पर्याप्त होगा | सामान्य रूप से , अधिकतर महतवपूर्ण विषय पहले रखे गए हैं और पहले कुछ पन्नों को समझने के लिए बाद के पन्नों में क्या लिखा है , ये जानना आवश्यक नहीं है | यदि आप (पाठक) का कोई प्रश्न है किसी भी लाइन पर इस पुस्तक में, तो कृपया बिना संकोच के , जरुर www.forum.righttorecall.info पर अपना प्रश्न डालें |

<u>ये पुस्तक इतनी बड़ी क्यों है ?</u>

दखिए , हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जो की इन जन-हित के क़ानून-ड्राफ्ट को जन-जन तक पहुंचा सकें, ताकि जन-जन इसकी मांग करे और ये क़ानून हमारे देश में लागू हो सकें | और ज्यादातर कार्यकर्ताओं के पसंदीदा/पसंद के मुद्दे/विषय होते हैं | उदाहरण, कुछ कार्यकर्त्ता , शिक्षा को जरुरी मुद्दा समझते हैं , कुछ भ्रष्टाचार को सबसे जरूरी मुद्दा समझते हैं, कुछ गो-हत्या, आदि| यदि उनका पसंद का मुद्दा गायब हो, तो ये पुस्तक उनके लिए बेकार होगी |

अब मैं सबसे अधिक कार्यकर्ताओं को ये दिखाना चाहता हूँ कि उनका उनका पसंद का मुद्दा/विषय को प्रस्तावित `प्रजा अधीन-राजा`, `पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम), आदि क़ानून-ड्राफ्ट से फायदा होगा और इनके द्वारा आसानी से लागू किये जा सकते हैं | और इसके लिए मुझे सभी पसंदीदा मुद्दे की बात करनी पड़ी | इसीलिए मैंने क़ानून-ड्राफ्ट या कानूनों का सारांश (छोटे में) लिखा भारत की 80 के करीब बड़ी समस्याएं को हल करने के लिए , कार्यकर्ताओं की आशाओं को पूरा करने के लिए |
इसीलिए ये पुस्तक इतनी लंबी हो गयी है |
और मैंने बड़े अक्षर इस्तेमाल किये हैं और अधिक अंतर रखा है वाक्यों के बीच , ताकि बुजर्ग लोग भी आसानी से ये पढ़ सकें |

लेकिन आपको सारे पन्ने पढ़ने की जरूरत नहीं है| केवल पहला अध्याय पढ़ें और फिर अपने पसंद के विषय/मुद्दा जैसा सेना और देश की सुरक्षा , शिक्षा, स्वदेशी, कोर्ट , पोलिस आदि में भ्रष्टाचार कैसे कम करना, या गौ-रक्षा आदि, पर जा सकते हैं , विषय सूची पर एक नजर देखकर |

इस किताब/पुस्तक के लगबग प्रत्येक पाठ में यह बताने के लिए समीक्षा प्रश्न हैं कि उनका उत्तर देकर पाठक अपने आप को संतुष्ट कर सकता है कि उसने इस पाठ को पढ़ लिया है और प्रत्येक पाठ में पाठक के लिए कुछ अभ्यास-प्रश्न हैं ताकि वह भारतीय प्रशासन से परिचित हो सके।

भारत में , हमें आदत है अच्छे लोगों का इंतज़ार करने की ,कि वे सत्ता में आयें और भारत को सुधारने और गरीबी और भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे | इस के बदले हम नागरिकों को सत्ता अपने हाथ में लेने चाहिए मंत्रियों और न्यायाधीशों/जजों से|हम प्रजा अधीन राजा(भ्रष्ट को बदलने का नागरिकों का अधिकार) और जूरी सिस्टम (भ्रष्ट को सज़ा देने का नागरिकों का अधिकार) की मांग कर सकते हैं और सत्ता अपने हाथों में ले सकते हैं | ये केवल मूर्खता है अच्छे नेता और जज के लिए सत्ता में आने का इन्तेज़ार करना |कहानी की सीख ये है की भारतीय नागरिक इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि उन्हें पिछले 65 वर्षों में कोई अच्छा नेता मिला हो |

यह किताब हर ३-४ महीनो में अपडेट होती रहती है और इसकी कॉपी इन्टरनेट पर मुफ्त है आप इसको नीचे दी गई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं | तो कृपया आपसे विनती है कि इसे हर ३-४ महीने के बाद अपडेट करते रहें-

http://righttorecall.info/301.h.pdf & http://righttorecall.info/301.h.doc

विषय - सूची

परिभाषाएं....25

कुछ महत्वपूर्ण सूत्र....28

अध्याय 1- तीन लाइन का यह प्रस्तावित कानून गरीबी और पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को केवल चार महीनों में ही कम कर सकता है....46

(1.1) क्या यह मजाक है?....46

(1.2) राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित `जनता की आवाज- पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)`- सरकारी अधिसूचना(आदेश) का क़ानून-ड्राफ्ट....49

(1.3) क्या भारत में सभी नागरिकों के पास इस कानून का उपयोग करने के लिए इन्टरनेट है? और अन्य प्रश्न....51

(1.4) 'जनता की आवाज `-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) का एक लाइन में सार. 52

(1.5) 'जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` के धारा 1 के बारे में कुछ और बातें....52

(1.6) ये तीन लाइन का सरकारी आदेश आम जनता को पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव / सुझाव डालने का अधिकार देगा....53

(1.7) तो कैसे 'जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` गरीबी को 3-4 महीने में कम कर देगा?....55

(1.8) करोड़ों नागरिकों को यह कैसे पता चलेगा कि `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी`(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) शपथपत्र / एफिडेविट प्रस्तुत हो गया है?....58

(1.9) जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) सरकारी-आदेश कानून पुलिस में भ्रष्टाचार को कम कैसे करेगा?....58

(1.10) राज्य स्तर के 'जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने की मांग मुख्यमंत्री से करना....60

(1.11) शहर के महापौर/मेयर से नगर स्तरीय 'जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने की मांग करना....61

(1.12) जिला पंचायत स्तर पर 'जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` का क़ानून-ड्राफ्ट....63

(1.13) जनहित याचिका / पी आई एल के माध्यम से `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) लाना....64

(1.14) उन नेताओं, बुद्धिजीवियों की निंदा कैसे करें जो जनता की आवाज का विरोध करते हैं... 65

(1.15) 'जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) को लाने में आप कैसे मदद कर सकते हैं....66

(1.16) किसी ने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा ?....66

(1.17) कैसे 'जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)' राजनैतिक अंकगणित का शून्य है ?....67

(1.18) सारांश....67

अध्याय 2 - अमेरिकी पुलिस में भारतीय पोलिस से भ्रष्टाचार कम क्यों है?....69

(2.1) यह बहुत ही रहस्य भरा प्रश्न है पर इसका उत्तर बहुत ही आसान है!!....69

(2.2) राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा निकालने / बदलने का अधिकार) और प्रजा अधीन राजा....72

(2.3) प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल आधुनिक अमेरिका में 72
(2.4) भारत में प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल का संक्षिप्त इतिहास 76
(2.5) पूरे विश्व में प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल का संक्षिप्त इतिहास......................... 77
(2.6) आधुनिक भारत में राइट टू रिकॉल 81
(2.7) भारत में राइट टू रिकॉल / प्रजा अधीन-राजा प्रणाली (सिस्टम) की संवैधानिक वैधता 83
(2.8) क्या आधुनिक अमेरिका में राइट टू रिकॉल / भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार अथर्ववेद से आया ?.. 84
(2.9) राइट टू रिकॉल की मेरी खोज और अथर्ववेद (सत्यार्थ प्रकाश) 84
अध्याय 3 - `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` पर कुछ और बातें 86
(3.1) `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` में बाद में जोड़े गए अंश जो इसे सुरक्षित बनाते हैं.. 86
(3.2) क्या नागरिक हजारों बार केवल हां-नहीं ही दर्ज करवाते रहेंगे?....................................... 87
(3.3) क्यों प्रमुख बुद्धिजीवी इस `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) - सरकारी अधिसूचना(आदेश) की मांग का विरोध करते हैं? 87
3.4) नागरिकों से हमारा अनुरोध.. 90
(3.5) `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` और नौकरियों में आरक्षण91
(3.6) क्यों हम पहले कदम के रूप में `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` जैसे छोटे परिवर्तन की मांग कर रहे हैं? 91
(3.7) क्या अमीर लोग हमारे नागरिकों को खरीदने में सफल नहीं हो जाएंगे?......................... 92
(3.8) भारत के अमीर वर्ग की गलतफहमी से उनके जनसाधारण-समर्थक कानूनों का विरोध 93
अध्याय 4 - प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री,महापौर/मेयर,सरपंच, हाई कोर्ट के जज को पत्र 97
(4.1) प्रधानमंत्री को पत्र.. 97
(4.2) मुख्यमंत्री को पत्र.. 98
(4.3) महापौर/मेयर को पत्र.. 99
(4.4) जिला पंचायत अध्यक्ष को पत्र 101
(4.5) हाई कोर्ट के जजों को पत्र 102
(4.6) क्या करें जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रीगण, महापौर/मेयर आदि इस सरकारी आदेश को मानने से इनकार कर दें 103
(4.7) बुद्धिजीवियों से इन पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना 104
अध्याय 5 - प्रजा अधीन राजा समूह का दूसरा प्रस्ताव - नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) 105
(5.1) मात्र 3 लाइन का यह जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली गरीबी को 4 महीने में ही कैसे कम कर सकता है?...................... 105
(5.2) नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट - संक्षेप में (छोटे में) 106
(5.3) नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) के क़ानून-ड्राफ्ट की ज्यादा जानकारी.. 107
(5.4) खनिज रॉयल्टी(आमदनी) भेजना 111
(5.5) राज्य स्तर पर नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट / प्रारूप.. 111
(5.6) सार्वजनिक भूमि का किराया कितना है ? 111
(5.7) खनिज रॉयल्टी(आमदनी) कितनी है ?.. 113

(5.8) जमीन का किराया वसूलने / जमा करने के प्रभाव 115

(5.9) जमीन का किराया जमा ना करने / न वसूलने का (कु)प्रभाव - 115

(5.10) राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एम एल आर ओ) को हटाने / वापस बुलाने का तरीका116

(5.11) `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(रोयल्टी)` (एम आर सी एम) कानून का प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट 116

(5.12) कृपया सेना और नागरिक के लिए खनिज रायलटी (एम.आर.सी.एम) कानून, जिसका प्रस्ताव मैंने किया है, उसके अंतिम दो धाराओं / खंड पर ध्यान दें... 122

(5.13) 110 करोड़ नागरिकों को भुगतान भेजने में आनेवाली लागत.. 123

(5.14) क्या इससे सरकारी आय कम नहीं होगी ? नहीं।... 125

(5.15) पश्चिम में कोई ऐसा कानून नहीं है तो हमें इसकी जरूरत क्यों है?............................ 126

(5.16) `नागरिक और सेना के लिए रोयल्टी (आमदनी)`(एम.आर.सी.एम) क़ानून-ड्राफ्ट और मानवाधिकार 127

अध्याय 6 - आर.आर.जी (प्रजा अधीन समूह) समूह की तीसरी मांग - प्रजा अधीन प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री का ड्रॉफ्ट...129

(6.1) तीन लाइन का यह कानून प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जजों और पुलिस प्रमुखों में व्याप्त भ्रष्टाचार को केवल चार महीनों में ही कैसे कम कर सकता है ?.. 129

(6.2) प्रधानमंत्री को हटाने / बदलने के क़ानून-ड्राफ्ट का विवरण 130

(6.3) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को बदलने के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया/तरीका का उदाहरण......... 131

(6.4) मुख्यमंत्री को हटाने / बदलने के क़ानून-ड्राफ्ट की अधिक जानकारी 131

(6.5) क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हर सप्ताह बदले जाएंगे ? नहीं । 132

(6.6) प्रधानमंत्री को बदलने (राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री) का प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट................. 133

(6.7) क्या होगा यदि प्रधानमंत्री और सांसद जनता का कहा नहीं मानें? 135

(6.8) कृपया प्रजा अधीन प्रधान मंत्री (भ्रष्ट प्रधानमन्त्री को बदलने) के कानून, जिसका प्रस्ताव मैंने किया है, उसके अंतिम दो खंड पर ध्यान दें 136

(6.9) राइट टू रिकॉल / प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री का क़ानून-ड्रॉफ्ट... 137

(6.10) तब क्या होगा जब मुख्यमंत्री, विधायक नागरिकों की बात न मानें?.......................... 139

(6.11) राइट टू रिकॉल / प्रजा अधीन नगर महापौर का क़ानून-ड्रॉफ्ट / प्रारूप........................ 139

(6.12) प्रजा अधीन-सांसद क़ानून-ड्राफ्ट (भ्रष्ट सांसद को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार)141

(6.13) केन्द्रीय / राज्य सरकारी-आदेश ड्राफ्ट प्रजा अधीन-विधायक के लिए (भ्रष्ट विधायक को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार).. 144

(6.14) राज्य सरकारी-आदेश ड्राफ्ट प्रजा अधीन-पार्षद के लिए (भ्रष्ट पार्षद को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार).. 146

(6.15) राज्य सरकारी-आदेश ड्राफ्ट प्रजा अधीन-ग्राम सरपंच के लिए (भ्रष्ट ग्राम सरपंच को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार).. 148

(6.16) उन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महापौर पर राइट टू रिकॉल / प्रजा अधीन राजा का विरोध करते हैं।.. 149

(6.17) प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट का प्रभाव 150

(6.18) बदलने / हटाने की ये प्रक्रियाएं / तरीके भ्रष्टाचार को कैसे कम करती हैं ? 154

(6.19) प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल तथा व्यावहारिक ज्ञान / कॉमन सेन्स 157

(6.20) प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल और अथर्ववेद , सत्यार्थ प्रकाश.............................. 158

(6.21) पश्चिम के पास प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल-प्रधानमंत्री , प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल-सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है , तो हमें इसकी क्या आवश्यकता है?.................................. 159
(6.22) प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल के विरूद्ध दिए जाने वाले तर्कों का जवाब............ 162
(6.23) `प्रजा अधीन-राजा`/`राईट टू रिकाल`(भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) के विरोधी , नकली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक के लक्षण / चिन्ह और चालें.. 163
(6.24) कृपया प्रक्रियाओं और क़ानून-ड्राफ्ट / मसौदों पर ध्यान केंद्रित करें ना कि कानूनों के नाम या व्यक्तियों पर जिसने ये क़ानून-ड्राफ्ट बनाएँ हैं क्योंकि नाम धोखा दे सकते हैं....................... 170
(6.25) प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) / भ्रष्ट को बदलने की प्रक्रिया अगले जन्म में !... 171
अध्याय 7 - चौथा आर.आर.जी (प्रजा अधीन समूह) का प्रस्ताव - प्रजा अधीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश(प्रधान जज).. 173
(7.1) `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) द्वारा जजों को बदलने का नागरिकों का अधिकार(राईट टू रिकाल जज / प्रजा अधीन-जज)... 173
(7.2) राईट टू रिकल-सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश (प्रजा अधीन सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज) ड्रॉफ्ट की संवैधानिक प्रामाणिकता 174
(7.3) उस सरकारी अधिसूचना(आदेश) का क़ानून-ड्राफ्ट जिसके माध्यम से प्रजा अधीन - सुप्रीम कोर्ट प्रधान जज (उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) कानून बनेगा 175
(7.4) पश्चिमी देशों में ऐसा कोई कानून नहीं है, तो हमें इसकी जरूरत क्यों है ?................. 177
(7.5) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.)-एक बेकार / अनुपयोगी विचार है 178
अध्याय 8 - प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह का पांचवां प्रस्ताव - दलितों के हां द्वारा आरक्षण कम करना 179
(8.1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के समर्थन से आरक्षण कम करना.. 179
(8.2) प्रस्तावित आर्थिक-विकल्प प्रणाली(सिस्टम) का विस्तृत ब्यौरा....................................... 179
(8.3) क्यों उपर लिखित प्रस्तावित कानून को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की `हां` मिलेगी ?... 180
(8.4) लागत 180
अध्याय 9 - मूल्य नियंत्रण के लिए प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल समूह का प्रस्ताव : प्रजा अधीन - भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर.. 181
(9.1) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर की भूमिका.. 181
(9.2) प्रजा अधीन - भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर 181
(9.3) प्रजा अधीन - भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर (आर बी आई) के लिए सरकारी अधिसूचना(आदेश) का प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट 182
(9.4) इस प्रकार तीन लाइनों के इस कानून और भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर (आर बी आई को बदलने/हटाने की प्रक्रिया से महंगाई पर लगाम लगेगी 184
अध्याय 10 - मेरे प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह का एक संक्षिप्त परिचय 185
(10.1) समूह का नाम.. 185
(10.2) आर आर जी (राईट टू रिकाल ग्रुप) / प्रजा अधीन राजा समूह के उद्देश्य और योजना का सारांश (छोटे में बात).. 186
(10.3) आर आर जी / प्रजा अधीन राजा समूह और अन्य पार्टियों / दलों के बीच मुख्य अंतर 186
(10.4) हिंसा, क्रान्ति आदि पर विश्व के विचार... 188
(10.5) लोकतंत्र का धर्म और संविधान 188

(10.6) आर आर जी समूह की अन्य पुस्तकें / लेख.. 189
(10.7) संपर्क / इंटरनेट समुदाय आदि महत्वपूर्ण यू.आर.एल इस प्रकार हैं.. 190
अध्याय 11 - प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह तथा सभी पार्टियों, प्रमुख बुद्धिजीवियों के बीच अंतर..191
(11.1) हम अधिकांश दलों और अधिकांश बुद्धिजीवियों से पूरी तरह अलग हैं । मुख्य अंतर इस प्रकार है 191
(11.2) प्रचार के तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर.. 195
(11.3) प्रस्तावित कानूनों के प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्टों का महत्व 196
(11.4) भारत के अधिकतर बुद्धिजीवी - विशिष्ट / उच्च वर्ग के एजेंट हैं.. 197
(11.5) समीक्षा प्रश्न 198
(11.6) अभ्यास 199
अध्याय 12 - प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्ट की सूची / लिस्ट..200
(12.1) पहली सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र).. 200
(12.2) अगली पांच महत्वपूर्ण सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र) 200
(12.3) लोकतंत्र के प्रति सम्पूर्ण (ब्लैंकेट) प्रतिबद्धता.. 201
(12.4) कुछ छोटी मांगें 202
(12.5) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम गरीबी से होनेवाली मौतों को कम करने और बुजुर्ग / वृद्ध लोगों की सहायता के लिए करते हैं 202
(12.6) सेना में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) और कदम जिनकी मांग हम आम नागरिक करते हैं.. 203
(12.7) पुलिस में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम करते हैं........ 204
(12.8) सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम न्यायालयों / कोर्ट में सुधार लाने के लिए करते हैं 204
(12.9) सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम सामान्य प्रशासन में सुधार लाने के लिए करते हैं 205
(12.10) प्रजा अधीन राजा / राईट टू रिकॉल के क़ानून-ड्राफ्ट.. 206
(12.11) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम `कर` लगाने / टैक्सेशन के तरीके में सुधार लाने के लिए करते हैं.. 210
(12.12) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम बांग्लादेशियों की घुसपैठ कम के लिए करते हैं 210
(12.13) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम जम्मू-कश्मीर को बचाने के लिए करते हैं 210
(12.14) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम सीविल कानूनों में सुधार लाने के लिए करते हैं 211
(12.15) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन और भारत को फिर से गुलाम बनाने को कम करने के लिए सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र) 211
(12.16) अन्य भौतिक मांगें.. 212
(12.17) अन्य संकेतात्मक मांगें.. 212
अध्याय 13 - हर हफते केवल दो-चार घंटे का समय देकर आप भारत में "प्रजा अधीन राजा" क़ानून-ड्राफ्ट को लाने में सहायता कर सकते हैं..214
(13.1) क्या यह एक और मजाक है?.. 214

(13.2) पैसा, समाचारपत्र के विज्ञापनों के लिए छोड़कर , लगाना बेकार है- मुझे केवल आपका समय और आपके समाचारपत्र विज्ञापन चाहिए। 214
(13.3) प्रस्तावित काम करने का तरीका `प्रजा-अधीन राजा / राईट टू रिकाल` कार्यकर्ताओं के लिए : वायरस एक के दल में काम करता है 215
(13.4) `प्रजा अधीन-राजा` क़ानून-ड्राफ्ट के प्रचार के तरीकों के कोई अन्य सेट क्यों नहीं? 216
(13.5) कार्यकलाप की सूची, कारण, और वह समय जो इनमें लगेगा: सेट-1- मतदाताओं के लिए217
(13.6) पोस्ट-कार्ड, इनलैंड (अंतर्देशीय) जैसी छोटी चीज भेजनी क्यों जरूरी है? 228
(13.7) ये कदम कैसे मदद करते हैं- इन्टरनेट के द्वारा प्रचार 229
(13.8) ये कदम कैसे मदद करते हैं- बिना इन्टरनेट के प्रचार 231
(13.9) दान और सदस्यता-शुल्क जमा करने के बिना प्रचार के खर्चे कैसे पूरे होंगे और बिना संगठन के ,प्रचार कैसे होगा 232
(13.10) कार्यकलापों की सूची / लिस्ट, कारण और वह समय जो इनमें लगेगा: सेट - 2 (कार्यकर्ताओं के लिए) 234
(13.11) सभी कार्यकर्ताओं के लिए योजना का सारंश (छोटे रूप में) 237
(13.12) कार्यकलापों की सूची, कारण और वह समय जो इनमें लगेगा: सेट - 3 (`प्रजा अधीन - राजा के मंच पर चुनाव लड़ने वालों के लिए) 240
(13.13) प्रस्तावित चुनाव-प्रचार के तारीके 243
(13.14) क्या कार्यकर्तओं को खुद पर्चे छापने / बांटने चाहिए या नेता को उसकी देख-रेख करनी चाहिए ? 245
(13.15) `प्रजा अधीन-राजा`/`राईट टू रिकाल`(भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) के विरोधी ,नकली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक के लक्षण / चिन्ह और चालें 248
(13.16) सारांश (छोटे में बात) 254
अध्याय 14 - `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)` आन्दोलन के जरिए लाना न कि चुनाव जीतकर 255
(14.1) भारत में सतयुग लाने के लिए तीन कदमों का तरीका 255
(14.2) आन्दोलन (व्यापक आन्दोलन / जन आंदोलन) से मेरा क्या मतलब है? 255
(14.3) क्या नागरिकगण इतने शक्तिशाली हैं कि वे प्रधानमंत्री को बाध्य / मजबूर कर दें ? अथवा क्या आन्दोलन एक बेकार का विचार है | 257
(14.4) जयप्रकाश नारायण वर्ष 1977 से पहले इस कानून को लागू कराने में असफल रहे थे। जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत प्रणाली (सिस्टम)) के लिए आन्दोलन कैसे सफल होगा? 259
(14.5) एकमात्र कार्य - संचार / संपर्क कार्य 259
(14.6) अपनी बात का प्रचार-प्रसार कैसे किया जा सकता है? 259
अध्याय 15 - प्रिय कार्यकर्ता, क्या आपकी कार्रवाई पर्याप्त और क्लोन पॉजिटिव है? 262
(15.1) यह कैसा प्रश्न है ? और यह क्लोन पॉजीटिव होना क्या बला है? 262
(15.2) इस पाठ का उद्देश्य / प्रयोजन 262
(15.3) सबसे महत्वपूर्ण खतरा जिसका सामना भारतीय कर रहे हैं - और अधिकांश सक्रियवादी नेता इसकी अनदेखी कर रहे हैं 262
(15.4) अच्छी राजनीती बनाम दुकानदारी राजनीति 263
(15.5) "अच्छी राजनीति" में सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत / प्रमुख सीमा 265
(15.6) असली कार्यकर्ता नेता बनाम नकली कार्यकर्ता नेता 265
(15.7) अपर्याप्त कार्य क्या हैं और क्लोन निगेटिव कार्य क्या हैं ? 267
(15.8) दो प्रश्न जो छोटे / जूनियर कार्यकर्ता को अपने कार्यकर्ता नेता से अवश्य पूछना चाहिए269

(15.9) “भ्रष्टाचार कम करने की कोई जरूरत नहीं” बनाम “भ्रष्टाचार कम करना बहुत जरूरी है” कार्य 270
(15.10) अनेक कार्यकर्ता नेता: कानूनों के ड्राफ्टों को बदलने में समय बरबाद न करें 272
(15.11) कार्यकर्ता नेता-` व्यवस्था परिवर्तन / सिस्टम को बदलेंगे` , लेकिन कानूनों के प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट नहीं देते 272
(15.12) कार्यकर्ता नेता - आइए, कानूनों के ड्राफ्टों को ही बदल दें, लेकिन ड्राफ्टों को पढ़ने में समय बरबाद न करें। 273
(15.13) अब तक का सारांश (छोटे में बात) 274
(15.14) “कानून के ड्राफ्टों के लिए सक्रियतावाद” पर कुछ और बातें...... 274
(15.15) “कानूनों के प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्ट को बदलने ” के लिए चुनाव आधारित कार्रवाई का प्रस्ताव करने वाले नेता 276
(15.16) “ एक नेता के नेतृत्व / नीचे में एकता ” द्वारा क्लोन निगेटिव की स्थिति से उबरने का प्रयास बेकार / व्यर्थ है 278
(15.17) “ एक संगठन के नीचे एकता कायम करके ” क्लोन निगेटिव की स्थिति से उबरने का प्रयास भी बेकार / व्यर्थ है 280
(15.18) क्लोन-निगेटिव की स्थिति से उबरने के लिए समाचारपत्र-मालिकों का सहयोग लेना कुछ कारगार , कुछ बेकार है...... 281
(15.19) तो क्या कोई पर्याप्त और क्लोन-पॉजिटिव तरीका है?...... 282
(15.20) क़ानून-ड्राफ्ट के लिए `नेता-रहित (व्यापक) जन-आन्दोलन` पर्याप्त और क्लोन पॉजिटिव है 283
(15.21) क़ानून-ड्राफ्ट के लिए नेता-रहित व्यापक (फैला हुआ) आन्दोलन में समय भी कम लगेगा286
(15.22) क्या सततता / निरंतरता होना जरूरी है? 286
(15.23) सारांश (छोटे में बात) 287
(15.24) फिक्स-अनशन , सत्याग्रह और गांधीगिरी का सच 288
(15.25) इस पाठ का उद्देश्य - पुनरावलोकन (फिर से देखना) 288
अध्याय 16 - प्रिय कार्यकर्ता, क्या आपके नेता कानूनों के ड्राफ्ट देने / बताने से मना करते हैं ?.289
(16.1) इस पाठ का उद्देश्य...... 289
(16.2) कानून - ड्राफ्टों के अभाव में सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं...... 291
(16.3) नागरिकों और सांसदों का कार्य 293
(16.4) क़ानून-ड्राफ्ट - रहित कार्यकर्ता : बिना डिजाइन का इंजिनियर 293
(16.5) कानून-ड्राफ्ट (प्रारूपों) का उपयोग करके आन्दोलन खड़ा करना नेताओं को आदर्श प्रतिनिधि / नुमाइंदा बनाकर पेश करने से कहीं ज्यादा आसान है...... 294
(16.6) ऊंचे/विशिष्ट लोग क़ानून-ड्राफ्ट से ज्यादा व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं ; कार्यकर्ताओं को इसके विपरित काम करना चाहिए...... 295
(16.7) “आपका प्रस्ताव असंवैधानिक है” के तर्क से निपटने के लिए क़ानून-ड्राफ्ट एकमात्र रास्ता है 295
(16.8) प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट न देने के लिए गलत कारण / बहाने...... 296
(16.9) तब क्या होगा जब आपका कार्यकर्ता-नेता क़ानून-ड्राफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है? 298
(16.10) भारत में इतनी समस्याएं क्यों हैं? 299
(16.11) सारांश (छोटे में बात) : 299
अध्याय 17 - प्रिय कार्यकर्ता, आन्दोलन में, चुनाव जीतने से कम समय लगेगा 301
(17.1) इस पाठ का उद्देश्य...... 301

(17.2) केवल चुनाव के तरीके की जगह व्यापक जन-आन्दोलन के लाभ तथा इसकी विशेषताएं301
(17.3) क्यों व्यापक (फैला हुआ) जन-आन्दोलन कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव के तरीके की तुलना में कम समय लेने वाला होता है?........ 304
(17.4) 100 कानून - ड्राफ्टों को पारित करने में जरूरी समय भी, एक चुनाव जीतने में लगने वाले समय से कम है 306
(17.5) तब क्यों नेता भी " चुनाव तक रूकने " पर जोर देते हैं"?........ 307
(17.6) पिछले तीन पाठों का सारांश (छोटे में बात)........ 307
अध्याय 18 - `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर देने के बाद राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह की कार्य-नीति309
अध्याय 19 - अंतिम योजना : सभी दलों / पार्टियों के कार्यकर्ताओं को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) , प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के बारे में सूचित करना 310
(19.1) "प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल समूह" का सारांश (छोटे में बात)........ 310
(19.2) राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह का सबसे महत्वपूर्ण कदम 310
(19.3) क्यों राजनीतिक दलों के सदस्यों से सम्पर्क करें? 310
(19.4) कृपया कभी भी किसी पार्टी के सदस्य से उनकी पार्टियां छोड़ने को नहीं कहें ; केवल उनसे `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून-प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्ट को उनके अपने पार्टी के चुनावी घोषण पत्र में शामिल कर लेने के लिए कहें........ 311
(19.5) किसी दल के सदस्यों से मिलने पर बातचीत / चर्चा के लिए सुझाए गए बिन्दु........ 313
(19.6) रिश्वत लेने के लिए हजार अप्रत्यक्ष तरीके जिसमें भ्रष्ट सरकारी अधिकारी पैसे को छूता भी नहीं है और रिश्वत वाइट(कानूनी तरीके से) में लेता है |........ 313
(19.7) नयी प्रवृत्ति / झुकाव मंत्रियों से अधिकार छीनने का और "नियामक" जैसे जनलोकपाल आदि को देने का........ 317
(19.8) "अनैच्छिक / बिना इच्छा के " , "अनदेखे" , "अज्ञात / अनजाना" परिणाम के तर्क318
(19.9) कैसे केवल 2 लाख कार्यकर्ता महीने के कम से कम 10 घंटे और 500 रुपये खर्च करके भ्रष्टाचार , गरीबी को एक साल में कम कर सकते हैं........ 319
अध्याय 20 - दान / चन्दा के खिलाफ क्यों?........ 321
(20.1) समाचारपत्रों के विज्ञापनों के लिए योगदान / अंशदान, लेकिन सीधे नकद दान / चन्दा नहीं 321
(20.2) समाचारपत्रों के विज्ञापनों के लिए योगदान / अंशदान, लेकिन सीधे नकद दान / चन्दा नहीं 321
(20.3) सीधे दान लेने और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान / अंशदान करने के बीच तुलना........ 321
(20.4) 80 जी का विरोध........ 322
अध्याय 21 - न्यायालयों / कोर्ट में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद कम करने के लिए राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह के प्रस्ताव........ 323
(21.1) हमें न्यायालयों / कोर्ट में सुधार की जरूरत क्यों है?........ 323
(21.2) ऐसे अन्यायपूर्ण फैसलों का समाज पर प्रभाव 326
(21.3) न्यायालय / कोर्ट में और सुधार की राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह की मांग और वायदे 326
(21.4) सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज को बदलने का अधिकार नागरिकों को देना........ 328
(21.5) 1,00,000 (एक लाख) और न्यायालयों / कोर्ट की स्थापना करना 328

(21.6) निचली अदालतों , हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट में निष्ठा / ईमानदारी की कमी की समस्या 328
(21.7) जूरी प्रणाली (सिस्टम) के बारे में 329
(21.8) जूरी प्रणाली (सिस्टम) और सूचना-संबंधी कारक 339
(21.9) सभी राजनैतिक दलों, बुद्धिजीवियों की जूरी प्रणाली (सिस्टम) पर (राय / विचार)....... 339
(21.10) नानावटी मामला 340
(21.11) भारत की निचली अदालतों में जूरी प्रणाली(सिस्टम) लाने के लिए सरकारी अधिसूचना(आदेश) का प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट 341
(21.12) नागरिकगण भारत में जूरी प्रणाली (सिस्टम) कैसे ला सकते हैं?........ 349
(21.13) जजों की नियुक्ति / भर्ती में भाई-भतीजावाद कम करना........ 349
(21.14) सारी जनता को कानून की पढ़ाई पढ़ाना और अन्य परिवर्तनों के बारे में बताना...... 349
(21.15) कु-बुद्धिजीवी लोग जजों में भ्रष्टाचार को समर्थन देंगे 350
(21.16) न्यायालयों / कोर्ट में सुधार करने पर सभी दलों और बुद्धिजीवियों का रूख 351
(21.17) कुछ प्रश्न........ 352
अध्याय 22 - पुलिस में सुधार लाने के लिए राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह का प्रस्ताव 355
(22.1) पुलिस में सुधार के लिए प्रस्तावित परिवर्तन / बदलाव 355
(22.2) प्रस्तावित प्रजा अधीन - जिला पुलिस कमिश्नर 355
(22.3) कोरोनर्स जांच / इनक्वेस्ट (अर्थात कोरोनर की अदालत अथवा कोरोनर की जूरी) (कोरोनर= अपमृत्यु का कारण पता करनेवाला अफसर = मृत्यु समीक्षक) 358
(22.4) पुलिसवालों पर प्रस्तावित जूरी प्रणाली (सिस्टम) का विवरण........ 360
(22.5) पुलिस विभाग में सुधार करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय / सुप्रीम-कोर्ट के हाल के आदेशों पर (राय) 360
(22.6) सभी दलों और प्रमुख बुद्धिजीवियों की पुलिस में सुधार करने पर (राय)........ 361
अध्याय 23 - भारतीय रिजर्व बैंक में सुधार करने और महंगाई / मुद्रास्फीति कम करने के लिए राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह के प्रस्ताव 362
(23.1) महंगाई का असली कारण क्या है ? 362
(23.2) भारत में रूपया (एम - 3 = कुल मुद्रा (धन) संख्या = देश में चलन में कुल नोट और सिक्के ,सभी प्रकार के जमा राशि का जोड़) कौन निर्माण करता / बनाता है?........ 364
(23.3) जनवरी-1951 और दिसंबर-2008 के बीच निर्माण किये गए / बनाए गए रूपए (एम - 3) 364
(23.4) भारत में वे कौन लोग हैं जो रूपए (एम-3= कुल मुद्रा/धन संख्या) निर्माण करते / बनाते हैं? 368
(23.5) भारतीय स्टेट बैंक , बैंक ऑफ बड़ौदा आदि जैसे बैंकों को रूपए (एम 3) निर्माण करने / बनाने का अधिकार प्राप्त है !!........ 371
(23.6) नए बनाये गए रुपये कौन देता है और किसे दिए जाते हैं?........ 372
(23.7) निर्माण किया / बनाया गया रूपया कैसे धन चुरा रहा है? 373
(23.8) इसलिए , कीमतें / मूल्य बढ़ने का असली कारण?........ 375
(23.9) समाधान - 1 : प्रजा अधीन - भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 376
(23.10) (रूपए) जमा करने और कर्ज़ / ऋण देने की प्रणालियों / सिस्टम में बदलाव लाना.... 378
(23.11) नागरिक रूपया प्रणाली (सिस्टम) और घाटे की वित्त व्यवस्था / घाटे का बजट (डेफिसिट फाईनैन्सिंग)........ 381
(23.12) वर्तमान रुपया प्रणाली (सिस्टम) और `नागरिक रूपया प्रणाली (सिस्टम)` के बीच मुख्य अंतर 381

(23.13) शासकीय / सरकारी कर्ज़ 382
(23.14) महंगाई को कैसे रोक / नियंत्रण सकते हैं..... 383
(23.15) महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रिय कच्चे तेलों के दाम में बढ़ोत्तरी..... 383
(23.16) भारतीय रिजर्व बैंक में बदलाव लाने पर सभी दलों और बुद्धिजीवियों का रूख / राय.. 384
अध्याय 24 - सेना-उद्योग परिसर (समूह) में सुधार लाने के लिए प्रजा अधीन राजा समूह / राइट टू रिकॉल ग्रुप के प्रस्ताव..... 385
(24.1) भारतीय सेना में सुधार लाने के लिए प्रजा अधीन राजा समूह / राइट टू रिकॉल ग्रुप के प्रस्तावों का सारांश (छोटे में बात)..... 385
(24.2) सेना की ताकत को निश्चित करने वाले प्रमुख कारण / कारक..... 387
(24.3) इंजिनियरिंग में प्रतिभा / कुशलता बढ़ाना..... 389
(24.4) क्या होगा यदि हम सेना में सुधार नहीं करते हैं?..... 390
(24.5) कैसे कारगिल युद्ध अमेरिका जीत गया और भारत और पाकिस्तान दोनों ही कारगिल की लड़ाई हार गए?..... 392
(24.6) हथियार निर्माण के उद्योग-कारखानों में सुधार लाना..... 393
(24.7) हमारी परमाणु हथियार और परमाणु क्षमताएं की परिस्थिति कितनी बुरी हैं ?..... 393
(24.8) आत्मघाती बटन - बहार के देशों से मंगाए हुए (आयातीत) हथियारों से खतरा..... 394
(24.9) भारतीय सेना की चीनी सेना से तुलना 395
(24.10) बहार के देशों से मंगाए हुए (आयातित) हथियारों की समस्या का समाधान 396
(24.11) अमेरिका द्वारा लीबिया पर हवाई हमलों से सीख : क्या होगा अगर चाइना या अमेरिका ने भारत पर हमला किया या पाकिस्तान के द्वारा करवाया ? इसीलिए, भारत के हर नागरिक को हथियार रखने व बनाने की छूट दे दो जितनी जल्दी हो सके 396
(24.12) सेना में सुधार करने के संबंध में सभी दलों और बुद्धिजीवियों का रूख / राय..... 401
अध्याय 25 - टैक्स / कर प्रणाली पर प्रजा अधीन राजा समूह / राईट टू रिकॉल ग्रुप का प्रस्ताव : संपत्ति कर (संपत्ति टैक्स) लागू करें तथा वैट, सेवा कर (सेवा टैक्स), जी.एस.टी. को रद्द करें..... 404
(25.1) टैक्स / कर प्रणाली(सिस्टम) में प्रजा अधीन राजा समूह / राईट टू रिकॉल ग्रुप के प्रस्तावित बदलाव का सारांश (छोटे में बात)..... 404
(25.2) प्रतिगामी / प्रत्यावर्ती (रिग्रेसिव) कर / टैक्स क्या है ?..... 405
(25.3) क्या भारत में कुछ (प्रकार के) टैक्स प्रतिगामी / प्रत्यावर्ती (रिग्रेस्सिव) हैं ?..... 406
(25.4) सेना, पोलिस, कोर्ट के लिए जमीन / घरों पर प्रस्तावित सम्पत्ति कर (संपत्ति-टैक्स) , विरासत टैक्स , सीमा-शुल्क ज्यादा संपत्ति वालों के लिए क्यों ज्यादा होना में , ज्यादा संपत्ति वालों के लिए क्यों फायदा वाला है , आर्थिक (पैसे) और नैतिकता (अच्छे-बुरे) के नजरिये से ?..... 409
(25.5) सेना के लिए जमीन / घरों पर प्रस्तावित सम्पत्ति कर (संपत्ति-टैक्स) का पर्यावलोकन (छोटे में बात)..... 409
(25.6) जमीन / घरों पर प्रस्तावित सेना के लिए सम्पत्ति-कर (संपत्ति-टैक्स) की अधिक जानकारी 410
(25.7) किस प्रकार संपत्ति-कर (संपत्ति-टैक्स) भूमि की जमाखोरी कम करता है और भूमि का दाम घटाता है..... 413
(25.8) संपत्ति-कर (संपत्ति-टैक्स) के लाभ 413
(25.9) विरासत-कर (वारिस पर लगने वाला टैक्स) 414
(25.10) सीमा शुल्क..... 414
(25.11) टैक्स कानून और क़ानून-ड्राफ्टों में अन्य परिवर्तन / बदलाव 414

अध्याय 26 - भारत में इंजिनियरिंग कौशल में सुधार करने के लिए 'प्रजा अधीन राजा समूह' / 'राईट टू रिकॉल ग्रुप' के प्रस्ताव 416

(26.1) भारत में इंजिनियरिंग की हालत कितनी खराब है ? 416

(26.2) भारत में इंजिनियरिंग कौशल और उत्पादकता में सुधार कैसे किया जाए ? 416

(26.3) उच्च सीमा शुल्क के खिलाफ तर्क 419

(26.4) मजदूर को आसानी से नौकरी पर रखने और नौकरी से हटाने के कानून के विरोध में तर्क419

(26.5) सभी राजनैतिक दलों का रूख / राय 420

अध्याय 27 - बहुमत द्वारा जज, मंत्रियों आदि को जेल भेजने, फांसी (की सजा) देने की प्रक्रियाएं / तरीके 421

(27.1) इन सरकारी अधिसूचनाओं / आदेशों (कानूनों) की क्या आवश्यकता है ? 421

(27.2) उदाहरण: वह कानून जिसके द्वारा बहुमत प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दे सकें 422

(27.3) बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा जेल, बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा फांसी424

(27.4) " बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा फांसी " का प्रयोग 426

(27.5) बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा सच्चाई सीरम (सच बुलवाने वाली औषधि) जांच करना (नारको जांच बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा) 427

(27.6) उच्च / शीर्ष पदों पर भर्ती में भाई-भतीजावाद, पक्षपात, सांठ-गाँठ/मिली-भगत व भ्रष्टाचार कम करना 428

अध्याय 28 - मध्यम / निचले स्तर के पदों में भ्रष्टाचार कम करने के लिए 'प्रजा अधीन राजा समूह'/'राईट टू रिकॉल ग्रुप' के प्रस्ताव 431

(28.1) साक्षात्कार समाप्त करना 431

(28.2) जूरी के अनुमोदन / स्वीकृति से सच्चाई सीरम जांच 431

(28.3) राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) 432

(28.4) बेकार / फालतू के खर्चों को कम करने के लिए 'प्रजा अधीन राजा समूह'/'राईट टू रिकॉल ग्रुप' के प्रस्ताव 432

(28.5) सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का खुलासा प्रकाशित करना 432

(28.6) भाई-भतीजावाद कम करने और संपत्ति का खुलासा करने (के मामले) पर सभी दलों और बुद्धिजीवियों की राय / उनका रूख 433

अध्याय 29 - आम लोगों का सशस्त्रीकरण करना / आम लोगों को हथियार बनाने देना और रखने देना 434

(29.1) आधुनिक भारत में हथियार रखने के अधिकार का इतिहास 434

(29.2) हथियार रखने के अधिकार को मौलिक (जरूरी) अधिकार और मौलिक (जरूरी) कर्तव्य बनाएं 435

(29.3) आमलोगों का सशस्त्रीकरण- आम लोगों द्वारा शस्त्रों / हथियारों का 100 % स्थानीय उत्पादन और प्रयोग : लोकतंत्र की जननी 435

(29.4) हम आम लोगों को हथियार बनाने देना और रखने देना : कल्याणकारी (नागरिकों की भलाई करने वाला) राज्य की जननी 436

(29.5) आम लोगों का सशस्त्रीकरण (हथियार बनाना व रखना) : आक्रमण / हमला रोकने का सच्चा साधन 437

(29.6) आम लोगों का सशस्त्रीकरण (हत्यारों का बनाना और रखना) : स्वतंत्रता का सच्चा साधन438

(29.7) आम लोगों का सशस्त्रीकरण (हथियारों का बनाना और रखना) : क्रांति की जननी 438

(29.8) आम लोगों द्वारा हथियार बनाने और आम लोगों को हथियारों से लैस / ` हथियारों के रखने ` के विरूद्ध बुद्धिजीवियों का झूठा प्रचार 439

(29.9) हम आम लोगों को हथियारबन्द / ` हथियार के रखने ` के संबंध में मेरे प्रस्ताव 441
अध्याय 30 - गणित, कानून आदि की शिक्षा में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 442
(30.1) शिक्षा में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव, मांग और वायदे 442
(30.2) प्रजा अधीन - जिला शिक्षा अधिकारी 442
(30.3) प्रजा अधीन (राईट टू रिकाल) - जिला शिक्षा अधिकारी (कानून) लागू करने से शिक्षा में सुधार आएगा। कैसे? 445
(30.4) बुरी शिक्षा देने वाले स्टॉफ को हटाने का तरीका / प्रक्रिया लागू करना........ 447
(30.5) गणित की शिक्षा के लिए सात्य प्रणाली (सिस्टम)........ 448
(30.6) अन्य विषयों के लिए सात्य प्रणाली (सिस्टम) 450
(30.7) कानून की शिक्षा देना........ 450
(30.8) हथियार चलाने / प्रयोग करने की शिक्षा देना........ 451
(30.9) अंग्रेजी की शिक्षा देना 451
अध्याय 31 - राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) लागू करने पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 452
(31.1) पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) का अभाव 452
(31.2) नागरिक पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) से आशाएं........ 453
(31.3) निजी पहचान - पत्र प्रणाली (सिस्टम), नागरिक पहचान - पत्र प्रणाली (सिस्टम)......... 454
(31.4) निजी पहचान-पत्र में क्या शामिल होगा? 455
(31.5) निजी पहचान-पत्र कैसे बनाएं / सृजित करें?........ 455
(31.6) निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) (से बने) कार्ड की लागत (वर्ष 2010 - आधार मूल्य / कीमतें) 457
(31.7) निजी पहचान-पत्र के लाभ........ 457
(31.8) डी.एन.ए. आंकड़े (डाटा) का प्रयोग करके आपसी संबंधों का नक्शा / जाल बनाना........ 458
(31.9) अमेरिका में पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम)........ 458
(31.10) राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) पर सभी दलों की राय / उनके रूख 459
अध्याय 32 - `जनता द्वारा राईट टू रिकाल-लोकपाल` - लोकपाल को विदेशी कंपनियों के एजेंट बनने से रोकने के लिए जरूरी है `भ्रष्ट लोकपाल को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार`........ 460
32.1 माननीय अन्ना जी, कृपया पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड/धारा और राइट टू रिकॉल लोकपाल खंड/धारा को जनलोकपाल बिल में जोड़े........ 460
32.2 तीन पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड/धारा........ 461
32.3 राइट टू रिकॉल खंड/धारा --- दस में से एक लोकपाल को बदलने का अधिकार नागरिकों को होना चाहिए........ 463
32.4 पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड/धारा पर अधिक जानकारी........ 467
32.5 राइट टू रिकॉल लोकपाल, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल न्यायधीश इत्यादि पर अधिक जानकारी........ 468
32.6 लोकपाल बोल सकता है :तुमने शिकायत कभी नहीं भेजी | 470
32.7 प्रस्तावित प्रजा अधीन-राजा के खंड को और अच्छे से समझना चाहूँगा - 470
32.8 कैसे जनलोकपाल भारत को कमजोर बना सकता है और भारत को विदेशी कंपनियों का गुलाम बनने में मदद कर सकती है 472

32.9 क्या अन्ना राईट टू रिकाल(जनलोकपाल) के बारे में गंभीर है , और क्या जनलोकपाल/लोकपाल केवल टाइम-पास है ?.. 473
32.10 मुझ सताया गया है , इसीलिए मेरा प्रस्तावित क़ानून सही है !!................................ 475
32.11 कुछ महत्वपूर्ण सूत्र 477
32.12 कुछ सुझाव `प्रजा अधीन-राजा`कार्यकर्ताओं के लिए `प्रजा अधीन-राजा`-विरोधी लोगों के समय-बर्बादी योजना से निबटने/पेश आने के लिए.. 479
32.13 कुछ और चालें जो `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी जो इस्तेमाल करते हैं असल मुद्दे से हटाने के लिए.. 481
32.14 बिना `राईट टू रिकाल-लोकपाल(प्रजा अधीन-लोकपाल) जनता द्वारा` के जनलोकपाल का खेल और कैसे विदेशी कम्पनियाँ लोगों का गुस्सा का इस्तेमाल कर रही हैं भारत को फिर से गुलाम बनने के लिए.. 482
अध्याय 33 - बांग्लादेशियों के भारत आने को कम करने और उन्हें निष्कासित करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव 487
(33.1) बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या 487
(33.2) बांग्लादेशी घुसपैठ पर सभी राजनैतिक दलों का रूख / उनकी राय............................ 487
(33.3) बाड़ लगाने का बेकार / व्यर्थ समाधान 487
(33.4) बांग्लादेशियों के घुसपैठ को कम करने और इन्हें देश से बाहर निकालने के लिए 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' समूह की मांग और वायदा................... 488
(33.5) डी.एन.ए. आंकड़ों (डाटा) का प्रयोग करके वंश / परिवार वृक्ष बनाना 488
(33.6) नागरिकता तय करने के लिए जूरी प्रणाली (सिस्टम) 489
(33.7) सभी वर्तमान दलों के नेताओं की राय / उनका रूख 490
अध्याय 34 - जम्मू-कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव...491
अध्याय 35 - राम जन्म-भूमि पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव ; मंदिरों, मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण / व्यवस्था नहीं रहेगा...493
(35.1) सामुदायिक ट्रस्ट.. 493
(35.2) राम जन्म-भूमि, कृष्ण जन्म-भूमि व काशी विश्वनाथ के मामले/मुद्दे.......................... 493
अध्याय 36 - आरक्षण को सरल / उपयोगी बनाने और कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव..495
(36.1) आरक्षण कम करने की ओर एक कदम :`आर्थिक विकल्प / चुनाव` अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के `समर्थन / हाँ` से |.................. 495
(36.2) दूसरा संशोधन : ज्यादा पिछड़े लोगों को ज्यादा / उच्चतर प्राथमिकता देना................ 496
(36.3) आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर राय / रूख.. 496
(36.4) आरक्षण के मुद्दे पर जिन प्रशासनिक बदलाव/परिवर्तनों का हम वायदा करते हैं, उनकी ज्यादा जानकारी.. 497
अध्याय 37 - कुछ नागरिक / सिविल व आपराधिक मामलों के संबंध में `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह`के प्रस्ताव 500
(37.1) नागरिक / सिविल कानून में जिन परिवर्तनों / बदलावों की हम मांग और वायदा करते हैं उनकी सूची (लिस्ट) 500
(37.2) भूमि / फ्लैट मालिकी रिकार्ड प्रणाली (सिस्टम) लागू करना...................................... 500
(37.3) सूदखोरी / अधिक ब्याज लेने से रोकने के लिए कानून... 501

(37.4) सताई गई / `बुरी तरह से पीटी गयी` औरतों के लिए तलाक और बच्चे की अभिरक्षा / `देखभाल का अधिकार` की तेजी से सुनवाई 501
(37.5) 498 ए और डी.वी.ए. कानून समाप्त / रद्द करना 502
(37.6) अफीम और / अथवा चरस को कानूनी मान्यता देने अथवा इन्हें अपराध घोषित करने का प्रस्ताव 502
(37.7) व्यावसायिक यौनक्रिया को कानूनी बनाने अथवा इसे अपराध घोषित करने पर प्रस्ताव 504
(37.8) अपमिश्रण / मिलावट कम करने के लिए कानून 505
अध्याय 38 - बलात्कार (की घटनाएं) कम करने के लिए कानून में `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह``द्वारा प्रस्तावित बदलाव / परिवर्तन 506
(38.1) तकनीकी साधन 506
(38.2) बलात्कार संबंधी कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन 506
अध्याय 39 - कानून बनाने (के कार्य में) सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 508
(39.1) कानून बनाने (के कार्य) में समस्याएं 508
(39.2) पहली समस्या का समाधान 508
(39.3) दूसरी समस्या का समाधान 509
(39.4) नागरिकों को संसद में हां / नहीं दर्ज करने में समर्थ / सक्षम बनाने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह`के प्रस्ताव 510
(39.5) उपर्युक्त कानून लागू करवाने के लिए ड्राफ्ट / प्रारूप 511
(39.6) सांसदों द्वारा बनाए गए कानूनों पर जूरी प्रणाली (सिस्टम) लागू करने के लिए `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' समूह की मांग और वायदा 513
अध्याय 40 - चुनाव / निर्वाचन सुधारों पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव 515
(40.1) वे चुनाव सुधार, जिनके प्रस्ताव मैंने किए हैं - 515
(40.2) प्रजा अधीन राजा / राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) 515
(40.3) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेयर, सरपंच का सीधा चुनाव 516
(40.4) इलेक्ट्रानिक चुनाव मशीन (वोटिंग मशीन) (इ.वी.एम) पर रोक / प्रतिबंध लगाना और कागजी मतदान-पत्रों में कुछ परिवर्तन / बदलाव लाकर उनका प्रयोग करना 516
(40.5) चुनाव मशीन की लागत लगबग तीन गुना है प्रति चुनाव कागज-मतपत्र की तुलना में |519
(40.6) एक ही दिन चुनाव (आयोजित) कराना 520
(40.7) चुनाव के फार्म भरने और चुनाव लड़ने (की प्रक्रिया) आसान बनाना 521
(40.8) चुनाव जमानत राशि बढ़ाना 522
(40.9) उन नागरिक-मतदाताओं की संख्या बढ़ाना जो किसी उम्मीदवार के लिए स्वीकृति देते हैं ताकि उम्मीदवार चुनाव लड़ सके 523
(40.10) उम्मीदवारों की संख्या सीमित / नियंत्रित करना 523
(40.11) उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने के विकल्प को समाप्त करना 524
(40.12) तुरंत / तत्काल निर्णायक मतदान या `अधिक पसंद अनुसार मतदान` (आई.आर.वी= इन्स्टैंट रन-ऑफ वोटिंग) 524
(40.13) राज्य सभा में चुनाव और समानुपातिक (सामान तुलना में) उम्मीदवारी / प्रतिनिधित्व531
(40.14) पार्टी में अंदरूनी चुनाव / आंतरिक लोकतंत्र 531
(40.15) भारतीय अपने वोट बेचते हैं का मिथक / झूठी बात 532
(40.16) भारत में लोग अपनी जाती के लिए वोट करते हैं का झूठ 535

(40.17) राजनीति क्यों भ्रष्ट हो गयी है और सड़ गयी है और अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते 536
(40.18) पढ़े लिखे और चिंतित नागरिक अच्छे लोगों को क्यों नहीं बड़े , सरकारी पदों पर नहीं ला पाते ?............ 536
अध्याय 41 - स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के प्रस्ताव 539
(41.1) पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कम्पनी (व्होल्ली ओन्ड बाय इंडियन सिटीजेंस = डब्ल्यू. ओ. आई. सी)............ 539
(41.2) `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` कम्पनी को बढ़ावा देना............ 539
अध्याय 42 - बिजली बनने (पैदावार) और सप्लाई (आपूर्ति) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के प्रस्ताव 542
(42.1) बिजली बनने (पैदावार) और सप्लाई (आपूर्ति) में सुधार करने के लिए प्रस्तावों की सूची (लिस्ट)............ 542
(42.2) प्रजा अधीन - बिजली नियामक / प्रबंधकर्ता , प्रजा अधीन - मंत्री............ 542
(42.3) कोई बिजली कटौती नहीं और सभी के लिए 24 घंटे बिजली : बिजली पर भत्ता (मासिक बिजली राशन) प्रणाली (सिस्टम) 542
(42.4) सभी के लिए पंखा-ट्यूबलाईट के लिए बिजली अथवा उतनी बिजली के बराबर का नकद545
(42.5) बिजली / ऊर्जा की परिस्थिति में ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’ से कैसे सुधार होगा ?............ 546
(42.6) कैसे प्रजा अधीन - जज बिजली उत्पादन में सुधार करेगा?............ 546
अध्याय 43 - कच्चे तेल को बाहर से मंगाना (आयात), विदेशी कर्ज कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के प्रस्ताव 547
(43.1) मुख्य समस्या............ 547
(43.2) बाहर से माल मंगवाने (आयात) और विदेशी कर्ज कम करने के लिए प्रस्तावों की सूची (लिस्ट) 547
(43.3) कच्चे तेल के बहार से मांगने (आयात) और सम्पूर्ण सप्लाई (आपूर्ति) का प्रबंध करने के लिए प्रस्तावों की सूची (लिस्ट)............ 548
(43.4) नागरिकों को कच्चे तेल की रॉयल्टी देना [‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’ कानून]............ 549
(43.5) दूसरे देशों से तेल मंगाने (आयात) का प्रबंध इस तरह से करना कि तेल आयात करने के लिए जरूरी विदेशी पैसा / विनिमय सरकार की जवाबदेही न बन जाए............ 550
(43.6) कारखाने के बने माल को दूसरे देश भेजने (औद्योगिक निर्यात) को बढाना............ 551
(43.7) कच्चे तेल की खुदाई करने वाली और तेल शोधक भारतीय कम्पनियों के प्रशासन में सुधार करना 552
(43.8) बस (परिवहन) प्रणाली (सिस्टम) में सुधार करके कच्चे तेल की खपत कम करना 552
(43.9) कच्चे तेल की खपत कम करने के लिए वाहन कर (वाहन-टैक्स) , पार्किंग शुल्क बढ़ाना552
अध्याय 44 - 302.h.pdf (पी.डी.एफ.), 302.h.doc (डोक.) में विस्तार से बताए जाने वाले विषय554
(44.1) 302.h.pdf (पी.डी.एफ.), 302.h.doc (डोक.) क्या है?............ 554
(44.2) जम्मू-कश्मीर और शेष भारत में इस्लामिक कट्टरपंथी से हिंसा कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव............ 554

(44.3) बेरोजगारी और गरीबी कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 555
(44.4) खाने-पीने की चीज की सप्लाई (आपूर्ति) व खेती (कृषि) में सुधार के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 556
(44.5) जमीन का दाम और घर का दाम स्थिर/स्थायी करने और घर के बनाने (गृह निर्माण) में सुधार करने, झुग्गी कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव557
(44.6) भूमि अधिग्रहण (सरकार द्वारा जमीन लेना) के संबंध में `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 558
(44.7) स्विस और अन्य `छुपे हुए` / गुप्त / भूमिगत बैंकों पर `राईट टू रिकाल ग्रुप` / `प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 559
(44.8) स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने और दवा की लागत कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 559
(44.9) दूरसंचार / टेलीफोन , टीवी लाईनों में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 560
(44.10) नक्सलवाद की समस्या दूर करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 561
(44.11) जनसंख्या बढौतरी को कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 561
(44.12) बालिका (लड़की) के गर्भ-हत्या कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 562
(44.13) पानी पर झगड़ा सुलझाने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 562
(44.14) राशन कार्ड प्रणाली (सिस्टम) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 562
(44.15) झूठे टेलिविजन-विज्ञापनों / प्रचार को रोकने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 563
(44.16) अमेरिका की धमकी / खतरे से निपटने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` का प्रस्ताव 563
(44.17) परमाणु बिजली और परमाणु हथियारों पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 563
(44.18) ट्रैफिक / यातायात को व्यवस्थित करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 564
(44.19) जी.एम.(जेनेटिक / वंश रूप से बदला हुआ) और बी.टी. (बैक्टीरिया कीटाणू युक्त) भोजन पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 564
(44.20) श्रम कानून (मजदूर सम्बन्धी क़ानून) पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 564
(44.21) वनों / जंगलों के सुरक्षा पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव565
(44.22) वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 565
(44.23) इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव 566

(44.24) गो-हत्या समाप्त / कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 566
(44.25) भूमि / जमीन से जुड़े अपराध कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 567
(44.26) हिंसा वाला अपराध को रोकने / कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 567
(44.27) अंधविश्वास को कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 567
(44.28) बुढ़ापा (वृद्धावस्था) पेंशन प्रणाली (सिस्टम) के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 568
(44.29) दलितों पर अत्याचार रोकने / कम करने और दलितों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 568
(44.30) महिलाओं के विरूद्ध अपराध को कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 569
(44.31) खाने-पीने की चीज की मिलावट कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 569
(44.32) मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (पब्लिक धंधों) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 569
(44.33) टेलिविजन समाचार चैनल (मीडिया) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 569
(44.34) समाचार पत्र (मीडिया) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 570
(44.35) बेतहाशा / बेकार के सरकारी खर्चे में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 570
(44.36) पानी के मीटर लगाकर / प्रयोग करके पानी की बरबादी रोकने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 570
(44.37) सर्वजन बैंकिंग प्रणाली(सिस्टम) के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 571
(44.38) मासिक आयकर (आय पर टैक्स) भरना......... 571
(44.39) सामाजिक अन्याय कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 571
(44.40) साम्प्रदायिक हिंसा कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव......... 572
अध्याय 45 - यदि खून की नदियां नहीं , तो खून की कुछ बूंद बह सकती हैं......... 573
(45.1) 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)' के खिलाफ इतनी शत्रुता / दुश्मनी क्यों?......... 573
(45.2) तो क्या विशिष्ट / उच्च लोग , मंत्री, आई.ए.एस. (सरकारी बाबू) बिना एक भी बूंद खून बहाए हथियार डाल देंगे?......... 573
(45.3) मेरा विचार......... 574
अध्याय 46 - यदि विशिष्ट / ऊंचे लोग या राजनेता तानाशाही चलाते हैं , तो महात्मा उधम सिंह योजना......... 575
(46.1) सबसे अहिंसक तरीका......... 576

अध्याय 47 - `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` की सदस्यता, सदस्य / उम्मीदवार का चयन आदि (से संबंधित) नियम 578

(47.1) विभाजन (अलग दल बनाना) 578

(47.2) वित्त पोषण / धन जुटाना 578

(47.3) सदस्य बनना 578

(47.4) सदस्यों से खुली / साफ-साफ अपेक्षा (उम्मीद) 578

(47.5) लोकसभा के लिए पहले उम्मीदवार का निर्णय करना 580

(47.6) सांसद पद का उम्मीदवार बदलना 580

(47.7) विधायक, नगर निगम के लिए पहले उम्मीदवार का निर्णय 581

(47.8) चुनाव में सदस्यों की भूमिका 581

(47.9) पार्टी / समूह के अध्यक्ष को बदलना 581

(47.10) अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति 582

(47.11) चुनाव आयोग को दिया गया पार्टी-संविधान 582

(47.12) `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` जैसे अन्य समूहों की पहचान करना. 582

अध्याय 48 - यदि 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)`, प्रजा अधीन राजा / राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि कानून लागू नहीं होते तो भारत का संभव / संभावित भविष्य क्या होगा 583

अध्याय 49 - `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के क़ानून-ड्राफ्ट को कौन-कौन समर्थन दे सकता है ? और कौन `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के क़ानून-ड्राफ्ट का विरोध अवश्य करेगा? 585

अध्याय 50 - आखरी में बात / उपसंहार 589

(50.1) जमीन किराया और खदान रॉयल्टी के लिए लड़ाई / संघर्ष के कुछ संभव / संभावित भविष्य 589

अध्याय 51 - सूची (लिस्ट) 1 : `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्तावों से हम आम नागरिकों को मिलने वाली शक्तियों / अधिकारों की सूची (लिस्ट) 598

अध्याय 52 - सूची (लिस्ट) 2 : समस्याएं और `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के वे प्रस्ताव जो इन समस्याओं को सुलझा देंगे 605

अध्याय 53 - सूची (लिस्ट) - 3 : `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` और बुद्धिजीवियों के प्रस्तावों के बीच अन्तर 629

परिभाषाएं

(1)भारत का राजपत्र (सरकारी अधिसूचना)(Gazette Notification)-

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित पुस्तिका जो लगबग हर महीने प्रकाशित की जाती है और मंत्रियों द्वारा जिला कलेक्टर,विभाग सचिव आदि को आदेश होते हैं | ये सब आदेशों/कानूनों को सदन में पारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये संवैधानिक होते हैं |(पहले अध्याय में भारत का राजपत्र/सरकारी अधिसूचना का नमूना है)

(2) `जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ` सरकारी अधिसूचना-

एक तीन लाइन का प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट /मसौदा जिसके द्वारा आम नागरिक(जिसका कोई राजनैतिक सम्बन्ध ना हो) अपनी शिकायत पारदर्शी तरीके से प्रधानमंत्री आदि सार्वजानिक वेबसाइट पर डाल सकता है | `पारदर्शी` का अर्थ है कभी भी ,कहीं भी, किसी के द्वारा देखी जा सके और जांच की जा सके ताकि कोई भी नेता , कोई भी बाबू, कोई भी जज या मीडिया इसे दबा नहीं सके |(अधिक विवरण के लिए अध्याय 1,3 देखें)

(3) `प्रजा अधीन-राजा / राईट टू रिकाल सरकारी अधिसूचना –

भ्रष्ट अधिकारी ,नेता,जज को निकालने/बदलने का आम जन का अधिकार/प्रस्तावित प्रक्रिया जैसे प्रजा अधीन प्रधानमंत्री,प्रजा अधीन मुख्यमंत्री , प्रजा-अधीन सुप्रीम कोर्ट जज, प्रजा अधीन पोलिस कमिश्नर आदि | अपने ग्रन्थ, `सत्यार्थ प्रकाश` में स्वामी दयानंद सरवती जी ने कहा है कि `राजा प्रजा-अधीन होना चाहिए नहीं तो राजा मांसाहारी पशु के तरह प्रजा को खा जायेगा` | यहाँ `राजा` का अर्थ राजवर्ग है, यानी सरकार/प्रशाशन चलने वाले मंत्री, जज अफसर जैसे लोकपाल आदि और `प्रजा` का अर्थ आम नागरिक हैं , और `अधीन` का अर्थ आम नागरिकों का सरकार चलने वाले जैसे मंत्री, जज, अफसरों को बदलने/निकालने/सज़ा देने का अधिकार है | और ये श्लोक स्वामी जी ने वेदों से लिए हैं |

जब से हमारे देश में ये अधिकार/प्रक्रियाएँ गायब हुए हैं, तब से देश का पतन होना शुरू हो गया |

ये प्रक्रियाएँ/अधिकार हमारे देश में पहले थे और आज पश्चिम में हैं बहुत से पदों पर, जिससे वहाँ भ्रष्टाचार कम है|

(अधिक विवरण के लिए अध्याय 2,6,7 देखें)

(4)`नागरिक और सेना के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी) `(एम.आर.सी.एम) सरकारी अधिसूचना-

प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट जिसके द्वारा सेना और नागरिकों को देश की सार्वजनिक भूमि का किराया. खनिज रोयल्टी (आमदनी)/आमदनी , 2 जी , 3G व अन्य सार्वजनिक रोयल्टी (आमदनी)/आमदनी सीधे मिल सके |

सेना को एक तिहाई पैसा मिलेगा और बाकी दो तिहाई पैसे में से नागरिकों को बराबर-बराबर धन बंटेगा और हर महीने मिलेगा | (अधिक विवरण के लिए अध्याय 5 देखें)

(5) प्रजा अधीन न्यायतंत्र (जूरी सिस्टम)-
प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना जो जब लागू होगा तो 15-20 नागरिक क्रमरहित/अनियमित तरीके से चुने जाएँगे और आपराधियों और भ्रस्त को सज़ा देंगे और फैसला सुनायेंगे जिससे कोर्ट के फैसले न्यायपूर्ण और जल्दी , कुछ ही महीनों में मिलेंगे |(अधिक विवरण के लिए अध्याय 7,21 देखें)

(6)प्रतिगामी / अवरोही (रिग्रेसिव) `कर`-
i)जो `कर` अनुपात रूप में घटता है, जब राशि जिसपर `कर` लगाया जाता है बढती है |
ii)जो `कर` व्यक्ति की आय के प्रतिशत के रूप में घटता है जब व्यक्ति की आमदनी बदती है यानी कम आय वाले को अपनी आय का ज्यादा प्रतिशत कर देना पड़ता है बनिस्पत ज्यादा आय के |उदहारण-सभी खाने पीने पर `कर`, उत्पाद शुल्क,VAT आदि |
समान कर-
i) जो `कर` अनुपात रूप में ना तो घटता है न बढता है , जब राशि जिसपर `कर` लगाया जाता है बढती है |
ii) वह `कर` जो कम और अधिक आमदनी वाले व्यक्तियों के लिए अपनी आमदनी के प्रतिशत के रूप में बराबर है |उदहारण –संपत्ति कर,विरासत कर |
(अधिक विवरण के लिए अध्याय 25 देखें)

(7) क्लोन- मतदान के विश्लेषण में , एक उमीदवार जो पहले से मौजूद दूसरे उमीदवार के जैसा हो |

क्लोन-पोसिटिव(सकारात्मक) प्रयास / तरीका -
(1)जब अलग-अलग,एक दूसरे से अनजान व्यक्तियों द्वारा किये गए प्रयास एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि उनका योगात्मक प्रभाव होता है |उदहारण- अलग-२ संस्था के लोग एक ही मसौदे के लिए प्रचार/प्रयास करते हैं और एक मसौदे/क़ानून-ड्राफ्ट के अधीन एकजुट हो जाते हैं |
(2) कोई तरीका तब क्लोन पोसिटिव कहा जाता है जब एक दूसरे से अनजान ,ज्यादा लोग/समूह जब एक ही प्रकार का काम अलग-अलग करने की कोशिश करते हैं, तब इससे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय में कमी आती है।

क्लोन-नेगटिव(नकारात्मक) प्रयास / तरीका –
(1)जब अलग-अलग,एक दूसरे से अनजान व्यक्तियों द्वारा किये गए प्रयास एक दूसरे को काटते हैं |उदहारण- एक नेता या संस्था के अधीन एकजुट होना | (अधिक विवरण के लिए अध्याय 15,16,17 देखें)
(2) कोई तरीका तब क्लोन निगेटिव कहा जाता है जब एक दूसरे से अनजान,ज्यादा लोग/समूह ,एक ही प्रकार का काम करने की कोशिश करते हैं,तब इससे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय में तो कमी नहीं आती बल्कि यह बढ़ जाता है।

(8) रूपया(एम-3) - **कुल मुद्रा संख्या** = देश में चलन में कुल नोट और सिक्के ,सभी प्रकार के जमा राशि का जोड़ | जिसे हमलोग आम तौर पर रूपया कहते हैं उसे भारतीय रिजर्व बैंक एम – 3 कहता है।

(9) गैर-80 जी कार्यकर्ता -वो कार्यकर्ता जो 80-जी आयकर में छूट के खंड/नियम को रद्द करवाना चाहते हैं क्योंकि ये आय के चोरी करने में मदद करती है जिससे सेना,कोर्ट,पुलिस और देश के अन्य विकास के लिए जरुरी धन में कमी आती है |

(10) महा जूरी-मंडल - जूरी का एक प्रकार है , जो फैसला करता है कि (किसी पर) जूरी-मंडल द्वारा मुकदम्मा चलने के लिए काफी सबूत है कि नहीं |
(11) कानून-ड्राफ्ट- क़ानून का हस्तलिखित आरंभिक रूप जो काटछांट संशोधन आदि के लिए तैयार किया जाता है |

कुछ महत्वपूर्ण सूत्र

***1) पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)** – पारदर्शी शिकायत की हम परिभाषा करते हैं जो शिकायत दृश्य हो और जाँची जा सके कभी भी, कहीं भी और किसी के भी द्वारा ताकि कोई बाबु, कोई नेता, कोई जज या मीडिया उसे दबा नहीं सके| ऐसी एक पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली/सिस्टम चैप्टर 1 में देखें | देश को सुधारने के लिए हमें सौ क़ानून चाहिए और यदि हरेक के लिए अन्दोलान करें , तो बहुत समय लगेगा| इसीलिए एक आन्दोलन करके ये प्रणाली(सिस्टम) ले आयें ,तो इस के द्वारा बाकी क़ानून कुछ ही महीनों में आ जाएँगे |

***2) अमेरिका की अदालतों में फैसले कुछ ही सप्ताह में क्यों आ जाते हैं और भारत में फैसले आने में सालों क्यों लग जाते हैं ? क्योंकि अमेरिका में नागरिकों के पास जज को नौकरी से निकालने का अधिकार है | इसीलिए जज सिस्टम को अच्छा रखते हैं | इसीलिए हमें भारत में भी प्रजा अधीन जज चाहिए |**

भारत में यदि एक मुजरिम के खिलाफ मामला दर्ज कोई करता है, तो मुजरिम जज के रिश्तेदार वकील द्वारा उसको पैसे देता है और बदले में जज मामले की तारीख बढा देते है| इससे मुजरिम को गवाहों को खरीदने/धमकाने के लिए समय मिल जाता है | और मामला दर्ज करने वाले का भी मनोबल टूट जाता है और फिर मुजरिम छूट जाता है सालों के मुकदम्मे के बाद भी |

अमेरिका में यदि ज्यादा फैसले आने में ज्यादा समय लगने लगे , तो वहाँ के नागरिक विरोध करने लगते हैं और यदि जज स्थिति को सुधारता नहीं , तो उसे नौकरी से निकाल देते हैं | इसीलिए नौकरी जाने के डर और सज़ा पाने के डर से , 99 % जज पहले से सिस्टम को अच्छा रखते हैं| और 1% जजों को वहाँ के नागरिक बदल देते हैं |

***3) अच्छे लोगों के इन्तेज़ार करने की आदत कि वो देश का सुधार करेंगे की मूर्खता -**

भारत में हमें आदत है कि अच्छे लोगों का इंतज़ार करना कि वे सत्ता में आयें और भारत को सुधारें और गरीबी और भ्रष्टाचार को समाप्त करें |

इसके बदले हम ,आम नागरिकों को सत्ता हाथ में लेनी चाहिए मंत्रियों और जजों से | हम `प्रजा अधीन-राजा(शाशक) और जूरी-सिस्टम की मांग कर सकते हैं और सत्ता अपने हाथों में ले सकते हैं | ये पूरी तरह से मूर्खता है कि अच्छे नेता और जज के लिए सत्ता में आने का इन्तेज़ार करना | कहानी की सीख ये है कि भारतीय नागरिक इतने सौभाग्यशाली नहीं रहे पिच्छले 65 सालों से कि उन्हें अच्छा नेता मिला हो |

*** 4) हमारे देश की सेना इतनी कमजोर है कि विदेशी देश, हमपर आसानी से हमला कर सकते हैं |**

हमारे देश के पडोसी, चीन और पकिस्तान , और पाकिस्तान का मित्र अमेरिका ,हामरे ऊपर हमला कर सकते हैं , अलग-अलग या एक साथ भी | ऐसा किसी ने नहीं सोचा था 1989

में कि अमेरिका इराक के ऊपर हमला करेगा और आधा से ज्यादा इराक को बरबाद कर देगा 1990 में और दूसरा आधा 2004 में बरबाद करेगा | ऐसे ही भारत पर भी दुश्मन देश हमला कर सकते हैं |

यदि भारत के पास हथियार नहीं होंगे तो , वो लड़ाई बुरी तरह हार जायेगा | और 90-99% देश के लोग, लाखों- करोड़ों लोग मार दिए जाएँगे , लूट लिए जाएँगे | इस लिए लड़ाई का मुकाबला करने के लिए , भारत को हथियारों की जरूरत होगी | या तो भारत को फिर, हथियार बाहर के देशों से मंगाने होंगे, या तो भारत को अपने हथियार बनाने होंगे |

हम `प्रजा अधीन-राजा` के कार्यकर्ता, ये विश्वास करते हैं कि हथियार को दूसरे देशों से मंगाने के बजाय, हमें खुद हथियार भारत में बनने चाहिए,क्योंकि हथियार दूसरे देश से मंगाने से दूर्सरा देश, युद्ध के समय मदद करने के बदले , हमारे खानें, तेल के कुँए, स्पेक्ट्रुम, बैंक आदि पर कब्जा कर सकता है और हमारी शिक्षा , खेती बर्बाद करके उनपर खाने, और तकनीकी पर भी निर्भर बना सकता है |

इसीलिए हम `प्रजा अधीन-राजा` कार्यकर्ता ये विश्वास करते हैं कि हमें एक ऐसा शाशन चाहिए जो बड़े स्तर पर अमेरिका के जैसे अच्छे हथियार भारत में बना सकें | और हम `प्रजा अधीन-राजा` केकार्यकर्ता ये विश्वास करते हैं कि ऐसा शाशन बिना `प्रजा अधीन-प्रधानमन्त्री`, `प्रजा अधीन-सुप्रीम-कोर्ट जज `, ``सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)`, `प्रजा अधीन-जिला शिक्षा अधिकारी`, और ऐसे अन्य प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट के बिना नहीं आ सकते |

*** 5) कृपया ये देशद्रोही प्रश्न ना पूछें-` क्या आप श्री `क ख ग` को समर्थन करते हैं?` लेकिन ये देशभक्त प्रश्न पूछें-` कौन से क़ानून-ड्राफ्ट का समर्थन करते हैं देश को विदेशी कंपनियों का गुलाम बनने से रोकने के लिए ?`**

हमें अक्सर पूछा जाता है कि क्या आप श्री `क ख ग` का समर्थन करते हैं देस्व्ह के नाम पर ?

ये एक बेकार और देशद्रोही प्रश्न है |

कृपया हमें,जो आम नागरिक जो देश-भक्त हैं , ऐसे प्रश्न ना पूछें | हम अपने परिवार, अपने समाज के प्रति वफादार हैं, फिर अपने राज्य और अपने देश के प्रति वफादार हैं |

इसीलिए , इसके बजाय, ये देश-भक्त प्रश्न पूछें **`आप क्या क़ानून-ड्राफ्ट का समर्थन करते हैं अपने देश के लिए और विदेशी कंपनियों के विरुद्ध ताकि वे देश को गुलाम न बना सके और देश की 99% जनता को लूट न ले ?`**

विदेशी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य खाने-पीने के बाजार पर कब्ज़ा करना नहीं है, जो अर्थ-व्यवस्था/देश के कुल बाजार का 5% से भी कम हिस्सा है, लेकिन हमारी खानों, जमीन पर कब्ज़ा करना है, हमारी हथियार बनने की ताकत, भारत की खेती को तोड़ने , विज्ञानं/गणित की पढ़ाई/शिक्षा को बरबाद करना है , ताकि हमारा देश विदेशी कंपनियों पर खाने, हथियार और तकनीकी पर निर्भर बन जाये |

विदेशी कंपनियों ने अभी तक 50% , के ऊपर लिखे गए अपने उद्देश्य में सफल हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत समय और पैसा लगा है| `सरकारी लोकपाल/जनलोकपाल बिना `प्रजा अधीन-लोकपाल` और `पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम) ` के क़ानून-ड्राफ्ट के, वे भारत को जल्दी ही अपना गुलाम बना लेंगे कम पैसे और कम समय में |

सेना और हथियार-उत्पादन कमजोर होने के कारण, कोई भी विदेशी देश हम पर आक्रमण कर सकता है और 99% नागरिकों को लूट सकता है |

इसीलिए ये प्रश्न पूछें- ` क्या क़ानून-ड्राफ्ट का आप समर्थन करते हैं देश को विदेशी कंपनियों का गुलाम बनने से और 99% देश के लोगों के लुटने से `

***6) भ्रष्ट गठबंधन / साँठ-गाँठ -**

इसमें नेता-बाबू-जज-पुलिस-नियामक(रेगुलेटर)-बुद्धिजीवी-विशिष्ट वर्ग(उच्चवर्ग) आते हैं | बुद्धिजीवी में पत्रकार,स्तंभकार,संपादक, गैर-तकनिकी विषय के प्रोफेस्सर, कुल-पति , विश्वविद्यालों के गैर तकनिकी विभागों के विभागाध्यक्ष| विशिष्ट वर्ग में धनी लोग आते हैं जैसे मीडिया मालिक, बड़े विज्ञापक | इनमें सबसे कम भ्रष्ट जो मैं मानता हूँ वो पोलिस-सेवक हैं, उससे अधिक भ्रष्ट बाबू, फिर नेता ,फिर जज और सबसे अधिक भ्रष्ट बुद्धिजीवी हैं (बुद्धिजीवी के चुनाव में केवल साक्षात्कार ही होता है जिससे भाई-भातिजेवाद और भ्रष्टाचार को बदावा मिलता है) | और श्रृंखला के शीर्ष में विशिष्ट वर्ग हैं - जो अधिकतर घूस देने वाले हैं |

***7) क़ानून लागू करने वाले अधिकारी भारत में विधायक / सांसद / मंत्री नहीं लेकिन जज हैं |** जज हैं जो गैर जिम्मेदार बाबूओं/पुलिसवालों को सज़ा देकर ये निर्णय करते हैं कि बाबू/पुलिसवाले क़ानून लागू होता है कि नहीं | यदि जज आलसी, भ्रष्ट बाबूओं को सज़ा देते हैं तो ,बाबू भ्रष्टाचार कम कर देंगे और फूर्ती से काम करेंगे और क़ानून लागू/कार्यान्वित होगा | इसीलिए क़ानून इसीलिए लागू नहीं होते भारत में क्योंकि जज जानबूझकर अफसरों को सज़ा नहीं देता जो कानूनों को लागू नहीं करते |

*** 8) 90 % से अधिक आम आदमियों के पास पैसे नहीं हैं रिश्वत देने के लिए और कोई अधिकार नहीं है रिश्वत लेने के लिए |**

*** 9) यदि कोई कहता है कि कोई प्रसिद्द व्यक्ति `क ख ग ` जो कहता है वो सही है और जो एक आम आदमी जो कहता है वो गलत है क्योंकि वो जाना पहचाना नहीं है या उसका कोई परिचय नहीं हो , तो हम इससे सहमत नहीं हैं |** व्यक्ति क्या कह रहा है, वो अधिक महत्वपूर्ण है ना कि कौन कह रहा है |

*** 10) लोकतंत्र के स्तंभ / खम्भे-**

लोकतंत्र जैसे आज 50 देशों में है और जैसे पिछले 2000 सालों में थी, के कई स्तंभ/खम्भे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं-

1. चुनाव (चैप्टर 40 देखें)
2. हथियार बनाना और हथियार से लैस होना (चैप्टर 29 देखें)

3. जूरी/प्रजा अधीन न्यायतंत्र (चैप्टर 21 देखें)
4. भ्रष्ट को बदलने की प्रणाली/सिस्टम (चैप्टर 6 देखें)
5.नागरिकों द्वारा सुनवाई/मुकद्दमा बहुमत के आधार पर (चैप्टर 27 देखें)

चुनाव लोकतंत्र का सबसे कमजोर स्तंभ है और सबसे कम उपयोगी (या सबसे बेकार) है 1-5 में से , और स्तंभ 2-5 के गैर हाज़री/कमी में इसका कोई मूल्य नहीं है| चुनाव प्रक्रिया कोड/नियम को बदलने के प्रस्ताव और 2-5 स्तंभों/बिंदुओं को यथा पूर्व स्थिति रखना(उनको लागू न करना)से हम आम लोगों को कोई सहायता नहीं मिलेगी |चाहे हमारे पास 1000 सांसद हों या 2000 सांसद या 100 सांसद , चाहे हमारा चुनाव का तरीका कोई भी हो , लेकिन ये सब 2-5 स्तंभ के गैर-हाजिरी में , कोई काम के नहीं | इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चुना जाता है और कैसे चुना जाता है– 2-5 स्तंभों के अभाव में , वे कोई अलग तरह से व्यवहार नहीं करेंगे, और भ्रष्टाचार भी कम नहीं होगा | **पद पाने के पहले सभी व्यक्ति अच्छे और ईमानदार होते हैं लेकिन पद पाने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके मालिक, आम नागरिक के पास भ्रष्ट को बदलने / सज़ा देने के लिए अधिकार नहीं है |** भ्रष्ट को बदलने के लिए और सज़ा देने का विवरण अध्याय 2,6,21 देखें |

***11) हम अपनी शक्ती और समय** का 75% भाग से अधिक, अच्छे लोगों का बढावा करने में प्रयोग करते हैं लेकिन ये जरूरी है कि अपनी शक्ति और समय का 25% भाग बुरे का खुलासा करने में लगाएं ,क्योंकि यदि बुरे का खुलासा नहीं होगा , कार्यकर्ता/वालंटियर बुरे का अनुसरण करते रहेंगे और अच्छे लोगों को वालंटियर नहीं मिलेंगे |

*** 12) राजनीति में मौन शब्दों से अधिक शोर वाला है |**
राजनीति में व्यक्ति को उसके शब्दों से नहीं उसके मौन से आंकना चाहिए |

*__13) राजनीति__ ये नहीं है कि शाशक कैसे नागरिकों पर शाशन करेगा, लेकिन ये है कि नागरिक कैसे शाशक को नागरिकों का धन हड़पने/ छीनने से रोक सकते हैं | पारदर्शी शिकायत प्रणाली/सिस्टम और भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने का अधिकार और अन्य जनसाधारण-समर्थक क़ानून/`सरकारी आदेश` इस अच्छी राजनीति को सरल बनाते हैं|
असली राजनीति परिभाषित की जा सकती है कि कैसे नागरिक नेताओं,जज आदि को उनके स्वामी बनने से रोक सकें | यदि नागरिक ये राजनीती के बारे में जागरूक नहीं हैं , तो वे नेताओं, जजों आदि के गुलाम बन जाएँगे |

* **14) कोई व्यक्ति भ्रष्ट है कि नहीं – इसकी अग्नि परीक्षा** ये है कि क्या वो व्यक्ति जनसाधारण-समर्थक क़ानून-ड्राफ्ट (मसौदे) का समर्थन करता है या नहीं?

*** 15) क़ानून समझना और क़ानून-ड्राफ्ट बनाना केवल व्यावहारिक ज्ञान है**
[1.] क़ानून केवल व्यावहारिक ज्ञान है | क़ानून को एक अनपढ व्यक्ति भी समझ सकता है यदि कोई उस को ये क़ानून-ड्राफ्ट पढ कर सुनाये और वो क़ानून-ड्राफ्ट / मसौदे बना भी सकता है |

[2.] कानूनों के दो भाग होते हैं-तकनिकी और विश्लेषण सम्बन्धी | यदि आपको भवन निर्मार्ण के नियम बनाने हैं तो आपको भवन निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए | सामान्य अकुशल मजदूर भी तकनिकी विषयों के बारे में जज और वकीलों से अधिक जानता है जो केवल कला स्नातक होते हैं | (विश्लेषण में) ये देखना होता है कि किस प्रकार क़ानून बनाएँ कि दूसरा उसको तोड़ न सके | इसमें भी व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता है जो आम आदमी के पास जज और वकील से अधिक है |

[3.] भ्रष्ट सांसद, विधायक, जज और वकील जानबूझकर क़ानून और फैसलों में कुछ कम उपयोग में आने वाले शब्दों और लंबे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिससे आम आदमी को समझने में कठिनाई हो | कोई भी क़ानून की पुस्तक लीजिए और उसको पड़ना शुरू करें, कम उपयोग में आने वाले शब्दों को आसान शब्दों से बदल दें , लंबे वाक्यों को छोटे वाक्यों में तोड़ दें | इस प्रकार कोई भी क़ानून यदि स्थानीय भाषा में होगा , तो एक अनपढ भी समझ सकता है (केवल बौधिक संपत्ति क़ानून को छोडकर) |

[4.] क़ानून का क़ानून-ड्राफ्ट बनाना केवल शब्दों में डालना है कि " आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं कि वो कोई दिए गए स्थिति में करे |"

[5.] **प्रस्ताव उतने ही अच्छे या बुरे होते हैं जितने कि उनके क़ानून-ड्राफ्ट |**
सरकार में लाखों कर्मचारी होते हैं | उन कर्मचारियों को किसी प्रस्ताव को लागू करने के लिए , निर्देश या क़ानून-ड्राफ्ट की आवश्यकता होती है | यदि उन्हें इतना ही कहें कि ` भ्रष्टाचार कम करो या गरीबी कम करो` तो प्रस्ताव या तो सही से लागू नहीं होगा या तो बिलकुल भी लागू नहीं होगा | प्रस्ताव अस्पष्ट होता है और क़ानून-ड्राफ्ट स्पष्ट होता है | बिना क़ानून-ड्राफ्ट के प्रस्ताव को लागू करना, ऐसा ही है जैसे बिना कोई डिजाईन/नक़्शे के इंजिनियर/मिस्त्री से घर बनवाना | इसीलिए क़ानून-ड्राफ्ट या प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें |

[6] **<u>नागरिकों और सांसदों का कार्य</u> -**
सांसदों का कार्य है कि-
1) क़ानून-ड्राफ्ट को अध्यक्ष को देना |
2) अपनी हां/ना कहना जब अध्यक्ष उस क़ानून-ड्राफ्ट / मसौदे पर मतदान तय करे |
सांसद को 1) और 2) , नागरिकों की इच्छा के अनुसार करना होता है |

ये नागरिकों का कर्तव्य है कि क़ानून-ड्राफ्ट / मसौदा तैयार करें और सांसद को दें | जब तक कि नागरिकों ने कोई क़ानून-ड्राफ्ट नहीं दिया है, तब तक सांसदों को एक मांसपेशी भी नहीं हिलानी है (कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं)|

*** 16) <u>आम नागरिक द्वारा राईट टू रिकाल / `भ्रष्ट को आम नागरिक का बदलने का अधिकार` का उपयोग / दुरुपयोग करने पर आपत्ति -</u>**
कोई किसी को कभी मूर्ख बना सकता है , कोई हमेशा मूर्ख बना सकता है ,सभी को कभी-कभी मूर्ख बना सकते हैं लेकिन सभी को हमेशा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता |

आम नागरिक उतने ही अच्छे या बुरे हैं जितने के उच्च या विशिष्ट वर्ग |जब निर्णय करोड़ों आम लोगों द्वारा लिया जाता है बजाय कि कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई-कोर्ट के जजों के , सांठ-गाँठ और रिश्वतखोरी नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी कंपनी करोड़ों आम लोगों को रिश्वत नहीं दे सकती , लेकिन कम्पनियाँ कुछ मुट्ठी भर हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट के जजों को रिश्वत दे सकती है |इसीलिए प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को आम नागरिक का बदलने का अधिकार) के क़ानून-ड्राफ्ट की भ्रष्टाचार से ग्रस्त / प्रभावित होने की कम संभावना है |

***17) गलत / त्रुटिपूर्ण और सही / वास्तविक भ्रष्टाचार का दृष्टिकोण-**

गलत / त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण:

(1) एक उचित प्रणाली/सिस्टम मौजूद है जिसमें ईमानदार/न्यायसंगत लोग क़ानून बनाते हैं और क़ानून लागू करते हैं |

(2) इन ईमानदार क़ानून बनाने वालों/क़ानून-निर्माता (विधायक/सांसद आदि) के नीचे कुछ भ्रष्ट लोग हैं और कुछ ईमानदार लोग |

(3) यदि ये ईमानदार क़ानून-निर्माता भ्रष्ट लोगों को सज़ा दें तो वे सुधर जाएँगे |

सही / वास्तविक दृष्टिकोण :

(1) भ्रष्ट लोग सभी उच्च पद पर आसीन हैं |भ्रष्टाचार सत्ता और धन लाती है और सभी सत्ता के पद भ्रष्ट द्वारा कब्ज़ा किये हुए हैं सरकार,नौकरशाही,न्यायतंत्र और पुलिस में |

(2) सभी ईमानदार लोग भ्रष्ट लोगों के नीचे हैं और उनके नियंत्रण में हैं |

(3) क़ानून बनाने वाले भ्रष्ट हैं और कभी भी स्वतः /अपने आप क़ानून नहीं बनायेंगे भ्रष्ट को कड़ी सज़ा देने के लिए |

इसीलिए क़ानून बनाने वालों को मजबूर करना होगा जनसाधारण-समर्थक क़ानून बनाने के लिए जैसे `पारदर्शी शिकायत प्रणाली/सिस्टम`,राईट टू रिकाल/प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जज, आदि; जूरी सिस्टम, `नागरिक और सेना के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)`(चैप्टर 5 दखें), संपत्ति कर, आदि |इसके लिए हमें देश के सभी लोगों को इन जनसाधारण-समर्थक कानूनों के बारे में जानकारी देनी होगी |जब करोड़ों लोगों इन जन-हित के कानूनों की जानकारी होगी , तो वे उनकी मांग करेंगे और वो कुछ ही समय में आ जाएँगे |

*** 18) प्रजा अधीन राजा(राईट टू रिकाल) / `भ्रष्ट को बदलने नागरिक का अधिकार` अगले जन्म में !**

केवल प्रजा अधीन राजा/भ्रष्ट को बदलने का क़ानून-ड्राफ्ट या पारदर्शी शिकायत प्रणाली के क़ानून-ड्राफ्ट का नाम ही `कार्यकर्ता` नेताओं को बेचैन कर देता है |वे इन का ना तो विरोध कर सकते हैं क्योंकि इससे उनकी कार्यकर्ताओं के सामने पोल खुल जायेगी कि वे आमजन विरोधी हैं |और यदि इसे समर्थन करते हैं तो उनके प्रायोजक धन देना बंद कर देंगे |इसीलिए वे ऊटपटांग कहकर `भ्रष्ट को निकालने/बदलने का अधिकार` को टालने का प्रयत्न करते हैं जैसे पहले हमें ये/वो करना चाहिए और इसको अगले जनम में लाना चाहिए |या इस अधिकार को देने के लिए संविधान में बदलाव चाहिए जिसके लिए बहुत समय चाहिए और इसीलिए ये अगले जन्म में आएगा |कोई एक-आध नेता ही इसका समर्थन करेंगे लेकिन अधिकतर नेता तो इसे

टालते ही रहेंगे अगले जन्म के लिए लेकिन अधिकतर कार्यकर्ता इसका समर्थन करेंगे | इसीलिए हमें सीधे कार्यकर्ताओं से संपर्क करना चाहिए |

*** 19) भारत के बुद्धिजीवी–-विशिष्ट/उच्च वर्ग के एजेंट / प्रतिनिधि –**

भारत के बुद्धिजीवी जो समाचार पत्रों, पाठ्यपुस्तकों, आदि में लिखते हैं, अधिकतर विशिष्ट/उच्च वर्ग के एजेंट/प्रतिनिधि हैं| और ये बुद्धिजीवियों ने सालों से इतना जहर भर दिया है शिक्षित युवा के दिमाग में पाठ्यपुस्तकों और समाचार पत्र लेख द्वारा कि एक औसत शिक्षित व्यक्ति अभी जनसाधारण-विरोधी है |और जितना अधिक शिक्षा व्यक्ति के पास है, उतनी अधिक संभावना है कि उसने समय लगाया हो पड़ने में जो ये कचरा बुद्धिजीवी लिखते हैं और उतनी अधिक संभावनाएं हैं कि वो जनसाधारण-विरोधी हो |

बुद्धिजीवी लिखते हैं कि भारत का आम नागरिक कम-मिजाज, सनकी, जातिवाद, सांप्रदायिक, बिना राष्ट्रिय चरित्र के हैं और उसके कोई नैतिक मूल्य नहीं हैं , एक चोर है , एक धूर्त है , एक यौन विकृत/भ्रष्ट व्यक्ति है आदि, आदि | और शिक्षित लोग इसको हर समय अपने ग्रन्थ और समाचार पत्र के लेखों में पड़ते हैं और जनसाधारण-विरोधी हो जाते हैं | शिक्षित व्यक्ति को क्या करना चाहिए— आम नागरिक का वो दोष बताना चाहिए जो जजों, बुद्धिजीवी,शिक्षित, पुलिस कर्मी, बाबू,मंत्री आदि में ना हो | सभी जज डबल स्नातक हैं और 95% जज भाई-भातिजेवाद से भरे हुए हैं | सभी भारतीय पोलिस सेवा (आई.पी.एस) काफी शिक्षित हैं और उनमें से 95% हर साल (भ्रष्टाचार द्वारा) एक करोड़ से अधिक बनाते हैं | इसके बावजूद " आम नागरिक बुरा, विशिष्ट वर्ग अच्छा" के गान चलते रहते हैं |

अधिकतर प्रसिद्द बुद्धिजीवी विशिष्ट वर्ग/नेता के एजेंट/प्रतिनिधि हैं | इसी तरह वो प्रसिद्द बनते हैं – पहले वे किसी नेता/विशिष्टवर्ग के वफादार सेवक बनते हैं और फिर विशिष्ट वर्ग/नेता उनपर पैसे खर्च करते हैं और अपनी सत्ता का प्रयोग कर उन्हें प्रसिद्द बना देते हैं| अब विशिष्ट वर्ग के लोगों को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जैसे भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने का अधिकार आदि , नहीं चाहिए और इसीलिए उन्होंने अपने पालतू बुद्धिजीवियों को एक भय का वातावरण बनाने के लिए कहा है कि भ्रष्ट को निकालने/सज़ा देने का अधिकार देने से भारत का नाश हो जायेगा | ये भय कैसे पैदा किया जा सकता है विद्यार्थियों और पाठकों के मन में ? सरल है --- भारत के जनसाधारण को कोई हिंसक, सांप्रदायिक, जातिवाद,जंगली, मूर्ख प्रस्तुत करो | जिस कारण पाठ्यपुस्तक और समाचार पत्र के लेख लगातार/निरन्तर भारत के आम नागरिकों को नीचा दिखाते हैं और ये कभी नहीं बताते कि बाबू,पोलिस कर्मी ,जज, बुद्धिजीवी इससे कहीं अधिक बुरे हैं |

शिक्षा किसी व्यक्ति को नफरत नहीं करवाती --- वास्तव में यदि किसी को ये जानकारी है कि कैसे भारतीय अदालतें, रिसर्व बैंक, पुलिस आदि काम करती है, तो उसे महसूस होगा कैसे विशिष्ट वर्ग, खनिज खानों के मालिक , पुलिस कर्मी, बाबू, जज, आदि जनसाधारण को लूटते हैं और उसे आम नागरिकों के लिए दया आएगी | तथाकथित निरक्षरता इसीलिए है क्योंकि बुद्धिजीवी आम नागरिकों को निरक्षर/अनपढ रखना चाहते हैं ताकि वे आसानी से दबाये और मारे जा सकें | इसीलिए बुद्धिजीवी उन प्रक्रियाएँ का विरोध करते हैं जिसके द्वारा हम आम नागरिक जिला शिक्षण अधिकारी को बदल सकते हैं या (ईमानदार अधिकारियों का) बदल जाना रोक

सकते हैं ,क्योंकि ऐसी प्रक्रिया एक ऐसा जिला शिक्षण अधिकारी लाएगा जो आम नागरिकों को शिक्षित करने में रूचि रखेगा |

*** 20) हर नागरिक नेता सहित अदालतों की परछाई / झलक है-**

अदालत भ्रष्ट हैं ,इसीलिए सज़ा नहीं होती और इसीलीये हर कोई बुरा व्यवहार करता है | समाधान ये है कि

1. कोर्ट की संख्या बढानी चाहिए- दस गुना एक वर्ष में |
2. जूरी प्रणाली /सिस्टम को लागू करें (चैप्टर 21 देखें)|
3. जजों को नागरिक द्वारा बदलने की प्रक्रिया लागू करें|

इस प्रकार कोर्ट का सुधार होगा और अनुशाशन बढेगा |

*** 21) इतिहास -**

इतिहास की पुस्तकें तथाकथित इतिहासकारों द्वारा बनायीं गए हैं | और इतिहासकारों में एक ज्ञात दोष है जो सभी मनुष्यों में है : **वे इतिहास का निर्माण सरकार या उन विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए करते हैं जो उनको प्रायोजन करते हैं |** तो वे आसानी से उन पन्नों को निकाल देते हैं जो उनके प्रायाजकों के आर्थिक हित के अनुसार नहीं है|

ये दोष मीडिया वालों में भी है और हम ये दोष देख सकते हैं उनमें क्योंकि , हम देख सकते हैं कि जो वे सूचना दे रहे हैं वो जानबूझकर ढक्का हुआ,अधूरा सच है| और ये ही दोष इतिहासकारों में भी मौजूद है लेकिन हम इसे कभी-कभी ही देख सकते हैं क्योंकि हम इतिहास को अब नहीं देख सकते |

*** 22) भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई समाज के ऊपरी स्तर से हमेशा शुरू होनी चाहिए |** ये रट कि केवल निचले स्तर पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए, केवल शीर्ष के लोगों के लिए स्वर्ग बनाने के लिए ये रट किया जाता है | “ निचले स्तर पर भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित करो” का मायना है कि पटवारी/तलाटी/लेखपाल, तहसीलदार आदि से लड़ना और बाबूओं, पुलिस कर्मी, मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को शांतिपूर्वक लूटने देना जितना लूटना चाहें|

मेरे विचार से हमें शीर्ष/सबसे उपरी स्तर पर धावा बोलना चाहिए | ये सामान्य ज्ञान है कि बाबू यदि भ्रष्ट होता है तो चपरासी के लिए रिश्वत लेना आसान हो जाता है |

और ज्ञान को छोडो, कभी-कभी तो ऊपर के लोग निचले स्टारों को पैसा जमा करने के लिए कहते हैं और उसका हिस्सा उन्हें देने के लिए कहते हैं| और ऊपर के लोग निचले और मध्य स्तर के लोगों को भर्ती करते समय लापरवाही से भाई-भातिजेवाद करता है जिससे सभी को भ्रष्ट होने का कारण मिल जाता है |

उदहारण, क्यों एक निचली अदालत के जज अपनी लालच को छोड़े जब उसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश `खरे` ने एक सजा पाया हुआ, बच्चों से यौनशोषण करने वाले धनी/पैसे वाला स्विस नागरिक को जमानत कर दे है ? और एक पुलिस इंस्पेक्टर रिश्वत क्यों नहीं ले जबकि उसे गृहमंत्री हर इंस्पेक्टर को उसे पैसे इकट्ठा कर के देने का लक्ष्य देता है और उसका तबादला करने की धमकी देता है यदि उतना लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो !!

ये सब हो-हल्ला कि हमें केवल निचले स्तर पर लड़ना है और उपरी स्तर को छोड़ देना चाहिए ये सुनिश्चित/पक्का करता है कि बाबू ,जज और मंत्री और सभी सबसे ऊपर स्तर के लोग

रिश्वत इकट्ठा कर सकते हैं और आराम से सो सकते हैं जब हम पटवारियों और तहसीलदारों से लड़ने में व्यस्त हों |

.*23) कृपया सभी इंडिया अगेंस्ट कर्रप्शन और अन्य कार्यकर्ताओं से विनती है कि **पारदर्शी शिकायत प्रणाली और प्रजा अधीन लोकपाल (भ्रष्ट लोकपाल को बदलने का नागरिक का अधिकार)के खंड प्रस्तावित जन लोकपाल बिल में जोड़ें** ताकि लोकपाल लाखों लोगों कि शिकायत को नजरंदाज न कर सके और लोकपाल भ्रष्ट हो जाये तो उसे आम नागरिक बदल सके |

<u>प्रस्तावित कलमें जो प्रस्तावित लोकपाल बिल में जोड़नी हैं</u>

मैं निम्न सैक्शन लोकपाल क़ानून-ड्राफ्ट में डालने का प्रस्ताव करता हूँ –

<u>1.सैक्शन-जनता की आवाज़</u>

खंड 1 .कोई भी नागरिक यदि कलेक्टर के दफ्तर में आता है यदि अपनी सूचना अधिकार का आवेदन अर्जी या भ्रष्टाचार के खिलाफ फरियाद या कोई भी हलफनामा(एफिडेविट) कलेक्टर को देता है तो उसकी पहचान पत्र कि जांच करके कोई भी दलील दिये बिना कलेक्टर (या उसके द्वारा नियुक्त कार्यकारी मेजिस्ट्रेट) उस हलफनामा(एफिडेविट) को प्रति पेज 20 रूपये लेकर सीरियल नंबर दे कर लोकपाल की वेबसाइट पर रखेगा |

खंड 2. (2.1) कोई भी नागरिक मतदाता अपनी हाँ/ना खंड न. 1 द्वारा दी गयी फ़रियाद पर दर्ज कर सकता है रु .3 शुल्क दे कर पटवारी (तलाटी) के दफ्तर में अपना पहचान पत्र दिखा कर और पटवारी उसकी हाँ /ना लोकपाल के वेबसाइट पर नागरिक मतदाता के नाम और पहचान पत्र संख्या के साथ रखेगा |

(2.2) नागरिक अपने हाँ/ना को बदल भी सकता है पटवारी को रु. 3 की फी देकर ।

(2.3) `गरीबी के नीचे रेखा`(बी.पी.एल) कार्ड धारक के लिए यह फी/शुल्क रु 1. होगी ।

ये सैक्शन सुनिश्चित करेगा कि यदि लोकपाल करोड़ों लोगों की शिकायत को नजरंदाज कर रहा है तो उसकी पोल खुल जायेगी और उसकी पोल खुल सकती है इसलिए वो करोडो की शिकायतें को नजरंदाज नहीं करेगा |

<u>2.सैक्शन- प्रजा अधीन लोकपाल अध्यक्ष</u>

खंड-1 (साधारण घोषणा)-नागरिक शब्द का तात्पर्य रेजिस्त्रिकृत वोटर होगा .

खंड-2 (कलेक्टर के लिए प्रक्रिया)- यदि भारत का कोई भी नागरिक,30 वर्ष से अधिक हो और लोकपाल अध्यक्ष बनना चाहे और वो खुद या वकील के द्वारा कलेक्टर को हलफनामा/एफिडेविट देता है, तो कलेक्टर उसकी लोकपाल अध्यक्ष की उम्मीदवारी की अर्जी ले लेगा शुल्क लेने के बाद जो सांसद के चुनाव के समान होगी और उसे लोकपाल की वेबसाइट पर रखेगा |

खंड-3.(पटवारी या उसके क्लर्क के लिए प्रक्रिया) यदि नागरिक स्वयं पटवारी के दफ्तर आ कर, रु.3 शुल्क देकर , अधिकतर पांच व्यक्तियों का अनुमोदन/स्वीकृति करता है लोकपाल अध्यक्ष के पद के लिए तो पटवारी उसके अनुमोदन/स्वीकृति कंप्यूटर में डाल देगा और उसे उसके वोटर पहचान पत्र संख्या,तिथि/समय ,अनुमोदित व्यक्ति के नाम वाली रसीद देगा.गरीबी रेखा के नीचे लोगों के लिए शुल्क रु.1 होगा. यदि नागरिक अपने अनुमोदन/स्वीकृति रद्द करने आते हैं तो पटवारी बिना कोई शुल्क लिए एक या अधिक अनुमोदन/स्वीकृति रद्द करेगा|

खंड-4. (पटवारी या उसके क्लर्क के लिए प्रक्रिया)- पटवारी नागरिक के अनुमोदन/स्वीकृति लोकपाल के वेबसाइट पर रखेगा नागरिक के वोटर पहचान पत्र संख्या सहित |

खंड-5.(लोकपाल सचिव के लिए प्रक्रिया)- हर महीने के पांचवी तारीख पर लोकपाल सचिव पिछले महीने के आखरी तारीख की अनुमोदन/स्वीकृति संख्या प्रकाशित करेगा हर प्रत्याशी के लिए.

खंड-6.-(लोकपाल के लिए प्रक्रिया)- यदि किसी प्रत्याशी को 37 करोड़ नागरिक वोटर के अनुमोदन/स्वीकृति मिलते हैं तो लोकपाल अध्यक्ष पद त्याग सकता है और लोकपल सदस्यों को सर्वाधिक अनुमोदन/स्वीकृति वाले प्रत्याशी की नियुक्ति के लिए निर्देशित कर सकता है |

प्रजा अधीन लोकपाल अध्यक्ष की कलमें किसी लोकपाल को पद पर कायम रखने के लिए भी प्रयोग की जा सकती हैं यदि लोकपाल अध्यक्ष ईमानदार है और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश उसे निकालता है |

ऐसी स्थिति में नागरिक अपने अनुमोदन/स्वीकृति रख सकेगा उस ईमानदार लोकपाल अध्यक्ष के लिए और उसे फिर से लोकपाल अध्यक्ष बनाएगा |

फिर से दोहराऊंगा यदि प्रजा अधीन लोकपाल अध्यक्ष स्वीकार करने के लिए बहुत अधिक है , तो हमें लोकपाल के किसी एक सदस्य को प्रजा अधीन बनाने के लिए सहमत हो जाना चाहिए जो `जनता का सदस्य लोकपाल` कहलायेगा |

∗24) क्यों ये कहना ` एक नेता या संगठन के नीचे/नेतृत्व में एक हो जाओ ` देश के लोगों को बांटने वाला है और ये कहना की ` एक क़ानून-ड्राफ्ट / मसौदे / प्रक्रिया के नीचे/नेतृत्व में एक हो जाओ` देश के लोगों को आपस में जोड़ने वाला है ?

यदि कोई कहे `मेरे नेता/संस्था को समर्थन करो` , तो दूसरी नेता/संस्था के समर्थक को ऐसा लगेगा कि वो अपने नेता/संस्था के प्रति बेईमानी कर रहा है | इसीलिए हर एक नेता/संगठन का समर्थक ये ही प्रयास करेगा कि दूसरे लोग उसके नेता/संगठन को समर्थन करें | इसीलिए ये वाक्य `एक नेता/संगठन के नीचे एक हो जाओ` लोगों को बांटने वाला है | लेकिन यदि ये कहते हैं कि `इस क़ानून-ड्राफ्ट /मसौदे को समर्थन करो` तो किसी को भी अपने नेता/संगठन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए अपने नेता/संगठन के प्रति बेईमानी या इमानदारी का प्रश्न ही नहीं उठता है | इसीलिए **क़ानून-ड्राफ्ट /प्रक्रिया ही हमारा नेता है |** क़ानून-ड्राफ्ट को बदनाम करना या नुक्सान पहुंचाना संभव नहीं है , नेता/संगठन को नुक्सान पहुंचाना, दुश्मन के लिए संभव है | (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 15 देखें)

⁎25) हम दान के खिलाफ हैं | आप के समय की आवश्यकता है प्रचार के लिए , दान की नहीं |

ज्यादा से ज्यादा, हम लोगों को ये जन-हित क़ानूनों के प्रचार के लिए अपने खुद का पैसा खर्च करने के लिए कहते हैं जैसे पर्चे बांटना, समाचार पत्र में प्रचार करना आदि , ताकि ये जन-हित के कानूनों की जानकारी सारे देश वासियों को हो जाये | और फिर करोड़ों लोग इन जनहित के कानूनों की मांग करेंगे विशेषकर `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) और ये क़ानून आ जाएँगे | (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 20 देखें)

⁎26) भारत के संविधान के भूमिका के अनुसार भारत के नागरीकों ने संविधान लिखा है और भारत के नागरिक सर्वोच्च / सबसे ऊंचे हैं | हम,भारत के 120 करोड़ नागरिक, मालिक हैं और जज, नेता, अफसर हम, भारत के नागरिकों के नौकर हैं |

इसीलिए संविधान और कानूनों का अर्थ , जो भारत के नागरिक लगाएंगे, वो ही आखरी होगा, ना की कोई वकील, जज , या नेता जो कानूनों का अर्थ लगते हैं | नौकर यदि सही से काम नहीं करे तो मालिक (भारत के नागरिक) को उन्हें नौकरी से निकालने का अधिकार होना चाहिए | (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 2,21 देखें)

⁎27) हर साल 100 मामलों में फंसे पेशेवर मुजरिम के लिए 5-6 जजों के साथ सेटिंग बनाना और छूट जाना आसान है , क्रमरहित तरीके(बिना लाइन के) से चुने गए 2000 जूरी के सदस्यों ,यदि जज के बदले यदि फैसला दें, के साथ सेटिंग/सांठ-गाँठ बनाना संभव नहीं है जिससे मुजरिम को सज़ा हो जायेगी |

मान लीजिए एक पेशेवर मुजरिम है , जिसके खिलाफ हर साल 100 मामले दर्ज होते हैं| वे सौ मामले 5-6 जजों के पास जाते हैं | अब मुजरिम का संपर्क इन 5-6 जज के रिश्तेदार या जान पहचान के वकीलों से होता है जिनके द्वारा वे जज को रिश्वत दे सकते हैं| जज पैसे छूते भी नहीं, केवल उनके रिश्तेदार वकील रिश्वत `सलाह लेने की फीस` के रूप में दिया जाता है या और जज को सस्ते दाम पर भूमि या बाहर के देश के खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है | इस तरह 5-6 जजों के साथ पेशेवर मुजरिम के लिए सेटिंग /सांठ-गाँठ बनाना आसान है |

लेकिन यदि ये ही 100 मामलों का फैसला यदि क्रमरहित तरीके से चुने गए 2000 लोग करें , हर मामले में 15-20 जूरी सदस्य फैसला दें और हर मामले में नए 15-20 लोग फैसला दें और क्योंकि ये 15-20 लोगों के पास एक ही मामला है, इसीलिए फैसला 7-10 दिनों में आ जायेगा | ऐसे में पेशेवर मुजरिम के लिए इन 2000 लोगों के साथ सेटिंग/सांठ-गाँठ बनाना संभव नहीं है और इसीलिए मुजरिम को सजा हो जायेगी यदि जूरी सिस्टम लागू हो जाये |जूरी सिस्टम की अधिक जानकारी के लिए अध्याय 21 में देखें |

⁎28) जजों में भाई-भतीजावाद / परस्पर(आपसी) भाई-भातिजेवाद और भ्रष्टाचार -

जजों की चुनाव में अधिकतर साक्षात्कार/इंटरवीयू ही होने से जजों में खूब भाई-भतीजावाद होता है| उनके रिश्तेदार ही चुने जाते हैं | परस्पर(आपसी) भाई-भातिजेवाद भी होता है ,जिसमें जज एक दूसरे के रिश्तेदारों को नौकरी पर रखते हैं | इस के समाधान के लिए पहले

तो सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के प्रधान जजों को नौकरी से निकालने का अधिकार आम नागरिकों को होना चाहिए| और दूसरे देशों की तरह, प्रस्तावित जजों के नाम सार्वजनिक, इन्टरनेट पर, नौकरी पर रखे जाने से तीन-चार महीने पहले ही सार्वजनिक कर दिए जाते हैं , ताकि यदि कोई आपत्ति करना चाहें तो कर सकता है |

जजों की सारी संपत्ति उन ट्रस्टों में होती है जिसमें वे या उनके रिश्तेदार सदस्य हैं | इसीलिए,जजों के ट्रस्ट और उनके रिश्तेदारों के ट्रस्ट, जिसमें वो सदस्य हैं , की संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए और हर साल इन्टरनेट पर राखी जानी चाहिए |

***29) महंगाई का असली कारण क्या है ?**

सामान्य तौर पर महंगाई तभी बढती है जब रुपये (एम 3) बनाये जाते हैं लोन,आदि के रूप में और भ्रष्ट अमीरों को दिए जाते हैं, जिससे प्रति नागरिक रुपये की मात्रा बढ जाती है और रुपये की कीमत घाट जाती है और दूसरे चीजों की कीमत बढ जाती है जैसे खाद्य पदार्थ/खाना-पीना, तेल आदि | भारतीय रिसर्व बैंक के आंकडो के अनुसार, प्रति नागरिक रुपये की मात्रा (देश में चलन में कुल नोट,सिक्कों और सभी प्रकार के जमा राशि का कुल जोड़ को कुल नागरिकों की संख्या से भाग किया गया) 1951 में 65 रुपये प्रति नागरिक थी और आज, 2011 में लगभग 50,000 रुपये है प्रति नागरिक |

सब चीजों का मूल्य सापेक्ष/तुलनात्मक है और मांग और आपूर्ति/सप्लाई के अनुसार निर्धारित/पक्का होता है | मान लो , केवल एक बाजार है और कुछ नहीं ,आसानी से समझने के लिए | बाजार में , एक बेचनेवाला है जो 10 किलो आलू बेच रहा और एक खरीदार जिसके पास सौ रुपये हैं | मान लो अगली स्थिति में, बेचनेवाले के पास 10 किलो आलू के बजाय 20 किलो आलू हो जाते हैं, तो क्या अब आल का दाम घटेगा कि बढेगा ?
आसान सा अनुमान / अंदाजा - आलू का दाम घटेगा क्योंकि आलू की सप्लाई / आपूर्ति बढ गयी है |

एक और स्थिति में , मान लो बेचने वाले के पास 10 किलो आलू हैं लेकिन अब दो खरीदार हैं और दोनों के पास 100-100 रुपये हैं | अब, आलू का दाम घटेगा या बढेगा ?
आसान सा अंदाजा / अनुमान- आलू का दाम बढेगा क्योंकि रुपयों की सप्लाई बढ गयी है और इसीलिए रुपये की कीमत घटेगी और दूसरे सामान का दाम बढेगा जैसे खाना-पीना, पेट्रोल, गैस, आदि |

असलियत में भी ऐसे ही होता है |

प्रश्न- ये रुपये कौन बनाता है और ये रूपये कहाँ से आते हैं(रुपये=एम3 देश में सभी नोट,सिक्के और सभी प्रकार के जमा राशि का जोड़ है) ?

रिसर्व बैंक के पास लाइसेंस है रुपयों को बनाने का और अनुसूचित बैंक(बैंक जिनको रिसर्व बैंक ने लाइसेंस दिया है रुपयों को बनाने का जमा राशि के रूप में) के पास भी | कोई स्वर्णमान (गोल्ड स्टैण्डर्ड) अभी नहीं है (कि जितना सोना है , उतना ही पैसा बना सकते हैं) , क्योंकि वो कई दशक पहले पूरी दुनिया में रद्द हो गया है | रिसर्व बैंक गवर्नर/राज्यपाल रुपयों को सरकार के कहने पर बनाता है |

केवल रिसर्व-बैंक ही नोट छाप सकती और सिक्के बना सकती है लेकिन अनुसूचित बैंक जैसे स्टेट बैंक, आई.सी.आई.सी.आई., आदि, भी रुपये (एम 3) बना सकते हैं जमा राशि के रूप

में | ये रुपयों की सप्लाई/आपूर्ति में बढने से रुपयों का मूल्य/दम कम हो जाता है और ये दूसरे सामान का दाम बड़ा देता है जैसे खाना-पीना , तेल के दाम,आदि और सामान्य महंगाई का मुख्य कारण है |

प्रश्न- रिसर्व-बैंक और अनुसूचित बैंक रुपये क्यों बनाते हैं ?

वे ऐसा अमिर,भ्रष्ट लोगों के लिए करते हैं | मुझे एक उदाहरण देने दीजिए | मान लीजिए एक अमीर कंपनी है, जिसके रिसर्व बैंक-गवर्नर(राज्यपाल), वित्त मंत्री के साथ सांठ-गाँठ है | वे एक सरकारी बैंक से 1000 करोड़ रुपयों का कर्ज लेते हैं और वापस 200 करोड़ रुपये चूका देते हैं | और क्योंकि उनके सांठ-गाँठ है, वे रिसर्व-गवर्नर, वित्त मंत्री आदि को बोलेंगे कि वे उनको हिस्सा/रिश्वत देंगे और बदले में उनको उनकी कंपनी को दिवालिया/`डूब गयी` घोषित करने दिया जाये |

फिर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है | अभी, यदि बैंक ये 800 करोड़ का घाटा लोगों को घोषित कर देता है , तब बैंक भी दिवालिया हो जायेगा और बैंक के ग्राहक को भी अपनी जमा राशि खोनी पड़ेगी और ग्राहक, जो आम नागरिक-मतदाता हैं शोर करेंगे और सरकार को जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा | इस स्थिति से बचने के लिए, सरकार रिसर्व बैंक-गवर्नर/अनुसूचित बैंकों को 800 करोड़ रुपये बनाने के लिए कहती है | ये ज्यादा रुपयों की सप्लाई , जब बाजार में आ जाती है, तो रूपए की कीमत घट जाती है और सामान की कीमत बढ जाती है, यानी महंगाई हो जाती है |

प्रश्न-महंगाई व्यापारियों द्वारा सामान की जमाखोरी से या निर्यात/`देश से बाहर भेजना` से होती है क्योंकि इससे सामान की कमी होती है या सत्ता बाजार या कम पैदावार से भी महंगाई हो सकती है |

क्या तेल-पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढती है ?

ये सभी स्थानीय कारण हैं और ये सामान्य, व्यापक स्तर कीमतें नहीं बढाते हैं| सामान की जमाखोरी से सामान की कमी आती है लेकिन कोई भी हमेशा के लिए सामान को जमा नहीं कर सकता और बाजार में सामान को छोड़ने पर , कीमतें कम होंगी और सामान्य कीमतों के बढने में कीमतें **केवल एक ही दिशा में, ऊपर की ओर** जाती हैं और कीमतें एक बार जब बढ जाती हैं तो कभी भी गिरती नहीं हैं |

ऐसे ही कीमतों का उतार-चदाव का रुख/झुकाव देखा जा सकता है, खाने-पीनी की चीजों और दूसरे सामानों के सट्टे में |

और सभी चीजों देश से बाहर नहीं भेजी जाती, इसीलिए सामान का देश से बाहर भेजना कीमतों की ऊपर की ओर सामान्य झुकाव के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता |

तेल की कीमतों का और माल की ढुलाई की कीमत कीसी भी वास्तु/चीज के दाम का 2-5% से अधिक हिस्सा नहीं होता| इसीलिए तेल के दाम बढ़ने से चीजों के दाम यानी महंगाई नहीं होती | और तेल के दाम भी कुल रुपयों की मात्रा (एम 3) बढ़ने के कारण ही होते हैं |

प्रश्न- ये कीमतों का बढ़ना=महंगाई सभी नागरिक, गरीब और अमीर,सांठ-गाँठ के साथ और बिना कोई सांठ-गाँठ के , दोनों को एक समान असर करती है ?

नहीं | जो लोग गरीब हैं, बिना किसी सांठ-गाँठ/संपर्क के , वे और गरीब हो जाते हैं जब सामान के दाम बढ जाते हैं | और अमीर, विशिष्ट वर्ग के लोग सरकार के साथ मिली-भगत बना लेते हैं और रुपयों को बनवा लेते हैं **मुफ्त में** !! इस तरह, अमिर, सांठ-गाँठ/संपर्क वाले लोग गरीब, बिना कोई राजनैतिक या ऊच संपर्क के, आम लोगों को लूट रहे हैं !!
(अधिक जानकारी के लिए अध्याय 23 देखें)

∗30) सारे हथियार बाहर देशों से आने से हमारी सेना कमजोर हो गयी है और यदि शत्रु देश- चीन, पाकिस्तान, अमेरिका आदि हमला कर दें तो देश गुलाम हो जायेगा क्योंकि बाहर से लाये गए हथियार कभी भी शत्रु देश नष्ट कर सकता है उसमें छुपी `रेडियो चिप` द्वारा | सेना को मजबूत बनने के लिए हमें सभी रक्षा के लिए हथियार देश में ही बनाना होगा | भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की है जिससे ये हो सके | इसके लिए राईट टू रिकाल-प्रधानमन्त्री (भ्रष्ट प्रधानमंत्री को बदलने का नागरिक का अधिकार) | और हमें उद्योगों को बढावा देने के लिए कानून लाने होंगे जैसे `सेना के लिए संपत्ति कर`,300% सीमा शुल्क | (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 24,26 देखें)

इसके अलावा , नागरिकों को हथियार रखने और बनने के लिए लाइसेंस मुक्त कर देना चाहिए ताकि यदि सेना दुश्मन देश से हार जाती है, तो भी यदि नागरिकों के पास हथियार हों तो दुश्मन देश के भीतर नहीं आ सकेगा |

जिन देशों में ज्यादातर नागरिकों के पास हथियार हैं, वहाँ अपराध और अपराधी कम होते हैं,क्योंकि अपराधी को तो कैसे भी हथियार प्राप्त हो जाते हैं लेकिन नागरिकों को भी हथियार मिलने से अपराधी लूट नहीं सकते और अपराध कम हो जाता है |

उन देशों में जहाँ ज्यादातर नागरिकों के पास हथियार हैं, वहाँ के अधिकारी, नेता नागरिकों को लूट नहीं सकते क्योंकि वो हथियारों से लैस ,आम नागरिक से डरते हैं और इसी लिए भ्रष्टाचार भी कम होता है | **जिन देशों में ज्यादातर नागरिकों के पास हथियार हैं और हथियार बनने की छूट है , उन देशों में असली में लोकतंत्र, यानी जनता का राज होता है |** (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 29 देखें)

∗31) `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)`-

मान लीजिए आप के पास एक किराये का मकान है और आप ने उसको किराये पर दिया है, तो फिर किराया किसको जाना चाहिए, आपको या सरकार को ? आप कहेंगे कि आप को जाना चाहिए | ऐसे ही आप को यदि पूछें कि यदि एक मकान जिसके दस बराबर के मालिक हैं , किराये पर दिया है, तो किराया किसको जाना चाहिए ? आप कहेंगे कि दस मालिकों को बराबर-बराबर किराया जाना चाहिए | इसी तरह यदि कोई बहुत बड़ा प्लाट हो , जिसके 120 करोड़ मालिक हैं ,यानी पूरा देश मालिक है और वो किराये पर दिया है ,तो उसका किराया पुरे देश वासियों ,120 करोड़ लोगों में बराबर-बराबर बटना चाहिए | ऐसे प्लाट हैं जिसके 120 करोड़ मालिक हैं? जी हाँ , *आई आई एम ए प्लॉट, जे एन यू प्लॉट, सभी यू जी सी प्लॉट, अहमदाबाद एयरपोर्ट प्लॉट, सभी एयरपोर्टों के प्लॉट और हजारों ऐसे भारत सरकार के प्लॉटों से मिलने वाला जमीन का किराया और भारत के सभी खनिजों, कोयला और कच्चे तेल से मिलने वाली सारी रॉयल्टी हम भारत के नागरिकों और हमारी सेनाओं को जानी चाहिए किसी और को नहीं। और*

यह रॉयल्टी व किराया सीधे ही मिलना चाहिए किसी योजना या स्कीम के जरिए नहीं। एक तिहाई हिस्सा सेना को जाना चाहिए देश की रक्षा के लिए और बाकी दो तिहाई नागरिकों को बराबर-बराबर बटना चाहिए | एक अनुमान से यदि ऐसा होता है तो हर एक नागरिक को लगबग 400-500 रुपये महीना मिलेगा जिससे देश की गरीबी कम हो जायेगी| (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 5 देखें)

*** 32) टैक्स / कर के द्वारा गरीब, आम नागरिक कैसे लुटता है ?**

हमारे देश में अमिर और गरीब दोनों टैक्स/कर देते हैं |

सभी खाद्य पदार्थ और अन्य सामान जैसे चाय, रेल टिकेट और अन्य टिकेट पर जो टैक्स/`कर` लगता है, उससे गरीब को अपने आमदनी के अनुसार ज्यादा प्रतिशत कर देना पड़ता है जिसे प्रतिगामी कर कहते हैं | मान लें कि एक गरीब, जिसकी रोज की दस रुपये आमदनी है, दो रुपये की एक चाय रोज पीता है | उस चाय पर मान लीजिए कि 50 पैसे टैक्स/कर है | इस का मतलब उसके 5% आमदनी चाय के टैक्स/कर में जाती है | और एक अमिर आदमी, जिसकी रोज की आमदनी 100 रुपये है, वो दस चाय के कप नहीं पी सकता ; मान लीजिए वो दो चाय पीता है, तो एक रुपये चाय का कर देता है रोज. जो उसकी आमदनी का 1% है | इस प्रकार गरीब आदमी अपनी आमदनी का ज्यादा प्रतिशत कर देता है |

सरकार ऐसे ही टैक्स /कर लगाती है जो गरीबों के लिए ज्यादा और अमीरों के लिए कम होते हैं क्योंकि सरकार की भ्रष्ट अमिर लोगों के साथ सांठ-गाँठ/मिली-भगत है |

इसका समाधान है की ऐसे टैक्स/कर लगाये जाएँ जो आमदनी के प्रतिशत के अनुसार `समान`हैं . यानी `सामान कर` जैसे संपत्ति कर(टैक्स) , जो 25 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर 1 % पर देना होगा | संपत्ति कर की चोरी करना संभव नहीं है और ये और `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)` जमीनों के दाम घटाएगा, उद्योग को बढावा देगा रोजगार बढाएगा और गरीबी घटाएगा | इसका उपयोग सेना के लिए हथियार और कोर्ट बनने के लिए उपयोग होना चाहिए, जिससे सेना मजबूत होगी, देश सुरक्षित रहेगा और कोर्ट और जजों की संख्या बढने से जल्दी न्याय मिलेगा | संपत्ति कर और आयकर की चोरी रोकने के उपाय की अधिक जानकारी के लिए अध्याय 25 देखें |

33) एक और चीज जो `प्रजा अधीन-रजा` के विरोधी बोलते हैं कि ` हमें क्यों सेना को मजबूत बनाने के लिए पैसे देना चाहिए टैक्स के रूप में , जैसे `विरासत टैक्स`, सीमा-शुल्क , `संपत्ति टैक्स` आदि ? वे अपने बारे में अधिक सोचते हैं, बजाय कि देश के |

अरे, यदि वे ये सब टैक्स नहीं देंगे , तो देश की सेना, पोलिस और कोर्ट देश की सुरक्षा नहीं कर पाएंगी , विदेशी कंपनियों और देशों को हमें गुलाम बनाने से , और सबसे पहले तो पैसे-वाले ही लूटे जाएँगे , और देश का 99% धन लूट लिया जायेगा |

और यदि कोई अपना धन-संपत्ति खुद सुरक्षा करने की कोशिश करता है , तो उसको कहीं ज्यादा खर्च करना होगा , मिलकर धन (सामूहिक धन-संपत्ति) की सुरक्षा करने पर जो खर्च होगा, उसकी तुलना में |

इसीलिए दोनों, आर्थिक(पैसे) के नजरिये से और अच्छे-बुरे(नैतिक) के नजरिये से , ज्यादा पैसे-संपत्ति वालों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए , कम पैसे और संपत्ति वालों कि तुलना में |

⁎34) बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा सच्चाई सीरम (सच बुलवाने वाली औषधि) जांच करना(नारको जांच बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा)

ये नार्को जांच उन व्यक्तियों पर होगी जिसके लिए 51% जनता अपना अनुमोदन/स्वीकृति देगी |

भ्रष्ट सुप्रीम-कोर्ट के जजों ने ये राय दी है की नारको जांच/सच्चाई सीरम जांच “असंवैधानिक" है क्योंकि उनको डर है कि मुजरिम उन जजों के नाम और उनको दिए गए रिश्वतों की पोल न खोल दें |हमें पहले इन जजों का सार्वजनिक/सारी जनता के सामने नारको जांच करवानी चाहिए | **नारको जांच भारत के संविधान की किसी भी खंड का उलंघन नहीं करता है |**

नार्को एक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है , उदहारण से -नार्को जांच में, कोई व्यक्ति ये कह सकता है “ मेरे पास एक बैंक का लाकर है मेरे भतीजे के नाम `कखग` स्थान पर “ और ये एक महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है | अभी नारको जांच के विशेषज्ञ एक विस्तृत दल/पैनल से चुना जायेगा आखरी समय में, इसी लिए सांठ-गाँठ/मिली-भगत होना संभव नहीं है अधिकतर मामलों में | नार्को जांच का भय ही अपने आपस से लोगों को अपराध करने से रोकेगा | और नारको जांच का भय भ्रष्ट लोगों के आपसी सहयोग को रोकेगा | इसको विस्तार से/ पूरा बताने दीजिए |

मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार को 10 लोगों का समर्थन चाहिए --- दो मंत्री, 4 भारतीय प्रशासनिक सेवा(आई.ऐ.एस) के लोग, 4 जज | फिर , हर एक चिंतित होगा कि यदि कल को , उनमें से कोई की नार्को जांच होती है, उसका नाम भी सामने आ जायेगा | अधिकतर बड़े सौदों में कई अधिकारीयों, मंत्रियों, जजों की आवश्यकता होती है और ये सौदों में कमी आएगी, दूसरे व्यक्ति/सहयोगी के नार्को जांच के भय से |

नार्को जांच का प्रस्ताव `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) और प्रजा अधीन रजा/राईट टू रिकाल(भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आने के बाद आयेगा क्योंकि इन प्रक्रियाओं के बिना , नारको जांच का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तब ये केवल ऊपर के लोगों को ही मदद करेगा | (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 27 देखें)

⁎35) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के समर्थन से आरक्षण कम करना ,आर्थिक-चुनाव द्वारा, दलितों के हाँ द्वारा-

गाँव में सरपंच का बेटा आगे आकार आरक्षण का लाभ उठाता है और आर्थिक तंगी एवं निरक्षरता /अनपढ़ होने के कारण बाकी गांववालों को कुछ नहीं मिलता , यह स्वतंत्रा के बाद हर पीड़ी में होता आया है | उस सरपंच के बेटे को लाभ मिलने से ज्यादा अगर बाकी गांववालों को 600 रुपया मिल जाये तो कल को वो अपने बच्चों को स्कुल में भेजना भी शुरू कर सकते हैं | उन्हें आरक्षण नहीं आर्थिक सहायता की जरुरत है|

क्योंकि 80 प्रतिशत से अधिक गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग 12 वीं कक्षा तक भी पास नहीं कर पाते और इस प्रकार उनके लिए आरक्षण

का कोई अर्थ नहीं है। पांच सदस्यों के एक परिवार को हर वर्ष 3000 रूपए मिलेंगे यदि वह परिवार आर्थिक-चुनाव के तरीके को स्वीकार करता है और इसमें उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। 80 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा आर्थिक-विकल्प/चुनाव चुनने के साथ ही – आरक्षण कोटा घटकर 10 प्रतिशत से भी कम रह जाएगा। अब योग्यता सूची/मेरिट लिस्ट में वैसे भी 10 प्रतिशत ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग तो रहते ही हैं । इसलिए प्रभावी/लगाया जाने वाला आरक्षण घटकर न के बराबर रह जाएगा। इसलिए यदि एक बार `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` पर हस्ताक्षर हो जाए और यदि आर्थिक-चुनाव/विकल्प की मांग करने वाला एफिडेविट जमा हो जाए तो 80 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हां दर्ज करवा देंगे। (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 8, 36 देखें)

***36) कैसे विदेशियों द्वारा हमारी पढ़ाई / शिक्षा कमजोर की जा रही है -**

गुजरात, जहाँ पर नरेन्द्र मोदी मुख्य-मंत्री है , में जो गणित और विज्ञान के परीक्षाएं बनाई गयीं कक्षा 12 के लिए , उसमें हर एक प्रश्न सीधे पाठ्य-पुस्तक में से था !! यहाँ तक की उसमें नंबर भी नहीं बदले | यदि पाठ्य-पुस्तक में लिखा था कि `ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घटा से जा रही है` , तो परीक्षा के पेपर में भी ये ही लिखा था रफ़्तार-70 किलोमीटर प्रति घंटा !! वैसे तो बिका हुआ मीडिया ये बताता है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह समर्पित है गणित की पढ़ाई को गुजरात में सुधारने के लिए , लेकिन जब हम को ज्यादा जानकारी मिलती हैं जैसे परीक्षा के पेपर, तो हम को कुछ और ही पता चलता है |

इसीलिए हमें `प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री` चाहिए ताकि मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री विदेशियों के हाथ न बिक सकें और देश की शिक्षा को बरबाद न कर सकें |

इसके अलावा, आज सरकारी स्चूलों में हालत बहुत बुरी है , बच्चों के पढ़ने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते, मास्टरों को पूरा वेतन ना मिलना, मास्टर ठीक से ना पढाना या स्कूल से गायब रहना , आदि समस्याएं हैं |

इसका मुख्य कारण जिला शिक्षा अधिकारी का भ्रष्टाचार है | इसके लिए हमें `प्रजा अधीन-जिला शिक्षा अधिकारी`(भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी को छात्रों के माता-पिता द्वारा निकालने का अधिकार) और `सत्या सिस्टम` (जिसमें इनाम दिए जाते हैं शिक्षक और छात्र को , योग्यता के आधार पर , और कोई वेतन नहीं मिलता शिक्षक को) | (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 30 देखें)

***37) 'तुरंत निर्णायक मतदान(आई. आर. वी.)' / अधिक पसंद अनुसार मतदान के लाभ**

'तुरंत निर्णायक मतदान (आई. आर. वी.)' पर क्लोन प्रभाव का कोई असर/प्रभाव नहीं है और इसलिए 'तुरंत निर्णायक मतदान (आई. आर. वी.)' में फर्जी उम्मीदवार खड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हमारे विरोधी ऐसे उम्मीदवार को प्रायोजित करने वाले हमारा समय बरबाद नहीं कर पाएंगे। साथ ही, 'तुरंत निर्णायक मतदान (आई. आर. वी.)' मतदाता को अच्छे उम्मीदवार को वोट देने में समर्थ/सक्षम बनाता है। इस प्रक्रिया/तरीके द्वारा चुनाव न जीतने की अधिक सम्भावना लगने वाले उम्मीदवार ,लेकिन सबसे अच्छे उम्मीदवार को पहली

पसंद/प्राथमिकता दी जा सकती है। और तब जीतने की अधिक संभावना लगने वाले उम्मीदवार को चौथी या अन्य पसंद/प्राथमिकता/स्थान पर वोट दिया जा सकता है।

इस प्रकार मतदाता सुरक्षित महसूस करते हैं। और चुनाव न जीतने की अधिक संभावना लगने वाले, सबसे अच्छा उम्मीदवार सबकी नजर में आकर महत्वपूर्ण हो जाता है। और` न जीतने की अधिक संभावना लगने वाले उम्मीदवार भी वास्तव में जीत सकता है !! 'तुरंत निर्णायक मतदान(आई. आर. वी.)' का एक और महत्वपूर्ण, अच्छी बात यह है कि नए उम्मीदवार की मीडिया मालिकों पर आसरा/निर्भरता कम होती है। और चुनाव के परिणाम को असर/प्रभावित करने में मीडिया मालिकों की ताकत भी कम हो जाती है। इसलिए 'तुरंत निर्णायक मतदान(आई. आर. वी.)' चुनाव की मीडिया मालिकों पर आसरा/निर्भरता कम कर देता है |

अध्याय 1- तीन लाइन का यह प्रस्तावित कानून गरीबी और पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को केवल चार महीनों में ही कम कर सकता है

(इस पाठ का एक चार पृष्ठों का अंश सस्ते में वितरित करने के लिए http://righttorecall.info/001.h.pdf पर उपलब्ध है। पाठ – 3 में **जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली** को अधिक विस्तार से बताया गया है।)

(1.1) क्या यह मजाक है?

भारत के बुद्दिजीवियों ने यह दावा किया है कि गरीबी की समस्या और पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार, न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि समस्याऐं इतनी जटिल हैं कि इन्हें कम करने में कई दशक लगेंगे और बहुत ही कठिन परिश्रम करना होगा। और यहाँ **'प्रजा अधीन राजा' समूह** सामने आता है और यह दावा करता है कि जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) की केवल तीन पंक्ति/लाइन की प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना गरीबी और पुलिस, न्यायालय, शिक्षा आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म कर देगी और वह भी मात्र चार महीने के भीतर।

भारत का राजपत्र (सरकारी अधिसूचना) (गेजेट नोटिफिकेशन) क्या है?

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित पुस्तिका , जो लगबग हर महीने प्रकाशित की जाती है और मंत्रियों द्वारा जिला कलेक्टर , विभाग सचिव आदि को आदेश होते हैं |

राजपत्र / सरकारी अधिसूचना (आदेश) का नमूना है -

http://rajswasthya.nic.in/17%20DT.%2006.01.10.pdf

यदि नागरिकों, कार्यकर्ताओं को सरकार में कोई बदलाव चाहिए, तो उनको मंत्रियों को प्रस्तावित बदलावों को अगले भारतीय राजपत्र में डालने की मांग करनी चाहिए | जब प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट / मसौदा भारतीय राजपत्र में आयेंगे ,तभी और केवल तभी सरकार में बदलाव आयेंगे | यदि कोई कार्यकर्त्ता-नेता , कोई बदलाव की मांग कर रहा है ,बिना सरकारी अधिसूचना (आदेश) की जानकारी दिए , जो उसे चाहिए, तो वो नागरिकों का समय बरबाद कर रहा है और वो ये जान-बूझ कर , कर रहा है, ऐसा हो सकता है | इसीलिए, हम सभी कार्यकर्ताओं से विनती करते हैं कि सरकारी अधिसूचना (भारत का राजपत्र) का क़ानून-ड्राफ्ट / मसौदों पर ध्यान केंद्रित करें , उन बदलाव के लिए जो कार्यकर्ता-नेता मांग करते हैं |

==

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2010/पौष 16, 1931
No. 17] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2010/PAUSA 16, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2010

का.आ. 23(अ).—सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 30 जुलाई, 2009 के सं. का.आ. 1866(अ) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 30 जुलाई, 2009 के सं. का.आ. 1866(अ) की अधिसूचना में तालिका में क्रम संख्या 1 से संबंधित स्तम्भ (3) के अंतर्गत मौजूदा प्रविष्टियों में, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात् :—

राजस्व विभाग के अंतर्गत पंजीकृत सभी परिसर।

[फा. सं. पी. 16011/7/2005-पीएच-I]

वी. वेंकटाचालम, अपर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना 30 जुलाई, 2009 के अधिसूचना सं. का.आ. 1866(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2010

S.O. 23(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 1866(E), dated the 30th July, 2009, namely :—

In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 1866(E), dated the 30th July, 2009, in the Table, for the existing entries under column (3), relating to serial number 1, the following entries shall be substituted, namely :—

All premises registered under Department of Revenue.

[F. No. P-16011/7/2005-PH-I]

V. VENKATACHALAM, Addl. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 1866 (E), dated the 30th July, 2009.

49 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

कुछ अन्य सरकारी अधिसूचना मंत्रिमंडल द्वारा पारित के लिंक -

(1) http://ssa.nic.in/national-mission/government-of-india-notification/notification-f-2-4-2000-ee-3-dated-january-19-2005/

(2) http://www.mit.gov.in/content/government-notifications-enabling-e-services

(3) http://www.maharashtra.gov.in/english/webRing/pdf/gazette569.pdf

===========================
सरकारी अधिसूचना का हर एक क़ानून-ड्राफ्ट एक छोटा सा, निश्चित बदलाव लाता है. उदहारण- राशन कार्ड प्रणाली(सिस्टम) सरकारी अधिसूचनाओं से बनायी गयी थी, जिसने करोड़ों कि जान बचायी हैं | भूमि-सुधार गुजरात में 1940 के दशक के अंतिम और 1950 के दशक के शुरू में , अच्छे से हुए, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री देभरभाई ने पक्के और आसान क़ानून-ड्राफ्ट बनाये, जबकि भारत के ज्यादातर अन्य राज्यों में भूमि-सुधार असफल हुए क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने जान-बूझ कर ढेरों कमियाँ वाले क़ानून-ड्राफ्ट बनाये (उदहारण- एक कमी थी कि ना रद्द किये जा सकने वाला वकालतनामा/`पॉवर ऑफ अटॉर्नी ` को अनुमति देना जिससे भूमि ट्रस्टों को दी जा सके/हस्तांतरित की जा सके आदि) |
=============================

और, मैं इसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि प्रस्तावित जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का कोई नाकारात्मक साइड इफेक्ट नहीं है और यह प्रस्तावित जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट शत-प्रतिशत संवैधानिक है और सभी मौजूदा कानूनों के साथ लागू रह सकता है और इसे सांसदों/विधायकों के विधान कि आवश्यकता नहीं है – सिर्फ एक सरकारी अधिसूचना काफी होगी क्योंकि जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के सभी तीनों खण्ड/कलम पहले ही प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री आदि को दिए गए मौज़ूदा शक्तियों के तहत आते हैं। क्या कोई ऐसी छोटी सरकारी अधिसूचना मौज़ूद हो भी सकती है? भारत के अधिकांश बुद्धिजीवियों ने इस बात को मानने से इन्कार कर दिया है कि कानून का ऐसा कोई मामूली और छोटा सा क़ानून-ड्राफ्ट गरीबी और भ्रष्टाचार को एक प्रतिशत भी कम कर सकता है । या तो ये सभी बुद्धिजीवी लोग गलती पर हैं या तो मैं 200 प्रतिशत झूठा हूँ और 400 प्रतिशत पागल या जोकर हूँ। आप पाठकगण यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या ये बुद्धिजीवी लोग गलत हैं या मैं ही एक जोकर हूँ बशर्ते आप इस पाठ को और इसके बाद के अगले तीन पाठ को पढ़ने का निर्णय कर लेते हैं और मेरे द्वारा प्रस्तावित जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट कानून के विरूद्ध बुद्धिजीवियों के खंडन को पढ़ते हैं तो। और फिर मैं यह भी दावा करूंगा कि मेरे द्वारा प्रस्तावित तीन पंक्ति/लाइन की जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली - सरकारी अधिसूचना गरीबी को कम करने

और पुलिस/ न्यायालय/ शिक्षा में भ्रष्टाचार में कमी लाने से कहीं ज्यादा कारगर होगी। चार से आठ माह के भीतर ही, जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली - सरकारी अधिसूचना , सेना व राशन कार्ड प्रणाली (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) और सरकार के सभी विभागों में सुधार ला देगी। और प्रस्तावित जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि ये सभी दावे कभी सत्य साबित हो गए तो सभी बुद्धिजीवियों के लिए यह एक अत्यन्त शर्मनाक घटना होगी ।

आखिरकार, यह तीन पंक्ति/लाइन की प्रस्तावित जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली - सरकारी अधिसूचना क्या है और कैसे यह जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली - सरकारी अधिसूचना इन कामों को करेगी और वह भी मात्र चार महीने के अंदर ?

और एक अन्य प्रश्न यह उठता है : मैं कैसे कार्यकर्ताओं और जनता को एकजुट करने का प्रस्ताव करूं कि वे प्रधान मंत्री को इस जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दें? इस संबंध में मैं एक ज्यादा बड़ा दावा करता हूँ कि यदि भारत में **मात्र 200,000 भ्रष्टाचार विरोधी और गरीबों के हमदर्द, कार्यकर्तागण प्रत्येक सप्ताह केवल दो घंटे का समय** 13वें अध्याय में मेरे द्वारा प्रस्तावित 30-40 छोटी-छोटी कार्रवाइयों पर अमल करने पर दें तो एक साल से भी कम समय के अंदर उनकी कार्रवाई एक अहिंसात्मक जन- आन्दोलन का रूप ले लेगी जो प्रधानमंत्री को जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कानून या एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर करने को विवश कर देगी जिसमें जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली सम्मिलित होगा।

(1.2) राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित `जनता की आवाज- पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)`-सरकारी अधिसूचना(आदेश) का क़ानून-ड्राफ्ट

प्रस्तावित `जनता की आवाज- पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) - सरकारी अधिसूचना में नीचे दिए अनुसार केवल तीन खण्ड हैं। कृपया ध्यान दें कि तीसरा खंड महज एक घोषणा है। इसलिए इस प्रस्तावित `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` सरकारी अधिसूचना में लागू करने के लिए केवल दो ही क्रियाशील खण्ड हैं।

पटवारी कौन है ?

पटवारी गांव का अधिकारी है जो भूमि/जमीन का रिकार्ड रखता है| 2-3 गांव के बीच , एक पटवारी होता है और कुछ शहरों में ,पटवारी के बदले `नागरिक केन्द्र क्लर्क` होता है 2-3 वार्ड के बीच में | इस प्रकार, आप निर्णय कर सकते हैं `पटवारी` का नाम स्थानीय भाषा में और अपने राज्य में | पटवारी के कुछ अन्य पर्याय हैं- तलाटी ,ग्राम अधिकारी , लेखपाल|

मैं सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रधानमंत्री पर निम्नलिखित अधिसूचना पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालें:

#	अधिकारी	प्रक्रिया
1	कलेक्टर (अथवा उसका क्लर्क)	राष्ट्रपति कलक्टर को आदेश दें कि: यदि एक महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता अपने जिले में कोई सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करता है या कलेक्टर को कोई शपथपत्र/एफिडेविट/हलफनामा देता है और प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर इसे डालने का अनुरोध करता है तो वह कलेक्टर या उसके द्वारा नामित क्लर्क एक सीरियल नंबर जारी करेगा और उस पत्र आदि को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर 20 रूपए प्रति पेज/पृष्ठ का शुल्क लेकर डाल देगा।
2	तलाटी, पटवारी, ग्राम अधिकारी/लेखपाल (अथवा उसका क्लर्क)	**2.1)** राष्ट्रपति पटवारी को आदेश दें कि: यदि एक महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ(बूढ़ा) नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आईडी / मतदाता पहचान पत्र के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा धारा 1 में शिकायत अथवा कोई एफिडेविट/हलफनामा दर्ज कराए तब पटवारी प्रधानमंत्री जी वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। । **2.2)**पटवारी नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं। **2.3)**गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले/बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
3	(सभी नागरिकों, अधिकारियों , मंत्रियों के लिए)	यह ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कोई जनमत संग्रह प्रक्रिया नहीं है। हाँ या ना की यह गिनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों, जजों आदि के लिए कोई बाध्य / बंधनकारी नहीं होगा । यदि 37 करोड़ से अधिक महिला मतदाता, दलित मतदाता, वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **37** करोड़ भारतीय मतदाताओं में से **कोई** भी नागरिक मतदाता किसी दिए गए एफिडेविट पर हाँ दर्ज करे, तब प्रधानमंत्री उस सूचना का अधिकार आवेदन पत्र के एफिडेविट पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है अथवा उसे ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ; अथवा प्रधान मंत्री इस्तीफा दे भी सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

मैं `जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कानून का सार इस प्रकार प्रस्तुत करता हूँ:-

- यदि कोई नागरिक चाहे तो कलेक्टर/जिलाधिकारी (डी एम) के कार्यालय में जाकर प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार आवेदनपत्र डाल सकता है।
- यदि कोई नागरिक किसी आवेदनपत्र या शिकायत अदि को समर्थन करना चाहे तो वह तलाटी (पटवारी अदि) के कार्यालय में जाकर 3 रूपए शुल्क देकर प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर अपना समर्थन दर्ज कर सकता है।

तीन पंक्ति/लाइन का यह प्रस्तावित 'जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` कानून गरीबी और भ्रष्टाचार को केवल चार महीनों में ही कम कर देगा !!

(1.3) क्या भारत में सभी नागरिकों के पास इस कानून का उपयोग करने के लिए इन्टरनेट है? और अन्य प्रश्न

प्रश्न-1 : क्या भारत में सभी नागरिकों के पास इस सरकारी अधिसूचना का उपयोग करने के लिए इन्टरनेट है?

ये सबसे आम, लेकिन गलत प्रश्न है जिसका सामना मैं प्रस्तावित जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली- सरकारी अधिसूचना पर करता हूँ। मैं इसे गलत प्रश्न कहता हूँ क्योंकि प्रस्तावित कानून का प्रयोग शुरू करने के लिए नागरिकों को इन्टरनेट कनेक्शन की जरुरत बिलकुल नहीं पड़ती। चाहे नागरिकों के पास इन्टरनेट हो या नहीं , उन्हें कलेक्टर के कार्यालय में स्वयं जा कर ही अपनी शिकायत अथवा सूचना का अधिकार आवेदनपत्र जमा करना होगा। और चाहे उनके पास इन्टरनेट कनेक्शन हो या नहीं , उन्हें तलाटी (लेखपाल, पटवारी, ग्राम-अधिकारी) के कार्यालय में स्वयं जा कर ही किसी शिकायत अथवा शपथपत्र/एफिडेविट पर हाँ दर्ज करना होगा। इसलिए इस कानून का उपयोग करने के लिए किसी नागरिक के पास इंटरनेट की बिलकुल आवश्यक्ता नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति के पास इन्टरनेट है तो इससे कोई फर्क नही पड़ेगा। इसलिए इस कानून का उपयोग भारत के सभी नागरिक मतदाता कर सकते हैं । यदि उसके पास इन्टरनेट है तो वो शपथपत्र/एफिडेविट को सुगमता/आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन बिना इंटरनेट वाला व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है - उसे केवल किसी ऐसे व्यक्ति से कहने की जरूरत है जिसके पास इन्टरनेट कनेक्शन है।

प्रश्न-2 : क्या धनिक / विशिष्ट वर्ग मत / अनुमोदन / स्वीकृति को पैसे,गुंडे या अन्य तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे?

खंड / धारा-2 प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना `जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` का कहता हैं कि कोई भी नागरिक खंड/धारा-1 अनुसार दर्ज किये गए शिकायत/प्रस्ताव पर हाँ/न दर्ज कर सकता है और वो पारदर्शी होगा |लेकिन कोई भी विशिष्ट वर्ग/धनिक 100 करोड़ खर्च कर सकता है और 1 करोड़ लोगों को हाँ दर्ज करने के लिए नहीं बोल सकता है? देखिये,कृपया धारा-2.2 भी पढिये| नागरिक किसी भी दिन अपनी हाँ/ना बदल सकता है | तो यदि करोड़ों नागरिकों को `हाँ `दर्ज करने के लिए पैसे मिले हैं , तो अगले दिन ही वे `हाँ` को `ना` में

बदलने के लिए धमकी दे सकते हैं | अभी कोई भी करोड़ों नागरिकों को नियंत्रित नहीं कर सकता एक सप्ताह के लिय भी पूरी सेना के साथ भी | तो धनिक/विशिष्ट वर्ग को रोज रु.100 करोड़ खर्च करना पड़ेगा और कुछ ही हफ़्तों या महीनों में धनिक के सारे पैसे समाप्त हो जाएँगे | भारत के सारे धनिक मिलकर भी करोड़ों नागरिकों को खरीद नहीं सकते इस प्रक्रिया के चलते | इसिलिय खंड/धारा-2.2 ये सुनिश्चित करता है कि ये प्रक्रिया धन-शक्ति, गुंडा-शक्ति या मीडिया-शक्ति से प्रभावित नहीं होगा |

(1.4) 'जनता की आवाज `-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) का एक लाइन में सार

'जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) का एक लाइन में सार इस प्रकार है -- **यदि कोई नागरिक चाहे तो कलेक्टर, जनता की शिकायत / प्रस्ताव / सुझाव को, शुल्क / फीस लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।**

शब्द 'सूचना का अधिकार आवेदन पत्र, भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायत, कोई शपथपत्र' केवल शिकायत शब्द को ही दोहराता है। और शिकायत पर **हाँ** दर्ज कराने की नागरिक को अनुमति / परमिशन देना केवल इसलिए है कि यदि दस हजार नागरिकों की शिकायत एक ही है तो सभी दस हजार लोगों को कलेक्टर के कार्यालय में जाने और प्रति पेज/पृष्ठ 20 रूपए का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है -- केवल एक व्यक्ति को कलेक्टर के कार्यालय में जाने की जरुरत होगी और शेष व्यक्ति उसी शिकायत को स्थानीय तलाटी अथवा पटवारी के कार्यालय में मात्र 3 रूपए का भुगतान करके जमा कर सकते हैं। इस तरह धारा 3, धारा 1 का मात्र पुन:कथन / दोहराना है। और प्रधानमंत्री की वेवसाइट पर जवाब डालना फिर से खण्ड/धारा 1 का पुनर्कथन / दोहराना है ।

(1.5) 'जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` के धारा 1 के बारे में कुछ और बातें

'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के खण्ड 1 में यह लिखा है कि ''राष्ट्रपति, कलेक्टर को आदेश दे कि: यदि एक महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता अपने जिले में शिकायत------ '' ------ यहाँ क्यों महिला मतदाता, दलित मतदाता, गरीब मतदाता लिखा है, जबकि केवल कोई भी मतदाता कहना काफी होता ? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कोई खंड/धारा 1 का विरोध करता है तो जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली का कोई समर्थक उसे आसानी से महिला विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी आदि की छवि वाला बता सकता है। और भारत में बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, नेताओं के पास महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, गरीबों आदि का रक्षक बनने में महारत हासिल है। और यदि ये कार्यकर्ता नेता 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के खण्ड/धारा 1 का विरोध करते हैं तो 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के समथर्क इन्हें आसानी से महिला विरोधी, दलित विरोधी अदि की छविवाला बता देगें। इससे 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत /

प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के समर्थक उन्हें शांत कराने में सफल हो सकेंगे।

(1.6) ये तीन लाइन का सरकारी आदेश आम जनता को पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव / सुझाव डालने का अधिकार देगा

`पारदर्शी` को हम परिभाषित करेंगे कि वो शिकायत / प्रस्ताव / सुझाव जो कभी भी , कहीं भी और किसी के भी द्वारा दृश्य हो और जाँची जा सके , ताकि कोई भी नेता ,कोई भी बाबू , कोई भी जज ,मीडिया उसे दबा न सके |

आज यदि आप के यहाँ कोई भ्रष्ट मंत्री है और आप और लाखों लोग चाहते हों कि प्रधान मंत्री उसपर कार्यवाई करके उसको निकाल दे , तो आप क्या करेंगे?

एक तरीका तो ये है कि आप या तो आंदोलन/धरना कर सकते हैं | मीडिया जो 80% बिका हुआ है आपका साथ नहीं देगा और पोलिस के डंडे भी खाना पड़ेगा वो अलग से| लाखों आम लोग पहले तो आपनी रोजी-रोटी त्याग कर धरना कर नहीं सकते, कुछ हज़ारो लोग आयेंगे लेकिन कुछ दिनों बाद वे भी लौट जाएँगे और पोलिस की मार लोगों की संख्या जो धरने पर हैं को और कम कर देगी |

दूसरा तरीका ये कि आप प्रधान मंत्री को पत्र लिखें लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री, अफसर आदि क्योंकि भ्रष्ट होते हैं , वे `बोलेंगे कि पत्र मिला नहीं `या उसमें जो लिखा हुआ है उसको आसानी से छेड़छाड़ कर सकते हैं| यदि लाखों करोड़ों लोग हस्ताक्षर अभियान भी चलायें, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री हस्ताक्षरों को `जाली` करार कर उसको अविश्वसनीय कह देते हैं (इसका कारण ये है कि हमारे देश में नागरिकों के सही का सरकार के पास कोई रिकार्ड नहीं है ताकि उनकी जांच की जा सके)और उसको दबा देते हैं | पोलिस अक्सरवाले एफ.आई.आर भी नहीं लिखते क्योंकि मंत्री की उनके साथ पहचान आम नागरिक से कहीं ज्यादा होती है |

लेकिन जनता की आवाज़/पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के अनुसार, यदि आपको मंत्री के विरुद्ध शिकायत है तो आपको कलेक्टर के दफ्तर जाना होगा, वहाँ क्लर्क उसको स्कैन कर लेगा| एक-एक शब्द प्रधानमन्त्री के वेबसाइट पर आ जायेगा | अब क्योंकि पूरे विश्व में लाखों-करोड़ों लोग इस वेबसाइट को देख सकते हैं चौबीसों घंटा तो इसके साथ छेड़छाड़ करना असंभव है| और लाखों-करोडों समर्थक पटवारी के दफ्तर जाकर आपकी उस खरी शिकायत का समर्थन कर सकते हैं और जांच के दृष्टि से उनका वोटर आई.डी के विवरण और अँगुलियों की छाप ली जायेगी और ये सब जानकारी प्रधान मंत्री के वेबसाइट पर जाएँगे| इस तरह शिकायत के समर्थकों की संख्या को अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता बल्कि इस प्रकार से पारदर्शी शिकायत करने पर समाचार पत्र और टी. वी चैनल भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अन्यथा उनकी ही विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लोग करेंगे, इसीलिए उनको ये समाचार देना होगा और ये शिकायत देश के कोने कोने तक पहुँच जायेगा और शिकायत के समर्थक देशभर के सांसद और अन्य जानी-मानी हस्तियों को बार-बार प्रश्न करेंगे कि उस सच्ची शिकायत का क्या हुआ और नाक में दम कर देंगे ? सांसद भी शिकायत को नजरंदाज नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसका प्रमाण रहेगा कि लाखों-करोड़ों व्यक्ति उस शिकायत का समर्थन कर रहे हैं और ये बात कभी भी जाँची जा सकती है, किसी के द्वारा क्योकि वेबसाइट पर समर्थकों के अंगुली के छाप और वोटर

आई.डी के विवरण तो रहेंगे | इस प्रकार सांसदों पर दबाव पड़ेगा और सांसदों के द्वारा प्रधान मंत्री पर | ऐसे में प्रधानमन्त्री को कार्यवाई करनी ही होगी और यदि शिकायत सही पायी गयी तो मंत्री को निकालना होगा|

इस प्रकार से डाली गयी शिकायत / प्रस्ताव / सुझाव जो लाखों-करोडों द्वारा समर्थित है को दबाना असंभव है और नेता, अफसर पर जनता का दबाव द्वारा जनता अपना कहा मनवा सकती है | लाखों-करोड़ों समर्थकों के हर व्यक्ति को मालूम रहेगा और देख भी दकेगा कि उसके साथ लाखों-करोड़ों व्यक्ति है और इससे उसको और शिकायत को बल मिलेगा |

इस सिस्टम के आने से हर नागरिक एक रिपोर्टर बन सकता है और कोई समाचार दे सकता है और दूसरे नागरिक इसको पढकर और समर्थन दे कर इसको फैला सकते है जिससे सही ,निष्पक्ष और विश्वनीय समाचार अधिक आयेंगे जबकि आज मीडिया समाचार पक्षीय और झूटे समाचार देती है| आज मीडिया वो ही समाचार देती है जिसके लिए उसको पैसे दिए जाता हैं या उसके समर्थक और उनको पूंजी देने वाले बहु-राष्ट्रिय कंपनी वर्ग के हित के हों | (मीडिया को सुधरने के अन्य सुझाव अध्याय 44.33 और 44.34 में देखें)

मैं ये बताता हूँ कि क्यों कुछ लोग `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम)` का विरोध करते हैं| वो इसीलिए कि `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` हम आम नागरिकों को दूसरे नागरिकों के समक्ष अपने विचार रखने देता है , मीडिया और विशिष्टवर्ग के लोगों को दरकिनार/बाई-पास कर के | ये हमारी एकता को साबित करने की क्षमता को मजबूत करेगा , जब हम एक हों, और विशिष्ट वर्ग के लोगों को “ हम आम नागरिकों में बटवारा/विभाजन की गलत धारणा/गलत-फहमी पैदा व हम आम नागरिकों पर शाशन करने ” करने की क्षमता को कम करेगा | `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` दलितों, गरीबों, महिलाएं , किसान, मजदूर, आदि को अपनी शिकायत पारदर्शी तरीके (जो हमेशा जाँची और देखी जा सके) से, प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर रखने देता है | और इसीलिए दलित-विरोधी, गरीब-विरोधी, मैला-विरोधी, किसान-विरोधी, मजदूर-विरोधी, इस प्रस्तावित `पारदर्शी शिकायत प्रणाली (सिस्टम)` सरकारी अधिसूचना के क़ानून-ड्राफ्ट से नफरत करते हैं |

पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए www.righttorecall.info/004.h.pdf पर देखें|

<u>क्या यह इतना ही है?</u>

जी हाँ , ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) इतना ही है। और कुछ नहीं। अब प्रश्न ये उठता है : ये सिर्फ 3 पंक्ति/लाइन का कानून गरीबी और भूखमरी की भयंकर समस्या का समाधान कैसे कर सकता है ? कैसे यह कानून उतना ही भयंकर भ्रष्टाचार की समस्या को पुलिसवालों/न्यायाधीशों के बीच से ख़त्म कर सकता है ? कैसे यह और भी समस्यों को समाप्त कर सकता है जैसा कि मैं दावा करता हूँ ?

(1.7) तो कैसे 'जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` गरीबी को 3-4 महीने में कम कर देगा?

जब मैंने कहा कि 3 लाइन का कानून गरीबी और भ्रष्टाचार को 4 महीने में कम कर सकता है, तो आपको अवश्य यह मजाक या झूठ लगा होगा और मैं इसके लिए आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। और अब इन तीन पंक्ति/लाइन को पढ़ने के बाद, आप अवश्य अत्यंत परेशान होंगे कि कैसे मासूम सा दिखने वाला यह तीन पंक्ति/लाइन बदलाव लाएगा। आखिरकार 'जनता की आवाज` में यही उल्लेख है – लोगों को अपनी शिकायत प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर रखने दें यदि वे ऐसा चाहते हैं। ये आखिरकार क्या बदलाव ला सकता है?

जिस दिन प्रधानमंत्री 'जनता की आवाज`पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली - सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर कर देंगे, मैं करीब 200 शपथपत्र/एफिडेविट उनके सामने रखूँगा। इन सभी शपथपत्रों के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट मेरी वेबसाइट http://righttorecall.info पर दिए गए हैं और कुछ शपथपत्रों के संक्षिप्त विवरण इस घोषणा पत्र में दिए गए हैं। अपने पहले शपथपत्र/एफिडेविट को मैं कहता हूँ --- नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (MRCM) ये नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (MRCM) शपथपत्र/एफिडेविट 6 पृष्ठों का प्रस्तावित कानून है जो पांचवे अध्याय में है और जिसका शीर्षक है --- "नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (MRCM)"। यह प्रस्तावित --- नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (MRCM) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाती है **जिसके द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को सीधे ही खनिजों की रॉयल्टी और भारत सरकार के प्लॉटों से भूमि का किराया मिले।** उदाहरण के लिए, मान लें नवम्बर 2010 में खनिजों की रॉयल्टी और सरकारी प्लॉटों का किराया 60,000 करोड़ रूपए था। तो प्रस्तावित नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (MRCM) कानून के अनुसार 20,000 करोड़ रूपए सेना को जायेंगे और बचे हुए 40,000 करोड़ रूपए में से प्रत्येक नागरिक को 400 रूपए मिलेंगे जो उसके पोस्ट ऑफिस खाते या भारतीय स्टेट बैंक के खाते में जमा हो जायेंगे। क्या **75 करोड़** मतदाताओं में नकद पैसा वितरित करना इतना कठिन है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि भारत का प्रत्येक वयस्क मतदाता महीने में एक बार अपने बैंक में पैसा निकलने जाये तो हमें केवल एक लाख क्लर्क की आवश्यकता पड़ेगी। क्या एक लाख क्लर्क इतनी बड़ी संख्या है? नहीं। क्योंकि वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में 300,000 स्टॉफ हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल मिलाकर 6000,000 से अधिक स्टॉफ हैं। तो नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (MRCM) क़ानून-ड्राफ्ट को सहायता देने के लिए जितने स्टॉफ चाहिएं वह बहुत ज्यादा नहीं है। प्रस्तावित नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (MRCM) सरकारी अधिसूचना में मुख्य अधिकारी को वापस बुलाने का अधिकार शामिल है जो यह सुनिश्चित करता है कि भ्रष्टाचार कम से कम हो। आगे छठे अध्याय में उल्लिखित 7-8 पृष्ठ के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट में पूरा विवरण दिया गया है।

अब मैं पाठकों से कुछ प्रश्न करूंगा। कृपया इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ही इस पाठ को आगे पढ़ें। प्रश्नों की पृष्ठभूमि की जानकारी इस प्रकार है:

1 मान लें कि नागरिकों ने प्रधानमंत्री को 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) कानून पर हस्ताक्षर करने पर बाध्य कर दिया है।

2 मान लें कि किसी ने नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी शपथपत्र/एफिडेविट प्रस्तुत किया है जिसमें यह उल्लेख है कि खनिज रॉयल्टी और भूमि का किराया सीधे ही जनता को मिलना चाहिए।

3 अब बाद के एक पाठ में, मैने यह बताया है कि कैसे भारत के 72 करोड़ नागरिकों को प्रस्तावित गरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (MRCM) एफिडेविट के बारे में एक महीने के अन्दर पता चल जायेगा।

4 करोड़ भारत के 72 करोड़ वयस्क नागरिकों में से, इस प्रश्न के प्रयोजन के लिए, कृपया आर्थिक रूप से सबसे पिछडे 80 प्रतिशत लोग अर्थात भारत में आर्थिक रूप से सबसे पिछडे 55 करोड़ वयस्क भारत के नागरिकों की सोचिए जो बड़ी कठिनाई से 50 रूपए प्रतिदिन कमा पाते हैं।

आप पाठकों से मेरा <u>पहला प्रश्न</u> है : इन 55 करोड़ नागरिक मतदाताओं, जो एक दिन में 50 रुपए बड़ी कठिनाई से कमा पाते हैं, में से कितने लोग कहेंगे ---- *मुझे प्रति व्यक्ति प्रति महीने ये 400 रूपए या चाहे जितनी भी राशि हो, नहीं चाहिए और ये पैसा भारत सरकार के खाते में जाने दें?*

कृपया उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने के बाद ही आगे पढ़े।
मेरा उत्तर है – 5 प्रतिशत से भी कम लोग! ये कहेंगे कि मुझे ये 200 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति माह नहीं चाहिए। इसलिए 72 करोड़ वयस्क नागरिकों में से सबसे नीचे के 55 करोड़ नागरिकों में से ज्यादातर लोगों की एक ही सोच होगी – **मेरा क्या जाएगा? मात्र 3 रूपए।** (सूचना का अधिकार प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का खण्ड/कलम **2** देखें) और कुछ नहीं। और अगर भाग्य ने साथ दिया तो मुझे प्रति आदमी प्रति माह 400 रूपए मिलेंगे। **आपका इस पहले प्रश्न का क्या उत्तर है**? आपकी राय में सबसे नीचे के 55 करोड़ लोगों में से कितने नागरिक कहेंगे कि मुझे यह खनिज रॉयल्टी और भूमि के किराए का पैसा नहीं चाहिए?

अब पाठकों से मेरा एक और प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए पृष्ठभूमि की जानकारी इस प्रकार है:

1. मान लें कि प्रधानमंत्री को 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कानून पर हस्ताक्षर करने पर बाध्य कर दिया गया है।
2. मान लें किसी ने नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (MRCM) शपथपत्र/एफिडेविट प्रस्तुत कर दिया और 50 करोड़ नागरिकों ने इसपर हाँ दर्ज करा दी।

पाठकों से मेरा <u>दूसरा प्रश्न</u> है क्या आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री यह करने का साहस करेंगे कि मैं प्रस्तावित नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (MRCM) कानून पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा अर्थात क्या कोई प्रधानमंत्री पचास करोड़ या उससे अधिक नागरिकों से प्राप्त हाँ को न मानने/अस्वीकार करने का साहस करेगा ? **फिर से अनुरोध है कि कृपया उपर उल्लिखित प्रश्न का उत्तर देने के बाद ही आगे पढ़ें।**

जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप के **खण्ड/कलम 3** को कृपया फिर से पढ़ें। इस कलम में साफ-साफ लिखा है कि सभी 72 करोड़ नागरिक मतदाताओं द्वारा किसी शपथपत्र/एफिडेविट

पर हाँ दर्ज कर दिया जाता है तब भी प्रधानमंत्री को एफिडेविट में प्रस्तावित कानून पर हस्ताक्षर करने की बिलकुल जरूरत नहीं है। **हाँ/ना संख्या प्रधानमन्त्री पर बाध्य नहीं है |प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम है |**

लेकिन किसी भी प्रधान मंत्री में इतना साहस नहीं होगा कि वह पचास करोड़ नागरिक मतदाताओं को मना कर दे। इसलिए मेरा उत्तर है -- प्रधानमंत्री नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) **(एम.आर.सी.एम)** कानून पर हस्ताक्षर करेंगे। क्यों? इसलिए कि प्रत्येक नागरिक जिसने हाँ दर्ज किया है वह जानता है कि उसके पचास करोड़ साथी नागरिक उसकी मांग का समर्थन कर रहे हैं और इसलिए उनमें से प्रत्येक खुले तौर पर उस रूप में प्रधानमंत्री का विरोध करेगा जिस रूप में वह उचित समझता है और प्रधानमंत्री जानते हैं कि नागरिकगण विरोध प्रदर्शन करेंगे और वे यह भी जानते हैं कि उनके पचास लाख पुलिसकर्मी इतने अधिक नागरिकों को नहीं रोक सकते। इसलिए डर के मारे प्रधानमंत्री इतने अधिक नागरिकों की अनदेखी करने का साहस नहीं करेंगे। **इसलिए 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) कानून के आ जाने के एक-दो तीन महीने के भीतर ही नागरिकगण प्रधानमंत्री को नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) कानून पर हस्ताक्षर करने पर बाध्य करने में समर्थ होंगे** और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) कानून पर हस्ताक्षर करने के एक दो महीने के भीतर ही नागरिकगण भारत सरकार के प्लॉटों से भूमि का किराया और खनिज रॉयल्टी प्राप्त करने लगेंगे और इस प्रकार गरीबी कम हो जाएगी। बाद में सुझाए गए संपत्ति- कर सुधारों से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी और गरीबी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी । इन कर सुधारों का इस किताब के चैप्टर 25 में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

यही वह स्थान है जहाँ 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट के एफिडेविट की शक्ति उभरकर सामने आती है। 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) गरीबी कम नहीं करती है लेकिन 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के बिना प्रधानमंत्री कभी भी नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम) पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि वे और सांसदगण खनिज रॉयल्टी को हड़पना जानते हैं। लेकिन यदि 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली आता है जो प्रधानमंत्री नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम) पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होंगे। 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कैसे बदलाव ला रही है? 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली का खण्ड / धारा 2 नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे खंड/कलम 1 में प्रस्तुत किए गए प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हाँ दर्ज करें और यही **खण्ड / धारा 2 नागरिकों को यह भी बताता है कि करोड़ों नागरिक उनके साथ हैं।** नागरिकों के लिए तब बदलाव लाना आसान हो जाता है जब करोड़ों सहमत हों और ये करोड़ों नागरिक जानते हैं कि करोड़ों लोग उनके साथ हैं । वे अकेला महसूस नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति भीड़ में ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) नागरिक

मतदाताओं को तब और अधिक शक्तिशाली बना देता है जब बहुमत का समर्थन साबित हो गया हो।

(1.8) करोड़ों नागरिकों को यह कैसे पता चलेगा कि `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी`(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) शपथपत्र / एफिडेविट प्रस्तुत हो गया है?

मैं आपको पहले एक सच्ची घटना बताता हूँ। वर्ष 2002 में, भारत सरकार ने एक योजना बनायीं कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जिसकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम है उन्हें हर महीने 200 रूपए मिलेंगे। भारत सरकार ने इस योजना का प्रचार टीवी, समाचारपत्र, रेडियो कहीं भी नहीं किया। फिर भी लगभग 10 महीने की छोटी समय अवधि में ही लगभग हर पात्र वरिष्ठ नागरिक का नाम इस योजना में दर्ज हो चुका था। यह बात कैसे फैली? जब कोई बात लोगों के **तत्काल**, **निजी और सीधे हित से जुड़ी** होती है तो वह बात बिजली के करंट की तरह फैलती है।

एक बार नागरिकगण प्रधानमंत्री को जनता की आवाज(सूचना का अधिकार 2) पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर देते हैं और एक बार `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी)` **(एम.आर,सी.एम)** एफिडेविट दाखिल हो गया तो `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी)` **(एम.आर,सी.एम)** एफिडेविट भी उतनी ही तेजी से फैलेगा क्योंकि नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी)` **(एम.आर,सी.एम)** में लोगों का अपना सीधा, तत्काल और निजी हित है। एक नागरिक को सिर्फ इतना भर करना है - पटवारी के कार्यालय में 10-15 मिनट के लिए जायें और 3 रूपए शुल्क जमा करें। और चूंकि नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी)` **(एम.आर,सी.एम)** इन लोगो का अपना सीधा और तत्काल हित में है, वह ज्यादा से ज्यादा पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों आदि को इसके बारे में बताएँगे। इस तरह नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी)` **(एम.आर,सी.एम)** की बात करोड़ों नागरिकों तक कुछ ही दिनों के भीतर पहुंच जायेगी|

(1.9) जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) सरकारी-आदेश कानून पुलिस में भ्रष्टाचार को कम कैसे करेगा?

अब पाठकों से मेरा <u>तीसरा प्रश्न</u> है:- अमेरिका के पुलिसवालों में भ्रष्टाचार क्यों कम है? एक और केवल एक कारण कि अमेरिका के पुलिसवालों में भ्रष्टाचार कम है, वह यह है कि अमेरिका के नागरिकों के पास अपने जिले के जिला पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) को हटाने की प्रक्रिया है, इसलिए अमेरिका में जिला पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) बहुत कम घूस लेता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि छोटे/कनिष्ठ अधिकारी बहुत ज्यादा घूस न ले। अगर अमेरिका में किसी पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) को यह पता चलता है कि उसका कोई कनिष्ठ अधिकारी घूस ले रहा है तो वो उसके खिलाफ तत्काल स्टिंग आपरेशन करवाता है, साक्ष्य इकट्ठे करता है और उसे निकाल देता है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसके नीचे काम कर रहे अधिकारी घूस लेने लगें तो नागरिक उसे निकल भी सकते हैं। लेकिन भारत में , नागरिकों के पास पुलिस प्रमुख को हटाने की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। और इसलिए यहाँ पुलिस का उच्च अधिकारी न केवल घूस लेता है बल्कि वह अपने कनिष्ठ अधिकारयों से भी ज्यादा से ज्यादा घूस वसूलने

को कहता है। एक ठेठ (टिपिकल) पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) अपने कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा जमा किए गए घूस का आधा हिस्सा खुद रख लेता है और शेष आधे हिस्से को विधायकों, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को देता है। मैंने अध्याय 2 में इसका विवरण दिया है।

अब मैंने प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना का एक प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट अध्याय 22 में तैयार किया है जो मुख्यामंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक प्रक्रिया सृजित करेगी जिसके द्वारा जिले के लोग जिला पुलिस कमिशनर को निकालने में समर्थ हो सकेंगे, यदि वे ऐसा चाहें। मैंने इस प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट को '**प्रजा अधीन पुलिस कमिश्नर (पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) को वापस बुलाने का अधिकार)** नाम दिया है। यह प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट हमारे संविधान के 33 दर्जन अनुच्छेदों में से प्रत्येक के साथ और मौजूदा सभी कानूनों के साथ शत-प्रतिशत संगत है। इस प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का विवरण इस पुस्तक में "पुलिस सुधार" से संबंधित अध्याय 22 में दिया गया है।

अब पाठकों से मेरा <u>चौथा प्रश्न</u> है: क्या भारत का कोई भी मौजूदा मुख्यमंत्री, चाहे वह कांग्रेस की शीला दीक्षित हो, या बीजेपी के मोदी हों, या सीपीएम के भट्टाचार्य हो, या डी एम के के करूणानिधि हों, क्या आज जिला पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) को बदलने के लिए जनता को समर्थ बनाने वाले किसी कानून पर कभी हस्ताक्षर करेंगे? मेरा अनुमान है -- नहीं। क्योंकि यदि नागरिकों को जिला पुलिस आयुक्त/कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया मिल जाती है तो कमिश्नर डर जाएंगे और अपनी मासिक घूस वसूली को 1 करोड़ से कम करके मात्र एक लाख रूपए कर देंगे। और तब उस स्थिति में पुलिस आयुक्त/कमिश्नर जो मासिक हफ्ता विधायक, गृहमंत्री, और मुख्य मंत्री को देते हैं वह भी कम होकर 50 लाख रूपए से मात्र 50 हजार रूपए हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान विधायक, मुख्य मंत्री आदि भी एक ऐसा कानून लागू करने से मना कर देंगे जो हम आम लोगों को जिला पुलिस कमिश्नर को बदलने की अनुमति देता हो।

लेकिन स्थिति तब बदलती है जब हम नागरिकगण किसी प्रकार प्रधानमंत्री को प्रस्तावित 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) - सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दें। मान लीजिए, नागरिकों ने प्रधानमंत्री को प्रस्तावित 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) - सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। तो कोई व्यक्ति जिला पुलिस कमिश्नर को वापस बुलाने का शपथपत्र/एफिडेविट दाखिल करेगा। ज्यादातर नागरिक यह सोचेंगे "यदि यह जिला पुलिस कमिश्नर को वापस बुलाने (हटाने) का शपथपत्र/एफिडेविट पुलिस में भ्रष्टाचार को 5 प्रतिशत तक भी कम कर देता है तो मेरा तीन रूपया खर्च करना सार्थक है।" और सबसे बड़ा कारण जो नागरिकों को जिला पुलिस कमिश्नर को वापस बुलाना पर **हाँ** दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा वह है - पुलिसवालों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध घृणा। पुलिसवाले एक महीने में लाखों रूपए बनाते हैं जबकि एक आम आदमी एक महीने में मात्र कुछ हजार ही कमा पाता है और वह भी कड़ी मेहनत के बाद। इसलिए यदि राज्य के 70 से 80 प्रतिशत नागरिक 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) के धारा 2 का प्रयोग करके हाँ दर्ज करवाते हैं तो मुख्य मंत्री डर के मारे झुक जाएगा, अपनी दिखावे की हेकड़ी छोड़ देगा और **प्रजा अधीन पुलिस कमिश्नर** (जिला पुलिस आयुक्त/कमिश्नर को वापस बुलाना) कानून पर हस्ताक्षर कर देगा। किसी सरकारी अधिकारी अथवा न्यायाधीश के अन्दर नौकरी जाने का डर सबसे अधिक होता है। इसलिए जनता द्वारा जिला पुलिस कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया प्राप्त कर

लेने के 14 दिनों के अन्दर पुलिस कमिश्नर के साथ साथ अन्य पुलिसवालों में भ्रष्टाचार 99 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। इस प्रकार 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के पारित/पास हो जाने के तीन महीने के भीतर ही पुलिसवालों में भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो जाएगा।

पुलिस प्रमुख को वापस बुलाने का अधिकार तो केवल एक शुरुआत भर है। इसके बाद वह प्रक्रिया आती है जिसके द्वारा हम आम लोग प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री, विधायकों, सांसदों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, रिजर्व बैंक के गवर्नर, स्टेट बैंक के अध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी, महापौर/मेयर, और राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों के 251 पदों के अधिकारियों को बदल सकेंगे। वापस बुलाने के किस कानून का, आप समझते हैं कि जनता विरोध करेगी? मेरा उत्तर है - एक भी नहीं। इसलिए 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) के पारित/पास होने के बाद, इस बात की बहुत अधिक उम्मीद है कि छह महीनों के भीतर नागरिकगण प्रधानमंत्री को बाध्य कर देंगे कि वह 251 से भी अधिक पदों के लिए बदलने की प्रक्रिया को लागू कर दे। और इस प्रकार इन सभी पदों से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा।

(1.10) राज्य स्तर के 'जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने की मांग मुख्यमंत्री से करना

यह सुनिश्चित करके कि मुख्यमंत्री निम्नलिखित सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर कर दे, नागरिकों को राज्य स्तर पर 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) मिल जाएगा । अब यदि नागरिकगण राष्ट्रीय स्तर के 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री को बाध्य कर सके तो यह राज्य स्तर के 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) की आवश्यकता बिलकुल नहीं होगी।

#	अधिकारी	प्रक्रिया
1	जिला कलेक्टर (अथवा उसका क्लर्क)	राज्यपाल कलेक्टर को आदेश दें : यदि एक महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता कलेक्टर को कोई सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करता है या कलेक्टर को कोई शपथपत्र/एफिडेविट देता है और प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डालने का अनुरोध करता है तो वह कलेक्टर या उसका क्लर्क एक सीरियल नंबर जारी करे और शपथपत्र/एफिडेविट को मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर 20 रूपए प्रति पेज का शुल्क लेकर डाल दे।
2	तलाटी, पटवारी, ग्राम अधिकारी	राज्यपाल पटवारी को आदेश दे : यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी(पहचान पत्र) के

	(अथवा उसका क्लर्क)	साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा खण्ड/कलम 1 में शिकायत अथवा कोई शपथपत्र/एफिडेविट दर्ज कराए तब तलाटी मुख्य मंत्री की वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। तलाटी नागरिक को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले/बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
3	(सभी नागरिकों, अधिकारियों, मंत्रियों के लिए)	यह कोई जनमत संग्रह प्रक्रिया नहीं है। हाँ या ना की यह गिनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों, न्यायाधीशों आदि के लिए कोई बाध्य नहीं होगा । यदि **XXX** करोड़ से अधिक महिला मतदाता, दलित मतदाता, वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **XXX** करोड़ भारतीय मतदाताओं में से **कोई** भी नागरिक मतदाता किसी दिए गए शपथपत्र/एफिडेविट पर हाँ दर्ज करे, तब मुख्य मंत्री उस सूचना का अधिकार आवेदन पत्र शपथपत्र/एफिडेविट पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है अथवा उसे ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ; अथवा मुख्य मंत्री इस्तीफा दे भी सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुख्य मंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

उपर्युक्त प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट में **XXX** मतदाता उस राज्य की जनसंख्या का 51 प्रतिशत के बराबर है

(1.11) शहर के महापौर/मेयर से नगर स्तरीय 'जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने की मांग करना

यह सुनिश्चित करके कि महापौर/मेयर निम्नलिखित सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर कर दे, नागरिकों के पास नगर स्तरीय 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली का अधिकार मिल जाएगा। अब यदि नागरिक राष्ट्रीय स्तर पर 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर सकें, अथवा राज्य स्तर पर 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पर हस्ताक्षर करने के लिए मुख्यमंत्री को बाध्य कर दे तो नगर स्तर पर इस 'जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) की बिलकुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि नागरिकगण अब तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को बाध्य न कर पाए हों तो महापौर/मेयर को निम्नलिखित कानून पर हस्ताक्षर करने का बाध्य करना बुरा विचार नहीं होगा।

#	अधिकारी	प्रक्रिया
1	नगरपालिका आयुक्त (कमिश्नर) (अथवा उसका क्लर्क)	महापौर/मेयर नगरपालिका आयुक्त (कमिश्नर) को आदेश देंगे : यदि एक महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता कलेक्टर को कोई सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करता है या महापौर/मेयर को कोई शपथपत्र/एफिडेविट देता है और महापौर/मेयर की वेबसाइट पर डालने का अनुरोध करता है तो वह महापौर/मेयर या उसका क्लर्क एक सीरियल नंबर जारी करे और शपथपत्र/एफिडेविट को महापौर/मेयर की वेबसाइट पर 20 रूपए प्रति पेज का शुल्क लेकर डाल दे।
2	नागरिक केन्द्र क्लर्क	महापौर/मेयर नगरपालिका आयुक्त (कमिश्नर) से नागरिक केन्द्र के क्लर्क को आदेश देने को कहेगा : यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी(पहचान पत्र) के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा खण्ड/कलम 1 में शिकायत अथवा कोई शपथपत्र/एफिडेविट दर्ज कराए तब नागरिक केन्द्र का क्लर्क उसे महापौर/मेयर की वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। यह क्लर्क नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं। बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
3	(सभी नागरिकों, अधिकारियों, मंत्रियों के लिए)	यह कोई जनमत संग्रह प्रक्रिया नहीं है। हाँ या ना की यह गिनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों, न्यायाधीशों आदि के लिए कोई बाध्य नहीं होगा। यदि **XXX** करोड़ से अधिक महिला मतदाता, दलित मतदाता, वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **XXX** लाख नागरिक मतदाताओं में से **कोई** भी नागरिक मतदाता किसी दिए गए शपथपत्र/एफिडेविट पर हाँ दर्ज करे, तब मुख्य मंत्री उस सूचना का अधिकार आवेदन पत्र शपथपत्र/एफिडेविट पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है अथवा उसे ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ; अथवा महापौर/मेयर इस्तीफा दे भी सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। महापौर/मेयर का निर्णय अंतिम होगा।

उपर्युक्त प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट में **XXX** मतदाता उस नगर की जनसंख्या का 51 प्रतिशत के बराबर है।

जिला पंचायत के लिए प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट प्राप्त करने हेतु कुछ शब्दों को बदल दें जैसे महापौर/मेयर शब्द को जिला पंचायत अधीक्षक और नगरपालिका कमिश्नर शब्द को समाहर्ता/कलेक्टर आदि से बदल दें।

(1.12) जिला पंचायत स्तर पर 'जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` का क़ानून-ड्राफ्ट

मैं भारत के सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि वे निम्नलिखित संकल्प को जिला पंचायत से पारित/पास कराने के बाद अपने जिला पंचायतों के अधीक्षक से इस पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालें:

#	अधिकारी	प्रक्रिया
1	जिला कलेक्टर (अथवा उसका क्लर्क)	पंचायत जिलाधिकारी जिलाधिकारी/डी सी को कहे : यदि एक महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता नगर आयुक्त/कमिश्नर को कोई सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करता है या कोई शपथपत्र/एफिडेविट देता है और महापौर/मेयर की वेबसाइट पर डालने का अनुरोध करता है तो वह क्लर्क एक सीरियल नंबर जारी करे और एफिडेविट को महापौर/मेयर की वेबसाइट पर 20 रूपए प्रति पेज/पृष्ठ का शुल्क लेकर डाल दे।
2	पटवारी (अथवा तलाटी अथवा ग्राम अधिकारी) अथवा उसका क्लर्क	पंचायत पटवारी से कहेगा : यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या गरीब मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी(पहचान पत्र) के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा खण्ड/कलम 1 में शिकायत अथवा कोई शपथपत्र/एफिडेविट दर्ज कराए तब पटवारी उसे कलेक्टर की वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। यह क्लर्क नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
3	नागरिक केन्द्र क्लर्क	महापौर/मेयर नगरपालिका आयुक्त (कमिश्नर) से नागरिक केन्द्र के क्लर्क को आदेश देने को कहेगा : यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी(पहचान पत्र) के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा खण्ड/कलम 1 में शिकायत अथवा कोई शपथपत्र/एफिडेविट दर्ज कराए तब नागरिक केन्द्र का क्लर्क उसे महापौर/मेयर की वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई

		कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। यह क्लर्क नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले/ बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
		हाँ या ना की यह गिनती महापौर/मेयर अथवा अधिकारियों आदि के लिए कोई बाध्य नहीं होगा। अधीक्षक/अध्यक्ष सूचना का अधिकार आवेदन पत्र शपथपत्र/एफिडेविट पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है या नहीं भी कर सकता है ; और महापौर/मेयर इस्तीफा दे भी सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।

(1.13) जनहित याचिका / पी आई एल के माध्यम से `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) लाना

जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के बारे में एक उपयोगी बात इसका सरल और लचीला होना है – अर्थात इसे एक विधान के रूप में अथवा सरकारी अधिसूचना(आदेश) के रूप में अथवा यहां तक कि इसे एक जनहित याचिका के रूप में रखा जा सकता है। वे लोग जो जनहित याचिका के बारे में उत्साही होते हैं वे जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कानून लागू करवाने के लिए जनहित याचिका फाइल कर सकते हैं। जनहित याचिका आवेदक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से निम्नलिखित आदेश जारी करने की मांग कर सकता है।

#	अधिकारी	प्रक्रिया
1	जिला न्यायालय का रजिस्ट्रार	उच्च न्यायालय जिला न्यायालयों के रजिस्ट्रार को आदेश दे: यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ/सीनियर नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता उच्च न्यायालय कोई जनहित याचिका और शपथपत्र/एफिडेविट 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क देकर प्रस्तुत करता है और जिला न्यायालय का रजिस्ट्रार शपथपत्र/एफिडेविट को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर डाल देगा।
2	तलाटी अर्थात पटवारी अर्थात ग्राम अधिकारी	उच्च न्यायालय प्रत्येक पटवारी को आदेश दे: यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ/सीनियर नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी / मतदाता पहचान पत्र के साथ आये और उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर डाले गए जनहित याचिका पर अपनी हाँ /

3		ना दर्ज कराए तब तलाटी या उसका क्लर्क उसके हां – ना को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) पावती दे। यह क्लर्क नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (**BPL**) कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
3	सभी नागरिकों को	यह कोई जनमत संग्रह की प्रक्रिया नहीं है। हाँ या ना की यह गिनती प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री, अधिकारियों, न्यायाधीशों आदि के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी।

कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका डालकर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (किसी उच्चतम न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश) से ऊपर उल्लिखित जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार और तलाटी को आदेश जारी करने की मांग कर सकता है। यदि कोई माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा किसी उच्चतम न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार आदेश पारित करता है तो चार महीने के भीतर गरीबी कम हो जाएगी और पुलिस, न्यायालय, शिक्षा आदि में भ्रष्टाचार लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा।

(1.14) उन नेताओं, बुद्धिजीवियों की निंदा कैसे करें जो जनता की आवाज का विरोध करते हैं

इसलिए, कुल मिलाकर, 'जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)' इससे ज्यादा या कम कुछ नहीं कहता - कृपया किसी नागरिक को अनुमति दें, यदि वह अपनी शिकायत प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डालना चाहता हो।

अब यदि कोई नेता अथवा कोई बुद्धिजीवी किसी भी आधार पर 'जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)' प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट के खण्ड/कलम 1 का विरोध करता है तो मेरे जैसा 'जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)' का समर्थक यह कहते हुए उस नेता, बुद्धिजीवी को गाली दे सकता है: *तुम नहीं चाहते हो कि महिला मतदाता, दलित मतदाता, गरीब मतदाता, वरिष्ठ/सीनियर नागरिक मतदाता, किसान, मजदूर आदि अपनी शिकायत प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डाले, क्यों?* और मैं उसपर महिला विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी आदि होने का आरोप लगाते हुए उसकी निंदा कर सकता हूँ। यही कारण है कि आज तक सभी बुद्धिजीवी, नेता आदि 'जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)' प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का विरोध करते हैं लेकिन किसी भी नेता, बुद्धिजीवी ने 'जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)' प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का सार्वजनिक रूप से विरोध करने का साहस नहीं किया है। इसलिए 'जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)' समर्थक कार्यकर्ता को इसी बात की जरूरत है कि वह बुद्धिजीवियों, नेताओं से 'जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)' प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट के खण्ड/कलम 1 से 3 पर अपना विचार सार्वजनिक रूप से देने को कहे और ये बुद्धिजीवी, नेता बेचैनी से हां,हूं करना शुरू कर देंगे। मैं 'जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)' समर्थक कार्यकर्ता से अनुरोध करूंगा कि वे 'जनता की आवाज (सूचना का

अधिकार 2)’ पर खण्ड/कलम -वार चर्चा करे। कृपया बुद्धिजीवी से पुछिए: आप क्यों नागरिकों की किसी शिकायत को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर आने देने की पहल किए जाने से मना करते हैं अथवा आप क्यों ‘जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)’ क़ानून-ड्राफ्ट के कलम-1 का विरोध करते हैं । यह उस नेता और बुद्धिजीवी को इस हद तक रक्षात्मक बना देगा जहां वह अपना बचाव बिलकुल नहीं कर सकता है। बाद में उसकी चुप्पी अथवा ‘जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)’ खण्ड/कलम -1 का समर्थन करने से मना करने को उस नेता, बुद्धिजीवी के समर्थकों को इस बात पर राजी करने में प्रयोग में लाया जा सकता है कि वह नेता, बुद्धिजीवी अमीरों का ऐजेंट है। कृपया ध्यान दें कि किसी नेता बुद्धिजीवी से बातचीत करने का प्रयोजन उसे इस बात पर मनाने का नहीं है कि ‘जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)’ सही है क्योंकि धनवान लोगों का कोई ऐजेंट कभी सहमत नहीं होगा। बातचीत का उद्देश्य नेता, बुद्धिजीवी को उनके भक्त समर्थकों के सामने उस नेता की सच्चाई लाने की है कि वह नेता बुद्धिजीवी अमीरों का ऐजेंट है और गरीब समर्थक, आम आदमी समर्थक नहीं है। इस प्रकार सच्चा राष्ट्रवादी आम-आदमी समर्थकों का हितैषी उस नेता बुद्धिजीवी का साथ छोड़ देगा और वह नेता, बुद्धिजीवी कमजोर हो जाएगा। और सच्चा राष्ट्रवादी और आम-आदमी समर्थकों का हितैषी ‘जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)’ का समर्थक बन जाएगा। इसलिए, समय के साथ साथ वे लोग जो ‘जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)’ का समर्थन करते हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी और बुद्धिजीवियों, नेताओं जो ‘जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)’ का विरोध करते हैं, वे कमजोर से कमजोर होते जाऐंगे।

इन कार्रवाइयों से इस बात की उम्मीद बढ़ेगी कि प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री ‘जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)’ पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होंगे।

(1.15) ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) को लाने में आप कैसे मदद कर सकते हैं

अध्याय 13, चालीस छोटे छोटे उपायों की सूची प्रस्तुत करता है जो आपका प्रति सप्ताह दो से चार घंटे से ज्यादा समय नहीं लेगा, चंदा/दान दिए बिना आपको भारत में ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) आदि क़ानून-ड्राफ्टों को लाने के उद्देश्य में मदद करेगा।

(1.16) किसी ने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा ?

नेता पूछ सकते हैं कि यदि यह तीन पंक्तियों का ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) कानून – क़ानून-ड्राफ्ट गरीबी कम कर सकता है तो पहले किसी ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? और यह सच्चाई कि किसी ने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा, इस बात को साबित नहीं करता कि ऐसा कानून हो ही नहीं सकता ?

समस्याओं के कई अन-देखे प्रतीक-चिन्ह हैं । उदाहरण के लिए रोमन और युनानवासियों ने शहरों और साम्राज्यों के लेखे रखे। ज्यामिति और तर्कशास्त्र में काफी प्रगति की लेकिन अंकगणित की खोज नहीं कर सके । इस प्रकार इनकास और माया ने कैलेण्डर बनाए, महल बनाए, पूल बनाए लेकिन पहले अंकगणित का शून्य की खोज नहीं कर सके थे । यह प्रस्तावित

‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) क़ानून-ड्राफ्ट राजनैतिक अंकगणित का शून्य है । ठीक उसी प्रकार जैसे अंकगणित का शून्य सदियों तक खोजा नहीं जा सका, उसी प्रकार ऐसा हुआ है कि राजनीतिक अंकगणित का शून्य अबतक खोजा नहीं जा सका। इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

(1.17) कैसे ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)’ राजनैतिक अंकगणित का शून्य है ?

ठीक उसी प्रकार जैसे अंकगणित का शून्य अंकगणित में कठिन से कठिन सवाल को आसान कर देता है और गणित की अन्य शाखाओं में सुधार लाना संभव बना देता है। ठीक उसी प्रकार ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) अनेक कानूनों जैसे नागरिकों और सेना को खनिज रॉयल्टी (आमदनी) , प्रजा अधीन राजा/राइट टू (भ्रष्ट को बदलने) आदि को लागू करना मामूली रूप से आसान कर देता है । यह प्रस्तावित ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) उसी प्रकार कानून बनाने के राजनैतिक कार्य को आसान बना देता है जिस प्रकार शून्य आधारभूत अंकगणितीय प्रश्नों जैसे जोड़, घटाव ,गुणा और भाग को सरल बना देता है। और ठीक उसी प्रकार जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग का सरलीकरण गणित की अन्य शाखाओं में प्रगति को कई गुना बढ़ाता है। उदाहरण के लिए XLVII और XXII को जोड़ने का प्रयास कीजिए और फिर 47 और 22 को जोड़ने का प्रयास कीजिए और आप देखेंगे कि कैसे शून्य के आविष्कार (स्थान मूल्य और चेहरा मूल्य) जोड़ को सरल कर देता है। और इसी प्रकार XLVII को XXII से गुणा करने का प्रयास कीजिए और 47 का 22 से गुणा कीजिए और इसके बाद XLV को IX से भाग दीजिए । और फिर 45 को 9 से भाग दीजिए। और ये तो केवल दो ही अंक वाले संख्या हैं। कृपया चार छह अंकों वाले रोमन संख्याओं और फिर दशमलव के साथ जोड़, घटाव, गुणा, भाग का प्रयास कीजिए।

‘जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)’ ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे अंकगणित में शून्य काम करता है। ये इस बात को सिद्ध करने अथवा सिद्ध नहीं करने के काम को आसान बनाता है कि क्या बहुमत किसी प्रस्ताव को पसन्द करेगी या इससे घृणा करेगी। और इस प्रकार यह नागरिकों के जरिए अधिकारियों पर नियंत्रण करने के कार्य को आसान बनाता है। **राजनीति यह नहीं है कि कैसे शासक नागरिकों पर शासन करेगा, यह इस बारे में है कि नागरिकों के धन को हड़पे जाने से कैसे शासक को रोका जा सकता हैं। ‘जनता की आवाज पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) ’ इस अच्छी राजनीति को आसान बनाता है।**

(1.18) सारांश

मैं यह बता चुका हूँ कि कैसे सिर्फ 3 लाइनों का ‘जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) कानून गरीबी, पुलिस में भ्रष्टाचार आदि को कम करेगा। इच्छुक अध्याय कों का पहले पृष्ठ/पेज पर दिए गए हमारे संपर्क संख्या का उपयोग करके हमसे संपर्क करने पर स्वागत है। और यदि आपको यह कानून पसंद आया है तो इस याचिका पर अवश्य हस्ताक्षर करें http://www.petitiononline.com/rti2en सबसे पहला और छोटा यह कदम इस ‘जनता की आवाज (सूचना का अधिकार 2)’ को पारित करवाने के लिए अत्यन्त

आवश्यक है। और इसके बाद अध्याय 13 जरूर पढ़े। इस अध्याय 13 में उन कार्यों की सूची दी गई है जिनका पालन एक कार्यकर्ता केवल प्रति सप्ताह अधिकतम दो से चार घंटे समय देकर इन कार्यो का अनुपालन कर सकता है। और यदि भारत भर में केवल 2 लाख लोग ही एक सप्ताह में एक बार इन कार्यो का अनुपालन करें तो भारत सुधर सकता है। कार्यों की सूची, कार्यों की सूची मात्र है जिसमें सिर्फ समय लगाना है और यह दान जमा करना बिलकुल ही नहीं है।

अध्याय 2 - अमेरिकी पुलिस में भारतीय पोलिस से भ्रष्टाचार कम क्यों है?

(2.1) यह बहुत ही रहस्य भरा प्रश्न है पर इसका उत्तर बहुत ही आसान है!!

आपने अमेरिका के अपने रिश्तेदार, मित्रों से यह अवश्य सुना होगा कि अमेरिका के पुलिस/कोर्ट में भ्रष्टाचार भारत के पुलिस/कोर्ट में भ्रष्टाचार से बहुत कम है । भारत के हरेक अनिवासी भारतीय ने इसपर पहले ही दिन से ध्यान दिया होगा । उदाहरण के लिए, जब मैं अमेरिका में था, उस समय मुझे ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर हवलदारों ने 5 बार रोका था। ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने के लिए, हवलदारों ने मुझसे 3 बार अर्थदंड/जुर्माना लिया और 2 बार मुझे क्षमा किया, परन्तु एक बार भी उन्होंने संकेत तक नहीं दिया कि घूस लेने में उनकी थोड़ी भी रूचि है । क्यों ? और यह आपके लिए अवश्य ही एक रहस्य होना चाहिए कि अमेरिका में पुलिस/जज भारत की तुलना में इतने कम भ्रष्ट क्यों है ? क्या अमेरिका की पुलिस/न्यायाधीश भारत की पुलिस/जज की तुलना में मुर्ख हैं कि वो अपने नागरिकों से घूस वसूल करने के चालाकी भरे तरीकों के बारे में नहीं सोच सकते ? नहीं, वे इतने भी मुर्ख नहीं हैं । क्या वे इतने डरपोक हैं कि वे नागरिकों के हाथ न मरोड़ सकें और उनसे घूस ना वसूल सकें? नहीं, वे उतने ही साहसी हैं जितने की भारत की पुलिस है - थोड़े भी कम नहीं । तो क्या अमेरिका के हर पुलिसवाले /जज लालच से परे हैं ? नहीं। किसी भी राष्ट्र में ऐसा नहीं हो सकता की वहाँ के लाखों व्यक्तियों में से कोई भी लालची ना हो । तो क्या अधिक वेतन प्राप्त करना ही भ्रष्टाचार इतना कम होने का एकमात्र कारण है ? अच्छा तो मान लें कि हमने भारत में अपने पुलिसवालों/जजों के वेतन इस सप्ताह दोगुने कर दिए तो क्या वे हमें अगले सप्ताह से घूस में 10 प्रतिशत की छूट देंगे? उदाहरण के लिए, वर्ष 2009-2010 में सरकार ने सभी न्यायधीशों के वेतन तीन गुना कर दिए । तो क्या जजों ने अपनी घूस खोरी में अगले दिन 10 प्रतिशत की भी छूट दी ? मेरा अनुमान है, नहीं । यदि भारत सरकार का कोई कर्मचारी यह सोचता है कि जितना वेतन उसे मिल रहा है उसे दोगुना कर दिया जाना चाहिए और इसके लिए उसे घूस लेने की जरूरत है। तो क्या वह 30 वर्ष के वेतन में आने वाले घूस के बराबर वेतन इकट्ठा करने के बाद घूस लेना बंद कर देगा? नहीं, उनमें से अधिकतर कभी नहीं बंद करेंगे। इस प्रकार, वेतन अवश्य ही एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर भारत और अमेरिका में भ्रष्टाचार के स्तर में बदलाव लाने हेतु कोई सबसे बड़ा कारक नहीं है। तो और क्या कारण हो सकता है ?

संस्कृति कारण नहीं है

क्या हमारी संस्कृति इसका कारण है? भारत के बहुत से बुद्धिजीवी (कु-बुद्धिजीवी?) के पास 4 अंकों का बौद्धिक स्तर (IQ) है और वे कहते है कि भारत में पुलिसवाले अधिक भ्रष्ट इसलिए हैं क्योंकि हम जनसाधारण अनपढ़ हैं, जागरूक नहीं हैं, हममें नैतिक सदाचार की कमी है, हमारी राजनीतिक संस्कृति बुरी है आदि । दूसरे शब्दों में, 4 अंकों के बौद्धिक स्तर (IQ) वाले इन बुद्धिजीवियों के अनुसार, हम नागरिकगण पुलिस / न्यायाधीश के भ्रष्ट होने के जिम्मेदार हैं । 4 अंकों वाले बौद्धिक स्तर (IQ) के बुद्धिजीवियों द्वारा “पीड़ितों पर ही आरोप” लगाने वाले इन तर्कों को मैं सफ़ेद झूठ कहकर अस्वीकार करता हूँ । यह बात उसी तरह चुभनेवाली लगती है जैसे कोई कहे “बलात्कार के लिए औरतें जिम्मेदार हैं” । **यह तर्क कि “नागरिकों में जागरूकता नहीं है” या “नागरिकों की सभ्यता बुरी है” बिलकुल बकवास है।** यहाँ तक कि सबसे ज्यादा अशिक्षित

व्यक्ति भी यह अच्छी तरह जानता है कि भ्रष्टाचार अनैतिक है और यह एक अपराध है । और सभी पुलिसवालों, न्यायाधीशों व मंत्रियों को यह अच्छी तरह पता है कि भ्रष्टाचार अनैतिक है, गैरकानूनी है। और यहाँ तक की जब अमेरिका में वर्ष 1800 में शिक्षा 5 प्रतिशत से भी कम थी तब भी वहाँ ऐसे भ्रष्ट पुलिस, न्यायाधीश आदि नहीं थे । इस मेरे विचार में कम शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है। “नागरिकों में जागरूकता नहीं है” यह 4 अंकों वाले बौद्धिक स्तर (IQ) के बुद्धिजीवियों द्वारा गढ़ा हुआ बिलकुल बकवास है और यह कहना कि “नागरिकों की सभ्यता बुरी है” बिलकुल सफ़ेद झूठ है। तो अमेरिका में भ्रष्टाचार कम होने का असली कारण क्या है?

हम पुलिस दल को मोटे तौर पर दो भागो में विभाजित करते है – कनिष्ठ/जूनियर अधिकारी जैसे हवलदार/दरोग़ा और वरिष्ठ/सीनियर अधिकारी जैसे जिला पुलिस आयुक्त/कमिश्नर । **अमेरिका में हवलदार शायद ही कभी घूस मांगते है क्योंकि अमेरिका में जिला पुलिस आयुक्त/कमिश्नर उनके लिए जाल बिछाते हैं ।** हवलदार जानता है की 100-500 बार कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिला पुलिस आयुक्त/कमिश्नर का बिछाया हुआ जाल है और यदि वह घूस मांगने का साहस करता है तो वह पकड़ा जा सकता है और उसे कारावास हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब मैं वर्ष 1990 से 1998 तक अमेरिका में था, उस समय मुझे ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर हवलदारों ने 5 बार रोका था। ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर हवलदारों ने मुझसे 3 बार अर्थदंड/जुर्माना लिया और 2 बार मुझे क्षमा किया, परन्तु एक बार भी उन्होंने संकेत तक नहीं दिया कि घूस लेने में उनकी थोड़ी भी रूचि है । क्यों? मुख्य कारण है कि वह जानता है कि 200 में से कोई एक ऐसा यातायात उल्लंधनकर्ता आयुक्त/कमिश्नर द्वारा बिछाया गया जाल होता है और उसे नहीं पता कि कौन सा उल्लंधन जाल है । इसलिए वह 200 मामलों में से एक में भी घूस नहीं लेता । और अमेरिका में बहुत से नोडल अधिकारी जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, जिला लोक मुकदमा/अभियोग चलाने वाला अधिकारी, राज्यपाल आदि, अधिकारियों, मंत्रियों, न्यायाधीशों के विरूद्ध जाल बिछाते हैं । समय-समय पर जाल बिछाना सभी कनिष्ठ/जूनियर स्टाफ को घूस लेने से मुक्त रखता है ।

इसलिए यह तथ्य कि “आयुक्त/कमिश्नर जाल बिछाते है” इस बात को दर्शाता है कि क्यों कनिष्ठ/जूनियर स्टाफ भ्रष्टाचार कम करते हैं । लेकिन फिर क्यों अमेरिका में पुलिस आयुक्त/कमिश्नर घूस के प्रचलन को समाप्त करने के लिए जाल बिछाते है जबकि भारत में अधिकांश पुलिस आयुक्त/कमिश्नर हवलदार को घूस वसूल करने का आदेश देते हैं ? इस अंतर का कारण क्या है? क्यों अमेरिका में भी पुलिस आयुक्त/कमिश्नर हवलदारों को घूस वसूल करने का आदेश नहीं देता? इसका एकमात्र कारण है: **अमेरिका में नागरिकों के पास मुख्य जिला पुलिस प्रमुख / डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ को निकालने की प्रक्रिया है। (अर्थात <u>राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा हटाने /बदलने की प्रक्रिया) या प्रजा अधीन राजा</u>)** । दूसरे शब्दों में, यदि अमेरिका के किसी जिले में नागरिक जिला पुलिस प्रमुख / डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ को निकलना चाहते हैं तो उन्हें डी आई जी या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के पास जाकर कोई अभियोग/मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है । अमेरिका के नागरिकों को भी उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के पास जाकर कोई बेकार की जनहित याचिका देने की आवश्यकता नहीं है । अमेरिका के नागरिकों को बस यह प्रमाणित करने की आवश्यक्ता है कि जिले के अधिकांश मतदाता पलिस आयुक्त/कमिश्नर को निकलना चाहते हैं । और यदि एक बार किसी जिला पुलिस प्रमुख/ डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ के विरूद्ध बहुमत प्रमाणित हो जाता है तो उसे निकल दिया

जाता है और किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की हिम्मत नहीं है कि वह उसके निलम्बन के निर्णय पर रोक/स्टे का कोई आदेश दे सके या उसे निलंबित करने में देरी करे। इसी तरह, यदि अमेरिका के नागरिक मुख्यमंत्री, महापौर/नगर अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश, जिला लोक अभियोक्ता/प्रोजिक्यूटर , जिला शिक्षा अधिकारी आदि को निकलना चाहें तो उन्हें विधायकों या प्रधानमंत्री या पार्टी के प्रमुख या न्यायाधीश के पास जाने की आवश्यक नहीं है - नागरिकों को मात्र उस जिले या राज्य में बहुमत की राय प्रमाणित करने की आवश्यकता है । इसलिए पुलिस प्रमुख और नोडल अधिकारी डरते है की यदि ये स्टॉफ ज्यादा भ्रष्ट हो गए तो नागरिक उन्हें निकल सकते हैं । और इसलिए पुलिस आयुक्त/कमिश्नर जैसे नोडल अधिकारी जाल बिछाते है और इसीलिए जूनियर स्टाफ़ में भ्रष्टाचार कम है ।

अब प्रश्न है कि क्या नोडल अधिकारी को इस प्रकार से निकालने की प्रणाली अर्थात प्रजा अधीन राजा/भ्रष्ट को हटाना/बदलना अमेरिकी अवधारणा/कॉन्सेप्ट है? क्या यह भारतीय विचारधारा नहीं है, जैसा कि बहुत से प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल - विरोधी बुद्धिजीवी कहते हैं? ऐसा नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश का छठा अध्याय है “राज धर्म” । इस अध्याय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया है कि नागरिकों अधिकारियों, मंत्रियों और न्यायाधीशों की शक्ति क्या हैं और उनके दायित्व क्या हैं । छठे अध्याय के पहले ही पृष्ठ में स्वामी दयानंद राज धर्म का बुनियाद स्थापित करते हैं। **स्वामी दयानन्द ने दो शब्द दिए है “प्रजा-अधीन राजा”** और इन दो शब्दों में इन्होंने अच्छी राजनीति के ऊपर 10,000 प्रस्तावों का सार दिया है और फिर वे इन दो शब्दों का विस्तार करते हैं, **“राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए नहीं तो वह नागरिकों को लूट लेगा और राष्ट्र का विनाश कर देगा”** । और उन्होंने ये श्लोक अथर्ववेद से लिए हैं । और भारत के पुलिस कमिश्नर, मंत्री, जजों आदि और अमेरिका के पुलिस कमिश्नर, मंत्री, जजों आदि के बीच सरसरी तौर पर तुलना यह दर्शाता है कि हमारे ऋषि मुनि कितने सत्य हैं जिन्होंने अथर्ववेद लिखे हैं और स्वामी दयान्द भी । अमेरिका में नागरिकों के पास जिला पुलिस प्रमुख / डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ, मुख्य मंत्री आदि को निकालने की प्रक्रिया है अर्थात वे सब पदाधिकारी प्रजा अधीन हैं और इसलिए अमेरिका में जिला पुलिस प्रमुख / डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ , न्यायाधीश, मुख्यमंत्री आदि नागरिकों को लूटते नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा करते हैं जबकि यहाँ भारत में नागरिक किसी जिला पुलिस प्रमुख/डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ , मुख्यमंत्री आदि को निकाल नहीं सकते अथवा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और इस तरह वे प्रजा अधीन नहीं हैं । और इसलिए हम देखते हैं कि यहां भारत में मंत्री व न्यायाधीश जनसाधारण को लूटने में व्यस्त रहते हैं । स्वामी दयानंद का विश्लेषण कितना उचित है --“जैसे माँसाहारी जानवर अन्य जानवरों को खा जाते हैं, उसी प्रकार कोई राजा जो प्रजा अधीन नहीं है, वह नागरिकों को लूट लेगा” । और इसलिए विश्व के सभी चीजों में से सत्यार्थ प्रकाश के यह दो शब्द स्पष्ट करते है कि क्यों अमेरिकी पुलिस में भ्रष्टाचार कम है । और मेरे लिए यह बड़ी विडंबना है कि सत्यार्थ प्रकाश के इन दो शब्द के महत्व को समझाने के लिए मुझे अमेरिका का उदाहरण देना पड़ रहा है ।

(2.2) राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा निकालने / बदलने का अधिकार) और प्रजा अधीन राजा

अब, राइट टू रिकॉल और "प्रजा अधीन राजा" कैसे सम्बंधित हैं ? **राइट टू रिकॉल का अर्थ होता है- वह प्रणाली(सिस्टम), जिसके द्वारा नागरिक किसी भी अधिकारी/ जज /मंत्री को किसी भी समय निकाल सकते हैं किसी उच्च अधिकारी के पास गए बिना ,केवल बहुमत साबित करने के द्वारा । इस तरह से उच्च अधिकारी आम नागरिकों के प्रति जवाबदार होते हैं क्योंकि अधिकारी नियुक्त करने वाले के प्रति जवाबदार नहीं, नौकरी से जो निकाल सकता है उसके प्रति जवाबदार होते हैं, उन्हीं के अनुसार और उनके लिए काम करते हैं |** राइट टू रिकॉल (और राईट टू रिकाल पर आधारित जूरी प्रणाली) एकमात्र ज्ञात प्रणाली है जो राजा को प्रजा अधीन बनाती है और इस प्रकार मंत्री, अधिकारी, पुलिस, और न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार कम करती है। बहुत सारे अन्य संस्था आधारित विकल्प प्रस्तावित हुए हैं जैसे पुलिस बोर्ड, न्याय आयोग आदि। पर वे सब बिलकुल असफल साबित हुए हैं । इस तरह की संस्थाएं भ्रष्टाचार को केवल कुछ समय के लिए रोकती हैं, उसे कम नहीं करतीं । कोई प्रणाली जो राजा को प्रजा से स्वतंत्र (निरंकुश) रखती है वह केवल भ्रष्टाचार को दूसरे हाथों में देती है, उसे कम नहीं कर सकती ।

यदि नागरिक के पास अधिकारियों, न्यायाधीशों, मंत्रियों आदि को निकालने का **सीधा** कोई मार्ग नहीं होगा, और उन्हें निकलने के लिए अन्य अधिकारियों , न्यायाधीशों ,विधायकों, सांसदों, मंत्रियों आदि से याचना करना पड़ेगा तो ऐसे में कोई नागरिक अधिकारियों, न्यायाधीशों और मंत्रियों पर नियंत्रण करने में असफल होगा । अधिकारी, मंत्री, न्यायाधीश आदि जीवन भर घूस लेंगे, अनैतिक कार्यों पर समर्थन की मांग करेंगे और नागरिकों पर अवर्णनीय/बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे। और इससे भी बुरा होगा कि वे अपने राष्ट्र को विदेशियों के हाथों बेच देंगे। अधिकारी, मंत्री, न्यायाधीश आदि चाहे वे जूनियर हों या सीनियर, आपस में "एक दूसरे को बचाने" वाला सांठगांठ बनाएंगे और इन सांठगांठ का प्रयोग करते हुए वे एक दूसरे को सुरक्षित रखेंगे । इस प्रकार, भ्रष्टाचारियों के लिए कोई दंड नहीं रहेगा और भ्रष्टाचार अनियंत्रित गति से फैलेगा। वे हमेशा "प्रमाण का अभाव" को बहाना बनाएंगे और साथी भ्रष्ट मंत्रियों, अधिकारियों, न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार का समर्थन करेंगे। नागरिकों का सीधा हस्तक्षेप मानव-जाति में ज्ञात एक मात्र प्रणाली है जो इन सांठगांठों से मुक्ति दिला सकती है ।

(2.3) प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल आधुनिक अमेरिका में

अमेरिका में हटाने/रिकॉल की प्रणाली का प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक जिले में अलग अलग है । उदाहरण के लिए लगभग 20 राज्यों में नागरिकों के पास राज्यपालों को हटाने/रिकॉल की प्रणाली है । और अनेक अन्य राज्यों में जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का प्रयोग करके हटाने का अधिकार है। अनेक राज्यों में जब वहां के संविधान के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट तैयार हो रहे थे तब राज्यपालों, न्यायधीशों आदि को प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल के सहारे हटाने का अधिकार नहीं था परन्तु बाद में नागरिकों ने राज्यपालों, न्यायाधीशों आदि को हटाने/रिकॉल की प्रणाली को जोड़ा । और अनेक राज्यों में जनमत संग्रह प्रक्रिया है। और इसलिए अमेरिका के जिन राज्यों में अभी तक हटाने/रिकॉल प्रणाली नहीं है, उन राज्यों के अधिकारी को ज्ञात है की यदि वे अभद्र

व्यवहार करेंगे तो नागरिक जनमत संग्रह प्रणाली का प्रयोग करके हटाने/रिकॉल प्रणाली लाने और उन्हें निकालने में पूरी तरह से सक्षम हैं जैसे अन्य कई राज्यों के नागरिक करते हैं। दूसरे शब्दों में, हटाने/रिकॉल का भय प्रत्येक राज्य और जिला अधिकारियों में है यहां तक कि उन राज्यों में भी जहां हटाने/रिकॉल प्रणाली अभी तक नहीं है।

सम्भवतः आपको हटाने/रिकॉल के कुछ वास्तविक उदाहरण जानने में रूचि होगी। एक उदाहरण के लिए, मै अमेरिका के एक समाचारपत्र *Palo Alto Daily* की एक खबर का लिंक दे रहा हूँ जो 4 मई 2007 के अंक में छपा था। अध्याय क पूरे लेख के लिए इस लिंक को देख सकते हैं:-

http://wwwlpaloaltodailynewslcom/article/2007-5-4-05-04-07-smc-sheriff-recall

शेरिफ मंक के खिलाफ वापस बुलाने के प्रयास शुरू होते हैं

"*सान कार्लोस* का एक निवासी *सान मैत्यो* शहर के सबसे बड़े कानून प्रवर्तन (लागू कराने वाले) अधिकारी को वापस बुलाने का प्रयास कर रहा है। *माइकल स्टोजनर* ने कहा : बृहस्पतिवार को उसने शेरीफ *जॉर्ज मंक* को वापस बुलाने के लिए सोमवार तक इस आशय की सूचना दर्ज करने की योजना बनाई है। शेरीफ *जॉर्ज मंक* 19 अप्रैल को *लासवेगास* में एक गैर कानूनी काम में पकड़ा गया था। 24 अप्रैल को दिए गए बयान में *मंक* ने कहा: उसने सोचा कि वह एक कानूनी रूप से सही व्यवसाय को देख रहा था और उसने किसी कानून को नहीं तोड़ा। लेकिन उसने किसी प्रश्न का उत्तर देने से मना कर दिया है हालॉकि *स्टॉन्जर* यह मानता है कि शेरीफ को वापस बुलाने के लिए व्यापक जनसमर्थन है, किसी *शान मात्यु* काउन्टी को वापस बुलाना एक बड़ा आदेश है। चुनाव अधिकारी का प्रवक्ता *डेविड टॉम* ने कहा: देश में दर्ज मतदाताओं के 10 प्रतिशत को रिकॉल प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन पर हस्ताक्षर करना होगा। यह लगभग 35 हजार लोगों के बराबर है------"

अमेरिका में शेरिफ का अर्थ है जिला पुलिस प्रमुख/डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ। इनमें से सभी नहीं पर 70 से 80% जिला पुलिस प्रमुख/डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ अमेरिका में जनसाधारण द्वारा चुने जाते है और बचे हुए को नियुक्त किया जाता है। चाहे चुने हुए हों या नियुक्त, अमेरिका में इन जिला पुलिस प्रमुखों को निकालने के लिए नागरिकों के पास औपचारिक और अनौपचारिक प्रणाली है। अनेक जिलों में जनसाधारण के पास महापौर, जिला-सरकार के वकील, जिला शिक्षा अधिकारी आदि को हटाने/रिकॉल करने की प्रक्रियाएं हैं। और क्या अमेरिका में नागरिकों न्यायधीशों को हटाने/रिकॉल की प्रक्रिया से हटा सकते हैं? हां, अनेक राज्यों में न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का कानून है। बहुत से मामलों के उदाहरण हैं जिनमें नागरिकों ने न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया है (http://www.judgerecall.com/) और कृपया यह *बर्किली विश्वविद्यालय* के वेबसाइट का उदाहरण देखें (http://igs.berkeley.edu/library/htRecall2003.html जहाँ से आपको कॅलीफोर्निया राज्य में हटाने/रिकॉल करने की प्रणाली के बारे में जानकारी मिल सकती है।

कैलिफोर्निया में अधिकारियों, न्यायाधीशों को वापस बुलाने के लिए तंत्र

वापस बुलाने के प्रयास में पहला कदम वापस बुलाने संबंधी याचिकाओं का वितरण है। यह प्रक्रिया वापस-बुलाने-हेतु-आशय का नोटिस की याचिका जो कि उपयुक्त कानूनी भाषा में लिखी होती है और 65 मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित होती है, को भरे जाने से शुरू होती है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वापस बुलाने संबंधी याचिका शीघ्रता से परिचालित की जा सकती है। राज्य स्तर के अधिकारियों को वापस बुलाने के लिए याचिकाओं पर उस देश में संबंधित अधिकारी के लिए हुए अंतिम मतदान के एक प्रतिशत की संख्या के बराबर मतदाता, जो 5 काउन्टियों से हों, सहित उस अधिकारी के लिए पिछले मतदान के मत के 12 प्रतिशत के बराबर संख्या में मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए(हर काउंटी से कम से कम पिछले मतदान के चुनाव के **1%** जितनी संख्या होना चाहिए)। राज्य विधायकों को वापस बुलाने के लिए याचिकाओं को उस अधिकारी के लिए हुए अंतिम मत के 20 प्रतिशत के बराबर संख्या में होना चाहिए। वापस बुलाने के लिए मतपेटी के दो भाग होते हैं –

वापस बुलाने के लिए हां अथवा नहीं मतदान और बदले में आने वाले अभ्यर्थियों जो नियमित मतदानों में नामांकन प्रक्रिया का उपयोग करके चुने जाते हैं, के नाम ---- कैलिफोर्निया में राज्य स्तरीय अधिकारियों और विधायकों के लिए वापस बुलाने का तंत्र सबसे पहले वर्ष 1911 में संवैधानिक संशोधन के रूप में सामने आया जो वहां के गवर्नर *हिराम जॉनसन* के प्रगतिवादी प्रशासन द्वारा लागू किए गए सात सुधार उपायों में से एक था। इस संशोधन का सबसे विवादास्पद प्रावधान वापस बुलाए जाने वाले राज्य अधिकारियों में न्यायाधीशों का समावेश और खासकर राज्य सर्वोच्च न्यायालय के र्न्यायाधीशों को शामिल करना था। प्रस्तावक ने इन संशोधनों का समर्थन सरकार में बेइमानी और भ्रष्टाचार से लड़ने के एक और तंत्र के रूप में किया । विपक्ष ने इसे एक ऐसा तंन्त्र कहकर इसकी आलोचना की जो अतिवादी और असंतुष्ट लोग ईमानदार अधिकारियों को तंग करने और उन्हें हटाने के लिए प्रयोग में लायेंगे । वापस बुलाने के प्रयास कैलिफोर्निया में राज्य स्तरीय चुने गए अधिकारियों और विधायकों के विरूद्ध करने के प्रयास किए गए । विगत 30 वर्षों में सभी राज्यपालों को वापस बुलाने के प्रयास का कुछ हद तक सामना करना पड़ा है । वर्ष 2003 में राज्यपाल *ग्रैन्ड डेविस* पहले राज्य स्तरीय अधिकारी बने जिन्हें वापस बुलाने संबंधी चुनाव का सामना करना पडा। राज्य विधायकों के विंरूद्ध वापस बुलाने के प्रयास मतदान करने के स्तर तक पहुंच गए और चार को वाकई वापस बुलाया गया था। सीनेटर *मार्शल ब्लैक* (*आर – शान्ता क्लाय* काउन्टी) को 1913 में वापस बुलाया गया था और इसके बाद वर्ष 1914 में सीनेटर *एडवीन ग्रान्ट (डी – शान फ्रानसीसको*) और एसेम्बली के सदस्य *पॉल होरचर (आर- लॉस ऐंजेल्स* काउन्ट) और *बोरिस एलेन (आर – औरेंज* काउन्ट) को 1995 में वापस बुलाया गया था। कैलिफोर्निया में स्थानीय सरकार के स्तर पर वापस बुलाने के कई सफल प्रयास हो चुके हैं । सामान्यत: कैलिफोर्निया में वापस बुलाने का सामान्य एतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है:

Bird, Fredrick L., and Ryan, Frances M. The Recall of Public Officers: a Study of the Operation of the Recall in California. New York: Macmillan, 1930. ; Nolan, Martin F. "The Angry Governor [Hiram Johnson]," California Journal, v. 34, no. 9 (Sept. 2003), p. 12-18. ; Spivak, Joshua. Why Did California Adopt the Recall? History News Network, Sept. 15, 2003. ; "The Recall

Amendment," Transactions of the Commonwealth Club of California, v. 6, no. 3 (July1911),p.153-225.(कृपया पूरा लेख यहां पढ़ें) - http://igs.berkeley.edu/library/htRecall2003.html

==

भारत में यदि किसी ने केवल पाठ्यपुस्तक/टेक्सटबुक माफियाओं द्वारा लिखी गई पाठ्यपुस्तक ही पढ़ी हो तो उसके लिए यह विश्वास करना असंभव होगा कि इस ग्रह पर ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ नागरिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक को बहुमत के मत द्वारा निकाल सकते हैं !! ये जनसाधारण ऐसा कैसे कर सकते हैं ? वे इनके साथ ऐसा करने का साहस भी कैसे कर सकते है? --- क्योंकि ये न्यायाधीश तो भगवन से भी उपर हैं !! कम से कम 4 अंकों वाले बुद्धि-स्तर (IQ) के बुद्धिजीवी, जो भारत में न्याय-मूर्ति-पूजक हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं । तो क्या यदि हटाने/रिकॉल कानून आता है तो क्या निरक्षरता विनाश का कारण बनेगा ? यह हटाने/रिकॉल की प्रणाली(सिस्टम) अमेरिका में वर्ष 1800 से है जब साक्षरता 10 प्रतिशत से भी कम था । तो यह तर्क देना कि- "रिकॉल भारत के लिए सही नहीं है क्योंकि अधिकतर भारतीय अशिक्षित हैं " -गलत है ।

हटाने/रिकॉल का भय *<u>एकमात्र</u>* कारण है कि क्यों अमेरिका में पुलिस प्रमुख, न्यायाधीश आदि भारत के पुलिस प्रमुखों , न्यायाधीशों आदि की तुलना में बहुत कम भ्रष्ट हैं । कृपया ध्यान दें – अन्य कोई कारण नहीं है । और मैं एक बार फिर दोहराता हूँ – **<u>अन्य कोई कारण नहीं है ।</u>** और सभी गलत तर्कों में से **सबसे बेकार तर्क है "राजनीतिक संस्कृति"** । "जागरूकता का अभाव" एक और बहुत गलत तर्क है ।

फिर, "अमेरिका की पुलिस में भ्रष्टाचार भारत की पुलिस की तुलना में इतना कम क्यों है" इस प्रश्न का उत्तर अथर्ववेद और स्वामी दयानंद जी के शब्दों में देते हुए कहा जा सकता है कि इसका कारण है कि **अमेरिका में पुलिस प्रमुख प्रजा के अधीन है जबकि भारत में कोई एक भी पुलिस प्रमुख प्रजा के अधीन बिलकुल नहीं है** । अथर्ववेद और स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते है कि यदि राजा (राज कर्मचारी जैसे पुलिस प्रमुख) यदि प्रजा के अधीन नहीं है तो वह नागरिकों को लूट लेगा । जिसे आज हम भारत में हर कहीं देख रहे हैं । अमेरिका में केवल जिला पुलिस प्रमुख / डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ, राज्यपाल, जिला न्यायाधीश, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला लोक दंडाधिकारी(District Public Prosecutor), इतना ही नहीं अमेरिका के कुछ राज्यों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक प्रजा के अधीन है और इसलिए अमेरिका के ये सरकारी कर्मचारी कम लूट मचाते हैं। और उसी अमेरिका में सीनेटर प्रजा के अधीन नहीं हैं और इसलिए सारे भ्रष्ट है । संघीय अधिकारियों द्वारा नियुक्त किये हुए राष्ट्रपति प्रजा के अधीन नहीं हैं इसलिए वे सारे भ्रष्ट है । तो अथर्ववेद जो कहता है, वह अमेरिका में बिना किसी अपवाद के लागू किया गया है । और भारत में पटवारी से लेकर उच्चतम न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक कोई भी प्रजा के अधीन नहीं है । और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उनमें से लगभग सभी भ्रष्ट हैं ।

और हटाने/रिकॉल का यह भय इतना प्रभावशाली है कि नागरिकों को इसका प्रयोग शायद ही कभी करना पड़ता है - अमेरिका में 0.05 प्रतिशत से भी कम अधिकारी को कभी हटाने/रिकॉल का सामना करना पड़ा है । हटाने/रिकॉल की प्रणाली(सिस्टम) ने यह सुनिश्चित किया है कि अमेरिकी अधिकारी भारतीय अधिकारियों की तुलना में शायद ही कभी केवल एक प्रतिशत

तक भ्रष्ट होते हैं और अपेक्षित क्षमता से काम करते हैं। वास्तव में, हटाने या रिकॉल की प्रक्रिया पुन:मतदान के दर को कम करती है क्योंकि अधिकारी अच्छा व्यवहार करते हैं और नागरिकों को शायद ही कभी उन्हें (हटाने/रिकॉल) हटाने की आवश्यकता पड़ती है ।

अमेरिका के नागरिकों के पास हटाने/रिकॉल की प्रणाली(सिस्टम) वर्ष 1800 से है । परन्तु भारत के प्रमुख बुद्धिजीवी इस बात पर जोर देते हैं कि भारतवासियों को यह प्रणाली आज वर्ष 2011 में भी नहीं दी जा सकती क्योंकि भारतवासी अमरिकी लोगों की तुलना में घटिया हैं और हम भारतवासियों की राजनैतिक संस्कृति, नैतिक मूल्य, मानसिकता आदि घटिया है !! इन प्रमुख बुद्धिजीवियों को मेरा उत्तर है *"अपने 4 अंकों के बुद्धि स्तर और अपने सभी ज्ञान के साथ भांड में जाओ"।* मेरा यह विश्वास है कि हटाने/रिकॉल की प्रणाली को लाना होगा और यह भारतीय न्याय व्यवस्था, राजनीतिक व्यस्था और प्रशासन से भ्रष्टाचार और भाई-भतीजवाद कम करने का <u>एकमात्र</u> तरीका है । इसलिए मैं भारत के नागरिकों से यह कहता हूँ कि वे प्रधानमंत्री को सरकारी अधिसूचना(आदेश) जारी करने के लिए बाध्य करें जो हमें प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों, मुख्यमंत्रियों, उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, मंत्रियों, जिला पुलिस प्रमुख/डिस्ट्रीक्ट पुलिस चीफ , भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा ऐसे लगभग 200 पदों को बदलने में समर्थ बनाएगा । प्रत्येक पार्टी के ज्यादातर सांसदों और लगभग सभी प्रमुख बुद्धिजीवियों ने हटाने/रिकॉल प्रणालियों के मेरे प्रस्ताव का विरोध किया है । और इससे मुझे और आगे बढ़ने की प्रेरणा ही मिली है ।

अब प्रश्न यह है - हम नागरिकगण भारत में प्रजा अधीन राजा/राइट टू हटाने/रिकॉल (राइट टू रिकॉल/भ्रष्ट को बदलना/हटाना) कैसे ला सकते है? इसके लिए, मैंने जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कानून के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का प्रस्ताव रखा है जिसकी चर्चा मैंने अध्याय 1 में की है ।

(2.4) भारत में प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल का संक्षिप्त इतिहास

प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का वर्णन अथर्ववेद में है । अथर्ववेद कहता है की सभी नागरिकों की जनसभा राजा को निकाल सकती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक **सत्यार्थ प्रकाश के छठे अध्याय** में राज धर्म का वर्णन किया है और प्रथम 5 श्लोकों में से एक में वे कहते हैं - **राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए** अर्थात वह हम आमलोगों पर आश्रित हो । कृपया ध्यान दीजिए - उन्होंने "अधीन" शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है पूर्णत: आश्रित और अगले ही श्लोक में महर्षि दयानंद जी ने कहते हैं यदि राजा प्रजा के अधीन नहीं है तो वह राजा प्रजा को उसी तरह लूट लेगा जिस तरह एक मांसाहारी जानवर दूसरे जानवरों को खा जाता है। और इस प्रकार वैसा राजा (जो प्रजा के अधीन नहीं) राष्ट्र का विनाश कर देगा । और महर्षि दयानंद जी ने ये दोनों श्लोक वर्षों पहले लिखे गए अथर्ववेद से लिए हैं । और यहाँ राजा में प्रत्येक राज कर्मचारी सम्मिलित है अर्थात उच्चतम न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से लेकर पटवारी तक सरकार के सभी कर्मचारी । सरकार का प्रत्येक कर्मचारी प्रजा के अधीन होना चाहिए अन्यथा वह नागरिकों को लूट लेगा । ऐसा ही वे महात्मा कहते हैं जिन्होंने अथर्ववेद लिखा और महर्षि दयानंद सरस्वती जी उन महात्माओं की बात से सहमत हैं। इस प्रकार प्रजा

अधीन राजा/राइट टू रिकॉल भारतीय वेदों के मूल में है और इस प्रकार सारी भारतीय विचारधाराओं, भारतीय मत, पंत और धर्मों ने अपनी आधारभूत भावना वेदों से ही ली हैं ।

और कृपया ध्यान दीजिए – दयानंद सरस्वती जी *संविधान-अधीन राजा* के बारे में नहीं कहते। वे प्रजा अधीन राजा/राइट टू हटाने/रिकॉल के बारे में कहते हैं। भारत में, 4 अंकों के स्तर के बुद्धिजीवियों ने हमेशा उस बात का विरोध किया जो अथर्ववेद और सत्यार्थ प्रकाश सुझाते हैं । 4 अंकों वाले स्तर के ये बुद्धिजीवी कहते हैं कि राजा और राज कर्मचारी अर्थात सरकारी कर्मचारियों को प्रजा के अधीन कदापि नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें **केवल** *संविधान-अधीन* अर्थात किताबों के अधीन जैसे संविधान के अधीन होना चाहिए। *संविधान-अधीन राजा* अर्थात *संविधान-अधीन* मंत्री, *संविधान-अधीन* अधिकारी, *संविधान-अधीन* पुलिसवाले और *संविधान -अधीन* न्यायाधीश की पूरी संकल्पना ही एक छल है क्योंकि तथाकथित *संविधान* की व्याख्या को न्यायाधीशों, मंत्रियों आदि द्वारा एक मोम के टुकड़े की तरह तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है। *संविधान* की पूरी संकल्पना एक राक्षसी विचार है जिसे केवल भ्रम पैदा करने के लिए ही सृजित किया गया है ।

(2.5) पूरे विश्व में प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल का संक्षिप्त इतिहास

प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का प्रयोग यूनान में वर्ष 500 ईसा-पूर्व में किया गया था । यूनान के लगभग प्रत्येक नगर में यह प्रणाली थी जिससे नागरिक सभा करके राजा को निकल सकते थे । यहाँ तक कि मेसीडोनिया का शक्तिशाली सिकंदर, जिसने यूनान और सिंधू के सभी राजाओं को हराया था, वह भी नागरिकों द्वारा निकाले जाने के दायरे में था !! इस बात का कोई ज्ञात अभिलेख/रिकॉर्ड नहीं है कि क्या इस प्रक्रिया/तरीके का प्रयोग कभी किसी राजा को निकालने के लिए किया गया था? – ऐसा इसलिए था कि प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल एक ऐसा भय पैदा करता है जो राजा को सही व्यहार करने के लिए बाध्य करता है, और उसे निकालने के लिए इस कानून का प्रयोग करने की शायद ही कभी होती है।

अब प्रत्येक राष्ट्र की तरह यूनानी राष्ट्रों को एक और भी मुद्दे का सामना पड़ा – **क्या हो यदि राजा स्वयं अभद्र आचरण ना करे परन्तु उसका कोई कर्मचारी अभद्र व्यवहार करे?** किसी अधिकारी द्वारा सत्ता का दुरूपयोग जैसे छोटे हरेक मामले पर सभी हजारों नागरिकों की सभा बुलाना बहुत ही महंगा और समय बर्बाद करने वाला काम है। और यदि राजा और वरिष्ठ/सीनियर अधिकारियों को, कनिष्ठ/जूनियर अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार दे दिया जाता है तो जूनियर अधिकारी केवल अपने सीनियर अधिकारियों की बात सुनेंगे, नागरिकों की नहीं । तो प्राचीन यूनान के नागरिकों ने अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए एक अत्यधिक कुशल तरीके का प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट बनाया । प्रत्येक बार जब किसी अधिकारी पर अपराध का आरोप लगता था तो यह तय करने के लिए किन्हीं 50 नागरिकों को चुना जाता था जो यह निर्णय लेते थे कि क्या अधिकारी को निकलना है/दंड देना है । और अनियमित तरीके से चुने गए ये नागरिक सर्वोत्तम संभव और कम भाई-भतीजेवाद से प्रभावित, राष्ट्र के सभी नागरिकों की इच्छा के प्रतिनिधि समझे जाते थे(जो ठीक ही था)। और यदि अधिकारी सीनियर है तो उस मामले में निर्णय देने के लिए बिना अनियमित/क्रम-रहित तरीके से 100 नागरिकों को चुना जाता था और यदि वह और अधिक सीनियर है तो 200, 300, 400 या 500 नागरिकों को बुलाया जाता था । सबसे बड़ा निर्णायक-मंडल 500 नागरिकों का था । और उसके ऊपर सभी

नागरिकों की सभा होती थी । इसी प्रणाली ने पश्चिम में जूरी व्यस्था को जन्म दिया, एक ऐसी प्रणाली जिसका अभिलेख/रिकॉर्ड प्राचीन चीन अथवा भारत आदि में कभी नहीं मिला । **काफी हद तक "जूरी की सुनवाई द्वारा अधिकारियों को निकलने का अधिकार" "प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल स्पष्ट बहुमत द्वारा" की ही तरह है (**जिसमें स्पष्ट बहुमत के वोट के द्वारा ऐसा किया (निकला) जाता है)।

बाद में जूरी व्यस्था का प्रयोग आम नागरिकों पर सुनवाई के लिए भी किया जाने लगा। यूनानवासी यह (ठीक ही) विश्वास करते थे की सुनवाई यदि जूरी द्वारा की जाए तो इसमें राजा या नियुक्त किए गए जज द्वारा सुनवाई किए जाने की तुलना में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की सम्भावना कम है और इसलिए यूनान में महत्वपूर्ण सुनवाई हमेशा जूरी के निर्णय से तय होती थी । उदाहरण के लिए *सुकरात* को फांसी देने के दंड का निर्णय एथेंस के 500 नागरिकों की जूरी ने दिया था । जूरी-मंडल इस बात पर आस्वस्त थे कि *सुकरात* के उपदेश एथेंस से प्रजातंत्र/डेमोक्रेसी को पलटने और अनेक एथेंसवासियों की हत्या करने जैसी उसके अनुयायियों (जैसे *क्रिटियस*) की कार्रवाईयों के लिए जिम्मेदार है । और इस तथ्य ने कि *सुकरात* ने प्रजातंत्र/डेमोक्रेसी को पलटने और प्रजातंत्र के अनेक समर्थकों की हत्या करने जैसे अपने अनुयायियों के कार्यों की कभी आलोचना नहीं की, एथेंसवासियों को *सुकरात* के विरूद्ध और अधिक क्रोधित कर दिया। इसके अलावा एथेंसवासियों का यह भी मानना था की यदि कोई नागरिक एथेंस की रक्षा के लिए सेना में शामिल होकर सेवा नहीं करेगा तो उसे नर्क में भगवान दंड देंगे । *सुकरात* युवाओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये धारणा बकवास हैं और अनेक एथेंसवासी इस बात पर आश्वस्त हो गए कि *सुकरात* यह सब एथेंस की सेना को कमजोर कहने के लिए कह रहा है । सुकरात को पहले एथेंस छोड़ने के लिए कहा गया, परन्तु जब *सुकरात* ने एथेंस छोड़ने से मना कर दिया तो उसकी सुनवाई 500 एथेंसवासियों की जूरी द्वारा हुई। जूरी-मंडल के लगभग 340 सदस्यों ने *सुकरात* के लिए फांसी का दंड सुनाया और 160 सदस्यों ने अर्थ दंड/जुर्माना लगाने का मत दिया पर फांसी की सजा नहीं सुनाई । सुनवाई के बाद भी, *सुकरात* को एथेंस छोड़ने का विकल्प दिया गया परन्तु *सुकरात* ने नहीं जाने का मन बनाया । उम्र-दराज और थकेहारे सुकरात ने संभवतः स्वाभाविक मृत्यु ,जो कुछ वर्षों में आने वाली थी, की तुलना में फांसी पर चढ़ने में अधिक यश और गौरव समझा । और इस प्रकार 500 जूरी के निर्णय पर अमल किया गया । एथेंस और बहुत से यूनानी राष्ट्रों में सभी महत्वपूर्ण निर्णय सीधे नागरिकों द्वारा दिए गए न की नियुक्त किए गए न्यायाधीशों द्वारा।

रोमवासियों में साधारण लोगों की सभा(Assembly of Plebeians) सर्वशक्तिमान थी – और वे सीनेट/राज्यसभा से भी अधिक शक्तिशाली थे । सिद्धांत रूप में, साधारण लोगों की सभा के पास कानून लागू करने और यहाँ तक कि राजा को भी हटाने का अधिकार था । लेकिन चूंकि प्रक्रिया- संहिता यह थी कि "साधारण लोगों में से प्रत्येक को एक निश्चित स्थान पर आना होगा", इसलिए सभी के स्वयं आने की असंभाव्यता/संभावना न होने की स्थिति ने साधारण लोगों की सभा को महत्वहीन बना दिया । जब जनसँख्या अधिक हो तो "प्रत्येक नागरिकों का एक निश्चित स्थान पर आना" व्यवहारिक विकल्प नहीं है। और एक ऐसी व्यस्था अपनानी चाहिए जिसमें प्रत्येक छोटे क्षेत्र के लिए एक बूथ बनाई जाए । लेकिन रोमवासी बूथ व्यवस्था के बारे में नहीं सोच सके और न ही रोम के उच्च वर्ग ने बूथ व्यस्था की अनुमति दी और इस प्रकार "साधारण लोगों की सभा" एक (*संभारतंत्रीय अव्यवहार्य*) बूथों की कमी के कारण

अव्यवहारिक विचार बनकर रह गया। रोमवासियों ने उच्च वर्ग के लिए जूरी व्यस्था का प्रयोग अवश्य किया और जनसाधारण के किसी मामले का निर्णय जज करते थे। परन्तु रोमवासी जजों का चुनाव करते थे जिससे अन्याय कम हुआ करता था। कुल मिलाकर, रोमवासियों के पास प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल नहीं था, परन्तु न्यायधीशो/जजों के चुनाव ने एक अत्यन्त सीमित हद तक उन्हें राइट टू रिकॉल प्रदान किया।

तथाकथित काले/अंधेर युग में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल और जूरी व्यस्था दोनों लुप्त हो गए थे। लगभग वर्ष 700 में, इस्लाम के आक्रमणों के कारण, यूरोप में पुजारियों और राजा के पास आम लोगों को बड़ी संख्या में अस्त्र-शस्त्रों से लैस करने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा था। और इसलिए नागरिकों को अधिक से अधिक हथियार प्राप्त हुए। हम आम लोगों को हथियार से लैस करना और आम लोगों द्वारा हथियारों का बनाना ही लोकतंत्र की जननी/पैदा करने वाली है। आम लोगों को हथियारलैस बनाने से आम लोग इतने मजबूत हो जाते हैं कि वर्ष 950 में इंग्लैण्ड के लोगों ने राजा को *कोरोनर* की जूरी के रूप में जूरी प्रणाली लागू करने पर मजबूर कर दिया जिसमें अनियमित तरीके से चुने गए 12 नागरिक किसी नागरिक की हत्या करने के दोषी पुलिसवाले को निकाल सकते थे। बाद में यह *कोरोनर जूरी प्रणाली* इतना लोकप्रिय हो गया कि नागरिकों को यह विश्वास हो गया कि न्यायाधीशों/जजों द्वारा की गई सुनवाई की तुलना में जूरी द्वारा की गई कार्रवाई में भाई-भतीजावाद कम होता है। जूरी द्वारा सुनवाई किए जाने की मांग बढ़ती गई और न्यायाधीशों द्वारा की गई सुनवाई या तो कम होती गई या उसका अन्त ही हो गया और वर्ष 1100 आते आते नागरिकों ने इंग्लैण्ड के राजा को *मैग्ना कार्टा* पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। इस *मैग्ना कार्टा* में राजा को यह वचन देने पर मजबूर किया गया कि जूरी से अनुमोदन/स्वीकृति लिए बिना वह और उसके अधिकारी नागरिकों को दण्ड नहीं देंगे और जूरी के पास अधिकारियों को निकालने/अर्थ दण्ड देने का अधिकार आ गया। इसलिए वर्ष 1200 के आते आते इंग्लैण्ड में कनिष्ठ/जूनियर/छोटे अधिकारियों पर "जूरी प्रणाली से राइट टू रिकॉल" लागू हो चुका था।

अमेरिका वह पहला देश था जहां राइट टू रिकॉल का चलन पूरी तरह से हुआ। *मैसाचूसेट्स* में पहला पुलिस कमिश्नर/शेरिफ का कार्यालय जो स्थापित हुआ था, उसमें राईट टू रिकाल था लेकिन यह अत्यन्त अनौपचारिक रूप से घोषित किया गया था। अमेरिकावासियों द्वारा वर्ष 1770 में इंग्लैण्डवासियों को निकाल बाहर करने का एक प्रमुख कारण यह था कि ब्रिटिश राजा अमेरिकी कॉलोनियों में जूरी प्रणाली और राइट टू रिकॉल नहीं चाहते थे। 1770 इस्वी में स्वतंत्र होने के बाद राज्यों और जिलों में औपचारिक कानून लिखा जाना प्रारंभ हुआ। अनेक राज्यों ने पुलिस प्रमुखों, स्थानीय न्यायाधीशों और राज्यपालों के लिए राइट टू रिकॉल कानून प्रारंभ किया। लेकिन यह राइट टू रिकॉल संघ स्तर(देश स्तर पर) पर लागू नहीं किया गया। क्यों? उस समय, तथाकथित अमेरिकी संघीय सरकार (केन्द्रीय सरकार) को केवल सेना और विभिन्न राज्यों के बीच के संबंधों को चलाने का काम था और इसलिए अमेरिका की स्थापना करने वाले पितामहों ने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति, सीनेटरों और संघीय न्यायाधीशों/जजों के हाथों में कभी इतनी शक्तियां होंगी। इसलिए किसी ने भी राष्ट्रपति, सीनेटरों, संघीय न्यायाधीशों/जजों और संघीय अधिकारियों पर राइट टू रिकॉल लागू करने की बात कभी नहीं सोची। यही कारण है कि अमेरिका के ये सभी संघीय अधिकारी पूरी तरह भ्रष्ट हैं लेकिन उसी अमेरिका में राइट टू रिकॉल के अधीन आने वाले अधिकारी जैसे पुलिस प्रमुख,

राज्यपाल, स्थानीय न्यायाधीश आदि कम भ्रष्ट हैं। **इसलिए यह कोई संस्कृति या राजनीतिक संस्कृति या राष्ट्रीय चरित्र नहीं है – यह राइट टू रिकॉल का लागू होना या न होना है जो यह निर्णय करता है कि कोई अधिकारी कितना भ्रष्ट होगा।**

कार्ल मार्क्स और *एंजेल्स* ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन किया। *कार्ल मार्क्स* को *फ्रेडरिक एंजेल्स* द्वारा दी गई (1991) प्रस्तावना फ्रांस में गृहयुद्ध 1871 http://wwwlmarxistslorg/archive/marx/works/1871/civil-war-france/postscriptlhtm में उद्धरण है —

"बिलकुल प्रारंभ से ही सर्वसाधारण(Commune) इस बात को मानने के लिए बाध्य था कि यदि मजदूर वर्ग इस बार सत्ता में आ जाता है तो वह पुराने राज्यतंत्र के प्रबंधन तरीकों से नहीं चलेगा अर्थात अभी-अभी जीते गए एकमात्र राज्य/ सत्ता को फिर से नहीं खोने के उपाय के रूप में इस मजदूर वर्ग को - एक ओर उन सभी कुचलने वाले तंत्रों, जो पहले उसके ही खिलाफ प्रयोग में लाए जाते थे - का खात्मा करना होगा और दूसरी ओर इसे अपने ही सरकारी अधिकारियों से अपने आप को बचाना होगा। **ऐसा उन्हें (अधिकारियों को) बिना किसी अपवाद के , किसी भी समय वापस बुलाए जाने के अध्यधीन घोषित करके करना होगा।** पूर्ववर्ती राज्यों के विशिष्ट वे कौन से लक्षण थे ? समाज ने अपने सार्वजनिक हितों की देखभाल के लिए मजदूर के आम विभाजन के जरिए अपना तंत्र सृजित किया था लेकिन इस तंत्र ने, जिसके शीर्ष पर राज्य की शक्ति थी, समय बीतने के साथ अपने विशेष हितों के अनुपालन में अपने आप को `समाज का नौकर` से रूपांतरित कर `समाज का मालिक` बना दिया। उदाहरण के लिए, इसे न केवल वंशानुगत राजतंत्र में देखा जा सकता है बल्कि ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य में भी देखा जा सकता है........."

लेनिन और *जोसेफ स्टॉलिन* ने भी राइट टू रिकॉल का समर्थन किया था । *जोसेफ स्टॉलिन* ने वर्ष 1937 में इंग्लॅण्ड, यूरोप, और अमेरिकी प्रजातंत्र/डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि इनके यूरोप में रिकॉल की प्रणाली (भ्रष्ट को हटाने की प्रणाली) नहीं है । और *स्टॉलिन* ने यह दावा किया था कि सोवियत का प्रजातंत्र/डेमोक्रेसी श्रेष्ठ है क्योंकि सोवियत प्रजातंत्र/डेमोक्रेसी के पास स्थानीय निचली संसद के अधिकारी (डिप्टी) स्तर पर रिकॉल की प्रणाली है । **स्टॉलिन ने वर्ष 1937 में कहा था** :

"इसके अलावा, कामरेडों, मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा, एक प्रत्याशी की उसके मतदाताओं को सलाह। यदि तुम पूंजीवादी देशों का उदाहरण लोगे तो तुम विशेषकर पाओगे कि, और मैं अवश्य कहूंगा कि उन देशों में अत्यंत विचित्र संबंध प्रतिनिधियों और मतदाताओं के बीच मौजूद है। जब तक चुनाव की कार्रवाई चल रही होती है तबतक प्रतिनिधि मतदाताओं को रिझाते हैं, उनकी खुशामद करते हैं, कृतज्ञता की सौगंध खाते हैं और हर तरह के वायदों का ढेर लगा देते हैं। ऐसा लगता है मानों ये प्रतिनिधि मतदाताओं पर पूरी तरह आश्रित हैं । जैसे ही चुनाव खत्म होता है और ये प्रत्याशी प्रतिनिधि बन जाते हैं तो संबंधों में पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। मतदाताओं पर निर्भर होने की बजाए ये प्रतिनिधि पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं। अगले चार या पांच वर्षों के लिए, अर्थात अगले चुनाव तक ये प्रतिनिधि जनता से और अपने मतदाताओं से भी स्वतंत्र, बिलकुल उनमूक्त महसूस करते हैं । वे एक पार्टी/दल से दूसरे पार्टी/दल में जा सकते हैं। सही रास्ते से गलत रास्ते पर जा सकते हैं। वे यहां तक कि ऐसे

मशीनी तरीकों/साजिशों में लिप्त हो जाते हैं जो चटपटे नहीं होते । वे जितनी चाहे उतनी कलाबाजियां खा सकते हैं। वे स्वतंत्र जो हैं। क्या ऐसे संबंध सामान्य माने जा सकते हैं । कामरेडों, नहीं, किसी भी तरह से नहीं।

यह परिस्थिति हमारे संविधान द्वारा विचार के लिए ली गई थी। ***और इसमें एक कानून बनाया गया था कि मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को उसके पद की अवधि समाप्त होने के पहले ही तब वापस बुलाने, राइट टू रिकॉल का अधिकार होगा*** *जब ये प्रतिनिधि तिकड़मबाजी करना शुरू कर दें, यदि वे रास्ते से भटक जाएं और यदि वे भूल जाएं कि वे जनता पर, मतदाताओं पर निर्भर हैं ।“*

मैं महाँन *स्टॉलिन* का प्रशंसक हूँ, क्योंकि उसने एक विशाल सेना का निर्माण किया था जिसने वर्ष 1940 में रूस की रक्षा *हिटलर* से और बाद में वर्ष 2000 में *जॉर्ज बुश* और *टोनी ब्राउन* से की थी । परन्तु *स्टॉलिन* का राइट टू रिकॉल प्रणाली एक पूर्ण परिहास था --- किसी भी नागरिक को, जो राइट टू रिकॉल की मांग करता था, को या तो कारावास या यहां तक कि फांसी भी दी जा सकती थी। इसलिए जहां एक ओर *स्टालिन* ने सिद्धांत रूप में राइट टू रिकॉल का समर्थन किया वहीं व्यावहारिक रूप में उसने इसका विरोध किया था। साथ ही उसका यह बताना कि पश्चिम में राइट टू रिकॉल नहीं है, गलत था।(अलग से: मैं यह दोहराना चाहूँगा कि मैं *स्टालिन* का प्रशंसक हूँ क्योंकि उसने एक सेना, हथियार बनाने के कारखाने और परमाणु हथियारों का निर्माण किया जिससे रुस की रक्षा हुई। *स्टॉलिन* के सेना को सुदृढ़ करने का तरीका वह एकमात्र कारण हैं जिसके कारण अमेरिका और इंग्लैण्ड ने आज भी रुस को एक इराक बनाने का साहस नहीं किया है।)

(2.6) आधुनिक भारत में राइट टू रिकॉल

भारत में एम एन रॉय ने 1946 में लिखी अपनी पुस्तक “द क़ानून-ड्राफ्ट कान्सटिट्यूशन ऑफ इंडिया” में प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन किया। भारत की दो प्रमुख कम्यूनिस्ट पार्टी/दल सी पी आई और सी पी एम अपने भाषणों में वर्ष 1950 के दशक से ही वापस बुलाने के अधिकार अर्थात प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल की मांग करते आ रहे हैं। और भारत में 960 से भी अधिक पंजीकृत पार्टी/दल हैं जिनमें से तीन सौ से अधिक पार्टी/दल प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं। जय प्रकाश नारायण 1950 के दशक से ही प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल की मांग करते रहे और 1970 के दशक में उन्होंने अपनी मांग तेज कर दी थी। जनता पार्टी के 1977 के चुनाव घोषणापत्र, जिसपर मोरारजी देसाई, अटल बिहारी बाजपेई और लाल कृष्ण आडवानी आदि सरीखे नेता चुनाव लड़े, की मुख्य मांगों में से एक प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल की मांग थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने असंख्य बार प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन किया है। और उनके द्वारा इसके लिए समय आने पर कार्रवाई न करना निराशाजनक है। उदाहरण के लिए, 1977 में, बहुत बड़े अंतर से संसद का चुनाव जितने के बाद यदि जय प्रकाश 500,000 युवाओं को संसद को घेरने और तबतक सांसदों से बाहर आने नहीं देने को कहते जबतक कि वे प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून को लागू न कर दें, तो भारत को तीन ही दिनों में प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून मिल गया होता । लेकिन जयप्रकाश ने कभी भी युवाओं से ऐसा आह्वान नहीं किया ।

वर्ष 2004 में भी जब सी पी आई/सी पी एम के 60 सांसद थे तब भी उन्होंने अपने प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर मतदान की मांग नहीं की।

और भारतीय सांसदों और उम्मीदवारों में से किसी ने भी (मुझे छोड़कर) कभी प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट प्रस्तुत नहीं किया। मई 2009 में संसद के चुनाव में 5000 से ज्यादा उम्मीदवार थे। लालू यादव जैसे कईयों ने कहा कि वे प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं एकमात्र उम्मीदवार था जिसने उस प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानूनों का प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट दिया जिसका मैं समर्थन करता हूँ । सी पी आई और सी पी एम के सांसदों ने उन प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल प्रक्रिया/तरीकेओं के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट उपलब्ध कराने से हमेशा इनकार किया जिनका वे समर्थन करते हैं। जय प्रकाश नारायण ने 25 वर्षों में कभी प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट नहीं दिए और हमेशा प्रारूपों पर चर्चा को टालते रहे। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे जय प्रकाश नारायण के अनुयायी दावा करते हैं कि वे प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं लेकिन जिन कानूनों का समर्थन करने का वे दावा करते हैं उनके प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट देने से इन्होंने मना कर दिया। सोमनाथ चटर्जी पिछले 25 वर्षों से सांसद रहे हैं और 25 वर्षों से इन्होंने प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन किया है लेकिन जिस प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून का ये समर्थन करते हैं उसका प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट को इन्होंने कभी आत्मसात नहीं किया। **मरे विचार में, ये सभी प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट रहित नेता झूठे, जालसाज, धोखेबाज और ढोंगी हैं।**

1990 तक, समाचारपत्रों के स्तंभलेखक, पाठ्यपुस्तकों के माफिया और मीडिया के मालिकों ने यह तय कर दिया कि समाचार पत्रों और पाठ्यपुस्तकों में प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल पर कोई जानकारी बिलकुल ही नहीं है। आज, शायद ही कोई युवा यह जानता है कि प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का मतलब क्या है और यहां तक कि राजनीति शास्त्र के स्नातकोत्तर/एमए भी नहीं जानते कि अमेरिका के नागरिकों के पास पुलिस प्रमुख और न्यायाधीशों के विरूद्ध प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल है। यहां तक कि जय प्रकाश नारायण के समर्थकों ने भी 1980 के बाद व्यवहारिक तौर पर प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल की अनदेखी करना शुरू कर दिया।

भारत में धनवान व्यक्ति प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल से अत्यंत घृणा करने लगे। अब अधिकांश बुद्धिजीवी धनवान लोगों के ऐजेंट हैं और इसलिए सभी बुद्धिजीवियों ने भी प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्रियों, न्यायाधीशों के विरूद्ध प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का विरोध किया । इस हद तक कि भारत के इन बुद्धिजीवियों ने अपने स्तंभों और पाठ्यपुस्तकों में इन समाचारों को भी लिखने से इनकार कर दिया है कि अमेरिका के नागरिकों के पास जिला पुलिस प्रमुखों और न्यायाधीशों को निकालने की प्रक्रिया/तरीके है। यह सोचकर कि ऐसे न हो कि ये जानकारी से समाचार पाठक और छात्र प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल के बारे में सोचने लगें । अधिकांश सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, सेनानिवृत्त न्यायाधीशों आदि जिनसे मैं मिला हूँ , उन्होंने प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का विरोध किया है और सबसे ज्यादा नुकसान किसी और ने नहीं बल्कि जय प्रकाश नारायण ने किया है जिन्होंने हमेशा स्वयं को प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल के समर्थक होने का दिखावा किया लेकिन जब जनता पार्टी के उनके अपने आदमी वर्ष 1977 में सत्ता में थे तब प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट प्रस्तावित करने से मना कर दिया ।

जब मैंने भारत में 13 जुलाई 1999 को प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून प्रारूपों/ड्राफ्टों का प्रचार – प्रसार शुरू किया तों मैने पाया कि युवाओं में से लगभग किसी को भी प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । यह विशेष रूप से मेरे 8-10 समाचार पत्रों के विज्ञापनों, 100000 पर्चियों (पम्फलेटों) के वितरण, 1000000 से भी ज्यादा ई-मेल भेजने और इंटरनेट समुदायों में 10 हजार बार लिखने के कारण है कि 13 जुलाई, 2010 तक भारत में लगभग 50 हजार से 1 लाख लोग यह जान पाए कि प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्रियों, न्यायाधीशों के विरूद्ध प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल क्या है। इस 50 हजार से 1 लाख लोगों में से कई लोगों ने इस खबर को आगे फैलाना शुरू कर दिया और भारत के 60 वर्षों के इतिहास में मैं पहला और एकमात्र चुनावी उम्मीदवार था जिसने प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानूनों के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का प्रस्ताव किया है जिसकी मैं मांग कर रहा हूँ और वायदा करता हूँ । मैं नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि वे उन नेताओं से प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानूनों के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट की मांग करें जो प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थक होने का दावा करते हैं। इस अनुरोध से बचने या इसकी अनदेखी करना यह साबित कर देगा कि वे वास्तव में प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन नहीं करते और वे केवल पांचवीं सदी के यूनानी चिकित्सक की ही तरह हिपोक्रैटिक हैं।

कुल मिलाकर, समकालीन भारत में अर्थात वर्ष 2010 में मैं उन कुछेक राजनीतिज्ञों में से हूँ जो प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल की जानकारी फैला रहे हैं। यदि मेरा तरीका सही है तो जल्दी ही नया आने वाला हरेक राजनीतिज्ञ प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का समर्थन करने को बाध्य होगा और इससे भारत में प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का आना सुनिश्चित होगा।

(2.7) भारत में राइट टू रिकॉल / प्रजा अधीन-राजा प्रणाली (सिस्टम) की संवैधानिक वैधता

भारत में बुद्धिजीवी इस बात पर जोर डालते है की राइट टू रिकॉल असंवैधानिक है !! सातवें अध्याय में मैंने सरकारी अधिसूचना(आदेश) का प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट प्रदान किया है जिसका प्रयोग करके नागरिक सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज(उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश) को बदल सकते हैं । आज तक किसी भी बुद्धिजीवी को प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ने और मुझे बताने का समय नहीं मिला कि मेरे प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना(आदेश) का कौन सा खण्ड संविधान का उल्लंघन करता है !! या ऐसा हो सकता है जो प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट मैंने अपनी वेबसाइट पर दिया है उन्होंने उसे पढ़ा हो पर जो मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से दिया है या मेल भेजकर दिया है, उन्हें उसमें कुछ असंवैधानिक नहीं मिल पाया हो और इसलिए वे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट को <u>पढा ही नहीं</u> है। जो भी हो, **हम नागरिकों ने संविधान लिखा है और हम नागरिक ही निर्णय लेंगे की क्या संवैधानिक है और क्या नहीं । और इसलिए मेरा लिखा प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट संवैधानिक है या नहीं इसका निर्णय भारत के नागरिक लेंगे ना कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज।**

<u>क़ानून संवैधानिक है या नहीं इसका निर्णय करने का भारत में तरीका क्या है?</u>

1)भारतीय सरकार कोई भी क़ानून बना सकती है |

2)यदि कोई क़ानून को असंवैधानिक होने का दावा करता है तो उसे उच्चतम न्यायालय या उच्च नयायालय के न्यायाधीशों को उसे रद्द करने के लिए कहना पड़ेगा |पहले न्यायाधीशों को कोई क़ानून संवैधानिक/असंवैधानिक पर सहमत होते हैं , फिर नागरिकों को निर्णय लेना होगा | यदि नागरिक बहुमत न्यायाधीशों से असहमत होते हैं तो , वे सांसदों से न्यायाधीशों को हटाने के लिए कह सकते हैं और उनके बदले किसी और न्यायाधीश को रखने के लिए कह सकते हैं जो उनके बहुमत के अनुसार निर्णय बदल दे|

`पारदर्शी शिकायत प्रणाली` और प्रजा अधीन प्रधानमंत्री का हर खंड संविधान के अनुच्छेद भाषण की स्वतंत्रता से आता है

(2.8) क्या आधुनिक अमेरिका में राइट टू रिकॉल / भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार अथर्ववेद से आया ?

क्या आधुनिक अमेरिका में राइट टू रिकॉल अथर्ववेद से आया ? अमेरिका और यूरोप में प्रजातंत्र/डेमोक्रेसी और राइट टू रिकॉल से जुड़े हुए अधिकतर राजनीतिक विचार तब आए जब अँग्रेज़ों ने भारत में कदम रखा और उन्होंने संस्कृत में लिखे मूलग्रंथों को देखा । और वर्ष 1757 में इन विचारों में तब तेजी आई जब रोबर्ट क्लाइव ने सिराज-उद्दौला को हरा दिया और कोलकाता और भारत के अन्य शहरों से दस हजार से भी ज्यादा संस्कृत की प्राचीन पुस्तकों को खरीदकर या उन्हें जब्त करके उन्हें जहाज में भरकर इंग्लैण्ड भेज दिया। लगभग वर्ष 1758-60 में बहुत सारे पुस्तक इंग्लैण्ड से अमेरिका भेज दिए गए। और 1760 के दशक की शुरूआत में अमरिका में प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल सामने आया । अब मेरे पास इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि अमेरिका के राजनीतिक विचारकों ने प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का विचार संस्कृत के ग्रंथो से लिया। पर लागू होने का काल इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती ।

(2.9) राइट टू रिकॉल की मेरी खोज और अथर्ववेद (सत्यार्थ प्रकाश)

मुझे वर्ष 1987 में IITD में अपने आर्य समाजी साथी से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिला जब हमदोनो एक ही कमरे में रहते थे । उस पुस्तक का एक श्लोक कि “राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए” मेरे दिल को छु गया और हमेशा के लिए मेरे ह्रदय में रह गया । पर क्योंकि मैं अपनी पढाई और परीक्षा आदि में इतना व्यस्त हो गया कि कुछ वर्षों में मैं भूल गया कि मैंने इस श्लोक को सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा है ।फिर 1990 में मैं अमेरिका चला गया और मैंने देखा की पुलिसवाले, कनिष्ठ/जूनियर अधिकारी आदि यहां वास्तव में भ्रष्ट नहीं हैं । मैंने इसका कारण ढूंढना शुरू किया। उन दिनों वहाँ भी कोई इंटरनेट नहीं था, और पता लगाने के लिए मैं 100 से भी अधिक ग्रन्थालय गया और मैने अनेक नगर-बैठकों में हिस्सा लिया । लगभग 7 वर्षों के बाद वर्ष 1997 में मुझे इस सच्चाई का पता लगा कि अमेरिका के नागरिकों के पास किसी भी जिला पुलिस प्रमुख को निकालने की प्रणाली है और तभी “राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए” की सूक्ति मेरे मन में अचानक आई और तुरंत ही मुझे यह बात समझ आई कि अमेरिका के पुलिस में भ्रष्टाचार इतना कम क्यों है । परन्तु उस समय 1997 में मुझे यह स्मरण नहीं हो रहा था कि मैंने यह वाक्य कहाँ और किस पुस्तक में पढ़ा है । वर्ष 2009 में मैं

परम पूजनीय बाबा रामदेव जी के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के साथ जुड़ा और भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को राइट टू रिकॉल का प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट दिखाया । भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के अनेक कार्यकर्ताओं ने कहा कि राइट टू रिकॉल का विचार सत्यार्थ प्रकाश के विचार से पूरी तरह मिलता है । और वर्ष 2010 में मैंने सत्यार्थ प्रकाश एक बार फिर पढ़ी और मुझे याद आया की मैंने यही पुस्तक वर्ष 1987 में पढ़ी थी और जो राइट टू रिकॉल के मेरे विचार को आगे बढ़ा रही है ।

तो हाँ, सत्यार्थ प्रकाश के छठे अध्याय के पहले पृष्ठ में उल्लिखित यह वाक्य कि "राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए" बहुत हद तक मुझे इसे समझने और प्रजा-अधीन राजा/राइट टू रिकॉल प्रणाली का प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट लिखने की प्रेरणा दे रहा है ।

अध्याय 3 - `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` पर कुछ और बातें

(3.1) `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` में बाद में जोड़े गए अंश जो इसे सुरक्षित बनाते हैं

आगे चलकर, इस प्रस्ताव में निम्नलिखित विशेषताएं/अच्छाइयां जोड़ी जाएंगी जिसके गुण फर्जी मतदान को कम करने और इस तर्क का जवाब देने के लिए काम आएंगे कि इसमें फर्जी मतदान होगा और इसलिए इस प्रक्रिया/तरीके को कभी अस्तित्व में नहीं आने देना चाहिए–

1. नागरिकों की अंगुलियों के निशान (फिंगर प्रिंट्स) कम्प्यूटर में होंगे ताकि कम्प्यूटर अंगुलियों के निशान का उपयोग मतदान करने वाले मतदाता की पहचान के लिए कर सके।
2. पटवारी का कम्प्यूटर एक कैमरे से जुड़ा होगा ताकि वह नागरिकों की तस्वीर और फिंगर-प्रिन्ट को स्कैन कर ले और इसे स्टोर करके हां-नहीं रसीद पर डाल दे। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति बहुत से हां-नहीं दर्ज करेगा तो उसकी पहचान करना और उसे गिरफ्तार करना संभव हो जाएगा।
3. नागरिक को एक पासबुक दिया जाएगा जिसमें उसके द्वारा दर्ज किए गए सभी हां-नहीं की सूची होगी । इसलिए यदि कोई अन्य व्यक्ति फर्जी रूप से स्वयं को वह नागरिक बताकर हां-नहीं दर्ज करता है तो उस नागरि-मतदाता को पता चल जाएगा।
4. प्रत्येक नागरिक को हर महीने एक विवरण-पत्र मिलेगा जिसमें उसके द्वारा पिछले छह महीने में दर्ज किए गए हां-नहीं की सूची होगी । इसलिए यदि किसी फर्जी व्यक्ति ने हां-नहीं दर्ज कराया है तो विवरण से असली मतदाता नागरिक को इसका पता चल जाएगा।
5. यदि कोई नागरिक चाहे तो वह अपना मोबाइल फोन नम्बर दर्ज करा सकता है और जब भी वह हां-नहीं दर्ज करेगा, उसे एक एसएमएस प्राप्त होगा । इस तरह, यदि कोई ढोंगी व्यक्ति उसका छद्म रूप बनाकर हां-नहीं दर्ज कराता है तो उस नागरिक को इस बारे में तुरंत पता चल जाएगा।
6. यदि नागरिक चाहे तो वह अपना ई-मेल पता दर्ज करा सकता है और जब भी वह हां-नहीं दर्ज करेगा , उसे ईमेल संदेश प्राप्त होगा। इस तरह यदि कोई ढोंगी व्यक्ति छद्म रूप से उसका वेश बनाकर हां-नहीं दर्ज कराता है तो उस नागरिक को इस बारे में तुरंत पता चल जाएगा।

ये सब कार्य हां-नहीं दर्ज कराने के कार्य को बैंकिंग से भी ज्यादा सुरक्षित बना देंगे। इन सुरक्षा उपायों से फर्जी मतदाता पांचवे अथवा छठे प्रयास तक पकड़ लिया जाएगा। और इससे फर्जी मतदान की संख्या में कमी आ जाएगी। अब “हां-नहीं का एक प्रतिशत फर्जी हो सकता है और इसलिए सभी 72 करोड़ मतदाताओं को हां-नहीं दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए”, यह एक ओछा तर्क होगा।

(3.2) क्या नागरिक हजारों बार केवल हां-नहीं ही दर्ज करवाते रहेंगे?

जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली - सरकारी अधिसूचना(आदेश) के लिए प्रत्येक शपथपत्र अथवा प्रत्येक प्रस्तावित कानून पर हां-नहीं दर्ज कराने की जरूरत नहीं है और नागरिकों से ऐसी आशा भी नहीं की जाती है और न ही इसका मतलब है कि सांसद, विधायक कोई और कानून नहीं बना सकते – वे ऐसा कर सकते हैं जैसा कि वे अभी करते हैं। जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली - सरकारी अधिसूचना(आदेश) का अर्थ केवल यह है कि **यदि कोई नागरिक किसी कानून के संबंध में सरकारी वेबसाइट पर हां-नहीं दर्ज कराना चाहता है तो सरकार उसका रास्ता नहीं रोकेगी और सरकार उसकी हां-नहीं सरकारी वेबसाइट पर दर्ज कर लेगी ।** अपने सभी लोग यहां के हजारों कानूनों में से सभी कानूनों पर हां-नहीं दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ प्रतिशत लोग लगभग 100-200 कानूनों पर हां-नहीं दर्ज कर सकते हैं और कुछ प्रतिशत लोग डी.वी.ए ,498 ए आदि कानूनों के लिए काफी उंचे जा सकते हैं । यह कुछ प्रतिशत हां अथवा नहीं उस कानून के पक्ष में अथवा विपक्ष में एक शक्तिशाली आन्दोलन तैयार कर सकता है। **जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली - सरकारी अधिसूचना(आदेश) केवल एक अतिरिक्त राय का सृजन करता है ।** नागरिकगण अधिकांश कानूनों के लिए विधायकों, सांसदों पर निर्भर हो सकता है और किन्हीं कानूनों को रद्द करने की मांग कर सकता है लेकिन कई बार ऐसा होता है जब सांसद विधायक सूनने से मना कर देते हैं उदाहरण के लिए नागरिकों की बहुमत चाहती है कि 498 ए और डी वी ए रद्द हो जाए लेकिन सांसद, विधायक इस कानून पर अड़े हैं क्योकि यह कानून पुलिसवालों को बहुत घूस/रिश्वत दिलवाता है और विधायकों, सांसदों को आई पी एस अधिकारियों के जरिए इन घूसों में हिस्सा मिलता है। इसी प्रकार लगभग सभी आम लोगों की ही तरह मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जजों, प्रोफेसरों, पुलिसवालों और छात्रों के भारतीय प्रबंधन संस्थान में भर्तियों के दौरान साक्षात्कार/इंटरवू पर रोक होनी चाहिए। लेकिन सभी सांसद, विधायक और बुद्धिजीवी वैसे कानून पर अड़ जाते हैं जो साक्षात्कार को बढ़ावा देते हैं । वे लोग साक्षात्कारों का समर्थन करते हैं क्योंकि यह उन्हें घूस/रिश्वत वसूल करने में मदद करता है, उनके संबंधियों को भर्ती में फायदा पहुंचाता है और मेधावी लेकिन “वैचारिक असुविधाजनक “ वाले लोगों को निकाल बाहर करता है। यही वह समय होता है जब यदि नागरिकों के पास कानूनों पर हां-नहीं दर्ज कराने की प्रक्रिया/तरीके का विकल्प होता है तो वे इसका प्रयोग करने में समर्थ होते हैं ।

(3.3) क्यों प्रमुख बुद्धिजीवी इस `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) - सरकारी अधिसूचना(आदेश) की मांग का विरोध करते हैं?

जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली सरकारी अधिसूचना(आदेश) की इस मांग के लिए हजारों-करोड़ों रूपए की जरूरत नहीं और न ही इसके लिए हजारो स्टाफ़ को काम पर लगाने या हजारों भवन अथवा सड़क की जरूरत है। और नागरिकों द्वारा बताए हुए हमारे संविधान के अनुसार मुख्य मंत्री को इस

परिवर्तन को लाने के लिए विधायकों के अनुमोदन/स्वीकृति की भी जरूरत नहीं पड़ती । तो भी सभी दलों के सांसद और सभी प्रमुख बुद्धिजीवी इस प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना(आदेश) के दुश्मन हैं। सभी दलों के नेताओं ने इस प्रस्ताव से घृणा किया और और उनके मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री ने इस सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर करने की हमारी मांग पूरी न करने की कसम खाई हुई है। भारत के सभी प्रमुख बुद्धिजीवियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और प्रधानमंत्री एवं मुख्य मंत्रियों से इस जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर न करने को कहा है । आखिर क्यों?

परिवर्तन की प्रक्रिया तब मूर्त रूप लेती है जब करोड़ों नागरिक बदलाव चाहते हैं और रोके से नहीं रूकते जब इन सभी करोड़ों नागरिकों को पता होता है कि करोड़ो साथी नागरिक उनके साथ हैं।

मैं अपने इस वाक्य को दोहराता हूँ क्योंकि ये वाक्य उन सभी बड़े बदलाव का *आधार---* है जिन्हें नागरिकों ने पिछले 3000 वर्षों में लाया है।

“यह बदलाव की प्रक्रिया तब होती है जब करोड़ों नागरिक सहमत हो जाते हैं और उन करोड़ों नागरिकों को यह पता होता है कि साथी करोड़ों नागरिक उनके साथ सहमत हो गए हैं ”

करोड़ों नागरिक का यह जानना कि करोड़ों साथी नागरिक क्या चाहते है, यही राजनीतिक अंकगणित का शून्य है। ये बुद्धिजीवी और पत्रकार हमेशा हरेक आम लोगों को सन्देश देने की कोशिश करते रहते हैं कि वह अकेला है और बाकी करोड़ों आम आदमी जागरूक नहीं हैं और सो रहे है । यह जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली न केवल लोगों को किसी प्रस्तावित बदलाव के लिए हां/ना दर्ज करने को अधिकार देता है बल्कि यदि करोड़ों लोग बदलाव लाने पर सहमत हो गए हैं, तो उन सबको पता चल जाता है कि करोड़ों अन्य लोग भी बदलाव चाहते हैं। यह मीडिया मालिकों को यह अफवाह फैलाने का मौका नहीं देता कि लोग परवाह नहीं करते। जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली मीडिया मालिकों की करोड़ों नागरिकों की प्राथमिकताओं की छवि को तोड़ मरोड़कर पेश करने की ताकत कम कर देता है।

मैं प्रजा अधीन राजा समूह के सदस्य के रूप में यह शपथ लेता हूँ कि किसी भी पार्टी के लिए 5 वर्षों तक मुफ्त में प्रचार करूँगा और कर अदा की हुई अपनी गाढ़ी कमाई का 10 लाख रुपया खर्च करूँगा उस पार्टी के अभियान के लिए कि प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कानून पर हस्ताक्षर करे। **मैं इस जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली चाहता हूँ। चुनाव जीतना मेरा लक्ष्य नहीं है |** मैं नहीं चाहता लोग मुझे वोट देने की तकलीफ उठाएं – मैं नागरिकों से केवल यही चाहता हूँ कि वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों से इस सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर करने की मांग करें। मैं लोगों से प्रजा अधीन राजा समूह के किसी उम्मीदवार को वोट देने को तब कहूंगा यदि और केवल यदि वो सचमुच जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी

शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली चाहते हैं और वे इस बात से संतुष्ट हों कि अन्य दलों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इसपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली हमारी प्रजा अधीन राजा समूह के राजनीतिक आन्दोलन का केंद्र है जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना चाहता है और हमारी प्रजा अधीन राजा समूह का दावा है : - नागरिकों द्वारा प्रधानमंत्री को जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने के बाद सिर्फ 4 महीनों के अन्दर गरीबी कम हो जाएगी और पुलिस, न्यायालय और शिक्षा से भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो जायेगा और नागरिकों द्वारा प्रधानमंत्री को जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने के 10 वर्षों के अन्दर भारत प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और सेना के मामले में पश्चिमी देशों के समकक्ष आ जाएगा।

मैं अपने इस दावे को एक बॉक्स में दोहराता हूँ :

`जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` का मेरा दावा :- नागरिकों द्वारा प्रधानमंत्री को जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने के बाद सिर्फ 4 महीनों के अन्दर गरीबी कम हो जाएगी और गरीबी से होने वाली मौतें नगण्य हो जाएंगी और भारत के पुलिस, न्यायालय और शिक्षा में भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो जायेगा: और नागरिकों द्वारा प्रधानमंत्री को जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने के 10 वर्षों के अन्दर भारत प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और सेना के मामले में पश्चिमी देशों के समकक्ष आ जाएगा।

3.4) नागरिकों से हमारा अनुरोध

हम लोग सभी नागरिकों से निम्न प्रार्थना करते है :-

1. कृपया कुछ समय निकालकर जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रस्ताव पढ़ें जिसे मैंने प्रस्तावित किया है

2. कृपया जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली का अनुवाद अपनी मातृभाषा में करें जिस से यह सुनिश्चित हो सके कि आप जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं

3 अगर आप जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली से नफरत करते है तो आप जा सकते हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है - **मेरे सभी प्रस्ताव जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर आधारित हैं।**

4 जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट अगर आपको पसंद है, तो -

- अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भाजपा के मुख्यमंत्रियों से जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने को कहें।
- अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कांग्रेस के प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्रियों से जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने को कहें
- अगर आप सीपीएम के समर्थक हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सीपीएम के मुख्यमंत्रियों से जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने को कहें।
- अगर आप बीएसपी के समर्थक हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप बीएसपी के मुख्यमंत्रियों से जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने को कहें।
- आप जिस भी पार्टी के समर्थक हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उस पार्टी के नेताओं से जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का समर्थन करने को कहें।

अगर ये सभी जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने से मना कर दें तो मैं प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्रियों को जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाने का अनुरोध करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रजा अधीन राज समूह के उम्मीदवार को वोट दें।

(3.5) `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` और नौकरियों में आरक्षण

मैं कुछ वर्षों से इस प्रस्ताव का प्रचार करता रहा हूँ जो लोगों को अधिकार देता है कि वे सरकारी वेबसाइट पर लिख सकें। मैं ऊँची जाति के अनेक युवाओं से एक वैध/जायज प्रश्न सुनता हूँ कि ‘क्या **जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली से** आरक्षण में वृद्धि नहीं होगी? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति इस सरकारी अधिसूचना(आदेश) का इस्तेमाल करके ज्यादा आरक्षण कि मांग नहीं करेंगे? इसका उत्तर है – नहीं। वास्तव में, इससे आरक्षण कम होगा, क्योंकि दलित जाति के गरीब, अनुसूचित जाति के गरीब और पिछड़ी जाति के गरीब लोग “आर्थिक विकल्प बनाम आरक्षण” कानून का समर्थन करेंगे जिसका प्रस्ताव मैने ‘राजा अधीन प्रजा समूह का आरक्षण के मुद्दे पर विचार/स्टैण्ड’ अध्याय में किया है। इस कानून के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह आरक्षण के बदले 600 रुपये प्रति वर्ष ले सकता है। इसलिए यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के 80% व्यक्ति आर्थिक/पैसे की मदद लेते हैं तो कुल आरक्षण 50% से कम होकर 10% रह जाएगा। इस अध्याय में प्रस्तावित कानून को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के उन 80% से ज्यादा लोगों का समर्थन मिलेगा जो गरीब हैं और 12 कक्षा तक भी नहीं पंहुच सकते और इससे जाति आधारित कुल आरक्षण में कमी आएगी। इसलिए यदि कोई यह चिंता करता है कि जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली से आरक्षण बढ़ेगा, तो वह गलती पर है। इस प्रकार, जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली हमें “आर्थिक विकल्प बनाम आरक्षण” की ओर ले जाएगा जिससे आरक्षण में कमी आएगी।

(3.6) क्यों हम पहले कदम के रूप में `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` जैसे छोटे परिवर्तन की मांग कर रहे हैं?

मेरे अंतिम उद्देश्य आम जनता को खनिज रॉयल्टी दिलाना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दिलाना है, इत्यादि। लेकिन मेरी पहली मांग बहुत छोटी है – हम सर्वसाधारण लोगों को हाँ-ना दर्ज कराने का अधिकार मिले और वह भी ऐसे कि हाँ-ना का कोई कानूनी वजन नहीं है, इसलिए हालांकि हमारे कार्यसूची में अन्य शासनिक बदलाव शामिल हैं तो भी मेरी पहली मांग बहुत छोटी (मामूली) है । मैं नागरिकों से इस मामूली से बदलाव के लिए क्यों कह रहा हूँ ?

क्योंकि यदि हम नागरिक किसी बड़े बदलाव की मांग करेंगे तो हमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बुद्धिजीवियों को वर्षों का समय देना पड़ेगा। यदि सर्वसाधारण बड़े बदलाव की मांग करता है जैसे रोजगार या गरीबी का पूर्ण उन्मूलन अथवा इसी प्रकार के बदलाव, तो इससे नेता को स्वत: ही महीनों और वर्षों का समय लेने का बहाना मिल जाएगा। इन लम्बे वर्षों में मुख्यमंत्री, बुद्धिजीवी कुछ भी नहीं करेंगे और हमारा लम्बा समया बेकार हो जाएगा । साथ ही जब कोई नेता किसी छोटे बदलाव से मना करता है तो कार्यकर्ताओं के लिए उसके विरूद्ध आन्दोलन के

लिए लोगों को इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। नेताओं से बड़े बदलाव के लिए न कहकर छोटे बदलाव के लिए कहें और जब नेता, बुद्धिजीवी उस छोटे बदलाव को लागू करने से मना करता है तो नि:स्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए आम लोगों और आम लोगों के समर्थकों को इस बात पर संतुष्ट करना संभव हो जाएगा कि नेता,उच्चवर्गीय लोग और बुद्धिजीवी भ्रष्ट हैं।

(3.7) क्या अमीर लोग हमारे नागरिकों को खरीदने में सफल नहीं हो जाएंगे?

एक प्रश्न जिसका सामना मुझे अक्सर करना पड़ता है - क्या अमीर लोग हमारे नागरिकों को खरीदने में सफल नहीं हो जाएंगे?

इसे एक उदाहरण से समझिए , मान लीजिए मैं एक सरकारी अधिसूचना(आदेश), विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम 2005 को रद्द करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मान लीजिए भारत में 72 करोड़ मतदाता हैं । इस प्रकार प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना(आदेश) को सफल होने के लिए लगभग 37 करोड़ नागरिक मतदाता से हां की जरूरत पड़ेगी । निश्चित तौर पर सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोग यह सुनिश्चित करने के लिए सैंकड़ो करोड रूपए खर्च करने का निर्णय कर सकते हैं कि इस प्रस्ताव को 37 करोड़ हां न मिल सके । क्या उनका रूपए मदद करेगा?

1 अब यदि यह प्रस्ताव 38 करोड़ नागरिकों के कानों तक पहुंचने में असफल रहता है तो यह असफल होगा लेकिन सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोगों के रूपए के कारण कदापि नहीं।

2 यदि यह प्रस्ताव 10 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचता है और उन्होंने हां दर्ज करने से मना कर दिया तो यह असफलता सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोगों के कारण नहीं मिली।

3 मान लीजिए कुछ प्रस्ताव 50 करोड़ से 70 करोड़ मतदाताओं तक पहूंच ही गया । मान लीजिए लगभग 45 करोड़ मतदाताओं ने हां दर्ज करने का निर्णय लिया अर्थात सेज अधिनियम रद्द किया जाये ।

4 अब सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोगों **के लिए क्या यह संभव हो पाएगा कि वे 50 अथवा हजार रूपए** या कुछ भी खर्च करें ताकि लगभग चार करोड़ मतदाता हां दर्ज न करें ?

मान लीजिए कि सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोग यह देखते हैं कि लगभग 40 करोड़ नागरिक सेज रद्द करो के प्रस्ताव पर हां रजिस्टर करने वाले हैं । मान लीजिए सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोग 5 करोड़ मतदाताओं को घूस/रिश्वत देने का निर्णय करते हैं और उन्हें हां दर्ज न करने को कहते हैं । मान लीजिए वे प्रति मतदाता 100 रूपए देने का प्रस्ताव देते हैं । यदि वे ऐसा करते हैं तो प्रत्येक नागरिक 100 रूपए की मांग करेगा और इसलिए सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोगों को सभी 75 करोड़ नागरिकों को 100-100 रूपए देने होंगे और इस प्रकार उनका 7200 करोड़ रूपया खर्च हो जाएगा। पर क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। नहीं ! मान लीजिए सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोग 72 00 करोड़ रूपए खर्च करते हैं और आम लोगों को इस प्रस्ताव पर हां दर्ज करने से रोकने में सफल हो जाते हैं तो मुझे बस इतना भर करने की जरूरत है कि

मैं अपने मित्रों में से एक मित्र को कहूँगा कि वह सेज अधिनियम 2005 को खत्म करो का प्रस्ताव कुछ शब्दों को बदलकर प्रस्तुत कर दे । अब लोगों को इस नए प्रस्ताव पर हां दर्ज करना है आखिरकार यह एक नया प्रस्ताव है। पहले प्रस्ताव के लिए खर्च किया गया पैसा गिनती में नहीं आएगा। इसलिए सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोगों को 7200 करोड़ रूपए फिर से देना होगा ।यदि वे ऐसा कर भी लेते हैं तो मैं अपने एक और मित्र को कुछ शब्दों को बदलकर एक तीसरा प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कह सकता हूँ। अब या तो इस तीसरे प्रस्ताव पर नागरिक हां दर्ज करेंगे अथवा सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोगों से एक और सौ रूपए की मांग करेंगे । कुछ ही महीने में सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोग पीढ़ियों से जमा किए गए धन और सम्पत्ति से हाथ धो बैठेंगे। भारत में सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोगों की पूरी दौलत 100000000 करोड़ रूपए से ज्यादा नहीं होगी यदि वे आम जनता हितैषी और सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोगों के विरोधी प्रस्ताव को प्रति मतदाता सौ रूपए खर्च करके रोकने का निर्णय करते हैं तो लागत प्रति प्रस्ताव 7200 करोड़ रूपए होगी और छह महीने के भीतर 2000 ऐसे प्रस्ताव जिसमें मुझे और मेरे दास्तों को केवल 20000 रूपए की लागत आएगी, दर्ज करने से सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोगों का सारा धन छह से आठ महीने के भीतर उड़ जाएगा। उच्चवर्गीय लोग *हानि-लाभ का ध्यान रखकर* काम करते हैं । वे लोग इस प्रकार अपना धन बरबाद नहीं करेंगे जिससे कुछ ना मिले। दूसरे शब्दों में, `जनता की आवाज` यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों को दिया गया घूस/रिश्वत पैसे को बरबाद करता है और इसका कोई लाभप्रद नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए किसी व्यक्ति का यह दावा करना कि जनता की आवाज कोई ऐसी चीज है जिसे सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) समर्थक उच्चवर्गीय लोग खरीद सकते हैं, केवल यही दर्शाता है कि वह व्यक्ति अर्थात जीवन की गणित से निराशाजनक रूप से अनजान/अनभिज्ञ है । `जनता की आवाज` धन की ताकत का रोग प्रतिरोधक है क्योंकि यह नागरिकों को किसी प्रस्ताव को बार-बार और बार-बार दर्ज करने का विकल्प देता है और इस प्रकार बार-बार और बार-बार पैसा जमा करता है। निश्चित रूप से यह व्यवहारिक नहीं है।

(3.8) भारत के अमीर वर्ग की गलतफहमी से उनके जनसाधारण-समर्थक कानूनों का विरोध

भारत बहुराष्ट्रीय कंपनी का दास या गुलाम बनने की रह पर है| पहले से ही बहुराष्ट्रीय कंपनी 50% या अधिक तो कामयाब (सफल) हो गयी है| बहुराष्ट्रीय कंपनी ने पूरी तरह से भारत को प्रौद्योगिकी/तकनीकी क्षेत्र में उनपर निर्भर बना दिया है , कृषि या खेती में आंशिक रूप से एवम रक्षा, सैन्य और युद्ध क्षेत्र में अपने ऊपर पूरी तरह से आश्रित या आधीन कर लिया है|

भारत में पैसेवाला विशिष्ट वर्ग का बहुमत ,आम नागरिको का अहित करने वाले कानूनों जैसे कि `पारदर्शी शिकायत प्रणाली के बिना जन-लोकपाल` का समर्थन करके तथा `भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी में से निकालने की प्रक्रिया` (राइट टू रिकोल)(चैप्टर 6 देखें) का विरोध करके, कोर्ट, न्यायलय/कोर्ट में आम नागरिकों द्वारा भ्रष्ट को सजा देने का अधिकार (ज्यूरी सिस्टम)(चैप्टर 21 देखें), `नागरिक और सेना के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)`(चैप्टर 5 देखें) का विरोध करके बहुराष्ट्रीय कंपनी की यह दासता (गुलामी) आगे बढा रहे हैं|

हम मानते हैं की भारत में ऊपर का 5% पतिशत, पैसेवाला ,विशिष्ट वर्ग का बहुमत यह सब भारत के गरीब लोगों को दबाकर रखने के लिए कर रहा है जिससे उन पैसे वाले लोगों को सस्ते दाम पर काम या नौकरी करने वाले लोग मिलें और उनका शोषण कर सके जिससे उनकी आने वाली पुश्तें आराम से जी सकें लेकिन पैसेवाला बहुमत वर्ग की यह सोच एक दम गलत है और ये उनकी गलतफहमी है ये दिखाना चाहेंगे |

चलिए दो स्थितियों के बारे में बात करते हैं -

(1) अगर भारत में ऊपर का 5% पतिशत पैसेवाला,विशिष्ट वर्ग का बहुमत आम नागरिक के हित करने वाले कानूनों का समर्थन करे-

इस परिस्थिति में भारत के सामान्य नागरिकों को शक्ति मिल जायेगी और भ्रष्टाचार तथा गरीबी कम हो जायेगी| इस परिस्थिति में पैसेवालों को कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा | उनकी जीवन शैली वेसी ही रहेगी | **कोई भी पैसेवाला गरीब लोगों का शोषण किये बिना भी अपनी समृद्ध जीवन- शैली जी सकती है |** अंबानी सात माले के अपने महेल में ही रहेंगे सिर्फ उनको थोडा सा ही टेक्स ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि संपत्ति कर तथा एम.आर.सी.एम. के कानून आ जाएँगे| उनको बडी आसानी से नौकरी करने वाले लोग मिल जायेंगे ,सिर्फ अंतर यही होगा की वो बहुत सस्ता/कौडियों के मोल नहीं मिलेगा | ज्यूरी सिस्टम तथा राईट टू रिकोल न्यायाधीश, मंत्रियो, पुलिस पर आने से कोर्ट के हालात में सुधार होगा | वो आम नागरिकों का शोषण नहीं कर पाएंगे लेकिन उनकी अमीरी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा |

(2) अगर भारत में ऊपर 5% पतिशत पैसेवाला,विशिष्ट वर्ग का बहुमत आम नागरिक के हित करने वाले कानूनों का विरोध करते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनीओ द्वारा हो रही लूट को सक्रीयता/निष्क्रियता से समर्थन करेगा तो भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गुलाम हो जायेगा-

भारत फिर से गुलाम हो जायेगा| बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अंग्रेजों की तरह ही भारत को लूटेंगी| गरीब और गरीब हो जायेगा | लाखों लोग मर जायेंगे | लेकिन यह बहुराष्ट्रीय कंपनी अधिकतर अमीर लोगों को भी नहीं छोड़ेंगी | बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अमीर लोगो की कोई सगी नहीं हैं कि उनको छोड़ दे| अगर भारत फिर से बहुराष्ट्रीय कंपनीओ का गुलाम बन गया तो **वो किसी भी समय अंबानी की सात माले के महल छीन सकती हैं और वो अंबानी को मजबूर करेगी की उनको ज्यादा कर/टैक्स भरना पड़े | पैसा ही अपराधियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी का जाति या धर्म है |** भारत में रोजगार बिलकुल भी न मिले ऐसा हो सकता है , अराजकता में इतनी वृद्धि होगी कि ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलेगा, कोर्ट तथा पुलिस बहुराष्ट्रीय कंपनी की गुलाम बनकर कुछ कानून और व्यवस्था संभाल नहीं पाएगी | सब जगह गुंडा-राज होगा और अधिकतर पैसे वाले लोगों को ही उसमें ज्यादा भुगतना पड़ेगा क्योंकि उनके पास पैसा है |

इस तरह जनसाधारण-समर्थक कानूनों का विरोध करके, और जनसाधारण को कमजोर बनाकर ,भारत के पैसे वाले लोग बहुराष्ट्रीय कंपनीओ के दोस्त बन रहे हैं, लेकिन यह दोस्ती ज्यादा नहीं चलेगी| **जैसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनीओ के पास सेना, पुलिस तथा कोर्ट पर नियंत्रण आ जायेगा तो इन पैसे वाले लोगों को भी लूट लेंगे और कमजोर सेना और आम नागरिक भी देश**

की रक्षा नहीं कर पाएंगे | क्या यह पैसे वाले लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खुदको लुटने से बचा पाएँगे ? क्या एक आध परिवार के अलावा कोई बच पाएगा ? कोरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलिपाईन्स, इराक इसके जिवंत उदाहरण हैं जहा पर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अमीर तथा गरीब किसी वर्ग के लोगों को नहीं छोड़ा |

पहले अंग्रेजों ने `फूट डालो और राज करो` की निति अपनाई, अभी यह बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत के अमीर तथा गरीब वर्ग के बीच में वो ही निति अपना रहे हैं |

अभी यह भारत के अमीर लोगों पर है की वो कौन सी परिस्थिति देखना चाहते हैं तथा वो आम-नागरिक-समर्थक सामान्य कानूनों जैसे कि पारदर्शी शिकायत प्रणाली/सिस्टम (चैप्टर 1), `नागरिक और सेना के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)`(एम.आर.सी.एम)., राईट टू रिकोल(आम नागरिकों का भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)(चैप्टर 6) के क़ानून-ड्राफ्ट , ज्यूरी सिस्टम (भ्रष्ट को सज़ा देने का आम नागरिकों का अधिकार) (चैप्टर 7,21) का विरोध या समर्थन करते हैं |

नोट - हमें कोई भी अमीर से या किसी और से ,किसी भी प्रकार के दान की आवश्यकता नहीं है | सिर्फ सभी लोगों का कुछ समय चाहिए ये सब कानूनों का प्रचार करने के लिए | हम दान के सख्ती से खिलाफ हैं |

<u>समीक्षा प्रश्न</u>

1 `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी समूह` द्वारा हां अथवा नहीं दर्ज करने के लिए प्रस्तावित शुल्क कितना है ?

2 मान लीजिए हमारे द्वारा मांगी गई प्रथम सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर प्रधानमंत्री हस्ताक्षर कर देता है । मान लीजिए, 65 करोड़ दर्ज मतदाता आई पी सी 498 ए पर ना दर्ज करते हैं । तो क्या प्रथम सरकारी अधिसूचना(आदेश) के अनुसार यह कानून स्वत: रद्द हो जाएगा?

3 मान लीजिए, 35 करोड़ नागरिक किसी कानून पर ना दर्ज करते हैं। तो उनके द्वारा किया गया पैसों का खर्च कितना होगा?

4 मान लीजिए, औसतन, कोई नागरिक ऐसे 100 कानूनों पर हां /नहीं दर्ज करता है जिसे वह पसंद/नापसंद करता है। तो उपयोग किए गए कुल समग्र घरेलू उत्पाद (जी डी पी) का प्रतिशत क्या होगा? औसतन इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने क्लर्कों की जरूरत होगी?

5 मान लीजिए, किसी प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना(आदेश) को 51 प्रतिशत नागरिकों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो क्या यह कानूनन अनिवार्य होगा कि प्रधानमंत्री इस सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर करे?

6 मान लीजिए, कोई नागरिक 15 पृष्ठों की सरकारी अधिसूचना(आदेश) का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। दर्ज करने की लागत क्या होगी?

7 मान लीजिए, 40 करोड़ जनता किसी सरकारी अधिसूचना(आदेश) का अनुमोदन/स्वीकृति करती है। तो किया गया कुल खर्च कितना होगा?

<u>अभ्यास</u>

1. कृपया इस पाठ का अनुवाद अपनी मातृभाषा में करें।
2. स्वीट्जरलैण्ड, अमेरिका आदि देशों में तब के लोगों के शिक्षा के स्तर पर जानकारी जुटाएं जब उन्होंने जनमत-संग्रह समाज का का चलन शुरू किया था।
3. पिछले पांच वर्षों में कितने लोगों को धारा 498 ए के तहत कारावास की सजा हुई ? आपके अनुमान के अनुसार उन्हें कितना समय और पैसा खर्च करना पड़ा? आपके अनुमान के अनुसार, इन मुकद्दमों में पुलिसवालों और वकीलों ने कितना पैसा बनाया होगा? पुलिसवालों के बनाए पैसों में से कितना मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को गया होगा?
4. क्या आप किसी ऐसे विधायक, सांसद को वोट देंगे जो खुले आम कहता है कि वह नागरिकों को हां/नहीं दर्ज करने की अनुमति नहीं देगा?
5. कृपया आप जिन मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री और पार्टी का समर्थन करते हैं उन्हें फोन कीजिए और उनका जवाब मांगिए कि क्यों वे इस आम लोगों की मांग का विरोध कर रहे हैं और हमें उनके बनाए कानूनों पर हां/नहीं दर्ज करने की अनुमति नहीं देते।
6. क्यों नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(एम आर सी एम) के समर्थक हम लोग हां/नहीं की गिनती का प्रधानमंत्री के लिए बाध्य न बनाने का प्रस्ताव करते हैं?
7. क्यों धर्मनिरपेक्ष और हिंदूवादी बुद्धिजीवी लोग दूसरी सरकारी अधिसूचना(आदेश) नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(एम आर सी एम) का विराध करते हैं?
8. यदि आप नागरिकों और राईट टू रिकाल ग्रुप/समूह (आर.आर.जी) की पहली दो सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) का समर्थन करते हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ऐसे 10 प्रमुख बुद्धिजीवियों के नामों की सूची/लिस्ट बनाइए जो आपको जानते हैं, और पता लगाइए कि वे इन दो प्रस्तावित सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) का विरोध क्यों करते हैं?
9. आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं कृपया उसके मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री को फोन करके उनसे संपर्क करें और जवाब मांगें कि क्यों वे सभी दूसरे नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) समूह की मांग के दुश्मन हैं?

अध्याय 4 - प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री,महापौर/मेयर,सरपंच, हाई कोर्ट के जज को पत्र

हम नागरिकों से कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महापौर/मेयर, (अथवा जिला सरपंच (और उच्च न्यायालय के वकील को निम्नलिखित पत्र भेजें। और सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से ऐसे पत्र भेजने के लिए कहें।

(4.1) प्रधानमंत्री को पत्र

आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय,
कृपया निम्नलिखित सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर अगले 21 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करें---

#	अधिकारी	प्रक्रिया
1	कलेक्टर (अथवा उसका क्लर्क)	राष्ट्रपति कलक्टर को आदेश दें : यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता कलेक्टर को कोई सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करता है या कोई शपथपत्र/एफिडेविट देता है और प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डालने का अनुरोध करता है तो वह कलक्टर अथवा उसका क्लर्क एक सीरियल नंबर जारी करे और शपथपत्र को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर डाल दे।
2	पटवारी (अथवा तलाटी अथवा ग्राम-अधिकारी) अथवा उसका क्लर्क	राष्ट्रपति पटवारी को आदेश दें: यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी/मतदाता पहचान पत्र के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ/ना दर्ज कराए अथवा कलम 1 में शिकायत अथवा कोई शपथपत्र/एफिडेविट दर्ज कराए तब तलाटी उसे प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। यह तलाटी नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले/बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
3	सभी नागरिकों, अधिकारियों, मंत्रियों के लिए	हाँ या ना की यह गिनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों, न्यायाधीशों/जजों आदि के लिए कोई बाध्य नहीं होगी। यदि 37 करोड़ से अधिक महिला मतदाता, दलित मतदाता, वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या 37 करोड़ भारतीय मतदाताओं में से **कोई** भी नागरिक मतदाता किसी दिए गए शपथपत्र पर हाँ दर्ज करे,

		तब प्रधानमंत्री उस सूचना का अधिकार आवेदन पत्र शपथपत्र/एफिडेविट पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है अथवा उसे ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ; अथवा प्रधान मंत्री इस्तीफा दे भी सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

आपका विश्वासभाजन,

नाम:..............................

पता:..

वोटर आई कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र:........................(कृपया वोटर आई कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें)

(4.2) मुख्यमंत्री को पत्र

आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय,

मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ और .... राज्य में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथी भारतीय मतदाताओं/वोटरों को सरकारी रजिस्टर) बुक (में सांसदों, विधायकों के लिए कानून पर हां/ नहीं दर्ज करने की अनुमति दी जाए। और उस सरकारी रजिस्टर को भारत सरकार की वेबसाइट पर डाल दिया जाए। ऐसा करने के लिए, मै आपसे निम्नलिखित सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करता हूँ-:

#	अधिकारी	प्रक्रिया
1	कलेक्टर (अथवा उसका क्लर्क)	राष्ट्रपति कलक्टर को आदेश दें : यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता कलेक्टर को कोई सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करता है या कोई शपथपत्र/एफिडेविट देता है और प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डालने का अनुरोध करता है तो वह कलक्टर अथवा उसका क्लर्क एक सीरियल नंबर जारी करे और शपथपत्र को मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर डाल दे।
2	तलाटी, पटवारी, ग्राम अधिकारी(अथवा उसका क्लर्क)	राष्ट्रपति पटवारी को आदेश दें: यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी(पहचान पत्र) के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा कलम 1 में शिकायत अथवा कोई शपथपत्र/एफिडेविट दर्ज कराए तब तलाटी उसे

		मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। यह तलाटी नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले /बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
3	सभी नागरिकों, अधिकारियों, मंत्रियों के लिए	यह किसी जनमतसंग्रह की प्रक्रिया नहीं है। हाँ या ना की यह गिनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों, न्यायाधीशों/जजों आदि के लिए कोई बाध्य नहीं होगी। यदि **XXX** करोड़ से अधिक महिला मतदाता**,** दलित मतदाता, वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या ३७ करोड़ भारतीय मतदाताओं में से **कोई** भी **XXX** नागरिक मतदाता किसी दिए गए शपथपत्र पर हाँ दर्ज करे, तब मुख्यमंत्री उस सूचना का अधिकार आवेदन पत्र शपथपत्र/एफिडेविट पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है अथवा उसे ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ; अथवा प्रधान मंत्री इस्तीफा दे भी सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया यथाशीघ्र हम आम नागरिकों को जानकारी दें कि क्या आप इस सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर करने का इरादा रखते हैं।

आपका विश्वासभाजन,

नाम:..............................
पता:...
वोटर आई कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र:..........................(कृपया वोटर आईकार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें)

(4.3) महापौर/मेयर को पत्र

आदरणीय महापौर/मेयर महोदय, ... नगर/शहर,

मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ और .... राज्य में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे और मेरे साथी भारतीय मतदाताओं/वोटरों को सरकारी रजिस्टर (बुक) में सांसदों, विधायकों के लिए कानून पर हां /नहीं दर्ज करने की अनुमति दी जाए। और उस सरकारी रजिस्टर को भारत सरकार की वेबसाइट पर डाल दिया जाए। ऐसा करने के लिए, मै आपसे निम्नलिखित संकल्प पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करता हूँ :-

#	अधिकारी	प्रक्रिया
1	नगरपालिका आयुक्त/ कमिश्नर (अथवा उसका क्लर्क)	महापौर/मेयर नगरपालिका आयुक्त/कमिश्नर को आदेश दे: यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता महापौर/मेयर को कोई सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करता है या कोई शपथपत्र/एफिडेविट देता है और महापौर/मेयर की वेबसाइट पर डालने का अनुरोध करता है तो वह महापौर/मेयर अथवा उसका क्लर्क एक सीरियल नंबर जारी करे और शपथपत्र को महापौर/मेयर की वेबसाइट पर 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर डाल दे।
2	नागरिक केन्द्र/सिविल सेंटर क्लर्क)	महापौर/मेयर नगरपालिका आयुक्त/कमिश्नर को आदेश दे: यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी(पहचान पत्र) के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा कलम 1 में शिकायत अथवा कोई शपथपत्र/एफिडेविट दर्ज कराए तब नागरिक केन्द्र/सिविल सेंटर क्लर्क) उसे महापौर/मेयर की वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। यह क्लर्क नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले /बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
3	सभी नागरिकों, अधिकारियों, मंत्रियों के लिए	यह किसी जनमतसंग्रह की प्रक्रिया नहीं है। हाँ या ना की यह गिनती प्रधानमंत्री ,मुख्यमंत्री ,अधिकारियों ,न्यायाधीशों/जजों आदि के लिए कोई बाध्य नहीं होगी। यदि XXX करोड़ से अधिक महिला मतदाता, दलित मतदाता ,वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या XXX करोड़ भारतीय मतदाताओं में से कोई भी नागरिक मतदाता किसी दिए गए शपथपत्र पर हाँ दर्ज करे ,तब महापौर/मेयर उस सूचना का अधिकार आवेदन पत्र शपथपत्र/एफिडेविट पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है अथवा उसे ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ; अथवा महापौर/मेयर इस्तीफा दे भी सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। महापौर/मेयर का निर्णय अंतिम होगा।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया यथाशीघ्र हम आम नागरिकों को जानकारी दें कि क्या आप इस संकल्प पर हस्ताक्षर करने का इरादा रखते हैं।

आपका विश्वासभाजन,

नाम:..............................
पता:...
वोटर आई कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र:..........................(कृपया वोटर आईकार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें)

(4.4) जिला पंचायत अध्यक्ष को पत्र

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ... जिला पंचायत,

मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ और .... राज्य में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे और मेरे साथी भारतीय मतदाताओं/वोटरों को सरकारी रजिस्टर (बुक) में सांसदों, विधायकों के लिए कानून पर हां /नहीं दर्ज करने की अनुमति दी जाए। और उस सरकारी रजिस्टर को भारत सरकार की वेबसाइट पर डाल दिया जाए। ऐसा करने के लिए, मै आपसे निम्नलिखित संकल्प पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करता हूँ :-

#	अधिकारी	प्रक्रिया
1	कलेक्टर (अथवा उसका क्लर्क)	पंचायत पटवारी को आदेश देने के लिए कलक्टर से कहे: यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता कलेक्टर को कोई सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करता है या कोई शपथपत्र/एफिडेविट देता है और कलक्टर की वेबसाइट पर डालने का अनुरोध करता है तो वह कलक्टर अथवा उसका क्लर्क एक सीरियल नंबर जारी करे और शपथपत्र को कलक्टर की वेबसाइट पर 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर डाल दे।
2	पटवारी (तलाटी या ग्राम अधिकारी) अथवा उसका क्लर्क	पंचायत पटवारी को आदेश देने के लिए कलक्टर से कहेंगी कि: यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी(पहचान पत्र) के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा कलम 1 में शिकायत अथवा कोई शपथपत्र/एफिडेविट दर्ज कराए तब पटवारी अथवा उसका क्लर्क उसे कलक्टर की वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और

3		3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। यह क्लर्क नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले /बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
3	सभी नागरिकों, अधिकारियों, मंत्रियों के लिए	यह किसी जनमतसंग्रह की प्रक्रिया नहीं है। हाँ या ना की यह गिनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों, न्यायाधीशों/जजों आदि के लिए कोई बाध्य नहीं होगी। यदि **XXX** करोड़ से अधिक महिला मतदाता, दलित मतदाता, वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या ३७ करोड़ भारतीय मतदाताओं में से **कोई** भी **XXX** नागरिक मतदाता किसी दिए गए शपथपत्र पर हाँ दर्ज करे, तब पंचायत उस सूचना का अधिकार आवेदन पत्र शपथपत्र/एफिडेविट पर आवश्यक कार्रवाई कर सकती है अथवा उसे ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ; अथवा अध्यक्ष इस्तीफा दे भी सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया यथाशीघ्र हम आम नागरिकों को जानकारी दें कि क्या आप इस संकल्प पर हस्ताक्षर करने का इरादा रखते हैं।

आपका विश्वासभाजन,

नाम:..............................
पता:...
वोटर आई कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र:..........................(कृपया वोटर आईकार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें)

(4.5) हाई कोर्ट के जजों को पत्र

आदरणीय हाई कोर्ट के जज महोदय, ...,

मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ और .... राज्य में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे और मेरे साथी भारतीय मतदाताओं/वोटरों को सरकारी रजिस्टर (बुक) में सांसदों, विधायकों के लिए कानून पर हां /नहीं दर्ज करने की अनुमति दी जाए। और उस सरकारी रजिस्टर को भारत सरकार की वेबसाइट पर डाल दिया जाए। ऐसा करने के लिए, मै आपसे अधिकारियों को निम्नलिखित आदेश देने या इसी प्रकार के निर्देश देने का अनुरोध करता हूँ :-

#	अधिकारी	प्रक्रिया
1	जिला न्यायालय का रजिस्ट्रार	उच्च न्यायालय जिला न्यायालय का रजिस्ट्रार को आदेश दे: कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता उच्च न्यायालय में 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क देकर कोई जनहित याचिका/पी आई एल प्रस्तुत करता है तो जिला न्यायालय का रजिस्ट्रार शपथपत्र को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर डाल देगा।
2	तलाटी या पटवारी या ग्राम अधिकारी	उच्च न्यायालय प्रत्येक तलाटी (पटवारी) को आदेश दे: यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या **कोई** भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी(पहचान पत्र) के साथ आये और उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर डाले गए किसी जनहित याचिका (पी आई एल) पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए तब तलाटी अथवा उसका क्लर्क उसे उच्च न्यायालय/हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। यह क्लर्क नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले /बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा।
3	सभी नागरिकों के लिए	यह किसी जनमतसंग्रह की प्रक्रिया नहीं है। हाँ या ना की यह गिनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों, न्यायाधीशों/जजों आदि के लिए कोई बाध्य नहीं होगी।

मैं आपसे इस जनहित याचिका (पी आई एल) को मानने/स्वीकार करने का अनुरोध करता हूँ।

आपका विश्वासभाजन,

नाम:..............................

पता:..

वोटर आई कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र:..........................(कृपया वोटर आईकार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें)

(4.6) क्या करें जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रीगण, महापौर/मेयर आदि इस सरकारी आदेश को मानने से इनकार कर दें

तब इस कानून का समर्थन करने वाले हम सभी नागरिकों से हम अनुरोध करेंगे कि वे वैसे किसी भी उम्मीदवार को वोट दें जो जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली का समर्थन करता है। और हम नागरिकों से

यह भी अनुरोध करते हैं कि वे उस नेता को तंग करने के लिए सभी तरह के विरोध प्रदर्शन करें। और यदि किसी नागरिक को यह विश्वास हो जाता है कि नेता जनता की मांग पर कोई जवाब नहीं देगा तो वे उन सभी तरीकों का इस्तेमाल करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहता है।

(4.7) बुद्धिजीवियों से इन पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना

मैं सभी नागरिकों से कहता हूँ कि वे बुद्धिजीवियों से भी अपनी मांग का समर्थन करने के लिए कहें। और यदि वे इसका विरोध करते हैं तो मैं नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि वे उन बुद्धिजीवियों का नाम सार्वजनिक करें जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है।

अभ्यास

इन पत्रों को लिखने का उद्देश्य/प्रयोजन क्या है?

अध्याय 5 - प्रजा अधीन राजा समूह का दूसरा प्रस्ताव - नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी)

(5.1) मात्र 3 लाइन का यह जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली गरीबी को 4 महीने में ही कैसे कम कर सकता है?

मान लीजिए आप के पास एक किराये का मकान है और आप ने उसको किराये पर दिया है, तो फिर किराया किसको जाना चाहिए, आपको या सरकार को ? आप कहेंगे कि आप को जाना चाहिए | ऐसे ही आप को यदि पूछें कि यदि एक मकान जिसके दस बराबर के मालिक हैं , किराये पर दिया है, तो किराया किसको जाना चाहिए ? आप कहेंगे कि दस मालिकों को बराबर-बराबर किराया जाना चाहिए | इसी तरह यदि कोई बहुत बड़ा प्लाट हो , जिसके 120 करोड़ मालिक हैं ,यानी पूरा देश मालिक है और वो किराये पर दिया है ,तो उसका किराया पुरे देश वासियों ,120 करोड़ लोगों में बराबर-बराबर बटना चाहिए | ऐसे प्लाट हैं जिसके 120 करोड़ मालिक हैं? जी हाँ , आई आई एम ए प्लॉट, जे एन यू प्लॉट, सभी यू जी सी प्लॉट, अहमदाबाद एयरपोर्ट प्लॉट, सभी एयरपोर्टों के प्लॉट और हजारों ऐसे भारत सरकार के प्लॉटों से मिलने वाला जमीन का किराया और भारत के सभी खनिजों, कोयला और कच्चे तेल से मिलने वाली सारी रॉयल्टी हम भारत के नागरिकों और हमारी सेनाओं को जानी चाहिए किसी और को नहीं। और यह रॉयल्टी व किराया सीधे ही मिलना चाहिए किसी योजना या स्कीम के जरिए नहीं। एक तिहाई हिस्सा सेना को जाना चाहिए देश की रक्षा के लिए और बाकी दो तिहाई नागरिकों को बराबर-बराबर बटना चाहिए | एक अनुमान से यदि ऐसा होता है तो हर एक नागरिक को लगबग 400-500 रुपये महीना मिलेगा जिससे देश की गरीबी कम हो जायेगी|

जिस दिन नागरिक प्रधानमंत्री को जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने को बाध्य करने में सफल हो जाते हैं, उसी दिन मैं जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट को शपथपत्र/एफिडेविट के तौर पर जमा करवा दूँगा। नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) प्रस्ताव क्या है? इस क़ानून-ड्राफ्ट /प्रारूप में एक प्रशासनिक तरीके/प्रक्रिया को बताया गया है जिससे राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी हर नारिक को लगभग 500 रूपए (कम या अधिक हो सकता है) प्रति महीने भेज सकेंगे | अब बताएं कि कितने करोड़ नागरिक, <u>आप</u> समझते हैं, १०० % नैतिक लगभग 500 रूपए (कम या अधिक हो सक्ता है) प्रति महीने <u>नहीं</u> लेना चाहते हैं? मैं मानता हूँ कि 40 करोड़ से ज्यादा नागरिक 100 प्रतिशत नैतिक रूपए चाहते हैं। और इसलिए जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधानमंत्री नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट/प्रारूप पर हस्ताक्षर करने को बाध्य हैं। और जब एक बार नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर हो जाता है तो हम आम नागरिकों में से हर एक नागरिक को हर महीने 500 रूपए (कम या ज्यादा हो सकता है) के लगभग मिलेगा। और इस प्रकार गरीबी कम होगी।

क्या नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट पारित करवाने के लिए जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट का भी होना जरूरी है?

यदि नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) समर्थक संसद में बहुमत मिलने तक इंतजार करने और तब नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) लागू करने पर अड़ जाता है तो ऐसी संभावना है कि नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) समर्थक को हमेशा के लिए इंतजार ही करते रहना पड़ेगा क्योंकि पहले तो उन्हें संसद में बहुमत नहीं मिलेगा। और इससे भी बुरा होगा कि यदि उन्हें बहुमत मिल जाता है तो (इस बात की संभावना है) उनके अपने ही सांसद बिक जाएंगे और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट पारित करने से मना कर देंगे। उदाहरण के लिए वर्ष 1977 में जनता पार्टी के सांसदों ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि वे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून लागू करेंगे और चुन लिए जाने के बाद, बाद में उन्होंने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून पास करने से मना कर दिया। इसलिए मेरे विचार से, नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) कार्यकर्ताओं को जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट /प्रारूप पर जन-आन्दोलन पैदा करने पर ध्यान लगाना चाहिए और जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट पारित करवाना चाहिए न कि चुनाव में जीतने तक इंतजार करना चाहिए ।

(5.2) नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट - संक्षेप में (छोटे में)

आई आई एम ए प्लॉट, जे एन यू प्लॉट, सभी यू जी सी प्लॉट, अहमदाबाद एयरपोर्ट प्लॉट, सभी एयरपोर्टों के प्लॉट और हजारों ऐसे भारत सरकार के प्लॉटों से मिलने वाला जमीन का किराया और भारत के सभी खनिजों, कोयला और कच्चे तेल से मिलने वाली सारी रॉयल्टी हम भारत के नागरिकों और हमारी सेनाओं को जानी चाहिए किसी और को नहीं। और यह रॉयल्टी व किराया सीधे ही मिलना चाहिए किसी योजना या स्कीम के जरिए नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए भारत सरकार के प्लॉटों से मिलने वाला किराया और खनिज रॉयल्टी दिसम्बर, 2008 में 45 हजार करोड़ रूपया थी। तब हम लोगों द्वारा प्रस्तावित कानून के मुताबिक 15 हजार करोड़ रूपया सेना को जाएगा और लगभग 500 रूपया प्रत्येक भारतीय नागरिक के पोस्ट-आफिस या बैंक खाते में सीधे ही जाएगा। यदि हरेक नागरिक महीने में एक या दो बार खाते से पैसा निकालता है तो भी इसके लिए भारत भर में 1,50,000 से ज्यादा क्लर्कों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 6,00,000 से ज्यादा क्लर्क हैं । इसलिए पैसे का वितरण कर पाना संभव है । नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट से होने वाले सीधे धन वितरण से हर साल प्रति व्यक्ति को 6000 रूपए से ज्यादा की आय हो सकती है अथवा जमीन या घर की कीमत कम हो सकती है। वह भी प्रति व्यक्ति न की प्रति परिवार । और इस तरह नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट गरीबी कम कर देगा, आय बढ़ाएगा और सामानों की

मांग बढेगी | इस प्रकार, सामानों की मांग बढ़ने से उधोग-धंधे बढ़ेंगे और फिर रोजगार बढ़ेगा। स्थानीय उधोग बढ़ने से इंजिनियरिंग कौशल में सुधार होगा और इससे हथियार बनाने के काम में भी सुधार होगा और जिससे गरीब हिन्दू क्रिश्चन-धर्म या नक्सलवाद या इन दोनों की ओर कम ही जाएगा। इस कानून के पारित होने के एक वर्ष के भीतर ही यदि तीसरा बच्चा पैदा होता है तो उसके माता-पिता को 33 प्रतिशत कम किराया मिलेगा। (जिनका पहले से ही तीसरा बच्चा है उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा) इस तरह यह कानून जनसंख्या पर भी नियंत्रण करेगा।

(5.3) नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) के क़ानून-ड्राफ्ट की ज्यादा जानकारी

मुख्य अधिकारी पर नागरिकों का नियंत्रण/कंट्रोल:-

1. बदलने की प्रक्रिया/तरीका यह होगा-

- कोई भी नागरिक संसद सदस्य के चुनाव के जमा रकम के बराबर पैसे का भुगतान करके अपने आप को राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) उम्मीदवार/प्रत्याशी के रूप में रजिस्टर/दर्ज करवा सकता है।
- भारत का कोई भी नागरिक तलाटी के कार्यालय/आफिस जाकर तीन रूपए का शुल्क/फीस जमा करा सकता है और अधिक से अधिक पांच लोगों को राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। तलाटी उसे पावती जारी करेगा जिसमें उसके वोटर आई कार्ड / मतदाता पहचान–पत्र तथा उन व्यक्तियों, जिनको उसने अनुमोदित किया गया है, आदि का उल्लेख होगा ।
- तलाटी नागरिकों की पसन्द/प्राथमिकता को उसके वोटर आई कार्ड के साथ सरकारी वेबसाईट पर डाल देगा।
- कोई नागरिक अपना अनुमोदन/स्वीकृति किसी भी दिन, किसी भी समय रद्द/ कैंसिल कर सकता है।
- प्राधानमंत्री का सचिव हरेक उम्मीदवार के अनुमोदन/स्वीकृति की संख्या की गिनती को प्रकाशित करेगा।
- यदि किसी उम्मीदवार को सभी दर्ज/रजिस्टर्ड मतदाताओं के 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं (केवल वे मतदाता ही नहीं जिन्होंने अपना अनुमोदन/स्वीकृति फाइल किया है बल्कि सभी दर्ज मतदाता) का अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाता है तो प्रधानमंत्री मौजूदा/वर्तमान राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) को हटा देंगे और उस उम्मीदवार को राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) के रूप में नियुक्त कर देंगे।
- यदि किसी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत से ज्यादा का अनुमोदन/स्वीकृति मिला है और इसे वर्तमान राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) से 2 प्रतिशत ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति मिल गया है तो प्रधानमंत्री सबसे अधिक अनुमोदन/स्वीकृति वाले इस व्यक्ति को उस पद के लिए नियुक्त कर देंगे।

2. इस तरह, राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल यह सुनिश्चित कर देगा कि राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) काफी कम भ्रष्ट होंगे और किराये का पैसा नागरिकों को दिया करेंगे।

3. राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) उन प्लॉटों का आवंटन करेंगे जिन्हें भारत के नागरिकों की संपत्ति घोषित किया गया है । वे ऐसा एक कानून बनाकर या राष्ट्रीय जूरी के निर्णय के माध्यम से करेंगे जो राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) को जमीन का आवंटन करने/ देने के लिए विशेष तौर से प्राधिकृत करेगा/यह काम सौंपेगा।

<u>किराया की उगाही/किराया जमा करना</u>

4. नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) – सरकारी अधिसूचना(आदेश) की एक धारा में उल्लेख है/लिखा है कि ‘ भारत नागरिक यह निर्णय करते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आई आई एम ए का प्लॉट, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद का प्लॉट, सभी आई आई एम के प्लॉट, और जे एन यू के प्लॉट भारत के सभी नागरिकों का संयुक्त/ज्वाइन्ट और बराबर मालिकाना हक की संपत्ति होगी। ये प्लॉट राज्य अथवा भारत राज्य अथवा भारत संघ अथवा किसी भी निजी/ सरकारी निकाय/व्यक्ति की **नहीं** होगी बल्कि ये प्लॉट भारत के नागरिकों की संपत्ति होगी । साथ ही, किसी भी निजी/प्राइवेट कम्पनी अथवा ट्रस्ट के मालिकाना हक के अधीन न आने वाला सभी यू जी सी द्वारा वित्तपोषित/फंडेड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों/ महाविद्यालयों के सभी प्लॉट भारत के नागरिकों की संपत्ति घोषित की जाती है। और केन्द्रीय सरकार और सरकारी निकायों के सभी प्लॉट भी एतद्द्वारा भारत के नागरिकों की संपत्ति घोषित की जाती है।

5. एक अन्य खंड/कलम में लिखा है : निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के सभी प्लॉट भी राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) के तहत आएंगे:-

- पर्यटन मंत्रालय
- एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के मालिकाना हक वाले हवाईअड्डे और सभी भवन
- सभी आई आई एम, यू जी सी के पैसे से चलने वाले सभी कॉलेज और विश्वविधालय (विज्ञान और इंजिनियरिंग को छोड़कर)
- उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- लघु उधोग और कृषि व ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- कपड़ा/वस्त्र मंत्रालय
- पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
- शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
- युवा मामले और खेल मंत्रालय
- योजना आयोग

6. आई आई टी, आई आई एससी आदि के बारे में : एक अलग सरकारी आदेश, जिसकी मांग हम करते हैं उसमें उल्लेख/लिखा होगा:- सभी आई आई टी, एन आई टी और आई आई एससी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) के अन्तर्गत आएंगे और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) के निदेशक/डायरेक्टर इन कॉलजों के मुख्य अधिकारी होंगे और वे इन कॉलेजों मे दैनिक कार्यकलाप सुचारू रूप से चलाने के लिए उप प्रमुखों की नियुक्ति करेंगे। विज्ञान और इंजिनियरिंग पढ़ाने वाले कॉलज विज्ञान मंत्रालय के अधीन होंगे और ये राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) के अधीन नहीं होंगे । हालाँकि इन कॉलेजों के पास जो अतिरिक्त जमीनें हैं वो राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) के तहत आएँगी ।

7. उपयोग में न आ रही जमीन के बारे में : राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) जमीन को उपयुक्त प्लॉटों के आकार में इस तरह बांटेगा जिस तरह वह इसे किराया प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद समझता है। राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) हरेक प्लॉट के लिए बोली लगवाएगा। नीलामी के लिए शर्तें इस प्रकार होंगी:-

- लीज/पट्टा राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार 5, 10, 15, 20 या 25 वर्षों के लिए होगा। यह लीज/पट्टा कभी भी 25 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगा।
- बोली लगाने वाले मासिक/ महीने का किराया के लिए बोली लगाएंगे और बोली लगाने की अवधि/ का काल अधिकतम लीज अवधि से कम होगा। इसलिए यह बोली (मासिक किराया, लीज के महीने) के रूप में होगा। एक व्यक्ति कई बोली लगा सकेगा। लीज की न्यूनतम समय-सीमा/अवधि 12 महीने होगी।
- बोली का वजन/प्रभाव होगा मासिक किराया / लॉग/log(लीज महीनों में) अर्थात किराया जितना ज्यादा होगा वजन/प्रभाव उतना ज्यादा होगा और लीज जितना लम्बा होगा वजन/प्रभाव उतना कम होगा।
- बोली/निविदा खुली होगी।
- राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) बोली के वजन के अनुसार प्लॉट देगा।
- राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) तीन महीने का किराया जमा के रूप में लेगा।

8. लीज/पट्टे के समय/अवधि के दौरान, राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) किराये में प्रत्येक तीन महीने में *संशोधन/बदलाव* करेगा प्लॉट के चारो ओर के एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के जमीन के मूल्य/दाम में आने वाले प्रतिशत बदलाव के आधार पर और प्लॉट देने/जारी करने के दिन से और किराया दर में संशोधन किए जाने वाले दिन को ब्याज दर में आने वाले प्रतिशत बदलाव के आधार पर ।

9. लीज का समय/अवधि के बीत जाने के बाद राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) एक नई बोली लगवाएगा जिसमें पहले से ही लीज ले चुके लोगों/ लीज-धारकों को लाभ/वरीयता मिलगी।

- उसका वजन/प्रभाव 1.25 से 1.5 बढ़ जाएगा जो उन वर्षों पर निर्भर करेगा जिसके दौरान उसने भुगतान किया है।
- नीलामी खत्म हो जाने के एक महीने के भीतर वह अपनी बोली बढ़ा सकता है।
- मौजूदा लीज-धारकों को 2 से 6 महीने का नया किराया मिलेगा जब से उसने प्लॉट खाली किया है।

10. लेकिन यदि मौजूदा लीज धारक बोली हार जाता है तो वह उस जमीन/प्लॉट के सामान बेच या हटा सकता है। लकिन उसे जमीन खाली करना ही होगा।

11. यदि प्लॉट किसी ने लिया हुआ है और उसका उपयोग कर रहा है (उदाहरण – आई आई एम ए प्लॉट) तो राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) उस प्लॉट के चारो ओर एक वर्ग किलोमीटर के प्लॉट का पिछले तीन वर्षों के मध्य विचलन/मीन मूल्य(बाजार मूल्य * मुख्य ब्याज दर / 3) का हिसाब लगाकर प्लॉट की कीमत तय करेगा और अगले 10 वर्षों के लिए वार्षिक किराया तय करेगा। किराए में हर तीन साल में संशोधन/बदलाव किया जाएगा। दस वर्षों के बाद खंड/कलम 6 में दिए अनुसार नीलामी की जाएगी।

<u>नागरिकों को किराया भेजना</u>

12. राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) प्राप्त किराए का 34 प्रतिशत हिस्सा रक्षा मंत्रालय को देगा जो सेना को मजबूत बनाने, हथियार उपलब्ध कराने और सभी नागरिकों को हथियार चलाने की शिक्षा देने के काम के लिए होगा।
13. राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) पिछले वर्ष राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति दिए गए किराए के दूगने की अधिकतम सीमा की शर्त के साथ पिछले 15 वर्षों से उस राज्य में रह रहे अथवा उस राज्य में जन्में नागरिकों को प्रत्येक महीने जमा किए गए /वसूले गए किराए का 33 प्रतिशत वितरित करेगा/ बांटेगा।
14. राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) भारत के नागरिकों को प्रति माह जमा हुए किराए का 33 प्रतिशत हिस्सा वितरित करेगा।
15. 7 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए हिस्सा शून्य , 14 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए चौथाई ,18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए आधा होगा और इससे उपर उम्र वालों को पूरा हिस्सा मिलेगा।
16. इस कानून के पास/ पारित हो जाने के एक साल के बाद हर व्यक्ति को किराया इस प्रकार मिलेगा-

- यह किराया 33 प्रतिशत बढ़ जाएगा यदि उसका कोई बच्चा न हो ।
- यह किराया 33 प्रतिशत बढ़ जाएगा यदि उसकी एक लड़की हो ।
- यह बराबर रहेगा यदि उसका एक बेटा अथवा (एक बेटी, एक बेटा) अथवा दो बेटी हो ।
- यह किराया 33 प्रतिशत कम हो जाएगा यदि उसे (दो बेटी, एक बेटा) अथवा (एक बेटी, एक बेटा) अथवा (दो बेटा) अथवा (तीन बेटी) से अधिक हो और इसमें से सबसे छोटा बच्चा कानून पास होने/लागू होने के एक वर्ष के बाद पैदा हुआ हो।

- किराया 66 प्रतिशत घट जाएगा यदि उसे (तीन बेटी एक बेटा) अथवा (दो बेटी, दो बेटा) अथवा(एक बेटी, दो बेटा) अथवा (तीन बेटा) अथवा (चार बेटी) से अधिक हो और इसमें से सबसे छोटा बच्चा कानून पास होने/लागू होने के एक वर्ष के बाद पैदा हुआ हो।

17 60 वर्ष से उपर के पुरूषों और 55 वर्ष से उपर की महिलाओं को 33 प्रतिशत ज्यादा किराया मिलेगा और यह 75 साल से उपर के पुरूष एवं 70 साल से उपर की महिलाओं के लिए 66 प्रतिशत ज्यादा मिलेगा।

(5.4) खनिज रॉयल्टी(आमदनी) भेजना

अभी के अनुसार, खनिज प्लॉट उन्हें नीलाम की जाती है जो अधिकतम रॉयल्टी देता है। यही प्रक्रिया/तरीका लागू रहेगा लेकिन बाद में बोली में सुधार के लिए बढ़ी हुई बोली प्राप्त करने के लिए उसे संशोधित किया जा सकता है लेकिन एक परिवर्तन/बदलाव जिसकी मांग और वायदा नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) समूह करता है वह यह है कि खनिज रॉयल्टी और कच्चे तेल की रॉयल्टी आम लोगों और सेना का सीधे दी जाए ।

(5.5) राज्य स्तर पर नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट / प्रारूप

पुलिस, न्यायालय, सेना,, कैदी, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, राज्य ट्रान्सपोर्ट के बस-अड्डों द्वारा प्रयोग में न लाए जाने वाले राज्य सरकार के प्लॉट और वे प्लॉट जिन्हें खास तौर से कानून से छूट प्राप्त न हो, उनसे किराया वसूला जाएगा। राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) किराया वसूल/जमा करेगा और उसमें से 34 प्रतिशत सेना को 33 प्रतिशत नागरिकों को देगा। जमीन चाहे राज्य या केन्द्र के अधीन हो, किराया एक ही तरह से बांटा जाएगा ।

(5.6) सार्वजनिक भूमि का किराया कितना है ?

भारत सरकार, केन्द्र और राज्यों के पास काफी उंचे बाजार-मूल्य वाली हजारों प्लॉटें हैं। यहॉ एक छोटा उदाहरण प्रस्तुत है:-

प्लॉट का नाम	क्षेत्रफल	कीमत, प्रति वर्ग मीटर	प्लॉट का बाजार-मूल्य
आई आई एम, अहमदाबाद	100 एकड़	40,000 रूपया	1400 करोड़ रूपया
आई आई एम, लखनऊ	200 एकड़	20,000 रूपया	1600 करोड़ रूपया
आई आई एम, लखनऊ(नोएडा)	10 एकड़	50,000 रूपया	200 करोड़ रूपया
आई आई एम,	135 एकड़	20,000 रूपया	1000 करोड़ रूपया

कोलकाता			
आई आई एम, इंदौर	190 एकड़	15,000 रूपया	500 करोड़ रूपया
जे एन यू	1000 एकड़	40,000 रूपया	16000 करोड़ रूपया
गुजरात विद्यापीठ	25 एकड़	40,000 रूपया	400 करोड़ रूपया
गुजरात विश्वविद्यालय	250 एकड़	35,000 रूपया	3500 करोड़ रूपया
कुल			27,000 करोड़ रूपया

इसलिए किराया क्या होगा यदि ये प्लॉट बिल्डरों को दिए जाते हैं। प्लॉट के बाजार मूल्य के 3 प्रतिशत पर इन 9 प्लॉटों का किराया = 27 हजार करोड * 3/100 = 810 करोड़ रूपए प्रति वर्ष = **सात रूपए प्रति नागरिक/वर्ष** । अब यह प्लॉट मुंबई एयरपोर्ट/हवाई अड्डा, अहमदाबाद हवाई अड्डा, बंगलौर हवाई अड्डा आदि जैसे प्रमुख प्लॉटों के मूल्यों की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं –

प्लॉट का नाम	क्षेत्रफल	कीमत, प्रति वर्ग मीटर	अनुमानित बाजार मूल्य
अहमदाबाद एयरपोर्ट	1850 एकड़	40,000 रूपया	29,600 करोड़ रूपया
मुंबई एयरपोर्ट	1100 एकड़	100,000 रूपया	44,600 करोड़ रूपया
दिल्ली एयरपोर्ट	5000 एकड़	100,000 रूपया	200,000 करोड़ रूपया
बंगलौर एयरपोर्ट (नया)	4050 एकड़	10,000 रूपया	32,400 करोड़ रूपया
बंगलौर एयरपोर्ट (पुराना)	1000 एकड़	100,000 रूपया	40,000 करोड़ रूपया
कोलकाता एयरपोर्ट	1500 एकड़	30,000 रूपया	18,000 करोड़ रूपया
चेन्नई एयरपोर्ट	4800 एकड़	40,000 रूपया	76,800 करोड़ रूपया
कुल			**440,800 करोड़ रूपया**

(कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त जमीन की कीमतें 2010 के वास्तविक बाजार-मूल्य की तुलना में बहुत ही कम हैं जब यह दूसरा संस्करण/एडिशन लिखा जा रहा था।)

इसलिए किराया क्या होगा यदि यह प्लॉट बिल्डरों को दिया जाता है ? इन एयरपोर्ट प्लाटों का किराया प्लॉट के बाजार-मूल्य का 3 प्रतिशत की दर से = 440,800 करोड़ * 3/100 = 13,224 करोड़ प्रति वर्ष = **120 रूपया प्रति नागरिक प्रति वर्ष** !!

सरकार के पास एक अनुमान के अनुसार 50,000 प्लॉट हैं। यदि किराया प्रत्येक प्लॉट से औसतन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 20 पैसे जितना कम भी हो तो किराया 12000 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से ज्यादा हो जाता है। या तो हम आम लोगों को यह किराया मिलेगा अथवा जमीन की कीमतों में बहुत कमी आएगी । (वास्तव में जमीन की कीमत ही घटेगी) जिससे हम

आम लोगों को अपनी कम आय पर घर खरीदना संभव होगा और अपना व्यवसाय शुरू करना संभव होगा।

(5.7) खनिज रॉयल्टी(आमदनी) कितनी है ?

खनिज रॉयल्टी का अंदाज लगाना संभव है । लेकिन यह विक्रय मूल्य के उतार चढ़ाव के साथ-साथ बढ़ता-घटता रहता है। जून, 2008 के मूल्यों पर आधारित अनुमान प्रस्तुत है। अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित तरीका प्रयोग में लाया जाएगा जो उस कानून से निकला है जिसका मै प्रस्ताव कर रहा हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे इस कानून के अनुसार खनिज और तेल कुएं प्रतियोगी बोली के तरीके का उपयोग करके लीज पर दिए जाएंगे। इसलिए खदान- मालिक जो कीमत लगाएंगे वह न्यूनतम स्तर के होंगे और यह भारत में चल रहे श्रमिक मजदूरी तथा उपकरण की लागत पर निर्भर करेगा । अब **इन कानूनों में मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ कि सरकार खरीददारों से अन्तरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के बराबर कीमत लेगी । दोनो का अंतर ही रॉयल्टी होगा जिसका 67 प्रतिशत नागरिकों को सीधे ही जाएगा और 33 प्रतिशत सेना को जाएगा।** जून, 2008 के मूल्य के आधार पर कच्चे तेल की कीमत की रॉयल्टी के संबंध में मेरा अनुमान निम्नलिखित है-

कच्चा तेल

तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य = 140 यू एस डॉलर प्रति बैरल

भारत में निष्कर्षण (Extraction) मूल्य = सभी प्रकार की लागतों सहित = 25 डॉलर प्रति बैरल

(जून, 2008 को तेल कम्पनियों के द्वारा ली जा रही कीमत 55 डॉलर प्रति बैरल थी और वे काफी लाभ कमा रही थीं जो अन्तरराष्ट्रीय बाजार से 150 डॉलर प्रति बैरल की दर से खरीदे जाने के कारण घाटे का सौदा बन गयी । भारतीय तेल कम्पनियां भारतीय तेल शोधक कारखानों (रिफायनरियों) से वर्ष 2000 के शुरूआती दिनों में 25 डॉलर प्रति बैरल कीमत ले रही थीं। इस तथ्य में यह भी बात जुड़ जाती है कि भारतीय तेल कम्पनियों में स्टॉफ की संख्या बहुत अधिक है और ये अपने कर्मचारियों को काफी ज्यादा वेतन देती हैं। उदाहरण के लिए, तेल और प्राकृतिक गैस (ओ एन जी सी) कम्पनी का क्लर्क वेतन लगभग 20,000 रूपए प्रति माह पाता है जिसमें सभी भत्ते और व्यय शामिल है जबकि निजी कंपनी का क्लर्क लगभग 8000 रूपए प्रतिमाह पाता है। इन खर्चों को कम किया जा सकता है।)

भारत में उत्पादन = 6,60,000 बैरल प्रति दिन
= 6,60,000 * 365 बैरल प्रति वर्ष
= 24,09,00,000 बैरल प्रति वर्ष
= 24 करोड़ बैरल प्रति वर्ष

जनसंख्या = 110 करोड़

भारत में प्रति व्यक्ति उत्पादन = 0.22 बैरल प्रति भारतीय प्रति वर्ष

प्रति बैरल लाभ = 115 यू एस डॉलर

कुल मुनाफा डॉलर में = 0.22 * 115 डॉलर प्रति भारतीय = 25 डॉलर प्रति भारतीय

डॉलर का मूल्य = 45 रुपया प्रति डॉलर
कुल मुनाफा रुपये में = 25*45=1125 रुपये प्रति वर्ष प्रति नागरिक
यदि कच्चे तेल की कीमत गिरकर 70 अमेरिकी डॉलर हो जाती है तो लाभ कम होकर 495 रुपया प्रति वर्ष प्रति नागरिक हो जाएगी।

<u>कच्चा लोहा</u>

उत्पादन = 123 मिलियन टन
= 12.3 करोड टन
= 0.11 टन प्रति भारतीय नागरिक
मूल्य = 150 डॉलर प्रति टन = 7600 रुपया प्रति टन
खुदाई का खर्चा = 300 रुपया प्रति टन
मुनाफा/लाभ प्रति टन = 7200 रूपया
मुनाफा/लाभ प्रति आम आदमी = 0.11 * 7200 रूपया = 730 रूपया प्रति वर्ष

दूसरे शब्दों में, यदि कच्चा तेल, तेल शोधक कारखानों (रिफाइनरी) को अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर दिया जाता है और इसका लाभ प्रत्येक भारतीय को भेजा जाए तो प्रत्येक भारतीय हर वर्ष 1125 रूपया पाएगा । जब तेल की कीमत कम होगी तो इसमें भी कमी आएगी और तेल की कीमत बढ़ने पर यह पैसा ज्यादा मिलेगा। यह तो केवल कच्चे तेल की बात थी। कोयला, प्राकृतिक गैस, ग्रेनाइट, संगमरमर, कोटा पत्थर, तांबा, एल्युमुनियम, लौह अयस्क और पानी से मिलने वाली रॉयल्टी मिलाकर एक बहुत बड़ी राशि होगी । जब नागरिकों को यह पता चलेगा कि उन्हें खदान की रायल्टी मिल रही है तो वे खदान माफियाओं पर अंकुश लगाएंगे और इससे ईमानदार लोगों को खदान के व्यावसाय में आने का मौका मिलेगा और इस प्रकार रॉयल्टी कई गुना बढ़ जाएगी ।

मेरे आकलनों और अनुमानों के अनुसार, खदान रॉयल्टी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 4000-6000 रूपए से ज्यादा बढ़ जाएगी ।

इसलिए खदान रॉयल्टी और जमीन का किराया मिला कर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 18 हजार रूपए हो जाएगा । इसमें से 33 प्रतिशत सेना को जाएगा। इस तरह नागरिकों को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 12000 रूपए मिलेगा । यह पैसा किसी कर/टैक्स का नहीं होगा । यह पैसा उन प्लॉटों और खनिजो से आ रहा होगा जो हम नागरिकों के हैं। यह पैसा किसी कर से नही आ रहा है इसलिए “अमीरों को कर लगाओ और गरीबों को खिलाओ” जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है । यह सीधा-सीधा उन खनिजों और प्लॉटों से संबंधित है जिसके मालिक हम नागरिक हैं ।

नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट या प्रारूप सभी सुखद परिवर्तनों की जननी है । हम केवल इसी परिवर्तन को लाने के लिए ही अन्य परिवर्तनों का प्रस्ताव कर रहे हैं। और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह परिवर्तन आने के बाद स्थाई हो जाए। आज के हिसाब से जमीन का किराया और नए एम

3(M3) के सृजन, ये दो प्रमुख कारण है कि क्यों हम आम लोग गरीब हैं। ये मांग हम आम लोगों की गरीबी कम करेगा।

(5.8) जमीन का किराया वसूलने / जमा करने के प्रभाव

एक बार यदि भूमि किराया अधिनियम लागू हो जाता है तो इन दो बातों में से एक बात होगी -
1. या तो हम आम लोगों को लगभग 500 या 1000 रूपया प्रति व्यक्ति हर महीने जमीन का किराया मिलेगा। अथवा
2. जमीन की कीमत घटेगी क्योंकि सार्वजनिक भूमि का किराया देना होगा और इसीलिए भूमि-संग्रह करना बहुत महंगा पडेगा ।

दूसरी बात के होने की ज्यादा संभावना है। अब यदि जमीन की कीमत गिरती है तो घरों की कीमत भी कम होगी जिससे हम आम लोगों का जीवन सुधरेगा। हम आम लोगों मे से कई लोग, जो झुग्गियों में रहते हैं वे शायद एक शयनकक्ष-हॉल-रसोई (*वन - बी-एच-के)* फ्लैटों में जा सकेंगे। और यदि जमीन की कीमत घटती है तो व्यवसायों की संख्या बढ़ेगी (क्योंकि जब रियल एस्टेट की लागत गिरती है तो कारीगरों के लिए व्यावसाय बढ़ाना आसान हो जाता है) और हम आम लोगों को ज्यादा रोजगार और वेतन मिलेगा। अधिक औधोगिकीकरण से खनिजों के मूल्य बढ़ेंगे और इसलिए खनिजों की रॉयल्टी भी बढ़ेगी। इसलिए किसी भी स्थिति में आई आई एम ए प्लॉट और आई आई एम /जे एन यू प्लॉटों व हजारों अन्य प्लॉटों और खदानों, जो हम आम लोगों का है , से किराए के प्रस्ताव से हम आम लोगों को बहुत भारी लाभ होगा। इसलिए जमीन किराया ओर खदान की रॉयल्टी के प्रस्तावों से आय बढ़ेगी और गरीबी कम होगी। गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को जमीन और घर ज्यादा उपलब्ध होंगे। <u>इस प्रकार इससे गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की क्रयशक्ति/खरीदने की क्षमता बढेगी।</u> क्रयशक्ति के बढ़ने से मांग बढ़ेगी और इस प्रकार उधोग धंधे बढ़ेंगे और इससे हमारी सेना भी मजबूत होगी।

(5.9) जमीन का किराया जमा ना करने / न वसूलने का (कु)प्रभाव -

सार्वजनिक भूमि पर किराया जमा न करने का प्रभाव खुले अन्याय की तरह है । अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण और आर्थिक असमानता अन्यायपूर्ण ढ़ंग से बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, एयरपोर्टों पर विचार कीजिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर विचार कीजिए । यह हर साल दो करोड़ यात्रियों को सेवा देता है। इसके पास किराया मूल्य 6000 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष है। अर्थात 6000 रूपया/2 =3000 रूपया प्रति यात्री।

एक उच्च वर्ग के आदमी के बारे में विचार कीजिए जो एक वर्ष में 20 बार दिल्ली एयरपोर्ट का उपयोग करता है। लेकिन 3000 रूपया प्रति उड़ान की दर से जमीन का किराया उससे न वसूलने के कारण उसकी अमीरी 6,00,000 रूपए बढ़ जाती है । और भारत का प्रत्येक आम आदमी को हर साल साठ रूपए की हानि होती है क्योंकि आम आदमी को दिल्ली एयरपोर्ट के प्लॉट ,जो कि उसका अपना है, का कोई किराया नहीं मिला । ऐसा करने से/केवल किराया न वसूलने के अंन्यायपूर्ण साधन से दौलत/आय का अंतर बढ़ जाता है।

(5.10) राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एम एल आर ओ) को हटाने / वापस बुलाने का तरीका

राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) नाम के अधिकारी के द्वारा किराया वसूलना और लोगों को भेजने का काम होना है। किराए का निर्धारण बाजार मूल्य और ब्याज की दरों के आधार पर मानक गणना द्वारा किया जाएगा। इसलिए इसमें राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) के पास कोई विवेकाधीन शक्ति (एक अधिकार) नहीं है । लेकिन उसके पास उप-प्लॉट/प्लाट के छोटे टूकडे बनाने के तरीके निर्धारित करने का विवेकाधिकार है । इसलिए राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) को सारा किराया अपनी जेब में गटक जाने से कैसे रोका जाएगा। देखिए दूसरी `नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम) मांग और वायदा में एक खंड/कलम है जो हम आम आदमी को मौका देगा कि हम एन एल आर ओ को हटा/ बदल सकें। यह बदलने का तरीका वह **मुख्य** बात है जो हम आम लोगों को एक ऐसा राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) ढूंढने में सक्षम बनाएगा जो किराया आम लोगों तक भेजने में विश्वास रखता हो।

(5.11) `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(रोयल्टी)` (एम आर सी एम) कानून का प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट

#	निम्नलिखित के लिए प्रणाली/पद्धति	पद्धति/निर्देश
	सैक्शन 1 : राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) उम्मीदवार के लिए नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति दर्ज करना	
1.1	-	नागरिक शब्द का मतलब/अर्थ रजिस्टर्ड वोटर/मतदाता है। सरकारी अधिसूचना(आदेश) तब प्रभावी माना जाएगा जब 37 करोड़ नागरिकों ने इसमें अपना `हाँ` दर्ज करवा दिया हो।
1.2	प्रधानमंत्री	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के किसी अधिकारी को नियुक्त करेंगे।
1.3	जिला कलक्टर	यदि कोई नागरिक राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) बनाना चाहे, तो जिला कलक्टर के सामने वह खुद जा सकता है या एफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है (जिला कलक्टर को आदेश दिया जाता है कि वह राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी स्वीकार करे लेकिन इसके लिए वह सांसदों के चुनाव के लिए जमा होने वाली धनराशि के बराबर धनराशि शुल्क/फीस के रूप में ले। जिला कलक्टर उसे एक सीरियल नम्बर जारी करेगा/देगा।
1.4	जिला कलक्टर	जिला कलक्टर इस काम को किसी *क्लास वन* अधिकारी को दे सकता

		है।
1.5	तलाटी	कोई नागरिक तलाटी के दफ्तर स्वयं आकर और 3 रूपए का शुल्क/फीस देकर ज्यादा से ज्यादा पांच उम्मीदवार का अनुमोदन/स्वीकृति राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) के पद के लिए कर सकता है। तलाटी उसके अनुमोदन/स्वीकृति को कम्प्युटर में दर्ज करेगा और उसे एक रसीद जारी करेगा/देगा जिसमें वोटर आई डी/मतदाता पहचान-पत्र संख्या, दिनांक/समय तथा जिसका अनुमोदन/स्वीकृति नागरिक ने किया है, उसके नाम का उल्लेख होगा।
1.6	तलाटी	तलाटी उस नागरिक की पसंदों को नागरिक के वोटर आई डी/मतदाता पहचान-पत्र संख्या और उसकी पसंद सहित मंत्रिमंडल सचिव द्वारा किए निर्णय के अनुसार, सरकारी वेबसाईट पर डाल देगा।
1.7	तलाटी	यदि कोई नागरिक अपनी पसंद रद्द करने के लिए आए तो तलाटी बिना कोई फीस लिए उसके एक या अधिक अनुमोदन/स्वीकृति को बदल सकता है।
1.8	मंत्रिमंडल सचिव	प्रत्येक सोमवार को मंत्रिमंडल सचिव नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति को प्रकाशित करे।
.	सैक्शन 2: राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) को बदला जाना	
2.1	प्रधानमंत्री	नागरिक शब्द का अर्थ भारत का रजिस्टर्ड वोटर/दर्ज मतदाता है।
2.2		यदि उम्मीदवार को किसी जिले में **सभी** दर्ज मतदाताओं(**सभी** न कि केवल उनका जिन्होंने अपना अनुमोदन/स्वीकृति फाइल किया है/जमा करवाया है) के 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं का अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाता है, तब प्रधानमंत्री वर्तमान राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) को निकाले और नागरिको के द्वारा पसंद की गयी नए राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) को नियुक्त **<u>कर सकता है</u>** ।
2.3		यदि पद पर बैठा व्यक्ति नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति से आया है, और सबसे ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति वाले/अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति को मौजूदा पदधारी से 2 प्रतिशत अधिक अनुमोदन/स्वीकृति मिला हो, केवल तभी प्रधानमंत्री उसे सर्वाधिक अनुमोदन/स्वीकृति वाले व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर सकता है।
2.4		यदि व्यक्ति को मिला अनुमोदन/स्वीकृति 33 प्रतिशत से कम है तो प्रधान मंत्री उसे अपने द्वारा नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति को बदल सकते हैं या प्रधानमंत्री नहीं भी बदल सकते (ऐसा करने की जरूरत नहीं)। लेकिन जब तक अनुमोदन/स्वीकृति 33 प्रतिशत से अधिक है तब तक प्रधान मंत्री को उसे अपने द्वारा नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति से बदलने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री के विवेक से किया गया निर्णय अंतिम होगा।

.	सैक्शन 3: भारत सरकार के अधीन प्लॉटों का स्वामित्व/मालिकाना हक	
	उच्चतम न्यालय के न्यायधीश(सुप्रीम-कोर्ट के जज), हाई-कोर्ट के जज , प्रधानमंत्री और नागरिक	भारत के नागरिकगण एतद्द्वारा यह निर्णय और घोषणा करते हैं कि आई आई एम ए का प्लॉट, सभी आई आई एम के प्लॉट, और जे एन यू के प्लॉट भारत के सभी नागरिकों का संयुक्त/ज्वाइन्ट और बराबर मालिकाना हक की संपत्ति होगी। ये प्लॉट राज्य अथवा भारत राज्य अथवा भारत संघ अथवा किसी भी निजी/ सरकारी निकाय/व्यक्ति की **नहीं** होगी बल्कि ये प्लॉट भारत के नागरिकों की संपत्ति होगी । साथ ही, किसी भी निजी/प्राइवेट कम्पनी अथवा ट्रस्ट के मालिकाना हक के अधीन न आने वाला सभी यू जी सी वित्तपोषित/फंडेड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों/ महाविद्यालयों के सभी प्लॉट भारत के नागरिकों की संपत्ति घोषित की जाती है। और केन्द्रीय सरकार और सरकारी निकायों के सभी प्लॉट भी एतद्द्वारा भारत के नागरिकोंकी संपत्ति घोषित की जाती है। प्रधानमंत्री और सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालयों के न्यायधीशों सहित भारत के सभी न्यायाधीश और अधिकरियों से एतद्द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसी किसी दलील को न सुनें/ न स्वीकार करें जो भारत के नागरिकों के इस निर्णय और अधिमत/फैसला (*वर्डिक्ट)* का विरोध करती हो।
	सुप्रीम-कोर्ट के सभी जज, हाई-कोर्ट के सभी जज, प्रधानमंत्री और सभी नागरिक	4. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के सभी प्लॉट राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) के तहत आएंगे: • पर्यटन मंत्रालय • एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के मालिकाना हक वाले हवाईअड्डे और सभी भवन • सभी आई आई एम, यू जी सी के पैसे से चलने वाले सभी कॉलेज और विश्वविधालय (विज्ञान और इंजिनियरिंग पढ़ाने वाले को छोड़कर) • उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय • मानव संसाधन विकास मंत्रालय • सूचना और प्रसारण मंत्रालय • सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय • ग्रामीण विकास मंत्रालय • लघु उधोग और कृषि व ग्रामीण उधोग मंत्रालय • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय • कपड़ा/वस्त्र मंत्रालय • पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय • शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय • युवा मामले और खेल मंत्रालय • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

		• योजना आयोग राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) का उन भूमि-प्लॉटों पर कोई न्यायिक-अधिकार **नहीं** होगा जिसका मालिकाना हक निजी व्यक्तियों अथवा कम्पनियों अथवा ट्रस्टों के हाथ हो अथवा जिन भूमि-प्लॉटों का मालिकाना हक/स्वामित्व राज्य सरकार अथवा नगरों अथवा जिलों के पास हो। इसका उन प्लॉटों पर कोई मालिकाना हक नहीं होगा जिनका उपयोग/प्रयोग सेना, न्यायालय, कैदी, रेलवे, बस अड्डों, XII कक्षा तक के सरकारी स्कूलों और कर-वसूली अधिकारियों द्वारा किया जा रहा हो।
3.3	प्रधानमंत्री और सारे अधिकारी	सभी आई आई टी, एन आई टी और आई.आई.एस.सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) के अन्तर्गत आएंगे और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) के निदेशक/डायरेक्टर इन कॉलजों के मुख्य अधिकारी होंगे और वे इन कॉलेजों मे दैनिक कार्यकलाप सुचारू रूप से चलाने के लिए उप प्रमुखों की नियुक्ति करेंगे। विज्ञान और इंजिनियरिंग पढ़ाने वाले कॉलज विज्ञान मंत्रालय के अधीन होंगे और ये राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) के अधीन नहीं होंगे ।
.	सैक्शन 4: भारत सरकार के स्वामित्व / मालिकी वाले प्लॉटों के किरायों की वसूली	
4.1	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)	उपयोग में न आ रही जमीन के लिए, राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) जमीन को उपयुक्त प्लॉटों के आकार में इस तरह बांटेगा जिस तरह वह इसे किराया प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद समझता है। राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) हरेक प्लॉट के लिए बोली लगवाएगा। नीलामी के लिए शर्तें इस प्रकार होंगी:- • लिज/पट्टा राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार 5, 10, 15, 20, 25 वर्षों के लिए होगा। यह लिज/पट्टा कभी भी 25 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगा। • बोली लगाने वाले मासिक/ महीने का किराया के लिए बोली लगाएंगे और बोली लगाने की अवधि/ का काल अधिकतम लीज अवधि से कम होगा। इसलिए यह बोली (मासिक किराया, लीज के महीने) के रूप में होगी। एक व्यक्ति कई बोली लगा सकेगा। लीज की अधिकतम समय-सीमा/अवधि 12 महीने होगी। • बोली का वजन/प्रभाव मासिक किराया होगा / लॉग/log (जितने महीने के लिए किया गया लीज) अर्थात किराया जतना ज्यादा होगा वजन/प्रभाव उतना ज्यादा होगा और लीज जितना

		लम्बा होगा वजन/प्रभाव उतना कम होगा। • बोली/निविदा खुली होगी। • राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) बोली के वजन के अनुसार प्लॉट देगा। • राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) छह महीने का किराया जमा के रूप में लेगा। • किराएदार किसी भी दिन जमीन खाली करने और किराए का भुगतान रोक देने के लिए स्वतंत्र होगा।
4.2	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)	लीज/पट्टे के समय/अवधि के दौरान, राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) प्रत्येक तीन वर्ष किराये में संशोधन/बदलाव करेगा प्लॉट के चारो ओर के एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के जमीन के मूल्य/दाम में आने वाले प्रतिशत बदलाव के आधार पर और प्लॉट देने/जारी करने के दिन से और किराया दर में संशोधन किए जाने वाले दिन को ब्याज दर में आने वाले प्रतिशत बदलाव के आधार पर ।
4.3	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)	लीज का समय/अवधि के बीत जाने के बाद राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) एक नई बोली लगवाएगा जिसमें पहले से ही लीज ले चुके लोगों/ लीज-धारकों को लाभ/वरियता मिलगी। • उसका वजन/प्रभाव 1.25 से 1.5 बढ़ जाएगा जो उन वर्षों पर निर्भर करेगा जिसके दौरान उसने भुगतान किया है। • नीलामी खत्म हो जाने के तीन महीने के भीतर वह अपनी बोली बढ़ा सकता है। • मौजूदा लीज-धारकों को नए लीज/पट्टा-धारक द्वारा भुगतान किए जा रहे 6 महीने के अग्रिम किराए का 20 से 50 प्रतिशत मिलेगा जो उसके द्वारा भूमि/जमीन अपने पास रखने के महीनों पर निर्भर करेगा।
4.4	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)	लेकिन यदि मौजूदा लीज –धारक बोली हार जाता है तो वह उस जमीन/प्लॉट के सामान बेच या हटा सकता है। लकिन उसे जमीन खाली करना ही होगा।
4.5	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर	यदि प्लॉट किसी ने लिया हुआ है और उसका उपयोग कर रहा है तो उसे (entity को), 25 प्रतिशत ज्यादा मिलेगा(25 प्रतिशत * लीज, महीनों में /300), अधिकतम 50 प्रतिशत, बोली लगाने में बोनस अर्थात

	ओ)	उसकी बोली 1.25 से 1.5 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं।
4.6	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)	यदि वर्तमान में प्लॉट किसी ने लिया हुआ है और उसका उपयोग कर रहा है तो राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) उस प्लॉट के चारों ओर एक वर्ग किलोमीटर के प्लॉट का पिछले 3 वर्षों की बिक्री का मध्य विचलन/मीन मूल्य (बाजार मूल्य * मुख्य ब्याज दर/3) का हिसाब लगाकर प्लॉट की कीमत तय करेगे उसके अनुसार अगले 10 वर्षों के लिए वार्षिक किराया तय करेगा। किराए में हर तीन साल में संशोधन/बदलाव किया जाएगा। 10 वर्षों के बाद, इस धारा के खंड/कलम 1 से लेकर आगे उल्लिखित नियम लागू होंगे।
4.7	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) प्राप्त किराए का 34 प्रतिशत हिस्सा रक्षा मंत्रालय को देगा जो सेना को मजबूत बनाने, हथियार उपलब्ध कराने और सभी नागरिकों को हथियार चलाने की शिक्षा देन के काम के लिए होगा।
4.8	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) पिछले वर्ष राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति दिए गए किराए के दूगने की अधिकतम सीमा की शर्त के साथ पिछले **10** वर्षों से उस राज्य में रह रहे नागरिकों को प्रत्येक महीने जमा किए गए /वसूले गए किराए का 33 प्रतिशत वितरित करेगा/ बांटेगा। राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) प्रति माह वसूला गया शेष किराया भारत के नागरिकों को भेजेगा।
4.9	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)	इस कानून के पास/ पारित हो जाने के एक साल के बाद किसी व्यक्ति को किराया इस प्रकार मिलेगा- • यह किराया 33 प्रतिशत बढ़ जाएगा यदि उसका कोई बच्चा न हो । • यह किराया 33 प्रतिशत कम हो जाएगा यदि उसे (दो बेटी, एक बेटा) अथवा(एक बेटी, एक बेटा) अथवा (दो बेटा) अथवा (तीन बेटी) से अधिक हो और इसमें से सबसे छोटा बच्चा कानून पास हो ने/लागू होने के एक वर्ष के बाद पैदा हुआ हो। • किराया 66 प्रतिशत घट जाएगा यदि उसे (तीन बेटी, एक बेटा) अथवा(दो बेटी, दो बेटा) अथवा(एक बेटी, दो बेटा) अथवा तीन बेटा अथवा चार बेटी से अधिक हो और इसमें से सबसे छोटा बच्चा कानून पास होने/लागू होने के एक वर्ष के बाद पैदा हुआ हो।

4.10	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)	60 वर्ष से उपर के पुरूषों और 55 वर्ष से उपर की महिलाओं को 33 प्रतिशत ज्यादा किराया मिलेगा और यह 75 साल से उपर के पुरूष एवं 70 साल से उपर की महिलाओं के लिए 66 प्रतिशत ज्यादा मिलेगा।
4.11	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)	7 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए कोई किराया नहीं दिया जाएगा, 7 से 14 वर्ष के बीच की उम्र वालों के लिए सामान्य का चौथाई और 14 से 18 वर्ष के बीच के उम्रवालों के लिए सामान्य रूप से भुगतान किए गए किराए का दो तिहाई होगा।
.	सैक्शन 5: खनिज रॉयल्टी(आमदनी) का कलेक्शन/ जमा करना	
5.1	सभी विभागों के सचिव	विभागों के वे सभी सचिव जिनके पास खादानों अथवा कच्चे तेल के कुओं का प्रभार है या जो खादानों अथवा कच्चे तेल के कुओं से रॉयल्टी जमा कर रहे हैं, उन्हें एकत्र किए गए/ वसूल किया गया रॉयल्टी राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) के पास भेजने का आदेश दिया जाता है।
5.2	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) रॉयल्टी को सेना, राज्य में रहने वाले नागरिकों, भारत के नागरिकों के बीच उसी अनुपात में वितरित करेगा जिस अनुपात में जमीन के किराए के वितरण से संबंधित अध्यादेश/आर्डिनेन्स में जमीन किराया बांटने के संबंध में उल्लेख है।
.	सैक्शन 6: जनता की आवाज़	
6.1	जिला कलेक्टर	यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी/डी सी के कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा सकता है और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
6.2	तलाटी (या पटवारी)	यदित कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह उपर के खंड/कलम में प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर हां – नहीं दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्क देगा। तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद/पावती देगा। यह हां – नहीं प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाला जाएगा।

(5.12) कृपया सेना और नागरिक के लिए खनिज रायलटी (एम.आर.सी.एम) कानून, जिसका प्रस्ताव मैंने किया है, उसके अंतिम दो धाराओं / खंड पर ध्यान दें

कृपया उपरलिखित प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट /प्रारूप के अंतिम दो खंड/कलम पर ध्यान दीजिए । ये दो खंड/कलम जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के अलावा कुछ नहीं है । मेरे प्रत्येक क़ानून-ड्राफ्ट में दो

पंक्तियों को दोहराया गया है। यह दोहराव क्यों है? सांकेतिक मूल्यों को एक ओर छोड़िए, इस दोहराव का राजनैतिक महत्व भी है। यह हो सकता है कि एक `नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी `(एम आर सी एम) कार्यकर्ता को सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) विरोधी बुद्धिजीवियों से लड़ाई लड़नी पड़े। तब `नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम) कार्यकर्ता उसे इस कानून का वैसा क़ानून-ड्राफ्ट उपलब्ध कराने की चुनौती दे सकता है जो वह चाहता है और तब उनसे 6.1 और 6.2 की लाइने जोड़ने को कह सकता है। यदि विरोधी पक्ष अंतिम दो लाइनों को जोड़े जाने का विरोध करता है तो उसपर आम आदमी का विरोधी होने का आरोप लगाया जा सकता है। और यदि वह इन दो पंक्तियों के जोड़े जाने को स्वीकार करता है तब परिणामस्वरूप उसका प्रस्तावित कानून इस जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली को लागू करेगा जिसका उपयोग करके `नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी `(एम आर सी एम) कानून जनता की हां का उपयोग करके लाया जा सकता है।

दो लाइनों का यह जोड़ दर्शाता है कि जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के लिए मांग केवल कोई दोहराई गयी सकारात्मक संकल्पना ही नहीं है बल्कि जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली एक ऐसा कानून है जिसे किसी भी अन्य कानून में जोड़ा जा सकता है और यदि एक बार यह कानून जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कानून के साथ जोड़कर पारित हो जाए तो इन दोनो कलमों को उन सभी 200 कानूनों को लाने/लागू करने में उपयोग में लाया जा सकता है जिसका प्रस्ताव मैने किया है। जनता की आवाज स्वयं पैदा करने वाला (*सेल्फ जरमिनेटिंग*) प्रस्ताव है अर्थात यदि सभी कानून गलत ही हैं, लेकिन एक कानून के साथ जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली का दो खंड/कलम भी है तो सभी अच्छे कानूनों को लागू किया जा सकता है।और यह दो पंक्तियो का जोड़ा जाना किसी भी अलोकतांत्रिक कानून को बाहर का रास्ता दिखलाने के लिए पर्याप्त है । क्योंकि यदि किसी अलोकतांत्रिक कानून में ये दो पंक्तियां शामिल हैं तो इसे कुछ ही दिनों या कुछ ही सप्ताह के में नागरिकों द्वारा नकार दिया जाएगा।

(5.13) 110 करोड़ नागरिकों को भुगतान भेजने में आनेवाली लागत

जमीन का किराया और खदान की रॉयल्टी 110 करोड़ आम लोगों तक भेजना कितना आसान/कठिन है? इस काम को यूनिवर्सल बैंकिंग प्रणाली (जिसे विस्तार से बाद में बताया जाएगा) का उपयोग करके किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक नागरिक के पास केवल और केवल एक ही नागरिक एकाउन्ट, भारतीय स्टेट बैंक (अथवा किसी सरकारी बैंक या पोस्ट-आफिस) की उसकी अपनी पसंद की शाखा में होगा। राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) द्वारा भेजी गई राशि नागरिक के खाते में जमा की जा सकती है और इससे रकम सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा एक बार सौ रूपए के गुणक के रूप में अधिकतम 1000 रूपया प्रति माह निशुल्क निकाला जा सकता है। खाता धारक को फोटो वाली पासबुक और हस्ताक्षरित और अंगुठा लगा चेक लाना होगा जिसे बैंक में कैशियर और कैमरे के सामने प्रस्तुत करना होगा। इस अत्यन्त

प्रतिबंधित प्रक्रिया से कोई कैशियर प्रति घंटे 30 भुगतान अथवा अपने आठ घंटे की ड्यूटी के दौरान 200 लोगों को और एक महीने में 5000 लोगों को भुगतान कर सकता है। इस तरह, 110 करोड़ नागरिकों को प्रति माह एक बार भुगतान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 110 करोड़/ 5000 = लगभग 220,000 कैशियर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही, जब तक कि कोई बच्चा 14 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसका भुगतान उसके माता-पिता के खाते में जाएगा और इसलिए क्लर्को की जरूरी/अपेक्षित संख्या लगभग 30 प्रतिशत घटकर अब केवल 160,000 क्लर्क ही रह जाएगी। दूसरे शब्दों में, भारत भर में लगभग 160,000 कैशियरों, लगभग 10000 निरीक्षकों और 10000 अन्य स्टॉफ को काम पर लगाकर प्रतिमाह 110 करोड़ भुगतान भेजना संभव है। और क्योंकि ए टी एम का प्रसार काफी हो रहा है (ए टी एम की संख्या लगातार बढ़ रही है) इसलिए इस संख्या में भी कमी लाई जा सकती है। और प्रतिमाह नकद भुगतान की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ढोंगी रूप बनाकर) धोखाधड़ी करने वालों की संख्या में कमी लाने के लिए लोग किसी मुहल्ले में कम से कम 10 व्यक्ति और ज्यादा से ज्यादा 20 व्यक्तियों का एक दल बना सकते हैं। जिसे “आपसी गवाह समूह” का नाम दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति 10 के समूह का सदस्य है तो उसपर इस बात का प्रतिबंध होगा कि जब वह पैसा निकालने जाए तो उस समूह में से कम से कम 5 लोग उसके साथ अवश्य जाएं । आम तौर पर सभी 10 लोग एक ही दिन और एक ही समय पैसा निकालने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसे समूह का सदस्य है तो उस समूह में से सभी को एक ही साथ पैसा मिल जाएगा। और किन्हीं 5 लोगों के अंगुठे का निशान भुगतान रसीद पर ले लिया जाएगा।

एक तर्क/दलील जो `नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम) के विरूद्ध मुझे दी जाती है वह है 200,000 क्लर्कों के नेटवर्क का संचालन करना असंभव होगा और इसलिए क्यों न इस पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्च किया जाए। देखिए 5 से 17 आयुवर्ग के 25 करोड़ बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रति 100 छात्र कम से कम एक शिक्षक होगा । स्कूल में प्रति छात्र कम से कम एक वर्ग-मीटर क्षेत्र की जरूरत होगी । अर्थात 25 करोड़ वर्ग-मीटर क्षेत्र। अस्पतालों में 100 करोड़ नागरिको को सेवा प्रदान करने के लिए हम प्रति 2000 नागरिकों पर कम से कम एक डॉक्टर की जरूरत होगी अर्थात 500,000 डॉक्टर ओर लगभग 10,00,000 नर्स । इसके अलावा हमें अस्पताल के लिए हजारों भवनों की जरूरत पड़ेगी । दूसरे शब्दों में 25 करोड़ छात्रों को शिक्षा देने और 100 करोड़ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 100 करोड़ किराया भुगतान भेजने के लिए काम करने वाले स्टाफ से 20 से 100 गुना ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी । इसलिए शिक्षा स्वास्थ्य आदि की बात मानने के बाद भी मै क्लर्कों की संख्या के आधार पर किराया भेजने की योजना को रद्द करने की जरूरत नहीं समझता। प्रत्येक महीने 100 करोड़ भुगतान भेजने के लिए आवश्यक क्लर्कों की संख्या 200,000 से अधिक नहीं है और यह दूसरी वैकल्पिक योजनाओं में लगने वाले स्टाफ से बहुत ही कम है।

(5.14) क्या इससे सरकारी आय कम नहीं होगी ? नहीं।

यदि खनिज की सारी रॉयल्टी नागरिकों को जाती है तो सरकार को पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मेरे प्रस्ताव के अनुसार खनिज रॉयल्टी का 33 प्रतिशत हिस्सा सरकार (सेना) को ही जाएगा जिसे प्रत्येक आम नागरिक पर, और खनिज रॉयल्टी और जमीन किराया से उसकी आय पर 33 प्रतिशत आयकर के रूप में देखा जा सकता है। अब यह 33 प्रतिशत हिस्सा तब **बढ़ जाएगा** जब नागरिकों को 67 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। कैसे?

आज की खनिज रॉयल्टी पर विचार कीजिए। आज एक ग्रेनाइट ब्लॉक जिसका मूल्य बाजार में 100 रूपए है और जिसपर खनन और परिवहन/ढुलाई की लागत 10 रूपए से कम है] उसपर सरकार 5 रूपए या उससे भी कम रॉयल्टी प्राप्त करती है। ये बोलियां इतनी कम क्यों हैं? क्योंकि स्थानीय खनन ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों को भाड़े पर लेते हैं कि ज्यादा खदान मालिक बोली जमा कराने के लिए कलेक्टर के कार्यालय में ना आ पाए और बोली ना लगा पाए । लकिन ये अपराधी अपना काम करने में इसलिए सफल हो जाते हैं कि उन्हें विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और जजों के सगे-संबंधी वकीलों का सहयोग प्राप्त होता है । दूसरे शब्दों में, आज अपराधियों के उपयोग से , विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और जजों के सगे-संबंधी वकील ये सुनिश्चित करते हैं कि उस माने गए (deemed) रॉयल्टी में से *अधिकतर हिस्सा* उनके हाथों मे आता है उन खदान ठेकेदारों और अपराधियों के जरिए, जिनपर उनका वरदहस्त/हाथ होता है । आज अब हम कार्यकर्ताओं को आम लोगों को यह बताना ही पड़ेगा कि आम लोगों को इन मत्रियों भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और जजों के सगे-संबंधी वकीलों के खिलाफ लडाई लड़नी होगी । तब दो प्रश्न उठते हैं –

i. **एक आम आदमी कैसे लडाई लड़ सकता है?**
ii. **क्यों एक आम आदमी को अपना जीवन खतरे में डालना चाहिए या अपना समय बरबाद करना चाहिए ?**

`नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम)-रिकॉल(भ्रष्ट को हटाने का अधिकार) का नाम इन दोनों मुख्य प्रश्नों का उत्तर देता है । `नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी `(एम आर सी एम) दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देता है कि यदि खनिज की रॉयल्टी नागरिकों को मिल रही हो तो नागरिकों के पास यह सुनिश्चित करने का पर्याप्त कारण है कि वे अपराधी जो खदान के अच्छे ठेकेदार को रोकते हैं उन्हें जान से मार दिया जान चाहिए या बन्दी बना लेना चाहिए । और रिकॉल(भ्रष्ट तो हटाने का अधिकार) पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देता है: पुलिस वालों, जजों, मुख्यमंत्रियों , आदि पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल का उपयोग करके नागरिक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे पुलिस प्रमुखों, जजों, मंत्रियों, जो अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें, जैसा उचित हो, उन व्यक्तियों से बदला जाए जो आम लोगों का भला चाहते हैं । इसलिए एम आर सी एम खनिज की रॉयल्टी कई गुना बढ़ा देगा और इससे बह रॉयल्टी भी बढ़ेगी जो सेना को जाती है। इसलिए खनिजों से सरकार की आय का कुल योग इस दूसरे प्रस्तावित सरकारी आदेश से बढ़ेगा ही घटेगा नहीं।

इसी प्रकार, सरकारी प्लॉटों के मामले पर विचार कीजिए। आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अनेक सरकारी प्लॉटों को बाजार मूल्य के आंशिक कीमत पर दे देते हैं। प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री को बदलने की प्रक्रिया) एक ऐसा साधन उपलब्ध कराता है जिससे नागरिक इसे रोक सकते हैं और एम आर सी एम अर्थात आम लोगों तथा सेना को जमीन का किराया देना नागरिकों को वह कारण उपलब्ध कराता है कि वे इसे रोकें। हर बार एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जमीन को किराए के लिए बाजार के मूल्य से कम पर दे देता है। तब नागरिक हानि/घाटे का अनुमान करेंगे और जब यह घाटा उनके संयम की सीमा पार कर जाएगा तो वे उसे (मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री) बदलने के लिए 3 रूपए खर्च करेंगे। और इससे भी बेहतर बात कि बदले जाने और उसके बाद के दण्ड का डर मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री पर(घूस के बदले जमीन कम किराए पर देने पर) अंकुश लगाएगा । इसलिए कुल किराया बढ़ेगा और इस तरह किराए का तिहाई हिस्सा जो सरकार(सेना) को जाएगा, वह भी बढ़ेगा।

<u>इसलिए `नागरिक और सेना के लिए रोयल्टी (आमदनी)`(एम आर सी एम) प्रस्ताव खनिजों और भूमि किराया से सरकार की कुल आय बढ़ाएगा।</u>

इससे आम लोगों की आय भी बढ़ेगी। तब किसको हानि होगी ? अपराधी और ठेकेदार को कम ही हानि होगी । असली घाटा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, मत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री, उच्चवर्गीय लोग जो बड़े खदानों के मालिक हैं, जजों के सगे-संबंधी वकीलों आदि को होगी। और वे लोग जो एम आर सी एम-रिकाल प्रस्तावों का विरोध करते हैं वे केवल अपराधियों, खनिज-अयस्क ठेकेदारों, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जजों के सगे-संबंधी वकीलों, उच्चवर्गीय लोग जो बड़े खदानों के मालिक हैं, को ही लाभ पहुंचाएंगे किसी और को नहीं। **कई बुद्धिजीवी इनसे वेतन लेते हैं और इसलिए उनके हितों का ध्यान रखते हुए एम.आर.सी.एम-रिकाल का जोरदार विरोध करते हैं ।**

(5.15) पश्चिम में कोई ऐसा कानून नहीं है तो हमें इसकी जरूरत क्यों है?

मैं उन प्रक्रियाओं के लिए अभियान चलाता रहता हूँ जिससे हम आम लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और जजों को हटा सकते हैं । सभी प्रमुख बुद्धिजीवियों ने इस मांग का विरोध किया है और यह दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि यह असंवैधानिक है । इसमें असफल होने के बाद वे कहते हैं – पश्चिम के देशों में आम लोगों को रॉयल्टी देने की यह प्रक्रिया नहीं है और इसलिए हम लोगों के यहां यह प्रक्रिया क्यों होनी चाहिए ?

देखिए, अमेरिका में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक आयकर है। और इसका उल्लंघन बहुत कम होता है। और कुछेक लोगों को ही इससे छूट प्राप्त है । अमेरिका में जमीन पर भी लगभग एक 1 प्रतिशत संपत्ति-कर है । और अमेरिका में मृत्यु पर 45 प्रतिशत विरासत (इनहैरिटैंस) कर है । इन करों का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है। और इसका लाभ आम लोगों तक पहूंच ही जाता है। जैसे जूरी प्रणाली से भ्रष्टाचार कम हुआ है। भारतीय बुद्धिजीवियों ने सम्पत्ति पर ,उच्च आयकर का विरोध किया है और वे उत्तराधिकार-कर के बिलकुल खिलाफ हैं और इस तरह कल्याणकार्य के लिए आबंटित धन/फंड न के बराबर है । और भारतीय बुद्धिजीवियों ने जूरी प्रणाली को भी वर्ष 1956 में मार डाला/ खत्म कर दिया

इसलिए भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया और फंड हड़पे जाने लगे। मैने 30 प्रतिशत आयकर, 2 प्रतिशत सम्पत्ति-कर और 35 प्रतिशत विरासत-कर का प्रस्ताव किया है ताकि सेना से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों/कॉम्प्लेक्सों में इंजिनियरिंग शिक्षा और हथियार के निर्माण के लिए आवश्यक सामान्य शिक्षा में सुधार आ सके। और मैने भ्रष्टाचार कम करने के लिए जूरी प्रणाली का भी प्रस्ताव किया है ताकि मिलने वाली सेवाओं में सुधार आए और गरीबी कम हो। लेकिन गरीबी कम करने और गरीबी/भूखमरी से होनेवाली मौतों को कम करने के इस तरीके में वर्षों लगेंगे जबकि हम आम लोगों को खनिज रॉयल्टियां सीधे देने से गरीबी कम करने और गरीबी/भूखमरी से मौत मात्र चार महीने के भीतर कम किया जाना संभव है।

(5.16) `नागरिक और सेना के लिए रोयल्टी (आमदनी)`(एम.आर.सी.एम) क़ानून-ड्राफ्ट और मानवाधिकार

भारत में प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ लोगों की मौत हो जाती है । देखिए, मरना तो एक स्वभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उन मरने वालों के पास प्रति महीने 100 रूपए का अधिक भोजन और दवाएं होती तो पिछले साल मरने वाले एक करोड़ लोगों में से कम से कम 5-20 लाख लोग 2-10 वर्ष ज्यादा जी सकते थे। भारत में पिछले वर्ष जन्में एक हजार बच्चों में से लगभग 55 की मौत हो गई जबकि यह संख्या चीन में 23 और क्यूबा में 5 थी । प्रति हजार में से 55 के हिसाब से वर्ष 2007 में यह संख्या 11 लाख हो गई। इसलिए भारत में वर्ष 2007 में इन 11 लाख शिशुओं, जिनकी मौत हुई, उनमें से कम से कम 5 लाख बच्चों को तो बचाया जा सकता था यदि उनके परिवारों के पास भोजन और दवा पर खर्च करने के लिए कुछ 100 रूपए प्रतिवर्ष अधिक होता। दूसरे शब्दों में, भारत में आज की स्थिति के अनुसार, गरीबी के कारण सबसे ज्यादा मौत होती है और मानवाधिकार का सबसे गंभीर/ज्यादा उल्लंघन होता है। एक बार एक अर्थशास्त्री ने कहा था कि बम धमाकों मे होनेवाली एक मौत ज्यादा ध्यान खींचती है, भूखमरी से होनेवाली 10 हजार मौतें भी इतना ध्यान नहीं खींचती। ऐसा मुख्यत: इसलिए है क्योंकि समाचारपत्र 0.01 प्रतिशत भारतीयों द्वारा लिखा जाता है और केवल सबसे उपर की 15 प्रतिशत जनता उन्हें पढ़ती है। एक बम धमाका उन्हें दूख पहूँचा देता है लेकिन भूखमरी उनसे कोसों दूर है । यही कारण है कि बुद्धिजीवियों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया-मालिक और मीडिया-पाठक व्यक्तिगत मुद्दों पर ध्यान देने पर जोर देते हैं। और गरीबी] भूखमरी से होने वाली मौतों पर ध्यान न देने पर जोर देते हैं।

`नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट मानवाधिकारों की मांग में सबसे बड़ी (लैण्डमार्क) मांग है क्योंकि यह भोजन और दवाएं खरीदने के लिए पैसे की कमी के कारण होने वाली मौतों की संख्या कम करेगी। दुख की बात है कि सभी बुद्धिजीवियों ने इस मांग का विरोध किया है और मेरे विचार से, कार्यकर्ताओं को इन बुद्धिजीवियों से तो सदैव के लिए किनारे कर ही लेना चाहिए।

(5.17) अभ्यास

1. भारत में कच्चे तेल का उत्पादन वर्ष 2008 में कितना था? यह मानते हुए कि वर्ष 2006 में हुए उत्पादन की लागत से वर्ष 2008 में हुए उत्पादन की लागत में कोई बदलाव नहीं आया, और यदि यदि खरीददारों से 135 डॉलर प्रति बैरल वसूला गया तो आपके आकलन के अनुसार भारतीय नागरिकों को कितना पैसा मिलेगा? और यदि प्रति बैरल केवल 50 डॉलर ही खरीददारों से वसूला गया तो आपके आकलन के अनुसार भारतीय नागरिकों को कितना पैसा मिलेगा?
2. मुंबई एयरपोर्ट का भू-क्षेत्रफल कितना है ? प्रति वर्ग-मीटर अनुमानित कीमत कितनी है? भारत के नागरिकों को कितना धन प्राप्त होगा यदि किराया बाज़ार मूल्य का तीन प्रतिशत प्रति वर्ष हो?
3. आपके जिले में सबसे बड़े विश्वविद्यालय का भू-क्षेत्रफल कितना है? उस भूमि का अनुमानित दाम क्या होगा और उससे भारतीय नागरिकों को प्राप्त प्रति व्यक्ति किराया कितना होगा यदि किराया बाज़ार मूल्य का तीन प्रतिशत प्रति वर्ष हो?
4. क्या भारतीय बजट में जमीन के किराए को सब्सीडी के रूप में/ इसके समतुल्य देखा जाता है?
5. क्यों भारत के बुद्धिजीवी इस बात पर अड़े हैं/जोर देते हैं कि हम आम लोगों को खदान की रॉयल्टी सीधे **नहीं** मिलना चाहिए बल्कि किसी योजना/स्कीम के माध्यम से ही मिलनी चाहिए ?

क्यों भारत के बुद्धिजीवी लोग इस बात पर अड़े हैं/जोर देते हैं कि आम लोगों को जमीन का किराया का लाभ सीधे नहीं मिलना चाहिए बल्कि किसी योजना / स्कीम के माध्यम से मिलना चाहिए?

अध्याय 6 - आर.आर.जी (प्रजा अधीन समूह) समूह की तीसरी मांग - प्रजा अधीन प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री का ड्रॉफ्ट

(6.1) तीन लाइन का यह कानून प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जजों और पुलिस प्रमुखों में व्याप्त भ्रष्टाचार को केवल चार महीनों में ही कैसे कम कर सकता है ?

मान लीजिए की आपने दस लोगों को काम पर रखा है और सरकार ऐसा कायदा बनाती है कि कुछ भी हो आप उनको निकाल नहीं सकते पांच साल के लिए या पूरी जिंदगी के लिए और उनको हर महीने वेतन तो देना ही है | तो फिर आप बताएं कि कितने लोग अच्छे से काम करेंगे एक-दो महीने बाद ? मेरे अनुसार, शायद ही एक-आध व्यक्ति होगा जो अच्छे से काम करेगा जब कि उनको मालूम है कि कैसा भी बुरा काम करें, मालिक तो उसे निकाल ही नहीं सकता | इस तरह से आपके द्वारा रखे गए नौकर आपके मालिक हो जाएँगे |

ऐसे ही नेता और अन्य जनता के नौकर जैसे जज,मंत्री, अफसर आदि नेता के मालिक बन जाते हैं | लेकिन जब उन जनता द्वारा रखे गए नौकरों को , नागरकों कों कभी भी , किसी भी दिन ,नौकरी से निकालने का अधिकार मिल जाता है, ये ही **राईट टू रिकाल या प्रजा अधीन-राजा** है | जिन पदों के ऊपर प्रजा अधीन-रजा या राईट टू रिकाल रखा है , उनकी सूची भाग 6.13 में है |

जिस दिन नागरिकगण प्रधानमंत्री को जनता की आवाज (सूचना का अधिकार – 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने पर बाध्य कर देंगे उसी दिन मैं प्रजा अधीन प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन मुख्यमंत्री, प्रजा अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, प्रजा अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रजा अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रजा अधीन जिला पुलिस प्रमुख आदि के लिए क़ानून-ड्राफ्ट को एफिडेविट के रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। और यदि प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर नहीं भी करते हैं और मुख्यमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब भी मैं प्रजा अधीन प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, प्रजा अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रजा अधीन जिला पुलिस प्रमुख आदि के लिए एफिडेविट प्रस्तुत कर दूंगा। मेरा विश्वास है कि करोड़ों नागरिक इन ऐफिडेविटों पर हां दर्ज कर देंगे और इस प्रकार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि इस पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होंगे। इस प्रकार इन तीन लाइनों के कानून का प्रयोग करके हम लोग प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून भारत में ला सकते है। और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) एक ऐसा भय पैदा करेगा जिससे ये अधिकारी घूस/रिश्वत लेने का काम महीने भर में कम करने को बाध्य हो जाएंगे। इसलिए अगर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कार्यकर्ता प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) पर जोर दे तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों आदि में भ्रष्टाचार को एक महीने के भीतर ही कम किया जा सकता है, और यहां तक कि एक भी व्यक्ति का सांसद के रूप में चयन हुए बिना भी ऐसा हो सकता है।

यदि `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम)` समर्थक संसद में बहुमत मिलने तक इंतजार करने और तब नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम

आर सी एम) लागू करने पर अड़ जाता है तो ऐसी संभावना है कि नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) समर्थक को हमेशा के लिए इंतजार ही करते रहना पड़ेगा क्योंकि पहले तो उन्हें संसद में बहुमत ही नहीं मिलेगा। और इससे भी बुरा होगा कि यदि उन्हें बहुमत मिल जाता है तो (इस बात की संभावना है कि) उनके अपने ही सांसद बिक जाएंगे और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट पारित करने से मना कर देंगे। उदाहरण के लिए वर्ष **1977** में जनता पार्टी के सांसदों ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि वे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून लागू करेंगे और चुन लिए जाने के बाद, बाद में उन्होंने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून पास करने से मना कर दिया। इसलिए मेरे विचार से, `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम) कार्यकर्ताओं को जनता की आवाज (सूचना का अधिकार- 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट पर जन-आन्दोलन पैदा करने पर ध्यान लगाना चाहिए और जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट पारित करवाना चाहिए न कि चुनाव में जीतने तक इंतजार करना चाहिए ।

(6.2) प्रधानमंत्री को हटाने / बदलने के क़ानून-ड्राफ्ट का विवरण

जिस तीसरी सरकारी अधिसूचना(आदेश) की मांग हम कर रहे हैं, वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करके हम आम आदमी 5 वर्षों तक इंतजार किए बिना प्रधानमंत्री को हटा सकते है।

1. कोई भी नागरिक जो प्रधानमंत्री बनना चाहता हो वह अपना नाम कलक्टर के सामने प्रस्तुत करेगा।
2. भारत का कोई भी नागरिक तलाटी/ पटवारी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। तलाटी उसे उसके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र, दिनांक और समय, और जिन व्यक्तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ रसीद देगा।
3. तलाटी लोगों की प्राथमिकता को सरकारी वेबसाइट पर उनके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र के साथ डाल देगा।
4. कोई नागरिक अपना अनुमोदन/स्वीकृति 3 रूपया शुल्क देकर किसी भी दिन बदल सकता है।
5. प्रत्येक महीने की पहली तारीख को सचिव उम्मीदवारों के अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती को प्रकाशित करेगा।
6. प्रधानमंत्री की अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती निम्नलिखित दो से उच्चतर मानी जाएगी –

- नागरिकों की संख्या, जिन्होंने उसका अनुमोदन/स्वीकृति किया है
- प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले सांसदों द्वारा प्राप्त किए गए कुल मतों का योग

7. यदि किसी व्यक्ति को 15 करोड़ से ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति मिले हैं और मौजूदा प्रधानमंत्री के मुकाबले 1.5 प्रतिशत ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त है तो वर्तमान प्रधानमंत्री इस्तीफा **दे सकता है** और सांसदगण सबसे अधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे।

(6.3) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को बदलने के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया/तरीका का उदाहरण

मान लीजिए, भारत में 75 करोड़ मतदाता हैं। तब उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार बदलने/हटाने का काम हो सकता है यदि मौजूदा प्रधानमंत्री की अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती से 1.5 करोड़ अधिक मतदाताओं ने एक नए व्यक्ति का अनुमोदन/स्वीकृति कर दिया हो। उदाहरण के लिए, वर्ष 2004 के प्रधानमंत्री के पास लगभग 300 सांसदों का समर्थन था जिनके वोट लगभग 18 करोड़ होते हैं। इसलिए प्रस्तावित प्रक्रिया के अनुसार यदि जब 19.5 करोड़ नागरिकों ने किसी अन्य व्यक्ति को अनुमोदित कर दिया होता तो वह व्यक्ति प्रधान मंत्री बन जाता।.
क्या 19.5 करोड़ नागरिक अनुमोदन/स्वीकृति देंगे ? ये इसपर निर्भर करता है कि वर्त्तमान प्रधान मंत्री कितना बुरा है और नागरिक उससे कितना नफरत करते हैं और उसका विकल्प स्वरुप व्यक्ति कितना प्रसिद्द है |

(6.4) मुख्यमंत्री को हटाने / बदलने के क़ानून-ड्राफ्ट की अधिक जानकारी

प्रजा अधीन मुख्यमंत्री एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करके हम आम आदमी 5 वर्षों तक इंतजार किए बिना ही मुख्यमंत्री को हटा सकते है।

1. कोई भी नागरिक जो मुख्यमंत्री बनना चाहता हो वह अपना नाम कलक्टर के सामने प्रस्तुत करेगा।
2. भारत का कोई भी नागरिक तलाटी/ पटवारी/लेखपाल के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। तलाटी उसे उसके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र, दिनांक और समय, और जिन व्यक्तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ रसीद देगा।
3. तलाटी लोगों की प्राथमिकता को सरकारी वेबसाइट पर उनके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र के साथ डाल देगा।
4. कोई नागरिक अपना अनुमोदन/स्वीकृति 3 रूपया शुल्क देकर किसी भी दिन बदल सकता है।
5. प्रत्येक महीने की पहली तारीख को सचिव उम्मीदवारों के अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती को प्रकाशित करेगा।
6. वर्तमान मुख्यमंत्री की अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती निम्नलिखित दो से उच्चतर मानी जाएगी –

- नागरिकों की संख्या, जिन्होंने उसका अनुमोदन/स्वीकृति किया है
- मुख्यमंत्री का समर्थन करने वाले विधायकों द्वारा प्राप्त किए गए कुल मतों का योग

7. यदि किसी व्यक्ति को मौजूदा मुख्यमंत्री के मुकाबले 2 प्रतिशत ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त है तो वर्तमान मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकता है और सबसे अधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा।

प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल की प्रक्रियां कैसे काम करेंगी का एक उदाहरण

प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री की प्रक्रिया कैसे काम करेगी एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं | प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री भी उसी तरह काम करेगी| मान लीजिए, वर्त्तमान प्रधानमंत्री `क` अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है | तो फिर वो लोगों के बीच बदनाम हो जायेगा और फिर लोग

उसका विकल्प खोजेंगे | मान लीजिए दो ऐसे लोकप्रिय लोगों `ख` और `ग` ने अपना नामांकन कलेक्टर के दफ्तर जाकर कराया | फिर उनके समर्थक अपने नजदीक के पटवारी के दफ्तर जाकर तीन/एक रूपया देकर, जांच के लिए अपनी अंगुली का छाप और मतदाता कार्ड की जानकारी देकर , अपना समर्थन दर्ज कराएँगे | ये सब प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर आ जायेगा और दुनिया भर के लाखों-करोड़ों लोग इसे देख सकेंगे कभी भी और कोई भी व्यक्ति ये भी जांच कर सकता है कि उम्मीदवार के लाखों समर्थक असली है या नहीं | अब मान लें कि वर्त्तमान प्रधानमंत्री के 15 करोड़ समर्थक थे | फिर उसके समर्थक घटकर 12 करोड़ हो जाते है और नए उम्मीदवार `ग` के 20 करोड़ समर्थक हो जाते हैं | अब ये 20 करोड़ समर्थक अपने क्षेत्र के विधायक,सांसद और प्रसिद्द लोगों पर दबाव डालेंगे `ग` को प्रधानमंत्री बनाने के लिए , उनसे ये कहकर कि करोड़ों लोग `ग` को समर्थन कर रहे हैं, आप भी जांच सकते हैं तो फिर `ग` को प्रधानमंत्री बनाएँ| इस दबाव से सांसद/विधायक वर्त्तमान प्रधानमंत्री को कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दो और `ग` को प्रधानमंत्री बना दो , नहीं तो इतने सारे `ग` के समर्थक कुछ कर बैठेंगे , या तो हम आगे आने वाले चुनावों में बुरी तरह हारेंगे | इस तरह जनता के दबाव के कारण वर्त्तमान प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा और `ग` को प्रधानमंत्री बना देगा| ध्यान दें कि आज कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है देश में जिससे ये पता लग सके कि किसी व्यक्ति के कितने समर्थक हैं ,इसीलिए जनता का दबाव नहीं बन पाता. लेकिन ये प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल प्रक्रियाओं द्वारा जनता राजनैतिक दबाव बना सकेगी |

अक्सर पूछी जाने वाले प्रश्नों प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल/`भ्रष्ट को बदलने का आम नागरिक का अधिकार` और `पारदर्शी शिकायत प्रणाली ` पर देखें इस लिंक को डाउनलोड करके - www.righttorecall.info/004.h.pdf

<u>अधिकारी को बदलने के लिए कम से कम नागरिकों के अनुमोदनों की संख्या/सीमा क्या होनी चाहिए प्रजा अधीन-राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार नागरिकों द्वारा)</u>

वैसे तो `प्रजा अधीन-राजा के क़ानून-ड्राफ्ट में जो नागरिकों की कम से कम संख्या जो होनी चाहिए (सीमा) , वर्त्तमान अधिकारी को इस्तीफ़ा देने के लिए ,वो अधिकारी पर बाध्य/जरूरी नहीं है और केवल अधिकारी को सही फैसला लेने के लिए ही है , लेकिन ये सीमा क्या होनी चाहिए प्रजा अधीन-राजा के क़ानून-ड्राफ्ट में ?

ये सीमा 20-50% होगी , जो `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) द्वारा तय की जायेगी | और , जिला स्तर पर , ये संख्या सीमा कम से कम 50% होनी चाहिए , क्योंकि कुछ जातियों की 20% आबादी भी होती है ,जिलों में | राज्य स्तर पर ये 35% और राष्ट्रीय स्तर पर 20 % उचित है|

(6.5) क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हर सप्ताह बदले जाएंगे ? नहीं ।

अधिकतर कम्पनियों में, नियोक्ताओं/मालिकों को कर्मचारियों को हटाने का अधिकार होता है और इसका यह मतलब कभी नहीं है कि नियोक्ता/मालिक हर दिन कर्मचारी को निकालता ही रहता है। कम से कम, ज्यादातर नियोक्ता स्थायी कर्मचारी की ही तलाश में रहते हैं और उन्हें केवल तभी हटाते है जब वे कुछ बहुत ही बड़ा नुकसान जानबुझकर कर देते हैं। नागरिकगण इस

प्रक्रिया/तरीके का प्रयोग किसी ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने के लिए नहीं करेंगे जिन्हें वे नहीं चाहते और ऐसे मुख्यमंत्री को भी नहीं हटाएंगे जिसने कोई गलती की हो । वे इसका उपयोग केवल तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बिलकुल ही भ्रष्ट और जनता का विरोधी हो चुका है। किसी को हटाने की बात दिमाग में तब आती है जब उसके लिए अत्यधिक घृणा पैदा हो और ऐसी घृणा किसी छोटी गलती के कारण नहीं आती बल्कि केवल तभी आएगी जब वह पीठ में छूरा घोंपने जैसी कोई बड़ी गलती करे।

अमेरिका में लगभग 20 राज्यों में गवर्नर/राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया लागू है। उन राज्यों में पिछले 100 वर्षों में कम से कम लगभग 20*100/4= लगभग 500 गवर्नरों ने पद सम्हाला होगा। कितनों ने रिकॉल मतदान का सामना किया? केवल तीन ने। और वास्तव में कितने गवर्नरों को उनके पदों से हटाया गया? केवल एक को। इसलिए इस तरीके/तंत्र ने कोई अस्थिरता पैदा नहीं की बल्कि इसने अमेरिका के उन सभी गवर्नरों पर छिपे रूप से खतरे के रूप में काम किया जो इस बात का एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों अमेरिका के गवर्नर भारत के मुख्यमंत्री से कम भ्रष्ट हैं।

(6.6) प्रधानमंत्री को बदलने (राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री) का प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट

#	निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया	प्रक्रिया/अनुदेश
1	-	नागरिक शब्द का मतलब/अर्थ रजिस्टर्ड वोटर/मतदाता है। ये सरकारी अधिसूचना(आदेश) तब प्रभावी माना जाएगा जब 37 करोड़ नागरिकों ने इसमें अपना `हाँ` दर्ज करवा दिया हो।
2	जिला कलक्टर या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति	30 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक जो प्रधानमंत्री बनना चाहता हो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय जा सकता है। जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्क लेकर उसे एक सीरियल नम्बर जारी करेगा।
3	तलाटी (अथवा तलाटी का क्लर्क)	भारत का कोई भी नागरिक तलाटी/ पटवारी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। तलाटी उसके अनुमोदन/स्वीकृति को कम्प्युटर में डाल देगा और उसे उसके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र, दिनांक और समय, और जिन व्यक्तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ रसीद देगा। (गरीबी रेखा से नीचे) बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क/फीस 1 रूपया होगी। यदि कोई नागरिक अपने अनुमोदन/स्वीकृति रद्द करने के लिए आता है तो तलाटी उसके एक या अधिक अनुमोदनों को बिना कोई शुल्क लिए बदल देगा।
4	तलाटी	वह तलाटी नागरिकों की पसंद/प्राथमिकता को प्रधानमन्त्री के वेबसाइट

		पर उनके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र और उसकी प्राथमिकताओं के साथ डाल देगा।
5	मंत्रिमंडल सचिव	प्रत्येक सोमवार को मंत्रिमंडल सचिव हरेक उम्मीदवार के अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती को प्रकाशित **करेगा**। .
6	प्रधानमंत्री	पहला प्रधानमंत्री अपनी अनुमोदन/स्वीकृति–गिनती को निम्नलिखित दो से उच्चतर **<u>मान सकता है</u>** – • नागरिकों की संख्या, जिन्होंने उसका अनुमोदन/स्वीकृति किया है • प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले लोकसभा के सांसदों द्वारा प्राप्त किए गए कुल मतों का योग
7	प्रधानमंत्री	यदि किसी व्यक्ति को मौजूदा प्रधानमंत्री के मुकाबले 2 प्रतिशत ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त है तो वर्तमान प्रधानमंत्री इस्तीफा **<u>दे सकता है</u>** और सांसदों से **<u>कह सकता है</u>** कि वे सबसे अधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें।
8	लोकसभा के सांसद	सांसदगण कलम/खंड 7 में उल्लिखित व्यक्ति/सबसे अधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री नियुक्त **<u>कर सकते हैं</u>**।
9	जिला कलेक्टर	यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी/डी सी के कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा सकता है और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
10	तलाटी (या पटवारी)	यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह उपर के कलम/खंड में प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर हां – नहीं दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्क देगा। तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद/पावती देगा। यह हां – नहीं प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाला जाएगा।
	सैक्शन- सी.वी. (जनता की आवाज़)	
सी वी - 1	जिला कलेक्टर	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20

		रूपए प्रति पृष्ठ/पन्ने का शुल्क/फीस लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
सी वी - 2	तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल)	यदि कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के धारा में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए की फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

प्रश्न- एक छोटे गांव का वासी को राष्ट्रिय स्तर के आधार वाले राजनैतिक व्यक्ति जैसे प्रधानमन्त्री के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी और उसका चुनाव कैसे लेगा ?

ये जायज प्रश्न हो सकता है कि गांव के भोले-भाले वासी , एक राष्ट्रिय स्तर के पद जैसे प्रधानमंत्री के लिए सही जानकारी कैसे मिलेगी और वो निर्णय और चुनाव कैसे करेगा?

आज जो भी जानकारी गांव के वासी को ,अपने से दूर के क्षेत्र/जगह की मिलती है, वो समाचार-पत्र , टी.वी. या अन्य मीडिया द्वारा मिलती है | अब मीडिया द्वारा किसी दूर-दराज के इलाके की जानकारी विश्वसनीय अधिकतर नहीं होती है क्योंकि मीडिया बिकी हुई है, जो उसको पैसे देता है, उसी के अनुसार समाचार देती है | लेकिन `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` और उसके द्वारा `प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री` आ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति हलफनामे/एफिडेविट में कोई भी व्यक्ति के बारे में जानकारी / समाचार दे सकता है और यदि वो लाखों लोग, जिनकी वोटर कार्ड ,अंगुली की छाप द्वारा पटवारी दफ्तर में जाकर जांच हुई हो, ने समर्थन किया हो तो , उस समाचार का गांव का आदमी भी विश्वास कर सकता है और इस व्यवस्था के आने से बड़े आराम से ये खबर गांव के आदमी तक पहुँच जायेगी | दूसरे शब्दों में ये प्रक्रियाएं एक `विकल्प मीडिया` भी हैं , जो सही , जाँची हुई और तेजी से समाचार देंगे |

(6.7) क्या होगा यदि प्रधानमंत्री और सांसद जनता का कहा नहीं मानें?

कोई व्यक्ति पूछ सकता है- तब क्या होगा जब प्रधानमंत्री और सांसद उपर प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना(आदेश) के कलम/खंड 7, कलम/खंड 8 का पालन न करेंगे।

देखिए, यदि मतदाताओं के एक बहुत बड़े प्रतिशत भाग ने किसी व्यक्ति को स्पष्ट रजिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित किया है तो यह प्रधानमंत्री और सांसद के लिए तब राजनीतिक (और वास्तविक) जीवन का अंत होगा जब वे अनुमोदित व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने से इनकार कर देते हैं । हम लोग अपनी चर्चा को राजनीतिक रूप से वास्तविक परिदृश्यों तक सीमित रखेंगे और सांसदों का मतदाताओं के इतने बड़े प्रतिशत की स्पष्ट रूप से साबित, लिखित राजनैतिक मांग को नजरअंदाज करना अस्वभाविक स्थिति है।

(6.8) कृपया प्रजा अधीन प्रधान मंत्री (भ्रष्ट प्रधानमन्त्री को बदलने) के कानून, जिसका प्रस्ताव मैंने किया है, उसके अंतिम दो खंड पर ध्यान दें

कृपया उस प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट /प्रारूप के अंतिम दो कलम/खंड पर ध्यान दीजिए । ये दो कलम/खंड `जनता की आवाज` (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) के अलावा कुछ नहीं है । मेरे प्रत्येक क़ानून-ड्राफ्ट में दो पंक्तियों को दोहराया गया है। यह दोहराव क्यों है? क्योंकि मैं बार-बार फिर से और हजारों बार फिरसे दोहरान चाहता हूँ कि हम भारत के आम जनों को अधिकार है भारत सरकार के पुस्तकों पर अपना मतभेद दर्ज करने के लिए और इसीलिए हमारे पास अपने मतभेद दर्ज करने के लिए प्रक्रिया होनी चाहिए |सांकेतिक मूल्यों को एक ओर छोड़िए, इस दोहराव का राजनैतिक महत्व भी है। यह हो सकता है कि एक `प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल ` (आर.टी.आर) कार्यकर्ता को `प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल ` (आर.टी.आर) विरोधी बुद्धिजीवियों से लड़ाई लड़नी पड़े। तब `प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल ` (आर.टी.आर) कार्यकर्ता उसे इस कानून का वैसा क़ानून-ड्राफ्ट उपलब्ध कराने की चुनौती दे सकता है जो वह चाहता है और तब उनसे 6.9 और 6.10 की लाइने(आखरी दो लाइनें) जोड़ने को कह सकता है। यदि विरोधी पक्ष अंतिम दो लाइनों को जोड़े जाने का विरोध करता है तो उसपर आम आदमी का विरोधी होने का आरोप लगाया जा सकता है। और यदि वह इन दो पंक्तियों के जोड़े जाने को स्वीकार करता है तब परिणामस्वरूप उसका प्रस्तावित कानून इस जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली को लागू करेगा जिसका उपयोग करके मेरे द्वारा प्रस्तावित सभी कानूनों को जनता की हां का उपयोग करके लाया जा सकता है।

दो लाइनों का यह जोड़ दर्शाता है कि जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के लिए मांग केवल कोई दोहराया गया सकारात्मक संकल्पना ही नहीं है बल्कि जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली एक ऐसा कानून है जिसे किसी भी अन्य कानून में इसके अपने प्रभाव को कम किए बगैर जोड़ा जा सकता है। और इन दो पंक्तियो का जोड़ा जाना किसी भी अलोकतांत्रिक कानून को बाहर का रास्ता दिखलाने के लिए पर्याप्त है । क्योंकि यदि किसी अलोकतांत्रिक कानून में ये दो पंक्तियां शामिल हैं तो इसे कुछ ही दिनों या कुछ ही सप्ताह के में नागरिकों द्वारा नकार दिया जाएगा।

ये अंतिम दो लाइनें ये भी बताती है कि जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली किसी भी प्रकार के जहर के लिए विषनाशक की तरह है । एक अच्छा विषनाशक क्या है ? एक शक्तिशाली विषनाशक को यदि द्रव से भरे गिलास में डाला जाता है तो यह कोई हानि नहीं पहुँचायेगा तथा गिलास में उपस्थित किसी भी प्रकार के जहर को खत्म कर देगा । जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली की ये दो धाराएँ/खंड किसी भी कानून के साथ जुड़ सकती हैं तथा इनके अंदर ऐसी क्षमता है कि यदि कानून अच्छा है तो ये खतरा पैदा नहीं करती पर यदि कानून खराब है तो इसकी धाराएँ ये सुनिश्चित करती हैं कि नागरिक इन कानूनों को खत्म कर

सकें । इसलिए जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली की इन धाराओं को मैं शक्तिशाली/उपयुक्त विषनाशक कहता हूँ ।

(6.9) राइट टू रिकॉल / प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री का क़ानून-ड्रॉफ्ट

#	निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया	प्रक्रिया/अनुदेश
1	-	नागरिक शब्द का मतलब/अर्थ रजिस्टर्ड वोटर/मतदाता है। सरकारी अधिसूचना(आदेश) तब प्रभावी माना जाएगा जब ---- करोड़ से अधिक नागरिकों ने इसमें अपना `हाँ` दर्ज करवा दिया हो।
2	जिला कलक्टर	30 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक जो मुख्यमंत्री बनना चाहता हो वह जिला कलक्टर के समक्ष/कार्यालय जा सकता है। जिला कलक्टर विधायक के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्क लेकर उसे एक सीरियल नम्बर जारी करेगा।
3	तलाटी (अथवा तलाटी का क्लर्क)	भारत का कोई भी नागरिक तलाटी/ पटवारी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। तलाटी उसके अनुमोदन/स्वीकृति को कम्प्युटर में डाल देगा और उसे उसके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र, दिनांक और समय, और जिन व्यक्तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ बिना कोई शुल्क लिए रसीद देगा।
4	तलाटी	वह तलाटी नागरिकों की पसंद/प्राथमिकता को मुख्यमंत्री के वेबसाइट पर उनके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र और उसकी प्राथमिकताओं के साथ डाल देगा।
5	मंत्रिमंडल सचिव	प्रत्येक सोमवार को मंत्रिमंडल सचिव हरेक उम्मीदवार की अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती को प्रकाशित करेगा। .
6	मुख्यमंत्री	पहला मुख्यमंत्री अपनी अनुमोदन/स्वीकृति – गिनती को निम्नलिखित दो से उच्चतर **मान सकता है** – • नागरिकों की संख्या जिन्होंने उसका अनुमोदन/स्वीकृति किया है • मुख्यमंत्री का समर्थन करने वाले विधायकों द्वारा प्राप्त किए गए मतों का योग
7	मुख्यमंत्री	यदि किसी व्यक्ति को मौजूदा मुख्यमंत्री के मुकाबले (सभी रजिस्टर्ड मतदाताओं के) 2 प्रतिशत ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त है तो

		वर्तमान मुख्यमंत्री इस्तीफा **<u>दे सकता है</u>** और विधायकों से **<u>कह सकता है</u>** कि वे सबसे अधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति को नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दें।
8	विधायकगण	विधायकगण कलम/खंड 7 में उल्लिखित व्यक्ति/सबसे अधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति को नया मुख्यमंत्री नियुक्त **<u>कर सकते हैं</u>**।
9	जिला कलेक्टर	यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी/डी सी के कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा **सकता है** और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
10	तलाटी (या पटवारी)	यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह उपर के कलम/खंड में प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर हां – नहीं दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्क देगा। तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद/पावती देगा। यह हां – नहीं मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाला जाएगा।
	सैक्शन-सी.वी (जनता की आवाज़)	
सी वी - 1	जिला कलेक्टर	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पन्ने का शुल्क/फीस लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
सी वी - 2	तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल)	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

(6.10) तब क्या होगा जब मुख्यमंत्री, विधायक नागरिकों की बात न मानें?

कोई व्यक्ति पूछ सकता है- तब क्या होगा जब मुख्यमंत्री और विधायकगण उपर प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना(आदेश) के कलम/खंड 7, कलम/खंड 8 का पालन नहीं करेंगे।

देखिए, यदि मतदाताओं के एक बहुत बड़े प्रतिशत भाग ने किसी व्यक्ति को स्पष्ट रजिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित किया है तो यह मुख्यमंत्री और विधयकों के लिए तब राजनीतिक (और वास्तविक) जीवन का अंत होगा जब वे अनुमोदित व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने से इनकार कर देते हैं । हम लोग अपनी चर्चा को राजनीतिक रूप से वास्तविक परिदृश्यों तक सीमित रखेंगे और सांसदों और विधायकों का मतदाताओं के इतने बड़े प्रतिशत की स्पष्ट रूप से साबित, लिखित राजनैतिक मांग को नजरअंदाज करना अस्वभाविक स्थिति है ।

(6.11) राइट टू रिकॉल / प्रजा अधीन नगर महापौर का क़ानून-ड्रॉफ्ट / प्रारूप

#	निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया	प्रक्रिया/अनुदेश
1	-	नागरिक शब्द का मतलब/अर्थ रजिस्टर्ड वोटर/मतदाता है। सरकारी अधिसूचना(आदेश) तब प्रभावी माना जाएगा जब ---- लाख से अधिक नागरिकों ने इसमें अपना `हाँ` दर्ज करवा दिया हो।
2	नगर आयुक्त/कमिश्नर (एम सी)(Municipal Comissioner)	30 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक जो महापौर बनना चाहता हो वह नगर आयुक्त (एम सी)(Municipal comissioner) के समक्ष/कार्यालय जा सकता है। नगर आयुक्त (एम सी) विधायक के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्क लेकर उसे एक सीरियल नम्बर जारी करेगा।
3	नागरिक/नगर केन्द्र (सीविक सेन्टर) क्लर्क	यदि उस जिले का कोई भी नागरिक चाहे तो वह नगर केन्द्र(Civic Center) में जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को महापौर के पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। नगर केन्द्र/सीविक सेन्टर क्लर्क उसके अनुमोदन/स्वीकृति को कम्प्युटर में डाल देगा और उसे उसके मतदाता पहचान-पत्र, दिनांक और समय, और जिन व्यक्तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ बिना कोई शुल्क लिए रसीद देगा। यदि कोई नागरिक अपने अनुमोदन/स्वीकृति रद्द करने के लिए आता है तो वह क्लर्क उसके एक या अधिक अनुमोदनों को बिना कोई शुल्क लिए बदल देगा।
4	नागरिक/नगर केन्द्र (सीविक सेन्टर) क्लर्क	वह नगर केन्द्र/सीविक सेन्टर क्लर्क नागरिकों की पसंद/प्राथमिकता को नगर की वेबसाइट पर उनके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र और उसकी प्राथमिकताओं के साथ डाल देगा।

5	नगर आयुक्त (एम सी)	प्रत्येक सोमवार को नगर आयुक्त (एम सी) हरेक उम्मीदवार के अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती/संख्या को प्रकाशित करेगा। .
6	महापौर	पहला महापौर अपनी अनुमोदन/स्वीकृति – गिनती को निम्नलिखित दो से उच्चतर **<u>मान सकता है</u>** – • नागरिकों की संख्या जिन्होंने उसका अनुमोदन/स्वीकृति किया है • समर्थन करने वाले कारपोरेटरों/पार्षदों द्वारा प्राप्त किए गए मतों का योग
7	महापौर	यदि किसी व्यक्ति को मौजूदा महापौर के मुकाबले (सभी रजिस्टर्ड मतदाताओं के) 2 प्रतिशत ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त है तो वर्तमान महापौर इस्तीफा **<u>दे सकता है</u>** और पार्षदों से अनुरोध **<u>कर सकता है</u>** कि वे सबसे अधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति को महापौर नियुक्त कर दें।
8	पार्षद	पार्षदगण कलम/खंड 7 में उल्लिखित व्यक्ति/सबसे अधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति को नया महापौर नियुक्त **<u>कर सकते हैं</u>।**
9	जिला कलेक्टर	यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी/डी सी के कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा **सकता है** और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
10	तलाटी (या पटवारी)	यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह उपर के कलम/खंड में प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर हां – नहीं दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्क देगा। तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद/पावती देगा। यह हां – नहीं मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाला जाएगा।
	सैक्शन- सी.वी.(जनता की आवाज़)	
सी वी - 1	जिला कलेक्टर	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पन्ने का शुल्क/फीस लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।

सी वी - 2	तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

(6.12) प्रजा अधीन-सांसद क़ानून-ड्राफ्ट (भ्रष्ट सांसद को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार)

1. (1.1) शब्द `नागरिक` का मतलब रजिस्ट्रीकृत मतदाता है |

(1.2) शब्द “कर सकता है “ का मतलब कोई भी नैतिक-कानूनी बंधन नहीं है | इस का मतलब “ कर सकता है “ या “करने की आवश्यकता / जरूरत नहीं है “ है |

2. (जिला कलेक्टर को निर्देश/आर्डर) प्रधानमंत्री जिला कलेक्टर को निर्देश देते हैं, कि यदि भारत का नागरिक जिला कलेक्टर के दफ्तर आता है और उम्मीदवार बनना चाहता है आने वाले सांसद के चुनाव में, तब जिला कलेक्टर , सांसद-चुनाव के जमा-राशि जितना शुल्क/फीस लेगा और उस व्यक्ति को `उम्मीदवार-आने वाले चुनाव में ` घोषित करेगा , सांसद के चुनाव के लिए | जिला कलेक्टर एक सीरियल नंबर/क्रम संख्या देगा और उसका नाम प्रधान मंत्री के वेबसाइट पर डालेगा |

3. (तलाटी ,पटवारी या (उसके क्लर्क) को निर्देश)

(3.1) प्रधानमंत्री पटवारी (या तलाटी या गाँव का अधिकारी) को निर्देश देगा कि नागरिक यदि खुद पटवारी के दफ्तर आता है, रु. 3 शुल्क/फीस देता है, और कम से कम पांच व्यक्तियों को अनुमोदन/स्वीकृति देता है सांसद के पद के लिए, तो पटवारी उसके स्वीकृति/पसंद/अनुमोदन कंप्यूटर में डालेगा और उसको एक रसीद देगा, जिसमें लिखा होगा ,उसकी वोटर आई.डी संख्या, तारीख/समय और जिन व्यक्तियों को उसने पसंद किया है |

(3.2) यदि पटवारी के पास कंप्यूटर आदि नहीं है, तब जिला कलेक्टर इस कार्य को तहसीलदार के दफ्तर को देगा , जब तक कि पटवारी को कंप्यूटर, आदि नहीं मिलता इस कार्य को करने के लिए |

(3.3) जिला कलेक्टर एक ऐसा सिस्टम बना सकता है जो एस.एम.एस जानकारी देगा नागरिक को `क्रेडिट कार्ड लेन-देन` के समान होगा |

(3.4) जिला कलेक्टर उपकरण/मशीन पटवारी को देगा , जो फोटो और अंगुली की छाप लेगा और रसीद देगा नागरिक के अंगुली की छाप और फोटो के साथ |

(3.5) प्रधानमंत्री का सचिव जरूरी सॉफ्टवेर (कंप्यूटर का अंदरूनी सामान) देगा पटवारी और जिला कलेक्टर, पटवारी को जरूरी मशीन देगा |

4.(तलाटी/पटवारी को निर्देश) पटवारी नागरिकों के अनुमोदन/पसंद प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर रखेगा , नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर और उन व्यक्तियों के नाम , जिनको उसने अनुमोदन/पसंद किया है |

5. (तलाटी/पटवारी को निर्देश) यदि वोटर अपने अनुमोदन रद्द करने आता है, तो तलाटी एक या अधिक अनुमोदन / पसंद को बिना कोई शुल्क/फीस लिए रद्द कर देगा |

6. (संसद को निर्देश) यदि कोई दूसरा/वैकल्पिक उम्मीदवार को अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाती हैं जो इन में से कम है -

(6.1) वर्त्तमान सांसद के वोटों की गिनती से (**सभी मतदाताओं के**)10% अनुमोदन/स्वीकृति से अधिक है

या

(6.2) उस चुनाव-क्षेत्र के **सभी मतदाताओं के** 50% से ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति हों , और साथ ही में ,वर्त्तमान सांसद के प्राप्त वोटों से 1% अनुमोदन/स्वीकृति ज्यादा हों |

तो,वर्त्तमान सांसद अपना इस्तीफा 7 दिन में दे सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है |

7. (लोकसभा अध्यक्ष को निर्देश) यदि वर्त्तमान सांसद 7 दिनों में इस्तीफा नहीं देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव बुला सकता है संसद में , उस सांसद को निकालने के लिए या ऐसा करना उसके लिए नहीं जरूरी है | लोकसभा अध्यक्ष का फैसला आखरी/अंतिम होगा |

8.(सांसद को निर्देश) दूसरे सांसद , उस सांसद को निकालने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कर सकते हैं या उन्हें ऐसा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है |

9. (चुनाव आयोग(देश में चुनाव कराने वाली सरकारी संस्था) को निर्देश) यदि सांसद इस्तीफा देता है या निकाला जाता है, तो चुनाव आयोग नया चुनाव करवायेगी , कायदे के अनुसार | अगले चुनाव में , जो सांसद निकाला गया है, वो चुनाव लड़ सकता है |

10. धारा-6 के प्रयोजन के लिए , मतदाताओं के अनुमोदन/स्वीकृति जिन्होनें चुनाव के अपना नाम दर्ज/रेजिस्टर किया है , वे नहीं गिने जाएँगे | हर चुनाव-क्षेत्र की मतदातों की सही संख्या चुनाव आयोग द्वारा दी/प्रकाशित की जायेगी और चुनाव-आयोग का फैसला आखरी होगा |

11. प्रधानमंत्री इस सरकारी आदेश के धारा-6 में दिए गए सीमाएं बदल सकता है | वो सीमा पूरे देश के लिए एक होगी |

12. चुनाव के समय, उम्मीदवार एक हलफनामा/एफिडेविट/शपथपत्र दे सकता है चुनाव-आयोग को बताते हुए कि वो `प्रजा अधीन-सांसद`/`राईट टू रिकाल-सांसद` सरकारी आदेश का समर्थन करता है कि नहीं |

13. (**जनता की आवाज़-1** (सी वी - 1)) (जिला कलेक्टर)
यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पन्ने का शुल्क/फीस लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।

14. (**जनता की आवाज़-2 (**सी वी - 2)) (तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल))
यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

<u>उदाहरण द्वारा समझाना / स्पष्टीकरण</u>

(क) मान लीजिए एक चुनाव-क्षेत्र में 15 लाख मतदाता हैं | मान लीजिए 8,00,000 (8 लाख) ने वोट दिए | मान लीजिए जितने वाले उम्मीदवारों को 3,60,000 (3 लाख 60 हज़ार) मिले | अब यदि कोई वैकल्पिक/दूसरे उम्मीदवार को स्वीकृति/अनुमोदन मिलते हैं जो (सभी मतदाताओं के 10% हैं) यानी (15 लाख का 10%) यानी 1.5 लाख जयादा हैं , वर्त्तमान सांसद को जितने वोट मिलें हैं , यानी 5,10,000 (5 लाख 10 हज़ार) मिले, तो वो अगला सांसद बन सकता है |

(ख) अनुमोदन/स्वीकृति को खरीदना संभव नहीं है - नागरिक किसि भी दिन अपना अनुमोदन/स्वीकृति रद्द कर सकते हैं | इसीलिए यदि कोई 5,10,000 वोटरों को 100 रु देता है, और अनुमोदन/स्वीकृति लेता है, तो नागरिक अगले दिन ही वे अनुमोदन/स्वीकृति रद्द कर सकते हैं | और ये अनुमोदन/स्वीकृति की खरीदने की कोशिश कोई दूसरे उम्मीदवार के लिए अनुमोदनों/स्वीकृति के देना , भी शुरू कर सकते हैं |

(ग) मतदाताओं को धमकी देना संभव नहीं है - कोई भी लाखों मतदातों को रोज-रोज धमकी नहीं दे सकता |

(घ) मान लीजिए एक चुनाव-क्षेत्र में 15 लाख मतदाता हैं | मान लीजिए 9,00,00 (9 लाख) ने वोट किये | मान लीजिए जितने वाले उम्मीदवार को 8 लाख वोट मिले | अब यदि वैकल्पिक मतदाता को अनुमोदन/स्वीकृति मिले जो (सभी मतदाताओं की संख्या के 50% हैं) यानी 7,50,000 (7.5 लाख) और वर्त्तमान सांसद के अभी अनुमोदन/स्वीकृति से 1 % ज्यादा हैं , तो नया उम्मीदवार अगला सांसद बन सकता है |

(च) अनुमोदन / पसंद / स्वीकृति दर्ज करना बैंक के लेन-देन से ज्यादा सुरक्षित है : व्यक्ति को ना सिर्फ अनुमोदन/स्वीकृति देने के लिए तलाटी के दफ्तर जाना है , उसको एस.एम.एस से इसकी जानकारी भी मिलती, क्रेडिट-कार्ड के इस्तेमाल के जैसे और मशीन उसका फोटो और अंगुली का छाप ले लेगी | ये जरूर है, कि पहले दिन से ये सभी सुविधाएं नहीं होंगी, लेकिन कोई भी कलेक्टर इन सबको 3-6 महीनों में लागू कर सकता है या फिर नागरिक उसको निकालने की मांग कर सकते हैं | फोटो, अंगुली की छाप और एस.एम.एस की जानकारी के साथ , ये सिस्टम बैंक के लेन-देन से ज्यादा सुरक्षित है | यदि इसको कोई हैक कर (तोड़) सकता है, तो उसके लिए कोई बैंक हैक करना (तोडना) अधिक उपयोगी रहेगा |

(6.13) केन्द्रीय / राज्य सरकारी-आदेश ड्राफ्ट प्रजा अधीन-विधायक के लिए (भ्रष्ट विधायक को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार)

1. (1.1) शब्द `नागरिक` का मतलब रजिस्ट्रीकृत मतदाता है |

(1.2) शब्द "कर सकता है " का मतलब कोई भी नैतिक-कानूनी बंधन नहीं है | इस का मतलब " कर सकता है " या "करने की आवश्यकता / जरूरत नहीं है " है |

2. (जिला कलेक्टर को निर्देश/आर्डर) प्रधानमंत्री जिला कलेक्टर को निर्देश देते हैं, कि यदि भारत का नागरिक जिला कलेक्टर के दफ्तर आता है और उम्मीदवार बनना चाहता है आने वाले विधायक के चुनाव में, तब जिला कलेक्टर , विधायक-चुनाव के जमा-राशि जितना शुल्क/फीस लेगा और उस व्यक्ति को `उम्मीदवार-आने वाले चुनाव में ` घोषित करेगा , विधायक के चुनाव के लिए | जिला कलेक्टर एक सीरियल नंबर/क्रम संख्या देगा और उसका नाम प्रधान मंत्री के वेबसाइट पर डालेगा |

3. (तलाटी ,पटवारी या (उसके क्लर्क) को निर्देश)

(3.1) प्रधानमंत्री पटवारी (या तलाटी या गाँव का अधिकारी) को निर्देश देगा कि नागरिक यदि खुद पटवारी के दफ्तर आता है, रु. 3 शुल्क/फीस देता है, और कम से कम पांच व्यक्तियों को अनुमोदन/स्वीकृति देता है विधायक के पद के लिए, तो पटवारी उसके स्वीकृति/पसंद/अनुमोदन कंप्यूटर में डालेगा और उसको एक रसीद देगा, जिसमें लिखा होगा ,उसकी वोटर आई.डी संख्या, तारीख/समय और जिन व्यक्तियों को उसने पसंद किया है |

(3.2) यदि पटवारी के पास कंप्यूटर आदि नहीं है, तब जिला कलेक्टर इस कार्य को तहसीलदार के दफ्तर को देगा , जब तक कि पटवारी को कंप्यूटर, आदि नहीं मिलता इस कार्य को करने के लिए |

(3.3) जिला कलेक्टर एक ऐसा सिस्टम बना सकता है जो एस.एम.एस जानकारी देगा नागरिक को `क्रेडिट कार्ड लेन-देन` के समान होगा |

(3.4) जिला कलेक्टर उपकरण/मशीन पटवारी को देगा, जो फोटो और अंगुली की छाप लेगा और रसीद देगा नागरिक के अंगुली की छाप और फोटो के साथ |

(3.5) प्रधानमंत्री का सचिव जरूरी सॉफ्टवेर(कंप्यूटर का अंदरूनी सामान) देगा पटवारी और जिला कलेक्टर, पटवारी को जरूरी मशीन देगा |

4.(तलाटी/पटवारी को निर्देश) पटवारी नागरिकों के अनुमोदन/पसंद प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर रखेगा , नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर और उन व्यक्तियों के नाम , जिनको उसने अनुमोदन/पसंद किया है |

5. (तलाटी/पटवारी को निर्देश) यदि वोटर अपने अनुमोदन रद्द करने आता है, तो तलाटी एक या अधिक अनुमोदन / पसंद को बिना कोई शुल्क/फीस लिए रद्द कर देगा |

6. (विधायक को निर्देश) यदि कोई दूसरा/वैकल्पिक उम्मीदवार को अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाती हैं जो इन में से कम है -

(6.1) वर्त्तमान विधायक के वोटों की गिनती से (**सभी मतदाताओं के**) 20% अनुमोदन/स्वीकृति से अधिक है

या

(6.2) उस चुनाव-क्षेत्र के **सभी मतदाताओं के** 50% से ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति हों , और साथ ही में ,वर्त्तमान विधायक के प्राप्त वोटों से 1% अनुमोदन/स्वीकृति ज्यादा हों |

तो,वर्त्तमान विधायक अपना इस्तीफा 7 दिन में दे सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है |

7. (विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश) यदि वर्त्तमान विधायक 7 दिनों में इस्तीफा नहीं देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव बुला सकता है संसद में , उस विधायक को निकालने के लिए या ऐसा करना उसके लिए नहीं जरूरी है | विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आखरी/अंतिम होगा |

8.(विधायक को निर्देश) दूसरे विधायक , उस विधायक को निकालने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कर सकते हैं या उन्हें ऐसा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है |

9. (चुनाव आयोग(देश में चुनाव कराने वाली सरकारी संस्था) को निर्देश) यदि विधायक इस्तीफा देता है या निकाला जाता है, तो चुनाव आयोग नया चुनाव करवायेगी , कायदे के अनुसार | अगले चुनाव में , जो विधायक निकाला गया है, वो चुनाव लड़ सकता है |

10. धारा-6 के प्रयोजन के लिए , मतदाताओं के अनुमोदन/स्वीकृति जिन्होनें चुनाव के अपना नाम दर्ज/रेजिस्टर किया है , वे नहीं गिने जाएँगे | हर चुनाव-क्षेत्र की मतदातों की सही संख्या चुनाव आयोग द्वारा दी/प्रकाशित की जायेगी और चुनाव-आयोग का फैसला आखरी होगा |

11. (**जनता की आवाज़-1**(सी वी - 1)) (जिला कलेक्टर)
यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पन्ने का शुल्क/फीस लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।

12. (**जनता की आवाज़-2**(सी वी - 2)) (तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल))
यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

(6.14) राज्य सरकारी-आदेश ड्राफ्ट प्रजा अधीन-पार्षद के लिए (भ्रष्ट पार्षद को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार)

1. (1.1) शब्द `नागरिक` का मतलब रजिस्ट्रीकृत मतदाता है |
(1.2) शब्द "कर सकता है " का मतलब कोई भी नैतिक-कानूनी बंधन नहीं है | इस का मतलब " कर सकता है " या "करने की आवश्यकता / जरूरत नहीं है " है |

2. (तहसीलदार (मामलतदार) को निर्देश/आर्डर) मुख्यमंत्री तहसीलदार (मामलतदार को निर्देश देते हैं, कि यदि भारत का नागरिक तहसीलदार के दफ्तर आता है और उम्मीदवार बनना चाहता है आने वाले पार्षद के चुनाव में, तब तहसीलदार, पार्षद-चुनाव के जमा-राशि जितना शुल्क/फीस लेगा और उस व्यक्ति को `उम्मीदवार-आने वाले चुनाव में ` घोषित करेगा , पार्षद के चुनाव के लिए | जिला कलेक्टर एक सीरियल नंबर/क्रम संख्या देगा और उसका नाम प्रधान मंत्री के वेबसाइट पर डालेगा |

3. (तलाटी ,पटवारी या (उसके क्लर्क) को निर्देश)
मुख्यमंत्री पटवारी (या तलाटी या गाँव का अधिकारी) को निर्देश देगा कि नागरिक यदि खुद पटवारी के दफ्तर आता है, रु. 3 शुल्क/फीस देता है, और कम से कम पांच व्यक्तियों को अनुमोदन/स्वीकृति देता है पार्षद के पद के लिए, तो पटवारी उसके स्वीकृति/पसंद/अनुमोदन कंप्यूटर में डालेगा और उसको एक रसीद देगा, जिसमें लिखा होगा ,उसकी वोटर आई.डी संख्या, तारीख/समय और जिन व्यक्तियों को उसने पसंद किया है |

4.(तलाटी/पटवारी को निर्देश) पटवारी नागरिकों के अनुमोदन/पसंद मुख्यमंत्री के वेबसाइट पर रखेगा , नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर और उन व्यक्तियों के नाम , जिनको उसने अनुमोदन/पसंद किया है |

5. (तलाटी/पटवारी को निर्देश) यदि वोटर अपने अनुमोदन रद्द करने आता है, तो तलाटी एक या अधिक अनुमोदन / पसंद को बिना कोई शुल्क/फीस लिए रद्द कर देगा |

6. (पार्षद को निर्देश) यदि कोई दूसरा/वैकल्पिक उम्मीदवार को अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाती हैं जो उस चुनाव-क्षेत्र के **सभी मतदाताओं के** 50% से ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति हों , और साथ ही में ,वर्त्तमान पार्षद के प्राप्त वोटों से 1% अनुमोदन/स्वीकृति ज्यादा हों तो,वर्त्तमान पार्षद अपना इस्तीफा 7 दिन में दे सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है |

7. (विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश) यदि वर्त्तमान पार्षद 7 दिनों में इस्तीफा नहीं देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव बुला सकता है संसद में , उस पार्षद को निकालने के लिए या ऐसा करना उसके लिए नहीं जरूरी है | विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आखरी/अंतिम होगा |

8.(पार्षद को निर्देश) दूसरे पार्षद , उस पार्षद को निकालने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कर सकते हैं या उन्हें ऐसा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है |

9. (राज्य चुनाव आयोग(देश में चुनाव कराने वाली सरकारी संस्था) को निर्देश) यदि पार्षद इस्तीफा देता है या निकाला जाता है, तो राज्य चुनाव आयोग नया चुनाव करवायेगी , कायदे के अनुसार | अगले चुनाव में , जो पार्षद निकाला गया है, वो चुनाव लड़ सकता है |

10. धारा-6 के प्रयोजन के लिए , मतदाताओं के अनुमोदन/स्वीकृति जिन्होनें चुनाव के अपना नाम दर्ज/रेजिस्टर किया है , वे नहीं गिने जाएँगे | हर चुनाव-क्षेत्र की मतदातों की सही संख्या राज्य चुनाव आयोग द्वारा दी/प्रकाशित की जायेगी और राज्य चुनाव-आयोग का फैसला आखरी होगा |

11. (**जनता की आवाज़-1**(सी वी - 1)) (तहसीलदार)
यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह तहसीलदार के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र

प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पन्ने का शुल्क/फीस लेकर मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।

12. (जनता की आवाज़-2(सी वी - 2)) (तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल))
यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

(6.15) राज्य सरकारी-आदेश ड्राफ्ट प्रजा अधीन-ग्राम सरपंच के लिए (भ्रष्ट ग्राम सरपंच को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार)

1. (1.1) शब्द `नागरिक` का मतलब रजिस्ट्रीकृत मतदाता है |

(1.2) शब्द “कर सकता है “ का मतलब कोई भी नैतिक-कानूनी बंधन नहीं है | इस का मतलब “ कर सकता है “ या “करने की आवश्यकता / जरूरत नहीं है “ है |

2. (तहसीलदार (मामलतदार) को निर्देश/आर्डर) मुख्यमंत्री तहसीलदार (मामलतदार को निर्देश देते हैं, कि यदि भारत का नागरिक तहसीलदार के दफ्तर आता है और उम्मीदवार बनना चाहता है आने वाले ग्राम-सरपंच के चुनाव में, तब तहसीलदार, पार्षद-चुनाव के जमा-राशि जितना शुल्क/फीस लेगा और उस व्यक्ति को `उम्मीदवार-आने वाले चुनाव में ` घोषित करेगा , ग्राम-सरपंच के चुनाव के लिए | जिला कलेक्टर एक सीरियल नंबर/क्रम संख्या देगा और उसका नाम प्रधान मंत्री के वेबसाइट पर डालेगा |

3. (तलाटी ,पटवारी या (उसके क्लर्क) को निर्देश)

मुख्यमंत्री पटवारी (या तलाटी या गाँव का अधिकारी) को निर्देश देगा कि नागरिक यदि खुद पटवारी के दफ्तर आता है, रु. 3 शुल्क/फीस देता है, और कम से कम पांच व्यक्तियों को अनुमोदन/स्वीकृति देता है ग्राम-सरपंच के पद के लिए, तो पटवारी उसके स्वीकृति/पसंद/अनुमोदन कंप्यूटर में डालेगा और उसको एक रसीद देगा, जिसमें लिखा होगा ,उसकी वोटर आई.डी संख्या, तारीख/समय और जिन व्यक्तियों को उसने पसंद किया है |

4.(तलाटी/पटवारी को निर्देश) पटवारी नागरिकों के अनुमोदन/पसंद मुख्यमंत्री के वेबसाइट पर रखेगा , नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर और उन व्यक्तियों के नाम , जिनको उसने अनुमोदन/पसंद किया है |

5. (तलाटी/पटवारी को निर्देश) यदि वोटर अपने अनुमोदन रद्द करने आता है, तो तलाटी एक या अधिक अनुमोदन / पसंद को बिना कोई शुल्क/फीस लिए रद्द कर देगा |

6. (ग्राम-सरपंच को निर्देश) यदि कोई दूसरा/वैकल्पिक उम्मीदवार को अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाती हैं जो उस चुनाव-क्षेत्र के **सभी मतदाताओं के** 50% से ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति हों , और साथ ही में ,वर्त्तमान सरपंच के प्राप्त वोटों से 1% अनुमोदन/स्वीकृति ज्यादा हों तो,वर्त्तमान सरपंच अपना इस्तीफा 7 दिन में दे सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है |

7. (राज्य चुनाव आयोग(देश में चुनाव कराने वाली सरकारी संस्था) को निर्देश) यदि पार्षद इस्तीफा देता है या निकाला जाता है, तो राज्य चुनाव आयोग नया चुनाव करवायेगी , कायदे के अनुसार | अगले चुनाव में , जो पार्षद निकाला गया है, वो चुनाव लड़ सकता है |

8. (**जनता की आवाज़-1**(सी वी - 1)) (तहसीलदार)
यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह तहसीलदार के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पन्ने का शुल्क/फीस लेकर मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।

9. (**जनता की आवाज़-2(**सी वी - 2)) (तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल))
यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

(6.16) उन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महापौर पर राइट टू रिकॉल / प्रजा अधीन राजा का विरोध करते हैं।

उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपनी उन प्रक्रियाओं के प्रारूप हमें भेजें जिनके द्वारा नागरिकगण प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को हटा सकते हैं, यदि वे समझते हैं कि उनके ड्रॉफ्ट मेरे क़ानून-ड्राफ्ट से बेहतर हैं । अगर उनके क़ानून-ड्राफ्ट बेहतर हुए तो मैं अपने क़ानून-ड्राफ्ट /प्रारूप को रद्द कर दूंगा। और उनके क़ानून-ड्राफ्ट को स्वीकार कर लूंगा। और यदि कोई यह मानता है कि हम आम लोगों के पास प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को हटाने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जब मैं प्रधानमंत्री रिकॉल प्रक्रिया, मुख्यमंत्री रिकॉल प्रक्रिया, मेयर रिकॉल प्रक्रिया के एफिडेविट प्रस्तुत करूं तो जनता की आवाज(सूचना का अधिकार – 2) पर हस्ताक्षर होने के बाद वे उस पर हां दर्ज नहीं करें। अन्त में निर्णय नागरिकों के हां के द्वारा ही होगा, मेरे द्वारा नहीं।

(6.17) प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट का प्रभाव

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जजों / न्यायाधीशों आदि पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) जनता को मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के विरूद्ध बहुत शक्ति देता है। अभी तक हम लोगों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वैसे मिले हैं जिनका व्यापक जनाधार रहा है लेकिन उनपर व्यापक दबाव नहीं रहा है। **मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री को बदलने की यह प्रक्रिया मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री पर व्यापक दबाव पैदा करता है और आम नागरिकों के प्रति जवाबदारी पैदा करता है ।** अभी तक अधिकांश मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को यह पता है कि वे पांच/5 साल के बाद ही हटाए जा सकते हैं । वे नागरिकों को ऐसा समझते हैं कि नागरिक हर हाल में उनका साथ देंगे ही। **इस प्रक्रिया से उन्हें हटाया भी जा सकता है और नहीं भी, लेकिन हटाए जाने का खतरा यह सुनिश्चित/तय करेगा कि वे आज के मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छा व्यवहार करेंगे क्योंकि ये प्रक्रिया आने से उनके सर पर लटकती तलवार जैसी होगी । 99 % पदाधिकारी ये प्रक्रिया नागरिकों को मिलने के बाद से अच्छा व्यवहार करेंगे और बाकी 1% को नागरिक बदल देंगे |** इन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए नागरिकों को नागरिकों और `सेना के लिए खनिज रॉयल्टी`(एम आर सी एम) समूह के उम्मीदवारों को हम सांसद और विधायक को वोट करने की जरूरत नहीं है । वे वर्तमान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों पर दबाव डाल सकते हैं कि वे पहली `प्रजा-अधीन राजा समूह` की मांग-`जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली ` सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर भारतीय राजपत्र में डाल कर लागू करें और तब `जनता की आवाज़` सरकारी आदेश का उपयोग करके हम ये प्रक्रियाओं को लागू करने का इरादा हम रखते हैं।

`नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम)` समूह के हमलोगों ने ऐसे ही तरीकों/प्रक्रियाओं का प्रस्ताव किया है जिसका प्रयोग करके नागरिक निम्नलिखित पदाधिकारियों को बदलने में सक्षम होंगे।

वे पद जिनपर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव किया है , इसकी मांग रखी है। 28 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार (* का अर्थ है - नए पद)			
1	प्रधानमंत्री	मुख्यमंत्री	महापौर जिला सरपंच तहसील सरपंच ग्राम सरपंच
2	उच्चतम न्यायालय के मुख्य जज	मुख्य उच्च न्यायालय जज	जिला न्यायालय प्रमुख जज
3	उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ जज	उच्च न्यायालय के चार जज	चार वरिष्ठ जिला जज
4	भारतीय जूरी प्रशासक (*)	राज्य जूरी प्रशासक (*)	जिला जूरी प्रशासक(*)

वे पद जिनपर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव किया है , इसकी मांग रखी है। 28 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार (* का अर्थ है - नए पद)			
5	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (*)	राज्य भूमि किराया अधिकारी (*)	
6	सांसद	विधायक	पार्षद जिला पंचायत सदस्य तहसील पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य
7	गवर्नर,भारतीय रिजर्व बैंक	राज्य मुख्य लेखाकार	जिला मुख्य लेखाकार
8	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष, राज्य सरकार बैंक	
9	1)सालिसिटर जेनरल ऑफ इंडिया : (भारत की सरकार की तरफ से अदालतों में स्वयं या सहायक द्वारा हाजिर होने वाला वकील ; सरकारी न्यायिक एजेंट) (महा न्यायाभिकर्ता); 2) भारत का महान्यायवादी (भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार)	1)सालिसिटर जेनरल ऑफ स्टेट/ 2)राज्य महान्यायवादी	1)जिला मुख्य दण्डाधिकारी (जनता का फर्यादी) 2)जिला सीविल अधिवक्ता/वकील(न्यायालय आदि में नागरिकों के पक्ष का समर्थन करनेवाला)
10	अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद् (इलाज सभा)	अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद् (इलाज सभा)	
11	गृह मंत्री, भारत निदेशक, सी बी आई	गृह मंत्री, राज्य निदेशक, सी आई डी	जिला पुलिस आयुक्त
12	वित्त मंत्री, भारत	वित्त मंत्री, राज्य	
13	शिक्षामंत्री, भारत राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक अधिकारी	शिक्षामंत्री, राज्य राज्य पाठ्यपुस्तक अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी
14	भारत स्वास्थ्य मंत्री	राज्य स्वास्थ्य मंत्री	जिला स्वास्थ्य अधिकारी
15	अध्यक्ष, यूजीसी (बड़े कालेज के लिए विशेष दान अरने वाली समिति)	विश्वविद्यालय कुलपति	प्रधानाचार्य, वार्ड स्कूल
16	कृषि मंत्री, भारत	कृषि राज्य मंत्री	
17	भारतीय नागरिक (सीविल	राज्य नागरिक (सीविल	जिला आपूर्ति अधिकारी

वे पद जिनपर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव किया है , इसकी मांग रखी है। 28 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार (* का अर्थ है - नए पद)			
	सपलाई) आपूर्ति मंत्री	सप्पलाई) आपूर्ति मंत्री	
18	भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (CAGI) (भारत-सरकार के हिसाब-किताब को रखने व जाँच करने वाले)	राज्य मुख्य लेखा-परीक्षक	जिला मुख्य लेखा-परीक्षक
19			1)नगर आयुक्त /कमिश्नर 2)मुख्य अधिकारी
20	राष्ट्रीय बिजली/उर्जा मंत्री	राज्य बिजली/उर्जा मंत्री	जिला बिजली-सपलाई(विद्युत -आपूर्ति) अधिकारी
21	1)अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष(सीधा/खुला) कर(टैक्स) बोर्ड 2)अध्यक्ष, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष (छुपा हुआ) कर बोर्ड	राज्य टैक्स वसूली(कर संग्रहण) अधिकारी	जिला कराधान(टैक्स इकठ्ठा करने वाला) अधिकारी
22	रेल मंत्री	राज्य परिवहन मंत्री	नगर परिवहन अधिकारी
23	दूरसंचार नियामक(टेलीफ़ोन प्रबंध करने वाला)		
24	केन्द्रीय बिजली/विद्युत नियामक (टेलीफ़ोन प्रबंध करने वाला)	राज्य विद्युत नियामक	
25	केन्द्रीय संचार मंत्री	राज्य संचार मंत्री (*)	जिला संचार केबल अधिकारी (*)
26			जिला जलापूर्ति अधिकारी (*)
27	केन्द्रीय चुनाव आयुक्त/कमिश्नर	राज्य चुनाव आयुक्त	
28	राष्ट्रीय पेट्रोलियम मंत्री	राज्य पेट्रोलियम मंत्री	
29	राष्ट्रीय कोयला मंत्री राष्ट्रीय खनिज मंत्री	राज्य कोयला मंत्री राज्य खनिज मंत्री	

वे पद जिनपर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव किया है , इसकी मांग रखी है। 28 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार (* का अर्थ है - नए पद)			
30	अध्यक्ष, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (पुरानी,इतिहास की चीजों/वस्तुओं की जांच)	अध्यक्ष, राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण	
31	अध्यक्ष, राष्ट्रीय इतिहास परिषद्(सभा)	अध्यक्ष, राज्य इतिहास परिषद्	
32	अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी) (भारत के नागरिक सेवा के नौकरी के लिए परीक्षा का प्रबंध करने के लिए जनसमूह/समिति)	अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग	
33	अध्यक्ष, केन्द्रीय भर्ती बोर्ड	अध्यक्ष, राज्य भर्ती बोर्ड	जिला भर्ती बोर्ड अध्यक्ष
34	अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग(सरकारी संस्था/कमीशन) (महिला मतदातागण इन्हें बदल/हटा सकती हैं)	अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग	अध्यक्ष, जिला महिला आयोग
35	अध्यक्ष, राष्ट्रीय दलित अत्याचार रोकथाम सरकारी संस्था (उत्पीड़न निवारण आयोग) (दलित मतदातागण इन्हें बदल/हटा सकते हैं)	अध्यक्ष, राज्य दलित उत्पीड़न निवारण आयोग	अध्यक्ष, जिला दलित उत्पीड़न निवारण आयोग
36	राष्ट्रीय पूर्त आयुक्त (जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारी संस्था)	राज्य पूर्त आयुक्त	
37	अध्यक्ष राष्ट्रीय बार/वकील समुदाय परिषद्(वकीलों की संचालन/प्रबंध करने वाली संस्था)	राज्य बार/वकील समुदाय परिषद् अध्यक्ष	जिला बार/वकील समुदाय परिषद् अध्यक्ष
38	राष्ट्रीय लोकपाल	राज्य लोक आयुक्त	जिला लोक आयुक्त
39	राष्ट्रीय सूचना कमिश्नर/आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	जिला सूचना आयुक्त
40	--------	राज्य अपमिश्रण नियंत्रक	जिला अपमिश्रण नियंत्रक

वे पद जिनपर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव किया है , इसकी मांग रखी है। 28 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार (* का अर्थ है - नए पद)			
		अधिकारी	अधिकारी
41	संपादक, राष्ट्रीय समाचारपत्र	संपादक, राज्य समाचारपत्र	संपादक, जिला समाचारपत्र
42	संपादक, राष्ट्रीय महिला समाचारपत्र (महिला मतदाताओं द्वारा हटाया जा सकता है)	संपादक, राज्य महिला समाचारपत्र (महिला मतदाताओं द्वारा हटाया जा सकता है)	संपादक, जिला महिला समाचारपत्र (महिला मतदाताओं द्वारा हटाया जा सकता है)
43	अध्यक्ष, दूरदर्शन	अध्यक्ष, राज्य दूरदर्शन	अध्यक्ष, जिला चैनल
44	अध्यक्ष, आकाशवाणी	अध्यक्ष, राज्य रेडियो चैनल	अध्यक्ष, जिला रेडियो चैनल
45	अध्यक्ष, राष्ट्रीय पहचान पत्र (आई डी) प्रणाली	अध्यक्ष, राज्य पहचान पत्र (आई डी) प्रणाली	
46	अध्यक्ष, राष्ट्रीय जमीन-रिकॉर्ड सिस्टम (भूमि अभिलेख प्रणाली)	अध्यक्ष, राज्य भूमि अभिलेख प्रणाली	अध्यक्ष, जिला भूमि अभिलेख प्रणाली
47	अध्यक्ष, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा	अध्यक्ष, विधान सभा अध्यक्ष, विधान परिषद्	अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष तहसील पंचायत
48	अध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अध्यक्ष, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष, राज्य पेट्रोल निगम	

यह सूची 7 मई, 2010 की तिथि के अनुसार है। यह सूची केवल बढ़ती ही है, घटती नहीं।

(6.18) बदलने / हटाने की ये प्रक्रियाएं / तरीके भ्रष्टाचार को कैसे कम करती हैं ?

एक प्रश्न जिसका सामना मैं अकसर करता हूँ - वर्तमान सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं और इसलिए बदलकर लाए गए अधिकारी भी इतने ही भ्रष्ट होंगे। इसलिए बदलने/हटाने की कार्रवाई भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद को कैसे कम करेगी? मैं **इस प्रक्रिया को विस्तार से** जिला शिक्षा अधिकारी के उदाहरण का प्रयोग करके बताउंगा।

सर्वप्रथम, मैंने बहुमत के मतदान द्वारा जेल में डालने और बहुमत के मतदान द्वारा फांसी पर चढ़ाने जैसे प्रारूपों/ड्राफ्टों का प्रस्ताव किया है । ये प्रारूप केवल उन मंत्रियों, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस), भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस), जजों पर लागू होंगे जिन्होंने इस प्रक्रिया का शत-प्रतिशत नैतिक और शत-प्रतिशत संवैधानिक होना स्वीकार किया है। इन प्रारूपों के सभी खण्ड/कलम शत-प्रतिशत सांवैधानिक और शत-प्रतिशत नैतिक हैं। इन प्रारूपों का उपयोग करके नागरिकगण उन भ्रष्ट मंत्रियों, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) अधिकारियों,

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) अधिकारियों, जजों/न्यायाधीशों को जेल भिजवा सकते हैं अथवा फांसी पर भी चढ़वा सकते है जिन्होंने इस प्रारूप को नैतिक घोषित किया है । और उन मंत्रियों, जजों आदि का क्या होगा जो यह समझते हैं कि बहुमत के मतों द्वारा फांसी शत-प्रतिशत संवैधानिक से कम है और/अथवा शत-प्रतिशत नैतिक से कम है। देखिए, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) नागरिकों को यह विकल्प देता है कि वे उन सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) अधिकारियों, मंत्रियों, जजों को हटा दें जो यह समझते है कि बहुमत के मत द्वारा फांसी अनैतिक है। इसलिए अब प्रशासन में वैसे अधिकारीगण होंगे जिन्हें बहुमत के मत द्वारा फांसी दी जा सकती है। फांसी के खतरे को देखते हुए ये अधिकारी बहुत ज्यादा घूस लेने का साहस नहीं करेंगे। अब बहुमत के मतों द्वारा मृत्युदंड/फांसी देने की इस प्रक्रिया का केवल कहने/प्रचार मात्र का अर्थ/महत्व रह जाएगा क्योंकि प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) ही भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त होगा तथा नागरिकों को कभी भी बहुमत द्वारा मृत्युदंड सुनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । मैंने यह अगले पैराग्राफ/अनुछेद में विस्तार से बताया है कि किस तरह केवल प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) ही काफी है ।

किसी जिले में स्थित स्कूलों के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर विचार करें । मैंने राईट टू रिकॉल समूह के सदस्य के रूप में राईट टू रिकॉल - जिला शिक्षा अधिकारी का प्रस्ताव किया है – यह 10 कलम/खण्ड की प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा जिले के माता-पिता/अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी को उसके पद से हटा सकते हैं । किस प्रकार प्रजा अधीन -जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी में सुधार लाएगा? पहले तो, सिर्फ निष्कासन/हटाए जाने का डर उसे भ्रष्टाचार कम करने के लिए बाध्य कर देगा । परन्तु ये ज्यादा काम नहीं करेगा। आख़िरकार हम एक ऐसा जिला शिक्षा अधिकारी चाहते हैं जिसकी भ्रष्टाचार में रूचि ही न हो न कि केवल ऐसा जिला शिक्षा अधिकारी जो केवल हटाये जाने के भय से भ्रष्टाचार कम करे । किस प्रकार प्रजा अधीन- जिला शिक्षा अधिकारी छह महीने के अंदर ही ऐसे सकड़ों जिला शिक्षा अधिकारी दे सकता है जो भ्रष्टाचार में बिलकुल ही रूचि नहीं रखते हों? मैं विस्तार से वर्णन करूँगा कि किस प्रकार प्रजा अधीन -जिला शिक्षा अधिकारी कानून इस कार्य को पूरा करेगा ।

यहाँ भारत में लगभग 700 जिला शिक्षा अधिकारी हैं । सभी 700 बुद्धिमान ,क्षमतावान , तथा कार्यकुशल हैं । और उनमें से, मान लीजिए, 10-15 ऐसे होंगे जो भ्रष्टाचार में रूचि नहीं रखते/भ्रष्टाचार नहीं करते। इतनी संख्या में इमानदार लोगा तो पहले से ही हमारे समाज में हैं। अब मेरे राइट टू रिकॉल-जिला शिक्षा अधिकारी प्रक्रिया में एक और कलम/खण्ड है कि यदि कोई अधिकारी मुख्य मंत्री द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो वह केवल एक ही जिले का जिला शिक्षा अधिकारी हो सकता है। लेकिन यदि नागरिकों ने उसे जिला शिक्षा अधिकारी बनाया है तो वह 10 जिलों का भी जिला शिक्षा अधिकारी बन सकता है और वह इन सभी जिलों का वेतन प्राप्त करेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 4 जिलों का जिला शिक्षा अधिकारी है और उसे नागरिकों ने नियुक्त किया है तो उसका वेतन 4 गुना होगा। यह ज्यादा सस्ता है क्योंकि वेतन ही चार गुना बढ़ेगा। चिकित्सा लाभ, अन्य लाभ और कई आजीवन लाभ 4 गुना नहीं बढ़ेंगे। बाद का एक संशोधन कुछ मूलभूत परिवर्तन “पदोन्नति “ तथा “विस्तार “ के इस

प्रारूप को और अधिक बढ़ा देगा --- वेतन (N*log2N) गुना हो जायेगा जहाँ N जिलों की संख्या है जो नागरिकों के समर्थन/अनुमोदन/स्वीकृति से उसे मिले हैं । इसके अलावा, एक ही व्यक्ति अलग अलग विभागों के कई पद प्राप्त कर सकता है । जैसे वो 10 जिलों के शिक्षा अधिकारी के साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका भी कुछ सीमाओं/प्रतिबंधों के साथ निभा सकता है। साथ ही साथ, उसके लिए सीधी तरक्की का अवसर भी उपलब्ध होगा । जैसे यदि कोई व्यक्ति कई जिलों के अभियोजक/दण्डाधिकारी की तरह कार्य कर रहा है तो उसके एक या एक से अधिक राज्यों के अभियोजक बनने की संभावना बढ़ जायेगी ।

इसलिए वर्तमान 700 जिला शिक्षा अधिकारियों में से, मान लीजिए, 5-15 भ्रष्ट नहीं हैं । यदि एक बार प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) लागू हो जाता है तो उन्हें सीधी तरक्की/पदोन्नति का अवसर मिल जायेगा। वे अपने जिले के स्कूलों में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएँगे । वे बीच के अधिकारियों को घूस लेने से रोकेंगे । इस बात का ध्यान रखेंगे कि ठेकेदार सही वस्तुएँ जैसे ब्लैकबोर्ड , कुर्सियां आदि स्कूलों में उपलब्ध करवाए। वे ध्यान रखेंगे कि शिक्षक स्कूल में उपस्थित रहें, आदि। और यदि वे ऐसा करेंगे तो वे मुख्यमंत्रियों को हफ्ता देना भी बन्द कर देंगे । अब मान लीजिए, इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री लोग इन अधिकारियों का तबादला कर देते हैं । तब लगभग 7-15 ऐसे मामलों में से, कम से कम 2-3 मामलों में तो अभिभावक अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए प्रजा अधीन -जिला शिक्षा अधिकारी कानून का उपयोग करके उस स्थानांतरित किए गए अधिकारी को वापस ले आएंगे।

इस तरह, इससे भारत के 700 जिलों में से 2-5 जिलों में शिक्षा की स्थिति में सुधार आएगा। तो शेष जिलों का क्या होगा? देखिए, मान लीजिए आप `**क**` जिले में रहते हैं। अब, मान लीजिए, `**क**` जिले का जिला शिक्षा अधिकारी भ्रष्ट और असक्षम है। मान लीजिए, पास में ही पांच अन्य जिले `**ख**`,`**ग**`,`**घ**`,`**च**`और `**छ**` हैं। मान लीजिए, केवल `**छ**` जिले में ही अच्छा जिला शिक्षा अधिकारी है। तो जिला `**क**` के नागरिकों के पास एक विकल्प होगा कि वे अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को हटा सकते हैं और `**छ**` जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को दोहरा कार्यभार दे सकते हैं । इसी विकल्प और शक्ति/अधिकार कि "अब नागरिकगण प्रजा अधीन - जिला शिक्षा अधिकारी का उपयोग करके मुझे हटा सकते हैं और मेरे पद पर `**छ**` जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को ला सकते हैं", `**क**``**ख**`,**ग**`,`**घ**`और `**च**` जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के मन में एक भय पैदा करेगा। इसलिए या तो वे 2-3 महीनों में ही सुधर जाएंगे या तो नागरिकगण उन्हें राइट टू रिकॉल- जिला शिक्षा अधिकारी का प्रयोग करके हटा देंगे। और 8-10 महीनों में ही सभी 700 जिला शिक्षा अधिकारी या तो सुधर जाएंगे या निष्काषित कर दिए जाएंगे। और अधिकारियों में "जल्दी अमीर बन जाओ" और "जनता भांड़ में जाए" की मानसिकता वाले अधिकारीगण प्रशासन से जाना शुरू कर देंगे और फिर प्रशासनिक पदों पर नहीं आना चाहेंगे। इसलिए वास्तव में सेवा करने की इच्छा वाले लोगों को सेवा का ज्यादा मौका मिलेगा और भ्रष्टाचारी लोगों को कम मौका मिलेगा गडबडी करने का |

वर्तमान सरकारी विधियों/प्रक्रियाओं में एक कमी यह है कि यदि कोई ईमानदार व्यक्ति दो लोगों का काम करता है तो भी उसे दो व्यक्ति के बराबर वेतन नहीं मिलेगा, जबकि व्यापार में ऐसा होना आम है । ये बातें ईमानदार लोगों को सरकारी नौकरी में आने से हतोत्साहित करती हैं। पर मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का

अधिकार) विधि/प्रक्रिया, अधिकारीयों को एक से अधिक पद सम्हालने तथा उसके अनुरूप बढ़ा वेतन देने का प्रावधान करती है । इससे शासन/सरकार में ईमानदार तथा योग्य/उद्‌यमी लोगों की भागीदारी बढ़ेगी।

मैंने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव केवल जिला शिक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं, बल्कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख, जिला आपूर्ति अधिकारी (राशन का प्रभारी अधिकारी) इत्यादि के लिए भी किया है । मैंने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव जिला स्तर के करीब 30-50 पदों, जिनमें जिला न्यायाधीश भी शामिल हैं, के लिए किया है । इस प्रकार, सभी 700 जिलों के लगभग 30,000 अधिकारियों तथा जजों/न्यायाधीशों के लिए प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रयोग किया जायेगा। जिस दिन प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून लागू होगा, उसी दिन 24 घंटों के भीतर करीब 15,000 अधिकारी सुधर जायेंगे। और जब पहले ही महीने में किसी जिले में मात्र 2-5 अधिकारी भी हटा दिए जायेंगे तो बचे हुए 15,000 अधिकारी भी अपने आप ही सुधर जायेंगे। दूसरे शब्दों में, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रयोग करके नागरिकों को 30,000 अधिकारीयों में से 50 अधिकारियों को भी हटाने की जरुरत नहीं पड़ेगी । 2-3 अधिकारियों का निष्कासन/हटाया जाना ही शेष/बाकी बचे अधिकारियों को पर्याप्त चेतावनी दे देगा। इस प्रकार, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कोई अस्थिरता पैदा बिलकुल ही नहीं करेगा ।

इसीप्रकार, मैंने राज्य सरकार/प्रशासन स्तर के पदों तथा केन्द्र सरकार/प्रशासन के पदों जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/हाईकोर्ट जज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/सुप्रीम कोर्ट जज इत्यादि के लिए भी प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रस्तावित किया है। कुछ मामलों में वे पद पर बने रह सकते हैं जबकि कुछ मामलों में उन्हें हटा दिया जाएगा और उनके स्तर के या उनसे कम स्तर के बेहतर लोगों को उनके स्थान पर अवसर दिया जायेगा (जनता द्‌वारा) ।

(6.19) प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल तथा व्यावहारिक ज्ञान / कॉमन सेन्स

बहुत से लोग मुझ पर अमेरिका का समर्थक होने का आरोप लगाते हैं तथा अमेरिकी प्रणाली का आंख मुंदकर नकल करने का भी आरोप लगाते हैं । देखिए, पहली बात, मैं अमेरिका का समर्थक बिल्कुल भी नहीं हूँ – मैं अमेरिका का बहुत बड़ा विरोधी हूँ । और मेरा विश्वास है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है । अमेरिकी कुलीन वर्ग के लोग/धनवान लोग न केवल भारत के सभी खनिजों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं बल्कि बल प्रयोग करके और यदि आवश्यकता पड़े तो 10 प्रतिशत जनसंहार/जातिसंहार करके भी यहां ईसाई धर्म थोपना चाहते हैं। इसलिए, मैं अमेरिकी समर्थक बिलकुल नहीं हूँ । पर, मेरे विचार से, हमें यह समझना होगा कि आखिर वह क्या कारक/कारण है जिससे अमेरिका को इतनी ताकत मिली। प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) इसका प्रमुख कारण है । प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) ने ही अमेरिका को कम भ्रष्टाचार वाला

प्रशासन दिया है जिसने अमेरिका को एक इतनी शक्तिशाली सेना वाला, एक इतना शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया कि यह न केवल दूसरे देशों के तेल के कुओं पर कब्ज़ा कर सकता है बल्कि उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य/मजबूर भी कर सकता है। उदाहरण: इराक। इसलिए मैं जब अमेरिका के प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) की बात करता हूँ तो मेरा इरादा केवल अमेरिका का उदाहरण देना भर होता है । मैं अमेरिका का समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ ।

प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) अमेरिका की देन नहीं है। प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) केवल एक सहज ज्ञान/कॉमन सेन्स है। मान लीजिए, आपके घर में कई नौकर हैं जैसे – रसोइया या बर्तन धोने वाला या झाड़ू पोछा करने वाला या बुजुर्गों की देखभाल करने वाला आदि। क्या आपके पास उन्हें हटाने का अधिकार है?(अवश्य है)। मान लीजिए, सरकार कोई ऐसा नियम/कानून बनाए कि आप नौकर कोई भी चुन सकते हैं परन्तु बिना कोर्ट के आदेश के उसे हटा नहीं सकते हैं। और अगले पांच वर्ष तक आपके अकाउंट/खाते से पैसे निकालकर उसके अकाउंट में डाले जाएँगे। और केवल वह ही आपके घर पर काम कर सकता है, उसके अलावा और कोई भो नौकर आपके घर में 5 साल/वर्ष तक काम करने नहीं आ सकता। तब उस नौकर के मामले में आपकी क्या स्थिति होगी? वह नौकर आपका मालिक बन जायेगा और आप उसके नौकर बन जाएंगे। नागरिकों की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। स्थानीय कार्यालयों/दफ्तरों में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर चपरासी तक हर सरकारी कर्मचारी “जनता का सेवक” है । पर चूँकि जनता के पास उन्हें हटाने की प्रक्रिया/अधिकार नहीं है इसलिए वे “जनता के मालिक” बन बैठे हैं । जिस तरह शेयरधारकों के पास सी.ई.ओ, निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधक आदि को हटाने का अधिकार है --- उसी प्रकार प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्री ,उच्चतम न्यायालय के जजों , उच्च न्यायालय के जजों आदि के विरूद्ध प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल लाने में भी सहज बुद्धि/कॉमन सेन्स का उपयोग किया गया है। कभी-कभी मैं खुद को मूर्ख समझता हूँ कि मैं प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के बारे में तब समझ सका जब मैंने अमेरिका तथा भारत के शासन के बारे में गहराई से अध्ययन किया तथा प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल जैसे कुछ ऐसे आसान तथ्य प्राप्त किए जिनके बारे में तो मैं पहले दिन ही सोच सकता था। और जब भी मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो यही पाता हूँ कि “ सचमुच मैं कितना मूर्ख था जो इसके बारे में पहले नहीं सोचा” ।

(6.20) प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल और अथर्ववेद ,सत्यार्थ प्रकाश

प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के बारे में अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है । अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा अर्थात सभी नागरिकों की सभा राजा को हटा सकती है । महर्षि दयानंद सरस्वती ने **सत्यार्थ प्रकाश के छठे अध्याय में** राजधर्म के बारे में बताया है तथा प्रथम 5 श्लोकों में महर्षि कहते हैं कि राजा “प्रजा-अधीन” होना ही चाहिए अर्थात आम जनता पर निर्भर। और अगले ही श्लोक में महर्षि कहते हैं कि यदि राजा प्रजा अधीन नहीं होता है तो ऐसा राजा राष्ट्र में घुस कर जनता को लूटता है तथा जिस प्रकार मांसाहारी पशु दूसरे पशुओं को खा जाता है उसी प्रकार वह राजा जो प्रजा अधीन नहीं होता, वह राष्ट्र को

खाकर नष्ट कर देगा। महर्षि ने ये दोनों ही श्लोक अथर्ववेद से लिए हैं। तथा ध्यान दें- यहाँ राजा शब्द में सभी राज-कर्मचारियों शामिल हैं अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर पटवारी तक सरकार के सभी कर्मचारी। सरकार के सभी कर्मचारियों को प्रजा आधीन होना चाहिए वरना वे जनता/नागरिकों को लूट लेंगे - ऐसा उन संतों ने लिखा है जिन्होंने वेद लिखा है, और दयानंद सरस्वती ने भी उन संतों का समर्थन किया है तथा मैं भी उन संतों से सहमत हूँ। कैसे हम आम जनता, राजा तथा राजकर्मचारियों को "प्रजा-अधीन" बना सकते हैं? देखिए, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल - प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल - उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल - मुख्यमंत्री आदि कुछ रास्ते मैंने बताए हैं। और ध्यान दीजिए – दयानन्द सरस्वती जी संविधान के अधीन राजा के बारे में नहीं कहते, वे प्रजाधीन राजा के बारे में कहते हैं। इसलिए अथर्ववेद तथा दयानंद सरस्वती जी के शब्दों में, इस बात का कि "अमेरिका की पुलिस भारत की पुलिस से कम भ्रष्ट क्यों है?" जवाब यह है कि अमेरिका में पुलिस प्रमुख प्रजा अधीन होता है जबकि भारत में कोई भी अधिकारी प्रजा अधीन बिलकुल नहीं है। अथर्ववेद तथा महर्षि दयानंद यह भी कहते हैं कि जो राजा (या राज कर्मचारी जैसे पुलिस प्रमुख) प्रजा अधीन नहीं है वो जनता को लूट लेगा। और हमने ये हर बार देखा है । अमेरिका में न केवल पुलिस आयुक्त बल्कि गवर्नर , सांसद , जिला जज, जिला शिक्षा अधिकारी , जिला अभियोजक तथा कुछ राज्यों में तो हाईकोर्ट जज भी प्रजा आधीन होते हैं । और इसलिए राजकर्मचारियों द्वारा लूट नाममात्र की है ।

और कृपया ध्यान दीजिए – दयानंद सरस्वती जी *संविधान-अधीन राजा* के बारे में नहीं कहते। वे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के बारे में कहते हैं। भारत में, 4 अंकों के स्तर के बुद्धिजीवियों ने हमेशा उस बात का विरोध किया जो अथर्ववेद और सत्यार्थ प्रकाश सुझाते हैं I 4 अंकों वाले स्तर के ये बुद्धिजीवी कहते हैं कि राजा और राज कर्मचारी अर्थात सरकारी कर्मचारियों को प्रजा के अधीन कदापि नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें **केवल** संविधान के अधीन होना चाहिए। संविधान-अधीन राजा अर्थात संविधान-अधीन मंत्री, संविधान-अधीन अधिकारी, संविधान-अधीन पुलिसवाले और संविधान-अधीन न्यायाधीश की पूरी संकल्पना ही एक छल है क्योंकि तथाकथित संविधान की व्याख्या को न्यायाधीशों, मंत्रियों आदि द्वारा एक मोम के टुकड़े की तरह तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है।

(6.21) पश्चिम के पास प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल–प्रधानमंत्री , प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल–सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है , तो हमें इसकी क्या आवश्यकता है?

मैं प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) की प्रक्रिया/तरीके का प्रचार करता रहा हूँ जिसके द्वारा हम आम जनता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों तथा जजों को उनके पद से हटा सकते हैं। सभी बुद्धिजीवियों ने इस बात का विरोध किया तथा इस नियम को संविधान विरुद्ध बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। फिर, इसमें बुरी तरह असफल रहने पर उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि " पश्चिम में इस तरह की कोई विधि/प्रक्रिया नहीं है तो भारत में इस तरह की किसी विधि/प्रक्रिया की क्या जरुरत है ?"

देखिए, अमेरिका के नागरिकों के पास वह विधि/प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे जिला स्तर के प्राधिकारियों/पदाधिकारियों को उनके पद से हटा सकते हैं। तथा अमेरिका के 20 राज्यों में

नागरिकों के पास गवर्नर को भी पद से हटाने का अधिकार है तथा बाकी बचे हुए 30 राज्यों के गवर्नर ये जानते हैं कि यदि उन्होंने बुरा बर्ताव किया तो नागरिक इस तरह की किसी विधि का निर्माण करके उन्हें भी पद से हटा सकने में सक्षम/समर्थ हैं और फिर वे उसका प्रयोग करके उन्हें हटा देंगे। इसलिए जहाँ 20 राज्यों के गवर्नर जनता द्वारा निष्कासित होने/हटाए जाने के प्रत्यक्ष/प्रकट खतरे का सामना करते हैं वहीं 30 राज्यों के गवर्नर भी परोक्ष/अप्रकट रूप से इस खतरे का सामना करते हैं।

फिर भी एक प्रश्न बना रह जाता है – अमेरका के नागरिकों के पास राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और सीनेटरों को हटाने की प्रक्रिया नहीं है। तो भी वर्ष 1929 में जब करोड़ों अमेरिकावासियों की नौकरियां छूट गईं तो सीनेटर, राष्ट्रपति और अभिजात्य/कुलीन वर्ग ने 70 प्रतिशत आयकर, 70 प्रतिशत विरासत-कर जैसे अनेक कानून लागू कर दिए और इन कानूनों का उपयोग कल्याणकारी और रोजगार संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक फंड/धन जुटाने में किया। लेकिन कैसे ? ***कैसे अमेरिकी संघीय सरकार आमलोगों के हितों के लिए ऐसी कार्रवाई कर पाई? क्योंकि वर्ष 1929 में, 70 प्रतिशत से अधिक अमेरिकी जनता के पास बंदूकें थीं।*** अमेरिका और यूरोप में कल्याणकारी राज्य/वेलफेयर स्टेट 1930 के दशक में “सशस्त्र शांतिपूर्ण क्रांति” के जरिए आए। यह विरोधाभासी लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। रूस में केवल 10 से 15 प्रतिशत जनसंख्या के पास हथियार थे। और इसलिए जार/शाह उन्हें दबाने की सोच सकते थे। उसने(जार ने) कोशिश की और इसलिए वहां सशस्त्र क्रान्ति हुई। लेकिन अमेरिका और इंग्लैण्ड में 70 प्रतिशत से ज्यादा वयस्कों के पास हथियार थे और कुलीन/अभिजात वर्ग के लोग यह जान गए कि जनता को तब भी दबाया नहीं जा सकता जब सभी पुलिसवालों और सिपाहियों को तैनात कर दिया जाए। और इसके अलावा उनके सामने 1917 की रूसी क्रान्ति का उदाहरण मौजूद था जिसकी यादें अभी भी उनके मन में ताजा थीं। इसलिए वर्ष 1932-36 में अमेरिकी कुलीन/अभिजात वर्ग के लोगों ने कल्याणकारी और रोजगार की योजनाओं को लागू करने के लिए मरनोपरांत `विरासत कर` के रूप में अपनी सम्पत्ति का 40 से 70 प्रतिशत तक और अपनी आय का भी 40 से 70 प्रतिशत आयकर के रूप में देने पर सहमत हो गए। ऐसा किसी भलाई के उद्देश्य से नहीं किया गया था बल्कि हथियार-बन्द नागरिक समुदाय से अपनी बची 30 प्रतिशत आय और 30 प्रतिशत सम्पत्ति बचाने के तरीके के रूप में किया गया था। दूसरे शब्दों में, यह कल्याणकारी राज्य, सशस्त्र शांतिपूर्ण क्रान्ति का ही परिणाम था।

नेता, प्रमुख बुद्धिजीवी तथा विशिष्टवर्ग/अभिजात वर्ग के लोग केवल दो ही बातों की चिंता करते है : बन्दूक तथा वापस बुलाने/हटाने के अधिकार का डर, और किसी बात की नहीं। उन्हें अपना सम्मान ,चरित्र आदि के पतन/धूमिल हो जाने का डर नहीं है, अंतरात्मा जैसी किसी बात की तो वे परवाह ही नहीं करते। उन्हें गरीबी से मर रही हम आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। उदहारण के लिए, 1940 में, जब 40 लाख जनता भूख से मर गई , उस समय तथाकथित प्रमुख बुद्धिजीवी तथा विशिष्टवर्ग/कुलीन वर्ग के लोग उसी तरह खा पी, मौज मस्ती कर रहे थे तथा उन्होंने जनता की जरा भी परवाह नहीं की। इसी तरह, आज (1991-2008) भी, आप देखिये, नेता, बुद्धिजीवी, तथा विशिष्टजन/अभिजात वर्ग और अधिक संख्या में आई आई टी, आई आई एम , जे एन यू, यू जी सी, पूलों, हवाई मार्ग, बेहतर हवाई अड्डे , बेहतर बंदरगाह और ***सेज*** आदि की माँग कर रहे हैं। जब आप हर वर्ष 1000 रूपए की दवाईयों/भोजन के अभाव

में हर वर्ष लाखों शिशुओं /बच्चों के दम तोड़ देने की बात करते हैं, तब भारत के ये नेता, बुद्धिजीवी तथा विशिष्टजन उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदयमान भारत (राइजिंग इंडिया), शाइनिंग इंडिया, फील गुड फैक्टर, अतुल्य भारत (इनक्रेडेबल इंडिया), 8 प्रतिशत विकास दर के समूह गान का राग एक सुर में राग अलाप रहे हैं। जहां रोम के पास एक *नीरो* था, भारत के 98 प्रतिशत से ज्यादा नेता, बुद्धिजीवी, अभिजात वर्ग के लोग *नीरो* हैं। अमेरिका के विशिष्टजन/ उच्चवर्ग ने ऐसी नीरोगिरी नहीं दिखाई क्योंकि वहाँ की 70 प्रतिशत जनता के पास बंदूकें थीं। भारत के नेता, बुद्धिजीवी और विशिष्टजन ऐसी नीरोगिरी दिखाते हैं क्योंकि मध्यम/निम्न वर्ग की 95 प्रतिशत आम-जनता में से 2 प्रतिशत जनता के पास भी हथियार नहीं हैं। इसलिए " उन्हें भूखों मरने दो तथा हमें फलने फूलने दो" यही प्रमुख भारतीय उच्चवर्ग/ अभिजात वर्ग, भारतीय नेता और भारतीय बुद्धिजीवी की सोच है ।

अमेरिकियों के पास केवल जिला/राज्य स्तर के अधिकारियों को ही वापस बुलाने/हटाने का अधिकार है राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। लेकिन अमेरिका के आम नागरिकजन का सशस्त्र होने ने रिकाल (वापस बुलाने के अधिकार) का काम किया राष्ट्रिय स्तर पर | भारत में हम जनता के पास हथियार नहीं है । *नक्सलियों* की तरह के कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि गरीबी से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय हथियार ही है। मैं हम आम जनता के पास शस्त्रों/हथियार होने का समर्थन करता हूँ, लेकिन गरीबी की समस्या के समाधान के लिए प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकॉल के प्रयोग पर ही जोर देता हूँ तथा समाधान के तौर पर प्राथमिकता से/सबसे पहले शास्त्रों/हथियारों के प्रयोग को सही नहीं मानता। आम जनता भूख से मर सकती है जैसे कि 1940 के दशक में बंगाल में मौतें हुई थीं या फिर वह हथियार उठा सकती है जैसा कि 1916 में रूस में हुआ था या फिर हथियार उठाने कि धमकी यहाँ भी कल्याणकारी राज्य/अच्छाई का माहौल बना सकती है जैसा कि 1932 में अमेरिका में बना था। पर ये वो रास्ते/तरीके हैं जिनका सुझाव मैं अभी की परिस्थिति में नहीं दूँगा। मैं नेताओं, बुद्धिजीवियों तथा विशिष्ट जनों के खिलाफ हथियारों के उपयोग की बजाए प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के प्रयोग की कोशिश करना चाहता हूँ।

इसलिए इस प्रश्न कि: "यह कैसे हुआ कि 1932-39 में पश्चिम देशों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया/विधि न होने के बावजूद जनता की दशा में सुधार हुआ?" का पुनः जवाब दे रहा हूँ। जवाब है: क्योंकि 70 प्रतिशत अमेरिकियों के पास बंदूकें थीं।

अभी, निचली 98 प्रतिशत भारतीय जनता के पास बंदूकें नहीं हैं। मैं स्वीटजरलैण्ड की ही तरह का एक ऐसा भारत चाहता हूँ, जहाँ 100 प्रतिशत नागरिकों के पास बंदूकें हैं, लेकिन यह पर सिर्फ बाहरी ताकतों जैसे पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि के आक्रमण से भारत की रक्षा के लिए न कि गरीबी तथा भ्रष्टाचार की समस्याओं के समाधन के लिए। गरीबी तथा भ्रष्टाचार की समस्या के लिए मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जजों/न्यायाधीशों आदि के खिलाफ प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून को प्रमुखता दूँगा।

सारांश :

पश्चिमी देशों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल की जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि वहां हथियारबन्द नागरिक समाज था। हमारे यहां आज की स्थिति के

अनुसार हथियारबन्द नागरिक समाज नहीं है और इसलिए हमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल प्रक्रिया/विधि की लानी ही होगी।

(6.22) प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल के विरूद्ध दिए जाने वाले तर्कों का जवाब

पश्चिमी देशों में सुधार आया क्योंकि वहाँ निष्कासन विधि/प्रक्रिया (ज्यूरी तथा रिकॉल विधि) तथा जनता को भरपूर हथियार देकर ताकतवर बनाया गया था। पश्चिमी नागरिकों के विकास के **केवल** ये ही दो प्रमुख कारण थे। तथा भारत के बुद्धिजीवियों ने इन दोनों ही बातों का विरोध किया है। अर्थात उन्होंने भारत में जनता के सशस्त्र होने का विरोध किया। साथ ही साथ रिकॉल ज्यूरी का भी विरोध किया। दूसरे शब्दों में, भारत के बुद्धिजीवियों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत की जनता कमजोर, विनम्र तथा गरीब बनी रहे तथा इसके बाद वे इनकी दुर्दशा का आरोप 'राजनैतिक सभ्यता' की झूठी कहानी पर मढ़ते रहें।

अब मैं पाठकों से अनुरोध करता हूँ कि वे ध्यान दें कि किस प्रकार ये भारतीय "बुद्धिजीवी" छात्रों को झूठों का पुलिन्दा थमाते हैं या फिर आधा-अधूरा सच बताते हैं |

(1) भारत के बुद्धिजीवी छात्रों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं देते कि यूरोप में कोरोनर की ज्यूरी सिस्टम आने के बाद से ही वहाँ की पुलिस में सुधार हु , जिसमें आम नागरिकों क्रूर अधिकारियों को उनके पदों से हटा सकते हैं। केवल इसी ज्यूरी सिस्टम के आने के बाद ही पुलिसकर्मियों की क्रूरता/उत्पीड़न तथा जनता को लूटने की घटनाओं में कमी आई तथा अमेरिका में समृद्धि आना शुरू हुआ।
(2) भारत के बुद्धिजीवियों ने छात्रों को इस तथ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि ज्यूरी और रिकॉल के तरीके का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना ही अमेरिकी जिला तथा राज्य प्रशासन में कम भ्रष्टाचार के पीछे सबसे प्रमुख कारण है ।
(3) भारत के बुद्धिजीवियों ने छात्रोंके 1930 सच से वंचित रखा कि/कार्यकर्ताओं को इस तथ्य/ दशक मेंअमेरिका की संघीय सरकार ने कल्याण राज्य का निर्माण केवल इस कारण से किया कि वहां की जनता पूर्ण रूप से अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थी। इसके बजाय भारत के बुद्धिजीवियों ने ये अफवाह फैलाई कि के 1930 दशक में कल्याण राज्य का उदय इस कारण हुआ कि वहाँ के नागरिकगण अनुभवीसमझदार/ थे। इस प्रकार गरीबी का सारा आरोप वे भारत के नागरिकों पर ही डाल देते हैं ।

सार ये कि भारत के बुद्धिजीवी भारतीय लोकतंत्र को बौना ही बनाये रखने पर जोर देते हैं – जिसमें कोई रिकॉल प्रणाली न हो, ज्यूरी प्रणाली न हो, प्रशासनिक तथा न्यायतंत्र के लिए कोई चुनाव न हो तथा हम आम जनता के पास हथियार न हो। और जब लोकतंत्र न होने की कमी की वजह से गरीबी से मौतें होती हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है तथा सैन्य कमजोरी बढ़ती है तो वे तुरंत हम आम जनता, हमारी राजनैतिक संस्कृति तथा धर्म पर दोष मढ़ देते हैं।

(6.23) `प्रजा अधीन-राजा`/`राईट टू रिकाल`(भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) के विरोधी , नकली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक के लक्षण / चिन्ह और चालें

`प्रजा अधीन-राजा` कार्यकर्ता मित्रों ,

कृपया ध्यान दें कि अभी `राईट टू रिकाल`/`प्रजा अधीन-राजा` नाम लोगों में बढ़ता जा रहा है | और नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव पड़ रहा है , `राईट टू रिकाल , नागरिकों द्वारा ` के बारे में बात करने के लिए | इसीलिए , नेताओं को अब मजबूरी से `प्रजा अधीन-राजा`/`राईट टू -रिकाल, नागरिकों द्वारा` के बारे में बात करने पर मजबूर हो जाते हैं |

लेकिन `आम-नागरिक`-विरोधी लोग असल में `भ्रष्ट को नागरिक द्वारा बदलने/सज़ा देने के तरीके/प्रक्रियाएँ`(राईट टू रिकाल/प्रजा अधीन राजा) नहीं चाहते |

उनको परवाह नहीं है कि देश विदेशी कंपनियों और विदेशी लोगों के हाथ बिक जायेगा और 99% देशवासी लुट जाएँगे |

65 सालों से , लोग ऐसी प्रक्रियाएँ/तरीके मांग रहे हैं , जिसके द्वारा आम नागरिक भ्रष्ट को बदल सकते हैं /सज़ा दे सकते हैं और पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) की भी मांग कर रहे हैं | (`पारदर्शी` का मतलब, वो शिकायत/प्रस्ताव है जो कभी भी देखि जा सकती है और कभी भी जाँची जा सकती है, किसी के भी द्वारा, कभी भी और कहीं भी, ताकि कोई नेता, कोई बाबू, कोई जज या मीडिया उसे दबा नहीं सके |)

लेकिन `राईट टू-रिकाल`के विरोधी ये मांग को दबाते आ रहे हैं |

उसके लिए वे कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उन में से कुछ की लिस्ट यहाँ नीचे है-

1) वे अपने कार्यकर्ताओं को क़ानून-ड्राफ्ट(नक्शा) की बात करने के लिए भी मना करते हैं, क़ानून-ड्राफ्ट (नक्शा) को पढ़ने के लिए भी मना करते हैं, क़ानून-ड्राफ्ट (नक्शा) लिखना तो दूर की बात है | वे हवा में बात करते हैं , ना तो वो किस देश और जगह की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, बताते हैं, ना तो उसका नाम बताते हैं, न ही उसका ड्राफ्ट देंगे |

क़ानून-ड्राफ्ट को पढ़ना और लिखना वकीलों का काम नहीं है, ना ही जजों का , ना ही सांसदों का , लेकिन नागरिकों का काम है !! **जी हाँ, आप नागरिकों को क़ानून-ड्राफ्ट सांसदों को देना होता है, जो तब क़ानून-ड्राफ्ट पास करवाते हैं सांसद में |** वकीलों का काम क़ानून-ड्राफ्ट (नक्शा) बनाना नहीं है, उनका काम मामले लड़ना है, जजों का कम क़ानून बनाना नहीं, उनका काम फैसले देना है |

`प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी दूसरों को क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ने से रोकते हैं , कार्यकर्ताओं को ऐसे काम में लगवा कर जो भ्रष्टाचार, गरीबी कम नहीं करते जैसे स्कूल चलाना,योग सीखाना , विपक्ष के पार्टियों या अन्य नेताओं के खिलाफ नारे लगाना , किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार-अभियान करना , चरित्र(अच्छा व्यवहार) बनाना , आदि |

लेकिन एक बार भी कार्यकर्ताओं को क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ने के लिए नहीं कहते , उनपर चर्चा करना तो दूर की बात है |

इसीलिए , क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ना शुरू कर दें और क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ना शुरू कर दें और उनपर अपनी राय दें , ड्राफ्ट को बताते हुए | और कुछ क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ने के बाद और उनपर कमेन्ट/राय देने के बाद , आप ड्राफ्ट लिख भी पायेंगे |

यदि आम नागरिक , अपना ये कर्तव्य/काम करना शुरू कर दें, तो कोई भी गलत और जन-विरोधी क़ानून और शब्द नहीं कह सकेगा |

2) `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी और जाली-`प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक कभी भी सही तुलना और जांच/विश्लेषण नहीं करेंगे |

वे कुछ ऐसे दो मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति चकरा जाये और निराश हो जाये और कभी क़ानून-ड्राफ्ट को ना तो पढ़े , न तो चर्चा करे | और वे हमेशा एक-तरफ़ा चर्चा करेंगे |
कृपया उनको तुलना करने के लिए कहें किसी भी मानी गयी परिस्थिति के लिए , पहले वर्त्तमान क़ानून के अनुसार उस पारिस्थि को देखें , फिर यदि उनका पसंद का क़ानून-ड्राफ्ट लागू होता है, या फिर जब `प्रजा-अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट या अन्य ड्राफ्ट लागू होते हैं उस पारिस्थि की तुलना करें और फैसला करें कि कौन से ड्राफ्ट देश के लिए फायदा करेंगे और कौन से देश को नुकसान करेंगे |

उदाहरण के लिए , जाली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक अक्सर कहते हैं कि करोड़ों लोगों को ख़रीदा जा सकता है यदि `प्रजा अधीन-राजा ` के तरीके लागू होते हैं, लेकिन वे कभी बी इसकी तुलना अपने पसंद के क़ानून-ड्राफ्ट या आज के क़ानून -ड्राफ्ट या तरीकों से नहीं करते क्योंकि इन तरीकों/प्रक्रियाओं में कुछ ही लोग होते हैं ,जो विदेशी कंपनियों को खरीदना होता है प्रशाशन पर काबू पाने के लिए |

3) वे हमेशा कहते हैं कि वे `प्रजा अधीन-राजा`/`राईट टू रिकाल` का समर्थन करते हैं लेकिन कभी भी नहीं बताते कि कौन से पद के लिए वे `प्रजा अधीन राजा` का समर्थन करते हैं ? प्रजा अधीन-सरपंच, प्रजा अधीन-मायर/महापौर जैसे चिल्लर या प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन-लोकपाल या प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री | वे छोटे पदों के लिए अभी `प्रजा अधीन-राजा`/राईट टू रिकाल लाना चाहेंगे और ऊपर के पदों के लिए अगले जन्म में राईट टू रिकाल लाना चाहेंगे |

उनसे पूछें इसको स्पष्ट/साफ़ बताने के लिए कि वो कौन से पद पर `राईट टू रिकाल` का समर्थन करते हैं और उसका क़ानून-ड्राफ्ट देने के लिए जिसका वे समर्थन करते हैं |

हम उच्च-पदों के लिए आज और अभी `राईट टू रिकाल`(भ्रष्ट को निकालने का नागरिकों का अधिकार) चाहते हैं क्योंकि बिना उसके देश को बहुत नुकसान होगा |

4) वे कहते हैं कि वे `राईट टू रिकाल`/`प्रजा अधीन-राजा` का समर्थन करते हैं, लेकिन उसे `बाद में ` लायेंगे (अगले जन्म में) | इसके लिए कुछ बहाने जो वो बोलते वो है-

क) अभी सरकार इसको पास नहीं करेगी |

`प्रजा अधीन-राजा` के विरोधियों से पूछें कि क्या हमें सरकार की इच्छा के हिसाब से जाना चाहिए कि करोड़ों लोगों की इच्छा के अनुसार ?

ख) सभी क़ानून के सुधार एक साथ नहीं आ सकते |

`प्रजा अधीन-राजा` के विरोधियों से कहें कि लोग 50-100 सालों के लिए इन्तेजार नहीं करना चाहते , सभी कानूनों में सुधार लाने के लिए |

यदि `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) आ जाये तो सभी सुधर कुछ ही महीनों में आ जाएँगे|

कृपया इस प्रणाली (सिस्टम) को www.righttorecall.info/406.pdf में देखें |

ग) हमारी एकता भंग हो जायेगी |

उनसे कहें कि हम एकता ही चाहते हैं, इसीलिए ये जन-हित की धाराएं आपके ड्राफ्ट में जोड़ने के लिए कह रहे हैं | और एकता चाहते हैं , तो `पारदर्शी शिकायत प्रणाली (सिस्टम) को क्यों नहीं लागू करवाते ,जो देश के लोगों को एक होने में मदद करता है |

घ) हम पहले सांसद चुन कर सरकार लायेंगे , फिर `प्रजा अधीन-सांसद` के ड्राफ्ट बनायेंगे और ये क़ानून लायेंगे |

उनसे कहें कि कभी नागरिकों के नौकर, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री कभी अपने ऊपर अपने मालिक, 120 करोड़ जनता का लगाम आने देंगे ? वे तो सत्ता में आने के बाद , विदेशी कंपनी से रिश्वत के पैसे लेकर, कोई गुप्त विदेशी खाते में डाल देंगे और `प्रजा अधीन-राजा` /`राईट टू रिकाल` को रद्दी में डाल देंगे | **ये क़ानून लाना तो केवल देश के करोड़ों मालिक , करोड़ों नागरिकों के जनता के नौकर के ऊपर दबाव से ही आ सकता है |**

इसीलिए , **उनसे कहें कि अभी सांसदों से या अपनी पार्टी से कहें कि अपनी पार्टी के घोषणा-पत्र में `प्रजा अधीन-सांसद` आदि `प्रजा अधीन-राजा` के ड्राफ्ट डालें |**

5) `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी कहेंगे कि कि एक नेता को समर्थन करो, जो क़ानून-ड्राफ्ट को लागू कराएगा और वो बोलते हैं कि उस नेता के सार्वजनिक/पब्लिक काम पर कोई भी न बोले क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके पसंद के नेता की बदनामी हो रही है |

कृपया उनको बताएं कि ड्राफ्ट हमारा नेता है | बिना ड्राफ्ट के , सरकारी तंत्र/सिस्टम में कोई भी बदलाव संभव नहीं है ,बुरा या अच्छा | उनसे पूछें कि क़ानून-ड्राफ्ट पर अपना रुख बताएं ,कि क्या वे उसको समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं | यदि हमारे नेता, ड्राफ्ट का समर्थन करते हैं, तो उनको कहें कि हमारे नेता, ड्राफ्ट को अपने नेता से मिलवाएं और उनके नेता से पूछें कि वो क़ानून-ड्राफ्ट का समर्थन करते हैं या विरोध |

हम कोई भी व्यक्तिगत/निजी टिपण्णी/बात नहीं करते हैं जैसे `क.ख.ग` का चरित्र(बर्ताव/व्यवहार) ऐसा है,या `क.ख.ग` के पिता/माता ऐसे हैं` आदि | हम केवल उनके सार्वजनिक/पब्लिक काम पर टिपण्णी/बात करते हैं,कि वो ईमानदार हैं या बेईमान है, उसी तरह जिस तरह लोग सड़क-बनने के देख-रेख करने वाले/निरीक्षक के काम पर बोलते हैं| अब यदि आप कहते हो कि सड़क-बनने के बनने वाले पर कोई टिपण्णी/बात ना करें , तो पहले तो आप अपना नागरिक का काम नहीं कर रहे, और हम को भी अपना कर्तव्य करने से रोक रहे हैं, जो देश के लिए खतरनाक है |

क्या ये पक्षपात/तरफदारी नहीं है यदि मैं उन सरकारी नौकरों पर बात करूँ जो मेरे सम्बन्ध में नहीं हैं, या जो मैं पसंद नहीं करता और उन सरकारी नौकरों पर नहीं बोलूं जो मुझे अच्छे लगते हैं या मेरे सम्बन्ध में है ? क्या देश ज्यादा जरूरी है या व्यक्ति ?

6) `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी कहते हैं कि वे `प्रजा अधीन-राजा` को समर्थन करते हैं, लेकिन कभी भी उसको समर्थन करने या उसके क़ानून-ड्राफ्ट लागू करवाने के लिए कुछ भी नहीं करते |

उनको बोलें कि अपने प्रोफाइल नाम के पीछे लिखें `प्रजा अधीन-लोकपाल`या `राईट टू रिकाल नागरिकों द्वारा` आदि |
उनको प्रक्रियाएँ/तरीकों के बारे में पर्चे बांटने के लिए कहें (www.righttorecall.info/406.pdf)

या उनको समाचार-पत्र में प्रचार देने के लिए कहें, जो उनके नेता, सांसद, विधायक आदि से उनका `प्रजा अधीन-राजा` के ड्राफ्ट के बारे में रुख साफ़ करने के लिए पूछे और ये क़ानून-ड्राफ्ट के धाराओं को अपने कानूनों या घोषणा पत्र में जोड़ने के लिए बोले |

और उनको बोलें कि अपने संस्था के लोगों को `प्रजा अदीन-राजा` के प्रक्रियाएँ/तरीके और क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में बताएं |

और उनको पूछें कि वे क्या कर रहे हैं, इन क़ानून-ड्राफ्ट को लागू करने के लिए |

7) `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी / नकली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक कोशिश करेंगे आप को बेकार के बिना क़ानून-ड्राफ्ट के चर्चा में उलझाने के , और आपका समय बरबाद करने के लिए, जो समय आप दूसरों को क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में बताने में लगा सकते हो |

साफ़ मना कर दो बेकार के समय-बरबादी करने वाले बिना क़ानून-ड्राफ्ट के चर्चाओं पर बात करने के लिए | `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी को बोलें कि पहले ड्राफ्ट पढ़ें | उसको क़ानून-ड्राफ्ट दें | और उसको बोलें , कि अनपढ़ बही क़ानून-ड्राफ्ट समझ सकते हैं |
और उसको बोलें कि धाराओं का जिक्र /उलेख करे ,अपनी बात रखते समय |

8) `प्रजा अधीन-रजा` के विरोधी / नकली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक घंटो-घंटो देश की समस्याओं पर बात करेंगे , लेकिन एक मिनट भी समाधान पर बात नहीं करेंगे और कभी भी वे क़ानून-ड्राफ्ट नहीं देते जो गरीबी, भ्रष्टाचार आदि कम करेंगे | वे कुछ प्रस्ताव जरुर दे सकते हैं |

उनको कहें कि उनके प्रस्तावों के लिए ड्राफ्ट दे जो देश की मुख्य समस्याओं जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार का समाधान करे क्योंकि सरकार में लाखों कर्मचारी होते हैं और इन कर्मचारियों को आदेश या क़ानून-ड्राफ्ट चाहिए होते हैं , इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए | प्रस्ताव उतने ही अच्छे या बुरे हैं जितने कि उनके ड्राफ्ट |

9) कई `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी / नकली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक सही रुख नहीं लेंगे कि वे `प्रजा अधीन-राजा` ड्राफ्ट का समर्थन या विरोध करते हैं जो करोड़ों लोगों के हित में है या दूसरे ड्राफ्ट जो कुछ ही लोगों का फायदा करते हैं जैसे विदेशी कम्पनियाँ आदि |

उदाहरण., वे बोलते हैं कि वे `जनलोकपाल **बिना** `राईट टू रिकाल-लोकपाल,नागरिकों द्वारा` क़ानून-ड्राफ्ट का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं या वो `जनलोकपाल `राईट टू रिकाल-लोकपाल , नागरिकों द्वारा **के साथ**` ड्राफ्ट का सम्रथन करते हैं या विरोध करते हैं |

वे कोई साफ़ रुख इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनका अपना स्वार्थ होता है , उदाहरण., प्रायोजक उन्हें पैसे देना बंद कर देंगे यदि वे कहेंगे कि वे `प्रजा अधीन-लोकपाल` या अन्य कोई `भ्रस्त को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार` की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं तो |

और यदि वे कहते हैं कि `प्रजा अधीन-राजा` के प्रक्रियाओं का विरोध करते हैं, तो उनकी पोल खुल जायेगी कि वे आम नागरिक-विरोधी हैं |

इसीलिए वे कोई साफ़ उत्तर/जवाब नहीं देते और कोई रुख/निश्चित फैसला नहीं लेते |

कभी भी कोई चर्चा में आगे न बढ़ें , जब तक कि `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी का रुख साफ़ न हो जाये क्योंकि ऐसे चर्चाएं केवल समय की बर्बादी ही होगी , समय जो आप इस्तेमाल/प्रयोग कर सकते हैं दूसरे नागरिकों को `प्रजा अधीन-राजा`के प्रक्रियाओं/तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए |

और एक बार , वो व्यक्ति अपना स्पष्ट/साफ़ रुख ले लेता है, तो तभी चर्चा में आगे बढ़ें, और फिर उनको कहें कि अपनी बात रखने के साथ , वे बताएं कि कौन से ड्राफ्ट और धाराओं के बारे में बात कर रहे हैं |

10) `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी बहुत बार ये दावा करते हैं कि `भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने`की परक्रियें/तरीके “संभव नहीं” हैं या “ संविधान के खिलाफ” हैं |

उनसे सबसे पहले पूछें कि ये साफ़ करें कि कौन सी प्रक्रिया/तरीकों की बात कर रहे हैं | और उस धारा को बताएं जो संविधान के विरुद्ध है और वो धारा , संविधान के कौन सी धारा के विरुद्ध है |

उनको पूछें कि प्रस्तावित `प्रजा अधीन-राजा` की प्रक्रिया/तरीका में से कौन सी धारा संभव नहीं है और कैसे ? क्या इसीलिए संभव नहीं क्योंकि लोग उतनी रिश्वत नहीं ले पाएंगे या कि वो लागू नहीं हो सकती है और उसे लागू करने में क्या परेशानी आ रही है |

उनसे पूछें कि वे `हस्ताक्षर(साइन)-आधारित` भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने की प्रक्रिया/तरीका (जहाँ लोगों को हस्तक्ष इकट्ठे करने होते हैं) या हाजिरी-आधारित भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने की प्रक्रिया/तरीका (जहाँ लोगों को कलक्टर के दफ्तर खुद जाना पड़ता है ,शिकायत लिखने या पटवारी के दफ्तर खुद जाना पड़ता है , पहले से दी हुई शिकायत पर अपनी हाँ/ना दर्ज करने) ?

उनसे पूछें कि वे `सकारात्मक` रिकाल (भ्रष्ट को बदलने की प्रक्रिया/तरीका नागरिकों द्वारा) की बात कर रहें हैं (जिसमें लोगों को विकल्प ढूँढना होगा वर्त्तमान `पब्लिक के नौकर` को बदलने के लिए) या नकारात्मक रिकाल की बात कर रहे हैं (जिसमें लोगों को वर्त्तमान `पब्लिक के नौकर` के खिलाफ मत डालना होता है, उसे निकालने के लिए) ?

`सकारात्मक` रिकाल अव्यवस्था की स्तिथि कम करता है , जो पद खाली रहने से होती है और ये भ्रष्ट (अधिकारी) को नागरिकों द्वारा हटाना भी आसान बना देता है , क्योंकि `नकारात्मक` रिकाल में , नागरिक भ्रष्ट (अधिकारी) को नहीं हटाएंगे क्योंकि उन्हें दर है कि अगला अधिकारी/व्यक्ति इससे भी बुरा हो सकता है | `सकारात्मक` रिकाल ये संभावना समाप्त कर देता है कि कोई व्यक्ति अपने पद से निकाला जायेगा कुछ ऐसा न कर पाने पर , जो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता हो , क्योंकि नागरिक देखेंगे कि विकल्प/दूसरा व्यक्ति भी कर नहीं सकता |

उनसे पूछें कि वो `राईट टू रिजेक्ट` की जो बात कर रहे हैं, वो एक बटन है जो हर पांच साल दबा सकते हैं (यानी इनमें से कोई नहीं) या `राईट टू रिजेक्ट,किसी भी दिन, नागरिकों द्वारा` /

(राईट टू रिजेक्ट हर पांच साल ` से कोई भी बदलाव नहीं आएगा | क्यों? क्योंकि ज्यादातर वोट वैसे भी किसी पार्टी के खिलाफ होते हैं , जैसे जो कांग्रेस से नफरत करता है, उनके लिए और कोई चारा नहीं कि वे भा.ज.पा. के लिए वोट डालें ताकि कांग्रेस न जीत पाए और ऐसे ही भा.जा.पा से नफरत करने वाले कांग्रेस को वोट देंगे, `इनमें से कोई भी नहीं` बटन होने के बावजूद | इसीलिए `राईट टू रिजेक्ट हर पांच साल , कोई भी बदलाव नहीं लाएगा |)

उसको पूछें कि पूरी परिस्स्थिति बताएं अपना दावा को समझाने के लिए , क़ानून-ड्राफ्ट और धाराएं बताते हुए |

11) ज्यादातर `प्रजा अधीन-राजा`के विरोधी , विदेशी कंपनियों और अन्य कंपनियों के मालिकों की तरफदारी करते हैं |

कम्पनियाँ `काम के समझौते` बनाती हैं, जिसमें `मर्जी पर कभी भी ` निकाल देने की शर्त लिखी होती है, वो भी बिना कोई सबूत दिए , कोई कारण-अच्छा, बुरा, या बिना कोई कारण दिए

इसके आलावा , एक `परखने का समय` भी होता है, जिसमें मालिक अपने मजदूरों को कभी भी निकाल सकता है, बिना कोई कारण दिए |

लेकिन सबूत-भगत (सबूतों की मांग करने वाले) अपनी सबूत की मांग सिर्फ आम नागरिकों के लिए करते हैं | वे कहते हैं कि ये अनैतिक है, कि किसी को बिना सबूत के निकालना | वो बड़े आराम से ये ही मुद्दा गोल कर देते हैं, जब कंपनियों के मालिकों के अधिकारों की बात होती है| तब वे कहते हैं ,कि कोई भी सबूत देने की मालिकों को जरूरत नहीं है और वो अपने कर्मचारी को निकाल सकता है , बिना कोई सबूत के !!

क्या ये खुला भेद-भाव नहीं है ? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है ?

हम, आम नागरिक , कंपनी मालिकों के समान अधिकार की मांग करते हैं |

जैसे कंपनी मालिकों को बिना कोई सबूत के , अपने कर्मचारियों को निकालने का अधिकार है, हम 120 करोड़ ,इस देश के मालिक , हमारे द्वारा देश को चलाने के लिए रखे गए नौकर, प्रधान-मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकपाल,जज, और अन्य जरूरी अधिकारी को निकालने का अधिकार होना चाहिए ,बिना कोई सबूत | हमारे पास `राईट टू रिकाल(भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), बिना कोई सबूत के ` होना चाहिए |

12) एक और चीज जो `प्रजा अधीन-रजा` के विरोधी बोलते हैं कि ` हमें क्यों सेना को मजबूत बनाने के लिए पैसे देना चाहिए टैक्स के रूप में , जैसे `विरासत टैक्स`, सीमा-शुल्क , `संपत्ति टैक्स` आदि ? वे अपने बारे में अधिक सोचते हैं, बजाय कि देश के |

अरे, यदि वे ये सब टैक्स नहीं देंगे , तो देश की सेना, पोलिस और कोर्ट देश की सुरक्षा नहीं कर पाएंगी , विदेशी कंपनियों और देशों को हमें गुलाम बनाने से , और सबसे पहले तो पैसे-वाले ही लूटे जाएँगे , और देश का 99% धन लूट लिया जायेगा |

और यदि कोई अपना धन-संपत्ति खुद सुरक्षा करने की कोशिश करता है , तो उसको कहीं ज्यादा खर्च करना होगा , मिलकर धन (सामूहिक धन-संपत्ति) की सुरक्षा करने पर जो खर्च होगा, उसकी तुलना में |

इसीलिए दोनों, आर्थिक(पैसे) के नजरिये से और अच्छे-बुरे(नैतिक) के नजरिये से , ज्यादा पैसे-संपत्ति वालों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए , कम पैसे और संपत्ति वालों कि तुलना में |

====

कुछ `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी / जाली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक अपने रुख पर जमे रहेंगे , कुछ `प्रजा अधीन-राजा` के समर्थक भी बन जाते हैं , सच्चाई जानने के बाद |

लेकिन यदि व्यक्ति, क़ानून-ड्राफ्ट पर बात करने से मना कर दे, अपना रुख स्पष्ट/साफ़ करने से मना कर दे, तो उसके साथ आगे चर्चा बंद कर दें , क्योंकि ये केवल समय की बरबादी ही होगी , वो समय जो दूसरों को `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट की जानकारी देने के लिए प्रयोग /इस्तेमाल कर सकते हैं |

उन लोगों को बोलना चाहिए कि ` हमें तुमसे चर्चा नहीं करनी क्योंकि तुम अपना नागरिक का कर्तव्य भी नहीं पूरा कर रहे, क़ानून-ड्राफ्ट ना पढ़ कर | हमें और दूसरों को कम से कम अपना कर्तव्य पूरा करने दो |`

(6.24) कृपया प्रक्रियाओं और क़ानून-ड्राफ्ट / मसौदों पर ध्यान केंद्रित करें ना कि कानूनों के नाम या व्यक्तियों पर जिसने ये क़ानून-ड्राफ्ट बनाएँ हैं क्योंकि नाम धोखा दे सकते हैं

बिका हुआ मीडिया/**पैड मीडिया** ये कहता है कि "नीतिश कुमार अत्यंत प्रतिबद्ध है `राईट टू रिकाल /भ्रष्ट को निकालने का अधिकार` के प्रति | 1975 से वो राईट टू रिकाल/प्रजा अधीन राजा का समर्थन कर रहा है | " ऐसा है , कि वो कई बार सांसद रहा है 1975 से |और उसके पार्टी में भी कई सांसद हैं | नितीश कुमार या उसके कोई भी सांसद ने कभी भी प्रजा अधीन सांसद क़ानूनी मसौदा/क़ानून-ड्राफ्ट का प्रस्ताव नहीं किया संसद में | उसने कभी भी प्रजा अधीन प्रधान मंगरी,सुप्रीम कोर्ट जज को लागू करने के लिए कोई प्रक्रिया या क़ानून-ड्राफ्ट /मसौदा का प्रस्ताव नहीं किया | नितीश मुख्यमंत्री है छे सालों से | उसके राज्य के कोई भी जिलों में प्रजा अधीन पोलिस कमिश्नर नहीं है या प्रजा अधीन जिला शिक्षा अधिकारी | फिर भी वो ये दवा करता है कि वो `प्रजा अधीन राजा /भ्रष्ट को बदलने का अधिकार ` का समर्थक है |

और अंत में, नितीश कुमार ने राईट टू रिकाल कानून पार्षद के लिए स्वीकार किया |इसके कुछ विवरण देखते हैं-

"...-यदि दो तिहाई वोटर अपने चुनाव क्षेत्र से पार्षद के खिलाफ एक हस्ताक्षर वाली याचिका देते हैं शहरी विकास विभाग को , तो शहरी विकास विभाग उस याचिका की योग्यता पर गौर करेंगे और उस पार्षद के निष्काशन के लिए कदम उठाएंगे यदि वो आश्वस्त हो जाता है कि पार्षद ने दो तिहाई वोटरों को खो दिया है |"

अभी शहरी विकास विभाग का प्रभारी हस्ताक्षर की जांच कैसे करेगा? एक बैंक में, एक चेक एक दस्तावेज है जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है |और चेक स्वयं एक अर्ध-सबूत है| और बैंक के कर्क के पास हस्ताक्षर का नमूना है और ग्राहक के पास सूचना भी आ जाती है एस.एम.एस द्वारा या जब भी वो पासबुक अपडेट करवाता है | इसीलिए हस्ताक्षर आधारित दस्तावेज बैंक चेक काम करता है | लेकिन शहरी विकास अधिकारी के पास 1 % नागरिकों का भी हस्ताक्षर का नमूना नहीं है , तो वो हजारों हस्ताक्षरों की जांच कैसे करेगा उचित समय में ? और कैसे उसको पता लगेगा कि एक ही व्यक्ति ने सौ बार हस्ताक्षर नहीं किये हैं? और बिहार में, जहाँ साक्षरता दर 60 % से अधिक नहीं है, 67% का हस्ताक्षर भी कैसे लिया जा सकता है ?

उपरोक्त क़ानून-ड्राफ्ट केवल ये ही दिखाता है कि नितीश बदमाश है और चोर आदमी है एक सुधारवादी के वेश में | कोई भी असली सुधारवादी ऐसा बेकार क़ानून-ड्राफ्ट नहीं देगा | लेकिन देखते जायें, बीका हुए मीडिया ये कहेगा है कि ये भारत में सबसे अच्छा सुधारों में से एक है | (मैं मीडिया को "बिका हुआ /भुगतान किया हुआ (**पैड मीडिया**) मीडिया " इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है " सभी समाचार या तो बीके हुए/भुगतान किये हुए हैं(**पैड न्यूज़**) या तो बलात् /जबरन हैं " और "सभी चुप्पी या तो भुगतान किये हुए/बिके हुए हैं या तो बलात् /जबरन चुप्पी है"| " और बल आसान नहीं है और वह दुर्लभ है | इसीलिए **अधिकतर मामलों में, समाचार/खबर बिके हुए** /भुगतान किये हुए हैं(**पैड न्यूज़) और चुप्पी बिके हुए/ भुगतान किये हुए हैं** | और समस्या का उपाय ये है कि प्रजा अधीन दूरदर्शन मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो "नागरिक द्वारा भुगतान की गया समाचार " निर्मार्ण करेगा/बनाएगा और इसीलिए कम से कम मात्र में भुगतान चुप्पी होगी |)

(6.25) प्रजा अधीन राजा (राईट टू रिकाल) / भ्रष्ट को बदलने की प्रक्रिया अगले जन्म में !

केवल प्रजा अधीन राजा/भ्रष्ट को बदलने का क़ानून-ड्राफ्ट या पारदर्शी शिकायत प्रणाली के क़ानून-ड्राफ्ट का नाम ही `कार्यकर्ता` नेताओं को बेचैन कर देता है | वे इन्हें ना तो विरोध कर सकते हैं क्योंकि इससे उनकी कार्यकर्ताओं के सामने पोल खुल जायेगी कि वे आमजन विरोधी हैं | और यदि इसे समर्थन करते हैं तो उनके प्रायोजक धन देना बंद कर देंगे | इसीलिए वे ऊटपटांग कहकर `भ्रष्ट को निकालने का अधिकार` को टालने का प्रयत्न करते हैं जैसे पहले हमें ये/वो करना चाहिए और इसको अगले जनम में लाना चाहिए | या इस अधिकार को देने के लिए संविधान में बद्लाव चाहिए जिसके लिए बहुत समय चाहिए और इसीलिए अगले जन्म में आएगा | कोई एक-आध नेता ही इसका समर्थन करेंगे लेकिन अधिकतर नेता तो इसे टालते ही रहेंगे अगले जन्म के लिए लेकिन अधिकतर कार्यकर्ता इसका समर्थन करेंगे | इसीलिए हमें सीधे कार्यकर्ताओं से संपर्क करना चाहिए |

समीक्षा प्रश्न :

1. मान लीजिए किसी राज्य में 7 करोड़ दर्ज/रजिस्टर्ड मतदाता हैं । मान लीजिए, मुख्यमंत्री को 200 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। मान लीजिए, मुख्यमंत्री को लगभग 1.5 करोड़ नागरिकों का सीधा अनुमोदन/स्वीकृति समर्थन प्राप्त है । तब किसी व्यक्ति को हमलोगों द्वारा मुख्यमंत्री को हटाने हेतु प्रस्तावित सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) के अनुसार मुख्यमंत्री को हटाने/बदलने के लिए कितने अनुमोदनों की आवश्यकता होगी?

2. मान लीजिए, किसी राज्य में 7 करोड़ दर्ज/रजिस्टर्ड मतदाता हैं । मान लीजिए, मुख्यमंत्री को 200 विधायकों का समर्थन प्राप्त है जिन्हें कुल 2 करोड़ मत मिले हैं। मान लें, मुख्यमंत्री को 2.2 करोड़ जनता का अनुमोदन/स्वीकृति है। तब किसी व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को हटाने के लिए कितने अनुमोदनों की आवश्यकता होगी ?

3. नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) सरकारी अधिसूचना(आदेश) के अनुसार कितने लोगों को एक नागरिक अपना अनुमोदन/स्वीकृति दे सकता है? ।

4. मान लें, 3 करोड़ नागरिक अपना अनुमोदन/स्वीकृति जमा/फाइल करते हैं। इसके बाद मान लीजिए, उनमें से 50 लाख लोग अपना अपना अनुमोदन/स्वीकृति रद्द/कैंसिल करव देते हैं। कुल जमा हुई फीस कितनी होगी?

5. मुख्यमंत्री के पद के लिए नाम दर्ज की फीस/शुल्क कितना है ?

अभ्यास :

1. जय प्रकाश नारायण ने अपने सहयोगियों को राईट टू रिकॉल का जो क़ानून-ड्राफ्ट संसद में जमा करने के लिए दिया था, कृपया उसे प्राप्त करें ?

2. प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल के वे क़ानून-ड्राफ्ट जो शौरी अथवा अन्य बी.जे.पी के सांसदों ने संसद में जमा किए, कृपया उन्हें प्राप्त करें ।

3. प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल के वे क़ानून-ड्राफ्ट जो एम एम एस या अन्य कांग्रेस सांसदों ,येचुरी अथवा अन्य सी पी एम सांसदों ने संसद में जमा किए, कृपया उन्हें प्राप्त करें ।

4. क्या आप इन सांसदों द्वारा संसद में जमा किये गए उपर्युक्त किसी क़ानून-ड्राफ्ट /ड्राफ्टों से सहमत हैं? 5. बताएं कि आपके अनुसार क्यों भारत के बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि के विरूद्ध प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का विरोध करते हैं?

अध्याय 7 - चौथा आर.आर.जी (प्रजा अधीन समूह) का प्रस्ताव - प्रजा अधीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश(प्रधान जज)

(7.1) `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) द्वारा जजों को बदलने का नागरिकों का अधिकार(राईट टू रिकाल जज / प्रजा अधीन-जज)

जिस दिन भारत की जनता दबाव डालकर प्रधान मंत्री से जनता की आवाज (सूचना का अधिकार – 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करवा लेती है, उसी दिन मैं प्रजा अधीन - सुप्रीम कोर्ट जज, प्रजा अधीन – हाई कोर्ट न्यायाधीश/जज आदि को जनता की आवाज (सूचना का अधिकार – 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के खंड-1 के तहत एफिडेविट के रूप में पेश कर दूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के 70 करोड़ नागरिक मतदाता इसका विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे ,बल्कि हो सकता है कि वे इस पर हाँ पंजीकृत/दर्ज कर दें। और तब मेरे विचार से, उस तीन पंक्ति के जनता की आवाज (सूचना का अधिकार – 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कानून का उपयोग करके लोग "प्रजा अधीन - सुप्रीम कोर्ट जज/न्यायाधीश, प्रजा अधीन - हाई कोर्ट जज/न्यायाधीश" का मात्र 3-4 महीनों में ही प्रयोग करने लगेंगे । प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) को न्यायाधीशों पर लागू करने के कुछ हफ़्तों बाद ही, न्यायालयों में भ्रष्टाचार न के बराबर रह जाएगा।

यदि प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समर्थक संसद में बहुमत मिलने तक इंतजार करने और तब प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून लागू करने पर अड़ जाता है तो ऐसी संभावना है कि प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समर्थकों को हमेशा के लिए इंतजार ही करते रहना पड़ेगा क्योंकि पहले तो उन्हें संसद में बहुमत ही नहीं मिलेगा। और इससे भी बुरा होगा कि यदि उन्हें बहुमत मिल जाता है तो (इस बात की संभावना है कि) उनके "अपने ही" सांसद बिक जाएंगे और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) क़ानून-ड्राफ्ट पारित करने से मना कर देंगे। उदाहरण के लिए वर्ष **1977** में जनता पार्टी के सांसदों ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि वे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून लागू करेंगे और चुन लिए जाने के बाद में उन्होंने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून पास करने से मना कर दिया। इसलिए मेरे विचार से, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कार्यकर्ताओं को जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट पर जन-आन्दोलन पैदा करने पर ध्यान लगाना चाहिए और जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट पारित करवाना चाहिए न कि चुनाव में जीतने तक इंतजार करना चाहिए ।

(7.2) राईट टू रिकल-सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश (प्रजा अधीन सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज) ड्रॉफ्ट की संवैधानिक प्रामाणिकता

भारत का बुद्धिजीवी वर्ग मूर्ति- पूजक है, अर्थात न्याय-मूर्ति-पूजक......मतलब यह कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट/उच्चतम न्यायालय एवं हाई कोर्ट/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/जजों की पूजा-अर्चना करते हैं। इसीलिए सभी बुद्धिजीवियों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के विरूद्ध प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) को सख्त नापसंद किया है क्योंकि यह नागरिकों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से ज्यादा ताकतवर बना देता है। इसलिए बुद्धिजीवियों ने अपने रटे-रटाए बहस/जवाब का सहारा लिया है – जिस क़ानून-ड्राफ्ट /प्रारूप का प्रस्ताव मैंने पेश किया है वह असंवैधानिक है । इन सभी बुद्धिजीवियों से मैंने एक ही प्रश्न पूछा: क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस क़ानून-ड्राफ्ट के दस खण्डों में से कौन सा खण्ड/क्लॉज आपके विचार से असंवैधानिक है? और आज तक किसी भी बुद्धिजीवी ने इसका उत्तर देने की हिम्मत नहीं की है।

यदि प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समर्थक संसद में बहुमत मिलने तक इंतजार करने और तब प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून लागू करने पर अड़ जाता है तो ऐसी संभावना है कि प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समर्थकों को हमेशा के लिए इंतजार ही करते रहना पड़ेगा क्योंकि पहले तो उन्हें संसद में बहुमत ही नहीं मिलेगा। और इससे भी बुरा होगा कि यदि उन्हें बहुमत मिल जाता है तो (इस बात की संभावना है कि) उनके "अपने ही" सांसद बिक जाएंगे और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) क़ानून-ड्राफ्ट पारित करने से मना कर देंगे। उदाहरण के लिए वर्ष **1977** में जनता पार्टी के सांसदों ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि वे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून लागू करेंगे और चुन लिए जाने के बाद, बाद में उन्होंने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून पास करने से मना कर दिया। इसलिए मेरे विचार से, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कार्यकर्ताओं को जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट पर जन-आन्दोलन पैदा करने पर ध्यान लगाना चाहिए और जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट पारित करवाना चाहिए न कि चुनाव में जीतने तक इंतजार करना चाहिए ।

(7.3) उस सरकारी अधिसूचना(आदेश) का क़ानून-ड्राफ्ट जिसके माध्यम से प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट प्रधान जज (उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) कानून बनेगा

	निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया	प्रक्रिया/अनुदेश
1	-	(1) "सकता है" शब्द का अर्थ कोई नैतिक-कानूनी बाध्यता नहीं है। (2) SC-Cj का अर्थ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। (3) SCj का अर्थ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है। (4) यह सरकारी अधिसूचना(आदेश) केवल तभी प्रभावी होगा जब सभी नागरिक-मतदाताओं में से 50 प्रतिशत से ज्यादा ने इसपर हां दर्ज करवा दिया हो और इसके बाद उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश/जज ने इसका अनुमोदन/स्वीकृति कर दिया हो।
2	प्रधानमंत्री (अथवा उसका वह सचिव जिसे उसने नामित किया हो)	30 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक जो राष्ट्र-स्तरीय मान्यता प्राप्त जूरिस्ट (जो क़ानून के विषय में विवेक बुद्धि रखता हो) (एन आर जे) बनना चाहता हो वह प्रधानमंत्री अथवा प्रधानमंत्री द्वारा नामित सचिव के समक्ष/ कार्यालय स्वयं अथवा किसी वकील के जरिए एफिडेविट/शपथपत्र लेकर जा सकता है। प्रधानमंत्री का सचिव सांसद के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्क लेकर **राष्ट्र-स्तरीय मान्यता-प्राप्त जूरिस्ट (जो क़ानून के विषय में विवेक बुद्धि रखता हो) (एन आर जे)** के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लेगा।
3	तलाटी , (अथवा तलाटी का क्लर्क)	जिले का कोई भी नागरिक तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को राष्ट्र-स्तरीय मान्यता प्राप्त जूरिस्ट (जो क़ानून के विषय में विवेक बुद्धि रखता हो) (एन आर जे) के पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। तलाटी उसके अनुमोदन/स्वीकृति को कम्प्युटर में डाल देगा उसे उसके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र, दिनांक और समय, और जिन व्यक्तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ रसीद देगा।
4	तलाटी	तलाटी नागरिकों की प्राथमिकता को प्रधान मंत्री की वेबसाइट पर उनके/नागरिकों के वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र संख्या और उसकी प्राथमिकता/पसंद के साथ डाल देगा।
5	तलाटी	यदि कोई नागरिक अपना अनुमोदन/स्वीकृति रद्द करवाने के लिए आता है तो तलाटी उसका एक या अधिक अनुमोदन/स्वीकृति बिना कोई शुल्क/फीस लिए रद्द कर देगा।

6	प्रधानमंत्री का सचिव	प्रत्येक महीने की पांचवी/5 तारीख को प्रधानमंत्री का सचिव प्रत्येक उम्मीदवार का अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती पिछले महीने की अंतिम तिथि की स्थिति के अनुसार प्रकाशित करेगा।
7	प्रधानमंत्री	यदि किसी उम्मीदवार को भारत के 24 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड नागरिक-मतदाताओं का अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाता है तो प्रधानमंत्री उसे `एन आर जे` के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
8	प्रधानमंत्री	यदि किसी राष्ट्र-स्तरीय मान्यता प्राप्त जूरिस्ट (जो क़ानून के विषय में विवेक बुद्धि रखता हो) (एन आर जे) को 37 करोड़ से ज्यादा नागरिक मतदाताओं का अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाता है और अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती सभी राष्ट्र-स्तरीय मान्यता प्राप्त जूरिस्ट (जो क़ानून के विषय में विवेक बुद्धि रखता हो) ओं (एन आर जे) से 2 करोड़ ज्यादा है तो प्रधान मंत्री इस सबसे अधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त **राष्ट्र-स्तरीय मान्यता प्राप्त जूरिस्ट (जो क़ानून के विषय में विवेक बुद्धि रखता हो) (एन आर जे)** का नाम भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास यह पूछने के लिए **भेज सकते हैं** कि क्या यह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के योग्य है।
9	प्रधानमंत्री, लोकसभा के सभी सांसद	यदि उच्चतम न्यायलय(सुप्रीम कोर्ट) के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी जज यह संस्तुति कर देते हैं/बोलते हैं कि यह सर्वाधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त राष्ट्र-स्तरीय मान्यता प्राप्त जूरिस्ट (जो क़ानून के विषय में विवेक बुद्धि रखता हो) (एन आर जे) को भारत का नया मुख्य बनाया जा सकता है और भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 30 दिनों के भीतर त्यागपत्र दे देता है केवल तभी प्रधानमंत्री उस राष्ट्र-स्तरीय मान्यता प्राप्त जूरिस्ट (जो क़ानून के विषय में विवेक बुद्धि रखता हो) (एन आर जे) को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। तथापि, यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज यदि राष्ट्र-स्तरीय मान्यता प्राप्त जूरिस्ट (जो क़ानून के विषय में विवेक बुद्धि रखता हो) (एन आर जे) की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को स्वीकार करने से मना कर देता है अथवा 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं देता है तो प्रधानमंत्री और सभी सांसद अपनी संस्तुतियां रद्द कर दे सकते हैं और त्यागपत्र/इस्तीफा दे सकते हैं और नए चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
10	जिला कलेक्टर	यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी/डी सी के कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा सकता है और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
11	तलाटी	यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना

	(अथवा पटवारी)	विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह उपर के कलम /खण्ड में प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर **हां–नहीं** दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्क देगा। तलाटी **हां-नहीं** दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद/पावती देगा। यह **हां–नहीं** प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाला जाएगा।

(7.4) पश्चिमी देशों में ऐसा कोई कानून नहीं है, तो हमें इसकी जरूरत क्यों है ?

मैं उन प्रक्रियाओं/विधियों के प्रचार-प्रसार के लिए अभियान चलाता रहता हूँ जिससे हम आम लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और जजों को हटा सकते हैं । सभी प्रमुख बुद्धिजीवियों ने इस मांग का विरोध किया है और यह दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि यह असंवैधानिक है । इसमें असफल होने के बाद वे कहते हैं – पश्चिम के देशों में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है और इसलिए हम लोगों के यहां यह प्रक्रिया क्यों होनी चाहिए ? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में लगभग 50 प्रतिशत वयस्कों के पास बन्दूक है जो यह सुनिश्चित कर देता है कि वे उच्चवर्ग/अभिजातवर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को एक सीमा के बाद न तो नीचे झुकने के लिए कहेंगे और न ही उन्हें झुकने की अनुमति देंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका में तो निचली अदालत के सभी न्यायाधीशों पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून लागू है और कुछ राज्यों में हाई कोर्ट के जजों/न्यायाधीशों पर भी लागू है। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया के नागरिकों के पास प्रजा अधीन – कैलिफोर्निया के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कानून है जिसका पद हमारे देश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है। ये कार्य-प्रणाली संघीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर हमेशा एक भय का स्तर बनाए रखती है । और अमेरिका में मुकदमों का फैसला पहले ज्यूरी द्वारा किया जाता है जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कोई नियंत्रण नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए ज्यूरी बाध्य नहीं है। इसी कारण, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज निचली अदालतों पर नियंत्रण नहीं करते। हमने भारत में ज्यूरी सिस्टम (ज्यूरी पद्धति) को लागू करने के लिए एक कानून की मांग की है। पर जब तक यह कानून लागू नहीं हो जाता , तब तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पास ही अधिकार रहेंगे । इसलिए भारत की हम आम जनता के पास एक ऐसी पद्धति होनी ही चाहिए जिससे हम उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों पर नियंत्रण रख सकें।

इसके अलावा, अमेरिका की जो भी समस्याएं हैं वो उनके साथ हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो सत्यार्थ प्रकाश में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, “राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए नहीं तो वह प्रजा को लूटेगा ।” उसी प्रकार, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी प्रजा-अधीन होना चाहिए नहीं तो वह जनता को लूट लेंगे। इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं कि क्यों प्रायः जिन बच्चों का यौन शोषण करने वाले लोगों को हाई कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जमानत मिल जाती है ।

(7.5) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.)-एक बेकार / अनुपयोगी विचार है

देश के प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की मांग की है , जिसमें लगभग 5-15 लोगों के पास ही सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों/न्यायाधीशों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार होगा। ये 5-15 लोग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उच्चवर्गों/अभिजात वर्गों के पास बिक जाएंगे और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के आने के बाद सभी न्यायालय/कोर्ट बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उच्चवर्गों/अभिजात वर्गों की जागीर बन जाएंगे। हम प्रजा अधीन – उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीशगण का समर्थन करते हैं और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) प्रस्ताव का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, प्रमुख बुद्धिजीवियों द्वारा मांग किए गए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) प्रस्ताव में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है, जिसके तहत देश की हम आम जनता राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) के सदस्यों को उनके पद से हटा सके या उन्हें बदल सकें । और इन बुद्धिजीवियों ने अपने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) प्रस्ताव में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.). के सदस्यों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का विरोध किया है। इस तरह, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) के सदस्य ही उच्च वर्गीय/अभिजात वर्गीय लोगों के हाथ की भ्रष्ट कठपुतली बन जायेंगे ।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) प्रस्ताव सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पुराने उच्च वर्गीय लोग उन न्यायाधीशों का रास्ता रोकना चाहते हैं जिनके पास ज्यादा ताकत है और आज के नए उच्च वर्गीय लोगों से जिनकी यारी-दोस्ती और लेन-देन है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) का प्रस्ताव पुराने काल के उच्च वर्गीय लोग विरुद्ध आज के उच्च वर्गीय लोग का खेल ही है और इसमें हम जनता के लिए कुछ नहीं है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) केवल उच्च वर्गीय लोगों का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर नियंत्रण को मजबूत करेगा | अभी उच्चवर्गी लोगों को 25 सुप्तेमे कोर्ट के जज और 600 हाई कोर्ट के जजों को नियंत्रित करना होगा है जो उनका अधिक समय और पैसा लेता है | राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) ये सुनिचित करेगा कि उच्च वर्गीय लोगों को केवल 5-10 राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) सदस्यों को ही रिश्वत देनी होगा और उनके द्वारा , वे सभी 25 सुप्रीम कोर्ट जज और 600 हाई कोर्ट जजों को नियंत्रित कर सकते हैं (निष्काशन की धमकी द्वारा) |

अध्याय 8 - प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह का पांचवां प्रस्ताव - दलितों के हां द्वारा आरक्षण कम करना

(8.1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के समर्थन से आरक्षण कम करना

मैंने एक सरकारी अधिसूचना(आदेश) का प्रस्ताव किया है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के हां द्वारा आरक्षण कम कर देगा। यह प्रणाली/तरीका, जिसका प्रस्ताव मैंने किया है, उसे मैंने आर्थिक-विकल्प का नाम दिया है।

(8.2) प्रस्तावित आर्थिक-विकल्प प्रणाली(सिस्टम) का विस्तृत ब्यौरा

1. किसी उपजाति का कोई भी सदस्य जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग का हो, वह तहसीलदार के कार्यालय जाकर अपना सत्यापन करवाकर आर्थिक- विकल्प के लिए आवेदन कर सकता है। इस आर्थिक-विकल्प में निम्नलिखित बातें/तथ्य हैं -:

- उस व्यक्ति का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का दर्जा बरकरार/बना रहेगा।
- उसे समायोजित मुद्रास्फीति (इनफ्लेशन एडजस्टेड) के बदले/लिए 600 रूपए हर साल मिलेगा जब तक कि वह अपने आर्थिक- विकल्प के चयन को रद्द/समाप्त नहीं कर देता।
- जब तक उसे पैसे का भुगतान होता रहेगा, तब तक वह आरक्षण कोटे में आवेदन नहीं कर सकता।
- उस दिन से वह आरक्षण के लाभ के लिए पात्र/योग्य माना जाएगा, जिस दिन से वह अपने दूसरे विकल्प को रद्द/समाप्त कर देगा।
- जिन्होंने विकल्प लिया है, उनकी संख्या के आधार पर आरक्षित पदों की संख्या में कमी की जाएगी।
- इसके लिए पैसा सभी जमीनों पर कर की वसूली से आएगा कहीं और से नहीं।

2. **उदाहरण** - भारत की आबादी (लगभग) 100 करोड़ है जिसमें से 14 प्रतिशत अर्थात 14 करोड़ लोग अनुसूचित जाति के हैं । इसलिए यदि किसी कॉलेज में 1000 सीटें हैं तो उनमें से 140 सीटें आरक्षित रहेंगी। अब मान लीजिए, इन 14 करोड़ लोगों में से लगभग 6 करोड़ लोग आर्थिक-विकल्प का का रास्ता अपनाते हैं तो उनमें से प्रत्येक को हर महीने 100 रूपए मिलेगा और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 14 * 0.66 * 6/14 = 5.94 प्रतिशत कम हो जाएगा अर्थात यह 8.06 प्रतिशत रह जाएगा।

3. यदि किसी व्यक्ति ने आर्थिक-विकल्प का चयन किया है और फिर वह बदलकर सामाजिक-विकल्प ले लेता है तो वह उसी दिन समुदाय आधारित आरक्षण (सी बी आर) लाभ का पात्र होगा । लेकिन यदि वह फिर से आर्थिक विकल्प की ओर लौटता है तो उसे 6 महीने के बाद से 600 रूपए हर वर्ष मिलेंगे।

4. यदि दलित या अन्य पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति ने आर्थिक-विकल्प को चुना है तो वह फिर से आरक्षण का लाभ लेकर सीट ले सकता है लेकिन वह तभी पात्र माना जाएगा जब वह आर्थिक -विकल्प छोड़ देता है/रद्द कर देता है।

5. यदि किसी व्यक्ति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ लेकर सीट लिया है तो वह आर्थिक-विकल्प का पात्र नहीं होगा।

6. यदि माता-पिता दोनों ने आर्थिक-विकल्प लिया है तो उनके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 300 रूपए प्रति वर्ष मिलेगा जो अधिकतम (दो बेटे या दो बेटी) पर लागू होगा।

(8.3) क्यों उपर लिखित प्रस्तावित कानून को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की `हां` मिलेगी ?

गाँव में सरपंच का बेटा आगे आकार आरक्षण का लाभ उठाता है और आर्थिक तंगी एवं निरक्षरता /अनपढ़ होने के कारण बाकी गांववालों को कुछ नहीं मिलता , यह स्वतंत्रा के बाद हर पीढ़ी में होता आया है | उस सरपंच के बेटे को लाभ मिलने से ज्यादा अगर बाकी गांववालों को 600 रुपया मिल जाये तो कल को वो अपने बच्चों को स्कुल में भेजना भी शुरू कर सकते हैं | उन्हें आरक्षण नहीं आर्थिक सहायता की जरुरत है|

क्योंकि 80 प्रतिशत से अधिक गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग 12 वीं कक्षा तक भी पास नहीं कर पाते और इस प्रकार उनके लिए आरक्षण का कोई अर्थ नहीं है। पांच सदस्यों के एक परिवार को हर वर्ष 3000 रूपए मिलेंगे यदि वह परिवार आर्थिक-चुनाव के तरीके को स्वीकार करता है और इसमें उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। 80 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा आर्थिक-विकल्प/चुनाव चुनने के साथ ही – आरक्षण कोटा घटकर 10 प्रतिशत से भी कम रह जाएगा। अब योग्यता सूची/मेरिट लिस्ट में वैसे भी 10 प्रतिशत ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग तो रहते ही हैं । इसलिए प्रभावी/लगाया जाने वाला आरक्षण घटकर न के बराबर रह जाएगा। इसलिए यदि एक बार `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` पर हस्ताक्षर हो जाए और यदि आर्थिक-चुनाव/विकल्प की मांग करने वाला एफिडेविट जमा हो जाए तो 80 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हां दर्ज करवा देंगे।

(8.4) लागत

जनवरी, 2010 की स्थिति के अनुसार, भारत की जनसंख्या 116 करोड़ है जिसमें से लगभग 79 करोड़ लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। यदि इनमें से, सभी आर्थिक-विकल्प चुनते हैं अर्थात 600 रूपया प्रति वर्ष लेना शुरू कर देते हैं तो भी इसकी कुल लागत 48 हजार करोड़ रूपए से कम ही रहेगी यानि सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के एक प्रतिशत से कम रहेगी। मेरे प्रस्ताव के अनुसार, यह धन केवल संपत्ति कर से ही एकत्र किया जाना चाहिए।

अध्याय 9 - मूल्य नियंत्रण के लिए प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल समूह का प्रस्ताव : प्रजा अधीन - भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर

(9.1) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर की भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर धन के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अक्सर गरीबों का धन उनसे लेकर इसे नए रूपए (एम 3) का निर्माण(बनाकर) करके अमीरों को दे देते हैं और यह सुनिश्चित/पक्का करते हैं कि नए निर्मित रूपए अमीरों को ही जाए। इस बात का विवरण बाद के धन आपूर्ति से संबंधित अध्यायों में की गई है। इस अध्याय में मैं केवल समाधान की चर्चा करूंगा – वह प्रक्रिया / तरीका जिसमें हम नागरिक गण भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर को बदल सकते हैं।

(9.2) प्रजा अधीन - भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर

हम `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम) समूह के लोग भारत की रूपया प्रणाली को तय करने के लिए जिन महत्वपूर्ण सरकारी आदेश का प्रस्ताव-मांग तथा वायदा करते हैं उसका विवरण इस प्रकार है-

1. भारत का कोई भी नागरिक सांसद के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्क जिला कलेक्टर के पास जमा कराकर खुद/स्वयं को भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर के उम्मीदवार के रूप में पंजीकृत/रजिस्टर करवा सकता है।
2. भारत का कोई भी नागरिक तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर के पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। तलाटी उसे उसके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र और जिन व्यक्तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ रसीद देगा।
3. कोई नागरिक अपना अनुमोदन/स्वीकृति किसी भी दिन रद्द/कैंसिल भी करवा सकता है।
4. तलाटी नागरिकों की प्राथमिकता को प्रधानमन्त्री की वेबसाइट पर उनके/नागरिकों के वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र संख्या और उसकी प्राथमिकता/पसंद के साथ डाल देगा।
5. यदि किसी उम्मीदवार को सभी दर्ज/रजिस्टर्ड मतदाताओं के 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं (केवल वे मतदाता ही नहीं जिन्होंने अपना अनुमोदन/स्वीकृति फाइल किया है बल्कि सभी दर्ज मतदाता) का अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाता है तो प्रधानमंत्री मौजूदा/वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर को हटा देंगे और उस सर्वाधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त उस उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर के रूप में नियुक्त कर देंगे।

(9.3) प्रजा अधीन - भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर (आर बी आई) के लिए सरकारी अधिसूचना(आदेश) का प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट

नागरिकों को `जनता की आवाज़` (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) के प्रभावी हो जाने के **बाद ही** इस परिवर्तन को लाना चाहिए/ करना चाहिए। और `जनता की आवाज़` (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) का प्रयोग करते हुए इस परिवर्तन का सृजन करना चाहिए । उस प्रक्रिया जिसका उपयोग करके हम आम लोग भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर को बदल/हटा सकते हैं, उसके लिए जरूरी कानून का ड्राफ्ट निम्नलिखित है-

#	निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया	प्रक्रिया/अनुदेश
1	-	नागरिक शब्द का मतलब/अर्थ रजिस्टर्ड वोटर/मतदाता है।
2	जिला कलेक्टर	यदि भारत का कोई भी नागरिक भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) का गवर्नर बनना चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के समक्ष/ कार्यालय स्वयं अथवा किसी वकील के जरिए एफिडेविट लेकर जा सकता है। जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्क लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर पद के लिए उसकी दावेदारी स्वीकार कर लेगा।
3	तलाटी (अथवा तलाटी का क्लर्क)	यदि उस जिले का नागरिक तलाटी/ पटवारी के कार्यालय में स्वयं जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर के पद के लिए अनुमोदित करता है तो तलाटी उसके अनुमोदन/स्वीकृति को कम्प्युटर में डाल देगा और उसे उसके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र, दिनांक और समय, और जिन व्यक्तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ रसीद देगा।
4	तलाटी	वह तलाटी नागरिकों की पसंद/प्राथमिकता को प्रधानमन्त्री के वेबसाइट पर उनके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र और उसकी प्राथमिकताओं के साथ डाल देगा।
5	तलाटी	यदि कोई नागरिक अपने अनुमोदन/स्वीकृति रद्द करने के लिए आता है तो तलाटी उसके एक या अधिक अनुमोदनों को बिना कोई शुल्क लिए बदल देगा।.
6	मंत्रिमंडल सचिव	प्रत्येक महीने की पांचवी/5 तारीख को मंत्रिमंडल सचिव प्रत्येक उम्मीदवार की अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती पिछले महीने की अंतिम तिथि की स्थिति के

		अनुसार प्रकाशित करेगा।
7	प्रधानमंत्री	यदि किसी उम्मीदवार को किसी जिले में सभी दर्ज/रजिस्टर्ड मतदाताओं के 51 प्रतिशत से ज्यादा नागरिक-मतदाताओं (केवल वे मतदाता ही नहीं जिन्होंने अपना अनुमोदन/स्वीकृति फाइल किया है बल्कि सभी दर्ज मतदाता) का अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाता है तो प्रधानमंत्री मौजूदा/वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर को **हटा सकते हैं** या उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है और उस सर्वाधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त उस उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर के रूप में नियुक्त कर कर सकते हैं या उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।
8	जिला कलेक्टर	यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी/डी सी के कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा सकता है और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
9	तलाटी (या पटवारी)	यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह उपर के कॉलम में प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर हां – नहीं दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्क देगा। तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद/पावती देगा। यह हां – नहीं प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाला जाएगा।
सैक्शन-सी.वी. (जनता की आवाज़)		
10	जिला कलेक्टर	यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी/डी सी के कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा सकता है और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
11	तलाटी (अथवा पटवारी)	यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह उपर के कलम /खण्ड में प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर **हां–नहीं** दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्क देगा। तलाटी **हां-नहीं** दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद/पावती देगा। यह **हां–नहीं** प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाला जाएगा।

(9.4) इस प्रकार तीन लाइनों के इस कानून और भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर (आर बी आई को बदलने/हटाने की प्रक्रिया से महंगाई पर लगाम लगेगी

मूल्य वृद्धि के पीछे एकमात्र कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) , भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) आदि द्वारा रूपए (एम 3) का अंधाधुंध बनाना है । इस अंधाधुंध बढ़ोत्तरी को बहुसंख्य नागरिकों के विरोध के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर द्वारा स्वीकृति दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मनमाने ढ़ंग से काम करते हैं। क्योंकि नागरिकों के पास उसे हटाने का कोई तरीका/प्रक्रिया नहीं है । लेकिन यदि एक बार नागरिकों के पास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को बदलने की प्रक्रिया/तरीका आ जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अच्छा व्यवहार करने लगेंगे और रूपए के अंधाधुंध निर्माण की अनुमति नहीं देंगे। यह कानून एक अन्य अध्याय *भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) में सुधार* में प्रस्तावित कानूनों के साथ मिलकर विकास/वृद्धि में कमी किए बिना मूल्यों पर नियंत्रण कर देगा।

इसलिए, जिस दिन नागरिकगण प्रधानमंत्री को जनता की आवाज(पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने में सफल हो जाते हैं, उस दिन कोई न कोई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के ड्राफ्ट को एफिडेविट के रूप में जमा करवा देगा। करोड़ों नागरिक जो रूपए के निर्माण/बनाने के कारण अत्यधिक गरीब हुए हैं, वे इस एफिडेविट पर तब हां दर्ज कर देंगे जब उन्हें यह बताया जाएगा कि कैसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कीमत बढ़ाने के लिए जिम्मेवार हैं और एक बार यदि करोड़ों नागरिक इस एफिडेविटों पर हां दर्ज कर देते हैं तो प्रधानमंत्री को बाध्य होकर इन कानूनों पर हस्ताक्षर करना ही होगा। और यदि एक बार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को बदलने की प्रक्रिया लागू हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रूपए के निर्माण को कम करने, रूपए उधार देने में बेइमानी कम करने को बाध्य हो जाएंगे और इससे कीमतों के बढ़ने पर रोक लगेगी और असली विकास में तेजी भी आएगी। इस प्रकार तीन लाइनों के `जनता की आवाज` कानून का उपयोग करके हम अपने एक भी सांसद का चुनाव हुए बिना मूल्य बृद्धि को कम कर सकते हैं और विकास की गति को बढ़ा सकते हैं।

यदि राईट टू रिकाल/प्रजा अधीन राजा-समर्थक संसद में बहुमत मिलने तक इंतजार करने और तब `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम) लागू करने पर अड़ जाता है तो ऐसी संभावना है कि राईट टू रिकाल/प्रजा अधीन राजा-समर्थक को हमेशा के लिए इंतजार ही करते रहना पड़ेगा क्योंकि पहले तो उन्हें संसद में बहुमत ही नहीं मिलेगा। और इससे भी बुरा होगा कि यदि उन्हें बहुमत मिल जाता है तो (इस बात की संभावना है कि) उनके "अपने ही" सांसद बिक जाएंगे और जन हित के क़ानून-ड्राफ्ट पारित करने से मना कर देंगे। उदाहरण के लिए वर्ष **1977** में जनता पार्टी के सांसदों ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि वे प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून लागू करेंगे और चुन लिए जाने के बाद, बाद में उन्होंने प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून पास करने से मना कर दिया। इसलिए मेरे विचार से, राईट टू रिकाल/प्रजा अधीन राजा कार्यकर्ताओं को `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) क़ानून-ड्राफ्ट पर जन-आन्दोलन पैदा करने पर ध्यान लगाना चाहिए और `जनता की आवाज` क़ानून-ड्राफ्ट पारित करवाना चाहिए न कि चुनाव में जीतने तक इंतजार करना चाहिए |

अध्याय 10 - मेरे प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह का एक संक्षिप्त परिचय

(10.1) समूह का नाम

चुनाव घोषणापत्र लिखे जाने के समय मेरे राजनैतिक समूह को अभी मान्यता मिलना बाकी है। मान्यता प्राप्त करने के लिए मैं अपने समूह का नाम प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह रखूंगा और आधिकारिक संक्षेपण /एक्रोनिम पीआरआरआरजी रखूंगा। आम बोलचाल /चर्चा में मैं इसे निम्नलिखित नाम से बुलाउंगा--

- प्रजा अधीन राजा समूह
- प्रजा अधीन मंत्री, अधिकारी, न्यायाधीश/जज समूह
- `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम) रिकॉल समूह
- `एम आरसी एम` ग्रूप/समूह

एम आर सी एम का अर्थ है – आम जनता और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी और यह प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह की स्थापना करने के पीछे मेरा मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। और प्रजा अधीन- प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन – मुख्यमंत्री, प्रजा अधीन – जज , प्रजा अधीन - भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर आदि कानून लाना मेरा मुख्य राजनैतिक उद्देश्य है – *प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) मंत्री, अधिकारी, जज समूह* में मंत्री,अधिकारी और जज शब्द सभी को यह बताने हेतु मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे मैं उन वापस बुलाने वाले समूहों /रिकॉलिस्ट्स से अलग हूँ जो इस बात पर अड़ जाते हैं कि प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) केवल विधायकों , सांसदों तक ही सीमित रहना चाहिए और मंत्रियों, अधिकारियों और जजों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। मै स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम रिकॉल(भ्रष्ट तो बदलने का अधिकार) को विधायकों और सांसदों तक ही सीमित रखना नहीं चाहते और मैं **इन सभी वापस बुलाने वाले समूहों /रिकॉलिस्ट समूहों से घृणा करता हूँ** जो इस बात पर अड़े हैं कि रिकॉल केवल पंचायतों, महापौरों , सांसदों और विधायकों तक ही सीमित होना चाहिए । मैं उन्हें छद्म/नकली रिकॉलिस्ट मानता हूँ और वे लोग वास्तव में रिकॉल(भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के विरोधी हैं।

मैं आर आर जी अर्थात "राइट टू रिकॉल ग्रुप" (प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह) शब्द का प्रयोग करूंगा – "आर आर जी" एक गैर राजनैतिक संगठन होगा । इसका उपयोग उन स्थानों पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों पर सूचना फैलाने का होगा जहां राजनैतिक समूहों पर प्रतिबन्ध/ पाबंदी है और एक और नाम जिसका प्रयोग मैं करूंगा **"प्रजा अधीन राजा उद्देश्य** " एक और पंजीकृत आन्दोलन है – "प्रजा अधीन राजा उद्देश्य शब्द का उपयोग प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) पर उन स्थानों में सूचना का प्रसार करना होगा जहां दूसरे/ अन्य संगठनों पर प्रतिबन्ध है ।

मैंने प्रजा अधीन राजा समूह अर्थार्थ राइट टू रिकॉल ग्रुप *अथवा* नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) समूह *अथवा* `नागरिकों और सेना के लिए खनिज

रॉयल्टी` (एम आर सी एम) - `राइट टू रिकॉल ग्रुप` (आर आर जी) नामों का चुनाव किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समूह के नाम से ही इसके उद्देश्य का पता चल जाए। प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (पीआरआरआरजी) का उद्देश्य जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली , प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) आदि कानूनों को लागू करवाना और प्रजा अधीन राजा की वैदिक संकल्पना को स्थापित करना है । इसलिए किसी मानक लोकप्रिय नाम और लोकप्रिय मुख्य शब्दों के प्रयोग के बदले मैंने सबसे प्रमुख उद्देश्यों का प्रदर्शन / पता करने के लिए इन नामों को चुना ।

(10.2) आर आर जी (राईट टू रिकाल ग्रुप) / प्रजा अधीन राजा समूह के उद्देश्य और योजना का सारांश (छोटे में बात)

प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह का उद्देश्य केवल एक अधिसूचना(आदेश) जारी करवाना है । इससे ज्यादा कुछ भी नहीं और इससे कम कुछ भी नहीं। यह प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना(आदेश), जिसका नाम `जनता की आवाज`-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) सरकारी अधिसूचना(आदेश) है और जिसका वर्णन पहले अध्याय में किया गया है, वह प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह के लक्ष्य का एकमात्र विषय है और इससे बिलकुल भी समझौता नहीं किया जा सकता।

इन कानूनों को पास/ पारित करवाने के लिए मैं किस योजना का प्रस्ताव करता हूँ ? मेरे द्वारा प्रस्तावित योजना है: – मैं जितना संभव हो सकेगा उतने लोगों को जनता की आवाज - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में जानकारी दूंगा और उनमें से जो लोग जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्टों को पसंद करते हैं, उनसे इन कानूनों को पास करवाने के लिए उनकी पसंद की योजना का पालन करने को कहूँगा । वह योजना, जिसका अनुसरण अभी मैं कर रहा हूँ उसकी रूपरेखा अध्याय **13** में दी गई है । यह प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह के किसी भी सदस्य पर बाध्यकारी नहीं होगा।

(10.3) आर आर जी / प्रजा अधीन राजा समूह और अन्य पार्टियों / दलों के बीच मुख्य अंतर

लगभग सभी पार्टियां चाहे वे नयी हों या पुरानी , छोटी हो या बड़ी, उनका सबसे प्रमुख एक ही तरीका होता है – वे इस बात पर जोर देती हैं कि पहले नागरिकगण उनके पार्टी के उम्मीदवारों को सांसद के रूप में चुने। वे कहते हैं कि जब तक नागरिक पहले उन्हें सांसदों के रूप में नहीं चुनते तब तक भारत के विकास / सुधार के लिए उनके पास करने को कुछ नहीं है। और वे वायदा करते हैं कि एक बार जब जनता उन्हें चुन लेगी तब वे भारत के विकास/ सुधार के लिए कानूनों को लागू करेंगे। हालांकि वे इन कानूनों के प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट का खुलासा नहीं करते। मैं और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह के मेरे सहयोगी उनसे अलग विचार रखते हैं । हम इस बात की जरूरत नहीं समझते कि भारत में

सुधार के लिए नागरिक हम में से किसी एक को भी जिताएं। यदि नागरिक वर्तमान प्रधानमंत्री को जनता की आवाज (सूचना का अधिकार -2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर सकें तो भारत के नागरिक इसके बाद जनता की आवाज (सूचना का अधिकार -2) का प्रयोग करके सुधार करने में समर्थ हो जाएंगे। यही हमलोगों और अन्य दलों के बीच बड़ा अंतर है- **मेरा प्रस्तावित तरीका इस बात पर बिलकुल निर्भर नहीं है कि जनता हमें चुन ही ले ।**

इसके अलावा कोई भी दल इस बात को नहीं बताता कि वह कैसे सुनिश्चित करेगा कि उसके अपने सांसद चुनाव जितने के बाद वर्तमान सांसदों जितना भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे। सभी पार्टियां केवल खोखली बातें कहती हैं "देखो आपको कुछ लोगों पर/ किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा।" मैं और मेरे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह के साथियों के विचार अलग हैं । हम आधिकारिक तौर पर यह दावा करते हैं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए केवल एक ही रास्ता जानते हैं कि हमारे दल के सांसद मंत्री आदि भ्रष्ट नहीं होंगे । नागरिकों को यह कहना होगा कि वे वर्तमान प्रधानमंत्री को `जनता की आवाज` प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करें और जनता की आवाज (सूचना का अधिकार -2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप का उपयोग करके नागरिक प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों को लागू करवाएं और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून यह सुनिश्चित/तय कर देगा कि हमारे सांसद अथवा अन्य दलों के सांसद भ्रष्टाचार कम करेंगे।

इसलिए भारत में सुधार करने के लिए जनता की आवाज (सूचना का अधिकार -2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट लागू करवाना प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह का पहला कदम है। और इसके बाद अन्य कानूनों को लागू करवाकर और फिर यदि जरूरत पड़ी तो सांसदों, मंत्रियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों (आई ए एस), भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों (आई पी एस), जजों आदि को बदलना भी इसके बाद का कदम है। अधिकांश अन्य पार्टियां 'हमारे उम्मीदवारों, सांसदों को चुनो' के तरीके पर ही अपने पहले कदम के रूप में जोर देती हैं । मेरे विचार से, इनके तरीके गलत हैं क्योंकि यदि नागरिक पहले कानूनों को नहीं बदलते तब भ्रष्टाचार कम नहीं होगा चाहे कोई भी पार्टी/व्यक्तियों का समूह सत्ता में आए। इन कानूनों को लाने के लिए आवश्यक कारवाई के कदम विषय जिसे मैने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह के लिए तैयार किया है उसकी सूची http://righttorecall.Info/003.h.pdf पर दी गई है। ये कार्रवाइयां (क्लोन-पॉजिटीव) नकल करने पर भी सकारात्मक कार्रवाइयां हैं अर्थात यदि एक से अधिक प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) पार्टीयों /समूह राजनीति में आते हैं और यदि उनकी आपस में होड़ भी होती है तो उनके प्रयास एक दूसरे को काटेंगे नहीं करेंगे बल्कि आपस में जुड कर एक दूसरे को समर्थन देंगे । इन कार्रवाइयों के विषय 200,000 कार्यकर्ताओं के लिए हर सप्ताह एक घंटे से ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है । यदि 2 लाख कार्यकर्ता अपना महीने का दस घंटा देते हैं इन कानूनों को अन्य देशवासियों को बताने में तो अधिकतम एक साल में ये क़ानून पुरे देश के कोने-कोने में लोगों को पता लग जाएँगे और क्योंकि उनके हित के होने के कारण वे उनकी मांग करेंगे और क्योंकि ये क़ानून `जनता की आवाज़/पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली ` द्वारा ही आसानी से आ पाएंगे तो

इसलिए पारदर्शी शिकय/प्रस्ताव प्रणाली को लाने के लिए करोड़ों लोग मांग करेंगे| इस प्रकार समय के मामले में भी, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह का तरीका कार्य-कुशल और सबसे अच्छा है।

(10.4) हिंसा, क्रान्ति आदि पर विश्व के विचार

मैं मंत्रियों, अधिकारियों, जजों , पुलिसवालों के विरूद्ध हिंसा का प्रयोग करने का विरोधी हूँ और मैं धनवान लोगों जो इन मंत्रियों, अधिकारियों और जजों के पद पर बैठे हैं , उनके खिलाफ भी हिंसा का प्रयोग करने के विरोध में हूँ। लेकिन अधिकारी, मंत्री अगर प्रजा अधीन राजा कार्यकर्ताओं के खिलाफ ओछे/जाली आयकर के मामले, ओछे बिक्रीकर के मामले, ओछे सेवाकर के मामले अथवा ओछे बलात्कार के मामले आदि लगाकर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कार्यकर्ताओं को जेल भिजवाने अथवा अर्थदण्ड/फाइन लगाना शुरू कर दें तो मैं मंत्रियों, अधिकारियों, जजों, और उन धनवानों जो इन्हें पालते हैं/अपनी जेब में रखते हैं, उनके खिलाफ हिंसा का प्रयोग न करने के अपने विचार पर पुन:विचार करूंगा। लेकिन तब तक मैं हिंसा और सभी प्रकार की हिंसा का विरोध करता हूँ ।

मैं क्रान्ति का विरोधी हूँ। मैं केवल विकासवाद में पूरा विश्वास रखता हूँ। अर्थात एक बार में केवल एक छोटा परिवर्तन चाहता हूँ । यही कारण है कि 200 सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) में से मैने एक बार में केवल एक छोटे परिवर्तन की मांग रखी है ।

जनता की आवाज (सूचना का अधिकार -2)/पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप केवल तीन पंक्तियों का है , नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) प्रारूप केवल चार पृष्ठों का है , प्रजा अधीन –प्रधानमंत्री केवल एक पृष्ठ का है और इसी प्रकार अन्य प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट हैं।

(10.5) लोकतंत्र का धर्म और संविधान

मैं लोकतंत्र के धर्म में अत्यधिक विश्वास करता हूँ। **भारत की जनता द्वारा अर्थ लगाये गए संविधान** में मेरा पूरा और पक्का भरोसा है। मैं ऐसी कोई बड़ी बाध्य करने वाली जरूरत नहीं समझता कि संविधान में कोई और बदलाव लाया जाए हालॉकि मै संविधान में संशोधन की किसी भी मांग के खिलाफ नहीं हूँ बशर्ते संशोधन का प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट लिखित रूप में दिया जाए । मेरा मानना है कि जनता द्वारा व अर्थ किए गए संविधान को न मानने के कारण भारत का तख्ता-पलट नहीं हुआ और न ही इस कारण इसे हड़पा गया है बल्कि जजों द्वारा अर्थ किए गए संविधान थोपने के कारण ऐसा हुआ है। और मेरा उद्देश्य हम जनसाधारण/आम लोग द्वारा अर्थ किए गए *संविधान को भारत की सबसे बड़ी ताकत बनाकर भारत को फिर से पहले जैसा भारत बनाने का है।*

मैं संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं समझता, मैं केवल इस बात पर जोर देता हूँ कि संविधान का अर्थ हमें उस तरह से करनी चाहिए जैसी कि 25 जनवरी, 1951 को नागरिकों द्वारा किया गया था | 25 जनवरी, 1991 को आज की तरह का न्यायालय भी नहीं था। और संविधान में लिखे शब्द को अर्थ देने/इसका मतलब निकालने का प्राधिकार केवल भारत के नागरिक समाज को ही था। अब नागरिक समाज में (संविधान की) प्रस्तावना में “लोकतंत्र” शब्द

को जोड़ दिया गया है। जिसका 25 जनवरी, 1991 को अर्थ था – "एक शासन जिसमें बहुमत कानून बनाती/लागू करती है और **बहुमत की व्याख्या/अर्थ ही अंतिम है।**" लोकतंत्र की यही परिभाषा पश्चिमी देशों में वर्ष 1200 से रही है जिसमें जूरी-मंडल/जूरर्स की व्याख्या/अर्थ अंतिम होती थी। इसी विचार को *मेरीलैण्ड(अमेरिका का एक राज्य)* के संविधान के अनुच्छेद **23** में फिर से इस प्रकार लिखा गया-

"In the trial of all criminal cases, the Jury shall be the Judges of Law, as well as of fact, except that the Court may pass upon the sufficiency of the evidence to sustain a conviction.
The right of trial by Jury of all issues of fact in civil proceedings in the several Courts of Law in this State, where the amount in controversy exceeds the sum of $10,000, shall be inviolably preserved"

*"सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई में **जूरी ही कानून के साथ-साथ तथ्य/वास्तविकता(निष्कर्ष मूल्यांकन के प्रक्रिया के माध्यम उत्पन्न) के भी न्यायाधीश होंगे**। केवल इस तथ्य/वास्तविकता को छोड़कर कि न्यायालय केवल किसी सजा को बनाए रखने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता पर अपना अधिकार रखेगा। इस राज्य के अनेक वैधानिक न्यायालयों में चलने वाली सीविल कार्यवाहियों में तथ्य संबंधी उन सभी मामलों की जूरी द्वारा सुनवाई के अधिकार सुनिश्चित होगी जिनमें विवाद 10000 डॉलर से अधिक की धनराशि का हो।"*

इस प्रकार, 25 जनवरी, 1991 को संविधान में लोकतंत्र शब्द का अर्थ था – एक शासन जहां बहुमत कानून बनाती है और **बहुमत की व्याख्या/अर्थ अंतिम है।** हम इन्हीं अर्थों के साथ संविधान को पुनर्जीवित करना चाहते हैं ।

(10.6) आर आर जी समूह की अन्य पुस्तकें / लेख

इस दल के सभी प्रकाशन नि:शुल्क है और at http://www.righttorecall.info पर उपलब्ध हैं।

1. <u>प्रति सप्ताह एक घंटे - प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों को भारत में लाने में आप कैसे मदद कर सकते हैं</u> :–

यह पुस्तक बताती है कि एक गरीब-हितैषी, लोकतंत्र-हितैषी व्यक्ति एक सप्ताह में 60 मिनट का समय और एक भी पैसा दान/चन्दा **दिए बिना** भारत के करोड़ों आम लोगों के दुख:दर्द को कैसे कम कर सकता है। और इस पुस्तक में सुझाए अनुसार 200,000 भारतीय कार्यकर्ताओं द्वारा हर सप्ताह 60 मिनट का समय देने के लिए सहमत होने के बाद, दस वर्षों के भीतर ही भारत पश्चिमी देशों के बराबर/समकक्ष खड़ा होगा। यह पुस्तिका http://righttorecall.info/003.h.pdf पर उपलब्ध है।

2. <u>जनता की आवाज पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली सरकारी आदेश (4 पन्ने)</u> - www.righttorecall.info/001.h.pdf

3. <u>प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल(भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) और `जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली सरकारी आदेश पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न `</u>- www.righttorecall.info/004.h.pdf

www.righttorecall.info/004.h.doc

4. प्रधानमन्त्री/मुख्यमंत्री को एक आम आदमी द्वारा पत्र पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए - www.righttorecall.info/002.h.pdf & www.righttorecall.info/002.h.doc

(10.7) संपर्क / इंटरनेट समुदाय आदि महत्वपूर्ण यू.आर.एल इस प्रकार हैं

1. www.righttorecall.info एम आर सी एम रिकॉल समूह के लिए मुख्य वेबसाइट
2. www.forum.righttorecall.info : प्रश्न/जिज्ञासा और चर्चा के लिए मुख्य
3. गुगल समूह- http://groups.google.com/group/RightToRecall
4. http://orkut.co.in/Community.aspx?cmm=21780619 : ऑरकूट समुदाय

पाठकों से अनुरोध है कि वे www.bharatrakshak.com , www.india-forum.com और ऑर्कूट पर “indianpolitics” समुदाय के वाद-विवाद/चर्चा में भाग लें। हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून के लिए इंटरनेट के सभी समुदायों पर स्पैमिंग किए बिना प्रचार करें।

अध्याय 11 - प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह तथा सभी पार्टियों, प्रमुख बुद्धिजीवियों के बीच अंतर

(11.1) हम अधिकांश दलों और अधिकांश बुद्धिजीवियों से पूरी तरह अलग हैं । मुख्य अंतर इस प्रकार है

प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह के हमलोगों का क्या कहना है	**सभी दलों के सांसदों और भारत के *प्रमुख* बुद्धिजीवी लोगों का क्या कहना है**
1. खनिज के खान और सरकारी प्लॉट के स्वामित्व / मालिकी के संबंध में	
प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह इस बात पर बल देता है की सभी खान और सरकारी प्लॉट हम भारतीयों (हम नागरिकों) के हैं न कि भारत राज्य के। और इसलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि हम नागरिकों और हमारी सेना को <u>सारा</u> किराया मिलना चाहिए। और भी सीधे शब्दों में, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह पूरी तरह यह मानती है कि नागरिकों को भारत सरकार के प्लॉटों जैसे कि आईआईएमए प्लॉट, जेएनयू प्लॉट, हवाई अड्डा प्लॉट इत्यादि से किराया <u>अवश्य मिलना चाहिए।</u>	कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम और भारत के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने कहा है कि सभी खान और सरकारी प्लॉट भारत "राज्य" की संपत्ति है और आम भारतीयों का उनपर कोई स्वामित्व व नियंत्रण नहीं होगा। और उन्होंने आईआईएमए, जेएनयू, और हवाई अड्डों के प्लॉटों पर भारतीयों (नागरिकों) को किराया देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है।
2. हमलोग लोकतंत्र के पक्षधर हैं, सभी वर्तमान पार्टियों के सांसद और भारत के प्रमुख बुद्धिजीवी फासीस्टवादी हैं।	
`नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी `(एमआरसीएम) समूह के हम लोग राजनीतिक परिदृश्य में अकेले समूह हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि हम आम लोगों को विधायी शक्तियाँ <u>प्राप्त करनी होगी</u> और हम आम लोगों के पास अधिकारियों/ जजों को हटाने और बदलने	सभी वर्तमान दल और भारत के सभी प्रमुख बुद्धिजीवी लोग हम आम आदमी और मतदाताओं को मूर्ख समझते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हम आम लोगों के हाथों में कानून बनाने में कोई राय/मत नहीं होना चाहिए और अधिकारियों, पुलिसवालों, न्यायाधीशों की नियुक्तियों / बदलाव का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और हम आम लोगों का न्यायालय में फैसला लेने में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। **भारत के अधिकांश बुद्धिजीवियों की मानसिकता फासीस्टवादी है।** और इसलिए वे दृढ़ता से जोर देते हैं कि प्रशासन के सभी विवेकाधिकार केवल मंत्रियों, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों जजों व बुद्धिजीवियों के पास होने चाहिए। विवेकाधिकार की शक्तियों की बात तो छोड़ ही

की शक्तियाँ होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमलोग लोकतंत्रवादी हैं।	दीजिए, फासीस्टवादी वैसे भारतीय हैं जो जनता की आवाज (सूचना का अधिकार -2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली तक का विरोध करते हैं - और नागरिकों को केवल प्रधानमंत्री की वेवसाइट पर शिकायत दर्ज करने की ही छूट नहीं देते हैं। हम उनके फासीस्टवाद की निंदा करते हैं और वे हमारे लोकतंत्रवाद की निंदा करते हैं।
3. नागरिकों द्वारा संविधान की, की गई व्याख्या अंतिम होगी; सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा की गई व्याख्या अंतिम नहीं होगी	
हमलोग भारत में एकमात्र समूह हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम भारत के नागरिकों द्वारा कि गई भारत के संविधान की व्याख्या अंतिम आवाज होगी और सुप्रीम-कोर्ट के दो दर्जन जज द्वारा संविधान की व्याख्या महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन अंतिम नहीं। हम इस बात पर सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की व्याख्या मंत्रियों की व्याख्या से उपर है और यह नागरिकों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है कि वे इस बात का ध्यान दें । लेकिन यह अंतिम नहीं है, स्वयं हमारे संविधान में इसकी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एक लोकतंत्र और एक गणतन्त्र होगा जो स्पष्ट रूप से "नागरिक समीक्षा प्रणाली" का समर्थन करता है। इस प्रणाली में यह उल्लेख है कि नागरिकों द्वारा संविधान की, की गई व्याख्या अंतिम है और यह न्यायिक पुनर्विचार से उपर है। यही कारण है की हम निचली अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक निर्णायक मंडल (जूरी) प्रणाली पर जोर दे रहे हैं और नागरिक समीक्षा प्रणाली की माँग करते हैं जिसमें नागरिकगण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिये गए निर्णयों की संवैधानिक वैधता पर हाँ/नहीं दर्ज कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम संवैधानिक लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं।	सभी मौजूद पार्टियों के सांसद और भारत के सभी प्रमुख बुद्धिजीवियों ने हमेशा नागरिक समीक्षा प्रणाली का विरोध किया है और निर्णायक मंडल (जूरी) प्रणाली का भी विरोध किया है। उन्होंने हमेशा जज सिस्टम का और न्यायतांत्रिक समीक्षा का समर्थन किया है। जबकि वर्तमान सभी पार्टियां और सभी बुद्धिजीवी इस बात पर जोर देते हैं कि सुप्रीम-कोर्ट के दो दर्जन जजों द्वारा संविधान की, की गई व्याख्या अंतिम होगी और हम आम लोगों की व्याख्या बेकार की बात मानी जाएगी। सभी दल और बुद्धिजीवी इस बात पर जोर देते हैं कि हम नागरिकों द्वारा की गई व्याख्या की अनदेखी की जानी चाहिए और सुप्रीम-कोर्ट के जजों पर हमारे हॉ/ नहीं की राय ली नहीं जानी चाहिए। और सभी बुद्धिजीवी इस बात पर जोर देते हैं कि सुप्रीम-कोर्ट द्वारा की गई व्याख्या आम लोगों पर मीडिया, शिक्षा और पुलिस और यदि जरूरत पड़ी तो सेना का प्रयोग करके निर्दयतापूर्वक और कठोरता से थोपी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, वर्तमान सभी दल और बुद्धिजीवी संवैधानिक न्यायतांत्रिक फासीस्टवाद पर विश्वास करते हैं। .
4. सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) और सरकारी आदेशों, अध्यादेशों , के क़ानून-ड्राफ्ट का जनता के समक्ष प्रस्तुत करना जो देश की समस्याओं का समाधान कर सकें	

हमलोग भारत में पहले और एकमात्र समूह हैं जो <u>उन सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट दिखलाते हैं जिसकी हम मांग करते हैं।</u> हम लोगों से यह नहीं कहते कि वे हमपर विश्वास करें। हम लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि वे हमारी सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) को पढ़ें और खुद निर्णय करें कि क्या ये अधिसूचनाएं(आदेश) ऐसी नहीं हैं जिनका समर्थन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से एक नागरिक मतदाता को यह निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा कि उन्हें हमारा समर्थन करना चाहिए या विरोध।	हरेक समूह नीति बनाने के संबंध में वायदे करता है, लेकिन हर दल, सांसद और विधायक उस सरकारी आदेश के क़ानून-ड्राफ्ट प्रकाशित करने से मना कर देता है जो अपने वायदों को पूरा करने के लिए वे पारित करते । उनका उत्तर होता है,“ पहले आप हमारे पक्ष में मतदान करें और तब हम मंत्री बनने के बाद आपको प्रारूप(क़ानून-ड्राफ्ट) दिखलाएंगे। ” अच्छा, प्रत्याशी महोदय, यदि प्रारूप(क़ानून-ड्राफ्ट) निरर्थक और हम आम जनता के लिए कल्याणकारी न निकला तो ? उत्तर फिर से यही है ,“मुझपर भरोसा रखिए ” हम लोग आपको ऐसे अस्पष्ट और घुमाफिरा कर उत्तर नहीं देते।

5. `राजनीतिक संस्कृति` की झूठी कहानी/मिथक के संबंध में

भारत की समस्या कानून के उन गलत/खराब ड्राफ्टों के कारण है जिन्हें बुद्धिजीवियों और दूसरी पार्टियों के सांसदों ने लागू करवाया है। हम आम लोगों की संस्कृति में कुछ भी गलत नहीं है।	प्रमुख बुद्धिजीवियों ने <u>राजनीतिक संस्कृति की एक झूठी कहानी/मिथ</u> को लागू करवाया है और वे दावा करते हैं कि भारत की समस्याएं हम आम भारतीयों की इस संस्कृति के कारण है न कि उन गलत कानूनों के कारण जिनका वे समर्थन करते हैं।

6. सभी दलों / पार्टियों को चुनाव जीतना है, घूस वसूलना है; हमे <u>केवल</u> उन कानूनों को लागू करवाना है जिनकी हम मांग करते हैं।

हमारा पहला लक्ष्य कुछ सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) को लागू करवाना है, चुनावों में जीत हासिल करना <u>नहीं</u>। हम केवल इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि हम उन सरकारी आदेशों और कानूनों का प्रचार कर सकें जिनकी हम मांग करते हैं और जिनको लागू करवाने का हम वायदा करते हैं। हम इस बात पर जोर नहीं देते कि मतदातागण हमें वोट/मत दें – हम सिर्फ इस बात पर जोर देते हैं कि जनता अपने मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री, विधायकों और सांसदों पर दबाव डालें कि वे उन कानूनों को लागू करवाएं जिनका प्रस्ताव हम कर रहे हैं। और हम जनता से हमें वोट देने के लिए केवल तभी कहते हैं जब वे इस बात से संतुष्ट हों कि अन्य समूहों/दलों के नेता इन सरकारी आदेशों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।	सभी दलों/पार्टियों का मुख्य लक्ष्य चुनाव जीतना मात्र है और वे प्रशासन में कोई बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध/समर्पित नहीं हैं।

7. कोर्ट में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद में कमी लाने के संबंध में

हमलोग एकमात्र समूह हैं जो न्यायालयों/कोर्ट में भाई-भतीजावाद के खिलाफ	अन्य सभी समूहों के नेतागण और बुद्धिजीवी कोर्ट/न्यायालय में भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने वाले कानूनों (जैसे साक्षात्कार/इंटरव्यू प्रणाली और जज/न्यायाधीश प्रणाली) का समर्थन करके न्यायालयों

बोलते हैं।	में भाई-भतीजावाद का समर्थन करते हैं।
8. आम जनता के लिए सम्मान के संबंध में	
आम जनता का हम पूरा – पूरा सम्मान करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों पर जनता की हां/नहीं को दर्ज/रजिस्टर किया जाना चाहिए और इसे महत्व दिया जाना चाहिए।	भारत के सभी दलों के नेताओं और बुद्धिजीवियों के पास हम आम जनता के लिए अपमान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। वे हम आम लोगों को “अपरिपक्व” समझते हैं (पढ़िए: मुर्ख, मंदबुद्धि आदि)। और इसलिए वे इस बात पर जोर देते हैं कि कानूनों, निर्णयों, नियुक्तियों आदि पर हम आम लोगों के हां/नहीं को दर्ज तक नहीं किया जाना चाहिए, महत्व देने की बात तो भूल ही जाइए।
9. दान/चन्दा के विरोध के संबंध में	
हम दान/चन्दा के खिलाफ हैं। हमारा मानना हैं कि कार्यकर्ता हमें समय दें और वे जेरोक्स/फोटोकॉपी कराने, समाचारपत्र के विज्ञापनों आदि पर खर्च कर सकते हैं लेकिन उन्हें दल के नेताओं के पास पैसा बिलकुल नहीं भेजना चाहिए।	सभी पार्टियां कार्यकर्ताओं को दान/चन्दा जमा करने/वसूलने के लिए कहती हैं। और दान देने वाले दान देकर केवल इन पार्टियों को बरबाद ही कर रहे हैं और भारत के राजनीतिक परिदृष्य को और बिगाड़ रहे हैं।
10. लगभग 100-120 और अंतर/भिन्नताएं	
और लगभग 120 अंतर हैं। इतने अधिक अंतर? हां। इतने अधिक और इससे भी अधिक/ज्यादा । हमने प्रशासन में सुधार लाने के लिए लगभग 120 से अधिक सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) का प्रस्ताव किया है। इन अंतरों/भिन्नताओं को जानने के लिए कृपया http://www.righttorecall.info/all_drafts.pdf पर उन सरकारी आदेशों की सूची देखें/पढ़ें जिनकी हम मांग करते हैं और जिनका हम वायदा करते हैं।	और भारत की वर्तमान सभी पार्टियों और सभी बुद्धिजीवियों ने इनमें से प्रत्येक (अधिसूचना(आदेश)) का विरोध किया है। और इस प्रकार `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम) समूह और भारत की अन्य सभी पार्टियों के सांसदों तथा सभी बुद्धिजीवियों के बीच लगभग 120 अंतर है।
11. सभी दलों / पार्टियों के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं /वोलंटियर्स के प्रति दृष्टिकोण	
मैं और आर आर जी के अन्य सभी स्वयंसेवक किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों से कभी नहीं कहते कि वे अपनी पार्टी / गैर सरकारी संगठन को छोड़ दें। बल्कि हम उनसे आग्रह /अनुरोध करते हैं कि “क्या आप अपने नेताओं को उनके चुनाव घोषणापत्र में प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन – मुख्यमंत्री, प्रजा अधीन – उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि /क़ानून-ड्राफ्ट शामिल करने के लिए कह सकते हैं ? मेरा लक्ष्य/उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने, उन्हें दल के चुनाव घोषणा पत्र में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) ,जनता की	जबकि सभी वर्तमान पार्टियों के नेतागण कार्यकर्ताओं से दूसरी पार्टियां छोड़ने और उनकी अपनी पार्टी में आ जाने के लिए कहते हैं।

आवाज (सूचना का अधिकार – 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली आदि प्रारूप शामिल करवाकर उन्हें प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह के हमशक्ल/क्लोन में बदलने का है।"	

(11.2) प्रचार के तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर

कम से कम 50 या उससे अधिक अंतर मौजूद हैं । उपर उल्लिखित 11वां अंतर, तरीके के साथ-साथ उद्देश्य में मूलभूत अंतर को दर्शाता है । सभी वर्तमान दलों के नेता कार्यकर्ताओं से हमेशा कहते हैं कि वे दूसरे दलों को छोड़ दें और उनकी अपनी पार्टी में आ जाएं। क्योंकि ये नेता सत्ता के केन्द्र बनना चाहते हैं। जबकि मैं और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह के मेरे अन्य स्वयंसेवी कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी, गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं को उनकी पार्टियां, गैर सरकारी संगठन छोड़ने को नहीं कहते । इसके बदले, हम उनसे अनुरोध करते हैं "क्या आप अपने नेताओं को मना सकते हैं कि वे प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन – मुख्यमंत्री, प्रजा अधीन – उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल कर लें? "

और मैं खुलेआम इस बात पर जोर देता हूं कि **मुझे ज्यादा खुशी होगी यदि कार्यकर्ता एक और अलग प्रतियोगी प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह का गठन करें** अथवा अपने नेताओं पर दबाव डालना जारी रखें कि वे `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)`, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) प्रारूपों/ड्राफ्टों को अपने संगंठन के ऐजेंडे में शामिल करें!! क्यों? क्यों मैं किसी आर.टी.आर(प्रजा अधीन रजा) कार्यकर्ताओं को एक प्रतियोगी प्रजा अधीन राजा पार्टी का गठन करने के लिए कहता हूँ ? अथवा मैं उनसे यह क्यों कहता हूँ कि वे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूपों/ड्राफ्टों को अपने संगठन के एजेंडे में शामिल करें? क्योंकि जनता की आवाज (सूचना का अधिकार – 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूपों/ड्राफ्टों के लिए केवल एक प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह द्वारा प्रचार करने के बदले मैं इस बात को ज्यादा पसंद करूंगा कि 1000 प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह हों और उनमें से प्रत्येक `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम) क़ानून-ड्राफ्ट , प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) क़ानून-ड्राफ्ट आदि की मांग करे। अब यदि 1000 प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) ड्राफ्टों की मांग करते हैं और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) ड्राफ्टों के लिए एक अत्यधिक प्रतियोगी राजनीति प्रारंभ कर देते हैं तब सभी प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह वोटों के बटवारे के चलते चुनाव हार सकते हैं लेकिन प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में जानकारी भारत के नागरिकों मे अधिक से अधिक लोगों के बीच फैलेगा। और सबसे तेजी से फैलेगा । साथ ही यदि 1000 संगठन प्रजा अधीन राजा/राइट

टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) क़ानून-ड्राफ्ट की मांग कर रहे हों तो विरोधियों के लिए प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट की मांग को ठुकराना ज्यादा कठिन होगा। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरा लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है------- **मेरा लक्ष्य `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) क़ानून-ड्राफ्टों , प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूपों/ड्राफ्टों को पास / पारित करवाना है।** और इसलिए 1000 प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह और संगठन जिनमें से हरेक प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) क़ानून-ड्राफ्ट की मांग कर रहा हो, वह ज्यादा बेहतर काम करेगा न कि केवल एक प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) क़ानून-ड्राफ्ट की मांग करे। और इसलिए मुझे खुशी होगी जब एक सच्चा कार्यकर्ता मेरे समूह का सदस्य न बने लेकिन वह एक और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह गठित करे अथवा अपने संगठन के ऐजेंडे में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के प्रारूपों/ड्राफ्टों को शामिल करवाने की कोशिश करे।

(11.3) प्रस्तावित कानूनों के प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्टों का महत्व

मेरा मानना है कि प्रत्येक ईमानदार उम्मीदवार और हरेक ईमानदार राजनीतिक पार्टी को उन सभी सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) “और विधानों” की घोषणा अवश्य करनी चाहिए जो वे भारत की वर्तमान मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए लागू करवाने का इरादा रखते है। हमलोग यह भी मानते हैं कि प्रत्येक नागरिक को उम्मीदवार से कानूनों के उन ड्राफ्टों/प्रारूपों की मांग अवश्य करनी चाहिए जिन्हें पारित/ पास कराने का इरादा वह उम्मीदवार रखता है । **बिना प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट के प्रस्तावित परिवर्तन देखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन बेकार हैं । -** चुनाव के बाद नागरिक, चुनाव घोषणा-पत्र के विवरण , वायदों को कलेक्टर के कार्यालय अथवा कोर्ट/न्यायालय में नहीं ले जा सकते और इनमें लिखी गई नीतियों के लाभ की मांग नहीं कर सकते । सरकारी कार्यालयों और कोर्ट के भीतर जिस बात का महत्व है वह सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) का क़ानून-ड्राफ्ट है जिसपर लिखी गई सामग्री पर मंत्रियों ने हस्ताक्षर किया है। यही कारण है कि हमने उन सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) के प्रारूपों/ड्राफ्टों को पूरा महत्व दिया है जिसपर हस्ताक्षर करवाने की हमारी योजना है और राजनीतिक बयानों को हम जरा भी महत्व नहीं देते ।

सरकार में लाखों कर्मचारी होते हैं | उन कर्मचारियों को आदेश या प्रारूप देना होता है, केवल ये पर्याप्त नहीं है कि ये कहना कि भ्रष्टाचार कम करो| कोई भी प्रस्ताव उतना ही अच्छा या बुरा है जितना कि उसका क़ानून-ड्राफ्ट , इसीलिए हम कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि क़ानून-ड्राफ्ट पर ध्यान दें /केंद्रित करें जिनसे भ्रष्टाचार ,गरीबी आदि देश की ज्वलंत समस्याओं का हल हो सकता है |

(11.4) भारत के अधिकतर बुद्धिजीवी - विशिष्ट / उच्च वर्ग के एजेंट हैं

भारत के बुद्धिजीवी जो समाचार पत्र ,पाठ्यपुस्तकों में लिखते हैं विशिष्ट/उच्च वर्ग के एजेंट/कारिंदे हैं| और ये बुद्धिजीवी ने इतना जहर भर दिया है आज के शिक्षित युवा के दिमाग में , पाठ्यपुस्तकों और समाचार पत्र के स्तंभों द्वारा कि अब एक औसत शिक्षित व्यक्ति जनसाधारण-विरोधी है | और जितनी अधिक शिक्षा उसके पास है, उतनी अधिक संभावनाएं हैं कि वो उतना समय लगता है जो रद्दी ये बुद्धिजीवी लिखते हैं और उतनी अधिक संभावनाएं हैं कि वो जनसाधारण-विरोधी है |

बुद्धिजीवी लिखते हैं कि भारत का आम आदमी एक बदमिजाज , सरफिरा , एक जातिवादी, एक सांप्रदायिक है, उसका कोई राष्ट्रिय स्वभाव नहीं है ,उसके कोई नैतिक मूल्य नहीं हैं, वह एक चोर है और एक बदमाश है और वह यौन रूप से बिगड़ा हुआ है ,आदि आदि | और शिक्षित लोग ये सब पड़ते हैं अपने पाठ्यपुस्तकों और समाचार पत्र स्तंभों में , हमेशा और जनसाधारण-विरोधी हो जाते हैं | एक शिक्षित व्यक्ति को एक बदलाव के लिए क्या करना चाहिए --- वो एक व्यसन/ बुरी आदत चिन्हित करे जो जज, बुद्धिजीवी ,शिक्षित ,मंत्रियों, बाबुओं (भारतीय प्रशाशनिक सेवक) ,पुलिस अफसरों आदि में सामान हो | सभी जज क़ानून की डिग्री प्राप्त किये हुए होते हैं और 95% से अधिक पूरी तरह से भाई-भातिजेवाद ग्रसित होते है | सभी पुलिस अफसर (भारतीय पुलिस सेवक) उच्च शिक्षित होते हैं और उनमें से 95% से अधिक हर साल एक करोड़ से अधिक बनाते हैं | इसके बावजूद, “जनसाधारण बुरा ,विशिश्त्वर्ग अच्छा “ के गान चलते रहते हैं |

अधिकतर प्रसिद्ध बुद्धिजीवी विशिश्त्वर्ग/नेता के प्रतिनिधि/एजेंट हैं | वे इसी तरह प्रसिद्ध बनते हैं ---पहले वे नेता/विशिश्त्वर्ग के वफादार समर्थक बनते हैं और फिर विशिष्ट/उच्च वर्ग /नेता उनपर धन खर्च करते हैं या शक्ति का उपयोग करते हैं उनको प्रसिद्ध बनाने के लिए | उच्च वर्ग के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियां जैसे जूरी(प्रजा अधीन न्यायत्रंत्र), रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि नहीं चाहते और इसीलिए जूरी प्रणाली, रिकाल भारत का पतन करेंगे ऐसा उन्होंने अपने पालतू बुद्धिजीवियों को भय का वातावरण पैदा करने के लिए कहा है |विद्यार्थियों और पाठकों के मन में भय कैसे पैदा होगा? सरल है --- **भारत के हम जनसाधारण लोगों को कोई अनियमित,असब्य,हिंसक,सांप्रदायिक,जातिवादी और मूर्ख के रूप में प्रस्तुत करो/दर्शाओ** | इसीलिए पाठ्यपुस्तकाएं, समाचार पत्र स्तंभ निरंतर भारत के जनसाधारण को नीचा दिखाते हैं और शायद ही कभी इस बात का वर्णन/जिक्र करते हैं कि बाबू ,भारतीय पुलिस सेवक, बुद्धिजीवी भारत में कहीं अधिक बुरे हैं |

शिक्षा व्यक्ति को जनसाधारण को नफरत नहीं करवाती--- वास्तव में यदि कोई सूचित है कि कैसे भारतीय न्यायालय/कोर्ट , रिसर्व बैंक , पुलिस आदि काम करते हैं, तो वह जानेगा कि कैसे उच्च वर्ग के लोग, खनिज खानों के मालिक,बाबू(भारतीय प्रशाशनिक सेवक), जज, आदि जनसाधारण को लुटते हैं और वो जनसाधारण के लिए दया महसूस करेगा | ये तथाकथित निरक्षरता इसीलिए है क्योंकि बुद्धिजीवी जनसाधारण को अनपढ़ रखना चाहते हैं ताकि वे आसानी से दबाये और पीटे जा सके | इसीलिए बुद्धिजीवी उन प्रक्रियां का विरोध करते हैं जिससे हम जनसाधारण को जिला शिक्षा अधिकारी को बदल सकें या बदलने से रोक सकें, क्योंकि ऐसी

प्रक्रिया ऐसा जिला शिक्षा अधिकारी लाएगा जो जनसाधारण को शिक्षित करने में रूचि रखता हो |

अंग्रेजी पाठ्यक्रम ने हमेशा ये सूचित किया था कि भारतीय जनसाधारण निम्न है और उसे “शाषित” करने की आवश्यकता है ताकि भारतीय जनसाधारण को सभ्य किया जा सके | और वर्त्तमान बुद्धिजीवी भी यही सदस देते हैं उनकी समाचार पत्र स्तंभ और पथ्य्पुस्तिकाओं में | लेकिन मैं अंग्रेजों को वर्त्तमान स्तिथि के लिए दोष नहीं दूँगा | वर्त्तमान के बुद्धिजीवी जनसाधारण-विरोधी नजारिया//दृष्टिकोण पैदा कर रहे हैं विद्यार्थियों के मन में क्योंकि वे नहीं चाहते कि विद्यार्थी लोकतांत्रिक सोच के बनें और विद्यार्थियों को अल्पजन-तंत्र (कुछ ही लोग निर्णय लें) समर्थक बनाना चाहते हैं | और ये इसिलिय है कि नेता, बाबू, पुलिस सेवक , जज, विशिष्ट/उछ वर्ग के लोग की अल्पजन-तंत्रता उन्हें ऐसा करवाना चाहती है |

ना केवल विचार ,यहाँ तक कि समाचार-पत्र के लेख और पाठ्यपुस्तकाएं भी नियंत्रित की जाती हैं सेना-विरोधी, लोकतंत्र-विरोधी, जनसाधारण द्वारा भ्रष्ट को निकालने/सज़ा दिए जाने के विरोधी ,उद्धारण , मैं बहुत पड़े लिखे व्यक्तियों से मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि चीन और भारत के परमाणू शक्ति के अनुपात के बारें में, जो 100:1 है उच्चतम विस्फोटक परीक्षण के मामले में और 20:1 है परमाणु हथिया के मामले में और कुछ 100:1 कुल विस्फोटक शक्ति के मामले में| उत्तर तो क्या उनके पास इसका कोई सुराग भी नहीं होता | वो वोही रत्ता लगते हैं जो मीडिया/संचार माध्यम कहते हैं “ न्यूनतम विश्वशनीय रोक/निवारक हमारे पास है “ लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सबसे बड़ा बम/गोला जो हमने परिक्षण किया है 45 किलो टन का है और चीन ने 4200 किलो टन का बम परिक्षण किया है| उन्हें ये इसलिए नहीं पता क्योंकि उन्हें मीडिया वालों ने कभी बताया नहीं| और मीडिया वालों ने इसीलिए उन्हें नहीं बताया क्योंकि उच्चवर्ग के लोगों को शांति-समर्थक, सेना-विरोदी नागरिक चाहिए, लेकिन ये सूचना(चीन/भारत के परमाणु शक्ति के बारे में) देने से उसका झुकाव सेना को सशक्त बनाने के और होगा | इसीलिए ये महत्पूर्ण ,मूल्यवान जानकारी सार्वजनिक स्थानों से हटा दी जाती है |

(11.5) समीक्षा प्रश्न

(इस किताब/पुस्तक के प्रत्येक पाठ में यह बताने के लिए समीक्षा प्रश्न हैं कि उनका उत्तर देकर पाठक अपने आप को संतुष्ट कर सकता है कि उसने इस पाठ को पढ़ लिया है|)

1. हमारे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह के दृष्टिकोण/हिसाब से संविधान की, किसके द्वारा की गई व्याख्या अंतिम है? बुद्धिजीवियों के हिसाब/विचार में संविधान की किसके द्वारा की गई व्याख्या अंतिम है?
2. क्या बुद्धिजीवी लोग खनिजों को हम आम लोगों की संपत्ति समझते हैं? क्या बुद्धिजीवी लोग भारत सरकार के प्लॉटों जैसे दिल्ली हवाई अड्डे और आई आई एम ए प्लॉट को हम आम लोगों की संपत्ति समझते हैं?
3. क्या प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह “राजनैतिक संस्कृति” के सिद्धांत में विश्वास करता है?

(11.6) अभ्यास

(इस किताब/पुस्तक के प्रत्येक पाठ में पाठक के लिए कुछ अभ्यास-प्रश्न हैं ताकि वह भारतीय प्रशासन से परिचित हो सके।)

1. कृपया राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली लागू कराने के लिए भारतीय संसद में शौरी और अन्य बी जे पी सांसदों या किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किए गए कानूनों के क़ानून-ड्राफ्ट प्राप्त करें।
2. कृपया उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और लोअर कोर्ट/निचले न्यायालय में भाई –भतीजावाद को कम करने के लिए सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस आदि द्वारा संसद में प्रस्तावित किए गए कानूनों के क़ानून-ड्राफ्ट प्राप्त करें।
3. कृपया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, विधायकों, सांसदों आदि के रिकॉल के संबंध में कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम के सांसदों द्वारा संसद में प्रस्तावित कानूनों के ड्रॉफ्ट प्राप्त करें।
4. कृपया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, विधायकों, सांसदों आदि के रिकॉल के संबंध में जय प्रकाश नारायण द्वारा संसद में प्रस्तावित कानूनों के ड्रॉफ्ट प्राप्त करें।

अध्याय 12 - प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्ट की सूची / लिस्ट

"जी एन" का अर्थ सरकारी आदेश/अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र) होता है अर्थात यह कैबिनेट मंत्रियों द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है। **अधिकारियों और नागरिकों को ये सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) माननी पड़ती हैं जबतक कि कुछ जजों द्वारा उन्हें रद्द नहीं कर दिया जाता।** नीचे 120 सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) में से कुछ दी गई हैं जिनका प्रस्ताव मैंने और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह ने किया है।

(12.1) पहली सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र)

पहली सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र)जिसका प्रस्ताव मैंने किया है, उसका नाम है **जनता की आवाज (सूचना का अधिकार -2)पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली** । यह इस प्रकार है –

- कलेक्टर नागरिकों के एफिडेविट को, यदि नागरिक चाहे तो, शुल्क लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों की वेबसाईट पर डाल देगा।
- पटवारी/तलाटी नागरिकों को 3 रूपए का शुल्क लेकर किसी भी एफिडेविट पर हां –नहीं दर्ज करने की अनुमति देगा।
- हां-नहीं की गिनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों पर बाध्यकारी नहीं होगी। अर्थात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों आदि को उन्हें मानना अनिवार्य नहीं है।

जनता की आवाज (सूचना का अधिकार -2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली राष्ट्रीय, राज्य के साथ-साथ नगर/जिला, तहसील, और ग्राम/गांव स्तरों पर प्रस्तावित की गई है।

(12.2) अगली पांच महत्वपूर्ण सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र)

अगली पांच महत्वपूर्ण सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र)जिसकी मांग हम करते हैं -

1. नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) (एम आर सी एम) : ऐसी प्रक्रियाएं/तरीके लागू करें जिससे खनिज के खदानों से मिलने वाली रॉयल्टियां और सरकारी प्लॉटों से प्राप्त किरायों का एक तिहाई हिस्सा भारतीय सेना को जाए और इसका दो तिहाई हिस्सा भारतीय नागरिकों में बांटा जाए। **अधिक जानकारी :-** मान लें, जनवरी, 2008 के महीने में भारत सरकार के खनिज अयस्कों से और भारत सरकार के प्लॉटों के जमीन के किराए से 30,000 करोड़ रूपए आए/वसूले गए। तो प्रस्तावित, नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम आर सी एम) प्रारूप के अनुसार 10,000 करोड़ रूपए सेना को जायेंगे और 100 करोड़ नागरिकों में से प्रत्येक नागरिक को 200 रूपए मिलेंगे। प्रत्येक नागरिक का पोस्ट ऑफिस खाते या भारतीय स्टेट बैंक में खाता अवश्य होगा जहां से वह महीने में एक बार नकद पैसा ले सकेगा। यदि प्रत्येक नागरिक महीने में एक बार पैसा निकालने जाये तो भारत सरकार को 120,000 से ज्यादा क्लर्क की आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में

600,000 से अधिक क्लर्क हैं। इसलिए नागरिकों को खनिज अयस्कों की रॉयल्टियां और जमीन का किराया देने/बांटने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी।

1. <u>प्रजा अधीन राजा – पुलिस प्रमुख</u> : ऐसे कानून लागू करें जिसके द्वारा नागरिक जिला पुलिस प्रमुख को बदल / हटा सके।
   विशेष-प्रजा अधीन राजा के प्रक्रियाओं द्वारा आम नागरिक ईमानदार व्यक्ति को भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा हटाये जाने के पश्चात वापस भी स्थापित कर सकता है (<u>राईट टू रीटेन/रोके रखने का अधिकार</u>) और चूँकि नागरिक भ्रष्ट व्यक्ति को हटा सकता है, इसीलिए ये <u>राईट टू रिजेक्ट/हटाने का अधिकार</u> भी है |
2. <u>प्रजा अधीन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री</u> : ऐसे कानून लागू करें जिसके द्वारा नागरिक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को बदल / हटा सके।
3. <u>प्रजा अधीन –सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज</u>: ऐसी संवैधानिक सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र)लागू करें जिसके द्वारा यदि जरूरत पड़े तो सुप्रीम-कोर्ट के वर्तमान जजों के अनुमोदन/स्वीकृति से **हम आम लोग सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज को निष्कासित / बदल सकें।**
4. एक ऐसा कानून लागू करें जो गरीब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (बाद के एक पाठ में अधिक जानकारी दी गयी है) के सहयोग से आरक्षण घटाएं।

<u>प्रजा अधीन - प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन - मुख्यमंत्री, प्रजा अधीन - सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज आदि (मांग संख्या 2-5) की संवैधानिक मान्यता</u>

कुछ प्रमुख बुद्धिजीवी लोग यह गलत प्रचार करते रहे हैं कि मांग संख्या 2-5 को लागू कराने का हमारा प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट असंवैधानिक है। वे सभी गलत हैं । जिन प्रारूपों/ड्राफ्टों का मैंने प्रस्ताव किया है वे शत-प्रतिशत संवैधानिक हैं।

(12.3) लोकतंत्र के प्रति सम्पूर्ण (ब्लैंकेट) प्रतिबद्धता

मैं एक व्यापक आन्दोलन चलाने की कोशिश करूंगा जिसमें भारत के आम लोगों से कहूंगा कि वे जनता की आवाज (सूचना का अधिकार -2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर दबाव डालें। यदि ऐसा व्यापक आन्दोलन नहीं चल पाता है तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि जनता की आवाज के लिए व्यापक आन्दोलन हो जाता है और इस आन्दोलन को सफलता मिल जाती है कि वह जनता की आवाज (सूचना का अधिकार -2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली – सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र)पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री को बाध्य करें तब मैं ऐसे 100-200 एफिडेविट दर्ज करवा दूंगा जिसमें से प्रत्येक में एक सरकारी आदेश/अधिसूचना(आदेश) का क़ानून-ड्राफ्ट होगा । इसके बाद नागरिकों से कहूंगा कि वे इन एफिडेविटों पर तलाटी / पटवारी के कार्यालय में जाकर हां दर्ज कर दें।

मैं नागरिकों पर इस बात के लिए जोर नहीं डालता कि वे इन सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) को पास/पारित करवाने के लिए मुझे या मेरे आदमियों को सांसद बनाएं, ना ही मैं कभी इन कानूनों को पारित करवाने के लिए सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री से समर्थन का अनुरोध/लॉबी करुंगा। मैं किसी भी पार्टी के विधायकों,और सांसदों को इन कानूनों में से किसी भी कानून, जिसका प्रस्ताव हमलोगों ने किया है, को लागू करवाने से नहीं रोकूंगा लेकिन मैं इन कानूनों को लागू करवाने के लिए केवल नागरिकों से ही कहूंगा, सांसदों, विधायकों से नहीं।

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसदों, और विधायकों से मेरा केवल एक ही अनुरोध है कि **कृपया जनता की आवाज (सूचना का अधिकार - 2) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कर दें ।**

(12.4) कुछ छोटी मांगें

1 नागरिकों को राशन कार्ड की दुकान बदलने की अनुमति दें : यदि ऐसा हो जाता है तो किरासन तेल की चोरी में कमी आएगी
2 नागरिकों को गैस सिलेंडर की ऐजेंसी बदलने की अनुमति दें
3 तीन 3/लीटर और पांच 5/लीटर के खाना पकाने की) कुकिंग (गैस के सिलेंडर बनाएं : ताकि गरीब लोग इसे खरीद सकें
4 सिलेंडर गैस का शुल्क/फीस 1100 रूपए से घटाकर केवल इसकी लागत के बराबर कर दें
5 उन प्रक्रियाओं/ विधियों /तरीकों को लागू करें जिनसे जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य अधिकारी /नगरपालिका आयुक्त, जिला पुलिस प्रमुख, राज्य परिवहन अध्यक्ष, नगरपालिका परिवहन अध्यक्ष आदि को नागरिक हटा/बदल सकें
6 सभी नागरिकों को हथियार दें जिसकी मांग गांधीजी, सरदार और नेहरू ने वर्ष 1931में की थी
7 थिएटरों के सभी टिकटों पर एक-समान) यूनिफॉर्म (कर/टैक्स लागू करें

(12.5) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम गरीबी से होनेवाली मौतों को कम करने और बुजुर्ग / वृद्ध लोगों की सहायता के लिए करते हैं

1 ऐसी प्रक्रियाओं/विधियों को लागू करें ताकि हम नागरिकों को खनिज रॉयल्टी का दो तिहाई मिल सके
2 ऐसी प्रक्रियाऐं लागू करें ताकि हम नागरिकों को आई आई एम ए प्लॉट, जे एन यू प्लॉट, सभी हवाई अड्डों के प्लॉट जैसी सभी सरकारी प्लॉटों से भूमि किराया का दो तिहाई मिल सके
3 ऐसी प्रक्रियाऐं लागू करें जिनसे भारत के हम आम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख को बदल सकें

4 25वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा सभी गैर-कृषि भूमि/जमीन पर बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर सम्पत्ति कर लागू करें

5 सीमा शुल्क/एक्साइज, वैट, बिक्रीकर, सेवाकर, ऑक्ट्राय, जी एस टी आदि प्रतिगामी/ रिग्रेसिव करों)रिग्रेसिव कर की अधिक जानकारी के लिए अध्याय 25.2 देखें (को समाप्त करें

6 जिनके कम बच्चे हैं उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन दें

7 चौथा बच्चा होने पर जुर्माना/ दण्ड लगाएं। और बहुत आगे चलकर तीसरा बच्चा होने पर जुर्माना लगाएं।

8 वृद्ध/बुढ़े लोगों के लिए ज्यादा किराया और रॉयल्टी, वृद्ध लोगों के लिए पैंशन की व्यवस्था

9 ऐसा कानून लागू करना कि सरकार जमीन केवल बोली लगाने के तरीके से दे न कि मंत्रियों के विवेकाधिकार (discretion) पर छोड़ दे

(12.6) सेना में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) और कदम जिनकी मांग हम आम नागरिक करते हैं

1 ऐसी प्रक्रियाएं/तरीके लागू करें ताकि सेना को खनिज रॉयल्टी का एक तिहाई हिस्सा मिले

2 ऐसी प्रक्रियाएं/तरीके लागू करें ताकि सेना को आई.आई.एम.ए प्लॉट, जे.एन.यू प्लॉट, अहमदाबाद हवाई अड्डे, मुंबई हवाई अड्डे के प्लॉट जैसी सभी सरकारी प्लॉटों से भूमि किराया का एक तिहाई मिले

3 25वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा गैर-कृषि भूमि/जमीन पर बाजार मूल्य के 1प्रतिशत के बराबर सम्पत्ति कर लागू करें और इस निधि/फंड का उपयोग केवल सेना पर करें।

4 सिपाहियों/सैनिकों की संख्या 10 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दें

5 सिपाहियों/सैनिकों के वेतन में 200 प्रतिशत की वृद्धि/बढ़ोत्तरी करें

6 हथियार का विनिर्माण/निर्माण बढ़ाएं; हथियार बनाने के लिए लाखों इंजिनियरों, मजदूरों की भर्ती करें

7 सभी किशोरों/किशोरियों के लिए अनिवार्य हथियार चलाने की शिक्षा देना प्रारंभ/शुरू करें

8 जैसा कि गांधीजी, सरदार पटेल, नेहरू आदि ने वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मांग की थी, हथियार रखने के अधिकार को **मूलभूत अधिकार/ फंडामेंटल राइट** बनाएं और भारत के सभी नागरिकों के लिए हथियार रखना अनिवार्य कर दें

9 3000 किलो-टन का वायुमंडलीय(एत्मोस्फेरिक) परमाणु परीक्षण और चालीस परमाणु परीक्षण करें ताकि भारत चीन के समकक्ष/बराबरी पर आ जाए।

10 चीन के साथ बराबरी करने के लिए भारत के परमाणु हथियार का भंडार बढ़ाएं

11 सीमाशुल्क बढ़ाकर 300 प्रतिशत कर दें, सीमा शुल्क का एक तिहाई हिस्सा नागरिकों को दें) **अतिरिक्त नोट** – मैंने पस्ताव किया है कि सीमाशुल्क का 33 प्रतिशत सीधे नागरिकों को जाना चाहिए। यह व्यवस्था/प्रावधान केवल सीमाशुल्क के लिए है। आयकर, सम्पत्तिकर अथवा अन्य आंतरिक करों/टैक्सों के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(12.7) पुलिस में सुधार के लिए सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम करते हैं

1. **ऐसी प्रक्रिया/कानून लागू करें जिसके द्वारा हम आम लोग जिला पुलिस प्रमुख को बदल सकें**
2. राष्ट्रीय पहचान-पत्र /आई डी प्रणाली लागू करें ताकि आरोपी आदि पर नजर रखने में पुलिसवालों को आसानी हो
3. सभी पुलिस स्टेशनों और सभी पुलिस रिकार्डों का कम्प्युटरीकरण करें (इन्हें कम्प्युटर में दर्ज करें), हरेक पुलिसवाले को कम्प्युटर दें
4. पुलिसवालों पर जूरी प्रणालियां लागू करें ताकि जूरी सुनवाई का प्रयोग करके अयोग्य पुलिसवालों को नागरिक निष्कासित कर सकें/हटा सकें
5. 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा गैर-कृषि भूमि/जमीन पर बाजार मूल्य के 0.5 प्रतिशत का सम्पत्ति कर लागू करें और इस निधि/फंड का उपयोग केवल पुलिस, न्यायालयों पर करें।
6. पुलिसवालों का वेतन 100 प्रतिशत बढ़ा दें, ऐसा भ्रष्टाचार घटने के बाद के कदम के रूप में करें
7. पुलिसवालों की संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 45 लाख कर दें
8. पुलिसवालों की भर्ती लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा (कोई साक्षात्कार/इंटरव्यू नहीं) के जरिए करें और इस नियम का कड़ाई से पालन करें
9. पुलिसवालों का स्थानांन्तरण/ट्रान्सफर, रैंडम/क्रमरहित आवंटन विधि (कोई विवेकाधिकार नहीं) का प्रयोग करके किया जाना चाहिए।

(12.8) सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम न्यायालयों / कोर्ट में सुधार लाने के लिए करते हैं

1. किसी भी नागरिक को मतदाता पहचान पत्र दिखलाकर और 3 रूपए का शुल्क देकर पटवारी के कार्यालय में किसी जनहित याचिका पर हां/नहीं दर्ज करने की अनुमति दी जाए। यह हां/नहीं न्यायाधीश/जज पर बाध्यकारी नहीं हो।
2. न्यायालय के सभी आदेश सरकारी वबसाईट पर प्रदर्शित किए जाएं/डाले जाएं
3. सभी पक्षों को मुकद्दमें/केस के बारे में डाक के सामान्य पते और नोटिसों के साथ-साथ सभी भाषाओं में ई-मेल, एस.एम.एस के माध्यम से जानकारी /सूचना दी जाए।
4. **ऐसी प्रक्रियाएं लागू करें जिनसे भारत के हम आम लोग मुख्य जज/न्यायाधीश को बदल सकें** । ऐसा उच्चतम न्यायालय, उच्च नयायालय, जिला न्यायालयों में हो और

उच्चतम न्यायालय, उच्च नयायालय, जिला न्यायालयों में सभी वरिष्ठ/सीनियर जजों के मामले में भी हो

5. जूरी आधारित प्रक्रियाएं/सुनवाई लागू करें जिनका प्रयोग करके नागरिक स्थानीय अदालतों में कनिष्ठ/जुनियर जजों को निष्कासित कर सकें/हटा सकें

6. उच्चतम न्यायालय, उच्च नयायालय और निचली अदालतों में **जज प्रणाली को हटाकर जूरी प्रणाली लागू करें** ताकि आपसी भाई भतीजावाद/क्रास-नेपोटिज्म (एक जज द्वारा दूसरे जज के रिश्तेदारों का पक्ष लेना) और जज, वकील और अपराधियों का आपराधिक गठबंधन खत्म हो सके।

7. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ जज का चुनाव किया जाए।अन्य सभी जजों की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के द्वारा ही की जाए।**और कोई साक्षात्कार/इंटरव्यू न लिया जाए।**

8. न्यायालय द्वारा बुलावा/सम्मन, वारंट, मुकद्दमें और मुकद्दमों का ठीक से इतिहास/लेखाजोखा के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली लागू करें

9. 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा गैर-कृषि भूमि/जमीन पर बाजार मूल्य के 0.5 प्रतिशत का सम्पत्ति कर लागू करें और इस निधि/फंड का उपयोग केवल पुलिस, न्यायालयों पर करें।

10. न्यायालयों की संख्या 16000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दें ताकि तीन करोड़ मुकद्दमों का निपटारा 6 साल के अंदर किया जा सके

11. न्यायाधीशों/जजों के सभी स्थानांन्तरण/ट्रान्सफर रैंडम/क्रमरहित आवंटन विधि का प्रयोग करके किया जाए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य जज अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विवेकाधिकार से नहीं।

12. कक्षा 6 से कानून की शिक्षा प्रारंभ कर दी जाए(अथवा जब अभिभावक/माता-पिता कहें)

13. सभी वयस्क लोगों को भी कानून की शिक्षा दी जाए

14. जब कभी भी कोई सुनवाई हो तो 20 नागरिकों का क्रमरहित(रैंडम) चुनाव किया जाए। जिन्हें मुकदमें पर उपस्थित होना जरूरी होगा (नागरिक समाज में न्यायालय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए)

(12.9) सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम सामान्य प्रशासन में सुधार लाने के लिए करते हैं

1. **बहुमत द्वारा सुनवाई/फैसला** : कोई भी व्यक्ति “बहुमत द्वारा सुनवाई/फैसला किए जाने से सहमत” होने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना पंजीकरण करा सकता है। और ये कानून उस चयन किए गए स्तर पर केवल इन्हीं लोगों पर लागू होगा। ऐसे लोगों पर, यदि जिले, राज्य और भारत के नागरिक मतदाताओं के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों ने एक वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा और X रूपए का जुर्माने की सजा की मांग कर दी तो प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को वह सजा दे सकते हैं। यह कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपना “बहुमत द्वारा सुनवाई किए जाने से सहमत” होने के लिए पंजीकृत नहीं कराया है। (अधिक विवरण/जानकारी के लिए आध्याय 27 देखें)

2. व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी/सूचना का रिकार्ड रखने के लिए राष्ट्रीय पहचानपत्र प्रणाली लागू करें
3. उन प्रक्रियाओं को लागू करें जिनका प्रयोग करके जिला शिक्षा अधिकारी (डी ई ओ), भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्तर के 10 पदों, राज्य/जिला स्तर के 20 पदों से पदधारी/आसीन अधिकारी को नागरिक निष्कासित कर सकें/हटा सकें।
4. भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए करें और इस नियम का कड़ाई से पालन करें
5. सभी स्थानांन्तरण/ट्रान्सफर क्रमरहित/अनियमित चयन विधि का प्रयोग करके किया जाना चाहिए।
6. जूरी आधारित प्रक्रियाएं/सुनवाई लागू करें जिनका प्रयोग करके नागरिक कनिष्ठ/जुनियर अधिकारियों को निष्कासित कर सकें/हटा सकें(कृपया विस्तृत जानकारी/ब्यौरे के लिए गूगल पर कॉरोनर्स इनक्वेस्ट देखें)
7. एक ठीक-ठीक भूमि रिकार्ड/अभिलेख बनाएं और सभी बिक्री, *पावर ऑफ एटॉर्नी* के सभी रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण अनिवार्य बना दें।
8. प्रत्येक सांसद, विधायक, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) अधिकारियों ,जजों, अनुदान-प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों के वरिष्ठ कर्मचारियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों की सम्पत्ति और आय के विवरण को सरकारी वेबसाइट पर डाल दें। उन प्रत्येक ट्रस्ट/न्यास और कम्पनियों की संपत्ति और आय का खुलासा करें जिनमें सांसद, विधायक, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) अधिकारियों, जजों और उनके नजदीकी रिश्तेदार के सहयोगी अथवा भागीदार और ट्रस्टी/न्यासी हों ।

(12.10) प्रजा अधीन राजा / राईट टू रिकॉल के क़ानून-ड्राफ्ट

हमने निम्नलिखित पदों के लिए प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) की मांग की है और प्रस्ताव किया है। प्रत्येक एक सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र)है और यह शत-प्रतिशत संवैधानिक है। हमे किसी सांवैधानिक संशोधन या सांवैधानिक विधान बनाने की आवश्यकता नहीं है।

वे पद जिनपर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव किया है , इसकी मांग रखी है। 28 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार (* का अर्थ है - नए पद)			
1	प्रधानमंत्री	मुख्यमंत्री	महापौर जिला सरपंच तहसील सरपंच ग्राम सरपंच

वे पद जिनपर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव किया है , इसकी मांग रखी है। 28 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार (* का अर्थ है - नए पद)			
2	उच्चतम न्यायालय के मुख्य जज	मुख्य उच्च न्यायालय जज	जिला न्यायालय प्रमुख जज
3	उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ जज	उच्च न्यायालय के चार जज	चार वरिष्ठ जिला जज
4	भारतीय जूरी प्रशासक (*)	राज्य जूरी प्रशासक (*)	जिला जूरी प्रशासक(*)
5	राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (*)	राज्य भूमि किराया अधिकारी (*)	
6	सांसद	विधायक	पार्षद जिला पंचायत सदस्य तहसील पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य
7	गवर्नर,भारतीय रिजर्व बैंक	राज्य मुख्य लेखाकार	जिला लेखाकार
8	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक		
9	सालिसिटर जेनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी	सालिसिटर जेनरल ऑफ स्टेट राज्य महान्यायवादी	जिला मुख्य दण्डाधिकारी जिला सीविल अधिवक्ता
10	अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्	अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद्	
11	गृह मंत्री, भारत निदेशक, सी बी आई	गृह मंत्री, राज्य निदेशक, सी आई डी	जिला पुलिस आयुक्त
12	वित्त मंत्री, भारत	वित्त मंत्री, राज्य	
13	शिक्षामंत्री, भारत राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक अधिकारी	शिक्षामंत्री, राज्य राज्य पाठ्यपुस्तक अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी
14	भारत स्वास्थ्य मंत्री	राज्य स्वास्थ्य मंत्री	जिला स्वास्थ्य अधिकारी
15	अध्यक्ष, यूजीसी	विश्वविद्यालय कुलपति	प्रधानाचार्य, वार्ड स्कूल
16	कृषि मंत्री, भारत	कृषि राज्य मंत्री	
17	भारतीय सीविल आपूर्ति मंत्री	राज्य सीविल आपूर्ति मंत्री	जिला आपूर्ति अधिकारी
18	भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार	राज्य मुख्य लेखा-परीक्षक	जिला मुख्य लेखा-परीक्षक

वे पद जिनपर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव किया है , इसकी मांग रखी है। 28 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार (* का अर्थ है - नए पद)			
19			नगर आयुक्त मुख्य अधिकारी
20	राष्ट्रीय विद्‌युत/उर्जा मंत्री	राज्य विद्‌युत/उर्जा मंत्री	जिला विद्‌युत -आपूर्ति अधिकारी
21	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अध्यक्ष, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड	राज्य कर संग्रहण अधिकारी	जिला कराधान अधिकारी
22	रेल मंत्री	राज्य परिवहन मंत्री	नगर परिवहन अधिकारी
23	दूरसंचार नियामक		
24	केन्द्रीय विद्‌युत नियामक	राज्य विद्‌युत नियामक	
25	केन्द्रीय संचार मंत्री	राज्य संचार मंत्री (*)	जिला संचार केबल अधिकारी (*)
26			जिला जलापूर्ति अधिकारी
27	केन्द्रीय चुनाव आयुक्त	राज्य चुनाव आयुक्त	
28	राष्ट्रीय पेट्रोलियम मंत्री	राज्य पेट्रोलियम मंत्री	
29	राष्ट्रीय कोयला मंत्री राष्ट्रीय खनिज मंत्री	राज्य कोयला मंत्री राज्य खनिज मंत्री	
30	अध्यक्ष, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	अध्यक्ष, राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण	
31	अध्यक्ष, राष्ट्रीय इतिहास परिषद्	अध्यक्ष, राज्य इतिहास परिषद्	
32	अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग	
33	अध्यक्ष, केन्द्रीय राज्य भर्ती बोर्ड	अध्यक्ष, राज्य भर्ती बोर्ड	जिला भर्ती बोर्ड अध्यक्ष
34	अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग (महिला मतदातागण इन्हें बदल/हटा सकती हैं)	अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग	अध्यक्ष, जिला महिला आयोग
35	अध्यक्ष, राष्ट्रीय दलित उत्पीड़न निवारण आयोग (दलित	अध्यक्ष, राज्य दलित उत्पीड़न निवारण आयोग	अध्यक्ष, जिला दलित उत्पीड़न निवारण

वे पद जिनपर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव किया है , इसकी मांग रखी है। 28 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार (* का अर्थ है - नए पद)			
	मतदातागण इन्हें बदल/हटा सकते हैं)		आयोग
36	राष्ट्रीय पूर्त आयुक्त	राज्य पूर्त आयुक्त	
37	राष्ट्रीय बार/वकील (समुदाय)परिषद् अध्यक्ष	राज्य बार/वकील (समुदाय) परिषद् अध्यक्ष	जिला बार/वकील (समुदाय) परिषद् अध्यक्ष
38	राष्ट्रीय लोकपाल	राज्य लोक आयुक्त	जिला लोक आयुक्त
39	राष्ट्रीय सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	जिला सूचना आयुक्त
40	--------	राज्य अपमिश्रण नियंत्रक अधिकारी	जिला अपमिश्रण नियंत्रक अधिकारी
41	संपादक, राष्ट्रीय समाचारपत्र	संपादक, राज्य समाचारपत्र	संपादक, जिला समाचारपत्र
42	संपादक, राष्ट्रीय महिला समाचारपत्र (महिला मतदाताओं द्वारा हटाया जा सकता है)	संपादक, राज्य महिला समाचारपत्र (महिला मतदाताओं द्वारा हटाया जा सकता है)	संपादक, जिला महिला समाचारपत्र (महिला मतदाताओं द्वारा हटाया जा सकता है)
43	अध्यक्ष, दूरदर्शन	अध्यक्ष, राज्य दूरदर्शन	अध्यक्ष, जिला चैनल
44	अध्यक्ष, आकाशवाणी	अध्यक्ष, राज्य रेडियो चैनल	अध्यक्ष, जिला रेडियो चैनल
45	अध्यक्ष, राष्ट्रीय पहचान पत्र (आई डी) प्रणाली	अध्यक्ष, राज्य पहचान पत्र (आई डी) प्रणाली	
46	अध्यक्ष, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख प्रणाली	अध्यक्ष, राज्य भूमि अभिलेख प्रणाली	अध्यक्ष, जिला भूमि अभिलेख प्रणाली
47	अध्यक्ष, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा	अध्यक्ष, विधान सभा अध्यक्ष, विधान परिषद्	अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष तहसील पंचायत
48	अध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अध्यक्ष, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष, राज्य पेट्रोल निगम	

यह सूची 7 मई, 2010 की तिथि के अनुसार है। यह सूची केवल बढ़ती ही है, घटती नहीं।

(12.11) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम `कर` लगाने / टैक्सेशन के तरीके में सुधार लाने के लिए करते हैं

1. राष्ट्रीय पहचान-पत्र /आई डी प्रणाली लागू करें ताकि सम्पत्ति, जमीन का स्वामित्व, आय और लेनदेन का रिकॉर्ड रखा जा सके।
2. एक `सम्पत्ति कर` प्रणाली लागू करें जिसमें 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा गैर-कृषि भूमि/जमीन पर बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत सम्पत्ति कर लागू किया जाए
3. उत्पाद शुल्क/आबकारी/एक्साइज, जीएसटी, वैट, बिक्रीकर, सेवाकर, ऑक्ट्राय आदि प्रतिगामी/रिग्रेसिव करों (रिग्रेसिव कर की अधिक जानकारी के लिए अध्याय 25.2 देखें) को समाप्त करें
4. आयकर अधिनियम की धारा 80 जी और धारा 35 ए.सी भी समाप्त करें
5. धार्मिक ट्रस्ट को प्रति/हर वर्ष प्रति/हर सदस्य पर 200 रूपए की छूट मिलेगी; धार्मिक ट्रस्टों सहित सभी ट्रस्ट कारपोरेट पर लगाई जाने वाली दर से आयकर, `सम्पत्ति कर` देंगी।
6. नागरिक किसी भी आयकर संग्रहण/वसूल करने के साथ-साथ छूट प्राप्ति के कलम /खण्डों की भी समीक्षा कर सकेंगे
7. सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) को दिया जाने वाला सभी कर-लाभ समाप्त करें

(12.12) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम बांग्लादेशियों की घुसपैठ कम के लिए करते हैं

1. राष्ट्रीय व्यक्तिगत पहचानपत्र प्रणाली एक वर्ष में ही लागू करें और उसके बाद नागरिक पहचान पत्र प्रणाली(सिस्टम) लागू करें
2. ऐसे कानून लागू करें कि नियोक्ता/मालिक को कर्मचारियों के व्यक्तिगत पहचान पत्र कि रिपोर्ट अवश्य करनी पड़े, और उन कर्मचारियों को दण्ड दें जो पहचानपत्र की रिपोर्ट नहीं करते/पहचानपत्र नहीं दिखलाते।
3. जूरी आधारित *ट्रायब्यूनल* लागू करें ताकि गैर कानूनी रहनेवाले बंग्लादेशियों को भारत से अथवा कम से कम पूर्वोत्तर से निष्कासित किया जा सके।
4. राष्ट्रीय व्यक्तिगत पहचानपत्र प्रणाली, डीएनए के डाटा और जूरी आधारित *ट्रायब्यूनलों* का उपयोग करते हुए “वंश वृक्ष” का उपयोग करके बंग्लादेशियों को निष्कासित करें

(12.13) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम जम्मू-कश्मीर को बचाने के लिए करते हैं

1. राष्ट्रीय स्तर के जनमत संग्रह जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग करके जम्मू-कश्मीर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के साथ मिला दें ताकि कश्मीर घाटी में संघर्ष पर नियंत्रण किया जा सके
2. धारा 370 समाप्त करें

3. देश के दूसरे हिस्सों के लोगों को जम्मू-कश्मीर में उद्योग प्रारंभ/शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें

(12.14) वे सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) जिनकी मांग हम सीविल कानूनों में सुधार लाने के लिए करते हैं

1. दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं को तत्काल तलाक/डाइवोर्स, भत्ता/एलिमनी और बच्चे पर हक(अधिकार) मिले
2. तलाकशुदा अथवा (पति से) अलग रह रही महिलाओं को सरकार द्वारा तत्काल किराए का घर मिले
3. 498 ए, डी.वी.ए समाप्त करें
4. सूदखोरों को कारावास/जेल भिजवाने के लिए प्रणाली लागू करें
5. ऋण का भुगतान न करने के विवाद को सुलझाने के लिए प्रणाली लागू करें
6. यदि किराएदार 300,000 रूपए से ज्यादा हर वर्ष कमा रहा हो तो किराया बढ़ाने कि अनुमति दें

(12.15) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन और भारत को फिर से गुलाम बनाने को कम करने के लिए सरकारी अधिसूचना(आदेश) (भारतीय राजपत्र)

1 "भारतीय नागरिकों के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी"(सी डबल्यू आई सी) के कम्पनी अधिनियम में एक संकल्पना लागू करना – यदि सी डबल्यू आई सी के रूप में चार्टर की गई कोई कम्पनी स्थापित की जाती है तब भारत के केवल वैसे गैर-अप्रवासी भारतीय नागरिकों जो किसी दूसरे देश के निवासी नहीं हैं, वे इस कम्पनी में शेयरधारक बन सकते हैं।

2 केवल सी डबल्यू आई सी ही केबल, दूरसंचार, रक्षा, खनन और ऐसे अन्य कार्य नीतिक/नीतिगत व्यवस्था कर सकते हैं।

3 केवल सी डबल्यू आई सी कम्पनियां और भारतीय नागरिक ही जमीन के मालिक हो सकते हैं अथवा जमीन को पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए लीज /पट्टे पर जमीन और भवन दे सकते हैं ।

4 दोहरी नागरिकता समाप्त करें । जिन लोगों ने भारतीय नागरिकता को लात मार दी है अथवा वे लोग जिनके पूर्वज भारतीय थे, उन्हें भारतीय नागरिकता का फिर से दावा करने के लिए 10 वर्ष की समय – सीमा /छूट दी जानी चाहिए। ऐसा तब से लागू होगा जब उन्होंने प्राप्त किए गए अन्य नागरिकताओं को लात मार दी हो ।

इस 10 वर्ष की *विंडो/समय सीमा छूट* के बाद भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त करने का लिए हमेशा के लिए बन्द हो जाएगा।

5 प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और उसके सभी संबंधियों की नागरिकता, रेसिडेंसी/निवास की स्थिति की सूचना इंटरनेट पर डाल दें ताकि नागरिकगण यह राय कायम कर सकें कि उस व्यक्ति को कितनी शक्ति/अधिकार दी जाए।

6 उन सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) अधिकारियों, सांसदों, जजों आदि को निष्कासित कर दें/हटा दें जिन्होंने विदेशों में ग्रीन-कार्ड के लिए आवेदन किया है ।

(12.16) अन्य भौतिक मांगें

1 सरकार किसी मंदिर, धर्मस्थान को नहीं चलाएगी। यदि मंदिर वर्तमान में सरकार के अधीन है तो सरकार उन्हें एक वर्ष के भीतर सामुदायिक *ट्रस्ट*/न्यास को सौंप देगी।

2 सभी धर्मों के खिलाफ सभी तरह के अपमान रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 205ए लागू करें। इसमें एम एफ हुसैन के खिलाफ सुनवाई शामिल होगा और उनके खिलाफ भी, जिन्होंने मोहम्मद साहब की तस्वीर बनाई।

3 सरकारी कॉलेजों में ज्योतिष-विज्ञान के पाठ्यक्रम को रद्द करें। निजी कॉलेज इसे जारी रख सकते हैं।

4 दवाओं में केवल प्रक्रिया/निर्माणविधि के पेटेन्ट को ही अनुमति दें।

(12.17) अन्य संकेतात्मक मांगें

हमारी 100-120 मांगों में से अधिकांश मांगें भौतिक हैं और इसके अलावा हमारी निम्नलिखित संकेतात्मक मांगें हैं-

1 हम “जन गण मन“ पर प्रतिबंध लगाने का वायदा करते हैं जिसे ब्रिटेन के राजा के स्वागत करने के लिए गाया गया था और इसमें इंगलैण्ड के राजा को “भारत भाग्य विधाता”अर्थात भगवान बताया गया है। यह गीत गुलामी की निशानी है और इसलिए हमें इसपर सभी सरकारी कार्यालयों में और समारोह में प्रतिबंध लगाएंगे । निजी पार्टियां इस गीत को गाने के लिए स्वतंत्र हैं।

2 रविन्द्रनाथ टैगोर की पश्चिम बंगाल के बाहर लगी सभी तस्वीरें आदि हटा दी जाएगी।

3 हम “वंदे मातरम”को राष्ट्रीय गीत बनाने का वायदा करते हैं ।

4 सरकारी दस्तावेजों और रूपए पर श्री सुभाष चन्द्र बोस जी ,श्री उधम सिंह जी और श्री भगत सिंह जी की तस्वीरें लगाई जाएँ ।

5 हम दो राष्ट्रीय अवकाश दिवस, श्री भगत सिंह जी और श्री सुभाष जी के जन्म दिवसों को बनाने का वायदा करते हैं।

6 जलसेना विद्रोह दिवस 18 फरवरी आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा ना कि 15 अगस्त ।

7 हम निम्नलिखित शहरों का नाम फिर से रखने का समर्थन करते हैं जैसे औरंगाबाद से बदलकर शांभाजी नगर आदि। सामान्यत:किसी अधर्मनिरपेक्ष और असहनशील राजा जैसे औरंगजेब आदि के नाम पर रखे गए किसी भी शहर का नाम दोबारा रखा जाएगा। इस मांग का हिन्दूत्व और इस्लाम विरोध से कोई लेना देना नहीं। यदि किसी शहर का नाम किसी सहनशील राजा जैसे अकबर अथवा दारा सिकोह के नाम

पर रखा गया हो तो हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन असहनशील राजाओं के नाम पर किसी शहर का नाम नहीं होना चाहिए।

8 हम नए शहरों का नाम भगत जी, आजाद विस्मिल्ला आदि क्रान्तिकारियों के नाम पर रखना चाहते हैं।

(12.18) समीक्षा प्रश्न

1. आयकर अधिनियम की धारा 80 जी क्या है? प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह इस धारा 80 जी का समर्थन करता है या विरोध?
2. आई आई एम ए प्लॉटों से जमीन के किराया का कितना प्रतिशत, हम प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह चाहते हैं कि, सेना को मिले?
3. प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार पुलिस और सेना की संख्या बल क्या होनी चाहिए?
4. `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी `(एम आर सी एम) समूह जजों/न्यायाधीशों की भर्ती में साक्षात्कार लिए जाने का समर्थन करती है या विरोध?
5. `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम) समूह *सेज*/एसईजेड के लिए दिए जाने वाले कर-लाभ का समर्थन क्यों नहीं करता है?
6. `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम आर सी एम) समूह 498ए, डीवीए का समर्थन करती है या विरोध?
7. क्या भारत में जन्में अमेरिकी नागरिक किसी "सी डबल्यू आई सी कम्पनी" में शेयर खरीद सकते हैं जैसा कि प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को हटाने का अधिकार) समूह प्रस्ताव करता है?

(12.19) अभ्यास प्रश्न

1. कृपया इस पाठ का अनुवाद अपनी मातृभाषा में करें।

अध्याय 13 - हर हफते केवल दो-चार घंटे का समय देकर आप भारत में “प्रजा अधीन राजा” क़ानून-ड्राफ्ट को लाने में सहायता कर सकते हैं

(13.1) क्या यह एक और मजाक है?

मेरी प्रारंभिक /शुरू की लाइन थी, “तीन लाइन का जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली) कानून गरीबी से होने वाली मौतों और पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को केवल चार महीनों में ही कम कर सकता है” और यदि वह असंभव अथवा मजाक लगा हो तो यहां एक और मजाक है “यदि भारत में आर्थिक रूप से सबसे संपन्न शीर्ष 5 करोड लोगों में से मात्र/सिर्फ **2,00,000** लोग मेरे द्वारा बताए गए कदमों/उपायों पर मात्र दो घंटा हर/प्रति सप्ताह का समय दें तो 1 वर्ष के भीतर उन कार्रवाईयों /कामों से एक व्यापक आंदोलन पैदा होगा जो प्रधानमंत्री को `जनता की आवाज - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कानून पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर देगा। ” क्यों इतनी कम संख्या में लोगों की जरूरत है? क्योंकि मैं `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` प्रारूपों/ड्राफ्टों का प्रचार क्लोन-पॉजिटिव तरीके /विधिसे करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। यह क्लोन-पॉजिटीव आखिरकार क्या बला है? मैं अगले पाठ में इसे विस्तार से बताउंगा। यह सक्रिय रूप से काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना/विचार है और दुख की बात है कि भारत में ज्यादातर /अधिकांश कार्यकर्ताओं ने आज तक इसे नकारा है ।

(13.2) पैसा, समाचारपत्र के विज्ञापनों के लिए छोड़कर , लगाना बेकार है- मुझे केवल आपका समय और आपके समाचारपत्र विज्ञापन चाहिए।

मेरा विश्वास या अन्धविश्वास है कि ये दो शब्द “प्रजा-अधीन राजा“ हरेक वैसे व्यक्ति का हृदय छू लेगा जो गरीबी और भ्रष्टाचार कम करना चाहता है। और यह दो वाक्य “राजा को प्रजा अधीन होना चाहिए नहीं तो वह जनता को लूट लेगा और राष्ट्र का विनाश कर देगा” हरेक उस व्यक्ति के मन में बस जाएगा जो इन्हें एक बार सुन लेगा। वे लोग जो प्रजा-अधीन राजा की संकल्पना को पसंद करते हैं, उन्हें केवल एक बार यह सुनिश्चित /पक्का करना है कि लोग एक बार इसके बारे में सुन लें। हमें किसी बाजारू चालबाजी की जरूरत नहीं है। हमें लोगों को प्रभावित करने के लिए किसी तमाशे अथवा ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। ये शब्द ही लोगों को 1000 बाजारू चालबाजी और खेल तमाशों से कहीं ज्यादा प्रभावित करेंगे।

अब मेरा उद्देश्य `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` , प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) कानूनों के ड्राफ्टों को पास / पारित करवाना है। और पहली बार में एक मात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि करोड़ों नागरिक दो शब्द “प्रजा-अधीन राजा”और इससे जुड़े दोनों वाक्य सुन सकें और अगले दौर में मैं `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` कानून पास/पारित करवाना चाहता हूँ। और मेरा यह विश्वास

है कि यदि `जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम))` कानून पास हो जाता है तो लोग जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) कानून का उपयोग करके अधिकांश अन्य कानून कुछ ही महीने में पारित करवा लेंगे।

सभी मौजूदा पार्टियों से अलग, चुनाव जीतना हमारे ऐजेंडे का सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तक नहीं है। चुनाव लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी प्रस्तावित कानून के प्रस्तावित प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में नागरिकों को बताने के लिए चुनाव सबसे तेज माध्यम है। यदि मैं और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह के सभी लोग चुनाव हार भी जाते हैं तब भी हम भारत में सुधार ला सकते हैं यदि हम नागरिकों को इस बात पर राजी कर सकें कि वे `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कार्यकर्ताओं के "साथ मिलकर" काम करें। अब "साथ मिलकर" काम करने का क्या अर्थ है ? क्या इसका अर्थ दान/चन्दा इकट्ठा करना है? नहीं। **मैं दान/चन्दा के बिलकुल खिलाफ हूँ।** मैं लोगों से प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह के कानूनों के प्रचार के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापन देने के लिए अवश्य कहता हूँ लेकिन इसमें पैसा सीधे अखबार / समाचारपत्र को जाता है। लोग मुझे या किसी प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल स्वयंसेवी को पैसा नहीं देंगे। और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह के सदस्यों के लिए समाचारपत्र में विज्ञापन देना उनकी मर्जी / विकल्प है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, **(समाचार पत्र के विज्ञापनों के अलावा) जिसकी मुझे जरूरत / आवश्यकता है - वह है आप का समय।** अब मुझे आखिर आपका कितना समय चाहिए? और आपके दिए समय के दौरान मैं आपसे क्या करवाना चाहता हूँ? इस पुस्तिका में इसी बात को विस्तार से बताया गया है। कृपया इस पाठ का एक *प्रिन्टआउट* ले लें।

(13.3) प्रस्तावित काम करने का तरीका `प्रजा-अधीन राजा / राईट टू रिकाल` कार्यकर्ताओं के लिए : वायरस एक के दल में काम करता है

कई लोग कहते हैं कि सबसे ताकतवर प्राणी शेर है, कोई कहता है हाथी और कोई व्हेल | लेकिन मैं सोचता हूँ कि उन सबसे अधिक ताकतवर वायरस है | तो वायरस को क्या इतना ताकतवर बनात है ? मैं सभी कारण तो नहीं गिना सकता |

लेकिन कुछ कारण मेरे अनुसार ये हैं | हरेक वायरस अपने आप में पूरा है | हरेक वायरस के पास सारी सूचना/जानकारी है जो उसे चाहिए |वायरस कभी भी दूसरे वायरस के साथ मुकाबला नहीं करता और कभी भी दूसरे वायरस को बचने की कोशिश नहीं करता |

वायरस केवल दो चीजें करता है ---- संपर्क/मेल करने पर अपनी नकलें बनाता है और मेल करने पर बदल जाता है | यदि 1000 वायरस हैं, तब 1000 वायरसों का एक दल नहीं है, लेकिन 1000 दल हैं, जिसमें हरेक में एक-एक वायरस है |

ज्यादातर संस्थाएं, जिनको मैं मिलता हूँ , सारी जानकारी लेने से रोकते हैं जबकि मैं अपने साथियों को सारी जानकारी लेने के लिए बढ़ावा देता हूँ | ज्यादातर संस्थाएं इस पर जोर देती हैं कि छोटे/जूनियर कार्यकर्ताओं को आँख बंद करके बड़े/सिनेर कार्यकर्ताओं के आदेश मानने चाहियें , लेकिन मैं ये खुले आम इस बात पर जोर देता हूँ कि कोई भी छोटे कार्यकर्ताओं को अपने बड़े कार्यकर्ताओं के शब्दों को आदेश नहीं मानना चाहिए बल्कि उसे एक साथी की विनती

के जैसे मानना चाहिए |और सबसे ज्यादा जरूरी, हम `प्रजा अधीन-राजा समूह` पर, मैं हरेक को एक-एक के डाल में काम करने के लिए कहता हूँ |

ज्यादातर संस्थाएं बदलाव/परिवर्तन को मना करती हैं और यहाँ तक कि उसके लिए सज़ा भी देती हैं , लेकिन मैं खुले आम सभी बदलाव/परिवर्तन का समर्थन करता हूँ | और बदलाव, यानी कि हर कोई अपने हिसाब से प्रधानमन्त्री को मजबूर करे कि `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) , `भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार` (प्रजा अधीन राजा) के क़ानून-ड्राफ्ट को भारतीय राजपत्र में डालें |

मैं ये सुझाव देता हूँ कि `प्रजा अधीन-राजा समूह` का कार्यकर्ता, अपने आसपास के सभी पार्टियों/समूहों के सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी देनी चाहिए `प्रजा अधीन-राजा`के सभी क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में | और मेरे विचार से, `प्रजा अधीन-राजा समूह` के कार्यकर्ताओं को एक संस्था , दफ्तरों और पद-अधिकारीयों के साथ, बनाने की जरूरत नहीं है , `प्रजा-अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट के जानकारी फैलाने के लिए |

ये कार्यकर्ताओं को दूसरे बिना किसी स्वार्थ के , दूसरे कार्यकर्ताओं को बे इन लोक-तांत्रिक कानूनों का समर्थक बनने के लिए राजी करना चाहिए | ऐसा वे किस तरह कर सकते हैं ? कार्यकर्ता दूसरे स्वार्थ के बिना कार्यकर्ताओं को राजी करने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके दफ्तर और ढांचा का इस्तेमाल करके `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट का प्रचार करना ,एक नेक/ बड़ा काम है , जो भारत को विदेशी देशों और कंपनियों के आक्रमण और विदेशी देशों और कंपनियों के गुलामी से बचाने के लिए |

हर बार जब कोई `प्रजा अधीन-राजा` कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्त्ता के संपर्क से आता है, तो वो संपर्क प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट में बदलाव और प्रचार के तरीकों में भी बदलाव लाएगा | जो बदलाव बेकार हैं, वो आगे नहीं बढेंगे और जो काम के बदलाव हैं, वे ही आगे बढेंगे | और अच्छे बदलाव , प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट और प्रचार के तरीकों को और अच्छा बनाने और जानकारी अच्छे से फैलाने में मदद करेंगे | असल में, वर्त्तमान/अभी के क़ानून-ड्राफ्ट और प्रचार के तरीके भी कई बदलाव के नतीजे हैं |

(13.4) `प्रजा अधीन-राजा` क़ानून-ड्राफ्ट के प्रचार के तरीकों के कोई अन्य सेट क्यों नहीं?

मैं विविधता को बढ़ावा देता हूँ मैं एकरूपता से कार्य करने पर जोर नहीं देता, सिवाय नाम/लैबल, शर्तों और परिभाषा के अनुरूप होने के । यदि कोई व्यक्ति वैकल्पिक तरीके पर चलना चाहता है तो मैं उससे विनती करूंगा कि वह अपने तरीके पर चलने के साथ-साथ इस दस्तावेज में बताए गए तरीके पर भी चले। मैं विभिन्नता को बढ़ावा देता हूँ क्योंकि कोई व्यक्ति जो किसी अन्य तरीके से सोचता है मेरे तरीके से अच्छा हो सकता है। और यदि वो तरीका अच्छा हुआ तो अधिक लोग उन्हें अपनाएंगे और जल्दी ही उन तरीकों को लोग इतनी अच्छी तरह से जान जाएंगे कि मुझे उन्हें अपनी सूची में जोड़ना पड़ेगा। साथ ही, मैं स्वयंसेवकों से अनुरोध करता हूँ कि वे कम से कम हर सप्ताह 60 मिनट का समय उन कार्यकलापों पर दें जिनका प्रस्ताव मैंने किया है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि कार्यकलापों की मेरी सूची उसके कार्यकलापों की सूची से ज्यादा अच्छा/बेहतर है।

सेट-1 में दिए गए कार्यकलापों के लिए प्रति सप्ताह केवल एक से चार घंटे समय देने की जरूरत है और ये मतदाताओं के लिए हैं। प्रत्येक लाइन/कतार में पहले कार्य-कलाप में उतना समय लगेगा जितना बताया गया है। लेकिन अथवा भाग में उल्लिखित/ बताए गए वैकल्पिक कार्य-कलाप में इससे ज्यादा समय लगेगा जो आपकी इच्छा पर/वैकल्पिक होगा।

सेट-2 कार्यकर्ताओं के लिए हैं ।

सेट-3 ,केवल उनके लिए पड़ेगी जो नगर-निगम, पंचायत, विधानसभा या संसद के चुनाव लड़ना चाहते हैं ।

(13.5) कार्यकलाप की सूची, कारण, और वह समय जो इनमें लगेगा: सेट-1- मतदाताओं के लिए

केवल एक से चार घंटे प्रति सप्ताह समय की जरूरत है। प्रत्येक लाइन/कतार में, पहले कार्यकलाप में केवल बताया गया समय ही लगेगा। लेकिन वैकल्पिक (कार्यकलापों) में ज्यादा समय लग सकता है। वैकल्पिक (कार्य कलापों) जिनका उल्लेख "अथवा" भाग में किया गया है, उनमें ज्यादा समय लगेगा लेकिन वे वैकल्पिक होंगे यानि आपकी इच्छा पर निर्भर करेंगे।

	सेट – 1 का कार्यकलाप (एक से चार घंटे प्रति/हरेक सप्ताह) (मतदाताओं के लिए)	अनुमानित लगने वाला समय	कदम उठाए? हां/ नहीं	कदम उठाए? कब/ तिथि
1.1	1) **चार पृष्ठ के दस्तावेज** डाउनलोड करें या कार्यकर्त्ता से कॉपी लें ,कृपया http://righttorecall.info/001.pdf अथवा हिन्दी रूपान्तर- http://righttorecall.info/001.h.pdf अथवा गुजराती रूपान्तर- http://righttorecall.info/001.g.pdf अथवा बंगला रूपान्तर- www.righttorecall.info/001.b.pdf 2.) कृपया ऊपर के दस्तावेज में दिए गए पहले प्रस्तावित `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` कानून के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट को **जोर से बोलकर** पढ़ें। **अथवा/और** कृपया ऐसे किसी भी कानून के प्रारूप /क़ानून-ड्राफ्ट का पता करें, डाउनलोड करें और पढ़ें जो, आप समझते हैं कि, कुछ ही महीने में गरीबी से होनेवाली मौतों और पुलिस में भ्रष्टाचार को कम कर सकता है। **अथवा/और**	30 मिनट (एक बार)		

	उन कानूनों के क़ानून-ड्राफ्ट लिखिए और इंटरनेट पर पोस्ट कीजिए जो आप समझते हैं कि गरीबी से होने वाली मौतों और पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार कुछ ही महीने या कुछ वर्षों में कम कर देगा।			
1.2	प्रजा अधीन राजा (RTR) और `जनता की आवाज़` कानून पर **प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न** – यहाँ से डाउनलोड करें - www.righttorecall.info/004.h.pdf और छाप कर पढ़ें और पढ़ने के लिए बांटें | ----------- यदि आपके पास प्रस्तावित नए कानून `जनता की आवाज पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` पर कोई प्रश्न है तो कृपया अपनी चिन्ता/प्रश्न http://forum.righttorecall.info पर डालें या किसी `प्रजा अधीन-राजा` कार्यकर्ता से पूछें	30-60 मिनट (एक बार)		
1.3	**सबसे जरूरी-** **हर हफ्ते 25-30 पोस्ट कार्ड/बुक पोस्ट/इनलैंड (अंतर-देशीय) नागरिक-वोटरों को भेजें** जो वोटर लिस्ट/सूची में हैं (वोटर सूची इंटरनेट से प्राप्त की जा सकती है या आपके स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता से प्राप्त की जा सकती है या आप फोन डॉयरेक्टरी से भी वोटरों की सूची प्राप्त कर सकते हैं), उनसे विनती करें कि वे प्रधानमन्त्री/मुख्यमंत्री को एक तीन लाइन के क़ानून, जो कुछ ही महीनों में भ्रष्टाचार समाप्त कर सकता है, पर हस्ताक्षर करने के लिए चिट्ठी लिखें | `**पोस्ट कार्ड नागरिक अभियान**`` का नमूना (एक पन्ना) - http://www.righttorecall.info/901.pdf  `**बुक पोस्ट नागरिक अभियान**`` का नमूना - (आठ पन्ने)- http://www.righttorecall.info/902.pdf `**इनलैंड (अंतर्देशीय) नागरिक अभियान**` का नमूना - (दो पन्ने) www.righttorecall.info/903.pdf	60 मिनट हर हफ्ते		

1.4 *****	**<u>हस्ताक्षर अभियान</u>**- कृपया `जनता की आवाज पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` कानून प्रार्थना-पत्र के लिए अपने क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलायें । इन्टरनेट पर http://www.petitiononline.com/rti2en/ पर हस्ताक्षर करें। <u>कैसे यह `प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)`, `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम. आर. सी. एम.) कानूनों को लाने में हमारी मदद करेगा?</u>: इस याचिका का कोई राजनैतिक, कानूनी महत्व/मूल्य नहीं है। **यह केवल एक विज्ञापन/प्रचार है** । इस पर हस्ताक्षर करनेवाले की संख्या जितनी अधिक होगी, इसकी परवाह करने वाले अन्य नागरिकों का ध्यान अपनी इसकी ओर खीचना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। प्रधानमंत्री अवश्य ही इसे महत्व नहीं देंगे और इसलिए वह ऐसा अवश्य सोंचेगे कि इंटरनेट पर दिए गए हस्ताक्षर जाली हो सकते हैं लेकिन यह संख्या निश्चित रूप से अधिक से अधिक जागरूक नागरिकों के सामने विज्ञापन करने/ इसके बारे में बताने में उपयोगी होगी। याचिका पर आपके हस्ताक्षर करने से इसका महत्व बढ़ाएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इन हस्ताक्षरों पर ध्यान देंगे और सबसे अच्छी बात कि इसमें आपका 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। **अथवा/और** 1.ऐसी किसी भी याचिका, जो जनता की आवाज पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कानून की मांग करती हो अथवा किसी भी ऐसे अन्य कानून के पारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का प्रचार करें जिससे, आप समझते हैं कि गरीबी से होने वाली मौतें और पुलिस में भ्रष्टाचार कुछ ही महीनों में कम हो जाएगा। 2. किसी ऐसी पार्टी के समुदाय में शामिल हो जाएं जो उस कानून के ड्राफ्ट का समर्थन करती हो, जो आप समझते हैं, कि गरीबी से होने वाली मौतें और पुलिस में भ्रष्टाचार कुछ ही समय में कम कर सकती है। **अथवा/और** आप, जनता की आवाज पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कानून की मांग करने वाली अपनी याचिका लिखिए ।	10 मिनट(एक बार)		

	<u>सेट – 1 का कार्यकलाप (एक से चार घंटे प्रति/हरेक सप्ताह) (मतदाताओं के लिए)</u>	अनुमानित लगने वाला समय	कदम उठाए? हां/ नहीं	कदम उठाए? कब/ तिथि
	यदि आप नहीं जानते कि कैसे इंटरनेट का उपयोग किया जाता है तो , कृपया अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार से कहिए कि - 1. आपके लिए एक ई-मेल आई डी बना दें | 2. www.forum.righttorecall.info पर आपका अकाउंट बना दें | 3. आपके लिए एक ट्विटर एकाउन्ट बना दें | 4. उपर्युक्त जनता की आवाज पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली याचिका पर हस्ताक्षर करें |	30 मिनिट (एक बार)		
1.5	**<u>दूसरा सबसे जरूरी-</u>** **1000 पर्चे भेजना मतदाताओं को मतदाता सूची से , हर महीने या हर साल-** मैं, कार्यकर्ता से विनती करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से बात कर के सेटिंग कर ले , जिसके पास छोटी पत्रिका है और अपनी `प्रजा अधीन-राजा`पत्रिका शुरू करे| 32 पन्नों के पत्रिका के हज़ार कॉपियां की कीमत लगबग रु. 3 होगी अखबारी कागज़ पर और रु.6 अच्छे कागज पर | और मतदाताओं को बांटने का खर्चा 25 पैसा आएगा , क्योंकि यदि पत्रिका पंजीकृत है , तो डाक विबघ 25 पैसे में पहुंचा देता है | ये चरण महँगा है और सभी के लिए नहीं है, केवल उन्ही के लिए है जो रु. 1000 हर महीने खर्च कर सकते हैं| यदि पत्रिका पंजीकृत/रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तो कार्यकर्ताओं को हाथ से बांटना होगा अपने आस-पास |	10 घंटे		
	फोरम,फेसबुक,ऑर्कूट और गूगल समूहों में एक “उपयुक्त” प्रोफाइल बनाएं जिसके साथ `Prajaa Adhin Rajaa` या `Right to recall` जुड़ा हो । ये अंग्रेजी में होना चाहिए, भारतीय भाषाओँ में नहीं ,क्योंकि इन्टरनेट पर ढूँढना (सर्च) भारतीय भाषाओँ में अभी संभव नहीं है | 1)			

1.6 *****	प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) फोरम (www.forum.rigttorecall.info) और फेसबुक कम्युनिटी(www.facebook.com/rightorecall) में शामिल हो जाएं 2) http://www.righttorecall.info के लिए सूची "**फॉलो द ब्लॉग**" में अपने/स्वयं को शामिल करें। 3) http://www.orkut.co.in/Main#Community?cmm=21780619 पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) **आर्कूट समुदाय** में शामिल हो जाएं। 4) http://groups.google.com/group/RightToRecall पर **गूगल समूह** में शामिल हो जाएं। *यह मुझे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) कानून लाने में/लागू करवाने में कैसे मदद करेगा?:* आप (इंटरनेट पर) पोस्ट किए गए लेख का ई-मेल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और हां जैसे-जैसे इस समुदाय में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, मेरे लिए जागरूक/चिंता करने वाले नागरिकों की विशाल संख्या को आकर्षित करना आसान होता जाएगा। **अथवा/और** **किसी फोरम,ब्लॉग,गुगल,ऑरकुट समूह** में शामिल हो जाएं , जो प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) को समर्थन देते हैं । किसी फेसबुक समुदाय/कम्युनिटी में शामिल हो जाएं। किसी ऐसे व्यक्ति के ब्लॉग का अनुसरण करें जो प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों के लिए प्रचार अभियान चला रहा हो और जिसने प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) को बढ़ावा देने के लिए कम से कम एक विज्ञापन किसी बड़े अखबार में दिया हो अथवा जिसने कम से कम 50,000 प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) की पर्चियां/पैम्फलेट बांटी हो	30 मिनिट हर हफता		

	अथवा/और एक **अपना ऐसा फोरम,ब्लॉग,ऑर्कूट या गूगल या फेसबुक समुदाय बनाएं** जो प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), और पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (अथवा कोई ऐसा क़ानून-ड्राफ्ट जो गरीबी से होने वाली मौतें और पुलिस में भ्रष्टाचार को तेजी से कम कर सके) का समर्थन करता हो और कम से कम 1000 लोगों को उस समुदाय में शामिल होने को कहें। ----- **(क) अपने राज्य के प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (राज्य) समूह में शामिल** हो जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो प्रजा अधीन राजा (उत्तर प्रदेश) समुदाय में शामिल हो जाएं। http://www.orkut.com.in/main#community?cmm=90266403 यदि आपके राज्य के लिए कोई प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (उत्तर प्रदेश) समुदाय नहीं है तो आप खुद/स्वयं ही एक ऐसा समुदाय प्रारंभ करें। **(ख)** कृपया **अपने जिले/शहर के ऑर्कूट, फेसबुक आदि पर `प्रजा अधीन-राजा समूह` में शामिल हो जाएं।** यदि ऐसा समुदाय आपके जिले/शहर में नहीं है तो कृपया एक समुदाय प्रारंभ करें/बनाएं और ऑर्कूट पर इसका प्रचार करें। कृपया यह पक्का करें कि जिला समुदाय का हर सदस्य राज्य व राष्ट्रीय समुदाय का भी सदस्य हो।			
1.7	**बगीचा/बाग बैठक -** **हर महीने एक बैठक करें।** कृपया अपने **तहसील/वार्ड के प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह में शामिल** हो जाएं। यदि ऐसा समुदाय आपके तहसील/वार्ड में नहीं है तो कृपया एक समुदाय प्रारंभ करें/बनाएं और ऑर्कूट पर इसका प्रचार करें। कृपया यह सुनिश्चित/पक्का करें कि जिला समुदाय का हर सदस्य राज्य व राष्ट्रीय समुदाय का भी सदस्य हो।	1 घंटे हर महीने		

	सेट – 1 का कार्यकलाप (एक से चार घंटे प्रति/हरेक सप्ताह) (मतदाताओं के लिए)	अनुमानित लगने वाला समय	कदम उठाए? हां/ नहीं	कदम उठाए? कब/ तिथि
1.8	**राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल/समन्वय बनाने के लिए ट्विटर/फेसबुक/ऑर्कूट का अनुसरण/फॉलो करें** कृपया। और जिला/शहर के प्रमुखों के **ट्विटर एकाउन्ट** का अनुसरण करें। और अपने वार्ड/तहसील व शहर के कम से कम दो सहयोगियों और पड़ोस के वार्ड/तहसील व जिला/शहर के दो सहयोगियों का अनुसरण करें। कुल मिलाकर, एक व्यक्ति को एक संचार नेटवर्क कायम करने के लिए लगभग 10 एकाउन्ट को फॉलो/अनुसरण करना चाहिए। **अथवा/और** किसी राष्ट्रीय/राज्य स्तर के ऐसे व्यक्ति के एकाउन्ट का अनुसरण करें जिसने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों को बढ़ावा देने के लिए खुद/स्वयं को समर्पित कर दिया हो। **अथवा/और** यदि आप यह समझते हैं कि इनमें से कोई भी फॉलो/ अनुसरण करने लायक नहीं है तो कृपया आप स्वयं प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों के प्रचारक की भूमिका निभाएं और 1000 लोगों को आप अपने ट्विटर का अनुसरण करने के लिए कहें।	20 मिनट		
1.9	**इन्टरनेट द्वारा राजनैतिक पार्टियों या गैर सरकारी संगठनों के कम से कम 5 समुदायों से जुड़ें।** ये समूह ऑर्कूट अथवा फेसबुक अथवा किसी सामुदायिक साईट पर हो सकते हैं। आपको किस समूह से जुड़ना चाहिए? किसी भी ऐसे समूह से जुड़िए जिसमें आप समझते हैं कि, ऐसे सदस्य हैं जो राजनीति में रूचि रखते हैं।	20 मिनट		

1.10	· **`प्रजा अधीन-राजा के विडियो देखें -** सी.डी /यू-ट्यूब देखें `प्रजा अधीन-राजा` के सम्बंधित और दूसरों को भी देखाएं | हर हफते एक विडियो देखें , एक विषय पर जो `प्रजा अधीन-राजा` कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव किया /सुझाया गया है | ऐसे सभी कार्यकर्ताओं जिन्होंने **प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल** (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के विडियो अपलोड किए हैं/कम्प्युटर द्वारा इंटरनेट पर डाले हैं, उनके **यू-ट्यूब चैनलों का अनुसरण करें** ताकि प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समूह से संबंधित विडियो आपको मिल जाएं। **अथवा/और** किसी ऐसे व्यक्ति के यू-ट्यूब एकाउन्ट का अनुसरण करें जो, आप समझते हैं कि, भारत में प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों के ड्राफ्टों को लाने के लिए समर्पित हो। कृपया (अनुसरण करने) का निर्णय उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित कानूनों के प्रारूपों को पढ़ने के बाद ही करें।	30 मिनट हर हफते		
1.11	**चुनार प्रचार में पर्चे बांटना -** यदि चुनाव चल रहे हैं, तो कृपया पता लगाएं आप के इलाके/क्षेत्र में या पास के इलाके में , कौन सा उम्मीदवार खड़ा है , जिसने `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट अपने घोषणा-पत्र में डाला है और उस का प्रचार भी किया है | इन्टरनेट के जरिये या किसी कार्यकर्ता से उसके पर्चे लेकर 10-20-1000 पर्चे बांटें, आपकी इच्छा अनुसार | **अथवा** यदि उम्मीदवार आप के घर से बहुत दूर है, को कृपया इन्टरनेट से मतदाता-सूची डाउनलोड करें और 10-20 या अधिक , आपकी इच्छा अनुसार उसके चुनाव-क्षेत्र के मतदाताओं को भेजें |			

1.12	**`एस.एम एस से `प्रजा अधीन-राजा ` के प्रचार भेजना-** पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), राईट टू रिकाल/जूरी सिस्टम(नागरिकों द्वारा भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने के अधिकार) नागरिक और सेना के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी) (एम.आर सी एम.) आदि के बारें में **एस.एम.एस** भेजें |	एक घंटा हर महीना		
	<u>सेट – 1 का कार्यकलाप (एक से चार घंटे प्रति/हरेक सप्ताह)</u> <u>(मतदाताओं के लिए)</u>	अनुमानित लगने वाला समय	कदम उठाए? हां/ नहीं	कदम उठाए? कब/ तिथि
1.13 से 1.20	**अभी जोड़ना बाकी है |**			
1.21	**प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को एक पत्र** लिखें जिसमें आप उन्हें `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें। इस पत्र में केवल एक लाइन/पंक्ति ही लिखें जो काफी होगा : " यदि आप संतुष्ट हैं या जब भी आप संतुष्ट हों कि भारत की 37 करोड़ नागरिक मतदाता http://petitiononline.c.com/rti2en/ अथवा http://righttorecall.info/002.pdf पर दी गई सरकारी अधिसूचना(आदेश) का समर्थन करते हैं तो आप कृपया उस अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर कर दें।" यदि संभव हो तो अपने पत्र के साथ अपने मतदाता पहचान पत्र की फोटोकॉपी प्रति संलग्न कर दें। **<u>ऐसा करने का उद्देश्य/मकसद :</u>** प्रधानमंत्री और उनके स्टॉफ एक पत्र पर ध्यान नहीं देंगे लेकिन एक ही विषय पर लिखे गए सैकड़ों पत्र पर अवश्य ध्यान देंगे। **अथवा/और** किसी ऐसी याचिका पर हस्ताक्षर करें जिसमें, आप समझते हैं कि, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) तथा `जनता की आवाज` कानूनों की मांग की जा रही हो और	एक घंटा(एक बार)		

	प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजें जिसमें उनसे कहें कि वे प्रस्तावित कानून को पारित/पास कर दें/करवा दें। **अथवा/और** आप अपनी याचिका स्वयं लिखिए और उसमें `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली अथवा प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों की मांग करें अथवा वैसे कानूनों की मांग करें जिसे, आप समझते हैं कि वह `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के ही समान है अथवा या उससे भी बेहतर/अच्छा है और कम से कम 1000 लोगों को उन याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें और फिर पत्र प्रधानमंत्री को भेज दें।			
1.22	**स्थानीय सांसद, विधायक,पार्षद,महापौर(मेयर),पंचायत के सदस्य को एक पत्र भेजें** - जिसमें आप उन्हें प्रधानमंत्री को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कानून पर हस्ताक्षर करवाने के लिए कहें। इस पत्र में केवल एक लाइन/पंक्ति ही लिखें और कुछ नहीं : " जब आप संतुष्ट हो जाएं कि आपके क्षेत्र के नागरिक मतदातों के स्पष्ट बहुमत http://petitiononline.c.com/rti2en/ अथवा http://righttorecall.info/002.pdf पर प्रस्तावित सरकारी अधिसूचना(आदेश) को चाहते हैं तो आप कृपया उस अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री से कहें।" **<u>अथवा/और</u>** **किसी ऐसी याचिका पर हस्ताक्षर** करें जिसमें, आप समझते हैं कि प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) तथा `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कानूनों की मांग की जा रही हो और सांसद को एक पत्र भेजें जिसमें उनसे कहें कि वे प्रस्तावित कानून को पारित/पास कर दें/करवा दें। **<u>अथवा/और</u>** आप **अपनी याचिका स्वयं** लिखिए और उसमें `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव	दो घंटे (एक बार)		

	प्रणाली(सिस्टम) अथवा प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों की मांग करें अथवा वैसे कानूनों की मांग करें जिसे, आप समझते हैं कि वह ` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)`, प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के ही समान है अथवा या उससे भी अच्छा है और कम से कम 1000 लोगों को उन याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें और फिर वह पत्र सांसद को भेज दें। सांसद,विधायक आदि को पूछें कि वो `प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री/राईट टू रिकाल-प्रधानमंत्री`,`प्रजा अधीन-सांसद`,`प्रजा अधीन-विधायक` आदि को अभी , **तुरंत** लाने के लिए क्या कर रहे हैं ? उनसे पूछें ,कि “वे ये क़ानून क्यों नहीं लाते ,क्योंकि वो रिश्वत नहीं ले पायेंगे ?” सांसदों, विधायकों आदि जो, अभी सत्ता में को बेईजात और डराने वाले तरीके में कहना और लिखना चाहिए क्योंकि जो पद पर बैठा व्यक्ति `नागरिकों द्वारा भ्रष्ट को बदलने का अधिकार` का विरोध कर रहा है, उसे नागरिकों को बेइज्जत करने का अधिकार है |			
1.23	**स्थानीय सत्तारूढ़ दल और प्रमुख दलों के सदस्यों** को `जनता की आवाज`और अन्य `प्रजा अधीन-राजा`समूह द्वारा प्रस्तावित जन-हित के क़ानून कानून का प्रिंटआउट/कम्प्युटर से प्रिंट लेकर दें और उनसे कहें कि वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से `जनता की आवाज` कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें और उनके विधायक ,सांसद को ये क़ानून **तुरंत** लाने के लिए कहें । सभी जमीनी कार्यर्ताओं से अच्छे से बोलें |	दो घंटे हर महीने		
1.24	**प्रत्येक उस समाचार पत्र, पत्रिका,टी.वी के चैनल को पत्र लिखें, ई-मेल भेजें और फोन करें,** जिन्हें आप देखते हैं, उनसे कहें कि वे `जनता की आवाज` कानून, `प्रजा अधीन राजा` (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों और `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी` कानूनों और जूरी प्रणाली अथवा कोई ऐसा क़ानून-ड्राफ्ट जिसे आप समझते हैं कि वह पुलिसवालों, जजों में भ्रष्टाचार कम कर सकता है, इनके विषय में छापें। उन्हें हमारी वेबसाइट से लेख लेकर छापने को	एक घंटा हर महीने		

	कहें या हमारा अथवा किसी प्रजा अधीन राजा समूह का साक्षात्कार/इंटरवियू लेने के लिए कहें।			
1.25	**गैर सरकारी संगठनों की बैठकों** में भाग ,जितना संभव हो सके उतनी अधिक से अधिक लें और उनसे पूछे कि क्यों वे `जनता की आवाज` का समर्थन नहीं करते। प्रत्येक बुद्धिजीवी से पूछें कि वे `जनता की आवाज` **तुरंत** लाने का समर्थन करते हैं या विरोध?	दो घंटे हर महीने		

सेट 1 की उपर्युक्त सूची में दिए गए कार्य को करने में ज्यादा से ज्यादा आपके हर हफ्ते चार घंटे लगेंगे। और यदि आप चाहें तो आप इस समय को अलग अलग दिनों में बांटकर भी कर सकते हैं।

(13.6) पोस्ट-कार्ड, इनलैंड (अंतर्देशीय) जैसी छोटी चीज भेजनी क्यों जरूरी है?

पोस्ट-कार्ड जैसी छोटी चीज भेजना क्यों जरूरी है ? `प्रजा अधीन-राजा/राईट-टू-रिकाल` को कभी भी मीडिया(अखबार, टी.वी चैनल) का समर्थन नहीं मिलेगा और इसीलिए `प्रजा अधीन-राजा` के कार्यकर्ताओं को अपना **`बड़े पैमाने पर मीडिया`**(मास-मीडिया) जो नागरिकों को जानकारी देता है `प्रजा अधीन-राजा` क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में और ऐसा मीडिया का `ऊपर किसी का शाशन/नियंत्रण`(केन्द्रिकित नियंत्रण) नहीं होना चाहिए |

इसके अलावा, “मतदाताओं को पोस्टकार्ड/इनलैंड (अंतर्देशीय)” अभियान, हज़ारों बिना सम्बन्ध के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जा सकता है बिना कोई ऊपरी शाशन/नियंत्रण के | ऊपरी नियंत्रण/शाशन को भूल जायें , मैं शून्य नियंत्रण/शाशन चाहता हूँ–यानी हर एक व्यक्ति , जो अपना समय और पैसा देता है अपने ऊपर पूरा नियंत्रण/शाशन होना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति को शाशन/नियंत्रण नहीं होना चाहिए | इसीलिए “ मतदातों को पोस्टकार्ड/इनलैंड (अंतर्देशीय)” अभियान सबसे अच्छा है |

ये पोस्ट-कार्ड का खर्चा 50 पैसा आएगा और किसी द्वारा लिखवाते हैं , तो 75 पैसे और लगेंगे | इनलैंड (अंतर्देशीय) रु.2.5(ढाई रुपये) लगेंगे और 50 पैसे छापने, लिखने,पता लिकने और मोड़ने के लिए लगेंगे | इनलैं का फायदा ये है कि कम समय लगेगा क्योंकि इसे छाप सकते हैं|

यदि आप किसी के द्वारा पोस्ट-कार्ड लिखवाते हैं, तो उसे संभालने के लिए थोडा समय लगेगा जबकि इनलैंड (अंतर्देशीय) प्रिंटर द्वारा छापे जा सकते हैं |

पोस्टकार्ड (और इनलैंड) सबसे अच्छा तरीका हैं , नीचे के 95% लोगों तक पहुँचने का |

और **ये केवल जरूरी नहीं है कि केवल भारत के निचले 95% लोग ये जानें, कि `भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार`(राईट टू रिकाल/प्रजा अधीन राजा) क्या है , बल्कि ये ज्यादातर लोगों को साफ हो जाना चाहिए कि दूसरे अधिकतर लोग भी इसके बारे में जानते हैं |** और ये भी साफ़ हो जाना चाहिए कि प्रधानमन्त्री, मुख्यमंत्री, विषयक,सांसद, अधिकतर बुद्धिजीवी `प्रजा अधीन-राजा` का विरोध कर रहे हैं| इसी को मैं **माहौल** बनाना बोलता हूँ|

माहौल बनने के लिए वैसे तो ,बहुत बड़ा अभियान चलाना होता है, समाचार पत्र, टी.वी और पत्रिका के प्रचार और बिकी हुई समाचारों(पैड समाचार) द्वारा | लेकिन जो टी.वी चैनल और समाचार-पत्र के प्रायोजक हैं, वे कभी भी `प्रजा अधीन-राजा`(भ्रष्ट को आम नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) और इसीलिए कार्यकर्ताओं को ये काम बिना मीडिया (अखबार,टी.वी, आदि) द्वारा ही करना होगा | इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कार्यकर्ता पोस्टकार्ड या इनलैंड (अंतर्देशीय) डालें नागरिकों को , जो अपने आप में एक मीडिया बन जाये |

मैं सभी `प्रजा अधीन-राजा`(भ्रष्ट को आम नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार)` को विनती करता हूँ कि मीडिया वालों को कहें `प्रजा अधीन-राजा`पर जानकारी को उनके समाचार-पत्रों,पत्रिकाएं, टी.वी चैनलों में डालें /छापें |

मैं सभी `प्रजा अधीन-राजा` कार्यकर्ताओं को इसीलिए मीडिया वाले (अखबार,टी.वी चैनल आदि) को कहने के लिए विनती कर रहा हूँ, क्योंकि इससे वे देख सकते हैं कि मीडिया वाले `प्रजा अधीन-राजा` के प्रसतावों के कितने खिलाफ हैं | क्यों खिलाफ हैं मीडिया वाले इन प्रस्तावों के खिलाफ ? क्योंकि एक प्रस्ताव `प्रजा अधीन-दूरदर्शन अध्यक्ष` है | जब वो आ जायेगा , तो दूरदर्शन सुधरेगा और समाचारों को छुपाने/मोड़ने की मीडिया की क्षमता/ताकत कम हो जायेगी और मीडिया वालों की नाजायज आमदनी कम हो जायेगी | इसीलिए , मीडिया वाले (अखबार, टी.वी. चैनल आदि) कभी भी `प्रजा अधीन-राजा (भ्रष्ट को आम नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे |

ये तो दुःख की बात है, कि मीडिया वाले(अखबार,टी.वी वाले आदि) कभी भी `प्रजा अधीन-राजा`(भ्रष्ट को आम नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) के क़ानून-ड्राफ्ट का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन एक आशा की किरण है कि शायद एक ऐसा रास्ता है कि `प्रजा अधीन-राजा` के ड्राफ्टों के आंदोलन बिना मीडिया के समर्थन के किया जा सकता है | और वो रास्ता " मतदाताओं को पोस्ट-कार्ड/इनलैंड (अंतर्देशीय) " अभियान है | यदि 2 लाख कार्यकर्ता हर महीने 100 पोस्ट कार्ड या इनलैंड (अंतर्देशीय) या पत्रिकाएं भेज रहे हैं, तो एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को जानकारी मिलेगी कि `भारतीय राजपत्र` क्या ही, प्रस्तावित `प्रजा अधीन-राजा`(भ्रस्त को आम नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) के सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) क्या हैं , `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)`सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) के क़ानून-ड्राफ्ट क्या हैं, आदि | ये सारे मीडिया (अखबारों, टी.वी चैनल आदि) को मिलाकर भी ज्यादा ताकतवर अभियान है | ये काफी होगा , 6 महीनों में एक आंदोलन खड़ा करने के लिए , जो प्रधानमन्त्री, मुख्यमंत्री को मजबूर कर देगा ये जनहित के क़ानून-ड्राफ्ट भारतीय राजपत्र में डालने/छापने के लिए| लेकिन यदि करोड़ों नागरिकों को कोई भी जानकारी नहीं है कि भारतीय राजपत्र क्या है, और प्रस्तावित `प्रजा अधीन-राजा` के सरकारी अधिसूचनाएं(आदेश) क्या हैं, तो कोई भी आंदोलन कभी नहीं होगा | इसीलिए पोस्ट-कार्ड/इनलैंड (अंतर्देशीय) बहुत जरूरी हैं ये आंदोलन के लिए |

(13.7) ये कदम कैसे मदद करते हैं- इन्टरनेट के द्वारा प्रचार

अभी, आजकल (मई 2011) संगठनों की एक नयी नसल है जो ज्यादा पैसे नहीं इकट्ठा करते जैसे `इंडिया अगेंस्ट कर्रप्शन` | लेकिन उनके प्रायोजक विदेशी कंपनियों हैं , और इसीलिए विदेशी/बहू-राष्ट्रीय कम्पनियाँ हाजारों करोड़ देती हैं, मीडिया (अखबार/समाचार-पत्र) को , प्रचार

करने के लिए | लेकिन राईट टू-रिकाल /`प्रजा अधीन-प्रजा ` आंदोलन के लिए विदेशी कंपनियों या मीडिया के कभी भी प्रायोजक नहीं बनेंगे | इसीलिए हम उनके नमूना/मॉडल की नक़ल नहीं कर सकते |

एक अनुमान यह है कि भारत में लगभग 6 करोड़ लोगों के पास उनके घर के व्यक्तिगत कम्प्युटर/पीसी या कार्यालय के व्यक्तिगत कम्प्युटर/पीसी या कॉलेज के व्यक्तिगत कम्प्युटर/पीसी के जरिए ब्राडबैंड उपलब्ध है। इन 6 करोड़ लोगों में से, लगभग 15 लाख से 20 लाख लोग पुलिस व न्यायालय में भ्रष्टाचार कम करने में रूचि रखते हैं, वे गरीबी कम करने के भी इच्छुक हैं और कुछ हद तक वे हर सप्ताह 1-2 घंटे या इससे अधिक समय देना भी चाहते हैं। बाकी लोग इसमें बिलकुल भी रूचि नहीं लेंगे और ज्यादा से ज्यादा वे यही करेंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जिन्हें वे समझते हैं कि वह गरीबी कम कर देगा। लेकिन वे इस कार्य/मिशन के लिए हर सप्ताह एक घंटा समय देना नहीं चाहते । इसलिए आन्दोलन पैदा करने के लिए हमें इन 15 लाख लोगों का समर्थन प्राप्त करने पर निर्भर रहना होगा।

इन 15 लाख नागरिकों के बीच कुछेक संचार समूह बनाने/स्थापित करने का लक्ष्य है। मैं इन लोगों को संगठित करने की जरूरत नहीं समझता। मेरे विचार से, संचार समूह बनाना ही काफी है। हमें किसी संगठन की जरूरत नहीं है। संगठन संचार संगठन से अलग प्रकार का होता है और इस बात को मैं बाद में विस्तार से बताउंगा। इसलिए किसी संचार समूह की स्थापना करना और उसमें रहकर काम करने के लिए कार्य इस प्रकार हैं – समूहों को बनाना या उनकी (इंटरनेट पर) खोज करना, इन संचार समूहों में शामिल हो जाना, उस संचार समूह के संदेशों को पढ़ना, यदि समय हो तो मैसेज लिखना, लिखे संदेशों को समूह के बीच या समूह से बाहर के लोगों तक भेजना/अग्रेषित करना और गरीबी, भ्रष्टाचार कम करने में रूचि रखने वाले लोगों की खोज करके उन्हें संचार समूह में शामिल होने के लिए कहना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस संचार समूह से हट जाना/सम्पर्क तोड़ लेना जिसके मुखिया/प्रमुख लोग भ्रष्टाचार और गरीबी कम करनेमें रूचि नहीं रखते।

उपर दिए गए काम/मिशन में इंटरनेट समुदाय से जुड़ने का ही काम है। **मैं आपलोगों से इंटरनेट समुदाय से जुड़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ?** इसका उद्देश्य इंटरनेट पर अनेक प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के बड़े-बड़े समर्थक समूहों का निर्माण करना है ताकि बिना खर्च के समुदाय गठित करना /बनाना संभव हो सके। प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) तथा नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) जैसी नैतिक और उपयुक्त मांग के लिए किन्हीं बड़े दिखावों/शो की जरूरत नहीं है लेकिन **इसके लिए बहुत अधिक संचार/सम्पर्क की जरूरत अवश्य है।**

और संपर्क स्थापित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मीडिया-मालिक प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के प्रारूपों को संचारित करने/बताने/इनका प्रचार पर अपने पैसे खर्च नहीं करेंगे और इसलिए प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का समर्थन करने वाले लोगों के पास कड़ी मेहनत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच जाता। इसलिए, हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के प्रारूपों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं।

(13.8) ये कदम कैसे मदद करते हैं- बिना इन्टरनेट के प्रचार

भारत में केवल 5% लोगों के पास ही इन्टरनेट है | अब, शेष 95 प्रतिशत लोगों (तक सन्देश पहुंचाने) के लिए क्या करें जिनके पास (इंटर)नेट नहीं है? इंटरनेट की सुविधा वाले 5 प्रतिशत लोगों में से कुछ लोग ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे/ज्यादा काम करेंगे और इन सूचनाओं/जानकारियों को स्वयं बातचीत द्वारा बताकर अथवा पर्चियों/पम्फलेटों के माध्यम से शेष 95 प्रतिशत लोगों तक पहुंचाएंगे।

और **जिन लोगों के पास इन्टरनेट नहीं है, वो बुक पोस्ट/पुस्तक डाक , पोस्ट कार्ड और इन-लैंड .एस.एम.एस,पर्चे द्वारा भी अपने जिले के मतदाताओं तक पहुंचा सकते हैं | आपकी जिले कि मतदाताओं की सूची आपके स्थानीय किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल जायेगी या इन्टरनेट से भी मिल सकती है | और गरीब व्यक्ति भी पोस्ट-कार्ड लिख कर प्रचार में भाग ले सकता है|**

सबसे जरुरी कदम **नागरिकों को पोस्टकार्ड या इनलैंड** (अंतर्देशीय) है , जो क्रम-रहित(बिना लाइन के) तरीके से मतदाता लिस्ट/सूची से लिए गए हों|

यदि 2,00,000 (दो लाख) कार्यकर्ता हर महीने 100 पोस्टकार्ड भेजते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि 2 करोड़ परिवारों को एक पोस्टकार्ड हर महीने मिलेगा और इसका खर्चा केवल रु.50 है हर महीने और इसमें 4 घंटे हर महीने खर्च किया गया | या फिर 2 लाख कार्यकर्ताओं, हर महीने यदि 20 इनलैंड (अंतर्देशीय) भेज रहे हैं, तो 40 लाख लोगों को एक इनलैंड (अंतर्देशीय) मिलेगा और इसका खर्च केवल रु.50 है हर महीने और इसमें हर महीने 4 घंटे लगेंगे |

उसका अगला कदम , **समाचार पत्र में प्रचार** करना है | पहले पन्ने पर 2 कॉलम * 25 सेंटीमीटर (एक पन्ने का आठवाँ हिस्सा)(2 कॉलम= 9.5 सेंटीमीटर) का प्रचार , एक गैर-अंग्रेजी समाचार-पत्र में, के लिए 2 लाख रुपये खर्च होंगे और ये प्रचार एक से तीन लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए काफी होगा | यदि हमारे पास भारत में 20,000 कार्यकर्ता हैं , जो हर महीने 1000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं,5000 कार्यकर्ता जो हर महीने 2000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं, 500 कार्यकर्ता जो हर महीने 5000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं और 500 लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं | यदि कार्यकर्ता अपने पैसे का आधा हिस्सा समाचार पत्र के लिए दें और कुछ कार्यकर्ता ,कुछ महीनों के लिए पैसे इकठ्ठा करें , तब हर साल हम, हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए , 4-5 समाचार-पत्र के विज्ञापन/प्रचार दे सकते हैं | (क्योंकि कई प्रचार एक से अधिक लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए काम करेंगे)

और एक 16 पन्नों का **पर्चा** के लिए 3 रुपये खर्चा आएगा , बांटने के खर्च को मिलाकर/समेत ,तो हर महीने 30,000 रुपये के साथ हम 10,000 पर्चे एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बाँट सकते हैं | इस तरह, कुछ 50 कार्यकर्ता हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में यदि `प्रजा अधीन-राजा ` के क़ानून-ड्राफ्ट का प्रचार करते हैं , तो एक साल में सभी लोगों तक ये जनहित के क़ानून-ड्राफ्ट पहुँच सकते हैं और `प्रजा-अधीन रजा` के कार्यकर्ता 2-5% वोट हर पंचायत, पार्षद, विधायक और सांसद के पद के लिए पक्का कर सकते हैं | ये काफी होगा `प्रजा अधीन-प्रधानमन्त्री`,`प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री` आदि को भारतीय राजपत्र में लाने के लिए | नए व्यक्ति

को जानकारी के लिए कम पन्नों (2,4,8) पन्नों के पर्चे दिए जा सकते हैं, शुरू में और बाद में , अधिक पन्नों के पर्चे दिए जा सकते हैं |

तो जो काम मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ ,वो छोटे हैं लेकिन आपस में पूरी तरह से जुड़ते हैं | यदि हर कार्यकर्ता सोचता है कि वो अकेला ये काम नहीं कर पायेगा , तो वो ये काम नहीं करेगा | लेकिन यदि कार्यकर्ता को विश्वास है ,कि इस काम में 2 लाख अपरिचित/अनजान कार्यकर्ताओं जुड जाएँगे, जो इस अध्याय के भाग-13.5 में दिए गए कदम के अनुसार काम करेंगे , तो `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट 2-3 सालों से कम में आ जाएँगे |

(13.9) दान और सदस्यता-शुल्क जमा करने के बिना प्रचार के खर्चे कैसे पूरे होंगे और बिना संगठन के ,प्रचार कैसे होगा

अब क्या हमें एक संचार समूह चलाने के लिए पैसे की जरूरत है? व्यावहारिक ज्ञान यह कहता है कि हमें हर काम के लिए पैसे की जरूरत होती है | फिर, क्या अंतर/फर्क है `प्रजा अधीन-राजा और अन्य संस्थाओं में , जो पैसे इकठ्ठा करते हैं ?

देखिये, दूसरे संस्थाओं में, कार्यकर्ताओं को पैसे संगठन के सबसे ऊपर के लोगों को भेजना होता है और ये उम्मीद/आशा करना होता है कि ऊपर के लोग और बीच के स्तर के लोग ये पैसा नहीं खायेंगे |

सबसे ऊपर के लोग के पास कारण है पैसा नहीं खाने के लिए - नाम/ख्याति जो एक दिन सत्ता/पद में बदल जायेगा | लेकिन बीच के लोगों के पास कोई नाम बनाने का अवसर नहीं होता और , जो थोडा बहुत नाम उनको मिलता है, उससे उनको पद नहीं मिलेगा | इसीलिए ,बीच के लोगों से ये उम्मीद करना कि वो पैसे नहीं खायेंगे, बहुत ज्यादा उम्मीद करना है |

जबकि `प्रजा अधीन-रजा` के नमूने में , कार्यकर्ता **सीधे** ही सभी पैसे खर्च करते हैं ,और एक भी पैसा किसी `प्रजा अधीन-रजा` के दफ्तर या पद-अधिकारी को नहीं देते हैं | इसीलिए कभी भी पैसा खान संभव नहीं है ,उदाहरण से `प्रजा अधीन-रजा` के कार्यकर्ता यदि इन्टरनेट पर प्रचार कर रहे हैं, तो वो पहले से ही इन्टरनेट की कंपनी को पैसे शुल्क के रूप में दे रहे हैं | और वो कोई भी पैसा किसी ऊपर के दफ्तर या व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, जो इन्टरनेट पर प्रचार कर रहा है, जिससे दुरुपयोग/गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता | इसी तरह , जिन कार्यकर्ताओं को समाचार-पत्र के प्रचार देने हैं, वो भी प्रचार/विज्ञापन खुद देंगे और कोई भी ऊपर के दफ्तर/संगठन द्वारा पैसा इकठ्ठा करना नहीं होगा |

अब मैं यह बताने जा रहा हूँ कि इस कार्य के लिए संगठन की जरूरत नहीं है और संगठन बनाकर काम करना केवल समय की बरबादी के सिवाय कुछ भी नहीं है। संगठन एक ऐसा समूह होता है जिसमें छोटे- बड़े अधिकारी होते हैं और इसकी सम्पत्ति होती है। पदधारक समूह के लोगों में छोटे लोगों को अपने से उपर के अधिकारी को अपने कार्य की जानकारी देनी होती है/रिपोर्ट करना होता है जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और इसलिए जो सदस्य इस परंपरा का पालन नहीं करते उन्हें अकसर निकाल दिया जाता है या कम से कम उन्हें पदोन्नति तो नहीं ही दी जाती है । संगठन में केवल "किए जाने वाले कार्यों" की ही सूची नहीं बनाई जाती बल्कि "न किए जा सकने वाले कार्यों" की भी सूची बनाई जाती है जिससे सदस्यों की क्षमता कम होती है। संगठन बदलाव लाने और फेरबदल के कामों के विरूद्ध भी हो सकती है।

संगठन के लिए सम्पत्ति और बहुत अधिक धन की जरूरत पड़ती है और यह फंड सदस्यता शुल्क अथवा इससे भी खराब यह कि चन्दा/ दान लेकर जमा की जाती है। सदस्यता शुल्क में अधिकांश मामलों में कमी आ जाती है। और इसलिए संगठन में सदस्यों से दान/चन्दा वसूलने के लिए कहा जाता है। **और फिर वह स्थिति आ जाती है जहां पतन/गिरावट शुरू हो जाती है। और फिर संगठनों के नेताओं को दान देने वालों की शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है।** संदेह न करने वाले सदस्यों को यह सच्चाई बाद में समझ में आती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

यदि कोई व्यक्ति शिक्षण संस्थान, अस्पताल आदि चलाने जैसे कार्य-कलाप करना चाहता है तो इसके लिए धन जमा करना और संगठन बनाना जरूरी होता है। लेकिन राजनैतिक सुधारों के लिए केवल संचार/लोगों को बताने की ही जरूरत पड़ती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्यों? आम तौर पर कोई भी कार्यकलाप जिसके लिए समय और पैसा दोनों चाहिए उस कार्य के लिए संगठन की जरूरत पड़ती है लेकिन यदि कोई ऐसा काम जिसमें समय की जरूरत पड़े, बहुत थोड़े पैसे की जरूरत पड़े उसके लिए संगठन की जरूरत नहीं है। संचार समूह ही काफी है । हमलोगों के पास सरकार नाम की एक संस्था पहले से ही है और हमारा लक्ष्य सरकार में सुधार करना है। सरकार में सुधार करने के लिए हमें प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) जैसे कानून लागू कराने की जरूरत है। प्रजा अधीन-राजा , जूरी, सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) आदि कानूनों को लागू करने के लिए हमें `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली/सिस्टम कानून की जरूरत पड़ेगी अथवा हमें 100-300 संसदीय सीटें जीतने की जरूरत पड़ेगी। चुनाव जीतने का काम विरोधियों की गलतियों पर ज्यादा निर्भर करता है और इसमें **क्लोन-निगेटिव** तरीका होता है जबकि `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली/सिस्टम` के द्वारा अन्य जन हित के क़ानून लाने के लिए विरोधियों की गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती और इसका तरीका **क्लोन-पॉजेटिव** होता है। और `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली जैसा कानून लाने के लिए हमें एक व्यापक आन्दोलन की जरूरत है। और व्यापक आन्दोलन पैदा करने के लिए हमें उन लोगों के बीच संचार की जरूरत पड़ेगी जो `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली अथवा प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), `नागरिक और सेना के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)`, जूरी आदि कानून चाहते हैं। हमें किसी ऐसे संगठन की जरूरत नहीं है जहां लोग शारीरिक और भौतिक कार्य कलापों के लिए आदेश देते हैं और आदेश मानते हैं। संगठन बनाने से केवल मूल्यवान समय और धन की बरबादी के सिवाय और कुछ नहीं होगा।

अब भारत के 110 करोड़ वैसे लोगों के लिए क्या करें जिनके पास इंटरनेट नहीं है? इनमें से कुछ लोगों से सम्पर्क करने के लिए हम एस. एम. एस. का उपयोग कर सकते हैं जो नि:शुल्क है । शेष लोगों के लिए हमें पर्चियों/ पम्फलेटों और समाचार विज्ञापनों , बुक-पोस्ट/पुस्तक डाक, इनलैंड (अंतर्देशीय) और पोस्ट कार्ड की जरूरत पड़ेगी और मतदातों की सूची अपने स्थानीय कार्यकर्ता से प्राप्त कर इन्हें भेज सकते हैं । इसके लिए वे लोग योगदान दे सकते हैं जो प्रजा अधीन-रजा(भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), जूरी व सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) कानूनों के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध हैं लेकिन समाचार पत्रों को सीधे ही भुगतान करें न कि प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह के किसी सदस्य को। ऊपर उल्लिखित कार्य-कलापों के पहले सेट के जरिए एक बड़ा संचार समूह तैयार हो जाता है।

कार्यकलापों के अगले समूह में मीडियाकर्मियों का ध्यान आकर्षित करने के बारे में बताया गया है।

(13.10) कार्यकलापों की सूची / लिस्ट, कारण और वह समय जो इनमें लगेगा: सेट - 2 (कार्यकर्ताओं के लिए)

पहली काम की सूची/लिस्ट में ज्यादातर 4 घंटे हर हफते लगते हैं और 10 से 200 रुपये खर्च करने हैं हर महीने | दूसरे कार्य की लिस्ट/सूची , उन लोगों के लिए है , जो ज्यादा समय/पैसा खर्च करना चाहते हैं | पहली लिस्ट मतदाताओं के लिए है और दूसरी लिस्ट चुनाव-कार्यकर्ताओं के लिए है | ये कदम कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को ढूंढने में भी मदद करेंगे | कोई किसी को भी 4-8 घंटे देश के लिए देने के लिए राजी करने की कोशिश कर सकता है | लेकिन मेरे विचार से , यदि कार्यकर्ता अपना समय उन कार्यक्रतों को ढूंढने में लगाएं जो कि पहले से ही `क` घंटे हर हफते देश के लिए लगा रहे हैं, तो उन्हें `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट को अपने कार्यों में जोड़ने के लिए विनती करनी चाहिए | कार्यकर्ताओं को एक विकल्प(दूसरा रास्ता) जोड़ने के लिए बोलना आसान है, क्योंकि कार्यकर्ता खुद एक विकल्प ढूँढ रहे होते हैं |

सेट – 2 के कार्यकलाप (कार्यकर्ताओं के लिए)
2.1-(30-60 मिनट (एक बार))- प्रजा अधीन राजा (RTR) और `जनता की आवाज़` कानून पर **अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न** – यहाँ से डाउनलोड करें - www.righttorecall.info/004.h.pdf और छाप कर पढ़ें और पढ़ने के लिए बांटें | यदि आपके पास प्रस्तावित नए कानून `जनता की आवाज पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` पर कोई प्रश्न है तो कृपया अपनी चिन्ता/प्रश्न http://forum.righttorecall.info पर डालें या किसी `प्रजा अधीन-राजा` कार्यकर्ता से पूछें
2.2 और कार्यर्ताओं को ढूँढना-30 मिनट (एक बार) **1) राजनैतिक पार्टियों/ गैर सरकारी संगठनों के** समूह/ग्रुप अथवा किन्हीं राजनैतिक समूहों की तरह के **इंटरनेट राजनैतिक समूह के कम से कम 5-10 समुदायों से जुड़ें**। ये समूह ऑर्कूट अथवा फेसबुक अथवा किसी सामुदायिक साईट पर हो सकते हैं। आपको किस समूह से जुड़ना चाहिए? किसी भी ऐसे समूह से जुड़िए जिसमें, आप समझते हैं, कि ऐसे सदस्य हैं जो राजनीति में रूचि रखते हैं।
2.2- (आधा से एक घंटा हर हफता) 2) इन समुदायों में डाले गए/लिखे गए पोस्टों को पढ़ें। देखें कि क्या ये पोस्ट डालने वाले, भ्रष्टाचार और गरीबी को कम करने में रूचि ले सकते हैं। यदि उनमें से कोई ऐसा है तो उसे एक `स्क्रैप(सन्देश)` भेजें जिसमें `जनता की आवाज` के बारे में बताया गया हो। हर सप्ताह 10 लोगों को ऐसे `स्क्रैप(सन्देश)` भेजें। औसतन केवल एक से ही जवाब

मिलेगा।

3) जवाब मिलने पर उन्हें बताऐं कि कैसे `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत प्रणाली आदि कानून भ्रष्टाचार और गरीबी कम कर सकता है।

4) कृपया उसे अपना संगठन छोड़ कर `प्रजा अधीन-राजा समूह` से जुड़ने के लिए ना कहें | हमारे पास कभी भी दफ्तर और आदमी और हजारो कार्यकर्ता रखने के लिए पैसा नहीं होगा | इसके बदले, उसे `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत प्रणाली (सिस्टम) , `प्रजा अधीन-राजा` के अन्य क़ानून-ड्राफ्ट अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में जोड़ने के लिए कहें |

2.3 `प्रजा अधीन-राजा` समूह के बैठकों में जाएँ ,आप के आसपास -(दो घाटे हर महीना)

यदि कोई भी `प्रजा अधीन-राजा` समूह की बैठकें ,आपके क्षेत्र में नहीं हैं ,तो आप खुद `प्रजा अधीन-राजा समूह` की बैठकें अपनी पास के बाघ-बगीचे में करें |

जो विकल्प(दूसरे रास्तों) के लिए ढूँढ रहे हैं, उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि विकल्प हैं | अन्ना के दल से अलग, हमारे कभी भी विदेशी कम्पनियाँ प्रायोजक नहीं बनेंगे, जो नागरिकों को `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में बताएं | इसीलिए बाग-बैठकें सबसे अच्छा और सीधा तरीका है, दूसरों को बताने का कि विकल्प है , जिससे देश की गरीबी और भ्रष्टाचार कम हो सकते हैं |

2.4 बड़े स्तर पर पर्चे बांटना - दस घंटे 1000 पर्चो के लिए

1. पर्चों के `पी.डी.एफ` और `पी.डी.एफ` के दर्पण/मिरर मैं ने अपनी वेबसाइट www.righttorecall.info पर डाल दी है | आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं |

2. फिर, पर्चों के कापियां या ओफ्फ्सेट बनाएँ और 1000-2000 पर्चे अपने क्षेत्र में , बस स्टैंड या अन्य जगह ,पर बांटें या मतदाता-सूची में से क्रम-रहित(बिना लाइन के) तरीके से मतदाताओं को चुनकर भेजें |

3. यदि आपके पास ज्यादा समय है, तो कृपया एक पत्रिका के लिए रेजिस्टर/पंजीकृत करें जिससे आप पर्चे डाक द्वारा 25 पैसे में भेज सकेंगे मतदाताओं को मतदाता सूच/लिस्ट में से क्रम-रहित(बिना लाइन के) तरीके से लेकर |

2.5 समाचार-पत्र का प्रचार-

एक अच्छा समाचार पत्र के प्रचार के लिए ,पहले या दूसरे पन्ने पर, 50,000 रुपये से लेकार दो लाख रुपयों तक खर्च आएगा , किस जगह प्रचार होगा, उस के हिसाब से |

इसीलिए यदि आप फैसला करते हैं कि आप को एक हज़ार रुपये(रु.1000) खर्च करने हैं हर महीने, तो कृपया 10-30 आपके जैसे कार्यकर्ताओं को ढूंढें और हरेक का छह महीने का पैसा इकठ्ठा करें , मतलब हरेक से 6000 रुपये और एक समाचार पत्र में प्रचार , `प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री`, `प्रजा अधीन-जज`, `प्रजा अधीन-लोकपाल`, `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)` आदि पर दें | और फिर अगले छह महीने, कोई भी पैसा नहीं खर्च करें , सिवाय 100 रुपये पोस्ट-कार्ड पर |

समाचार-पत्र के प्रचार जरूरी क्यों हैं ?

इतना ही काफी नहीं है कि करोड़ों नागरिक जाने कि प्रजा अधीन-राजा के क़ानून-ड्राफ्ट क्या हैं ,लेकिन करोड़ों नागरिकों को ये भी मालूम होना चाहिए कि करोड़ों नागरिकों को पहले से ही ये जन-हित के ड्राफ्टों के बारे में पता है |और इसीलिए , समाचार-पत्र बहुत जरूरी हैं | मान लीजिए कि मैंने एक लाख पर्चे `प्रजा अधीन-राजा` पर बांटें | तब एक लाख नागरिकों को `प्रजा अधीन-राजा` के ड्राफ्टों के बारे में पता होगा | लेकिन इन एक लाख नागरिकों में से हरेक नागरिक के पास कोई भी तरीका नहीं है ये जानने का कि ऐसे एक लाख नागरिक हैं जिनको `प्रजा अधीन-राजा` के बारे में पता है , क्योंकि वे ये जान नहीं सकते या जांच नहीं कर सकते कि मैंने कितने पर्चे बांटे हैं |

लेकिन जब मैं एक प्रचार/विज्ञापन देता हूँ , समाचार-पत्र के पहले पन्ने पर , तब हर एक पड़ने वाले/पाठक को पता होगा कि ये प्रचार उस समाचार-पत्र के हर दूसरे पाठक के पास पहुंची है | इसीलिए मैं ये विनती करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं को कि वे अपना आधा पैसा समाचार-पत्र के प्रचार/विज्ञापनों में लगाएं |

2.6 पर्चे, इनलैंड (अंतर्देशीय) आदि बांटना चुनाव के समय में-

यदि चुनाव चल रहे हैं, तो कृपया पता लगाएं आप के इलाके/क्षेत्र में या पास के इलाके में , कौन सा उम्मीदवार खड़ा है , जिसने `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट अपने घोषणा-पत्र में डाला है और उस का प्रचार भी किया है | इन्टरनेट के जरिये या किसी कार्यकर्ता से उसके पर्चे लेकर 10-20-1000 पर्चे बांटें, आपकी इच्छा अनुसार |

अथवा

यदि उम्मीदवार आप के घर से बहुत दूर है, को कृपया इन्टरनेट से मतदाता-सूची डाउनलोड करें और 10-20 या अधिक , आपकी इच्छा अनुसार उसके चुनाव-क्षेत्र के मतदाताओं को भेजें |

2.7 चुनाव के समय में समाचार-पत्र में प्रचार/विज्ञापन-

एक अच्छा समाचार पत्र के प्रचार के लिए ,पहले या दूसरे पन्ने पर, 50,000 रुपये से लेकार दो लाख रुपयों तक खर्च आएगा , किस जगह प्रचार होगा, उस के हिसाब से |

इसीलिए यदि आप फैसला करते हैं कि आप को एक हज़ार रुपये(रु.1000) खर्च करने हैं हर महीने, तो कृपया 10-30 आपके जैसे कार्यकर्ताओं को ढूंढें और हरेक का छह महीने का पैसा इकठ्ठा करें , मतलब हरेक से 6000 रुपये और एक समाचार पत्र में प्रचार , `प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री`, `प्रजा अधीन-जज`, `प्रजा अधीन-लोकपाल`, `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)` आदि पर दें | और फिर अगले छह महीने , कोई भी पैसा नहीं खर्च करें , सिवाय 100 रुपये पोस्ट-कार्ड पर |

इंटरनेट याचिका के मुकाबले पत्र का महत्व / वैधता ज्यादा होती है। और यदि प्रधानमंत्री को किसी पत्र की वैधता पर संदेह हो तो तलाटी को यह आदेश देने के लिए उनका स्वागत है कि नागरिकों को ग्राम अधिकारी के पास आने दें और ग्राम अधिकारी नागरिकों के अभिलेख / रिकॉर्ड और उसकी पहचान की सत्यता की जांच करे।

(13.11) सभी कार्यकर्ताओं के लिए योजना का सारंश (छोटे रूप में)

निम्नलिखित कार्यकर्ताओं के प्रकार है और जो योजना में उनके लिए प्रसावित करता हूँ-

	10 रुपये प्रति महीना (लाखों मतदाता)	**(क)** 500 रुपये प्रति महीना (400 कार्यकर्ता प्रति लोकसभा चुनाव क्षेत्र)	**(ख)** 1000 रुपये प्रति महीना (40 कार्यकर्ता प्रति लोकसभा चुनाव क्षेत्र)	**(ग)**2000 रुपये प्रति महीना (10 कार्यकर्ता प्रति लोकसभा चुनाव क्षेत्र)	**(घ)** 5000 रुपये प्रति महीना (एक कार्यकर्ता प्रतिलोकसभा चुनाव क्षेत्र)
(1) 5 घंटे प्रति महीना	**सेट/लिस्ट-1 (मतदाता के लिए)** (1)`प्रजा अधीन-रजा`समूह क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ें (2)20 पोस्ट-कार्ड लिखें हर महीने (3)एक बाग बैठक में जाएँ हर महीना और क़ानून-ड्राफ्ट की चर्चा करें	**सेट/लिस्ट-2 (कार्यकर्ताओं के लिए)** (1)`प्रजा अधीन-रजा`समूह क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ें (2)20 पोस्ट-कार्ड और 30 इनलैंड (अंतर्देशीय) लिखें हर महीने (3)एक बाग-बैठक में जाएँ हर महीना और क़ानून-ड्राफ्ट की चर्चा करें (4) 800 पर्चे बांटें हर 6 महीने	**सेट/लिस्ट-2 (कार्यकर्ताओं के लिए)** (1)`प्रजा अधीन-रजा`समूह क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ें (2)10 पोस्ट-कार्ड लिखें हर महीने (3)1000 पर्चे बांटें हर 6 महीने (4)6000 रूपए खर्च करें साल में एक बार , एक समाचार-पत्र विज्ञापन के लिए (अन्य साथियों के साथ पैसे जमा कर के)	**सेट/लिस्ट-2 (कार्यकर्ताओं के लिए)** (1)`प्रजा अधीन-रजा`समूह क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ें (2)10 पोस्ट-कार्ड लिखें हर महीने (3)1000 पर्चे बांटें हर 3 महीने (4)12,000 रूपए खर्च करें साल में एक बार , एक समाचार-पत्र विज्ञापन के लिए (अन्य साथियों के साथ पैसे जमा कर के)	**सेट/लिस्ट-2 (कार्यकर्ताओं के लिए)** (1)`प्रजा अधीन-रजा`समूह क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ें (2)10 पोस्ट-कार्ड लिखें हर महीने (3) 5000 पर्चे बांटें/बंटवाये हर 6 महीने (4)30,000 रूपए खर्च करें साल में एक बार , एक समाचार-पत्र विज्ञापन के लिए (अन्य साथियों के साथ पैसे जमा कर के)
(2) 10 घंटे प्रति	ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ , (4) अक्सर पूछे	ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ , (4) अक्सर पूछे	ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ , (4) अक्सर पूछे	ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ , (4) अक्सर	**ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ** , (4) अक्सर

महीना	गए प्रश्न पढ़ें (सेट-2.1) (5) कोई पार्टी या बाग की बैठक हर महीने में जाएँ (6)प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री,महापौर, सरपंच,जज,समाचार-पत्र,टी.वी चैनल, स्थानीय राजनैतिक पार्टी के सांसद,विधाक,पार्षद,सदस्य,गैर-सरकारी संस्था में से एक को पत्र	गए प्रश्न पढ़ें (सेट-2.1) (5) दो पार्टी या बाग की बैठकें हर महीने में जाएँ (6)प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री,महापौर, सरपंच,जज,समाचार-पत्र,टी.वी चैनल, स्थानीय राजनैतिक पार्टी के सांसद,विधाक,पार्षद,सदस्य,गैर-सरकारी संस्था में से एक को पत्र	गए प्रश्न पढ़ें (सेट-2.1) (5) दो पार्टी या बाग की बैठकें हर महीने में जाएँ	पूछे गए प्रश्न पढ़ें (सेट-2.1) (5) दो पार्टी या बाग की बैठकें हर महीने में जाएँ	पूछे गए प्रश्न पढ़ें (सेट-2.1) (5) दो पार्टी या बाग की बैठकें हर महीने में जाएँ
(3) 20 घंटे प्रति महीना	ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ, (6) `प्रजा अधीन-राजा`विडियो देखें (7) `प्रजा अधीन-राजा` के बारे में `एस.एम.एस`भेजें (8) `प्रजा अधीन-राजा` समूह के चार पन्नों पर्चे का अपनी भाषा में अनुवाद	ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ, (6) `प्रजा अधीन राजा`विडियो देखें (7) `प्रजा अधीन-राजा` के बारे में `एस.एम.एस`भेजें (8) `प्रजा अधीन-राजा` समूह के चार पन्नों पर्चे का अपनी भाषा में अनुवाद	ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ, (6) `प्रजा अधीन राजा`विडियो देखें (7) `प्रजा अधीन-राजा` के बारे में `एस.एम.एस`भेजें (8) `प्रजा अधीन-राजा` समूह के चार पन्नों पर्चे का अपनी भाषा में अनुवाद	ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ, (6) `प्रजा अधीन राजा`विडियो देखें (7) `प्रजा अधीन-राजा` के बारे में `एस.एम.एस` भेजें (8) `प्रजा अधीन-राजा` समूह के चार पन्नों पर्चे का अपनी भाषा में अनुवाद	ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ, (6) `प्रजा अधीन राजा`विडियो देखें (7) `प्रजा अधीन-राजा` के बारे में `एस.एम.एस` भेजें (8) `प्रजा अधीन-राजा` समूह के चार पन्नों पर्चे का अपनी भाषा में अनुवाद
(4) 40	ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ,	ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ,	ऊपर लिखा हुआ और उसके साथ,	ऊपर लिखा हुआ और	ऊपर लिखा हुआ और

घंटे प्रति महीना	(9) `अक्सर पूछे गए प्रश्न` और `प्रजा अधीन-राजा`(आर.आर.जी) समूह के बतीस पन्नों का पर्चा या कोई अन्य` आर.आर.जी` पर्चे का अपनी भाषा में अनुवाद (10)भारत के समस्याओं पर अपने क़ानून-ड्राफ्ट लिखें	(9) `अक्सर पूछे गए प्रश्न` और `प्रजा अधीन-राजा``(आर.आर.जी) समूह के बतीस पन्नों का पर्चा या कोई अन्य `आर.आर.जी` पर्चे का अपनी भाषा में अनुवाद (10)भारत के समस्याओं पर अपने क़ानून-ड्राफ्ट लिखें या `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट पर विडियो बनाएँ	(9) `अक्सर पूछे गए प्रश्न` और `प्रजा अधीन-राजा`(आर.आर.जी.) समूह के बतीस पन्नों का पर्चा ` या कोई अन्य `आर.आर.जी` पर्चे का अपनी भाषा में अनुवाद (10)भारत के समस्याओं पर अपने क़ानून-ड्राफ्ट लिखें (11) चुनाव प्रचार में मदद करें	उसके साथ, (9) `अक्सर पूछे गए प्रश्न` और `प्रजा अधीन-राजा`(आर.आर.जी) समूह के बतीस पन्नों का पर्चा ` या कोई अन्य `आर.आर.जी` पर्चे का अपनी भाषा में अनुवाद (10)भारत के समस्याओं पर अपने क़ानून-ड्राफ्ट लिखें (11) चुनाव प्रचार में मदद करें व चुनाव लड़ने के लिए सोचें/विचार करें(लिस्ट-3 देखें)	उसके साथ, (9) `अक्सर पूछे गए प्रश्न` और `प्रजा अधीन-राजा`(आर.आर.जी) समूह के बतीस पन्नों का पर्चा ` या कोई अन्य `आर.आर.जी` पर्चे का अपनी भाषा में अनुवाद (10)भारत के समस्याओं पर अपने क़ानून-ड्राफ्ट लिखें (11) चुनाव प्रचार में मदद करें व चुनाव लड़ने के लिए सोचें/विचार करें(लिस्ट-3 देखें)

आधा समय प्रचार के लिए लगाएं और आधा अध्ययन के लिए ताकि दूसरों के प्रश्नों का उत्तर दे सकें |

(13.12) कार्यकलापों की सूची, कारण और वह समय जो इनमें लगेगा: सेट - 3 (`प्रजा अधीन - राजा के मंच पर चुनाव लड़ने वालों के लिए)

कार्यकलापों के तीसरे सेट उनके लिए हैं जो `प्रजा अधीन-राजा` के मंच से चुनाव लड़ना चाहते हैं |

अब यदि आप रैंडम्ली/क्रमरहित तरीके से किसी देश में, केवल भारत में ही नहीं, 100 व्यक्तियों का चयन करते हैं तो उनमें से केवल 2 से 4 प्रतिशत लोग ही भ्रष्टाचार / गरीबी कम करने के लिए समय देने के इच्छुक होंगे। हालांकि 99 प्रतिशत लोग भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे और 90 प्रतिशत लोग गरीबी नहीं चाहेंगे । फिर भी भ्रष्टाचार/ गरीबी कम करने में केवल 2 से 4 प्रतिशत लोग लगभग 1 2 या ज्यादा घंटे प्रति सप्ताह देने के लिए राजी होंगे । शेष लोग **<u>चुनाव जीतने लायक</u>** किसी अच्छे उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं अथवा एक अच्छे कानून का समर्थन करने के लिए एस. एम. एस. भेज सकते हैं। अथवा साल में एक बार किसी रैली में भाग ले सकते हैं । लेकिन वे किसी प्रस्तावित कानून के लिए प्रचार अभियान में एक वर्ष में एक घंटे से ज्यादा समय नहीं देंगे। चुंकि सभी देशों में यह समस्या आती है और कई देशों ने इसका समाधान कर लिया है इसलिए भारत में हमें इसके बारे में और शिकायत नहीं करनी चाहिए।

तीसरा सेट उन के लिए भी है जो अपना जीवन बटुकेश्वर दत्त केजीवन से ज्यादा खराब जीना चाहते हैं और बटुकेश्वर दत्त से ज्यादा दुखी मौत मारना चाहते हैं | कृपया गूगल करें "बटुकेश्वर दत्त" पर और और आपको उसपर ज्यादा जानकारी मिल जायेगी |

बटुकेश्वर दत्त का जन्म 1910 में हुआ था और उसने दसवी पी.पी.एन. हाई स्कूल, कानपुर से पूरी की थी | उस समय दसवी पास करना , एक अच्छी नौकरी पाने के लिए काफी थी | लेकिन दत्ता ने आजादी के आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया | दत्त भगत सिंह का साथी था |दोनों ने 1929 में असेम्बली में बम फेंका , जिसके लिए दत्त को फांसी हो सकती थी | लेकिन उसको फांसी नहीं हुई, बल्कि उसको आजीवन/पूरे जीवन की कैद हुई क्योंकि कोई भी मारना का मकसद नहीं पाया गया उस मामले में | भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गयी, सांडर्स को मारने के लिए | दत्त पर भी मुकदमा चला सांडर्स को मारने के लिए , लेकिन दत्त सांडर्स को मारने में शामिल नहीं था, इसीलिए उसे इस मामले में सज़ा नहीं हुई |दत्त को `काला पानी` भेजा गया ,जहाँ उसे टी.बी हो गयी और उसे 1940 में छोड़ दिया गया | फिर ,उसने `भारत छोडो आंदोलन` में भाग लिया , जिसके लिए उसे 3 साल की सज़ा दी गयी | आज़ादी के बाद उसने शादी की | हाई-स्कूल की शिक्षा के बावजूद,जो उस समय काफी थी एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, दत्त को सब्जियां बेच कर जीवन चलाना पड़ा !! 1964 में लगबग गुमनामी में उसकी मौत हुई |

एक कच्चा/नौसिखिया पाठक ये पूछ सकता है ," ये सच नहीं हो सकता , क्योंकि दत्त को `स्वतंत्रता सेनानी पेंशन` मिलती होगी ". देखिये, `स्वतंत्रता सेनानी पेंशन` 1971 से पहले शुरू नहीं हुई थी और दत्त 1964 में खत्म हो गए थे | ये योजना इतनी देरी से क्यों शुरू हुई ? बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना शरीर और मन का स्वास्थ्य, जमीन खो दिया था और बहुत तो अपाहिज भी हो गए थे |लेकिन नेहरू और सरदार पटेल ने स्वतंत्रता सेनानियों को कोई भी पेंशन देने से इनकार कर दिया | क्योंकि यदि उनको पेंशन दी जाती , तो वो आर्थिक रूप से

(पैसे से) सुरक्षित महसूस करते और राजनीत में चले जाते और कांग्रेस के वोट काट देते | इसीलिए स्वतंत्रता सेनानियों को कोई पेंशन नहीं मिली, 1971 तक |

दत्त को कभी भी अपने जीवन में कोई सम्मान नहीं मिला क्योंकि उसे सम्मान और नाम देने से उसे राजनीति में मंच मिल जाता , जो उस समय के नेताओं का प्रभाव कम कर सकता था | इसीलिए उस समय के सारे नेताओं ने मीडिया को बहुत ज्यादा जोर दिया होगा मीडिया वालों को , कि दत्त के नाम का प्रचार न करें | उसकी मीडिया में, प्रशंसा नहीं हुई, क्योंकि यदि उसकी प्रशंस/तारीफ़ हुई होती, तो एक प्रश्न उठता कि “ क्या कर रहे हो उसके लिए अभी “ | सामान्य तरीके से , कवी आदि मरे शहीदों की तारीफ़ करना पसंद करते हैं, ना कि जिन्दा बहादूरों/वीरों की क्योंकि जिन्दा वीरों की तारीफ़ करने से नेताओं का प्रभाव कम हो सकता है और प्रश्न उठ सकते हैं |

शहीदों की तुलना करना , कि कौन शहीद ज्यादा बड़ा है, न तो सही है और ना अच्छा | लेकिन कुछ मायनों में, मैं दत्त को भगत सिंह से बड़ा मानता हूँ | दत्ता ने कुछ काफी मुश्किल परीक्षाएं पास की , जो भगत सिंह को कभी झेलनी नहीं पड़ीं | 1950 के दशक में , यदि दत्त ने नेहरु के पैर छुए होते और कांग्रेस के साथ मिल गए होते , तो कांग्रेस उसको कम से कम विधायक बना देती और उसके नाम पर वोट बटोरती | कांग्रेस्सियों ने दत्त को कांग्रेस से जुड़ने के लिए कहा होगा और पैसे और पद का वायदा भी किया होगा , लकिन दत्त बिके नहीं | यएक 35 साल के व्यक्ति को बिकना के लालच को ना कहना ज्यादा मुश्किल है, बजाय के एक 25 साल केयुवक के | और एक 55 साल के व्यक्ति को बिकने के लालच को ना कहना ज्यादा मुश्किल है बजाय के ,एक 45 साल के व्यक्ति के | हम ये कह सकते हैं , कि भगत सिंह भी कभी नहीं बिके थे , लेकिन भगत जी भाग्यशाली थे , कि उनको गरीबी होने पर ,55 साल पर ना बिकने का लालच की परीक्षा देनी नहीं पड़ी | दत्त ने ऐसी परीक्षा दी और पास हो गए |

मैं पाठकों को आग्रह करता हूँ/जोर देता हूँ कि दत्त पर लेख/पुस्तकें इकट्ठा करें |

अब मैं बटुकेश्वर दत्त के जीवन का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ ?

क्योंकि एक तरफ मैं बहुत चाहता हूँ कि 500,5000,50,000 व्यक्ति `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट के मुद्दे पर चुनाव लडें राष्ट्रीय,राज्य और स्थानीय स्तर पर , मैं सब को पहले से बताना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है |`प्रजा अधीन-प्रधानमन्त्री`, `प्रजा अधीन-पुलिस कमिश्नर`, `प्रजा अधीन-सुप्रीम कोर्ट-जज`, `प्रजा अधीन-हाई-कोर्ट जज` केवल राजनैतिक विचार ही नहीं हैं, लेकिन आप सभी सत्ता में बैठे लोगों और बुद्धिजीवियों के दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि उनका इससे उनके नाजायज धंधे में भारी कमी आएगी | `प्रजा अधीन-राजा` लोकपाल नहीं है , जहाँ बड़े चोरों (मतलब विदेशी कम्पनियाँ) को , छोटे चोरों पर ज्यादा लाभ मिलता है | `प्रजा अधीन-राजा` का स्वरूप, चुनाव के बाद बातीत के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता क्योंकि क़ानून-ड्राफ्ट पहले से तैयार हैं और भारतीय राजपत्र में डाले जा सकते हैं, मिनटों में | `पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम)` को भारतीय राजपत्र में डालने से घटनाओं की श्रंखला/चैन शूरू हो जायेगी जिससे महीनों में `पब्लिक में मंत्रियों, उच्च अधिकारीयों, जजों का नार्को जांच नागरिकों के बहुमत द्वारा` और `मंत्रियों, उच्च अधिकारी, जाजों की सज़ा/फांसी` भी भारतीय राजपत्र(गैजेट) में आ जाएँगे , `प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री`, `प्रजा अधीन-जज ,आदि के साथ | ये

क़ानून-ड्राफ्ट विदेशी कंपनियों, सभी भ्रष्ट, ज्यादातर उच्च वर्ग , बुद्धिजीवी जो उच्च वर्ग के एजेंट हैं ,के लिए एक बुरा सपना है |

इसीलिए यदि , आप खुले आम `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट की तारीफ़ करते हैं और मांग करते हैं, तो कभी न कभी , आप और अन्य कार्यकर्ता बुद्धिजीवियों को उनके ड्राफ्टों पर राय देने के लिए कहेंगे | यदि बुद्धिजीवी क़ानून-ड्राफ्ट का समर्थन करते हैं, तो उच्च/विशिष्ट वर्गों के दुश्मन बन जाएँगे और यदि क़ानून-ड्राफ्ट का विरोध करते हैं, तो कार्यकर्तओं को पता चल जायेगा कि ये बुद्धिजीवी , उच्च वर्ग के एजेंट हैं | इसीलिए , वो आप से नफरत करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आपको परेशान करने के लिए |

इसीलिए यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं `प्रजा अधीन-राजा`., `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)`, `जूरी सिस्टम` आदि के क़ानून-ड्राफ्ट के मुद्दों पर, तो कम से कम तैयार हो जायें बटुकेश्वर दत्त के जैसे जीवन जीने के लिए | कुछ दिन अवश्य लगाएं सोचने में, कि आप ऐसा जीवन जी सकते हैं कि नहीं | यदि आप इस तरह के जीवन का सामना कर सकते हैं, तो ही `प्रजा अधीन-राजा` के मुद्दे पर चुनाव लड़ें , नहीं तो नहीं |

<u>सूची/लिस्ट-3 के कार्य</u>

सेट-3 उन लोगों के लिए है जो प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (आमदनी) कानूनों और जूरी प्रणाली आदि पर **चुनाव** लड़ना चाहते हैं और/अथवा जिन्होंने भारत में प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों को लाने के लिए अपनी जिन्दगी और अपनी कमाई का एक बड़ा भाग इस कार्य के लिए लगाने का निर्णय कर लिया है। वे जितना ज्यादा समय देना चाहें उतना दे सकते हैं। इसलिए मैं यहां कोई समय सीमा नहीं दे रहा हूँ।

<u>कदम-3.1</u> : बटुकेश्वर दत्त की आत्मकथा पढ़ें |

कदम-3.2 : `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट पर हज़ारों पर्चे घर-घर या बस-स्टैंड पर बांटें|

कदम 3.3 : `प्रजा अधीन-राजा` के दस्तावेज अपने स्थानीय भाषा में अनुवाद करें |

कदम 3.4 : भारत/दुनिया में प्रशाशनिक सिस्टम, वर्त्तमान और पहले का, पर लेख लिखें |

कदम 3.5 : भारत की समस्याएं कम करने के लिए क़ानून-ड्राफ्ट लिखें |

कदम 3.6 :`प्रजा अधीन-राजा`,`सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)`, `पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम) मुद्दों पर चुनाव लड़ें |

कदम 3.7 :अपनी `प्रजा अधीन-राजा`पार्टी शुरू करें |

(13.13) प्रस्तावित चुनाव-प्रचार के तारीके

मैं क्यों प्रस्ताव करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में `प्रजा अधीन-राजा` के कार्यकर्ता चुनाव लड़ें ? क्योंकि चुनाव लड़ना सबसे तेज तरीका है `प्रजा अधीन-राजा` के ड्राफ्टों की जानकारी सभी राजनैतिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों के पास ले जाने के लिए | यदि मेरा उद्देश्य छाता बेचना है, तो सबसे अच्छा समय बारिश का समय है | इसी तरह, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक `प्रजा अधीन-रजा` के ड्राफ्टों की बात पहुंचाने के लिए चुनाव सबसे अच तरीका है |

मान लीजिए आप 10,000 पर्चे `प्रजा अधीन-राजा` पर नागरिकों को देते हैं, जिस दिन चुनाव नहीं है| फिर, शायद 500 लोग उस पर्चे को पढेंगे | लेकिन यदि ,चुनाव का दिन है, तो माहौल इतना गरम था, कि 10,000 पर्चे बांटने पर 3000 से 5000 या ज्यादा लोग पर्चों को पढेंगे | इसीलिए सबसे अच्छा तरीका , `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए है ,कि आप चुनावी उमीदवार बन जायें और समाचार-पत्र में प्रचार दें और पर्चे बांटें |

<u>प्रस्तावित चुनावी प्रचार अभियान के तरीके उमीदवारों के लिए</u>

नीचे मैं तरीके बता रहा हूँ चुनाव के सम्बन्ध में जो मैंने किये हैं और सभी `प्रजा अधीन-राजा`उमीदवारों को करने का सुझाव दूँगा | और जैसे हमेश के जैसे , उमीदवार इसमें बदलाव कर सकते हैं, अपने अनुसार |

1.) कृपया जीतने के उद्देश्य से चुनाव नहीं लड़ें | चुनाव जीतने के लिए , किसी को कम से कम 25% वोट चाहिए और कोई चुनाव-क्षेत्र उस स्तर तक पहुँचने के लिए , कोई पार्टी को या तो सांप्रदायिक क्षेत्रीय विचारधारा या राष्ट्रीय स्तर अपील की जरूरत है, जिससे उसे पूरे देश में 5% वोट मिलें | यदि `प्रजा अधीन-राजा` पार्टी/समूह को राष्ट्रीय स्तर पर 5% वोट मिल जाते हैं, तो `प्रजा अधीन-राजा` क़ानून आ जाएँगे |

[यदि 4 करोड़ वोटर (कुल 75 करोड़ मतदाताओं का 5%) `प्रजा अधीन राजा` को इतना समर्थन करते हैं कि वे `प्रजा अधीन-राजा` के ड्राफ्ट के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को वोट देते हैं, तो कोई 10-12 करोड़ लोग `प्रजा अधीन के ड्राफ्टों को थोडा बहुत पसंद करते होंगे | ये नंबर/संख्या काफी है एक सफल आंदोलन के लिए | (एक कांग्रेस-विरोधी मतदाता ,सामान्य तौर पर भा.ज.पा को वोट करेगा और इसका उल्टा भी सही है |तो यदि एक कांग्रेस-विरोधी मतदाता `प्रजा अधीन-राजा` के लिए वोट करता है और भा.ज.पा के लिए नहीं, बजाय इसके मालुम होने के की `प्रजा अधीन-राजा` पार्टी हार जायेगी, तो इसका मतलब वो `प्रजा अधीन-राजा` का बहुत ज्यादा समर्थक है और विश्वास है | तो हर मतदाता ,जिसको `प्रजा अधीन-राजा` पर बहुत ज्यादा विश्वास है, के पीछे 2-3 मतदाता होंगे ,जिनको थोडा बहुत `प्रजा अधीन-राजा` पर विश्वास है (सामान्य वितरण))]

2.) कृपया तैयार रहें विभिन्न अत्याचारों के लिए, आय-कर विभाग के पूछताछ से लेकर , आपके आस-पास लोगों की बहुत निंदा तक |

3.) कृपया समाचार-पत्र में प्रचार/विज्ञापन दीजिए (खर्चा कई लाखों में हो सकता है) |

4.) कृपया जहाँ तक हो सके पर्चे खुद बांटें |

5.) यदि संभव हो तो एक पत्रिका को रेजिस्टर कर लीजिए , ताकि पर्चों को डाक द्वारा बांटा जा सके कम दाम में |

6.) कृपया ज्यादा से ज्यादा बैठकें करें , चुनाव घोषित होने से पहले | क्योंकि चुनाव घोषित होने के बाद, व्यस्तता बढ़ जायेगी और बैठकें, आदि करना मुश्किल हो जायेगा |

7.) पहले कुछ महीनों के लिए , कृपया उन कार्यकर्ताओं को पर्चे बांटने के लिए दें ,लेकिन बाद में उनको पी.डी.एफ दर्पण को आपके वेबसाइट से सीधे डाउनलोड करने के लिए कहें और ओफ्फ्सेट पर छापने और पर्चे बांटने के लिए कहें | ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी खुद ट्रेनिंग मिले उमीदवार बनने के लिए | और ये पर्चों के छापने और बांटनें की देख-रेख का भोज कम कर देता है | बाद के एक भाग में , मैंने दिखाया है कि `क` कार्यकर्ता यदि परहे छाप रहे हैं खुद से , तो वो सस्ता है, ना कि एक नेता देख-रेख करे कि `क` कार्यकर्ता पर्चे बांटें |

8.) कृपया घंटे का या रोज का मुआवजा कार्यकर्ताओं को ना दें | यदि भारत मरने वाला है, और यदि `भ्रष्ट को बदलने/निकालने का नागरिकों का अधिकार`(प्रजा अधीन राजा) समाधान है, तो इस मुद्दे पर चुनाव लड़कर, आप ने देश को बहुत बड़ा योगदान दिया है और कोई भी मुआवजा देने कि कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों को जो भारत की मदद कर रहे हैं |

9.) आप को कई पी.डी.एफ अपनी वेबसाइट पर डालनी चाहियें , जिसमें मतदाता को पोस्टकार्ड, मतदाता को इनलैंड (अंतर्देशीय) , प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री, जज, सरपंच आदि को पत्र हो `पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम) पर हस्ताक्षर करने के लिए और उनके दर्पण | ये इस लिए जरूरी है क्योंकि कार्यकर्ता इन पी.डी.एफ. को डाउनलोड कर सके

<u>प्रस्तावित प्रचार अभियान के तरीके , उम्मीदवारों की मदद करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए</u>

यदि आप विश्वास करते हैं, कि `प्रजा अधीन राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट की जानकारी ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को जानी चाहिए , तो कृपया उन उमीदवारों के लिए प्रचार करें जिन्होंने `प्रजा अधीन-राजा की जानकारी फैलाने के लिए बहुत कोशिश की है | क्यों ? देखिये, जितने ज्यादा वोट ऐसे उमीदवारों को मिलेंगे , उतने ही ज्यादा लोगों को मालूम पड़ेगा `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में और फिर और अधिक कार्यकर्ता `प्रजा अधीन-राजा` के मंच और मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और जानकारी और फैलेगी | इसीलिए यदि आप `प्रजा अधि-राजा ` के क़ानून-ड्राफ्ट पर जानकारी ,चुनाव के समय फैलाते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है |

नीचे लिखे गए कदम मैं सुझाव देता हूँ करने के लिए :

(1.) कृपया उम्मीदवारों की सूची/लिस्ट देखें और फैसला करें , कौन से उमीदवार ने सबसे अधिक काम किया है `प्रजा-अधीन राजा ` के क़ानून-ड्राफ्ट , `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)` के क़ानून-ड्राफ्ट ,`सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)` आदि के क़ानून-ड्राफ्ट की जानकारी फैलाने में | मेरे विचार से, आपको उस उमीदवार का समर्थन करना चाहिए , जरूरी नहीं कि आधिकारिक(जिसको अधिकार मिला हुआ है) `प्रजा अधीन-राजा` के उम्मीदवार को समर्थन करना है |

(2.) यदि आप को लगता है कि कोई उमीदवार `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में जानकारी फ़ैलाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो नहीं दे रहा है , केवल अपने (व्यक्तिगत) फायदे के लिए लड़ रहा है , तो कृपया उस उम्मीदवार के लिए प्रचार न करें | यदि आप के क्षेत्र और आस पास के क्षेत्र में सारे उम्मीदवार स्वार्थी हैं,और `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट लाने में समर्पित नहीं है , तो कोई दूर के क्षेत्र में जहाँ समर्पित उमीदवार है, वहाँ के मतदाताओं से डाक/इन्टरनेट द्वारा जुड़ें/संपर्क करें |

(3.) सबसे बड़ी बात, आप को पक्का होना चाहिए कि आप समय और पैसा `प्रजा अधि-राजा` के जानकारी के प्रचार के लिए दे रहे हैं, न कि किसी उम्मीदवार के फायदे के लिए | यदि आप को थोडा भी शक है कि उम्मीदवार अपने फ़य्देउ के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो उसको समर्थन न करें |

(4.) कृपया मतदाता लिस्ट इन्टरनेट से डाउनलोड करें या दूसरी तरह से प्राप्त करें /ले लें |

(5.) मैं सभी कार्यकर्ताओं से विनती करता हूँ कि चुनाव सम्बन्धी पी.डी.एफ सीधे उम्मीदवारों के वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और खुद बांटें अपने क्षेत्र में और आस पास के क्षेत्र में |

कृपया उम्मीदवार का समय और पैसा का भोज कम करें , उससे पर्चे ना मांग कर |

(13.14) क्या कार्यकर्तओं को खुद पर्चे छापने / बांटने चाहिए या नेता को उसकी देख-रेख करनी चाहिए ?

चुनाव प्रचार में सबसे महंगा और सबसे जरूरी भाग समाचार पत्र-प्रचार है | मेरे विचार से ,इसका सारा खर्चा केवल उम्मीदवार को करना चाहिए |

दूसरा सबसे जरूरी भाग चुनाव प्रचार में पार्चों की छपाई और बांटना है | और मेरे विचार से, जहाँ तक संभव हो ये खर्चा कार्यकर्ताओं , जो उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं, के द्वारा किया जाना चाहिए |

उम्मीदवार ऐसा सही में, सोच सकता है----कार्यकर्ताओं को क्यों इसका खर्चा करना चाहिए ?

यदि उम्मीदवार पर्चे छापता है, और कार्यकर्ता को देता है , तो कोई गारंटी नहीं कि कार्यकर्त्ता मतदाताओं को ये पर्चे दे | कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं जायेगा यदि ये पर्चे बरबाद भी जायें तो | इसके अलावा, पर्चे भेजने का काम , उम्मीदवार के घर से कार्यकर्ता के घर तक , समय लगने वाला और खर्चेवाला हो सकता है | इसके बजाय, यदि कार्यकर्ता खुद पर्चों को छपवाता है, तो समय, पैसे आदि की बर्बादी कम से कम होती है | और बांटने का भी कम से काम खर्चा आता है |

क्या कार्यकर्ता अपने पैसे से पर्चे छापेगा ?

मान लीजिए परचा एक पन्ने का है | ऐसे 4000 पर्चों को छापने का खर्चा लगबग 1000 रुपये आएगा | और यदि परचा, 8 पन्नों का है, तो 4000 ऐसे पर्चों को छापने का खर्चा 1200 रुपये होगा | कम भी हो सकता है यदि , अखबारी कागज़ लिया जाये | तो प्रश्न है : क्या कार्यकर्ता इतना पैसा खर्च करेगा चुनावी प्रचार के लिए ? यदि नहीं करेगा , तो शायद देश को बचाना संभव नहीं है | यदि भारत के पास 2 लाख कार्यकर्ता नहीं है जो पर्चे अपने समय और पैसे से

छापने के लिए तैयार हों , तो मेरे विचार से ये भारत को बचाना संभव नहीं है , जितना भी महनत उम्मीदवार करें | एक सीमा है जो खुद कोई कर सकता है , और बाकी दूसरों पर छोड़ देना चाहिए |

प्रजा अधीन राजा अर्थात राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.), कानून के ड्राफ्टों / प्रारूपों के लिए प्रदर्शन

अगले कुछ पारागाफों में मैं प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) - समर्थकों का अर्थ वैसे व्यक्ति से करूंगा जो भारत में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून के ड्राफ्टों/प्रारूपों को लाने के लिए **हर महीने 10 घंटे का समय** देने को तैयार है। ऐसे समर्थकों से मैं निम्नलिखित अनुरोध करता हूँ :-

प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए सुझाव :-

1. कृपया हर महीने पांच घंटे नेट (कम्प्युटर के इंटरनेट पर) पर अथवा एक एक करके लोगों से सम्पर्क/संचार करने और पर्चियां बांटने आदि में लगाएं।
2. अगले पांच घंटे कृपया हर दो महीने में एक बार पूरे दिन के किसी प्रदर्शन में शामिल हों अथवा हर महीने आधे दिन के लिए एक प्रदर्शन में शामिल हों।
3. यदि आपकी नजर में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के 100 समर्थक हैं तो उन सभी 100 समर्थकों को एक ही दिन न बुलाएं बल्कि 25-25 समर्थकों को 4 लगातार दिन बुलाएं।
4. यदि आपकी नजर में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के 1000 समर्थक हैं तो उन सभी 1000 समर्थकों को एक ही दिन न बुलाएं बल्कि 25-25 समर्थकों को 40 लगातार दिन बुलाएं।
5. एक अच्छा लक्ष्य यह है कि एक ऐसे शहर को लें जहां 1000 से 2000 प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के समर्थक हों और जिनमें से सभी प्रदर्शन के लिए हर महीने 5 घंटे समय देने को तैयार हों और उस शहर में 25 से 50 प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के समर्थकों का प्रदर्शन **हर/प्रत्येक** दिन हो।

मैं क्यों छोटे मध्यम आकार के प्रदर्शन हर दिन करने का समर्थन करता हूँ और एक ही दिन किसी बहुत बड़े प्रदर्शन का समर्थन नहीं करता? क्योंकि हर दिन एक प्रदर्शन करने से `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कानून – प्रारूप, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून – प्रारूप के बारे में सूचना/जानकारी ज्यादा तेजी से फैलेगी जबकि केवल एक ही दिन एक बहुत बड़े प्रदर्शन से इन प्रारूपों के समर्थकों की बड़ी संख्या का पता तो लोगों को चलेगा लेकिन इससे जानकारी नहीं फैलेगी। प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह में मेरा लक्ष्य प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.), `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली आदि कानूनों के प्रारूपों/ड्राफ्टों पर जानकारी का प्रचार-प्रसार करना है। और इसलिए हर दिन एक छोटा ही प्रदर्शन करके लक्ष्य प्राप्त करने में ज्यादा लाभ होगा।

प्रदर्शन का उद्देश्य उन बहुसंख्य नागरिकों तक पहुंचना है जो किसी न किसी कारण से समाचार पत्र नहीं पढ़ते और जिन तक पर्चियों/पैम्फलेट के माध्यम से भी नहीं पहूंचा जा सकता। प्रदर्शन इस प्रतिबद्धता का सबूत होता है कि लोग किसी मुद्दे पर समय देने के इच्छुक हैं । यह मात्र समय की बरबादी नहीं है जैसा कि बहुत से जूनियर/कनिष्ठ कार्यकर्ता समझते हैं।

ऑर्कूट / फोरम समुदायों की सूची जहां आप अपने शहर के राजनैतिक रूप से सक्रिय लोगों से सम्पर्क बना सकते हैं

आम तौर पर, केवल 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत लोग ही अपने देश के कानूनों में सुधार करने/करवाने में रूचि रखते हैं। यह तथ्य/बात पूरे विश्व के लिए सच है। इसलिए हमें इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के लोग इतनी ही छोटी जनसंख्या होने पर भी अमेरिका में सुधार करने में सफल रहे हैं और इसलिए हमें इस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि केवल थोड़े से ही लोग इसमें रूचि ले रहे हैं। लेकिन ऑर्कूट पर, राजनैतिक समुदाय में 30-40 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग इसमें रूचि दिखलाएंगे। इसलिए उनसे सम्पर्क करने से समय का ज्यादा सही उपयोग होगा। मेरे कहने का अर्थ यह बिलकुल नहीं है कि आप अपको अपने आस पास के लोगों से इस संबंध में मिलना ही नहीं चाहिए, आप उनसे भी मिलें लेकिन कृपया आप अपने शहर के निम्नलिखित समुदायों के सदस्यों को स्क्रैप(सन्देश) अवश्य भेजें।

कृपया ध्यान दें कि नीचे केवल एक छोटी सी सूची का नमूना मात्र ही दिया गया है। अभी और भी कई समुदाय हैं और उन समुदायों के सदस्यों से भी सम्पर्क अवश्य करें।

1. Right to Recall Group
2. I will join Indian Politics
3. Lok Satta Party Official Comm
4. Che Guevara
5. Bharat Swabhiman (trust)
6. I Love India
7. We Want To Improve INDIA
8. Youth of India
9. WE, the leaders
10. we must change Indian Politics
11. Shaheed Bhagat Singh (Homage)
12. "Youth Democratic Front"
13. Lead India "09
14. Youth for Equality
15. IYR NATIONAL
16. Political Minds of Young India
17. Jago Party
18. INDIAN JUDICIARY
19. India needs a Revolution
20. BHARATUDAYMISSION
21. Youth for India-OurTimeIsNow
22. Bharat Swabhiman Trust Gujarat
23. Right to Recall Group,Rajsthan
24. Bharat Punarnirman Dal

25. I can die for India
26. LOK PARITRAN
27. India needs a revolution
28. Indian People's Choice Party
29. PROFESSIONALS PARTY OF INDIA

(13.15) `प्रजा अधीन-राजा`/`राईट टू रिकाल`(भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) के विरोधी ,नकली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक के लक्षण / चिन्ह और चालें

`प्रजा अधीन-राजा` कार्यकर्ता मित्रों ,

कृपया ध्यान दें कि अभी `राईट टू रिकाल`/`प्रजा अधीन-राजा` नाम लोगों में बढ़ता जा रहा है | और नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव पड़ रहा है , `राईट टू रिकाल , नागरिकों द्वारा ` के बारे में बात करने के लिए | इसीलिए , नेताओं को अब मजबूरी से `प्रजा अधीन-राजा`/`राईट टू -रिकाल, नागरिकों द्वारा` के बारे में बात करने पर मजबूर हो जाते हैं | लेकिन `आम-नागरिक`-विरोधी लोग असल में `भ्रष्ट को नागरिक द्वारा बदलने/सज़ा देने के तरीके/प्रक्रियाएँ`(राईट टू रिकाल/प्रजा अधीन राजा) नहीं चाहते |

उनको परवाह नहीं है कि देश विदेशी कंपनियों और विदेशी लोगों के हाथ बिक जायेगा और 99% देशवासी लुट जाएँगे |

65 सालों से , लोग ऐसी प्रक्रियाएँ/तरीके मांग रहे हैं , जिसके द्वारा आम नागरिक भ्रष्ट को बदल सकते हैं /सज़ा दे सकते हैं और पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) की भी मांग कर रहे हैं | (`पारदर्शी` का मतलब, वो शिकायत/प्रस्ताव है जो कभी भी देखि जा सकती है और कभी भी जाँची जा सकती है, किसी के भी द्वारा, कभी भी और कहीं भी, ताकि कोई नेता, कोई बाबू, कोई जज या मीडिया उसे दबा नहीं सके |)

लेकिन `राईट टू-रिकाल`के विरोधी ये मांग को दबाते आ रहे हैं |

उसके लिए वे कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उन में से कुछ की लिस्ट यहाँ नीचे है-

1) वे अपने कार्यकर्ताओं को क़ानून-ड्राफ्ट(नक्शा) की बात करने के लिए भी मना करते हैं, क़ानून-ड्राफ्ट(नक्शा) को पढ़ने के लिए भी मना करते हैं, क़ानून-ड्राफ्ट(नक्शा) लिखना तो दूर की बात है | वे हवा में बात करते हैं , ना तो वो किस देश और जगह की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, बताते हैं, ना तो उसका नाम बताते हैं, न ही उसका ड्राफ्ट देंगे |

क़ानून-ड्राफ्ट को पढ़ना और लिखना वकीलों का काम नहीं है, ना ही जजों का , ना ही सांसदों का , लेकिन नागरिकों का काम है !! **जी हाँ, आप नागरिकों को क़ानून-ड्राफ्ट सांसदों को देना होता है, जो तब क़ानून-ड्राफ्ट पास करवाते हैं सांसद में |** वकीलों का काम क़ानून-ड्राफ्ट(नक्शा) बनाना नहीं है, उनका काम मामले लड़ना है, जजों का कम क़ानून बनाना नहीं, उनका काम फैसले देना है |

`प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी दूसरों को क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ने से रोकते हैं , कार्यकर्ताओं को ऐसे काम में लगवा कर जो भ्रष्टाचार, गरीबी कम नहीं करते जैसे स्कूल चलाना,योग सीखाना , विपक्ष के पार्टियों या अन्य नेताओं के खिलाफ नारे लगाना , किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार-अभियान करना , चरित्र(अच्छा व्यवहार) बनाना , आदि |

लेकिन एक बार भी कार्यकर्ताओं को क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ने के लिए नहीं कहते , उनपर चर्चा करना तो दूर की बात है |

इसीलिए , क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ना शुरू कर दें और क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ना शुरू कर दें और उनपर अपनी राय दें , ड्राफ्ट को बताते हुए | और कुछ क़ानून-ड्राफ्ट पढ़ने के बाद और उनपर कमेन्ट/राय देने के बाद , आप ड्राफ्ट लिख भी पायेंगे |

यदि आम नागरिक , अपना ये कर्तव्य/काम करना शुरू कर दें, तो कोई भी गलत और जन-विरोधी क़ानून और शब्द नहीं कह सकेगा |

2) `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी और जाली-`प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक कभी भी सही तुलना और जांच/विश्लेषण नहीं करेंगे |

वे कुछ ऐसे दो मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति चकरा जाये और निराश हो जाये और कभी क़ानून-ड्राफ्ट को ना तो पढ़े , न तो चर्चा करे | और वे हमेशा एक-तरफ़ा चर्चा करेंगे |

कृपया उनको तुलना करने के लिए कहें किसी भी मानी गयी परिस्थिति के लिए , पहले वर्त्तमान क़ानून के अनुसार उस पारिस्थि को देखें , फिर यदि उनका पसंद का क़ानून-ड्राफ्ट लागू होता है, या फिर जब `प्रजा-अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट या अन्य ड्राफ्ट लागू होते हैं उस पारिस्थि की तुलना करें और फैसला करें कि कौन से ड्राफ्ट देश के लिए फायदा करेंगे और कौन से देश को नुकसान करेंगे |

उदाहरण के लिए , जाली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक अक्सर कहते हैं कि करोड़ों लोगों को ख़रीदा जा सकता है यदि `प्रजा अधीन-राजा ` के तरीके लागू होते हैं, लेकिन वे कभी बी इसकी तुलना अपने पसंद के क़ानून-ड्राफ्ट या आज के क़ानून -ड्राफ्ट या तरीकों से नहीं करते क्योंकि इन तरीकों/प्रक्रियाओं में कुछ ही लोग होते हैं ,जो विदेशी कंपनियों को खरीदना होता है प्रशाशन पर काबू पाने के लिए |

3) वे हमेशा कहते हैं कि वे `प्रजा अधीन-राजा`/`राईट टू रिकाल` का समर्थन करते हैं लेकिन कभी भी नहीं बताते कि कौन से पद के लिए वे `प्रजा अधीन राजा` का समर्थन करते हैं ? प्रजा अधीन-सरपंच, प्रजा अधीन-मायर/महापौर जैसे चिल्लर या प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन-लोकपाल या प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री | वे छोटे पदों के लिए अभी `प्रजा अधीन-राजा`/राईट टू रिकाल लाना चाहेंगे और ऊपर के पदों के लिए अगले जन्म में राईट टू रिकाल लाना चाहेंगे |

उनसे पूछें इसको स्पष्ट/साफ़ बताने के लिए कि वो कौन से पद पर `राईट टू रिकाल` का समर्थन करते हैं और उसका क़ानून-ड्राफ्ट देने के लिए जिसका वे समर्थन करते हैं |

हम उच्च-पदों के लिए आज और अभी `राईट टू रिकाल`(भ्रष्ट को निकालने का नागरिकों का अधिकार) चाहते हैं क्योंकि बिना उसके देश को बहुत नुकसान होगा |

4) वे कहते हैं कि वे `राईट टू रिकाल`/`प्रजा अधीन-राजा` का समर्थन करते हैं, लेकिन उसे `बाद में ` लायेंगे (अगले जन्म में) | इसके लिए कुछ बहाने जो वो बोलते वो है-

<u>क) अभी सरकार इसको पास नहीं करेगी |</u>

`प्रजा अधीन-राजा` के विरोधियों से पूछें कि क्या हमें सरकार की इच्छा के हिसाब से जाना चाहिए कि करोड़ों लोगों की इच्छा के अनुसार ?

ख) सभी क़ानून के सुधार एक साथ नहीं आ सकते |

`प्रजा अधीन-राजा` के विरोधियों से कहें कि लोग 50-100 सालों के लिए इन्तेजार नहीं करना चाहते , सभी कानूनों में सुधार लाने के लिए |

यदि `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) आ जाये तो सभी सुधर कुछ ही महीनों में आ जाएँगे|

कृपया इस प्रणाली (सिस्टम) को www.righttorecall.info/406.pdf में देखें |

ग) हमारी एकता भंग हो जायेगी |

उनसे कहें कि हम एकता ही चाहते हैं, इसीलिए ये जन-हित की धाराएं आपके ड्राफ्ट में जोड़ने के लिए कह रहे हैं | और एकता चाहते हैं , तो `पारदर्शी शिकायत प्रणाली (सिस्टम) को क्यों नहीं लागू करवाते ,जो देश के लोगों को एक होने में मदद करता है |

घ) हम पहले सांसद चुन कर सरकार लायेंगे , फिर `प्रजा अधीन-सांसद` के ड्राफ्ट बनायेंगे और ये क़ानून लायेंगे |

उनसे कहें कि कभी नागरिकों के नौकर, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री कभी अपने ऊपर अपने मालिक, 120 करोड़ जनता का लगाम आने देंगे ? वे तो सत्ता में आने के बाद , विदेशी कंपनी से रिश्वत के पैसे लेकर, कोई गुप्त विदेशी खाते में डाल देंगे और `प्रजा अधीन-राजा` /`राईट टू रिकाल` को रद्दी में डाल देंगे | **ये क़ानून लाना तो केवल देश के करोड़ों मालिक , करोड़ों नागरिकों के जनता के नौकर के ऊपर दबाव से ही आ सकता है |**

इसीलिए , **उनसे कहें कि अभी सांसदों से या अपनी पार्टी से कहें कि अपनी पार्टी के घोषणा-पत्र में `प्रजा अधीन-सांसद` आदि `प्रजा अधीन-राजा` के ड्राफ्ट डालें |**

5) `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी कहेंगे कि कि एक नेता को समर्थन करो, जो क़ानून-ड्राफ्ट को लागू कराएगा और वो बोलते हैं कि उस नेता के सार्वजनिक/पब्लिक काम पर कोई भी न बोले क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके पसंद के नेता की बदनामी हो रही है |

कृपया उनको बताएं कि ड्राफ्ट हमारा नेता है | बिना ड्राफ्ट के , सरकारी तंत्र/सिस्टम में कोई भी बदलाव संभव नहीं है ,बुरा या अच्छा | उनसे पूछें कि क़ानून-ड्राफ्ट पर अपना रुख बताएं ,कि क्या वे उसको समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं | यदि हमारे नेता, ड्राफ्ट का समर्थन करते हैं, तो उनको कहें कि हमारे नेता, ड्राफ्ट को अपने नेता से मिलवाएं और उनके नेता से पूछें कि वो क़ानून-ड्राफ्ट का समर्थन करते हैं या विरोध |

हम कोई भी व्यक्तिगत/निजी टिपण्णी/बात नहीं करते हैं जैसे `क.ख.ग` का चरित्र(बर्ताव/व्यवहार) ऐसा है,या `क.ख.ग` के पिता/माता ऐसे हैं` आदि | हम केवल उनके सार्वजनिक/पब्लिक काम पर टिपण्णी/बात करते हैं,कि वो ईमानदार हैं या बेईमान है, उसी तरह जिस तरह लोग सड़क-बनने के देख-रेख करने वाले/निरीक्षक के काम पर बोलते हैं| अब यदि आप कहते हो कि सड़क-बनने के बनने वाले पर कोई टिपण्णी/बात ना करें , तो पहले तो आप अपना नागरिक का काम नहीं कर रहे, और हम को भी अपना कर्तव्य करने से रोक रहे हैं, जो देश के लिए खतरनाक है |

क्या ये पक्षपात/तरफदारी नहीं है यदि मैं उन सरकारी नौकरों पर बात करूँ जो मेरे सम्बन्ध में नहीं हैं, या जो मैं पसंद नहीं करता और उन सरकारी नौकरों पर नहीं बोलूं जो मुझे अच्छे लगते हैं या मेरे सम्बन्ध में है ? क्या देश ज्यादा जरूरी है या व्यक्ति ?

6) `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी कहते हैं कि वे `प्रजा अधीन-राजा` को समर्थन करते हैं, लेकिन कभी भी उसको समर्थन करने या उसके क़ानून-ड्राफ्ट लागू करवाने के लिए कुछ भी नहीं करते |

उनको बोलें कि अपने प्रोफाइल नाम के पीछे लिखें `प्रजा अधीन-लोकपाल`या `राईट टू रिकाल नागरिकों द्वारा` आदि |

उनको प्रक्रियाएँ / तरीकों के बारे में पर्चे बांटने के लिए कहें (www.righttorecall.info/406.pdf)

या उनको समाचार-पत्र में प्रचार देने के लिए कहें, जो उनके नेता, सांसद, विधायक आदि से उनका `प्रजा अधीन-राजा` के ड्राफ्ट के बारे में रुख साफ़ करने के लिए पूछे और ये क़ानून-ड्राफ्ट के धाराओं को अपने कानूनों या घोषणा पत्र में जोड़ने के लिए बोले |

और उनको बोलें कि अपने संस्था के लोगों को `प्रजा अदीन-राजा` के प्रक्रियाएँ/तरीके और क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में बताएं |

और उनको पूछें कि वे क्या कर रहे हैं, इन क़ानून-ड्राफ्ट को लागू करने के लिए |

7) `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी/ नकली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक कोशिश करेंगे आप को बेकार के बिना क़ानून-ड्राफ्ट के चर्चा में उलझाने के , और आपका समय बरबाद करने के लिए, जो समय आप दूसरों को क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में बताने में लगा सकते हो |

साफ़ मना कर दो बेकार के समय-बरबादी करने वाले बिना क़ानून-ड्राफ्ट के चर्चाओं पर बात करने के लिए | `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी को बोलें कि पहले ड्राफ्ट पढ़ें | उसको क़ानून-ड्राफ्ट दें | और उसको बोलें , कि अनपढ़ बही क़ानून-ड्राफ्ट समझ सकते हैं |

और उसको बोलें कि धाराओं का जिक्र /उलेख करे ,अपनी बात रखते समय |

8) `प्रजा अधीन-रजा` के विरोधी / नकली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक घंटो-घंटो देश की समस्याओं पर बात करेंगे , लेकिन एक मिनट भी समाधान पर बात नहीं करेंगे और कभी भी वे क़ानून-ड्राफ्ट नहीं देते जो गरीबी, भ्रष्टाचार आदि कम करेंगे | वे कुछ प्रस्ताव जरुर दे सकते हैं |

उनको कहें कि उनके प्रस्तावों के लिए ड्राफ्ट दे जो देश की मुख्य समस्याओं जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार का समाधान करे क्योंकि सरकार में लाखों कर्मचारी होते हैं और इन कर्मचारियों को आदेश या क़ानून-ड्राफ्ट चाहिए होते हैं , इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए | प्रस्ताव उतने ही अच्छे या बुरे हैं जितने कि उनके ड्राफ्ट |

9) कई `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी / नकली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक सही रुख नहीं लेंगे कि वे `प्रजा अधीन-राजा` ड्राफ्ट का समर्थन या विरोध करते हैं जो करोड़ों लोगों के हित में है या दूसरे ड्राफ्ट जो कुछ ही लोगों का फायदा करते हैं जैसे विदेशी कम्पनियाँ आदि |

उदाहरण., वे बोलते हैं कि वे `जनलोकपाल **बिना** `राईट टू रिकाल-लोकपाल,नागरिकों द्वारा` क़ानून-ड्राफ्ट का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं या वो `जनलोकपाल `राईट टू रिकाल-लोकपाल , नागरिकों द्वारा **के साथ**` ड्राफ्ट का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं |

वे कोई साफ़ रुख इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनका अपना स्वार्थ होता है , उदाहरण., प्रायोजक उन्हें पैसे देना बंद कर देंगे यदि वे कहेंगे कि वे `प्रजा अधीन-लोकपाल` या अन्य कोई `भ्रस्त को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार` की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं तो |

और यदि वे कहते हैं कि `प्रजा अधीन-राजा` के प्रक्रियाओं का विरोध करते हैं, तो उनकी पोल खुल जायेगी कि वे आम नागरिक-विरोधी हैं |

इसीलिए वे कोई साफ़ उत्तर/जवाब नहीं देते और कोई रुख/निश्चित फैसला नहीं लेते |

कभी भी कोई चर्चा में आगे न बढ़ें , जब तक कि `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी का रुख साफ़ न हो जाये क्योंकि ऐसे चर्चाएं केवल समय की बर्बादी ही होगी , समय जो आप इस्तेमाल/प्रयोग कर सकते हैं दूसरे नागरिकों को `प्रजा अधीन-राजा`के प्रक्रियाओं/तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए |

और एक बार , वो व्यक्ति अपना स्पष्ट/साफ़ रुख ले लेता है, तो तभी चर्चा में आगे बढ़ें, और फिर उनको कहें कि अपनी बात रखने के साथ , वे बताएं कि कौन से ड्राफ्ट और धाराओं के बारे में बात कर रहे हैं |

10) `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी बहुत बार ये दावा करते हैं कि `भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने`की परक्रियें/तरीके "संभव नहीं" हैं या " संविधान के खिलाफ" हैं |

उनसे सबसे पहले पूछें कि ये साफ़ करें कि कौन सी प्रक्रिया/तरीकों की बात कर रहे हैं | और उस धारा को बताएं जो संविधान के विरुद्ध है और वो धारा , संविधान के कौन सी धारा के विरुद्ध है |

उनको पूछें कि प्रस्तावित `प्रजा अधीन-राजा` की प्रक्रिया/तरीका में से कौन सी धारा संभव नहीं है और कैसे ? क्या इसीलिए संभव नहीं क्योंकि लोग उतनी रिश्वत नहीं ले पाएंगे या कि वो लागू नहीं हो सकती है और उसे लागू करने में क्या परेशानी आ रही है |

उनसे पूछें कि वे `हस्ताक्षर(साइन)-आधारित` भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने की प्रक्रिया/तरीका (जहाँ लोगों को हस्तक्ष इकट्ठे करने होते हैं) या हाजिरी-आधारित भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने की प्रक्रिया/तरीका (जहाँ लोगों को कलक्टर के दफ्तर खुद जाना पड़ता है ,शिकायत लिखने या पटवारी के दफ्तर खुद जाना पड़ता है , पहले से दी हुई शिकायत पर अपनी हाँ/ना दर्ज करने) ?

उनसे पूछें कि वे `सकारात्मक` रिकाल (भ्रष्ट को बदलने की प्रक्रिया/तरीका नागरिकों द्वारा) की बात कर रहें हैं (जिसमें लोगों को विकल्प ढूँढना होगा वर्त्तमान `पब्लिक के नौकर` को बदलने के लिए) या नकारात्मक रिकाल की बात कर रहे हैं (जिसमें लोगों को वर्त्तमान `पब्लिक के नौकर` के खिलाफ मत डालना होता है, उसे निकालने के लिए) ?

`सकारात्मक` रिकाल अव्यवस्था की स्तिथि कम करता है , जो पद खाली रहने से होती है और ये भ्रष्ट (अधिकारी) को नागरिकों द्वारा हटाना भी आसान बना देता है , क्योंकि `नकारात्मक` रिकाल में , नागरिक भ्रष्ट (अधिकारी) को नहीं हटाएंगे क्योंकि उन्हें दर है कि

अगला अधिकारी/व्यक्ति इससे भी बुरा हो सकता है | `सकारात्मक` रिकाल ये संभावना समाप्त कर देता है कि कोई व्यक्ति अपने पद से निकाला जायेगा कुछ ऐसा न कर पाने पर , जो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता हो , क्योंकि नागरिक देखेंगे कि विकल्प/दूसरा व्यक्ति भी कर नहीं सकता |

उनसे पूछें कि वो `राईट टू रिजेक्ट` की जो बात कर रहे हैं, वो एक बटन है जो हर पांच साल दबा सकते हैं (यानी इनमें से कोई नहीं) या `राईट टू रिजेक्ट,किसी भी दिन, नागरिकों द्वारा` /

(राईट टू रिजेक्ट हर पांच साल ` से कोई भी बदलाव नहीं आएगा | क्यों? क्योंकि ज्यादातर वोट वैसे भी किसी पार्टी के खिलाफ होते हैं , जैसे जो कांग्रेस से नफरत करता है, उनके लिए और कोई चारा नहीं कि वे भा.ज.पा. के लिए वोट डालें ताकि कांग्रेस न जीत पाए और ऐसे ही भा.जा.पा से नफरत करने वाले कांग्रेस को वोट देंगे, `इनमें से कोई भी नहीं` बटन होने के बावजूद | इसीलिए `राईट टू रिजेक्ट हर पांच साल , कोई भी बदलाव नहीं लाएगा |)

उसको पूछें कि पूरी परिस्स्थिति बताएं अपना दावा को समझाने के लिए , क़ानून-ड्राफ्ट और धाराएं बताते हुए |

11) ज्यादातर `प्रजा अधीन-राजा`के विरोधी , विदेशी कंपनियों और अन्य कंपनियों के मालिकों की तरफदारी करते हैं |

कम्पनियाँ `काम के समझौते` बनाती हैं, जिसमें `मर्जी पर कभी भी ` निकाल देने की शर्त लिखी होती है, वो भी बिना कोई सबूत दिए , कोई कारण-अच्छा, बुरा, या बिना कोई कारण दिए

इसके आलावा , एक `परखने का समय` भी होता है, जिसमें मालिक अपने मजदूरों को कभी भी निकाल सकता है, बिना कोई कारण दिए |

लेकिन सबूत-भगत (सबूतों की मांग करने वाले) अपनी सबूत की मांग सिर्फ आम नागरिकों के लिए करते हैं | वे कहते हैं कि ये अनैतिक है, कि किसी को बिना सबूत के निकालना | वो बड़े आराम से ये ही मुद्दा गोल कर देते हैं, जब कंपनियों के मालिकों के अधिकारों की बात होती है| तब वे कहते हैं ,कि कोई भी सबूत देने की मालिकों को जरूरत नहीं है और वो अपने कर्मचारी को निकाल सकता है , बिना कोई सबूत के !!

क्या ये खुला भेद-भाव नहीं है ? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है ?

हम, आम नागरिक , कंपनी मालिकों के समान अधिकार की मांग करते हैं |

जैसे कंपनी मालिकों को बिना कोई सबूत के , अपने कर्मचारियों को निकालने का अधिकार है, हम 120 करोड़ ,इस देश के मालिक , हमारे द्वारा देश को चलाने के लिए रखे गए नौकर, प्रधान-मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकपाल,जज, और अन्य जरूरी अधिकारी को निकालने का अधिकार होना चाहिए ,बिना कोई सबूत | हमारे पास `राईट टू रिकाल(भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), बिना कोई सबूत के ` होना चाहिए |

12) एक और चीज जो `प्रजा अधीन-रजा` के विरोधी बोलते हैं कि ` हमें क्यों सेना को मजबूत बनाने के लिए पैसे देना चाहिए टैक्स के रूप में , जैसे `विरासत टैक्स`, सीमा-शुल्क , `संपत्ति टैक्स` आदि ? वे अपने बारे में अधिक सोचते हैं, बजाय कि देश के |

अरे, यदि वे ये सब टैक्स नहीं देंगे , तो देश की सेना, पोलिस और कोर्ट देश की सुरक्षा नहीं कर पाएंगी , विदेशी कंपनियों और देशों को हमें गुलाम बनाने से , और सबसे पहले तो पैसे-वाले ही लूटे जाएँगे , और देश का 99% धन लूट लिया जायेगा |

और यदि कोई अपना धन-संपत्ति खुद सुरक्षा करने की कोशिश करता है , तो उसको कहीं ज्यादा खर्च करना होगा , मिलकर धन (सामूहिक धन-संपत्ति) की सुरक्षा करने पर जो खर्च होगा, उसकी तुलना में |

इसीलिए दोनों, आर्थिक(पैसे) के नजरिये से और अच्छे-बुरे(नैतिक) के नजरिये से , ज्यादा पैसे-संपत्ति वालों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए , कम पैसे और संपत्ति वालों कि तुलना में |

==========

कुछ `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी / जाली `प्रजा अधीन-राजा`-समर्थक अपने रुख पर जमे रहेंगे , कुछ `प्रजा अधीन-राजा` के समर्थक भी बन जाते हैं , सच्चाई जानने के बाद |

लेकिन यदि व्यक्ति, क़ानून-ड्राफ्ट पर बात करने से मना कर दे, अपना रुख स्पष्ट/साफ़ करने से मना कर दे, तो उसके साथ आगे चर्चा बंद कर दें , क्योंकि ये केवल समय की बरबादी ही होगी , वो समय जो दूसरों को `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट की जानकारी देने के लिए प्रयोग /इस्तेमाल कर सकते हैं |

उन लोगों को बोलना चाहिए कि ` हमें तुमसे चर्चा नहीं करनी क्योंकि तुम अपना नागरिक का कर्तव्य भी नहीं पूरा कर रहे, क़ानून-ड्राफ्ट ना पढ़ कर | हमें और दूसरों को कम से कम अपना कर्तव्य पूरा करने दो |`

(13.16) सारांश (छोटे में बात)

`प्रजा अधीन-रजा` के आंदोलन में मुश्किल हिस्सा ये है कि जब `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट भारतीय राज-पत्र में भी छाप जायें तो भी , कार्यकर्ताओं जिन्होंने अपना समय और पैसा लगाया है, उनको एक आम नागरिक से ज्यादा नहीं मिलेगा | कोई नाम, कोई सत्ता नहीं मिलेगी | इसमें तो देना ही देना है |और ये पहले दिन से हर कार्यकर्ता को साफ़ हो जाती है, कि इसमें फायदा शून्य/जीरो है | दूसरे पार्टियों और विचारधाराओं से अलग, `प्रजा-अधीन-राजा` के तरीके कोई भी गलत भ्रम नहीं पैदा करते | इसीलिए, केवल 100% निस्वार्थ व्यक्ति ही अपना समय/पैसा `प्रजा अधीन-राजा` के क़ानून-ड्राफ्ट की जानकारी फैलाने में लगायेगा | ये शायद आंदोलन को धीमा बना सकती है |

अध्याय 14 - `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)` आन्दोलन के जरिए लाना न कि चुनाव जीतकर

(14.1) भारत में सतयुग लाने के लिए तीन कदमों का तरीका

प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह के सदस्य के रूप में मैं भारत में सतयुग लाने के लिए निम्नलिखित तीन कदमों के तरीके का प्रस्ताव करता हूँ –

1. पहला कदम अथर्ववेद और सत्यार्थ प्रकाश पाठ 6 पृष्ठ 1 के इन संदेशों को भारत के करोड़ों नागरिकों के बीच फैलाना है "राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए नहीं तो वह जनता को लूट लेगा।"
2. करोड़ों नागरिकों को यह बताना है कि `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली राजा को प्रजा के अधीन लाने के लिए सबसे आसान ज्ञात तरीका है और इसलिए हमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों आदि को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना होगा।
3. यदि एक बार प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्रीगण `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो गए तो `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के खण्ड/ कॉलम का उपयोग करके हम नागरिकगण नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट , प्रजा अधीन - प्रधानमंत्री प्रारूप , प्रजा अधीन – उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश प्रारूप , प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर प्रारूप , जूरी प्रणाली/सिस्टम प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट और सैकड़ों ऐसे अन्य प्रारूपों को लागू कर सकते हैं ।

ये क़ानून-ड्राफ्ट भ्रष्टाचार, गरीबी आदि को कम कर देंगे। अब दूसरा कदम एक छोटा कदम है। अब मैं विस्तार से बताउंगा कि मैं कैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने का प्रस्ताव करूंगा।

(14.2) आन्दोलन (व्यापक आन्दोलन / जन आंदोलन) से मेरा क्या मतलब है?

सबसे पहले " व्यापक(फैला हुआ) / जन आन्दोलन " अर्थात आन्दोलन से मेरा क्या मतलब है? , खासकर "प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने का आन्दोलन" अथवा "प्रजा अधीन राजा के लिए आन्दोलन" के संदर्भ में आन्दोलन से मेरा अर्थ है कि जिसमें लाखों और करोड़ों लोग इस कार्य के लिए पैसे लिए बिना पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायक, सांसद, मंत्रियों के पास जाना शुरू कर देंगे और उनके माध्यम से मुख्यमंत्रियों व प्रधानमंत्री को बिना देरी किए `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे। नागरिक मुख्यमंत्रियों,

प्रधानमंत्री से कहेंगे कि वे बिना देरी किए `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर कर दें। नागरिकगण स्वयं ऐसा करेंगे, इसलिए नहीं कि उनपर कार्यकर्ताओं द्वारा भावात्मक रूप से दबाव डाला गया है। यह "तरीका/ऐप्रोच" पत्रों, टेलिफोन कॉल, एस. एम. एस., रैलियों, घेराव, प्रदर्शनों, समाचारपत्रों में विज्ञापनों, नारों आदि के रूप में हो सकता हैं। प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्रीगण एक ऐसी प्रणाली की स्थापना कर सकते हैं जो यह बात ठीक-ठीक बता सके कि कितने नागरिक `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) चाहते हैं और नागरिकों को तब तक कोई हिंसात्मक कार्रवाई बिलकुल नहीं करनी होगी जब तक कि यह पूरी तरह से स्थापित/पक्का नहीं हो जाता कि अधिकतर नागरिक `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली अवश्य चाहते हैं ।

इसलिए इस आन्दोलन को खड़ा करने में मुझे किन कार्यों को करने की जरूरत पड़ेगी जिस आन्दोलन में लाखों नागरिक मुख्यमंत्रियों व प्रधानमंत्री से `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना शुरू कर दें? ये कार्य हैं-

1. मुझे करोड़ों नागरिकों को संतुष्ट करना होगा कि `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली से उन्हें लाभ होगा।
2. मुझे करोड़ों नागरिकों को संतुष्ट करना होगा कि यह नागरिकों के लिए संभव है कि वे प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्रियों पर `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए उनकी अपनी इच्छा के विरूद्ध और अभिजात/उच्च वर्ग के लोगों की इच्छा के विरूद्ध दबाव डाल सकते हैं।
3. मुझे करोड़ों नागरिकों को संतुष्ट करना होगा कि यह संभव है कि नागरिकगण प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को **बुद्धिजीवियों, मीडिया-मालिकों आदि की मदद के बिना, सांसदों व विधायकों की मदद के बिना और चुनाव का इंतजार किए बिना** `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर सकते हैं।
4. जब करोड़ों नागरिक संतुष्ट हो जाएं कि प्रधानमंत्री `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप पर हस्ताक्षर कर देंगे तब मुझे करोड़ों नागरिकों को इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा कि करोड़ों अन्य नागरिक संतुष्ट हैं कि प्रधानमंत्री को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप पर हस्ताक्षर करना ही होगा।

अंतिम/पिछले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे केवल एक संचार-तंत्र की जरूरत पड़ेगी। और पहले तीन उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए –

1. मुझे लाखों कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना होगा कि `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली से नागरिकों को लाभ होगा।
2. मुझे लाखों नागरिकों को संतुष्ट करना होगा कि यह संभव है कि वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों पर `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के लिए उनकी अपनी इच्छा के विरूद्ध और अभिजात/उच्च वर्ग के लोगों की इच्छा के विरूद्ध दबाव डाल सकते हैं।

3. मुझे करोड़ों नागरिकों को संतुष्ट करना होगा कि यह संभव है कि नागरिकगण प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों को बुद्धिजीवियों, मीडियामालिकों आदि की **मदद के बिना,** सांसदों व विधायकों की मदद के बिना और चुनाव का इंतजार किए बिना `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर सकते हैं।
4. मुझे कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए संतुष्ट करने की जरूरत पड़ेगी कि उन्हें हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा साथी कार्यकर्ताओं और नागरिकों को उपर उल्लिखित मदों के बारे में संतुष्ट करने में लगाना पड़ेगा।

(14.3) क्या नागरिकगण इतने शक्तिशाली हैं कि वे प्रधानमंत्री को बाध्य / मजबूर कर दें ? अथवा क्या आन्दोलन एक बेकार का विचार है।

भारत के बुद्धिजीवियों ने एक गलत भ्रम फैला दिया है कि नागरिक के हाथों और पैरों में ताकत नहीं होती । वे इतने कमजोर होते हैं कि वे प्रधानमंत्री को उनकी इच्छा के विरूद्ध कागज के एक टूकड़े पर भी हस्ताक्षर करने के लिए कभी बाध्य नहीं कर सकते हैं। मुझे यह दिखलाने की जरूरत है कि यह एक सफेद झूठ है ।

नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को उनकी इच्छा के विरूद्ध `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालने की ताकत रखते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बहुत ही कमजोर लोग होते हैं। उनमें इतनी भी ताकत नहीं होती कि वे कुछ लाख नागरिकों के खिलाफ भी विरोध नहीं झेल सकें। वास्तव में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह इतने कमजोर हैं कि वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी ना नहीं कह सकते। और पाकिस्तान जैसे छोटे देश भी खुलेआम उनका मजाक उड़ाते हैं। निश्चित रूप से हम नागरिकगण इतने शक्तिशाली तो हैं ही कि ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री को कागज के एक टूकड़े पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दें।

सिद्धांत की बात छोड़ दें, मैं आपको कुछ वास्तविक उदाहरण देता हूँ कि आन्दोलन कितने सफल रहे हैं –

1. वर्ष 1974 में गुजरात में लगभग 50000 छात्रों ने उस समय के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल से त्यागपत्र देने की मांग की और कई लाख नागरिकों ने उनका समर्थन किया और बाद में छात्रों ने प्रत्येक /हरेक विधायक के त्यागपत्र की मांग की। कुछ महीनों के भीतर मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। हरेक विधायक ने भी ऐसा ही किया। नागरिकों का दबाव इतना तीव्र होता है कि मुख्यमंत्री और विधायकों को न चाहते हुए भी ऐसा काम करना पड़ा। इसलिए, **यह नागरिकों के लिए संभव है कि वे मुख्यमंत्री, विधायकों को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना तो भूल जाइए, त्यागपत्र तक देने को बाध्य कर सकते हैं।**
2. 1984 में गुजरात में गुजरात के कुछ छात्रों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री माधवसिंह सोलंकी के त्यागपत्र की मांग की और कई लाख नागरिकों ने उनका समर्थन किया। यह विरोध कई महीनों तक चला। अंत में मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने अपनी मर्जी से त्यागपत्र नहीं दिया। नागरिकों का दबाव इतना था कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। इसलिए यह नागरिकों के लिए संभव है कि वे मुख्यमंत्री व विधायकों

को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना तो भूल जाइए, त्यागपत्र तक देने को बाध्य कर सकते हैं।

3. 1972 में देवी इंदिरा गाँधी ने आपातकाल समाप्त की । इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि जेलों में सभी उम्र के कार्यकर्ता भरे पड़े थे । कार्यकर्ताओं से पूरी तरह भरा हुआ कोई भी जेल किसी जेलर और प्रधानमंत्री के लिए बुरे सपने की तरह होता है। क्यों? क्योंकि पुलिस और कैदी का अनुपात बहुत घट जाए तो कैदी अन्दर से जेल को तोड़ने का साहस कर सकते हैं। अब यदि पुलिसवालों ने हत्यारों, बलात्कारियों अथवा चोरों को जेल के अन्दर गोलियों से भून दिया तो नागरिकगण उनका समर्थन करेंगे। लेकिन यदि पुलिसवालों ने कार्यकर्ताओं को गोलियों से भून दिया जिनका और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो नागरिकगण सारे जेल को जलाकर खाक कर सकते हैं । और जब एक जेल टूट जाए तो इसकी खबर देश भर के जेलों में बन्द कैदियों को हिम्मत / ताकत दे देगी और कई अन्य जेल भी टूट जाऐंगे और जब जेल टूट जाएंगे तो स्थानीय पुलिस स्टेशनों के पुलिसवाले के पास आन्दोलनकारी कैदियों से निपटने का केवल एक ही रास्ता बच जाएगा - गोली मारना। क्योंकि आन्दोलनकारियों को बंदी बनाकर जेल में डालने के लिए कोई जेल ही नहीं बचेगा। चूंकि हजारों लोगों को गोली मार देना कोई विकल्प नहीं है इसलिए जब जेलें टूटेंगी तो पुलिसवालों के पास मूक दर्शक बनकर आन्दोलनकारियों को देखने के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाएगा। इससे नागरिकों की हिम्मत बढ़ जाएगी और अधिक से अधिक नागरिक आन्दोलनकारी बन जाऐंगे और आन्दोलन बढ़ेगा। देवी इंदिरा गाँधी को पूर्वानुमान हो गया कि अब जेलें टूट सकती हैं और यदि ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ आन्दोलन जंगल की आग की तरह भड़क जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर यह आन्दोलन अथवा आन्दोलन का डर ही था जिसने देवी इंदिरा अम्मा को आपातकाल समाप्त करने के लिए राजी कर दिया।

4. एक छोटे उदाहरण के रूप में, वर्ष 1991 में छात्रों के आन्दोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसलिए मैंने दो राष्ट्रीय उदाहरण और दो गुजरात-स्तरीय ठोस उदाहरण देकर यह दर्शाया है कि नागरिकगण प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उनकी इच्छा के विरूद्ध भी कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। कोई व्यक्ति भारत के अन्य/दूसरे राज्यों के अनुभव भी इसमें जोड़ सकता है। जिला स्तर पर आन्दोलनों की सफलता तो और भी ज्यादा स्थापित बात है। वास्तव में, तथाकथित चुनाव की प्रक्रिया नियमित चलाई जाती है क्योंकि विशिष्ट वर्ग/उच्च वर्ग के लोग ऐसा करना आन्दोलन से बचने के लिए एक जरूरी शर्त मानते हैं। दूसरे शब्दों में, **एक मात्र कारण कि चुनाव क्यों होते हैं – यह केवल आन्दोलनों का डर होता है।**

इसलिए, जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम) के लिए आन्दोलन कैसे शुरू किया जाए? यह एक आसान काम तो है, लेकिन इसमें काफी काम करना होगा। बुद्धिजीवी लोग यह दावा करते हैं कि नागरिक मूर्ख होते हैं और वे जागरूक नहीं होते, लेकिन ये बुद्धिजीवी लोग झूठे हैं। नागरिकगण बहुत ज्यादा समझदार हैं और अपने हितों के लिए जागरूक भी होते हैं – उनके पास केवल उन तरीकों और साधनों की जानकारी नहीं है कि कैसे पश्चिमी देशों के

लोगों ने अपनी इस समस्या का समाधान किया और किन प्रारूपों/ड्राफ्टों के माध्यम से भारत में वे तरीके और साधन लागू किए जा सकते हैं। **यदि एक बार नागरिकों को उनके हित के ड्राफ्टों की जानकारी मिल जाए तो उनके अपने हित ही उन्हें इसके(`जनता की आवाज़`पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम)) लिए कार्रवाई करने की प्रेरणा दे देंगे। उन्हें इसके लिए बताना नहीं पड़ेगा और न ही कोई जोर-जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी।**

(14.4) जयप्रकाश नारायण वर्ष 1977 से पहले इस कानून को लागू कराने में असफल रहे थे। जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत प्रणाली (सिस्टम)) के लिए आन्दोलन कैसे सफल होगा?

एक उचित प्रश्न जिसका सामना मुझे करना होता है, वह है : जयप्रकाश नारायण कांग्रेस नेताओं को इन कानूनों को लागू करने के लिए बाध्य करने में असफल रहे थे| इसीलिए `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूपों/ड्राफ्टों के समर्थकों कों ये क़ानून-ड्राफ्ट नागरिकों को बताने/सूचित करने की जरूरत है।

(14.5) एकमात्र कार्य – संचार / संपर्क कार्य

इसलिए वे लोग जो `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) के प्रारूपों/ड्राफ्टों का समर्थन करते हैं उनका काम नागरिकों को यह बताना है -

1. कि `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट के खण्ड गरीबी, पुलिसवालों में भ्रष्टाचार, न्यायालयों में भ्रष्टाचार आदि को कम कर देंगे।
2. और नागरिकों को यह भी बताएं कि वे बुद्धिजीवी झूठे हैं जो यह दावा करते हैं कि नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को बाध्य करने में सक्षम नहीं हैं/ बाध्य नहीं कर सकते और वे ये झूठी बातें केवल कार्यकर्ताओं को रास्ते से भटकाने के लिए कहते हैं ताकि कार्यकर्तागण केवल गैर सरकारी संगठनों अथवा राजनैतिक पार्टियों के लिए ही काम करें और कोई आन्दोलन करने का लक्ष्य नहीं बनाएं।

ये दोनों बातें (लोगों को) बताना आवश्यक/जरूरी है और इतना करना ही काफी होगा।

(14.6) अपनी बात का प्रचार-प्रसार कैसे किया जा सकता है?

यह बताने में लगभग 20-25 घंटे लगते हैं कि कैसे `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली क़ानून-ड्राफ्ट, नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (आमदनी) (एम. आर. सी. एम.) क़ानून-ड्राफ्ट और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) ड्राफ्ट गरीबी और भ्रष्टाचार कम कर सकती है|

नागरिकों के उचित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और उन्हें `जनता की आवाज़` पारदर्शी शिकायत प्रणाली ड्राफ्ट , नागरिक और सेना के लिए खनिज रोयल्टी(आमदनी) (एम.आर.सी.एम) ड्राफ्ट और भ्रष्ट कों निकालने का अधिकार के ड्राफ्ट कों उन्हें समझाने के लिए , पहले स्वयं कों ये प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट कों समजने के लिए 200-2000 घंटों की आवश्यकता होती है | बुद्धिजीवियों के अधिक प्रश्न होंगे बनस्पत के अन्य लोगों के |

इसीलिए जिन्हें ये क़ानून-ड्राफ्ट भारत में लागू करवाने हैं . उनको अपने आसपास के अधिक से अधिक नागरिकों कों ये ड्राफ्ट कों सूचित करना है|

तो ये सूचना कैसे फ़ैल सकती है, इसका अनुमानित मॉडल/नक्शा निम्नलिखित है

<u>पहला (प्रसारण) स्तर</u>

1. अपना समय और वित्तीय संसाधन/पैसा खर्च करके मैं `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के खण्ड, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) क़ानून-ड्राफ्ट , नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूपों आदि के बारे में भारत के सबसे उपर के लगभग 2 लाख से 5 लाख नागरिकों में जानकारी फैलाउंगा और भारत के सबसे नीचे के 110 करोड़ लोगों में से लगभग 10000 से 20000 नागरिकों तक भी कोशिश करके पहूंच सकूंगा।
2. 10000 से 20000 नागरिक यह देख पाएंगे कि नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) का लागू होने से उन्हें सीधा लाभ है। लेकिन वे इंतजार करेंगे कि सबसे उपर के 5 करोड़ लोगों के समूह के मध्यम स्तर के लोग पहल करें/पहला कदम उठाएं।
3. इन 2 से 5 लाख लोगों में से लगभग 2000 से 5000 लोग प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों के लिए आगे प्रचार अभियान चलाने में हर सप्ताह एक घंटे का समय देने के लिए **सहमत हो जाएंगे/मान जाएंगे**।
4. इन कानूनों के लिए प्रचार अभियान चलाने के लिए लगभग 5000 लोग प्रति/हर सप्ताह 1 घंटा समय देने के इच्छुक होंगे, लगभग 500 लोग प्रति/हर सप्ताह 2 घंटा समय देने के इच्छुक होंगे, लगभग 50 लोग हर सप्ताह 4 घंटा समय देने के इच्छुक होंगे और लगभग 5 लोग हर सप्ताह 10 घंटे का समय देने के लिए सहमत हो जाऐंगे।

<u>इसके बाद के स्तर</u>

5. 1000 वैसे लोगों, जो `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली के क़ानून-ड्राफ्ट , प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूपों और `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी)` क़ानून-ड्राफ्ट को चाहते हैं, उनमें से लगभग 900 लोग इसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं देंगे, लगभग 50 लोग अपनी पूरी जिन्दगी में औसतन 5 लोगों को यह जानकारी देंगे, लगभग 40 लोग में से हरेक व्यक्ति अपनी पूरी जिन्दगी में 20 लोगों को यह जानकारी देंगे,

लगभग 9 लोग अपनी पूरी जिन्दगी में 100 लोगों को यह जानकारी देंगे और 1000 लोगों में से 1000 में से एक व्यक्ति अपनी पूरी जिन्दगी में यह जानकारी कुछ हजार से लेकर कई लाख लोगों को देगा।

6. अनेक राजनैतिक दलों/पार्टियों में सैकड़ों समर्पित नेता हैं। और उनमें से लगभग 10-20 की पहूंच टेलिविजन चैनलों, समाचारपत्रों आदि के जरिए लाखों और करोड़ों लोगों तक है। जब वे देखेंगे कि सैकड़ों कार्यकर्ता प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का समर्थन कर रहे हैं तो उनमें से थोड़े नेता प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) क़ानून-ड्राफ्ट का समर्थन करने का निर्णय करेंगे और इससे कुछ ही महीनों के भीतर (इसके बारे में) जानने वालों में लाखों और करोड़ों लोग बढ़ जाएंगे। इस कदम का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। लेकिन यदि कहीं ऐसा हो जाता है तो ऐसा केवल उपर उल्लिखित 1 से 6 कदमों को लगातार अमल में लाने के ही कारण ही हो सकेगा।

<u>अंतिम / सबसे निचला स्तर</u>

7. जब `जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी)` आदि कानून के खण्डों के बारे में जानकारी लाखों और करोड़ो नागरिकों तक पहूंचेगी तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों आदि पर दबाव बढ़ेगा।

`जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) क़ानून-ड्राफ्ट , प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूपों और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में जानकारी फैलाने के लिए विस्तार से उठाए जा सकने वाले कुछ कदमों की सूची " हर सप्ताह केवल एक घंटे देकर आप ------ लाने में सहायता दे सकते हैं " नाम के पाठ में दी गई है। वे लोग जो प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के समर्थक हैं वे इन कार्रवाइयों के बारे में पढ़ना और उन्हें अमल में लाना शुरू कर सकते हैं।

यदि प्रधानमंत्री आदि हिंसा का सहारा लेते हैं, तो अगले स्तर की कार्यवाईयां प्रारंभ/शुरू कर दी जाएंगी (कृपया अध्याय 46 " उधम सिंह योजना " नाम के पाठ को देखें/पढ़ें)।

सार- यदि दो लाख से तीन लाख कार्यकर्ता अपना महीने का कमसे कम 10 घंटा और अपना स्वयं का कुछ धन खर्च करते हैं ,पैम्फलेट , सी.डी. ,विज्ञापन आदि में ,कोई चंदा नहीं (चंदा देना/लेना इस कार्य के लिय के हम सख्त खिलाफ हैं) तो केवल एक साल में वे कार्यकर्ता सभी भारत के मतदाता-नागरिकों कों सूचित कर सकेंगे इन जनसाधारण-समर्थक क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में | और ये सूचना मिलने पर वो इसके लिए मांग करेंगे विशेषकर पारदर्शी शिकायत प्रणाली के लिए और तब कुछ ही महीनों के बाद ये क़ानून भारत में आ जाएँगे|

अध्याय 15 - प्रिय कार्यकर्ता, क्या आपकी कार्रवाई पर्याप्त और क्लोन पॉजिटिव है?

(15.1) यह कैसा प्रश्न है ? और यह क्लोन पॉजीटिव होना क्या बला है?

भारत में स्वार्थ-रहित कार्यकर्ता बुरी तरह असफल हो रहे हैं। वर्षों के प्रयास के बावजूद खाद्य-गरीबी(स्वस्थ, सस्ता, भोजन प्राप्त करने में असमर्थता) में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। पुलिस/न्यायालय में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिमी देशों में कार्यकर्ता अपने देशों में गरीबी और भ्रष्टाचार कम करने में सफल रहे हैं जबकि हम असफल होते रहे हैं। क्यों? स्वार्थ-रहित कार्यकर्ता इसलिए नहीं असफल हो रहे हैं कि उनकी संख्या कम है बल्कि भारत में सभी स्वार्थ-रहित कार्यकर्तागण अपर्याप्त और क्लोन निगेटिव कार्यों में लगे हैं । इसलिए “अपर्याप्त” कार्य क्या है? और यह क्लोन पाजिटिव होना और क्लोन निगेटिव होना क्या होता है?

(15.2) इस पाठ का उद्देश्य / प्रयोजन

इस पाठ और इससे अगले पाठ में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई है। इस पाठ और इससे अगले पाठ में मैं यह दिखलाने का प्रयास करूंगा कि कैसे मेरा प्रस्ताव (यह कि कार्यकर्ताओं को नागरिकों से कहना चाहिए कि वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, महापौरों पर `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कानून पारित करने के लिए दबाव डालें), अधिकांश अन्य दूसरे तरीकों से, जिसका प्रस्ताव अन्य कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं, कम महंगा और ज्यादा प्रभावशाली है। लेकिन मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं से कहूं कि वे अपना संगठन छोड़कर मेरे संगठन में आ जाए। मेरा प्रयोजन कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए राजी करना है कि वे अपने नेताओं से कहें कि वे (नेता) अपने समूह के ऐजेंडे में `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि को शामिल कर लें । मेरे विचार से, यह भारत में `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) लाने में ज्यादा तेज तरीका है और कार्यकर्ताओं से `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) को अपने संगठन के एजेंडे में शामिल करने के लिए कहना क्लोन पाजिटिव है।

(15.3) सबसे महत्वपूर्ण खतरा जिसका सामना भारतीय कर रहे हैं - और अधिकांश सक्रियवादी नेता इसकी अनदेखी कर रहे हैं

यदि मैं पांच सबसे बड़े और महत्वपूर्ण खतरे के बारे में पूछूं जिनका सामना आज भारत कर रहा है तो कोई व्यक्ति इस्लामी आतंकवाद अथवा नक्सलवाद अथवा गरीबी अथवा भ्रष्टाचार अथवा शिक्षा की गिरती हालत आदि को बताएगा। ये खतरे वास्तव में पहले पांच खतरों की सूची में रखे जाने लायक हैं, इनमें कुछ व्यक्तिगत धारणा हो सकती है। **लेकिन ज्यादातर नागरिक उस सबसे बड़े खतरे की अनदेखी कर रहे हैं जिसका सामना आज भारत कर रहा है। यह है – भारतीय सेना का कमजोर होते जाना। और तब इसका परिणाम होगा – भारत का**

'इराकीकरण' और "लिबरेशन ऑफ इंडिया अर्थात पश्चिमी देशों द्वारा भारत को फिर से गुलाम बनाया जाना।"

अधिकांश भारतीय समाचारपत्र मालिकों,टेलिविजन चैनल मालिकों और प्रमुख/प्रसिद्द बुद्धिजीवियों के बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से आर्थिक सम्बन्ध हैं । और वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि - भारतीय सेना दिनों-दिन कमजोर होती जा रही है – इस समस्या को उजागर नहीं करेंगे। लेकिन, भारतीय सेना आज इतनी कमजोर है कि पश्चिमी देश /चीन जिस दिन भारत पर आक्रमण करने का निर्णय कर लें उस दिन भारत को नाश/तहस-नहस कर सकते हैं और अब हमलोगों के पास केवल कुछ ही वर्ष बचे हैं जिसके बाद पश्चिमी देश/चीन भारत को गुलाम बनाने का निर्णय कर सकते हैं। पश्चिमी देश/चीन भारत पर सीधे आक्रमण न करके पाकिस्तानी सेना को धन, हथियार और सेटेलाइट/उपग्रह द्वारा प्राप्त सूचनाएं दे सकते हैं और भारत में एक जातिसंहार करवा सकते हैं अथवा पश्चिमी देश/चीन नक्सलियों को सबसे आधुनिक/अच्छे हथियार देकर भारतीय सेना को तहस-नहस करने के लिए कह सकते हैं (जैसा कि नेपाल में हुआ है)। और यदि हम अगले कुछ वर्षों में अपनी सेना में सुधार नहीं करते हैं तो भारत एक "इराक" बन सकता है। अब सेना में सुधार करके उसे अमेरिका के बराबर ताकतवर बनाना आसान है, यदि एक बार कुछ अच्छे कानून पारित हो जाएं। लेकिन इन कानूनों को लागू करवाने के लिए कार्यकर्ताओं का समय चाहिए और यदि कार्यकर्तागण इन कानूनों को लागू करवाने के लिए समय नहीं देने का निर्णय कर लेते हैं तो मुझे भारतीय सेना में सुधार लाने को कोई रास्ता नहीं दिखता ।

इसलिए जो कार्यकर्ता, जिसके मुद्दों में "सेना में सुधार" के लिए आवश्यक कानूनों/नीतियों के क़ानून-ड्राफ्ट शामिल नहीं हैं तो वह भारतीयों को उस सबसे खतरनाक खतरे से बचाने में मदद नहीं कर रहा है, जिस खतरे का सामना भारत को आनेवाले भविष्य में करना पड़ेगा। एक तुलना के रूप में ,एक शहर पर विचार कीजिए जो अगले 24 घंटे में एक भीषण बाढ़ का सामना करने वाला है। अब, आज के भारत के सभी कार्यकर्ता जिनके ऐजेंडे में "सेना में सुधार" की नीतियां/कानूनों के क़ानून-ड्राफ्ट नहीं हैं, वे उस शहर में वैसे "भलाई करने वाले" की तरह हैं जो सभी अच्छे कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन वे नागरिकों को आने वाले बाढ़ की सूचना/जानकारी नहीं दे रहे हैं, और न ही उन्हें बाढ़ से बचने अथवा बाढ़ न आने देने के तरीके/रास्ते ही बता रहे हैं। मैं सभी सच्चे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वे वैसे ऐजेंडों/कार्यसूची से बचें और उन ऐजेंडों को अपनाएं जिनमें "सेना में सुधार" एक महत्वपूर्ण मुद्दा/बिन्दु है।

(15.4) अच्छी राजनीती बनाम दुकानदारी राजनीति

आम व्यावसायिक राजनीती वह है जहां लोग राजनीतिक दलों में शामिल होते हैं अथवा मतदाताओं को लुभाने/प्रभावित करने के लिए दान-भलाई का काम करते हैं, जिससे चुनाव जितने में मदद मिलती है और फिर चुनाव जीतने के बाद घूस वसूलना शुरू हो जाता है अथवा चुनाव जीतनेवालों से आर्थिक मदद मिलती है। यह व्यावसायिक राजनीति कई प्रकार से विपणन/मार्केटिंग/दुकानदारी से मिलता-जुलता काम है। साम-दाम-दण्ड-भेद लगाकर/हर तरीके अपनाकर भी व्यावसायिक राजनीतिज्ञों अथवा व्यावसायिक गैर सरकारी संगठनों का काम मतदाताओं को लुभाना/ललचना होता है। पर इसके विपरित "अच्छी राजनीति" भी होती है

जिसमें कार्यकर्ता गरीबी और भ्रष्टाचार कम करने के लिए काम कर रहे होते हैं।यह “अच्छी राजनीति” विपणन/मार्केटिंग/दुकानदारी से पूरी तरह भिन्न/अलग और अकसर उसके विपरित होती है। विपणन/मार्केटिंग में ‘क’ ‘ख’ को इस बात पर राजी करने की कोशिश कर रहा होता है कि ‘ख’ को कुछ चीज खरीद लेना चाहिए । और इससे ‘क’ अथवा दोनो (‘क’ और ‘ख’) को फायदा होगा । जबकि “अच्छी राजनीति” में दो समर्पित और धनवान/संपन्न व्यक्ति ‘क’ और ‘ख’ यह हिसाब बैठाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे गरीबों और भ्रष्टाचार के शिकार लोगों को मदद की जा सकती है। न तो ‘क’ और न ही ‘ख’ को कोई अपना फायदा चाहिए। वास्तव में दोनो जानते हैं कि इससे आखिर में उसका बहुत नुकसान “कोई फायदा नहीं” होना निश्चित है। इस तरह गहराई से देखें तो “अच्छी राजनीति” अकसर विपणन/मार्केटिंग से उल्टा है और इसलिए, विपणन/मार्केटिंग में प्रयोग में लाए जाने वाले बहुत से प्रेरक/प्रोत्साहन आधारित तरीके “अच्छी राजनीति” में बिलकुल ही काम नहीं करते। कुछ हद तक नि:स्वार्थी होना अच्छी राजनीति के लिए जरूरी है पर यह नि:स्वार्थ भाव विपणन/मार्केटिंग/दुकानदारी के ज्यादातर मामलों में बिलकुल जरूरी नहीं होता। **“ अच्छी राजनीती” में व्यक्ति अंशकालीन कार्य करता है और अपने कमाया हुआ धन और समय लगाता है उन क़ानून-ड्राफ्ट के प्रसार के लिए जो देश की व्यवस्था बदल सकते हैं | “दुकानदारी राजनीती” में व्यक्ति पुरे समय उसी में लगता है और अपने पालन-पोषण और प्रचार के लिए दान पर निर्भर रहता है जिससे उसके निर्णय दान करता के स्वार्थ से प्रभावित होती है |**

अब विपणन/मार्केटिंग/दुकानदारी और अच्छी राजनीति ये दोनों कैसे अलग-अलग हैं? बहुत से अन्तर हैं जिनमें से मैं सबसे महत्वपूर्ण अन्तर पर प्रकाश डालूंगा। विपणन/मार्केटिंग में जब तक कम्पनी के मालिक के पास पैसा है तब तक वह कितने भी बुद्धिजीवी और सक्षम लोगों को किराए पर या पैसा देकर काम पर रख सकते हैं और कमिशन आधारित रूपरेखा बनाकर वह नियत लागतों को कम से कम कर सकता है। **इस तरह विपणन/मार्केटिंग में पैसे का महत्व है, प्रतिबद्ध/समर्पित लोगों की बड़ी संख्या का नहीं।** लेकिन अच्छी राजनीति इससे बिलकुल विपरित है । **किसी भी देश में “अच्छी राजनीति” में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात पैसा नहीं होती है बल्कि समर्पित व्यक्तियों की होती है।** अच्छी राजनीति में पैसे की जरूरत अवश्य होती है लेकिन यह मुद्दा दूसरे स्थान पर आता है। और सबसे बड़ा और पहला मुद्दा समर्पित व्यक्ति ही होते हैं। इसलिए **कौन व्यक्ति समर्पित व्यक्ति है, मैं इसके लिए मोटे तौर पर दो मानदण्ड रखूंगा।**

पहला मानदण्ड - एक समर्पित व्यक्ति वह है जो हर सप्ताह एक घंटे काम करने का इच्छुक हो और पैसे, प्रसिद्धि/नाम, सत्ता आदि की उम्मीद किए बिना गरीबी कम करने और पुलिसवालों, मंत्रियों, न्यायालयों में भ्रष्टाचार कम करने में अपनी वार्षिक आय का 5 प्रतिशत खर्च करने की इच्छा रखता हो।
दूसरा मानदण्ड – एक समर्पित व्यक्ति वह है जो प्रति हर सप्ताह एक घंटे काम करने का इच्छुक हो और अपनी वार्षिक आय का 5 प्रतिशत खर्च करने की इच्छा रखता हो, अपनी सम्पत्ति का 5 प्रतिशत दांव पर लगाने का भी इच्छुक हो और पैसा प्रसिद्धि/नाम, सत्ता आदि की उम्मीद किए बिना गरीबी कम करने और पुलिसवालों, मंत्रियों, न्यायालयों में भ्रष्टाचार कम करने के लिए अपने जीवन के 6 महीने जेल में बिताने को तैयार हो।

(15.5) “अच्छी राजनीति” में सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत / प्रमुख सीमा

कुछ समय के लिए हमलोग *पहले मानदण्ड* पर ही चर्चा करेंगे। इस प्रकार भारत देश में (अथवा किसी देश में) कितने लोग हर सप्ताह लगभग एक घंटा समय देना और अपनी वार्षिक आय का लगभग 5 प्रतिशत गरीबी कम करने और पुलिस/न्यायालयों में भ्रष्टाचार कम करने के लिए लगाना चाहेंगे? और वह भी बदले में नाम, पैसा, सत्ता आदि की चाह किए बिना? भारत के ऊपर के पांच करोड़ व्यक्तियों में से केवल 3 से 5 प्रतिशत लोग अपनी आय का एक प्रतिशत खर्च कर सकते हैं और केवल 3 से 5 प्रतिशत लोग गरीबी / भ्रष्टाचार कम करने के लिए एक मिनट का समय भी लगाना चाहेंगे। इसलिए भारत में गरीबी / भ्रष्टाचार कम करने के लिए अपनी आय का 5 प्रतिशत और हर सप्ताह एक घंटा समय देने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या केवल लगभग 15 लाख से 20 लाख है। यह सीमा कि **भारत में केवल 15 लाख से 20 लाख सच्चे कार्यकर्ता हैं, यह अच्छी राजनीति की मूलभूत सीमा है ।** मार्केटिंग/विपणन/दुकानदारी और व्यावसायिक राजनीति में ऐसी कोई सीमा नहीं होती । मेरे विचार से, सभी जूनियर/कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को अपने मन में हमेशा यह सीमा याद रखनी चाहिए और प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अपर्याप्त और क्लोन – निगेटिव कार्यकलाप पर खर्च किया गया कोई भी क्षण आनेवाले समय में फिर से गुलाम बनने से बचने में भारत की मदद नहीं करेगा।

(15.6) असली कार्यकर्ता नेता बनाम नकली कार्यकर्ता नेता

मैं मोटे तौर पर कार्यकर्ताओं को दो समूह में बांटता हूँ। **कनिष्ठ कार्यकर्ता और कार्यकर्ता नेता।** कनिष्ठ कार्यकर्ता सक्रियवाद/एक्टिविज्म अथवा राजनीति में कोई कैरियर/जीविका नहीं बनाना चाहता है। ये लोग कार्यकर्ता बनकर पैसे कमाने में रूचि नहीं रखते और सबसे कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता केवल *पार्ट-टाइम* कार्य करना चाहते हैं जबकि सक्रियवादी/कार्यकर्ता नेता जैसे कि मैं लेखक, सक्रियवाद/एक्टिविज्म के काम में कई-कई घंटे लगा देते हैं और हमारी प्रत्यक्ष या परोक्ष राजनीतिक महत्वकांक्षाएं हो सकती हैं। लगभग सभी कनिष्ठ कार्यकर्ता, जिनसे मैं अबतक मिला हूँ, वे मुझे सच्चे लगे। लेकिन अधिकांश कार्यकर्ता नेता, जिनसे मैं मिला, वे **मेरे विचार में**, नकली/बनावटी लगे। मेरे विचार से, अधिकांश सक्रियवादी नेता कम ही समय में पैसा बनाना चाहते हैं अथवा उनके दीर्घकालिक उच्च “गलत राजनीतिक लक्ष्य” होते हैं । अब इसका कनिष्ठ कार्यकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बात कैसे मायने रखती है कि कार्यकर्ता नेता असली है या नकली ?

यह बात क्यों मायने रखता है कि कार्यकर्ता नेता वास्तविक है या नकली ?

एक कनिष्ठ/छोटा कार्यकर्ता, जो भारत में गरीबी और भ्रष्टाचार कम करना चाहता है, वह स्वतंत्र रूप से काम करेगा या फिर किसी कार्यकर्ता नेता के साथ काम करेगा। मैं सुझाव दूंगा कि कनिष्ठ कार्यकर्ता को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, लेकिन कई कनिष्ठ कार्यकर्ता यह मानते हैं कि उन्हें काम करने के लिए एक समूह की जरूरत होगी और इसलिए अकसर वे किसी समूह वाले कार्यकर्ता नेता की तलाश में रहते हैं । अब यदि सक्रियवादी नेता नकली हुआ तो कनिष्ठ कार्यकर्ता अपना सारा समय ऐसे कार्यों को करने में व्यर्थ करते हुए बिता देगा जिससे

गरीबी और भ्रष्टाचार बिलकुल कम नहीं होगा। इसलिए यदि कनिष्ठ/छोटा कार्यकर्ता गरीबी भ्रष्टाचार कम करने और सेना में सुधार करने का लक्ष्य रखता है तो उसे इस बात का पता लगाना होगा कि कौन सा कार्यकर्ता नेता सही/*असली* है और कौन कार्यकर्ता नकली । कैसे कोई कनिष्ठ कार्यकर्ता किसी वास्तविक और किसी नकली कार्यकर्ता नेता के बीच अन्तर करेगा? एक तरीका जिसका सुझाव मैं देता हूँ **- कनिष्ठ** कार्यकर्ता को **उन सभी कार्यवाइयों की जांच करनी चाहिए, जिसका कार्यकर्ता नेता प्रस्ताव कर रहा है और जिसका वह विरोध कर रहा है।** कृपया ध्यान दें : कनिष्ठ कार्यकर्ता को उन कार्यवाइयों को देखना चाहिए जिसका सक्रियवादी नेता विरोध कर रहा है। यदि कार्यकर्ता नेता जानबूझकर अपर्याप्त और क्लोन निगेटिव कार्यवाइयों तक सीमित रहता है और वह कार्यकर्ता नेता क्लोन पॉजिटिव कार्यवाइयों और कार्यविधियों पर काम करने से मना करता है तो मेरे विचार से वह कार्यकर्ता नेता नकली आदमी है । मैं पाठकों से अनुरोध करता हूँ कि वे “अच्छी राजनीति की सबसे मूलभूत सीमा” को याद करें – भारत में केवल लगभग 20,00,000 सच्चे कार्यकर्ता हैं *इसलिए यदि भारत में सभी 20,00,000 सच्चे कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता अपर्याप्त कार्रवाइयों अथवा क्लोन-निगेटिव कार्यकलापों पर समय बरबाद करने में लगे रहेंगे तो गरीबी/भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आएगी और भारतीय सेना में कोई सुधार नहीं होगा और भारत तुलनात्मक रूप से कमजोर से कमजोरतर होता जाएगा और एक ऐसी सीमा आएगी* जब अमेरिका, इंग्लैण्ड, चीन, सउदी-अरब जैसा कोई दुश्मन भारत को बरबाद कर देगा। इसलिए यदि कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता वास्तव में भारत को आक्रमण अथवा टूटने अथवा गृहयुद्ध से बचाना चाहते हैं तो उन्हें पर्याप्त और क्लोन पाजिटिव संकल्पना/विचार के बारे में जागरूक बनाना चाहिए और अपने नेता के कार्य का विश्लेषण करना चाहिए ।

अब कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता कैसे जानेगा कि कार्यकर्ता नेता वास्तविक है या नकली । मैं निम्नलिखित तरीके का प्रस्ताव करता हूँ –

नेता द्वारा प्रस्ताविक कार्यकलापों की जांच करें। “कार्यकलाप” क्या होनी चाहिए? उन कार्यकलापों में क्या विशेषताएं मौजूद रहनी चाहिए? प्रत्येक कार्यकर्ता नेता कार्रवाई का प्रस्ताव करता है और वह कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं के सामने यह दावा करता है कि यदि बड़ी संख्या में कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं ने उसके बताए हुए काम किए तो भारतीयों की स्थिति में सुधार आएगा। उदाहरण -

1. कुछ कार्यकर्ता नेता स्कूल अस्पताल आदि चलाते हैं और वे दावा करते हैं कि यदि लाखों कार्यकर्ता वैसा ही करें जैसा वह करता या करने के लिए कहता है तो “अंततः/आखिरकार” इससे पुलिस और न्यायालयों में भ्रष्टाचार कम होगा और भारत में सुधार आएगा।
2. कुछ कार्यकर्ता नेता गरीबों, दलितों, महिलाओं आदि के लिए न्यायालयों में जनहित याचिका दायर करके लड़ाई लड़ते हैं और वे दावा करते हैं कि यदि लाखों कार्यकर्ता वैसा ही करें जैसा वह करता या करने के लिए कहता है तो “अंततः/आखिरकार” इससे पुलिस और न्यायालयों में भ्रष्टाचार कम होगा।
3. कुछ कार्यकर्ता नेता छोटे स्तर के व्यक्तिगत भ्रष्ट स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ मुकद्दमें लड़ते रहते हैं और वे दावा करते हैं कि यदि लाखों

कार्यकर्ता वैसा ही करें जैसा वह करता या करने के लिए कहता है तो "अंततः/आखिरकार" इससे पुलिस और न्यायालयों में भ्रष्टाचार कम होगा।

4. कुछ कार्यकर्ता नेता सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं आदि की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के सूचना का अधिकार आदि के मुकद्दमें दायर करते रहते हैं और वे दावा करते हैं कि यदि लाखों कार्यकर्ता वैसा ही करें जैसा वह करता या कहता है तो "अंततः/आखिरकार" इससे पुलिस और न्यायालयों में भ्रष्टाचार कम होगा और भारत में सुधार आएगा।

5. मैं कार्य करने के सिद्धांत/सक्रियवादिता को इस प्रकार से चला रहा हूँ : मैने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) आदि कानूनों के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट तैयार किए हैं और मैं स्वयंसेवकों से कहता हूँ कि वे नागरिकों से कहें कि वे (नागरिक) महापौरों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दें । मैं इसे "**कानूनों के प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट के लिए कार्य सिद्धांत/सक्रियवादिता**" कहता हूँ । कानून-प्रारूपों के लिए कार्य सिद्धांत का उद्देश्य चुनावों का इन्तजार किए बिना कानूनों के प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट में बदलाव लाना है। और मैं यह भी दावा करता हूँ कि लाखों कार्यकर्ता यदि ऐसा ही करें और दूसरों को भी करने के लिए कहें तो "वास्तव में" आख़िरकार इससे पुलिस और न्यायालयों में भ्रष्टाचार कम होगा और भारत में सुधार आएगा।

अब मेरे साथ-साथ इन कार्यकर्ता नेताओं में से ज्यादातर यह दावा करते हैं कि यदि लाखों कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता , इनके द्वारा प्रस्तावित कदमों को अपना लें तो एक दिन गरीबी घटेगी और पुलिस व न्यायालयों आदि में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा और भारतीय सेना में सुधार होगा। और भी ऐसे बहुत से सुधार आएंगे। मेरे और इन अन्य नेताओं के दावे कितने सही हैं? नेताओं द्वारा सुझाए गए कार्यकलाप क्या सेना, प्रौद्योगिकी/तकनीकी, अर्थव्यवस्था आदि को उस स्तर तक सुधार सकते हैं कि दुश्मन भारत पर आक्रमण करने से बाज आ जाए? क्या ये कार्यकलाप गरीबी को उस सीमा तक कम कर सकते हैं कि नक्सलवादी, इसाई व इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी लोग आदि नई भर्तियां करना बंद कर दें। क्या इन कार्यकलापों से पुलिसवालों और जजों/न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार बिलकुल कम कर हो जाएगा? *पर्याप्तता/सम्पूर्णता और क्लोन पॉजिटिव होने की संकल्पनाएं/विचार कार्यकर्ता नेताओं के दावों का विश्लेषण करने में उपयोगी हैं।* मैं यह बताना चाहूंगा कि विभिन्न कार्यकर्ताओं के कार्य क्या हैं और यह दिखलाउंगा कि क्या वे पर्याप्त हैं और क्या वे क्लोन पॉजिटिव हैं भी या क्लोन निगेटिव हैं।

(15.7) अपर्याप्त कार्य क्या हैं और क्लोन निगेटिव कार्य क्या हैं ?

मैं यह दूहराउंगा कि अच्छी राजनीति में मूलभूत सीमा क्या है, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है : **हमलोगों के पास केवल लगभग 15 लाख से 20 लाख धनवान/संपन्न लोग हैं जो गरीबी और भ्रष्टाचार कम करने के लिए हर सप्ताह एक घंटा समय देने की इच्छा रखते हैं।** यह एक मूलभूत सीमा है कि मैं सभी कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूं कि वे कार्यों का

विश्लेषण करते समय अपने अपने मन में यह बात रखें – कि आपके साथ करोड़ों-करोड़ स्वार्थ-रहित कार्यकर्ता **नहीं** हैं । अब विभिन्न कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नेता द्वारा दी गई कार्यसूची में निम्नलिखित लक्षण दिख सकते हैं :-

अपर्याप्त कार्य – कार्य की सूची अपर्याप्त होगी यदि भारत के सभी 20 लाख कार्यकर्ता इन कार्यों को लागू करें, तो भी गरीबी और भ्रष्टाचार कम नहीं होगा।

क्लोन निगेटिव कार्य – कोई कार्य तब क्लोन निगेटिव होता है जब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक लगने वाला समय, इन कार्यों को करने वाले आपस में/परस्पर(आपसी) अनजान कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़नें के साथ साथ बढ़ जाता है। जब अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा किये गए प्रयास एक दूसरे को काटते हैं |

कुछ कार्यों में बहुत ज्यादा संचार / संपर्क समय की जरूरत पड़ती है : अनेक कार्यकर्ताओं ने ध्यान दिया होगा कि बैठकों में बहुत ज्यादा समय लगता है और इससे कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कार्य करने का ऐसा तरीका चुना है जहां समझौता/एकमत होने के लिए कई जिन्दगियों के समय से ज्यादा समय लगेगा। यदि कोई तरीका भौतिक रूप से संभव तो है लेकिन उसमें कई जिन्दगियों से भी ज्यादा समय की आवश्यकता है तो ऐसे कार्यकलाप अव्यवहारिक हैं।

"क्लोन नकारात्मकता" बहुत असहज जैसा लग सकता है – यदि कोई कार्यकलाप एक से अधिक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है तो इसमें लगने वाले समय में हमेशा कमी आती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता – यदि कोई कार्य क्लोन निगेटिव है तो उन कार्यकलापों के माध्यम से भ्रष्टाचार कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा समय वैसे वैसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे उसमें और क्लोन (व्यक्ति) आते जाएँगे। यह **क्लोन निगेटिव का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, यह कार्य अकसर जाने-अनजाने होता रहता है और फिर भी यह सबसे कम समझा जा सकने वाला सिद्धांत है।**

दु:ख की बात है कि भारत में आज कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जाने वाली अनेक कार्रवाई क्लोन निगेटिव होती हैं अर्थात ये कार्य ऐसे हैं कि जैसे जैसे अधिक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा परस्पर(आपसी) अजनबी कार्यकर्तागण इन तरीकों/विधियों को अपनाते हैं भारत में गरीबी कम करने और भ्रष्टाचार करने में लगने वाला समय बढ़ता जाता है !! और बहुत कम संख्या में "कानून के क़ानून-ड्राफ्ट के लिए कार्य करना" जैसे कार्यकलाप होते हैं जो क्लोन पॉजिटिव हैं अर्थात जैसे जैसे अधिक से अधिक परस्पर(आपसी) अजनबी कार्यकर्ता इन कार्यों को करते हैं वैसे वैसे भारत में सुधार आने के लिए लगने वाला समय घटता जाता है। "क्लोन पॉजिटिव " का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसे, दू:ख की बात है कि, बहुत कम कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। यह कथन कि "आप अकेले नहीं हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप ही की तरह सोचते हैं और आप ही की तरह काम करते हैं" - एक वरदान तब हो सकता है (यदि और केवल यदि), जब आप किसी क्लोन पॉजिटिव कार्यवाई पर काम कर रहे हैं। और यह एक अभिशाप हो सकता है यदि आप किसी क्लोन निगेटिव कार्रवाई पर काम कर रहे हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ज्यादा लोग वैसा ही करें जैसा आप कर रहे हैं तो – कृपया यह सुनिश्चित/पक्का करें कि आपका कार्य क्लोन पॉजिटिव हो । यदि आपका काम क्लोन निगेटिव

हुआ तो लक्ष्य प्राप्ति में तब देरी ही होगी जब अधिक से अधिक आपस में अनजान लोग वही करेंगे जो आप कर रहे हैं।

इसलिए मैं सभी कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने कार्यकर्ता नेता द्वारा प्रस्तावित कार्यों का विश्लेषण करें। यदि सभी कार्य क्लोन निगेटिव और अपर्याप्त हैं तो यह तय बात है कि चाहे कितने भी कार्यकर्ता इस कार्य से जुड़ जाऐं, भ्रष्टाचार कभी भी कम नहीं होगा। क्या कार्यकर्ता नेता का लक्ष्य कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता का समय बरबाद करने वाले तरीकों और साधनों को अपनाना है? यही एक प्रश्न है जिसे हर कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता को हर कार्यकर्ता नेता से पूछना है जो अपर्याप्त और क्लोन निगेटिव कार्यवाइयों में उलझे हुए हैं। और मेरे विचार से प्रत्येक कनिष्ठ/छोटे /जूनियर कार्यकर्ताओं को अपने नेता से पर्याप्त और क्लोन पॉजिटिव कार्यावाईयों पर काम करने के लिए कहना चाहिए और यदि कार्यकर्ता नेता किसी एक भी पर्याप्त और क्लोन पॉजिटिव कार्यवाई पर काम करने से मना कर देता है तो कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को मेरा सलाह होगी कि वे उस नेता को छोड़ दें और किसी ऐसे नेता की तलाश करें जो पर्याप्त और क्लोन पॉजिटिव कार्यवाइयों पर काम करने के लिए इच्छुक है।

(15.8) दो प्रश्न जो छोटे / जूनियर कार्यकर्ता को अपने कार्यकर्ता नेता से अवश्य पूछना चाहिए

नीचे दो प्रश्न दिए गए हैं और मैं हरेक कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें अपने और हर कार्यकर्ता नेता से ये प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए-

<u>पहला प्रश्न</u>

मान लीजिए आप, कार्यकर्ता नेता के पास 20 लाख कार्यकर्ता हैं जो आपकी सलाह के अनुसार काम करने के इच्छुक हैं और इनमें से हरेक कुछ समय और पैसा भी देने का इच्छुक है। यह इस प्रकार है –

1. सभी 20,00,0000 कार्यकर्ता आपके दिशानिर्देशों के अनुसार हर सप्ताह 1 घंटा समय देंगे
2. लगभग 50,000 कार्यकर्ता हर सप्ताह 5 घंटे समय देंगे
3. केवल 5000 कार्यकर्ता हर सप्ताह 25 घंटे समय देंगे
4. केवल 500 कार्यकर्ता हर सप्ताह 50 घंटे समय देंगे

और कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता कार्यकर्ता नेता को एक भी पैसा नहीं भेजेंगे लेकिन आपकी दिशानिर्देशों के अनुसार वे पर्चियों /पम्फलेट्स आदि पर पैसे निम्नलिखित प्रकार से खर्च करेंगे –

1. सभी 20,00,0000 कार्यकर्ता हर सप्ताह 150 रूपए खर्च करने के इच्छुक हैं
2. लगभग 50,000 कार्यकर्ता हर सप्ताह 500 रूपए खर्च करेंगे
3. लगभग 5000 कार्यकर्ता हर सप्ताह 3000 रूपए खर्च करेंगे
4. लगभग 500 कार्यकर्ता हर सप्ताह 10,000 रूपए खर्च करेंगे

अब आपकी (आप = कार्यकर्ता नेता की) सूची में कौन सी कार्यसूची हैं जो आप इन 20 लाख कार्यकर्ताओं को देंगे?

दूसरा प्रश्न

मान लीजिए आप कार्यकर्ता नेता के पास 20 हजार कार्यकर्ता हैं जो आपकी सलाह के अनुसार काम करने के इच्छुक हैं और इनमें से हरेक कुछ समय और पैसा भी देने का इच्छुक है। यह इस प्रकार है –

1. सभी 20,000 कार्यकर्ता आपके दिशानिर्देशों के अनुसार हर सप्ताह 1 घंटा समय देंगे
2. लगभग 50 कार्यकर्ता हर सप्ताह 25 घंटे समय देंगे
3. लगभग 5-10 कार्यकर्ता हर सप्ताह 5 घंटे समय देंगे
4. केवल 2-3 कार्यकर्ता हर सप्ताह 50 घंटे समय देंगे

और कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता कार्यकर्ता नेता को एक भी पैसा नहीं भेजेंगे लेकिन आपकी दिशानिर्देशों के अनुसार वे पर्चियों /पम्फलेट्स आदि पर पैसे निम्नलिखित प्रकार से खर्च करेंगे –

1. सभी 20,000 कार्यकर्ता हर सप्ताह 150 रूपए खर्च करने के इच्छुक हैं
2. लगभग 50 कार्यकर्ता हर सप्ताह 500 रूपए खर्च करेंगे
3. लगभग 5-10 कार्यकर्ता हर सप्ताह 3000 रूपए खर्च करेंगे
4. लगभग 2-3 कार्यकर्ता हर सप्ताह 10,000 रूपए खर्च करेंगे

अब आपकी (आप = कार्यकर्ता नेता की) सूची में कौन सी कार्यसूची है जो आप इन 20 हजार कार्यकर्ताओं को देंगे?

दूसरा प्रश्न मध्यम स्तर पर और पहला प्रश्न बड़े स्तर पर है। कार्यकर्ता नेता द्वारा तैयार की गई सूची के आधार पर मैं कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वे निर्णय करें कि क्या कार्यकर्ता नेता भारत के कानून के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट में सुधार करके गरीबी, भ्रष्टाचार कम करना चाहता है या उसको इसमें कोई भी रूचि नहीं है |

लगभग 2500 वर्षों पहले प्लूटो ने हमें बताया कि राजनीति में किसी व्यक्ति को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना चाहिए। इसलिए मैं कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि वे अपने कार्यकर्ता नेता से ऊपर लिखित प्रश्नों को पूछें। अब मेरे उत्तर क्या हैं? मैं कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं से क्या करने के लिए कह रहा हूँ? मैने इस पुस्तक के पाठ 13 में उन कार्यकलापों की सूची दी है जो कार्यकलाप मैं करने के लिए कहता हूँ। वे सभी काम क्लोन पॉजिटिव और पर्याप्त हैं ।

अब हम उन कुछ उत्तरों का विश्लेषण करते हैं जो विभिन्न कार्यकर्ता नेता दे सकते हैं।

(15.9) "भ्रष्टाचार कम करने की कोई जरूरत नहीं" बनाम "भ्रष्टाचार कम करना बहुत जरूरी है" कार्य

एक कार्यकर्ता या तो भ्रष्टाचार का समर्थक होता है या तो भ्रष्टाचार का विरोधी। जितने भी कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूँ, वे सभी भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। लेकिन ज्यादातर कार्यकर्ता नेता जिन पर मैने गौर किया, वे भ्रष्टाचार के समर्थक थे। आम तौर पर, जितने भी कार्यकर्ता नेता जिनके पास *80 जी* और *35 ए सी* पर आधारित धर्मार्थ संगठन हैं, वे इस बात पर जोर देते हैं कि पुलिस, न्यायालय, आयकर विभाग आदि से भ्रष्टाचार कम करने के प्रयासों की जरूरत नहीं है। उनके ऐसा कहने के पीछे एक कारण यह हो सकता है कि उन्हें खतरा झेलने से नफरत/घृणा होती है। यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीशों, मंत्रियों आदि में भ्रष्टाचार कम

करना चाहता है तो समय और प्रयासों की बात तो छोड़ ही दीजिए, खतरा एक बड़ा कारक/ मुद्दा होता है। उत्पीड़न/कष्ट होने का भी खतरा होता है। ये उत्पीड़न जांचों, दण्ड लगाने, सम्पत्ति कुर्की/जब्त करने, झूठे पुलिस मुकद्दमें आदि के रूप में हो सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कदमों में से एक है – झूठा पुलिस मुकद्दमा। यदि अंग्रेज आज के पुलिसवालों/मंत्रियों जैसा कार्य कर रहे होते तो वे भगत सिंह के खिलाफ झूठे बलात्कार का मुकद्दमा दायर कर देते और भगत सिंह को बदनाम करने के लिए किसी महिला कार्यकर्ता को पैसे देकर काम पर रख लेते; न कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकद्दमा लगाकर उन्हें हीरो/नायक बनाते। और यदि कोई व्यक्ति पुलिस के मुकद्दमों से हार नहीं मानता या हतोत्साहित नहीं होता तो मारने, उत्पीड़ित करने, बन्दी बनाने और यहां तक कि जान से मारने का भी काम हो सकता था। और यहां तक कि भ्रष्ट पुलिसवाले, जज, मंत्री और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) के अधिकारी भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को हानि पहुंचाने जैसा काम भी कर सकते थे। इस प्रकार के डर के कारण, ज्यादातर कार्यकर्ता नेता शिक्षा व अस्पताल आदि तक ही सीमित रहने पर जोर देते हैं और उन कानूनों का समर्थन करने से मना कर देते हैं जिनसे भ्रष्टाचार कम हो सकता है। कुछ कार्यकर्ता नेता पुलिस कांस्टेबल/पुलिस इंस्पेक्टर जैसे छोटे पद की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर कार्यकर्ता नेता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ मंत्रियों, वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) के अधिकारी, वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) के अधिकारी आदि के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के प्रस्तावों का विरोध करते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार और भाई – भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के प्रस्तावों का तो 90 प्रतिशत से ज्यादा कार्यकर्ता नेता जोरदार विरोध करते हैं।

मेरे विचार में, "**इन भ्रष्टाचार-समर्थक कार्यकर्ता नेताओं " की कार्रवाईयां अपर्याप्त हैं।** नक्सलवाद जैसे लक्षण तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक पुलिसवालों, जजों, मंत्रियों, और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) के अधिकारियों में भ्रष्टाचार कम नहीं होते, चाहे कितने ही स्कूल और अस्पताल चला लें। और कृपया **इस मूलभूत सीमा** को याद रखिए, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है। **भारत में केवल 20 लाख स्वार्थ-रहित कार्यकर्ता हैं और यदि इन सभी 20,00,000 कार्यकर्ताओं को अस्पताल, स्कूल आदि चलाने के काम पर लगा दिया गया तो जजों, मंत्रियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) के अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाला कोई नहीं बचेगा और इस प्रकार जजों, मंत्रियों आदि का भ्रष्टाचार बरकरार ही नहीं रहेगा बल्कि बढ़ेगा भी।** और इसलिए गरीबी, नक्सलवाद, अपराध आदि समस्याएं तेजी से बढ़ना जारी रहेंगी और भारत में भीतर ही भीतर विस्फोटक स्थिति आ जाएगी। इसलिए यदि किसी कार्यकर्ता नेता ने 20 लाख कार्यकर्ताओं को इस तरह की 100 कार्यवाईयों में लगा दिया कि जिससे कुल मानव-घंटे का 1 प्रतिशत भी भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाइयों में न लगा हो तो मानवघंटा आवंटन योजना अपर्याप्त होगा और इससे भारत में कभी सुधार नहीं आ पाएगा।

यही कारण है कि मैं सभी कनिष्ठ कार्यकर्ताओं से प्रार्थना/अनुरोध करता हूँ कि वे अपने-अपने नेताओं पर भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाइयों को उनकी अपनी सूची में जोड़ने के लिए दबाव बनाएं। और उनसे मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि वे हर सप्ताह कम से कम एक घंटे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता नेताओं के साथ काम करें। इसलिए मैं सभी कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं से प्रार्थना

करूंगा कि वे अपने कार्यकर्त्ता नेताओं से पूछें : आप पुलिसवालों, जजों आदि के भ्रष्टाचार कम करने के लिए किस कानून/ कार्यकलाप का प्रस्ताव करते हैं?

(15.10) अनेक कार्यकर्ता नेता: कानूनों के ड्राफ्टों को बदलने में समय बरबाद न करें

अनेक कार्यकर्ता नेता इस बात पर जोर देते हैं कि कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को भारत के वर्तमान कानूनों के प्रारूपों को बदलने में समय बिलकुल बरबाद नहीं करना चाहिए । **मेरे विचार से, यह "कानूनों के प्रारूपों/ड्राफ्टों को बदलने में समय बरबाद न करें" का तरीका अपर्याप्त तरीका है।** वे कार्यकर्ता नेता, जो जोर देते हैं कि "कानूनों के प्रारूपों/ड्राफ्टों को बदलनें में समय बरबाद न करें", वे अक्सर कहते हैं कि वर्तमान/मौजूदा क़ानून-ड्राफ्ट ही सही हैं। हमें केवल लागू करवाने की जरूरत है। यह एक झूठा दावा है। तथाकथित "कार्यान्वयन/लागू करवाने " की कमी मुख्यत: इसलिए है क्योंकि कानूनों के क़ानून-ड्राफ्ट /प्रारूप या तो अलोकप्रिय या अनैतिक हैं अथवा जानबूझकर इनमें ऐसे शब्द रखे/डाले गए हैं कि उनसे ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार हो सके। और शायद वे लोग, जो ताल ठोककर/बिना डरे यह दावा करते हैं कि "प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट को बदलने की कोई जरूरत नहीं है", उन्होंने वास्तव में भारत के (कानूनों के) ड्राफ्टों और पश्चिमी देशों के प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट को कभी नहीं पढ़ा ही है, नहीं तो प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) तथा जूरी प्रणाली जैसे अनेक प्रारूपों पर एक सरसरी नजर डालने से ही यह साफ हो जाएगा कि भारत पश्चिमी देशों की तुलना में ज्यादा कष्ट में क्यों है। इसके पीछे कानूनों के वे क़ानून-ड्राफ्ट हैं जिन्हें काफी कमजोर शब्दों में लिखा गया है।

इसके अलावा, किसी ऐसे गरीब आम आदमी पर विचार कीजिए जिसका सरकारी तंत्र/सरकार में कोई रिश्तेदार या मित्र नहीं है। ऐसे गरीब आम आदमी के पास एक और केवल एक ही "दोस्तों का समूह" होता है – सरकार में बैठे ईमानदार आदमी अथवा स्वार्थ-रहित कार्यकर्तागण अथवा ईमानदार वकील। और ऐसे **ईमानदार अधिकारियों अथवा स्वार्थरहित कार्यकर्ता अथवा ईमानदार वकील के पास गरीब (आम) आदमी की सहायता करने के लिए केवल एक ही साधन होता है- कानूनों के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट । इस प्रकार यदि कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता भारत के कानूनों के ड्राफ्टों में सुधार करने के लिए समय देता है तो ईमानदार सरकारी अधिकारीगण, स्वार्थरहित कार्यकर्तागण और ईमानदार वकील लोग अनेक प्रकार से आम लोगों की मदद कर पाएंगे। इसलिए यदि कोई कार्यकर्ता नेता कानूनों के प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट में सुधार करने से मना करता है तो कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को दूसरे वैसे कार्यकर्ता नेताओं के साथ प्रति सप्ताह एक घंटे का समय देना चाहिए जो भारत में कानूनों के ड्रॉफ्टों में बदलाव/परिवर्तन लाने के लिए समय देते हैं और खतरा मोल लेते हैं।**

(15.11) कार्यकर्ता नेता-`व्यवस्था परिवर्तन / सिस्टम को बदलेंगे`, लेकिन कानूनों के प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट नहीं देते

कार्यकर्ता नेताओं द्वारा अपनाए जाने वाले सबसे ज्यादा समय बरबाद करने वाले तरीकों में से एक तरीका यह है कि वे यह दावा तो करते हैं कि "वे व्यवस्था परिवर्तन/सिस्टम को बदलना चाहते हैं" लेकिन वे सिस्टम में बदलाव लाने के लिए अपने प्रस्तावित कानूनों का प्रस्ताव देने से खुले-आम मना कर देते हैं। और जब कोई व्यक्ति उनसे सिस्टम को बदलने के

लिए उनके प्रस्तावित कानूनों के ड्राफ्टों के बारे में पूछता है तो वे कार्यकर्ता नेता दसों (कई) बहाने बनाते हैं :-

1. <u>बहाना 1-</u> मैं प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का खुलासा तब करूंगा जब मेरे संगठन में हजारों या लाखों या करोड़ों सदस्य हो जाएंगे।
2 <u>बहाना 2-</u> मैं प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का खुलासा तब करूंगा जब मैं सांसद या विधायक बन जाउंगा।
3. <u>बहाना 3-</u> मैं प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का खुलासा तब करूंगा जब मेरे संगठन में 200-300 सांसद हो जाऐंगे।
4. <u>बहाना 4-</u> प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट की जरूरत तो है लेकिन इस समय उनकी जरूरत नहीं है।
5. <u>बहाना 5-</u> ड्राफ्टों की कोई जरूरत नहीं है। क़ानून-ड्राफ्ट बेकार/अनुपयोगी होते हैं । सिस्टम को बदलने के लिए केवल राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।

प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट उपलब्ध न कराने के ये सभी बहाने ओछे/बेमानी हैं और कुछ तो अनैतिक भी हैं। सर्वप्रथम, सिस्टम में बदलाव लाने के लिए प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट जरूरी है और प्रस्तावित बदलाव के कुछ *साइड-इफेक्ट* भी हैं या नहीं, यह मुख्यत: प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट के खण्डों पर निर्भर करेगा। यदि प्रारूप में गलती से या जानबूझकर कमजोर शब्द डाले गए हैं तो प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट से लाभ होने की बजाए हानि ज्यादा होगी। और तथाकथित दलील कि मैं अपना प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट तब प्रकाशित करूंगा जब मेरे सदस्यों की संख्या लाखों या करोड़ों में हो जाएगी, यह भी उतनी ही ओछी दलील है। कोई हिंसात्मक लड़ाई लड़ने करने के लिए कुछ न कुछ सदस्यों की जरूरत तो पड़ती ही है। लेकिन एक अहिंसात्मक आन्दोलन प्रारंभ करने के लिए कुछ सदस्यों की भी जरूरत नहीं होती केवल एक ही व्यक्ति ही काफी होता है। कुल मिलाकर वे लोग जो सिस्टम/व्यवस्था में सुधार करना तो चाहते हैं लेकिन इसके लिए कोई प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं कराते, वे सीधे-सीधे कार्यकर्ताओं का समय बरबाद कर रहे हैं।

(15.12) कार्यकर्ता नेता - आइए, कानूनों के ड्राफ्टों को ही बदल दें, लेकिन ड्राफ्टों को पढ़ने में समय बरबाद न करें।

बहुत कम कार्यकर्ता गरीबी, पुलिस में भ्रष्टाचार, न्यायालयों आदि में भ्रष्टाचार कम कर सकने योग्य वर्तमान और प्रस्तावित प्रारूपों को पढ़ने / समझने में समय लगाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कार्यकर्ता नेता कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि वे भारत/पश्चिमी देशों के वर्तमान कानूनों के क़ानून-ड्राफ्ट और इन प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलाव/परिवर्तन का अध्ययन करने में समय नहीं लगाएं और ऐसे कार्यकर्ता नेता यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यकर्तागण छोटे-छोटे मुद्दों के पीछे भागने और उनपर चर्चा करने में ही व्यस्त रहें। मुझे इन कार्यकर्ता नेताओं (की नियत) पर पूरा संदेह/शक है । यदि कार्यकर्ता नेता खुलेआम/जोरदार ढ़ंग से कानूनों के प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट पर की जाने वाली चर्चाओं को हतोत्साहित करता है/रोकने की कोशिश करता है तो वह कार्यकर्ता नेता, बहुत संभव है कि भारत के कानूनों के प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट में सुधार करना नहीं चाहता। **मेरे विचार से कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को अपने कार्यकर्ता नेताओं से कहना चाहिए कि वे भारत के वर्तमान कानूनों के**

प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट और पश्चिमी देशों के अच्छे कानूनों के भी प्रारूपों पर सूचना सत्र/समय आयोजित करें। और यदि कार्यकर्ता नेता कानूनों-प्रारूपों पर चर्चा-सत्र आयोजित करने से मना करता है तो कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को किसी दूसरे ऐसे कार्यकर्ता नेता के साथ प्रति सप्ताह एक घंटे का समय देना चाहिए जो भारत/पश्चिमी देशों के अच्छे/बुरे कानूनों पर जानकारी देने में बहुत ज्यादा रूचि लेता है ।

(15.13) अब तक का सारांश (छोटे में बात)

इस पाठ के अब तक के भागों का सारांश मैं इस प्रकार प्रस्तुत करूंगा:-

1. **ऐसे कार्यकर्ता नेता, जो जोर देकर कहते हैं कि भ्रष्टाचार/भाई-भतीजावाद कम करने के प्रयास नहीं किए जाने चाहिएं, वे जानबूझकर या अनजाने में ही कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं।**
2. **ऐसे कार्यकर्ता नेता, जो जोर देकर कहते हैं कि भ्रष्टाचार/भाई-भतीजावाद कम करने के लिए वर्तमान कानूनों के प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, वे भी जानबूझकर या अनजाने में ही कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं।**
3. **ऐसे कार्यकर्ता नेता, जो कानूनों के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट बदलने की मौखिक बात तो करते हैं लेकिन अपने कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को कानूनों के ड्राफ्टों पर चर्चा/वाद-विवाद आयोजित करने से मना करते हैं, वे भी जानबूझकर या अनजाने में ही कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं।**

मेरे विचार से इन कार्यकर्ता नेताओं की कारवाइयां अपर्याप्त हैं और कनिष्ठ/छोटे कर्यकर्ताओं को चाहिए कि वे ऐसे नेताओं से जल्दी से जल्दी अपना पीछा छुड़ा लें।

(15.14) "कानून के ड्राफ्टों के लिए सक्रियतावाद" पर कुछ और बातें

आइए, "मैं इस कानून के ड्राफ्टों के लिए सक्रियतावाद" को विस्तार से बताता हूँ। **कानून के ड्राफ्टों के लिए सक्रियतावाद का अर्थ ऐसी सक्रियता है जिसमें कार्यकर्ताओं का एक ही नेता हो भी सकता है और नहीं भी, वैसा नेता, जिसपर उनका भरोसा हो ; उनका एक ही संगठन हो भी सकता है या वे अलग-अलग संगठनों से भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं का भरोसा कुछ ही कानून-ड्राफ्टों पर होता है जिसे वे लागू करना/करवाना चाहते हैं। उनका "नेता" न तो कोई आदमी होता है और न ही कोई संगठन बल्कि उनका नेता कानून के ड्राफ्टों का एक समूह होता है।**

कानूनों के प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट के लिए सक्रियतावाद एक ऐसे अवलोकन/आवजर्वेशन पर आधारित होता है कि एक गरीब आम आदमी, जिसका कोई भी ताकतवर/शक्तिशाली रिश्तेदार अथवा शक्तिशाली मित्र नहीं होता उसका केवल दोस्तों का एक ही समूह हो – सरकार/सरकारी तंत्र में ईमानदार अधिकारी और कुछ ईमानदार वकील। यहां तक कि किसी सबसे ज्यादा बेकार / बेईमान प्रशासन में भी कुछ ऐसे ईमानदार अधिकारी और कुछ ईमानदार वकील मिल ही जाते हैं

जो आम लोगों की भलाई का काम करने के लिए इच्छुक होते हैं। और ऐसे ईमानदार अधिकारियों के पास गरीबों की मदद करने के लिए साधनों का केवल एक ही समूह/सेट होता है- कानून के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट इस प्रकार यदि कार्यकर्तागण भारत के कानूनों के प्रारूपों में सुधार लाने में समय लगाते हैं वे वैसे सभी ईमानदार अधिकारियों और ईमानदार वकील, जो आम लोगों की मदद करना चाहते हैं, वे और भी प्रभावकारी ढ़ंग से आमलोगों की मदद कर पाएंगे। इसलिए “कानून के ड्राफ्टों का सक्रियतावाद” हमें बताता है कि –

1. यदि 20 लाख स्वार्थरहित कार्यकर्ता स्कूलों व अस्पतालों के माध्यम से गरीबों की मदद करते हैं तो वे अधिक से अधिक 50 लाख से 2 करोड़ गरीब लोगों के जीवन में कुछ (सुखद) परिवर्तन ला पाएंगे।
2. लेकिन यदि ये 20 लाख स्वार्थरहित कार्यकर्ता उन कानूनों के ड्राफ्टों को लागू करवाने में अपने प्रयास लगाएं जो ईमानदार अधिकारियों और ईमानदार वकीलों को ज्यादा प्रभावकारी तरीके से कार्य करने में समर्थ बनाएगा तो ईमानदार अधिकारी और ईमानदार वकील बेहतर/ अधिक अच्छे कानूनों का प्रयोग करके सभी 116 करोड़ नागरिकों की मदद कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के पास विशाल ढ़ांचा/सेटअप और कर-संग्रहण की सुविधा है और कम दोहराव है।

मैं कानून-ड्राफ्टों के सक्रियतावाद का एक बड़ा समर्थक हूँ । मैं उन सभी कार्यकर्ता नेताओं का विरोध करता हूँ जो क़ानून-ड्राफ्ट में बदलाव का विरोध करते हैं और सीधे ही मदद करने या चुनाव प्रचार करने पर जोर देते हैं। मेरे विचार से इन सभी 20 लाख स्वार्थ–रहित कार्यकर्ताओं को अपने कुल समय का कम से कम 10 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक समय नागरिकों को यह बताने में लगाना चाहिए कि वे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) आदि जैसे कुछ अच्छे कानून-ड्राफ्टों को लागू करवाने के लिए महापौरों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर दबाव डालें । और तब क्या होगा जब मेरे पास केवल 20,000 ही कार्यकर्ता होंगे। तब मैं इन 20,000 कार्यकर्ताओं/लोगों का उपयोग अन्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों से मिलने और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि कानूनों के बारे में बताने के लिए लगाने में करूंगा ताकि यह जानकारी/सूचना अन्य 20 लाख मतदाताओं तक पहुंचे और फिर उनके माध्यम से सभी 72 करोड़ नागरिक मतदाताओं तक पहुँच जाए।

इसके विपरीत, लगभग सभी कार्यकर्ता नेता, जिनसे मैं मिला हूँ, वे इस बात का विरोध करते हैं कि स्वार्थ-रहित कार्यकर्तागण अपना समय कानून-ड्राफ्टों को बदलने में लगाएं। ज्यादातर कार्यकर्ता नेताओं के अनुसार, कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता को अपना सारा समय स्कूल व अस्पताल चलाने, जनहित याचिकाएं आदि दायर करने में लगाना चाहिए और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कानूनों के क़ानून-ड्राफ्ट बदलने/बदलवाने में अपना समय बिलकुल भी नहीं लगाना चाहिए। मेरे विचार से, ये कार्यकर्ता नेता ढ़ोंगी हैं। सारांशत: मैं कार्यकर्ता नेताओं को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटता हूँ –

- वैसे नेता, जो इस बात पर जोर देते हैं कि कानून-ड्राफ्टों को बदलने में समय बिलकुल बरबाद नहीं करना चाहिए।

- वैसे नेता (मेरे जैसे), जो कानून-ड्राफ्टों को बदलने में ही समय लगाते हैं।

वे नेता जो कानूनों के ड्राफ्टों को बदलना/बदलवाना नहीं चाहते, वे सभी **अपर्याप्त तरीकों** पर काम कर रहे हैं और इनके तरीकों से गरीबी, भ्रष्टाचार कभी कम नहीं हो सकता । हमलोगों के पास केवल 20,00,000 स्वार्थ-रहित कार्यकर्ता हैं और इसलिए `केवल धर्मार्थ का तरीका` करोड़ों गरीब और भ्रष्टाचार/भाई भतीजावाद के शिकार लोगों की भलाई करने में असफल हो जाएगा। स्वार्थ-रहित कार्यकर्ताओं को अपर्याप्त संसाधन के साथ काम पर लगाने और "केवल धर्मार्थ, कानून के ड्राफ्टों में कोई बदलाव नहीं" का कार्य करके ये कार्यकर्ता नेता भारत की भलाई करने से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं।

(15.15) "कानूनों के प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्ट को बदलने " के लिए चुनाव आधारित कार्रवाई का प्रस्ताव करने वाले नेता

आइए देखें, "कानून के प्रारूप को बदलें" के विचार वाले कुछ कार्यकर्ता नेता किन कार्यकलापों का प्रस्ताव करते हैं। इन कार्यकर्ता नेताओं में से ज्यादातर नेता निम्नलिखित चुनाव आधारित कार्यकलाप का प्रस्ताव करेंगे -

1. वे नागरिकों का मन जीतने के लिए धर्मार्थ आदि के काम करेंगे, स्थानीय शासन में सुधार लाएंगे।
2. लोगों का मन जीतने के बाद अपने खड़े किए गए उम्मीदवार अथवा उन उम्मीदवारों जिनका वे समर्थन कर रहे होंगे, उनके लिए वोट हासिल करेंगे।
3. उनके अपने सांसदगण अथवा जिन सांसदों के लिए उन्होंने काम किया है, उनको प्रभावित करके वे कानून-ड्राफ्टों में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे।

ऊपर बताया गया तरीका पर्याप्त है । **इससे** कानूनों के प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट में बदलाव लाया जा सकेगा और इस प्रकार ईमानदार अधिकारियों और ईमानदार वकीलों को नागरिकों की भलाई के काम करने योग्य बनाया जा सकेगा। **लेकिन यह तरीका/प्रयास क्लोन निगेटिव है और इसलिए यह समय की बरबादी मात्र है।**

यह क्लोन निगेटिव तरीका क्या है? **कोई तरीका तब क्लोन निगेटिव कहा जाता है जब ज्यादा एक दूसरे से अनजान, लोग/समूह एक ही प्रकार का काम करने की कोशिश करते हैं, तो इससे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय में तो कमी नहीं आती बल्कि यह बढ़ जाता है।** आइए, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों/कैसे कानून को बदलने का यह तरीका जिसमें चुनाव जीतना एक पूर्वशर्त है, क्लोन निगेटिव है। यह क्लोन निगेटिव है क्योंकि सभी स्तरों पर यह मजबूती को और बढ़ाने की बजाए इसे कम करता है। इस बात को समझाने के लिए मुझे कुछ वास्तविक संख्याओं का उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी ।

मान लीजिए , 14,00,000 मतदाताओं वाले किसी संसदीय क्षेत्र में 2,00,000 मतदाताओं वाले 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें से हरेक में 40,000 मतदाताओं वाले 5 नगरपालिका वार्ड हैं । अब, मान लीजिए, 40,000 मतदाताओं वाले नगरनिगम वार्ड में एक कार्यकर्ता समूह जाता है और वहां वह समूह स्वास्थ्य/शिक्षा के कार्य करता है अथवा सूचना का उपयोग अधिनियम का

प्रयोग करके स्थानीय शासन में सुधार लाने के कार्य करता है। अब अच्छे व्यवहार/ भलाई करने के कारण उसे यह लाभ तो होगा कि उसे कुछ वोट मिल जाऐंगे और वह चुनाव जीत भी सकता है और कानून-ड्राफ्टों में कुछ और अधिक बदलाव ला सकेगा। लेकिन यदि एक और कार्यकर्ता आता है और उसी वार्ड में कुछ वैसा ही काम करता है तो वोटों का बंटवारा हो जाएगा और इस प्रकार उन दोनों में से कोई भी चुनाव नहीं जीतेगा और इस प्रकार, कानून-ड्राफ्टों का बदलने के लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होगी।

"चुनाव जीतने का तरीका " में एक और बहुत गंभीर और न सुलझ पाने वाली 800 वर्षों पुरानी जानी पहचानी/सुज्ञात समस्या है। भारत में चुनाव में हर मतदाता का एक ही वोट होता है और चुनावों में सबसे अधिक मत हासिल करने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है(उसे सभी मतों के पूर्ण बहुमत कि आवश्यकता नहीं होती जीतने के लिए)। इस प्रणाली/सिस्टम में ज्यादातर समझदार नागरिक **चुनाव जीतने योग्य** किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट देते हैं (जो ठीक ही है) जिससे दूसरे ऐसे जीतने योग्य उम्मीदवार का रास्ता बंद हो जाता है जिससे वे (नागरिक) सबसे ज्यादा डरते हैं और वे (नागरिक) वैसे उम्मीदवार को वोट नहीं देते जिसे वे सबसे ज्यादा बुद्धिमान, ईमानदार और योग्य समझते हैं। इसलिए चुनाव जीतने के लिए, जीतने की योग्यता का प्रत्यक्ष ज्ञान/महसूस/बोध अधिकांश मामलों में अनिवार्य होता है। अब कल्पना करें कि एक और कार्यकर्ता समूह उसी नगर-निगम वार्ड में आता है और शिक्षा, स्वास्थ्य या स्थानीय शासन में सुधार के काम करता है। चूंकि दोनों ही समूह को कुछ न कुछ वोट मिलेगा इसलिए वोटों का यह बंटवारा एक सही प्रत्यक्ष ज्ञान/महसूस/बोध स्थापित करेगा कि दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। इसलिए, चूंकि दोनों के पास चुनाव जीतने की योग्यता का प्रत्यक्ष ज्ञान/महसूस/बोध नहीं होगा । इसलिए बहुत से समझदार मतदातागण, जो ठीक ही चाहते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक उम्मीदवार का रास्ता बन्द हो, वे किसी अन्य **जीतने योग्य** उम्मीदवार को वोट दे देते हैं। उदाहरण के लिए अहमदाबाद जैसे चुनाव क्षेत्र पर विचार कीजिए जहां मान सकते हैं कि नागरिकों में से लगभग आधे नागरिक कांग्रेस से डरते हैं। यदि उनमें से एक बड़ी संख्या में मतदाता कांग्रेस या बीजेपी से अधिक किसी तीसरे उम्मीदवार को चाहते हैं तो वे सभी मतदाता जो कांग्रेस के आने से डरते हैं, वे केवल बीजेपी को ही वोट दे देंगे। और यदि और भी कार्यकर्तागण उस क्षेत्र में आते हैं तो चुनाव जीतकर कानून-ड्राफ्टों में बदलाव/परिवर्तन लाने के उनके सपने को पूरा होने में देरी पर देरी होती जाएगी।

अब बहुत प्रयास करके स्थानीय स्तर पर एक हमराह/क्लोन दूसरे हमराह/क्लोन को पीछे छोड़ने में सफल हो जाए और नगर पालिका चुनाव जीत भी जा सकता है। ऐसा संभव हो भी जाता है क्योंकि नगरपालिका वार्ड छोटे होते हैं और व्यक्तिगत संपर्क करना संभव हो जाता है। इस प्रकार, मान लीजिए दो चार ऐसे ईमानदार उम्मीदवार जो कानून – ड्राफ्टों में बदलाव चाहते हैं, वे नगर पालिका का चुनाव जीत गए हैं। लेकिन मान लीजिए , वे विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। विधानसभा के स्तर पर 2 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक के दायरे/रेंज में फैले हुए 2,00,000 मतदाता होते हैं । इसलिए व्यक्तिगत सम्पर्क कायम करना मतदाताओं से समय की दृष्टि से व्यवहार्य/काम कर सके ,ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति के पास एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं । इसलिए कोई भी हमराह/क्लोन सभी 2,00,000 नागरिकों तक पहूंच नहीं पाएगा। इस प्रकार हर हमराह/क्लोन अपने ही वार्ड में अच्छा कर पाएगा लेकिन वह दूसरे वार्डों में अच्छा नहीं कर पाएगा।इसलिए इनमें से कोई भी स्थापित दलों के विरूद्ध चुनौती खड़ी

नहीं कर पाएगा। यदि ये जीतने योग्य होने का प्रत्यक्ष ज्ञान/बोध/महसूस कायम नहीं कर पाते, तब ज्यादातर मतदाता, जो किसी ऐसे उम्मीदवार को समझदारी से रोकना चाहते हैं जिनसे वे सबसे ज्यादा डरते हैं तो वे मतदाता किसी कम बुरे लेकिन जीतने योग्य उम्मीदवार का साथ दे देते हैं। इस प्रकार, जहां नगर निगम स्तर पर चुनाव जीतना बहुत ही कठिन है, वहीं विधानसभा स्तर पर तो यह कहीं ज्यादा कठिन है। और परिस्थितियां संसदीय स्तर पर तब और अधिक कठिन हो जाती हैं जब मतदाताओं की संख्या 14,00,000 हो और चुनाव क्षेत्र का दायरा 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है ।

इसलिए अब, एक ऐसे कार्यकर्ता नेता पर विचार कीजिए जो अपने समूह के 100 ईमानदार कार्यकर्ताओं को बताता है कि “हमलोग कानून-ड्राफ्टों में सुधार कैसे लाऐंगे? हम सभी स्थानीय स्तर पर काम करेंगे और उसके बाद हम या तो चुनाव लड़ेंगे अथवा चुनावों में किसी की मदद करेंगे, इसके बाद हमलोग चुनाव जीतेंगे अथवा चुनाव जीतने वालों को प्रभावित करेंगे। और तब हम कानून-ड्राफ्टों में बदलाव लाऐंगे।” तब मेरे विचार में, यह कार्यकर्ता नेता चुनाव प्रणाली में और उसके अपने तरीके में भीतर निर्मित क्लोन निगेटिव की स्थिति से निराशाजनक रूप से अनजान है । मेरे विचार में, कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को यह महसूस करना चाहिए कि उससे 2 मील की दूरी पर इसी प्रकार का एक और समूह होगा जो ऐसे ही तरीके अपना रहा होगा और अंत में वे केवल एक-दूसरे के वोट काटकर हार जाऐंगे और बेईमान भ्रष्ट वर्तमान विधायकों, सांसदों का बदलने/हटाने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और भारत में ऐसे हजारों समूह हैं जो “हम स्थानीय स्तर पर काम करेंगे और उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद हमलोग चुनाव जीतेंगे और तब हम कानूनों में बदलाव लाऐंगे।” का तरीका अपना रहे हैं। इसलिए वे केवल एक दूसरे का वोट काट देंगे और सभी अंत में अपना-अपना समय ही बरबाद करेंगे।

इसलिए मैंने कहा कि क्लोन निगेटिव की स्थिति एक महत्वपूर्ण संकल्पना/सिद्धांत है और फिर भी यह सबसे कम परखा/जांचा जाने वाला और सबसे कम समझा जाने वाला मुद्दा है। **पिछले 60 वर्षों से स्वार्थ-रहित कार्यकर्तागण क्लोन निगेटिव तरीकों को ही अपनाते आ रहे हैं और उन्होंने अपने 60 वर्ष बरबाद कर दिए हैं।**

(15.16) “ एक नेता के नेतृत्व / नीचे में एकता ” द्वारा क्लोन निगेटिव की स्थिति से उबरने का प्रयास बेकार / व्यर्थ है

ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने क्लोन निगेटिव की स्थिति को महसूस किया है। उन्होंने यह देखा है और महसूस किया है कि जब अनेक ईमानदार कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा तो अन्त में इनमें से सभी ने एक दूसरे का वोट काटा और स्थापित बेईमान पार्टियों के आसान जीत का रास्ता साफ किया। इसलिए अनेक कार्यकर्ताओं ने “एक नेता के नेतृत्व में एकता” बनाने की कोशिश अवश्य की। “एक नेता के नेतृत्व में एकता” का प्रयास भी व्यर्थ ही है। क्यों?

मान लीजिए, भारत में 20 लाख ईमानदार कार्यकर्ता हैं जो 543 संसदीय चुनाव क्षेत्रों में फैले हुए हैं। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में लगभग 3700 ईमानदार कार्यकर्ता हैं। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में लगभग 7 विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं। इस प्रकार, प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में लगभग 500-600 ईमानदार कार्यकर्ता हैं। अब मान लीजिए, भारत में 20,000 समूह हैं जिनमें से प्रत्येक में

1-2 कार्यकर्ता नेता हैं और 10 से 500 से 5000 ईमानदार कार्यकर्ता हैं जो 543 संसदीय चुनाव क्षेत्रों और 5000 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

अब प्रत्येक समूह यह देखेगा कि नेताओं और समूहों के बीच एकता न होने के कारण इनमें से कोई भी विधायक या सांसद के चुनाव जीतने में समर्थ नहीं है । इसलिए अनेक कनिष्ठ कार्यकर्ता और नेता "एक नेता के नेतृत्व में एकता" स्थापित करने की कोशिश करेंगे। *और चूंकि इनमें से अनेक लोग ऐसी कोशिश करेंगे, इसलिए वे एक दूसरे का अवसर/प्रभाव कम कर देंगे।* इस प्रकार एक नेता के नेतृत्व में एकता स्थापित करना भी नकारात्मक है। यह राजनीति की सबसे खराब व्यंग्योक्ति/विडंबना है। "आईए श्री क.ख.ग. जी के नेतृत्व में एकता बनाएं/एक हो जाएं" यह सबसे ज्यादा बांटने वाला कथन/व्यक्तव्य है, जो अकसर दिया जाता है। क्योंकि वह "आईए श्री च.छ.ज. जी के नेतृत्व में एक हो जाएं" का नारा देने वाले व्यक्ति का ***विरोध*** ही कर रहा है क्योंकि दोनों अपने-अपने नेताओं के प्रति वफादार हैं और यदि उन्हें कोई कहे कि `मेरे नेता के नेतृत्व में एक हो जाओ` तो उन्हें ये अपने नेता के प्रति बेईमानी जैसे लगता है |

"एक नेता के नेतृत्व में एकता" स्थापित करने में एक और समस्या आती है। यह निर्णय करने में समय लगता है कि कौन सा नेता सबसे बड़ा है। एक नेता के नेतृत्व में एकता कायम करने के कार्य में उस एक नेता में विश्वास करने की जरूरत पड़ती है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सामने यह साबित करना पड़ता है कि वह जीतने के बाद भी भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। और भगवान ने किसी व्यक्ति के माथे पर यह प्रमाणित करने का कोई ठप्पा नहीं लगाया है कि वह सत्ता में आने के बाद भी इतना ही ईमानदार ही रहेगा। विश्वास कायम करने से पहले जोरदार/गहन पश्नोत्तरी के सत्र और लंबे व्यक्तिगत देख-परख आवश्यक हो जाते हैं। ऐसा करना तभी संभव होता है जब समूह आकार और क्षेत्र में छोटा होता है। लेकिन जब कोई दो समूह जिनमें से प्रत्येक के पास 20-100 कार्यकर्ता हों और वे एक बड़े क्षेत्र में फैले हों, यदि "एक नेता के नेतृत्व में एकता" कायम करने की कोशिश करें तो विश्वास कायम करने के लिए संचार/बातचीत में लगने वाले समय, असंभव/अव्यवहार्य तरीके से बहुत ज्यादा होगा। अनेक लोग कहते हैं कि एकता स्थापित करने में असफलता नेताओं में अहम/अहंकार की समस्या के कारण होती है। यह केवल आंशिक रूप से सत्य है । कई ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र की सेवा के लिए अहम को दरकिनार कर देते हैं । लेकिन विश्वास की कमी ही वास्तविक कारण है `एक नेता के नेतृत्व में एकता` न स्थापित होने में और विश्वास की कमी विश्वसनीय होने की कमी के कारण नहीं होती बल्कि विश्वसनीयता साबित करने अथवा न करने के लिए आवश्यक समय की कमी के कारण होती है।

यदि कोई कार्यकलाप संभव तो है लेकिन इसमें लगने वाला जरूरी समय जीवन-काल से दूगना है तो ऐसा कार्यकलाप असंभव ही है। इसलिए "आइए एक विश्वसनीय नेता तलाशें और उसके नेतृत्व में एकता कायम करें" का कार्यकलाप संभव है, क्योंकि भारत में अवश्य ही 10 हजार से ज्यादा भरोसेमन्द आदमी हैं। लेकिन यदि 20 लाख ईमानदार कनिष्ठ कार्यकर्ता यह पता लगाने और इस बात पर सहमति कायम करने का निर्णय करते हैं कि 10 हजार कार्यकर्ता नेताओं में से कौन सा नेता ज्यादा विश्वसनीय है। तब इस बात पर चर्चा-विचार करने के लिए उन्हें कई जीवन काल का समय लगेगा। और इस प्रकार "एक नेता के नेतृत्व में एकता" क्लोन निगेटिव है। और इसमें बहुत ज्यादा समय की जरूरत है। इसलिए यह बेकार/ व्यर्थ है।

"नेता के नेतृत्व में एकता" में एक और कमी है- मीडिया-मालिक नेता का नाम /प्रतिष्ठा आसानी से बर्बाद कर सकते हैं उसके खिलाफ झूठे वित्तीय आरोप लगाकर अथवा दसों/अनेक अन्य प्रकार से बर्बाद कर सकते हैं । वे लोग जो किसी नेता के नेतृत्व में एक होने की कोशिश कर रहे हैं वे बर्फ की धरातल पर चल रहे हैं। यदि शत्रु बर्फ की धरातल को किसी प्रकार तोड़ लेता है तो वापस लौटने के लिए कोई समय नहीं बचेगा।

(15.17) " एक संगठन के नीचे एकता कायम करके " क्लोन निगेटिव की स्थिति से उबरने का प्रयास भी बेकार / व्यर्थ है

एक संगठन क्या होता है? यह कुछ लोगों का एक समूह होता है जो उस संगठन के भीतर कानूनों के एक सेट/समूह का पालन करने के लिए सहमत होते हैं। अधिकांश संगठनों के पास एक ऐसी चीज होती है जिसे वे संविधान कहते हैं। अब जर्मनी जैसे अनेक देशों ने ऐसे कानून और ऐसी प्रक्रियाएं लागू की हैं जो किसी भी राजनैतिक दल के संविधान को इसके नेताओं पर बाध्यकारी बना देता है। उदाहरण के लिए, यदि जर्मनी में किसी राजनैतिक दल का संविधान यह कहता है कि कोई चुना गया उम्मीदवार पार्टी के अन्दर के प्राथमिक चुनाव द्वारा चुना जाएगा तो जर्मनी के चुनाव आयोग के पास यह लागू करने की शक्ति मौजूद है कि पार्टी के भीतर ऐसे आन्तरिक चुनाव अवश्य हों। जर्मनी जैसे देशों के पास उनके मार्ग में आने वाले विवादों को सुलझाने के लिए फास्ट-ट्रैक/विवाद तेजी से निपटाने वाले कोर्ट भी हैं । भारत में आज की तिथि तक ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई प्रक्रिया मौजूद नहीं है। और हमारे न्यायालय बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं और ऐसे किसी कानून को बनाने/लाने के लिए बहुत ही धीमे हैं। वास्तव में कोई भी कानून चुनाव आयोग को किसी राजनैतिक दल के संविधान को उस दल के नेताओं पर लागू कराने की शक्ति नहीं देता। और यहां तक कि यदि ऐसा कोई कानून किसी कानून के किताब के किसी कोने में मौजूद भी है तो चुनाव आयोग के पास समय और जन-शक्ति/जनबल ही नहीं है कि वह 950 पंजीकृत पार्टियों/दलों में उनके अपने-अपने संविधानों को लागू करवा सके और यदि चुनाव आयोग आज ऐसा करने की कोशिश करे भी तो इससे केवल सैंकडों ऐसे मुकद्दमें न्यायालयों/कोर्ट में दायर हो जाएंगे जिन्हें सुलझने में वर्षों लगेंगे क्योंकि आज हमारे न्यायालय बहुत ही धीमें हैं और बहुत ज्यादा भ्रष्ट भी हैं। आज की स्थिति के अनुसार, किसी राजनैतिक दल का एक संविधान होना जरूरी है और उन्हें इसकी एक प्रति चुनाव आयोग को देनी पड़ती है। चुनाव आयोग इन कागजातों को केवल फाइलों में रख लेता है और इन्हें अपनी वेबसाइट पर डालने तक की जहमत नहीं उठाता/परवाह नहीं करता | और चुनाव आयोग शायद ही कभी पार्टियों के इन आन्तरिक संविधानों को पढ़ने की कोशिश करता है, इन्हें लागू करने की बात तो भूल ही जाइए।

आज की तारीख में, जब चुनावों के टिकट दिए जाते हैं तो चुनाव आयोग के पास इसके संबंध में एक ही कानून है – वह दल के अध्यक्ष के बताए अनुसार किसी उम्मीदवार को पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित कर देता है। अब यदि उस दल/पार्टी के संविधान में उल्लेख है/लिखा है कि स्थानीय उम्मीदवार दल के सदस्यों द्वारा चुना जाना चाहिए और पार्टी–अध्यक्ष ने यदि पार्टी के भीतर स्थानीय चुनाव नहीं करवाया है तो भी चुनाव आयोग के पास ऐसे चुनाव करवाने के

लिए पार्टी/दल को बाध्य करने का कोई पूर्व- उदाहरण या परंपरा नहीं है। चुनाव आयोग सिर्फ पार्टी–अध्यक्ष के पत्र के अनुसार ही अपनी कार्रवाई करता है।

इसलिए आज के कानूनों और परंपरा/रिवाज/चलन के अनुसार ये तथाकथित संगठन पार्टी नेताओं की निजी संपत्ति बनकर रह गए हैं। इसलिए कोई संगठन उतना ही लोकतांत्रिक अथवा अच्छा होता है जितना उस पार्टी के शीर्ष पर बैठे नेता । दूसरी बात कि संगठन में कुछ ही एक-आध नेताओं का प्रमुखता/प्रभुत्व होता है | इसलिए, "अच्छे आंतरिक नियमों वाले किसी अच्छे संगठन के तहत एकजूट होना" भी "एक अच्छे नेता के नेतृत्व में एकजूट" होने से कुछ अलग नहीं है और दोनों में एक समान समस्याएं हैं। यह क्लोन निगेटिव है क्योंकि अच्छे आंतरिक नियमों वाले दो संगठन एक दूसरे का अवसर/प्रभाव कम कर देते हैं और विश्वास कायम करने में तो अव्यवहार्य रूप से काफी समय लगता है।

(15.18) क्लोन-निगेटिव की स्थिति से उबरने के लिए समाचारपत्र–मालिकों का सहयोग लेना कुछ कारगार , कुछ बेकार है

जैसा कि मैंने बताया **"चुनाव जीतकर कानूनों को बदलने" का प्रयास क्लोन निगेटिव है।** इसलिए क्लोन निगेटिव की इस स्थिति से उबरने के लिए विभिन्न कार्यकर्ता नेता अनेक तरीके अपनाते हैं। जैसे- "एक नेता के नेतृत्व में एक जूट होना" और "एक संगठन के तहत एकजूट होना" । मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे ये दोनों तरीके क्लोन निगेटिव हैं और इनमें बहुत ज्यादा समय बरबाद होता है।

एक तरीका जो कार्यकर्ता नेता क्लोन निगेटिव की स्थिति से उबरने/बचने के लिए अपनाते हैं, वह है – मीडिया-मालिकों का उपयोग। कुछ कार्यकर्ता नेता समाचारपत्र मालिकों अथवा टेलिविजन चैनलों के मालिकों अथवा वित्तीय धुरंधरों/नामी संस्थाओं का समर्थन पाने का प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। उनके समर्थन का उपयोग करके कार्यकर्ता नेता ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या तक पहुँच बना लेते हैं और इस प्रकार एक ज्यादा बड़े समूह का निर्माण कर लेते हैं। यह समूह उन कार्यकर्ता नेताओं के समूहों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है जिन्हें मीडिया-मालिकों तथा विशिष्ट/उच्च वर्ग के लोगों का समर्थन नहीं मिला होता है। यह तरीका कारगर तो होता है लेकिन इसमें एक बड़ी कमी होती है कि यदि समाचारपत्र मालिकों और टेलिविजन चैनलों के मालिकों का ऐजेंडा/कार्यसूची ईमानदार नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं यह नहीं मानता कि सभी समाचारपत्र मालिकों और सभी टेलिविजन चैनलों के मालिकों का ऐजेंडा/कार्यसूची भारत विरोधी है। कुछ मालिक वास्तव में अच्छे हो सकते हैं जैसा कि कुछ अच्छे लोग हमें हर कहीं मिल जाते हैं। लेकिन यह संभावना होती है कि उन विशिष्ट लोगों का ऐजेंडा/कार्यसूची भारत विरोधी हो। लेकिन यदि कार्यकर्ता नेता प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से समाचारपत्र मालिकों अथवा टेलिविजन चैनल मालिकों अथवा किसी ऐसे विशिष्ट /ऊंचे लोगों पर निर्भर है जो भारत विरोधी हैं तो उसका परिणाम गलत या उल्टा भी हो सकता है।

मैं एक कार्यकर्ता नेता हूँ । और मैंने यह निर्णय किया है कि मैं समाचारपत्र मालिकों, टेलिविजन चैनल मालिकों और विशिष्ट /उंचे लोगों की मदद नहीं लूंगा। मैं अपने *पार्ट-टाइम/अंश-कालिक* नौकरी से होनेवाली अपनी सीमित आय से ही काम चलाता हूं। और मैं सभी कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ता नेताओं से ऐसा ही करने को कहता हूँ - सभी की

अपनी पार्ट-टाइम/अंश-कालिक या फूल-टाइम/पूर्ण-कालिक नौकरी होनी चाहिए और उसी नौकरी से प्राप्त आय से ही उन्हें काम करना चाहिए ।

(15.19) तो क्या कोई पर्याप्त और क्लोन-पॉजिटिव तरीका है?

अभी तक मैंने विस्तार से यह बताया कि क्यों –

1. कोई कार्यकर्ता नेता यदि मंत्रियों, जजों आदि के भ्रष्टाचार का विरोध करने से मना करता है और केवल स्कूलों, अस्पतालों और स्थानीय कार्यों तक ही सीमित रहने पर जोर देता है, तो वह अपर्याप्त तरीका अपना रहा है। वह एक ऐसे डॉक्टर की तरह है जो मरीजों को जरूरी दवाएं नहीं दे रहा है।
2. यदि एक कार्यकर्ता नेता भ्रष्टाचार का विरोध तो करता है लेकिन कानून ड्राफ्टों को बदलने के लिए काम करने से इनकार करता है, तो वह भी अपर्याप्त तरीका अपना रहा है। वह भी उसी प्रकार एक ऐसे डॉक्टर की तरह है जो मरीजों को जरूरी दवाएं नहीं दे रहा है।
3. यदि एक कार्यकर्ता नेता यह प्रस्ताव करता है कि वे लोग धर्मार्थ का काम करेंगे, स्थानीय स्तर पर काम आदि करेंगे, वोट लेंगे, चुनाव जीतेंगे और तब कानून –क़ानून-ड्राफ्ट को बदलेंगे, तो वह क्लोन निगेटिव तरीका अपना रहा है। वह एक ऐसे डॉक्टर की तरह है जो अभी भी इस बात से अनजान है कि (कोई) दवाई बड़े पैमाने पर काम नहीं कर सकती है।
4. यदि एक कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ताओं को "एक नेता के नेतृत्व में एकजूट" करने का प्रयास कर रहा है, तो वह भी इस बात से अनजान है कि उसका तरीका क्लोन निगेटिव है और यह कि इसमें लगने वाला सम्पर्क-समय एक जीवन-काल से कहीं अधिक है।
5. यदि कोई कार्यकर्ता नेता लोगों को "एक संगठन के तहत एकजूट" करने की कोशिश कर रहा है तो वह भी इस बात से अनजान है कि उसका तरीका क्लोन निगेटिव है और उसके तरीके को अपनाने पर बहुत अधिक सम्पर्क समय लगेगा।
6. एक कार्यकर्ता नेता समाचारपत्र मालिकों और टेलिविजन चैनलों के मालिकों का समर्थन लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसे समर्थन मिल भी जाता है और उसका "कार्यकर्ताओं को एक संगठन के तहत एकजूट करने" का प्रयास सफल हो भी सकता है लेकिन केवल तभी जब उसकी सहायता करनेवाले विशिष्ट/ऊंचे लोग `आम आदमी समर्थक` हों । यदि उसकी सहायता करनेवाले विशिष्ट/ऊंचे लोग `आम आदमी विरोधी` हुए तो उनसे सहायता लेने का कार्यकर्ता नेता का कदम उलटा नुकसानदायक होगा।

इसलिए एक एक करके मैं उन सभी तरीकों को - यह बताकर कि उनके तरीके अपर्याप्त हैं अथवा क्लोन निगेटिव हैं अथवा दोनों ही हैं - असफल साबित करता जा रहा हूँ जिन तरीकों को भारत में विभिन्न कार्यकर्ता नेता अपना रहे हैं। इसलिए क्या कोई ऐसा तरीका है जो क्लोन पॉजिटिव भी हो और पर्याप्त भी? यदि हां तो वह तरीका क्या है? हां, एक पर्याप्त तथा क्लोन पॉजिटिव तरीका अवश्य मौजूद है। इन तरीकों के अन्तर्गत तथाकथित "कानून के क़ानून-ड्राफ्ट

के लिए नेता रहित, संगठन रहित व्यापक आन्दोलन" प्रारंभ करना होगा। यह "कानून–क़ानून-ड्राफ्ट के लिए नेता रहित व्यापक आन्दोलन" पर्याप्त होने के साथ साथ क्लोन पॉजिटिव भी है । मैंने इसे इसके बाद के खण्ड/भाग में विस्तार से बताया है।

(15.20) क़ानून-ड्राफ्ट के लिए `नेता-रहित (व्यापक) जन-आन्दोलन` पर्याप्त और क्लोन पॉजिटिव है

(व्यापक) जन-आन्दोलन तभी एक घटना कही जाएगी जब हजारों या लाखों या करोड़ों भारतीय नागरिक सरकार में परिवर्तन लाने के लिए महापौर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पर दबाव डालें । यह परिवर्तन की मांग किसी अधिकारी अथवा किसी मंत्री या किसी न्यायाधीश को बर्खास्त करने या वापस बुलाने की हो सकती है। अथवा यह परिवर्तन की मांग किसी कानून – क़ानून-ड्राफ्ट को लागू करने की हो सकती है। उनमें से पहला, अर्थात व्यक्ति को बदलने की मांग अपर्याप्त है और मैं इसमें रूचि नहीं लेता लेकिन किसी कानून–क़ानून-ड्राफ्ट को लागू करने की मांग, जो कानून–क़ानून-ड्राफ्ट पर निर्भर करता है, पर्याप्त हो भी सकता है, यदि कानून – क़ानून-ड्राफ्ट अच्छी तरह लिखा गया हो तो उस क़ानून-ड्राफ्ट को लागू करने से नागरिकों के जीवन में अनेक दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। ऐसा एक उदाहरण राशन कार्ड प्रणाली(सिस्टम) "अर्थात जन-वितरण प्रणाली" है । **सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) के प्रारूप / क़ानून-ड्रॉफ्ट जिसके द्वारा 1940 के दशक में जनवितरण प्रणाली लागू किया गया था।** वे अच्छे इसलिए थे कि व्यापक भुखमरी से होनेवाली मौतों की समस्या 1945 से आज तक भारत में लगभग समाप्त ही हो गए। एक और उदाहरण, भूमि सुधार के लिए चलाया गया जन आन्दोलन है। यह आन्दोलन आंशिक रूप से सफल हुआ और आंशिक रूप से असफल इसलिए हुआ कि नागरिकों ने स्वयं क़ानून-ड्राफ्ट नहीं बनाया और विधायकों व सांसदों को ड्राफ्टों को बनाने के लिए दे दिया। विधायकों व सांसदों ने भूस्वामियों/जमींदारों से घूस लेकर कमजोर क़ानून-ड्राफ्ट बनाया और इसलिए भूमि सुधार सर्वाधिक संभव हद तक सफल न हो पाया।

"कानून –ड्राफ्टों के बिना व्यवस्था परिवर्तन के लिए व्यापक जन आन्दोलन" पूर्णतया असफल रहे हैं। सबसे बुरा उदाहरण 1977 में देखने में आया जब जनता पार्टी श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक व्यापक जन आन्दोलन था और इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक था – प्रजा अधीन राजा/ राइट टू रिकॉल (कानून) लाना । इस व्यापक जन आन्दोलन को लोक सभा में दो तिहाई बहुमत प्राप्त करने में सफलता मिली पर चूंकि प्रस्तावित रिकॉल कानून का कोई प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट नहीं था इसलिए मंत्रियों ने दावा कर दिया कि उन्हें इस कानून को लिखने के लिए समय चाहिए और इस तरह दो वर्ष का समय बिता दिया। और फिर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानूनों को लागू करने की योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया। इस तरह यह आन्दोलन पूरी तरह असफल हो गया ।

"क़ानून-ड्राफ्ट के लिए नेता रहित व्यापक जन आन्दोलन" जिसका प्रस्ताव मैं कर रहा हूँ वह इस प्रकार है –

1. कार्यकर्ताओं के पास उन कानूनों के स्पष्ट क़ानून-ड्राफ्ट होने चाहिए जिन्हें वे चाहते हैं। कानून `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री आदि ही हो, यह जरूरी नहीं। ये कोई भी कानून–क़ानून-ड्राफ्ट हो सकते हैं

जिनमें कार्यकर्ताओं का विश्वास हो। लेकिन **पूरी तरह लिखित प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।**

2. कार्यकर्ताओं को नागरिकों को यह बताना होगा कि वे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महापौर और सरपंच से कहें कि वे इस क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कर दें। हस्ताक्षर द्वारा, सरकारी अधिसूचना(आदेश) द्वारा कई क़ानून-ड्राफ्ट आ सकते हैं और आते हैं |
3. **सबसे महत्वपूर्ण :** हम लोगों का लक्ष्य चुनाव जीतने के तरीके से प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट लागू करवाना नहीं है बल्कि वर्तमान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और महापौरों पर दबाव डालकर प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट लागू करवाना है।
4. कार्यकर्तागण कानून प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इस पुस्तक में बताए गए हर उपाय अपना सकते हैं।

ऊपर लिखित तरीका पर्याप्त और क्लोन पॉजिटिव है और **(3)** इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यदि लक्ष्य चुनाव जीतकर व्यवस्था में परिवर्तन लाने का है तो यह तरीका निराशाजनक रूप से धोखा देने वाला और क्लोन निगेटिव है। और यह पांच साल के इंतजार का समय लगा देगा। और यदि लक्ष्य चुनाव का इंतजार किए बिना लेकिन वर्तमान महापौरों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पर, कानून-ड्राफ्टों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाकर व्यवस्था में परिवर्तन लाने का है तो यह तरीका क्लोन पॉजिटिव है और इसमें इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।

"बिना किसी नेता के" और "बिना किसी संगठन के" – ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं । यदि पूरा आन्दोलन किसी एक या कुछेक नेताओं के नेतृत्व में चलेगा तो पहले से जमे हुए/स्थापित भारतीय और विदेशी विशिष्ट/ऊंचे लोग इन नेताओं को मार देंगे, मजबूर कर देंगे अथवा घूस दे देंगे अथवा नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाकर उनकी छवि बरबाद कर देंगे। फिर भी यदि हजारों अथवा लाखों कार्यकर्ताओं के पास केवल क़ानून-ड्राफ्ट ही मद/विषय होगा तब भारतीय अथवा विदेशी विशिष्ट/ऊंचे लोग यह समझ जाएंगे कि नेताओं को मारना अथवा घूस दे देने का तरीका उन्हें जरा भी मदद करने वाला नहीं है।

नेता रहित व्यापक जन आन्दोलन में **क़ानून-ड्राफ्ट ही नेता होता है** और नागरिकगण उपनेता होते हैं । ये नागरिक प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट बदल सकते हैं और इस प्रकार नेता को बदल सकते हैं लेकिन यह नेता अपने आप को नहीं बदल सकता और न ही बाद में भ्रष्ट बन सकता है।

कानून – ड्राफ्टों के लिए नेता रहित (व्यापक) जन-आन्दोलन क्लोन पॉजिटिव है। कैसे?

"क़ानून-ड्राफ्ट के लिए नेता-रहित आन्दोलन" क्लोन पॉजिटिव है क्योंकि अनेक लोग एक ही मांग अथवा विभिन्न कानूनों की मांग के लिए इसमें शामिल होते हैं। वे एक दूसरे को कमजोर नहीं करते,एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि उनकी ताकत बढ़ा देते हैं ।

उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रजा अधीन- प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री व प्रजा अधीन-जजों आदि कानून-ड्राफ्टों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव ड़ालने के मेरे प्रस्तावित नेता-रहित व्यापक आन्दोलन पर विचार कीजिए। मैंने इस व्यापक आन्दोलन को खड़ा करने के लिए अनेक कार्रवाइयों का प्रयोग किया है और मैंने इन कार्रवाइयों को विस्तार से पहले के पाठों में बतलाया है जिसका शीर्षक है - "प्रति सप्ताह केवल एक घंटा का समय देकर

आप भारत में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों को लाने में मदद कर सकते हैं।”

मैं यह समझा सकता हूँ कि प्रत्येक कार्रवाई क्लोन पॉजिटिव है। इस पाठ में मैं इसमें से कुछ मदों के बारे में बताउंगा।

1. मान लीजिए मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ जिसमें मेरा लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है बल्कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को यह बताना है कि वे वर्तमान सांसद, विधायक और मेयर/महापौर आदि से कहें कि वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जजों पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) लागू कर दें। मान लीजिए, समाचारपत्र विज्ञापनों आदि का उपयोग करके मैंने 1,00,000(एक लाख) नागरिकों से सम्पर्क किया और उन्हें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जजों/न्यायाधीशों पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून-ड्राफ्टों के बारे में जानकारी दी। मान लीजिए, एक और व्यक्ति उसी चुनाव क्षेत्र में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून-ड्राफ्टों पर चुनाव लड़ता है। तब उसके प्रयासों के चलते यह जानकारी कई हजार ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचेगी और इस प्रकार प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों के आने/लागू होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब यह तो हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे का वोट काट दें लेकिन चूंकि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है बल्कि नागरिकों को यह बताना हमारा लक्ष्य है कि वे वर्तमान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों आदि पर प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून पारित करने का दबाव डालें और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम दोनों उम्मीदवारों द्वारा सकारात्मक तरीके से काम किया गया है। **इस प्रकार, वर्तमान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों आदि पर किसी क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाने के लिए चुनाव लड़ना क्लोन पॉजिटिव है।** जबकि चुनाव में खड़े किए गए उम्मीदवार को जीताने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ना और फिर यह आशा करना कि वह उम्मीदवार प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानून लागू कर देगा, यह क्लोन निगेटिव है।
2. मान लीजिए, यदि मैं प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट की जानकारी देना वाली पर्चियां/ पम्फलेट्स बांट रहा हूँ। यदि एक और कार्यकर्ता ऐसी ही पम्फलेट्स बांटता है तो प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल कानूनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना बढ़ जाएगी।
3. अब, मान लीजिए, कोई कार्यकर्ता समूह **‘क’** क़ानून-ड्राफ्ट **‘क’** के लिए प्रचार कर रहा है और एक और कार्यकर्ता समूह **‘ख’** आता है और क़ानून-ड्राफ्ट **‘ख’** के लिए प्रचार अभियान शुरू करता है। तब या तो कार्यकर्ता समूह **‘क’** प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट **‘ख’** को अपने क़ानून-ड्राफ्ट में शामिल कर सकता है या कार्यकर्ता समूह **‘ख’** प्रारूप **‘क’** को अपने क़ानून-ड्राफ्ट में शामिल कर सकता है या कोई तीसरा कार्यकर्ता समूह **‘ग’** आएगा और एक प्रारूप **‘ग’** प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रारूप **‘क’** और प्रारूप **‘ख’** दोनो की बातें शामिल होंगी । और यह डर कि कार्यकर्ता **‘क’** क़ानून-ड्राफ्ट **‘ख’** अपने में जोड़ लेगा या कार्यकर्ता **‘ख’** क़ानून-ड्राफ्ट **‘क’** अपने क़ानून-ड्राफ्ट में जोड़ लेगा अथवा यह डर कि कार्यकर्ता **‘ग’** आएगा और क़ानून-ड्राफ्ट **‘क’** और क़ानून-ड्राफ्ट **‘ख’** दोनों को अपने में शामिल कर लेगा, ये बातें यह सुनिश्चित करती हैं कि हर समूह ऐसे प्रारूप बनाती है जिसमें दूसरे समूह के क़ानून-ड्राफ्ट की बातें भी शामिल हों।

पर यदि दो प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट एक दूसरे से अलग ही रह जाते हैं तो कोई नागरिक दोनो प्रारूपों को समर्थन दे सकता है और इस प्रकार कोई (वोटों का) बंटवारा नहीं रह जाएगा जबकि कोई नागरिक दो उम्मीदवारों को वोट नहीं दे सकता।

मैंने लगभग 200 कार्यकलापों की सूची बनाई है जिसे कार्यकर्तागण प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों के लिए व्यापक जन-आन्दोलन खड़ा करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं (देखिये पाठ 13) । हरेक कार्यवाई कलोन पॉजिटिव कार्रवाई है। मैं पाठकों से अनुरोध करता हूँ कि यदि उन्हें कोई शंका हो कि कोई भी प्रस्तावित कार्रवाई क्लोन निगेटिव है तो कृपया हमारे मंच/फोरम के जरिए हम लोगों से सम्पर्क करने में संकोच न करें।

(15.21) क़ानून-ड्राफ्ट के लिए नेता-रहित व्यापक (फैला हुआ) आन्दोलन में समय भी कम लगेगा

क़ानून-ड्राफ्ट के लिए `नेता-रहित व्यापक आन्दोलन` एक ऐसी घटना होगी जिसमें हजारों अथवा लाखों अथवा करोड़ों भारतीय नागरिक एक कानून–क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मेयर/महापौर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पर दबाव डालेंगे। कार्यकर्ता अथवा नागरिक जिसने किसी का अनुसरण न करने का फैसला किया है और केवल उन प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट को लागू करने में पूरी ताकत लगाने पर सहमत हुआ है, यह क़ानून-ड्राफ्ट ही उनका नेता है।

यह तरीका "किसी नेता के नेतृत्व में व्यापक जन-आन्दोलन" की तुलना में कम समय लेगा क्योंकि किसी नेता को किसी व्यक्ति को यह समझाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा कि नेता श्री क.ख.ग. अच्छा आदमी है और यदि उसका समर्थक श्री च.छ.ज. इस बात से संतुष्ट हो भी जाता है कि श्री क.ख.ग. एक अच्छा नेता है और तब भी श्री च.छ.ज. के लिए यह आसान नहीं होगा कि वह श्री ट.ठ.ड. को यह समझा दें कि - जिस श्री ट.ठ.ड. ने श्री क.ख.ग. को देखा तक नहीं है या उनसे बात तक नहीं की है, - वह श्री क.ख.ग. एक अच्छा नेता है। जबकि यदि श्री च.छ.ज. किसी कानून–प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट को समझ लिया हो तो वह आसानी से श्री ट.ठ.ड. को समझा सकता है कि यह कानून–प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट अच्छा है। और श्री ट.ठ.ड. आगे किसी और को भी बता सकते हैं । इसलिए क़ानून-ड्राफ्ट के लिए `नेता रहित आन्दोलन` में कम समय लगेगा और "एक नेता के नेतृत्व में आन्दोलन" ज्यादा समय लेगा।

(15.22) क्या सततता / निरंतरता होना जरूरी है?

धर्मार्थ संस्थान चलाना अथवा एक नई राजनैतिक पार्टी खड़ी करना जैसे अनेक तरीकों में हर किसी को नियमित आधार पर प्रति सप्ताह **"क"** घंटे का समय देने की जरूरत पड़ती है। नियमितता में व्यवधान पहले के किए गए सभी कार्य /मेहनत को खत्म कर देता है । "`जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कानून-प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट के लिए व्यापक जन आन्दोलन" की यह महत्वपूर्ण व अच्छी बात है कि निरंतरता की कमी, पीछे किए गए कार्य को समाप्त नहीं करेगी क्योंकि "`जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कानून–क़ानून-ड्राफ्ट के लिए एक व्यापक जन-आन्दोलन" में मुख्य कार्यकलाप साथी कार्यकर्ताओं और नागरिकों को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), नागरिकों और

सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि कानूनों के बारे में संतुष्ट करना होता है । एक बार यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो सततता/निरंतरता में व्यावधान से उसकी संतुष्टी खत्म नहीं होगी। जबकि धर्मार्थ के काम और नई पार्टी खड़ी करने के काम में एक व्यक्ति को लगभग हर दिन काम करना पड़ता है । यदि किसी संगठन में सततता में व्यवधान आ जाता है तो इस बात की संभावना होती है कि समर्थक और कार्यकर्ता दूसरे संगठनों में चले जाएंगे। यह क्लोन निगेटिव स्थिति का प्रभाव मात्र है : जब एक क्लोन/व्यक्ति अपने कार्य में विराम लेता है तो एक प्रतियोगी क्लोन /व्यक्ति उसके द्वारा खड़े किए गए संगठन को बरबाद कर डालता है।

वास्तविक दुनियां में कार्यकर्ताओं के पास करने के लिए दसों/कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसलिए सततता में व्यावधान निश्चित ही है। कोई कार्यकर्ता कुछेक सप्ताह कार्य करता है और उसके बाद अगले कुछ सप्ताहों तक वह समय नहीं भी दे सकता है और वह फिर से तब कार्य करने के लिए तैयार होगा जब उसकी व्यक्तिगत परेशानी सुलझ गई हो।

ऐसे मामलों में जब वह कार्यकर्ता दोबारा शुरू करता है तो पहले किए गए कार्यकलापों द्वारा बनाई गई स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। "कानून–क़ानून-ड्राफ्ट आन्दोलन में यही अच्छी बात है।" मुख्य कार्य साथी नागरिकों को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) कानूनों की अच्छाइयां बतानी होती है और एक बार किसी व्यक्ति को इन कानूनों के बारे में जानकारी हो जाती है तब कुछ सफलता हासिल हो जाती है। यह सफलता तब भी समाप्त नहीं होती जब यदि कार्यकर्ता कुछ सप्ताहों का विराम ले ले।

(15.23) सारांश (छोटे में बात)

मैं सभी कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं के साथ-साथ कार्यकर्ता नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी पसंद के कानूनों का क़ानून-ड्राफ्ट तैयार करें और मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि वे देखें कि क्या इन कानून-ड्राफ्टों को लागू कराने के उनके तरीके क्लोन पॉजिटिव और समय बचाने वाले हैं। जितने भी तरीकों का मैने अध्ययन किया है उनमें से "नेता-रहित कानून–क़ानून-ड्राफ्ट आन्दोलन" सबसे ज्यादा क्लोन पॉजिटिव और समय बचाने वाला है और इसमें प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उनके (अपने नेता के प्रति) इमानदारी खत्म होने का खतरे भी नहीं हैं।

किसी अन्य लेख में मैं यह बताउंगा कि `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) सभी संभव कानून-ड्राफ्टों में सबसे ज्यादा प्रभावकारी कानून–क़ानून-ड्राफ्ट है। एक सामान्य प्रमाण के रूप में मैं पाठकों से अनुरोध करूंगा कि वे उस प्रारूप को लिखें जिसे वे जनता की आवाज (सूचना का अधिकार) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली से ज्यादा प्रभावकारी समझते हैं और फिर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने बनाए प्रारूप में `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) को एक नए अंश के रूप में नीचे जोड़ लें । अब यह नया प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट उनकी राय में पहले से बेहतर है या खराब?

(15.24) फिक्स-अनशन , सत्याग्रह और गांधीगिरी का सच

हमारे पास तीन आमरण अनशन थे - साधू निगामानंद ,अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव जी के | जो अनशन निगामानंद ने किया ,उसने बड़ी संख्या इकठ्ठा नहीं की, इसीलिए सरकार ने उसे शांतिपूर्वक मरने दिया , अनशन के लिए बंदी भी बनाया .लेकिन उसकी मांगें पूरी नहीं की , स्वामी रामदेव जी और उनके लोगों पर 5000 लाठियां और 500 आंसू गोले बरसाए |ये सब सिद्ध करता है कि केवल फिक्स-अनशन (पूर्व से उसकी दिशा/परिणाम तय किया हुआ) ही सफल है, सत्याग्रह और गांधीगिरी नहीं| **यदि अनशन फिक्स / पूर्व-परिणाम निर्धारित नहीं है , तो व्यक्ति या तो मरेगा या तो उसे लाठियां ही मिलेंगी|**

(15.25) इस पाठ का उद्देश्य – पुनरावलोकन (फिर से देखना)

यह पाठ और इसके बाद का पाठ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत है । इस पाठ और इसके बाद के पाठ में मैंने यह दिखलाने की कोशिश की है कि मेरा प्रस्तावित तरीका, कि “प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, महापौरों पर `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली कानून के लिए दबाव डालने के लिए कार्यकर्ता नागरिकों से कहें”, कम खर्चीला है और अन्य कार्यकर्ता नेताओं द्वारा प्रस्तावित अधिकांश अन्य तरीकों से ज्यादा प्रभावकारी है क्योंकि मेरा तरीका पर्याप्त होने के साथ-साथ क्लोन पॉजिटिव भी है। इसे बताने का उद्देश्य कार्यकर्ताओं से यह कहना नहीं है कि वे अपने संगठन छोड़कर मेरे संगठन में शामिल हो जाएं। लेकिन मेरा उद्देश्य कार्यकर्ताओं को इस बात पर राजी करने का है कि उन्हें अपने कार्यकर्ता नेताओं से कहना चाहिए कि वे अपने समूह के ऐजेंडे/कार्यसूची में `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि को शामिल कर लें।

मैं कार्यकर्ताओं से यह क्यों कहता हूँ कि वे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि को अपने समूह में शामिल करें और यह नहीं कहता कि वे अपने समूह को छोड़कर मेरे समूह में शामिल हो जाएं? क्योंकि कार्यकर्ताओं से `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) को उनके संगठन के ऐजेंडे/कार्यसूची में शामिल करने के लिए कहना क्लोन पॉजिटिव है। जबकि कार्यकर्ताओं को उनके संगठन छोड़कर मेरे संगठन में आने/शामिल होने के लिए कहना क्लोन निगेटिव है और इसलिए इसका प्रभाव कम पड़ता है। **अपने नेता /संगठन को छोड़ने का विचार या कोई अन्य नेता/संगठन को समर्थन करने का विचार से कार्यकर्त्ता को ऐसे लग सकता है कि वो अपने नेता/संगठन के प्रति ईमानदार नहीं है| इसीलिए ये केवल समय और शक्ति की बर्बादी होगी | इसीलिए हमें “ नेता-रहित क़ानून-ड्राफ्ट के लिए जन-आन्दोलन” की आवश्यकता है जिसमें अपने नेता/संगठन के प्रति नमक हरामी/बेईमानी का सवाल ही नहीं होता |** इसी प्रकार, मैं मतदाताओं से शायद ही कभी कहता हूँ कि उन्होंने जिसे पिछली बार वोट दिया था, उसे वोट न दें और मुझे वोट दें। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि वे अपने प्रिय उम्मीदवार से `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट को उनके अपने चुनाव घोषणापत्र में शामिल कर लेने के लिए कहें। यह कदम भी क्लोन पॉजिटिव है और इसलिए अधिक प्रभाव डालता है।

अध्याय 16 - प्रिय कार्यकर्ता, क्या आपके नेता कानूनों के ड्राफ्ट देने / बताने से मना करते हैं ?

(16.1) इस पाठ का उद्देश्य

इस पाठ का उद्देश्य कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को यह समझाने का है कि यदि आपका कार्यकर्ता नेता गरीबी/भ्रष्टाचार कम करने वाले कानून-ड्राफ्ट का खुलासा नहीं कर रहा है तो आपका यह कार्यकर्ता नेता जानबूझकर या अनजाने में आपका कीमती समय बरबाद कर रहा है। ऐसे समूह भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकने में असफल हो जाएंगे, वे गरीबी कम करने में असफल हो जाएंगे और वे भारत में अराजकता की स्थिति कम करने में असफल हो जाएंगे। अब मेरा लक्ष्य कार्यकर्ताओं से यह कहने का नहीं है कि वे अपने कार्यकर्ता नेताओं को छोड़ दें। मेरा उद्देश्य कार्यकर्ताओं से यह कहने का है कि वे अपने कार्यकर्ता नेताओं से कहें कि वे भ्रष्टाचार और गरीबी कम करने वाले कानून-ड्राफ्ट उपलब्ध कराऐं। आशा है कि मैं कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए संतुष्ट करने में सफल हो जाउंगा कि वे कार्यकर्ता नेताओं पर कानून-ड्राफ्टों का खुलासा करने के लिए दबाव बनाएं। तब मैं यह देख पाउंगा कि क्या भ्रष्टाचार आदि को कम करने के लिए उनके प्रस्वावित कानून-ड्राफ्ट मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रारूपों/ड्राफ्ट की तुलना में ज्यादा अच्छा काम करेंगे या नहीं? यदि वे ज्यादा प्रभावकारी/कार्य-कुशल हुए तो मैं उन कानून-ड्राफ्टों को अंशत: या पूर्णत: अपने ऐजेंडे/कार्यसूची में शामिल कर लूंगा और यदि उनके कानून-ड्राफ्ट मेरे कानून-ड्राफ्ट से खराब हुए तो मेरा अगला कदम कार्यकर्ताओं से यह कहने का होगा कि वे अपने कार्यकर्ता नेताओं से कहें कि वे अपने प्रारूपों/ड्राफ्ट में मेरे प्रारूपों/ड्राफ्ट के अच्छे बिन्दुओं को शामिल कर लें।

साथ ही, जैसे ही कोई कार्यकर्ता नेता अपने कानून का खुलासा करता है तो मैं उससे पूछूंगा कि वह क्यों निम्नलिखित भागों को अपने क़ानून-ड्राफ्ट में जोड़ने का विरोध कर रहा है, जिन भागों को मैने खण्ड `जनता की आवाज` (सी वी = जनता की आवाज) का नाम दिया है, प्रस्तावित प्रारूपों में सी वी – 1 और सी वी – 2 नाम से दो खण्ड होंगे :-

धारा/सैक्शन सी वी : `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली		
सी वी – 1	जिला कलेक्टर	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20 रूपए प्रति पृष्ठ का शुल्क लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
सी वी – 2	तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल)	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना

		चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

ऊपर उल्लिखित/वर्णित धारा -`जनता की आवाज़`(सी वी) नागरिकों की कोई भी प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट के विरुद्ध (जनता की) आवाज को ध्यान में लाने में सक्षम बनाता है , यदि कोई ऐसी आवाज़ हो तो । और यह धारा नागरिकों को भारत के किसी भी कानून-ड्राफ्ट में बदलाव लाने अथवा भारत में एक नए कानून-ड्राफ्ट बनाने में भी सक्षम बनाएगा। यदि कार्यकर्ता नेता ऊपर उल्लिखित दोनों धाराओं को शामिल करने से इनकार करता है तो मैं उसे आम आदमी विरोधी अथवा लोकतंत्र विरोधी व्यक्ति के रूप में प्रचारित कर सकता हूँ। और यदि कार्यकर्ता नेता ऊपर उल्लिखित दोनों धाराओं को अपने कानून-ड्राफ्ट में शामिल करने पर सहमत हो जाता है तो उसका समूह निश्चित रूप से `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) समर्थक समूह बन जाएगा।

मैं वर्तमान समूहों के ऐजेंडे/कार्यसूची में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) क़ानून-ड्राफ्ट जोड़ने में रूचि रखता हूँ और मैं उनके कार्यकर्ताओं को चुराकर अपने राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह में शामिल करने में जरा भी रूचि नहीं रखता। क्यों? क्योंकि कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को बैठकों का स्थान और कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कार्यालय चलाने का मेरे पास ना तो पैसा है और न ही समय। कार्यस्थल/रियल स्टेट महत्वपूर्ण लेकिन महंगा है और यदि मैं कार्यकर्ताओं को राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह में शामिल करने पर जोर दूं तो प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों का प्रचार करने की मेरी योजना में यह एक बड़ी रूकावट बन जाएगा। लेकिन यदि मैं कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को इस बात पर राजी कर सकूं कि वे अपने समूह के ऐजेंडे/कार्यसूची में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों को शामिल करवा सकें तो उनके समूह के कार्यस्थल को प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून का प्रचार करने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। इससे लागत 95 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि मैं किसी प्रकार कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का एजेंडा उसके अपने समूह के एजेंडे/कार्यसूची में शामिल करवाने के लिए मना सकूं और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)-समर्थक कार्यकर्ताओं को उनका अपना समूह छोड़ने के लिए बाध्य न करूं। तब क्या होगा जब वह कार्यकर्ता नेता प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों को अपने ऐजेंडे में शामिल करने से इनकार/मना कर दे? तब मेरा कदम कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को किसी ऐसे समूह में शामिल होने पर राजी करने का होगा जो समूह प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का समर्थन करता है ताकि उस समूह के स्थल/कार्यालय और संचार-सूत्रों का उपयोग प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून-ड्राफ्टों का प्रचार करने में किया जा सके। मैं इसके बारे में विस्तार से बाद में बताउंगा।

(16.2) कानून –ड्राफ्टों के अभाव में सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं

प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट थं जाते हैं के अभाव में कार्यकर्ताओं और नागरिकों के सभी प्रयास व्य। सबसे खराब उदाहरणों में से एक है–के बीच जय प्रकाश नारायण द्वारा चलाया 1977-1950 गया"प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट को बदलने का भ्रष्ट) राइट टू रिकॉल/रहित प्रजा अधीन राजा (अधिकार" का विचार।

जय प्रकाश नारायण ने दावा किया कि वे प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के कट्टर समर्थक हैं । उन्होंने वास्तव में प्रजा अधीन- मंत्री, प्रजा अधीन-विधायक को समर्थन दिया लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्होंने कभी प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन- मुख्यमंत्री, प्रजा अधीन-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/सुप्रीम कोर्ट जज, प्रजा अधीन-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/हाई-कोर्ट जज , प्रजा अधीन-जिला पुलिस प्रमुख , प्रजा अधीन-जिला पुलिस कमिश्नर/आयुक्त, प्रजा अधीन-भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/अध्यक्ष आदि का भी समर्थन किया। लेकिन एक बात तो तय थी कि उन्होंने हमेशा उन ड्राफ्टों को देने का विरोध किया जो यदि संसद में पारित/पास हो जाते तो भारत में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) लागू हो सकते थे। 1950 से लेकर 977 तक, 27 वर्षों के लम्बे समय में जय प्रकाश नारायण ने दावा किया कि वह प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के कट्टर समर्थक हैं। लेकिन उन्होंने अपने इच्छित प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट लिखने के लिए जरूरी कुछ घंटे का समय नहीं निकाला और जिन कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं ने जय प्रकाश नारायण को अपना समय दिया उन्हें अन्त में अपना सारा समय व्यर्थ गंवाना पड़ा।

नौजवान कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का मूल्यवान समय जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के लिए प्रचार करने में लगा दिया। उनमें से कई तो वर्षों जेल में रहे। 1977 के चुनाव के दौरान, जय प्रकाश नारायण और जनता पार्टी जिसके लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उसका एक अहम नारा/मंच प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) था। प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), 1977 में जनता पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्र में भी था। और जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद जब कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों से प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) लागू करने की मांग की तो मंत्रियों ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का प्रस्ताव करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया। इस समिति ने 2 वर्षों का समय बरबाद किया और तब किसी प्रकार कुछ व्यर्थ प्रारूपों का प्रस्ताव किया। जय प्रकाश नारायण ने 1977 में जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद भी, कभी भी अपने प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का प्रस्ताव नहीं किया और न ही उन्होंने छात्रों से संसद का घेराव करने और प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट के पारित होने तक घेराव जारी रखने के लिए ही कहा और कुल मिलाकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून को लागू करवाने का अनुरोध करने

वाले कुछ पत्र लिखे और उस समय के दौरान, बुद्धिजीवियों ने कार्यकर्ताओं का ध्यान धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिकता आदि जैसे छोटे मुद्दों की ओर भटका दिया। अन्त में, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के लिए चलने वाला आन्दोलन भंग हो गया। कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं की दशकों की मेहनत बरबाद हो गई। पर यदि कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं पर पहले क़ानून-ड्राफ्ट उपलब्ध कराने का दबाव डाला होता और यदि प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के क़ानून-ड्राफ्ट 1977 के चुनाव से पहले तैयार होते तो जनता पार्टी के सत्ता में आने के कुछ दिनों के अन्दर ही कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता मंत्रियों पर इन पहले से सहमत प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट को लागू कराने का दबाव डालने में सफल हो सकते थे। तब कार्यकर्ताओं की मेहनत बरबाद नहीं जाती।

व्यर्थ गए प्रयासों का एक और उदाहरण 1996 का चुनाव था, जब अटल बिहारी बाजपेयी ने बयान दिया कि वे 3 वर्षों में ही “डर, भूखमरी और भ्रष्टाचार” हटा देंगे/समाप्त कर देंगे। लाखों कार्यकर्ताओं ने इस उम्मीद के साथ रात-दिन काम किया ।लेकिन दुखद बात है कि कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी बाजपेयी से वह क़ानून-ड्राफ्ट उपलब्ध कराने की मांग ही नहीं की जिसके सहारे प्रशासन गरीबी और भ्रष्टाचार कम करता। मेहनत फिर बेकार गई। अटल बिहारी बाजपेयी और उनके मंत्रियों ने कांग्रेस के मंत्रियों से अलग कुछ नहीं किया।

पहले से सहमत प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट के होने का लाभ यह है कि सत्ता में आने के बाद यदि नेता प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पारित करने से मना करता है तो कार्यकर्ताओं के सामने तुरंत ही उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। जब कोई नया नेता सत्ता में आता है तो उस समय का माहौल बहुत गर्म/जोशीला होता है। और उस समय नागरिकगण अपना समय देने को तैयार होते हैं। **यदि पहले से सहमत प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट तैयार हो तो कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता इस तथ्य/बात का लाभ उठा सकते हैं कि चुनाव नतीजे की घोषणा के ठीक बाद नागरिकगण जोश से भरे होते हैं।** यदि पहले से सहमत प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट तैयार नहीं होगा तो कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता और नागरिक यह मूल्यवान/बहुमूल्य समय खो देंगे। उदाहरण के लिए, यदि 1977 में पहले से सहमत प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट मौजूद होता तो चुनाव जीतने के दिन का माहौल इतना जोशपूर्ण था कि कार्यकर्तागण उस समय के प्रधानमंत्री को उन कानूनों को लागू करने के लिए आसानी से बाध्य कर सकते थे। और यदि कार्यकर्तागण 1996 के चुनाव से पहले अटल बिहारी बाजपेयी पर भ्रष्टाचार कम करने का कानून-प्रारूप उपलब्ध कराने का दबाव डालते तो अटल बिहारी बाजपेयी के जीतने के दिन का माहौल इतना महत्वपूर्ण था कि कार्यकर्तागण (अटल बिहारी बाजपेयी) को कुछ ही दिनों के भीतर उन कानूनों को लागू कराने के लिए आसानी से बाध्य कर सकते थे । लेकिन बुद्धिजीवियों ने कार्यकर्ताओं को गुमराह किया और उन्हें बताया कि कानून-प्रारूप की जरूरत नहीं है और इस प्रकार कार्यकर्ताओं की सारी मेहनत बेकार गई।

क़ानून-ड्राफ्ट किसको चोट पहुंचाते हैं? क़ानून-ड्राफ्ट हम आम लोगों को कभी चोट नहीं पहुंचाते। ये क़ानून-ड्राफ्ट कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं करते और ये ईमानदार कार्यकर्ता नेताओं को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट केवल वैसे कार्यकर्ता नेताओं को हानि पहुंचाते हैं जो अपने किये गए वादें तोड़ने की योजना बनाते हैं। और यह प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट उन बुद्धिजीवियों को भी बहुत चोट पहुंचाते हैं जो ऐसे नेताओं के एजेंट/प्रतिनिधि होते हैं और उन्हें कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसलिए प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट का न होना केवल बेईमान नेताओं और ऐसे बेईमान नेताओं के एजेंटों

को ही लाभ पहुंचाते हैं। मैं सभी कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे इस तथ्य को अपने मन में अवश्य रखें, उन कारणों का विश्लेषण करते समय, जो कारण कार्यकर्ता नेता उन कानूनों के प्रारूपों का खुलासा नहीं करने के लिए देते हैं, जिनका समर्थन करने का वे दावा करते हैं ।

(16.3) नागरिकों और सांसदों का कार्य

सांसदों का कार्य है कि
(1) क़ानून-ड्राफ्ट को अध्यक्ष को प्रस्तुत करना/देना
(2) अपनी हाँ/ना कहना जब अध्यक्ष उस क़ानून-ड्राफ्ट /मसौदे पर मतदान तय करे
सांसद को (1) और (2) नागरिकों की इच्छा के अनुसार करना होता है | ये नागरिकों का कर्तव्य है कि क़ानून-ड्राफ्ट / मसौदा तैयार करे और सांसद को प्रस्तुत करे/दे | जब तक कि नागरिकों ने कोई क़ानून-ड्राफ्ट नहीं दिया है, तब तक सांसदों को एक मांसपेशी भी नहीं हिलानी है (कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं)|

(16.4) क़ानून-ड्राफ्ट – रहित कार्यकर्ता : बिना डिजाइन का इंजिनियर

मान लीजिए, आप के पास लगभग 1000 वर्ग मीटर का एक प्लॉट है और आप उस पर एक बंगला बनाना चाहते हैं। मान लीजिए, आप किसी इंजिनियर के पास जाते हैं और अपनी आवश्यकता बताते हैं। वह इंजिनियर आपसे बड़े-बड़े वायदे करता है कि इस बंगले में बड़े कमरे, बड़ी गैलरी और अच्छे बाथरूम आदि होंगे। इसके बाद आप उसे डिजाइन और लागत का अनुमान देने के लिए कहते हैं और **मान लीजिए यदि इंजिनियर कहता है "विस्तृत ब्यौरों की चिन्ता कृपया न करें। बस केवल मुझे दो तीन वर्षों के लिए अपने इस प्लॉट का वापस-न-किया-जा-सकने-वाला पावर आफ एटर्नी दे दें और तीन वर्षों में मैं आपको एक बहुत बढ़िया बंगला दे दूंगा !!"** कोई भी जिम्मेदार इंजिनियर ऐसा गैर-जिम्मेदाराना जवाब नहीं देगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से और दुखद रूप से सभी चुनावी उम्मीदवार और उनके समर्थक कार्यकर्ता पिछले 60 वर्षों से ऐसे ही जवाब देते आ रहे हैं। पिछले 60 वर्षों में, सभी उम्मीदवारों ने मतदाताओं से कहा कि मतदाताओं को संसद अथवा विधान सभा में पहुंचने के बाद उम्मीदवार द्वारा लागू करवाए जाने वाले कानून के प्रारूपों के बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मेरे विचार से, वह 5 वर्षो के वापस-न-लिया-जा-सकने-वाला विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार चाहता है और अपने द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले प्रारूप/ड्राफ्ट तक उपलब्ध कराना नहीं चाहता। इसलिए कुल मिलाकर, ड्राफ्ट-रहित नेता उस इंजिनियर के समान हैं जो डिजाइन बताने से मना करते हैं और जमीन/पैसे की मांग करते हैं।

निर्माण कार्य के लिए डिजाइन देना अनिवार्य होता है, ताकि यह पक्का हो सके कि डिजाइन स्थायी है और इसमें खराबी नहीं आएगी । इसी प्रकार, प्रशासन में प्रारूप/ड्राफ्ट-कानून यह विश्लेषण करने के लिए जरूरी हैं कि वह प्रारूप-कानून स्थिति को और बिगाड़ेगा या सुधारेगा। प्रत्येक कार्यकर्ता नेता प्रारूप/ड्राफ्ट का महत्व जानते हैं।

क़ानून-ड्राफ्ट -रहित कार्यकर्ता : वैसे डॉक्टर जो दवा का नाम नहीं बताते

मान लीजिए, एक रोगी है जो बीमार है। और मान लीजिए, रोगी डॉक्टर के पास जाता है जो बीमारी, इसके कारण आदि का विस्तृत ब्यौरा देता है। और फिर दवा का नाम बताने से इनकार करता है। क्या वह डॉक्टर सही है?

प्रारूप/ड्राफ्ट-रहित कार्यकर्ता नेता इससे ज्यादा अलग नहीं हैं। यह पता है कि गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी कई समस्याओं के समाधान के लिए कानूनों में परिवर्तन की जरूरत है और कानूनों में बदलाव के लिए इसके प्रारूपों/ड्राफ्ट को विधानसभा, संसद में पारित करने/कराने की जरूरत है। और इसके लिए प्रारूप/ड्राफ्ट होना ही चाहिए। इसके बावजूद अधिकांश कार्यकर्ता नेता भ्रष्टाचार और गरीबी कम करने के लिए आवश्यक प्रारूप/ड्राफ्ट देने/बताने से मना करते हैं। ये प्रारूप/ड्राफ्ट-रहित कार्यकर्ता नेता उन डॉक्टरों के समान हैं जो दवाओं के नाम नहीं बताते।

ठीक उसी प्रकार रोगी को यह तय करने के लिए किसी दवा का नाम चाहिए कि दवा का कोई गंभीर साइड-इफेक्ट/दुष्प्रभाव तो नहीं है, इसी प्रकार नागरिकों को कानून का प्रारूप देखने/समझने की जरूरत होती है ताकि वे निर्णय कर सकें कि ड्राफ्ट में ज्यादा साइड-इफेक्ट है या ज्यादा अच्छाई है। यदि कोई कार्यकर्ता नेता उस प्रारूप/ड्राफ्ट को देने से मना करता है जिस प्रारूप/ड्राफ्ट पर वह दावा करता है कि इससे समस्याएं कम होंगी, तब वह कार्यकर्ता नेता नागरिकों को इसके साइड-इफेक्ट के सत्यापन/निश्चित करने का अवसर नहीं दे रहा है। ऐसे मामले में वह उस डॉक्टर से ज्यादा खतरनाक/बुरा है जो दवा नहीं देते। वह उस डॉक्टर के समान है जो रोगियों को दवा के साइड-इफेक्ट के बारे में निर्णय करने का अवसर दिए बिना दवा देने में विश्वास करता है।

(16.5) कानून-ड्राफ्ट (प्रारूपों) का उपयोग करके आन्दोलन खड़ा करना नेताओं को आदर्श प्रतिनिधि / नुमाइंदा बनाकर पेश करने से कहीं ज्यादा आसान है

मान लीजिए मैं एक कार्यकर्ता नेता हूँ और मैने कई घंटों की बातचीत के बाद `.क` श्री, को संतुष्ट कर दिया है कि मैं भरोसा करने लायक हूँ और मैं भ्रष्टाचार कम कर दे सकता हूँ। अब यदि श्री `.क`श्री `.ख`को इस बात पर राजी करने की कोशिश करते हैं कि मैं एक भरोसेमन्द नेता हूँ और मैं भ्रष्टाचार कम कर सकता हूँ, तब ऐसा करना एक बहुत ही कठिन काम है क्योंकि श्री `.ख`ने न तो मुझसे कभी बात की है और न ही कभी मुझसे मिले हैं और न ही उन्होंने कभी मुझे देखा है।

इसके विपरित, यदि मैं किसी कार्यकर्ता श्री **`क.`** को संतुष्ट कर देता हूँ कि `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत प्रणाली, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) जैसे कुछ क़ानून-ड्राफ्ट भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं तो कार्यकर्ता श्री **क.** आसानी से कार्यकर्ता श्री **`ख.`** को प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट के गुणों/अच्छाइयों के बारे में संतुष्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट में ही इसकी सारी बातें मौजूद होती हैं और यह क़ानून-ड्राफ्ट अपनी अच्छाइयां/बुराइयां खुद ही बयान करता है। इस क़ानून-ड्राफ्ट में बहुत ज्यादा विपरित साइड-इफेक्ट हैं या ज्यादा गुण/अच्छाइयां है, इसे कार्यकर्ता श्री **`ख.`** मुझसे (इस

उदाहरण में प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट लिखने वाले से) संपर्क/बातचीत किए बिना पता लगा सकते हैं। इस प्रकार, क़ानून-ड्राफ्ट को लोकप्रिय बनाना शुरू में तो कठिन होता है लेकिन बाद में यह बहुत आसानी से अपने-आप फैलने लगता है। जबकि किसी व्यक्ति को आईकॉन/आदर्श प्रतिनिधि के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत ज्यादा संपर्क समय की जरूरत पड़ती है और इसमें आखिरकार उन धनवान लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ती ही है जो समाचारपत्रों और टेलिविजन चैनलों के मालिक होते हैं। ऐसा करना सम्पूर्ण प्रचार अभियान को इन उच्चवर्ग/विशिष्ट वर्ग का बन्धक/आधीन बना देता है।

(16.6) ऊंचे/विशिष्ट लोग क़ानून-ड्राफ्ट से ज्यादा व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं ; कार्यकर्ताओं को इसके विपरित काम करना चाहिए

धनवान लोग विचारों के स्थान पर व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि आईकन/निर्मित आदर्श प्रतिनिधि को आसानी से तोड़कर अपनी ओर मिलाया जा सकता है जबकि विचार यदि एक बार लोकप्रिय हो जाएं तो इन्हें तोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए, जब धनवान व्यक्ति किसी व्यक्ति को सामने लाने/प्रचारित करने पर अपना पैसा लगाते/खर्च करते हैं तो उनके हाथों में कुछ नियंत्रण होता है। वे बाद में उस ऑइकन/`निर्मित आदर्श प्रतिनिधि` को उसे बदनाम करने वाले प्रचार अभियान चलाने की धमकी दे सकते हैं। पर यदि कोई धनवान व्यक्ति प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) या `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) जैसे किसी कानून-ड्राफ्ट के पीछे निवेश करते/पैसा लगाते हैं तो बाद में उसके पास प्रस्तावित कानून-ड्राफ्ट के खिलाफ बदनामी के प्रचार अभियान चलाने का कोई साधन नहीं बचता। इसलिए विशिष्ट/उच्च वर्गों के लोग और उनके पालतु बुद्धिजीवी किसी ऑइकन/`निर्मित आदर्श प्रतिनिधि` के पीछे निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं।

लेकिन कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को इससे ठीक विपरित/उल्टा ही करना चाहिए – उन्हें अपना समय और प्रयास कानून-ड्राफ्टों के प्रचार-प्रसार में लगाना चाहिए न कि किसी आईकन /`निर्मित आदर्श प्रतिनिधि` के प्रचार में। क्योंकि ऑइकन/`निर्मित आदर्श प्रतिनिधि` बाद में ब्लैकमेल और धमकी का शिकार बन सकते हैं और उन्हें कार्यकर्ताओं को धोखा देने पर मजबूर किया जा सकता है। जबकि क़ानून-ड्राफ्ट को कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और कोई क़ानून-ड्राफ्ट कभी भी कार्यकर्ताओं की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता या उन्हें धोखा नहीं दे सकता।

(16.7) "आपका प्रस्ताव असंवैधानिक है" के तर्क से निपटने के लिए क़ानून-ड्राफ्ट एकमात्र रास्ता है

जब भी कभी कोई जनता के हित के प्रस्ताव जैसे प्रजा अधीन - उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/जज अथवा प्रजा अधीन - प्रधानमंत्री अथवा नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.) आदि बनाता है तो बुद्धिजीवी तुरंत ही यह कहने लगते हैं कि "प्रजा अधीन-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/सुप्रीम कोर्ट जज असंवैधानिक है" अथवा " प्रजा अधीन - प्रधानमंत्री असंवैधानिक है" अथवा "नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी

(एम.आर.सी.एम.) असंवैधानिक है" आदि आदि। अब इन बुद्धिजीवियों के पास अपनी वाकपटूता और वाणीचातुर्य का प्रयोग और सुधार करने के लिए हर दिन 12 घंटे का समय होता है। उन्हें (वाकपटूता और वाणीचातुर्य के सिवाय) बिना कुछ किए वेतन मिलता रहता है, जबकि हम कार्यकर्ताओं को वास्तविक अर्थव्यवस्था में काम करके वास्तविक/मेहनत का पैसा कमाना होता है इसलिए हमलोगों के पास कुतर्क करने का समय नहीं होता। इसलिए उनका यह कहना "आप जो भी कहते हो वह असंवैधानिक है" लोगों को चुप कैसे करवाया जा सकता है?

उन्हें चुप कराने का सबसे प्रभावकारी तरीका यह है कि उनके सामने कानून का क़ानून-ड्राफ्ट रख दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि "कृपया दिखाइए कि इस क़ानून-ड्राफ्ट का कौन सा क्लॉज/ खण्ड असंवैधानिक है?" अब बेशक आपका क़ानून-ड्राफ्ट इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि इसका हरेक क्लॉज/खण्ड संवैधानिक हो। लेकिन यदि आप इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो बुद्धिजीवी लोग एक भी क्लॉज/खण्ड एक भी खंड नहीं बता पाएंगे जो असंवैधानिक हो। और इस तरह के मामले में श्रोतागण संतुष्ट हो जाएंगे कि आपका प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट संवैधानिक है और वह बुद्धिजीवी सचमुच झूठा है। पर यदि आपके पास कोई प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट नहीं है तो श्रोतागण का शक बना ही रहेगा।

(16.8) प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट न देने के लिए गलत कारण / बहाने

मैं पिछले दस वर्षों से अधिक समय से अनेक कार्यकर्ता नेताओं से मिलता रहा हूँ और उन्हें उनके द्वारा प्रस्तावित प्रारूप/ड्राफ्ट देने के लिए कहता रहा हूँ। वे उस प्रारूप/ड्राफ्ट को न देने के सैकड़ों बहाने बनाते हैं जिस पर वे दावा करते हैं कि वह गरीबी/भ्रष्टाचार कम कर देगा। मैने इन बहानों में से कुछ को संकलित किया है और उनका खंडन भी किया है ताकि संबंधित कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता इन कारणों के खिलाफ तर्क-वितर्क कर सके और उनके कार्यकर्ता नेताओं को उनके ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सके :-

क़ानून-ड्राफ्ट न देने का बहाना 1 : भारत में आम लोग मूर्ख होते हैं और वे क़ानून-ड्राफ्ट को नहीं समझेंगे

खंडन : दवाओं/चिकित्सा-कार्य में रोगियों को हरेक दवा के हरेक ब्यौरे की पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन कम से कम उन सूचनाओं/जानकारियों को इंटरनेट पर डाला/रखा जाता है ताकि रोगी उसे देख सके। और कम से कम डॉक्टरों को तो हर दवा के हर ब्यौरे के बारे में बता ही दिया जाता है। यदि नागरिक मूर्ख और अल्पबुद्धि होते हैं (जैसा कि कार्यकर्ता नेता कहते हैं) तो आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि आप नागरिकों को दिए जाने वाले अपने भाषणों में क़ानून-ड्राफ्ट के विस्तृत ब्यौरे को शामिल न करें। और क्या आप अपने इन क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में अपने कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को तनिक भी बताते हैं? यदि नहीं, तो क्या आप यह भी दावा करते हैं कि आपका कार्यकर्ता भी मूर्ख है और कानून-ड्राफ्टों को समझने में असमर्थ है?

क़ानून-ड्राफ्ट न देने का बहाना 2 : प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट व्यर्थ/बेकार हैं

खंडन : भारत सरकार द्वारा 1940 के दशक के मध्य में राशन कार्ड प्रणाली के प्रारूपों के प्रकाशन के बाद ही भारत में भूखमरी कम हो गई। कई विचाराधीन कैदी रिहा हो गए (उन्हें) राहत देने वाले कानूनों के क़ानून-ड्राफ्ट के पारित होने के बाद ही । शिक्षा का प्रसार, शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने वाले अनेक ड्राफ्टों/प्रारूपों (विधानों के साथ-साथ सरकारी

अधिसूचना(आदेश)ओं) के पारित होने के बाद ही हुआ। मैं इन सभी हजारों उदाहरणों का सारांश इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकता हूँ : एक गरीब आम आदमी का केवल एक ही "दोस्तों का समूह" होता है – सरकार में बैठे ईमानदार आदमी। और ऐसे ईमानदार अधिकारियों के पास गरीब (आम) आदमी की सहायता करने के लिए केवल एक ही साधन होता है- कानूनों के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट । यदि ये क़ानून-ड्राफ्ट खराब/कमजोर हैं तो कोई ईमानदार अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकता। यदि ये क़ानून-ड्राफ्ट अच्छे/मजबूत हैं तो वह आम आदमियों की मदद/सहायता कर सकता है। इसलिए यदि एक कार्यकर्ता नेता यह कहता है कि प्रारूपों की जरूरत नहीं या ये बेकार होते हैं तो जानबूझकर या अनजाने में ही वह सफेद झूठ बोल रहा है। मैं कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे ऐसे नेताओं को विस्तार से बताऐं कि क्यों क़ानून-ड्राफ्ट उपयोगी, हानिरहित और बहुत जरूरी भी हैं।

क़ानून-ड्राफ्ट न देने का बहाना 3 : ड्राफ्टों से विरोधियों को कमियां ढूढ़ने का अवसर मिल जाता है

खंडन : पहली बात यह है कि कमियां होनी ही नहीं चाहिएं। और यदि विपक्ष कमियां निकालता है तो वह नागरिकों का भला ही कर रहा है – क्योंकि तब क्या होगा यदि कमियों वाला क़ानून-ड्राफ्ट पारित हो जाए? इसलिए कुल मिलाकर, प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट अवश्य दिए जाने चाहिएं ताकि चाहे सही हों या गलत, विपक्षी लोग कमियां निकाल/ढूंढ़ सकें।

क़ानून-ड्राफ्ट न देने का बहाना 4 : क़ानून-ड्राफ्ट लिखना कानून विभाग का काम है

खंडन : यह एक सफेद झूठ है। कोई भी व्यक्ति क़ानून-ड्राफ्ट लिख सकता है। संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो यह कहता हो कि केवल कानून विभाग ही प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट लिख सकता है। वास्तव में, कोई भी सांसद क़ानून-ड्राफ्ट लिख सकता है और इसे 'निजी सदस्य का विधेयक' (प्राइवेट मेंम्बरर्स बिल) के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। और कोई भी नागरिक किसी सांसद से अनुरोध कर सकता है कि वह उसके क़ानून-ड्राफ्ट को 'निजी सदस्य विधेयक' (प्राइवेट मेंम्बरर्स बिल) के रूप में प्रस्तुत कर दे। वास्तव में, यह हरेक नागरिक या कम से कम किसी जागरूक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह कानून-ड्राफ्टों को बदलने में सक्रिय होकर रूचि ले।

क़ानून-ड्राफ्ट न देने का बहाना 5 : कार्यकर्ताओं को धर्मार्थ आदि के काम की ओर ध्यान लगाना चाहिए न कि कानून-ड्राफ्टों की ओर

खंडन : मैं पिछले पाठ में इस बहाने का खंडन कर चुका हूँ।

क़ानून-ड्राफ्ट न देने का बहाना 6 : कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार कम करने की ओर ध्यान लगाना चाहिए न कि कानून-ड्राफ्टों की ओर

खंडन : मैं पिछले पाठ में इस बहाने का खंडन कर चुका हूँ।

क़ानून-ड्राफ्ट न देने का बहाना 7 : कार्यकर्ताओं को कानून में सुधार करने की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, कानून-ड्राफ्टों की तरफ नहीं

खंडन : मैं पिछले पाठ में इस बहाने का खंडन कर चुका हूँ।

क़ानून-ड्राफ्ट न देने का बहाना 8 : रिश्वत को ना कहो , क़ानून-ड्राफ्टों की आवश्यकता नहीं है|

खंडन : यदि कोई भी व्यक्ति काम-धंधा करता है तो उसे पुलिस वाले, आयकर विबाग के अफसर, जज(यदि कोर्ट में कोई मामला दर्ज होता है) आदि रिश्वत के लिए परेशान करते हैं

और उसके काम-धंधा चलने नहीं देते | इसीलिए " रिश्वत को ना कहो , क़ानून-ड्राफ्ट की मांग मत करो" का तरीका केवल प्रोफेसरों के लिए है जिनको हर महीने तनखा मिलती है , उसके विद्यार्थी फेल भी हो जायें तो भी, लेकिन काम-धंधे वालों के लिए नहीं क्योंकि रिश्वत ना देने पर उन्हें ना भरने वाला नुक्सान हो सकता है | इसीलिए कार्यकर्ताओं को कानून-ड्राफ्टों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए |

(16.9) तब क्या होगा जब आपका कार्यकर्ता-नेता क़ानून-ड्राफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है?

मैं अपने सभी विकल्प खुले रखुंगा ताकि कम से कम कोई कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता ठगा महसूस न करे। मेरा उद्देश्य/प्रयोजन हर कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता को प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.) कानून-ड्राफ्टों का प्रचारक बनाने का है और इसके लिए सम्पर्क सूत्र और कुछ कार्यालय/कार्य स्थल की जरूरत भी पड़ेगी। मैं `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) आदि पर जानकारी फैलाने के प्रयोजन के लिए वर्तमान दलों, गैर सरकारी संगठनों आदि के संपर्क सूत्रों और कार्यस्थलों का उपयोग करना चाहता हूँ। मेरा एक तात्कालिक लक्ष्य यह भी है कि छोटे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सकूं कि ड्राफ्ट-रहित कार्यकर्ता भ्रष्टाचार व गरीबी कम करने में समय की बरबादी मात्र है और इसलिए उन्हें अपने कार्यकर्ता नेताओं पर दबाव डालना चाहिए कि वे उस कानून के ड्राफ्ट को प्रकाशित करें जिनसे वे समझते हैं कि गरीबी/भ्रष्टाचार कम होगा। और जब एक बार कार्यकर्ता नेता अपना प्रारूप/ड्राफ्ट प्रकाशित कर देता है तो मैं उस कार्यकर्ता नेता से पूछूंगा कि क्यों वे अपने कानून-ड्राफ्टों में निम्नलिखित धारा `जनता की आवाज़`(सीवी) को शामिल करने से मना क्यों करते हैं :-

	धारा `जनता की आवाज़`(सी वी) : `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)	
सी वी – 1	जिला कलेक्टर/ समाहर्ता	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला समाहर्ता या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ का शुल्क लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
सी वी – 2	तलाटी (अथवा पटवारी)	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी

		पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

यदि कार्यकर्ता नेता अपने प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट में धारा – `जनता की आवाज़`(सी वी) को शामिल करने से मना करता है तब वह इस बात का प्रमाण देता नजर आएगा कि वह आम आदमी- विरोधी है, नहीं तो वह नागरिकों को अपने द्वारा प्रस्तावित कानून-ड्राफ्ट/खण्डों पर ना दर्ज करने देने का विरोध क्यों करता है? कानून ड्राफ्टों में धारा –`जनता की आवाज़`(सी वी) शामिल करने से मना करना उसके अपने समूह के सभी गरीब-हितैषी व आम-जनता-हितैषी कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं के सामने कार्यकर्ता नेता की प्रतिष्ठा खराब कर देगा और अब यदि कार्यकर्ता नेता अपने प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट में धारा –`जनता की आवाज़`(सी वी) शामिल करने पर सहमत हो जाता है तब वह `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कानून का प्रचारक बन जाएगा। और इस प्रकार `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) को राजनीतिक रंग देने में उसके संगठन के हिस्से का उपयोग करने का मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा कार्यकर्ता नेता द्वारा दिए गए प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट में निश्चित ही कोई नोडल प्रभारी अधिकारी भी होगा । मैं उससे अनुरोध करूंगा कि वह उस क्लॉज/खण्ड को शामिल करे जिससे नागरिकगण उस अधिकारी को बर्खास्त/बदल सकें। यदि वह सहमत हो जाता है तो उसके संगठन का एक हिस्सा अंत में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों का प्रचार करता नजर आएगा। और यदि कार्यकर्ता नेता इनकार करता है तो फिर से अंत में, अपने कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं के सामने अपनी ही प्रतिष्ठा धूमिल करता नजर आएगा।

(16.10) भारत में इतनी समस्याएं क्यों हैं?

इसका एक कारण ये है कि भारत में लोग, लंबे समय से, अपना अधिकतर समय का उपयोग समस्या वर्णन के लिए लगाते हैं न कि क़ानून के ड्राफ्ट/प्रारूप लिखने के लिए जो समस्या का हल कर सकते हैं | कोई भी प्रस्ताव उतना ही अच्छा या बुरा है जितना उसका ड्राफ्ट/प्रक्रिया |सरकार में लाखों कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों को कोई भी प्रस्ताव को लागू करने के लिए उन्हें निर्देश या ड्राफ्ट देना होगा | इतना प्रयाप्त नहीं है कहना कि `भ्रष्टाचार दूर करो` क्योंकि इससे प्रस्ताव या तो लागू नहीं होगा या अपूर्ण तरीके से लागू होगा | इसीलिए ड्राफ्ट/प्रारूप पर केंद्रित करें जो भारत की ज्वलंत समस्याओं को हल कर सके |

(16.11) सारांश (छोटे में बात) :

मैंने अपना उद्देश्य विस्तार से बता दिया है, मेरा उद्देश्य `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.) कानून-प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट के महत्व को समझाना है और हरेक संगठन को उसके स्वार्थ-रहित कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं के अंत:मन को प्रभावित करके `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का

अधिकार) और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.) का प्रचारक बनाना है।

इस प्रकार कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को अब यह निर्णय करना है कि क्या वह भ्रष्टाचार/गरीबी कम करने के कानूनों के प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट देने के लिए अपने कार्यकर्ता नेताओं से कहना चाहता है अथवा वह अपने क्लोन-निगेटिव और अपर्याप्त प्रारूप-रहित सक्रियतावाद की स्थिति को जारी रखकर अपना समय बरबाद करना चाहता है। समय बरबाद करते रहना घातक हो सकता है, क्योंकि दुश्मन समय बरबाद नहीं कर रहा है । इरान और इराक के बाद अब भारत का ही नम्बर है। दुश्मन दिनों-दिन अच्छे से अच्छा हथियार विकसित कर रहा है और तब वह बिलकुल इंतजार नहीं करेगा जब उसके हथियार भारत को इराक बनाने में सक्षम हो जाएंगे और जब एक बार इरान पर कब्जा हो भी चुका है। अब समय बरबाद करना आने वाले वर्षों में करोड़ों जिन्दगियों का नाशक साबित हो सकता है।

अध्याय 17 - प्रिय कार्यकर्ता, आन्दोलन में, चुनाव जीतने से कम समय लगेगा

(17.1) इस पाठ का उद्देश्य

एक व्यापक जन-आन्दोलन वह होता है जिसमें कार्यकर्तागण नागरिकों से कहते हैं कि वे चुनावों के आने का इंतजार किए बिना वर्तमान प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री और महापौरों पर दबाव डालें कि वे सरकार में कुछ परिवर्तन करें। *इस पाठ का उद्देश्य कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को इस बात पर आश्वस्त/संतुष्ट करना है कि – `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) के लिए व्यापक आन्दोलन खड़ा करने में आप कार्यकर्ताओं का समय , आपकी अपनी पार्टी के लिए 300 सांसद और यहां तक कि 50 सांसद भी चुने जाने में लगने वाले समय से कम लगेगा।* अनेक कार्यकर्ता नेता केवल चुनाव का तरीका अपनाने पर जोर देते हैं अर्थात वे अपने स्वयंसेवकों से एक व्यापक जन-आन्दोलन खड़ा करने के लिए नहीं कहते। कार्यकर्ता नेता कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं कि व्यापक आन्दोलन में भी बहुत ज्यादा समय लगेगा और यह कि नागरिकगण पूरे लापरवाह होते हैं और व्यापक जन-आन्दोलन समय की बरबादी है। यहां मैं यह दिखलाउंगा कि व्यापक जन-आन्दोलन कनिष्ठ/छोटे से कार्यकर्ता का कम समय लेगा और राष्ट्र का तो और भी कम समय-अवधि लेगा।

इस सिक्के का केवल एक ही दूसरा पहलू है कि कार्यकर्ता नेताओं को व्यापक जन-आन्दोलन से कुछ भी हासिल नहीं होगा। “कानून-ड्राफ्टों के लिए व्यापक जन-आन्दोलन ” के विरूद्ध एक गंभीर और जायज बिन्दु यह है : हमें भारत में सुधार के लिए 100-200 कानून-ड्राफ्टों की जरूरत पड़ेगी और 100-200 व्यापक जन-आन्दोलन नागरिकों के लिए संभव /व्यावहारिक नहीं हैं। इसलिए एक प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट के लिए एक व्यापक जन-आन्दोलन व्यावहारिक नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रस्तावित `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) का आविष्कार इस समस्या का समाधान पूरी तरह से कर देगा। `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) के बिना, ऐसा कहा जा सकता है कि चुनाव का तरीका 100 व्यापक आन्दोलनों से कम समय लेने वाला तरीका है लेकिन `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) 100 व्यापक आन्दोलनों को एक चुनाव से भी कम खर्चीला बना देता है। मैंने इस बात को इस पाठ में आगे विस्तार से बताया है।

(17.2) केवल चुनाव के तरीके की जगह व्यापक जन-आन्दोलन के लाभ तथा इसकी विशेषताएं

व्यापक `जन-आन्दोलन आधारित तरीका` `चुनाव-मात्र` के तरीके से कहीं बेहतर है। निम्नलिखित तुलना इसे स्पष्ट कर देगा:-

`चुनाव-मात्र` की विधि / तरीका	**“कानून-ड्राफ्टों के लिए व्यापक (फैला हुआ) जन-आन्दोलन ” की विधि / तरीका**
<u>परिभाषा</u> : जब कोई कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता अपने	जब कोई कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता अपने नेता से पूछता है

नेता से पूछता है "हम भारत में कानूनों के प्रारूपों/ड्राफ्टों को कैसे बदलेंगे?" तो वरिष्ठ नेता कहता है " हमलोग **केवल** चुनाव लड़ेंगे, नागरिकों को मनाएंगे कि वे हमें वोट दें। हम चुनाव जीतेंगे और सांसदों, विधायकों के सहारे हम कानून-ड्राफ्टों को बदल देंगे।" यह तरीका चुनाव-मात्र का तरीका है।	"हम कानूनों के प्रारूपों/ड्राफ्टों को कैसे बदलेंगे?" तो वरिष्ठ नेता कहता है " हमलोग नागरिकों को इस बात के लिए मनाएंगे कि वे वर्तमान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और महापौरों/मेयरों पर दो-तीन विशिष्ठ कानून-ड्राफ्टों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालें।" इस तरीके को मैं "कानून-ड्राफ्टों के लिए व्यापक जन-आन्दोलन " का तरीका कहता हूँ।
<u>**समानता**</u> **:** चुनाव भी एक व्यापक जन-आन्दोलन होता है जिसमें कार्यकर्तागण नागरिकों को पार्टी/दल – `**क**` के लिए वोट देने के लिए राजी करते हैं।	"`जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) के लिए व्यापक जन-आन्दोलन " में कार्यकर्ता नागरिकों को राजी करते हैं कि वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाएं।
<u>**समानता**</u> **:** कार्यकर्ताओं को करोड़ों नागरिकों के पास उन्हें इस बात पर राजी करने के लिए जाना होता है कि वे पार्टी – `**क**` को वोट दें।	कार्यकर्ताओं को करोड़ों नागरिकों के पास `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) के लिए व्यापक जन-आन्दोलन के लिए जाना होगा।
पीठ में छूरा घोंपना : चुनाव-मात्र के तरीके में, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार चुनाव जीत जाने के बाद हमेशा अथवा लगभग हमेशा भ्रष्ट हो जाते हैं और इसलिए व्यवस्था में कोई प्रभावकारी बदलाव/परिवर्तन नहीं आ पाता। दूसरे शब्दों में, चुनाव-मात्र के तरीका में पीठ में छूरा घोंपने/धोखा देने का खतरा इस हद तक बना रहता है कि इस चुनाव-मात्र तरीके/विधि पर मुझे भरोसा नहीं है।	व्यापक जन-आन्दोलन में सक्रिय भूमिका में नागरिक रहते हैं और नागरिकों की संख्या करोड़ों में है। और उनका पाला बदलने का कोई प्रयोजन नहीं होता, **और इसलिए व्यापक जन-आन्दोलन में धोखा का खतरा नहीं होता।**
पांच वर्षों का इंतजार : चुनाव-मात्र के तरीके में, सबसे बड़ी कमी है "चुनाव का इंतजार करना" और इसका यह भी मतलब है "चुनाव के आने तक कष्ट/अवसाद मिलना जारी रहेगा।"	व्यापक जन-आन्दोलन के तरीके में, दुखों को जितनी जल्दी हो सके, खत्म करने की मांग की जाती है।
एक कदम आगे, दो कदम पीछे चुनाव-मात्र के तरीके में हमेशा एक संभावना रहती है कि अपने ऐजेंडे/कार्यसूची	व्यापक जन-आन्दोलन में, आप हर दिन आगे बढ़ते हैं और एक बार यदि महत्वपूर्ण/बड़ी संख्या में लोग जन-

को आगे बढ़ाने के लिए आपकी पार्टी को पर्याप्त सांसद नहीं भी मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में, पांच सालों के लम्बे “समय/मुद्दत” का इंतजार हो जाता है। इसलिए चुनाव-मात्र तरीके में हर (चुनावी) असफलता के बाद पांच वर्ष/साल या “मुद्दत” का इंतजार करना ही पड़ता है।	आन्दोलन में शामिल हो जाते हैं तो इसके असफल होने की संभावना न के बराबर होती है।
क्लोन निगेटिव चुनाव-मात्र तरीके में अच्छे लोग विभिन्न/अलग-अलग पार्टियों से जुड़े होने के कारण एक दूसरे के खिलाफ/विरूद्ध ही काम करते हुए असफल होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, चुनाव-मात्र का तरीका बांटने वाला और क्लोन निगेटिव होता है।	व्यापक जन-आन्दोलन के तरीके में, सभी लोगों का भारत में सुधार करने के लिए समर्पित होना, उनके अलग-अलग पार्टियों में होने पर भी पार्टियों की विचारधारा से उपर उठकर, जन-आन्दोलन को सहायता पहुंचाता है। इस प्रकार, व्यापक जन-आन्दोलन क्लोन पॉजिटिव है।
मतदाताओं का डर कि बुरे व्यक्ति को लाभ हो सकता है : चुनाव में, किसी मतदाता के लिए किसी ऐसे जीतने-योग्य उम्मीदवार को वोट देना समझदारी भरा कदम है जो किसी अन्य ऐसे जीतने-योग्य उम्मीदवार को हरा सके जिससे मतदाता डरता हो। इसलिए एक नई पार्टी को लम्बा इंतजार करना पड़ता है और एक भी सांसद को जीताने के लिए किस्मत के साथ देने का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए यदि किसी पार्टी के पास अच्छी योजनाएं हैं लेकिन चुनाव जीतने का प्रत्यक्ष ज्ञान/परशेप्शन/बोध नहीं है तो इसे सफल होने के लिए कई-कई चुनावों का इंतजार करना पड़ सकता है।	व्यापक जन-आन्दोलन में, नागरिक जीतने-योग्य उम्मीदवार की ओर नहीं देखा करते। इसलिए इस बात की बहुत संभावना/उम्मीद होती है कि एक अच्छे क़ानून-ड्राफ्ट की ओर नागरिकों का ध्यान जाएगा।
कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं के लिए अंतर चुनाव-मात्र तरीके में समय ज्यादा लगता है।	व्यापक जन-आन्दोलन के तरीके में समय कम लगता है। *कैसे, मैं यह विस्तार से बाद में बताउंगा।*
कार्यकर्ता नेताओं के लिए अंतर : चुनाव-मात्र तरीका उन्हें बिक जाने और नियंत्रण हाथ में रखने की स्थितीय लाभ/ताकत देता है।	व्यापक जन-आन्दोलन उन्हें इस प्रकार की न तो कोई स्थितीय लाभ/ताकत देता है और न ही बिक जाने का अवसर ही देता है।
नागरिकों के लिए अंतर :	

चुनाव-मात्र का तरीका नागरिकों का कम समय लेता है – पांच वर्षों में केवल 30 मिनट का समय। लेकिन उन्हें शायद ही कोई लाभ होता है। लेकिन नागरिकों को परिवर्तन लाने के लिए 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष और फिर 5 वर्ष का इंतजार करते रहना पड़ता है।	व्यापक जन-आन्दोलन में ज्यादा समय लगता है – प्रति व्यापक जन-आन्दोलन प्रति नागरिक कुछ दिनों का समय। लेकिन उन्हें ही सबसे ज्यादा लाभ भी मिलता है और उन्हें 5 वर्ष और यहां तक कि 5 दिन का भी इंतजार नहीं करना पड़ता।
राष्ट्र के लिए अंतर : चुनाव के बाद, नए-नए चुनकर आए सांसद/विधायक बिक जाते हैं और इस प्रकार बहुत ही थोड़ा परिवर्तन/बदलाव आ पाता है। हर चुनाव का मतलब 5 और वर्षों की बरबादी ही है।	व्यापक जन-आन्दोलन में, नागरिकों और कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को 5 वर्षों का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। वे बिना इंतजार किए ही पूरे समय (5 वर्ष) काम कर सकते हैं।

(17.3) क्यों व्यापक (फैला हुआ) जन-आन्दोलन कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव के तरीके की तुलना में कम समय लेने वाला होता है?

चुनाव बनाम व्यापक जन-आन्दोलन में निम्नलिखित विशेष तुलनात्मक गुण होते हैं :-

किसी व्यापक जन-आन्दोलन में कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता को चुनावों की तुलना में कम समय लगाने की जरूरत होती है। व्यापक जन-आन्दोलन में नागरिकों को कुछ दिनों का समय देने की जरूरत पड़ेगी जबकि चुनाव में नागरिकों को केवल 30 मिनट का समय खर्च करना पड़ता है। लेकिन कार्यकर्ताओं को व्यापक जन-आन्दोलन खड़ा करने में कम समय की जरूरत पड़ेगी।

ऐसा क्यों है? कैसे क़ानून-ड्राफ्ट के लिए व्यापक जन-आन्दोलन में कार्यकर्ताओं का कम समय लगेगा, यह देखते हुए कि नागरिकों को ज्यादा समय देना पड़ता है? क्योंकि `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) अथवा नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) अथवा प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) जैसे कानून-ड्राफ्टों का समर्थन करने के लिए नागरिकों को संतुष्ट करना ज्यादा आसान है। और नागरिकों को किसी उम्मीदवार `*कखग*` को वोट देने के लिए संतुष्ट करना कठिन है । इसलिए किसी क़ानून-ड्राफ्ट के लिए समर्थन हासिल करना, किसी उम्मीदवार के लिए समर्थन हासिल करने से ज्यादा आसान है क्योंकि मान लीजिए, चुनाव में दो बड़े उम्मीदवार **`क`** और **`ख`** हैं । अब मान लीजिए एक ज्यादा अच्छा नया उम्मीदवार **`ग`** आ जाता है। उम्मीदवार **`क`** के मतदाता इस बात से ड़रेंगे कि उम्मीदवार **`ग`** को वोट देने से केवल उम्मीदवार **`ख`** को लाभ होगा। और उम्मीदवार **ख** के मतदाता इसके उल्टा सोंचेंगे(कि उम्मीदवार `ग` को वोट देने से `क` को लाभ होगा)। इसलिए जब तक नई पार्टी मतदाताओं को संतुष्ट/राजी नहीं कर देती कि उम्मीदवार **`ग`** निश्चित रूप से जीतेगा तब तक **ग** के लिए वोट प्राप्त करना कठिन है। इस बात को प्रस्तुत करने का कोई समझदारी भरा तरीका नहीं है कि **`ग`** की जीत तब हो जाएगी जब **`ग`** पहली बार चुनाव लड़े और उसे किसी

प्रमुख/प्रभावशाली पार्टी का समर्थन न हासिल हो। *इसलिए कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ता को अपना बहुत लम्बा समय रैलियों में, बैठकों में, नारेबाजी में, चुनाव जीतने का प्रत्यक्ष-ज्ञान/बोध/परशेप्शन पैदा करने के लिए दूसरे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने में देना होगा।* उदाहरण के लिए आरएसएस /बीजेपी को लोकसभा में 180 सीट प्राप्त करने के लिए 45 वर्ष लगे। क्यों? क्योंकि हर चुनाव में उन्हें चुनाव जीतने की स्थिति का प्रत्यक्ष-ज्ञान/परशेप्शन पैदा करना पड़ा ताकि वे 15 प्रतिशत वोट भी ले सकें और ऐसा प्रत्यक्ष-ज्ञान/परशेप्शन पैदा करने के लिए किसी व्यक्ति को अपने जीवन-काल से कहीं अधिक समय चाहिए जबकि क़ानून-ड्राफ्ट के लिए समर्थन पैदा करने के लिए कार्यकर्ताओं को जीतने की स्थिति का प्रत्यक्ष-ज्ञान/बोध/परशेप्शन पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। कार्यकर्ताओं को केवल नागरिकों को संतुष्ट करना होता है कि प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट राष्ट्र के साथ-साथ उनका भी भला करेगा। यह सबसे बड़ा समय-बचत करने वाला तरीका है। एक कनिष्ठ/छोटा कार्यकर्ता अपनी स्थिति में, अभी हो सकता है इसका अनुभव नहीं कर पाये । लेकिन चुनाव जीतने की स्थिति के लिए प्रत्यक्ष-ज्ञान/बोध/परशेप्शन पैदा करना सबसे ज्यादा समय लेने वाला कार्यकलाप है। जीतने का प्रत्यक्ष-ज्ञान/बोध/परशेप्शन पैदा करने के लिए कई घंटों तक हल्ला के साथ प्रचार करने का समय लगता है। यदि क़ानून-ड्राफ्ट वास्तव में नागरिकों के तत्काल और मुख्य हित में है, तब यह धारा के साथ तैरने के समान है, धारा के विपरित नहीं।

साथ ही, अधिकांश नागरिक ठीक ही यह मानते हैं कि ज्यादातर नए सांसद चुने जाने के बाद उतने ही भ्रष्ट हो जाएंगे जितने वर्तमान सांसद हैं। इसलिए किसी कार्यकर्ता को नागरिकों को यह समझाने में कई घंटों का समय देना पड़ेगा कि उनका उम्मीदवार `**क**` बाकी उम्मीदवारों से “अलग” है। एक अविवेकपूर्ण और साबित न किए जाने योग्य बात के लिए किसी को संतुष्ट करने के कार्य में हमेशा घंटों का समय लगता है जबकि सही विचार के बारे में संतुष्ट करने के कार्य में कम समय लगता है और कई घंटों का समय इसके बाद भी बेकार हो जाता है क्योंकि नागरिक मूर्ख नहीं होते कि वे गलत विचार को स्वीकार कर लें।

यह भी ध्यान दें कि कानून-ड्राफ्टों (जैसे `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट) के लिए व्यापक जन-आन्दोलन में कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि कानूनों को नागरिकों और साथी कार्यकर्ताओं को समझाने में समय देना पड़ता है। इससे कार्यकर्ताओं और नागरिकों के सोचने की बौद्धिक क्षमता में सुधार होता है। सूचना/जानकारी के आदान-प्रदान से कार्यकर्ताओं के साथ-साथ नागरिकों के बौद्धिक स्तर में सुधार होता है जबकि रैलियों में जाने, बैठकों में भाग लेने, जिनमें एक समान बात ही हमेशा दोहराई जाती है, और नारेबाजी आदि में समय और पैसे की बरबादी है। इसलिए, **जीतने का प्रत्यक्ष-ज्ञान/बोध** बनाने के लिए कनिष्ठ/छोटे कार्यकर्ताओं को रैलियों आदि बिना दिमाग के कार्यकलापों में कई घंटों और कई दिनों तक समय बरबाद करना पड़ता है।

आम चुनाव-मात्र तरीके में नागरिकों को तुलनात्मक रूप से कम समय देना पड़ेगा – वोट देने के लिए केवल 30 मिनट के समय की जरूरत है। जबकि व्यापक जन-आन्दोलन में नागरिकों को कई घंटों और कई दिन तक का समय देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तब व्यापक जन-आन्दोलन से नागरिकों को चुनाव-मात्र की तुलना में कई गुणा ज्यादा लाभ भी मिलता है।

इस प्रकार यह बात कि व्यापक जन-आन्दोलन नागरिकों के लिए ज्यादा समय लेने वाला कार्य है, को नैतिक रूप से संतुलित कर दिया जाता है(कई गुणा लाभ द्वारा)।

(17.4) 100 कानून – ड्राफ्टों को पारित करने में जरूरी समय भी, एक चुनाव जीतने में लगने वाले समय से कम है

“क़ानून-ड्राफ्ट के लिए व्यापक जन-आन्दोलन ” में कार्यकर्ताओं को कम समय की जरूरत पड़ती है। इसमें नागरिकों को ज्यादा समय देना पड़ता है, जो कि सही भी है, क्योंकि नागरिकों को ही बहुत ज्यादा लाभ होता है। लेकिन राष्ट्र में सुधार के लिए हमें सैंकड़ों कानूनों की जरूरत है तो हमें इन सैकड़ों कानून-ड्राफ्टों में से प्रत्येक के लिए सैंकड़ों जन-आन्दोलन करने पड़ेंगे? यदि एक व्यापक जन-आन्दोलन के लिए नागरिकों को अपने जीवन का दस घंटा देना पड़ता है तब 100 व्यापक आन्दोलनों के लिए 1000 दिनों की जरूरत पड़ेगी जो कि अव्यावहारिक है क्योंकि नागरिकों को काम करने और आजीविका जुटाने की जरूरत पड़ती है।

यहीं वह प्रस्तावित `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) सरकारी अधिसूचना(आदेश) (कानून) सामने आता है जो खेल को बदलने वाला कानून है। `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) एक छोटे संशोधन की तरह दिखता है लेकिन यदि एक बार प्रधानमंत्री इस सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर करने के लिए जनता के दबाव द्वारा बाध्य किये जाते हैं तो `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) व्यापक जन-आन्दोलन के लिए लगने वाले समय को 100 घंटे प्रति नागरिक से कम करके मात्र 10 मिनट प्रति नागरिक कर देता है और लागत को कई सौ रूपए प्रति नागरिक से कम करके मात्र 3 रूपए प्रति नागरिक कर देता है (क्योंकि इसके द्वारा अन्य क़ानून आ सकेंगे- देखें पाठ 1)। इसलिए राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह की योजना जिसका प्रस्ताव मैं कर रहा हूँ , उसमें 200 क़ानून-ड्राफ्ट लागू कराने के लिए लगने वाला समय (200 क़ानून-ड्राफ्ट × 100 घंटा प्रति क़ानून-ड्राफ्ट) = 20,000 घंटा प्रति नागरिक नहीं है । `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) के लिए व्यापक जन-आन्दोलन के लिए समय प्रति नागरिक 100 घंटे हैं लेकिन इसके द्वारा आने वाले, अगले 200 कानूनों के लिए जरूरी समय मात्र 200 × 5 = 1000 मिनट अर्थात प्रति नागरिक एक दिन से भी कम और `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) के लिए व्यापक जन-आन्दोलन में सामग्री की लागत प्रति नागरिक कई सौ रूपए हो सकती है लेकिन अगले 200 कानून-ड्राफ्टों के लिए यह लागत प्रति नागरिक प्रति कानून 3 रूपए मात्र या इससे भी कम होगी।

चुनाव-मात्र का तरीका पहली नजर में कहीं ज्यादा प्रभावकारी दिखता है । ऐसा लगता है मानों यदि एक बार चुनाव जीत लिया जाए तो सांसदगण कुछ ही दिनों में सभी 200 अच्छे कानूनों को पारित कर देंगे और इस प्रकार नागरिकों को एक भी मिनट का समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह एक झूठा सपना ही है – चुनाव के बाद सांसद बिक जाएंगे और इस प्रकार व्यापक जन-आन्दोलन के अभाव में एक भी प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि कानून पारित नहीं होगा। इसलिए एक बार फिर हमें व्यापक आन्दोलनों को चलाने के लिए कम लागत वाले तरीकों की जरूरत पड़ेगी और हमें `जनता की

आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) की ओर लौटना होगा | `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) एक व्यापक जन-आन्दोलन आयोजित करने के लिए सबसे सस्ता तरीका है।

(17.5) तब क्यों नेता भी " चुनाव तक रूकने " पर जोर देते हैं"?

अब एक कनिष्ठ/छोटा कार्यकर्ता देख सकता है कि अनेक कार्यकर्ता-नेता चुनाव-मात्र के तरीकों पर ही जोर देते हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं से जोर देकर कहते हैं कि जब तक चुनाव नहीं आ जाते तब तक कार्यकर्ताओं को केवल और अधिक सदस्य जुटाने अथवा चन्दा/दान वसूलना चाहिए, लेकिन किसी कानून को लागू करने के लिए किसी व्यापक जन-आन्दोलन का समर्थन करने के लिए नागरिकों से बिलकुल नहीं कहना चाहिए। ये सभी काम केवल चुनावों के बाद ही किए जाने चाहिए। मैंने दिखलाया है कि चुनाव-मात्र तरीके में भयंकर कमियां हैं क्योंकि इस बात की पूरी-पूरी संभावना होती है कि चुनाव के बाद चुने गए सांसद, विधायक आदि बिक जाएंगे, पाला बदल लेंगे और यहां तक कि भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। इसलिए क्यों नेतागण चुनाव-मात्र तरीके पर ही जोर देते हैं?

सबसे महत्वपूर्ण कारण कि क्यों कार्यकर्ता नेता क़ानून-ड्राफ्ट के लिए व्यापक जन-आन्दोलन से ज्यादा चुनाव-मात्र के तरीके को महत्व देते हैं। इसका कारण यह है कि *व्यापक जन-आन्दोलन नेताओं को कोई नियंत्रण प्रदान नहीं करता जबकि चुनाव-मात्र तरीका में नियंत्रण नेताओं के हाथ में होता है।* चुनाव-मात्र तरीके में नेताओं का नियंत्रण चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी रहता है। वे बिक सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। *हालांकि व्यापक जन-आन्दोलन केवल नेताओं द्वारा ही खड़ा किया जाता है, फिर भी नेता इसे रोक नहीं सकते अथवा इसकी दिशा तक नहीं बदल सकते।* इसलिए अधिकांश "व्यावहारिक" नेता कानून-ड्राफ्टों के लिए व्यापक जन-आन्दोलन का विरोध करते हैं।

(17.6) पिछले तीन पाठों का सारांश (छोटे में बात)

पिछले तीन पाठ सभी छोटे कार्यकर्ताओं (नेता नहीं) के साथ बातचीत थी । मेरा लक्ष्य छोटे कार्यकर्ताओं को समझाकर संतुष्ट करना था कि उन्हें कम से कम अपने सक्रिय समय का 10 प्रतिशत नागरिकों को इस बात पर राजी करने के लिए लगाना चाहिए कि वे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों व महापौरों को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों को पारित करने का दबाव बनाएं। इसलिए यदि एक कार्यकर्ता आज हर सप्ताह 10 घंटे का समय देता है तो मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि वह इसे घटाकर 9 घंटे कर दे और एक घंटा प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` आदि के लिए प्रचार अभियान के लिए बचाए।

क्योंकि सामाजिक कार्य मोटे तौर पर अपर्याप्त होते हैं और इससे कानून-ड्राफ्टों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और चुनाव आदि भी अपर्याप्त और क्लोन निगेटिव होते हैं। सबसे बुरा है कि "चुनाव जीतो और कानून बदलो" तरीके में छोटे कार्यकर्ता को हठी लोगों को यह समझाने

में सैंकड़ों घंटों का समय लगाना पड़ेगा कि नया व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद भ्रष्ट नहीं होगा और चुनाव जीतने के प्रत्यक्ष-ज्ञान/बोध पैदा करने में सैंकड़ों घंटे देने पड़ेंगे। सैंकड़ों घंटे रैलियों, नारेबाजी, बैठकों में भाग लेने जैसे बिना दिमाग के कार्यकलाप आदि में लग जाएंगे, जिसमें बार-बार केवल एक जैसी दोहराने वाली बातें होती हैं। बैठकों में केवल संगठनात्मक और योजना बनाने के ही मुद्दे होंगे। जबकि यदि छोटे कार्यकर्ता `पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम)`, नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी , प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि कानूनों के लिए प्रचार करने में समय लगाने का विकल्प चुनता है तो इससे कार्यकर्ताओं के साथ-साथ नागरिकों के भी बौद्धिक स्तर में सुधार आएगा और सबसे बड़ी बात "`जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) क़ानून-ड्राफ्ट के लिए व्यापक जन-आन्दोलन " क्लोन पॉजिटिव है, इसलिए इसपर लगाया गया हरेक क्षण लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग देता है |

अध्याय 18 - `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर देने के बाद राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह की कार्य-नीति

एक बार जब हम नागरिकों को आश्वस्त कर लेते हैं कि वे `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव डालें तो मैं `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) के क्लॉज/खण्ड 1 का प्रयोग करके लगभग 200 एफिडेविट/हलफनामे जमा करवा दूंगा और नागरिकों को राजी करने की कोशिश करूंगा कि वे `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) के क्लॉज/खण्ड 2 का प्रयोग करके इन ऐफिडेविट/हलफनामे पर **हां** दर्ज कर दें (जब तक `जनता की आवाज़` पारदर्शी शिकायत प्रणाली पारित होगी, तब तक ये करोड़ों लोगों तक ये जन हित के क़ानून की जानकारी पहुँच गयी होगी| पूरे देश को इन जन-हित के सरल क़ानून-ड्राफ्ट की सूचना देने के लिए दो-तीन लाख लोगों को अपने महीने के 10 घंटे देने की आवश्यकता है जिससे एक साल में पूरे देश-वासी को इन क़ानून-ड्राफ्ट की जानकारी मिल जायेगी) |

प्रत्येक ऐफिडेविट/हलफनामे में एक सरकारी आदेश होगा। ये सरकारी आदेश `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) को यह शक्ति देंगे कि वे जिला स्तर पर 40 पदों, राज्य स्तर पर 40 पदों और राष्ट्रीय स्तर पर 40 पदों पर बैठे अधिकारियों को बदल अथवा हटा सकेंगे। कुल 25 राज्यों में 700 जिले हैं। और इस प्रकार यह नागरिकों को अवसर प्रदान करेगा कि वे 40 × 700 + 40 × 25 + 40 = लगभग 30,000 लोगों को जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर बदल सकेंगे।

यदि नागरिक **हां** दर्ज करने पर सहमत हो जाते हैं तो उनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रस्तावित सरकारी आदेश का विरोध करने का साहस नहीं करेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जिलों की संख्या 700 से बढ़ाकर 1200 कर दी जाए (राज्यों की संख्या न बढ़ाई जाए)। इस प्रकार भारत में बदले/हटाए जा सकने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़कर 100,000 हो जाएगी।

उन प्रक्रियाओं/तरीकों से यह सुनिश्चित/पक्का होगा कि आम-जनता-विरोधी अधिकारी को प्रशासन से निकाला जा सकेगा और आम-जनता-समर्थक अधिकारी बने रहेंगे। तथा और भी अधिक आम-जनता-समर्थक युवक नौकरियों में आ सकेंगे। मैं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर उन पदों के लिए हर स्तर पर अधिकतम उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए लिए प्रेरित करूंगा। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके मैं उंचे स्तर पर नौकरशाहों/प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और न्यायालयों/कोर्ट में सुधार करने की कोशिश करूंगा । इसके अलावा मैं नागरिकों को आश्वस्त करने की कोशिश करूंगा कि वे सम्पत्ति कर, विरासत कर आदि को लागू करने/करवाने और जीएसटी/वैट समाप्त करने/करवाने के लिए सरकारी आदेशों पर **हां** दर्ज करें। और मैं नागरिकों से कहूंगा कि वे पुलिसवालों की संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 45 लाख करने, सैनिकों/सिपाहियों की संख्या 12 लाख से बढ़ाकर 45 लाख करने और सेना में इंजिनियरों की संख्या 1,00,000 से बढ़ाकर 30,00,000 करने पर हां **दर्ज** करें। हम ईमानदार लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे पुलिस, सेना और सभी सरकारी विभागों में भर्ती हों ताकि गुटबाजी-समर्थक/अल्प-जनतंत्र-समर्थक लोग सरकार में कम हो सकें और सरकार में आम नागरिकों का प्रभाव बढ़ सके।

अध्याय 19 - अंतिम योजना : सभी दलों / पार्टियों के कार्यकर्ताओं को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) , प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के बारे में सूचित करना

(19.1) "प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल समूह" का सारांश (छोटे में बात)

"प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल समूह" इस सिद्धांत पर आधारित है कि "प्रजा को राजा के अधीन होना चाहिए नहीं तो वह नागरिकों को लूट लेगा और राष्ट्र का विनाश कर देगा।" और `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) जैसे प्रस्तावित क़ानून-ड्राफ्ट इस "प्रजा अधीन राजा" सिद्धांत को लागू करते हैं। इन कानून-ड्राफ्टों के प्रत्येक समर्थक के सामने एक ही प्रश्न होता है : वर्तमान प्रशासन में इन कानून-ड्राफ्टों को कैसे शामिल किया जा सकेगा?

(19.2) राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह का सबसे महत्वपूर्ण कदम

मेरे लिए राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह के सदस्य के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कदम सभी दलों के जमीनी/आधारभूत सदस्यों को प्रभावित करना है और उनसे अनुरोध करना है कि वे अपना कम से कम एक घंटे हर सप्ताह में,का समय अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) प्रारूप, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूप/ड्राफ्ट, नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूपों के बारे में जानकारी देने में लगाएं। मैं राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह के सभी समर्थकों से अनुरोध करता हूँ कि वे अन्य दलों/पार्टियों के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों से (इस संबंध में) सम्पर्क करें। इस पाठ में विस्तार से यह बताया गया है कि क्यों और कैसे और क्या करना है और क्या कभी नहीं करना है।

(19.3) क्यों राजनीतिक दलों के सदस्यों से सम्पर्क करें?

14 से 18 वर्ष के बीच के लगभग 1000 नौजवानों पर विचार कीजिए जो भारत में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध/समर्पित हैं। तब इनमें से कई किसी न किसी राजनैतिक दल के सदस्य बन चुके होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी भी पार्टी/दल के सदस्य नहीं बनते क्योंकि वे सभी दलों को भ्रष्ट मानते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर कुछ नया कर दिखाना चाहेंगे और उस दल के सदस्य बन जाएंगे जिसे वे भारत में सबसे अच्छा दल मानते हैं।

इस प्रकार राजनैतिक दल वैसे लोगों से मिलने की सबसे अच्छी जगह/मंच है जो गरीबी और भ्रष्टाचार कम करने के लिए हर सप्ताह एक घंटे से ज्यादा का समय देने की इच्छा रखते हैं। किसी राजनैतिक दल के सभी लोग गरीबी और भ्रष्टाचार कम करने के लिए हर सप्ताह एक

घंटे का समय देने की इच्छा नहीं रखेंगे। लेकिन मान लीजिए, भारत के आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध/ऊंचे 5 करोड नागरिकों में से 2 प्रतिशत नागरिक, गरीबी और भ्रष्टाचार कम करने के लिए प्रति सप्ताह एक घंटे का समय देने की इच्छा रखने वाले लोग हैं। तब किसी राजनैतिक दल/पार्टी के अन्दर ऐसे लोगों की संख्या कहीं अधिक होगी – लगभग 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत। इस प्रकार एक कार्यकर्ता जो गरीबी कम करने के लिए समर्पित है, उसे एक ही जगह(केंद्रित) पर उसकी बात सुनने वाले लोग मिल जाएंगे।

इस तरह राजनैतिक दल समर्पित लोगों का समूह एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हैं। और चूंकि राजनैतिक दलों के सदस्य वैसे सबसे उपयुक्त/सही लोगों में से होते हैं जो `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट , प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट को पसंद कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के समर्थकों से अनुरोध करूंगा कि वे राजनैतिक दलों/पार्टियों के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों से मिलें चाहे उन लोगों/सदस्यों ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का पूरी तरह से विरोध ही क्यों न किया हो।

(19.4) कृपया कभी भी किसी पार्टी के सदस्य से उनकी पार्टियां छोड़ने को नहीं कहें ; केवल उनसे `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा / राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून-प्रारूपों / क़ानून-ड्राफ्ट को उनके अपने पार्टी के चुनावी घोषण पत्र में शामिल कर लेने के लिए कहें

यदि कोई ऐसे व्यक्ति, जो बीजेपी, आरएसएस, सीपीएम, बीएसपी, कांग्रेस आदि का सदस्य/समर्थक हो, से आप राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह में शामिल होने के लिए कहते हैं तो (इसका मतलब है कि) आप उससे यह भी कह रहे हैं कि वह पहले अपनी पार्टी यानि बीजेपी, आरएसएस, सीपीएम, बीएसपी, कांग्रेस आदि को छोड़कर उससे अलग हो जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति दो दलों का सदस्य नहीं हो सकता और चुनाव के समय दो पार्टियों/दलों के लिए काम नहीं कर सकता। पार्टी छोड़ना या उससे टूटकर अलग होना एक बहुत ही कष्टदायक विकल्प होता है। राजनैतिक समूह से लगाव देखने में कम गहरा महसूस होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति का, जो राष्ट्र अथवा समुदाय के प्रति समर्पित हो, राजनैतिक दल से बहुत ही गहरा भावनात्मक लगाव होता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो केवल पैसे के लिए किसी राजनैतिक दल से जुड़ते हैं और वे कभी भी किसी भी प्रकार से प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का समर्थन नहीं करेंगे और ऐसे लोगों पर राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह ध्यान भी नहीं देता |

लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी राजनैतिक दल से इसलिए जुड़ते हैं कि उनका पक्का भरोसा होता है कि उनकी पार्टी सबसे अच्छी है अथवा वह पार्टी ही भारत अथवा उनके समुदाय का भला कर सकती है। अधिकांश लोगों ने यह महसूस किया होगा कि उनकी पार्टी के नेतागण केवल घूसखोरों की जमात हैं और वे राष्ट्र अथवा उनके समुदाय का भला नहीं कर सकते। लेकिन जैसे किसी पत्नी के लिए पति को छोड़ना तब भी कठिन होता है जब उसका पति

पत्नी को बहुत पीटने वाला होता है, ठीक उसी प्रकार वर्तमान राजनैतिक पार्टी से टूटकर अलग होने का निर्णय किसी समर्पित व्यक्ति के लिए बहुत कठिन और दुखदायी होता है। और किसी पार्टी से टूटकर अलग होना केवल उस पार्टी के नेताओं से अलग होना ही नहीं होता है, बल्कि यह बहुत से सहकर्मियों से अलग होना भी होता है, जिनमें से कई राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं। समर्पित लोगों के लिए पार्टी परिवार की ही तरह महत्वपूर्ण हो जाती है। उनसे उनकी पार्टी छोड़ने के लिए कहना न केवल रूखाई भरा होता है बल्कि यह भावनाओं/दिल को बहुत ज्यादा दुखाने वाला होता है और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए।

संक्षेप में, किसी पार्टी/दल के सदस्य से उसकी पार्टी छोड़ने के लिए कहना उसके लिए बहुत ही दुखदायी होता है और यह उसके विकल्प में ही नहीं होता है। लेकिन उससे `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट , प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट के लिए प्रचार करने के लिए कहना केवल एक ऐसे काम के लिए कहने के समान है जिसे करने में समय लगेगा लेकिन इससे उसे दुख नहीं पहुंचेगा। ऐसा करना उसके लिए भी आसान होगा। `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट , प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट , नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट को उसकी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में शामिल करने के लिए कहना उसके लिए कठिन तो हो सकता है लेकिन दुखदायी/कष्टदायक नहीं। उससे यह कहकर कि वह अपने नेताओं और साथी सदस्यों से `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) प्रारूप, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट , नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट को उनकी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में शामिल करने/जोड़ने के लिए कहे, हम उससे केवल ऐसा करने के लिए कह रहे हैं कि जो भारत के लिए अच्छा है। यह कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से थोड़ा भी लाभ होगा। इससे उनकी पार्टी का तब तक कोई नुकसान नहीं होगा जब तक उनकी पार्टी के नेताओं ने भारत विरोधी विशिष्ट/ऊंचे लोगों से कोई सौदा न किया हो।

इसी तरह,सभी गैर-सरकारी संगठनों से उनके घोषणा पत्र में प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) को शामिल करने के लिए कहें |

मैं राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह के सभी समर्थकों से अनुरोध करता हूँ कि वे निम्नलिखित "क्या करें और क्या न करें" के अनुसार काम करें –

1. कृपया ज्यादा से ज्यादा पार्टी – सदस्यों और गैर-सरकारी संगठनों से मिलें/सम्पर्क करें
2. कृपया उनसे उनकी पार्टी छोड़कर राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह में शामिल हो जाने के लिए न कहें
3. कृपया उनसे केवल `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) प्रारूप, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट के लिए प्रचार अभियान चलाने के लिए ही कहें

4. कृपया उनसे अवश्य कहें कि वे अपने नेताओं से `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) प्रारूप, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूपों/क़ानून-ड्राफ्ट को उनकी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में शामिल करने के लिए कहें |
5. कृपया उनसे अवश्य कहें कि वे अपने साथी पार्टी-सदस्यों से बिन्दु संख्या **3-5** पर काम करने के लिए कहें।

(19.5) किसी दल के सदस्यों से मिलने पर बातचीत / चर्चा के लिए सुझाए गए बिन्दु

14 से 18 वर्ष के बीच के लगभग 1000 नौजवानों पर विचार कीजिए जो भारत में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध/समर्पित हैं। तब इनमें से कई किसी न किसी राजनैतिक दल के सदस्य बन चुके होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी भी पार्टी / दल के सदस्य नहीं बनते क्योंकि वे सभी दलों को भ्रष्ट मानते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर कुछ नया कर दिखाना चाहेंगे और उस दल के सदस्य बन जाएंगे जिसे वे भारत में सबसे अच्छा दल मानते हैं।

इस प्रकार राजनैतिक दल वैसे लोगों से मिलने की सबसे अच्छी जगह/मंच है जो गरीबी और भ्रष्टाचार कम करने के लिए हर सप्ताह एक घंटे से ज्यादा का समय देने की इच्छा रखते हैं। किसी राजनैतिक दल के सभी लोग गरीबी और भ्रष्टाचार कम करने के लिए हर सप्ताह एक घंटे का समय देने की इच्छा नहीं रखेंगे। लेकिन मान लीजिए, भारत के आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध/ऊंचे 5 करोड नागरिकों में से 2 प्रतिशत नागरिक, गरीबी और भ्रष्टाचार कम करने के लिए प्रति सप्ताह एक घंटे का समय देने की इच्छा रखने वाले लोग हैं। तब किसी राजनैतिक दल/पार्टी के अन्दर ऐसे लोगों की संख्या कहीं अधिक होगी - लगभग 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत। इस प्रकार एक कार्यकर्ता जो गरीबी कम करने के लिए समर्पित है, उसे एक ही जगह(केंद्रित) पर उसकी बात सुनने वाले लोग मिल जाएंगे।

इस तरह राजनैतिक दल समर्पित लोगों का समूह एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हैं। और चूंकि राजनैतिक दलों के सदस्य वैसे सबसे उपयुक्त/सही लोगों में से होते हैं जो `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) प्रारूपों/ड्राफ्ट, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूपों/ड्राफ्ट और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूपों/ड्राफ्ट को पसंद कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के समर्थकों से अनुरोध करूंगा कि वे राजनैतिक दलों/पार्टियों के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों से मिलें चाहे उन लोगों/सदस्यों ने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का पूरी तरह से विरोध ही क्यों न किया हो।

(19.6) रिश्वत लेने के लिए हजार अप्रत्यक्ष तरीके जिसमें भ्रष्ट सरकारी अधिकारी पैसे को छूता भी नहीं है और रिश्वत वाइट(कानूनी तरीके से) में लेता है |

स्वामी रामदेव जी सरकार को बड़ी नोट वापस लेने के लिए दबाव दे रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार रोका जा सके | हम भी बड़ी नोट वापस लेने के पक्ष में हैं जब तक कोई वापस ना लेने का कोई अच्छा

कारण दे| क्यों कि इससे नकली करेंन्सी नोट बंध हो जायेगी और आतंकवाद को बढ़ावा मिलना कम हो जायेगा. लेकिन हमें किसी भी नजरिये से ये नहीं लगता की उससे भ्रष्टाचार कम होगा|

क्योंकि काफी ऐसे तरीके उपलब्ध हैं जिसमें पैसे को या बड़ी नोट को छुए बिना भ्रष्टाचार होता है| हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आप नीचे दिए गए तरीकों को समझिए |

(1) 95% भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे भ्रष्ट सरकारी अधिकारी तथा राजनेता जमीन, मकान, सोना, ज़वेरात, हीरे, चांदी, ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन में रखते हैं|.

(2) छोटे स्टर पर भ्रष्ट अधिकारी (5%) आपसे सोने, चांदी, विदेशी मुद्रा में घूस मांग सकते हैं जैसे कि

- 20 लाख रूपये की घूस के लिए 1 किलो सोना या 45,000 अमेरिकी डॉलर मांगेगे |
- 1 लाख रूपये की घूस के लिए 50 ग्राम सोने का सिक्का या 2250 अमेरिकी डॉलर मांगेगे |
- 50 हजार रूपये की घूस के लिए 25 ग्राम सोने का सिक्का, 1 किलो चांदी या 1200 अमेरिकी डॉलर मांगेगे |
- 50 हजार से कम कीमत की घूस वो भारत की छोटे नोट(रु.50) में ही मांग सकते हैं |
- अगर आपने भारत के छोटी करेंन्सी नोट में ही घूस दी तो वो उसी दिन उसको बडी आसानी से सोने में, चांदी में, विदेशी मुद्रा में रूपांतरित कर देंगे जो बड़ा आसान काम है |
- छोटे स्तर पर कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिलकर अपना एक एजेंट या प्रतिनिधि रखेंगे जो हररोज घूस में लिए गए पैसों को सोने, चांदी, विदेशी मुद्रा रूपांतरित कर देगा |

(3) बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने के लिए भ्रष्ट राजनेता या न्यायाधीश तो वैसे भी बडी करेंन्सी नोट हाथ नहीं लगाते और कुल भ्रष्टाचार करने वालों में उनकी तादात 95% हैं|

(3.1) बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार घूस लेने की लिए वैसे ही भ्रष्ट राजनेता या जज/न्यायाधीश अपने विदेशी बैंक अकाउंट उपयोग करते हैं|

- अगर आपको कोई मिनिस्टर को 100 करोड रूपये की घूस देनी हो तो 1000 रूपये की नोट का इस्तमाल करके १०० करोड रूपये की घूस में 10,000 बंडल होंगे |
- अगर आपको कोई मिनिस्टर को 500 करोड रूपये की घूस देनी हो तो 1000 रूपये की नोट का इस्तमाल करके 100 करोड रूपये की घूस में 50,000 बंडल होंगे |
- 10,000 या 50,000 बंडल को लेना-देना और छुपाना काफी मुश्किल काम है इसीलिए अगर कोई मिनिस्टर को 100 करोड रूपये की घूस देनी हो तो वो अपने स्विस या मोरिसियस बैंक का अकाउंट नंबर दे देगा फिर आप उसके बैंक अकाउंट में बडी आसानी से ओन-लाईन इंटरनेट के माध्यम से पैसे ट्रान्सफर कर सकते हे

कृपया आप नीचे की लिंक देखिये जो टाइमस ऑफ इंडिया से है , जिसमें कहा गया है कि राजा ने 2 जी स्पेक्ट्रम के घोटाले में अपने मोरीसीयस बैंक अकाउंट का इस्तामल किया था | अगल घोटाले के लिए राजा अपने मोरीसीयस बैंक अकाउंट का इस्तामल कर सकता है तो सोनिया गाँधी भी कर सकती है, मनमोहन सिंग भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है |

- 'Raja used wife's a/c to stash bribe money in Mauritius and Seychelles'
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-03-02/india/28646452_1_2g-spectrum-scam-bribe-money

(3.2) भ्रष्ट राजनेता या जज/न्यायाधीश को अगर भारत में ही घूस भारतीय मुद्रा में चाहिए तो उसके पास उसकी पत्नी, बच्चे, भतीजे या खुदके नाम पर काफी ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन होंगे| और वो लोग उसी ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन में ट्रस्टी होंगे| आप उसके ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन में बैंक चेक से वाईट में घूस दे सकते हो |
भारत में सारे ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन को इनकम टेक्स में से राहत मिलती है और दान देने वाले को भी टेक्स में से राहत मिलती है | इस नजरिये से आप देखें तो आपको घूस देने पर इनकम टेक्स में से राहत मिलेगी और उन भ्रष्ट राजनेता या जज/न्यायाधीश को भी |
भारत में कौन सा राजनेता या जज/न्यायाधीश या उसके सगे-सम्बन्धी कौन से ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन में ट्रस्टी हैं, उनका कोई व्यवस्थित डेटाबेस, या सूचि भ्रष्ट राजनेता या जज/न्यायाधीश ने मिलकर आज तक तैयार नहीं होने दिया है |

(4) जमीन अधिग्रहण में भ्रष्टाचार -
जब भी सरकार बड़ी मात्रा में जमीन लेने वाली होती है, तो कोई बड़ा व्यवसायी/व्यापारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी को 1 लाख रूपये हर सर्वे नंबर के हिसाब से घूस देता है, यह जानने के लिए कि कौन सी भूमि/जमीन सरकार लेने वाली है |. एक बार व्यवसायी/व्यापारी को सर्वे नंबर मिल जाता हे तो वो गरीब किसानो से 15 से 20 लाख रूपये हर एकर के हिसाब से सारी जमीन खरीद लेता है या काम दम पर अपने नाम पर करा देता है जिससे स्टेम्प ड्यूटी बच जाये | बाद में वो ही व्यवसायी/व्यापारी करोड़ों रूपये में सरकार से वो ही जमीन का सौदा करता है |

(5) आप सुप्रीम कोर्ट के जजों या न्यायाधीश का अध्ययन कर सकते हो | वो कभी भी पैसे को छूते तक नहीं या नाम नहीं लेते | वो बडे चतुर तरीके से कोई भी वकील का नाम देगा जो उसका दोस्त या रिश्तेदार है और फिर वो ही वकील वार्तालाप करेगा | आपको घूस भी बैंक चेक से वकील को ही ही देनी है तो पकडे जाने का कोई डर ही नहीं है | जेसे ही आपने दोस्त या रिश्तेदार वकील को चेक दे दिया ,दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ जाता है|
(6) 500 या 1000 के बडे नोट बंद होने के बाद जिसके पास वो नोट बचेंगे वो उसकी कालाबाजारी कर सकते हैं और फिर यही नोट सिर्फ सोने, चांदी या विदेशी मुद्रा के स्थान पर लेन - देन करने के लिए काम आएंगे |

(7) नरेन्द्र मोदी कुछ भ्रष्टाचार के केस में शामिल है, जिसमें उसने टाटा मोटर को बडी सस्ती कीमत पर अहमदाबाद में जमीन दे दी और न्यायाधीश ने केस को रफा-दफा कर दिया |
- उसके बदले में जज/न्यायाधीश के भाई-भतीजे को तरक्की/पदोन्नति/प्रोमोशन मिलेगा और फिर वो उसे पद का उपयोग करके घूस ले सकेंगे |
- टाटा मोटर उसके बदले में कांग्रेस से केहकर नरेन्द्र मोदी के खिलाफ जो केस चल रहे हैं वो कमजोर कर देगी |
- टाटा मोटर या टाटा ग्रुप यह सब फेवर/उपकार के बदले में कुछ ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन (एन.जि.ओ) में दान देगा जो नरेन्द्र मोदी, न्यायाधीश तथा कांग्रेस के हैं और टाटा मोटर या

टाटा ग्रुप यह दान देने पर आय-कर में से राहत मिलेगी और उन भ्रष्ट राजनेता या न्यायाधीश को भी |

(8) आजकल और एक तरीका निकला है जिसमें परामर्श शुल्क के नाम पर भाई-भतीजे को घूस दी जा सकती हे.
सरकारी बैंक लोन के भ्रष्टाचार में बैंक के निदेशक/डीरेकटर के भाई-भतीजे वकील या परामर्श के नाम पर भाड़ा या किराया लिया जाता है | जब बैंक लोन दे देता है, तो निदेशक/डीरेकटर के भाई-भतीजे को परामर्श के नाम पर भाड़ा या किराया मिल जाता है| चीदम्बरण की पत्नी ऐसे काफी कंपनी में शामिल है जो परामर्श देने का काम करती है | ऐसे मामले में आप कैसे साबित करोगे की घूस दी गयी थी कि परामर्श शुल्क ?

(9) पुलिस तथा जज/न्यायाधीश का सांठ-गाँठ/मिली-भगत पैसे को हाथ लगाये बिना काम करता है| न्यायाधीश के भाई-भतीजे वकील को जब भी कोई मामला/केस कमजोर करने के लिए पुलिस की जरुरत होती है और पुलिस को अपने ऊपर हुए मामले को रफा दफा/ठंडा करने के लिए जज/न्यायाधीश की जरुरत होती है, तो वो दोनों आपस में सांठ-गाँठ/मिली-भगत बनाकर काम करते हैं | जज/ न्यायाधीश के भाई-भतीजे जब बिल्डर होते हैं, तब पुलिस उनके गुंडे को मदद भी करती है और सुरक्षा देती है |

(10) गैर-क़ानूनी बंगलादेशी भारत में आ कर गंदी बस्ती में रहते हैं और पुलिस वालो को हफ्ता देते हैं | पुलिस इंस्पेक्टर उसका हिस्सा रख कर बाकि पैसा पुलिस कमिश्नर को देता है | पुलिस कमिश्नर वो कला धन कोई एन.आर.आई को देता है और वो एन.आर.आई पुलिस कमिश्नर के विदेशी बैंक अकाउंट में पैसा डाल देता है | फिर पुलिस कमिश्नर अपने विदेशी बैंक अकाउंट से मुख्यमंत्री और जज/न्यायाधीश के विदेशी बैंक अकाउंट में उसके हिस्स्से का पैसा डाल देता है | यहाँ किसी भी लेन-देन में बडे नोट्स की जरुरत नहीं पडती |
अभी मैंने ऊपर थोडा सा समझाया कि भ्रष्टाचार कैसे होता है और उसमे बड़ी नोट की जरुरत नहीं पडती है | अभी मैं आपको बताता हूँ कि यह भ्रष्टाचार रोकने का क्या तरीका है |
(क) पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने का तरीका-
(1) प्रजा आधीन पुलिस कमिश्नर/ भ्रष्ट पुलिस कमिश्नर को बदलने की प्रक्रिया -
(2) ज्यूरी सिस्टम इन कोर्ट (ज्यूरी द्वारा मुकदम्मा/फैसला भ्रष्ट पुलिस कमिश्नर के खिलाफ)
कृपया प्रक्रिया/क़ानून-ड्राफ्ट के लिए अध्याय 22 देखें|
(ख) मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार रोकने का तरीका-
प्रजा आधीन-मुख्यमंत्री/ भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बदलने की प्रक्रिया-
कृपया प्रजा आधीन सी.एम के प्रक्रिया/क़ानून-ड्राफ्ट के लिए अध्याय 6 देखिये|
(ग) कोर्ट या न्यायाधीश का भ्रष्टाचार रोकने का तरीका -
(1) प्रजा आधीन-सुप्रीम कोर्ट मुख्य जज
कृपया प्रजा आधीन-सुप्रीम कोर्ट मुख्य जज के लिए पेज अध्याय 7 देखिये |
(2) ज्यूरी सिस्टम
कृपया ज्यूरी सिस्टम के लिए देखिये अध्याय 21|

(19.7) नयी प्रवृत्ति / झुकाव मंत्रियों से अधिकार छीनने का और "नियामक" जैसे जनलोकपाल आदि को देने का

अभी काफी जोर दिया जा रहा है मंत्रियों से अधिकार छीनने और "नियामक (नियम का पालन हो,ऐसा निश्चित करने वाला)" जैसे जनलोकपाल/लोकपाल आदि को देना के लिए |

इसके दो कारण हैं-

1. मंत्रियों में `अन्य पिछड़ी जाती` अधिक शक्तिशाली बनती जा रही और इसीलिए अब उच्च जाती के विशिष्ट वर्ग के लोग एक नयी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहाँ अधिकार उच्च जाती विशिष्ट वर्ग के पास ही रहेगी जैसे के 1950 से 1990 में था |

2.बहु-राष्ट्रिय कम्पनियाँ भी ये चाहते हैं कि अधिकार नियामक के पास जायें क्योंकि वो संख्या में कम हैं और मंत्रियों से कम मांग करने वाले हैं |

ये बदलाव हम आम नागरिकों को बिलकुल भी फायदा नहीं देगा, बल्कि ये केवल बहु-राष्ट्रिय कम्पनियाँ/विशिष्टवर्गों को ही मदद करेगा गरीब-समर्थक बाबू और अफसर, जो थोड़े बहुत बचे हैं, उन्हें बेरहमी से समाप्त करने के लिए | इसीलिए , इस तरह के बदलाव से गरीबी आदि केवल बढेगी और देश बहुराष्ट्रीय कम्पनिय/दूसरे देशों की गुलामी की और तेज़ी से बढेगा |

नेता-बाबू-जजों में भ्रष्टाचार तब ही कम होगा जब हम आम नागरिकों के पास एक नयी प्रक्रिया होगी नेता-बाबू को निकालने/सज़ा देने के लिए | ये भ्रष्टाचार तब कम नहीं होगी जब एक बाबू को दूसरे बाबू पर जांचने और उसपर (भ्रष्टाचार पर) रोक लगाने के कहा जाये , उदाहरण यूनान में , सुकरात, अरिस्तू ने भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो लगबग ना बराबर थी | ना बराबर क्यों थी ? क्योंकि यदि कोई अफसर पर संदेह/शक होता, तो 200-600 लोगों की जूरी/सभा (क्रमरहित चुने गए लोग) बुलाई जाती और यदि अफसर दोषी पाया जाता, उसे कड़ा जुर्माना और यहाँ तक कि मौत की सजा भी हो सकती थी | **दूसरे शब्दों में, यूनान, में आम नागरिकों के पास अफसरों को सजा देने का अधिकार था और इसीलिए भ्रष्टाचार ना बराबर था |**

जब नया कानून आता है , जो केवल एक बाबू-`क` को दूसरे बाबू-`ख` पर रोक-थाम लगाने का अधिकार दे , तो बाबू `क` बाबू-`ख` पर पूरी तरह हावी हो जायेगा और बाबू-`ख` के कुछ रिश्वतें लेने लगेगा | और वो कभी भी बाबू-`ख` को उसकी रिश्वत कम करने या आम नागरिकों की सेवा करने के लिए नहीं कहेगा ,उदाहरण जो ये लोकायुक्त,सतर्कता विभाग वाले,भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग वाले करते हैं और जो जनलोकपाल करेगा |

इसीलिए ऐसा नया क़ानून बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आई.ऐ.एस(भारतीय प्रशासनिक सेवा), पुलिस-कर्मी पर लगाम कसने में मदद करेगा जिससे वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विशिष्टवर्ग के लोगों से कम रिश्वत लेंगे | लेकिन आम नागरिकों से पहले जैसे ही खूब रिश्वत लेंगे | लेकिन, मीडिया के लोग , जो विशिष्टवर्ग के गुलाम हैं, इन नए कानूनों के बारे में अच्छी-अच्छी कहानियां लिखेंगे क्योंकि ये विशिष्टवर्ग को फायदा करते हैं |लेकिन ये कहानियां को छोड़ कर , आम नागरिकों के लिए ठीक पहले जैसी स्थिति ही बनी रहेगी |

(19.8) “अनैच्छिक / बिना इच्छा के ” , “अनदेखे” , “अज्ञात / अनजाना” परिणाम के तर्क

मैं हमेशा प्रस्तावित `जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` सरकारी अध्यादेश को पहले बताता हूँ प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को बदलने की प्रणाली) सरकारी आदेश और अन्य प्रस्तावित सरकारी आदेशों के बारे में चर्चा करने से पहले |वास्तव में, मैं श्रोता से हमेशा विनती करता हूँ कि `जनता की आवाज़ शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` के तीन लाईनों को जोर से पड़ें | क्यों? क्योंकि मेरी योजना है प्रजा-अधीन प्रधानमंत्री,प्रजा-अधीन सुप्रीम कोर्ट मुख्य जज सरकारी आदेश आदि को केवल `जनता की आवाज़ शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` द्वारा ही लाना के लिए और विधायक/सांसदों को रिश्वत दे कर नहीं |

एक बार प्रस्तावित सरकारी आदेश `(जनता की आवाज़ )पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` को जोर से पढ लिया गया है, मैं व्यक्ति को विनती करता हूँ कि `जनता की आवाज़`सरकारी आदेश के अनैचिक परिणाम बताएं | चर्चा कभी-कभी लंबी जाती है | लेकिन बीच में ,मैं निम्नलिखित बयान देता हूँ -

“जब तुम कोई मांग को इनकार करो, तो कृपया ये जरुर जानो कि मांग क्या है | मैं तुम से केवल इतना मांग रहा हूँ कि `नागरिक को अपने शिकायत इन्टरनेट पर,प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर रखने की अनुमति दें कलेक्टर के दफ्तर जा कर | कृपया ध्यान दें `जनता की आवाज़ `का दूसरा खंड `जनता की आवाज़` खंड-१ का दोहराया जाना है जो कि शिकायत को दर्ज करने की इजाजत देता है | इसका खर्च कितना आता है ? और नागरिक आपको 20 रुपये प्रति पन्ना दे रहा है लागत और क्लर्क के वेतन के लिए पूरा पड़ने के लिए | तो फिर तुम क्यों विरोध कर रहे हो नागरिक को अपने शिकायत डालने से प्रधानमन्त्री के वेबसाइट पर ,जहाँ लाखों लोग इन्टरनेट द्वारा कभी भी ,कही भी वो शिकायत का एक-एक शब्द पद सकते हैं ,अफसर द्वारा बिना किसी परिवर्तन किये ?”

और मैं प्रधान मंत्री शब्द को लोकपाल में बदल देता हूँ लोकपाल के चर्चा में या प्रधानमंत्री शब्द को सुप्रीम कोर्ट मुख्य जज में बदल देता हूँ जजों की चर्चा करते हुए आदि |

एक बार `जनता की आवाज़ `सरकारी आदेश स्पष्ट हो जाता है, मैं ये वर्णन करता हूँ की प्रजा अधीन राजा(भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) -सरकारी आदेश केवल `जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` द्वारा ही आयेंगे | यदि भ्रष्ट प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री / विधायक / सांसद प्रजा अधीन राजा-सरकारी आदेशों को विधेयक द्वारा लाना चाहते हैं, मैं उनको कभी भी रोकूँगा नहीं और ना ही रोक सकता हूँ | यदि भ्रष्ट सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज जनहित याचिका द्वारा राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) को लाना चाहते हैं , तो मैं उनको रोकूँगा नहीं और न ही रोक नहीं सकता हूँ | लेकिन मैं भ्रष्ट प्रधानमन्त्री, मुख्यमंत्री,सांसद,विधायक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कभी भी प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) लाने के लिए नहीं बोलूँगा| मैं केवल भारत के नागरिकों से विनती करूँगा अपने `हाँ` दर्ज करने के लिए एफिडेविट/शपथपत्र पर जो प्रजा अधीन -प्रधानमन्त्री, प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री आदि की मांग करते हैं और फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर बात छोड़ दूँगा |

तो यदि 35 करोड नागरिक `अनदेखे परिणाम ` देख नहीं सकते, तब भी संभव है कि प्रजा अधीन राजा /राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के अनदेखे परिणाम हैं

|लेकिन यदि अनदेखे परिणाम दृश्य हो जाते हैं, तब भीनागरिक `जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली` द्वारा प्रजा अधीन राजा(भ्रस्त को बदलने का अधिकार) की प्रक्रिया को भी रद्द कर सकते हैं |

निश्चित ही , ये `अनदेखे परिणाम` का भय नहीं हटाएगा | लेकिन , आपका जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), प्रजा अधीन राजा /राईट टू रिकाल का विरोध के भी `अनदेखे परिणाम ` हो सकते हैं| इसीलिए बराबर-बराबर |

(19.9) कैसे केवल 2 लाख कार्यकर्ता महीने के कम से कम 10 घंटे और 500 रुपये खर्च करके भ्रष्टाचार , गरीबी को एक साल में कम कर सकते हैं

1. हमने दिखाया हैं अध्याय 1 में कि यदि हम प्रधानमन्त्री को प्रस्तावित **`जनता की आवाज़`(पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) सरकारी आदेश** को पारित करने पर विवश/मजबूर कर देते हैं, तो फिर भ्रष्टाचार और गरीबी कुछ महीनों में कम हो जायेगी |
2. ये आगे विस्तार से समझाया गया है अध्याय 1,5,6 और 13 में |
3. तो कैसे हम कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री और मुख्य्मात्रियों को `जनता की आवाज़`(पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली/सिस्टम) सरकारी आदेश लाने के लिए विवश कर सकते हैं ?
4. 75 करोड़ नागरिक-मतदाताओं को `जनता की आवाज़`(पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)), `नागरिक और सेना के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी) `(एम.आर सी.एम), प्रजा अधीन प्रधानमंत्री(राईट टू रिकाल प्रधानमंत्री, भ्रष्ट प्रधानमन्त्री को बदलने का अधिकार) सूचित करके | एक बार सम्पूर्ण देश के मतदाताओं को जानकारी मिल जायेगी इन जन हित प्रक्रियाओं की, तो लाखों -करोड़ों लोग मांग करेंगे और प्रधानमन्त्री/सरकार को विवश हो कर `जनता की आवाज़`(पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली पर हस्ताक्षर करना होगा |

<u>तो हम ये सूचना/जानकारी भारत के 75 करोड़ नागरिक-मतदाताओं तक कैसे ले कर जा सकते हैं?</u>

क्या हमें करोड़ों कार्यकर्त और हजारों-करोड़ों रुपये की आवश्यकता/जरुरत है? देखिये, सूचना देने के लिए लोगों और पैसे के लिए जरुरत है (**पैसे, दान नहीं**) | लेकिन हमें करोड़ों कार्यकर्ता और हजारों-करोड़ों रुपये की जरूरत नहीं है | केवल 2 लाख कार्यकर्ता अपना महीन का 10 घंटा और 500 रुपये खर्च करें तो पर्याप्त है | कैसे?

मान लें कि 2 लाख कार्यकर्ता अपने महीने के 10 घंटे ,अमूल्य समय दे रहे हैं और लगबग 500 रुपये महीने उनके कीमती आमदनी से खर्च कर रहे हैं | **कोई भी दान नहीं होगा , हम दान के सख्त विरोधी हैं |** हरेक कार्यकर्ता अपने पैसे स्वयं खर्च कर सकता है या 4-5 व्यक्तियों के छोटे समूह बना सकते हैं, जैसी उनकी इच्छा हो |

तब, दो लाख कार्यकर्ता अपना कम से कम 10 घंटा हर महीना और 500 रुपये प्रति महीना कम से कम दें अपने समय और आमदनी से, तो एक सामान्य या गौस्सी वितरण बनेगी |

सामान्य वितरण का अर्थ है --- यदि मैं आप को 2 लाख लोग लाने के लिए कहूँ,प्रत्येक की ऊंचाई जिनकी 5 फीट 6 इंच हो, तो कम से कम 10 % की ऊंचाई 5 फीट 9 इंच होगी,

कोई 5% की ऊंचाई 5 फीट 10 इंच और कोई 1% की ऊँचाई 6 फीट होगी | इसी तरह,यदि 2 लाख व्यक्ति अपना महीने का 10 घंटा देने के लिए तैयार हैं, तो कुछ 20 घंटे महीना देने के लिए तैयार होंगे,कुछ 30 घंटे देने के लिए तैयार होंगे और कुछ अपने महीने के 40 घंटे देने के लिए तैयार होंगे |

मेरे अनुसार निम्लिखित वितरण होगा :
श्रेणी-1 : 2 लाख कार्यकर्ता , अपना 010 घंटा और Rs.0500 महीना देंगे
श्रेणी-2 : 20 हज़ार कार्यकर्ता , अपना 050 घंटा और Rs.1000 महीने देंगे
श्रेणी-3 : 5 हज़ार कार्यकर्ता , अपना 075 घंटा और Rs.2000 महीना देंगे
श्रेणी-4 : 5 सौ कार्यकर्ता , अपना 100 घंटा और Rs.5000 महीना देंगे

मैं दोहराता हूँ पैसे का खर्चा सीधा होगा, बिना कोई दान के | कार्यकर्ताओं को सीधा समाचार पत्र के विज्ञापन, पैम्फलेट/पर्चों कि छपाई और वितरण आदि पर होगा |
लगबग 500 लोकसभा चुनाव-क्षेत्र हैं भारत में | ऐसे में, प्रति लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अनुसार, निम्नलिखित वितरण होगा-
श्रेणी-1 : 400 कार्यकर्ता , अपना 010 घंटा और Rs.0500 महीना देंगे
श्रेणी-2 : 040 कार्यकर्ता , अपना 050 घंटा और Rs.1000 महीने देंगे
श्रेणी-3 : 010 कार्यकर्ता , अपना 075 घंटा और Rs.2000 महीना देंगे
श्रेणी-4 : 001 कार्यकर्ता , अपना 100 घंटा और Rs.5000 महीना देंगे

इस प्रकार ,पूरे देश में 160 करोड़ प्रति वर्ष लगबग खर्च होगा| ये सभी पैसा कभी भी राष्ट्रिय,राज्य या जिला मुख्यालय कभी नहीं आएगा, कार्यकर्ता के पास ही रहता है और **सीधे** कार्यकर्ता द्वारा ही खर्च किया जाता है अकेले या 3-4-5 के समूह में , कभी भी 30 से अधिक नहीं | हर लोकसभा चुनाव-क्षेत्र में 30 लाख लगबग प्रति वर्ष खर्च होगा लगबग 400 कार्यकर्ताओं द्वारा|

इसका लगबग आधा विभिन्न प्रमुख क्षेत्रीय समाचार पत्रों में हर महीने विज्ञापन किया जा सकता है | (औसत लागत सामने के पन्ने पर , एक काले और सफ़ेद विज्ञापन की 30 cm(सेंटी-मीटर) x8 सेंटी-मीटर एक लाख पच्चत्तर हजार(1,75,000) है | लगबग चार लाख परिवार के लिए लगबग 400 कार्यकर्ता हैं एक लोकसभा चुनाव-क्षेत्र में| अभी , औसतन, एक कार्यकर्ता को 1000 पर्चे 32 पन्नों के वितरित/बांटने हैं , लागत रु. 4 प्रति परचा और डी.वी.डी की लागत रु. 20 प्रति डी.वी.डी.) अब विज्ञापन और पर्चे पर खर्च 2-5 व्यक्तियों द्वारा जमा किया जा सकता है 1-2 महीनों में , जो आवश्यकताओं को पूरा करेगा | इस प्रकार , एक वर्ष में , 2 लाख कार्यकर्ता देश के सभी नागरिकों को प्रस्तावित पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली का क़ानून-ड्राफ्ट और अन्य जनहित सरकारी आदेश-क़ानून के क़ानून-ड्राफ्ट की सूचना दे सकते हैं |

लेकिन कृपया ध्यान दें , पैसे अकेले पर्याप्त नहीं हैं| हमें 400 कार्यकर्ता चाहिए प्रति लोकसभा चुनाव-क्षेत्र में जो पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली और प्रजा अधीन राजा (भ्रष्ट को नागरिकों का बदलने का अधिकार) सम्बंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकें लोगों को |

प्रजा अधीन-राजा(राईट टू रिकाल) और `जनता की आवाज़` कानून पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न – यहाँ से डाउनलोड करें – www.righttorecall.info/004.h.pdf और छाप कर पड़नें के लिए बांटें |

अध्याय 20 - दान / चन्दा के खिलाफ क्यों?

(20.1) समाचारपत्रों के विज्ञापनों के लिए योगदान / अंशदान, लेकिन सीधे नकद दान / चन्दा नहीं

मैं दान/चन्दा विरोधी हूँ। जब तक मैं राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह का प्रभारी रहूंगा, मैं राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह के लिए दान नहीं लूंगा। अब तक मैंने केवल थोड़े पैसे (1100/-रूपया) का दान एक राजनैतिक दल को इसके कार्य संचालन के लिए दिया है। और मैंने *80 जी* की छूट भी नहीं ली। उस नकद दान को छोड़कर मैंने कभी किसी राजनैतिक दल को चन्दा नहीं दिया। इस पाठ में, मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि किसी राजनैतिक दल को पैसा चन्दा में देने का नुकसान ही ज्यादा है और किसी राजनैतिक दल को पैसा चन्दा में देने के फायदे कम हैं।

(20.2) समाचारपत्रों के विज्ञापनों के लिए योगदान / अंशदान, लेकिन सीधे नकद दान / चन्दा नहीं

मैं सभी से प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट के बारे में जानकारी फैलाने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा का योगदान करने के लिए कहता हूँ। मैं प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समर्थकों से उनके कार्यालयों में बैठकों के लिए स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध करने, अपनी पसंद का एक समाचारपत्र विज्ञापन देने, जिससे नागरिकों को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट , प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूप, नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट आदि के क्लॉज/खण्डों के बारे में जानकारी मिलेगी, पर्चियां/पम्फलेट्स छपवाकर बांटने/बंटवाने और इसी तरह के अन्य कार्य करने का अनुरोध करने तक ही सीमित रहूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समर्थकों से प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट , नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट आदि के बारे में जानकारी फैलाने के लिए आवश्यक सामग्रियों के मूल्यों का कुछ भाग वहन करने के लिए कहूँगा। लेकिन **मैं कभी भी प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समर्थकों से नकद पैसा देने के लिए नहीं कहूँगा।**

(20.3) सीधे दान लेने और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान / अंशदान करने के बीच तुलना

1. नकद दान नेता को यह अवसर दे देता है कि वह वैसे कार्यकलापों को करने लगे जो औपचारिक एजेंडे/कार्यसूची में शामिल नहीं है जबकि यदि कोई प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) समर्थक समाचारपत्र के कार्यालय को सीधे भुगतान करता है, बैठकों के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, पर्चियों/पम्फलेट्स बांटता है

तब इसमें यह निश्चित होता है कि पैसा केवल एजेंडे/कार्यसूची पर ही खर्च किया गया है और एजेंडे/कार्यसूची के बाहर के किसी भी चीज पर नहीं।

2. किसी नेता को पैसा क्यों चाहिए, स्वयं की सहायता के लिए? देखिए, ज्यादातर नेताओं के पास खुद का बहुत ज्यादा धन होता है और उन्हें अपने सहयोग के लिए और पैसे की जरूरत नहीं होती। साथ ही, वे अंशकालिक/पार्ट टाइम नौकरी प्राप्त करने के लिए भी पात्र/सक्षम होते हैं। यदि कोई नेता अपनी सहायता के लिए पैसे की जरूरत बताता है तो सदस्यगण उसे "एक सौगात/गिफ्ट" के रूप में पैसे अवश्य दे देंगे। लेकिन वह पैसा नेता के लिए होगा पार्टी के लिए नहीं। **नेता यह दावा करते हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत है तो इसका मुख्य कारण यह है कि वे अपने राजनैतिक कार्यकलापों को बढ़ाना चाहते हैं।**

3. इसलिए ऐसे मामलों में क्यों न नेता को सीधे नकद पैसा देने के बजाए कार्यकलापों के लिए सीधे-सीधे योगदान/अंशदान किया जाए। नेता उन सभी कार्यों की सूची बना सकते हैं और कोई भी सदस्य अपनी पसंद के किसी भी कार्यकलाप के लिए योगदान/अंशदान दे सकता है।

4. एक और कारण कि क्यों नेता दावा करते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, वह है – उन्हें बैठकें आयोजित करनी होती हैं । बैठकों के लिए स्थानीय स्तर पर 1 या 2 व्यक्ति मैदान/स्थल का किराया देने के लिए अथवा किसी हॉल का किराया देने के लिए पैसा दे सकते हैं। बाकी पैसा का खर्च नेता द्वारा खुद उठाने की आशा की जाती है। साथ ही, क्योंकि टेलिविजन अब हर जगह उपलब्ध हो गया है इसलिए व्यापक बैठकों और जमावड़े का महत्व कम हो गया है।

5. नेता यह भी दावा करते हैं कि उन्हें रैलियां आयोजित करने के लिए पैसा चाहिए। यह तर्क झूठा है। रैलियों में हर व्यक्ति अपने-अपने खर्चे से आता है। रैलियों के लिए तो एक भी पैसे की जरूरत नहीं होती।

इसलिए कुल मिलाकर मैं वास्तव में ऐसा कोई मजबूर करने वाला कोई कारण नहीं देखता कि जिसके लिए नेता पैसे की मांग करें। उन्हें समर्थकों से केवल समाचारपत्र विज्ञापन देने अथवा पम्फलेट्स/पर्चियां बांटने के लिए ही कहना चाहिए लेकिन वह भी हर समर्थक अपने आप से ही करे।

(20.4) 80 जी का विरोध

हालांकि दान मान्य है, फिर भी धारा *80 जी, 35 ए सी* अथवा किसी भी अन्य धारा के तहत कर से छूट प्राप्त करने से पूरी तरह बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि *80 जी* और *35 ए सी* सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाते हैं और इस प्रकार भारत की सेना, पुलिस और न्यायालयों/कोर्ट को भी हानि पहुंचाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जोर देकर कहा है कि राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह के सदस्य के रूप में मेरे प्रस्तावों में से एक है – धारा *80 जी* और धारा *35 ए सी* को समाप्त करना, ताकि कर/टैक्स चोरी जो कि दान अथवा समाज सेवा अथवा राजनीतिक सेवा के नाम पर की जा रही है, उसे समाप्त किया जा सके। इसलिए कम से कम

मुझे एक राजनैतिक दल/समूह के रूप में धारा *80 जी* का उपयोग बिलकुल ही नहीं करना चाहिए।

अध्याय 21 - न्यायालयों / कोर्ट में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद कम करने के लिए राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह के प्रस्ताव

(21.1) हमें न्यायालयों / कोर्ट में सुधार की जरूरत क्यों है?

जब नागरिकों ने 1951 में संविधान लिखा तो नागरिकों द्वारा सांसदों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों/सुप्रीम-कोर्ट-जज , भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) के अधिकारियों आदि को साफ-साफ बता दिया गया था कि :-

1. देश भारत के संविधान के अनुसार चलाया जाएगा।
2. देश उस संविधान के अनुसार चलेगा जिसकी भारत के नागरिकों द्वारा अर्थ/व्याख्या की गई है।
3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/सुप्रीम-कोर्ट-जज द्वारा संविधान की, की गई अर्थ/व्याख्या मंत्रियों द्वारा संविधान की, की गई अर्थ/व्याख्या से उपर होगी। लेकिन नागरिकों द्वारा संविधान की, की गई अर्थ/व्याख्या अंतिम होगी और सबसे उपर होगी और यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्थ/व्याख्या से भी उपर होगी।

संविधान-आम लोगों द्वारा अर्थ लगाया या सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा?

संविधान, आम लोगों/जनसाधारण द्वारा अर्थ लगाया जाना चाहिए के दो दर्जन सुप्रीम कोर्ट जजों द्वारा?
पहले हम `संविधान की भूमिका/उद्देशिका` देखें | सभी संविधानों के सभी खंड के सभी अर्थ/व्याख्या संविधान की भूमिका/उद्देशिका के अनुसार होने चाहिए अन्यथा वो अर्थ/व्याख्याएं बुरी हैं |

भूमिका / उद्देशिका

हम, भारत के लोग,भारत को एक 1[संपूर्ण , प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी , पंथ-निरपेक्ष ,**लोकतांत्रिक ,गणराज्य**] बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक , आर्थिक और राजनैतिक न्याय,विचार,अभिव्यक्ति विश्वास ,धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,**प्रतिष्ठा और अवसर की समता** प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और 2[राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए दृढसकल्प होकर

अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर,1949 ई.(मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी , संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं |

1.संविधान (बयालीसवां संशोधन)अधिनियम , 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य " के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन)अधिनियम , 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान प्र प्रतिस्थापित |

निम्निलिखित शब्द सबसे महत्वपूर्ण हैं -

1. हम, भारत के लोग (हम न्यायाधीश/जज नहीं)
2. लोकतंत्र
3. गणराज्य (न्यायतंत्र/जजों का ल्पतंत्र(कुछ ही लोगों का शाशन) नहीं)
4. अवसर की समता

दूसरे शब्दों में, लोकतंत्र और गणराज्य वे प्रणाली/तंत्र हैं जिसमें आम लोग नियम को लागू करते हैं और आम लोग उनके अर्थ भी करते हैं संविधान सहित |

हमारा संविधान स्पष्ट कहता है भारत एक अल्पतन्त्र नहीं होगा दो दर्जन सुप्रीम कोर्ट या 800 सांसदों का | संविधान "लोकतंत्र" और "गणराज्य" कहता है अपने भूमिका में |

इसीलिए , भूमिका ये स्पष्ट/साफ़ बताती है कि संविधान का अर्थ हम आम लोगों द्वारा है , ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा अर्थ लगाया हुआ |

अफ़सोस, संविधान में वो प्रक्रिया/तरीका का अभाव/कमी है जिससे आम लोगों का अर्थ/मतलब प्राप्त किया जा सकता है | लेकिन प्रक्रिया के अभाव से अधिकारों का अभाव का मायना/अर्थ नहीं है| इसका यही मायना है कि हमें एक अधिनियम/सरकारी आदेश की जरुरत है एक प्रक्रिया बनाने के लिए जिसके द्वारा संविधान का अर्थ लगाना `हम आम` लोगों द्वारा किया जा सके | इसका ये मतलब नहीं कि `हम आम लोगों ` द्वारा अर्थ लगाना जजों द्वारा अर्थ लगाने से निम्न है |

और , ये शब्द "राजनैतिक न्याय " और "समानता" से बताते (सूचित करते) हैं और सिद्ध करते हैं कि हर एक व्यक्ति का संविधान का अर्थ लगाना / व्याख्या का कुछ मूल्य होगा | इस कारण , यदि आम लोगों का बहुमत सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले को असंवैधानिक बोलते हैं, तो वो फैसला भले ही 24 सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा वैध घोषित किया गया था, फिर भी वो फैसला असंवैधानिक और व्यर्थ हो जाता है | दूसरे शब्दों में , सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य तभ है जब तक हम आम लोग उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर देते |

इन निर्णयों के कारण ही नागरिकों ने (संविधान की) प्रस्तावना में ही `लोकतंत्र`, `राजनीतिक न्याय` और `समानता` जैसे शब्द रखे और यही कारण था कि सांसदों, जिनसे नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने की आशा की जाती थी, उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग तक चलाने की शक्ति दे दी गई थी ताकि यदि कभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संविधान की व्याख्या नागरिकों द्वारा की गई व्याख्या से अलग ढ़ंग से करें तो सांसद

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग(आरोप और हटाने की प्रक्रिया) चला सकें। भारत के संविधान में बहुत से विचार अमेरिका के संविधान और अमेरिका के समाज से लिए गए हैं। 1950 में जब नागरिकों ने भारत का संविधान लिखा तो उन्होंने लोकतंत्र शब्द का वह अर्थ लिया था जो उस समय अमेरिका/पश्चिम में प्रचलन में था। अमेरिका में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ था? इसे समझने के लिए किसी व्यक्ति को अमेरिकी राज्यों के संविधान पढ़ने चाहिएं। उदाहरण के लिए ***मेरी लैण्ड के संविधान*** **में यह साफ-साफ लिखा है कि "जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य अर्थात आम नागरिक कानूनों के साथ-साथ तथ्यों की भी व्याख्या/अर्थ करेंगे**" अमेरिका के 20 और राज्यों के संविधानों में भी यही उल्लेख है और अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसा ही करता है। दूसरे शब्दों में, 1950 में अमेरिका में *लोकतंत्र शब्द का साफ-साफ अर्थ था एक ऐसा शासन जिसमें नागरिक कानून बनाते हैं और नागरिक ही किसी मुकद्दमें में कानूनों के साथ-साथ तथ्यों की भी व्याख्या/अर्थ करते हैं।*

अब संविधान को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया है(गलत अर्थ लगा कर बर्बाद कर दिया है)। मैं निम्नलिखित उदाहरण यहां पेश करूंगा। (अप्रैल 2, 2008 के रूप में लिंक करें) http://www.boloji.com/wfs2/wfs238.htm

" यौन अपराधों के लिए फन प्लेस/मनोरंजक स्थल

मार्टी दम्पत्ति को दिसंबर, 2000 में तब रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, जब वे गेटवे ऑफ इंडिया से उठाकर लाई गई अवयस्क लड़कियों के गन्दे चित्र उतार रहे थे। स्विटजरलैण्ड के इस दम्पत्ति के द्वारा अवयस्क लड़कियों के बाल यौन (शोषण) अपराध की भयानक कहानी मुंबई के एक सेशन कोर्ट को कैमरे के जरिए/इन कैमरा बताई गई। और मार्च, 2003 में अतिरिक्त सेशन जज मृदुला भटनागर ने इस दम्पत्ति को सजा सुनाई। उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस सजा के खिलाफ उनकी अपील का ही नतीजा था कि मुंबई उच्च न्यायालय ने उनकी दलील को स्वीकार किया कि यदि इस मामले की सुनवाई तेजी से नहीं होती तो उनकी अपील 7 वर्षों के बाद भी सुनी नहीं जाती जो मुख्य तौर पर उनके सजा की अवधि थी। जज ने उन्हें प्रत्येक पीड़ित को एक-एक लाख रूपए का बड़ा हरजाना भरने का भी निर्देश दिया। उनके अपराध की गहराई का उल्लेख पूरे निर्णय/फैसले में कहीं पर भी नहीं किया गया था।

उनके पासपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि वह दम्पत्ति वर्ष 1989 से ही हर वर्ष भारत आया करता था। वे कई देशों में अपना धन्धा चलाते थे और उनके लैपटॉप बच्चों की तस्वीरों से भरे पड़े थे जिसमें श्रीलंका और फिलिपिन्स के भी बच्चे थे। स्वयं को अकेला बुजुर्ग दम्पत्ति बताकर वे गली के बच्चों और उनके माता-पिता से दोस्ती करते थे और उन्हें दान की आड़ में खुशहाल जिन्दगी का वायदा करते थे। श्री मार्टी (जिसने स्वयं को एक बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनी में महा-प्रबंधक/मेनेजर बताया था) और उसकी पत्नी, दोनों के पास से चिकनाई वाले पदार्थ/लुब्रिकेन्ट्स, कंडोम और लिंग के उपर छिड़काव करने वाले स्प्रे पाए गए थे। लिली मार्टिन एक प्रशिक्षित नर्स थी जो उत्पीड़न के शिकार बच्चों के घाव की दवा–पट्टी करती थी। लेकिन साक्ष्य के रूप में रिकार्ड की गई इन बातों में से किसी भी बात का उल्लेख मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले में नहीं किया गया। **उच्चतम न्यायालय की बेंच जिसके अध्यक्ष मुख्य**

न्यायाधीश वी. एन. खरे थे, उन्होंने 5 अप्रैल, 2004 को दिए गए अपने फैसले में **इन बाल अपराध के दोनों दोषियों को जमानत दे दी ..... "**

भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री खरे से जमानत मिल जाने के बाद दोनों धनवान स्विट्जरलैण्ड-वासी बाल यौन-शोषण अपराधी भारत से बच निकले। इस प्रकार के जमानत के आदेश ने पुलिसवालों और निचली अदालत के जजों/न्यायाधीशों के मनोबल गिरा दिए। उन्होंने अवश्य ही यह सोचा होगा कि अपराधी को सजा दिलाने का उनका प्रयास बेकार गया। और उन्हें इस बात का मन में दुःख भी रहा होगा कि घूस दिए जाने के प्रस्ताव को उन्होंने क्यों ठुकरा दिया। मुंबई उच्च न्यायालय के जज/न्यायाधीश द्वारा छोड़ दिए जाने का आदेश संविधान के खिलाफ था। *और मुख्य न्यायाधीश/जज प्रधान `खरे` द्वारा दोनों धनवान स्विट्जरलैण्ड-वासी बाल अपराध के दोषियों को दिया गया जमानत का आदेश भी संविधान का घोर उल्लंघन था।* **संविधान के ऐसे उल्लंघन इसलिए होते हैं कि हम नागरिकों के पास संविधान का उल्लंघन करने वाले न्यायाधीशों/जजों/न्यायाधीशों को बर्खास्त करने/हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है।**

(21.2) ऐसे अन्यायपूर्ण फैसलों का समाज पर प्रभाव

यदि हम न्यायालयों/कोर्ट में सुधार नहीं लाऐंगे तो अमीरों द्वारा सबसे गरीब 99 प्रतिशत नागरिकों पर अन्याय तो बढ़ता ही जाएगा। समाज में मिल-जुलकर रहने की स्थिति कम होती जाती है और देश के प्रति आम-नागरिकों की वफादारी कम हो जाती है जब विशिष्ट/उच्च वर्ग के लोग आम लोगों का ज्यादा से ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। और समाज में मिल-जुलकर रहने की स्थिति में कमी आने से प्रशासन और सेना की ताकत भी कम होती है । जब व्यक्तियों को कोर्ट से खुला अन्याय मिलता है तो उन्हें राष्ट्र और समाज की रक्षा करने में कोई लाभ नजर नहीं आता है। पुलिस व न्यायालय आदि में अन्यायपूर्ण व्यवहार किए जाने से दिनों-दिन राष्ट्रीयता की भावना में कमी आती जाती है और इससे पूरा समाज, राष्ट्र और यहां तक कि राष्ट्र का प्रत्येक अंग प्रशासन, पुलिस, सेना आदि भी कमजोर हो जाता है। नागरिकगण जजों/न्यायाधीशों के अन्यायपूर्ण व्यवहार को कैसे रोक सकते है? और कैसे हम नागरिक सुप्रीम-कोर्ट और हाई-कोर्ट में संविधान की अवहेलना और जजों का अन्यायपूर्ण व्यवहार रोक सकते हैं? और कैसे नागरिकगण न्यायालयों/कोर्ट में तेजी से मुकद्दमों का निपटारा करने के कार्य में सुधार कर सकते हैं?

(21.3) न्यायालय / कोर्ट में और सुधार की राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह की मांग और वायदे

राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह के सदस्य के रूप में `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करके और नागरिकों से हां प्राप्त करके भारत की न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन/बदलाव लाने की मांग और इसका वायदा करता हूँ:-

1. प्रजा अधीन–उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/प्रजा अधीन-सुप्रीम कोर्ट प्रधान जज(भ्रष्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज को बदलने का आम लोगों का अधिकार)

2. प्रजा अधीन–उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/ प्रजा अधीन-हाई कोर्ट प्रधान जज (भ्रष्ट हाई-कोर्ट के प्रधान जज को बदलने का आम लोगों का अधिकार)
3. प्रजा अधीन–निचली अदालत के मुख्य न्यायाधीश/प्रजा अधीन-निचली कोर्ट प्रधान जज (भ्रष्ट निचली अदालत के प्रधान जज को बदलने का आम लोगों का अधिकार)
4. **साक्षात्कार समाप्त करना** – सभी निचली अदालतों के जजों/न्यायाधीशों की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के द्वारा
5. सभी छोटे/कनिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/हाई-कोर्ट के जजों की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के द्वारा (कोई साक्षात्कार नहीं)
6. सभी छोटे/कनिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जजों/न्यायाधीशों की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के द्वारा (कोई साक्षात्कार नहीं)
7. सजा के निर्णय/फैसले करने के लिए निचली अदालतों में जूरी व्यवस्था
8. अपीलों के लिए उच्च न्यायालय/हाई-कोर्ट में जूरी व्यवस्था
9. अपीलों के लिए उच्चतम न्यायालय में जूरी व्यवस्था
10. राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली(व्यवस्था) (न्यायालयों में अभिलेखों/रिकार्ड में सुधार लाने के लिए)
11. केवल पुलिस व न्यायालय को धन उपलब्ध कराने के लिए 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से अधिक की गैर-कृषि भूमि/जमीन पर बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत सम्पत्ति-कर लागू करना
12. 100,000 और निचली अदालत की स्थापना/निर्माण
13. राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या उसपर अर्थदण्ड/जुर्माना लगाने के लिए जूरी प्रणाली(सिस्टम) लागू करना
14. केन्द्र सरकार के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या उसपर अर्थदण्ड/जुर्माना लगाने के लिए जूरी प्रणाली (सिस्टम) लागू करना
15. मुख्य राष्ट्रीय दण्डाधिकारी/प्रोजिक्यूटर को बदलने का नागरिकों को अधिकार प्रदान करना
16. मुख्य राज्य दण्डाधिकारी/प्रोजिक्यूटर को बदलने का नागरिकों को अधिकार प्रदान करना
17. मुख्य जिला दण्डाधिकारी/प्रोजिक्यूटर को बदलने का नागरिकों को अधिकार प्रदान करना
18. कनिष्ठ/जूनियर जिला दण्डाधिकारी की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के द्वारा (कोई साक्षात्कार नहीं)
19. कनिष्ठ/जूनियर राज्य दण्डाधिकारी(प्रोजिक्यूटर) की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के द्वारा (कोई साक्षात्कार नहीं)
20. राष्ट्रीय दण्डाधिकारी/नेशनल प्रोजिक्यूटर की भर्ती केवल वरियता आधार पर (कोई साक्षात्कार नहीं)
21. कक्षा VI से कानून की पढ़ाई
22. सभी वयस्कों को कानून की शिक्षा मुफ्त में देना
23. सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके निकट संबंधियों, उनके ट्रस्टों/न्यासों, कम्पनियों की संपत्ति की घोषणा करना
24. सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके निकट संबंधियों की निवासी होने की स्थिति और नागरिकता की स्थिति का खुलासा करना

25. अदालतों के सभी अभिलेख/रिकार्ड यथा-संभव, इंटरनेट पर रखे जाएंगे
26. सामान्य पत्राचार और नोटिसों के साथ-साथ सभी पक्षों/पार्टियों को उनके मुकद्दमें की स्थिति के बारे में जानकारी/सूचना सभी भाषाओं में ई-मेल व एस. एम. एस. के जरिए देना
27. हर सुनवाई के समय क्रमरहित/रैन्डम तरीके से चुने गए 20 नागरिकों को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा (नागरिक-समाज में न्यायालयों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए)

दूसरे शब्दों में, हमलोगों ने अपने न्यायालयों में सुधार लाने के लिए और “नागरिकों द्वारा की गई व्याख्या/अर्थ के मुताबिक कानून और संविधान के लिए” प्रशासन में लगभग 30-35 परिवर्तन/बदलाव का प्रस्ताव किया है।

(21.4) सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज को बदलने का अधिकार नागरिकों को देना

इस प्रक्रिया की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ।

(21.5) 1,00,000 (एक लाख) और न्यायालयों / कोर्ट की स्थापना करना

मैं नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) के सदस्य के रूप में यह मांग और वायदा करता हूँ कि जिन व्यक्तियों के पास 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से अधिक रिहायशी व व्यावसायिक जमीन हैं, उनपर जमीन के बाजार मूल्य/वैल्यू के लगभग 0.25 प्रतिशत का “कोर्ट के लिए सम्पत्ति कर” लगाया जाएगा और इसका उपयोग केवल और केवल न्यायालयों/कोर्ट के लिए ही किया जाएगा। इसके अलावा, जून,2007 से जून, 2008 के बीच धन/मुद्रा आपूर्ति में लगभग 700,000 करोड़ की वृद्धि हुई थी जो जून, 2007 में ***एम – 3(कुल* मुद्रा/धन संख्या = देश में प्रचालन में सभी नोट,जमा धन-राशि और सभी सिक्कों का कुल जोड़)** का 22 प्रतिशत था। हमलोग इस वार्षिक बढ़ोत्तरी को 70,000 करोड़ (अर्थात वर्तमान राशि के 10 प्रतिशत) पर सीमित रखने की मांग और वायदा करते हैं। और इस नए सृजित धन का उपयोग केवल सेना, पुलिस और न्यायालयों के लिए किया जाएगा। इस “न्यायालय के लिए सम्पत्ति कर” और नए ***एम – 3(कुल मुद्रा/धन संख्या)*** का उपयोग करके सरकार एक वर्ष के भीतर 1,00,000(एक लाख) और न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी। इन नए स्थापित/बनाये हुए 1,00,000 न्यायालयों और उन सरकारी आदेशों जो सिविल और आपराधिक कानूनों में परिवर्तन लाएं, का उपयोग करके वर्तमान में लंबित 3 करोड़ मुकद्दमों को अगले 3 से 6 वर्षों के भीतर आसानी से सुलझाया जा सकता है।

(21.6) निचली अदालतों , हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट में निष्ठा / ईमानदारी की कमी की समस्या

अदालतों की संख्या बढ़ने से करवाई में तेजी आएगी, लेकिन निम्नलिखित समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अदालतों में संरचनात्मक परिवर्तनों की जरूरत है :-

1 भाई-भतीजावाद - वकील और *आसिल(वकील के ग्राहक/मुवक्किल)* जो न्यायाधीशों के रिश्तेदार होते हैं, वे एक के बाद एक मुकद्दमें जीतते जाते हैं।

2 जज-वकील साँठ-गाँठ/मिली-भगत/मेल-जोल/सम्बन्ध

3 जज-अपराधी साँठ-गाँठ/मिली-भगत

4 जजों/न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार

5 जजों/न्यायाधीशों की नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद

अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के जजों ने संविधान को हड़प लिया है कि नहीं

1. सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कार्यपालिका और विधायिका/`क़ानून बनाने वाली सभा` की सत्ता "जन हित(याचिका)" की आड़ में हड़प/ छीन ली है |
2. संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति(पड़ें- मंत्रिमंडल) सुप्रीम कोर्ट/हाई-कोर्ट के जजों की नियुति करेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश/जज की परामर्श/सलाह से और ये परामर्श/सलाह बाध्य नहीं माना गया था | लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इसे बाध्य बना दिया 1992 के एक फैसले से (न्यायपालिका की स्वतंत्र के बहाने),इस प्रकार संविधान का अतिक्रमण/तोड़ा और जजों कि नियुक्ति की सत्ता हड़प ली|
3. सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के जज अदलात और वकील-समूह को अपने रिश्तेदार और रिश्तेदारों के मित्रों से भर रही है | ये भाई-भातिजेवाद व्यव्यहार जग-जाहिर है |
4. जजों के रिश्तेदार वकीलों को अनुकूल निर्णय/फैसला मिलता है,इस आरोप से भारत के अधिक्तार लोग सहमत हैं | ये उन विकीलों के लिए अवसर कम कर देता है जो जजों के रिश्तेदार नहीं हैं|
5. **न्यायपालिका / कोर्ट को** , `ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल` के एक सर्वेक्षण में, भारत **के लोगों ने दूसरा सबसे भ्रष्ट स्थान दिया है पुलिस के बाद** | ये सर्वेक्षण भारत के 25,000 नागरिकों से अधिक में किया गया था |
6. सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के जजों ने जजों में भ्रष्टाचार के समाचार को दबा दिया है `न्यायालय की मानहानि `क़ानून का इस्तेमाल/प्रयोग कर के | `न्यायलय की मानहानी ` क़ानून का दुरुपयोग भाषण अधिकारों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और ये भी संविधान को हड़पने का मामला है |
7. एक उदहारण के लिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ,खरे ने एक सज़ा पाए हुए बच्चो के यौन शोषण (पीडोफाइल) को जमानत दे दी जो भारतीय दण्ड सहित (आई.पी.सी) और संविधान का उलंघन करती है | ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो सजायाफ्ता मुजरिम पैसे वाला था |

और जजों के साथ ,प्रधानमन्त्री और मुख्यमंत्री भी रिश्वत इकठ्ठा करने वाले हैं | क्या ये रिश्वत जमा करना संवैधानिक है ?

(21.7) जूरी प्रणाली (सिस्टम) के बारे में

हम ऊपर लिखे गए पांच में से चार समस्याओं के लिए जूरी प्रणाली और पांचवीं समस्या के समाधान/हल के लिए लिखित परीक्षाओं द्वारा नियुक्तियों का प्रस्ताव करते हैं। दुख की बात है कि भारत में अधिकांश मतदाता और शिक्षित लोग भी जूरी प्रणाली/सिस्टम की संकल्पना/कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसा इसलिए है कि भारत के बुद्धिजीवी लोग जूरी प्रणाली (सिस्टम) के इतने घोर विरोधी हैं कि इन्होंने कभी भी जूरी प्रणाली(सिस्टम) के बारे में छात्रों और आम कार्यकर्ताओं को जानकारी ही नहीं दी।

21.7.1 <u>जज प्रणाली(सिस्टम) और जूरी प्रणाली(सिस्टम) क्या हैं?</u>

भारत में 110 करोड़ नागरिक हैं। यहां की अदालतों में हर वर्ष कम से कम 20 लाख से 50 लाख के बीच विवाद या आपराधिक मुकद्दमें दायर किए जाते हैं। यदि ये सभी विवाद भारत के नागरिकों द्वारा कम ही समय में नहीं सुलझाए गए और यदि अपराधियों को दण्ड/सजा नहीं मिली तो अपराधी और भी ज्यादा अपराध करेंगे | और तो और नागरिकगण सिविल मुकद्दमों में व्यक्तिगत हिंसा का सहारा लेने लगेंगे और इस तरह अराजकता की स्थिति आ जाएगी। और निरंतर अन्याय (को बढ़ावा देने) से नागरिकों के राष्ट्र के प्रति तथा दूसरे नागरिकों के प्रति भावनात्मक लगाव में कमी आएगी। ऐसी अराजकता से राष्ट्र कमजोर होगा और इसका परिणाम फिर से गुलामी के रूप में होगा। इसलिए, स्थायित्व के हिसाब/दृष्टि से यह नागरिक-समाज के लिए जरूरी हो जाता है कि वे इन विवादों और आपराधिक मुकद्दमों में फैसले दें और उन फैसलों को लागू करवाने के लिए बल का प्रयोग करें। नागरिकों के लिए यह संभव नहीं है कि वे इन सभी 20 लाख मुकद्दमों में से हर मुकद्दमें में व्यक्तिगत रूप से रूचि ले सके। एक नागरिक ज्यादा से ज्यादा प्रतिवर्ष 2 से 5 विवादों में रूचि ले सकता है। इसलिए नागरिक-समाज के पास इसके अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है कि वे हर विवाद के लिए कुछ अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त करें और अधिकांश मुकद्दमों में उनके निर्णयों/फैसलों को अंतिम मानें और कुछ मुकद्दमों में (अपील द्वारा) संशोधन करें। इसलिए किसी राष्ट्र द्वारा चलाई जाने वाली प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रक्रियाओं में से एक है – किसी विशेष विवाद पर फैसला देने के लिए व्यक्तियों का चयन। किस प्रकार व्यक्तियों का चयन किया जाता है, इसके आधार पर दो बड़ी प्रणालियां(सिस्टम) हैं –

1. <u>जूरी प्रणाली(सिस्टम)</u> – किसी विवाद को देखते हुए उसी जिले, राज्य अथवा राष्ट्र के सभी वयस्क नागरिकों की मतदाता सूची में से क्रमरहित/रैंडम तरीके से 10, 12 अथवा 15 नागरिकों का चयन किया जाता है जिन्हें जूरी/निर्णायक मण्डल का सदस्य कहा जाता है। ये जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य दलीलें सुनते हैं, साक्ष्यों का परीक्षण करते हैं और फैसले देते हैं । उदाहरण के लिए, भारत में वर्ष 1956 से पहले क्रमरहित/रैंडम तरीके से चुने गए 12 नागरिकों द्वारा कई मुकद्दमें सुलझाए गए थे।
2. <u>जज प्रणाली(सिस्टम)</u> – सरकार राष्ट्र की हर एक करोड़ जनता पर 200-2000 व्यक्तियों को जज बहाल/नियुक्त करती है जिनका कार्यकाल 20-35 वर्ष होता है। और ये निश्चित,कुछ सीमित संख्या में नियुक्त किए गए व्यक्ति(जज) ही विवादों को निपटाते हैं। उदाहरण – भारत में लगभग 13,000 जजों/न्यायाधीशों और लगभग 5000 ट्रायब्यूनल्स/न्यायाधिकरणों(किसी

विशिष्ठ उद्वेश्य अथवा कार्य के लिए नियुक्त किया हुआ कोई न्यायालय/कोर्ट) द्वारा मुकद्दमें निपटाए जाते हैं।

अन्य प्रणालियों में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है अर्थात क्रमरहित/रैंडमली चुने गए नागरिकों के साथ-साथ नियुक्त व्यक्ति, मुख्य रूप से जूरी प्रणाली(सिस्टम) और जज प्रणाली(सिस्टम) का मिला-जुला रूप है। जूरी का आकार, शैक्षणिक योग्यता,(जूरी के सदस्यों की) छंटाई के नियम आदि अन्य कई बातें/कारक हैं जो एक जूरी प्रणाली(सिस्टम) को दूसरे जूरी प्रणाली(सिस्टम) से भिन्न/अलग बनाते हैं। लेकिन जूरी प्रणाली(सिस्टम) और जज प्रणाली(सिस्टम) के बीच मूलभूत/आधारभूत अन्तर इस प्रकार हैं –

जज प्रणाली(सिस्टम)	**जूरी प्रणाली(सिस्टम)**
भारत में व्यक्तियों का एक छोटा समूह। मान लीजिए, 20,000 से 100,000 व्यक्ति भारत में सभी 20-25 लाख मुकद्दमों का फैसला/निर्णय करते हैं।	जूरी प्रणाली(सिस्टम) में, प्रत्येक मुकद्दमा 12-15 अलग-अलग उन जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के पास जाता है जो जिले, राज्य और राष्ट्र से चुने गए होते हैं। 20-25 लाख मुकद्दमें 3 करोड़ नागरिकों द्वारा सुलझाए जाते हैं।
अनेक मुकद्दमें एक ही व्यक्ति-समूह के पास चले जाते हैं। एक जज अपने पूरे सेवाकाल/कैरियर के दौरान लगभग 500 से 200,000 मामलों की सुनवाई करता है |	प्रत्येक मुकद्दमें के साथ जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य बदल जाते हैं। एक नागरिक कम से कम 5 वर्षों के लिए फिर से जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य नहीं बन सकता है।
यदि किसी जिले में हर वर्ष 5000 मुकद्दमें/मामले आते हैं और मान लीजिए, 5 वर्षों में 25,000 मुकद्दमें आते हैं तो जज प्रणाली(सिस्टम) में लगभग 20-25 जजों/न्यायाधीशों द्वारा उन्हें निपटाया जाता है।	जूरी प्रणाली(सिस्टम) में, इन्हें 300,000 से 400,000 भिन्न-भिन्न नागरिकों द्वारा सुलझाया जाएगा।

उपरी तौर पर, यह मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं भी लग सकता है – *इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे मुकद्दमों का फैसला क्रमरहित ढ़ंग से चुने गए नागरिकों द्वारा किया जाए अथवा तयशुदा/निर्धारित* जजों/न्यायाधीशों *द्वारा?* लेकिन यह बहुत ही छोटा दिखने वाला अन्तर राष्ट्र को सुदृढ़/मजबुत बनाने या कमजोर करने में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में वर्ष 2006-2007 में कुल आपराधिक जूरी सुनवाइयों की संख्या लगभग 6000 थी। इसलिए फैसले लगभग 6000 × 12 = 72,000 अलग-अलग नागरिकों द्वारा दिए गए थे। जज प्रणाली(सिस्टम) में केवल कुछ सौ जजों/न्यायाधीशों ने ये निर्णय दिए होते। यदि 25 वर्षों की अवधि का हिसाब लगाया जाए तो इसका अर्थ होगा – 6000 × 25= 150,000 जूरी सुनवाइयां जिनमें मुकद्दमों की सुनवाई 15,000 × 12 1800,000 नागरिकों द्वारा किया जाएगा जबकि जज प्रणाली(सिस्टम) में ये सुनवाइयां कुछ सौ या 1000-1500 जजों/न्यायाधीशों द्वारा की जाएंगी। संख्याओं में 1800-2000 गुणा की बड़ी बढ़ोत्तरी जूरी प्रणाली(सिस्टम) में साँठ-गाँठ/मिली-भगत , भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के अवसर बहुत ही कम कर देता है। जूरी-वकील साँठ-गाँठ/मिली-भगत की संभावना जज-वकील साँठ-गाँठ/मिली-

भगत की तुलना में बहुत ही कम होती है क्योंकि जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है।

21.7.2 <u>जज प्रणाली(सिस्टम) में भाई-भतीजावाद अथवा परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद तेज़ी से कैसे बढ़ जाते हैं?</u>

जज प्रणाली(सिस्टम) में भाई-भतीजावाद समाप्त करने के लिए, किसी जज के रिश्तेदार को उस जज के कोर्ट में प्रैक्टिस/वकालत सम्बन्धी अभ्यास करने पर प्रतिबंध है। अब प्रमुख बुद्धिजीवी लोग जोर देते हैं कि हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस प्रतिबंध से हमारे न्यायालयों/कोर्ट में भाई-भतीजावाद की संभावना ही समाप्त हो जाती है। देखिए, इस प्रतिबंध से कोई अंतर नहीं पड़ता। आज तक जितने भी प्रख्यात/प्रमुख बुद्धिजीवियों से मैं मिला हूँ, वे सभी न्यायालयों/कोर्ट में परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद की समस्या पर चर्चा/वाद-विवाद करने तक के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं। और आज तक जूरी प्रणाली(सिस्टम) ही न्यायालयों में परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद का एकमात्र ज्ञात हल/समाधान है। यह परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद इतना बढ़ चुका है कि अपराधी और उद्योगपति केवल एकाध रिश्तेदार वकील (अपने लिए) रखते हैं और सभी पक्षपातपूर्ण फैसले अपने हक/पक्ष में लेते रहते हैं और आम आदमी तो न्यायालयों/कोर्ट में पिसता/प्रताड़ित ही होता रहता है। परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद ही वह महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों *सेज/एस ई जेड* जैसे अधिनियम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में रद्द नहीं किए जा सके।

जूरी प्रणाली(सिस्टम) में भाई-भतीजावाद और परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद (संरचनात्मक रूप से) असंभव है। यह लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती किए जाने के समान है जिसमें भाई-भतीजावाद से ज्यादा अंतर/फर्क नहीं पड़ता।

जज प्रणाली(सिस्टम)	**जूरी प्रणाली(सिस्टम)**
एक जज का कार्यकाल 3-4 वर्षों का होता है। यह जजों/न्यायाधीशों और संगठित/व्यवस्थित अपराधियों के लिए सौदा करने के उद्देश्य से जजों/न्यायाधीशों के संबंधियों से संपर्क कायम करने के लिए लम्बा समय है।	जूरी प्रणाली(सिस्टम) में 12 जूरी(निर्णायक मण्डल) के सदस्य को 5 लाख से लेकर 100 करोड़ तक की जनसंख्या में से चुना जाता है। इसलिए, इन जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के पास केवल 1 ही मुकद्दमा होता है। इसलिए 99 प्रतिशत मुकद्दमें केवल 5 से 15 दिनों में ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पहले तो ऐसा होने की संभावना न के बराबर है कि कोई वकील इस दुनिया में मौजूद हो जो इन 12 जूरी/निर्णायक मण्डल केसदस्यों का रिश्तेदार हो अथवा इनमें से 6 अथवा यहां तक कि इनमें से किन्हीं दो का भी रिश्तेदार निकले। और उन्हें 15 दिनों के भीतर ही खोज निकालना इस कार्य को और अधिक कठिन बना देता है।
भारत में औसतन हर जिले में 5000 मुकद्दमें	यदि इन 5000 मुकद्दमों को 5000 बैचों/समूह

आते हैं और उन्हें उस जिले के 50-100 जजों/न्यायाधीशों के पास भेजा जाता है। इसलिए, वकील लोग व्यक्तिगत रिश्तों का उपयोग करके इतने कम जजों/न्यायाधीशों से साँठ-गाँठ/मिली-भगत बनाने में आसानी से सफल हो जाते हैं।	जिनमें से हर बैच/समूह में 12 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य हों, द्वारा सुलझाया जाए तो 10 से भी कम बैचों/समूहों में ही साझे रिश्तेदार वकीलों वाले 2 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य होंगे।
कई न्यायालय परिसरों में 2 या 2 से अधिक जज गठबंधन/कारटेल बना लेते हैं। जज `**क**`, जज `**ख**` के रिश्तेदार वकीलों का पक्ष लेता है और जज `**ख**`, जज `**क**` के रिश्तेदार वकीलों का पक्ष लेता है। इसे ही हम परस्पर(आपसी) भाई – भतीजावाद कह सकते हैं।	एक मात्र तरीका जिससे परस्पर(आपसी) भाई–भतीजावाद, जूरी-सिस्टम काम कर सकता है, वह है- जूरी `**क**` के 12 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य और जूरी `**ख**` के 12 अन्य जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य साँठ-गाँठ/मिली-भगत बना लेते हैं। जूरी `**क**` जूरी `**ख**` के रिश्तेदार वकीलों का पक्ष लेता है और जूरी `**ख**` उन वकीलों का पक्ष लेगा जिनके रिश्तेदार जूरी `**क**` में हैं। वकीलों के ऐसे जोड़े और जूरी-सदस्यों के जोड़े ढूंढ़ना और 5 से 15 दिनों के भीतर सौदा कर पाना गणित के हिसाब से असंभव है।

दूसरे शब्दों में , जहां जज प्रणाली(सिस्टम) में भाई-भतीजावाद और परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद से भरा पड़ा है, वहीं जूरी प्रणाली(सिस्टम) भाई-भतीजावाद और परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद से अछुता/मुक्त है।

21.7.3 <u>कैसे परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद के कारण जज प्रणाली(सिस्टम) में पेशेवर / कैरियर-अपराध बढ़ते हैं?</u>

एक विशिष्ठ प्रकार के अपराध पर विचार कीजिए। एक सड़क छाप अपराधी (आम तौर पर जिसे भाई या दादा कहा जाता है) या कोई भी पेशेवर-अपराधी जो खुलेआम और निडर होकर छोटे दुकानदारों से उन्हें सुरक्षित छोड़ देने के बदले हर महीने पैसा वसूली करता है। अमेरिका/यूरोप में भी अधिक अपराध वाले स्थान मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी कोई व्यक्ति दूकानदारों से खुलेआम पैसा वसूलते नहीं दिखता। भारत में पेशेवर-अपराधी के बेतहाशा होने का और पश्चिमी देशों में ऐसा बहुत कम दिखने का कारण है कि भारत में जज प्रणाली(सिस्टम) अपनाई जाती है जबकि पश्चिमी देशों में जूरी प्रणाली(सिस्टम) अपनाई जाती है। जज प्रणाली(सिस्टम) भारत के न्यायालयों/कोर्ट को साँठ-गाँठ/मिली-भगत वाला बना देता है जबकि पश्चिमी अदालतों में जूरी प्रणाली(सिस्टम) ने साँठ-गाँठ/मिली-भगत की स्थिति को बहुत ही कम कर दिया है।

आइए देखें कि कैसे जूरी प्रणाली(सिस्टम) पश्चिमी देशों के न्यायालयों में साँठ-गाँठ/मिली-भगत-वाद को कम करता है। 50-100 अपराधियों वाले एक अपराधी गुट/गैंग के एक मध्यम-स्तरीय कैरियर-अपराधी पर विचार कीजिए। वह 5-10 क्षेत्रों में अपराध-कार्य चला रहा है। अब

अपने अपराध को जारी रखने के लिए उसे और उसके गैंग के सदस्यों को, अनेक विधायकों, सांसदों, पुलिस अधिकारियों, अन्य अधिकारियों, सरकारी वकीलों और जजों/न्यायाधीशों आदि को मासिक घूस देने की जरूरत पड़ती है और उसे वकीलों, भाड़े के गुंडे आदि को समय-समय पर भाड़े पर लेने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। इन सभी कार्यों के लिए उन्हें हर महीने लाखों रूपए की *बंधी-बंधायी* लागत आती है। अब ऐसे कैरियर-अपराधियों को हमेशा ऐसे 5-10 शिकार *नहीं* मिल सकते जिससे उसकी सभी लागतों की भरपाई हो सके और हर महीने उसे लाभ मिल सके। इसलिए लगभग हमेशा ही पेशेवर-अपराधियों के गैंग को हर महीने सैकड़ों शिकार पर सताना पड़ता है। संक्षेप में, एक कैरियर-अपराधी और उसके गैंग के सदस्यों को हर महीने सैकड़ों अपराध करने पड़ते है। इतने अधिक अपराधों में से लगभग 20-30 अपराध के शिकार लोग न्यायालयों में शिकायत दर्ज कराने तक ही सीमित रहते हैं। इससे लगभग 300-400 न्यायिक मुकद्दमें हर साल बन जाते हैं । अब यहीं पर कैरियर-अपराधियों से निबटने में जज प्रणाली(सिस्टम) और जूरी प्रणाली(सिस्टम) का अन्तर सामने आता है।

जज प्रणाली(सिस्टम) में कैरियर-अपराधी	**जूरी प्रणाली(सिस्टम) में कैरियर-अपराधी**
जज प्रणाली(सिस्टम) में, मान लीजिए, किसी गैंग मालिक के खिलाफ 4-5 वर्षों में लगभग 1000 मुकद्दमें दर्ज हुए। ये सभी मुकद्दमें केवल 5-10 जजों/न्यायाधीशों के ही पास जाऐंगे।	जूरी प्रणाली(सिस्टम) में हर मुकद्दमा 12-15 अलग-अलग जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के पास जाता है जो जिला, राज्य और राष्ट्र से क्रमरहित/रैंडम तरीके से चुने गए होते हैं। इस प्रकार, ये 1000 मुकद्दमें, 12000 से 15,000 जिले/राज्य अथवा राष्ट्र में जाऐंगे।
इस प्रकार गवाहों को हतोत्साहित करने अथवा तत्काल छूटकारे के लिए मुकद्दमें में विलम्ब/देरी करने के उद्देश्य से गैंग नेता को केवल 5-10 जजों/न्यायाधीशों से साँठ-गाँठ/मिली-भगत बनाना पड़ता है।	जूरी प्रणाली(सिस्टम) में लम्बा विलम्ब शायद ही कभी होता है और हरेक जूरी को केवल एक ही मुकद्दमा दिया जाता है। 11 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक उसके पास इस एकमात्र मुकद्दमें की सुनवाई होती है और अधिकांश अगली तारीख अगले दिन की ही होती है। और इसमें गैंग मालिक को 12,000 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के साथ साँठ-गाँठ/मिली-भगत बनाना पड़ेगा। इसलिए, 5 वर्षों में 1000 मुकद्दमों में रिहाई प्राप्त करने के लिए गैंग नेता को 12,000 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के साथ साँठ-गाँठ/मिली-भगत कायम करने की जरूरत पड़ेगी।
यदि गैंग मालिक 5-10 जजों/न्यायाधीशों के साथ साँठ-गाँठ/मिली-भगत कायम करने में किसी तरह कामयाब हो जाता है तो वह 99 प्रतिशत मुकद्दमों में रिहाई/विलम्ब कराने में सफल हो सकता है।	इसलिए, पांच वर्षों में 1000 मुकद्दमों में रिहाई के लिए गैंग मालिक को 12000 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के साथ साँठ-गाँठ/मिली-भगत कायम करने की जरूरत पड़ेगी।

इस प्रकार, जूरी प्रणाली(सिस्टम) में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत मुकद्दमों में भी रिहाई करवा पाना असंभव ही है। दूसरे शब्दों में, भारत के न्यायालयों/कोर्ट में बड़ी संख्या में मुकद्दमें कुछ ही लोगों (अर्थात जजों/न्यायाधीशों) द्वारा सुलझाए जाते हैं, इसलिए पेशेवर-अपराधियों के साँठ-गाँठ/मिली-भगत बन जाया करते हैं और वे आजादी से आपराधिक काम करते रहते हैं। जबकि पश्चिमी देश बहुत अधिक लोगों का उपयोग मुकद्दमों को सुलझाने में करते हैं जिससे काफी अधिक संख्या में मुकद्दमों में साँठ-गाँठ/मिली-भगत कायम करना असंभव होने की हद तक कठिन हो जाता है। इसलिए, पश्चिमी देशों में पेशेवर-अपराध जैसे जबरन वसूली समाप्त हो गए हैं।

21.7.4 जज प्रणाली(सिस्टम) में जज-वकील साँठ-गाँठ / मिली-भगत

इससे पहले का वर्णन जज-अपराधी साँठ-गाँठ/मिली-भगत के बारे में था। भारत में न्यायालय जज-वकील गठबंधनों से भरे पड़े हैं। जजों/न्यायाधीशों और संबंधी वकीलों के बीच का साँठ-गाँठ/मिली-भगत अब अपवाद के स्थान पर कानून ही बन गया है। लेकिन इससे हटकर भी कई जजों/न्यायाधीशों के साँठ-गाँठ/मिली-भगत वैसे वकीलों से भी रहते हैं जो उनके रिश्तेदार नहीं होते। यह जज-वकील साँठ-गाँठ/मिली-भगत कैसे पनपता है? पश्चिमी देशों के न्यायालयों में किसी ने भी कभी जज-वकील साँठ-गाँठ/मिली-भगत नहीं देखा है। इसके कारण संरचनात्मक ढ़ांचा है न कि संस्कृति।

जज-वकील साँठ-गाँठ/मिली-भगत	**कोई जूरी-वकील साँठ-गाँठ/मिली-भगत नहीं**
मान लीजिए, 5 वरिष्ठ वकीलों के साथ 20 कनिष्ठ/जूनियर/छोटे वकील हैं जो उनके लिए काम करते हैं। मान लीजिए, ये लोग साथ मिलकर किसी जिले में लगभग 1000 मुकद्दमें 4 वर्षों की अवधि में लेते हैं।	मान लीजिए, 5 वरिष्ठ वकीलों के साथ 20 कनिष्ठ/जूनियर/छोटे वकील हैं जो उनके लिए काम करते हैं। मान लीजिए, ये लोग साथ मिलकर किसी जिले में लगभग 1000 मुकद्दमें 4 वर्षों की अवधि में लेते हैं।
इनमें से अधिकांश मुकद्दमों के लिए उस जिले में लगभग 20 न्यायाधीश तैनात किए जाते हैं।	ये मुकद्दमें एक वर्ष में 12000 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के पास जाते हैं।
3-6 महीनों के भीतर, ये 5 वकील इन 10-20 न्यायाधिशों से साँठ-गाँठ/मिली-भगत बना लेते हैं।	इनमें से 2 प्रतिशत के साथ भी ऐसे साँठ-गाँठ/मिली-भगत बनाने का समय नहीं होगा।

जब किसी मुकद्दमें की सुनवाई के दौरान, कोई वकील किसी न्यायाधीश/जज के साथ साँठ-गाँठ/मिली-भगत बना लेता है तो उस न्यायाधीश/जज का साथ उस वकील के लिए उन सभी मुकद्दमों के मामले में निश्चित ही उपयोगी साबित होगा जो मुकद्दमें उस न्यायाधीश/जज के सामने आएंगे। जबकि यदि कोई वकील किसी मुकद्दमें की सुनवाईयों के दौरान 12 जूरियों में से 7-8 के साथ भी किसी प्रकार साँठ-गाँठ/मिली-भगत कायम कर लेता है तो इन जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के साथ उसके ये साँठ-गाँठ/मिली-भगत उस वकील के अन्य सभी मुकद्दमों में बिलकुल भी काम नहीं आएंगे क्योंकि हरेक सुनवाई के बाद जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य बदल जाया करेंगे।

21.7.5 जजों की नियुक्ति-वर्त्तमान और 1992 से पूर्व

1992 से पहले प्रधानमंत्री(राष्ट्रपति द्वारा) के पास जजों की नियुक्ति में पर्याप्त अधिकार थे| और प्रधानमन्त्री सांसदों द्वारा ब्लैकमेल द्वारा उनके भी अधिकार/राय थी | लेकिन 1990 में पहली बार दलित/अन्य पिछड़ी जातियों के सांसदों की संख्या उच्च जाती के मंत्रियों से अधिक हो गयी | लेकिन विशिश्त्वर्ग/उच्चवर्ग और जज अधिकतर उच्च जाती के थे | दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के सांसद ने प्रधानमन्त्री को मजबूर करना शुरू कर दिया कि वो दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को जज नियुक्त कर दे | जज और उच्च जाती के उच्च/विशिष्ट वर्गीय लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये फैसला सुना दिया 1992 में, न्यायालयों/कोर्ट के स्वतंत्रता का बहाना लेकर और संविधान में शब्दों का गलत अर्थ जजों द्वारा निकाला गया (राष्ट्रपति को सुप्रीम-कोर्ट के जजों कि नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज के साथ `परामर्श करना है संविधान के अनुसार| ये `परामर्श` राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं है लेकिन ये परामर्श को बाध्य लिया गया |),जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि जज ही जजों को नियुक्त करेंगे |

जजों की नियुक्ति के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के जज ही निर्णय लेते हैं |

प्रधानमन्त्री सुप्रीम कोर्ट के जजों को न माने की धमकी दे सकते हैं लेकिन क्योंकि प्रधानमन्त्री और वरिष्ट मंत्री भी उच्च जाती ,अमिर लोगों के एजेंट/प्रतिनिधि हैं, वो शायद ही उनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों से मतभेद होता है |इसीलिए जजों अपने रिश्तेदार, अपनी जाती के लोग और जानपहचान के लोगों को ही नियुक्त करते हैं और जजों की नियुक्ति परस्पर(आपसी) भाई-भातिजेवाद और पक्षपात से पूर्ण है |

इस समस्या का ये ही समाधान है कि जूरी प्रणाली(सिस्टम) (भ्रष्ट को जनसाधारण द्वारा सज़ा दिए जाने का अधिकार) निचले अदालत, हाई-कोर्ट,और सुप्रीम कोर्ट में लागू किया जाये और चुने हुए और जनसाधारण द्वारा हटाये/बदले जाने वाले जजों का चुनाव हो |

21.7.6 कैसे जूरी प्रणाली(सिस्टम) में भ्रष्टाचार कम हो जाते हैं

जज प्रणाली(सिस्टम) में अधिकांश भ्रष्टाचार संगठित/संगठन वाले अपराधियों अथवा बड़े कॉरपोरेट लोगों के जरिए होता है जिनके किसी राज्य में सैंकडों मुकद्दमें होते हैं। ये मुकद्दमें निचली अदालतों में 100-300 न्यायाधीशों के पास जाते हैं। इसलिए, बड़े-बड़े अपराधी और कॉरपोरेट लोग 15-50 ऐसे वकीलों के साथ साँठ-गाँठ/मिली-भगत बना लेते हैं जो या तो इन न्यायाधीशों के नजदीकी रिश्तेदार होते हैं या किसी अन्य प्रकार से इन न्यायाधीशों के नजदीकी होते हैं। अब, जूरी प्रणाली(सिस्टम) में ये सैंकडों मुकद्दमें हजारों जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्यों के पास जाएंगे। उदाहरण – यदि किसी गैंग मालिक और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ किसी राज्य में 100 मुकद्दमें हैं। ये मुकद्दमें 12000 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्यों के पास जाएंगे। एक राष्ट्र-स्तरीय कॉरपोरेट के खिलाफ भारत भर में एक वर्ष में 1000 मुकद्दमें होंगे और उन्हें भारत भर में एक वर्ष में 12000 जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्यों से लड़ाई लड़नी होगी। कोई भी गैंग मालिक अथवा कम्पनी इतने अधिक नागरिकों को घूस देने में सफल नहीं हो सकती। इसलिए वे ऐसा करने का प्रयास छोड़ देंगे ।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज 10-100 गुना अधिक भ्रष्ट हैं पुलिस सेवकों के बनिस्पत| केवल यातायात पुलिस वाले का भ्रष्टाचार जनसाधारण को दृश्य है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का भ्रष्टाचार दृश्य नहीं है | और ऊपर से `न्यायालय की मानहानी` द्वारा जज किसी को भी बंदी बना लेते हैं जो उनपर आरोप लगाते हैं, आरोप सही भी हों तो भी |

इसके अलावा, जज प्रणाली(सिस्टम) में एक जज को घूस देने के बाद उस जज को अपना वायदा पूरा करना पड़ता है नहीं तो उसे फिर से घूस नहीं मिलेगा। जूरी प्रणाली(सिस्टम) में जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य प्रत्येक मुकद्दमें के साथ ही बदल जाते हैं और फिर उस जूरी-मंडल का कोई सदस्य अगले कई वर्षों तक जूरी में वापस नहीं आ सकता। इसलिए घूस देने वाले के लिए यह निश्चित नहीं होता कि जूरी-मंडल का वह सदस्य अपना वायदा पूरा करेगा और अधिकांश बार, अपराधियों के खिलाफ घृणा होने के कारण, जूरी-मंडल का सदस्य घूस ले लेने के बावजूद भी किसी व्यक्ति/अपराधी को सजा दे ही देगा। घूस लेने के बाद भी उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता।

21.7.7 <u>कैसे जूरी प्रणाली(सिस्टम) में पुलिस और प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हो जाता है?</u>

अधिकांश पुलिसवाले और अधिकारी वर्षों से सेवा में होने के कारण जजों/न्यायाधीशों के संपर्क में आ जाते हैं। लगभग हर पुलिसवाला और अधिकारी यह जानता है कि किसी विशेष जज की अदालत में उसके खिलाफ कोई मुकद्दमा होने पर उस जज के किस रिश्तेदार वकील से संपर्क करना होगा। और उनके वर्षों के साँठ-गाँठ/मिली-भगत और संबंध होते हैं। वह रिश्तेदार वकील पुलिसवालों और जजों/न्यायाधीशों से मिलने वाली उपकार/फायदों के बदले उपकार/फायदा देने का व्यापार करता है। और इसलिए पुलिसवाले और अधिकारी अपने उपर किए गए मुकद्दमें से आसानी से बच निकलते हैं। फिर भी, जूरी प्रणाली(सिस्टम) में उन्हें उन जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के खिलाफ लड़ना होता है जो भ्रष्ट पुलिसवालों और अधिकारियों से नाराज रहते/होते हैं। और उनका इन हजारों जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य के साथ कोई साँठ-गाँठ/मिली-भगत भी नहीं होता। इसलिए, जूरी प्रणाली(सिस्टम) में इस बात की संभावना/अवसर अधिक होते हैं कि भ्रष्ट पुलिसवालों और अधिकारियों को सजा मिलेगी। यही कारण है कि जूरी प्रणाली(सिस्टम) में पुलिस, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे अन्य विभागों में भ्रष्टाचार कम होते हैं।

21.7.8 <u>विश्व भर के जूरी प्रणाली(सिस्टम) पर एक नजर</u>

ऐसे लगभग 17 देश हैं जहां जूरी प्रणाली(सिस्टम) का प्रयोग किया जाता है – कनाडा, अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फिनलैण्ड, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड। दो अन्य देश भी इस सूची में जोड़े गए हैं – रूस के लगभग 25 प्रतिशत जिलों में अब जूरी प्रणाली(सिस्टम) का प्रयोग किया जाने लगा है और जापान वर्ष 2009 से जूरी प्रणाली(सिस्टम) प्रारंभ कर चुका है। और लगभग 90 देशों में जज प्रणाली(सिस्टम) का प्रयोग किया जाता है। जज प्रणाली(सिस्टम) का प्रयोग करने वाले हर एक देश के न्यायालय भ्रष्ट हैं, पुलिसवाले भ्रष्ट हैं और राजव्यवस्था भी भ्रष्ट है [सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताईवान और इजराइल ऐसे 4 अपवाद वाले देश हैं जहां भ्रष्टाचार कुछ कम है(अन्य

स्थानीय कारणों के वजह से) लेकिन जूरी प्रणाली(सिस्टम) वाले 15 देशों से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है] । रूस ,चीन और जापान को भी अपने यहां की अदालतों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की समस्या के कारण जूरी प्रणाली(सिस्टम) लागू करना पड़ा था। और दक्षिण कोरिया ने भी अपैल, 2008 में ऐसा ही किया। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भी ऐसी चीज है जो शत-प्रतिशत आपसी-संबंध दर्शाती है तो वह यह है कि जूरी प्रणाली(सिस्टम) में हमेशा भ्रष्टाचार में कमी आती जाती है और जज प्रणाली(सिस्टम) में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद हमेशा ही बढ़ता रहता है।

21.7.9 <u>जूरी प्रणाली(सिस्टम) पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक नजर</u>

रोम में मजिस्ट्रेटों का चयन हुआ था और वहां अत्यधिक अपराध के कारण जूरी प्रणाली(सिस्टम) का प्रयोग शुरू हुआ जिससे पड़ोस के देशों की तुलना में वहां बहुत ही कम भाई–भतीजावाद और कम भष्टाचार वाला शासन कायम हुआ। यही कारण था कि रोम अन्य देशों की तुलना में ज्यादा मजबुत/सुदृढ़ हो गया। लेकिन रोम का पतन हो गया जिसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से (गुलामों) को वोट/मत देने का अधिकार नहीं था। इसके बाद हरेक शासन में राजा या राजा द्वारा नियुक्त किए गए लॉर्ड के द्वारा सजा सुनाई जाती थी। वर्ष 1200 में, इंग्लैण्ड पहला राष्ट्र बना जिसने इस व्यवस्था को उलट दिया – और *मैग्ना कार्टा* में यह घोषणा की कि राजा के ऐजेन्ट अब आरोप ही लगाएंगे और नागरिक (जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य) ही दोषी होने का निर्णय/फैसला करेंगे और सजा सुनाएंगे। यह एक ऐतिहासिक बदलाव था, एक ऐसा बदलाव जिससे शासकों/राजाओं और प्रजा के बीच के संबंधों में पूरी तरह से बदलाव आ गया। अब राजा/शासक के पास बन्दी बनाने अथवा यहां तक कि अर्थदण्ड/जुर्माना लगाने का भी अधिकार नहीं रह गया। इसी जूरी प्रणाली(सिस्टम) का ही यह परिणाम हुआ कि अब कारीगर/शिल्पकार और व्यापारी अपने आप को लॉर्डों के मनमाने शासन से अपना बचाव कर पाए और प्रगति होनी शुरू हो गई। केवल इसी कारण/बदलाव से इंग्लैण्ड में कारीगर/शिल्पकार सम्पन्न हो गए और उनमें से कुछ बाद में चलकर उद्योगपति बन बैठे। **इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति इसी जूरी प्रणाली(सिस्टम) के कारण ही आई -** जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य ने कारीगर/शिल्पकार, व्यापारियों और उद्योगपतियों को लॉर्डों और राजाओं के मनमाने जुर्माने से बचाया और इस प्रकार जूरी/निर्णायक मण्डल के सदस्य ने इन्हें धनवान बनने के लिए योग्य बनाया । तथाकथित पुनर्जागरण की कहीं कोई भूमिका नहीं थी। इंग्लैण्ड ने जो प्रगति/तरक्की की, यदि उसके लिए पुनर्जागरण जिम्मेवार था तो बताएं कि ऐसी प्रगति इटली ने क्यों नहीं की जहां कि पुनर्जागरण सबसे पहले आया? बुद्धिजीवियों ने यह बताने के दौरान कि यूरोप ने सारी दुनियां पर कैसे कब्जा कर लिया, जानबुझकर जूरी प्रणाली(सिस्टम) की भूमिका को दबा दिया है क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि छात्र समुदाय जूरी प्रणाली(सिस्टम) के बारे में जानें ताकि ऐसा न हो कि वे इस प्रणाली(सिस्टम) की मांग ही न करने लगें।

21.7.10 <u>जूरी प्रणाली(सिस्टम) की लागत</u>

जूरी प्रणाली(सिस्टम) थोड़ी महँगी जरुर है जुज प्रणाली(सिस्टम) के बनिस्पत लेकिन भाई-बतिजेवाद और भ्रष्टाचार में कमी के वजह से राष्ट्र को “लगत” काफी कम है जज प्रणाली(सिस्टम) के मुकाबले | इसीलिए जूरी प्रणाली(सिस्टम) महँगी दवाई है लेकिन जज प्रणाली(सिस्टम) सस्ता जहर है |

21.7.11 सारांश (छोटे में बात)

संक्षेप में, जूरी प्रणाली(सिस्टम) उन सभी 4 समस्याओं का समाधान कर देता है जिन समस्याओं से भारत की वर्तमान न्यायालय व्यवस्था जुझ रही है –

1. यह भाई-भतीजावाद की समस्या का पूरी तरह समाधान कर देता है
2. यह जज-वकील साँठ-गाँठ/मिली-भगत की समस्या का पूरी तरह समाधान कर देता है
3. यह जज- अपराधी साँठ-गाँठ/मिली-भगत की समस्या का पूरी तरह समाधान कर देता है
4. यह भ्रष्टाचार की समस्या पर सख्त पाबंदी लगा देता है

(21.8) जूरी प्रणाली (सिस्टम) और सूचना-संबंधी कारक

जूरी-विरोधी-जज-समर्थक लोगों द्वारा एक आपत्ति यह जताई जाती है कि जूरी-मंडल को कानून की जानकारी कम होती है। यह सूचना सही नहीं है – जूरी-मंडल/जूरर्स और जज दोनों को ही न्याय, सही/गलत आदि की मूलभूत सिद्धांतों/धारणा की पूरी जानकारी होती है। एक और केवल एक अंतर यह है कि जजों को (कानून की) धाराओं की संख्या और सजा-अवधि की सही-सही जानकारी ज्यादा होती है। उदाहरण – जज और जूरी-मंडल/जूरर्स दोनों ही यह जानते हैं कि हिंसा अपराध है, पैसे के लिए की गई हत्या, उत्तेजना और गुस्से के कारण हुई अनायास/आचानक हिंसा से ज्यादा घृणित/नृशंस होती है। लेकिन जूरी-मंडल/जूरर्स को शायद विशिष्ठ ब्यौरे - जैसे कि यह अपराध धारा 302 के तहत आएगा और ऐसे किसी अपराध में अधिकतम 5 साल, या 14 साल अथवा 6 महीने या ऐसी ही किसी अवधि की सजा होती है - के बारे में पता नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऐसे विशिष्ठ ब्यौरों को सीखकर/जानकर उपयोग में लाना आसान होता है।

जज-समर्थक-जूरी-विरोधी लोग अन्य बिन्दुओं – जैसे जज धीरे-धीरे वकीलों से बहुत मजबूत साँठ-गाँठ/मिली-भगत बना लेते हैं और धनवान बन जाते हैं और रिश्तेदार वकीलों के जरिए घूस भी लेते हैं – का जिक्र/उल्लेख तक नहीं करते।

(21.9) सभी राजनैतिक दलों, बुद्धिजीवियों की जूरी प्रणाली (सिस्टम) पर (राय / विचार)

हम यह चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक इस बात पर ध्यान दें कि सभी राजनैतिक दलों के वर्तमान सांसदों ने और भारत के सभी बुद्धिजीवियों ने जूरी प्रणाली(सिस्टम) का विरोध किया है और जोर दिया है कि केवल जज ही निर्णय/फैसले सुनाने का काम करेंगे और इस तरह यह सुनिश्चित किया है कि न्यायालयों में भाई-भतीजावाद जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक और *80 जी* विरोधी कार्यकर्ता ध्यान दें कि हमलोग **एकमात्र** पार्टी/दल हैं जो जजों/न्यायाधीशों के भाई-भतीजावाद पर रोक लगाने में रूचि रखते हैं। अन्य दलों के नेतगण न्यायालयों में भाई-भतीजावाद की इस समस्या का अपने चुनाव घोषणापत्रों में चर्चा/जिक्र तक करने का कष्ट उठाना नहीं चाहते।

यह समझना कठिन नहीं है कि क्यों दलों के नेता और बुद्धिजीवी लोग जज प्रणाली(सिस्टम)/व्यवस्था का समर्थन और जूरी प्रणाली(सिस्टम) का विरोध करते हैं। कई बुद्धिजीवियों के रिश्तेदार जज होते हैं और इसलिए वे सभी बुद्धिजीवी जज प्रणाली(सिस्टम) का समर्थन करते हैं। इसके अलावा , विशिष्ट/ऊंचे लोग भी केन्द्रीयकृत जज प्रणाली(सिस्टम) चाहते हैं और विकेन्द्रीकृत जूरी प्रणाली(सिस्टम) नहीं चाहते। इस समय भारत में 13000 जज हैं और वे हर वर्ष लगभग 13,00,000 मुकद्दमें सुलझाते हैं। अब मान लीजिए, विशिष्ट/ऊंचे वर्ग का कोई व्यक्ति किसी जिले अथवा राज्य में काम/व्यवसाय करता है। मान लीजिए, उसके खिलाफ हर साल 20 मुकद्दमें दर्ज होते हैं अथवा 30 वर्षो की अवधि में 600 मुकद्दमें दर्ज होते हैं। अब कानून की परवाह न करने वाले इस विशिष्ट/ऊंचे वर्ग के व्यक्ति को इन 600 मुकद्दमों से निबटने के लिए केवल 10-20 जजों को पटाना/तोड़ना होता है। यदि जूरी प्रणाली(सिस्टम) लागू होती है तो उसे 7200 जूरी सदस्यों को पटाना/तोड़ना होगा जो लगभग असंभव काम है। दूसरे शब्दों में , जूरी प्रणाली(सिस्टम)/व्यवस्था में कानून की परवाह न करने वाले विशिष्ट व्यक्ति का जीवन ज्यादा कठिन/दुखदायी हो जाएगा। *बुद्धिजीवी लोग इन विशिष्ट /उंचे लोगों के ऐजेंट होते हैं और इसीलिए वे जज प्रणाली(सिस्टम) का समर्थन करते हैं और जूरी प्रणाली(सिस्टम) का विरोध करते हैं।*

(21.10) नानावटी मामला

अंग्रेजों ने काफी पहले ही यह महसूस कर लिया था कि उनके अपने ही कलक्टर और जज हद से ज्यादा भ्रष्ट हैं और यदि उनके अधिकारों को कम नहीं किया गया तो जनता इस हद तक प्रताड़ित होगी/कुचली जाएगी कि वह विद्रोह कर देगी। यही कारण था कि 1870 के दशक में अंग्रेजों ने भारत में जूरी प्रणाली(सिस्टम)/व्यवस्था लागू की। लेकिन वर्ष 1956 में जवाहरलाल नेहरू और उच्चतम न्यायालय/सुप्रीम-कोर्ट के तत्कालीन जजों ने नानावटी मामले/मुकद्दमे को कारण बताकर जूरी प्रणाली(सिस्टम) को ही समाप्त कर दिया। यह बहुत ही बड़ी नादानी/गलती थी।

नानावटी ने आहूजा नाम के एक व्यक्ति को जान से मार दिया था। जूरी-मंडल/जूरर्स ने एक तथ्य के रूप में इसे स्वीकार किया था। नानावटी नौसेना का एक अधिकारी था। और नागरिकों में सैनिक अधिकारियों के लिए बहुत अधिक सम्मान था। यह सम्मान तब दोगुना हो गया जब नागरिकों ने देखा कि एक धनवान परिवार का यह धनी व्यक्ति उच्चवर्गीय जिन्दगी को त्यागकर सेना की कठिन जिन्दगी स्वीकार कर रहा है। और आहूजा एक माना हुआ

व्याभिचारी/परस्त्रीगामी था। और उस समय जब पिता का निर्धारण करने के लिए पितृत्व जांच (*पैटरनिटी टेस्ट)* मौजूद नही हुआ करता था तो अवैध संबंध बनाने को हत्या जैसा ही घृणित अपराध माना जाता था। जूरी-मंडल के सदस्य दुविदा/सोच में पड़े हुए थे कि यदि वे नानावटी को दोषी बता देते हैं तो जज उन्हें मृत्युदंड देंगे (और दूसरी सुनवाई में बिलकुल ऐसा ही हुआ था)। यदि जूरी-मंडल/जूरर्स के पास सजा का निर्धारण करने का अधिकार होता तो जूरी-मंडल/जूरर्स अवश्य ही कुछेक साल की कैद जैसी कोई सजा दे देते। लेकिन जूरी-मंडल/जूरर्स के पास केवल एक ही अधिकार था – उसे दोषी करार देना जिसका अभिप्राय/परिणाम था, उसकी मौत अथवा उसे निर्दोष करार देना। नानावटी का अपराध पैसे के लिए किया गया अपराध नहीं था और न ही नानावटी कोई पेशेवर अपराधी था और जूरी-मंडल के सदस्यों का यकीन था कि क्रोध/गुस्से की उत्तेजना में किए गए उसके अपराध के लिए वह मौत जितनी बड़ी सजा का हकदार नहीं था। इसलिए, जूरी-मंडल/जूरर्स ने उसकी जिन्दगी बचाने के लिए सही निर्णय लिया- “कोई सजा नहीं” का गलत फैसला, क्योंकि उन्हें उसे कुछेक साल की कैद की सजा देने का अधिकार ही नहीं था और यह उनकी बुद्धिमानी/समझ की गलती नहीं थी। यही कारण है कि उस व्यवस्था/प्रणाली(सिस्टम) जिसका मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ, उसमें जूरी-मंडल/जूरर्स सजा का भी निर्णय करते हैं ताकि जूरी को अपनी अंतरात्मा द्वारा “दोषी नहीं” का फैसला देने पर मजबूर न होना पड़े – तब, जब कोई व्यक्ति दोषी तो हो पर इतना भी दोषी न हो कि उसे सबसे बड़ी/मृत्युदण्ड की सजा मिल जाए जो जज उसे दे सकते हैं। इसलिए नानावटी मामला हमें यह दिखाता है कि जूरी-मंडल/जूरर्स ने एक बहुत ही उचित फैसला लिया और इसमें जिस बात की जरूरत है वह है- जूरी-मंडल/जूरर्स के अधिकार बढ़ाना और जजों के बदले उन्हें ही सजा का भी निर्णय करने का अधिकार देना। इसके बावजूद, नेहरू ने (अपनी सामन्तवादी मानसिकता के कारण) और जजों ने “नानावटी सुनवाई” को एक कारण बताते हुए बिना किसी वाद-विवाद के भारत में जूरी प्रणाली(सिस्टम) को रद्द कर दिया।

नेहरू ने भारत में जूरी प्रणाली(सिस्टम) को रद्द/समाप्त करने के लिए नानावटी मुकद्दमें को बहाना बनाया और सभी कांग्रेसी सांसदों और कम्युनिस्ट पार्टियों आदि ने इसका समर्थन करते हुए उनका साथ दिया। नेहरू ने यह निर्णय उन भूस्वामियों की सहायता करने के लिए लिया था जो भूमिहीनों को पीटने के लिए अपराधियों का अपयोग किया करते थे। जूरी प्रणाली(सिस्टम) के कारण, अपराधियों को जेल की सजा मिलने लगी थी और और अब भूस्वामियों के लिए अपराधियों से भूमिहीनों को पीटने के लिए कह पाना कठिन हो रहा था। इसलिए नेहरू ने भारत से जूरी प्रणाली(सिस्टम) को ही रद्द कर दिया ताकि भूस्वामी लोग भूमिहीनों को पीट सकें और भूमि सुधारों को रोक सकें।

(21.11) भारत की निचली अदालतों में जूरी प्रणाली(सिस्टम) लाने के लिए सरकारी अधिसूचना(आदेश) का प्रारूप / क़ानून-ड्राफ्ट

नागरिकों को निम्नलिखित सरकारी अध्यादेश पर प्रधानमंत्री से हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा। नागरिकों को चाहिए कि वे सबसे पहला काम यह करें कि नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.) की दूसरी मांग में वर्णित सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए

प्रधानमंत्री को बाध्य कर दें और तब उस सरकारी आदेश का प्रयोग निम्नलिखित अध्यादेश जारी करने/कराने में करें –

<u>सरकारी अध्यादेश : भारत की निचली अदालतों में जूरी प्रणाली(सिस्टम)</u>

#	निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया	प्रक्रिया/अनुदेश
सैक्शन - 1 : जूरी प्रशासक की नियुक्ति और उन्हें बदलना/हटाना		
1	मुख्यमंत्री; जिला कलेक्टर	इस कानून के पारित/पास किए जाने के 2 दिनों के भीतर, सभी मुख्यमंत्री अपने-अपने पूरे राज्य के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे और हर जिले के लिए एक जूरी प्रशासक की भी नियुक्ति करेंगे कोई भी भारत का नागरिक जो 30 साल या अधिक का हो, जिला कलेक्टर के दफ्तर में जा कर, सांसद के जितना शुल्क जमा कर के अपने को जूरी प्रशाशक के लिए प्रत्याशी दर्ज करा सकता है |
2	तलाटी, तलाटी का क्लर्क	किसी जिले में रहने वाला कोई नागरिक अपना पहचान-पत्र प्रस्तुत करके अपने जिले में जूरी प्रशासक के पद के लिए (ज्यादा से ज्यादा) पांच उम्मीदवारों के क्रमांक नंबर बताएगा जिन्हें वो अनुमोदन/स्वीकृति करता है । क्लर्क उनके अनुमोदनों को सिस्टम/कंप्यूटर में डाल देगा और उस नागरिक को पावती/रसीद दे देगा। नागरिक अपनी पसंदों को किसी भी दिन बदल सकता है। क्लर्क तीन रूपए का शुल्क लेगा।
3	मुख्यमंत्री	यदि किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक नागरिक-मतदाताओं द्वारा और सभी नागरिक-मतदाताओं के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो मुख्यमंत्री उसे दो ही दिनों के भीतर उस जिले के नए जूरी प्रशासक के रूप में नियुक्त कर देंगे। यदि किसी उम्मीदवार को सभी नागरिक-मतदाताओं के 25 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है और उसके अनुमोदनों की गिनती वर्तमान जूरी प्रशासक की गिनती से 2 प्रतिशत अधिक हो तो मुख्यमंत्री उसे दो ही दिनों के भीतर नए जूरी प्रशासक के रूप में नियुक्त कर देंगे।
4	मुख्यमंत्री	उस राज्य में सभी नागरिक-मतदाताओं के 51 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं के अनुमोदन/स्वीकृति से, मुख्यमंत्री क्लॉज/खण्ड 2 और क्लॉज/खण्ड 3 को रद्द कर सकते हैं और पांच वर्षों के लिए अपनी ओर से जूरी प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं।

5	प्रधानमंत्री	भारत के सभी नागरिक-मतदाताओं के 51 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के अनुमोदन/स्वीकृति से, प्रधानमंत्री क्लॉज/खण्ड 2, क्लॉज/खण्ड 3 और ऊपर लिखित क्लॉज/खण्ड 4 को पूरे राज्य के लिए या कुछ जिलों के लिए रद्द कर सकते हैं और पांच वर्षों के लिए अपनी ओर से जूरी प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं।
सैक्शन - 2 : महा-जूरीमंडल का निर्माण/गठन		
6	जूरी प्रशासक	मतदाता-सूची का उपयोग करके, जूरी प्रशासक किसी आम बैठक में, क्रमरहित तरीके से / रैंडमली उस जिले की मतदाता-सूची में से 40 नागरिकों का चयन महा-जूरीमंडल के सदस्य के रूप में करेगा, जिसमें से वह साक्षात्कार के बाद किन्हीं 10 नागरिकों को उस सूची से हटा देगा और शेष 30 लोग/नागरिक महा-जूरीमंडल के सदस्य होंगे। यदि जूरीमंडल की नियुक्ति मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री द्वारा क्लॉज/खण्ड 4 अथवा क्लॉज/खण्ड 5 के तहत की गई है तो वे 60 नागरिकों तक को चुन सकते हैं और उनमें से तीस तक को हटाकर महा-जूरीमंडल बना सकते हैं । (स्पष्टीकरण-ये पूर्व चयनित महा-जूरी के लिए नागरिकों की संख्या बढाने का आशय मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री, जो राज्य और राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, के अधिकार बढ़ाना है स्थानीय लोगों के बनिस्पत)
7	जूरी प्रशासक	महा-जूरीमंडल के पहले समूह(सेट) में से, जूरी प्रशासक हर 10 दिनों में महा-जूरीमंडल के किन्हीं 10 सदस्यों को सेवानिवृत्ति दे देगा/रिटायर कर देगा और क्रमरहित तरीके से/रैंडमली उस जिले की मतदाता-सूची में से 10 नागरिकों का चयन कर लेगा।
8	जूरी प्रशासक	जूरी प्रशासक किसी यांत्रिक उपकरण का प्रयोग नहीं करेगा किसी संख्या को क्रमरहित तरीके से/रैण्डमली चुनने के लिए। वह मुख्यमंत्री द्वारा विस्तार से बताए गए तरीके से प्रक्रिया का प्रयोग करेगा। यदि मुख्यमंत्री ने किसी विशिष्ठ/खास प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया तो वह निम्नलिखित तरीके से चयन करेगा। मान लीजिए, जूरी प्रशासक को 1 और चार अंकों वाली किसी संख्या `**क ख ग घ**`` के बीच की कोई संख्या चुननी है। तब जूरी प्रशासक को हर अंक के लिए चार दौर/राउन्ड में डायस/गोटी/पांसा फेंकनी होगी। किसी राउन्ड में यदि अंक, 0-5 के बीच की संख्या से चुना जाना है तो वह केवल एक ही डायस का प्रयोग करेगा और यदि अंक, 0-9 के बीच की संख्या से चुना जाना है तो वह दो डायसों का प्रयोग करेगा। चुनी गई संख्या उस संख्या से 1 कम होगी जो एक अकेले डायस के फेंके जाने पर आएगी और दो डायसों के फेंके जाने की स्थिति में यह 2 कम होगी। यदि डायसों/गोटियों के फेंके जाने से आयी संख्या उसके जरूरत की सबसे

		बड़ी संख्या से बड़ी है तो वह डायस को दोबारा/फिर से फेंकेगा--- उदाहरण – मान लीजिए, जूरी प्रशासक को किसी किताब में से एक पृष्ठ/पेज का चुनाव करना है जिस किताब में 3693 पृष्ठ हैं। वह जूरी प्रशासक चार राउन्ड चलेगा। पहले दौर/राउन्ड में वह एक ही पांसा का प्रयोग करेगा क्योंकि उसे 0-3 के बीच की एक संख्या का चयन करना है। यदि पांसा 5 या 6 दर्शाता है तो वह पांसा फिर से/ दोबारा फेंकेगा। यदि पांसा 3 दर्शाता है तो चुनी गई संख्या 3-1 = 2 होगी और वह जूरी प्रशासक दूसरे दौर में चला जाएगा। दूसरे दौर में उसे 0-6 के बीच की एक संख्या चुनने की जरूरत होगी। इसलिए वह दो पांसे फेंकेगा। यदि उनका योग 8 से अधिक हो जाता है तो वह दोबारा डायसों/पांसों को फेंकेगा। यदि योग/ जोड़ मान लीजिए, 6 आता है तो चुनी गई दूसरी संख्या 6-2 = 4 होगी। इसी प्रकार मान लीजिए, चार दौरों/राउन्ड्स में पांसा 3, 5, 10 और 2 दर्शाता है तो जूरी प्रशासक (3-1), (5-2), (10-2) और (2-1) अर्थात पृष्ठ संख्या 2381 चुनेगा। जूरी प्रशासक को चाहिए कि वह अलग-अलग नागरिकों को पांसा फेंकने के लिए दे। मान लीजिए, मतदाता-सूची में **ख** किताबें हैं, और सबसे बड़ी किताब में पृष्ठों/पेजों की संख्या `**प**` है और सभी पृष्ठों में प्रविष्ठियों की संख्या `**त**` है तो उपर उल्लिखित तरीके या मुख्यमंत्री द्वारा बताए गए तरीके का प्रयोग करके जूरी प्रशासक **1-ख**, **1-प** और **1-त** के बीच की तीन संख्याओं को क्रमरहित/रैंडम तरीके से चुनेगा। अब मान लीजिए, चुनी गई किताब में उतने अधिक पृष्ठ नहीं हैं अथवा चुने गए पृष्ठ में बहुत ही कम प्रविष्टियां हैं। तो वह **1-ख**, **1-प** और **1-त** के बीच एक संख्या फिर से चुनेगा।
9	जूरी प्रशासक	महा–जूरीमंडल प्रत्येक शनिवार या रविवार को मिला करेंगे/बैठक करेंगे। यदि महा-जूरीमंडल के 15 से ज्यादा सदस्य अनुमोदन/स्वीकृति करें तो वे अन्य दिनों में भी मिल सकते हैं। यह संख्या “15 से ज्यादा” उस स्थिति में भी होनी चाहिए जब महा-जूरीमंडल के 30 से भी कम सदस्य मौजूद हों। यदि बैठक होती है तो यह 11 बजे सुबह अवश्य शुरू हो जानी चाहिए और कम से कम 5 बजे शाम तक चलनी चाहिए। महा-जूरीमंडल के सदस्य जिस दिन बैठक में उपस्थति रहेंगे, उस दिन उन्हें 200 रूपए प्रति दिन की दर से वेतन मिलेगा। महा-जूरीमंडल का एक सदस्य एक महीने के अपने कार्यकाल में अधिकतम 2000 रूपए वेतन पा सकता है। जूरी प्रशासक महा-जूरीमंडल के किसी सदस्य के कार्यकाल/अवधि पूरी कर लेने के 2 महीने के बाद उसे चेक जारी करेगा(स्पष्टीकरण-आंकने के लिए समय देने के लिए इतना समय की जरुरत है) । यदि महा-जूरीमंडल का कोई सदस्य जिले से बाहर जाता है तो उसे वहां रहने का हर दिन 400 रूपए की दर से पैसा मिलेगा और यदि वह राज्य से बाहर जाता है तो उसे वहां ठहरने के 800 रूपए

		प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने घर और कोर्ट/न्यायालय के बीच की दूरी का 5 रूपए प्रति किलोमीटर की दर से पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मुद्रास्फीति/महंगाई की दर के अनुसार क्षतिपूर्ति की रकम में परिवर्तन कर सकते हैं। सभी रकम इस कानून में जनवरी, 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए `थोक मूल्य सूचकांक` के अनुसार हैं। और जूरी प्रशासक नवीनतम थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग करके प्रत्येक छह महीनों में धनराशि को बदल सकता है।
10	जूरी प्रशासक	यदि महा-जूरीमंडल का कोई सदस्य किसी बैठक से अनुपस्थित रहता है तो उसे उस दिन का 100 रूपया नहीं मिलेगा और उसे अपनी भुगतान की जाने वाली राशि से तिगुनी राशि की हानि भी हो सकती है। जो व्यक्ति 30 दिनों के बाद महा-जूरीमंडल के सदस्य होंगे, वे ही अर्थदण्ड/जुर्माने के संबंध में निर्णय लेंगे।
11	जूरी प्रशासक	जूरी प्रशासक बैठक 11 बजे सुबह शुरू कर देगा। जूरी प्रशासक (बैठक के) कमरे में सुबह 10.30 बजे से पहले आ जाएगा। यदि महा-जूरीमंडल का कोई सदस्य सुबह 10.30 बजे से पहले आने में असफल रहता है तो जूरी प्रशासक उसे बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा और उसकी अनुपस्थिति दर्ज कर देगा।
सैक्शन - 3 : किसी नागरिक पर आरोप तय करना		
13	जूरी प्रशासक	कोई व्यक्ति, चाहे वह निजी/आम आदमी हो चाहे जिला दण्डाधिकारी/प्रोजिक्यूटर, यदि वह किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत करना चाहता है तो वह महा-जूरीमंडल के सभी सदस्यों या कुछ सदस्यों को शिकायती पत्र लिखेगा। शिकायतकर्ता से उसे यह भी अवश्य बताना होगा कि वह क्या समाधान चाहता है। ये समाधान इस प्रकार के हो सकते हैं – • किसी सम्पत्ति पर कब्जा/स्वामित्व प्राप्त करना • आरोपी व्यक्ति से आर्थिक क्षतिपूर्ति या मुआवजा प्राप्त करना • आरोपी व्यक्ति को कुछ महीने/साल के लिए कैद की सजा दिलवाना
14	जूरी प्रशासक	यदि महा-जूरीमंडल के 15 से ज्यादा सदस्य किसी बैठक में आने के लिए बुलावा भेजते हैं तो वह नागरिक उपस्थित होगा। महा-जूरीमंडल आरोपी और शिकायतकर्ता को बुला भी सकते हैं या नहीं भी बुला सकते हैं।
15	जूरी प्रशासक	यदि महा-जूरीमंडल के 15 से ज्यादा सदस्य यह स्पष्ट कर देते हैं कि शिकायत में कुछ दम/मेरिट है तो जूरी प्रशासक शिकायत की जांच कराने के लिए एक जूरी बुलाएगा जिसमें उस जिले के 12 नागरिक होंगे। जूरी प्रशासक 12 से अधिक नागरिकों का क्रमरहित/रैंडम तरीके से चयन करेगा(खंड-8 में महा-जूरीमंडल के चुनाव के सामान ही

		जूरीमंडल का चयन होगा) और उन्हें बुलावा भेजेगा। आनेवालों में से जूरी प्रशासक क्रमरहित तरीके से 12 लोगों का चयन कर लेगा। [मान लीजिए एक जिले में सौ मामले दर्ज हुए हैं | तो कोई 3000 या अधिक लोगों को बुलावा भेजा जायेगा जब तक उनमें से 2600 लोग न आ जायें ,क्योंकि उनमें कुछ मर गए होंगे, कुछ शहर से बहार गए होंगे |ये 2600 लोग क्रमरहित तरीके से 26-26 के 100 समूहों में क्रमरहित तरीके से बांटे जाएँगे , एक मामले के लिए एक समूह | दोंनो पक्ष के वकील उन 26 लोगों में से हरेक व्यक्ति को 20 मिनट इंटरवीयू/साक्षात्कार लेगा और हर पक्ष का वकील 4 लोगों को बाहर निकाल देगा(इस तरह किसी भी पक्ष को पूर्वाग्र/पक्षपात का बहाना नहीं मिलेगा) | इस तरह 18 लोगों का जूरी-मंडल होगा जो 12 मुख्य जूरी सदस्य और 6 विकल्प जूरी सदस्य में क्रमरहित तरीके से बांटे जाएँगे |]
16	जूरी प्रशासक	जूरी प्रशासक मुख्य जिला प्रशासक से कहेगा कि वह मुकद्दमें की अध्यक्षता करने के लिए एक या एक से अधिक जजों की नियुक्ति कर दे। यदि विवादित संपत्ति का मूल्य लगभग 25 लाख से अधिक है अथवा दावा किए गए मुआवजे की राशि 1,00,000(एक लाख) रूपए से अधिक है अथवा अधिकतम कारावास का दण्ड 12 महीने से अधिक है तो जूरी प्रशासक 24 जूरी-मंडल सदस्य का चुनाव करेगा और उस मुकद्दमें के लिए मुख्य जज से 3 जजों की नियुक्ति करने का अनुरोध करेगा , नहीं तो वह मुख्य जज से 1 जजों की नियुक्ति करने का अनुरोध करेगा। विवादित समप्ती का मूल्य 50 करोड़ से अधिक होने पर 50-100 जूरी सदस्य और 5 जज होंगे | यदि मुलजिम के खिलाफ 10 से कम मामले हैं तो, जूरी-सदस्य 12, 10-25 मामले हों तो 24 जूरी सदस्य चुने जाएँगे और 25 से अधिक मामले होने पर 50-100 जी सदस्य होंगे| यदि मुलजिम श्रेणी 4 का अफसर है तो 12 जूरी सदस्य, श्रेणी 2 या 3 का होगा तो , 24 जूरी सदस्य होंगे और श्रेणी 4 या अधिक होने पर 50-100 जूरी सदस्य होंगे |इस मामले में नियुक्त किए जाने वाले जजों की संख्या के संबंध में मुख्य न्यायाधीश का फैसला ही अंतिम होगा |
सैक्शन - 4 : सुनवाई/फैसला आयोजित करना		
17	अध्यक्षता करने वाला जज	सुनवाई 11 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक चलेगी। सभी 12 जूरी-मंडल/जूरर्स और शिकायतकर्ता के आ जाने के बाद ही सुनवाई शुरू की जाएगी। यदि कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता है तो जो पक्ष उपस्थित है उसे 3 से 4 बजे शाम तक इंतजार करना होगा और तभी वे घर जा सकते हैं।यदि तीन दिन बिना कारण दिए , कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता, तो उपस्थित पक्ष अपनी दलीलें देगा और जूरी तीन दिन और इन्तेजार करेगी ,अनुपस्थित पक्ष को बुलावा देने के पश्चात| यदि फिर भी अनुपस्थित पक्ष बिना कारण दिए नहीं आती, तो जूरी अपना फैसला सुनाएगी |

18	अध्यक्षता करने वाला जज	यह जज शिकायतकर्ता को 1 घंटे बोलने की अनुमति देगा जिसके दौरान कोई अन्य बीच में नहीं बोलेगा। वह जज प्रतिवादी(वह जिसपर मुकदम्मा चलाया जा रहा है) को भी 1 घंटे बोलने की अनुमति देगा जिसके दौरान कोई अन्य व्यक्ति बोलने में बाधा/व्यावधान पैदा नहीं करेगा। इसी तरह, बारी-बारी से दोनों पक्षों को बोलने देगा मुकद्दमा हर दिन इसी प्रकार चलता रहेगा।
19	अध्यक्षता करने वाला जज	मुकद्दमा कम से कम 2 दिनों तक चलेगा। तीसरे दिन या उसके बाद यदि 7 से अधिक जूरी सदस्य यह घोषित कर देते हैं कि उन्होंने काफी सुन लिया है तो वह मुकद्दमा एक और दिन चलेगा। यदि अगले दिन 12 जूरी सदस्यों में से 7 से ज्यादा सदस्य यह घोषित कर देते हैं कि वे और दलीलें सुनना चाहेंगे तो यह मुकद्दमा तब तक चलता रहेगा जब तक 7 से ज्यादा जूरी सदस्य यह नहीं कह देते कि (अब) मुकद्दमा समाप्त किया जाना चाहिए।
20	अध्यक्षता करने वाला जज	अंतिम दिन जब दोनों पक्ष/पार्टी अपना-अपना पक्ष/दलील 1 घंटे प्रस्तुत कर देंगे तो जूरी-मंडल/जूरर्स कम से कम 2 घंटे तक विचार-विमर्श करेंगे। यदि 2 घंटे के बाद 7 से ज्यादा जूरी-मंडल/जूरर्स कहते हैं कि और विचार-विमर्श की जरूरत नहीं है तो जज (जूरी-मंडल के) प्रत्येक सदस्य से अपना-अपना फैसला बताने/घोषित करने के लिए कहेगा।
21	महा-जूरीमंडल	यदि कोई जूरी सदस्य अथवा कोई एक पक्ष उपस्थित नहीं होता है या देर से उपस्थित होता है तो महा-जूरीमंडल 3 महीने के बाद दण्ड/जुर्माने पर फैसला करेंगे जो अधिकतम 5000 रूपए अथवा अनुपस्थित व्यक्ति की सम्पत्ति का 5 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो, तक हो सकता है।
22	अध्यक्षता करने वाला जज	जुर्माने/अर्थदण्ड के मामले में, हर जूरी सदस्य दण्ड की वह राशि/रकम बताएगा जो वह उपयुक्त समझता है। और यह कानूनी सीमा/लिमिट से **कम** ही होनी चाहिए। यदि यह कानूनी सीमा/हद से ज्यादा है तो जज इसे ही कानूनी सीमा मानेगा। वह जज दण्ड की राशियों को बढ़ते क्रम में सजाएगा और चौथी सबसे छोटी दण्डराशि को चुनेगा अर्थात उस राशि को जूरी मंडल द्वारा सामूहिक रूप से लगाया गया जुर्माना/दण्ड माना जाएगा जो 12 जूरी सदस्यों में से 8 से ज्यादा सदस्यों ने(उतना या उससे अधिक) अनुमोदित किया हो | उदहारण-जैसे जूरी-मंडल द्वारा लगायी हुई दण्ड-राशि यदि बदते क्रम में 400,400,500,600,700,700,800,1000,1000,1200,1200 रुपये हैं तो चौथी सबसे छोटी दण्ड-राशि 600 है और बाकी 8 जूरी-मंडल के लोगों ने इससे अधिक दण्ड-राशि का अनुमोदन/स्वीकृति किया है |
23	अध्यक्षता करने वाला जज	कारावास की सजा के मामले में जज, जूरी-मंडल/जूरर्स द्वारा दी गई/बताई गई सजा की अवधि को बढ़ते क्रम में सजाएगा जो उस कानून में उल्लिखित सजा से कम होगा, जिस कानून को तोड़ने का वह आरोपी है। और जज चौथी सबसे छोटी सजा-अवधि को चुनेगा यानि

		कारावास की वह सजा जो 12 जूरी-मंडल/जूरर्स में से 8 से ज्यादा जूरी सदस्यों द्वारा अनुमोदित हो को `कारावास की सजा जूरी-मंडल/जूरर्स द्वारा मिलकर तय किया गया` घोषित करेगा ।
सैक्शन - 5 : निर्णय/फैसला,(फैसले का) अमल और अपील		
24	जिला पुलिस प्रमुख	जिला पुलिस प्रमुख या उसके द्वारा निर्दिष्ट/नामांकित पुलिसवाला, जुर्माना अथवा कारावास की सजा जो जज द्वारा सुनाई गई है और जूरी-मंडल/जूरर्स द्वारा दी की गई है, पर अमल करेगा/करवाएगा।
25	जिला पुलिस प्रमुख	यदि 4 या इससे अधिक जूरी सदस्य किसी कुर्की/जब्ती अथवा जुर्माने अथवा कारावास की सजा की मांग **नहीं** करते तो जज आरोपी को निर्दोष घोषित कर देगा और जिला पुलिस प्रमुख उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
26	आरोपी, शिकायतकर्ता	दोनो ही पक्षों को राज्य के उच्च न्यायालय अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों का समय होगा।
सैक्शन - 6 : नागरिकों के मौलिक / बुनियादी (मूल/प्रमुख) अधिकारों की रक्षा		
27	सभी सरकारी कर्मचारी	निचली अदालतों के 12 जूरी सदस्यों में से 8 से अधिक की सहमति के बिना किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा तब तक कोई अर्थदण्ड अथवा कारावास की सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि हाई-कोर्ट अथवा सुप्रीम-कोर्ट के जूरी-मंडल/जूरर्स इसका अनुमोदन/स्वीकृति नहीं कर देते। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी नागरिक को जिला अथवा राज्य के महा-जूरीमंडल के 30 में से 15 से ज्यादा सदस्यों की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक से लिए जेल में नहीं डालेगा/बन्दी नहीं बनाएगा।
28	सभी के लिए	जूरी सदस्य तथ्यों के साथ-साथ इरादे/मंशा के बारे में भी निर्णय करेंगे और कानूनों के साथ-साथ संविधान की भी व्याख्या/अर्थ करेंगे।
29	--	यह सरकारी अधिसूचना(आदेश) तभी लागू/प्रभावी होगी जब भारत के सभी नागरिकों में से 51 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने इस पर **हां** दर्ज किया हो और उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने इस सरकारी अधिसूचना(आदेश) का अनुमोदन/स्वीकृति कर दिया हो।
30	जिला कलेक्टर	यदि कोई नागरिक इस कानून में किसी परिवर्तन/बदलाव का प्रस्ताव करता है तो वह नागरिक जिला कलेक्टर अथवा उसके क्लर्क से परिवर्तन की मांग करते हुए एक एफिडेविट/शपथपत्र जमा करवा सकता है। नागरिक जिला कलेक्टर अथवा उसका क्लर्क इसे 20 रूपए प्रति पृष्ठ का शुल्क लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डाल देगा।
31	तलाटी अर्थात पटवारी	यदि कोई नागरिक इस कानून या इस कानून के किसी क्लॉज/खण्ड पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है अथवा उपर्युक्त क्लॉज/खण्ड के बारे में दायर किए गए ऐफिडेविट पर कोई समर्थन दर्ज कराना चाहता है तो वह पटवारी के कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क जमा करके अपना **हां/नहीं** दर्ज कर सकता है। पटवारी नागरिकों के **हां/नहीं** को लिख लेगा

		और नागरिकों के **हां/नहीं** को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डाल देगा।

(21.12) नागरिकगण भारत में जूरी प्रणाली (सिस्टम) कैसे ला सकते हैं?

राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह के सदस्य के रूप में मैं नागरिकों से निम्नलिखित कदम उठाने के लिए कहता हूँ :-

1. वर्तमान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और महापौरों को `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य/मजबूर/विवश करना
2. `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) का प्रयोग करके प्रधानमंत्री को प्रजा अधीन–सुप्रीम कोर्ट प्रधान जज/ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य/विवश करना
3. `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) का प्रयोग करके प्रधानमंत्री को प्रजा अधीन–प्रधानमंत्री कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना
4. `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) का प्रयोग करके प्रधानमंत्री को उपर उल्लिखित जूरी प्रणाली(सिस्टम) प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट जारी करने के लिए बाध्य/विवश करना

(21.13) जजों की नियुक्ति / भर्ती में भाई-भतीजावाद कम करना

राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह के सदस्य के रूप में मैं यह मांग और वायदा करता हूँ कि जिला और उच्च न्यायालयों में सभी जजों की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के द्वारा ही हो <u>और कोई साक्षात्कार न लिया जाए।</u> साक्षात्कार एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जजों ने यह सुनिश्चित किया है कि उनके रिश्तेदार, नजदीकी मित्र और नजदीकी मित्रों के रिश्तेदारों का चयन हो जाए। उच्चतम न्यायालयों में जजों की नियुक्ति/भर्ती केवल और केवल वरियता के आधार पर की जानी चाहिए और साक्षात्कार का कोई प्रावधान ही नहीं होना चाहिए। यदि कोई गलत व्यक्ति जज बन जाता है तो नागरिकगण उसे हटा सकते हैं या बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन जजों का इसपर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि कौन व्यक्ति जज नियुक्त होगा/बनेगा। इसके अलावा, हटाने या बदलने की जिस प्रक्रिया का प्रस्ताव मेरा राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह करता है वह भाई-भतीजावाद से अछूता/प्रतिरक्षित/मुक्त है। कोई भी व्यक्ति उन लाखों नागरिकों का रिश्तेदार नहीं हो सकता जो अपना अनुमोदन/स्वीकृति देने जा रहे हैं।

(21.14) सारी जनता को कानून की पढ़ाई पढ़ाना और अन्य परिवर्तनों के बारे में बताना

मैं राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह के सदस्य के रूप में यह वायदा करता हूँ कि सभी छात्रों को कक्षा VI से अथवा यदि अभिभावक(माता-पिता) अनुमोदन/स्वीकृति देते हैं तो इससे पहले से भी, कानून की शिक्षा दूंगा। इसके अलावा, सभी वयस्कों को भी संध्या/शाम की

कक्षा या दूरदर्शन, आकाशवाणी, और अन्य माध्यमों से कानून की शिक्षा दी जाएगी। सर्वजन/सभी को हथियार की शिक्षा और सर्वजन/सभी को कानून की शिक्षा मेरी दो मांगें और वायदे हैं।

(21.15) कु-बुद्धिजीवी लोग जजों में भ्रष्टाचार को समर्थन देंगे

क्या बुद्धिजीवी लोग (कुबुद्धिजीवी लोग) जजों में फैले भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे? देखिए, आज तक मुझे एक भी बुद्धिजीवी नहीं मिला है जिसने किसी निकम्में/काम न करने वाले जज का त्यागपत्र मांगा हो (एक दलित न्यायमूर्ति को छोड़कर)। यहां तक कि जब माननीय न्यायमूर्ति *खरे* ने निचली अदालत द्वारा अपराधी ठहराए गए बाल यौन शोषण अपराधी को जमानत दे दी तो जिन बुद्धिजीवियों से मैं मिला, उन्होंने यही कहा कि उन्हें फैसला पढ़ने का समय ही नहीं मिला और तब यह भी कहा कि वे न्यायमूर्ति खरे को पद पर बनाए रखने का समर्थन करते हैं और उन पर महाभियोग(राज्य के किसी प्रमुख विशेषतः सर्वप्रमुख शासनिक अधिकारी पर चलाया जानेवाला मुकदमा) लगाने/चलाने का विरोध करते हैं। यहां तक कि जब गाजियाबाद भविष्यनिधि घोटाले में अनेक न्यायमूर्तिगण दागी करार दे दिए गए तब भी बुद्धिजीवियों ने उन माननीय न्यायमूर्तियों पर महाभियोग लगाने/चलाने की मांग करने से मना कर दिया।

मेरे विचार में, न्यायतंत्र में बुद्धिजीवियों के बहुत ही अधिक नजदीकी रिश्तेदार होते हैं और यही कारण है कि वे न्यायतंत्र में भ्रष्टाचार चलते रहने देना चाहते हैं। और मेरे विचार से, बुद्धिजीवी लोग खुद/स्वयं भ्रष्ट होने के साथ-साथ कायर भी होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं उस घटना का जिक्र करना चाहूंगा जो हस्तिनापुर के उच्चतम न्ययालय में लगभग 5000 वर्ष पहले घटी थी। जैसा कि डॉ. वेदव्यास कहते हैं – लगभग 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर उच्चतम न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति/प्रधान जज धृतराष्ट्र के अधीन था। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे माननीय न्यायमूर्ति दुर्योधन को "राजकुमार मुख्य न्यायाधीश" नियुक्त कर दिया था। न्यायमूर्ति दुर्योधन ने हस्तिनापुर की उच्चतम न्यायालय की भरी सभा में ही माननीय न्यायमूर्ति भीष्म, माननीय न्यायमूर्ति धृतराष्ट्र, प्रो. डॉ. द्रोणाचार्य और अन्य सभी लोगों के ठीक सामने ही एक आम औरत द्रौपदी का उत्पीड़न/ छेड-छाड़ किया।

प्रोफेस्सर. डॉ. द्रोणाचार्य उन दिनों हस्तिनापुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे और अपने ही/निजी-धन से चल रहे कालेजों के मालिक थे। जब माननीय न्यायमूर्ति दुर्योधन ने द्रौपदी का उत्पीड़न/छेड-छाड़ किया तो प्रो. डॉ. द्रोणाचार्य ने न्यायमूर्ति दुर्योधन का तनिक/थोड़ा भी विरोध नहीं किया। बाद में भी, इस घटना के बाद प्रो. डॉ. द्रोणाचार्य ने माननीय न्यायमूर्ति धृतराष्ट्र से यह नहीं कहा कि वे माननीय न्यायमूर्ति दुर्योधन को बन्दी बना लें, नहीं तो वे त्यागपत्र देकर हस्तिनापुर से चले जाएंगे। प्रो. डॉ. द्रोणाचार्य ने क्यों माननीय न्यायमूर्ति दुर्योधन का समर्थन किया(विरोध नहीं किया)? प्रो. डॉ. द्रोणाचार्य की मंशाओं/उद्देश्यों पर एक सरसरी निगाह डालने से इस *क्यों* का उत्तर मिल जाएगा। प्रो. डॉ. द्रोणाचार्य को चिन्ता थी कि धृतराष्ट्र उन्हें हस्तिनापुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से हटा सकते हैं और उनके अपने/निजी धन से चलने वाले कॉलेजों की जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें शायद यह भी चिन्ता थी कि न्यायमूर्ति धृतराष्ट्र एकलव्य वाली घटना के लिए उन्हें जेल भिजवा सकते हैं जिस घटना में उन्होंने एक

आदिवासी बालक पर अत्याचार किए थे जो कि एक अवयस्क/नाबालिग बच्चा था। प्रो. डॉ. द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अपना अंगूठा काट देने को कहा था। उन्होंने एकलव्य के माता-पिता से पूछने तक की चिन्ता नहीं की जो कि अनिवार्य था क्योंकि एकलव्य अभी अवयस्क/नाबालिग बालक था। इसलिए पैसे की लालच और सजा पाने के डर से प्रो. डॉ. द्रोणाचार्य ने माननीय न्यायमूर्ति दुर्योधन द्वारा द्रौपदी के उत्पीड़न के कार्य का समर्थन किया और उसका विरोध नहीं किया और न ही न्यायमूर्ति दुर्योधन के हटाने/बर्खास्तगी की ही मांग की। अब ये लोग तो त्रेता युग के बुद्धिजीवी लोग थे। इसलिए कलयुग के बुद्धिजीवी लोग क्या करेंगे? वे इससे भी एक कदम आगे बढ़ेंगे और द्रौपदी पर ही आरोप लगा देंगे (कि उसी ने कुछ गलत किया होगा),माननीय न्यायमूर्ति दुर्योधन को बचाने के लिए । और ऐसी घटनाएं आज हम लोग घटता देख ही रहे हैं। जब न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के बारे में पूछा जाता है तो आज के बुद्धिजीवी हम नागरिकों पर ही इस समस्या के लिए आरोप लगाते हैं !! और कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं से मेरा यही कहना है कि न्यायमूर्तियों/जजों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद कम करने के लिए आवश्यक/जरूरी कदम उठाने में वे बुद्धिजीवियों के भूमिका अदा करने अथवा उनके द्वारा कार्रवाई में हिस्सा लेने का इंतजार न करें। बुद्धिजीवी लोग वैकल्पिक ऐजेंडों पर काम करने के लिए जोर देते रहेंगे और जोर देकर कहते रहेंगे कि माननीय न्यायमूर्तियों के भ्रष्टाचार/भाई-भतीजावाद की समस्या का समाधान करने की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मेरे विचार में, अब समय आ गया है कि (कार्यकर्ता) उन बुद्धिजीवियों को खुले आम दरकिनार कर दें और केवल अपनी समझ से ही काम करें।

(21.16) न्यायालयों / कोर्ट में सुधार करने पर सभी दलों और बुद्धिजीवियों का रूख

सभी वर्तमान दलों के नेताओं और सभी बुद्धिजीवी न्यायालयों/कोर्ट में सुधार किए जाने का एकदम से विरोध करने लगते हैं। हरेक दल के नेताओं ने न्यायालयों/कोर्ट की संख्या बढ़ाने से मना कर दिया है। वे जूरी प्रणाली(सिस्टम) का खुलेआम विरोध करते हैं और जोर देकर कहते हैं कि फैसले केवल जजों द्वारा ही किए जाने चाहिएं क्योंकि आम लोग मूर्ख/अल्पबुद्धि होते हैं । वे ऐसी प्रक्रियाओं को लागू करने का विरोध करते हैं जिनमें हम आम लोग जजों को हटा/बदल सकें। सभी पार्टियों के नेताओं ने न्यायालय में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा/वादविवाद तक करने से मना कर दिया है, उनका समाधान करना तो दूर की बात है। हम लोग सभी नागरिकों से अनुरोध/प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी-अपनी पार्टी के प्रिय नेताओं से न्यायालयों/कोर्ट की संख्या कम होने, जजों में भाई - भतीजावाद, जजों में भ्रष्टाचार, आदि मुद्दों पर प्रश्न पूछें और तब यह निर्णय करें कि क्या वे(नेता) वोट दिए जाने के लायक हैं ?। और हम कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि वे बुद्धिजीवियों से इन मुद्दों पर प्रश्न पूछें और निर्णय करें कि क्या वे(बुद्धजीवी) मार्गदर्शक बनने के योग्य हैं ?

यदि एक जज एक साल में 200 मामलों में अधिकतम फैसला दे सकता है , तो हम को 3,00,00,000/200 = 1,50,000 अधिक जज चाहियें सभी मामलों को एक वर्ष/साल में निबटाने के लिए(जो एक काफी लंबा समय है) | और वर्त्तमान मामलों दर के अनुसार हमें 1,00,000 और जज चाहिए | और जैसे मामलों के फैसले आना शुरू होंगे, यह माने कि वे न्यायपूर्वक/उचित हों, तो अपराध दर और मामले के भार में कमी आने लगेगी | तो फिर 3-5 साल पश्चात, कोर्ट

की संख्या जिसकी हमें जरुरत है, कम हो जायेगी | लेकिन निकट भविष्य में ,हमारे पास 2-3-4 सालों के लिए 1,50,000 से 2,00,000 (डेढ़ से दो लाख) जज होना आवश्यक है |
अभी हमारे पास केवल 13,000 जज हैं | और जैसा मैंने दिखाया , हमें डेढ़ से दो लाख जज चाहिए |

बावजूद इस अत्यंत कमी के ,सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के जज और प्रसिद्ध बुद्धिजीवी खुलेआम जजों की संख्या बढाने के विरोधी हैं | **क्यों?**

सुप्रीम कोर्ट के जज और बुद्धिजीवी, जो ऊंची जाती के विशिष्ट वर्गीय लोगों के एजेंट/प्रतिनिधि हैं, को पता है कि यदि निचले अदालतों के जजों की संख्या 13,000(तेरह हज़ार) से 1,50,000(डेढ़ लाख) हो जाती है , तो उन्हें कोई 40,000 जजों की नियुक्ति करनी पड़ेगी हर साल तीन सालों तक जबकि अभी के समय हर वर्ष/साल 400 जजों की नियुक्ति करते हैं | यदि ऐसा होता है तो , निचले अदालतों में `अन्य पिछड़े जनजाती` का प्रतिशत बढ जायेगा| आज के समय में ,सुप्रीम कोर्ट के जज, सभी जजों के आधिकारिक जाति आंकड़े का खुलासा नहीं करते जाती/भाई-भातिजेवाद का पक्षपात छुपाने के लिए , लेकिन उच्च जाती की भारतीय निचले अदालतों में प्रतिशत 70% से अधिक है , ऐसी अफवाह है | यदि जजों की संख्या तेरह हज़ार से बढ कर डेढ़ लाख या अधिक हो जाती है और जाजों की हर साल भर्ती 300 से बढ कर 30,000 हो जाती है , तो उच्च जातियों का प्रतिशत गिरेगा और अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 35 -40 % तक बढ जायेगा और दलितों और अनूसूचित जनजातियों का प्रतिशत 20% तक बढ जायेगा और उच्च जातियों का प्रतिशत 40% तक गिर जायेगा|

अब एक उच्च जाती का जज भाई-भातिजेवाद के कारण उच्च जाती के विशिष्ट वर्ग के लोगों का एजेंट/प्रतिनिधि की तरह काम करता है | एक दलित जज भाई-भातिजेवाद के कारण दलित विशिष्ट वर्ग के लोगों का एजेंट का काम करता है | **आम आदमी/जनसाधारण , उच्च जाती के,अन्य पिछड़ी जाती, या दलित हों , किसी भी जज के लिए महत्त्व नहीं रखते |** इसीलिए यदि `अन्य पिछड़ी जाती` या दलितों की प्रतिशत निचले अदालतों में बढती है , तो उच्च जाती के विशिष्ट वर्ग अन्य पिछड़ी जाती/दलित विशिष्ट वर्ग को अपना आधार खो देंगे | ये उच्च जाती के विशिष्ट वर्ग के लोगों को मंजूर नहीं है | और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के जज, बुद्धिजीवी , जो अभी अधिकतर उच्च जाती विशिष्ट वर्गों के एजेंट हैं, निचले अदालत के जजों की संख्या तेरह हज़ार से डेढ़ लाख बढाने का विरोध करते हैं|

निचली अदालतों को कोई भी भत्ता नहीं मिलना चाहिए जैसे ड्राईवर, माली, गाडी आदि | उनको अच्छी वेतन देनी चाहिए और उन्हें अपने दम पर प्रबंध करने देना चाहिए | लेकिन हाँ, एक अदालत/कोर्ट बनाने का मतलब है एक जज, 5क्लेर्क, 2 चपरासी, एक सहायक आदि और उसका प्रबंध हो सकता है |

(21.17) कुछ प्रश्न

1. एक वकील पर विचार कीजिए जो 10 न्यायालयों वाले एक शहर में प्रैक्टिस करता है और एक वर्ष में 30 मुकद्दमें दायर करता/करवाता है। मान लीजिए, एक जज का कार्यकाल 4 वर्षों का है। वह वकील 10 वर्षों में कितने जजों से मिलेगा? वह 10 वर्षों में कितने जूरी-मंडल/जूरर्स से मिलेगा?

2. एक राज्य पर विचार कीजिए जिसमें 5 करोड़ नागरिक हैं। मान लीजिए, एक वर्ष में 100,000 मुकद्दमें दायर किए जाते हैं। यदि एक जज एक वर्ष में 80 मुकद्दमें निपटाता है तो उस राज्य को कितने जजों की जरूरत होगी और वह जज अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में कितने मुकद्दमें निपटाएगा? यदि जूरी-मंडल/जूरर्स को काम पर लगाया जाता है तो उन 30 वर्षों की अवधि में कितने जूरी-मंडल/जूरर्स से काम लिया जाएगा?

[निम्नलिखित प्रश्नों में XII कक्षा की संभाव्यता/प्रोबैब्लिटी सिद्धांत के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर/संघटक अथवा एक्स्केल(excel) का उपयोग जरूरत पड़ने पर करें]

3. जिला `क` पर विचार कीजिए जिसमें अगले 30 वर्षों में प्रतिवर्ष 80,000 मुकद्दमों को सुलझाने के लिए 1000 जजों की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक मुकद्दमें में ईमानदार जजों के होने की संभाव्यता 0.001 मानिए, लेकिन वह एक बार यदि कोई जज भ्रष्ट हो गया तो मानकर चलिए कि उसके घूस लेने की संभाव्यता अब 0.2 है। तब पहले वर्ष में कितने प्रतिशत मुकद्दमों में भ्रष्टाचार दिखेगा? जिला `क` में अगले 30 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए (भ्रष्टाचार वाले मुकद्दमों की) संख्या का आकलन कीजिए।

4. जिला `ख` पर विचार कीजिए जिसमें प्रति वर्ष 8000 मुकद्दमों के निर्णयों के लिए जूरी प्रणाली(सिस्टम) का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है । मान लीजिए, एक जूरी-मंडल/जूरर्स 0.2 की संभाव्यता के साथ भ्रष्ट है। फैसला केवल तभी भ्रष्ट/गलत होगा यदि 4 या उससे अधिक जूरी-मंडल/जूरर्स भष्ट हो जाते हैं तो जिले ख के कितने प्रतिशत फैसले प्रतिवर्ष भ्रष्ट/गलत होंगे?

5 जिला `क` पर विचार कीजिए जिसमें अगले 30 वर्षों के लिए 8000 मुकद्दमों को सुलझाने के लिए 100 जजों की नियुक्ति/भर्ती की गई है। मान लीजिए कि जज के भ्रष्ट न होने की संभाव्यता 0.001 है जब सभी वकील और आसिल(वकीलों के ग्राहक/मुवक्किल) जजों के रिश्तेदार नहीं हैं और यह संभावना 25 प्रतिशत है यदि वकील जजों का रिश्तेदार है। प्रति/वर्ष कितने मुकद्दमों में भ्रष्टाचार/गलती होगी?

6. किसी पेशेवर अपराधी पर विचार कीजिए जो हर वर्ष 20 अपराध करता है। मान लीजिए, पकड़े जाने और सजा मिलने की संभावना 10 प्रतिशत है। तब 5 वर्ष के बाद उसके जेल ना जाने की कितनी संभावना है?

7. 50 अपराधियों के किसी गिरोह/गैंग पर विचार कीजिए। मान लीजिए, वे एक साल में 200 अपराध करते हैं। मान लीजिए, सजा देने की दर 3 प्रतिशत है। तब इस बात की कितनी संभावना है कि 2 वर्षों में एक भी सदस्य को सजा न मिले?

8. 50 अपराधियों के किसी गिरोह/गैंग पर विचार कीजिए। मान लीजिए, हर बार जब (गिरोह के) किसी सदस्य को सजा होती है तो 2 सदस्य गिरोह छोड़ देते हैं। मान लीजिए, उन्होंने 1 वर्ष में N × 4 अपराध किए। N गिरोह में सदस्यों की संख्या है। मान लीजिए, सजा देने की दर 5 प्रतिशत है तो 5 वर्षों के बाद गिरोह का अनुमानित आकार क्या होगा/गिरोह कितना बड़ा हो जाएगा?

(21.18) अभ्यास

9. भारत के किसी जिले पर विचार कीजिए। मान लीजिए, उस जिले में 50 न्यायालय/कोर्ट

हैं। कृपया उस कानून के क़ानून-ड्राफ्ट दीजिए/बनाइए जिसके द्वारा वैसे परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद से बचा जा सकता है जिसमें जज `**क**`, जज `**ख**` के रिश्तेदारों का पक्ष लेता है और जज `**ख**`, जज `**क**` के रिश्तेदारों का पक्ष लेता है।

10. कृपया न्यायालयों में परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद कम करने के लिए संसद में श्री शौरी और अन्य बीजेपी सांसदों द्वारा प्रस्तुत किए गए क़ानून-ड्राफ्ट / प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट प्राप्त करें।

11. कृपया न्यायालयों/कोर्ट में परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद कम करने के लिए संसद में श्री यचूरी और अन्य सीपीएम सांसदों द्वारा प्रस्तुत किए गए क़ानून-ड्राफ्ट / प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट प्राप्त करें।

12. कृपया न्यायालयों/कोर्ट में परस्पर(आपसी) भाई-भतीजावाद कम करने के लिए संसद में कांग्रेसी सांसदों द्वारा प्रस्तुत किए गए क़ानून-ड्राफ्ट / प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट प्राप्त करें।

13. भारत में कितनी निचली अदालतें हैं? लंबित मामलों की संख्या कितनी/क्या है? यदि 1 न्यायालय एक वर्ष में मान लीजिए, 80 मुकद्दमें निपटाता है तो सभी मुकद्दमें निपटाने में निचली अदालत को कितने वर्ष लगेंगे?

14. उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम कोर्ट) के नए जजों (की नियुक्ति) का निर्णय करने में किसके विवेकाधिकार का उपयोग किया जाता है?

15. किसी राज्य के उच्च न्यायालयों में नए जजों (की नियुक्ति) के बारे में निर्णय करने में किसके विवेकाधिकार का उपयोग किया जाता है?

16. आपके राज्य में उच्च न्यायालय(हाई-कोर्ट) के वर्तमान जजों में से कितने प्रतिशत जजों के पिता या सगे चाचा उच्च न्यायालय(हाई-कोर्ट) अथवा उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के जज हैं?

17. पश्चिमी देशों में कोरोनरी(coronory) जूरी (व्यवस्था) क्या है? यह कब प्रारंभ/शुरू किया गया? भारत में ऐसी व्यवस्था/प्रणाली(सिस्टम) क्यों नहीं बनाई गई/बनाई जा सकी?

18. पश्चिमी देशों में कोरोनरी जूरी का क्या प्रभाव पड़ा?

19. भारत में जूरी प्रणाली(सिस्टम) कब और किसके द्वारा शुरू की गई? कब और किसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया?

20 विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहले 50 देशों में से कौन सा देश जूरी प्रणाली(सिस्टम) का उपयोग/प्रयोग करता है?

21. कृपया हांगकांग में जूरी प्रणाली(सिस्टम) के बारे में जानकारी/सूचना जुटाइए।

22. क्यों भारतीय बुद्धिजीवी लोग नागरिकों और छात्रों को पश्चिमी देशों के कोरोनरी प्रणाली(सिस्टम) के बारे में जानकारी/सूचना देने का विरोध करते हैं?

23. क्यों भारतीय बुद्धिजीवी लोग नागरिकों और छात्रों को पश्चिमी देशों के जूरी प्रणाली(सिस्टम) के बारे में जानकारी/सूचना देने का विरोध करते हैं?

24. अमेरिका के लगभग कितने प्रतिशत राज्यों ने जजों को चुना है? और कब से?

25. उस समय अमेरिका में साक्षरता दर क्या थी जब इन राज्यों ने जजों के चुनाव (का तरीका) शुरू किये?

अध्याय 22 - पुलिस में सुधार लाने के लिए राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह का प्रस्ताव

(22.1) पुलिस में सुधार के लिए प्रस्तावित परिवर्तन / बदलाव

मैं राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह के सदस्य के रूप में पुलिस में निम्नलिखित प्रशासनिक सुधार का प्रस्ताव करता हूँ :-

1. वह प्रक्रिया/विधि लागू करें जिससे हम आम लोग जिला पुलिस आयुक्त/कमिश्नर को हटा/बदल सकें। इस प्रक्रिया का विस्तार/विवरण और इसके लिए आवश्यक सरकारी अधिसूचना(आदेश) का प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट अगले भाग/हिस्से में दिया गया है।
2. पुलिसवालों पर जूरी प्रणाली/व्यवस्था(सिस्टम) : किसी पुलिसवाले को हटाने या उसपर जुर्माना लगाने का अधिकार नागरिकों को देना।
3. भूमि/जमीन पर सम्पत्ति-कर लगाकर ,पुलिसवालों की संख्या तीन गुना बढ़ाना।
4. भूमि/जमीन पर सम्पत्ति-कर लगाकर ,पुलिसवालों का वेतन दो गुना करना।
5. अपराधियों का रिकॉर्ड रखने और अपराधियों पर नजर रखने के काम में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली/व्यवस्था(सिस्टम)।
6. सभी पुलिस स्टेशनों और सभी आपराधिक रिकॉर्डों का कम्प्यूटरीकरण।
7. कांस्टेबल से लेकर उप-महानिरीक्षक/डीआईजी तक सभी पुलिसवालों और उनके निकट रिश्तेदारों की सम्पत्ति का खुलासा/घोषणा इंटरनेट पर देना।

अब **मैं इन परिवर्तनों को लाने का प्रस्ताव कैसे करूंगा?** मैं नागरिकों को सुझाव दूंगा कि उन्हें `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री को बाध्य/विवश/मजबूर कर देना चाहिए और उसके बाद करोड़ों नागरिकों के **हां** का उपयोग/प्रयोग करके हमें मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को बाध्य कर देना चाहिए कि वे ऊपर उल्लिखित सभी कानूनों को जारी/लागू कर दें।

(22.2) प्रस्तावित प्रजा अधीन – जिला पुलिस कमिश्नर

पहले पाठ में मैंने विस्तार से यह बताया कि क्यों अमेरिकी पुलिस में भ्रष्टाचार कम है, और सबसे प्रमुख कारण यह है कि अमेरिकी नागरिकों के पास वह प्रक्रिया/विधि है जिसके द्वारा वे जिला पुलिस प्रमुख को हटा सकते हैं।

मैं 200 से अधिक पदों के लिए प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव किया है। जिन प्रक्रियाओं का मैंने प्रस्ताव किया है, उन सभी में खुले मतदान का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिला पुलिस कमिश्नर/आयुक्त के लिए मैंने इन प्रक्रियाओं के अलावा एक और प्रक्रिया का भी प्रस्ताव किया है जिसमें गोपनीय मतदान का प्रयोग किया जाता है। मैंने जिला पुलिस प्रमुख को बदलने/हटाने के प्रस्ताव के लिए

निम्नलिखित प्रक्रिया का प्रस्ताव किया है जो मेरे द्वारा बताए गए सह-मतदान (के तरीके) पर आधारित है :-

1. मुख्यमंत्री 4 वर्षों की अवधि के लिए जिला पुलिस कमिश्नर/आयुक्त की नियुक्ति करेंगे(नौकरी पर रखेंगे) जैसा कि वे आज किया करते हैं।
2. जब कभी भी किसी जिले में मतदान होगा, चाहे वह सांसद अथवा विधायक अथवा पंचायत सदस्य अथवा प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री अथवा जिला महापौर का ही चुनाव क्यों न हो, तो कोई भी व्यक्ति जिसने सरकार में प्रथम श्रेणी के अधिकारी के रूप में काम किया हो, अथवा सेना में जुनिओर कमीशन अफसर(जेसीओ) के पद पर काम किया हो अथवा [----योग्यता/गुणों की सूची पर खरा उतरता हो---] , वह यदि जिला पुलिस प्रमुख बनना चाहता हो तो वह सांसद के लिए जमा की जाने वाली राशि के बराबर धनराशि/रकम जमा करवाकर अपने आप को उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर सकता है।
3. यदि किसी उम्मीदवार ने सभी मतदाताओं, न कि केवल मतदान करने वालों का, के मतों का 50 प्रतिशत से ज्यादा मत प्राप्त किया हो, तब वह उम्मीदवार 4 वर्षों के लिए नया जिला पुलिस प्रमुख बन सकता है।
4. राज्य के सभी नागरिक मतदाताओं के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों के अनुमोदन/स्वीकृति से, मुख्यमंत्री, जिला पुलिस प्रमुख(डी सी पी) को 4 वर्षों के लिए निलंबित/सस्पेंड कर सकते है और अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते हैं।
5. भारत के सभी नागरिक-मतदाताओं के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों के अनुमोदन/स्वीकृति से प्रधानमंत्री किसी राज्य के सभी जिला प्रमुखों को सस्पेंड कर सकते हैं और अपनी पसंद के व्यक्तियों को उस राज्य में जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते हैं।

उपर्युक्त प्रक्रिया से जिला पुलिस प्रमुख के कार्यालय में भ्रष्टाचार कम होगा और इससे पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का भी समय मिलेगा कि और कोई घूस तो नहीं ले रहा है अथवा अक्षम/बेकार ,घटिया और मनमाने ढ़ंग से तो काम नहीं कर रहा है।

प्रजा अधीन-पुलिस कमिश्नर(भ्रष्ट पुलिस-कमिश्नर को बदलने का नागरिकों का अधिकार) सरकारी-अधिसूचना(आदेश) का पूरा ड्राफ्ट

#	निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया	प्रक्रिया/अनुदेश
1	----	मुख्यमंत्री सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर करेंगे और यह केवल तभी लागू होगा जब सभी दर्ज मतदाताओं के 51 प्रतिशत से ज्यादा ने `जनता की आवाज` पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली/सिस्टम (कानून) का उपयोग करके इस सरकारी अधिसूचना(आदेश) की मांग करने वाले एफिडेविट पर हां दर्ज करा दिया हो।
2	राज्य चुनाव आयुक्त/इलेक्शन-कमिश्नर	मुख्य मंत्री और नागरिक , राज्य चुनाव आयुक्त से जिला पुलिस प्रमुख का सह-मतदान करवाने का अनुरोध/प्रार्थना करेंगे, जब कभी भी किसी जिले में जिला पंचायत, तहसील पंचायत,

		ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम अथवा जिला भर में जिला स्तर का कोई भी आम चुनाव चल रहा हो।
3	राज्य चुनाव आयुक्त	30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसने 5 वर्षों से अधिक समय तक सेना में काम किया हो, पुलिस में एक भी दिन, सरकारी कर्मचारी के रूप में 10 वर्षों तक अथवा उसने राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा पास की हो, अथवा सिर्फ विधायक या सांसद या पार्षद या जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव जीता हो, वह जिला पुलिस प्रमुख के उम्मीदवार के रूप में अपने को दर्ज करवा सकेगा |
4	राज्य चुनाव आयुक्त	राज्य चुनाव आयुक्त जिला पुलिस प्रमुख के चुनाव के लिए एक मतदान पेटी रख/रखवा देगा।
5	नागरिक	कोई भी नागरिक–मतदाता उम्मीदवारों में से किसी को भी वोट दे सकता है।
6	मुख्यमंत्री	यदि कोई उम्मीदवार सभी दर्ज नागरिक-मतदाताओं (सभी, न कि केवल उनका जिन्होंने वोट दिया है) के 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं का मत/वोट प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र/इस्तीफा **दे सकते हैं** अथवा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए नया जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त **कर सकते हैं**।
7	मुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री एक जिले में अधिक से अधिक एक व्यक्ति को जिला पुलिस प्रमुख बना सकते हैं।
8	मुख्यमंत्री	यदि कोई व्यक्ति पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख रह चुका हो तो मुख्यमंत्री उसे अगले 600 दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख के पद पर रहने की अनुमति नहीं देंगे।
9	मुख्यमंत्री, राज्य के नागरिकगण	राज्य के सभी नागरिक मतदाताओं के 51 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के अनुमोदन/स्वीकृति से मुख्यमंत्री किसी जिले में इस कानून को 4 वर्षों के लिए हटा/निलंबित कर सकते हैं और अपने विवेक/अधिकार से उस जिले में जिला पुलिस प्रमुख की नियुक्ति कर सकते हैं/रख सकते हैं।
10	प्रधानमंत्री, भारत के नागरिक	भारत के सभी नागरिक मतदाताओं के 51 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के अनुमोदन/स्वीकृति से प्रधानमंत्री किसी राज्य में इस कानून को 4 वर्षों के लिए हटा सकते हैं और अपने विवेक/अधिकार से उस राज्य के सभी जिलों में जिला पुलिस प्रमुख की नियुक्ति कर सकते हैं।
जनता की आवाज़(सी	जिला कलेक्टर(डी सी)	यदि कोई नागरिक इस कानून में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव करना चाहता है तो वह नागरिक जिला कलेक्टर अथवा उसके

वी)1		क्लर्क के पास इस परिवर्तन की मांग करने वाला एक ऐफिडेविट/हलफनामा जमा करवा देगा। जिला कलेक्टर अथवा उसका क्लर्क 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर इसे प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डाल देगा।
जनता की आवाज़(सी वी)2	तलाटी यानि पटवारी/लेखपाल	यदि कोई नागरिक इस कानून या इसके किसी क्लॉज/खण्ड के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी एफिडेविट/हलफनामा पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्क देकर **हां/नहीं** दर्ज करवा सकता है। तलाटी **हां-नहीं** दर्ज कर लेगा और उस नागरिक के **हां–नहीं** को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर भी डाल देगा।

(22.3) कोरोनर्स जांच / इनक्वेस्ट (अर्थात कोरोनर की अदालत अथवा कोरोनर की जूरी) (कोरोनर= अपमृत्यु का कारण पता करनेवाला अफसर = मृत्यु समीक्षक)

क्यों पश्चिमी देशों की पुलिस ,भारत की पुलिस से कम भ्रष्ट और अत्याचारी है? आइए, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछते हैं – पश्चिमी देशों की पुलिस कब से और क्यों भ्रष्टाचार और अत्याचार कम करने पर मजबूर/बाध्य हुई?

लगभग वर्ष 800 ईस्वी में इंग्लैण्ड के नागरिकों ने राजा को मजबूर कर दिया कि जब कोई पुलिसवाला किसी आम आदमी की मौत अथवा किसी बड़े अपराध में सहभागी हो तो वे हर बार क्वेस्ट/जांच करवाएं । मौत की घटना होने पर जांच अनिवार्य था और अन्य प्रकार के आरोपों जैसे पीटने या घूसखोरी के मामले में यह वैकल्पिक था/जरूरी नहीं था। यह जांच राजा के अधिकारियों द्वारा की जाती थी जिनका लगभग हमेशा ही स्थानीय पुलिस प्रमुख अथवा अन्य पुलिसवालों के साथ गठजोड़ होता था और जांच तो केवल दिखावा मात्र हुआ करता था। यह जांच/इन्क्वेस्ट कोरोनर इनक्वेस्ट कहलाती थी जिसमें कोरोनर शब्द का अर्थ मुकूट अर्थात राजा होता था।

यह स्थिति आज की स्थिति की ही तरह थी।

आज हमारे देश में,लगभग हर मामले में ही, जब पुलिस हिरासत में मौत होती है तब मजिस्ट्रेट अथवा उससे ऊंचे पद के प्राधिकारी जैसे जिला जज द्वारा अथवा कभी-कभी सेवानिवृत्त/रिटायर्ड जजों के आयोग द्वारा जांच की जाती है लेकिन इन जांचों के प्रभारियों का अकसर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ सांठ-गाँठ/मिली-भगत होता है और इसलिए कुछ भी खास नतीजा नहीं आता।

इंग्लैण्ड के सच्चे कार्यकर्ताओं ने यह महसूस किया कि यदि जांच की अगुआई राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी करते हैं तो ये जांच दिखावा मात्र से ज्यादा कुछ नहीं होती है। इसलिए लगभग वर्ष 950 ईस्वी. में कार्यकर्ताओं ने राजा को परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया *- जिले के वयस्क लोगों में से क्रमरहित तरीके से चुने गए 6 से 12 नागरिक प्रश्न पूछेंगे और निर्णय लेंगे/फैसला करेंगे।* जूरी-मंडल/जूरर्स में से प्रत्येक सदस्य आरोपी पुलिसवालों के कार्यों पर तीन में से एक फैसला देगा – न्यायोचित/न्यायसंगत, क्षमायोग्य अथवा आपराधिक। यदि जूरी-

मंडल/जूरर्स उसकी कार्रवाई को आपराधिक ठहरा देता है तो लगभग हर मामले/मुकद्दमें में उन्हें हटा दिया जाता था और इसके बाद की सुनवाई में कारावास/जेल की सजा के बारे में निर्णय/फैसला किया जाता था। सजा का निर्णय अगली औपचारिक सुनवाई द्वारा किया जाता था। जांच/इनक्वेस्ट में जूरी-मंडल/जूरर्स को प्रश्न पूछने की अनुमति होती थी और किसी भी नागरिक को बोलने का अधिकार होता था, चाहे वह सीधा गवाह न भी हो, तो भी। दूसरे शब्दों में इंग्लैण्ड में वर्ष 950 ईस्वी. के आसपास कोरोनर्स जांच/इनक्वेस्ट किसी क्राउन/राजा द्वारा की जानेवाली जांच नहीं रह गई थी बल्कि यह नागरिकों द्वारा की/करवायी जाने वाली जांच हो गई थी। **यह नागरिकों की जांच पुलिसवालों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का मोड़ / टर्निंग प्वाइन्ट था।**

अब यह पुलिसवालों के लिए संभव नहीं रह गया था कि वे जांच प्रभारी अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ सांठ-गाँठ/मिली-भगत कायम कर लें क्योंकि ये प्रभारी हजारों या लाखों जनसंख्या में से क्रमरहित तरीके से(रैंडमली) चुने गए 12 नागरिक थे। इसलिए पुलिसवाले किसी प्रकार का अत्याचार करने से पहले 10 बार सोचते थे और प्रभारी अब उनपर वैसी दया नहीं दिखलाया करते थे जो वे सांठ-गाँठ/मिली-भगत हो जाने के बाद दिखलाते थे।

'नागरिकों द्वारा जांच' की इस प्रक्रिया के बारे में भारत के बुद्धिजीवी लोग क्या कहते हैं? देखिए, भारत के बुद्धिजीवियों ने इस प्रक्रिया के बारे में छात्रों को बताने से खुलेआम इनकार कर दिया है !! ताकि (कम से कम) कहीं वे इस प्रक्रिया को लागू करने की मांग ही न करने लगें। बुद्धिजीवी लोग 'नागरिकों द्वारा जांच' का विरोध करते हैं क्योंकि इससे विशिष्ट/ऊंचे लोगों की पुलिसवालों पर पकड़ ढ़ीली हो जाएगी और ऐसे में जब इन विशिष्ट/ऊंचे लोग को आम जनता पर जुल्म करवाने की जरूरत पड़ेगी तब पुलिसवाले आम जनता पर कम अत्याचार करेंगे। इसलिए बुद्धिजीवी लोग जो सभी विशिष्ट/ऊंचे लोगों के ऐजेंट/प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस 'नागरिक द्वारा जांच' प्रक्रिया का विरोध किया। आखिरकार, विकल्पों/पसंदों के बारे में सूचना/जानकारी मिलने पर इन पसंदों के लिए मांग उठ सकती है। और बदले में उन्होंने छात्रों के दिमाग में यह जहर भर दिया है कि भारतीय *नागरिक* जालसाज, अविवेकी, सनकी, मूर्ख, जातिवादी, साम्प्रदायवादी, असभ्य, अत्याचारी आदि होते हैं इसलिए इन्हें ऐसा कोई अधिकार/शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए यदि कोई छात्र इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर भी लेता है तो भी बहुत संभावना है कि वह इसे नहीं मानेगा क्योंकि बुद्धिजीवियों ने उनके दिमागों में नागरिक विरोधी जहर काफी भर दिया है।

दुख की बात है कि बुद्धिजीवियों के द्वारा दी जाने वाली गलत सूचना और दिमाग में उल्टी बात भर देने(ब्रेनवाश) के कारण `गैर *80 जी*` कार्यकर्ताओं(जो कार्यकर्त्ता 80 जी कर छूट का विरोध करते हैं) ने 'जनता द्वारा जांच' जैसी किसी प्रक्रिया की मांग नहीं की और इसलिए भारत में पुलिसवालों का अत्याचार बहुत ज्यादा है। भ्रष्टाचार भी अत्याचार के अनुपात होता है अर्थात पैसे की जितनी अधिक मांग होती है, पुलिसवाले का अत्याचार उतना ही अधिक होता है। और लोगों को पीटने का कारण घूस की वसूली है। पश्चिमी देशों ने नागरिकों द्वारा जांच प्रक्रिया का प्रयोग करके अत्याचार/उत्पीड़न को समाप्त ही कर दिया और इसलिए भ्रष्टाचार भी कम हो गया। देखिए-

http://www.britannica.com/eb/article-9026387/coroners-jury

http://en.wikipedia.org/wiki/Coroner

हम, नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)/प्रजा अधीन राजा समूह के लोग ऊपर लिखित तरीके की ही तरह की एक प्रक्रिया की मांग और उसका समर्थन करते हैं जिसे हमने पुलिसवाले के ऊपर जूरी सुनवाई का नाम दिया है।

(22.4) पुलिसवालों पर प्रस्तावित जूरी प्रणाली (सिस्टम) का विवरण

जिस प्रक्रिया का हम प्रस्ताव करते हैं वह पिछले सैकड़ों वर्षों से इंग्लैण्ड और अमेरिका में चल रही कोरोनर जूरी प्रणाली के ही समान है।

1. प्रत्येक जिले के लिए जिला पुलिस प्रमुख 25 वर्ष से अधिक आयु के 25 नागरिक-मतदाताओं से मिलकर बने महा-जूरी-मंडल की स्थापना करेगा। इसके सदस्य क्रमरहित तरीके से मतदाता सूची में से चुने जाएंगे और दो वर्षों तक अपनी सेवाएं देंगे।
2. यदि किसी नागरिक ने किसी पुलिसवाले के खिलाफ शिकायत की है तो वह महा जूरी-मंडल के समक्ष शिकायत दर्ज कराएगा। महा जूरी-मंडल उसे अपनी सफाई/अपनी बात विस्तार से बताने के लिए बुला भी सकते हैं या नहीं भी बुला सकते हैं।
3. यदि महा जूरी-मंडल के 13 से अधिक सदस्य की राय में पुलिसवाला प्रथम दृष्टया/पहली नजर में दोषी है तो जिला कलेक्टर जिले से 15 नागरिकों को बुलावा भेजेगा। ये नागरिक दोनों पक्षों की दलीलें/बातें कम से कम 7 दिनों तक सुनेंगे।
4. सात दिनों के बाद यदि 15 नागरिकों में से 8 से अधिक नागरिक यह फैसला करते हैं कि आरोपी पुलिसवाले को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए तो जिला पुलिस प्रमुख इस मुकद्दमें को गृह मंत्री को सौंप देगा।
5. गृह मंत्री उस जिले को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों से 15 नागरिकों को बुलावा भेजेंगे। यदि 8 से अधिक नागरिक सहमत होते हैं कि आरोपी पुलिसवाले को नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए तो गृह सचिव उसे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं तो(छोटा अपराध हो तो) गृह मंत्री उसे राज्य के उस जिले, जहां वह पहले काम कर चुका हो, को छोड़कर क्रमरहित तरीके से चुने गए किसी अन्य जिले में स्थानान्तरित कर देंगे।

(22.5) पुलिस विभाग में सुधार करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय / सुप्रीम-कोर्ट के हाल के आदेशों पर (राय)

उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के जजों ने जिला पुलिस प्रमुख और गलती करने वाले पुलिसवालों के भाग्य का फैसला नागरिकों से करवाने से साफ तौर से मना कर दिया है। उन्होंने उन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं किया जिसके द्वारा हम आम लोग जिला पुलिस प्रमुख को हटा/बर्खास्त कर सकें और न ही उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के जजों ने पश्चिमी देशों द्वारा प्रयोग किए जा रहे कोरोनरी जूरी के समान किसी प्रक्रिया/विधि का ही समर्थन किया। उच्चतम न्यायालय के जज लोग एक पुलिस बोर्ड चाहते हैं जिसके सदस्य बुद्धिजीवी लोग, सेवानिवृत्त/रिटायर्ड जज, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आदि हों। उच्चतम न्यायालय/सुप्रीम-कोर्ट के जजों द्वारा प्रस्तावित पुलिस बोर्ड में हम आम लोगों के पास बोर्ड के सदस्यों को हटाने/बर्खास्त करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि बोर्ड के ये सदस्य विशिष्ट/ऊंचे लोगों के ऐजेंट/प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे और हम आम नागरिकों को पीटेंगे।

क्या ऐसा ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशगण(सुप्रीम-कोर्ट के जज) चाहते हैं? मुझे ऐसे आसान प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं दीखता/औचित्य नहीं समझता।

चुनाव, आरक्षण और धीरे-धीरे शिक्षा में बढ़ोत्तरी के कारण `अन्य पिछड़े जातियों` के पुलिसवालों और `अन्य पिछड़े जातियों` के विधायकों/मंत्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे `अन्य पिछड़े जातियों` के विशिष्ट/ऊँचे लोगों का प्रभुत्व/प्रमुखता बढ़ गया है। पुलिस बोर्ड से एकमात्र अंतर यह पड़ेगा कि इससे उच्च जाती के विशिष्ट लोगों का प्रभुत्व फिर से कायम हो जाएगा। इसके अलावा, पुलिस बोर्ड के प्रस्ताव से और कोई अंतर नहीं आएगा। पुलिस बोर्ड का प्रस्ताव हमलोगों द्वारा प्रस्तावित दो प्रक्रियाओं – भ्रष्ट जिला पुलिस प्रमुख को बदलने का आम आदमी का अधिकार(प्रजा अधीन-जिला पुलिस कमिश्नर) और `नागरिकों द्वारा (भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर) जांच – से बहुत ही कमजोर/निम्न है।

(22.6) सभी दलों और प्रमुख बुद्धिजीवियों की पुलिस में सुधार करने पर (राय)

वर्तमान दलों के सभी नेता और सभी बुद्धिजीवी पुलिस विभाग में सुधार किए जाने का एकदम से विरोध करने लगते हैं। हरेक दल के नेताओं ने पुलिसवालों की संख्या बढ़ाने से मना कर दिया है। वे ऐसी प्रक्रियाओं का खुलेआम विरोध करते हैं जिनसे हम आम लोग जिला पुलिस प्रमुख को हटा/बदल सकते हैं और इस बात पर जोर डाल सकते हैं कि पुलिस प्रमुखों की नियुक्तियां(नौकरी पर रखना) सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों को करना चाहिए और आम जनता पर थोपी जानी चाहिए/लादा जाना चाहिए। साथ ही, वे पुलिस वालों के वेतन कम रखने पर जोर देते हैं ताकि पुलिसवालों को घूस पर निर्भर रहना पड़े और इस प्रकार उन पर दबाव बनाया जा सके। वर्तमान दलों के नेताओं ने जूरी प्रणाली(सिस्टम) को भी लागू करने से मना कर दिया है जिसके द्वारा नागरिकगण पुलिसवालों को बर्खास्त कर सकते हैं/ हटा सकते हैं। हम लोग सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी-अपनी पार्टी के प्रिय नेताओं से पूछें कि वे पुलिसवालों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या करने का इरादा रखते हैं और तब यह निर्णय करें कि क्या वे वोट दिए जाने के लायक हैं ? और हम कार्यकर्ताओं से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे बुद्धिजीवियों से इन मुद्दों पर प्रश्न पूछें और तब निर्णय करें कि क्या वे(बुद्धिजीवी) मार्गदर्शक बनने के योग्य हैं?

समीक्षा प्रश्न

1. भारत में पुलिसवालों की कुल संख्या कितनी है?
2. प्रति सप्ताह काम के घंटे के हिसाब से एक कांस्टेबल पर काम का दैनिक भार कितना है?
3. भारत में जिला पुलिस प्रमुख को कौन बर्खास्त कर सकता है/हटा सकता है ?

अध्याय 23 - भारतीय रिजर्व बैंक में सुधार करने और महंगाई / मुद्रास्फीति कम करने के लिए राइट टू रिकॉल ग्रुप / प्रजा अधीन राजा समूह के प्रस्ताव

वह व्यक्ति जो मुद्रा/पैसे से संबंधित [बैंक से संबंधित] प्रश्नों को हल कर लेगा, वह विश्व के लिए इतिहास के सभी व्यावसायिक हस्तियों से कहीं ज्यादा कुछ कर सकता है --- श्री हेनरीभाई फोर्ड

(23.1) महंगाई का असली कारण क्या है ?

सामान्य तौर पर महंगाई तभी बढती है जब रुपये (एम 3) बनाये जाते हैं लोन,आदि के रूप में और भ्रष्ट अमीरों को दिए जाते हैं, जिससे प्रति नागरिक रुपये की मात्रा बढ जाती है और रुपये की कीमत घाट जाती है और दूसरे चीजों की कीमत बढ जाती है जैसे खाद्य पदार्थ/खाना-पीना, तेल आदि | भारतीय रिसर्व बैंक के आंकडो के अनुसार, प्रति नागरिक रुपये की मात्रा (देश में चलन में कुल नोट,सिक्कों और सभी प्रकार के जमा राशि का कुल जोड़ को कुल नागरिकों की संख्या से भाग किया गया) 1951 में 65 रुपये प्रति नागरिक थी और आज, 2011 में लगभग 50,000 रुपये है प्रति नागरिक |

सब चीजों का मूल्य सापेक्ष/तुलनात्मक है और मांग और आपूर्ति/सप्लाई के अनुसार निर्धारित/पक्का होता है | मान लो , केवल एक बाजार है और कुछ नहीं ,आसानी से समझने के लिए | बाजार में , एक बेचनेवाला है जो 10 किलो आलू बेच रहा और एक खरीदार जिसके पास सौ रुपये हैं | मान लो अगली स्थिति में, बेचनेवाले के पास 10 किलो आलू के बजाय 20 किलो आलू हो जाते हैं, तो क्या अब आल का दाम घटेगा कि बढेगा ?
आसान सा अनुमान/अंदाजा - आलू का दाम घटेगा क्योंकि आलू की सप्लाई/आपूर्ति बढ गयी है |

एक और स्थिति में , मान लो बेचने वाले के पास 10 किलो आलू हैं लेकिन अब दो खरीदार हैं और दोनों के पास 100-100 रुपये हैं | अब, आलू का दाम घटेगा या बढेगा ?
आसान सा अंदाजा/अनुमान- आलू का दाम बढेगा क्योंकि रुपयों की सप्लाई बढ गयी है और इसीलिए रुपये की कीमत घटेगी और दूसरे सामान का दाम बढेगा जैसे खाना-पीना, पेट्रोल, गैस, आदि |

असलियत में भी ऐसे ही होता है |

प्रश्न- ये रुपये कौन बनाता है और ये रूपये कहाँ से आते हैं(रुपये=एम3 देश में सभी नोट,सिक्के और सभी प्रकार के जमा राशि का जोड़ है) ?
रिसर्व बैंक के पास लाइसेंस है रुपयों को बनाने का और अनुसूचित बैंक(बैंक जिनको रिसर्व बैंक ने लाइसेंस दिया है रुपयों को बनाने का जमा राशि के रूप में) के पास भी | कोई स्वर्णमान (गोल्ड स्टैण्डर्ड) अभी नहीं है (कि जितना सोना है , उतना ही पैसा बना सकते हैं) , क्योंकि वो कई दशक पहले पूरी दुनिया में रद्द हो गया है | रिसर्व बैंक गवर्नर/राज्यपाल रुपयों को सरकार के कहने पर बनाता है |

केवल रिसर्व-बैंक ही नोट छाप सकती और सिक्के बना सकती है लेकिन अनुसूचित बैंक जैसे स्टेट बैंक, आई.सी.आई.सी.आई., आदि, भी रुपये (एम 3) बना सकते हैं जमा राशि के रूप में | ये रुपयों की सप्लाई/आपूर्ति में बढने से रुपयों का मूल्य/दम कम हो जाता है और ये दूसरे सामान का दाम बड़ा देता है जैसे खाना-पीना , तेल के दाम,आदि और सामान्य महंगाई का मुख्य कारण है |

प्रश्न- रिसर्व-बैंक और अनुसूचित बैंक रुपये क्यों बनाते हैं ?

वे ऐसा अमीर ,भ्रष्ट लोगों के लिए करते हैं | मुझे एक उदाहरण देने दीजिए | मान लीजिए एक अमीर कंपनी है, जिसके रिसर्व बैंक-गवर्नर(राज्यपाल), वित्त मंत्री के साथ सांठ-गाँठ है | वे एक सरकारी बैंक से 1000 करोड़ रुपयों का कर्ज लेते हैं और वापस 200 करोड़ रुपये चूका देते हैं | और क्योंकि उनके सांठ-गाँठ है, वे रिसर्व-गवर्नर, वित्त मंत्री आदि को बोलेंगे कि वे उनको हिस्सा/रिश्वत देंगे और बदले में उनको उनकी कंपनी को दिवालिया/`डूब गयी` घोषित करने दिया जाये |

फिर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है | अभी, यदि बैंक ये 800 करोड़ का घाटा लोगों को घोषित कर देता है , तब बैंक भी दिवालिया हो जायेगा(डूब जायेगी) और बैंक के ग्राहक को भी अपनी जमा राशि खोनी पड़ेगी और ग्राहक, जो आम नागरिक-मतदाता हैं, शोर करेंगे और सरकार को जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा | इस स्थिति से बचने के लिए, सरकार रिसर्व बैंक-गवर्नर/अनुसूचित बैंकों को 800 करोड़ रुपये बनाने के लिए कहती है | ये ज्यादा रुपयों की सप्लाई , जब बाजार में आ जाती है, तो रूपए की कीमत घट जाती है और सामान की कीमत बढ जाती है, यानी महंगाई हो जाती है |

प्रश्न-महंगाई व्यापारियों द्वारा सामान की जमाखोरी से या निर्यात/`देश से बाहर भेजना` से होती है क्योंकि इससे सामान की कमी होती है और सट्टा बाजार या कम पैदावार से भी महंगाई हो सकती है |

ये सभी स्थानीय कारण हैं और ये सामान्य, व्यापक स्तर से कीमतें नहीं बढाते हैं| सामान की जमाखोरी से सामान की कमी आती है लेकिन कोई भी हमेशा के लिए सामान को जमा नहीं कर सकता और बाजार में सामान को छोड़ने पर , कीमतें कम होंगी और सामान्य कीमतों के बढने में कीमतें **केवल एक ही दिशा में, ऊपर की ओर** जाती हैं और कीमतें एक बार जब बढ जाती हैं तो कभी भी गिरती नहीं हैं |

ऐसे ही कीमतों का उतार-चदाव का रुख/झुकाव देखा जा सकता है, खाने-पीनी की चीजों और दूसरे सामानों के सट्टे में |

और सभी चीजों देश से बाहर नहीं भेजी जाती, इसीलिए सामान का देश से बाहर भेजना कीमतों की ऊपर की ओर का सामान्य झुकाव के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता |

`सकलघरेलु उत्पाद (कुल)(जी.डी.पी)` 1951 से 2011 तक केवल तीन गुना बड़ा है , इसीलिए वो हज़ार गुना रुपयों की मात्र के बढौतरी के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता | पेट्रोल के दाम और धुलाई का लागत से भी आम महंगाई नहीं बढती क्योंकि धुलाई की लागत , किसी भी चीज की लागत की केवल 2-4% ही होता है |

प्रश्न- ये कीमतों का बढना=महंगाई सभी नागरिक, गरीब और अमीर,सांठ-गाँठ के साथ और बिना कोई सांठ-गाँठ के , दोनों को एक समान असर करती है ?

नहीं | जो लोग गरीब हैं, बिना किसी सांठ-गाँठ/संपर्क के , वे और गरीब हो जाते हैं जब सामान के दाम बढ जाते हैं | और अमीर, विशिष्ट वर्ग के लोग सरकार के साथ मिली-भगत बना लेते हैं और रुपयों को बनवा लेते हैं **मुफ्त में** !! इस तरह, अमीर, सांठ-गाँठ/संपर्क वाले लोग गरीब, बिना कोई राजनैतिक या उच्च संपर्क के, आम लोगों को लूट रहे हैं !!

(23.2) भारत में रूपया (एम – 3 = कुल मुद्रा (धन) संख्या = देश में चलन में कुल नोट और सिक्के ,सभी प्रकार के जमा राशि का जोड़) कौन निर्माण करता / बनाता है?

आम तौर पर यही समझा जाता है कि ‘रूपया’ शब्द का अर्थ है – जेब में पड़ा नकदी नोट, तिजोरियों में जमा नकदी नोट, चेक-खातों में जमा रकम, बचत खातों में जमा रकम, सावधि जमा रकम और उसपर मिलने वाला ब्याज आदि। जिसे हमलोग आम तौर पर रूपया कहते हैं उसे भारतीय रिजर्व बैंक एम – 3 कहता है। अब कृपया निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही आगे पढ़ें।

वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में भ्रष्टाचार पर प्रश्न

मान लीजिए, हम सभी लोगों की जेबें, खातों आदि में पड़े सभी रूपयों को जोड़ें और ‘रूपऐ की इस कुल संख्या’ को भारत की जनसंख्या से भाग दे दें तो हमें **प्रति व्यक्ति रूपया (एम – 3) रकम** का पता चल जाएगा। तब, अप्रैल 1951, अप्रैल 2004 और आज मान लीजिए, अप्रैल 2010 में प्रति व्यक्ति रूपया की राशि/रकम कितनी थी?

कृपया अनुमान लगाकर उत्तर दें और अनुमान से अपना जवाब दे देने के बाद ही आगे पढ़ें। कृपया ऊपर लिखित प्रश्न के उत्तर में अपना अनुमान लगाने से पहले इससे आगे न पढ़ें।

(23.3) जनवरी-1951 और दिसंबर-2008 के बीच निर्माण किये गए / बनाए गए रूपए (एम – 3)

निम्नलिखित दस्तावेज पर विचार कीजिए

	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज का यू आर एल
1	जनवरी 1951-2010 के बीच भारत की **माहवार** अनुमानित जनसंख्या का मेरा अपना अनुमान	http://righttorecall.info/doc/indian_population.pdf http://righttorecall.info/doc/data.001.pdf
2	अप्रैल-1951, अप्रैल-2004 के लिए	http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/69110.pdf
3	अप्रैल-2010 के लिए	http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Wss/PDFs/WSS140510F.pdf

4	1951-2009 के बीच सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी)	http://righttorecall.info/doc/annual_gdp.pdf
5	रूपयों और इसकी मात्रा के प्रकार	http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/69111.pdf

उपर्युक्त दस्तावेज से हमें निम्नलिखित आंकड़े मिलते हैं -

	विषय	**अप्रैल -1951**	**अप्रैल -2010**	**स्रोत**
1	भारत की जनसंख्या	36.16 करोड़	118.30 करोड़	दस्ता.-1, अप्रैल-51 पंक्ति दस्ता.-1, अप्रैल-10 पंक्ति
2	भारत में रूपए की मात्रा	2330 करोड़ रूपए	55,79,567 करोड़ रूपए	दस्ता.-2, पंक्ति 1 दस्ता.-3, तालिका- 7
3	**प्रति नागरिक रूपए**	**64 रूपए**	**47,164 रूपए**	(2) को (1) से भाग दें
4	60 वर्षों में रूपए की मात्रा में हुआ परिवर्तन	**730 गुना**		47164 रूपए / 65 रूपए
5	भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) (1999 मूल्य)	236,067 करोड़ रूपए	39,70,367 करोड़ रूपए	देखें दस्ता.-4 (2009 में 9% जोड़ें)
6	प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी)	6,528 रूपए	33,400 रूपए	(5) को (1) से भाग दें
7	60 वर्षों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में हुआ परिवर्तन	**5.2 गुना**		

इस प्रकार सारांशत:

1. **अप्रैल, 1951 में भारत के प्रति नागरिक पर कुल रूपया लगभग 65/- था।**
2. अप्रैल, 1951 और अप्रैल, 2010 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (हो सकता है कि दूसरों के द्वारा भी) इतने अधिक एम – 3, रूपए छापे गए कि अप्रैल, 2010 में प्रति नागरिक कुल रूपया लगभग 47164/- था अर्थात **730 गुना ज्यादा**। कृपया ध्यान दें कि यह 730 प्रतिशत बढ़ोत्तरी नहीं है बल्कि 730 गुना अर्थात 73,000 प्रतिशत की

बढ़ोत्तरी है। और ये संख्याऐं प्रति व्यक्ति के आधार पर हैं। और इस प्रकार जनसंख्या में हुई 4 गुना वृद्धि को पहले ही गिनती में लिया जा चुका है।

3. वर्ष 1951 से वर्ष 2010 तक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी **5.3 गुना से भी कम रही है।**

4. इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक (और दूसरों ने) रूपए की मात्रा 730 गुना बढ़ा दी ,वस्तुओं में प्रति नागरिक केवल 5.3 गुना की वृद्धि होने के बाद भी ।

5. **यही एकमात्र मुख्य कारण है कि क्यों मूल्य/महंगाई बढ़ी है।**

मैं पाठकों से अनुरोध करता हूँ कि वे महसूस करें कि रूपए की मात्रा में 730 गुना की वृद्धि का अर्थ/मतलब क्या है। इसका अर्थ है – वर्ष 1951 का हर रूपया 500 रूपए के एक नोट, 100 रूपए के दो नोटों और 10 रूपए के तीन नोटों (कुल 730/- रूपए) से बदल दिया गया है। और यह केवल प्रति नागरिक आधार पर है। यह देखते हुए कि जनसंख्या में लगभग 3.7 गुना की वृद्धि हुई है, रूपया की मात्रा में कुल वृद्धि लगभग 2400 गुना है। दूसरे शब्दों में, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1951 के (एक रूपए के) हर नोट को 1000 रूपए के दो नोट और 100 रूपए के चार नोट से बदल दिया है।

आइए अब मैं ,आप पाठकों के सामने एक परिदृष्य/खाका खींचता हूँ। मान लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान मुद्रा को वापस ले लेती है और नई मुद्रा जारी करती है। मान लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक हर एक रूपए के नोट को वापस लेकर नया 10 रूपए का नोट देती है, हर 5 रूपए के नोट वापस लेकर उसके बदले 50 रूपए का नया नोट जारी करती है, इत्यादि। तब क्या वस्तुओं जैसे दूध और रोटी/ब्रेड के दाम स्थिर ही रहेंगे? सामान्य बुद्धि से कहा जा सकता है कि मूल्य भी रातों-रात 10 गुना बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने रूपए की मात्रा प्रति व्यक्ति के आधार पर 730 गुना बढ़ा दी है और अप्रैल 1951 से लेकर अप्रैल 2010 तक के दौरान कुल मिलाकर लगभग 2400 गुना कर दी है।

सैंकड़ों अर्थशास्त्री रात दिन काम कर रहे हैं और सभी प्रकार के बकवास सिद्धांत दे रहे हैं कि क्यों कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन एक प्रमुख कारण यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों द्‌वारा छापा गया प्रति व्यक्ति रूपया इतना अधिक है कि रूपए की मात्रा आज 2010 में, 1951 में रूपए की जो मात्रा थी, उसकी 720 गुनी हो गयी है जबकि प्रति व्यक्ति आधार पर वस्तुओं की आपूर्ति/सप्लाई में 5.5 गुना से भी कम की वृद्धि हुई है। और इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में कीमतें 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। आइए अप्रैल, 2004 और अप्रैल, 2010 की तुलना करें -

	विषय	अप्रैल -2004	अप्रैल -2010	स्रोत
1	भारत की जनसंख्या	108.07 करोड़	118.30 करोड़	दस्तावेज़.-1, अप्रैल-51 पंक्ति दस्ता.-1, अप्रैल-10 पंक्ति
2	भारत में रूपए की मात्रा	20,60,153 करोड़ रूपए	55,79,567 करोड़ रूपए	दस्ता.-2, अप्रैल 4 पंक्ति दस्ता.-3, तालिका-7
3	**प्रति नागरिक रूपए**	**18,947 रूपए**	**47,164 रूपए**	(2) को (1) से भाग दें
4	6 वर्षों में रूपए की मात्रा में हुआ **परिवर्तन**	**2.5 गुना**		47164 रूपए / 19847 रूपए
5	भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) (1999 मूल्य)	0.5 गुना		

1. अप्रैल, 2004 में रूपए की मात्रा लगभग 18.900 रूपए प्रति नागरिक थी। अप्रैल, 2004 और अप्रैल, 2010 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य/दूसरे बैंकों द्वारा बहुत ही ज्यादा रूपए छापे गए और इसलिए रूपए की मात्रा अप्रैल, 2010 में बढ़कर लगभग 47,000 रूपए प्रति नागरिक हो गई यानि 2.5 गुना अथवा 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
2. इन 6 वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की वृद्धि 50 प्रतिशत से कम थी।
3. इसलिए अधिकांश वस्तुओं की कीमत दो गुनी या तीन गुनी हो गई और कुछ वस्तुओं जैसे जमीन आदि की कीमतें तो 2 से 10 गुना तक बढ़ गईं।

दूसरे शब्दों में, पिछले 6 वर्षों में अनाज, दालें, जमीन आदि की कीमतें बढ़ गईं। मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और अन्य बैंकों के अध्यक्षों ने काफी बड़ी मात्रा में रूपए छापे। अप्रैल, 2004 का प्रत्येक रूपया अब अप्रैल, 2010 में एक रूपए के दो नोट और पचास पैसे के एक सिक्के से बदल गए। बहुत से अर्थशास्त्री झूठ बोला करते हैं और वे सभी प्रकार के काल्पनिक कारण जैसे वैश्विक मंदी को कारण बताएंगे या तेल मूल्यों में वृद्धि को कारण बता देंगे आदि, आदि। ये सभी कारण नकली, झूठे और गलत हैं। एकमात्र मुख्य कारण है – भारतीय रूपयों की अंधाधुंध/अनियंत्रित निर्माण/उत्पादन। **यदि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने रूपयों की अंधाधुंध बनाने/उत्पादन को काबू/नियंत्रण में रखा होता तो मूल्यों में इतनी ज्यादा बढौतरी/वृद्धि नहीं होती।** हमलोग भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त-मंत्री की मंशाओं/मकसद की जांच बाद में करेंगे। यही कारण है कि हम नागरिकों के पास भारतीय रिजर्व

बैंक के गवर्नर को हटाने/बर्खास्त करने की प्रक्रियाएं अवश्य होनी चाहिएं। क्योंकि यदि हम नागरिकों के पास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को हटाने/बर्खास्त करने का कोई तरीका नहीं होगा तो वह मनमानी पर उतर आएंगे और इतने अधिक रूपए छापेंगे कि सभी वस्तुओं की कीमत/दाम कई गुना बढ़ती चली जाएगी।

(23.4) भारत में वे कौन लोग हैं जो रूपए (एम-3= कुल मुद्रा/धन संख्या) निर्माण करते / बनाते हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मैंने दिखलाया है कि भारत में कुछ ऐजेंसियों ने वर्ष 1951 से 2010 के बीच इतने अधिक रूपए बनाये/निर्माण किये कि रूपए की मात्रा अप्रैल, 1951 में 65 रूपया प्रति नागरिक से बढ़कर अप्रैल, 2004 में 18,900 रूपया प्रति नागरिक और अप्रैल, 2010 में 47000 रूपया प्रति नागरिक हो गयी। इसलिए अब यह प्रश्न उठता है कि : **भारत में ये सभी रूपए/नोट कौन बनाता है?** क्या भारत में भारतीय रिजर्व बैंक एकमात्र/सर्वसर्वा ऐजेंसी है अथवा भारत में और भी कुछ ऐजेंसियां हैं जिन्हें भी रूपए बनाने का अधिकार मिला हुआ है? आइए, एक बार फिर उन पांच दस्तावेज की जांच करें जिसे मैंने इस पहली सूची में सूचीबद्ध किया है।

इस पाठ की पहली तालिका में दिए गए ऊपर लिखित पांच दस्तावेज से हम पाते हैं कि

	विषय	**मात्रा/आयतन**	**स्रोत**
1	अप्रैल, 2010 में रूपया (एम – 3)	55,79,567 करोड़ रूपया	दस्तावेज -3, तालिका -7, स्तंभ -1
2	अप्रैल, 2010 में जनसंख्या	118.30 करोड़	दस्तावेज -1, अप्रैल -10 के लिए इन्ट्री/प्रविष्ठि देखें
3	अप्रैल -2010 में प्रति नागरिक रूपया	47,164 रूपया	(1) को (2) से भाग दें
4	वर्ष 1934 से अप्रैल- 2010 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट के रूप में बनाये गए/निर्माण किये गए रूपए	8,20,219 करोड़ रूपया	दस्तावेज -3, तालिका -1, स्तंभ -1
5	अप्रैल- 2010 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट के रूप में बनाये गए प्रति व्यक्ति रूपए	**6400** रूपया	(4) को (2) से भाग दें
6	अप्रैल- 2010 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा/डिपॉजिट के रूप में बनाये गए प्रति व्यक्ति रूपए	356,084 करोड़	दस्तावेज 3, तालिका -8, स्तंभ -4,5

7	अप्रैल- 2010 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा/डिपॉजिट के रूप में बनाये गए प्रति व्यक्ति रूपए	**3010** रूपया	(6) को (2) से भाग दें
8	अप्रैल- 2010 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट और जमा/डिपॉजिट के रूप में बनाये गए प्रति व्यक्ति रूपए	**9410** रूपया	**(5) और (7) को जोड़ें**
9	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सिक्के	10910 करोड़ रूपया	दस्तावेज -3, तालिका -8, स्तंभ -15
10	जारी किए गए प्रति व्यक्ति सिक्के	92 रूपया	(9) को (2) से भाग दें
11	अप्रैल- 2010 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट और जमा/डिपॉजिट और सिक्कों के रूप में बनाये गए/निर्माण किये गए प्रति नागरिक रूपए	**9502** रूपया	(8) और (10) को जोड़ें

बहुत से नागरिक गलत सोचते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशि वास्तविक रूपया नहीं होती, जबकि केवल भारतीय रिजर्व बैंक का रूपया ही वास्तविक होता है। यह गलत धारणा है और यह कहने के बराबर है कि पेपर(कागज) शेयर सर्टिफिकेट ही वास्तविक होता है जबकि *डिमैंट(इलेक्ट्रोनिक)* खाते वास्तविक नहीं होते !! हम जानते हैं कि पेपर(कागज) शेयर सर्टिफिकेट के भी *डिमेंट(इलेक्ट्रोनिक) एकाउन्ट* की ही तरह कुछ वोटिंग-अधिकार अथवा कीमत होते हैं। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक की जमाराशि उतना ही वास्तविक होती है जितना की भारतीय रिजर्व बैंक के नोट/रूपए होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक रूपए (एम 3) को दो रूप में या दो तरह से छापता है, पहला है – भारतीय रिजर्व बैंक के नोट , जिन्हें हम नागरिक अपने साथ रखते हैं और दूसरा है – भारतीय रिजर्व बैंक के खातों में जमा रकम। भारतीय रिजर्व बैंक अपने जमा के बराबर रूपए छाप सकता है और इसे जमाकर्ताओं को देता है, जब वे इसकी मांग करते हैं। लेकिन अधिकांश बार, भारतीय रिजर्व बैंक के नोट खुदरा लेनदेन की जरूरतों से अधिक होते हैं और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी जमाराशि को नोटों में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यह 'भारतीय रिजर्व बैंक में डिपॉजिट' सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए करेंसी नोटों(मुद्रा) के बराबर होते हैं।

इसलिए कुल मिलाकर अप्रैल, 2010 में भारत में रूपए (एम 3) की कुल राशि प्रति नागरिक 47000 रूपए थी जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने केवल 9410 रूपए ही छापे और वित्त

मंत्रालय ने 90 रूपए प्रति नागरिक के हिसाब से सिक्के ढ़लवाए। इसलिए, **किस ऐजेंसी ने बाकी के रूपए अर्थात (47000 – 9410 – 90) = 37500 रूपए प्रति नागरिक बनाये?**

आइए, मैं अप्रैल, 2004 के अनुसार और अप्रैल, 2010 के अनुसार रूपए की मात्रा की तुलना करके और विस्तार से बताता हूँ।

	विषय	**अप्रैल -2004**	**अप्रैल -2010**	**स्रोत**
1	भारत की जनसंख्या	108.07 करोड़	118.30 करोड़	दस्ता.-1, अप्रैल-51 पंक्ति दस्ता.-1, अप्रैल-10 पंक्ति
2	भारत में रूपए की मात्रा	20,60,153 करोड़ रूपए	55,79,567 करोड़ रूपए	दस्ता.-2, अप्रैल 4 पंक्ति दस्ता.-3, तालिका- 7
3	**प्रति नागरिक रूपए**	**18,947 रूपए**	**47,164 रूपए**	(2) को (1) से भाग दें
4	प्रति व्यक्ति रूपए की मात्रा में वृद्धि		28,047 रूपए	
5	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोटों के रूप में बनाये गए रूपए + जमा/डिपॉजिट	435,083 करोड़ रूपए	8,20,219 करोड़ रूपए	दस्तावेज -2 देखें दस्तावेज -3 देखें
6	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति नागरिक नोटों के रूप में बनाये गए रूपए + जमा/डिपॉजिट	4000 रूपए	9400 रूपए	(5) को (1) से भाग दें
7	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति नागरिक नोटों के रूप में बनाये गए रूपए + जमा/डिपॉजिट में वृद्धि		**5400** रूपए	

दूसरे शब्दों में, अप्रैल, 2004 और अप्रैल, 2010 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने केवल 5400 रूपए प्रति नागरिक (के हिसाब से) रूपए बनाये जिनमें से कुछ नोट के रूप में थे और कुछ 'भारतीय रिजर्व बैंक की जमाराशि' के रूप में था। लेकिन भारत भर में नागरिकों के खातों में कुल रूपए (एम 3) लगभग 28,000 (प्रति नागरिक) ज्यादा बढ़ गए थे। इसलिए, इनसे पाठकों को यह तो आश्वस्त किया ही जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में एकमात्र ऐजेंसी नहीं है जो भारतीय रूपए (एम 3) छापती है। दूसरी और भी ऐजेंसियां हैं जो भारतीय रूपया छापती हैं। हालांकि यह करेंसी(मुद्रा) नोटों के रूप में नहीं होते। वास्तव में, आज की

तारीख में भारत में जितना भी रूपया है उसका केवल लगभग 20 प्रतिशत ही भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। शेष 80 प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा दूसरे बैंकों द्वारा बनाये गए हैं।

(23.5) भारतीय स्टेट बैंक ,बैंक ऑफ बड़ौदा आदि जैसे बैंकों को रूपए (एम 3) निर्माण करने / बनाने का अधिकार प्राप्त है !!

यह अधिकांश पाठकों के लिए आश्चर्य में डालने वाली बात हो सकती है। लेकिन भारत में सांसदों ने कानून बनाकर, वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि बैंकों को रूपए (एम 3) बनाने की अनुमति दे दी है जो पासबुक के रूप में होती है। भारतीय स्टेट बैंक नोटों के रूप में रूपए नहीं बना सकती और यह बनाएगी भी नहीं – यह एक ऐसा काम है जिसे करने का अधिकार केवल भारतीय रिजर्व बैंक को ही है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक पासबुक बैलेंस(बकाया) अथवा सावधि जमा/फिक्सड डिपोजिट के रूप में रूपए (एम 3) बना सकता है। और यह कानूनी है। ऐसे बैंक अनुसूचित/शेड्युल्ड बैंक कहलाते हैं अर्थात ऐसे बैंक जिनके पास पासबुक के रूप में भारतीय रूपए बनाने का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त है। **राइट टू रिकॉल ग्रुप/प्रजा अधीन राजा समूह एकमात्र ऐसी पार्टी/समूह है जो भारत के सभी नागरिकों के प्रति प्रतिबद्ध/समर्पित है कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि बैंक भारतीय रूपया (एम 3) छापते हैं।**

यह भारतीय स्टेट बैंक आदि *पासबुक मनी(मुद्रा)* के रूप में भारतीय रूपए बनाते हैं। और इन नए बनाये रूपयों को प्रचलन/प्रवाह में लाने के लिए ,उन्हें इन नए बनाये गए नोटों को उन व्यक्तियों/कम्पनी के बचत खाते अथवा चालू खाते अथवा सावधि जमा खाते में जोड़ने की अनुमति है जो ऋण लेना चाहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक इस तरीके से कितना रूपया छाप सकता है? यह रूपए के रूप में नोटों अथवा भारतीय स्टेट बैंक के यहां भारतीय रिजर्व बैंक की जमा रकम के लगभग 15 गुना के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में ,यदि भारतीय स्टेट बैंक के पास, मान लीजिए, करेंसी(मुद्रा) नोटों के रूप में 1000 रूपया है तो भारतीय स्टेट बैंक लगभग 15000 रूपए बना सकती है और उन व्यक्तियों के खतों में डाल सकती है जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक ऋण देना चाहती है।

अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार, सभी गैर-भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा कितने रूपए बनाये गए हैं? कृपया दस्तावेज 3 की तालिका 7 और तालिका 8 के पहले सभी स्तंभ की पहली लाईन/पंक्ति देखें। तालिका 7 में आज की तारीख तक भारत में सभी बैंकों द्वारा छापे गए कुल रूपए दर्शाए गए हैं। अप्रैल, 2010 में यह 5579567 करोड़ रूपए था जो प्रति नागरिक 47164 रूपए होता है। तालिका 8 'रिजर्व पैसा' को दर्शाता है और इस बात/शब्द का अर्थ और कुछ नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गए रूपए हैं जो 1185281 रूपए था अर्थात लगभग 9765 रूपए प्रति नागरिक । **इसलिए लगभग (47164 – 9765 रूपया) = 37398 रूपया अप्रैल, 2009 और अप्रैल, 2010 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा दूसरे बैंकों द्वारा छापे गए हैं।**

इनमें से कितना रूपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छापा गया है? कितना रूपया बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा छापा गया है? देखिए, यदि आप मुझे सभी बैंकों के बैलेंस शीट और क्लोजिंग शीट उपलब्ध कराते हैं तो मैं इनका उत्तर आपको दे सकता हूँ। यह तरीका/विधि इस प्रकार है :- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा छापा गया लगभग पैसा = भारतीय स्टेट बैंक खातों में जमा रकम –

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के कोष्ट(वाउल्ट) में दिया गया रूपया – भारतीय रिजर्व बैंक में भारतीय स्टेट बैंक की जमा रकम।

यह तो अनुमानित संख्या है। इसमें अन्य कारक भी होते हैं। जैसे , भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लिया गया ऋण, भारतीय स्टेट बैंक की अपनी पूंजी आदि। भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के बैलेंस शीट को समझने पर विस्तृत चर्चा/विवरण 'भारत के रूपए की मात्रा' नामक एक अलग लेख में की जाएगी। लेकिन अब तक के दिए गए आंकड़ों से पाठकों को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि भारतीय स्टेट बैंक आदि बैंक पासबुक के रूप में निश्चित रूप से रूपया बनाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक रूपया छपवाता तो है लेकिन यह कहना कि केवल भारतीय रिजर्व बैंक ही रूपया बनाता है, 20 प्रतिशत सच और 80 प्रतिशत झूठ है।

अब क्या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बनाये गए रूपए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गए रूपए में कोई अन्तर होता है? मेरा उत्तर है- मैंने इस प्रश्न का जवाब अनेकों अर्थशास्त्रियों से पूछा है और उनमें से कोई भी भारतीय रिजर्व बैंक के रूपए और भारतीय स्टेट बैंक के रूपए के बीच कोई अन्तर बता नहीं पाया । और एक आम गलत तर्क यह दिया जाता है कि *: यदि भारतीय स्टेट बैंक का प्रत्येक खाताधारक भारतीय स्टेट बैंक में जाकर अपने–अपने भारतीय स्टेट बैंक जमा के बदले भारतीय रिजर्व बैंक रूपए मांगे तो भारतीय स्टेट बैंक चूककर्ता/डिफाल्टर हो जाएगी।* और भारतीय स्टेट बैंक जमाकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक के नोट देने में समर्थ नहीं हो पाएगी। यह तर्क गलत है। यदि भारतीय स्टेट बैंक के सभी जमाकर्ता भारतीय स्टेट बैंक में जाएं और भारतीय रिजर्व बैंक के नोट मांगें तब वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को यह निर्णय करना होगा कि वे भारतीय स्टेट बैंक को *चूककर्ता/डिफाल्टर* होने देना चाहते हैं या भारतीय स्टेट बैंक को बचाना चाहते हैं। यदि वे चाहते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक *चूककर्ता/डिफाल्टर* हो जाए तो हां, भारतीय स्टेट बैंक निश्चित रूप से *चूककर्ता/डिफाल्टर* हो जाएगी। लेकिन यदि वे भारतीय स्टेट बैंक को बचाना चाहते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आवश्यक संख्या में भारतीय रिजर्व बैंक के नोट छापकर इसे भारतीय स्टेट बैंक बौन्ड के बदले अथवा सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक के ऋण के रूप में भारतीय स्टेट बैंक को भिजवा देंगे। इसलिए सारांशत: यह मानते हुए कि वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर किसी भी परिस्थिति में भारतीय स्टेट बैंक को *चूककर्ता/डिफाल्टर* बनने नहीं देंगे, तो भारतीय स्टेट बैंक के खाते में पड़े रूपए भी भारतीय रिजर्व बैंक नोटों के समान/बराबर हैं ।

(23.6) नए बनाये गए रुपये कौन देता है और किसे दिए जाते हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रूपयों को करेंसी(मुद्रा), नोटों के रूप में बनाकर और भारतीय रिजर्व बैंक के बुक/किताब में जमा कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक डॉलर जमा करवाने अथवा सरकारी बांडों के बदले रूपए बनाती है। उदाहरण – जब कोई व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में डॉलर जमा करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक उतने रूपए मान लीजिए, 45 रूपए, बना सकती है और उस व्यक्ति को या उस बैंक को दे सकती है जिसमें उस व्यक्ति का खाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के 100 रुपये बॉन्ड के बदले, 100 रूपए बना सकती है और भारत सरकार को दे सकती है। कुल मिलाकर, जो भी रूपया भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है वह पैसा उस व्यक्ति के पास जाता है जिसने डॉलर जमा किए हों या भारत सरकार के पास

जाता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक में नए छपे रूपयों के देने में बेतहाशा/ अनियंत्रित भ्रष्टाचार की संभावना बहुत ही कम है।

लेकिन जब एक गैर भारतीय रिजर्व बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक आदि रूपए छापते हैं तो यह भारत सरकार या निजी संस्थान को ऋण के रूप में दिया जाता है। अप्रैल, 2010 के अनुसार, गैर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों ने सरकार को ऋण के रूप में 1,44,8041 करोड़ रूपए दिए हैं और निजी व्यक्तियों तथा कम्पनियों को 34,81,925 करोड़ रूपए दिए हैं। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि गैर भारतीय रिजर्व बैंकों ने सरकार को 12,240 रूपए प्रति नागरिक का ऋण दिया है और नागरिकों को 29,430 रूपए प्रति नागरिक ऋण दिया है। सरकार को दिए गए ऋण में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता लेकिन निजी इकाईयों / धंधों को ऋण देने में भ्रष्टाचार हो सकता है और बड़े ऋणों में, जिनमें कोई जमानत/गारंटी नहीं लिया जाता, वहां भ्रष्टाचार की बहुत संभावना होती है। और अकसर भ्रष्टाचार ही वह कारण होता है कि जिसके कारण बैंकों के चेयरमैन, वित्त मंत्रालय के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, वित्त मंत्री आदि हमेशा अधिक से अधिक रूपए (एम 3) बनाने और उसे ऋण के रूप में देने को उत्सुक रहते हैं। निजी इकाईयों /धंधो को दिए गए ऋण में से कई ऋण वापस ही नहीं आते अथवा *पौंजी योजना* लागू की जाती है जिसमें पुराने कर्ज़/ऋण केवल तभी चुकाए जाते हैं जब नए ऋण जारी किये जाते हैं या दिए जाते हैं। यदि ऋण नहीं चुकाया जाता है तो इससे बैंकों को और अधिक रूपए बनाने की जरूरत पड़ती है ताकि जमाधारकों/डिपॉजिटर्स का पुन:भुगतान किया जा सके। और जब किसी उधार लेने वाले को नए ऋण दिए भी जाते हैं ताकि वह पुराने ऋण चुका सके, तो भी बैंकों को नए ऋण लगातार जारी करते रहने के लिए रूपए बनाने ही पड़ते हैं। किसी भी परिस्थिति में नए छापे गए नोट प्रचलन/सर्कुलेशन में चले ही जाते हैं।

(23.7) निर्माण किया / बनाया गया रूपया कैसे धन चुरा रहा है?

अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात पर जोर देते हैं कि नागरिकों को भारतीय रिजर्व बैंक के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक जितने भी रूपए बनाना चाहता है, उसे बनाने देना चाहिए। और वे स्पष्ट तौर पर इनकार/मना कर देते हैं कि जब बैंकों द्वारा बनाये गए नए रूपयों, वर्तमान/पुराने नोटों की भी कीमत घटाएंगे । यह केवल उनकी(अर्थशास्त्रियों की)व्यक्तिगत राय है। जहां तक मैं समझता हूँ, नए बनाये गए हर रूपए के साथ ही मौजूदा/पुराने रूपयों की कीमत भी तदनुसार घटती है। अर्थात यदि रूपए की आपूर्ति/सप्लाई किसी वर्ष 20000 रूपए प्रति नागरिक है और यदि भारतीय रिजर्व बैंक (और अन्य बैंक) उसी वर्ष के दौरान प्रति नागरिक 20000 रूपया के बराबर एम – 3 बनाती है तो पैसे की कीमत लगभग आधी हो जाएगी और यह उन लोगों की संपत्ति की भी आधी हो जाएगी और उनकी आधी संपत्ति उन व्यक्तियों के हाथों में चली जायेगी जिन्हें नए छपे नोट/रूपए मिले हैं। इसे ठीक से समझने के लिए निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं पर गौर/विचार करें –

	विषय / विचार	अप्रैल -2009	अप्रैल -2010	स्रोत
1	भारत की जनसंख्या	116.87 करोड़	118.30 करोड़	दस्ता.-1, अप्रैल-09 पंक्ति दस्ता.-1, अप्रैल-10 पंक्ति
2	भारत में रूपए की मात्रा	48,58,917 करोड़ रूपए	55,79,567 करोड़ रूपए	दस्ता.-3, तालिका- 7 दस्ता.-3, तालिका- 7
3	**प्रति नागरिक रूपए**	**41,587 रूपए**	**47,164 रूपए**	(2) को (1) से भाग दें
4	प्रति व्यक्ति रूपए की मात्रा में वृद्धि		5,585 रूपए	47,164 रूपए – 41,587 रूपए
5	प्रति व्यक्ति रूपए की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि		13.4%	

इसलिए, अप्रैल, 2009 और अप्रैल, 2010 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और अन्य बैंकों के वरिष्ठ स्टॉफ ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की शह/आशीर्वाद से अप्रैल, 2009 में (मौजूद) रूपयों के लगभग 14 प्रतिशत के बराबर रूपए बना दिए। इन रूपयों के छपने के बाद, नए बनाये गए रूपयों में से लगभग 40 प्रतिशत सरकार को दिए और शेष निजी इकाईयों/इन्टिटिज/धंधों को दिए गए। **ये नए बनाये 14 प्रतिशत रूपए और कुछ नहीं बल्कि अप्रैल, 2009 में लोगों के पास के रूपयों में से लगभग 14 प्रतिशत की चोरी थी।** यदि हम नियमित रूप से पाए जाने वाले लगभग 6 प्रतिशत ब्याज को घटा भी दें तो भी यह 8 प्रतिशत की चोरी तो है ही। इसलिए, **रूपए का बनाना और बैंकों के अध्यक्ष, वित्त मंत्री (मंत्रालय) के अधिकारियों, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आदि के नजदीकी लोगों को देना रूपया धारकों के रूपए चुराने के बराबर/समान है।**

रूपए छापने से उनलोगों को फायदा होता है जिनके नजदीकी संबंध/रिश्ते निदेशकों, अध्यक्षों आदि तथा बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय से होते हैं। और इससे उन लोगों को भी फायदा होता है जिनके संबंध उच्चतम न्यायालय/सुप्रीम-कोर्ट के शक्तिशाली वकीलों के साथ होते हैं। और कर्ज़/ऋण आदि से जुड़े अनेक मामले जब कानूनी मुकद्दमों/वादों में पड़ जाते हैं तब इनमें नामी वकील लोग जिनका जजों के बीच अच्छा नाम है ,हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर रूपए बनाने से उन लोगों के धन की लूट/डकैती होती है जिनके तार राजनैतिक लोगों से कम ही जुड़े होते हैं और यह धन उन लोगों के पास जाता है जिनके राजनैतिक लोगों के साथ संबंध/तार अच्छे से जुड़े होते हैं। ऐसा गलत काम करने के लिए मतदाताओं/वोट मैगनेट्स की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि उन लोगों की जरूरत पड़ती है जो बैंकों, पुलिस, न्यायालयों और मीडिया पर अपने नियंत्रण के जरिए मतदाताओं/वोट मैगनेट्स पर नियंत्रण करते हैं।

हम इस लूट को कैसे रोक सकते हैं? राइट टू रिकॉल ग्रुप/ प्रजा अधीन राजा समूह के सदस्य के रूप में मेरा एक लक्ष्य यह भी है कि मैं उन प्रक्रियाओं को लागू करवाऊं जिससे हम नागरिक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को हटा/बदल सकें

और इस प्रकार रूपए के बनाने (का निर्णय) नागरिकों के हाथों में आ जाए। इससे रूपए के निर्माण/बनाने के माध्यम से होने वाली लूट कम हो जाएगी।

(23.8) इसलिए ,कीमतें / मूल्य बढ़ने का असली कारण?

कीमतें सिर्फ इसलिए बढ़ती हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (और अन्य बैंक) वास्तविक अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से बहुत ही ज्यादा रूपए बनाते हैं। विकास दर बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती है क्योंकि मुद्रास्फीति सूचकांक कम करके बताया जाता है (सही रिपोर्ट नहीं दी जाती है) और यह गलत रिपोर्ट भूमि की कीमत (जैसे कि आज कोई भूमि नहीं चाहता है) को सूचकांक में शामिल न करके की जाती है। नए बने रूपए वर्तमान रूपयों की कीमत कम कर देते हैं और सभी प्रकार से यह रूपया धारकों से रूपए ले लेने/हड़प लेने के समान है। **यह मूल्य वृद्धि केवल अत्यधिक रूपयों के बनाने के कारण ही होती है।**

इसलिए वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री आदि रूपए का बनाना/विनिर्माण कम क्यों नहीं कर देते? क्योंकि भारत में विशिष्ट/ऊंचे लोगों को रूपए चाहिए और राजस्व(आमदनी) के द्वारा रूपए प्राप्त करना उनके लिए बहुत ही कठिन होता है क्योंकि अधिकांश विशिष्ट/ऊंचे लोगों में राजस्व के द्वारा रूपए कमाने के लिए जरूरी तकनीकी कौशल/दक्षता नहीं होती। इसलिए वे आसान रास्ता चुनते हैं – बस उन्हें (रूपयों को) बनाओ/निर्माण करो और काफी कम ब्याज पर कर्ज़/ऋण के रूप में लेना होता है और इनमें से कई लोग तो कर्ज़ तक चुकाते नहीं हैं और इसलिए बैंकों को और अधिक रूपए बनाने की जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए यदि प्रधान मंत्री/वित्त मंत्री भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष से रूपए बनाना बन्द करने के लिए कहा जाए तो ये विशिष्ट/ऊंचे लोग समाज में अपना स्थान सबसे ऊपर बनाए रखने के लिए रूपए नहीं पा सकेंगे।

यदि बैंक रूपए बनाना बन्द कर दें तो क्या उद्योग कार्य करना बन्द कर देंगे? नहीं। आज की स्थिति के अनुसार बैंक रूपए बनाती है और उन व्यक्तियों को देती है जिनके तार बैंकों के साथ जुडे होते हैं और ये लोग जमीन, वस्तुएं आदि खरीदते हैं और उद्योग-धंधे चलाते हैं। यदि बैंक रूपए बनाकर और बनाकर उद्योगपतियों को देना बन्द कर दें तो इन वस्तुओं की कीमत गिरेगी और इस प्रकार उद्योग कम ही रूपयों में चलेंगे लेकिन इससे सामग्री की मात्रा प्रभावित नहीं होगी। तो फिर क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन यह आएगा कि उद्योगों पर नियंत्रण उन लोगों के हाथों में से निकल जाएगा जिनके बैंकों से संबंध हैं और उन लोगों के हाथों में चला जाएगा जिनके बैंकों से संबंध नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, उद्योग पर नियंत्रण उनके हाथों में चला जाएगा जिनके पास तकनीकी कौशल होगा न कि केवल राजनैतिक संबध/पहुंच रखने वालों के हाथ में रहेगा। नियंत्रण रखना ही एकमात्र कारण है कि क्यों विशिष्ट/ऊंचे लोगों चाहते हैं कि बैंक अधिक से अधिक रूपए छापें। यह नए बने पासबुक वाले रूपए (एम 3) <u>नए कर्जों</u> के रूप में दे दिए जाते हैं। कृपया ध्यान दें कि नए कर्जे, पुराने कर्जों के चुकाए/लौटाए गए रूपयों से जारी किए गए कर्जे नहीं । भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी वे आंकड़े नहीं देते जिनमें यह बताया गया हो कि कौन से लोगों ने कितने नए बनाये गए रूपए पाए/लिए लेकिन नए बनाये रूपयों में से अधिकांश रूपया सबसे पहले भारत की जनसंसंख्या की शीर्ष/सबसे ऊपर के 0.1 प्रतिशत लोगों को दिए जाते हैं। और इन रूपयों का लगभग आधा हिस्सा भारत के शीर्ष

500,000 धनवान लोगों के पास कर्ज़ के रूप में जाता है। दूसरे शब्दों में, भारतीय जनसंख्या के शीर्ष 0.1 प्रतिशत लोगों को वर्ष 2008 में छपे 750,000 करोड़ रूपए का एक बहुत बड़ा हिस्सा मात्र 'भुगतान करने के वायदे' पर ही दे दिया गया।

(23.9) समाधान – 1 : प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

प्रस्तावित प्रक्रिया का क़ानून-ड्राफ्ट /प्रारूप इस प्रकार है –

#	निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया	प्रक्रिया/अनुदेश
1	-	नागरिक शब्द का मतलब/अर्थ रजिस्टर्ड वोटर/मतदाता है।
2	जिला कलेक्टर	यदि भारत का कोई भी नागरिक भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) का गवर्नर बनना चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के समक्ष/ कार्यालय स्वयं अथवा किसी वकील के जरिए एफिडेविट लेकर जा सकता है। जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्क लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद के लिए उसकी दावेदारी स्वीकार कर लेगा।
3	तलाटी/पटवारी/लेखपाल (अथवा तलाटी का क्लर्क)	यदि उस जिले का नागरिक तलाटी/ पटवारी के कार्यालय में स्वयं जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद के लिए अनुमोदित करता है तो तलाटी उसके अनुमोदन/स्वीकृति को कम्प्युटर में डाल देगा और उसे उसके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र, दिनांक और समय, और जिन व्यक्तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ रसीद देगा।
4	तलाटी	वह तलाटी नागरिकों की पसंद/अनुमोदन/स्वीकृति को जिले के वेबसाइट पर उनके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र और उसकी पसंद के साथ डाल देगा।
5	तलाटी	यदि कोई नागरिक अपने अनुमोदन/स्वीकृति रद्द करने के लिए आता है तो तलाटी उसके एक या अधिक अनुमोदनों को बिना कोई शुल्क लिए बदल देगा।.
6	मंत्रिमंडल सचिव	प्रत्येक महीने की पांचवी तारीख को मंत्रिमंडल सचिव प्रत्येक उम्मीदवार की अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती पिछले महीने की अंतिम तिथि की स्थिति के अनुसार प्रकाशित करेगा।
7	प्रधानमंत्री	यदि किसी उम्मीदवार को किसी जिले में सभी दर्ज/रजिस्टर्ड

		मतदाताओं के 51 प्रतिशत से ज्यादा नागरिक-मतदाताओं (केवल वे मतदाता ही नहीं जिन्होंने अपना अनुमोदन/स्वीकृति फाइल किया है बल्कि सभी दर्ज मतदाता) का अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाता है तो प्रधानमंत्री मौजूदा/वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को हटा सकते हैं या उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है और उस सर्वाधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त उस उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त **कर सकते हैं** या उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।
8	जिला कलेक्टर	यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी/डी सी के कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा सकता है और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
9	तलाटी (या पटवारी)	यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह उपर के खंड में प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर हां – नहीं दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्क देगा। तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद/पावती देगा। यह हां – नहीं प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाला जाएगा।
10	सी.वी -1 (जनता की आवाज़-1) जिला कलेक्टर	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पन्ने का शुल्क/फीस लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
11	सी.वी -2 (जनता की आवाज़-2) तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल)	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

प्रस्तावित कानून का सार इस प्रकार है –

1. भारत का कोई भी नागरिक सांसद के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्क जिला कलेक्टर के पास जमा कराकर खुद/स्वयं को भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) के गवर्नर के उम्मीदवार के रूप में पंजीकृत/रजिस्टर करवा सकता है।
2. भारत का कोई भी नागरिक तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) के गवर्नर के पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। तलाटी उसे उसके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र और जिन व्यक्तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ रसीद देगा।
3. कोई नागरिक अपना अनुमोदन/स्वीकृति किसी भी दिन रद्द/कैंसिल भी करवा सकता है।
4. तलाटी नागरिकों की प्राथमिकता को जिले की वेबसाइट पर उनके/नागरिकों के वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र संख्या और उसकी प्राथमिकता/पसंद के साथ डाल देगा।
5. यदि किसी उम्मीदवार को सभी दर्ज/रजिस्टर्ड मतदाताओं के 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं (केवल वे मतदाता ही नहीं जिन्होंने अपना अनुमोदन/स्वीकृति फाइल किया है बल्कि सभी दर्ज मतदाता) का अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाता है तो प्रधानमंत्री मौजूदा/वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) के गवर्नर को हटा देंगे और उस सर्वाधिक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त उस उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) के गवर्नर के रूप में नियुक्त कर देंगे / रखेंगे ।

इसके अलावा, नागरिकों को प्रजा अधीन–भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष (कानून) भी लागू करवाना चाहिए ताकि भारतीय स्टेट बैंक भी बहुतायत/बेहिसाब रूपए न बनाये। प्रजा अधीन – भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कानून का प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट भी प्रजा अधीन–भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के समान ही है।

(23.10) (रूपए) जमा करने और कर्ज़ / ऋण देने की प्रणालियों / सिस्टम में बदलाव लाना

मैं राइट टू रिकॉल ग्रुप/ प्रजा अधीन राजा समूह के सदस्य के रूप में नोट/करेंसी प्रणाली/सिस्टम में निम्नलिखित बदलाव/परिवर्तन का प्रस्ताव करता हूँ –

1. उन प्रक्रियाओं को लागू करें जिसके सहारे नागरिकगण भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को बदल/हटा सकें।
2. सभी बैंको का विलय भारतीय स्टेट बैंक में किया जाए
3. सभी सरकारी बैंकों को निधि के हस्तांतरण/फंड ट्रान्सफर और भंडारण के काम करने तक ही सीमित रखें
4. ऋण/कर्ज़ देने में सरकारी बैंकों की भूमिका में कटौती करें। सरकारी बैंक गारंटी-रहित कर्ज़ केवल नागरिकों को ही देंगे, कम्पनियों को नहीं। और प्रति व्यक्ति 2,00,000 रूपए से

कम का कर्ज़ देंगे और 8 प्रतिशत के ब्याज पर उन व्यक्तियों को ही देंगे जो इसके पात्र/योग्य होंगे।

5. सरकारी बैंक केवल कम्पनियों को ऋण/कर्ज़, किन्हीं व्यक्तियों को गारंटर बनाकर ही देंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई कम्पनी मान लीजिए, 200 करोड़ रूपए का कर्ज़/ऋण चाहती है तो उसे 10,000 बालिग/वयस्क व्यक्तियों को सामने लाना होगा जिनमें से हरेक व्यक्ति 2,00,000 रूपए की गारंटी देने की इच्छा रखता हो।

6. (किसी बड़े संस्था की)बड़ी आर्थिक सहायता/ बेल आउट के लिए सभी नागरिक-मतदाताओं के 51 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के अनुमोदन/स्वीकृति की जरूरत होगी।

7. सरकारी बैंक केवल बचत खातों को ही सहयोग देंगे जिसमें व्यक्तियों को वर्ष में न्यूनतम आवश्यक रकम/बैलेंस रखने पर 6 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15,00,000 रूपए से कम की राशि वर्ष में शेष रकम/बैलेंस के रूप में रखने पर 8 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। और 15,00,000 रूपए से अधिक पर 4 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। इसके अलावा, महीने भर में न्यूनतम शेष राशि पर 3 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।

8. ट्रस्ट और निजी कम्पनियों की जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जो कम्पनियां/ट्रस्ट ब्याज चाहती हैं वे निजी बैंकों के पास जा सकती हैं।

9. सरकार केवल सरकारी बैंकों में जमा धनराशि का ही बीमा रखेगी/जिम्मेदारी लेगी निजी बैंकों में जमा धनराशियों का नहीं।

10. निजी बैकों को नियंत्रित/विनियमित करने(ठीक-ठाक रखने) के लिए सरकार प्रत्येक निजी बैंक के लिए डिपॉजिटर ग्रुपों का गठन करेगी और ये डिपॉजिटर ग्रुप बैंकों के कामकाज पर नजर रखेंगे। लेकिन सरकार निजी बैंकों को नियंत्रित/विनियमित नहीं करेगी।

11. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर केवल ब्याजों के भुगतान के लिए और सेना, पुलिस, न्यायालयों/कोर्ट, कक्षा I से XII की शिक्षा/पढ़ाई, स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिकों को सहायता, विकलांगों/अशक्तों को सहायता के लिए ही रूपए जारी करेंगे,51 % नागरिकों की अनुमोदन/स्वीकृति(समर्थन) से ,और किसी अन्य कारण से नहीं।

12. नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति के बिना रूपए की कोई छपाई नहीं होगी : एक ऐसा कानून लागू करना कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सेना और युद्ध की जरूरतों को छोड़कर, तब तक एम 3(कुल मुद्रा/धन संख्या) में बढ़ोत्तरी/वृद्धि नहीं करेंगे जब तक कि 51 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने इसपर अपना हां दर्ज न करवा दिया हो।

13. आगे से किसी भी सरकारी निकाय/संस्था को कोई ऋण/कर्ज़ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. वैश्विक बैंकिंग प्रणाली/व्यवस्था : हर नागरिक का उसके घर के निकट की बैंक-शाखा में कम से कम एक खाता अवश्य होगा। सरकार आदि से उसके सभी लेन-देन उसी बैंक और उसी खाते के जरिए होंगे। हर नागरिक का खाता संख्या और उसका टैक्स आई डी/ कर पहचान पत्र (सह राष्ट्रीय पहचान पत्र जब राष्ट्रीय पहचान पत्र व्यवस्था लागू होगी) समान/एक ही होगा और भारत सरकार के क्षेत्र/कार्य के लिए उसका वैश्विक मोबाइल नम्बर और वैश्विक ई-मेल एकाउन्ट भी वही होगा। इस खाते से होने वाले हर लेनदेन (की सूचना) एस एम एस के जरिए उसके मोबाईल पर भेजी जाएगी।

15. सरकारी बैंकों से होनेवाले विवाद केवल जूरी-मंडल/जूरर्स द्वारा निपटाए/सुलझाए जाएंगे ,जजों द्वारा नहीं।
16. छिपे तौर पर/अंडरग्राउन्ड बैंकिंग को रोकने के उपाय : भारत सरकार स्विस बैंक सहित विश्व के सभी बैंकों को बाध्य करेगी कि वे अपने बैंक में भारत के हर नागरिक/व्यक्ति की (जमा) सम्पत्ति/धन का खुलासा करे।
17. खातों/एकाउन्ट्स पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम)।

वर्तमान रुपया प्रणाली को `नागरिक रूपया प्रणाली(सिस्टम) में बदलना

18. हर व्यक्ति के सभी सावधि जमा (रूपए), उसपर मिले ब्याजों सहित संबंधित व्यक्ति के बचत खाते में डाले/जोड़े जाएंगे और कम्पनियों की सावधि जमा रकम उनके चालू खातों में जोड़ी जाएगी।
19. सरकार सभी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (पब्लिक धंधों) के बॉन्ड के पुन:भुगतान के लिए रूपए बनाएगी।
20. सरकारी बैंको से लिए गए सभी बकाया कर्जों/ऋणों पर ब्याज 4 प्रतिशत कर दिया जाएगा और घर के लिए, लिए गए सभी कर्जों/ऋणों को 180 मासिक किश्तों में चुकाना होगा, वाहन के लिए, प्राप्त किए गए कर्जों को 48 किश्तों में और अन्य सभी प्रकार के कर्जों को 180 मासिक किश्तों में चुकाना होगा।
21. देर से (कर्ज़) चुकाने का जुर्माना/अर्थदण्ड 8 प्रतिशत होगा। संपत्ति की नीलामी 30 से 120 दिनों के भीतर कर दी जाएगी यदि भुगतान न की गई किश्त मूलधन के एक चौथाई से ज्यादा हो जाएगी। नीलामी (से प्राप्त पैसे) का उपयोग ऋण/कर्ज़ चुकाने के लिए किया जाएगा और यदि यह पैसा कर्ज़ चुकाने से अधिक होगा तो शेष रकम उधार-धारक को वापस कर दी जाएगी। यदि नीलामी का पैसा कुल कर्ज़ से कम होगा तो इसे आवश्यकता पड़ने पर नए नोट बनाकर बट्टेखाते डाला जाएगा/समाप्त कर दिया जाएगा।
22. उपर्युक्त ऋण/कर्ज़ को चुकाने से प्राप्त धन के बदले कोई नया ऋण/कर्ज़ जारी नहीं किया जाएगा।

कुल मुद्रा / धन संख्या (एम 3) एक कानूनी-राजनीती तत्व है , बाजार आधारित तत्व नहीं

एम 3 (कुल मुद्रा संख्या) में केवल वो ही कर्जा शामिल है जो उन इकाइओं से लिया गया है जिनके पास रिसर्व बैंक द्वारा दिए लिसेंस है , उदाहरण ,यदि आप रु.1000 भारतीय स्टेट बैंक को देते हैं और भारतीय स्टेट बैंक एक रु.900 का कर्ज जारी करता है, तो एम3 की संख्या ऊपर चली जाती है | लेकिन यदि आप मुझे रु.1000 देते हैं और मैं रु.900 का कर्ज किसी को देता हूँ, तो एम 3 की संख्य बढती नहीं है | क्यों? क्योंकि मेरे पास रिसर्व बैंक के पास से लिसेंस नहीं है| दूसरे शब्दों में एम ३ एक कानूनी-राजनीती तत्व/इकाई है, बाजार आधारित तत्व/इकाई नहीं क्योंकि सरकार ये निर्णय करती है कि क्या कुल मुद्रा संख्या (एम 3) में आता है और क्या नहीं |

रिसर्व बैंक द्वारा डॉलर आदि विदेशी मुद्रा जमा करने पर रुपया निर्माण- समस्या और समाधान

आज के समय जब भारत में कोई डॉलर आदि विदेशी मुद्रा कोई भी बैंक को देता है, तो बैंक उसे रिसर्व बैंक को देता है और रिसर्व बैंक उसके बदले विनिमय दर के अनुसार उतने रुपयों का निर्माण कर देता है | इससे प्रचलित रुपये बढ जाते हैं और जैसे पहले संजय गया है, महंगे बद जाती है|

हमें इस सिस्टम/प्रणाली को बदलना होगा: जब कोई व्यक्ति 1000 डॉलर जमा करवाए, तो उसकी प्रविष्टि/एंट्री (उसके खाते में) 1000 डॉलर ही रहनी चाहिए तब तक वह उसे रुपयों में परिवर्तन न करे | जब वह उसका परिवर्तन करेगा, तो वह एक चेक भेजेगा एक प्राइवेट/निजी कंपनी को डॉलरों में और उसके बदले उसको रुपये मिलेंगे , यानी कि कोई भी रुपयों का निर्माण नहीं होगा जब डॉलर आयेंगे तब | भारतीय सरकार डॉलर सेना और अन्य भारतीय सरकारी जरूरतों के लिए ही खरीदेगी | पेट्रोल आयात और अन्य आयातों के लिए निजी स्रोतों से ही डॉलर लेना होगा|

और डॉलरों में आय कर-मुक्त नहीं होगा और डॉलरों का खर्चा यानी कि आयात भी आय से घटाया **नहीं** जा सकेगा| और इसके अलावा , हमें 100 % (प्रतिशत) से 300 % (प्रतिशत) सीमा-शुल्क लगानी चाहिए , जो केवल डॉलरों में ही दी जा सकेगी | और हमें ये क़ानून आम आदमी कि हाँ से ही लागू करवाने हैं| हमें ये क़ानून सांसदों को रिश्वत देकर सांसद में लागू नहीं करवाने हैं|

(23.11) नागरिक रूपया प्रणाली (सिस्टम) और घाटे की वित्त व्यवस्था / घाटे का बजट (डेफिसिट फाईनैन्सिंग)

उपरोक्त नागरिक रुपया प्रणाली सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था/घाटे का बजट करने से नहीं रोकती | केवल इस बात पर जोर देती है कि इस कार्य को करने के लिए नयी `वैध मुद्रा `(वो मुद्रा जो सरकार लेने को तैयार हो)जारी करनी की जरुरत रहेगा और नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति की आवश्यकता/जरुरत होगी |(क्योंकि घाटे का बजट रुपये कि सप्लाई बड़ा देता है)

(23.12) वर्तमान रुपया प्रणाली (सिस्टम) और `नागरिक रूपया प्रणाली (सिस्टम)` के बीच मुख्य अंतर

वर्तमान अभिजातों की रूपया प्रणाली	प्रस्तावित नागरिकों की रूपया प्रणाली
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/निदेशकों को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। चुंकि महा-धनवान लोगों के प्रधानमंत्री के साथ गठजोड़ होते हैं और वे समाचार-पत्र/टेलिविजन आदि का उपयोग करके प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करते हैं, अत: वास्तव में ये महा-धनवान लोग ही इन पदों पर आनेवालों के संबंध में निर्णय	भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/निदेशकों को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन, अनुमोदन/स्वीकृति दर्ज करने और जूरी द्वारा सुनवाई के जरिए, नागरिकगण उन्हें हटा/बर्खास्त कर सकेंगे। इसलिए, नागरिकों का उनपर नियंत्रण होगा।

करते हैं। इसलिए, नागरिकों का भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों आदि पर कोई नियंत्रण नहीं होता है।	
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ,प्रधानमंत्री/वित्त मंत्री और महा-धनवान लोगों से परामर्श करके रूपए जारी करते हैं। निजी बैंकर भी `शून्य(हवा) से पैसे बनाते हैं`।	भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नागरिकों के बहुमत से अनुमोदन/स्वीकृति मिलने पर ही रूपए जारी कर सकेंगे।
विवाद जजों द्वारा सुलझाए जाते हैं। कुछ वकीलों और रिश्तेदार वकीलों के साथ लगातार/हमेशा की नजदीकी के कारण जजों के भी वकीलों से सांठ-गाँठ/मिली-भगत विकसित हो जाते हैं और इसलिए विवाद का निपटान में उन लोगों के पक्ष में ,पूर्वाग्रह से ,फैसला दिया जाता है जो इन वकीलों को काम पर रखने में (पैसें से) समर्थ होते हैं। साथ ही, भारत के नागरिकों का विश्वास जजों पर से उठ गया है और भारतीय जज बहुत ही व्यस्त होते हैं और शायद ही कभी किसी मुकद्दमें को समय पर निपटाते हैं।	विवाद 12 सदस्यों वाले जूरी-मंडल (जिन्हें आम नागरिकों द्वारा क्रमरहित तरीके से चुना जाता है) द्वारा सुलझाए जाते हैं। इन जूरी-सदस्यों को अपराधियों के प्रति कुछ ज्यादा ही घृणा का भाव होता है। साथ ही, वकीलगण जूरीमंडल/जूरर्स से सांठ-गाँठ/मिली-भगत नहीं कर पाते क्योंकि हर सुनवाई के बाद जूरर्स बदल जाते हैं। इसके अलावा, जूरर्स कई दिनों तक बिना किसी रूकावट के लगातार सुनवाई कर सकते हैं और इस तरह वे मुकद्दमों का फैसला अधिक तेजी से करते हैं।

(23.13) शासकीय / सरकारी कर्ज़

क्या किसी पिता को अपने पुत्र/बेटे की ओर से वायदे करने का अधिकार है? या क्या किसी पिता को अपने पुत्र/बेटे को कर्ज़दार बनाने का अधिकार होना चाहिए? या फिर, क्या किसी बाप को अपने बेटे को गुलामी में धकेलने का अधिकार है? यदि नहीं, तो फिर सरकार को भी कर्ज़ लेने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति का कर्ज़ उसके साथ ही मर जाता है। एक निजी कंपनी का कर्ज़ कंपनी के खत्म हो जाने या फिर उसके मालिक के मर जाने के साथ ही खत्म हो जाता है। तथा एक सार्वजानिक कंपनी का कर्ज़ कम्पनी के शेयरधारकों की देनदारी/जिम्मेदारी नहीं होती तथा यह देनदारी दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाती। लेकिन सरकारी कर्ज़ जो आज के/इस पीढ़ी के व्यक्तियों द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा दिया जाता है वो दूसरी पीढ़ी तक एक बड़े ब्याज के साथ जाता है। सरकारी कर्ज़ निश्चित रूप से एक ऐसी प्रक्रिया/तंत्र है जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक – प्रमुख/संचालक तथा अनुसूचित बैंकों के मालिक/नियंत्रक भारतीयों को अपना गुलाम बना रहे हैं। आतंरिक कर्ज़ तो फिर भी करेंसी(मुद्रा) की मुद्रास्फीति बढाकर खत्म किया जा सकता है। लेकिन बाहरी कर्ज़ का क्या होगा? कोई भी वित्त मंत्री, जिसके अंदर 1 प्रतिशत भी नैतिकता बाकी है, वह विदेशी करेंसी/मुद्रा के रूप में कर्ज़ लेने में अवश्य संकोच करता। संक्षेप में, मनमोहन सिंह (तथा अन्य वित्त मंत्रियों) ने क्या किया है, उन्होंने अमेरिकी बैंकों से कहा "हमें X बिलियन डॉलर दीजिए तथा हमारे बच्चे ये कर्ज़ चुकायेंगे, और अगर वे ऐसा न कर पाए तो वे आपके गुलाम रहेंगे"। अगर किसी (नागरिक) में थोड़ी भी

नैतिकता बाकी है तो वह लोगों को कर्जदार बनाने की सरकार की इस संकल्पना/सिद्धांत/विचार को नामंजूर कर देगा | हम राइट टू रिकॉल ग्रुप/ प्रजा अधीन राजा समूह के लोगों ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके द्वारा नागरिक (बहुमत अनुमोदन द्वारा) किसी ऐसे अधिकारी को जेल में डाल सकेंगे जो बाहरी या फिर आतंरिक कर्ज़ लेता है इस प्रकार सरकारी कर्ज़ की प्रक्रिया का खात्मा हो जायेगा। (अध्याय-27 देखें)

(23.14) महंगाई को कैसे रोक / नियंत्रण सकते हैं

मुद्रास्फीति/महंगाई का एकमात्र कारण करेंसी/मुद्रा की आपूर्ति/सप्लाई में होनेवाली वृद्धि है। प्रस्तावित कानून में यह बंदिश होगी कि भारतीय रिजर्व बैंक 50 प्रतिशत से अधिक नागरिकों की अनुमति के बिना एम 3(कुल मुद्रा संख्या) नहीं बढ़ा सकेगा। अनुमति लेने का खर्च लगभग 150 करोड़ से 300 करोड़ होगा। इसलिए यदि नागरिकों से एक वर्ष में 4 बार भी (ऐसा करने के लिए) कहा जाएगा तो भी लागत 1200 करोड़ रूपए आएगी। क्या यह लागत बहुत अधिक है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने रूपए की आपूर्ति में वर्ष 2007-2008 के 12 महीनों में 750,000 रूपए की वृद्धि की है। इसलिए अनुमति लेने की लागत 0.5 प्रतिशत से भी कम है और इसलिए यह बहुत ही वहनीय/उठाने जाने लायक लागत है।

(23.15) महंगाई और अंतर्रष्ट्रीय और राष्ट्रिय कच्चे तेलों के दाम में बढ़ोत्तरी

1991 के बाद से, हर सरकार ने इस तरह नोटों की छपाई की है जैसे कोई कल नहीं है | अमेरिका में कुल मुद्रा संख्या (M3) तीन से पांच गुना बड़ी है | भारत में कुल मुद्रा संख्या 15-16 गुना बड़ी है , 1991 में रु.2,65,000 करोड़ थी और अब रु . 38,00,000 करोड़ है | भारत सरकार ने 4 वर्षों (2004-2008) में आज़ादी के पश्चात 53 वर्षों से अधिक नोट छापे हैं !! कच्चे तेल की पूर्ति 2% के दर से या अधिक हर साल बाद रही है पिछले 18 सालों/वर्षों से| ये जनसंख्या वृद्धि के दर से अधिक है | लेकिन जैसे डॉलर/रुपये की आपूर्ति बदती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास डॉलर होंगे और गाड़ी,वाहन, हवाई-टिकेट खरीदेंगे | इसीलिए कच्चे तेल के दाम बढेंगे| दूसरे शब्दों में, नोटों की छपाई से नोटों की गिनती पहले बड़ी, और फिर कच्चे तेल की कीमत बड़ी |

यदि भारत सरकार ने M3(कुल मुद्रा संख्या) का स्तर 1991 जितना रखा होता, तो कच्चे तेल की कीमत 110 अमेरिकी दोल्लर प्रति बैरेल चले गयी होती, लेकिन एक रूपया तीन रुपये बराबर होती | इसीए कच्चे तेल की कीमत रुपयों में अपरिवर्तित होती 1991 से यदि भारत सरकार ने पिछले 17 वर्षों में इतने रुपये न छापे होते|

यदि भा.ज.पा सरकार को महंगे की कोई परवाह होती,फिर उसने M3(कुल मुद्रा संख्या) को 22% क्यों बढने दिया ? और यदि कांग्रेस संसादों को महंगे की कोई परवाह ओटी , तो उन्होंने M3 (कुल मुद्रा संख्या) को 17% क्यों बढने दिया ?

(23.16) भारतीय रिजर्व बैंक में बदलाव लाने पर सभी दलों और बुद्धिजीवियों का रूख / राय

सभी वर्तमान दलों के नेता और सभी बुद्धिजीवी भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख और रूपया आपूर्ति प्रणाली(सप्लाई सिस्टम) पर नागरिकों के नियंत्रण बढ़ाए जाने का विरोध करने लगते हैं। हम लोग सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी-अपनी पार्टी के प्रिय नेताओं से पूछें कि वे भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख और रूपया आपूर्ति प्रणाली(सप्लाई सिस्टम) पर नागरिकों के नियंत्रण बढ़ाए जाने का इरादा रखते हैं और तब यह निर्णय करें कि क्या वे वोट दिए जाने के लायक हैं ? और हम कार्यकर्ताओं से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे बुद्धिजीवियों से इन मुद्दों पर प्रश्न पूछें और तब निर्णय करें कि क्या वे मार्गदर्शक बनने के योग्य हैं?

<u>अभ्यास</u>

1. वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2004, 2008 की पहली जनवरी अथवा इसके नजदीक की किसी तारीख को रूपए की आपूर्ति (एम 3) कितनी थी? वर्ष 1951- 2008 , 1991-2008, 2004-2008, 2008-2010 में रूपए की आपूर्ति में कितने अंश/फ्रैक्शन की वृद्धि हुई है?
2. वर्ष 1951, 1961, 1991, 1992, 2001, 2004, 2008 की पहली जनवरी अथवा इसके नजदीक की किसी तारीख को अमेरिका में रूपए की आपूर्ति (एम 3) कितनी थी? वर्ष 1951- 2008 , 1991-2008, 2004-2008, 2008-2010 में रूपए की आपूर्ति में कितने अंश/फ्रैक्शन की वृद्धि हुई है?
3. वर्ष 1951, 1961, 1991, 2001, 2008 की पहली जनवरी अथवा इसके नजदीक की किसी तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छापे गए/विनिर्मित करेंसी नोटों की मात्रा कितनी थी? वर्ष 1951- 2008 , 1991-2008, 2004-2008 में करेंसी नोटों की मात्रा में कितनी अंश/फ्रैक्शन की वृद्धि हुई है?
4. 1 जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 के बीच बनाये गए M 3(कुल मुद्रा संख्या) में से किसे कितना प्राप्त हुआ?
5. यदि रुपए की आपूर्ति दुगुनी कर दी जाय तो पेट्रोल तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
6. किसकी इजाजत से आर.बी.आई ने नए पैसे बनाए?

अध्याय 24 - सेना-उद्योग परिसर (समूह) में सुधार लाने के लिए प्रजा अधीन राजा समूह / राइट टू रिकॉल ग्रुप के प्रस्ताव

(24.1) भारतीय सेना में सुधार लाने के लिए प्रजा अधीन राजा समूह / राइट टू रिकॉल ग्रुप के प्रस्तावों का सारांश (छोटे में बात)

मैं प्रजा अधीन राजा समूह/राइट टू रिकॉल ग्रुप के सदस्य के रूप में भारतीय सेना में निम्नलिखित परिवर्तनों का प्रस्ताव करता हूँ :-

1. <u>सेना और नागरिकों के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)</u> : ऐसी प्रक्रियाऐं लागू की जाएं जिनसे सभी खदानों से और भारत सरकार के सभी प्लॉटों से मिलने वाली रॉयल्टियों को इस प्रकार बांटा जाए जिसमें भारतीय सेना को इसका एक तिहाई (1/3) और भारत के नागरिकों को इसका दो तिहाई (2/3) हिस्सा मिले। इससे सेना के वित्तपोषण/आमदनी में वृद्धि होगी।
2. 25 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से ज्यादा गैर-कृषि भूमि/जमीन पर बाजार मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर सम्पत्ति कर लागू किया जाए और इस निधि/फंड का उपयोग केवल सेना पर किया जाए।
3. 5 एकड़ प्रति व्यक्ति से ज्यादा कृषि भूमि/जमीन पर बाजार मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर सम्पत्ति कर लागू की जाए और इस निधि/फंड का उपयोग केवल सेना पर किया जाए।
4. 25 वर्ग मीटर गैर-कृषि भूमि से अधिक की संपत्ति, 50 वर्ग मीटर से अधिक किया गया भवन-निर्माण,5 एकड़ से अधिक की कृषि संपत्ति और 1 करोड़ से अधिक की अन्य प्रकार की संपत्ति पर 35 प्रतिशत का `विरासत कर` लागू किया जाए। यह कर/टैक्स 65 प्रतिशत होगा जब वह व्यक्ति 'निकट' संबंधी नहीं हो।
5. सिपाहियों/सैनिकों की संख्या 12,00,000 से बढ़ाकर 40,00,000 कर दी जाए।
6. सैनिकों के वर्तमान (जून, 2010 के) वेतन में 200 प्रतिशत की वृद्धि की जाए जो जनवरी, 2002 से प्रभावी हो।
7. <u>सर्वजन/सभी के लिए सैनिक प्रशिक्षण</u> : भारत के कक्षा X और उससे ऊपर के सभी नागरिकों के लिए हथियारों के प्रयोग/इस्तेमाल की शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी प्रारंभ की जाए। साथ ही, वयस्क लोगों के लिए अस्त्र-शस्त्र/हथियार शिक्षा की कक्षाएं प्रारंभ की जाएं। जैसे-जैसे नागरिकों को हथियार चलाने की ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दी जाएगी वैसे-वैसे वे बड़े हथियारों के महत्व के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और इसलिए वे उन नेताओं का विरोध करेंगे, जो सेना को कमजोर करते हैं।
8. 5,00,000 इंजिनियरों और 10,00,000 मजदूरों/श्रमिकों की भर्ती की जाए ताकि बंदूकों से लेकर टैंकों, हवाई जहाज अथवा परमाणु बम से लेकर मिसाइल/प्रक्षेपास्त्र तक सभी प्रकार के हथियारों के उत्पादन में वृद्धि हो सके। क्योंकि भारतीय सेना को मजबूत बनाना, परमाणु मिसाईल, क्रुज मिसाईल आदि जैसे अमेरिकी-स्तर के हथियारों के **निर्माण** (निर्माण न कि आयात) की हमारे देश की क्षमता पर निर्भर करेगा।

9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आई.आई.टी) और भारतीय विज्ञान संस्थान(आई.आई.एस.सी) दोनों रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (डी.आर.डी.ओ.) के अंतर्गत आएंगे। 15 वर्षों का प्रतिज्ञा पत्र/बांड उन लोगों पर लागू होगा जो स्नातक कर लेने के बाद इन कॉलेजों मे प्रवेश लेंगे, ऐसे लोगों को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (डी.आर.डी.ओ.) आदि की सेवा 15 वर्षों तक करनी होगी।

10. **चीन की बराबरी हासिल करने के लिए भारत के परमाणु हथियारों (की संख्या) बढ़ाई जाए।** चीन ने 23 जमीनी परमाणु परीक्षण और 22 वायुमंडलीय परीक्षण किए हैं जबकि भारत ने केवल 4 जमीनी परमाणु परीक्षण किए हैं और कोई भी वायुमंडलीय परीक्षण नहीं किया है। और सबसे बड़ा परीक्षण जो चीन ने किया था, वह था – 4500 किलो-टन (का परीक्षण) जबकि हमारे देश का सबसे बड़ा परीक्षण मात्र 45 किलो-टन का ही था। और चीन के पास भारत की तुलना में 20 से 30 गुना से भी ज्यादा परमाणु विस्फोटक शीर्ष(वारहेड्स) हैं। हमें कम से कम दस 3000 किलो-टन का वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण और चालीस अन्य जमीनी/वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण करना होगा जिसकी क्षमता 100 किलो-टन से लेकर 4500 किलो-टन की हो ताकि भारत चीन के बराबर में आ सके।

11. **कच्चे माल को छोड़कर प्रत्येक/हरेक आयातित वस्तुओं पर 300 प्रतिशत का आयात शुल्क :** सेना को हथियार निर्माण कौशल की जरूरत है। आयात किए गए सभी हथियार बेकार होते हैं। और इंजिनियरिंग(अभियांत्रिकी) कौशल बढ़ाने का एकमात्र रास्ता भारत में एक निर्माण सेक्टर का बनाना है जो केवल कच्चे माल का ही आयात करेगा और किसी उच्च तकनीकी वाले समानों का आयात बिलकुल भी नहीं करेगा। पूर्ण स्थानीय उदारीकरण , अमीरों को अपना खुद का उद्योग लगाने के लिए इंजिनियरों को काम पर रखने में सक्षम बनाएगा और 300 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने से उन्हें अपना माल स्थानीय स्तर पर बेचने में सक्षम बनाएगा।

12. **श्रमिक/मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और श्रम/मजदूरी (के क्षेत्र में) नौकरी पर आसानी से रखने और निकालने की नीति / पोलिसी (हायर-फायर):** इंजिनियरिंग कौशल में सुधार के लिए भारत में बड़ी संख्या में निर्माण करने वाले उद्योगों और (सामान्य) उद्योगों की जरूरत है। और औद्योगिक विकास अधिकतम तब होता है जब मजदूर(श्रमिकों) के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली(सिस्टम) होती है और मालिक(नियोक्ता) के पास नौकरी पर रखने और नौकरी से निकालने की पूरी क्षमता होती है। `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम.आर.सी.एम.) कानून ऐसी सामाजिक सुरक्षा देता है जिससे मालिक(नियोक्ता) के लिए किसी कर्मचारी का शोषण करना असंभव हो जाता है। और नौकरी पर रखने और नौकरी से निकलने संबंधी कानून उत्पादन कम होने पर मालिक(नियोक्ता) को वित्तीय/आर्थिक भार कम करने में समर्थ बनाता है।

संक्षेप में, भारतीय सेना में सुधार करने के लिए हमें सेना में सैनिकों की भर्ती करने, वेतन बढ़ाने आदि जैसे अनेक कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। **लेकिन हमें सेना से बाहर और देश के अन्दर भी दसियों/दसों महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी।** क्योंकि भारतीय सेना की मजबूती ऐसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है जो कारक सेना से बाहर के हैं। उदाहरण के लिए,

सेना को ऐसे इंजिनियरों की जरूरत है जो अमेरिकी स्तर के हथियार बना सकें। अभी भारत की आर्थिक नीतियां ऐसी हैं कि ये नीतियां इंजिनियरिंग/निर्माण की प्रतिभाओं को कमजोर बना देती हैं जिससे सेना को नुकसान होता है। इसी प्रकार सेना को बड़ी संख्या में ,समाज से देशभक्त सैनिकों की जरूरत है । लेकिन यदि सरकार में भ्रष्ट मंत्रियों, पुलिसवालों और जजों की भरमार रहेगी तो नागरिकों में देशभक्ति (की भावना) घटेगी और इससे भी सेना कमजोर होती है। इस प्रकार, सेना में सुधार करना तो आसान है लेकिन यह बहुत ही बड़ा काम है क्योंकि सेना में सुधार के लिए कई सिविल/असैनिक विभागों में सुधार करना होगा। **कोई भी सेना किसी राष्ट्र की सुरक्षा केवल तभी कर सकती है जब राष्ट्र भी अपनी सेना के उन सभी क्षेत्रों की सुरक्षा करे और मजबूत बनाए जिसकी सेना को जरूरत हो।**

(24.2) सेना की ताकत को निश्चित करने वाले प्रमुख कारण / कारक

सैनिकों का वेतन और उनका प्रशिक्षण/ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण है – उनका वेतन, इंजिनियरों और टेक्निशियनों का कौशल स्तर और अनुशासन। और कोई भी व्यक्ति किसी देश में तभी अनुशासित हो सकता है जब वहां का प्रशासन व न्यायालय कम अन्याय करता हो। आइए, मैं इस तथ्य को फिर से तुलनात्मक ढ़ग से बताता हूँ –

वे तत्व जो सेना की ताकत और सुदृढ़ता/ मजबूती पर प्रभाव डालते हैं	**ये तत्व सेना की मजबूती पर कैसे प्रभाव डालते हैं?**
*	*
सैनिकों का वेतन, प्रशिक्षण	जिस देश में सैनिकों को बेहतर वेतन व प्रशिक्षण मिलेगा वहां की सेना ज्यादा मजबूत होगी और जिस देश में कम वेतन और खराब प्रशिक्षण दिया जाएगा वहां की सेना भी कमजोर होगी।
हथियार के निर्माण/ विनिर्माण की क्षमता	ज्यादा प्रतिभाशाली इंजिनियरों वाले किसी देश में बेहतर हथियार के निर्माण की क्षमता होगी और जिस देश में इंजिनियरों की प्रतिभा कम होगी उस देश में बेहतर हथियार विनिर्माण क्षमता नहीं होगी। **इसलिए वे कौन से कारक हैं जो भारत में इंजिनियरिंग प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं ?(अध्याय 26 में विस्तार से पढ़ें)**
आम नागरिकों को हथियार के प्रयोग/चलाने का प्रशिक्षण	जिस देश में आम लोगों के पास जितना ही ज्यादा हथियार होगा उस देश की सेना उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी क्योंकि हथियार के प्रयोग का प्रशिक्षण किसी भी व्यक्ति को बड़े हथियारों से परिचित कराता है और इसीलिए नागरिकगण मिलकर ऐसे नेताओं को नकार देते हैं जो अपने विदेशी प्रायोजकों को खुश करने के लिए सेना को कमजोर करते हैं। **इसलिए कैसे हम अपने अधिक से अधिक नागरिकों को हथियार देकर शक्तिशाली बना सकते हैं?(पूरी जानकारी के लिए अध्याय 29 देखें)**
नागरिकों में	कोई देश जहां नागरिकों में कम/कमतर अनुशासनहीनता होगी उस देश में सेना ज्यादा मजबूत होगी और जिस देश में नागरिकों में अनुशासनहीनता

अनुशासनहीनता	ज्यादा होगी उस देश में सेना भी कमजोर होगी। **इसलिए कौन से कारक/तत्व भारत के नागरिकों में अनुशासनहीनता कम कर सकते हैं?**
टैक्स प्रणाली प्रतिगामी(प्रतिगामी = आमदनी बढने पर कर/आय का प्रतिशत घटता है) न होना	जिस देश के टैक्स प्रणाली जितनी कम प्रतिगामी(प्रतिगामी = आमदनी बढने पर कर/आय का प्रतिशत घटता है) होगी उस देश में टैक्स का पैसा उतना ही ज्यादा जमा हो पाएगा और ज्यादा पैसे का उपयोग सेना के लिए किया जा सकेगा और इस प्रकार एक मजबूत सेना बन सकेगी। और जिस देश में प्रतिगामी(प्रतिगामी = आमदनी बढने पर कर/आय का प्रतिशत घटता है) वाली टैक्स प्रणाली होगी उस देश में सेना के लिए पैसा कम होगा और इसलिए उस देश में सेना कमजोर होगी।(अधिक जानकारी के लिए अध्याय 24 देखें)
नारेबाजी	नारेबाजी करना बेकार है और इससे सेना में 1 प्रतिशत का भी सुधार नहीं होता। वास्तव में, नारेबाजी एकदम अनुपयोगी/बेकार है।
देशभक्ति	जिस देश के नागरिक जितने ही देशभक्त होंगे उस देश में सेना उतनी ही मजबूत/सुदृढ़ होगी।
स्वतंत्र अर्थव्यवस्था	परमाणु हथियार विकसित करने के लिए हमें परमाणु हथियार विकसित करने के खिलाफ अमेरिकी आदेश को खत्म करना होगा। और इसके लिए हमें भारत के अन्दर एक ऐसी तकनीक स्थापित करने की जरूरत होगी जो अकेले ही काम कर सके। इसलिए कच्चे माल के अलावा, हमें उन सब (वस्तुओं) का निर्माण करना होगा जिसका निर्माण विश्व के अन्य देश करते हैं।
हटाए जा सकने वाले प्रधान मंत्री	सेना में प्रमुख व्यक्ति प्रधान मंत्री हैं क्योंकि प्रधान मंत्री ही सेना, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (डी. आर. डी. ओ.) आदि में वेतन तय करते हैं और प्रधान मंत्री ही उन नीतियों को तय करते हैं जो नीतियां उन नागरिक/असैनिक विभागों पर प्रभाव डालती है जिनकी जरूरत सेना को पड़ती है। इसलिए जब तक प्रधान मंत्री को हटाने/बदलने का अधिकार नागरिकों को नहीं होगा तब तक प्रधान मंत्री अमेरिका के हाथों बिक भी सकते हैं और ऐसी नीतियां बना सकते हैं जिससे भारत कमजोर हो। मेरे विचार से, आज हो भी यही रहा है।

इसके अलावा और भी बहुत से कारक हैं। मैने यह चर्चा की है कि कैसे उस सिविल/असैनिक विभाग, जिस पर सेना निर्भर करती है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। यह बात मैंने संबंधित सिविल/नागरिक विभागों से संबंधित पाठों में बताया है। उदाहरण के लिए, सेना को देशभक्त नागरिकों की जरूरत है और देश के नागरिकों में देशभक्ति (की भावना) पैदा करने के लिए ऐसे कोर्ट/पुलिस जरूरी हैं जिनमें भ्रष्टाचार न हो। इसलिए मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति जो सेना को मजबूत करना चाहता है तो ऐसे कानून लाने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की है जिससे पुलिस और कोर्ट में भ्रष्टाचार कम हो सके। मैंने पहले ही उन कानूनों की सूची उपलब्ध करा दी है जिससे पुलिसवालों/कोर्ट में भ्रष्टाचार कम हो सकेगा।

(24.3) इंजिनियरिंग में प्रतिभा / कुशलता बढ़ाना

एक महत्वपूर्ण कारक, जिससे सेना सुदृढ़/मजबूत होती है, वह है – भारत में इंजिनियरिंग कौशल स्तर। और इसके लिए आर्थिक कानूनों में काफी परिवर्तन की जरूरत होगी। देश में ही कौशल के विकास के लिए, हमें भारत के अन्दर बड़े पैमाने पर उत्पादन/निर्माण की जरूरत पड़ेगी और यह केवल तभी संभव है जब –

1. कानून यह सुनिश्चित करे कि श्रमिक/मजदूर सुरक्षित हैं
2. नौकरी पर रखने और नौकरी से निकालने सम्बंधित(हायर-फायर) कानून
3. उद्योगों में प्रतियोगिता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए आसानी से धंधा/कंपनी खोलने और बंद करने संबंधी कानून
4. उच्च सीमा शुल्क, सीमा शुल्क का एक तिहाई हिस्सा नागरिकों को मिले

उपर्युक्त शर्तें आवश्यक हैं और लगभग पर्याप्त भी। ऊपर बताए गए तीनों कानून निर्माण की क्षमता को बढ़ाने के लिए कैसे जरूरी हैं? और प्रजा अधीन राजा समूह/राइट टू रिकॉल ग्रुप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे प्रस्ताव करता है? आइए, मैं पहले 'क्यों और कैसे' हिस्से का जवाब देता हूँ –

1. **श्रमिक/मजदूर की सुरक्षा :** श्रमिक सुरक्षा का अर्थ है कि श्रमिक (सभी नागरिक) के पास परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम आय की गारंटी तब भी हो जब उसका रोजगार छिन जाए यानि वह कुछ न्यूनतम मजदूरी घर ले जा सके। सुरक्षा के अभाव में मालिक(नियोक्ता) उसका शोषण कर सकता है और उसे ऐसे काम भी करने को कह सकता है जिससे समाज को नुकसान हो। मेरे प्रजा अधीन राजा समूह/राइट टू रिकॉल ग्रुप समूह ने `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रॉयल्टी` (एम.आर.सी.एम.) कानून का पस्ताव किया है जिससे नागरिकों को खनिज की रॉयल्टी और जमीन का किराया सीधे ही मिलेगा। यह श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के समान ही सुरक्षा प्रदान करेगा। हर मालिक(नियोक्ता) को सामाजिक सुरक्षा (प्रदान करने) का भार नहीं उठाना पड़ेगा। कुछ सामाजिक सुरक्षा, मालिक(नियोक्ता) को हुए लाभ में से दिए गए आयकर और संपत्ति कर से आ सकेगी। इस प्रकार, मालिक(नियोक्ता) कुल मिलाकर, श्रमिक सुरक्षा प्रणाली के कुछ अंश के लिए योगदान देंगे।
2. **मजदूर को आसानी से नौकरी पर रखना और आसानी से नौकरी से निकालने सम्बंधित क़ानून (हायर-फायर) :** मजदूर को आसानी से नौकरी पर रखने और नौकरी से निकालने के कानूनों के अभाव में, अनुशासनहीनता और गैर-जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। और जब मालिक(नियोक्ता) को (व्यापार में) घाटा होता है तो श्रमिकों/मजदूरों को पगार/वेतन देने की मजबूरी उसे अपने उद्योग को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में बेच देने पर बाध्य कर देती है। इससे केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और धनवान लोगों की ताकत ही बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यदि हम किसी ऐसे कानून को समर्थन दें जिससे कि कोई मालिक(नियोक्ता) लागत में कटौती करने के नाम पर किसी श्रमिक/मजदूर को नहीं हटा सके तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और धनवान व्यक्तियों, जिनके पास बैंकों के निदेशकों और

वित्त मंत्रियों को घूस देने की क्षमता होती है, वे कम ब्याज पर कर्ज लेकर इस भार को सहन कर लेंगे। लेकिन छोटे-मोटे मालिक(नियोक्ता), जो लगातार प्रतियोगिता के वातावरण में रहते हैं और जिनकी बैंक निदेशकों और वित्त मंत्रियों तक पहूँच नहीं होती कि वे उन्हें घूस दे सकें, तब उनके पास अपनी कम्पनी को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और धनवान व्यक्तियों के हाथों बेच देने के अलावा और कोई चारा/विकल्प नहीं बचेगा। दूसरे शब्दों में, मालिक को नौकरी से निकालने से रोकने वाले कानून केवल धनवान और भ्रष्ट लोगों को ही लाभ होता है।

3. **प्रतियोगिता को अधिकतम (स्तर तक) बढ़ाने के लिए आसानी से धंधा/कंपनी खोलने और बंद करने सम्बंधित कानून:** हथियार निर्माण के लिए इंजिनियरिंग कौशल की आवश्यकता होती है। इंजिनियरों में इंजिनियरिंग कौशल के निर्माण का एकमात्र तरीका ऐसी (अनुकूल) परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें उन्हें अन्य इंजिनियरों के साथ कठोर (अहिंसक) प्रतियोगिता होती है। कालेजों में प्रशिक्षण से उन्हें केवल मुद्दों के बारे में जानकारी मिल पाती है और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान से या तो कुछ नई दिशा के काम(पाथब्रेकिंग वर्क) होते हैं या तो उनका समय बरबाद हो जाता है। किसी इंजिनियर को जमीनी कौशल केवल तभी प्राप्त होता है जब वह इंजिनियर वास्तविक उद्योगों में काम करता है और जब उसे वास्तविक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा होता है। और (किसी उद्योग में) आसानी से धंधा/कंपनी शुरू करने और बंद करने सम्बंधित कानून, प्रतियोगिता को अधिकतम बनाने के लिए आवश्यक है।

4. **उच्च सीमा शुल्क :** या तो देश को तकनीकी रूप से विश्व के सबसे विकसित देश के बराबर (स्तर पर) रहना होगा या तो उस देश के कानून द्वारा प्राकृतिक कच्चे माल को छोड़कर सभी माल/सामानों पर बहुत अधिक आयात शुल्क लगाना सुनिश्चित करना होगा। चूंकि भारत उस क्षमता को प्राप्त करने से काफी पीछे है जिससे उसकी तुलना कम से कम वियतनाम से की जा सके, चीन अथवा जर्मनी, जापान या अमेरिका की बात तो छोड़ ही दीजिए, इसलिए हमलोगों के लिए यह आवश्यक है कि हम आयात पर 300 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाएं ताकि स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं को स्थानीय बाजार उपलब्ध हो सके। और इस प्रकार जमा की गई सीमा शुल्क का एक तिहाई हिस्सा सीधे नागरिकों को मिलना चाहिए। तस्करी के खिलाफ नागरिकों में घृणा पैदा करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के विरूद्ध प्रजा अधीन-नागरिक सीमा शुल्क बोर्ड अध्यक्ष (कानून) का प्रयोग अवश्य ही प्रभावी ढ़ंग से कर पाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमा शुल्क का अध्यक्ष सीमा शुल्क का पैसा (सही प्रकार से) उचित तरीके से जमा कर रहा है, सीधा भुगतान महत्वपूर्ण है।

(24.4) क्या होगा यदि हम सेना में सुधार नहीं करते हैं?

यदि हम सेना में सुधार नहीं करते हैं तो भारत इराक के रास्ते पर चल पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति दो सामान्य कानूनों पर आधारित है –

1. मजबूत (बड़ी) मछली कमजोर (छोटी) मछली को चबा (खा) जाएगी। मजबूत सेना वाले देशों के लोग कमजोर सेना वाले देशों के लोगों को लूट लेंगे और गुलाम बना लेंगे। अर्थात यदि भारतीय लोग अपनी सेना में सुधार नहीं करते हैं तो अमेरिकी लोग भारतीयों को लूट लेंगे और गुलाम बना लेंगे।
2. कोई दया नहीं। कोई छूट नहीं। अमेरिकी लोग भारतीयों के रिश्तेदार नहीं हैं।

अंतर-राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तन केवल सेना की ताकत में परिवर्तन का ही परिणाम होते हैं और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए – वर्ष 1700 में, इंग्लैण्ड की सेना की ताकत बेहतर हथियारों और इंग्लैण्ड के समाज के सुदृढ़/संगठित (न्यायपूर्ण प्रशासन और न्यायपूर्ण कोर्ट के कारण ज्यादा सुदृढ़ता/संगठित थी) होने के कारण भारतीय सेना से 20-25 गुनी मजबूत हो गई थी। और इसलिए, वे भारत को गुलाम बनाने में समर्थ थे। पश्चिमी देशों की सेना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कमजोर हो गई और भारत के सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध से ताकत मिली जिससे भारत और अनेक एशियाई और अफ्रीकी देश आजाद हो गए। लकिन अब पश्चिमी सेनाओं ने अपनी खोई ताकत फिर से प्राप्त कर ली है और इसलिए इन्होंने पनामा और इराक को निगल (खा) लिया और अब ईरान की बारी है और फिर भारत की बारी आ जाएगी। यदि भारत अपनी सेना मजबूत नहीं करता तो भारत भी इराक के रास्ते चला जाएगा।

आज की स्थिति के अनुसार, अमेरिका के विशिष्ट/ऊंचे लोग अमेरिकी सेना की टूकडियों को विभिन्न देशों जैसे इराक, इरान और फिर भारत (का नम्बर आएगा) में दो मुख्य कारणों से भेज रहे हैं। पहला खनिज पदार्थ/अयस्क के सभी खदानों को हड़पने के लिए और दूसरा इसाई धर्म को फैलाने के लिए। भारत को "(धर्म परिवर्तन की जा सकने वाली) एक करोड़ आत्मा रूपी फसल की कटाई वाले राष्ट्र" के रूप में देखा जाता है और अमेरिका के ईसाई धर्म के कट्टरपंथी लोग भारत से हिन्दुत्व, सिख, बौद्ध आदि धर्मों को मिटाना चाहते हैं और ईसाई धर्म को मुख्य धर्म के रूप में लाना चाहते हैं। इसी प्रकार का एक सपना इस्लाम धर्मवाले कट्टरपंथी, सऊदी अरब और पाकिस्तान में देखते हैं – वे सम्पूर्ण भारत में इस्लाम स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इस्लामिक लोग कट्टरपंथी वास्तविक/बड़े खतरे नहीं हैं क्योंकि वे स्वयं ही अमेरिकी सेना के अधीन हैं। हमें चीन के भी खतरे का सामना करना पड़ता है जो भारत को नष्ट करना चाहता है ताकि वह विश्व निर्यात में बेहतर हिस्सेदारी पा सके और अरूणाचल प्रदेश के साथ-साथ असम के कच्चे तेल के कुओं को हथिया सके।

पाकिस्तान अपने आप में/खुद ही बहुत कमजोर है लेकिन पाकिस्तानी विशिष्ट/उच्चवर्गीय लोग पाकिस्तानी सेना और पूरे पाकिस्तान को पश्चिमी देशों, अरब या चीन, इनमें से जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा, उसका खिलौना बनाने को तैयार हैं जबकि अमेरिका अथवा चीन भारत को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों का सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे लेकिन वे हथियार और सेटेलाइट से प्राप्त सूचना प्रदान करके पाकिस्तान का उपयोग भारत को तोड़ने के लिए कर सकते हैं।

(24.5) कैसे कारगिल युद्ध अमेरिका जीत गया और भारत और पाकिस्तान दोनों ही कारगिल की लड़ाई हार गए?

कुछ ऐसे बिन्दु हैं जो मीडियावालों (जो अमेरिका के प्रभाव में हैं क्योंकि उन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से बहुत ज्यादा विज्ञापन मिलता है) ने हमें कभी नहीं बताया। लेकिन मुख्य घटनाओं पर एक सरसरी नजर डालने से ही यह पता चल जाता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश कारगिल का युद्ध हार गए और यह अमेरिका था जिसने यह युद्ध जीता। निश्चित रूप से, अमेरिका ने यह निर्णय किया था कि वह तत्कालीन (भारतीय) प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी को अमेरिका को चुनौती देते हुए परमाणु परीक्षण कर डालने के लिए सबक सिखाएगा। इसलिए अमेरिका ने कारगिल के पहाड़ पर पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी रखवाने/भिजवाने में जनरल मुशर्रफ की सहायता की। जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय हमलोगों के पास लेजर गाईडेड/निर्देशित मिसाइल/प्रक्षेपास्त्र अथवा लेजर निर्देशित बम तक नहीं थे कि जिससे उन घुसपैठियों को मार गिराएं जो पहाड़ की चोटी पर थे। विमानों/जहाजों और हेलिकॉप्टरों को निशाने पर वार करने के लिए नीची उड़ान भरनी पड़ी थी और ऐसा करने में हमलोगों के अपने जहाज/विमान और हेलिकॉप्टरों को खो दिया यानि वे मार गिराए गए। बोफोर्स तोप के गोले पहाड़ पर दुश्मनों/शत्रुओं को मार गिराने में उपयोगी तो थे लेकिन उनका उपयोग कम ही किया जा सका क्योंकि उनका निशाना उतना अच्छा नहीं था और इसीलिए अधिकांश गोले (लक्ष्य से) इतने ज्यादा दूर गिरते थे कि उनसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। और इसलिए, **हमें अपने हजारों सैनिकों को पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहना पड़ा था।** दुश्मन चोटी पर था और हमारे सैनिक ऊपर चढ़ रहे थे इसलिए इनमें से अनेकों को अपने प्राण गंवाने पड़े।

स्थिति तब और ज्यादा खराब हो गई जब हमें बोफोर्स तोप के गोले तक भी आयात करने पड़े क्योंकि हमारे पास गोलों तक के निर्माण की क्षमता नहीं थी। और हमें जितनी मात्रा में इन गोलों का प्रयोग करने की जरूरत थी, उससे हमारे गोले महीनों में ही खत्म हो जाते। और अमेरिका ने तानाशाही से अपनी शर्तें हम पर थोपीं जिन्हें मानने पर ही हमें बोफोर्स तोप के गोले मिलने थे। इसी दौरान घुसपैठियों को रसद वगैरह पहुंचाने के लिए जिन हेलिकॉप्टरों आदि की जरूरत पाकिस्तान को थी, उनके जरूरी कल-पुर्जे यूरोपियन नाटो देशों के बने हुए थे जो फिर से अमेरिका के नियंत्रण में ही था।

इसलिए जब अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने मुशर्रफ और नवाज शरीफ से युद्ध रोक देने के लिए कहा तो दोनों को ही अमेरिका की बात माननी पड़ी थी। और जब क्लिंटन ने भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी से 25 जुलाई की सुबह 2 बजे (दुश्मन को) सुरक्षित रास्ता दे देने के लिए कहा तो श्री अटल बिहारी बाजपेयी को बात माननी ही थी और दो घंटे के भीतर ही भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को सुरक्षित रास्ता देने की घोषणा कर दी। इसलिए कुल मिलाकर भारत युद्ध हार गया – इसने उन पाकिस्तानी सैनिकों तक को नहीं मारा जो भारत में घुस आए थे और जिन्होंने 800 भारतीय सैनिकों को मार दिया था। पाकिस्तान भी हारा क्योंकि उन्हें अमेरिकी आदेश पर वापस जाना पड़ा और वे अपने मृत सैनिकों के शव/मृत शरीर तक को वापस नहीं ले जा सके। यदि श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने क्लिंटन का आदेश किसी अच्छे आज्ञाकारी बालक की तरह नहीं माना होता तो अमेरिका बोफोर्स गोलों की आपूर्ति/सप्लाई रोक देता और सारी मदद पाकिस्तान को उपलब्ध कराता और तब उस परिस्थिति में पाकिस्तान जीत

जाता। यदि मुशर्रफ ने क्लिंटन की बात नहीं मानी होती तो क्लिंटन भारत को दी जाने वाली सहायता बढ़ा देते और पाकिस्तान को दी जाने वाली सारी सहायता बाधित करके रोक देते और तब उस परिस्थिति में पाकिस्तान बुरी तरह हार जाता। यह अमेरिका ही था जिसने युद्ध जीता।

जब कारगिल युद्ध प्रारंभ हुआ तो हमने रूस, फ्रांस, अमेरिका और अन्य अनेक देशों से लेजर गाइडेड/निर्देशित मिसाइल/प्रक्षेपास्त्र और लेजर निर्देशित बम हमें बेचने को कहा लेकिन किसी ने भी हमें अंतिम क्षण तक कुछ नहीं बेचा। अंतिम क्षणों में हम केवल कुछ ही ऐसे लेजर गाईडेड बम खरीद सके जिससे पहाड़ की चोटी पर घुसपैठियों को मार सकते थे।

(24.6) हथियार निर्माण के उद्योग-कारखानों में सुधार लाना

यहां मैं पाठकों से एक बिन्दु पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ : यदि हमलोग लेजर गाईडेड मिसाइल/प्रक्षेपास्त्र और लेजर गाईडेड बम का निर्माण कर रहे होते (बना रहे होते) तो भारत का एक भी सैनिक नहीं मरता। एक भी सैनिक का जीवन खतरे में डाले बिना हम लेजर गाईडेड मिसाइल/प्रक्षेपास्त्र और लेजर गाईडेड बम का प्रयोग करके सभी घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिकों को मार सकते थे। यहीं पर सेना सिविल/असैनिक विभागों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। **प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री आदि के भ्रष्टाचार के कारण हम इन हथियारों का विनिर्माण/निर्माण नहीं कर पाए। कुल मिलाकर, भ्रष्ट राज्यव्यवस्था को देखते हुए, इंदिरा गाँधी की मौत के बाद से हमारा हथियार निर्माण कार्यक्रम अस्त व्यस्त ही था और हमें इसमें जल्दी से जल्दी सुधार करना ही होगा।**

प्रजा अधीन राजा समूह/राइट टू रिकॉल ग्रुप की मांगों में से एक प्रमुख मांग यह है कि अर्थव्यवस्था और राज्यव्यवस्था में सभी जरूरी परिवर्तन किए जाएं ताकि हथियार बनाने की भारत की क्षमता अमेरिकी क्षमता के स्तर की बराबरी पर आ जाए।

(24.7) हमारी परमाणु हथियार और परमाणु क्षमताएं की परिस्थिति कितनी बुरी हैं ?

निम्नलिखित तालिका यह दिखलाएगी कि हमारी परमाणु क्षमताएं कितनी निराशाजनक हैं–

	रूस	अमेरिका	चीन	इंग्लैण्ड	भारत
परमाणु विस्फोटों की संख्या	715	1054	45	45	6
वायुमंडलीय परमाणु विस्फोटों की संख्या	>200	331	22	8	**शुन्य**
उच्च क्षमता वाले विस्फोटों की संख्या	7	14	योजना बना ली गई है	0	**शुन्य**
लेजर विस्फोट, किलो टन में	50000	15000	4300	200	**45**
न्यूटॉन बम	हां	हां	हां	??	**नहीं**

चीन ने वर्ष 1968 में 3000 किलो टन का एक वायुमंडलीय विस्फोट किया। हमारी सबसे ज्यादा क्षमता वाला/बड़ा विस्फोट मात्र 45 किलो टन का था, जो किसी कौवे को भी नहीं डरा सकता था। इसलिए 40 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद भी हमारी परमाणु क्षमता चीन के 1/75

वें हिस्से के बराबर है। और भी ज्यादा हताश करने वाली बात यह है कि **पोखरण – 2 असफल रहा था।** पाठकों को शायद यह मालूम नहीं होगा, लेकिन सारे आंकड़े अब यही साबित करते हैं कि परमाणु विस्फोट तो हुआ था लेकिन थर्मो- न्युक्लियर विस्फोट, जिसे परमाणु विस्फोट के बाद होना था वह असफल हो गया। अटल बिहारी बाजपेयी, अब्दुल कलाम आजाद आदि लोगों ने भारतीय नागरिकों के सामने झूठ बोला लेकिन अमेरिका और चीन जैसे दुश्मन देश जानते हैं कि हमारे परमाणु हथियार असफल/बेकार हैं।

इसका हल वायुमंडलीय टेस्ट/परीक्षण हैं। भूगर्भ परीक्षणों की ताकत सेस्मिक कम्पन/तरंगों से की जाती है जिनमें आंकड़ों में फेरबदल कर देना आसान होता है। लेकिन वायुमंडलीय परीक्षणों में परीक्षण स्थल से विभिन्न स्थानों/दूरियों पर हवा/वायुमंडल में तापमान द्वारा इनकी माप की जा सकती है। इससे तापमान/उष्मा का सही-सही माप मिलता है जिससे विस्फोट की ताकत का मापन कर लिया जाता है। यदि चीन वर्ष 1968 में ही 3000 किलो टन के वायुमंडलीय बम विकसित करके उसका विस्फोट (करके परीक्षण) कर सका और यदि रूस 1950 के दशक में ही 50,000 किलो टन का विस्फोट कर सका तो हम भी आने वाले 10 वर्षों में कम से कम एक 3000 किलो टन का निर्माण करके उसका परीक्षण तो कर ही सकते हैं। प्रजा अधीन राजा समूह/राइट टू रिकॉल ग्रुप के प्रस्तावों में से मेरा एक प्रस्ताव अगले 10 वर्षों में एक 3000 किलो टन का वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण आयोजित करना है।

इसके अलावा, हमारे परमाणु हथियार भंडार चीन का 1/20 वां हिस्सा भी नहीं हैं और यह अमेरिका और रूस की तुलना में तो यह बहुत मामूली है। हमें कम से कम एक ऐसा परमाणु हथियार (भण्डार) तैयार करना चाहिए जो कम से कम चीन के परमाणु हथियार (भण्डार) की बराबरी का हो।

(24.8) आत्मघाती बटन – बहार के देशों से मंगाए हुए (आयातीत) हथियारों से खतरा

आयातीत जटिल हथियार जैसे मिसाइल/प्रक्षेपास्त्र, (युद्धक) विमान आदि में तथाकथित आत्मघाती बटन/*कील स्विच (रेडियो स्विच)* होते हैं। ये आत्मघाती बटन/*कील स्विच (रेडियो स्विच)* क्या होते हैं? ये ऐसे सर्किट वगैरह होते हैं जो जब किसी सेटेलाईट या किसी वैन से किसी विशेष गुप्त भाषा से डाले गए(कोड किये गए) रेडियो तरंग/संकेत पकड़ते हैं तो वह मिसाईल, लड़ाकू विमान आदि काम करना बन्द ही कर देता है। आयातित रेडियो-यंत्र(रडार) में भी ये आत्मघाती बटन/*कील स्विच (रेडियो स्विच)* लगे होते हैं। इस आत्मघाती बटन/*कील स्विच (रेडियो स्विच)* की समस्या तब आती है जब उपकरण(सामग्री) का आयात किया जाता है। बिक्रेता देश हमेशा दसों जगहों पर आत्मघाती बटन/*कील स्विच (रेडियो स्विच)* स्थापित कर सकते हैं और इन आत्मघाती बटन/कील स्विचों का पता लगाना असंभव कार्य होता है। अब मान लीजिए, हमने अमेरिका से युद्धक विमान खरीदे, तो आत्मघाती बटन/*कील स्विचों* का भी होना लगभग तय है। और यदि भारत और अमेरिका के बीच युद्ध (प्रारंभ) हो जाए तो अमेरिका मात्र इन आत्मघाती बटन/*कील स्विचों* को जाग्रत/*एक्टिवेट* करके इन विमानों को बेकार कर देगा। इससे भी बुरी स्थिति यह होगी कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है और यदि अमेरिका चाहता है कि भारत हार जाए या भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हो तो वह इन आत्मघाती बटन/*कील स्विचों* को जाग्रत करके इन विमानों को बेकार कर सकता है। और भी बुरी

स्थिति होगी यदि भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है और यदि (युद्धक) विमान फ्रांस से आयात किए गए हैं तो चीन फ्रांस को पैसे देकर कभी भी आत्मघाती बटन/*कील स्विचों* के ब्यौरों को खरीद ले सकता है। इस समस्या का समाधान है: सभी हथियारों का स्थानीय स्तर पर/देश में ही निर्माण करना। मैं प्रजा अधीन राजा समूह/राइट टू रिकॉल ग्रुप के सदस्य के रूप में भारत में ही फैक्ट्रियां स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि आज मानवजाति की जानकारी वाले/दुनिया के हर हथियार का निर्माण भारत में ही हो, ये हथियार भारत के इंजिनियरों द्वारा बनाए गए हों और इनमें किसी आयातित कलपुर्जे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। ऐसा हर आधुनिक, विकसित देश करता है |

(24.9) भारतीय सेना की चीनी सेना से तुलना

	चीन	भारत	टिप्पणियां
नियमित सैनिकों की संख्या	22,00,000	14,00,000	चीन के पास “सैन्य-तैयार” युवा जो सेना प्रशिक्षण/ट्रेनिंग सहित हैं की संख्या भारत की तुलना में बहुत-बहुत अधिक है क्योंकि चीन में सर्वजन/वैश्विक सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है।
विमानों की संख्या	9300	3000	चीन लड़ाकू विमान का निर्माण करता है, हम नहीं करते। (भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है)
लड़ाकू विमानों की संख्या	2300	1335	चीन लड़ाकू विमान का निर्माण करता है, हम नहीं करते।
नौसेना के जहाज	284	145	चीनी नौसेना का अड्डा ग्वादर(पाकिस्तान) में है और यह बांग्लादेश, श्रीलंका, में अड्डे स्थापित कर रहा है। भारतीय नौसेना का कोई अड्डा/बेस चीनी तटरेखा के निकट नहीं है। इसलिए भारतीय नौसेना चीन पर आक्रमण नहीं कर सकती लेकिन चीनी नौसेना भारत पर आक्रमण कर सकती है।
परमाणविक वारहेड्स/स्फोटक शीर्ष(हथियार)	200	50	चीन ने 4300 किलो टन विस्फोट का परिक्षण सफलतापूर्वक किया है। हमने केवल 45 किलो टन विस्फोट का परिक्षण किया है।
मिसाइल की मारक क्षमता (किलो मीटर)	12000	2000	
परमाणु हथियार से	>4	शुन्य	

सज्जित नौसैनिक जहाज			
क्रुज मिसाइल/प्रक्षेपास्त्र	??	??	चीन क्रुज मिसाइल/प्रक्षेपास्त्र का निर्माण करता है और इसलिए यह भारत पर सैंकड़ों क्रुज मिसाइलों गिरा सकता है। हम काफी ऊंची दरों पर इनका आयात करते हैं।
लेजर गाईडेड मिसाइल और लेजर निर्देशित बम	??	??	चीन लेजर गाईडेड मिसाइल/प्रक्षेपास्त्र और लेजर निर्देशित बम का निर्माण करता है और इसलिए यह भारत पर सैंकड़ों क्रुज मिसाइलों गिरा सकता है। हम काफी ऊंची दरों पर इसका आयात करते हैं।

(24.10) बहार के देशों से मंगाए हुए (आयातित) हथियारों की समस्या का समाधान

यह तथ्य कि भारत किसी हथियार का निर्माण नहीं करता है और हरेक हथियार का आयात ही करता है, बहुत ही खौफनाक है। आयात किये गए हथियार (आत्मघाती बटन/*किल स्वीच* के कारण) तब काम करना बंद हो सकते हैं जब युद्ध/लड़ाई शुरू हो जाती है या हमें आपूर्तिकर्ता देशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ सकता है कि वह आत्मघाती बटन/*किल स्वीच* को सक्रिय न करे। और इसके लिए हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। साथ ही, आयातित उपकरणों और कलपुर्जों आदि की कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाने के बाद 5-50 गुनी बढ़ा दी जाती है। इसलिए हमलोगों के पास भारत में बड़े पैमाने पर हथियार निर्माण उद्योग अर्थात सेना-औद्योगिक परिसर शुरू करने/स्थापित करने के अलावा कोई चारा/विकल्प नहीं है। प्रजा अधीन राजा समूह/राइट टू रिकॉल ग्रुप के सदस्य के रूप में मैं भारत में फैक्ट्रियां स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि मानवजाति की जानकारी वाले/दुनिया के हर हथियार का निर्माण भारत में ही हो, ये हथियार भारत के इंजिनियरों द्वारा बनाए गए हों और इनमें किसी आयातित कलपुर्जे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो।

(24.11) अमेरिका द्वारा लीबिया पर हवाई हमलों से सीख : क्या होगा अगर चाइना या अमेरिका ने भारत पर हमला किया या पाकिस्तान के द्वारा करवाया ? इसीलिए, भारत के हर नागरिक को हथियार रखने व बनाने की छूट दे दो जितनी जल्दी हो सके

<u>**संक्षिप्त**</u> : एक संभावना यह है कि चीन , पाकिस्तान के द्वारा हमला करेगा | साउदी अरब पाकिस्तान को पैसा देगा, चीन अपने हथियार देगा और पाकिस्तान अपने सैनिक देगा | अगर यह दीवार जिसको हम भारतीय सेना कहते हैं, अगर टूट गयी तो भारतीय नागरिकों के पास पाकिस्तानी सेना को आसाम, चेन्नई तक पहुँचने से तथा वहा पर लूट मचाने से रोकने के लिए बंधूक या अन्य हथियार नहीं है | उस हालात में भारत के पास एक ही रास्ता होगा कि अमेरिका से भीख मांगे | अमेरिका मदद भी जरुर करेगा लेकिन बदले में भारत के सारे खनिज

खानों और कच्चे तेल के कुओं की रोयल्टी (आमदनी) अपनी अमेरिकी कंपनी को देने की शर्त रखेगा |

एक बार सारी खनिज खानों और कच्चे तेल के कुओं की रोयल्टी (आमदनी) अपनी अमेरिकी कंपनी के पास चली गयी तो, वो लोग भ्रष्ट नेताओ को पैसे देकर भारत में गणित, विज्ञानं एवंम इंजीनियरिंग की शिक्षा का स्तर गिरा देंगे और यह स्थिति भारत तो पश्चिम के देशों पर और आश्रित बनाएगी |

धीरे धीरे यह परिस्थिति भारत के हिंदू नागरिकों को ईसाई धर्म में बदल देगी जैसे उन लोगों ने दक्षिण कोरिया में किया और फिर फिलीपींस जैसे देश की तरह जागीरदार/दास राज्य या अपने ऊपर आश्रित देश बना देगा | पश्चिमों देशों को धर्म-परिवर्तन करने के लिए इसी लिए रूचि है क्योंकि इससे देश की जनता बंट जाती है और बंटी हुई जनता को लूटना आसान है| उनका मकसद `बांटो और राज करो` है, ना कि उनको किसी धर्म के प्रति हमदर्दी है| लूटने के समय वे ये नहीं देखते कि जिसको लूट रहे हैं, वो कौन सा धर्म का है| लेकिन यदि हम नागरिक प्रधान मंत्री को `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) और भ्रष्ट को बदलने जैसे लोकतांत्रिक कानूनों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो जनता को किसी भी तरह बांटना संभव नहीं होगा|

समाधान - एक कम समय के लिए उपयोगी ,समाधान यह है कि भारत में बंदूक का निर्माण करने की और उसे रखने का लाइसेंस दिया जाए जिससे भारत के काफी नागरिकों के पास बंदूक आ जाए और पाकिस्तानी सेना भारत में बहत अंदर तक घुसने में सफल ना होने पाए और हमें अपना बचाव करने की लिए पश्चिम के देशो से भीख ना मांगनी पड़े |

उदहारण -

(1) 1999 के कारगिल युद्ध में भारत के पास लेसर निर्देशित बोम (Laser Guided Bomb) नहीं थे भारत तो उसके लिए अमेरिका से भीख मांगनी पड़ी थी | फिर उसके बाद अमेरिका ने ये शर्त राखी कि भारत में विदेशी बीमा कंपनियो को काम करने की इजाज़त दी जाए और फिर बाद में उनको वो इजाज़त मिल गई और उन्होंने 2001 से भारत में आकार व्यापार करना शुरू कर दिया| |

- भारत में तो 1991 से वैश्वीकरण/ग्लोबलाईसेसन हो चूका था तो उन्हें 2001 तक प्रतीक्षा क्यूँ करनी पड़ी थी ? हालाँकि सभी और क्षेत्र में भारत में विदेशी कंपनिया आ चुकी थी ?
- भारत अमेरिका की भीख पर निर्भर नहीं था तो कारगिल युद्ध की समाप्ति के एलान के बाद आतंकवादियों को पाकिस्तान वापस जाने के लिए सुरक्षित मार्ग (Safe Passage) क्यों दिया गया था ? और भारत के सेना उनका खात्मा नहीं कर सकी |
- और उसके तुरंत बाद में ही 2004 में दवाई बनाने का पेटंट कानून बदल डाला जिससे जीवन जरूरियात की कुछ दवाइयां 10 से 1000 गुना महंगी हो गयीं|
- कारगिल के युद्ध में इस्तमाल हुई बोफर्स तोप का खोल/आवरण का भी उत्पादन भारत में नहीं होता हे | उसके लिए भी भारत तो पश्चिमी देशों से भीख मांगनी पडती है |

(2) अगर भारत 1965 और 1997 का पाकिस्तान के साथ युद्ध अपने दम पर ही जीता था तो जीता हुआ इलाका पाकिस्तान को क्यूँ वापस दे दिया ? क्यूँ कि अमेरिका/रूस ने बता दिया था

की अगर तुम पाकिस्तान को जमीन वापस नहीं करोगे तो फिर अमेरिका/रूस की सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना , जिसमें सैनिक तो पाकिस्तान के होंगे लेकिन हथियार और मदद अमेरिका/रूस से आयेगी |

लीबिया के ऊपर आया हुआ संकट एक अलग, उलटा मोड़ ले चूका है | अगर हम राजनैतिक पहलुओं को अलग रखें ,तो लीबिया में हुए हमलों को देखकर भारत में किसी को भी यह सोचने पर मजबूर करेगा की क्या होगा अगर किसी दिन भारत-पश्चिमी देशों अथवा भारत-चीन के बीच युद्ध हुआ तो | अगर पश्चिमी देशों और चीन, भारत के साथ अगर प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करेगा तो फिर वो लोग पाकिस्तानी सेना का उपयोग करेंगे | भारतीय पत्रकारों और पाठ्यपुस्तक लेखकों को पश्चिमी देशो से पैसा मिला है ,इसी लिए उन्होंने हमेशा यह प्रयास किया है की प्रत्येक भारतीय को हथियारों का महत्व और भारत की सेना की पश्चिमी देशों और चीन की सेना के मुकाबले में कमजोरी का पता कम से कम हो | कोई भी सामान्य अखबार के पाठक को ना तो हथियार के विवरण के बारे में पता नहीं बल्कि उसको हथियार के महत्व का भी पता नहीं जिससे हम हमारी जिंदगी और देश बचा सके | हमारे जैसे कुछ लोग जिनको पत्रकारों और पाठ्यपुस्तक लेखकों की बेईमानी का पता चला, तो उन्होंने काफी समय पहले समाचार पत्र और पाठ्यपुस्तकों को कचरे के डब्बे में डाल दिया और सिर्फ इंटरनेट के ऊपर ही जानकारी और विचार के लिए निर्भर रहते हैं और उन्हें लोगो तक पहुंचाना शुरू किया | लेकिन बाकी लोग, जो पत्रकारों और पाठ्यपुस्तक लेखकों पर भरोसा करते हैं ,वो लोग जानकारी और विचार के लिए इंटरनेट पर नहीं आते और इसी लिए उनको कुछ जानकारी नहीं होती है | हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि लीबिया के ऊपर हुए हवाई हमलों से उन्हें कुछ जानकारी मिली हो और वो आगे भी कुछ जानकारी लेने के लिए इन्टरनेट पर आगे आयें |

यहाँ लीबिया पर हुआ हवाई हमलों के बारे में और कुछ जानकारी है | लीबिया पर पश्चिमी देशो द्वारा उसके तेल के लिए हवाई हमले किये जा रहे हैं नाकि अन्य कोई कारण है | 1990 के आसपास हमने और श्री राजीव दीक्षीत जी ने यही कहा था की एक बार अगर इराक की बारी खतम हो गई तो इरान की बारी आएगी और फिर बाकी सब देशो की और उसमे भारत भी लाइन में ही है | भारत में भी कारपेट बोम्बिंग (हवाई जहाज़ द्वारा बम से व्यापक हमला) हो सकती है अगर भारत ने कब्ज़ा किये जाने का विरोध किया |

अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों का एक ही उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में से सभी तेल के कुएं और खनिज खानों पर कब्ज़ा करना और पूरी दुनिया के हर इन्सान को ईसाई बनाना | पैसों से ख़रीदे गए पाठ्यपुस्तकों के लेखक इसकी बात भी नहीं करते | लेकिन ईस्ट इंडिया कम्पनी ने पूरे जोर से साम, दाम, दंड और भेद लगाकर ईसाई धर्म के प्रचार का प्रयास किया था | और इसीलिए उन्होंने भैंस की चरबी की जगह गाय और सूअर की चरबी का उपयोग उनकी बंधूक की गोली बनाने में किया जिससे वो भारतीय सैनिकों को अपने धार्मिक सामाजिक / समुदायोंसे बाहर निकाला जाये और फिर बाद में उनके लिए उन सैनिक को ईसाई बनाना आसान हो जाए | उनका मकसद सारे देशों को आफ्रिका और फिलीपींस की तरह जागीरदार/घुलाम राज्यों में रूपांतरित करना है | भारत उनकी सूची में पेहला नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो सूची में है ही नहीं | इसीलिए 2004 में इराक पर हमला करने के बाद कुछ लोगों ने सोचा था की अब वो इरान पर हमला करेंगे लेकिन उन्होंने लीबिया पर हमला

कर दिया | इसी साजिश को लागू करने के विवरण में एक छोटा सा परिवर्तन किया गया हे लेकिन साजिश तो वो ही है |

अब हमें क्या सीखना चाहिए ?

अगर भारत का पश्चिमी देशों के साथ युद्ध हुआ तो

मान लो की यदि भारत में ईसाई का धर्मपरिवर्तन बंध हो जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियो को भारत की खनिज खानों मे कोई भी हिस्सा नहीं मिलता हे तो और पश्चिम विरोधी शासन या स्वदेशी चलन अपनाता है तो फिर भारत और पश्चिम के देशो के बीच में जंग एक वास्तविक संभावना है | जब लीबिया पर हमला हुआ तब हवाई जहाज़ की सूचना देने वाली लीबिया की रडार ने काम करना बंध कर दिया | रडार के बिना हवाई हमलों से सुरक्षा ऐसी है जैसे एक व्यक्ति आँख या कान बिना | अब भारत की रडार केसी हैं ? कुछ भी अलग नहीं है | सभी रडार का उत्पादन पश्चिमी देशों में हुआ है और वो लोग कभी भी “कील स्विच/रेडियो स्विच” का इस्तमाल करके उसे बंध कर सकते हैं | काफी सारे आम नागरिकों को यह पता नहीं है कि “कील स्विच/रेडियो स्विच” क्या है ? देखिये कोई भी आधुनिक हथियार या हथियार से रक्षण देने वाला यन्त्र एक जटिल “सॉफ्टवेर” और “हार्डवेर” के साथ आता है और उसमे “कील स्विच/रेडियो स्विच” का पता लगाना नामुमकिन है |

जो देश इस तरह के हथियार या हथियार से रक्षण देने वाले यन्त्र का उत्पादन करता है , वो इस बात का ध्यान रखता है कि उनका इस्तमाल उनके खिलाफ ही ना हो | इसी लिए वो उस हथियार या यन्त्र में “कील स्विच/रेडियो स्विच” रखते हे | कील स्विच और कुछ नहीं बस उस हथियार या हथियार से रक्षण देने वाले यन्त्र को बंध करना है रेडियो तरंगें द्वारा | वो देश जो हथियार बेचता है यदि उन देशो के खिलाफ ही उस हथियारों का इस्तमाल होने लगे तो वो “रेडियो स्विच” का इस्तमाल कर के उनको बंध कर देगा | उदाहरण के लिए अमेरिका से सारे विमान कील/रेडियो स्विच के साथ आते हैं जिससे अमेरिका के खिलाफ युद्ध होने की हालात में वो विमान काम में नहीं आयेंगे | इस तरह भारत और पश्चिमी देशों के बीच होने वाले युद्ध में भारत के पास अपना बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं है | लेकिन पश्चिम भारत को भारत पर सीधा हमला करने की जरुरत नहीं है | वो पाकिस्तानी उच्च वर्ग जेसे की प्रधान मंत्री को पैसा देंगे, उनको हथियार और उपग्रह की जानकारी देंगे | साउदी अरब हमेशा पाकिस्तान को ऐसे हमलों के लिए पैसे देने के लिए तैयार है | पाकिस्तान की सेना के पास 5,00,000 (पांच लाख) सैनिक हैं और उनके लाखों आम नागरिको के पास हथियार हैं जैसे ऐ-के 47| पश्चिमी देशो की सहायता और साउदी अरेबिया के पैसे से वो भारतीय सेना को तोड़ देंगे | और इसके बाद पाकिस्तानी सेना और नागरिकों को भारत में आसाम और चेन्नई तक पहुँचने में और लूट मचाने से कोई रोक नहीं पाएगा | जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन से हिंसा हुई थी वेसी ही होगी और लूट 20 से 50 गुना बढ़ जायेगी |

आगे जाकर पश्चिमी देश पाकिस्तान को भारत पर कब्ज़ा करना नहीं देंगे | पश्चिमी देशो का मकसद भारत को और भारत के लोगों को तोड़ने के लिए पाकिस्तान का उपयोग करना है | इससे भारत पश्चिम के देशो से भीख मांगेगा और वो मदद भी जरुर करेंगे लेकिन बदले में वो भारत की सारी खनिज खानें तथा तेल पर अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिकार जमा लेंगें |

फिर बाद में, पश्चिमी देश भारत के गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग को कमजोर कर देंगे जिससे पूरी तरह से भारत उनपर तकनिकी के लिए निर्भर/आश्रित हो जाए |
अंत में पश्चिम देश वो ही करेंगे जो उन्होंने दक्षिण कोरिया और फिलीपिंस के साथ किया, देश के बड़े हिस्से को ईसाई बनाया और उनके आधीन भी | यदि भारत के आबादी के 5-10 % का नरसंहार कर के , बाकी के जन संख्या के बड़े हिस्से के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर कर देते हैं | ईसाईयों और गैर-ईसाईयों के बीच फूट डलवा सकते हैं और दोनों को लूट लेंगे | ऐसा ही दक्षिण कोरिया और फिलीपिंस में हुआ |

उपाय ? अगली समस्या के विवरण के बाद आपको उपाय बताऊंगा|

<u>अगर भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ तो</u>

अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो नतीजा तो वो ही निकलेगा. पश्चिमी देशो ने इराक पर हमला करके उन्हें पत्थर युग में पीछे धकेल दिया है और वो धीरे धीरे इराक के नागरिकों को ईसाई में धर्म-परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं | पाकिस्तान में भी ज्यादा से ज्यादा गरीब मुस्लिम ईसाई धर्म को अपना रहे हैं और इसमें दोष पाकिस्तान के भ्रष्ट पैसेवाले, विशिष्ट लोगों का है | उन्होंने ही यह गरीबी का पाकिस्तान में निर्माण किया था | इराक और लीबिया में हुए इस हमले के बाद पाकिस्तान का एक बड़ा वर्ग पश्चिमी देशो के खिलाफ हो गया और चीन के नजदीक आ गया है | चीन इसका लाभ उठा कर पाकिस्तान को हथियार दे सकता है जिससे पाकिस्तान भारत पर हमला करे | पाकिस्तान चीन के हथियार और साउदी अरब से मिले पैसों का इस्तमाल कर के बडी आसानी से भारत को हरा सकता हे अगर भारत अमेरिका से भीख ना मांगे | फिर से भारत के पास कोई रास्ता नहीं होगा और हमारे प्रधानमंत्री को तो पश्चिमी देशो से भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा | और मदद भी जरुर मिलेगी लेकिन उस शर्त के मुताबिक जिससे भारत को अपना तेल और खनिज खानें पश्चिम के देशों को सौपना पड़े | और इसके बाद , पश्चिमी देश भारत के गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग को कमजोर कर देंगे जिससे पूरी तरह से भारत उनपर तकनिकी लिए आश्रित/निर्भर हो जाए | अंत में पश्चिम देश वो ही करेंगे जो उन्होंने दक्षिण कोरिया और फिलीपिंस के साथ किया, देश के बड़े हिस्से तो ईसाई बनाया और उनके आधीन भी |ईसाईयों और गैर-ईसाईयों के बीच फूट डलवाया और दोनों को लूट लिया|

<u>उपाय</u>

इसका एक ही सिर्फ उपाय हे की भारत में ही हथियारों का निर्माण शुरू किया जाए जिससे हमें बहार से ख़रीदे गए हथियारों के ऊपर आधीन रेहना ना पड़े | हम किसी भी हालात में बहार से ख़रीदे गए हथियारों के ऊपर अधीन नहीं रह सकते क्यूंकि उनमें कही भी "कील/रेडियो स्विच" छुपा हो सकता है | भारत को बडी मात्रा में अपने देश में ही, अत्याधुनिक युद्ध विमान से लेकर सामान्य बंधूकें जैसे हथियारों का निर्माण करना होगा जितना जल्दी हम कर सकें उतना जल्दी |

युद्ध विमान जैसे अत्याधुनिक हथियार बनाने में भारत तो 5 से 10 साल लगेंगे अगर हम आज से ही बनाना चालू करते हैं और उसके लिए जरुरी राजपत्र हमें मिल जाते हैं तो | लेकिन

क्या होगा अगर चीन या पश्चिमी देशो ने उन १० साल के बीच में ही हम पर हमला कर दिया तो ? सबसे जल्दी का रास्ता है कि बंधूक निर्माण करने और रखने के लिए लिसेंस की जरुरत को रद्द कर देना चाहिए | और जिसको बंधूक का निर्माण करना है या बंधूक रखना है , करने देना चाहिए| इस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत के हर चौराहे, हर गली में जंग लड़नी होगी | जिससे वो भारत की सीमा तो तोड़ सकते हैं लेकिन भारत में अंदर घूस नहीं सकते | इतिहास में हमने कई बार ऐसा देखा हे की जहा नागरिकों के पास हथियार होते हैं, वहाँ सेना का जीतना और आगे जाना नामुमकिन हो जाता हे | जैसे कि हिटलर ने स्वीत्जेर-लैंड पर इसीलिए आक्रमण नहीं किया था क्यूंकि वहाँ हर नागरिक के पास बंधूक थी | आज भी स्वीटजर-लैंड में कायदे के अनुसार एक बंधूक रखना और १०० गोली रखना जरुरी है | स्वीटजर-लैंड के हर आम नागरिक के पास भारत के सैनिक या डी.वाय.एस.पी. से ज्यादा बंधूक की गोलियाँ होती हैं | एक दूसरा उदाहरण है आधुनिक अफघानिस्तान | अफघानिस्तान और 1938 के भारत की तुलना करें | 1938 में भारत को इंग्लेंड ने 38 करोड की आबादी को 80,000 सैनिक द्वारा नियंत्रित किया और राज किया | और आज अमेरिका के 2 लाख सैनिक अफघानिस्तान के 3 करोड नागरिकों को नियंत्रित नहीं कर सकते| ऊँची-नीची भूमि एक कारण है लेकिन मुख्य कारण है कि वहाँ हर औरत, हर बच्चे के पास बंधूक है और इसी लिए अमेरिका के लिए अफघानिस्तान में लूटना और आराम से वहाँ के लोगो को मारना आसान नहीं है |

भारत में कुछ 11 लाख सैनिक हैं, 10 लाख सह-सैनिक बल हैं और कुछ 15 लाख पुलिस वालों के पास बंधूकें हैं | भारत के आम नागरिको में सिर्फ २% नागरिकों के पास बंधूकें हैं | इतनी कम संख्या में लोगों के पास बंधूक होने से पाकिस्तानी सैनिक और नागरिको को खुल्ला मैदान मिल जाएगा अगर एक बार भारतीय सेना की नीव टूट गयी | भारत तो एसी हालत से बचाने के लिए एक ही तरीका हे की भारत के नागरिक को बंधूक रखने का अधिकार दिया जाए | हथियार रखना और उसका इस्तमाल करने का परवाना (लाईसंस) दिया जाए और हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा 3 बंधूक रख सके, और फिर बाद में किसी भी मदद के बिना, भारत के 70% से 80% लोगो के पास खुद की बंधूक आ जाएगी | गरीब से गरीब आदमी भी खुद की बंधूक रखेगा क्यूंकि अमीर आदमी अपनी पुरानी बंधूक सस्ते में बेच देगा जैसे कि आज कल मोबाइल-फोन के साथ होता है |

अगर एक बार भारत के 50% से 80% लोगो के पास हथियार या बंधूक आ जाए तो हम लोग बड़ी आसानी से चीन और पाकिस्तान का मुकाबला, पश्चिम के देशो की मदद के बिना कर सकते हैं | हम नहीं कहते की आज के आज ही पश्चिम से हथियार खरीदना बंध कर देना चाहिए | आज हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा कि हम बाहर से हथियार खरीदें | लेकिन एक बार सबके पास बंधूक आ गई और बंधूक का उत्पादन करना शुरू कर दिया, हम पश्चिम के हथियारों को चरणबद्ध तरीके से हटा सकते हैं क्यूँकि उनमें से लगभग सभी में कील/रेडियो स्विच होना निश्चित है |

(24.12) सेना में सुधार करने के संबंध में सभी दलों और बुद्धिजीवियों का रूख / राय

सभी राजनैतिक दलों के नेतागण और बुद्धिजीवीगण सेना में सुधार करने के पक्के विरोधी हैं। सभी दलों के नेताओं ने `सर्वजन हथियार शिक्षा` लागू करने से मना कर दिया है

क्योंकि वे डरते हैं कि नागरिकगण उनके भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह/बगावत कर देंगे। और वे सैनिकों के वेतन बढ़ाए जाने का भी विरोध करते हैं क्योंकि वे विशिष्ट/ऊंचे लोगों पर (लगनेवाले) टैक्सों/करों को कम ही रखना चाहते हैं। सभी दलों के नेताओं ने परमाणु हथियारों को चीन तक के बराबर (के स्तर पर) लाने से मना कर दिया है, अमेरिका और रूस की बात तो जाने ही दीजिए। सैन्य क्षेत्र में इंजिनियरों को दिया जाने वाला वेतन इतना कम है कि कुछ ही इंजिनियर यहां भर्ती होते हैं और इसलिए निर्माण की हालत खराब/खास्ता है। हथियार निर्माण कार्यक्रम इतना कमजोर है कि हमलोग बोफोर्स तोप के गोले तक का आयात कर रहे हैं। ह्विटजर तोप के निर्माण की बात तो जाने ही दीजिए। और तो और हम `ए. के. 47` रायफलों तक का दूसरे देशों से मांगा (आयात कर) रहे हैं। अर्जुन टैंक, एल.सी.ए. और कावेरी इंजिन आदि जैसी सभी परियोजनाएं खस्ता/अस्त-व्यस्त हालत में हैं क्योंकि इन कम वेतन वाली परियोजनाओं में इंजिनियर भर्ती नहीं हो रहे हैं। और प्रधान मंत्रियों ने वर्ष 1991 से ही इंजिनियरों के वेतनों में बढ़ोत्तरी/वृद्धि करने से इनकार कर दिया है।

सेना के मध्यम-स्तरीय अधिकारियों के वेतन इतने कम हैं कि सैनिक परिवारों के नौजवान भी अब सेना में भर्ती होने से इनकार कर रहे हैं। सेना के अधिकारीगण कभी अपने बेटों और भतीजों आदि को सेना में भर्ती होने के लिए उत्साहित किया करते थे और अब दयनीय रूप से कम वेतनों के चलते वे ऐसा नहीं करना चाहते और वेतन कम **सिर्फ इसलिए** है कि राजनैतिक नेता वेतनों को बढ़ाने के खिलाफ हैं। वेतन इतने कम हैं कि 40,000 अधिकारियों के स्वीकृत/मंजूर पदों में से 12,000 पद खाली पड़े हुए हैं। और वास्तव में, हमें केवल 40,000 अधिकारियों की ही नहीं बल्कि 2,00,000 अधिकारियों की जरूरत है।

नेतागण इस बात पर जोर देते हैं कि सैनिकों का वेतन पुलिसवालों के वेतन से 20 प्रतिशत ही अधिक होने चाहिए, इससे अधिक नहीं !! हम सभी जानते हैं कि कोई भी नौजवान पुलिस बल में भर्ती नहीं होता यदि उसकी आमदनी का एकमात्र जरिया वेतन ही होता। दलाल मीडिया वालों ने यह छवि बना दी है कि सैनिक भ्रष्ट होते हैं और इसलिए उनके वेतन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यह कोरी बकवास है। 10,00,000 पैदल सैनिकों (जवान,सिपाही) की तुलना 15,00,000 सरकारी क्लर्कों से कीजिए। प्रत्येक कांस्टेबल अथवा क्लर्क के पास नागरिक के रूप में कुछ विवेकाधीन अधिकार/शक्ति है जबकि सैनिकों को (यह अधिकार) नहीं है। इसलिए जब 80 प्रतिशत कांस्टेबलों और क्लर्कों को घूस वसूलने के अवसर होते हैं तो वहीं 1 प्रतिशत से भी कम सैनिकों को ऐसे अवसर उपलब्ध होते हैं। सेना के 40,000 अधिकारियों की तुलना 40,000 पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, डी.वाई.एस.पी(उप-पुलिस-अधीक्षक), एस.पी(पुलिस अधीक्षक) अथवा तहसीलदार व कलेक्टर से कीजिए। 5 प्रतिशत से भी कम अधिकारियों के पास वह विवेकाधीन अधिकार है जिससे उन्हें किसी प्रकार का घूस मिल सकेगा। रक्षा मंत्रालय में आई.ऐ.एस.(भारतीय प्रशासनिक सेवा) के अधिकारियों द्वारा खरीद की जाती है और केवल बहुत ऊंचे स्तर के अधिकारी (शीर्ष 200 के लगभग) ही निर्णय लेने में भागीदार होते हैं। इसलिए, पुलिस या बाबू/सरकारी स्टॉफ, जिनमें से 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत से भी अधिक (पदाधिकारियों) के पास घूस लेने के अधिकार/ताकत होती है ,वहीं 98 प्रतिशत से अधिक सैनिकों के पास ऐसी कोई अधिकार/ताकत नहीं होती है कि वे घूस ले सकें।

हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी पार्टी के प्रिय नेताओं से पूछें कि वे सेना को मजबूत/सुदृढ़ बनाए जाने के मुद्दे पर क्या करने का इरादा/राय रखते हैं और तब यह

निर्णय करें कि क्या वे वोट दिए जाने के लायक हैं ? और हम कार्यकर्ताओं से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे बुद्धिजीवियों से इन मुद्दों पर प्रश्न पूछें और तब निर्णय करें कि क्या वे मार्गदर्शक बनने के योग्य हैं?

अभ्यास

1. कितने-कितने परमाणु विस्फोट अब तक भारत और चीन ने किए हैं और कैसे/किस तरह से किए हैं? सबसे ऊंचे/बड़े विस्फोट के नतीजे/परिणाम क्या रहे हैं?
2. अमेरिका के पास प्रति एक लाख नागरिकों पर कितने सैनिक हैं? भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस के पास ऐसी संख्या (प्रति एक लाख नागरिकों पर सैनिकों की संख्या) क्या है?
3. भारतीय रक्षा अकादमी/एन.डी.ए. में भर्ती होने के मान लीजिए, 10 वर्षों के बाद सेना में भर्ती होने वाले भारतीय जवानों का वेतन कितना होता है?
4. कॉलेज से पढ़कर निकलने के 10 वर्ष के बाद किसी सामान्य इनफोसिस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी/आई.टी. कम्पनी का कर्मचारी कितना वेतन पाता है?
5. मैं पाठकों से जोरदार आग्रह करता हूँ कि वे निम्नलिखित फिल्म अवश्य देखें – ओमार मुख्तार।

अध्याय 25 - टैक्स / कर प्रणाली पर प्रजा अधीन राजा समूह / राईट टू रिकॉल ग्रुप का प्रस्ताव : संपत्ति कर (संपत्ति टैक्स) लागू करें तथा वैट, सेवा कर (सेवा टैक्स), जी.एस.टी. को रद्द करें

(25.1) टैक्स / कर प्रणाली(सिस्टम) में प्रजा अधीन राजा समूह / राईट टू रिकॉल ग्रुप के प्रस्तावित बदलाव का सारांश (छोटे में बात)

प्रजा अधीन राजा समूह/राईट टू रिकॉल ग्रुप के सदस्य के रूप में मैं जनता की आवाज का प्रयोग करके टैक्स/कर ढ़ांचे में निम्नलिखित परिवर्तन/बदलाव लाने का वायदा करता हूँ –

1. **<u>`सम्पत्ति कर (संपत्ति टैक्स)` लागू करना</u> :** सेना, पुलिस, कोर्ट/न्यायालय, सेना के लिए जरूरी विषयों की शिक्षा और सड़कों के लिए `सम्पत्ति कर` लागू किया जाएगा। यह टैक्स जमीन, निर्माण-क्षेत्रफल पर लागू होगा और बाद में शेयरों और बॉन्डों, सोना, चांदी और धातू के बाजार मूल्य के आधार पर लगाया जाएगा। इस पाठ में आगे आनेवाले भागों में विस्तृत ब्यौरे दिए गए हैं।
2. **<u>`विरासत कर (विरासत टैक्स)` लागू करना</u> :** सेना, पुलिस, न्यायालय, सेना के लिए जरूरी विषयों की शिक्षा के लिए `विरासत कर` लागू किया जाएगा। यह उस व्यक्ति की सारी संपत्ति पर लागू होगा जिसकी मृत्यु हो चुकी है।
3. **<u>आय-कर (आमदनी पर टैक्स) में छूट</u> :** मुख्य जोर `संपत्ति कर` और `विरासत कर` पर होगा और जैसे-जैसे इन करों से राजस्व मिलने लगेगा, आयकर में कमी कर दी जाएगी।
4. *सेज(*विशेष आर्थिक क्षेत्र) को मिलने वाले टैक्स/कर के सभी लाभ निरस्त/समाप्त किए जाएंगे।
5. सभी निर्यात सब्सिडी तथा सभी निर्यात संबंधी टैक्स/कर छूट को समाप्त/खत्म किया जाएगा। केवल डॉलर के रूप में प्राप्त होने वाली सभी आय पर तब तक छूट मिलेगी जब तक कि ऋण/कर्ज चुका न दिया जाए।
6. धर्मार्थ (संस्थाओं) आदि को दिए गए टैक्स/करों में छूट को समाप्त किया जाएगा। 80 जी., 35 ए.सी. आदि को समाप्त किया जाएगा।
7. ट्रस्ट को प्रति वर्ष प्रति सदस्य 20 रूपए का छूट प्राप्त होगा। और कोई भी नागरिक ज्यादा से ज्यादा/अधिकतम पांच ट्रस्टों का ही सदस्य बन सकेगा।
8. वाहनों, इंजन, बिजली, आदि जैसे कुछ मुद्दों (जिनका प्रयोग कड़ाई से केवल सड़कों के लिए पैसे लगाने में किया जाएगा) को छोड़कर सभी `उत्पाद शुल्क` समाप्त किए जाएंगे।
9. **वैट, `बिक्री कर (बिक्री टैक्स)`, `सेवा कर (सेवा पर टैक्स)` समाप्त किया जाएगा।**
10. *ऑक्ट्रॉय* समाप्त कर दिया जाएगा।
11. लगभग 300 प्रतिशत `सीमा शुल्क` (लगाया जाएगा) और जमा किए हुए सीमा शुल्क का एक तिहाई हिस्सा सीधे नागरिकों को ही मिलेगा/जाएगा।
12. स्टॉम्प ड्यूटी (हस्तांतरण शुल्क) को कम करके 1 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

13. तम्बाकू व शराब पर `स्वास्थ्य कर` लगाया जाएगा और तंबाकू, शराब आदि से होनेवाली बीमारियों के लिए दी जाने वाली चिकित्सा सब्सिडी/छूट के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। तम्बाकू, शराब आदि पर लगाए जाने वाले करों का उपयोग किसी भी अन्य प्रकार के खर्चे की भरपाई के लिए नहीं किया जाएगा।
14. हिंदू एकजुट परिवार(हिंदू यूनाईटेड फैमिली) की आयें `कर्ता` के साथ एक समूह में डाली जाएँगे या इनपर `कर्ता` की इच्छानुसार कॉरपोरेट दरों से टैक्स/कर वसूला जाएगा।
15. हिंदू एकजुट परिवार(हिंदू यूनाईटेड फैमिली) की संपत्ति पर `संपत्ति कर` की कोई छूट नहीं। हिंदू एकजुट परिवार(हिंदू यूनाईटेड फैमिली) की संपत्ति कर्ता के साथ एक समूह में डाली जायेगी या इस संपत्ति पर उच्चतम दर का कर लगाया जायेगा ,कर्ता की इच्छानुसार।
16. सम्पत्ति के स्वामित्व और कमाई पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम)।
17. भुगतानों पर नजर रखने और टैक्स/कर की चोरी को कम करने के लिए सर्वजन/वैश्विक बैंक प्रणाली(सिस्टम)।
18. राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) का सुधार/उन्नयन करना : किसी व्यक्ति का राष्ट्रीय पहचान-पत्र ही उसकी बैंक-खाता संख्या, उसका ई-मेल पता, उसकी मोबाईल संख्या और उसकी चालक लाईसेंस संख्या भी होगी।
19. क्रिकेट और सभी खेल निकायों को दी गई टैक्स/कर छूट समाप्त कर दी जाएगी।
20. प्रादेशिक भाषाओं या किसी भी अन्य आधार पर फिल्मों/चलचित्रों को दी गई सभी टैक्स/कर छूट समाप्त की जाएगी।

(25.2) प्रतिगामी / प्रत्यावर्ती (रिग्रेसिव) कर / टैक्स क्या है ?

प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती (रिग्रेसिव) टैक्स / कर क्या है?

किसी भी टैक्स/कर में मैं टैक्स/कर के निम्नलिखित पहलू का विश्लषण करता हूँ और टैक्स/करों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता हूँ – समान कर(फ्लैट टैक्स), प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती कर(रिग्रेसिव टैक्स) और प्रगामी कर(प्रोग्रेसिव टैक्स)।

- मान लीजिए, किसी सेना, पुलिस आदि को 5000 करोड़ रूपए की जरूरत है।
- मान लीजिए किसी राष्ट्र में 5 करोड़ लोग रहते हैं और उनकी आय कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रूपए है।
- अब मान लीजिए, करों को इस तरह से निर्धारित/संशोधित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का 10 प्रतिशत भुगतान करना ही पड़ता है। इस प्रकार के कर को ***समान कर*** **(आय के संबंध में समान)** कहा जाता है।
- यदि करों को इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यक्ति जो कमतर/बहुत कम आय प्राप्त कर रहा है, उसे अपनी आय के 10 प्रतिशत से अधिक टैक्स/कर देना पड़ रहा है तथा अधिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपनी आय के 10 प्रतिशत से कम ही टैक्स/कर देना पड़ रहा है तो इस प्रकार का कर **प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती कर /**

रेग्रेशिव टैक्स (आय के संबंध में प्रतिगामी) कहलाता है।उदहारण- `खाने-पीने` की वस्तुओं, शराब, तम्बाकू, चाय आदि पर कर |

- यदि करों को इस तरह से निर्धारित किया जाए कि ज्यादा आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अपनी आय के 10 प्रतिशत से ज्यादा कर के रूप में देना पड़े और कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपनी आय के 10 प्रतिशत से कम ही टैक्स/कर के रूप में देना पड़े तो ऐसी कर प्रणाली **प्रगामी कर (आय के संबंध में प्रगामी)** कहलाती है। उदहारण-`आयकर`|

इसी प्रकार मान लीजिए, भारत सरकार को टैक्स/करों के रूप में 10,000 करोड़ रूपए की जरूरत है। मान लीजिए, नागरिक-समाज के विभिन्न सदस्यों के पास जो सम्पत्ति है उसका मूल्य कुल मिलाकर 10,00,000 करोड़ रूपए के बराबर है। अब फिर, कर लगाने के तीन तरीके हैं-

- एक तरीका सभी सम्पत्ति पर उसके मूल्य का 1 प्रतिशत का एक-समान कर लागू करना है। यह **`समान कर` (सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में समान टैक्स)** होगा । उदहारण- `संपत्ति-कर`
- एक और तरीका इस प्रकार से कर लगाना होगा जिसमें वे लोग जिनके पास सम्पत्ति कमतर/बहुत कम है, उन्हें अपनी सम्पत्ति मूल्य से उच्चतर प्रतिशत कर देना पड़ता है। यह कर **`प्रतिगामी कर` (सम्पत्ति/धन के संबंध में प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती टैक्स)** होगा ।
- एक अन्य तरीका एक ऐसा कर लगाने का है जिसमें उच्चतर/ज्यादा सम्पत्ति वाले लोगों को अपने सम्पत्तियों के मूल्यों के मामले में उच्चतर कर चुकाना पड़ता है। यह कर **प्रगामी कर (धन/सम्पत्ति के संबंध में प्रगामी टैक्स)** कहलाएगा ।

(25.3) क्या भारत में कुछ (प्रकार के) टैक्स प्रतिगामी / प्रत्यावर्ती (रिग्रेस्सिव) हैं ?

अब भारत में लगाए जाने वाले कुछ करों का विश्लेषण करें –

<u>कर उदाहरण 1 – चलचित्र/सिनेमा के टिकटों पर टैक्स</u>

मान लीजिए, एक व्यक्ति 3000 रूपए प्रति माह कमाता है। मान लीजिए, वह महीने भर में तीन सिनेमा देखता है। मान लीजिए, वह 50 रूपए वाले सस्ते टिकट खरीदता है। अहमदाबाद में ऐसे टिकटों पर कर 20 रूपए है। इसलिए, वह 3 × 20 रूपए = 60 रूपए प्रति माह टैक्स चुकाता है जो उसकी आय (3000 रूपए) का 2 प्रतिशत है। अब 30,000 रूपए प्रति महीने कमाने वाले एक व्यक्ति पर विचार कीजिए। ऐसी संभावना नहीं है कि वह एक महीने में 10 बार सिनेमा/फिल्म देखेगा। मान लीजिए, एक महीने में वह चार सिनेमा देखता है और हर बार वह ज्यादा महंगी यानि 100 रूपए वाली टिकट खरीदता है जिसमें 40 रूपया टैक्स का है और इस प्रकार वह व्यक्ति 160 रूपए टैक्स/कर चुकाता है। तो टैक्स/कर प्रतिशत होगा – 160/30,000 × 100 % = 16/30 = 0.54 % . इसलिए, सिनेमा पर लगने वाला कर आय के संबंध में प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती कर है। और भी प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती यह है कि अहमदाबाद जैसे भारत के कुछ शहरों में साधारण फिल्मों पर लगने वाला टैक्स आधार-मूल्य का 80 प्रतिशत होता है जहां

आधार-मूल्य केवल 20 रूपया है। जबकि महंगे थिएटरों (जिन्हें मल्टीप्लेक्स कहा जाता है) जहां आधार-मूल्य 100 रूपए अथवा 150 रूपए अथवा 200 रूपए और यहां तक कि 400 रूपए भी होता है, वहां टैक्स नाम-मात्र का अर्थात रु.1 प्रति टिकेट ही है यानि लगभग शुन्य प्रतिशत। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति जो मुश्किल से 40 रूपए (सिनेमा पर) वहन/खर्च कर सकता है, उसे 15 रूपए का टैक्स चुकाना पड़ता है जबकि वे लोग जो 100 से लेकर 400 रूपए खर्च करते हैं उन्हें लगबघ शुन्य टैक्स ही देना होता है। यह वास्तव में आय के मामले में एक प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती कर है ; एक प्रकार का टैक्स/कर जिसे भारत के विशिष्ट/ऊंचे वर्ग के लोग बहुत पसन्द करते/चाहते हैं।

<u>टैक्स उदाहरण 2- चाय पर टैक्स</u> :

भारत के 100 करोड़ लोगों पर विचार कीजिए। मान लीजिए, लगभग 60 करोड़ लोग चाय पीते हैं। कुछ समय के लिए शेष 40 करोड़ लोगों को नजरअन्दाज कर दीजिए। अब मैं चाय की लत वाले इन 60 करोड़ लोगों को तीन समूहों में बांटता हूँ –

1 वे लोग, जो प्रतिदिन 100 रूपए से कम कमाते हैं।
2 वे लोग, जो प्रतिदिन 100 से 1000 रूपए कमाते हैं।
3 वे लोग, जो प्रतिदिन 1000 रूपए से ज्यादा कमाते हैं।

अब मान लीजिए, एक कप चाय में 10 ग्राम चायपत्ती लगता है, जिसकी कीमत 2 रूपए है। मान लीजिए, चाय पर टैक्स लागत का 50 प्रतिशत है अर्थात एक कप चाय की चायपत्ती पर 1 रूपया टैक्स/कर। अब एक व्यक्ति जो प्रतिदिन 100 रूपए कमाता है, उसपर विचार कीजिए। वह 2 कप चाय (प्रतिदिन) पीता है। इसलिए वह 2 रूपए टैक्स के रूप में चुका रहा है अर्थात अपनी आय का 2 प्रतिशत। अब एक और व्यक्ति पर विचार कीजिए जो 10 गुना ज्यादा कमा रहा है अर्थात 1000 रूपए प्रतिदिन। निश्चित रूप से, ऐसा कोई व्यक्ति प्रतिदिन 10 कप चाय तो नहीं ही पीएगा। मान लीजिए, वह एक दिन में 5 कप चाय पीता है। तब इस मामले में वह 5 रूपए कर चुकाएगा अर्थात अपनी आय का 0.5 प्रतिशत कर के रूप में चुकाएगा। और इसी प्रकार, कोई व्यक्ति जो एक दिन में 10,000 रूपए कमाता है वह शायद 0.05 प्रतिशत ही चाय पर कर के रूप में खर्च करता है। इसलिए चाय पर लिया जाने वाला कर किसी व्यक्ति की आय के मामले में प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती कर है।

<u>टैक्स/कर उदाहरण 3 : तंबाकू, कॉफी, गुटका, बीयर पर टैक्स</u>

ऐसी किसी वस्तु या उत्पाद, जैसे तम्बाकू पर लगने वाले टैक्स/कर पर विचार कीजिए। एक बार फिर मान लीजिए, भारत के 100 करोड़ लोगों में से, मान लीजिए, 40 प्रतिशत लोग तम्बाकू चबाते/पीते हैं। मैं तंबाकू की लत वाले लोगों को तीन समूहों में बांटता हूँ –

1. वे लोग, जो प्रतिदिन 100 रूपए से कम कमाते हैं।
2. वे लोग, जो प्रतिदिन 100 से 1000 रूपए कमाते हैं।
3. वे लोग, जो प्रतिदिन 1000 रूपए से ज्यादा कमाते हैं।

किसी व्यक्ति पर विचार कीजिए जो प्रतिदिन 100 रूपए कमा रहा है। मान लीजिए, वह 10 ग्राम तंबाकू (प्रतिदिन) चबाता है जिसपर टैक्स 1 रूपया है। निश्चित रूप से, वे लोग जो 10

गुना अर्थात 1000 रूपए प्रतिदिन कमाते हैं वे 10 गुना ज्यादा तंबाकू तो नहीं ही चबाएंगे। शायद से 2-3 ज्यादा बार खा/चबा सकते हैं। इस प्रकार, कम आय वाले व्यक्ति तंबाकू के टैक्स/करों पर अपनी आय का ज्यादा बड़ा हिस्सा चुका रहे हैं। इसलिए कॉफी, तंबाकू आदि जैसी इन सभी वस्तुओं/सामग्रियों पर लगनेवाला टैक्स आय के दृष्टिकोण से प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती कर है।

कई बार बुद्धिजीवी लोग तंबाकू पर लगाए जाने वाले टैक्स को 'कल्याणकारी' बताते हैं अर्थात तंबाकू पर लगने वाले टैक्स से तंबाकू की खपत में कमी आती हैं और इस प्रकार लत/नशे के आदि व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधरता है। यह सरासर झूठ है और दर्शाता है कि बुद्धिजीवी लोग अपने धनवान मालिकों की सेवा करने के चलते तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर सकते हैं। इसकी सच्चाई इस प्रकार है –

1. मान लीजिए, एक व्यक्ति 100 रूपए प्रतिदिन कमाता है।
2. मान लीजिए, वह तंबाकू, चाय, कॉफी, आदि का जितना सेवन/उपभोग करता है, उसकी कीमत टैक्स लगने से पहले 20 रूपए है।
3. अत्यधिक टैक्स के कारण इन वस्तुओं के मूल्य 50 रूपए हो जाती है।

अब 30 रूपए दाम बढ़ जाने से तंबाकू आदि के उपभोग/खपत में कोई **कमी नहीं** आती है। मूल्यों के 2 से 3 गुना बढ़ जाने के बाद भी वह उपभोक्ता पहले जितनी मात्रा का ही उपयोग करता रहता है, लेकिन अब खर्च बढ़ जाने के कारण उसके पास अन्य अच्छी वस्तुओं जैसे दूध, घी आदि खरीदने के लिए **कमतर/कम** ही पैसे बच जाते हैं। और उसके पास अपने कपड़ों के लिए कम ही पैसे बचते हैं और उसके पास अपनी पत्नी बच्चों के लिए भी कम ही पैसे बच पाते हैं और शायद उसके अपने माता-पिता के खाना, कपड़े और शिक्षा के लिए भी कम ही पैसे बच पाते हैं। उसके पास परिवार के दवा के लिए भी पैसे कम पड़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, तंबाकू, चाय आदि पर प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती कर से इन "बुरी मदों/वस्तुओं" का उसका खर्चा **कम नहीं** होता लेकिन "अच्छी वस्तुओं" के उसका उपभोग/खपत में अत्यधिक कमी आ जाती है। इससे न केवल उसका और उसके परिवार के सदस्यों का जीवन बरबाद हो जाता है, बल्कि इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आती है। कैसे? चूंकि उस व्यक्ति के पास खर्च करने वाली आय कमतर/बहुत कम है इसलिए वह बहुत सी बहुत सी वस्तुओं का उपभोक्ता भी बनने से रह जाता है। इसलिए, इन वस्तुओं का बाजार सिकुड़ता है और इससे इन वस्तुओं के निर्माताओं को इनका उत्पादन कम करने पर मजबूर होना पड़ता है। इससे उन श्रमिकों/मजदूरों की संख्या में भी कमी आती है जो (उत्पादन में) सहायता कर सकते हैं। और इस प्रकार एक नकारात्मक चक्र ही चल पड़ता है।

टैक्स प्रणाली(सिस्टम) के प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती होने का प्रभाव

टैक्स के प्रकार – समान, प्रगामी और प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती – का ज्ञान भारत की समस्याओं को समझने में उपयोगी है। अमेरिका/पश्चिमी देशों में सम्पूर्ण टैक्स प्रणाली(सिस्टम) भारत की टैक्स प्रणाली से बहुत कम प्रत्यावर्ती है। परिणामस्वरूप, पश्चिमी देशों में गरीबी की समस्या कम गंभीर है और अमेरिका/पश्चिमी देशों के निम्न वर्ग के लोगों की खर्च करने

वाली/डिस्पोजेबल आय अधिक है। इसलिए, उनके पास विभिन्न वस्तुओं को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा होता है। इससे अमेरिका/पश्चिमी देशों में विभिन्न निर्मित वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यापक आंतरिक बाजार बन गया है। इसके अलावा, अमेरिका/पश्चिमी देशों में निम्न वर्गों के लोग अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए जरूरी औजार/उपकरण खरीदने के लिए पैसों की बचत करने में सफल रहते हैं जबकि प्रतिगामी/प्रत्यावर्ती करों के कारण भारत के निम्न वर्गों के लोगों के पास वस्तुओं और औजार/उपकरणों को खरीदने के लिए शायद ही पैसा बचता है। इसलिए भारत में जनसंख्या अधिक होने के बावजूद बाजार छोटे ही रहते हैं और निम्न वर्ग के लोग अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए औजार/उपकरण आदि खरीदने में असफल रहते हैं।

(25.4) सेना, पोलिस, कोर्ट के लिए जमीन / घरों पर प्रस्तावित सम्पत्ति कर (संपत्ति-टैक्स) , विरासत टैक्स , सीमा-शुल्क ज्यादा संपत्ति वालों के लिए क्यों ज्यादा होना में , ज्यादा संपत्ति वालों के लिए क्यों फायदा वाला है , आर्थिक (पैसे) और नैतिकता (अच्छे-बुरे) के नजरिये से ?

एक और चीज जो `प्रजा अधीन-रजा` के विरोधी बोलते हैं कि ` हमें क्यों सेना को मजबूत बनाने के लिए पैसे देना चाहिए टैक्स के रूप में , जैसे `विरासत टैक्स`, सीमा-शुल्क , `संपत्ति टैक्स` आदि ? वे अपने बारे में अधिक सोचते हैं, बजाय कि देश के |

अरे, यदि वे ये सब कर / टैक्स नहीं देंगे , तो देश की सेना, पोलिस और कोर्ट देश की सुरक्षा नहीं कर पाएंगी , विदेशी कंपनियों और देशों को हमें गुलाम बनाने से , और सबसे पहले तो पैसे-वाले ही लूटे जाएँगे , और देश का 99% धन लूट लिया जायेगा |

और यदि कोई अपना धन-संपत्ति खुद सुरक्षा करने की कोशिश करता है , तो उसको कहीं ज्यादा खर्च करना होगा , मिलकर धन (सामूहिक धन-संपत्ति) की सुरक्षा करने पर जो खर्च होगा, उसकी तुलना में |

इसीलिए दोनों, आर्थिक(पैसे) के नजरिये से और अच्छे-बुरे(नैतिक) के नजरिये से , ज्यादा पैसे-संपत्ति वालों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए , कम पैसे और संपत्ति वालों कि तुलना में

(25.5) सेना के लिए जमीन / घरों पर प्रस्तावित सम्पत्ति कर (संपत्ति-टैक्स) का पर्यावलोकन (छोटे में बात)

- 25 वर्ग मीटर से अधिक गैर-कृषि भूमि और 50 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित स्थल पर बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत कर लगेगा।
- उपर्युक्त सीमा से अधिक पर ‘बाजार मूल्य’ के 1 प्रतिशत के बराबर कर लागू होगा।

बहुत से मुद्दे हैं - ‘बाजार मूल्य’ का निर्धारण कैसे किया जाए?

(25.6) जमीन / घरों पर प्रस्तावित सेना के लिए सम्पत्ति-कर (संपत्ति-टैक्स) की अधिक जानकारी

1. सेना के लिए `सम्पत्ति कर` का कार्यान्वयन "सेना के लिए टैक्स अधिकारी" द्वारा किया जाएगा जो प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त होगा और जिसे जनता द्वारा हटाया/वापस बुलाया जा सकेगा।
2. प्रधान मंत्री रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे जिसे नागरिकों द्वारा हटाया/वापस बुलाया जा सकेगा।

<u>सम्पत्तियों का पंजीकरण / रजिस्ट्री</u>

3. यदि किसी व्यक्ति की किसी हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्लैट है तो उस हाउसिंग सोसाइटी की स्वामित्व वाली जमीन तथा उस सोसाइटी में उस व्यक्ति द्वारा लिए गए शेयर को गुणा करने से जितना परिणाम आएगा उतना ही उस व्यक्ति की उस सोसाइटी में अपनी जमीन होगी।
4. प्रत्येक व्यक्ति/कम्पनी जिसके पास जमीन अथवा घर है, वह अपनी सम्पत्ति रजिस्ट्रार के पास दर्ज करवाएगा। जमीन/घर का मालिक इसका क्षेत्रफल, सही/निश्चित स्थान और रजिस्ट्रार द्वारा पूछे गए अन्य ब्यौरे भी दर्ज करवाएगा (अधिकांश शहरों में पहले से ही ऐसा हो रहा है, अधिकांश नगर निगमों के पास पहले से ही जमीन/मकान के रिकार्ड/अभिलेख हैं)
5. यदि किसी व्यक्ति की जमीन 25 वर्ग मीटर से कम है और निर्माण क्षेत्र भी 50 वर्ग मीटर से कम है तो उसे प्रति वर्ष जमीन के लिए 10 रूपए प्रति वर्ग मीटर और हर निर्माण क्षेत्र के लिए 10 रूपए (प्रतिवर्ष) का टैक्स देना होगा। मालिक को एक फार्म भरना होगा जिसमें उसे खरीद मूल्य, खरीद की तारीख और आज की तिथि तक उसके द्वारा कराए गए हर वर्ष के निर्माण/बदलाव का विस्तार से खुलासा करना होगा। निर्माण में 4 वर्ष से पहले के किए गए बदलाव के लिए कोई सबूत/प्रमाण नहीं देना होगा।

<u>परिवारों का पंजीकरण / रेजिस्ट्री , परिवार के सदस्य बनने के लिए पात्रता</u>

6. सम्पत्ति कर के प्रयोजन/उद्देश्य से कोई व्यक्ति स्वयं को अकेला/एकांतवासी या परिवार का हिस्सा, जो उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हो, के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण करा सकता है।
7. परिवार में परिवार का मुखिया होगा जो 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष हो सकता है या 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला हो सकती है।
8. मुखिया का पति/पत्नी परिवार का सदस्य बन सकता/सकती है।
9. माता और पिता दोनों के अनुमोदन/स्वीकृति/सहमति से ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे परिवार का सदस्य बन सकते हैं।

10. यदि बच्चों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो भी वे और उनके पति/पत्नी परिवार का सदस्य बन सकते हैं, यदि उन्होंने सम्पत्ति कर विभाग में अलग परिवार के रूप में अपना पंजीकरण नहीं कराया हो।
11. माता-पिता और सास-ससुर भी परिवार के सदस्य हो सकते हैं यदि उनके अलग से परिवार न हों। और बेटे या बेटी के पोते या पोती भी परिवार के सदस्य बन सकते हैं यदि पोते-पोती के माता-पिता दोनों उस परिवार के ही सदस्य हों।
12. पोते-पोती के बच्चे संपत्ति कर के मूल्यांकन के लिए `परिवार का सदस्य` नहीं हो सकते।
13. मुखिया के अविवाहित या तालाकशुदा भाई-बहन परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन विवाहित भाई-बहन परिवार के सदस्य नहीं हो सकते। मुखिया के भाई-बहन के पुत्र या पुत्री परिवार के सदस्य नहीं हो सकते हैं।
14. एक व्यक्ति 2 परिवार का सदस्य नहीं बन सकता है।
15. `अकेला` के रूप में दर्ज लोग `परिवार के सदस्य` नहीं हो सकते हैं।
16. यदि किसी व्यक्ति के 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो सम्पत्ति कर के प्रयोजन/उद्देश्य के लिए केवल 2 ही बच्चे परिवार का सदस्य हो सकते हैं।
17. यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति कर के (प्रयोजन) के लिए परिवार बनाना चाहता है तो उसे सदस्यों की सूची के साथ परिवार का पंजीकरण करवाने की जरूरत होगी। वयस्क सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होगी और बच्चों के माता-पिता के हस्ताक्षर की भी आवश्यकता होगी।

<u>छूट</u>

18. अकेले व्यक्ति के लिए छूट की सीमा 25 वर्ग मीटर जमीन और 50 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र होगी जबकि यह (छूट) परिवार के लिए [25 + 20 × (परिवार के सदस्यों की संख्या – 1)] वर्ग मीटर जमीन होगी और [50 + 40 × (परिवार के सदस्यों की संख्या -1)] वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र होगी।
19. वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सामान्य सीमा की दोगुनी होगी।

<u>सम्पत्ति का वर्गीकरण – `व्यक्तिगत`, `अर्ध-व्यक्तिगत` और `गैर-व्यक्तिगत`</u>

20. सम्पत्ति कर के प्रयोजन/उद्देश्य से, सम्पत्ति का मालिक अपनी सम्पत्ति को `व्यक्तिगत`, `अर्ध-व्यक्तिगत` और `गैर-व्यक्तिगत` के रूप में परिभाषित कर सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी मूल्यांकन योजना उसके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल/लाभप्रद हो सकती है।
21. यदि कोई व्यक्ति `अकेला` है तो सम्पत्तियों का एक समूह उसके लिए व्यक्तिगत हो सकता है यदि –

- सम्पत्ति का कोई और संयुक्त-मालिक/सह-मालिक न हो
- यदि संपत्तियों के भूमि क्षेत्रफल का जोड़/योग 25 वर्ग मीटर से कम हो
- यदि संपत्तियों के निर्माण क्षेत्रफल (का जोड़/योग) 50 वर्ग मीटर से कम हो

22. यदि कोई व्यक्ति परिवार का मुखिया है तो सम्पत्तियों का एक समूह उसके लिए व्यक्तिगत हो सकता है यदि –

- सम्पत्तियों के सभी मालिक उसके परिवार के भी सदस्य हों, और कोई भी परिवार से बाहर न हो
- परिवार के हरेक/प्रत्येक सदस्य का (सम्पत्ति) मालिक होने की जरूरत नहीं है
- सम्पत्तियों के भूमि क्षेत्रफल का जोड़/योग [25 + 20 × (परिवार के सदस्यों की संख्या – 1)] वर्ग मीटर से कम हो
- निर्माण क्षेत्रफल का योग [50 + 40 × (परिवार के सदस्यों की संख्या -1)] वर्ग मीटर से कम हो

23. किसी अकेले व्यक्ति के पास अधिक से अधिक एक अर्ध-व्यक्तिगत सम्पत्ति हो सकती है (उदहारण-यदि कोई संपत्ति 25 वर्ग मीटर से अधिक हो तो, और उसे अर्ध-व्यक्तिगत संपत्ति घोषित किया है तो 25 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल, कर का हिसाब उससे लगेगा) यदि वह निम्नलिखित अपेक्षाएं/शर्तें पूरी करता है –
    - अकेले व्यक्ति ने किसी भी सम्पत्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति न बताया हो
    - वह सम्पत्ति का एकमात्र/अकेला मालिक हो

24. किसी परिवार के पास अधिक से अधिक एक अर्ध-व्यक्तिगत सम्पत्ति हो सकती है यदि वह परिवार निम्नलिखित अपेक्षाएं/शर्तें पूरी करता है –

- सम्पत्तियों के सभी मालिक उसके परिवार के भी सदस्य हों, और कोई भी परिवार से बाहर न हो
- उस परिवार ने किसी भी सम्पत्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति न बताया हो

25. संपत्ति में व्यक्तिगत हिस्सा छूट की सीमा भाग क्षेत्रफल (छूट की सीमा/क्षेत्र-फल) होगा और गैर-व्यक्तिगत हिस्सा (1- व्यक्तिगत हिस्सा) होगा।
26. मालिक या मुखिया किसी भी साल/वर्ष संपत्ति का दर्जा (व्यक्तिगत , गैर-व्यक्तिगत या अर्ध-व्यक्तिगत) को बदल सकता है तीन महीने का नोटिस देकर ।

<u>संपत्तियों के मूल्यों/दाम का पंजीकरण</u>

27. संपत्ति कर के प्रयोजन/उद्देश्य के लिए, प्रत्येक संपत्ति के दो मूल्य होंगे – मानक मूल्य और सर्किल दर (जंत्री) मूल्य।
28. <u>किसी संपत्ति का मानक मूल्य</u> (खरीद के समय का सर्किल दर मूल्य और प्रत्येक वर्ष किए गए बदलाव/निर्माण का योग/जोड़) होगा। बदलाव वही होंगे जो मालिक द्वारा बताए गए हैं। मालिक को किए गए बदलाव का कोई भी प्रमाण नहीं देना होगा लेकिन उसे किए गए बदलाव के मूल्य का खुलासा आयकर के विवरण/ब्यौरे में भी करना होगा।
29. किसी संपत्ति के <u>सर्किल दर मूल्य</u> का निर्धारण भूमि और के भवन-निर्माण के यूनिट/एकक दरों पर आधारित होगा।

30. व्यक्तिगत संपत्तियों के रूप में बताई गई संपत्तियों पर टैक्स प्रति वर्ष, प्रति वर्ग मीटर 10 रूपए होगा।

31. गैर-व्यक्तिगत संपत्तियों के लिए, कर की दर 1 प्रतिशत होगी | दोनों प्रकार के मूल्य – मानक मूल्य और सर्किल दर मूल्य में से जो अधिक है उसपर 1 प्रतिशत लगेगा ।

32. अर्ध-व्यक्तिगत संपत्तियों के लिए, कर की दर , दोनों प्रकार के मूल्य – मानक मूल्यों और सर्किल दर मूल्य में से जो कम है , उसका 1 प्रतिशत को `गैर-व्यक्ति हिस्सा` से गुणा करने से प्राप्त परिणाम/गुणनफल होगी।

<u>कर चुकाने की असमर्थता पर</u>

33. यदि कोई व्यक्ति संपत्ति-कर नहीं चुकाता है तो वह टैक्स/कर उस संपत्ति पर बकाया रहेगा और उस पर प्रति वर्ष 18 प्रतिशत का ब्याज लागू होगा।

34. यदि संपत्ति व्यक्तिगत या अर्ध-व्यक्तिगत है तो मालिक की मौत हो जाने या संपत्ति के बिक जाने पर कर वसूला जाएगा। संपत्ति की कुर्की/जब्ती नहीं की जाएगी।

35. यदि कोई संपत्ति गैर-व्यक्तिगत है तो बकाया राशि संपत्ति के मूल्य का 25 प्रतिशत से ज्यादा हो जाने पर उस संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी।

<u>दोहरा भार कम करना</u>

36. किसी एक वर्ष में `संपत्ति कर` के रूप में चुकाई गई धनराशि अगले आने वाले वर्ष के आयकर की में से कम कर दी जाएगी।

(25.7) किस प्रकार संपत्ति-कर (संपत्ति-टैक्स) भूमि की जमाखोरी कम करता है और भूमि का दाम घटाता है

किसी व्यक्ति पर विचार कीजिए जिसने 10 फ्लैटों की जमाखोरी की है। मान लीजिए, हर फ्लैट की कीमत 20 लाख रूपए है। संपत्ति कर कानून के अनुसार, वह 1 या 2 फ्लैटों को (टैक्स देने से) छिपा सकता है लेकिन बाकी/शेष फ्लैटों पर उसे प्रति वर्ष 1.6 करोड़ का 1 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ेगा।

(25.8) संपत्ति-कर (संपत्ति-टैक्स) के लाभ

संपत्ति कर भूमि की जमाखोरी रोकता है और इस प्रकार भूमि के मूल्य में भी कमी लाता है। इससे उद्योग लगाने वालों के लिए भूमि की लागत कम हो जाती है और इस प्रकार व्यावसाय की संख्या बढ़ती है और (लोगों को) रोजगार भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, `संपत्ति कर` (उद्योगों के लिए) हतोत्साहित/निराश करने वाला नहीं होता। और यदि इससे उद्योग पर कुछ भोझ होता भी है, तो यह आयकर अथवा बिक्री कर अथवा `उत्पाद कर` से काफी कम होता है(यदि ये कर इमानदारी से दिए जाएँ)।

(25.9) विरासत-कर (वारिस पर लगने वाला टैक्स)

मैं `विरासत कर` और `उपहार-कर(तोहफे पर लगने वाला टैक्स) ` को, `आय कर` की उच्चतम सीमांत दर(उच्चतम स्तर) तक बढ़ाने का पक्षधर/समर्थक हूँ। `आय कर` की जिस उच्चतम सीमांत दर का मैने प्रस्ताव किया है वह प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद/जी.डी.पी. के लगभग 100 रूपए आय के स्तर पर 40 प्रतिशत है। इसलिए अधिकतम `विरासत कर` और `उपहार कर (तोहफा पर लगने वाला टैक्स) ` लगभग 40 प्रतिशत होगा।

`विरासत कर` के मामले में यदि वारिस/उत्तराधिकारी विधवा हो अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति हो अथवा विकलांग व्यक्ति हो तो 100 वर्ग मीटर तक के 1 घर पर टैक्स से छूट मिलेगी और 50 `प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद` के जोड़ तक की राशि पर टैक्स से छूट मिलेगी। यदि वारिस/उत्तराधिकारी शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति हो, 60 वर्ष से कम आयु का हो अथवा विधवा न हो तो लगभग 100 `प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद` के जोड़ तक की राशि पर टैक्स से छूट मिलेगी। इससे अधिक कुछ भी होने पर 20 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक का विरासत कर लगेगा। गर-रिश्तेदारों के लिए `विरासत कर` 65 प्रतिशत लगेगा |

(25.10) सीमा शुल्क

प्रजा अधीन राजा समूह/राईट टू रिकॉल ग्रुप के सदस्य के रूप में मैं 300 प्रतिशत सीमा शुल्क का प्रस्ताव करता हूँ जिसका एक तिहाई (1/3) सीधे नागरिकों को जाएगा/मिलेगा। नागरिकों को सीधे भुगतान करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अधिकांश नागरिक सीमा शुल्क लगाने का समर्थन करते हैं। इससे यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि सीमा शुल्क (विभाग) के प्रभारी अधिकारीगण ईमानदारी से शुल्क वसूल रहे हैं। सीमा शुल्क भारतीय इंजिनियरों में निर्माण कौशल का विकास/निर्माण करने के लिए जरूरी है और यह (इंजिनियरों में निर्माण कौशल का विकास) भारत में सैन्य उद्योग परिसर के निर्माण के लिए जरूरी है।

(25.11) टैक्स कानून और क़ानून-ड्राफ्टों में अन्य परिवर्तन / बदलाव

इसके अलावा, प्रजा अधीन राजा समूह/राईट टू रिकॉल ग्रुप के हमलोगों ने टैक्स कोड में लगभग 200 परिवर्तन का प्रस्ताव, मांग और वायदा किया है। सभी परिवर्तन/बदलाव सुपरिभाषित/अच्छे तरीके से व विस्तार से बताए गए हैं और ये निश्चित/विनिर्दिष्ट हैं।

मैं ने कोई भी आर्थिक सहायता खेलों के लिए अगले 10 सालों के लिए नहीं देने का प्रस्ताव किया है , अर्थात-

1.कोई भी भारत सरकार का पैसा नहीं दिया जायेगा कोई भी खेल के लिए |

2. कोई भी कर की छूट नहीं किसी भी खेल के लिए |

3. आय कर सभी खिलाड़ियों और खेल संस्थाओं के आमदनी पर , सेना के लिए |

4. संपत्ति कर और भूमि किराया खेल संस्थाओं के सभी प्लाट स्टेडियम सहित सेना के लिए | इससे खेलों का स्तर गिर सकता है लेकिन भ्रष्ट लोग के बदले अधिक अच्छे लोग आ जायेंगे जब गन्दा धन बनाने के लिए नहीं होगा |

<u>समीक्षा प्रश्न</u>

1. ऐसे भारत के संबंध में विचार कीजिए जिसकी जनसंख्या 110 करोड है। मान लीजिए, संपत्ति कर ही एकमात्र कर है जिसके लिए ऐसे रिकार्डों/अभिलेखों की जरूरत है कि किसी व्यक्ति के पास कितनी भूमि/कितने फ्लैट हैं और उसने प्रति वर्ष कितने बदलाव/निर्माण करवाए हैं। मान लीजिए, (घर में) किए गए बदलाव के लिए प्रति घर/मकान औसतन 2 पृष्ठ/पेज का ब्यौरा होता है तो प्रति वर्ष कितने कागज उत्पन्न होंगे?
2. ऐसे भारत के संबंध में विचार कीजिए जिसकी जनसंख्या 110 करोड है। मान लीजिए, लगाया जाने वाला एकमात्र कर बिक्री कर है जिसके लिए किसी व्यक्ति को हर बिक्री और खरीद का रिकार्ड/अभिलेख रखने की जरूरत है। औसतन मान लीजिए, हर व्यक्ति प्रति सप्ताह 10 खरीद करता है। प्रति वर्ष कितने कागज उत्पन्न होंगे ?
3. बिक्री में, बिक्री का खुलासा न करके टैक्स की चोरी की जाती है। क्या संपत्ति कर की चोरी की जा सकती है?
4. जमीन/भूमि पर संपत्ति कर लगाने से जमीन/फ्लैट की कीमत बढ़ती है या जमीन/फ्लैट की कीमत घटती है?

अध्याय 26 - भारत में इंजिनियरिंग कौशल में सुधार करने के लिए 'प्रजा अधीन राजा समूह' / 'राईट टू रिकॉल ग्रुप' के प्रस्ताव

(26.1) भारत में इंजिनियरिंग की हालत कितनी खराब है ?

हम लगभग हर मोबाईल फोन का आयात करते हैं और जो भी छोटे-मोटे मोबाईल का हम निर्माण करते भी हैं तो वास्तव में वह निर्माण नहीं होता बल्कि बने बनाए पूर्जों को जोड़कर तैयार किया जाता है। कुछ प्रकार की कार का तकनीकी रूप से भारत में निर्माण होता है लेकिन *ऐसेम्बली/फिटिंग लाइन* का आयात किया जाता है, कारों के निर्माण में जिन *रोबोटों* का उपयोग किया जाता है उनका भी आयात किया जाता है और कार बनाने में उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश जटिल हिस्सों का भी आयात किया जाता है। फोन कम्पनियों के सभी *स्वीचिंग(*सर्किट में कनेक्शन बदलने) उपकरणों का आयात किया जाता है। सभी कम्प्यूटरों का या तो आयात किया जाता है या उनके पुर्जों को जोड़कर उन्हें बनाया जाता है। हमलोग *8 बीट सी.पी.यू.* की *चीपों* तक का भी निर्माण नहीं करते और इन सभी का आयात ही किया जाता है और चीन *32 बीट सी.पी.यू.* का भी निर्माण करता है।

(26.2) भारत में इंजिनियरिंग कौशल और उत्पादकता में सुधार कैसे किया जाए ?

1. **प्रजा अधीन – जिला शिक्षा अधिकारी, प्रजा अधीन – शिक्षा मंत्री, प्रजा अधीन – विश्वविद्यालय के कुलपति:** 'प्रजा अधीन राजा समूह'/'राईट टू रिकॉल ग्रुप' जिला शिक्षा अधिकारी, राज्य शिक्षा मंत्री, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय कुलपति और शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य पदों (पर बैठे अनेक अन्य पदाधिकारियों) पर 'प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)' कानून लागू करने का प्रस्ताव करता है। मैं 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायतप्रस्ताव प्रणाली/' का प्रयोग करके इन 'प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)' कानूनों को लागू करवाने का प्रस्ताव करता हूँ। ये 'प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)' कानून कक्षा I से कक्षा 12 की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा में सुधार करने के लिए जरूरी हैं।
2. **गणित व विज्ञान में *सात्य* प्रणाली(सिस्टम):** मैं 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली' का प्रयोग करके गणित, विज्ञान आदि जैसे विषयों में *सत्या प्रणाली(सिस्टम)* (पाठ 30 में इसे विस्तार से बताया गया है) प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह सत्या प्रणाली(सिस्टम) गणित, विज्ञान आदि विषयों में प्रौढ़ (बुजुर्ग) शिक्षा को भी बढ़ावा देगी।
3. **मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा लागू करना:** मैं 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली' का प्रयोग करके 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' कानून लागू करने/करवाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' कानून यह सुनिश्चित/पक्का करेगा कि श्रमिकों/मजदूरों सहित सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा मिले। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली(सिस्टम) अपनाने पर श्रमिकों को शोषण से सुरक्षा मिलती है। और यह प्रणाली नियोक्ता/मालिक को बाध्य/मजबूर करती है कि वह श्रमिकों को बिना किसी कानून के कुछ

न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करे। इससे प्रौद्योगिकी/तकनीकी में सुधार करने की नियोक्ता/मालिक की इच्छा को बढ़ावा मिलता है ताकि मजदूरों का प्रयोग कम हो। इससे निर्माण और इंजिनियरिंग कौशलों में सुधार आता है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली रचनात्मक/सृजनात्मक क्षमता वाले मजदूरों/श्रमिकों को भी रोजगार छोड़ने और व्यक्तिगत स्तर पर अपने अनुसंधान पर ध्यान लगाने में सक्षम बनाता है। यह बाजार में नई पहलों को बढ़ावा देता है।

4. **मजदूरों को (काम पर) रखने और (काम से) निकालने संबंधी (हायर-फायर) कानून:** (मजदूरों को) नौकरी पर रखने और नौकरी से निकालने सम्बन्धी क़ानून(हायर फायर) से संबंधित कानून के न होने से, अनुशासनहीनता और गैर-जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। और जब नियोक्ता/मालिक को (व्यापार में) घाटा होता है तो श्रमिकों/मजदूरों को पगार/वेतन देने की मजबूरी उसे अपने उद्योग को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में बेच देने पर मजबूर/विवश कर देती है। इससे केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और धनवान लोगों की ताकत ही बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यदि हम किसी ऐसे कानून को समर्थन दें जिससे कि कोई नियोक्ता/मालिक लागत में कटौती करने के नाम पर किसी श्रमिक/मजदूर को नहीं हटा सके तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और धनवान व्यक्तियों, जिनके पास बैंकों के निदेशकों और वित्त मंत्रियों को घूस देने की क्षमता होती है, वे कम ब्याज पर कर्ज लेकर इस भार को सहन कर लेंगे। लेकिन छोटे-मोटे नियोक्ता/मालिक, जो लगातार प्रतियोगिता के वातावरण में रहते हैं और जिनकी बैंक निदेशकों और वित्त मंत्रियों तक पहूँच नहीं होती कि वे उन्हें घूस दे सकें, तब उनके पास अपनी कम्पनी को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और धनवान व्यक्तियों के हाथों बेच देने के अलावा और कोई चारा/विकल्प नहीं बचेगा। दूसरे शब्दों में, मजदूरी पर श्रमिक रखने और हटाने संबंधी कानून के न होने से केवल धनवान और भ्रष्ट लोगों को ही लाभ होता है।

5. **प्रतियोगिता को अधिकतम (स्तर तक) बढ़ाने के लिए आसानी से धंधा / कंपनी शुरू करने और बंद करने सम्बंधित कानून:** हथियार निर्माण के लिए इंजिनियरिंग कौशल की आवश्यकता होती है। इंजिनियरों में इंजिनियरिंग कौशल के निर्माण का एकमात्र तरीका ऐसी (अनुकूल) परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें उन्हें अन्य इंजिनियरों के साथ कठोर (अहिंसक) प्रतियोगिता होती है। कालेजों में प्रशिक्षण से उन्हें केवल मुद्दों के बारे में जानकारी मिल पाती है और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान से या तो कुछ नई दिशा के काम(पाथब्रेकिंग वर्क) होते हैं या तो उनका समय बरबाद हो जाता है। किसी इंजिनियर को जमीनी कौशल केवल तभी प्राप्त होता है जब वह इंजिनियर वास्तविक उद्योगों में काम करता है और जब उसे वास्तविक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा होता | और आसानी से धंधा/कंपनी शुरू करने और बंद करने सम्बंधित कानून, प्रतियोगिता को अधिकतम बनाने के लिए आवश्यक है।

6. **उच्च सीमा शुल्क :** या तो देश को तकनीकी रूप से विश्व के सबसे विकसित देश के बराबर (स्तर पर) रहना होगा या तो उस देश के कानून द्वारा प्राकृतिक कच्चे माल को छोड़कर सभी माल/सामानों पर बहुत अधिक आयात शुल्क लगाना सुनिश्चित/तय करना होगा। चूंकि भारत उस क्षमता को प्राप्त करने से काफी पीछे है जिससे उसकी तुलना कम से कम वियतनाम से की जा सके, चीन अथवा जर्मनी, जापान या अमेरिका की बात तो छोड़ ही दीजिए, इसलिए हमलोगों के लिए यह आवश्यक है कि हम आयात पर 300 प्रतिशत का

सीमा शुल्क लगाएं ताकि स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं को स्थानीय बाजार उपलब्ध हो सके।

7. **भूमि की लागत कम करना:** (उद्यम) प्रारंभ करने में सबसे बड़ी तय/नियत लागतों में से एक है – हानि/घाटों को पूरा करने की प्रारंभिक अवधि के दौरान प्राप्त किराया। यह किराया जितना कम होगा, किसी व्यक्ति के लिए एक नया उद्यम/धंधा प्रारंभ करना उतना ही आसान होगा। 'प्रजा अधीन राजा समूह'/'राईट टू रिकॉल ग्रुप' के सदस्य के रूप में मैंने जमीन की लागत/किराया कम करने का प्रस्ताव कैसे किया है? 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' और `सम्पत्ति कर` कानूनों को लागू करवाना। 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' से जमीन का किराया कम हो जाता है क्योंकि वे सभी हस्तियां, जिन्होंने अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा भारत सरकार की जमीन अपने कब्जे में रखा है, वे इसके (इस कानून के आ जाने के) बाद (आवश्यकता से) अधिक ली हुई जमीनें छोड़ देंगे और इससे जमीन की आपूर्ति/उपलब्धता बढ़ जाएगी। साथ ही, `सम्पत्ति कर` के कारण जमीन की जमाखोरी की क्षमता कम होगी और इस प्रकार इससे भी जमीन की कीमत कम होगी। इससे उद्योगों और दूकानों की संख्या बढ़ेगी और तब रोजगार और इंजिनियरिंग कौशलों का भी वृद्धि/बढावा होगा।

8. **आम लोगों की क्रय शक्ति / खरीद क्षमता बढ़ाना:** 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' से आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' और `सम्पत्ति कर` कानूनों से (भूमि/भाव के) किराए में कमी आएगी और इस प्रकार आम लोग जो पैसा किराया देने में खर्च करते हैं, उन्हें कम खर्च करना पड़ेगा और इससे आम लोगों के पास वस्तुओं को खरीदने के लिए अधिक पैसा बचेगा। वैट और सेवा-कर समाप्त होने से भी आय बढ़ेगी या लागतें कम होंगी या तो ये दोनों ही बातें कुछ हद तक होंगी। इसलिए मेरे द्वारा प्रस्तावित इन कानूनों को 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके पारित/पास करवाना है और इससे क्रय शक्ति/खरीद क्षमता बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ने से और आयात शुल्क बढ़ाकर 300 प्रतिशत करने से स्थानीय निर्माण बढ़ेगा और इससे इंजिनियरिंग कौशल में भी बढ़ोत्तरी होगी।

9. **भारतीयों के सम्पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियों (WOICs) का सृजन करना (बनाना) और इसे बढ़ावा / प्रोत्साहन देना:** कम्पनी अधिनियम में, मैं एक और श्रेणी/प्रकार की कम्पनी के जोड़े जाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसका नाम है - भारतीयों के सम्पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियां (WOICs)। यदि कोई कम्पनी भारतीयों के सम्पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी (WOICs) के रूप में दर्ज की जाती है तो केवल भारतीय नागरिक (भारत में रहने वाले), सरकारी निकाय/संस्था और अन्य भारतीयों के सम्पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियां (WOICs) ही इसके शेयर खरीद सकेंगी और व्यक्तिगत स्तर के शेयर के स्वामित्व को इंटरनेट पर डाला जाएगा और अनेक व्यवसाय जैसे टेलिकॉम, तेल-खुदाई, बीमा, बैंकिंग आदि को ही भारतीयों के सम्पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी (WOICs) होने की अनुमति दी जाएगी। इससे भारत में निर्माण के कार्य को और बढ़ावा मिलेगा।

(26.3) उच्च सीमा शुल्क के खिलाफ तर्क

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत के हजारों अर्थशास्त्रियों को घूस देकर उनसे यह दावा करवाया है कि आयात शुल्क का कम रहना भारतीय नागरिकों के लिए अच्छा है। ये अर्थशास्त्री इस तथ्य को जानबुझकर नजरंदाज़ करते हैं कि यदि कम आयात शुल्क लेकर आयात की अनुमति दी जाती है तो भारत में इंजिनियरिंग में कभी सुधार नहीं आएगा और भारतीय सेना भी कमजोर होगी और भारतीय एक बार फिर से गुलाम हो जाएंगे। इन अर्थशास्त्रियों के रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं जिनके पास (अमेरिका का) ग्रीन कार्ड है अथवा उनके अमेरिका में विशिष्ट/उंचे लोगों के साथ संबंध/सम्पर्क हैं जिनका उपयोग करके ये अमेरिका का ग्रीन कार्ड किसी भी दिन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, इन अर्थशास्त्रियों को भारतीय सेना के कमजोर होने की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं जागरूक नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि वे इन अर्थशास्त्रियों, जो कम सीमा शुल्क का समर्थन करते हैं, का विरोध करें और उनसे पूछें कि उनके पास हथियार निर्माण की भारत की क्षमताओं में सुधार करने के लिए क्या योजना है। आप पाएंगे कि ये अर्थशास्त्री हां-हूँ करके मामले को टालना चाहेंगे।

(26.4) मजदूर को आसानी से नौकरी पर रखने और नौकरी से हटाने के कानून के विरोध में तर्क

बहुत से ऐसे लोग हैं जो कड़े श्रम/मजदूरी कानून बनाने पर जोर देते हैं और वे नौकरी पर रखने और नौकरी से हटाने के कानूनों(हायर-फायर) के खिलाफ हैं। वे दावा करते हैं कि नौकरी पर रखने और नौकरी से हटाने के कानून (हायर-फायर) अमीर-हितैषी और गरीब-विरोधी है। आईए, हम इन तथाकथित स्व-प्रमाणित, श्रम-समर्थक/मजदूर-समर्थक लोगों के विचारों की सम्पूर्णता से जांच करें।

तथाकथित स्व-प्रमाणित, श्रम समर्थक, गरीब समर्थक ये अधिकांश लोग 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' कानून का विरोध करते हैं। अर्थात् वे इस प्रस्ताव का भी विरोध करते हैं कि खनिज रॉयल्टी और जमीन किराया सीधे ही नागरिकों को मिलना चाहिए। क्यों? उनसे पूछिए। पर मेरा यह आरोप है कि ये लोग गरीब समर्थक बिलकुल भी नहीं हैं, नहीं तो इन्हें 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' कानून का तुरंत समर्थन करना चाहिए था। लेकिन 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' के प्रति उनके शत्रुपूर्ण भाव रखने और नागरिकों को सीधे भुगतान देने का विरोध करने से यह साबित हो जाना चाहिए कि ये नौकरी पर रखने और नौकरी से हटाने के कानूनों(हायर-फायर) के विरोधी लोग गरीब-हितैषी तो बिलकुल ही नहीं हैं।

तब ये लोग नौकरी पर रखने और नौकरी से हटाने के कानूनों(हायर-फायर) का विरोध क्यों करते हैं? आइए, श्रम कानूनों का पूरा विश्लेषण करें जो मजदूरों को अत्यधिक सुरक्षा देता है और मजदूरी पर मर्जी से श्रमिक रखने और हटाने (हायर-फायर) को नकारता है। **मजदूरी पर मर्जी से श्रमिक रखने और हटाने संबंधी (हायर-फायर) विरोधी कानून अत्यधिक अमीर कम्पनियों से कहीं ज्यादा मध्यम स्तरीय कम्पनियों को नुकसान पहुंचाता है।** क्यों? अत्यधिक अमीर लोग श्रम न्यायालयों/कोर्ट और उच्च न्यायालयों(हाई-कोर्ट) के जजों के रिश्तेदारों को पैसे (घूस) दे सकते हैं और श्रम कानूनों (के दायरे में आने) से बच निकलते हैं। मध्यम स्तरीय (कम्पनियों

के) नियोक्ता/मालिकओं के लिए यह सब करना इतना आसान नहीं होता। साथ ही, जब मंदी/कम बिक्री का समय होता है तो ये अत्यधिक अमीर लोग बैंक निदेशकों और वित्त मंत्री को घूस दे सकते हैं और बड़ी मात्रा में ऋण/कर्ज प्राप्त कर सकते हैं और मजदूरों (श्रमिकों) को रोक पाते हैं। लेकिन एक मध्यम स्तरीय कम्पनी का मालिक मंदी/कम व्यापार के समय में श्रमिकों को नौकरी से निकालने(फायर) में असमर्थ रहने के कारण बरबाद हो जाता है।

इसलिए कुल मिलाकर, अत्यधिक/जरूरत से ज्यादा संरक्षा देने वाले श्रम कानूनों से अत्यधिक अमीरों को मध्यम स्तरीय अमीरों की तुलना में ज्यादा लाभ मिलता है। और इसने विदेशी कम्पनियों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया क्योंकि सख्त/कड़े श्रम कानूनों ने भारत में विकास में रूकावट पैदा किया। और यही कारण हैं कि तथाकथित श्रम नेताओं ने अति सुरक्षा प्रदान करने वाले श्रम कानूनों का समर्थन जारी रखा - क्योंकि उन्हें विदेशी विशिष्ट/उंचे लोगों और स्थानीय अत्यधिक अमीर/विशिष्ट लोगों का समर्थन/प्रायोजन प्राप्त हो रहा था और श्रम कानूनों का उपयोग मध्यम स्तरीय कम्पनियों पर शिकंजा रखने के लिए हो रहा था। तृणमूल/सबसे निचले स्तर पर मजदूर यह विश्वास करके मूर्ख बनता रहा कि वे गरीबों की मदद कर रहे हैं। वास्तव में, अति-संरक्षावादी श्रम कानूनों का समर्थन करके वे केवल इन अत्यधिक अमीरों को ही मदद पहुंचा रहे थे।

आसानी से नौकरी पर रखने और नौकरी से हटाने के कानूनों(हायर-फायर) के खिलाफ एक और तर्क यह दिया जाता है कि नियोक्ता/मालिक अच्छे दिनों के दौरान लाभ कमाते हैं इसलिए श्रमिकों के बेरोजगार रहने के दौरान उन्हें ही बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। लेकिन यह मध्यम स्तरीय कम्पनियों पर अन्याय है क्योंकि वे सरकार को टैक्स/कर देते हैं और लाभ बढ़ने के साथ-साथ इन टैक्सों में भी वृद्धि/बढ़ोत्तरी की जाती है। इसलिए सरकार को लिए गए टैक्स में से ही बेरोजगारी बीमा देना चाहिए।

(26.5) सभी राजनैतिक दलों का रूख / राय

सभी राजनैतिक दल भारत में इंजिनियरिंग कौशलों को बढ़ाने के मुद्दे को बेशर्मी से नजरअन्दाज कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इन पार्टियों के नेताओं को बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से धन/पैसा मिलता रहता है। मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी पार्टी के नेताओं से कहें कि भारत में इंजिनियरिंग कौशलों को बढ़ाने के लिए जिन कानूनों का मैंने प्रस्ताव किया है उसे वे स्वीकार करें। इन कानूनों को स्वीकार करने से उनके इंकार करने पर कार्यकर्ताओं को यह समझ लेना चाहिए कि नेताओं की स्वामी-भक्ति सही जगह/देश के साथ नहीं है|

अध्याय 27 - बहुमत द्वारा जज, मंत्रियों आदि को जेल भेजने, फांसी (की सजा) देने की प्रक्रियाएं / तरीके

(27.1) इन सरकारी अधिसूचनाओं / आदेशों (कानूनों) की क्या आवश्यकता है ?

ऐसे अमीर बदमाश मंत्री,जज आदि , जिनके पास डॉक्टरों को खरीदने के लिए पैसे हैं,सुप्रीम कोर्ट को खरीदने के पैसे हैं और लोकपाल को खरीदने के लिए पैसे हैं, उनको बस/नियंत्रण में करने का क्या उपाय है ?

ईसा से 600 वर्ष पूर्व, यूनानियों के पास ऐसा तरीका/प्रक्रिया था जिसके द्वारा यदि राजा का छोटा अफसर यदि कोई जुर्म या भ्रष्टाचार में दोषी बोला जाता था, तो 50 नागरिक क्रमरहित तरीके से चुने जाते थे (जिनको जूरी बोला जाता था) और उनको सज़ा का फैसला देने के लिए बोला जाता था | जज को सज़ा का फैसला इसीलिए नहीं बोला जाता था क्योंकि नागरिकों का ये मानना था और बिलकुल सही मानना था कि जज का राजाओं के अफसर या राजा के साथ सांठ-गाँठ/मिली-भगत हो सकती है और इसीलिए वे अफसर को बचा सकते हैं/रक्षा कर सकते हैं यदि अफसर भ्रष्ट या मुजरिम भी हो तो भी | लेकिन यदि अफसर पैसे-वाला और ताकतवर हो तो ? वो 50 जूरी-सदस्य को भी खरीद सकते थे/दबा सकते थे | इसीलिए यादे बड़ा अफसर हो , जूरी-सदस्यों कि संख्या 100, उससे भी ज्यादा बड़ा अफसर हो तो 200,300, 400 और सबसे बड़ी जूरी में 500 आम-नागरिक होते थे |
लेकिन यदि राजा ही भ्रष्ट या मुजरिम हुआ तो ? और यूनानी मानते थे कि राजा इतना ताकतवर हो सकता है कि 500 नागरिकों पर भी बल प्रयोग कर सकता है | इसीलिए राजा के लिए ये प्रक्रिया/तरीका था कि ---- नगर की पूरी आबादी इकट्ठा होती थी और फैसला करे कि राजा को निकालना चाहिए कि नहीं, नगर से निकाला जाये कि नहीं ,यहाँ तक फांसी दी जाये के नहीं | **क्योंकि ऐसी प्रक्रिया / तरीका था , इसीलिए कोई भी रजा ने कभी भी ये हिम्मत नहीं की कि कोई ऐसा काम करे जो नागरिकों को इस हद तक भडकाए | लेकिन ये राजा को निकालने या सज़ा देने की प्रक्रिया / तरीका तो था |**

इसीलिए मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, जिला पुलिस प्रमुखों, जजों आदि जैसे वरिष्ठ/बड़े पदाधिकारियों/पदधारकों के लिए ये निम्न-लिखित प्रक्रियाएं/तरीके प्रस्ताव करता हूँ-

1. बहुमत नागरिकों के अनुमोदन/स्वकृति द्वारा भ्रष्ट को निकालना/बदलना
2. सार्वजनिक(पब्लिक में) नार्को जांच बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा
3. बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा कैद/सज़ा
4. बहुमत के अनुमोदन/ स्वीकृति द्वारा फांसी

किसी बड़े व्यक्ति, जिस पर भ्रष्टाचार का दोष लगा है , बहुमत की स्वीकृति द्वारा पब्लिक में (सार्वजनिक) नारको जांच का प्रयोग करके सबूत इकट्ठा किये जा सकते हैं | और उन सबूतों के आधार पर नागरिकों का बहुमत स्वकृति देगा कि उस व्यक्ति को सज़ा,कैद या फांसी होनी चाहिए या नहीं ? भ्रष्ट जजों या लोकपाल के लिए ये फैसला करने के लिए छोड़ देना समय को व्यर्थ करना होगा |

(27.2) उदाहरण: वह कानून जिसके द्वारा बहुमत प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दे सकें

निम्नलिखित सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) का प्रस्ताव मैंने किया है जिनपर जब कैबिनेट मंत्रीगण हस्ताक्षर कर देंगे तो ये (अधिसूचना(आदेश)एं) नागरिकों को यह अनुमति/अधिकार देंगी कि वे बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति का प्रयोग करके किसी प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दिलवा सकें। और इन प्रस्तावित अधिसूचनाओं(आदेश) में से प्रत्येक क्लॉज/खण्ड शत-प्रतिशत संवैधानिक है।

#	निम्नलिखित के लिए प्रक्रियाएं	प्रक्रियाएं/अनुदेश
1.	-	• नागरिक शब्द का अर्थ होगा – एक पंजीकृत/दर्ज मतदाता। • इस सरकारी अधिसूचना(आदेश) को कैबिनेट मंत्रियों के समक्ष/सामने केवल तभी लाया जाएगा जब 38 करोड़ से ज्यादा नागरिक-मतदाताओं ने ‘जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के क्लॉज/खण्ड 2 का प्रयोग करके इस पर हां दर्ज करवा दिया हो। • इस अधिसूचना(आदेश) को उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के न्यायाधीश/जज के समक्ष तभी भेजा जाएगा जब प्रत्येक कैबिनेट मंत्री ने इस अधिसूचना(आदेश) पर अपनी सहमति दे दी हो। • यह अधिसूचना(आदेश) केवल तभी लागू होगी जब और यदि उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के सभी जजों ने इसके पक्ष में हस्ताक्षर कर दिए हों।
2.	जिला कलेक्टर (अथवा उसका क्लर्क)	सरकार जिला कलेक्टर को यह आदेश देगी : यदि कोई महिला नागरिक या दलित नागरिक या किसान नागरिक या मजदूर नागरिक या वरिष्ठ नागरिक या **कोई** भी नागरिक यह समझता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री या कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री को `क` वर्षों के लिए जेल भेजना चाहिए अथवा भ्रष्टाचार या अन्य बड़े अपराधों के लिए फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए और वह जिला कलेक्टर को (या जिला कलेक्टर द्वारा नामित क्लर्क को) कोई शपथपत्र/एफिडेविट/हलफनामा देता है तो वह जिला कलक्टर अथवा उसका क्लर्क उसके ऐफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पेज का शुल्क लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डाल देगा। जिला कलक्टर अथवा उसका क्लर्क एक सीरियल नंबर भी जारी करेगा।

3.	पटवारी, तलाटी (अथवा उसका क्लर्क)	सरकार पटवारी (तलाटी) को आदेश देगी: यदि कोई भी नागरिक स्वयं तलाटी के कार्यालय में आता है, 2 रूपए का शुल्क अदा करता है और क्लॉज/खण्ड 1 में प्रस्तुत किए गए शपथपत्र/एफिडेविट/हलफनामा पर हाँ दर्ज कराना चाहता है तो तलाटी उसके `**हां**` को कम्प्यूटर में दर्ज कर लेगा तथा उसे एक रसीद देगा जिसमें उसका मतदाता पहचान पत्र (संख्या), दिनांक/समय और उन व्यक्तियों (का नाम लिखा) होगा जिसे उसने अनुमोदित किया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले/बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क 1 रूपए होगा।
4.	पटवारी, तलाटी	पटवारी नागरिकों के सभी `**हां**` को उन नागरिकों की मतदाता पहचानपत्र संख्या, और उनकी पसंद (के व्यक्तियों के नाम) प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
5.	पटवारी, तलाटी	यदि कोई नागरिक अपनी `**हां**` को रद्द करवाने के लिए आता है तो पटवारी बिना कोई शुल्क/फीस लिए उसे रद्द कर देगा।
6.	महा-दण्डाधिकारी(प्रोसिक्यूटर जनरल)	यदि 38 करोड़ से ज्यादा नागरिक कैद/जेल की सजा का अनुमोदन/स्वीकृति कर देते हैं अथवा यदि 50 करोड़ से ज्यादा नागरिक फांसी देने का अनुमोदन/स्वीकृति कर देते हैं तो महा-दण्डाधिकारी उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के जजों से कहेगा कि वे एफिडेविट में उल्लिखित/कहे गए प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री को जेल भेजने या अथवा फांसी देने की सजा जारी करें या महा-दण्डाधिकारी को ऐसा कहने की जरूरत नहीं। महा-दण्डाधिकारी का निर्णय ही इस मामले पर अंतिम होगा और `**हां**` की गिनती उसके उपर बाध्यकारी नहीं होगा। महा-दण्डाधिकारी उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कौर्ट) के सभी जजों वाली एक बेंच से अनुरोध करेगा।
7.	माननीय सुप्रीम-कोर्ट के सभी जज	यदि माननीय उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के सभी जज सहमत होते हैं कि ऐसी सजा जारी करना सांवैधानिक है तो प्रधानमंत्री को जेल या फांसी की सजा जारी कर सकते हैं (अथवा उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है)। माननीय उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के सभी जजों का निर्णय ही अंतिम होगा और **हां** की गिनती उनपर बाध्यकारी नहीं होगी।
8.	गृह मंत्री	माननीय उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के सभी जजों के आदेश का पालन गृह मंत्री स्वयं करेंगे।
9.	जिला कलेक्टर	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पन्ने का

		शुल्क/फीस लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
10.	तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल)	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

"प्रधान मंत्री को जेल भेजने/फांसी देने की प्रक्रिया" के साथ मैंने लगभग 75 और ड्राफ्टों/प्रारूपों का प्रस्ताव किया है जो सभी हमारी महान कृति/प्रसिद्द रचना `संविधान` की सभी 395 धाराओं के शत-प्रतिशत अनुरूप/आज्ञानुवर्ती है। और ये सभी प्रारूप माननीय उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के सभी फैसलों के अनुरूप हैं। इन 75 ड्राफ्टों/प्रारूपों में से कुछ हैं – बहुमत द्वारा उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के जजों को जेल/फांसी, बहुमत द्वारा मुख्यमंत्री को जेल/फांसी, बहुमत द्वारा मंत्रियों को जेल/फांसी, बहुमत द्वारा उच्च न्यायालय के जजों को जेल/फांसी, आदि आदि।

यदि किसी राज्य में बहुमत द्वारा किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो राष्ट्र के बहुमत द्वारा इस फैसले को उलट/बदल दिया जा सकता है।

(27.3) बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा जेल, बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा फांसी

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, जिला पुलिस प्रमुखों, जजों आदि जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों/पदधारकों द्वारा खुले भ्रष्टाचार के कई मामले हमें देखने को मिलते हैं। वे छूट भी जाते हैं क्योंकि कोर्ट/न्यायालय के अंदर कुछ ही व्यक्तियों द्वारा फैसले लिए/सुनाए जाते हैं और उनमें से कुछ को अपने पक्ष में कर लिया जाता है। इसलिए जब अपराध के सबूत/साक्ष्य भी मौजूद होते हैं तब भी सजा कभी नहीं मिलती। उच्च पदों पर/द्वारा होने वाले बड़े अपराधों से निबटने के लिए हमलोग निम्नलिखित कानूनों का प्रस्ताव करते हैं –

1. भारत का 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक स्वयं को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्तर पर "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा सजा पर सहमत" व्यक्ति के रूप में स्वयं को दर्ज करवा सकता है।
2. यह "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा सजा" प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट केवल उन्हीं नागरिकों पर लागू होगा जिन्होंने "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा सजा पर सहमत" व्यक्ति के रूप में स्वयं को दर्ज करवाया हो।
3. यह विकल्प जीवन भर नहीं बदला जा सकेगा – अर्थात एक बार यदि किसी व्यक्ति ने "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा सजा पर सहमत" पर हस्ताक्षर कर दिए हों तो वह इस को रद्द नहीं कर सकेगा।

4. यदि किसी नागरिक ने जिला, राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा सजा पर सहमत" पर हस्ताक्षर किये हों, तो उस जिले, राज्य अथवा भारत का कोई भी नागरिक-मतदाता 20 रूपए का भुगतान करके उस व्यक्ति के लिए `**क**` वर्षों के लिए उस व्यक्ति के लिए सजा और जुर्माने/अर्थदण्ड की मांग कर सकता है।
5. यदि सभी नागरिकों के 50 प्रतिशत से अधिक नागरिक (किसी पदधारी के विरूद्ध) `**क**` वर्षों की सजा और `**ख**` रूपए के अर्थदण्ड/जुर्माने का अनुमोदन/स्वीकृति कर देते हैं तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के जजों का अनुमोदन/स्वीकृति लेकर उस सजा को उस व्यक्ति पर लागू कर सकते हैं।
6. यदि किसी अधिकारी को फांसी की सजा देने के लिए सभी नागरिकों के 67 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने अनुमोदन/स्वीकृति दिया हो तो उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के जजों का अनुमोदन/स्वीकृति लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उस सजा को उस व्यक्ति पर लागू कर सकते हैं।
7. जिले के नागरिकों द्वारा सुनाई गई सजा .राज्य के नागरिकों द्वारा रद्द/निरस्त की जा सकती है और राज्य के नागरिकों द्वारा सुनाई गई कोई सजा भारत के नागरिकों द्वारा रद्द/निरस्त की जा सकती है। भारत के नागरिकों द्वारा सुनाई गई सजा केवल उच्चतम न्यायालय के जजों द्वारा ही निरस्त की जा सकती है।
8. क्या उच्च न्यायालय(हाई-कोर्ट) के जज और उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के जज बहुमत द्वारा किए गए अनुमोदन/स्वीकृति के खिलाफ फैसला देंगे? मैं यहां ऐसे निरर्थक प्रश्नों पर चर्चा नहीं करना चाहता।
9. यह कानून केवल उन्हीं व्यक्तियों/लोगों पर लागू होगा जिन्होंने "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा सजा पर सहमत" (व्यक्ति) के रूप में अपने आप को रजिस्टर/दर्ज करवाया है। यह कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने इस प्रकार से अपने आप को दर्ज नहीं करवाया है।

अब यदि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के जज, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आदि यदि "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा सजा पर सहमत" के रूप में दर्ज नहीं हैं तो नागरिक उपर्युक्त (कानून) का प्रयोग करके इन्हें कैद/जुर्माना नहीं दे सकते।

मैं 'प्रजा अधीन राजा समूह'/'राईट टू रिकॉल ग्रुप' के सदस्य के रूप में यह प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकों को 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली' का प्रयोग करके "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा सजा पर सहमत" को लागू करवाना चाहिए। और नागरिकों द्वारा इस "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा सजा पर सहमत" को लागू करवाने के छह महीने के बाद, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकों को चाहिए कि वे प्रशासन के सभी क्लॉस/श्रेणी I पदों पर विराजमान/बैठे ऐसे सभी लोगों/अधिकारियों, राजनीति में विधायकों अथवा उनसे उपर के पदों वाले लोगों/राजनीतिज्ञों और न्यायालय/कोर्ट में सेशन जज अथवा उससे ऊपर के पदों पर बैठे सभी लोगों/पदधारियों को हटा देना चाहिए जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है। और उनके स्थान पर केवल स्वयं को रजिस्टर/दर्ज करवा चुके लोगों को लायें । यह भारत के नागरिकों को मेरी राय और सुझाव है – यह कोई कानूनी प्रस्ताव नहीं है। यदि किसी

व्यक्ति का नागरिकों पर विश्वास नहीं है तो नागरिकों को चाहिए कि ऐसे लोगों को वे वरिष्ठ पदों की जिम्मेदारी न दें। यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़ने का इरादा रखता है तो नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे व्यक्तियों को क्लॉस/श्रेणी I या इससे उपर के पद पर कभी भी न आने दें। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जहाज का कप्तान/नेता बनाना पसंद करूंगा जो अपने आप को जहाज से बांधे रखने का इच्छुक हो, न कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो जहाज को छोड़कर भाग जाने का विचार रखता हो।

(27.4) "बहुमत के अनुमोदन / स्वीकृति द्वारा फांसी" का प्रयोग

मैं इस भयानक और कठोर "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा फांसी" कानून को 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके लागू करने/करवाने का पक्का इरादा रखता हूँ। लेकिन इसका प्रयोजन/उद्देश्य केवल शैक्षणिक ही है। "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा फांसी" या कम से कम "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा जेल/कैद" का कभी भी उपयोग नहीं किया जाएगा। तब मैं 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके इसे लागू करवाने का प्रस्ताव क्यों कर रहा हूँ? और नागरिकगण भी इस कानून को लागू करने पर क्यों तैयार होंगे?

'प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)' भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए एकदम पर्याप्त है। लेकिन भारत के मंत्रियों, जजों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में भ्रष्टाचार बेतहाशा, इतना अधिक बढ़ गया है और हर जगह फैल गया है कि नागरिकों को यह आश्वस्त/संतुष्ट कराना कठिन हो गया है कि 'प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)' (कानून) पर्याप्त है। हमलोगों के यहां अफजल और कसाब जैसे अपराधी हैं जिनकी फांसी की सजा महीनों, वर्षों और यहां तक कि दशकों तक भी टलती रहती है क्योंकि मंत्रियों और मंत्रियों को बनाने वालों को सऊदी अरब से घूस मिलता रहता है। ऐसे माहौल में, अनेक लोग 'प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)' (कानून) को `बिना प्रभाव के`/शक्तिहीन मान बैठते हैं। इसलिए मुझे नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए थोड़े और कठोर/भयानक कानून लाने की आवश्यकता पड़ रही है कि ऐसा भी कोई कानून है जो अधिकारियों में अत्यधिक/इतना भय पैदा कर देगी कि वह कभी भी घूस लेने के बारे में सोचने तक का साहस नहीं कर सकेगा। और इसलिए मैंने "बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा फांसी" कानून का प्रारूप तैयार कर दिया है। इस कानून का उपयोग नागरिकों को इस बात के लिए संतुष्ट/आश्वस्त करना है कि भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से नियंत्रण/काबू में लाया जा सकता है।

क्या नागरिकगण कभी भी इस कानून का उपयोग करेंगे ? सबसे पहले 67 प्रतिशत नागरिक कब/किस परिस्थिति में किसी मंत्री, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों अथवा किसी जज को फांसी देने की मांग करेंगे? केवल तभी जब वह मंत्री, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी अथवा जज 100 बार फांसी दिए जाने का अपराधी होगा। और इस खतरे को देखते हुए कि नागरिकगण उसे फांसी की सजा दे/दिला सकते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा(आई.ऐ.एस) का कोई भी अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा का कोई अधिकारी अथवा जज, यदि वह

सुकरात जितना लोकप्रियता का भूखा नहीं हो तो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे इतने करोड़ नागरिक उसे फांसी की सजा देने के लिए `**हां**` दर्ज करवाने के लिए तैयार हो जाएं । इसलिए “बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा फांसी” कानून केवल नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए है कि यदि बेतहाशा/काबू से बाहर भ्रष्टाचार कायम रहता है तो यह उसका निश्चित समाधान भी है यदि ‘प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)’ पर्याप्त नहीं भी हो तो भी। एक बार ‘प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)’ आ जाए/लागू हो जाए तो यह अपने आप में पर्याप्त होना साबित कर देगा और इसलिए “बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा फांसी” प्रारूप का प्रयोग/उपयोग कभी नहीं होगा।

(27.5) बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा सच्चाई सीरम (सच बुलवाने वाली औषधि) जांच करना (नारको जांच बहुमत के अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा)

मैं ‘जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ का प्रयोग करके निम्नलिखित कानून को लागू करवाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसका उपयोग बहुमत का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जनता के बीच सच्चाई सीरम जांच करने में किया जाता है :-

1. यह कानून उन मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और जिला सरपंच तथा महापौरों पर लागू होगा जो इस कानून से सहमत हैं।
2. यह कानून उन सभी श्रेणी/क्लास I अधिकारियों और उनसे उपर के पदाधिकारियों पर भी लागू होगा जो इस कानून से सहमत हैं।
3. यह कानून उन सभी सेशन जजों और उनसे ऊपर के पदाधिकारियों पर भी लागू होगा जो इस कानून से सहमत हैं।
4. यह कानून प्रत्येक/हर पद के लिए “क्षेत्र” का निर्धारण करेगा। उदाहरण के लिए, विधायकों और सांसदों के लिए उनका क्षेत्र उनका चुनाव क्षेत्र होगा, मुख्यमंत्री के लिए उसका क्षेत्र उसका राज्य होगा, जिला-स्तरीय अधिकारी के लिए यह क्षेत्र उसका जिला होगा, इत्यादि, इत्यादि।
5. यदि किसी व्यक्ति/पदाधिकारी के क्षेत्र के नागरिक-मतदाताओं में से बहुमत/अधिकांश नागरिक-मतदाता उस व्यक्ति/पदाधिकारी पर सच्चाई सीरम जांच की मांग करते हैं तो उस व्यक्ति/पदाधिकारी पर जनता की उपस्थिति में ही सच्चाई सीरम जांच की जाएगी।
6. जूरी मंडल/जूरर्स सच्चाई सीरम जांच के परिणाम के आधार पर अपना फैसला दे सकते हैं या तो उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

यह डर कि उन्हें सच्चाई सीरम जांच से गुजरना पड़ सकता है, अधिकारी, मत्री, जज घूस लेने से बचेंगे और या तो इसके लिए मना कर देंगे। इतना ही नहीं, प्रशासन में कार्यरत व्यक्ति वैसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आने या उसकी निकटता प्राप्त करने से बचेगा जो भ्रष्टाचारी के रूप में बदनाम है। इससे भ्रष्ट जजों, मंत्रियों, भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों(आई.ऐ.एस) और भारतीय पुलिस अधिकारियों की ताकत और घटेगी।

नार्को जांच/ सच्चाई सीरम (सच बुलवाने वाली औषधि) जांच क्या असंवैधानिक है ?

भ्रष्ट सुप्रीम-कोर्ट के जजों ने ये राय दी है की नारको जांच/सच्चाई सीरम जांच "असंवैधानिक" है क्योंकि उनको डर है कि मुजरिम उन जजों के नाम और उनको दिए गए रिश्वतों की पोल न खोल दें |हमें पहले इन जजों का सार्वजनिक/सारी जनता के सामने नारको जांच करवानी चाहिए | नारको जांच भारत के संविधान की किसी भी खंड का उलंघन नहीं करता है |

नार्को एक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है , उदहारण से -नार्को जांच में, कोई व्यक्ति ये कह सकता है " मेरे पास एक बैंक का लाकर है मेरे भतीजे के नाम `कखग` स्थान पर " और ये एक महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है | अभी नारको जांच के विशेषज्ञ एक विस्तृत दल/पैनल से चुना जायेगा आखरी समय में, इसी लिए सांठ-गाँठ/मिली-भगत होना संभव नहीं है अधिकतर मामलों में | नार्को जांच का भय ही अपने आपस से लोगों को अपराध करने से रोकेगा | और नारको जांच का भय भ्रष्ट लोगों के आपसी सहयोग को रोकेगा | इसको विस्तार से/ पूरा बताने दीजिए |

मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार को 10 लोगों का समर्थन चाहिए --- दो मंत्री, 4 भारतीय प्रशासनिक सेवा(आई.ऐ.एस) के लोग, 4 जज | फिर , हर एक चिंतित होगा कि यदि कल को , उनमें से कोई की नार्को जांच होती है, उसका नाम भी सामने आ जायेगा | अधिकतर बड़े सौदों में कई अधिकारीयों, मंत्रियों, जजों की आवश्यकता होती है और ये सौदों में कमी आएगी, दूसरे व्यक्ति/सहयोगी के नार्को जांच के भय से |

नार्को जांच का प्रस्ताव `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) और प्रजा अधीन रजा/राईट टू रिकाल(भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आने के बाद आयेगा क्योंकि इन प्रक्रियाओं के बिना , नारको जांच का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तब ये केवल ऊपर के लोगों को ही मदद करेगा |

(27.6) उच्च / शीर्ष पदों पर भर्ती में भाई-भतीजावाद, पक्षपात, सांठ-गाँठ/मिली-भगत व भ्रष्टाचार कम करना

आज की स्थिति यह है कि जिला पुलिस प्रमुख, जिला शिक्षा अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख जैसे पद भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांठ-गाँठ/मिली-भगत और पक्षपात से भरे जाते हैं। जिन अधिकारियों के सांठ-गाँठ/मिली-भगत सबसे ज्यादा होते हैं, वे ही इन पदों पर आते हैं। और इन पदों पर आने के बाद वे सिर्फ इन सांठ-गाँठ/मिली-भगत से उन्हें मदद पहुंचाने वालों के लिए ही काम करते हैं। बदलने/हटाने की प्रक्रिया से भाई-भतीजावाद पर खुद ही रोक लग जाएगी क्योंकि करोड़ों नागरिक किसी व्यक्ति के रिश्तेदार नहीं हो सकते हैं। आगे और भाई-भतीजावाद पर रोक लगाने के लिए मैं 'प्रजा अधीन राजा समूह'/'राईट टू रिकॉल ग्रुप' के सदस्य के रूप में निम्नलिखित पदों के लिए *सीधे चुनाव* का प्रस्ताव करता हूँ :-

राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनावों द्वारा

1. लोकसभा का सांसद (जैसा कि आज होता है), राज्यसभा का सांसद
2. प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री
3. राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी
4. गृह मंत्री
5. भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख

6. मुख्य राष्ट्रीय दण्डाधिकारी, उप – मुख्य राष्ट्रीय दण्डाधिकारी
7. उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम-कोर्ट) के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश

कुल – लगभग 14 पद

<u>राज्य स्तर पर सीधे चुनावों द्वारा</u>

1. विधायक (जैसा कि आज होता है)
2. मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री
3. राज्य भूमि किराया अधिकारी
4. राज्य पुलिस प्रमुख, राज्य पुलिस बोर्ड के 4 सदस्य
5. मुख्य राज्य लोक दण्डाधिकारी, 4 सबसे वरिष्ठ राज्य दण्डाधिकारी
6. उच्च न्यायालय(हाई-कोर्ट) के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय(हाई-कोर्ट) के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश

कुल – लगभग 19 पद

<u>राज्य स्तर पर सीधे चुनावों द्वारा</u>

1. जिला पंचायत सदस्य (जैसा कि आज होता है)
2. महापौर/मयर
3. जिला शिक्षा अधिकारी
4. मुख्य जिला लोक दण्डाधिकारी, 4 सबसे वरिष्ठ जिला दण्डाधिकारी
5. मुख्य जिला न्यायाधीश, 4 सबसे वरिष्ठ जिला न्यायाधीश/जज
6. जिला पुलिस प्रमुख, जिला पुलिस बोर्ड के 4 सदस्य

कुल – लगभग 18 पद

मैं 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)' का प्रयोग करके, सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) को लागू करवाने/करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसका प्रयोग करके नागरिकगण उपर बताए गए पदों पर लोगों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा, नागरिकों के पास उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी होगी और नागरिक लगभग 150-200 पदों पर बैठे लोगों को हटा/बदल सकेंगे। (नियुक्ति) की अवधि 4 वर्ष की होगी। कुल मिलाकर, इस प्रणाली/व्यवस्था में एक वर्ष में 2 चुनाव होंगे जिनमें से एक चुनाव में लगभग 5-6 पदों पर बैठे लोगों के भाग्य का निर्णय होगा। *हम केवल कागज/पेपर द्वारा मतदान का समर्थन करते हैं और इलेक्ट्रानिक माध्यम/चुनाव यंत्र से होनेवाले मतदान का विरोध करते हैं।* मतदान की लागत आज जुलाई, 2008 की स्थिति के अनुसार, प्रति मतदान, प्रति मतदाता 10 रूपए है और इसे कम करके प्रति मतदान, प्रति मतदाता 5 रूपए तक लाया जा सकता है। चुनाव का अधिकांश लागत पुलिस द्वारा व्यवस्था बनाये रखने में ही खर्च होता है और प्रत्येक/हर पद को दी गई शक्तियां कम होने और न्यायालय/कोर्ट में सुधार होने के साथ-साथ इसमें(चुनाव की लागत, पुलिस द्वारा व्यस्था बनाये रखने के लिए) कमी आएगी। इतना ही नहीं, मतदाता पहचान-पत्र के साथ बार-कोड जोड़कर और दूसरे तरीके अपनाकर भी लागत को प्रति मतदाता कम करके 3 रूपए तक

लाया जा सकता है। कुल मिलाकर, 4 वर्ष के कार्यकाल वाले 45 से 50 चुने गए/चयनीत अधिकारियों वाली प्रणाली/व्यवस्था में प्रत्येक 4 साल में प्रति व्यक्ति लगभग 150 रूपए की लागत आएगी अथवा प्रति व्यक्ति/अधिकारी प्रति वर्ष लगभग 40 रूपए लागत आएगी और इससे पक्षपात व भाई-भतीजावाद लगभग समाप्त ही हो जाएगा।

100,000 से (अधिक मतदाताओं वाले) बड़े चुनाव-क्षेत्र में चुनाव से भाई-भतीजावाद, पक्षपात के साथ-साथ सांठ-गाँठ/मिली-भगत खुद ही समाप्त हो जाएगा। किसी भी उम्मीदवार/व्यक्ति के 100,000 लोगों में से 1000 भी रिश्तेदार या सांठ-गाँठ/मिली-भगत नहीं हो सकते। और इसलिए, यह स्पष्ट है कि भाई-भतीजावाद का प्रभाव 1 प्रतिशत से भी कम हो जाएगा। इसके अलावा, जब कोई चुनाव क्षेत्र 10,00,000 मतदाताओं की है तो किसी भी जाति का बहुमत नहीं होगा। और यदि कोई जाती 25 % भी जितनी बड़ी है, उसमें कई उप-जातियां होती हैं |

और इसलिए, 10,00,000 मतदाताओं वाले चुनाव क्षेत्र में जातिवाद भी एक छोटी बात रह जाएगी। इसलिए नियुक्ति की वर्तमान/मौजूदा प्रक्रिया की तुलना में चुनाव/चयन ज्यादा अच्छी प्रक्रिया है।

अध्याय 28 - मध्यम / निचले स्तर के पदों में भ्रष्टाचार कम करने के लिए 'प्रजा अधीन राजा समूह'/'राईट टू रिकॉल ग्रुप' के प्रस्ताव

(28.1) साक्षात्कार समाप्त करना

न्यायपालिका, कार्यपालिका और पुलिस में नियुक्ति/भर्ती में आम भ्रष्टाचार के साथ-साथ बेतहाशा भाई-भतीजावाद का बोलबाला है। ज्यादातर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार साक्षात्कार (लेने वालों) की विवेकाधीन अधिकारों के कारण है। मेरे 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' समूह के प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव साक्षात्कारों को समाप्त करके और सरकारी कॉलेजों में प्रवेश-स्तर के सभी पदों को व्यापक आधार वाली लिखित भर्ती परीक्षाओं तक सीमित करके भाई-भतीजावाद कम करना है। यदि कोई व्यक्ति अनुपयुक्त है तो जूरी उसे हटा सकती है लेकिन भर्ती में कोई साक्षात्कार/इंटरव्यू नहीं होंगे। इसके अलावा, हम चिकित्सा कॉलेजों सहित सभी कॉलेजों की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार को रद्द/समाप्त कर देंगे। मैं 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके उन सभी अधिसूचनाओं(आदेश) को लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ जो प्रशासन और न्यायालयों में प्रवेश स्तर के सभी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त करेगी और लिखित परीक्षाओं और/अथवा शारीरिक जांच (जहां लागू हो) को बढ़ावा/प्रोत्साहन देगी।

(28.2) जूरी के अनुमोदन / स्वीकृति से सच्चाई सीरम जांच

मैं 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके निम्नलिखित कानूनों को लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसे वरिष्ठ अधिकारियों पर सच्चाई सीरम जांच करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है –

1. यदि कोई व्यक्ति बलात्कार अथवा हत्या का आरोपी है और यदि 25 सदस्यों वाले जूरी-मण्डल में से 13 से अधिक सदस्यों ने आरोपी या शिकायतकर्ता पर सच्चाई सीरम जांच की मांग कर दी और यदि नागरिकों के बहुमत ने उस सच्चाई सीरम जांच की मांग पर रोक नहीं लगाई तो जांच कर रहे अधिकारीगण उस व्यक्ति पर सच्चाई सीरम जांच करेंगे।
2. यदि कोई आरोपी बलात्कार या हत्या का नहीं बल्कि किसी और अपराध का आरोपी है और आरोपी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है तो सच्चाई सीरम जांच के लिए 25 सदस्यों वाली जूरी-मण्डल में से 18 से अधिक सदस्यों का अनुमोदन/स्वीकृति पर्याप्त होगा।
3. यदि कोई आरोपी बलात्कार या हत्या का नहीं बल्कि किसी और अपराध का आरोपी है और आरोपी सरकारी कर्मचारी है तो सच्चाई सीरम जांच के लिए 25 सदस्यों वाली जूरी-मण्डल में से 13 से अधिक सदस्यों का अनुमोदन/स्वीकृति पर्याप्त होगा।
4. यदि 25 सदस्यों वाली जूरी-मण्डल में से 18 से अधिक सदस्यों ने अनुमोदन/स्वीकृति कर दिया तो सच्चाई सीरम जांच का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
5. यदि आरोपी सच्चाई सीरम जांच की मांग करता है तो सच्चाई सीरम जांच तुरंत की जाएगी।

(28.3) राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम)

राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) आम नागरिकों की विस्तृत जानकारी के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के अच्छे और बुरे कार्यों के ब्यौरों को दर्ज करने/उनका रिकार्ड रखने के लिए उपयोगी है। राष्ट्रिय पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) कि अधिक जानकारी- अध्याय 31 में देखें |

(28.4) बेकार / फालतू के खर्चों को कम करने के लिए 'प्रजा अधीन राजा समूह'/'राईट टू रिकॉल ग्रुप' के प्रस्ताव

हम बेकार/फालतू के खर्चों पर नियंत्रण/रोक लगाने के लिए निम्नलिखित समाधान का प्रस्ताव करते हैं –

1. किसी भी सरकारी खाते और कैशबुक से किए गए सभी अंतरण/ट्रान्सफर खर्चों के ब्यौरे/पूरी जानकारी जैसे परियोजना कोड, कार्य में खर्च हुई राशि, कार्य किए जाने की तिथि, किया गया भुगतान आदि सहित सरकारी वेबसाईट पर प्रकाशित किए जाएंगे।
2. इस खर्च-रिकार्ड में खर्चों की सलाह देने/संस्तुति करने और उसे मंजूरी/स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के नामों का विशेष तौर पर उल्लेख होगा।
3. रिकार्ड में प्राप्तकर्ता का भी पूरा ब्यौरा/जानकारी दर्शाया जाएगा।
4. यदि किसी नागरिक के पास यह दिखलाने का साक्ष्य/प्रमाण है कि खर्चे फालतू/बेकार हैं तो वह महा-जूरीमंडल के पास (शिकायत लेकर) जा सकता है और महा-जूरीमंडल सुनवाई का अनुमोदन/स्वीकृति दे सकता है।
5. यदि जूरर्स/जूरीमंडल इस बात से संतुष्ट हों कि किए गए खर्चे फालतू थे तो वे उस संबंधित अधिकारी को हटा सकते हैं और उसपर जुर्माना भी लगा सकते हैं।
   अधिकारियों को जूरीमंडल द्वारा हटाने का खतरा फालतू के खर्चों को कम करने के लिए पर्याप्त होगा।

(28.5) सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का खुलासा प्रकाशित करना

सभी सरकारी कर्मचारियों (जजों सहित) और उनके पति/पत्नी व बच्चों को अपने पास की सम्पत्ति और अपने ट्रस्टों/न्यासों और स्वामित्व वाली कम्पनियों का खुलासा दर्ज करवाने की जरूरत होगी। इससे नागरिकों को यह निर्णय करने का मौका मिलेगा कि उन्हें ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा, प्रत्येक सरकारी अधिकारी को अपने उन निकट संबंधियों/रिश्तेदारों की सूची देनी पड़ेगी जो सरकारी सेवा में हैं। इस (सूची) का उपयोग नागरिकों द्वारा प्रशासन में भाई-भतीजावाद का अंदाजा लगाने के लिए किया जाएगा।

(28.6) भाई-भतीजावाद कम करने और संपत्ति का खुलासा करने (के मामले) पर सभी दलों और बुद्धिजीवियों की राय / उनका रूख

सभी वर्तमान दलों के नेताओं और बुद्धिजीवियों ने साक्षात्कार समाप्त करने का विरोध किया है। वे जोर देते हैं कि साक्षात्कार अवश्य लिए जाने चाहिएं। और अधिकांश दलों के नेताओं ने सरकारी अधिकारियों, जजों, मंत्रियों, आदि द्‌वारा जमा की गई सम्पत्ति का खुलासा करने का विरोध किया है। और इनमें से लगभग सभी ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर 30-35 पदधारियों/पदाधिकारियों के व्यापक आधार वाले चुनाव का भी विरोध किया है। यदि नागरिकगण सीधे ही जिला पुलिस प्रमुख को चुन्नते/बदलते हैं तो इससे मुख्यमंत्री की आय कम होती है जो इन्हें नियुक्त और स्थानांतरित करता है। सभी नागरिकों से हम यह अनुरोध करते हैं कि वे अपने पसंदीदा पार्टी नेताओं से पूछें कि वे भाई-भतीजावाद कम करने और संपत्ति का खुलासा करने के मुद्दे पर क्या करने/कदम उठाने का इरादा रखते हैं और तब यह निर्णय करें कि क्या वे वोट दिए जाने के लायक हैं ? और हम कार्यकर्ताओं से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे बुद्धिजीवियों से इन मुद्दों पर प्रश्न पूछें और तब निर्णय करें कि क्या वे मार्गदर्शक बनने के योग्य हैं?

<u>समीक्षा प्रश्न</u>

1. कृपया प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करने के लिए विधानसभा और संसद में बीजेपी सांसदों द्‌वारा प्रस्तावित कानूनों के क़ानून-ड्राफ्ट दें।
2. कृपया प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करने के लिए विधानसभा और संसद में सीपीएम सांसदों द्‌वारा प्रस्तावित कानूनों के क़ानून-ड्राफ्ट /प्रारूप दें ।
3. कृपया प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करने के लिए विधानसभा और संसद में कांग्रेसी सांसदों द्‌वारा प्रस्तावित कानूनों के क़ानून-ड्राफ्ट /प्रारूप दें ।
4. साक्षात्कार की प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद कम करने के लिए कानून का क़ानून-ड्राफ्ट बनाएं/दें।
5. वर्ष 2003 में बुद्धिजीवियों ने मांग की थी कि चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों को सम्पत्ति का खुलासा करना पड़ेगा। तब फिर ये बुद्धिजीवी इस मांग का विरोध क्यों करते हैं कि जजों को भी अपनी सम्पत्ति का पूरा खुलासा(28.5 में दी गयी प्रक्रिया अनुसार) करना पड़ेगा?
6. अनेक नेताओं के उनके अपने ट्रस्टों/न्यासों में छिपी हुई संपत्ति होती है। तब भी, बुद्धिजीवीगण उनके ट्रस्टों का संपत्ति रिटर्न/विवरण भरवाकर लेने पर जोर नहीं देते। क्यों?

अध्याय 29 - आम लोगों का सशस्त्रीकरण करना / आम लोगों को हथियार बनाने देना और रखने देना

"क्योंकि भगत सिंह आम नागरिकों से आते हैं और यदि आम नागरिक बिना हथियार के हैं, तो बहुत कम उनमें से भगत सिंह बन पाएंगे | "

(29.1) आधुनिक भारत में हथियार रखने के अधिकार का इतिहास

भारतीय इतिहास में पीएच. डी. की डिग्री प्राप्त लोगों तक को भी यह पता नहीं है कि **वर्ष 1931 में श्री सरदार वल्लभ भाई, जवाहर लाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के करांची अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया था जिसमें इन्होंने यह मांग रखी थी कि हथियार रखने के अधिकार को <u>मौलिक (जरूरी / बुनियादी / मुख्य) अधिकार</u> बना दिया जाए। और इस करांची अधिवेशन के प्रारूप तैयार करने वालों में महात्मा गांधी खुद भी शामिल थे।** यह मांग मांग-सह-वायदा था अर्थात महात्मा गांधी और सहयोगियों का भारत के लोगों से यह वायदा कि यदि और जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे हथियार रखने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना देंगे। मेरा मानना है कि मोहनभाई, वल्लभभाई, जवाहरभाई का इस वायदे को पूरा करने का तब कोई इरादा न था जब उन्होंने यह वायदा किया था। यह वायदा पूरा न करने के इरादे से ही किया गया था। उन्होंने यह वायदा सिर्फ इसलिए किया था कि श्री भगत सिंह जी ने यह विचार रखा था और यह (विचार) आम लोगों और सक्रिय कार्यकर्ताओं के बीच इतना लोकप्रिय हो गया था कि मोहनभाई और अन्य सभी लोगों के पास इसे अपने किताबों में दर्ज करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था ताकि वे कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पकड़ बनाए रख सकें। मोहनभाई और उनके साथी कभी भी सशस्त्र नागरिक समाज नहीं चाहते थे क्योंकि ब्रिटेन/इंग्लैण्ड और भारत के विशिष्ट/ऊंचे लोग जो मोहनभाई और उनके साथियों के प्रायोजक थे, वे सशस्त्र नागरिक समाज नहीं चाहते थे।

वर्त्तमान बुद्धिजीवी लोग हम आम लोगों को कमजोर बनाए रखने पर जोर देते हैं ताकि उनके प्रायोजक/उन्हें खिलाने वाले विशिष्ट वर्ग के लोग हम आम जनता को अपराधियों और पुलिसवालों के जरिए पीट सकें और उन्हें जवाबी कार्रवाई और रोके जाने का खतरा न हो। यदि हम आम लोगों के पास हथियार होते तो हम आम लोगों को चौतरफा मार मारना और हमसे ही पैसे भी ठगना असंभव हो जाता। इसलिए भारत के बुद्धिजीवियों ने छात्रों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को समाचार-पत्रों और पाठ्यपुस्तकों के जरिए यह कभी नहीं बताया कि मोहनभाई और उनके साथियों ने वर्ष 1931 में हथियार रखने के अधिकार की मांग की थी और यह भी मांग की थी कि इसे मौलिक / मुख्य अधिकार बना दिया जाए। इसके अलावा, बुद्धिजीवियों ने *गैर 80 जी* कार्यकर्ताओं को यह कहा/बताया कि भारतीय आमलोग अविवेकी, मूर्ख, सनकी, हिंसक प्रवृत्ति वाले, आक्रमक आदि होते हैं और इसलिए भारत के आम लोगों के "हथियार" केवल *नेलकटर/नाखून काटने वाला* , तकली, चरखा, सच्चाई, अहिंसा, सत्याग्रह आदि होने चाहिएं।

भारतीय बुद्धिजीवियों की दोहरी बात/चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। जब उनसे यह पूछा जाता है कि क्यों रूस और चीन की तरह की क्रांति यहां नहीं हुई? तो वे कहते हैं कि भारतीय स्वभाव से ही अहिंसक और सहनशील होते हैं। और जब उनसे यह पूछा जाता है कि भारतीय

आमलोगों के पास बंदूकें/हथियार क्यों नहीं होनें चाहिए? वे 180 डिग्री का (यू) टर्न लेते हुए/अपनी बात से पलटते हुए कहेंगे कि भारतीय आम लोग इतने आक्रमक और हिंसक होते हैं कि इन्हें बंदूकें बिलकुल भी नहीं दी जानी चाहिए। मैं उनसे इसपर बहस करता यदि मुझे थोड़ा भी लगता कि वे ईमानदार हैं।

(29.2) हथियार रखने के अधिकार को मौलिक (जरूरी) अधिकार और मौलिक (जरूरी) कर्तव्य बनाएं

हम 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)/प्रजा अधीन रजा समूह' के सदस्यगण यह शपथ लेते हैं कि हम हथियार रखने को मौलिक अधिकार के साथ-साथ मौलिक कर्तव्य भी बनाएंगे अर्थात किसी व्यक्ति के लिए अपने घर में गैर-स्वचलित बंदूक और 240 बुलेट/गोली रखना **जरूरी/अपेक्षित** होगा। यह कर्तव्य शारीरिक रूप से सक्षम और 25 से 45 आयुवर्ग के सभी पुरूषों पर लागू होगा और महिलाओं के लिए इसे प्रोत्साहित किया जाएगा लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगा। यह कर्तव्य स्विटजरलैण्ड के ही समान होगा, जहां 21 से 25 आयुवर्ग के पुरूषों के लिए घर पर बंदूक और 24 बुलेट/गोली रखना जरूरी होता है।

(29.3) आमलोगों का सशस्त्रीकरण- आम लोगों द्वारा शस्त्रों / हथियारों का 100 % स्थानीय उत्पादन और प्रयोग : लोकतंत्र की जननी

लोकतंत्र अधिकांश युरोप में वर्ष 300 के आते आते अपना अर्थ खो चुका था। और यह लगभग वर्ष 900 में इंग्लैण्ड में पुन: प्रारंभ हुआ। इंग्लैण्ड में वर्ष 950 में राजा को एक प्रक्रिया लागू करनी पड़ी थी कि यदि कोई पुलिसवाला किसी नागरिक की मौत/हत्या में संलिप्त/शामिल पाया गया तो राजा के अधिकारी जिन्हें *कोरोनर* कहा जाता था, वे मतदाता सूची में से क्रमरहित तरीके से 7-12 नागरिकों को बुलाएगा । नागरिकों को पुलिसवालों से प्रश्न पूछने की अनुमति थी और पीड़ित के परिवार के सदस्यों आदि को अपने पक्ष की बात बताने का अधिकार था। जांच के अंत में, जूरी-मंडल/जूरर्स में से प्रत्येक सदस्य आरोपी अधिकारी के कार्यों पर तीन में से एक फैसला दिया करते थे – न्यायोचित, क्षमायोग्य अथवा आपराधिक। यद्धपि कोई स्पष्ट कानून नहीं था तथापि यदि जूरी-मंडल/जूरर्स बहुमत से कह देते थे कि "उस अधिकारी का आचरण/बर्ताव आपराधिक है" तो लगभग हर मामले/मुकद्दमें में उस अधिकारी को सेवा/नौकरी से हटा दिया जाता था।

अब प्रश्न उठता है कि वर्ष 950 में राजा ने इस प्रक्रिया को क्यों लागू करवाया? क्या उस समय के बुद्धिजीवियों की ऐसी कोई मांग थी कि सरकार में नागरिकों को भागीदारी दी जाए? नहीं। इसका कारण यह था कि उस समय के इंग्लैण्ड में बहुत से नागरिकों के पास हथियार हुआ करता था। राजा यह जान चुका था कि नागरिकों को सेना और पुलिस द्वारा अब और दबाया नहीं जा सकता है। और इसलिए नागरिकों को पुलिसवालों के विरूद्ध यह शक्ति मिल पाई।(अलग से: राजा ने इतने अधिक नागरिकों को हथियार बनाने और रखने दिया क्योंकि अरब सेना ने दक्षिण में स्पेन और पूर्व में तुर्की को जीत लिया था और इसलिए अरब सेना से लड़ने के लिए राजा और पुरोहितों के पास बड़ी संख्या में जनता को हथियारों से लैस करने के अलावा और कोई चारा/विकल्प नहीं बचा था।) तब बाद में लगभग 1100-1200 इस्वी में राजा

को *महा-अधिकारपत्र (मैग्ना कार्टा)* पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश होना पड़ा। इस *महा-अधिकारपत्र (मैग्ना कार्टा)* में उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जूरी-मंडल की आज्ञा के बिना नागरिकों को न तो बंदी बनाया जाएगा और न ही उनपर किसी प्रकार का जुर्माना ही लगाया जाएगा। नागरिक और सामंत(*नाईट्स*) राजा को महा-अधिकारपत्र(*मैग्ना कार्टा)* पर हस्ताक्षर करने के लिए इसलिए विवश कर पाए कि बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों के पास हथियार थे। इसके अलावा, वर्ष 1650 में राजा को फांसी दे दी गई जब उसने संसद की आज्ञा नहीं मानी। इससे पहले, वर्ष 1650 में संसद 5 प्रतिशत से भी कम जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। लेकिन विशिष्ट वर्ग (संख्या में) जनसंख्या का 0.1 प्रतिशत से भी कम था। और निम्नतम वर्ग के 95 प्रतिशत लोग इन 0.1 प्रतिशत से कहीं ज्यादा 5 प्रतिशत वालों के नजदीक थे और इसलिए उन्होंने 5 प्रतिशत वालों का साथ दिया। वर्ष 1650 में इंग्लैण्ड की संसद ने अपनी खुद की सेना बनाई और राजा की राजसी सेना को हरा दिया। राजा बन्दी बना लिया गया और संसद ने राजा को सजा सुनाने के लिए एक विशेष न्यायालय गठित करने का निर्णय लिया। **जेनरल क्रॉमवेल, संसद की सेना का कमांडर था, उसने राजा-समर्थक सांसदों को संसद में प्रवेश करने से रोक दिया।** राजा-विरोधी सांसदों ने 70 जजों वाला एक न्यायालय/कोर्ट स्थापित करने का संकल्प लिया !! और ये जज और कोई नहीं बल्कि राजा विरोधी सांसद ही थे। और इस न्यायालय/कोर्ट और इन सांसद-सह-जजों ने "न्यायपूर्ण और निष्पक्ष" सुनवाई के बाद वर्ष 1650 में राजा को फांसी देने का फैसला सुनाया। बाद में सांसदों ने उस राजा की प्रतिमा/मूर्ति को राजसी संग्रहालय में रखवा दिया। उस मूर्ति के नीचे यह लिखा था -**"याद रखो"**। मेरे विचार से, ये आने वाले समय के सभी राजाओं के लिए एक चेतावनी थी। लेकिन संसद सेना बना सकी थी, राजसी सेना को हरा सकी थी और राजा को फांसी दे सकी थी क्योंकि आम नागरिक पूर्ण से हथियारों से लैस थे/उनके पास भरपूर हथियार थे । एक शस्त्रविहीन नागरिक-समाज ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकता था।

दूसरे शब्दों में, **<u>आधुनिक लोकतंत्र सशस्त्र नागरिक समाज,जो हथियार बना सके और रख सके , के कारण ही आया है।</u>** वास्तव में, मैं यह दिखा सकता हूँ कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आम लोगों के पास हथियार होते हैं और हथियार बना सकते हैं अथवा सही मायने में लोकतंत्र सशस्त्र नागरिक-समाज का स्वागतयोग्य लक्षण होता है, कुछ और नहीं।

(29.4) हम आम लोगों को हथियार बनाने देना और रखने देना : कल्याणकारी (नागरिकों की भलाई करने वाला) राज्य की जननी

वर्ष 1930 में, अनेक अमेरिकियों का रोजगार छिन गया और उनके पास अनाज/भोजन खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे और उन्हें अपने घरों से भी हाथ धोना पड़ा क्योंकि उनके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। अमेरिकी विशिष्ट लोगों ने तुरंत आयकर की दर को वर्ष 1928 में 25 प्रतिशत से वर्ष 1936 में 70 प्रतिशत चरणों में बड़ा दिया। और `विरासत कर` को 1928 में 20 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 1936 में 70 प्रतिशत कर दिया। और जमीन के अनुमानित मूल्य का लगभग 1 प्रतिशत `संपत्ति कर` भी थोप दिया गया। इन पैसों का उपयोग आश्रय-गृहों, सूप किचेन (नि:शुल्क भोजन देने का स्थान), बेकारी भत्ता, सैन्य औद्योगिक परिसरों (रोजगार के सृजन के लिए) और अन्य औद्योगिक कार्यकलापों (जैसे सड़कें आदि) के

लिए किया। घाटे का बजट/वित्त का उपयोग किया गया, लेकिन 1932-2008 तक की अवधि के दौरान कुल मिलाकर, सभी खर्चों में से 20 प्रतिशत से भी कम खर्चे घाटों से पूरे किए गए। शेष 80 प्रतिशत (व्यय) इन आयकर, `संपत्ति कर`, `विरासत कर` और अन्य प्रकार के करों/टैक्सों से पूरे किए गए।

अमेरिका के विशिष्ट/ऊंचे लोग ऐसे करों को चुकाने पर राजी कैसे हो गए? किसी चुनावी प्रक्रिया के कारण नहीं क्योंकि संघीय स्तर पर अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया में 'प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)' कानून नहीं है और इसलिए यह(संघीय स्तर पर अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया) बहुत ही कमजोर है। **मजबूर कर देने वाला कारण, कि क्यों अमेरिकी विशिष्ट/ऊंचे लोगों ने कल्याणकारी व्यवस्था के लिए धन देने हेतु अधिक ऊंची दर पर टैक्स व्यवस्था का सृजन किया, वह यह था कि वहां 70 प्रतिशत से ज्यादा नागरिकों के पास बंदूकें थीं।** दूसरे शब्दों में, **आम लोगों द्वारा हथियारों का बनाना और आम लोगों को शस्त्रों से लैस करना ही कल्याणकारी राज्य की जननी है।** भारत में नागरिकों के पास हथियार नहीं है और इसलिए विशिष्ट/ऊंचे लोग सरकारी पैसों को भूख की समस्या का समाधान करने पर (खर्च करने) की बजाए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आई.आई.एम.), जवाहरलाल नेहरू विश्ववद्यालयों (जे.एन.यू.), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), राजमार्गों, वायुमार्गों, हवाई अड्डों आदि (बनाने/चलाने) पर बेतहाशा खर्च करते हैं। यह तथाकथित कल्याणकारी राज्य और कुछ नहीं बल्कि सशस्त्र(हत्यारों से लैस) नागरिक-समाज का स्वागतयोग्य लक्षण होता है, कुछ और नहीं। और कल्याणकारी राज्य का न होना नागरिक-समाज में हथियारों का अभाव होने के कारण है।

(29.5) आम लोगों का सशस्त्रीकरण (हथियार बनाना व रखना) : आक्रमण / हमला रोकने का सच्चा साधन

भारत पाकिस्तान (सऊदियों के समर्थन से), चीन और अमेरिका से शत्रुता झेल रहा है। पाकिस्तान भारत पर हजार कारगिल युद्ध थोपने के लिए आवश्यकता से अधिक उत्सुक है। चीन अरूणाचल प्रदेश के मुद्दे पर आक्रमण करने की धमकी देता है। और अमेरिका सैकड़ों हजारों भारतीयों की हत्या करने के लिए आतंकवादियों को (भारत) भेजने में आई.एस.आई. की लगातार मदद कर रहा है ताकि "पाकिस्तान से सुरक्षा" के लिए भारत को अमेरिका पर निर्भर होना पड़े। इसके अलावा अमेरिका और इंग्लैण्ड भी कश्मीर को आजाद करने/करवाने पर जोर दे रहे हैं ताकि अमेरिका/इंग्लैण्ड वहां अपने अड्डे स्थापित कर सकें। अब यदि अमेरिका, चीन और सऊदियों ने सारे हथियार और धन पाकिस्तान को उपलब्ध करा दिए/दे दिए तो भारत गंभीर खतरे में पड़ सकता है। मात्र 11,00,000 (सैनिकों) की सेना और 10,00,000 सैनिकों वाले अर्ध सैनिक ही पर्याप्त नहीं होंगे।

इसे रोकने का सबसे बेहतर तरीका प्रत्येक नागरिक को हथियार से सज्जित/लैस करना है। जैसा कि जोसेफ स्टॉलिन ने 1941 में कहा था "हर हाथ जो बंदूक उठा सकते हैं, उनमें बंदूकें होनी चाहिए।" हम कहते हैं, "अपने सभी ऐसे (शारिरीक रूप से समर्थ) नौजवानों को जेल में डाल दो, जो बंदूक रखने से मना करते हैं।" पूरे नागरिक समाज को हथियारबन्द करना पाकिस्तान, अमेरिका आदि को रोकने का सबसे निश्चित और सबसे तेज तरीका है।

जब आम लोगों को हथियारों से लैस कर दिया जाता है, तो सबसे शक्तिशाली सेनाएं भी उस देश पर आक्रमण न करने का ही निर्णय करती हैं। उदाहरण – वर्ष 1940 में **एकमात्र** कारण कि ऐडोल्फ (हिटलर) ने स्विटजरलैण्ड पर आक्रमण नहीं किया, वह यह था कि स्विटजरलैण्ड के सभी नागरिकों को भरपूर हथियार देकर शक्तिशाली बनाया गया था। नहीं तो ऐडोल्फ स्विस बैंकों में पड़े सोने की ओर बहुत आकर्षित था जिसकी उसे अत्यधिक जरूरत थी, ताकि वह युद्ध में पैसे लगा सके। सच्चाई ये थी कि प्रत्येक स्विस नागरिक के पास बंदूक थी, जिसने ऐडोल्फ को रोक दिया। भारतीय बुद्धिजीवी लोग झूठ बोलते हैं कि ऐडोल्फ ने स्विट्जरलैण्ड पर आक्रमण इसलिए नहीं किया क्योंकि वह उनकी स्वायत्तता का सम्मान करता था। यह बिलकुल झूठ है और हथियारबन्द नागरिक-समाज के महत्व के बारे में भारत के छात्रों और कार्यकर्ताओं को अनजान रखने के लिए बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है और झूठी बात है |

(29.6) आम लोगों का सशस्त्रीकरण (हत्यारों का बनाना और रखना) : स्वतंत्रता का सच्चा साधन

वर्ष 1938 में भारत में ब्रिटेनवासी/अंग्रेज जिनके पास हथियार थे, उनकी संख्या मात्र 80,000 थी और (फिर भी) उन्होंने 35 करोड़ की आबादी वाले हमारे राष्ट्र पर शासन किया !! और आज 100,000 अमेरिकी सैनिक मात्र 3 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 99 प्रतिशत से ज्यादा आम भारतीयों के पास बंदूकें नहीं थीं, जबकि अफगानिस्तान में बंदूक का चलन/बंदूक संस्कृति इतनी ज्यादा है कि लोग किसी व्यक्ति और उसके पूरे परिवार का मजाक उड़ाएंगे यदि उसके पास बंदूक नहीं है। दूसरे शब्दों में, **भारत गुलाम इसलिए हुआ, क्योंकि आम आदमी शस्त्रहीन/बिना हथियार के थे।** और अफगानिस्तान अभी भी पूरी तरह गुलाम नहीं बन पाया है तो यह वहां के सशस्त्र/`हथियारों से लैस` समाज के कारण ही है।

बंगाल में लगभग 40 लाख लोगों की मौत 1940 के दशक में हुई। इसलिए नहीं कि वहां अनाज की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उनके पास बंदूकें नहीं थीं और इसलिए वे अंग्रेजों और विशिष्ट लोगों को अपने अनाज चुराकर ले जाने से नहीं रोक सके। जहां नागरिकों के पास बंदूकें नहीं हैं, वहां आजादी भी नहीं है – बाहरी ताकतों से भी आजादी नहीं और स्थानीय विशिष्ट/ऊंचे लोगों से भी आजादी नहीं। सशस्त्र(हथियारों से लैस) नागरिक-समाज आजादी को कायम रखने का एकमात्र ज्ञात स्रोत है।

(29.7) आम लोगों का सशस्त्रीकरण (हथियारों का बनाना और रखना) : क्रांति की जननी

वर्ष 950 में, जिस क्रांति ने इंग्लैण्ड को `कोरोनर जूरी` (की व्यवस्था) दिलाई वह सशस्त्र/`हथियारों से लैस` नागरिक-समाज के कारण संभव हुई । वर्ष 1200 की क्रान्ति, जिसमें राजा महा-अधिकारपत्र(*मैग्ना कार्टा)* पर हस्ताक्षर करने और आम लोगों (जूरी-सदस्यों) को "दण्ड देने का अधिकार" देने के लिए बाध्य हुआ, वह क्रान्ति सशस्त्र नागरिक-समाज के कारण हुई थी। ब्रिटेन की वर्ष 1650 की क्रान्ति, जिसके कारण राजशाही का प्रभावशाली ढ़ंग से अंत हुआ और चुने गए सांसदों का उदय हुआ वह सशस्त्र नागरिक-समाज के कारण हुई। और फ्रांसीसी क्रान्ति भी इसलिए हुई क्योंकि अधिकांश/बहुत से नागरिकों के पास हथियार थे। वर्ष 1917 में

रूसी क्रान्ति इसलिए हुई क्योंकि ई. 1700 के शतक में (1700-1800 के दौरान) जार(रूस सम्राट) ने नागरिक समाज को हथियारों से लैस करना प्रारंभ कर दिया था, वर्ष 1800-1900 के दौरान, सेना में नौकरी लगभग अनिवार्य कर दिया गया था और वर्ष 1910 के दशक में 15 से 20 प्रतिशत रूसी नागरिक हथियारबन्द हो चुके थे। चीनी क्रान्ति भी इसीलिए हुई कि बहुत बड़ी संख्या में चीनी जनता हथियारों से लैस हो चुकी थी।

सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण/ध्यान देने योग्य बात यह थी कि अमेरिका, इंग्लैण्ड और लगभग सारे युरोप में वर्ष 1930 की दशक में "सशस्त्र अहिंसक क्रान्तियां" हुई थीं जिसके परिणामस्वरूप कल्याणकारी शासन/राज्यों की स्थापना हुई। चूंकि 60 से 70 प्रतिशत तक जनता के पास बंदूकें थीं, इसलिए इन क्रान्तियों को संगठित करने तक की जरूरत नहीं पड़ी ; विशिष्ट/उंचे लोग तो वैसे ही डर गए और उन्होंने अमेरिका और युरोप भर में कल्याणकारी राज्य स्थापित कर दिए।

लेकिन अंतत: **भारत को भी केवल बंदूकों के कारण ही आजादी मिली न कि मोहनभाई और उनके साथियों यानि कांग्रेसियों द्वारा चलाई जा रही चरखा पलटन/ब्रिगेड के कारण और विश्वयुद्ध 2 के कारण अंग्रेजों/इंग्लैण्ड को 40 लाख भारतीयों को सैनिक या सेना में इंजिनियरिंग का प्रशिक्षण देना पड़ा**। वर्ष 1945 में भारतीय इंजिनियर बंदूकों और गोलियों का निर्माण करने/इन्हें बनाने में सक्षम थे और इसलिए 1857 (की क्रान्ति) के विपरित, भारतीय सैनिकों के पास 1946 में गोलियों की कमी नहीं थी। 1857 के बाद से ही भारतीय सैनिकों के विद्रोह कर देने की आशंका थी, लेकिन वर्ष 1930 तक अंग्रेज इन्हें दबाने में सक्षम थे क्योंकि नागरिक यह नहीं जानते थे कि कैसे बंदूकें और गोलियां बनाई जाती हैं। लेकिन वर्ष 1946 में, अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय सैनिकों को दबाया नहीं जा सकता यदि वे विद्रोह कर दें। नौसेना विद्रोह, जिसे बेशर्म भारतीय इतिहासकार नौसेना की बगावत बताते हैं, वह (अंग्रेजों की) ताबूत में (ठोंकी गई) अंतिम कील थी। अंग्रेजों का डर सच साबित हो गया था । इसलिए, अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। **दूसरे शब्दों में, अंग्रेज बंदूकों के कारण ही भागे, न कि चरखा, तकली, सत्याग्रह, अहिंसा और अन्य बेकार की बातों के कारण।**

यह कहना पर्याप्त होगा कि आम लोगों को हथियारबन्द/हथियार से लैस करना ही मुख्य कारक/कारण है कि जिसने अब तक इतिहास में सभी हिंसक अथवा अहिंसक क्रान्तियों को जन्म दिया है।

(29.8) आम लोगों द्वारा हथियार बनाने और आम लोगों को हथियारों से लैस / ` हथियारों के रखने ` के विरूद्ध बुद्धिजीवियों का झूठा प्रचार

भारतीय बुद्धिजीवी यह दावा करते हैं कि यदि हम आम लोगों के पास बंदूकें होंगी तो अपराध बढ़ेंगे। यह झूठ है। **जिन देशों के नागरिक-समाज शस्त्रहीन/बिना हथियार के हैं, वहां अपराध ज्यादा होते हैं।** क्यों? **क्योंकि जिन अपराधियों के गठजोड़ पुलिसवालों, मंत्रियों और जजों के साथ किसी भी प्रकार से होते हैं, उनके पास अंतत: हथियार आ ही जाते हैं और इसलिए ये अपराधी बेलगाम हो जाते हैं। जिन देशों में नागरिक-समाज को पूर्ण रूप से हथियार देकर सशक्त बनाया गया है, वहां बहुत हद तक अपराधी नागरिकों पर हमला करने से बचते रहते हैं।**

भारतीय बुद्धिजीवियों ने 1950 के दशक से ही एक झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया है कि हम आम लोगों को हथियार देने से मौतें ज्यादा होंगी। स्विट्जरलैण्ड, कनाडा और अन्य कई

देशों में, जहां आम लोगों के पास कई टन/बहुत ही ज्यादा बंदूकें हैं, वहां मानव-हत्या/नरसंहार एकदम कम है। अमेरिका एकमात्र देश है जहां नागरिक-समाज के पास शस्त्र हैं और मानव-हत्या/नरसंहार की दर ज्यादा है। लेकिन मानव-हत्या की दर कितनी ज्यादा है? और क्या यह शस्त्रविहीन नागरिक-समाजों से ज्यादा है? अमेरिका में बंदूकों से हुआ नरसंहार वर्ष 2005 में 16,000 से कम था (और वाहन दुर्घटना से हुई मौतों की संख्या 40,000 थी)। अमेरिका में बंदूकों से होनेवाली मौतों की संख्या ड्रग्स पर रोक/प्रतिबंध लगने के कारण है – ड्रग्स पर प्रतिबंध से लागत बहुत बढ़ गई है और इसलिए नशेबाज लोग अपराध का सहारा लेते हैं। और ड्रग्स पर प्रतिबंध के कारण (इसके व्यापार से) मुनाफा ज्यादा होता है और इसलिए ड्रग्स बेचने की सीमा/इलाके को लेकर गिरोहों का (आपस में) टकराव होता रहता है। लेकिन ऐसे कारकों/कारणों के बिना भी, मान लीजिए, हथियारबन्द/`हथियारों से लैस` नागरिक-समाज होने के कारण भारत में प्रतिवर्ष 10 गुना ज्यादा मौतें/हत्याऐं अर्थात 160,000 मौतें होती हैं। तब भी हथियार दिए जाने से मौतों की संख्या कम होगी। कैसे? क्योंकि **आम लोगों को हथियार देने से "भूखमरी/गरीबी से होनेवाली मौतें" नहीं होंगी।** जब नागरिकों के पास हथियार होंगे, जैसा कि वर्ष 1930 के दशक की अमेरिका/युरोप की घटनाएं दर्शाती हैं, शासक नागरिकों की तकलीफ/दुखों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे और सिर्फ ऐसा करने से ही गरीबी घटेगी। दूसरे शब्दों में, यदि भारत का नागरिक-समाज हथियारबन्द/`हथियारों से लैस` होता तो यह कम गरीब होता। इसलिए आम लोगों को हथियारबन्द/`हथियारों से लैस` करने से भारत में "गरीबी से होने वाली मौतों" में कमी आएगी।

अर्थशास्त्रियों ने "गरीबी से होने वाली मौतों", अर्थात भोजन, दवा, स्वच्छता के अभाव में मौत समय से पहले हो जाती है ; को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। लेकिन गरीबी से मौतें तो होती ही हैं। **भारत में हर वर्ष 1000 नवजात बच्चों में से लगभग 60 बच्चों की मौत हो जाती है। यह संख्या प्रतिवर्ष की गणना करने पर 10,00,000 मौतों के बराबर (बैठती) है। यदि गरीबी थोड़ी कम होती तो कम से कम (इनमें से) 5,00,000 बच्चे कई और वर्ष जी सकते थे। इसी प्रकार, भारत में प्रतिवर्ष 60,000 महिलाओं की मौत गर्भावस्था के दौरान हो जाती है।** इनमें से अधिकांश गरीब परिवारों की होती हैं। यदि उनके पास प्रतिवर्ष केवल 1000 रूपए और होते तो उनकी जिन्दगी बच जाती। भारत में प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक कारणों से मरने वाले 1 करोड़ लोगों में से लाखों लोग कुछेक वर्ष और जी सकते थे यदि उनके पास प्रति वर्ष 2000 रूपए ज्यादा होते। उन 40 लाख बंगालियों पर विचार कीजिए जिनकी वर्ष 1940 के दशक में मौत हो गई थी। वे इसलिए नहीं मरे कि उनके पास अनाज नहीं था, बल्कि वे इसलिए मरे कि उनके पास अंग्रेजों और भारतीय बुद्धिजीवियों को अपना अनाज लूटकर ले जाने से रोकने के लिए बंदूकें नहीं थी। यदि 1940 के उस दशक में इन बंगालियों के पास बंदूकें होती तो भूख से उनकी मौत न हुई होती। केवल गरीबी से ही हुई मौतों को ही अगर हथियारों से लैस नागरिक "रोक" सकते तो नरसंहार से हो सकने वाली मौतों से कहीं ज्यादा जिन्दगियां बच जातीं। इतना ही नहीं, (देश के) बंटवारे के समय हुई हिंसा में 10 लाख भारतीय मारे गए। इनमें से बहुत ही कम लोगों की मौत हुई होती अगर उनके पास अपनी रक्षा के लिए बंदूकें होतीं। और इस के अलावा, गरीबी से हुई लगभग 10 लाख से 20 लाख मौतें भी नहीं होतीं। इसलिए यदि भारत में बंदूक से होनेवाली हिंसा के कारण प्रति वर्ष 1 लाख मौतें भी होती हैं, तो भी गरीबी से होनेवाली मौतों को रोकने/कम करने से लाभ ही ज्यादा होता।

(29.9) हम आम लोगों को हथियारबन्द / ` हथियार के रखने ` के संबंध में मेरे प्रस्ताव

कांग्रेस और इसके नेता श्री वल्लभभाई पटेल, श्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1931 में भारतीय नागरिकों से एक वायदा किया था कि कांग्रेस हथियार रखने के अधिकार को मौलिक (जरूरी) अधिकार बना देगी। और मैं इस वायदे को पूरा करने के लिए कानून लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्याय 30 - गणित, कानून आदि की शिक्षा में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

(30.1) शिक्षा में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव, मांग और वायदे

शिक्षा में मुख्य प्रस्तावित कानून और बदलाव निम्नलिखित हैं जिनका मैं `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के सदस्य के रूप में प्रस्ताव करता हूँ :-

1. प्रस्तावित 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके, प्रजा अधीन – जिला शिक्षा अधिकारी, प्रजा अधीन-राज्य शिक्षा मंत्री, प्रजा अधीन – केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और प्रजा अधीन–विश्वविद्यालय कुलपति (कानूनों) को लागू किया जाए।
2. गणित और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित 'जनता की आवाज़ - पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके सात्य प्रणाली(सिस्टम) लागू की जाए।
3. छटवी कक्षा और उससे उपर की कक्षाओं में कानून की शिक्षा दी जाए।
4. सर्वजन/सभी को हथियारों के प्रयोग की शिक्षा दी जाए।
5. `रूपये की सहायता`/सब्सीडी कॉलेजों को देने के बदले छात्रों को सीधे ही दी जाए।
6. सभी विषयों के लिए दो भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराकर (छात्रों को) दी जाएं।
7. यदि छात्र चाहें, तो उन्हें वैकल्पिक (विषयों की) परीक्षाएं अंग्रेजी में देने की अनुमति दी जाए।

(30.2) प्रजा अधीन - जिला शिक्षा अधिकारी

मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर देने के बाद जो पूरा क़ानून-ड्राफ्ट / प्रारूप लागू किया जाएगा वह इस प्रकार है :-

#	निम्नलिखित के लिए प्रक्रियाएं	प्रक्रियाएं/अनुदेश
1.	-	`माता/पिता` शब्द का अर्थ होगा – 0 से 18 आयुवर्ग के बच्चे के लिए (उसका) पिता अथवा (उसकी) माता, जो उस जिले का दर्ज मतदाता भी हो। जिला कलेक्टर शब्द का अर्थ होगा – इस सरकारी आदेश का पालन करने के लिए जिला कलेक्टर अथवा उसके द्वारा `रखा गया/`नियुक्त कोई अधिकारी। `जिला शिक्षा अधिकारी` का मतलब उस पूरे जिला की शिक्षा सम्बन्धी निर्णय करने वाला और शिक्षा सम्बन्धी अच्छी व्यवस्था

		बनवाये रखने वाला |
2.	कलेक्टर/समाहर्ता	यदि भारत का कोई नागरिक जिला शिक्षा अधिकारी बनना चाहता है और वह जिला कलेक्टर के पास स्वयं उपस्थित होकर या किसी वकील के माध्यम से ऐफिडेविट/शपथपत्र/हलफनामा प्रस्तुत करता है तो जिला कलक्टर, सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर दाखिल शुल्क लेकर `जिला शिक्षा अधिकारी` के पद के लिए उसका आवेदन-पत्र स्वीकार कर लेगा।
3.	पटवारी/तलाटी/ लेखपाल, (अथवा उसका क्लर्क)	यदि कोई व्यक्ति ,पटवारी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर 3 रूपए का शुल्क जमा करवाकर अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी के पद के लिए पसंद/अनुमोदित करता है तो तलाटी उसके अनुमोदनों को कम्प्यूटर में दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद देगा जिसमें उसकी मतदान पहचान-पत्र (संख्या), तारीख/दिन और उसके द्वारा अनुमोदित किए गए व्यक्तियों (के नाम) होंगे।
4.	पटवारी/तलाटी	पटवारी माता/पिता के अनुमोदन को, पसंद/अनुमोदित व्यक्ति के मतदाता पहचान-पत्र और नाम के साथ जिले की वेबसाईट पर डालेगा।
5.	पटवारी/तलाटी	यदि कोई व्यक्ति अपना अनुमोदन/पसंद रद्द करवाने के लिए आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई शुल्क लिए रद्द कर देगा।
6.	कलेक्टर	प्रत्येक महीने की 5 तारीख को, कलेक्टर या उसके द्वारा रखा गया/नियुक्त किया गया अधिकारी पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्रत्येक उम्मीदवार को मिले/प्राप्त पसंद/अनुमोदनों की गिनती बताएगा/प्रकाशित करेगा।
7.	मुख्यमंत्री	यदि कोई उम्मीदवार किसी जिले में सभी माता-पिता (सभी, न कि केवल उनका जिन्होंने अपना अनुमोदन दर्ज करवाया है) के 51 प्रतिशत से अधिक माता-पिता का अनुमोदन प्राप्त कर लेता है, तो मुख्यमंत्री उसे `जिला शिक्षा अधिकारी` की नौकरी दे **सकता है**।
8.	मुख्यमंत्री, जिला शिक्षा अधिकारी	कोई भी व्यक्ति माता-पिता का अनुमोदन प्राप्त करके जिला शिक्षा अधिकारी बन सकता है, वह एक से अधिक जिले का भी जिला शिक्षा अधिकारी बन सकता है। वह किसी राज्य में अधिक से अधिक 5 जिलों का और भारत भर में अधिक से अधिक 20 जिलों का जिला शिक्षा अधिकारी बन सकता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी जिले का जिला शिक्षा अधिकारी 8 वर्षों से अधिक समय के लिए नहीं रह सकता है। यदि वह एक से अधिक जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है तो उसे उन सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी के पद का वेतन, भत्ता (महंगाई के लिए ज्यादा पैसा), बोनस आदि मिलेगा।

9.	मुख्यमंत्री	जब तक किसी जिला शिक्षा अधिकारी को 34 प्रतिशत से अधिक माता-पिता का अनुमोदन प्राप्त है तब तक मुख्यमंत्री को उसे बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी जिला शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन 34 प्रतिशत से नीचे चला जाता है तो मुख्यमंत्री उसे हटाकर/बदलकर अपनी पसंद के किसी अधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी बना सकते हैं।
10.	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी वर्तमान और बाद के संशोधित कानूनों के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 12 वीं वाले स्कूल/विद्यालय और जिले के परीक्षा केन्द्रों का प्रशासन संभालेगा । जिला शिक्षा अधिकारी, नागरिकों और सांसदों, विधायकों और जिला पंचायत सदस्यों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला पंचायत प्रमुख से पैसा/निधि प्राप्त करेगा।
11.	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी निम्नलिखित विषयों की पढ़ाई/शिक्षा का प्रशासन कार्य देखेगा :- गणित, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, स्थानीय भाषा, सेना का इतिहास, कानून और प्रशासनिक ढ़ांचा, कानून का इतिहास और प्रशासनिक ढ़ांचा, सैन्य प्रशिक्षण/ट्रेनिंग और हथियार के प्रयोग/चलाने की शिक्षा। वह सांसदों, विधायकों आदि द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार शिक्षा देगा।
12.	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा जारी रखेगा। लेकिन यदि 51 प्रतिशत से अधिक जनता इस कोर्स को जारी न रखने की मांग करती है तो जिला शिक्षा अधिकारी उसे अनिवार्य पाठ्यक्रम/कोर्स से हटा सकता है।
13.	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी किसी भी नागरिक को 100 रूपए का शुल्क/फीस लेकर "रजिस्टर्ड निजी शिक्षक/प्राइवेट मास्टर" बनने की अनुमति दे सकता है।
14.	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी किसी भी माता-पिता को पटवारी/तलाटी के कार्यालय में जाकर (नए) शिक्षक/मास्टर का नाम दर्ज करने पर उन्हें अपने बच्चे के शिक्षक/ट्यूटर बदलने की अनुमति दे सकता है।
15.	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी कक्षा 1 से कक्षा 12 के छात्रों के लिए प्रत्येक माह गणित में 1-4 परीक्षा करवा सकता है। इसके अलावा, वह विज्ञान, कानून और अन्य विषयों में परीक्षाएं करवाएगा। ये परीक्षाएं कम्प्यूटरीकृत परीक्षाएं हो सकती हैं। प्रत्येक वर्ष/ प्रत्येक तिमाही के लिए उन प्रश्नों की सूची, जो परीक्षा में आ सकते है , में 10,000 से लेकर 100,000 प्रश्न होंगे और इन्हें छापा/प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षाओं में इस सूची में से 30-100 प्रश्न हो सकते हैं।
16.	जिला शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी उपलब्ध धनराशि/निधि, छात्र और उसके

	अधिकारी	मास्टर/शिक्षक द्वारा परीक्षा में किए गए प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार दे सकते हैं। मास्टर को इन भुगतानों के अलावा सरकार से कोई और वेतन नहीं मिलेगा।
17	जिला कलेक्टर	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पन्ने का शुल्क/फीस लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
18	तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

(30.3) प्रजा अधीन (राईट टू रिकाल) - जिला शिक्षा अधिकारी (कानून) लागू करने से शिक्षा में सुधार आएगा। कैसे?

प्रजा अधीन–जिला शिक्षा अधिकारी कानून से शिक्षा/पढाई में सुधार कैसे आएगा? पहले तो, सिर्फ हटाए जाने का डर उसे भ्रष्टाचार कम करने के लिए मजबूर कर देगा । परन्तु ये ज्यादा काम नहीं करेगा। आख़िरकार हम एक ऐसा जिला शिक्षा अधिकारी चाहते हैं जिसकी भ्रष्टाचार में रूचि ही न हो न कि केवल ऐसा जिला शिक्षा अधिकारी जो केवल हटाये जाने के भय से भ्रष्टाचार कम करे । किस प्रकार प्रजा अधीन- जिला शिक्षा अधिकारी छह महीने के अंदर ही ऐसे सैकड़ों जिला शिक्षा अधिकारी दे सकता है जो भ्रष्टाचार में बिलकुल ही रूचि/दिलचस्पी नहीं रखते हों? मैं विस्तार से वर्णन करूँगा कि किस प्रकार प्रजा अधीन-जिला शिक्षा अधिकारी कानून इस कार्य को पूरा करेगा ।

यहाँ भारत में लगभग 700 जिला शिक्षा अधिकारी हैं । सभी 700 बुद्धिमान, काबिल/समर्थ, तथा (कार्य)कुशल हैं । और उनमें से, मान लीजिए, 10-15 ऐसे होंगे जो भ्रष्टाचार में रूचि नहीं रखते/भ्रष्टाचार नहीं करते। इतनी संख्या में ईमानदार लोग तो पहले से ही हमारे समाज में हैं। अब मेरे प्रजा अधीन(राइट टू रिकॉल)-जिला शिक्षा अधिकारी प्रक्रिया में एक और खण्ड है कि यदि कोई अधिकारी मुख्य मंत्री द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी रखा जाता है तो वह केवल एक ही जिले का जिला शिक्षा अधिकारी हो सकता है। लेकिन यदि नागरिकों ने उसे जिला शिक्षा अधिकारी बनाया है तो वह राज्य में 5 जिलों और पूरे भारत में 10 जिलों का भी जिला शिक्षा अधिकारी बन सकता है और वह इन सभी जिलों का वेतन प्राप्त करेगा।

अर्थात यदि कोई व्यक्ति 4 जिलों का जिला शिक्षा अधिकारी है और उसे नागरिकों ने नियुक्त किया है तो उसका वेतन 4 गुना होगा। यह ज्यादा सस्ता है क्योंकि वेतन ही चार गुना बढ़ेगा। चिकित्सा लाभ, अन्य लाभ और कई आजीवन लाभ 4 गुना नहीं बढ़ेंगे। बाद का एक सुधार/संशोधन "समतल(एक ही पद के स्तर पर) पदोन्नति " तथा "समतल विस्तार " के इस विशेषता को और अधिक बढ़ा देगा --- वेतन (N*log2N) गुना हो जायेगा जहाँ N जिलों की संख्या है जो नागरिकों के समर्थन/अनुमोदन से उसे मिले हैं । इसके अलावा, एक ही व्यक्ति अलग अलग विभागों के कई पद प्राप्त कर सकता है । जैसे वो 10 जिलों के शिक्षा अधिकारी के साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका भी कुछ सीमाओं/प्रतिबंधों के साथ निभा सकता है। साथ ही साथ, उसके लिए सीधी तरक्की(पद का स्तर बढ जाता है) का अवसर भी उपलब्ध होगा । जैसे यदि कोई व्यक्ति कई जिलों के अभियोजक/दण्डाधिकारी/सरकारी वकील की तरह कार्य कर रहा है तो उसके एक या एक से अधिक राज्यों के दंडाधिकारी बनने की संभावना बढ़ जायेगी ।

इसलिए वर्तमान 700 जिला शिक्षा अधिकारियों में से, मान लीजिए, 5-15 भ्रष्ट नहीं हैं । यदि एक बार प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) लागू हो जाता है तो उन्हें सीधी तरक्की और समतल(एक ही स्तर पर) पदोन्नति का अवसर मिल जायेगा। वे अपने जिले के स्कूलों में अच्छे बदलाव/सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएँगे । वे बीच के अधिकारियों को घूस लेने से रोकेंगे । इस बात का ध्यान रखेंगे कि ठेकेदार सही वस्तुएँ जैसे ब्लैकबोर्ड , कुर्सियां आदि स्कूलों को देते हैं। वे ध्यान रखेंगे कि शिक्षक स्कूल में हाजिर रहें, आदि। और यदि वे ऐसा करेंगे तो वे मुख्यमंत्रियों को हफ्ता देना भी बन्द कर देंगे । अब मान लीजिए, इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री लोग इन अधिकारियों का तबादला कर देते हैं । तब लगभग 7-15 ऐसे मामलों में से, कम से कम 2-3 मामलों में तो माता-पिता अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए प्रजा अधीन-जिला शिक्षा अधिकारी कानून का उपयोग करके उस तबादला किए गए अधिकारी को वापस ले आएंगे।

इस तरह, इससे भारत के 700 जिलों में से 2-5 जिलों में शिक्षा की स्थिति में सुधार आएगा। तो शेष जिलों का क्या होगा? देखिए, मान लीजिए आप `**क**` जिले में रहते हैं। अब, मान लीजिए, `**क**` जिले का जिला शिक्षा अधिकारी भ्रष्ट और असमर्थ/नाकाबिल है। मान लीजिए, पास में ही पांच अन्य जिले `**ख**`,`**ग**`,`**घ**`,`**च**`और `**छ**` हैं। मान लीजिए, केवल `**छ**` जिले में ही अच्छा जिला शिक्षा अधिकारी है। तो जिला `**क**` के नागरिकों के पास एक विकल्प होगा कि वे अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को हटा सकते हैं और `**छ**` जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को डबल पोस्ट/दोहरा कार्यभार दे सकते हैं । इसी विकल्प और शक्ति/अधिकार कि "अब नागरिकगण प्रजा अधीन - जिला शिक्षा अधिकारी का उपयोग करके मुझे हटा सकते हैं और मेरे पद/पोस्ट पर `**छ**` जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को ला सकते हैं", `**क**`,`**ख**`,`**ग**`,`**घ**`और`**च**` जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के मन में एक भय पैदा करेगा। इसलिए या तो वे 2-3 महीनों में ही सुधर जाएंगे या तो नागरिकगण उन्हें राइट टू रिकॉल-जिला शिक्षा अधिकारी का प्रयोग करके हटा देंगे। और 8-10 महीनों में ही सभी 700 जिला शिक्षा अधिकारी या तो सुधर जाएंगे या बदल/निकाल दिए जाएंगे।

और 10-20 महीनों के अंदर ,"जल्दी अमीर बन जाओ" और "जनता भांड़ में जाए" की मानसिकता वाले अधिकारीगण प्रशासन से जाना/ हटना शुरू कर देंगे और फिर प्रशासनिक पदों

पर नहीं आना चाहेंगे। इसलिए वास्तव में सेवा करने की इच्छा वाले लोगों को आने ज्यादा मौका मिलेगा और कम भ्रष्टाचारी लोग बाधा डाल सकेंगे |

वर्तमान सरकारी सिस्टम / प्रक्रियाओं (तरीकों) में एक कमी यह है कि यदि कोई ईमानदार व्यक्ति दो लोगों का काम करता है तो भी उसे दो व्यक्ति के बराबर वेतन नहीं मिलेगा, जबकि व्यापार में ऐसा होना आम है । ये बातें ईमानदार लोगों को सरकारी नौकरी में आने से रोकती / हतोत्साहित करती हैं। पर मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) सिस्टम/प्रक्रियाएं में, अधिकारीयों को एक से अधिक पद मिल सकता है तथा उसके अनुसार बढ़ा वेतन पा सकते हैं । इससे शासन/सरकार में ईमानदार तथा नए काम के लिए पहल करने वाले (उद्यमी) लोगों का आना/प्रवेश बढ़ेगा ।

मैंने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव केवल जिला शिक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं, बल्कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख, जिला आपूर्ति/सप्लाई अधिकारी (राशन का प्रभारी अधिकारी) इत्यादि के लिए भी किया है । मैंने प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रस्ताव जिला स्तर के करीब 30-50 पदों, जिनमें निचली अदालत के जज(जिला न्यायाधीश) भी शामिल हैं, के लिए किया है ।

इस प्रकार, सभी 700 जिलों के लगभग 30,000 अधिकारियों तथा जजों के लिए प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रयोग किया जायेगा। जिस दिन प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून लागू होगा, उसी दिन 24 घंटों के भीतर करीब 15,000 अधिकारी सुधर जायेंगे। और जब पहले ही महीने में किसी जिले में मात्र 2-5 अधिकारी भी हटा दिए जायेंगे तो बचे हुए 15,000 अधिकारी भी अपने आप ही सुधर जायेंगे। दूसरे शब्दों में, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रयोग करके नागरिकों को 30,000 अधिकारियों में से 50 अधिकारियों को भी हटाने की जरुरत नहीं पड़ेगी । 2-3 अधिकारियों का हटाया/निकाला जाना ही बाकी बचे अधिकारियों के लिए पर्याप्त/काफी चेतावनी होगा। इस प्रकार, प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कोई अस्थिरता पैदा बिलकुल ही नहीं करेगा ।

इसी प्रकार, मैंने राज्य सरकार स्तर के पदों तथा केन्द्र सरकार के पदों जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/हाईकोर्ट जज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/सुप्रीम कोर्ट जज इत्यादि के लिए भी प्रजा अधीन राजा/राइट टू रिकॉल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रस्तावित किया है। कुछ मामलों में,यदि वे सुधर जाते हैं और जनता की हित के लिए काम करते हैं , वे पद पर बने रह सकते हैं जबकि कुछ मामलों में उन्हें हटा दिया जाएगा और उनके स्तर के या उनसे कम स्तर के बेहतर लोगों को उनके स्थान पर अवसर दिया जायेगा ।

(30.4) बुरी शिक्षा देने वाले स्टॉफ को हटाने का तरीका / प्रक्रिया लागू करना

1. जिला शिक्षा अधिकारी शुरू में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में प्रिंसिपल/प्रधानाचार्यों रखेंगे/नियुक्त करेंगे| शिक्षकों का चयन 3 वर्ष के लिए कांट्रेक्ट पर, `खुला मुकाबले वाली परीक्षाओं` के माध्यम से होगा। तबादला/स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष

होगा। तबादला क्रमरहित-मिलान विधि से किया जाएगा।(जितने पद हैं और जितने लोगों का तबदला होना है, उनका मिलान क्रमरहित तरीके से किया जायेगा)

2. <u>किसी विद्यालय शिक्षक के पक्ष/विपक्ष में जूरी प्रक्रिया</u> : यदि किसी स्कूल शिक्षक के विरूद्ध कोई शिकायत आती है और पहली नजर में संदेह पक्का हो जाता है तो 10 नागरिकों की एक जूरी बुलाई जाएगी। यदि 7 से ज्यादा जूरी-सदस्य यह निर्णय करते हैं कि वह शिक्षक छात्रों को सेवाएं देने के असमर्थ है तो उस शिक्षक का तबादला/स्थानान्तातन किसी अन्य स्कूल में कर दिया जाएगा। ऐसे तीन तबादला के बाद उसे हटा दिया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी के हटाने/बदलने की प्रक्रिया/तरीका से ही शिक्षा में बहुत सुधार आ जाएगा और शिक्षकों को हटाने/बदलने की प्रक्रिया/तरीका से भी सुधार होगा।

(30.5) गणित की शिक्षा के लिए सात्य प्रणाली (सिस्टम)

<u>**प्रश्न, परीक्षाएं और पुरस्कार**</u>

1. इस प्रणाली(सिस्टम) में 12 वीं कक्षा तक की प्रत्येक कक्षा के लिए गणित के हजारों प्रश्नों/सवालों की एक सूची होगी। ये प्रश्न बहुविकल्प वाले प्रश्न होंगे(सवाल के लिए कई उत्तर दिए जाएँगे जिसमें से एक सही चुनना होगा) । इसकी एक सूची तैयार की जाएगी और यह जनता को मिल सकेगी/उपलब्ध होगी।
2. साधनों/संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक छात्र के लिए प्रति माह 1-4 परीक्षा तय करेगा।
3. प्रत्येक परीक्षा में उस `पढाई के साल के चार महीने के भाग` के लिए सूची में से क्रमरहित तरीके से चुने गए 30-120 प्रश्न होंगे। समयावधि/समय सीमा प्रति प्रश्न 1-3 मिनट होगी। प्रत्येक परीक्षा में 500-1000 से ज्यादा छात्र भाग लेंगे।
4. परीक्षा में नतीजा/प्रदर्शन के आधार पर छात्रों/शिक्षकों के लिए मासिक नकद पुरस्कार होंगे। *यह नकद पुरस्कार ही वह एकमात्र धनराशि होगी जो गणित के शिक्षकों को राज्य की तरफ से दी जाएगी।* गणित के शिक्षकों के लिए कोई वेतन नहीं होगा।
5. पुरूस्कार इस प्रकार होंगे : जैसे, प्रत्येक वैसे छात्र और उसके शिक्षक के लिए 10 रूपए का पुरस्कार होगा, जो (औसतन से 10 प्रतिशत कम अंक) पाते हैं और (औसतन से 10 प्रतिशत ज्यादा) अंक प्राप्त करने वाले छात्रों और शिक्षकों में से प्रत्येक के लिए 20 रूपए का पुरस्कार होगा। प्रत्येक माता-पिता को छात्र द्वारा प्राप्त (की गई पुरस्कार राशि) के अतिरिक्त 25 प्रतिशत मिलेगा। इसके अलावा, कक्षा 5 से ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए छात्रों को मिलने वाली राशि का अतिरिक्त 25 प्रतिशत, पिछले 2 वर्ष के दौरान उसे पढ़ाने वाले शिक्षक को मिलेगा। ईनाम की पूरी राशि उस वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को बांटे गए पैसे पर निर्भर करेगा।

<u>**परीक्षा का संचालन / परीक्षा करवाना**</u>

6. जांच केन्द्र `जिला शिक्षा अधिकारी` द्वारा चलाये जाएंगे।

7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रस्तावित किए गए टैक्स/कर का उपयोग करके जांच केन्द्रों के लिए भवन, मेज/डेस्क, *कम्प्यूटर का सामान, सर्वर(कंप्यूटर जो प्रश्न चुनता और बांटता है), रपट(रिपोर्ट) छापना,* पुरस्कार के आवंटन आदि की व्यवस्था करेगा।
8. जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उसका क्लर्क, क्रमरहित तरीके का प्रयोग करके किसी छात्र को उसके स्कूल/घर के निकट के जांच केन्द्र पर जाने का निर्देश दे सकता है। प्रत्येक महीने के लिए जांच केन्द्र अलग-अलग हो सकते हैं। प्रत्येक छात्र को जांच/परीक्षा देने के लिए एक अलग डेस्क मिलेगा। इससे नकल (किए जाने) की संभावना कम होगी।
9. सुपेर्विसर/निरीक्षक के कहे अनुसार *सर्वर कम्प्यूटर* जनता के लिए उपलब्ध हजारों प्रश्नों की सूची में से 60 प्रश्नों का चयन क्रमरहित तरीके से करेगा।
10. प्रत्येक छात्र को वही 30-60 प्रश्न अलग-अलग क्रमरहित क्रम में दिया जाएगा। इस प्रकार एक दूसरे के अगल-बगल/बराबर में बैठे सभी छात्रों को प्रश्न अलग-अलग क्रम में मिलेगा। *सर्वर* किसी प्रश्न का उत्तर एक बार दे देने के बाद उसे बदलने की अनुमति नहीं देगा। *सर्वर* प्रत्येक प्रश्न पर अधिक से अधिक 5 मिनट समय की अनुमति देगा। इससे परीक्षा में नकल बिलकुल नहीं हो सकेगा।
11. जिला शिक्षा अधिकारी किसी महीने की सभी परीक्षाओं/जांचों के लिए पुरस्कार अगले महीने की 10 तारीख से पहले दे देगा।
12. जांच की लागत, जमीन की लागत की गणना को छोड़कर, प्रत्येक जांच के लिए 5 रूपए से कम होगी।(2010 के कीमतों को आधार लेकर लागत को महंगाई के अनुसार सही किया जायेगा)

<u>गणित की परीक्षाओं के लिए पुरस्कार बांटना / देना</u>

13. यदि 95 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने किसी प्रश्न का (सही) उत्तर दिया है अथवा यदि 5 प्रतिशत से कम छात्रों ने किसी प्रश्न को हल किया हो तो जिला शिक्षा अधिकारी उस प्रश्न को गिनती में बिलकुल शामिल नहीं करेगा।
14. जिला शिक्षा अधिकारी किसी दी गई कक्षा के लिए प्रत्येक विषय हेतु आयोजित की जाने वाली जांच/परीक्षा की संख्या (खुद) तय करेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए, जिला शिक्षा अधिकारी यह निर्णय लेता है कि प्रत्येक माह गणित के 2, भौतिकीशास्त्र का 1, रसायनशास्त्र का 1, जीव विज्ञान का 1, विधि/कानून के 2 परीक्षा/टेस्ट आदि होंगे।
15. सॉफ्टवेयर परीक्षा के ठीक बाद नम्बर/अंक जारी करेगा।

<u>सात्य प्रणाली(सिस्टम) में गणित के शिक्षक का चयन</u>

16. मेरे द्वारा वर्णित प्रणाली(सिस्टम) में कोई भी व्यक्ति स्वयं को गणित के शिक्षक के रूप में दर्ज करवा सकता है।
17. कोई छात्र गणित के किस शिक्षक की कक्षा में (पढ़ने) जाएगा, इसका निर्णय उस बच्चे के माता-पिता करेंगे। माता-पिता किसी भी महीने शिक्षक बदल सकते हैं।

(30.6) अन्य विषयों के लिए सात्य प्रणाली (सिस्टम)

मेरे द्वारा बताई गयी प्रणाली(सिस्टम) कई विषयों के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है जैसे :-

- विज्ञान (भौतिकीशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान आदि)
- अंग्रेजी शब्द-ज्ञान, व्याकरण, वाक्य विन्यास, अंग्रेजी से दूसरी/अन्य भाषाओं और दूसरी/अन्य भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद करना (अंग्रेजी साहित्य नहीं)
- हिन्दी (शब्द-ज्ञान, व्याकरण, वाक्य निर्माण, वाक्यों का अनुवाद करना, साहित्य नहीं)
- अन्य भाषाएं (शब्द-ज्ञान, व्याकरण, वाक्य निर्माण, वाक्यों का अनुवाद करना, साहित्य नहीं)
- सेना का इतिहास, तकनिकी का इतिहास, कानूनों और प्रशासनिक व्यवस्था का इतिहास
- भूगोल, नक्शा बनाना, और स्थानीय/जिला स्तरों पर व्यावहारिक सर्वेक्षण(नक्शा बनने के लिए जानकारी इकठ्ठा करना) करना

(30.7) कानून की शिक्षा देना

1. लगभग 15-20 छात्रों को किसी अदालत के कमरे में कुछ मुकद्दमों के पूरे सत्र के दौरान (उपस्थित) रहने के लिए कहा जाएगा।
2. एक बार जब मुकद्दमा पूरा/समाप्त हो जाता है तो उन्हें निम्नलिखित मुद्दों को शामिल करते हुए **चर्चा करने और अपनी राय/मत लिखने** के लिए कहा जाएगा (विश्लेषण) :-

- क्या सजा देना (या रिहा करना) जायज/उचित था? क्या सजा का स्वरूप (कैद, जुर्माना आदि) उचित/जायज था?
- इस मुकद्दमें में कौन से कानून पूरी/सटीक रूप से लागू हो रहे थे? क्या ये कानून न्यायपूर्ण हैं?
- सबूत क्या थे? क्या ये सबूत जायज/उचित थे? आदि, आदि।

3. निम्नलिखित के बारे में **चर्चा करें और लिखें** -

- यदि कानून अनुचित थे तो कौन से कानून लगाए जाने चाहिए थे?
- क्या कानून का पाठ इतना सरल है कि उसे समझा जा सके? क्या आप इससे भी आसान पाठ दे सकते हैं?
- आपकी राय में क्या दण्ड दिया जाना चाहिए था?
- क्या वो अपराध को रोकने के लिए कुछ किया जा सका?
- क्या कुछ ऐसा है जिससे सुनवाई (की प्रक्रिया) और तेज/और आसान बनाई जा सके? आदि, आदि।

4. प्रत्येक मुकद्दमे में नए मुद्दे होंगे। योजना का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षकों/छात्रों पर छोड़ा जाएगा। किसी शिक्षक द्वारा प्रति सप्ताह 1-2 घंटे छात्रों की निगरानी की जाएगी। यह और अधिक रूचि वाला होगा यदि स्कूल इस मुकद्दमे के क्षेत्र/विषय के रिटाइर्ड

/सेवानिवृत्त जज अथवा एक सेवानिवृत्त/`काम कर रहे` वकील अथवा किसी तकनीकी विशेषज्ञ को कभी-कभार चर्चा में भाग लेने के लिए बुला सके।

5. छात्रों को मुकद्दमे सहायक कोर्ट के साथ-साथ उच्चतर न्यायालयों/कोर्ट में भी नोट करने के लिए कहा जाएगा।
6. *मुकद्दमें का चयन क्रमरहित तरीके से किया जाएगा।*
7. इन पाठों में वास्तविक चीजों/मुद्दों (भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, अत्याचार आदि), जो प्रशासन और न्यायालयों में होता ही है, पर भी सूचनाएं होंगी।

(30.8) हथियार चलाने / प्रयोग करने की शिक्षा देना

मैं `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के सदस्य के रूप में प्रस्ताव करता हूँ कि सैन्य प्रशिक्षण सभी बड़ों/वयस्कों और 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को दिया जाना चाहिए।

(30.9) अंग्रेजी की शिक्षा देना

`राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की उम्र के सभी नागरिकों को अंग्रेजी की शिक्षा दिए जाने का प्रस्ताव करता है। **कक्षा 1 से लेकर कॉलेज तक के सभी पाठ्यपुस्तकों को द्विभाषी बनाया जाएगा अर्थात सम पृष्ठसंख्याओं वाले पृष्ठों पर स्थानीय भाषाओं का अंग्रेजी अनुवाद विषम पृष्ठ संख्याओं वाले पृष्ठों पर छपा होगा।** यह गणित, विज्ञान, कानून आदि सभी विषयों पर लागू होगा। छात्रों को इन विषयों की परीक्षा स्थानीय भाषाओं में देने की स्वतंत्रता/छूट होगी और साथ ही, वे इन विषयों की द्वितीय वैकल्पिक परीक्षा अंग्रेजी भाषा में लिख सकेंगे। द्वितीय परीक्षाओं के परिणाम/अंक का कोई महत्व नहीं होगा।

अध्याय 31 - राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) लागू करने पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

(31.1) पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) का अभाव

हमारे अधिकारी लोग और मंत्री लोग इतने सड़े हुए(भ्रष्ट) हैं और हमारी वर्तमान पहचान-पत्र प्रणालियां, राशन कार्ड, चुनाव कार्ड, पैन कार्ड आदि इतने बेकार/पुराने हैं कि अनेक नागरिकों का भरोसा ही उठ गया है कि "पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम)" बनाई भी जा सकती है। मामले को आगे और बिगाड़ने के लिए, बुद्धिजीवियों ने नागरिकों को पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) के बारे में जानकारी/सूचना न देने की कसम ही खा ली है और इसलिए बहुत से लोग अभी भी यह मानते हैं कि पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) का अर्थ केवल "एक कार्ड जारी करना" है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) में महत्वपूर्ण भाग/हिस्सा एक सरकारी डाटाबेस में (विवरण) दर्ज कराया जाना है – यह केवल एक कार्ड भर/ही नहीं है क्योंकि कार्ड आसानी से नकली/जाली बन सकते हैं। और बुद्धिजीवी लोग यह झूठ बोलकर लोगों को भटकाते/बहकाते हैं कि "अमेरिका में पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) है – वे अवैध कार्यों को रोकने में सफल नहीं हो पाए हैं।" मैं आगे चलकर इस झूठ से पर्दा उठाउंगा।

पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) क्या है? पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) केवल एक कार्ड नहीं है – कार्ड तो इसका एक छोटा सा भाग/हिस्सा है। पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) एक ऐसी प्रणाली(सिस्टम) है जिसमें नागरिकों, अन्य लोगों, कम्पनियों आदि के ठीक-ठीक/सटीक रिकार्ड प्राप्त किए जाते हैं। एक बिलकुल सही(बिना कोई गलतियों के) पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) बहुत आसानी से संभव है और यह प्रति व्यक्ति के आधार पर बहुत ही सस्ता है। और यह पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) बहुत सी समस्याओं का बड़ी आसानी से/चुटकियों में समाधान करता है:-

1. यदि निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) को एक कानून से जोड़ दिया जाए कि "मालिक/मालिक को कर्मचारियों के पहचान-पत्र, अंगुलियों के छाप (फिंगर प्रिन्ट), फोटो की जानकारी सरकार को देनी होगी" तो इससे बांग्लादेशी घुसपैठ कम होकर आज की तुलना में 1 प्रतिशत से भी कम हो जाएगा।
2. पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम), बेनामी जमीन रखने वालों की पहचान करके उन्हें अलग कर सकता है और टैक्स चोरी कम कर सकता है।
    1. पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) प्रत्येक सरकारी विभाग में रिकार्ड/अभिलेख रखने की लागत कम कर सकता है और संदेहास्पद व्यक्तियों पर नजर रखने/उन्हें पकड़ने के काम को आसान बना सकता है और इस प्रकार पुलिस द्वारा नियंत्रण रखने के काम की लागत भी कम करता है।
    2. डी.एन.ए. डाटाबेस(आंकड़ा-कोष) के साथ पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) बलात्कारियों और अनेक अन्य अपराधियों पर नजर रखने और उन्हें पकड़ने में उपयोगी है।

3. डी.एन.ए. डाटाबेस(आंकड़ा-कोष) के साथ पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) संबंधों/रिश्तों की रजिस्ट्री दर्ज कराने और जांच/साबित करने में सहायक/उपयोगी हो सकता है जिसका प्रयोग करके वर्तमान में (भारत में) रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करके उनका बांग्लादेशी होना साबित करके उन्हें देश से निकाला जा सकता है।

यदि पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) और "प्रत्येक कर्मचारी की जानकारी देने/रिपोर्ट करने" का कानून लागू नहीं किया जाता है तो पूर्वोत्तर में बांग्लादेशियों की जनसंख्या इस हद तक बढ़ जाएगी कि पूर्वोत्तर बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा और पूर्वोत्तर में करोड़ो भारतीय उसी प्रकार मारे जाएंगे जिस प्रकार वर्ष 1947 में मारे गए थे।

मैं `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के सदस्य के रूप में निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) 1 वर्ष के भीतर और नागरिक पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) 2 वर्ष के भीतर बनाने का प्रस्ताव करता हूँ।

(31.2) नागरिक पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) से आशाएं

दु:ख की बात है कि भारत के बुद्धिजीवी लोग हम आम लोगों को पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) के बारे में सूचना/जानकारी देने के इतने खिलाफ हैं कि हमलोगों में से ज्यादातर लोग यह तक नहीं जानते कि पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) का अर्थ क्या है और यह क्या कर सकता है।

एक नागरिक पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) एक ऐसी प्रणाली(सिस्टम) है जो किसी समूह/समाज और एक सरकारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करने में समर्थ/सक्षम बनाती है कि कोई व्यक्ति "हमलोगों में से ही एक" है, और वह (वाकई) वही व्यक्ति है जो वह खुद को बता रहा है और वह (सही में) वही व्यक्ति है जो सरकारी रिकार्डों में दर्ज है। पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) से जुड़े कुछ मुद्दे निम्नलिखित हैं :-

1. पहचान-पत्र संख्या जीवन भर कभी भी नहीं बदली जा सकनी चाहिए।
2. पहचान-पत्र संख्या राष्ट्र भर में हर व्यक्ति के लिए एकल/एकदम अलग होनी चाहिए।
3. प्रत्येक नागरिक के पास नागरिक पहचान-पत्र होना जरूरी है ; बाहर से आने वाले सभी गैर-नागरिकों के पास अवश्य ही एक अलग प्रकार का पहचान-पत्र होगा।
4. कोई नागरिक जैसे ही आवेदन करता है तो उसे एक क्रम संख्या अवश्य दी जाए। इस कार्य में देरी को 15 मिनट तक सीमित करना संभव है लेकिन दिनों की देरी नहीं होनी चाहिए।
5. सरकारी रिकार्डों/अभिलेखों में गलतियों को ठीक करना कुछ ही मिनटों में संभव होना चाहिए।
6. यदि किसी नागरिक का मूल/पहला पहचान-पत्र खो/गुम हो जाता है तो उसे कुछ ही घंटों में नया कार्ड मिल जाना चाहिए।
7. कार्ड पर पर्याप्त जानकारी/ब्यौरे (लिखे/छपे) होना चाहिए ताकि किसी अधिकारी के लिए यह पक्का करना संभव और आसान हो सके कि कार्डधारक व्यक्ति वही है जिसका फोटो कार्ड पर है।

आधुनिक तकनीक ने इन समस्याओं को लगभग 20 से 30 वर्ष पहले ही सुलझा लिया है। और आज इन्हें इस हद तक सुलझा लिया गया है कि ये मामूली बात होकर रह गई हैं। कैसे? अंगुलियों के छाप(*फिंगर प्रिंट)* पर विचार कीजिए। अंगुलियों के छाप *(फिंगर प्रिंट)* कम्प्यूटर में स्कैन करके किसी व्यक्ति की पहचान की जांच की जा सकती है। अब मान लीजिए, 10 लाख की जनसंख्या में से लगभग 1000 नागरिकों ने धोखाधड़ी करके 2 अलग-अलग पहचान-पत्र/कार्ड प्राप्त कर लिए हैं। तब *फिंगर प्रिंटों* की तुलना करके आधुनिक कम्प्यूटर इन नकलों/जालसाजियों में से 95 प्रतिशत से ज्यादा की पहचान कुछ ही घंटों में के भीतर कर सकता है। साथ ही, किसी व्यक्ति को रक्त समूहों/ब्लड ग्रुपों जैसे A, B, O, + - M, N, K आदि कारकों/फैक्टर्स की जानकारी जमा करने की जरूरत पड़ सकती है। मुख्यत: लगभग 2 दर्जन ऐसे कारक मानव रक्त में होते हैं जो *ब्लड ग्रुप*/रक्त समूह को लगभग एकल/एकमात्र बना देते हैं। यदि कुछ लोगों ने दो अलग-अलग पहचान-पत्र संख्या प्राप्त कर ली है तो कार्ड पर उसके *ब्लड ग्रुप*/रक्त समूह के ब्यौरे एक समान होंगे और कोई कम्प्यूटर नकल/दोहराव की पहचान करके उसे पकड़ सकता है। और यदि एक बार इस प्रणाली(सिस्टम) को डी.एन.ए. नक्शा/प्रोफाइल/ब्यौरे के लिए धन दिया जाता है तो पहचान और नकल/दोहराव से संबंधित सभी मुद्दे छूमंतर हो जाएंगे।

(31.3) निजी पहचान - पत्र प्रणाली (सिस्टम), नागरिक पहचान - पत्र प्रणाली (सिस्टम)

हम नागरिक पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) निम्नलिखित तरीके से बनाने का प्रस्ताव करते हैं:-

1. भारत में प्रत्येक व्यक्ति और उसके बच्चों को एक वर्ष के भीतर निजी पहचान-पत्र जारी किया जाए।
2. एक वर्ष के बाद, निजी पहचान-पत्र केवल उन्हीं व्यक्तियों को जारी किया जाएगा जिनके माता-पिता दोनों के पास निजी पहचान-पत्र होगा।
3. एक ऐसा कानून लागू करें कि मालिक को कर्मचारियों के निजी पहचान-पत्र की जानकारी / रिपोर्ट सरकार को देने की जरूरत होगी। इससे सरकार नकली/फर्जी पहचान-पत्रों को पकड़ने/खोजने और नकली पहचान-पत्र वाले बांग्लादेशियों को पकड़ पाने में समर्थ/सक्षम होगी। इससे भारत में रोजगार पाने के लिए आने वाले जवान/वयस्क बांग्लादेशियों को रोका जा सकेगा और इस प्रकार उनके घुसपैठ (की घटना) में भी कमी आएगी।
4. एक वर्ष के बाद, इस प्रणाली(सिस्टम) में डी.एन.ए. आंकड़ा कोष(डाटाबेस) और "रिश्तेदार/वंश वृक्ष" बनाया जाए अर्थात इस प्रणाली(सिस्टम) का प्रत्येक व्यक्ति को जितना ज्यादा संभव हो सके उतना ज्यादा उसके रिश्तेदारों से जोड़ा जाए।
5. निजी पहचान-पत्र वाला व्यक्ति उन संस्थाओं के पास जा सकता है जिसने उसे प्रमाणपत्र जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, कॉलेज की डिग्री आदि जारी किए हैं। वह संस्था रजिस्ट्रार की वेबसाईट पर उस व्यक्ति के निजी पहचान-पत्र के साथ उसके प्रमाणपत्र अपलोड कर देगी।
6. कोई भी व्यक्ति अपनी निजी पहचान-पत्र का प्रयोग करके रजिस्ट्रार की वेबसाईट पर अपने रिकार्ड की जांच / वेरिफिकेशन कर सकता है।

7. एक वर्ष के बाद, जूरी आधारित कोर्ट/न्यायालय प्रारंभ किया जाए ताकि यह निर्णय किया जा सके कि कौन सा व्यक्ति भारतीय है और कौन नहीं। किसी व्यक्ति के भारतीय न होने के जांच से पक्का हो जाने के बाद उसे भारत से निकाल दिया जाएगा। ऐसे मुकद्दमें/ट्रायल लगभग 2 वर्ष तक चलते रहेंगे।
8. **2 वर्ष के बाद, निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) ही नागरिक पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) बन जाएगी।**

(31.4) निजी पहचान-पत्र में क्या शामिल होगा?

किसी पहचान-पत्र कार्ड में निम्नलिखित जानकारी होना चाहिएं:-

1. पहचान-पत्र संख्या : 11 संख्याओं वाली पहचान-पत्र संख्या सभी बड़ों/वयस्कों को और बाद में केवल नवजात बच्चों को जारी किए जांए।
2. **माता-पिता की पहचान-पत्र संख्या**
3. नाम व पता
4. माता-पिता का नाम
5. (यदि हों तो)कम से कम 50 रिश्तेदारों के नाम, उनकी पहचान-पत्र संख्या, (व्यक्ति से) उनके संबंध
6. पहचान-पत्र जारी करने की तारीख, पहचान-पत्र जारी करने का स्थान (शहर, गांव आदि)
7. छायाचित्र (फोटो)
8. अन्य पहचान-पत्रों जैसे राशन कार्ड, स्कूल प्रमाणपत्र के नाम
9. जन्म-तिथि, जन्म-तिथि का प्रमाण/सबूत उपलब्ध न होने पर जन्म का अनुमानित वर्ष
10. अन्य प्रमाणपत्रों पर/में जन्मतिथि
11. अंगुठे और सभी अंगुलियों के छाप(*फिंगर प्रिंट)*
12. क्रमरहित तरीके से चुने गए तीन अलग-अलग प्रयोगशालाओं से रक्त समूहों/*ब्लड ग्रुपों* की पूरी जानकारी |
13. डी.एन.ए. नक्शा/छाप : यदि और जब लागत वहनीय हो जाए तब प्रारंभ में डी.एन.ए. छाप सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया जाए और फिर इसे उन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य किया जाए जो प्रतिवर्ष 10 लाख से ज्यादा रूपए कमाते हैं, इसके बाद इसे उन नागरिकों के लिए, जो प्रतिवर्ष 5 लाख से ज्यादा रूपए कमाते हैं और फिर उन सभी नागरिकों के लिए जो प्रतिवर्ष 2,00,000 रूपए से ज्यादा कमाते हैं और अंत में इसे (शेष) सभी नागरिकों के लिए किया जाए।
14. यदि किसी गैर-नागरिक ने जालसाजी करके पहचान-पत्र प्राप्त कर लिया है तो (पकड़े जाने पर) जूरी-मण्डल उसे 10 साल तक की कैद की सजा सुना सकती है। इससे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने में भी मदद मिलेगी ।

(31.5) निजी पहचान-पत्र कैसे बनाएं / सृजित करें?

1. निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) के लिए प्रधानमंत्री एक रजिस्ट्रार रखेंगे(नियुक्ति करेंगे)। बदलने की प्रक्रियाओं का प्रयोग करके नागरिक उसे बदल सकते हैं।
2. प्रधानमंत्री उसे निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) बनाने के लिए आवश्यक पैसा/राशि उपलब्ध कराएंगे अथवा रजिस्ट्रार एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिसे जब नागरिकों अथवा सांसदों का अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाएगा तब वह आवश्यक निधि/राशि प्राप्त करेगा।
3. नागरिक जूरी सुनवाई का प्रयोग करके निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) के स्टॉफ को हटा/बर्खास्त कर सकते हैं।
4. रजिस्ट्रार (अथवा उसका स्टॉफ) निम्नलिखित जानकारी के साथ किसी जिले के निवासी भारतीय नागरिकों में से प्रत्येक नागरिक को 2, 3 या 4 से शुरू होने वाले 11 अंकों वाली नंबर/क्रमसंख्या जारी करेगा –
   नाम, जैसा कि राशन (कार्ड) में दर्ज/लिखा है, फोटो, जन्म तिथि या जन्म प्रमाणपत्र, जन्म तिथि या स्कूल छोड़ने का पहचान-पत्र (यदि यह जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज/लिखी तिथि से भिन्न हो), पता, अंगुलियों के छाप(*फिंगर प्रिंट)*, रक्त समूह/*ब्लड ग्रुप*, डी.एन.ए. प्रिन्ट/छाप (बाद के स्तर के लिए), सीरियल नंबर/क्रम संख्या आदि।11 अंकों वाला नंबर "चैक-सम" अंक होगा|
5. पहले वर्ष के लिए, यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह भारतीय नागरिक है तो उसे एक निजी पहचान-पत्र मिलेगा। बाद में, राष्ट्रीय स्तर की कोई जूरी यह निर्णय देती है कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है तो जूरी-मण्डल के सदस्य उसे 10,000 रुपये का जुर्माना और देश से बाहर निकलवा सकती है |
6. रजिस्ट्रार पहचान-पत्र के 2 कार्ड जारी करेगा – एक बड़ा और एक छोटा। छोटे कार्ड में केवल 4 जानकारियां होंगी – नाम, पहचान-पत्र नंबर/संख्या, जन्मतिथि और फोटो व अंगुली की छाप(*फिंगर प्रिंट)*। बड़े कार्ड पर अनेक जानकारियां होंगी जैसे - नाम जैसा कि राशन (कार्ड) में दर्ज/लिखा है, नाम जैसा कि स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र में दर्ज है, नाम जैसा पैन कार्ड पर दर्ज है, नाम जैसा पासपोर्ट में दर्ज है, पासपोर्ट, `स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र`, आदि में दर्ज विभिन्न जन्म तिथियां, , विस्तृत रक्त का नक्शा (प्रोफाइल), विस्तृत डी.एन.ए. नक्शा(प्रोफाइल), यदि उपलब्ध हो, इत्यादि, इत्यादि।
7. रजिस्ट्रार का स्टॉफ, फोटो और अंगुलियों के छाप(*फिंगर प्रिंट)* लेगा और उन्हें स्कैन करके कम्प्यूटर में दर्ज कर देगा। प्रत्येक नागरिक के लिए, निरीक्षक/सुपरवाईजर क्रमरहित तरीके से 3 क्लर्क का चयन करेगा जो अँगुलियों के छाप(*फिंगर प्रिंट)* लेंगे और फोटो खीचेंगे और इन्हें स्कैन करके कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे। रजिस्ट्रार उन मामलों की जांच करने के लिए एक अधिकारी रखेगा, जिन मामलों में ये अँगुलियों के छाप*(फिंगर प्रिंट)* (आपस में) नहीं मिलेंगे और जिस स्टॉफ ने गलती की है उसे हटा/निकाल दिया जाएगा।
8. रक्त/खून की नक़्शे प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार के पास तहसील (स्थित) कार्यालय में 20-40 टेक्नीशियन/तकनीकी विशेषज्ञ होंगे जो रक्त/*खून* के ब्यौरे प्राप्त करेंगे। प्रत्येक नागरिक के लिए रजिस्ट्रार का क्लर्क क्रमरहित तरीके से 3 तकनीशियनों/मिस्त्री का चयन करेगा जो रक्त/ब्लड के नमूने लेंगे। *ब्लड ग्रुप/रक्त वर्ग* की जानकारियों को केवल तभी दर्ज किया जाएगा जब तीनों जांचों का नतीजा/परिणाम एक समान आएगा।

रजिस्ट्रार उन मामलों की जांच स्वयं करेगा जिन मामलों में नमूने आपस में नहीं मिल रहे हों और उस तकनीशियन को अयोग्य/नापास करेगा जिसके 1 प्रतिशत से ज्यादा परिणाम बिलकुल सही नहीं होंगे।

9. बाद में, रजिस्ट्रार सभी नागरिकों के डी.एन.ए. की जानकारियां उम्र के घटते हुए क्रम में लेगा/सजाएगा।

(31.6) निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) (से बने) कार्ड की लागत (वर्ष 2010 - आधार मूल्य / कीमतें)

डी ब्लड ग्रुप की/ समूहमें जोड़ा जाएगा। रक्त (सिस्टम)छापों को बाद में इस प्रणाली .ए.एन. जानकारियों के बिना और पत्र -उपर लिखित निजी पहचान (छाप के बिना .ए.एन.डी) रूपए होगी और पूरे भारत के लिए 200 रूपए से 100 क्तिकी लागत प्रति व्य (सिस्टम)प्रणाली 20 लागत लगभग,देश के)देशियों के घुसपैठग्लाबां (सिस्टम)करोड़ रूपए होगी। यह प्रणाली 000 अंदर अवैध तरीके से घुस जाना समूहों की जानकारियों की लागत लगभगको रोकेगा। रक्त (प्रति) रूपए 2000 की लागत लगभग (प्रोफाइल)नक़्शे .ए.एन. होगी और डीक्तिरूपए प्रति व्य 500 इस प्रकार बड़े पैमाने पर बनाया जाए।/पकहोगी यदि इसे व्या (क्तिव्य, पूरे भारत के लिए डी)नक़्शे .ए.एन.प्रोफाइल बनाने की लागत लगभग (सिस्टम)पत्र प्रणाली-के साथ निजी पहचान (300, बनने से रोकने के लिए देश का हिस्साकरोड़ रूपए होगी। यह लागत असम को बांग्ला 000 बहुत कम है।/उचित

(31.7) निजी पहचान-पत्र के लाभ

1. यदि एक बार निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) लागू हो जाती है और हरेक व्यक्ति के पास निजी पहचान-पत्र आ जाता है तो सरकार के लिए यह सरकारी आदेश जारी करना संभव हो जाएगा कि मालिक को कर्मचारियों के निजी पहचान-पत्र की रिपोर्ट/जानकारी देनी होगी और जूरी उस मालिक पर जुर्माना लगा सकती है जो बगैर पहचान-पत्र वाले बहुत से लोगों को काम पर रखता है। इसलिए, अवैध परदेशी(आप्रवासी) लोगों के पास केवल 2 ही विकल्प होंगे – भारत/देश छोड़ देना या जाली पहचान-पत्र प्राप्त करना अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पहचान-पत्र का प्रयोग करना। पहले वर्ष के बाद, नवजात बच्चों को छोड़कर किसी के लिए भी पहचान-पत्र हासिल/प्राप्त करना संभव नहीं होगा। और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रमाण-पत्र का प्रयोग करता है तो वह सरकारी अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाएगा। इस प्रकार निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) (बन जाने) से नए बांग्लादेशियों का आना/घुसपैठ कम हो जाएगा।
2. एक बार जब हरेक व्यक्ति के पास पहचान-पत्र हो जाएगा और भुगतानकर्ता-प्राप्तकर्ता दोनों के पास एक दूसरे के पहचान-पत्र की रिपोर्ट करने का जरिया/कोड होगा तो आय की कम रिपोर्ट/जानकारी देने या भुगतान ज्यादा होने की रिपोर्ट/जानकारी की घटनाएं कम होंगी। इससे आयकर की चोरी कम होगी।

3. जब प्रत्येक व्यक्ति के पास पहचान-पत्र होगा और जमीन/भूमि के रिकार्ड भी पहचान-पत्र के साथ जुड़े होंगे तो संपत्ति कम बताने करने की घटनाएं कम होंगी। इससे सम्पत्ति कर की चोरी कम होगी।
4. डी.एन.ए. आंकड़ा कोष(डाटाबेस) से अदालती/न्यायालय(फोरेंसिक) प्रणाली(सिस्टम) में सुधार आएगा और संदिग्ध(जिसपर अपराध करने का शक है) लोगों को खोज निकालना आसान हो जायेगा।
5. निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) से (कैद से)भागने वालों पर और वैसे लोगों पर, जो बुलावा/समन का उल्लंघन करते हैं, नजर रखना/उन्हें खोजना आसान हो जाएगा और इस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आएगा।

(31.8) डी.एन.ए. आंकड़े (डाटा) का प्रयोग करके आपसी संबंधों का नक्शा / जाल बनाना

मान लीजिए, वर्ष 2010 की 1 जनवरी को सिस्टम में 3 महीने से अधिक उम्र के हर व्यक्ति का डी.एन.ए. के आंकड़े/डाटा दर्ज है। अब प्रत्येक व्यक्ति से उसके संबंधियों/रिश्तेदारों के नाम, पहचान-पत्र देने के लिए कहा जा सकता है। इन जानकारियों को सिस्टम में डालने के बाद और डी.एन.ए. के आंकड़ों का प्रयोग करके संबंधों को वास्तव में बहुत हद तक जांच किया जा सकता है। माता-पिता - बच्चे का 50 प्रतिशत डी.एन.ए. साझा/एक समान होगा, भाई-बहनों जिनके माता-पिता एक हैं, का 50 प्रतिशत से ज्यादा डी.एन.ए. साझा/एक समान होगा और जिन भाई-बहनों के माता-पिता में से केवल एक साझा है , का 25 प्रतिशत डी.एन.ए. बराबर/साझा होगा, पोते-पोतियों और दादा-दादियों का 25 प्रतिशत डी.एन.ए. साझा होगा और चचेरे भाई/बहन का 25 प्रतिशत डी.एन.ए. साझा होगा, इत्यादि, इत्यादि। इस डाटा का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के अनेक निकट रिश्तेदारों की जाँच से सही ठहराया जा सकेगा। *किसी व्यक्ति के रिश्तेदारों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उसके परदेशी(आप्रवासी) होने की सम्भावना/अवसर उतने ही कम होंगे।* इस प्रकार जांच से सही ठहराए रिश्तेदारों की सूचना का प्रयोग करके कई अवैध बांग्लादेशी जिनके कुछ ही या एक भी रिश्तेदार (भारत में) नहीं हैं, उनकी सही पहचान आसानी से की जा सकेगी। यह प्रणाली(सिस्टम) 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशियों में से प्रत्येक को तो नहीं पकड़ सकेगी लेकिन यह उनमें से बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों/घुसपैठियों को पकड़ने में सक्षम होगी।

(31.9) अमेरिका में पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम)

बुद्धिजीवियों ने नागरिकों को यह कहकर मार्ग से भ्रमित किया/बहकाया है कि “अमेरिका में पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) है लेकिन अमेरिका अवैध परदेशियों(आप्रवासियों) को रोकने में समर्थ नहीं है। इसलिए भारत को पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) में समय और पैसा बरबाद बिलकुल ही नहीं करना चाहिए।” उनके दावे झूठे हैं। अमेरिका के पास पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) और रिकार्ड हैं जो अमेरिकी सरकार को सक्षम/समर्थ बनाते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति के गलत या सही होने के बारे में बता सकती है कि कोई व्यक्ति वैध परदेशी(आप्रवासी) है या अवैध परदेशी(आप्रवासी) है। इसलिए, अमेरिकी सरकार यदि और जब भी चाहे तो सभी अवैध परदेशियों(आप्रवासियों) को निकाल बाहर करने में समर्थ है। अमेरिकी सरकार अवैध

परदेशियों(आप्रवासियों) को अमेरिका से निकालती नहीं क्योंकि वे सस्ते मजदूर के रूप में उपलब्ध हैं और अमेरिका की सुरक्षा और एकता के लिए कोई खतरा नहीं हैं। इसलिए, पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) ने हालांकि अमेरिका को अवैध लोगों को हटाने की क्षमता प्रदान की है फिर भी वे अपने हितों को देखते हुए इसका प्रयोग नहीं करते। जबकि भारत में, अबतक हमलोगों के पास रिकार्ड रखने की ऐसी कोई प्रणाली(सिस्टम) ही नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि कोई व्यक्ति (भारत का) नागरिक है या नहीं। इसलिए, हमलोग अवैध परदेशियों(आप्रवासियों) को महीनों या वर्षों के बाद भी देश से निकाल बाहर करने की स्थिति में नहीं हैं। अबतक के रिकार्ड इतने अपूर्ण हैं कि मात्र 10 प्रतिशत जनसंख्या की ही नागरिकता पूरी तरह से जांच से सही ठहराया जा सकती है। इसके अलावा, बांग्लादेशी परदेशी(आप्रवासी) हमारी सुरक्षा के साथ-साथ एकता के लिए भी खतरा हैं। इसलिए न केवल भारतीय बुद्धिजीवी लोग झूठ बोल रहे हैं बल्कि वे पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) का विरोध करके भारतीय हितों के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। हमलोग भारत के सभी *गैर-`80 जी`* कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि इन बुद्धिजीवियों का विरोध करें और नागरिकों के सामने यह साबित करें कि ये बुद्धिजीवी लोग भारत विरोधी हैं।

(31.10) राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली (सिस्टम) पर सभी दलों की राय / उनके रूख

भारतीय जनता पार्टी सहित सभी पार्टियां राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) के खिलाफ हैं। यही कारण है कि लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन, शौरी, अटल बिहारी बाजपेयी आदि जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने 7 वर्ष के शासनकाल में निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) लागू करने से इनकार किया। इसका कारण बहुत ही छोटा/तुच्छ है – एक निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) से काली संपत्ति और काले धन को छुपाना कठिन बना देती है और चूंकि ये (नेता) यहां के विशिष्ट/ऊंचे लोगों के समर्थक हैं इसलिए ये सभी राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) का विरोध कर रहे हैं। हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे इन नेताओं को वोट न दें क्योंकि ये राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) का विरोध कर रहे हैं।

समीक्षा प्रश्न

1. आज की तारीख में कौन सा पहचान-पत्र विश्वव्यापी/सर्वजन के लिए है और अनिवार्य है?
2. सही/गलत बताएं: अमेरिका में अवैध परदेशी(आप्रवास) की वैधानिकता की पहचान करने के लिए कोई प्रणाली(सिस्टम) लागू नहीं है।
3. मान लीजिए कि 1 जनवरी, 2009 को, 6 महीने से बड़े सभी लोगों के पास निजी पहचान पत्र है और मालिकओं को निजी पहचान-पत्र की रिपोर्ट करना/देना जरूरी है। अब बताएं कि कैसे कोई बड़ा/वयस्क बांग्लादेशी भारत में रोजगार प्राप्त कर सकता है?
4. मान लीजिए, निजी पहचान-पत्र के साथ डी.एन.ए. भी संलग्न/जोड़ दिया गया है। अब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में विचार कीजिए जिसका डी.एन.ए. आंकड़े कोष(डाटाबेस) में कोई संबंधी/रिश्तेदार नहीं है। उसके परदेशी(आप्रवासी) होने की संभावना कितनी है?

अध्याय 32 - `जनता द्वारा राईट टू रिकाल-लोकपाल` - लोकपाल को विदेशी कंपनियों के एजेंट बनने से रोकने के लिए जरूरी है `भ्रष्ट लोकपाल को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार`

`जनता द्वारा राईट टू रिकाल-लोकपाल` - जनलोकपाल को विदेशी कंपनियों के एजेंट बनने से रोकने के लिए जरूरी है `भ्रष्ट लोकपाल को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार`

स्वामी दयानद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक `सत्यार्थप्रकाश` के अध्याय 6 के पहले पन्ने में कहा है कि "राजा प्रजा-अधीन होना चाहिय और यदि राजवर्ग प्रजा-अधीन नहीं होगा , तो जैसे माँसाहारी पशु दूसरे छोटे पशुओं को खा जाते हैं, उसी तरह राजवर्ग नागरिकों को लूट लेगा और देश को बरबाद कर देगा " |

यहाँ `राजवर्ग` का अर्थ प्रशासन करने वाले , यानी मंत्री,जज और अफसर हैं | और `अधीन` का अर्थ मंत्रियों, जजों और अफसरों को बदलना/सज़ा देना है |

ये लोकपाल के लिए भी लागू होता है | यदि लोकपाल प्रजाधीन नहीं है, तब लोकपाल धन-लोकपाल हो जायेगा, यानी रिश्वत लेकर भ्रष्ट हो जायेगा | विदेशी कंपनियों से रिश्वत लेकर विदेशी बैंक में पैसा रखेगा, और उसे कभी भी सज़ा नहीं होगी क्योंकि विदेशी बैंक, बैंक खाते के रिकोर्ड नहीं देते और कोई सबूत नहीं होगा लोकपाल के खिलाफ | इसके बावजूद, अन्ना और `इंडिया अगेंस्ट कोर्रुप्शन ` के सबसे बड़े नेताओं का अभी तक कोई आशावादी जवाब नहीं आया है `प्रजा अधीन-लोकपाल` और पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम) के खंड/धाराओं पर |

32.1 माननीय अन्ना जी, कृपया पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड/धारा और राइट टू रिकॉल लोकपाल खंड/धारा को जनलोकपाल बिल में जोड़े

वंदे मातरम |

मैं अन्ना जी से निवेदन करता हूँ की वे इन खंडों को सम्मिलित करें क्योंकी वे सरकार के द्वारा नियुक्त लोकपाल ड्राफ्ट समिति के सदस्य थे और सरकार से बातचीत कर रहे हैं (अगस्त 24,2011 की तारीख को) । मेरे विचार से, इन खण्डों से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोकपाल के भ्रष्ट और तानाशाही होने की सम्भावना को कम करेगी ।अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न (**FAQs**) इन प्रस्तावित ड्राफ्ट पर www.righttorecall.info/004.h.pdf में दिए गए हैं |

इस लेख्य पत्र को लोकपाल परामर्श वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है जिसका सिरिअल नम्बर है- #A247LB I यदि आपको सुझाव अच्छे लगे जो यहाँ दिए गए हैं, अच्छे लगें , तो कृपया इसे (#A247LB) अन्नाजी को भेजिए |

1) मैं सबसे निवेदन करता हूँ की निम्नलिखित सन्देश को लोकपाल परामर्श साईट पर पोस्ट करे या अन्नाजी को पोस्टकार्ड लिखें-

माननीय अन्नाजी,

मेरी 3 विनती है आपसे -

1. कृपया नागरिकों को देखने दीजिए जो सुझाव दिए जा रहा हैं, ड्राफ्ट कमिटी के वेबसाइट पर और उन सुझावों पर अन्य लोगों अपने कमेन्ट डाल सकें , ऐसी व्यवस्था करें |

2. कृपया वे खंड/धारा जोड़े लोकपाल बिल में ,जिससे यह सुनिश्चित हो कि नागरिक एक एफिडेविट लोकपाल के वेबसाइट पर रख सकें और अन्य नागरिक अपना नाम उसके साथ जोड़ सकें, उस एफिडेविट का समर्थन करने के लिए ।

3. कृपया राइट टू रिकॉल खंड/धारा को आज ही जोड़े ,अगले जन्म में नहीं I बिना राइट टू रिकॉल जन लोकपाल संभव है कि वो धन लोकपाल बन जाएगा I नागरिकों कों 10 लोकपाल सदस्य और एक लोकपाल अध्यक्ष में से एक को के द्वारा बदलने का अधिकार हो I

नमस्कार, ____________________________(अपना नाम)

32.2 तीन पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड/धारा

निम्नलिखित खंड/धारा जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित हैं लोकपाल बिल में, शिकायत/सुझाव प्रणाली में पारदर्शिता देने के लिए |

धारा-NN : पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड/धारा

खंड/धारा # -(अधिकारी जिसके लिए निर्देश है)

प्रक्रिया/पद्धति

खंड/धारा 1- (कलेक्टर(या उसके द्वारा नियुक्त कार्यकारी मेजिस्ट्रेट) को निर्देश)

राष्ट्रपति के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि : यदि कोई दलित वोटर या वरिष्ठ वोटर या गरीब वोटर या किसान वोटर या अन्य नागरिक वोटर उनके जिला में यदि कोई शिकायत देना चाहता है लोकपाल को ,तो वह कलेक्टर (या उसके द्वारा नियुक्त कार्यकारी मेजिस्ट्रेट) को शिकायत वेबसाइट पर रखने की विनती करेगा| कलेक्टर या उसका द्वारा नियुक्त कार्यकारी

मेजिस्ट्रेट एक सीरियल नंबर/क्रमांक संख्या देकर वह एफिडेविट लोकपाल के वेबसाइट पर रखेगा रु. 20 प्रति पन्ना लेकर । एफिडेविट को कार्यकारी मेजिस्ट्रेट के मुहर लगाने से पहले ही तैयार कर लेना पड़ेगा जो की रु. 20 में लिया जाएगा और दो साक्षी द्वारा हस्ताक्षर किये गए हों । शिकायत करने वाला और दोनों साक्षीयो के पास मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है ।

खंड/धारा 2- (तलाटी/पटवारी/गांव के अधिकारी/लेखपाल (या उसका क्लर्क) को निर्देश)

राष्ट्रपति पटवारी को यह आदेश देता है की :

(2.1) यदि कोई दलित वोटर या वरिष्ठ वोटर या गरीब वोटर या किसान वोटर या अन्य नागरिक वोटर अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ आता है और स्पष्ट रूप से किसी शिकायत ,जो लोकपाल के वेबसाइट पर दर्ज है ,पर अपना हाँ/ना करवाना चाहता है, तो पटवारी उसका हाँ/ना दर्ज करेगा लोकपाल के वेबसाइट पर ,उस नागरिक के मतदान पहचान पत्र/वोटर ID के साथ और उससे 3 रुपये की फी/शुल्क लेकर रसीद देगा ।

(2.2) नागरिक अपने हाँ/ना को बदल भी सकता है पटवारी को रु. 3 की फी देकर ।

(2.3) `गरीबी के नीचे रेखा`(बी.पी.एल) कार्ड धारक के लिए यह फी/शुल्क रु 1. होगी ।

खंड/धारा 3-(प्रत्येक नागरिक, लोकपाल)

यह खंड/धारा केवल पारदर्शी शिकायत प्रणाली के लिए ही है ।यह मतसंग्रह-/रेफेरेंडम नहीं है । हाँ/ना लोकपाल इत्यादि पर बंधनकारी/बाध्य नहीं है । यदि "एक निश्चित संख्या" से ज्यादा महिला वोटर, दलित वोटर ,वरिष्ठ नागरिक वोटर, गरीब वोटर, किसान वोटर या अन्य नागरिक वोटर `हाँ` दर्ज करवाते हैं किसी दी गयी एफिडेविट पर ,तो लोकपाल कार्यवाही कर सकता है दो महीने में या उसको ऐसा करने की जरुरत नहीं है । या तो लोकपाल इस्तीफा दे सकता है । "निश्चित संख्या" का निर्णय लोकपाल करेगा । इसमें लोकपाल का निर्णय अंतिम होगा ।और प्रत्येक नागरिक से यह ध्यान देने की विनती है कि यह प्रक्रिया/पद्धति लोकपाल चयन समिति को सुझाव देने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं ।

ये पारदर्शी शिकायत प्रणाली/सिस्टम ये सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों की शिकायत दृश्य हो और जाँची जा सके कभी भी , कहीं भी और किसी के भी द्वारा ताकि कोई नेता, कोई बाबू (लोकपाल आदि), कोई जज या मीडिया उस शिकायत को दबा नहीं सके |

ये सैक्शन सुनिश्चित करेगा कि यदि लोकपाल करोड़ों लोगों की शिकायत को नजरंदाज कर रहा है तो उसकी पोल खुल जायेगी और उसकी पोल खुल सकती है इसलिए वो करोडो की शिकायतें को नजरंदाज नहीं करेगा |

प्रश्न : *क्या कोई व्यक्ति मतदाताओं को खरीद सकता है ऊपर दिए हुए प्रक्रिया/पद्धति में ?*

उत्तर : नहीं | कृपया (2.2) देखिये ।यदि ऐसा मान लें कि कोई धनी/पैसे वाला व्यक्ती 100 रुपया देता है एक करोड नागरिकों को `हाँ` दर्ज करवाने के लिए तो खंड/धारा 2.2 के अनुसार वोटर अपने `हाँ` दर्ज किये हुए को अगले दिन बदल सकता है । अब यदि 1000 धनी व्यक्ती मिलकर अपना सारा पैसा भी खर्च करें, फिर भी वे हर नागरिक को प्रतिदिन 100 रुपया नहीं दे सकते । इसी लिए `हाँ` दर्ज करवाने के लिए किसी को खरीदना, ऊपर दिए हुए पारदर्शी शिकायत प्रणाली में संभव नहीं है ।

प्रश्न : *खंड/धारा-2 का महत्व क्या है ?*

उत्तर : लोकपाल बिल पर ध्यान दीजिए जिसमें लिखा है : लोकपाल के कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत वेबसाइट पर रखी जाएगी । अब यदि 1,00,000 नागरिकों की एक ही शिकायत है तो ? तो क्या हर कोई शिकायत की कॉपी भेजेंगे लोकपाल को ? इससे पूरी तरह लोकपाल का कार्यलय शिकायतों से भर जाएगा । और क्या होगा यदि एक करोड नागरिकों की शिकायत एक ही है लोकपाल के विरुद्ध ? तो क्या हर एक को लोकपाल के कार्यलय में व्यक्तिगत रूप से बुलाना पड़ेगा ? या कलेक्टर के कार्यलय में बुलाएं , शिकायत जमा करने के लिए ? यह क़ानून-व्यवस्था के समस्या को बढ़ावा देगा । खंड/धारा-2 समस्याओं को सरल करेगा - कुछ व्यक्ती अपने शिकायत को जमा करेंगे और बाकि सभी तलाटी के कार्यलय जाकर अपना नाम शांतिपूर्वक जोड़ देंगे ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर के लिए कृपया www.righttorecall.info/004.h.pdf देखें|

32.3 राइट टू रिकॉल खंड/धारा --- दस में से एक लोकपाल को बदलने का अधिकार नागरिकों को होना चाहिए

मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री/कंपनी है जिसमें 100 कर्मचारी हैं और सरकार एक कानून बनाती है की आप किसी भी कर्मचरी को ना ही निकाल सकते और ना नहीं निलंबित कर सकता हैं अगले 5 से 25 वर्षों तक उच्च न्यायलय/सुप्रीम-कोर्ट के बिना सहमति लिए हुए । तब अनुशासनहीनता बढ़ेगी या कम होगी ? हम नागरिक 10 लोकपाल को नियुक्त कर रहे हैं और जनलोकपाल ड्राफ्ट यह कहता है की हम नागरिक उन 10 में से 1 लोकपाल को भी नहींनिकाल सकते हैं बिना उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश की अनुमति के बिना !!

तो मेरा यह सुझाव है की कम से कम 10 में से 1 लोकपाल नागरिकों द्वारा हटाने/बदलने का अधिकार होना चाहिए यदि सभी 10 को न बुलाया जा सके । `सिविल सोसाइटी` में से अधिकतर यह विश्वास करते हैं कि हम आम नागरिक किसी बेईमान को ही

नियुक्त करेंगे । पहले तो ऐसा है नहीं,लेकिन यदि उनकी बात मानें तो भी 10 में से 1 ही बेईमान होगा । बाकि बचे हुए लोकपाल नियुक्त किये जाएँगे `खोज और चयन समिति` के द्वारा और इसी लिए वो सभी ईमानदार होंगे । तो केवल एक बेईमान लोकपाल अधिक हानि नहीं पहुंचा सकता । तो 10 में से 1 के ऊपर राइट टू रिकॉल/`भ्रष्ट कों बदलने का आम नागरिकों का अधिकार` का विरोध क्यों है ?

धारा-NN : नागरिक का लोकपाल को बदलने/निकालने/ख़ारिज करने/रखने का अधिकार (नागरिक का राईट टू रिकाल/रिजेक्ट/रिटेन लोकपाल सदस्य)

खंड/धारा #-(अफसर जिसके लिए निर्देश)

प्रक्रिया/पद्धति

खंड/धारा 1-

नागरिक शब्द का अर्थ होगा रजिस्ट्रीकृत मतदाता/रजिस्टर्ड वोटर । यह पद्धति लागू होगी लोकपाल के केवल एक सदस्य के ऊपर जिसे **`नागरिक द्वारा नियुक्त/रखा गया लोकपाल सदस्य`** भी कहा जाता है । शुरुवात में वह नियुक्त किया जएगा लोकपाल चयन समिति द्वारा । इस धारा में "कर सकता है" का मतलब " कर सकता है या करने की जरुरत नहीं है " है और इसका मतलब किसी प्रकार से बाध्य/बंधनकारी नहीं है |

खंड/धारा 2-(कलेक्टर को निर्देश)

राष्ट्रपति कलेक्टर को यह निर्देश देता है की यदि कोई भरतीय नागरिक जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो और वह लोकपाल समिति/कमिटी में `नागरिकों द्वारा नियुक्त/रखा गया लोकपाल सदस्य` बन्ने की इच्छा रखता है और वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में स्वयं/खुद आता है, जिला कलेक्टर उस उम्मीदवार को स्वीकार करेगा लोकपाल का सदस्य के लिए, सांसद चुनाव के जमा राशि जितनी राशि जमा करने के बाद । कलेक्टर उसके नाम और क्रमांक संख्या/सीरियल नंबर लोकपाल के वेबसाइट पर रखेगा | कोई भी चिन्ह नहीं दिया जायेगा |

खंड/धारा 3-(तलाटी या पटवारी या लेखपालको निर्देश)

यदि किसी जिले का कोई नागरिक , अपने नजदीक के तलाटी के कार्यालय जाकर 3 रुपये का शुल्क/फी देकर और किसी भी 5 व्यक्ति को `नागरिक द्वारा रखे गए/नियुक्त लोकपाल सदस्य` के लिए पसंद/अनुमोदन दे सकता है, तलाटी उसके अनुमोदन को कम्पुटर पर रखेगा और उसे एक रसीद देगा जिसमें समय/दिनांक और व्यक्ती की भी पसंद/अनुमोदन लिखी होगी ।` गरीबी रेखा से नीचे` (बी पी एल) राशन कार्ड वाले के लिए शुल्क/फी रु. 1 होगा ।

खंड/धारा 4-(पटवारी को निर्देश)

पटवारी या तलाटी लोकपाल के वेबसाइट में नागरिको की पसंद/अनुमोदन को रखेगा नागरिको के मतदान-पत्र संख्या के साथ ।

खंड/धारा 5-(पटवारी को निर्देश)

चुनाव कमिटी/समिति 10 लोकपाल नियुक्त करेंगे और ऊपर दिए हुए प्रस्ताव को जोड़कर 10 में से किसी 1 लोकपाल को नागरिकों द्वारा बदला जा सकता है । और ऐसी ही एक प्रक्रिया/पद्धति है जिसमे नागरिक `ना` रजिस्टर दर्ज करके `राइट टू रिजेक्ट` लोकपाल की तरह भी उसे प्रयोग कर सकते हैं|

खंड/धारा 6-(लोकपाल को निर्देश)

प्रत्येक महीने की 5 वीं तारीख को लोकपाल अध्यक्ष पिछले महीने के आखरी दिन तक के अनुमोदन/पसंद को वेबसाइट पर रखेगा ।

खंड/धारा 7-(लोकपाल चयन समिति को निर्देश)

यदि कोई उम्मीदवार को 24 करोड से अधिक अनुमोदन/पसंद मिले और वो वर्त्तमान `नागरिकों द्वारा रखा गया/नियुक्त लोकपाल सदस्य` के अनुमोदन से एक करोड़ भी ज्यादा है ,तब लोकपाल चयन समिति वर्तमान `नागरिकों द्वारा रखे गए/नियुक्त लोकपाल सदस्य` को इस्तिफा देने के लिए कह सकता है और सबसे द्वारा अनुमोदन प्राप्त उम्मीदवार को लोकपाल का `नागरिकों द्वारा रखे गए/नियुक्त लोकपाल सदस्य` बनाएगा । लोकपाल चयन समिति 24 करोड की सीमा रेखा को कम या बढ़ा सकता है 12 करोड और 36 करोड के बीच |

खंड/धारा 8-(`नागरिक द्वारा रखे गए लोकपाल सदस्य` को बनाये रखने का अधिकार)

नागरिक यह प्रक्रिया/पद्धति का प्रयोग किसी `नागरिक द्वारा रखे गए लोकपाल सदस्य` को बनाये रखने के लिए या वापस लाने के लिए, यदि कोई `नागरिक द्वारा रखे गए लोकपाल सदस्य` को निकाल दिया गया था परन्तु नागरिक उसे पद पर बनाये रखना चाहते हैं । अतः यह खंड/धारा `**लोकपाल को बनाये रखने का अधिकार`(राईट टू रिटेन)** के लिए भी निर्दिष्ट किया जाता है/जाना जायेगा ।

खंड/धारा 9-(लोकपाल को ख़ारिज करने का अधिकार**(राईट टू रिजेक्ट)**)

यदि कोई नागरिक पटवारी के दफ्तर जाकर और किसी लोकपाल के कमिटी/समिति के सदस्य जो नागरिकों द्वारा रखा गया है ,का नाम लेकर उसके विरोध में `ना` दर्ज करवाना चाहे तो पटवारी उसका नाम दर्ज करेगा, मतदाता संख्या/नंबर और उम्मीदवार की संख्या/नंबर और 3 रुपया का शुल्क/ फी लेकर उसे रसीद देगा । और यदि 24 करोड नागरिक उस `नागरिकों द्वारा

रखा गया लोकपाल सदस्य` के ऊपर `ना` दर्ज करवाते हैं, तो लोकपाल चयन समिति उसे लोकपाल सदस्य समिति से इस्तीफा देने के लिए विनती कर सकती है ।

खंड/धारा 10-(कलेक्टर को निर्देश)

यदि कोई नागरिक इस कानून में बदलाव करना चाहे, तो वे अपना एफिडेविट जिला कलेक्टर के दफ्तर पर जमा करेगा और जिला कलेक्टर या उसके क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रुपये प्रति पन्ना का शुल्क/ फी लेकर लोकपाल के वेबसाइट पर रखेगा |

खंड/धारा 11-(तलाटी या पटवारी को निर्देश)

यदि कोई नागरिक इस कानून या इसके किसी खंड/धारा के विरोध दर्ज करवाना चाहे या किसी ऊपर दिए हुए खंड/धारा के द्वारा गए किसी जमा किये हुए एफिडेविट पर अपना हाँ/ना दर्ज करवाना चाहे तो वह तलाटी के दफ्तर जाकर ,अपने मतदान पत्र लेकर, तलाटी को 3 रुपये का शुल्क/ फी देना पड़ेगा | तलाटी हाँ/ना को लोकपाल के वेबसाइट पर दर्ज करेगा और उसे रसीद देगा |

***प्रश्न :** क्या कोई व्यक्ती मतदाताओं को खरीद सकता है ऊपर दिए हुए प्रक्रिया/पद्धति में ?*

उत्तर : नहीं | क्यों? ।यदि ऐसा मान लें कि कोई धनी/पैसे वाला व्यक्ती 100 रुपया देता है एक करोड नागरिकों को `हाँ` दर्ज करवाने के लिए तो खंड/धारा 5 के अनुसार वोटर अपने `हाँ` दर्ज किये हुए को अगले दिन बदल सकता है । अब यदि 1000 धनी व्यक्ती मिलकर अपना सारा पैसा भी खर्च करें, फिर भी वे हर नागरिक को प्रतिदिन 100 रुपया नहीं दे सकते । इसी लिए `हाँ` दर्ज करवाने के लिए किसी को खरीदना, ऊपर दिए हुए राईट टू रिकाल/`भ्रष्ट कों नागरिकों द्वारा बदले जाने का अधिकार`में संभव नहीं है ।

प्रश्न : क्या करोडो नागरिक एक लोकपल उम्मीदवार कों पसंद करेंगे/अनुमोदन देंगे ?

उत्तर : निर्भर करता है कि लोकपाल कितने बुरे हैं और अच्छे विकल्प कितने हैं ।कुछ 60% से 75% नागरिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट देते हैं बावजूद इसके कि उनके सामने जो विकल्प होते हैं, उनसे कोई नागरिकों कों कोई आशा नहीं होती ।इससे यह पता चलता है कि नागरिक बदलाव करने के लिए पहल जरूर करते हैं ।यदि विकल्प में उम्मीदवार होनहार/आशाजनक हैं, और यदि लोकपाल भ्रष्ट है तो नागरिक बदलाव करने के लिए पहल करेंगे ।

प्रश्न : राइट टू रिकॉल जैसे कानून को अमरीका जैसे शिक्षित देश में ही सिमित रखना चाहिए न की भारत जैसे अनपढ़ देश में

उत्तर : अमरीका के पास अच्छी शिक्षा है क्योंकि वहाँ के नागरिकों के पास उनके जिला शिक्षा अधिकारी पर राइट टू रिकॉल है !! पर हमारे पास जिला शिक्षा अधिकारी पर राइट टू रिकॉल नहीं है और इसी कारण भ्रष्ट शिक्षा, शिक्षा के ऊपर खर्च होने वाले राशि को गायब कर देता है इसिलए अधिकतर नागरिक अशिक्षित रह जाते हैं। जब अमेरिका में राईट तो रिकाल आया था, वहाँ शिक्षित लोग बहुत कम थे |

राईट टू रिकाल और पारदर्शी शिकायत प्रणाली पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए www.righttorecall.info/004.h.pdf देखें |

32.4 पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली के खंड/धारा पर अधिक जानकारी

वर्ष 2004 में मैंने अनेक कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया कि हमें पारदर्शी शिकायत प्रणाली को भी उस समय के प्रस्तावित `सूचना के अधिकार अधिनियम(आर.टी.आई)` में जोड़ना चाहिए। अन्य शब्दों में, `सूचना के अधिकार` में एक खंड/धारा जोड़ीं जाये कि यदि कोई व्यक्ति/आवेदनकर्ता चाहता है कि उसकी शिकायत कोई सार्वजनिक वेबसाइट(जैसे प्रधान-मंत्री/लोकपाल की वेबसाइट) पर आये और जागरूक नागरिक अपना नाम तलाटी/पटवारी/लेखपाल के दफ्तर जाकर जोड़े।मुझे यह उत्तर मिला की अभी के लिए `सूचना के अधिकार अधिनियम(आर.टी.आई)` बिना पारदर्शी शिकायत प्रणाली के रखेंगे और इसे हम बाद में जोड़ देंगे। 6 वर्ष बीत चुके है लेकिन वो `बाद` हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। तो इस समय मैं सभी नागरिकों से विनती करता हूँ कि सुनिश्चित करें कि यह खंड/धारा 15 अगस्त के पहले तक जोड़ दिया जाए ना की बाद में | मैं पुनः विनती करता हूँ की आप सभी मेरे खंड/धारा का समर्थन न करे लेकिन 15 अगस्त के निश्चित समय के पहले कोई बेहतर खंड/धारा अवश्य लायें। मै विरोध करता हूँ ये तर्क का कि `प्रक्रियात्मक विवरण/जानकारी को अगले जन्म में आना चाहिए। मेरे विचार से सभी प्रक्रियात्मक विवरण/जानकारी 15 अगस्त के निर्धारित समय से पहले निश्चित कर लिए जाए।

लोकपाल बिल कहता है नागरिक अपने सुझावों को `खोज और चयन समितियों` में भेज सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई भी प्रक्रिया/पद्धति नहीं दी गयी है। मान लीजिए 1 लाख या 50 लाख या 20 करोड नागरिक अपने सुझाव भेजना चाहते हैं। सुझाव ई-मेल के द्वारा भेजना सही विकल्प नहीं होगा क्योंकी अनेक व्यक्ती हजारों जाली ई-मेल भेज सकते है। चिठ्ठियाँ भेजना भी सही विकल्प नहीं होगा क्यूंकि `खोज और चयन समितियों` के पास इतना समय नहीं है की वह 1 लाख चिठ्ठियों को खोले और पढ़े |और चिठ्ठियों को नष्ट भी किया जा सकता है, `खोज और चयन समितियों` में पहुँचने के पहले | यदि `खोज और चयन समितियां` भ्रष्ट हों ,तो वे यह कह सकते हैं कि उन्हें किसी भी तरह के सुझाव नहीं मिली हैं | तो ये

हमारा प्रस्ताव है की नागरिक एक एफिडेविट (अपनी सुझाव के साथ) जमा कर सकता है कलेक्टर के दफ्तर में और कलेक्टर उसे स्कैन करके लोकपाल की वेबसाइट पर रखेगा | यह सबसे अच्छा रास्ता है जो मैं सोच सकता हूँ , हालाँकि यदि कोई इससे अच्छी प्रक्रिया/पद्धति जनता है तो मैं उससे विनती करता हूँ की वह 15 अगस्त निर्धारित समय से पहले सबके सामने रखे, न कि अगले जन्म की प्रतीक्षा करे ।

इस प्रस्ताव की दूसरी खंड/धारा यह है की नागरिक को यह अनुमति दी जाए कि कलेक्टर के दफ्तर में जमा कोई भी शिकायत पर अपने हाँ/ना को दर्ज कर सके ,तलाटी के दफ्तर जाकर | यह तब उपयोगी है जब हजारों, लाखों या करोड़ों नागरिकों की एक ही शिकायत है । वह सभी को एक सी शिकायत भेजने की जरुरत नहीं पड़ेगी । खंड/धारा 2 के हटने से केवल सिस्टम और देश को नुकसान हो जाएगा ।

32.5 राइट टू रिकॉल लोकपाल, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल न्यायधीश इत्यादि पर अधिक जानकारी

राइट टू रिकॉल/प्रजा अधीन राजा/`भ्रष्ट को निकालने का अधिकार` कोई विदेशी विचार नहीं है । सत्यार्थ प्रकाश कहता है की राजा को प्रजा के अधीन होना ही चाहिए अन्यथा वह नागरिकों को लूट लेगा और और इस तरह देश का नाश हो जाएगा | दयानंद सरस्वती जी ने यह श्लोक अथर्ववेद से लिए हैं | तो राइट टू रिकॉल/प्रजा अधीन राजा कोई अमरीकी या विदेशी विचार नहीं है ,यह सम्पूर्ण भारतिय है ।

अमरीका में नागरिकों के पास पुलसी कमिश्नर को निकलने का अधिकार है और यही एक मात्र कारण है की अमरीका के पोलिस में भ्रष्टाचार कम है इसी तरह अमरीका के नागरिकों के पास उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश और जिला न्यायधीशों को भी निकलने का अधिकार है |यही कारण है की कार्यवाही बहुत तेज होती है और अमेरिका के निचली अदालतों में भ्रष्टाचार बहुत कम है । अमरीका के नागरिकों के पास राज्यपाल, विधायक, जिला शिक्षा अधिकारी , मेयेर/महापौर, जिला/राज्य सरकारी दंडाधिकारी इत्यादि पर राइट टू रिकॉल है । यह ध्यान दें कि अमरीका में कोई भी लोकपाल (ओम्बुड्समेन/ प्रशासनिक शिकायत जाँच अधिकारी) नहीं है इसके बावजूद अमरीका के राज्य/जिलों में अधिकतर विभागों में भ्रष्टाचार कम है क्योकि अधिकतर राज्य/जिलो में राइट टू रिकॉल/`भ्रष्ट कों बदलने का अधिकार` है । वही अमरीका में केंद्र के मंत्रियों(सीनेटरों) और केन्द्र के अधिकारियो में भ्रष्टाचार अधिक मात्रा में है क्योंकि केंद्र के मंत्रियों और केन्द्र के अधिकारियो पर राइट टू रिकॉल नहीं है ।

वर्ष 2004 में मैंने सुझाव दिया था कि हमें `राइट टू रिकॉल-सूचना अधिकार कमिश्नर(भ्रष्ट सूचना अधिकार कमिश्नर कों बदलने का नागरिकों का अधिकार)` के खंड/धारा `सूचना अधिकार अधिनियम(आर.टी.आई)` में लाया जाए अन्यथा ज्यादातर सूचना अधिकार

कमिश्नर भ्रष्ट और बेकार/अयोग्य हो जाएँगे और सूचना अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई) के आवेदकों(उपयोग करने वाले) कों यहाँ-वहाँ भटकते ही रहना पड़ेगा जानकारी प्राप्त करने के लिए । लेकिन पुनः मुझे यह उत्तर मिला की हम एकता पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए हम सूचना अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई) को बिना राइट टू रिकॉल के समर्थन करते हैं और अभी हम सूचना अधिकार कमिश्नर पर राइट टू रिकॉल का विरोध करते हैं हम सूचना-अधिकार कमिश्नर पर राइट टू रिकॉल बाद में लायेंगे ।यह बाद क्या है ? अगले जन्म में ? मेरे विचार से इस बार हमें यह मांग करनी होगी कि लोकपाल में राइट टू रिकॉल की खंड/धारा का ड्राफ्ट 15 अगस्त के पहले जुड जाना चाहिए । मै यह नहीं निवेदन/प्रार्थना करता हूँ कि मेरे राईट टू रिकाल-लोकपाल का ही समर्थन करें, मै यह विनती करता हूँ की आप इससे भी अच्छा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कोशिश करें ।

कुछ व्यक्तियों ने जोर दिया है की वे राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं पर वे लोकपाल में राइट टू रिकॉल लाने की चर्चा का भी विरोध करते हैं इस जन्म में ।वे यह बात पर जोर डालते हैं कि राइट टू रिकॉल ,सरपंच से शुरू होकर ऊपर की ओर जाना चाहिए | मुझे आश्चर्य है कि क्यों वे राइट टू रिकॉल लोकपाल पर नहीं लाना चाहते हैं वे कहते है कि यह पहले गांव और फिर तहसील और फिर जिला और फिर राज्य ,तब राष्ट्र स्तर पर लागू होना चाहिए । क्यों सर्वप्रथम केंद्र के लोकपाल पर नहीं मांग करते ?

उनका कहना कि राइट टू रिकॉल, सरपंच के स्तर पर ही होना चाहिए ना की केन्द्र/राज्य स्तर पर, यह तो ऐसा कहना हुआ की "एक रुपये का सिक्का लो और 100 रुपये , 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को भूल जाओ " और यह भी कहना है कि राइट टू रिकॉल आज से ही सरपंच पर ही होना चाहिए और राइट टू रिकॉल लोकपाल, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल न्यायधीश पर बाद में लागू होना चाहिए | बाद में का अर्थ अगले जन्म भी हो सकता है |

राइट टू रिकॉल की अनुपस्थिति/गैर-हाजिरी में एक व्यक्ती जो पद में है , भ्रष्ट होकर सारी सीमाएं पार कर जाता है । उदाहरण के लिए , **हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायलय के मुख्य न्यायधीश (सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज) खरे ने एक स्विट्ज़रलैंड के अरबपति व्यक्ती को जिसने 38 वर्षीय बच्चियो का बलात्कार किया था और इसे वीडियो टेप किया था ,उसी निर्दयी व्यक्ती को जमानत दे दी थी ।** माननीय जज खरे ने वीडियो टेप होने के बावजूद उस अरबपति को जमानत दे दी जब कि निचली अदालत ने उसे अपराधी घोषित किया था । इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज के ऊपर राइट टू रिकॉल न होने के कारण का फल है । इसी तरह यदि नागरिकों के पास लोकपाल को निकलने/बदलने का अधिकार ना हो तो वह भी माननीय सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज की तरह भ्रष्ट/भाई-भतीजावाद वाला हो जाएगा ।

अभी, `सिविल सोसाइटी` के कमिटी के सदस्य अभी पद में हैं और यह स्थिति में हैं कि वे पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम) और राइट टू रिकॉल-लोकपाल खंड/धारा को लोकपाल ड्राफ्ट

में जोड़ सकते हैं । वह 5 मंत्री इस बात को स्वीकार कर या नहीं भी कर सकते है - यह एक अलग बात है । लेकिन यदि `सिविल सोसाइटी` के सदस्य खुद पारदर्शी शिकायत प्रणाली/ राइट टू रिकॉल-लोकपाल को 15 अगस्त के पहले जोड़ने का विरोध करेंगे, यह पूरी तरह दर्शाता है की राइट टू रिकॉल लाने की इनकी कोई मंशा नहीं है | मैं यह आशा करता हूँ की ऐसी बात न हो

जय हिंद |

32.6 लोकपाल बोल सकता है तुमने :शिकायत कभी नहीं भेजी |

हमने से कई लोगों ने ये देखा है कि सूचना अधिकार के लिए हम को एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है और सुचना अधिकार का कमिश्नर तारीख पर तारीख देता रहता है | अभी जनलोकपाल ड्राफ्ट कहता है कि परिणाम एक साल में आ जाएँगे | लेकिन ड्राफ्ट में, लोकपाल के खिलाफ कोई भी सज़ा नहीं बताई गयी , यदि लोकपाल मामले को सुलझाने के लिए 10 साल भी लगाता है | तो फिर, यदि हमारे लोकपाल ,हमारे प्रिय सूचना अधिकार के कमिश्नर जैसे ही हों , तो वे तारीख पर तारीख दे सकते हैं और सालों बिता सकते हैं | इसको रोकने के लिए कोई खंड हैं क्या?

पहले , हम शिकायत करने के जनलोकपाल में दिए गए तरीके से शुरू करते हैं | उसमें लोकपाल को लिखित भेजनी होगी| मान लें कि आपने पचास पन्नों का पत्र रेजिस्ट्री से भेजा है , जिसमें शिकायत की अधिक जानकारी है | यदि लोकपाल शरद पवार जितना ईमानदार है ,तो फिर वो पहले 10 पन्ने निकाल देगा और तीन महीनों बाद, एक पत्र लिखेगा आपको कि “आपने पूरी शिकायत नहीं भेजी” |

इस तरह से ये एक चाल/तरीका है जिसके द्वारा लोकपाल या लोकपाल का कोई भ्रष्ट कर्मचारी आप के साथ खेल सकता है , वो है कि “ ये आप की गलती है- आपने पूरी शिकायत नहीं भेजी” और फिर वो आप पर जुर्माना भी डाल सकता है , उसी तरह जैसे जज , जन-हित याचिका दायर करने वालों पर जुर्माना डालते हैं |

32.7 प्रस्तावित प्रजा अधीन-राजा के खंड को और अच्छे से समझना चाहूँगा -

प्रस्तावित प्रजा अधीन-लोकपाल के खंड जनलोकपाल के किसी भी खण्डों को समाप्त नहीं करेगा , यानी कि ये खंड सिर्फ जनलोकपाल या सरकारी लोकपाल के साथ जोड़े जाएँगे और

जनलोकपाल या सरकारी ड्राफ्ट में से कुछ भी घटाया नहीं जायेगा | अब 24 करोड़ नागरिक कैसे निर्णय करेंगे कि कोई लोकपाल अच्छा है या नहीं इस पर निर्णय करता है कि आज का (वर्त्तमान) लोकपाल कितना अच्छा या बुरा है |

यदि आज का लोकपाल अच्छा है (या बुरा है ,लेकिन बुरा एक सीमा में है) , तो नागरिक कोई ध्यान नहीं देंगे | लेकिन यदि वर्त्तमान लोकपाल बहुत बुरा है, तो वो दूसरे लोकपाल के लिए देखेंगे/ढूंढेंगे | और इस प्रक्रिया/तरीके में पांच लोगों को स्वीकृति/समर्थन दे सकते हैं, इसीलिए एक अच्छे उम्मीदवार को समर्थन देने से दूसरे अच्छे उम्मीदवार को भी समर्थन दिया जा सकता है, ये कृपया ध्यान दीजिए |

और असल में , मुद्दा क्या है ? यदि नागरिकों के पास कोई व्यक्ति के लिए आम सहमति नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा और बदलाव नहीं होगा | ये तो प्राकृतिक है | मुद्दा ये है कि क्या यदि नागरिकों कि कोई आम सहमति हो तो ? उदाहरण के लिए हम लोग अलग-अलग हैं लेकिन बहुत लोग `नरेंद्र मोदी ` को पसंद करते हैं | तो मेरे अनुसार आम सहमति हमेशा गायब नहीं रहेगी | और यदि आम सहमति है , तो क्या कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं आने देना चाहिए ?

और कृपया अपना मन बनाएँ | एक तरफ कहते हैं --- अमीर आम सहमति बना कर मतदाताओं को खरीद लेंगे और अगले पल, हम सुनते हैं कि कोई आम सहमति नहीं होगी | जहाँ तक मैं सोचता हूँ , अमीर आदमी मतों को खरीद नहीं पाएंगे प्रस्तावित प्रजा अधीन-लोकपाल/राईट टू-लोकपाल की प्रक्रिया में, क्योंकि मतदातों को अपने मत/स्वीकृति रद्द करने की छूट है | इसलिए अमीर व्यक्ति को रोज 100 रुपये देना होगा करोड़ों लोगों को , जो संभव नहीं है ,यदि भारत के सारे अमीर भी एक साथ अपना पैसा लगाएं तो | तो पैसे से मतदातों को खरीदना प्रश्न से बाहर है |

इसी तरह , गुंडों और मीडिया द्वारा भी मतदाताओं को खरीदना संभव नहीं है क्योंकि गुंडे पालने के लिए भी पैसे लगते हैं और कोई महीनों के लिए इतने गुंडे नहीं रख सकता कि करोड़ों मतदातों को प्रभावित कर सके | और ये प्रक्रियाएँ आने पर मीडिया का `पैसे लेकर समाचार देना` बंद हो जायेगा क्योंकि पारदर्शी शिकायत प्रणाली (सिस्टम) खुद एक मीडिया होगा क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी देगा जो कोई भी जांच सकता है , जो मीडिया नहीं देता |

<u>प्रश्न-</u> नागरिक लोकपाल के उम्मीदवार के बारे में कैसे जानेंगे ?

इन प्रस्तावित तरीकों में से एक तरीका है पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली, जिसके द्वारा जो भी जानकारी मिलेगी , उसको नागरिक खुद जांच कर सकता है क्योंकि हर अर्जी देने वाले को और अर्जी का समर्थन/विरोध करने वाले को अंगुली की छाप, वोटर आई.डी. , फोटो आदि द्वारा अपनी जाँच करवानी होगी और ये सब वेबसाइट पर आ जायेगी , जो कभी भी कोई आम-नागरिक देख और जांच कर सकता है |

यदि कोई उम्मीदवार ने समाज के लिए बुरा काम किया है, तो उसके खिलाफ ज्यादा

शिकायत करने वाले और समर्थक होंगे और यदि किसी उम्मीदवार ने कोई अच्छा कम किया है समाज के लिए तो उसके लिए लोग अर्जी में अच्छी बातें लिखेंगे और दूसरे इसका समर्थन कर सकते हैं |

32.8 कैसे जनलोकपाल भारत को कमजोर बना सकता है और भारत को विदेशी कंपनियों का गुलाम बनने में मदद कर सकती है

बहुत कम भारत के नागरिकों को ये सच्चाई समझ आई है - कि भ्रष्टाचार से दस गुना भारत में हो रहा है| क्या ? हमारी खेती, हथियार बनाने का सामर्थ्य/क्षमता और गणित/विज्ञानं की शिक्षा दिन बार दिन कमजोर हो रही है | ये इसीलिए क्योंकि विदेशी कम्पनियाँ, केंद्र और राज्य में हमारे मंत्रियों, बाबूओं को रिश्वत दे रही हैं , हमारी खेती, हथियार बनाने की ताकत और गणित/विज्ञान की शिक्षा को कमजोर बनाने के लिए | और जनलोकपाल इस स्थिति को और खराब बना सकती है | कैसे ?

लोकपाल चुनाव समिति में कोई 10-12 लोग हैं, जो बहू-राष्ट्रीय/विदेशी कम्पनियाँ आसानी से खरीद सकती हैं या धमकी दे सकती हैं , राडिया जैसे दलाल/बिचौलियों द्वारा | और इस तरह विदेशी कम्पनिय ये पक्का कर सकते हैं की विदेशी कंपनियों के एजेंट , साफ़-सुथरी छवि/नाम के साथ, लोकपाल बनें | इन लोकपाल के एजेंटों के साथ , विदेशी कंपनियां निचले स्तर के भ्रष्टाचार (कलेक्टर के स्तर के नीचे) को दबाएंगे, क्योंकि निचले स्तर के भ्रष्टाचार विदेशी कंपनियों को अधिक नुकसान करती हैं छोटे-माध्यम स्तर के व्यापारियों के मुकाबले | औरसाथ ही, लोकपाल खेती, हथियार बनाने की ताकत और गणित/विज्ञान शिक्षा को कमजोर बनने वाली नीतियां/तरीके को बढ़ावा देंगे , ताकि भारत और ज्यादा विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहें | विदेशी कम्पनियाँ ऐसी नीतियां को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं ? लोकपाल द्वारा बाबू, जज, मंत्रियों को परेशान करके(उनके खिलाफ झूठे मामले बनाकर) जो इन नीतियों/तरीकों का विरोध करते हैं और उन मंत्रियों, जज, बाबूओं का पक्ष/तरफदारी लेकर, जो ऐसी नितियों का समर्थन/मदद करते हैं |

(अलग से : मुझे समझाने दीजिए क्यों निचले स्तर का भ्रष्टाचार छोटे-माध्यम स्तर के व्यापारियों को फायदा करते हैं विदेशी कंपनियों के मुकाबले | मान लीजिए एक व्यक्ति दिल्ली, अहमदाबाद जैसे शहर में 5-10 होटलों का मालिक है | और एक और होटल खोलना चाहता है और स्थानीय अफसर उससे रिश्वत मांगते हैं, कहें 5 लाख की | तो वो रिश्वत दे देता है |
अब दूसरी और, एक विदेशी व्यापारी/मालिक अमेरिका में बैठा है और उसको भी एक और होटल खोलना है | मान लीजिए स्थानीय अफसरों को 5 लाख की रिश्वत चाहिए इस के लिए | अब विदेशी व्यापारी सीधे तो स्थानीय अफसर से सौदा नहीं कर सकता , इस के लिए उसे दलाल चाहिए | अब दलाल कहेंगे कि अफसर 50 लाख रिश्वत मांग रहे हैं !! विदेशी व्यापारी जो अमेरिका में बैठा है,को कोई साधन नहीं है , ये जानने का और वो 10 गुना रिश्वत देता है , उस के मुकाबले जो स्थानीय/देशी व्यापारी को देना होता है |

इसी तरह, छोटे-मध्यम व्यापारी बिक्री-कर/उत्पादन शुल्क आदि टैक्स/कर की चोरी करने में सफल हो जाता है, उस जगह भ्रष्टाचार होने के कारण, लेकिन विदेशी कम्पनियाँ 5-10 गुना ज्याद खर्चा करते हैं , क्योंकि उन्हें दलालों को बहुत हिस्सा देना पड़ता है | इसी लिए निचले स्तर की भ्रष्टाचार भारत के लिए लाभ/फायदा करेंग , केवल तभी , यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों,सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के जजों, सचिवों का भ्रष्टाचार कम हो तो | यदि मंत्रियों, जजों, आदि का भ्रष्टाचार वैसा ही रहता है और निचले स्तर का भ्रष्टाचार कम हो जाता है, तो इससे भारत देश को कोई फायदा नहीं होगा)

32.9 क्या अन्ना राईट टू रिकाल(जनलोकपाल) के बारे में गंभीर है , और क्या जनलोकपाल/लोकपाल केवल टाइम-पास है ?

मान लीजिए मेरा समय बुरा है और मैंने आपसे एक लाख रुपये उधार लिए हैं | फिर मान लीजिए के मेरा समय बदल कर अच्छा हो जाता है , और आप मेरे से पैसे वापस देने के लिए कहते हैं| मैं आप को तुरंत एक लाख का एक चेक देता हूँ , लेकिन उसपर हस्ताक्षर करना भूल जाता हूँ| आप मेरे पास पचासों बार आते हैं और याद दिलाते हैं , लेकिन हर बार मैं चेक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता हूँ और कहता हूँ कि मैंने चेक तो आपको दे दिया है और आप का सारा पैसा दे दिया है |

हर बार ,जब मैं आप को चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता हूँ, तो आप कहते हैं " क्या मैंने तुम्हें चेक नहीं दिया ?अब मुझे तरीका सम्बन्धी विवरण(जानकारी) और तकनिकी जानकारियां बता कर परेशान मत करो , आदि आदि | तो ऐसे में आप के पास , मेरे द्वारा दिया गया एक लाख का चेक है ,और उस चेक पर कोई हस्ताक्षर नहीं है !

आप उस चेक के बारे में क्या कहोगे ? आप मेरी पैसा लौटाने की नियत के बारे में क्या कहेंगे ? क्या आप मुझे ढोंगी/पाखंडी कहेंगे ?

उसी तरह अन्ना हजारे राईट टू रिकाल के ढोल इतनी जोरों से पीटता है कि बदल का गरजना भी कम पढ़ जाये | लेकिन अन्ना जी जनलोकपाल/लोकपाल ड्राफ्ट में राईट टू रिकाल-लोकपाल/प्रजा अधीन-लोकपाल के खंड डालने से मना करते हैं | बिकी हुई मीडिया (अखबार, टी.वी आदि) उनकी ये पोल नहीं खोलती है , और इसीलिए बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि अन्ना ने राईट टू रिकाल-लोकपाल के खण्डों का विरोध किया है | क्या वो अगले जन्म में ये खंड डालेंगे ? ये मुझे नहीं पता | लेकिन अभी , अन्ना ने कोई भी रूचि नहीं दिखाई है प्रजा अधीन-लोकपाल/राईट टू रिकाल-लोकपाल के खंड डालने के लिए जनलोकपाल ड्राफ्ट में | तो आप अन्ना हजारे के नियत के बारे में क्या कहते हैं ? कृपया आप ये लेख सब को बांटें |और मैं `इंडिया अगेंस्ट कर्रप्शन` के कार्यकर्ताओं से विनती करूँगा कि अन्ना इस इमानदारी से पूछें कि प्रजा अधीन-लोकपाल/राईट टू रिकाल-लोकपाल पर अपना रुख स्पष्ट/साफ़ करें मीडिया के सामने | अन्ना क्यों मीडिया को नहीं कहते कि वे राईट टू रिकाल-लोकपाल/प्रजा अधीन-लोकपाल का विरोध करते हैं , जब वो असल में राईट टू रिकाल-लोकपाल की कलमों का विरोध कर रहे हैं ?

इसी तरह अन्ना ने जनलोकपाल बिल में `पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम)` के खंड डालने से मना कर दिया है , जो एक नागरिक को कोई मौजूदा शिकायत के साथ अपना नाम जोड़ने देता है , ताकि उसकी शिकायत ना दबे कोई नेता,बाबू, जज या मीडिया द्वारा और उसे नयी शिकायत डालने के लिए उसका धन बचे | ये ही है अन्ना की गरीब व्यक्तियों के लिए हमदर्दी !!

<u>टाइम-पास जन लोकपाल बिल पर और जानकारी</u>

1. दिसम्बर-2010 में, अन्ना ने जनलोकपाल क़ानून के लिए मांग की | फरवरी-2010 तक , उन्होंने कानों की मांग की| मार्च-2010 के मध्य में, उन्होंने पलती मारी और समिति/कमीटी की मांग की !!! दूसरे शब्दों में टाइम-पास जून-जुलाई अन तक |

2. उसके बाद सांसदों ने और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने महीनो तक चर्चा की| अब , अन्ना कहते हैं कि वे दोबारा अनशन करेंगे यदि उनकी मांगें पूरी नैन हुई अगस्त-15 तक |

आशा करते हैं कि उनकी मांगें पूरी हो जायें |

3. फिर बिल में लिखा है कि वो 4 महीनों बाद लागू होगा पारित होने के बाद !! तो ये एक और 4 महीनों का टाइम-पास |

4. फिर बिल में लिखा है कि उप-राष्ट्रपति चुनाव समिति बनायेंगे और उप-राष्ट्रपति पर कोई समय-सीमा नहीं है | उसे महीनों लग सकते हैं चुनाव समिति बनने के लिए |

5. क्या चुनाव समिति 11 लोकपाल की नियुक्ति तुरंत कर देगी? नहीं | जनलोकपाल बिल में लिखा है कि चुनाव समिति एक खोज-समिति बनाएगी !! फिर, चुनाव्व समिति को महीनों-महीनों लग सकते हैं खोज समिति चुनने के लिए |

6. खोज समिति कई 100 की सूचि/लिस्ट को छांट कर 33 उम्मीदवार चुनेगी | फिर से , अन्ना का जनलोकपाल इसके लिए कोई समय सीमा नहीं देता | इस तरह खोज समिति को महीनों-महीनों लग सकते हैं |

7.खोज समित इन 33 में से 11 चुनेगी | फिरसे कोई समय सीमा नहीं दी गयी है और ये भी एक टाइम-पास है | यदि 3-4 सदस्यों ने एक मिली-भगत बना ली और 33 नामों का विरोध किया , तो सभी चुने हुए नाम रद्द कर दिए जाएँगे !!

8. इसके बाद लोकपाल आयेंगे और उनको छह महीने लग जाएँगे दफ्तर जमाने में और स्टाफ /कर्मचारियों की भर्ती करने में |

तो कुल मिलकर, हमारे पास कुछ नहीं , एक 2 सालों से लेकर दर्जों साल तक टाइम-पास ही है |

कोई हैरानी नहीं की सोनिया गाँधी ने अन्ना हजारे की मांगों को मान लिया क्योंकि ये टाइम-पास था | और कोई हैरानी नहीं कि सोनिया ने 5000 पुलिसवालों को रामदेवजी के समर्थकों को आधी रात को पीटने के लिए कहा और मंडप को जला देने के लिए कहा | क्योंकि रामदेव जी ने कहा “ मुझे काम चाहिए , समिति नहीं” जबकि अन्ना ने कहा कि मुझे (टाइम-पास) समितियां ही चाहिए |

32.10 मुझ सताया गया है , इसीलिए मेरा प्रस्तावित क़ानून सही है !!

इतिहास को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका वर्त्तमान(आज) को समझना है |

बहुत लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा " 1947 में, लाला लाजपत राइ, भगत सिंह जी, सुभाष चन्द्र बोस जी, आदि ने सही कहा था कि केवल बंदूकें ही हमें आजादी दे सकती हैं और फिर मोहनभाई(गाँधी) आये जिसने कहा कि हमको बंदूकें नहीं चाहिए, लेकिन चरखा-चलाने और भजन गाने से हमें आजादी मिलेगी | ऐसे फ़ालतू विचार पर लोगों ने विश्वास कैसे कर लिया | क्या सभी लोग उस समय मूर्ख थे ?"

असलियत ये है : 1930 और 1940 के दशक में भारतियों ने कभी भी ये फ़ालतू विचार को स्वीकार/माना नहीं | इसका सबूत ये है ---- सुभाष जी ने 1939 कांग्रेस के चुनाव जीते और मोहनभाई का चमचा पट्टाभाई हार गया , क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता को कोई विश्वास नहीं था मोहनभाई के चरखा-चलाने और भजन-गाने में | लेकिन अंग्रेजों ने मीडिया को पैसे दिए मोहनभाई का गुण-गान करने के लिए और मोहनभाई के लिए एक **भावनात्मक/भावुक समर्थन** बनाया , और मोहनभाई ने इस भावात्मक समर्थन को ,चालाकी से प्रयोग/इस्तेमाल किया अपने खतरनाक "अहिंसा" सिद्धांत/असूल को आगे बढाने के लिए |

मैं क्यों `अहिंसा` को एक खतरनाक सिद्धांत/असूल कहता हूँ ?

इस अहिंसा के सिद्धांत/असूल के कारण , हिंदुओं ने फैसला किया कोई भी हथियार नहीं रखने के लिए | और केवल हथियार कि कमी के कारण, कुछ 10 लाख हिंदू मारे गए, कुछ एक करोड़ इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर हो गए और 4 करोड़ हिंदुओं ने अपनी सारी संपत्ति खो दी और 1947 के बंटवारे में , भागने के लिए मजबूर हो गए | और इसकी कोई गिनती नहीं कि कितने लाख महिलाएं/औरतों का बलात्कार हुआ, अफारण हुआ, जबरदस्ती/जबरन धर्म-परिवर्तन हुआ, और जबरदस्ती/जबरन शादी कराई गयी | ये मार-पीट और अव्यवस्था मोहनभाई के प्रस्तावित `अहिंसा` के बकवास के कारण ही था |

सब मिलाकर, अहिंसा सबसे ज्यादा खतरनाक असूल साबित हुआ जो भारत ने कभी देखा था |

क्या 1930 और 1940 के दशक में भारतीय इतने मूर्ख/बेवकूफ थे कि उन्होंने ये बकवास को देखा नहीं ? फिर क्यों उन्होंने इस बकवास के खिलाफ बोला नहीं ? ऐसा है, वे बेवकूफ थे | उन्होंने देखा था कि अहिंसा बकवास है, उन्होंने देखा था कि भजन-गाना, चरखा-चलाना बेकार है ,केवल टाइम-पास हैताकि कार्यकर्तओं के पास कम समय हो राजनीति और अन्य जरूरी विषय/मुद्दों पर बात करने के लिए | लेकिन समाचार-पत्रों ने इतना भावात्मक माहौल बना दिया मोहनभाई के लिए और मोहनभाई ने ये भावात्मक/भावुक माहौल का उपयोग/इस्तेमाल किया अपनी बात पर जोर डालने के लिए कि " देखो, मैं अंग्रेजों द्वारा गिरिफ्तार किया जा रहा हूँ, मुझे सताया जा रहा है, इसीलिए मैं सही हूँ " |

======

आज, हम वो ही घटना दोहराते हुए देख रहे हैं | कांग्रेस ने अन्ना हजारे को गिरफ्तार/कैद किया 6 बजे सुबह,आधी रात को नहीं, ताकि सारा देश टी.वी पर लाइव देख सके | उन्हें तिहार जेल में भेजा गया बजाय कि सरकारी गेस्ट-हाउस/अतिथि-गृह के , ताकि अन्ना हजारे जी को ज्यादा हमदर्दी/सहानुभूति मिले | हम सब को मालूम है कि कांग्रेस के बड़े नेता विदेशी कंपनियों के एजेंट है | ये सब ने अन्ना हजारे यानी मोहनभाई-2 के लिए हमदर्दी/सहानुभूति बड़ा दी| और अब अन्ना के साथी , चालाकी से ये हमदर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं "बिना राईट टू रिकाल-भ्रष्ट लोकपाल/प्रजा अधीन-भ्रष्ट लोकपाल के जनलोकपाल" के लिए समर्थन दिखाने के लिए |

लगबग सभी लोगों ने , बहुत वफादार `इंडिया अगेंस्ट कोर्रुप्शन` के कार्यकर्ताओं सहित, इस बात पर सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज पुलिस-कर्मियों जितने ही भ्रष्ट हैं | जिन लोगों से मैंने बात की , वो इस बात से सहमत हैं कि लोकपाल भ्रष्ट हो सकता है, वैसे ही जैसे मंत्री, सांसद, सुप्रीम-कोर्ट के जज ,सभी भ्रष्ट हो गए हैं | और इसीलिए वे "राईट टू रिकाल भ्रष्ट लोकपाल/प्रजा अधीन-भ्रष्ट लोकपाल(भ्रष्ट लोकपाल को आम नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) के साथ जनलोकपाल " की कीमत समझते हैं |

लेकिन अभी भावुक अपील/विनती का उपयोग करके , `बिना राईट टू रिकाल-लोकपाल के जनलोकपाल`के प्रायोजक इस बात को आगे बढ़ावा दे रही है कि " देखो , अन्ना जी को सताया जा रहा है और इसीलिए `बिना राईट टू रिकाल-लोकपाल के जनलोकपाल` सही है " | ये तो ऐसा हुआ जैसे कहना कि " देखो , राजीव गाँधी ने अपनी माँ खोयी है, इसीलीये हम सब को उसके लिए वोट करना चाहिए " | विदेशी कंपनियों द्वारा प्रायोजित टी.वी चैनलों और समाचार-पत्रों ने एक बहुत बड़ा भावुक माहौल खड़ा कर दिया है अन्ना जी के पक्ष में , और " बिना राईट टू रिकाल-भ्रष्ट लोकपाल /प्रजा अधीन-भ्रष्ट लोकपाल के जनलोकपाल " के प्रायोजक इस का उपयोग/इस्तेमाल कर रहे हैं कहने के लिए " देखो अन्ना जी को सताया गया , इसीलिए हमें बिना राईट टू रिकाल-भ्रष्ट लोकपाल का समर्थन करना चाहिए "|

===

समाधान :

1. हम `प्रजा अधीन-राजा` के कार्यकर्ताओं को खुले आम मांग करनी चाहिए चिदंबरम की पब्लिक में (सार्वजनिक) नारको-जांच के लिए , ताकि हमें उसके इरादे पता चलें अन्ना जी को गिरफ्तार करने में,और हमें सुप्रीम-कोर्ट के जजों को कहना चाहिए प्रभारी को गिरफ्तार/कैद करने के लिए जिसने अन्ना के गिरफ्तारी का गलत आदेश दिया था |

2. फिर हमें सभी को ये समझाना चाहिये कि अन्ना जी को सताया गया है , इसका ये मतलब नहीं कि " बिना राईट टू रिकाल-भ्रष्ट लोकपाल के जनलोकपाल " सही है | यदि नागरिकों के पास राईट टू रिकाल-भ्रष्ट लोकपाल/प्रजा अधीन-भ्रष्ट लोकपाल नहीं होगा ,तो भ्रष्ट लोकपाल

विदेशी कंपनियों के एजेंट बन जाएँगे और दूसरे विदेशी एजेंट के गिरोह जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ मिल जाएँगे और भारत को बरबाद कर देंगे |

3. इसीलिए हमें "राईट टू रिकाल-भ्रष्ट लोकपाल/प्रजा अधीन-भ्रष्ट लोकपाल के साथ जनलोकपाल" का समर्थन करना चाहिए |

32.11 कुछ महत्वपूर्ण सूत्र

1) `इंडिया अगेंस्ट कोर्रुप्शन` का सबसे बड़े नेता ये कहते हैं कि यदि लोकपाल अध्यक्ष और सदस्य भ्रष्ट हो जाएँगे , तो सुप्रीम-कोर्ट के जज उन्हें निकाल देंगे |

हमारे पास पहले से ही क़ानून है कि यदि सांसद भ्रष्ट हो जाए, तो हाई-कोर्ट के जज/सुप्रीम-कोर्ट के जज उसे निकाल सकते हैं और इसके लिए *उन्हें किसी की भी इजाजत नहीं लेनी पड़ती | लेकिन हम ये देखते हैं कि हाई-कोर्ट के जज कभी भी सांसदों को जायज सज़ा नहीं देते या सज़ा देते ही नहीं |

इसीलिए ये " सुप्रीम कोर्ट लोकपाल को सज़ा देंगे " उतना ही बेकार है जितना कि "हाई-कोर्ट भ्रष्ट सांसदों को सज़ा देंगे" का प्रावधान/क़ानून है |

इसीलिए हमें `राईट टू रिकाल-भ्रष्ट लोकपाल/प्रजा अधीन-भ्रष्ट लोकपाल के साथ जनलोकपाल की धाराएं/खंड की मांग करनी चाहिए |

*("सुप्रीम-कोर्ट के द्वारा प्रयोग/इस्तेमाल की जाने वाले अधिकारों की सीमा ,जब वो अन्याय का पीछा करता है , आसमान जितनी ऊंची है,सुप्रीम-कोर्ट की एक बेंच/खंडपीठ ने कहा है "

http://www.thehindu.com/news/national/article2288114.ece)

------

2) क्यों जनलोकपाल बिना दांत का (बेकार) होगा ,बिना नागिकों के द्वारा भ्रष्ट लोकपाल को निकालने/बदलने के अधिकार के ?

दोस्तों, भ्रष्टाचार और रिश्वत देना का पता चल जाता है , और स्पष्ट/साफ़ होता है लेकिन उसका कोई सबूत नहीं होता 99% मामलों में |

इसीलिए यदि,लोकपाल सदस्य भ्रष्ट हो जायें, और कोई शिकायत है , तब सुप्रीम-कोर्ट के जज जांच का आदेश देंगे |

लेकिन कौन ऐसा मूर्ख होगा जो करोड़ों की रिश्वत लेकर , अपने बैंक के खाते में रखेगा? सुप्रीम-कोर्ट कभी भी अपराध साबित नहीं कर पायेगी | क्यों ? कोई सबूत नहीं होगा |

लेकिन यदि नागरिकों के पास भ्रष्ट लोकपाल सदस्य को बदलने का अधिकार हो , `प्रजा अधीन-लोकपाल/राईट टू रिकाल-लोकपाल` के आने से, नागरिकों को भ्रष्टाचार का पता लग जाये लेकिन कोई साबुत नहीं हो तो भी | कोई भी जांच नहीं, कोई कमिटी नहीं, कोई देरी नहीं---जब करोड़ों लोग बोलेंगे तो सामूहिक दबाव बनेगा और लोकपाल को बदलना पड़ेगा |

आम नागरिकों को सत्ता |

---

3) 65 सालों से , आप (नेता , उच्च वर्ग और उनके एजेंट बुद्धिजीवी) बोल रहे हैं ` अभी नहीं , बाद में ` जब भी लोग `आम नागरिकों द्वारा भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने के अधिकारों` की मांग करते हैं |

65 साल पहले , एम.एन.रॉय ने ऐसी प्रक्रियाएँ/तरीकों की मांग की थी |

लेकिन एक नेता जिसका नाम नेहरु है,ने भ्रष्ट जजों और जमीन-मालिकों के साथ, बड़ी बेशर्मी से एक लोक-तांत्रिक प्रक्रिया/तरीका हटा दिया जिसका नाम `उरी सिस्टम` था बजाय कि उसको मजबूत करने के |तब नेताओं ने बोला `अभी नहीं` |

फिर, 1970 के दशक में, ज.पी.नारायणन ने भी ये मांग की थी, लेकिन आप ने बोला`अभी नहीं` |फिर , 2004 में राजीव दिक्सित और दूसरों लोगों ने सूचना अधिकार कमिश्नर के लिए ` भ्रष्ट सुचना अधिकार-कमिश्नर को नागरिकों द्वारा बदलने के अधिकार ` की मांग की, लेकिन जवाब आया `अभी नहीं` |

आप अब सच बोल क्यों नहीं देते `देश को बाढ़ में जाने दो , हम ऐसी प्रक्रियाओं/तरीकों का विरोध करते हैं जिससे आम नागरिकों को भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने का अधिकार मिले |`

--

4) हम पुलिस कमिश्नर,कलक्टर,मंत्रियों, सांसदों,जजों आदि के भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं |

यदि “लोकपाल बिना राईट टू रिकाल-लोकपाल/प्रजा अधीन-लोकपाल “ पास होता है, तो हम एक और संस्था के भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ेगा ---- लोकपाल सदस्यों के भ्रष्टाचार से !!

इसीलिए यदि आपको केवल लड़ने के लड़ना अच्छा लगता है, तो `बिना राईट टू रिकाल-लोकपाल के जनलोकपाल` को समर्थन करें |

लेकिन यदि आपका उदेस्श्य भ्रष्टाचार कम करना है, और सार्थक रूप से ये लड़ाइयां कम करना चाहते हैं ताकि हम कुछ ऐसा काम कर सकें जो आम जनता के फायदे का हो , तो कृपया

`राईट टू रिकाल-लोकपाल के खंड/धाराओं के साथ लोकपाल/जनलोकपाल बिल ` को समर्थन करें

32.12 कुछ सुझाव `प्रजा अधीन-राजा`कार्यकर्ताओं के लिए `प्रजा अधीन-राजा`-विरोधी लोगों के समय-बर्बादी योजना से निबटने/पेश आने के लिए

जैसे कि `प्रजा अधीन-राजा` के प्रक्रियाएँ/तरीके/ड्राफ्ट को ज्यादा स्वीकृति मिलती है, `प्रजा अधीन-राजा`-विरोधी लोग कोशिश करेंगे कि `प्रजा अधीन-राजा` कार्यकर्ताओं का समय बरबाद करने के लिए बेकार के बहस में , ताकि `प्रजा अधीन-राजा` के ड्राफ्ट-तरीके/प्रक्रियाएँ ज्यादा फैलें नहीं |

इसीलिए कुछ सुझाव दे रहा हूँ , कि किस तरह बहस करना चाहिए `प्रजा अधीन-राजा ` के प्रक्रियाओं/तरीकों पर -

1) आज के प्रक्रियाओं/तरीकों को प्रस्तावित प्रक्रियाओं/तरीकों से तुलना करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे वे देश को फायदा या नुकसान करती हैं, कोई परिस्थिति में -

`प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी ये कोशिश करेंगे `प्रजा अधीन-राजा` कि कमियाँ बताने के लिए | वे बहस को एक-तरफा करने कि कोशिश करेंगे , यानी कि `प्रजा अधीन-राजा` के ड्राफ्ट के कमियां ही कि बात हो ,बिना वर्त्तमान(आज के) सिस्टम से या उनके पसंद के कानूनों से तुलना करने के |

2) कृपया सभी को अपना रूख साफ़ करने के लिए कहें किसी मुद्दे या ड्राफ्ट-क़ानून पर (अभी, अगले जन्म में नहीं) |

बिना `प्रजा अधीन-राजा`-विरोधी के अपना रुख साफ़ किये , बहस करना समय की बर्बादी है |

उदाहरण - `क्या आप/वे समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं `जनलोकपाल बिना राईट टू रिकाल-भ्रष्ट लोकपाल /प्रजा अधिना-भ्रष्ट लोकपाल के खंड/धाराएं का ?

यदि वे कहते है-कि वे उसका विरोध करते हैं, तो पूछें कि वे क्या कर रहे हैं , उसका समर्थन करने के लिए ?

यदि वे कहते हैं कि वे उसका समर्थन कर रहे हैं, तो उनको कहें उन खंड/धाराओं को कॉपी **पेस्ट** करने के लिए , जो जनलोकपाल बिल/क़ानून में हैं, जिसके द्वारा लोकपाल रिश्वत लेने और विदेशी बैंकों में जमा करने से रोक सकती हैं और देश को विदेशी कम्पनियाँ आदि, सबसे ज्यादा रिश्वत देने वाले को बेच देंगे | कृपया खंड/धाराएं डालने पर जोर दें क्योंकि धाराओं के बिना , `प्रजा अधीन-राजा`-विरोधी जानबूझ कर या अनजाने में, गलत तथ्य/बातें बता सकते हैं , जो

क़ानून के धाराओं/खंड में नहीं लिखी गयी हैं , उदाहरण., वे कहते हैं कि जनलोकपाल बिल/क़ानून के अनुसार `आम नागरिक लोकपाल को निकाल सकते हैं |` लेकिन सच्चाई ये है, कि कोई भी , सुप्रीम कोर्ट के जज के आदमी सहित /समेत, एक याचिका डाल सकता है , जिसके बाद सुप्रीम-कोर्ट जज फैसला करेंगे कि लोकपाल को निकालना है कि नहीं |

यदि वे खंड/धाराएं दिखाते हैं जो कहती हैं कि सुप्रीम-कोर्ट के जज भ्रष्ट लोकपाल को निकालेंगे , तो पूछें कि सभी शक्तियों/अधिकारों वाले सुप्रीम-कोर्ट के जज क्यों भ्रष्ट सांसद ,मंत्रियों को उचित सज़ा नहीं दे रहे और सुप्रीम-कोर्ट के जज, यदि ईमानदार भी हुए तो भी लोकपाल को बिना सबूतों के सज़ा नहीं दे पाएंगे | क्योंकि विदेशी/स्विस बैंक, स्विस-बैंक खातों और लेन-देन की जानकारी नहीं देंगे |

यदि वे कहते हैं, कि सुप्रीम-कोर्ट के जज, मंत्रियों, सासदों को सज़ा तो देते हैं, को फिर पूछें कि क्यों उनको लोकपाल बिल को लाने की जरुरत है और क्यों वे सुप्रीम-कोर्ट के जज को नहीं लिखते हैं, जिनपर उनको इतना विश्वास है बजाय कि करोड़ों रुपये लोकपाल पर खर्च करने के ?

यदि वे कहते हैं कि सुप्रीम-कोर्ट के जजों के पास अधिकार नहीं हैं सांसद, मंत्रियों को सज़ा देने या उनपर कार्यवाई करने के लिए तो उन्हें `हिंदू` समाचार पत्र में ये लेख दिखाएँ , जहाँ सुप्रीम-कोर्ट के जज कह रहे हैं कि `उनके अधिकारों की सीमा आसमान जितनी ऊंची है ` |

(“The limits of power exercised by the Supreme Court when it chases injustice, are the sky itself, a Bench of the apex court has said. http://www.thehindu.com/news/national/article2288114.ece)

3) नाम जरूरी नहीं है, प्रक्रिया/तरीका/विधि जरूरी है |

तीन राज्यों में -राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में, एक क़ानून है, जिसका नाम है `राईट टू रिकाल-कार्पोरिटर` लेकिन इन तीनों राज्यों में इस के प्रक्रियाएँ/तरीके अलग-अलग हैं और हमारा प्रस्तिवित क़ानून भ्रष्ट कर्पोराटर(पार्षद) को बदलने/निकालने के लिए अलग है | इसीलिए कृपया प्रक्रिया पर ध्यान दें और `प्रजा अधीन-राजा`-विरोधी को बोलें कि ड्राफ्ट/क़ानून के धाराएं को प्रस्तुत करे/बताये , जिसके बारे में बात कर रहा है |

4) कृपया केवल प्रक्रिया और धाराओं/खंड पर ध्यान दीजिए , कैसे वे हमारे देश को फायदा या नुकसान करेंगी कोई परिस्थिति में |

`प्रजा अधीन-रजा` के विरोधी अपनी पूरी कोशिश करेंगे असली मुद्दे से हटाने के लिए , व्यक्तियों के बारे में बात कर के और व्यक्तियों को एक दूसरे से तुलना कर के | केवल प्रक्रियाएँ/तरीके

सिस्टम में बदलाव ला सकती हैं, अच्छी या बुरी | इसीलिए , कृपया प्रक्रियाएँ/तरीकों पर ध्यान दीजिए |

और, प्रक्रिया/तरीका बताता है कि क़ानून अच्छा है या बेकार | ऊपर लिखित `प्रजा अधीन-कोर्पोरेटर` क़ानून तीनों राज्यों में एक दम बेकार हैं क्योंकि वे आम नागरिकों को भ्रष् कोर्पोरेटर को हटाने/बदलने का अधिकार नहीं देते | उदाहरण- बिहार का `राईट टू रिकाल-कोर्पोरेटर`क़ानून कहता है कि उस क्षेत्र के 66% नागरिक, यदि अपने हस्ताक्षर इकठ्ठा करके कलेक्टर को दें, तो कलेक्टर हस्ताक्षरों की जांच करेगा , और यदि हस्ताक्षर सही पाए गए , तो वो कोर्पोरेटर हटा दिया जायेगा | लेकिन ,हमारे देश में हस्ताक्षरों की जांच नहीं हो सकती क्योंकि सरकार के पास नागरिकों के हस्ताक्षरों का कोई रिकोर्ड नहीं है | इसीलिए हमें, प्रक्रियाएँ/तरीकों और ड्राफ्ट और उनके धाराओं पर ध्यान देना चाहिए, केवल प्रस्ताव पर नहीं |

5) दो देशों या दो क्षेत्रों के भ्रष्टाचार की तुलना करना -

दो देशों या दो क्षेत्रों के भ्रष्टाचार की तुलना करते समय, भ्रष्टाचार को एक देश/क्षेत्र के विभाग से दूसरे देश/क्षेत्र के विभाग से तुलना करें , जिला,राज्य और राष्ट्र स्तर पर | जो प्रक्रियाएँ/तरीके अभी (वर्त्तमान) हैं, उनकी तुलना प्रस्तावित प्रक्रियाएँ/तरीकों से करें और सटीक/सही परिस्थिति दें कि कैसे प्रस्तावित प्रक्रियाएँ/तरीके देश को नुकसान या फायदा पहुंचा सकते हैं वर्त्तमान/मौजूदा प्रक्रियाएँ/तरीकों कि तुलना में , प्रक्रियाओं-ड्राफ्ट के खंड/धाराओं को बताते हुए |

32.13 कुछ और चालें जो `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी जो इस्तेमाल करते हैं असल मुद्दे से हटाने के लिए

बहुत जल्दी , सभी नेता `प्रजा अधीन-राजा` की बात करने पर मजबूर हो जाएँगे और असल मुद्दे से ध्यान हटाने से कोशिश करंगे , यानी भ्रष्ट लोकपाल , प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जज, आदि आम नागरिकों द्वारा से ध्यान हटाने कि कोशिश करेंगे |

हमें कार्यकर्ताओं को बताना है वे चालें जो `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी इस्तेमाल करते हैं असली मुद्दे से हटाने के लिए | कौन सी चालें ?

1. `प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी बेकार और प्रबंध न किया सकने वाला हस्ताक्षर-आधारित प्रक्रिया पर जोर देंगे और हाजिरी-आधारित भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने की प्रक्रियाएँ/तरीकों का विरोध करेंगे |

और इसीलिए हम कार्यकर्ताओं को बताएँगे कि सच्चे `प्रजा अधीन-राजा` के कार्यकर्ता हमेशा `हाजिरी वाले भ्रष्ट को बदलने के तरीकों ` को समर्थन करेंगे | हजारी वाले तरीकों में ,व्यक्ति को खुद पटवारी/टालती के दफ्तर जाना होता है और अधिकारी के विकल्प को समर्थन देना होता है | जबकि हस्ताक्षर वाले तरीके में, कार्यकर्तओं को हस्ताक्षर इकठ्ठा करना होता है और सरकारी अफसर को हस्ताक्षर जांच करना होता है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि हमारे देश में सरकार के रिकोर्ड में नागरिकों का हस्ताक्षर नहीं है |

2. `प्रजा अधीन-राजा ` के विरोधी `प्रजा अधीन-सरपंच`,`प्रजा अधीन-कोर्पोरेटर (पार्षद) आदि का समर्थन करेंगे और `प्रजा अधीन-लोकपाल , `प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री` का विरोध करेंगे |

हमें सभी कार्यकर्ताओं को बताना है कि ऐसा व्यक्ति जो `प्रजा अधीन-सरपंच` जैसे भीख और चिल्लर की बात करता है , वो नकली `प्रजा अधीन-राजा` का समर्थक है | क्योंकि ये सब पद-सरपंच , कोर्पोरेटर आदि के पास `प्रधानमंत्री ,मुख्यमंत्री आदि के मुकाबले कुछ खास अधिकार नहीं होते और इसीलिए ऐसे पदों पर `प्रजा अधीन-राजा`भीख समान है |

3. `प्रजा अधीन-राजा` का विरोधी ड्राफ्ट/मसौदे पर चर्चा से बचना कहेगा |

हमें उसका सामना करना चाहिए और उसकी बेइज्जती भी करनी चाहिए कि " क्या तुम ड्राफ्ट अगले जन्म में दोगे? "

और भी चलें हैं | मैं बाद में सभी चालों की लिस्ट/सूची बनंगा जो ,`प्रजा अधीन-राजा` के विरोधी इस्तेमाल करते हैं | और हमें कार्यकर्ताओं को जवाबी चलें भी पहले से बतानी हैं |

32.14 बिना `राईट टू रिकाल-लोकपाल(प्रजा अधीन-लोकपाल) जनता द्वारा` के जनलोकपाल का खेल और कैसे विदेशी कम्पनियाँ लोगों का गुस्सा का इस्तेमाल कर रही हैं भारत को फिर से गुलाम बनने के लिए

<u>क्या होगा यदि जनलोकपाल विदेशी कंपनियों से रिश्वत लेते हैं और विदेशी बैंकों में पैसा जामा कर देते हैं और इस तरह विदेशी कंपनियां या ईसाई धर्म-प्रचारकों के या सौदी अरब के इस्लाम के धर्म-प्रचारकों के एभ्रष्ट एजेंट बन जाते हैं ?</u>

मैं एक सवाल पूछता हूँ-क्या होगा यदि जनलोकपाल भ्रष्ट हो जाते हैं ? उससे भी बुरा कि वे विदेशी कंपनियों से रिश्वत लेते हैं, और विदेशी बैंकों में पैसा जमा करके , विदेशी कंपनियों ,ईसाई धर्म-प्रचारकों, इस्लामी कट्टरपंथियों के एजेंट बन जाते हैं ?

क्या यदि 2012 की चुनाव समिति, खुद इन एजेंटों से भर जाती है, जो ऐसे व्यक्तियों को लोकपाल बनाये जिनकी साफ़-सुथरी छवि/नाम है , लेकिन अंदर से विदेशी कंपनियों के एजेंट हैं ? इसका जवाब ये समझायेगा कि क्यों टी.वी चैनल `बिना `नागरिकों द्वारा भ्रष्ट लोकपाल को निकालने के अधिकार (राईट टू रिकाल-लोकपाल) के धाराओं के साथ जनलोकपाल का घंटो-घंटों प्रचार कर रहे हैं |

विदेशी कंपनियों को जनलोकपाल चाहिए ताकि उनको केवल 11 जनलोकपाल को रिश्वत या प्रभावित करने होगा और उनको हज़ारों आई.ऐ.एस(बाबू), पुलिसकर्मी,जज को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी | हर जिले के आई.ऐ.एस(बाबू),पोलिस-कर्मी,जजों,पार्टियों के 10-15 प्रधान/मुखिया/प्रमुख/अध्यक्ष होते हैं और कुछ 50-75 प्रधान ,हर राज्य में होते हैं | कुल मिलाकर कुछ 10,000 जिले स्तर के प्रधान और कुछ 2000 राज्य स्तर के प्रधान हैं| इनको संभालने के लिए , विदेशी कंपनियों और ईसाई धर्म-प्रचारकों को `राडिया` के तरह के बिचौलिए चाहिए, जो 200-500 % अपना हिस्सा/मुनाफा रखते हैं | लेकिन एक बार 11 जनलोकपाल आ जाते हैं, विदेशी कंपनियों और मिशनईसाई धर्म-प्रचारकों) को केवल 11 जनलोकपाल को ही रिश्वत देनी पड़ेगी और सारे 10,000 जिले स्तर के नेता/आई,ऐ.एस(बाबू)/पोलिस-कर्मी/जज और 2000 राज्य या राष्ट्रिय स्तर के नेता/आई.ऐ.एस/पोलिस-कर्मी/जज ,इन 11 जनलोकपाल के नीचे आ जाएँगे और भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण/शाशन कर पाएंगे अपने एजेंटों द्वारा |

कई सालों से ,मैं सभी भारत-समर्थक/शुभ-चिन्तक लोगों को बोल रहा हूँ कि ऐसे कानून-ड्राफ्टों की चर्चा करें और पढ़ें जिनके द्वारा वे भारतीय प्रशासन को ठीक कर सकते हैं और सभी साथी नागरिकों को ऐसे कानों-ड्राफ्ट के बारे में बताएं | लेकिन , दुःख कि बात है, कि बहुत कम लोगों ने मुझे सुना | ज्यादातर भारत-समर्थक/शुभ-चिन्तक नागरिकों ने अपने नेता की बात को सुना, जिन्होंने जोर दिया कि क़ानून-ड्राफ्टों को छोड़ देना चाहिए और इसके बदले हम को ये चीजों पर ध्यान देना चाहिए -

1. राष्ट्रिय चरित्र/व्यवहार बनाना -इसका जो भी मतलब है (आर.एस.एस का विषय/मुद्दा)

2. नागरिकों को योग, प्राणायाम, आयुर्वेद के बारे में बताना (भारत स्वाभिमान न्यास का विषय/मुद्दा)

3. केवल कांग्रेस के खिलाफ नफरत फैलाना (भा.जा.पा. का विषय/मुद्दा)

4. सदस्य बनाना और दान लेना (आर.एस.एस ,भा.जा.प् , भारत स्वाभिमान का विषय/मुद्दा)

5. आध्यात्मिक उन्नति (आर्ट ऑफ लिविंग और अन्य अआध्यत्मिक संस्थाएं)

6. शिक्षा, पर्वावरण (अलग-अलग स्वयं सेवी संस्थाएं)

7.चुनाव जित्त्ने पर ध्यान (आर. एस.एस, भा.जा.पा.,आदि पार्टियां)
आदि ,आदि | कुल मिलाकर, 24 घंटे हर दिन, 7 दिन हर हफता , सभी चीजें करें , लेकिन ,एक मिनट भी नहीं लगाएं ड्राफ्ट को पड़ने में , या अन्य नागरिकों को ड्राफ्ट के बारे में |

और सालों से ,मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कार्यकर्ताओं को नागरिकों को बोलें कि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री को मजबूर करें कि अच्छे(और कम बुरे) कानूनों को लागू करने के लिए जो भारत की समस्याएं को कम करता है | कौन सांसद, विधायक ,प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री, आदि बनता है , वो इतना जरूरी/महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए |

===

इस तरह कानूनों में सुधार नहीं आया , नागरिकों का गुस्सा बढ़ता गया और इससे विदेशी कम्पनियाँ/ईसाई मिशनों(प्रचारक) को ये " जनलोकपाल बिना राईट टू रिकाल-लोकपाल जनता द्वारा` को लाने के लिए प्रयोजन करने के लिए | हमें क्यों मुश्किल हो रही है " जनलोकपाल राईट टू रिकाल-लोकपाल नागरिकों द्वारा के साथ " का प्रचार करने के लिए ? इसीलिए नहीं कि `राईट टू रिकाल` मुश्किल है समझाने के लिए या समझने के लिए | इसलिए कि कार्यकर्त्ता-नेता बोल रहे हैं कार्यर्ताओं को कि क़ानून-ड्राफ्ट पर ध्यान नहीं दो |

दशकों से , भारत में माध्यम वर्ग/दर्जे के लोग ,को कष्ट झेलना पड़ रहा है , केवल भ्रष्टाचार से ही नहीं, बल्कि देरी, समय की बर्बादी, और एक सामान्य अनिश्चितता महसूस होती है जब भी सरकारी दफ्तर और कोर्ट जाते हैं | निचले वर्ग/दर्जे के लोगों को भी ये हर समय सामना करना पड़ता है और इसके अलावा, अत्याचार भी सहना पड़ता है | कार्यकर्ता हर समय उन कानूनों के लिए प्रचार करने के लिए तैयार रहते हैं जो ,इस समस्या को कम कर दे | लेकिन कार्यकर्त्ता-नेता कार्यकर्ताओं को "ठहरो और देखो" के लिए कर पाए और इसीलिए कार्यकर्ताओं ने केवल ठहरा और देखा ,और क़ानून-ड्राफ्ट के लिए प्रचार नहीं किय , जो भ्रष्टाचार, कष्ट, अनिश्चितता, अत्याचार आदि को कम कर सकते थे | इसीलिए गुस्सा बढ़ता गया |
विदेशी कम्पनियाँ और ईसाई मिशन/धर्म-प्रचारकों ने अपने टी.वी. चैनलों को तैनात किया , इस गुस्से को सांसदों केतारफ मोड़ने के लिए और उन पर दबाव डालने के लिए , एक ऐसे क़ानून पास करने के लिए जो विदेशी कंपनियों और ईसाई धर्म-प्रचारकों का भारत पर नियंत्रण को और बढ़ाएगा | कोई देख सकता है कि घंटों-घंटों टी.वी चैनलों ने दिए हैं , जनलोकपाल को बढ़ावा करने में और उन लोगों का प्रचार करने के लिए जो जनलोकपाल का समर्थन करते हैं | भारत के कितने लोग अन्न को मार्च-2011 में जानते थे ? कुछ 20% लोग महाराष्ट्र में जानते थे और बाकी भारत में केवल 0.1% ही लोग जानते थे | लेकिन अन्ना ने जनलोकपाल का समर्थन

किया और विदेशी कंपनियों ने उसे मोहनभाई-2 बना दिया | और अन्ना जी असल में मोहनभाई-2 ही है, क्योंकि मोहनभाई (गांधी) का प्रचार अभियान के लिए पैसे भी अंग्रेजों(उस समय के विदेशी कम्पनियाँ) द्वारा ही किया गया था |

और इस तरह जनलोकपाल का खेल है कि लोगों के गुस्से का प्रयोग/इस्तेमाल करना , सांसदों को मजबूर करना एक ऐसे क़ानून को लागू करने के लिए, जो विदेशी कंपनियों और ईसाई धर्म-प्रचारकों को ज्यादा आसानी से भारत पर नियंत्रण/शाशन करने दे |

इन सब के लिए मीडिया और `इंडिया अगेंस्ट कोरुप्शन के नेताओं` द्वारा बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं|

उनमें से कुछ ये हैं , सच्चाई के साथ -

1) शिकायत निवारण प्रणाली आने से आप का राशन कार्ड सही बनेगा , रोड सही बनेगी आदि आदि |

सच्चाई - ये सब अधिकार मंत्रियों के पास भी है , लेकिन भ्रष्ट मंत्रियों के पास इन सब के लिए समय नहीं है ,वे विदेशी कंपनियों से रिश्वत लेकर विदेशी गुप्त खाते में रखने में व्यस्त हैं | ऐसे ही लोकपाल भी भ्रष्ट हो कर करेगा |

2) हांगकांग जैसा स्वतंत्र लोकपाल सिस्टम हमारे देश में लाया जा रहा है , जिससे भ्रष्टाचार कम होगा |

सच्चाई- हांगकांग में लोकपाल स्वतंत्र नहीं है, विधान सभा द्वारा चुनी जाती है और निकाले जाते हैं |

और हांगकांग में भ्रष्टाचार का कम होने का असली कारण लोकपाल जैसा क़ानून नहीं, मजबूत किया गया जूरी सिस्टम है | 1997 के बाद वहाँ जूरी सिस्टम को मजबूत किया गया और भ्रष्टाचार कम हुआ है | वहाँ का लोकपाल फेल है क्योंकि वहाँ लोकपाल के अध्यक्ष को ही जूरी ने भ्रष्ट पाया |और जिन देशों में जूरी सिस्टम नहीं है और केवल लोकपाल है, वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा जैसे फिलिपिन |

3) लोकपाल स्वतंत्र होगा, नेताओं से कोई प्रभावित नहीं होगा, सारा सिस्टम पारदर्शी होगा -

सच्चाई- लोकपाल हमेशा जजों , जो लोकपाल को निकाल सकते हैं , के धमकियों के प्रभाव में रहेगा| नेताओं और विदेशी कंपनियों का जजों पर नियंत्रण होता है और उनके द्वारा ,लोकपाल ,उनके प्रभाव में रहेगा |

4) जनलोकपाल की शिकायत प्रणाली(सिस्टम)- जैसे की पहले लिखा गया है, जनलोकपाल में शिकायत डालने के लिए किसी को एफ.आई.आर लिखवाना होगा और फिर उस इफ.आई.आर को लोकपाल को भेजना होगा , शिकायत के साथ लोकपाल अपनी वेबसाइट पर हर महीने , सारी शिकायतों का **सारांश** वेबसाइट पर रखेगा |

सच्चाई- लोकपाल शिकायतों के साथ छेड-छाड कर सकता है बड़ी आसानी से और ऐसी शिकायोतों को दबा सकता है जो लाखों लोगों की है |लोकपाल केवल शिकायतों का केवल सारंश और संक्षिप्त रूप ही दे सकता है और लोकपाल कह सकता है कि उसने मामले की जांच की है, भले उसने जांच की हो या नहीं की हो | ऐसा इसीलिए क्योंकि लोकपाल के पास सर्वाधिकार रहेगा | ऐसा हो सकता है कि किसी बढ़ी शिकायत की सुनवाई ना करे जो करोड़ों लोगों की हो और जिनके पास महेंगे/बड़े वकील न हों| लोकपाल ऐसी शिकायत परदेरी भी कर सकता है ,उसे महत्वहीन /गैर-जरूरी बताते हुए |

और भी अन्य झूठ बोले जा रहे हैं | इसलिए कृपया पूरा बिल पढ़ें , क्योंकि पूरा बिल पास होना है |

कुल मिलाकर, विदेशी कम्पनियाँ सफल हुई हैं, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए | ये मुख्य रूप से इसीलिए हुआ क्योंकि नेताओं और कार्यकर्ता-नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सही रास्तों की तरफ देखने से रोका | जब ऐसे नेता आस-पास हों , तो विदेशी कंपनियों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है , भारत पर नियंत्रण/शाशन करने , उसको गुलाम बनने के लिए और देश के 99% लोगों को लूटने के लिए |

अध्याय 33 - बांग्लादेशियों के भारत आने को कम करने और उन्हें निष्कासित करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव

(33.1) बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या

सम्पूर्ण पूर्वोत्तर अलग हो जा सकता है और लाखों भारतीय (वर्ष 1947 की तरह) मारे जा सकते हैं यदि बांग्लादेशियों का आना जारी रहा। इसलिए असमवासियों को बचाने और असम को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए बांग्लादेशियों को रोकना बहुत जरूरी है।

(33.2) बांग्लादेशी घुसपैठ पर सभी राजनैतिक दलों का रूख / उनकी राय

कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी/बीजेपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी/सीपीएम जैसी अधिकांश पार्टियों ने अवैध घुसपैठ रोकने के लिए कुछ भी नहीं करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने अपने 45 से ज्यादा वर्षों के शासनकाल में इस समस्या को कम करने के लिए पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) तक लागू नहीं किया। मैं कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम के सभी समर्थकों से विनती करता हूँ कि वे यह महसूस करें कि यदि और जब पूर्वोत्तर बांग्लादेश का हिस्सा बन गया और लाखों भारतीयों का वर्ष 1947 की ही तरह फिर से कत्लेआम हुआ तो इन भ्रष्ट कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी के नेताओं को उनके द्वारा वोट देना भी इसका एक कारण होगा। और 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' को समर्थन देने से उनका इनकार करना उनकी `न माफ की जाने वाली`(अक्षम्य) गलती थी।

'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके, `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के सदस्य के रूप में, मैं निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) के साथ-साथ "कर्मचारी और भुगतान का प्रकटीकरण/खुलासा करने संबंधी कानून" को लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन दोनों कानूनों से एक वर्ष में ही नए घुसपैठ (की घटना) कम होकर आज (की स्थिति) की तुलना में 1 प्रतिशत रह जाएगी। और 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके, मैं जूरी आधारित कोर्ट बनाने का प्रस्ताव करता हूँ जो वर्तमान घुसपैठियों की नागरिकता पर निर्णय करेगा। यदि एक बार कुछ अवैध परदेशियों(आप्रवासियों) को जेल में डाला गया तो बहुत से दूसरे (आप्रवासी) आना/घुसपैठ करना बन्द कर देंगे।

(33.3) बाड़ लगाने का बेकार / व्यर्थ समाधान

बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के नेतागण नागरिकों को अपने द्वारा बनवाये जा रहे बाड़ों को दिखलाकर भटका/भ्रमित कर रहे हैं। मैं बाड़ लगाने का समर्थन करता हूँ क्योंकि इससे आतंकवाद कम हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि नागरिकगण ध्यान दें कि बाड़ लगाने से घुसपैठ की घटनाओं में 1 प्रतिशत की भी कमी नहीं आ सकती है। आज बांग्लादेशी भारत में घुसने के लिए जमीन के रास्ते का प्रयोग/उपयोग कर रहे हैं क्योंकि जमीन के रास्ते आना सस्ता

है। लेकिन समुद्र के किनारे-किनारे के रास्ते आना भी आसान होने के साथ-साथ जरा सा भी महंगा नहीं है। इसलिए यदि एक बार जमीन/धरती वाले रास्ते पर बाड़ लगा दी गई तो बांग्लादेशी भारत में घुसने के लिए समुद्र के किनारे-किनारे के रास्ते का प्रयोग करने लगेंगे !! फिर क्या हम भारत के पूरे समुद्री रास्ते पर अथवा बंगाल के ही पूरे समुद्री रास्ते पर बाड़ लगा सकेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए यदि धरती के रास्ते पर/जमीनी रास्ते पर बाड़ लग भी जाता है तो भी अवैध घुसपैठ/आप्रवास की घटना में 1 प्रतिशत की भी कमी नहीं आएगी।

और कनाडा, स्वीडेन, नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि देशों पर विचार कीजिए जिन्होंने अवैध आप्रवास की समस्या को अत्यधिक कम कर लिया है। इन पश्चिमी देशों ने अवैध घुसपैठ/आप्रवास की इस समस्या का समाधान करने का जो तरीका अपनाया है, वह है – उन मालिकों को दण्ड देना जो अवैध लोगों को रोजगार देते हैं। अमेरिकी सरकार अपने यहां की लागत कम रखने के लिए चाहती है कि अवैध परदेशी(आप्रवासी) लोग वहां आएं और इसलिए अमेरिकी सरकार ने अपने यहां के उन मालिकों को सजा देने का कोई कानून नहीं बनाया है जो अवैध लोगों को काम पर रखते हैं। लेकिन अमेरिका अवैध घुसपैठ/आप्रवास का भार सह सकता है क्योंकि उसे अवैध आप्रवासियों से किसी भी प्रकार का सुरक्षा अथवा अलगाववाद(एक देश से अलग होकर दूसरा देश बनाना) संबंधी खतरा नहीं है और इनसे अमेरिका को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है, लेकिन कनाडा, जर्मनी, आदि जैसे देश जो चाहते हैं कि अवैध परदेशी(आप्रवासी) न आएं, उन देशों ने ऐसे कानून बनाए हैं कि जिसमें मालिकों के लिए अपने कर्मचारियों के पहचान-पत्र का खुलासा करना/सरकार को बताना जरूरी है। और ये देश उन मालिकों को दण्ड/सजा देते हैं जो ऐसी सूचनाएं छिपाते हैं। यह (कानून) संगठित क्षेत्र के मालिकों को अवैध कर्मचारियों को काम पर रखने से रोकता है और अवैध घुसपैठ/आप्रवास को कम करता है।

(33.4) बांग्लादेशियों के घुसपैठ को कम करने और इन्हें देश से बाहर निकालने के लिए 'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' समूह की मांग और वायदा

1. राष्ट्रीय निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) व नागरिक पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) लागू की जाए।
2. एक सरकारी आदेश का प्रारूप/ड्राफ्ट तैयार किया जाए कि मालिकों को अपने सभी कर्मचारियों के निजी पहचान-पत्र की रिपोर्ट करना जरूरी होगा।
3. जूरी प्रणाली(सिस्टम) लागू की जाए ताकि किसी मालिक को तब कैद की सजा मिले जब वह अपने अवैध बंगलादेशी या अन्य परदेशी कर्मचारियों के संबंध में सूचनाएं छिपाए।
4. जूरी की सुनवाई में यह निर्णय किया जाए कि कोई आरोपी व्यक्ति (भारत का) नागरिक है या अवैध परदेशी(आप्रवासी) है।

पहले तीन प्रस्तावों पर मैंने पहले चर्चा की है। इसके अगले से अगले भाग(33.6) में मैंने चौथे प्रस्ताव के विवरण की विस्तृत व्याख्या की है।

(33.5) डी.एन.ए. आंकड़ों (डाटा) का प्रयोग करके वंश / परिवार वृक्ष बनाना

मान लीजिए, वर्ष XXXX की 1 जनवरी को सरकारी कंप्यूटर सिस्टम में 3 महीने से अधिक उम्र के हर व्यक्ति का डी.एन.ए. के आंकड़े(डाटा) दर्ज है। अब प्रत्येक व्यक्ति से उसके संबंधियों/रिश्तेदारों के नाम, पहचान-पत्र देने के लिए कहा जा सकता है। इन जानकारियों को कंप्यूटर सिस्टम में डालने के बाद और डी.एन.ए. के आंकड़े(डाटा) का प्रयोग करके संबंधों को वास्तव में बहुत हद तक जांच द्वारा सही ठहराया जा सकता है। माता-पिता - बच्चे का 50 प्रतिशत डी.एन.ए. साझा/एक समान होगा, पोते-पोतियों का 50 प्रतिशत से ज्यादा डी.एन.ए. साझा/एक समान होगा और माता-पिता में से केवल एक साझा वालों का भी 25 प्रतिशत डी.एन.ए. बराबर/साझा होगा, पोते-पोतियों और दादा-दादियों का 25 प्रतिशत डी.एन.ए. साझा होगा और चचेरे भाई/बहन का 25 प्रतिशत डी.एन.ए. साझा होगा, इत्यादि, इत्यादि। इन आंकड़ों(डाटा) का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के अनेक निकट रिश्तेदारों का जांच द्वारा सही ठहराया जा सकेगा। *किसी व्यक्ति के रिश्तेदारों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उसके परदेशी(आप्रवासी) होने की सम्भावना/अवसर उतने ही कम होंगे।* इस प्रकार `जांच द्वारा सही ठहराए गए(सत्यापित)` रिश्तेदारों की सूचना का प्रयोग करके कई अवैध बांग्लादेशी जिनके कुछ ही या एक भी रिश्तेदार (भारत में) नहीं हैं, उनकी सही पहचान करके उन्हें आसानी से अलग किया जा सकेगा।

(33.6) नागरिकता तय करने के लिए जूरी प्रणाली (सिस्टम)

1. सर्वप्रथम, सरकार निजी पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) तैयार करेगी।
2. रजिस्ट्रार प्रत्येक **पुरूष** (और बाद में महिलाओं) के निजी पहचान-पत्र आँका कोष(डाटाबेस) की डी.वी.डी. तैयार करेगा जिसमें (उस व्यक्ति का) नाम, निजी पहचान-पत्र, फोटो, पता आदि (दर्ज) होगा और इस डी.वी.डी. को इसकी लागत के बराबर कीमत/मूल्य पर बेचेगा।
3. कोई भी व्यक्ति 3 रूपए का शुल्क देकर 10 व्यक्तियों के नाम बता सकता है जिन्हें वह समझता है कि वे गैर-नागरिक हैं/(भारत के) नागरिक नहीं हैं |
4. प्राप्त किए गए नामों में से, रजिस्ट्रार आरोपी को उस क्रम में आदेश जारी करेगा जिस क्रम में उसके खिलाफ गैर-नागरिक होने की शिकायतों की संख्या प्राप्त हुई हैं। (जिसके विरुद्ध सबसे ज्यादा शिकायतों की संख्या वाले को पहले आदेश मिलेगा, फिर उससे कम, जिसके खिलाफ शिकायत की संख्या वाले को ,आदि)
5. रजिस्ट्रार आरोपी व्यक्ति के सभी रिश्तेदारों को सूचित करेगा/जानकारी देगा ।
6. रजिस्ट्रार अपने पास प्राप्त सभी शिकायतों के लिए, पूरे राष्ट्र से तीन जूरी का क्रम-रहित तरीके से पांच जिले चुनेगा और उन जिलों से 12 लोगों का क्रम-रहित तरीके से चुनेगा और एक राज्य जूरी का गठन करेगा जिसमें राज्य भर(जहाँ से शिकायत प्राप्त हुई है) के क्रम-रहित 5 चुने गए जिलों में से क्रम-रहित चुने गए 12 नागरिक होंगे।
7. कोई भी व्यक्ति जो आरोपी का रिश्तेदार है, वह उस व्यक्ति से अपने संबंधों का हवाला देते हुए बता सकता है कि उस व्यक्ति को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है।
8. जूरी-मण्डल के सदस्य वीडियो फोन का उपयोग करके आरोपी और गवाहों का पक्ष सुनेंगे। आरोपी और उसके रिश्तेदारों को सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है। जूरी मण्डल का प्रत्येक सदस्य उससे 30 मिनट तक प्रश्न पूछ सकता है।

9. दोनों जूरी-मण्डलों में से किसी भी जूरी-मण्डल के 12 सदस्यों में से 9 से ज्यादा/अधिक सदस्य मुकद्दमें को बेकार/ओछा मामला बताकर खारिज/रद्द कर देते हैं तो रजिस्ट्रार तब तक उस व्यक्ति के खिलाफ सुनवाई/मुकद्दमा नहीं करेगा जब तक कम से कम 10 नागरिक उस व्यक्ति के खिलाफ फिर से शिकायत दर्ज नहीं करवाएं। दो सुनवाई के बाद उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए 100 लोगों की जरूरत होगी और तीन सुनवाइयों के बाद, 5 वर्षों तक उसके खिलाफ कोई मुकद्दमा दर्ज नहीं किया जाएगा।
10. शिकायतकर्ता को शिकायत करने की कुल 10 शिकायतें करने की छूट रहेगी | यदि शिकायत को बेकार/ओछा बताकर खारिज कर दिया जाता है तो शिकायत दर्ज कराने के शिकायतकर्ता के अधिकार (की संख्या) 1 कम हो जाएगी।
11. यदि दोनों जूरी-मण्डलों के 12-12 सदस्यों में से 9 से ज्यादा सदस्य आरोपी को गैर-नागरिक घोषित कर देते हैं तो रजिस्ट्रार एक और राष्ट्रीय जूरी और एक और राज्य जूरी आयोजित करेगा। यदि फिर से जूरी-मण्डल ने पहले के समान ही निर्णय दिया तो रजिस्ट्रार उस व्यक्ति को गैर-नागरिक चिन्हित कर देगा, उसे बन्दी बनाकर जेल में डाल देगा और उसे भारत से निकाल बाहर करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगा।
12. यदि किसी भी जूरी-मण्डल के सदस्यों में से 10 से कम लेकिन 8 से ज्यादा सदस्यों ने आरोपी को गैर-नागरिक घोषित कर दिया तो रजिस्ट्रार आरोपी को भारत में रहने तो देगा लेकिन उसे पूर्वोत्तर या पश्चिम बंगाल में नहीं रहने देगा। यह क्लॉज/खण्ड बांग्लादेशियों के पूर्वोत्तर में एक ही जगह ज्यादा संख्या में होने से रोकने के लिए जरूरी है।

    उपर्युक्त प्रणाली(सिस्टम)/व्यवस्था अधिकांश बांग्लादेशियों को निष्कासित/निकाल बाहर करने के लिए पर्याप्त है।

(33.7) सभी वर्तमान दलों के नेताओं की राय / उनका रूख

कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी जैसी सभी मौजूदा पार्टियां बांग्लादेशियों को आने से रोकने तक में एकदम ही दिलचस्पी नहीं दिखातीं, उन्हें निष्कासित या निकाल बाहर करना तो दूर की बात है। हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे इन दलों/पार्टियों को वोट न दें।

<u>अभ्यास</u>

1. भारत-बांग्लादेश की सीमा की लम्बाई कितनी है? इसमें से लगभग कितना प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र है?

2 1930 के दशक में लिब्या-मिस्र की सीमा पर बाड़ लगाने का समाधान सफल रहा था (इस कार्य ने *ओमार मुख्तार(*Omar Mukhthar) को इंग्लैण्ड से हथियार प्राप्त करने से सफलतापूर्वक रोक दिया) । यह कार्य लिब्या-मिस्र में सफल रहा और फिर भी भारत-बांग्लादेश सीमा पर सफल नहीं है। क्यों?

3. क्या आपका कोई ऐसा मित्र है जो एक वर्ष से अधिक समय तक असम में रहा है? यदि हां, तो कृपया एक अनुमानित प्रतिशत जनसंख्या प्राप्त करें जो बांग्लादेशी हैं।

4. आई.एम.डी.टी. अधिनियम क्या है?

http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_Migrants_%28Determination_by_Tribunal%29_Act_%28IMDT%29

http://www.rediff.com/news/2005/jul/12act1.htm

अध्याय 34 - जम्मू-कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव

इस पाठ में जम्मू-कश्मीर की समस्या के प्रस्तावित समाधान केवल संक्षेप(छोटे) में दिए गए हैं।

यह देखते हुए कि जम्मू-कश्मीर ऊंचाई पर स्थित है, जो भी देश उस क्षेत्र में अपनी सेना की टुकड़ियां स्थापित करेगा और हवाई-अड्डे(एयरबेस) बना लेगा उसे भारत, चीन और पाकिस्तान पर रणनीतिक/युद्ध में लाभ मिलेगा। जम्मू-कश्मीर की समस्या इसलिए उठी है कि अमेरिका व इंग्लैण्ड स्वतंत्र कश्मीर चाहते हैं ताकि स्वतंत्र कश्मीर को अपने तीन पड़ोसियों (चीन, भारत व पाकिस्तान) से खतरा महसूस हो और उसके सामने अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका और इंग्लैण्ड से उनकी अपनी सेनाओं की टुकड़ियां रखने के लिए कहने के अलावा और कोई चारा/विकल्प/चुनाव नहीं होगा। अमेरिका और इंग्लैण्ड सउदियों को इस बात पर राजी करने में सफल रहे हैं कि वह अपना धन/पैसा जम्मू-कश्मीर में लगाए और अमेरिका व इंग्लैण्ड जम्मू-कश्मीर में बगावत/विद्रोह पैदा करने के लिए समान/हथियार से आई.एस.आई. की मदद करेगा। बात और ज्यादा इसलिए बिगड़ गई है कि वर्ष 1991 के बाद से ही हमारे (देश के) सभी प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के भेष में अमेरिकी एजेंट/प्रतिनिधि(वायसराय) के रूप में काम किया है और इसलिए इन्होंने अमेरिकी हितों के लिए काम किया न कि भारतीय हितों के लिए। अब, हम भारतीय नागरिक इस गड़बड़ी को कैसे ठीक कर सकते हैं?

1 **प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री :** इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रधानमंत्री अमेरिका, इंग्लैण्ड या सउदियों के हाथों नहीं बिकेंगे और वे भारतीय हितों के लिए काम करेंगे। यदि प्रधानमंत्री अमेरिका और इंग्लैण्ड के एजेंट की तरह नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री की तरह काम/कार्रवाई करने लगें तो जम्मू-कश्मीर के मोर्चे/मामले पर वास्तव में भारतीय हितों के लिए कुछ कार्रवाई/काम होगा।

2. **सेना की ताकत बढ़ाएं :** यदि भारतीय सेना की ताकत बढ़ती है तो पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैण्ड जैसे देश पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों/अलगाववादियों को समर्थन/सहायता देना कम कर देंगे।

3. **धारा 370 रद्द/समाप्त करने के लिए जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में संकल्प पारित करना :** भारत के नागरिकों द्वारा बदले/हटाए जा सकने के नियम के अधीन काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री ही धारा 370 हटाने/समाप्त करने, जम्मू-कश्मीर के खिलाफ सारे भेदभाव समाप्त करने और जम्मू-कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों की बराबरी पर लाने के लिए जम्मू-कश्मीर के विधायकों को जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में संकल्प पारित/पास करवाने में समर्थ बनाएगा। यदि प्रधानमंत्री `नागरिकों द्वारा बदले/हटाए जा सकने के नियम` के अधीन काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री हुआ तो वह यह सुनिश्चित

करेगा कि 90 प्रतिशत से अधिक विधायक इस संकल्प का समर्थन करें। मैं पाठकों से इस बात पर ध्यान देने के लिए कहता हूँ कि चीन की सेना ने 1950 के दशक में तिब्बत में तब प्रवेश किया जब तिब्बत की विधानसभा ने एकमत से चीन में विलय का संकल्प पारित किया !!

4. **जम्मू-कश्मीर का विलय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में करना :** जम्मू-कश्मीर के विधायकगण जम्मू-कश्मीर का विलय(एक दूसरे में मिला देना) हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के साथ करने संबंधी संकल्प भी पारित/पास कर सकते हैं। यदि एक बार वे ऐसा संकल्प पास/पारित कर देते हैं तो भारत के नागरिक 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके जम्मू-कश्मीर का विलय(आपस में मिला देना) इन दोनों राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) में कर सकते हैं।

अध्याय 35 - राम जन्म-भूमि पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव ; मंदिरों, मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण / व्यवस्था नहीं रहेगा

(35.1) सामुदायिक ट्रस्ट

'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके मैं `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के सदस्य के रूप में सभी समुदायों और पंथों के लिए एस.पी.जी.सी.(शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी) की ही तरह राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सामूहिक ट्रस्ट/न्यास/संस्था बनाने/लागू करने और वर्तमान में सरकार के अधीन सभी मंदिरों को उन्हें सौंप देने का प्रस्ताव करता हूँ। ट्रस्ट/न्यास/संस्था का प्रमुख (समूह के) सदस्यों द्वारा बदला/हटाया जा सकेगा और सदस्यता जन्म से या धर्मपरिवर्तन के जरिए मिलेगी। इसके प्रमुख वंशानुगत नहीं होंगे अथवा वैटिकन(इटली में एक ईसाई संस्था) जैसी किसी बाहरी/विदेशी ताकत द्वारा रखे नहीं जाएँगे। प्रत्येक समूह के तीन संगठन होने जरूरी होंगे – जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय (पंथ स्तरीय यानि पंथ के स्तर का संगठन केवल राष्ट्रीय होगा)। भारत का कोई भी नागरिक जो उस धर्म का अनुयायी/मानने वाला हो, वह उस समूह का सदस्य बन सकता है और मुख्य पुजारियों का चयन/चुनाव उन धार्मिक समूहों के सदस्य-नागरिकों द्वारा किया जाएगा। सभी मुख्य पुजारी बदले/हटाए जा सकेंगे और शीर्ष/प्रमुख पुजारियों को ट्रस्ट/न्यास/संस्था के सदस्यों द्वारा, किसी सरकारी ऐजेंसी द्वारा अथवा किसी विदेशी ऐजेंसी द्वारा रखा/नियुक्त **नहीं** किया जा सकेगा।

सामूहिक ट्रस्ट/न्यास/संस्था ही समूह/समुदाय के मंदिरों, मस्जिदों और चर्च आदि के स्वामी/मालिक होंगे। वर्तमान सभी मंदिर ट्रस्टों के अधीन रहेंगे जैसा कि वे वर्तमान में होते हैं और वे सामूहिक/सामुदायिक ट्रस्ट/न्यास/संस्था के मालिक केवल तभी बन सकेंगे जब सभी वर्तमान ट्रस्ट/न्यास/संस्था के सदस्य स्वेच्छा से उन्हें जिला, राज्य अथवा राष्ट्रीय सामूहिक/सामुदायिक ट्रस्ट/न्यास/संस्था को सौंप देंगे। और सभी मंदिर जो वर्तमान में/अभी सरकार के अधीन है, उन्हें राज्य अथवा राष्ट्रीय हिंदू सामूहिक/सामुदायिक ट्रस्ट/न्यासों को सौंपा जाएगा और सभी मस्जिद जो सरकार के अधीन है, उन्हें राष्ट्रीय मुस्लिम ट्रस्ट/न्यासों को सौंपा जाएगा। और चर्च के लिए भी यही (नियम) लागू होगा। **सरकार को मंदिरों, मस्जिदों और चर्च की व्यवस्था/देखभाल करने का कार्य करते रहना नहीं चाहिए।**

(35.2) राम जन्म-भूमि, कृष्ण जन्म-भूमि व काशी विश्वनाथ के मामले/मुद्दे

भारत भर के अधिकांश हिन्दुओं ने 3 मंदिरों की ही मांग की थी – राम जन्म-भूमि, कृष्ण जन्म-भूमि और काशी विश्वनाथ (मंदिर)। पुरातत्व (प्राचीन इतिहास और संस्कृतियों का अध्ययन) सबूतों से यह नि:संदेह साबित हो गया है कि इन तीनों में से प्रत्येक पहले कभी मंदिर हुआ करते थे। यह बार-बार साबित हो चुका है कि हिन्दुओं द्वारा मांगे गए इन तीनों भूखण्डों/प्लॉटों पर मुसलमानों को कोई आपत्ति ही नहीं थी। समस्या इसलिए गंभीर हो गई है कि बीजेपी इस संख्या को 3 से बढ़ाकर 3000 अथवा 30,000 करती जा रही है। निश्चित रूप

से, मुसलमानों का बीजेपी पर भरोसा न होने के कारण ही यह गतिरोध/रूकावट आई है और यह गतिरोध मुसलमानों के हिन्दुओं पर भरोसा न होने के कारण पैदा नहीं हुआ है। मुसलमानों को बीजेपी सांसदों पर भरोसा नहीं है (न ही हिन्दुओं का ही है, यह और बात है)। लेकिन कुल मिलाकर, मुसलमानों का हिन्दुओं पर भरोसा है। इसलिए यदि कानून कहता है कि भूखण्ड/प्लॉट के हस्तांतरण के लिए 51 प्रतिशत से अधिक नागरिकों के अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी तो यह सुनिश्चित/तय करना होगा कि हिन्दू अपनी मांग को तीन ही प्लॉट तक सीमित रखेंगे। मैं `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के सदस्य के रूप में यह प्रस्ताव करता हूँ कि **'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके नागरिकों को राम जन्म-भूमि, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्म-भूमि के प्लॉटों का अधिग्रहण करना चाहिए और उन्हें हिन्दू समुदायिक न्यासों/ट्रस्ट को सौंप देना चाहिए।** इससे 20 वर्ष पुरानी इस समस्या का हमेशा के लिए/स्थायी समाधान हो जाएगा और भारत में जातीय/साम्प्रदायिक शांति/सदभाव फिर से बहाल/कायम हो जाएगा।

अध्याय 36 - आरक्षण को सरल / उपयोगी बनाने और कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव

(36.1) आरक्षण कम करने की ओर एक कदम :`आर्थिक विकल्प / चुनाव` अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के `समर्थन / हाँ` से |

`राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' को जो बात अन्य सभी पार्टियों से अलग करती है, वह यह है कि हमलोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब लोगों को आरक्षण देने की मांग को कम करने के लिए **आर्थिक विकल्प / चुनाव** नामक प्रशासनिक प्रणाली(सिस्टम) का समर्थन करते हैं।

दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए द्वितीय विकल्प/चुनाव प्रणाली(सिस्टम) का सार/सारांश इस प्रकार है:-

1. किसी उपजाति का कोई भी सदस्य जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग का हो, वह तहसीलदार के कार्यालय जाकर अपना जांच/सत्यापन करवाकर **आर्थिक-विकल्प / चुनाव** के लिए आवेदन कर सकता है। इस आर्थिक-विकल्प/चुनाव में निम्नलिखित बातें/तथ्य हैं -:

- उस व्यक्ति का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का दर्जा बरकरार/बना रहेगा।
- उसे समायोजित मुद्रास्फीति(महंगाई दर के अनुसार एडजस्ट/ठीक किया गया) (इनफ्लेशन एडजस्टेड) के बदले/लिए 600 रूपए हर साल मिलेगा जब तक कि वह अपने आर्थिक- विकल्प/चुनाव के चयन को रद्द/समाप्त नहीं कर देता।
- जब तक उसे पैसे का भुगतान होता रहेगा, तब तक वह आरक्षण कोटे में आवेदन नहीं कर सकता।
- उस दिन वह आरक्षण के लाभ के लिए पात्र/योग्य माना जाएगा, जिस दिन वह अपने दूसरे विकल्प/चुनाव को रद्द/समाप्त कर देगा।
- जितने संख्या में पिछड़ी जातियों के लोगों ने (आर्थिक) विकल्प/चुनाव लिया है, उतनी संख्या के आधार पर आरक्षित पदों की संख्या में कमी की जाएगी।
- इसके लिए पैसा सभी जमीनों पर कर/टैक्स की वसूली से आएगा कहीं और से नहीं।

2. **उदाहरण** -भारत की आबादी (लगभग) 100 करोड़ है जिसमें से 14 करोड़ लोग अनुसूचित जाति के हैं । इसलिए यदि किसी कॉलेज में 1000 सीटें हैं तो उनमें से 140 सीटें आरक्षित रहेंगी। अब मान लीजिए, इन 14 करोड़ लोगों में से लगभग 6 करोड़ लोग आर्थिक-विकल्प/चुनाव अपनाने पर जोर देते हैं तो उनमें से प्रत्येक को हर महीने 50 रूपए मिलेगा और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 6 प्रतिशत कम हो जाएगा अर्थात यह लगभग 8 प्रतिशत रह जाएगा।

अधिकांश गरीब दलितों को आरक्षण का अधिक लाभ नहीं मिला और इसलिए दलितों में उंचे वर्ग के लोगों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ रही है, गरीब दलितों के लिए (आगे बढ़ने के) अवसर

कम होते जा रहे हैं। आर्थिक विकल्प/चुनाव एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जिससे गरीब ही रहने के लिए छोड़ दिए गए गरीब दलितों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकता है। उनमें से बहुत से लोग आर्थिक विकल्प/चुनाव का रास्ता चुनेंगे(जो कि आरक्षण में दिए जाने वाले सामाजिक विकल्प/चुनाव से अलग/विपरित है)। इससे आरक्षण में कमी आएगी।

आर्थिक विकल्प/चुनाव आरक्षण को किस हद तक कम करेगा? भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है और इनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग 60 करोड़ हैं। काल्पनिक रूप से मान लिया जाए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सभी 60 करोड़ लोग आर्थिक विकल्प/चुनाव लेते हैं तो (आरक्षण) कोटा 60 प्रतिशत से घटकर शून्य प्रतिशत रह जाएगा और लागत प्रति वर्ष 1200 रूपए × 60 = 72,000 रूपए हो जाएगी। लेकिन यह अति हो जाने/अंतिम स्थिति की कल्पना मात्र है। मान लीजिए 60 करोड़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों में से 45 करोड़ आर्थिक विकल्प/चुनाव चुनते हैं तब आरक्षण 50 प्रतिशत से घटकर 15/60 × 50 = 12.5 प्रतिशत रह जाएगा। अब यदि मान लीजिए, प्रतिभा/योग्यता सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के 5 प्रतिशत लोग हैं तो प्रभावी आरक्षण केवल 7.5 प्रतिशत ही रह जाएगा।

(36.2) दूसरा संशोधन : ज्यादा पिछड़े लोगों को ज्यादा / उच्चतर प्राथमिकता देना

उन समुदायों/समूहों, जिनका प्रतिनिधित्व प्रशासन में बहुत कम है, उनको तब तक अधिक सीटें मिलती रहेंगी जब तब उनका प्रतिनिधित्व भी बराबर स्तर पर नहीं आ जाता। इसके लिए हमें एक संपूर्ण जाति जनगणना की जरूरत पड़ेगी |इसकी अधिक जानकारी आगे चलकर दी गयी है।

(36.3) आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर राय / रूख

'नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम.आर.सी.एम.)' सरकारी अदिसुचना/कानून गरीबी कम कर देगा। और शिक्षा में जो परिवर्तन के प्रस्ताव मैंने किए हैं, उससे दलितों और उंची जातियों के बीच दूरी और कम हो जाएगी। और धार्मिक संस्थानों के बारे में मैने जो प्रस्ताव किए हैं उससे मंदिरों में दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव में कमी आएगी। मैने पुलिस, सरकार, बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कोर्ट/न्यायपालिका, सरकारी वकील और इस तरह के और भी पदों के लिए प्रारंभिक भर्ती के स्तर पर सभी तरह के साक्षात्कारों/इंटरव्यू समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। इसलिए सामान्य श्रेणियों और आरक्षित श्रेणियों के बीच के बाकी बची दूरी/मतभेद धीरे-धीरे कम होते जाएंगे। इसके अलावा, हम लोग आरक्षण में निम्नलिखित संशोधन का भी प्रस्ताव करते हैं :-

1. आरक्षण की **मांग कम करने** के लिए **आर्थिक विकल्प/चुनाव** की एक व्यवस्था बनाएं (उपर विस्तार से बता दिया गया है)
2. केवल उन्हीं दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, जो हिंदू, बौध या सिख हों। और स्पष्ट करते हुए, मुसलमानों, इसाइयों आदि के दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं।

3. जो दलित, आदिवासी अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के लोग आरक्षण के पात्र हैं, उन्हें पहले अपनी-अपनी जाति के कोटे में ही आवेदन/दरखास्त/अप्लाई करना होगा और उनके कोटे पूरे भर जाने के बाद ही वे सामान्य कोटे में आवेदन/दरखास्त कर सकते हैं।
4. धर्म, आर्थिक अथवा सामाजिक आधारों सहित किसी भी अन्य आधार पर कोई आरक्षण नहीं।
5. आरक्षित जातियों के लोगों को पहले आरक्षित कोटे से ही पद मिलेंगे और उनके आरक्षण कोटा पूरा भर जाने के बाद ही सामान्य सूची के लिए उन पर विचार किया जाएगा।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि पिछड़ों में भी सबसे पिछड़ों को उप-कोटा या अन्य तरीके से लाभ मिले।

ये प्रस्ताव हमारे विस्तृत प्रस्ताव हैं। अगले भाग में विस्तृत/ज्यादा जानकारी दी गयी है।

(36.4) आरक्षण के मुद्दे पर जिन प्रशासनिक बदलाव/परिवर्तनों का हम वायदा करते हैं, उनकी ज्यादा जानकारी

1. किसी उपजाति का कोई भी सदस्य जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग का हो, वह तहसीलदार के कार्यालय जाकर अपना जांच/सत्यापन करवाकर <u>आर्थिक-विकल्प / चुनाव</u> के लिए आवेदन कर सकता है। इस आर्थिक-विकल्प/चुनाव में निम्नलिखित बातें/तथ्य हैं -:

- उस व्यक्ति का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का दर्जा बरकरार/बना रहेगा।
- उसे महंगाई दर के अनुसार अडजस्ट/ठीक किया गया (समायोजित मुद्रास्फीति) (इनफ्लेशन एडजस्टेड) के बदले/लिए 600 रूपए हर साल मिलेगा जब तक कि वह अपने <u>आर्थिक-विकल्प / चुनाव</u> के चयन को रद्द/समाप्त नहीं कर देता।
- जब तक उसे पैसे का भुगतान होता रहेगा, तब तक वह आरक्षण कोटे में आवेदन नहीं कर सकता।
- उस दिन वह आरक्षण के लाभ के लिए पात्र/योग्य माना जाएगा, जिस दिन वह अपने दूसरे विकल्प/चुनाव को रद्द/समाप्त कर देगा।
- जिन्होंने (आर्थिक) विकल्प / चुनाव लिया है, उनकी संख्या के आधार पर आरक्षित पदों की संख्या में कमी की जाएगी।
- इसके लिए पैसा सभी जमीनों पर कर/टैक्स की वसूली से आएगा कहीं और से नहीं।

2. **<u>उदाहरण</u>** - भारत की आबादी (लगभग) 100 करोड़ है जिसमें से 14 प्रतिशत अर्थात 14 करोड़ लोग अनुसूचित जाति के हैं । इसलिए यदि किसी कॉलेज में 1000 सीटें हैं तो उनमें से 140 सीटें आरक्षित रहेंगी। अब मान लीजिए, इन 14 करोड़ लोगों में से लगभग 6 करोड़ लोग आर्थिक-विकल्प/चुनाव का का रास्ता अपनाते हैं तो उनमें से प्रत्येक को हर महीने 100 रूपए मिलेगा और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 14 * 0.66 * 6/14 = 5.94 प्रतिशत कम हो जाएगा अर्थात यह 8.06 प्रतिशत रह

जाएगा।फोर्मुला - वर्त्तमान आरक्षण प्रतिशत = (आर्थिक विकल्प लेने के पहले का आरक्षण प्रतिशत) * 2/3 * (जन-संख्या जिन्होंने आरक्षण लिया है)/(जन-संख्या जो अनुसुच्चित जाती के हैं) [2/3 एक कारक है, क्योंकि कम से कम एक तिहाई (1/3) लोगों को आरक्षण दिया जायेगा]

3. यदि किसी व्यक्ति ने आर्थिक-विकल्प/चुनाव का चयन किया है और फिर वह बदलकर सामाजिक-विकल्प/चुनाव ले लेता है तो वह उसी दिन `जाती आधारित आरक्षण` लाभ का पात्र होगा । लेकिन यदि वह फिर से आर्थिक-विकल्प/चुनाव की ओर लौटता है तो उसे एक साल के बाद ही 600 रूपए हर वर्ष मिलेंगे।

4. यदि दलित या अन्य पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति ने आर्थिक-विकल्प/चुनाव को चुना है तो वह फिर से आरक्षण का लाभ लेकर सीट ले सकता है लेकिन वह तभी पात्र माना जाएगा जब वह आर्थिक -विकल्प/चुनाव छोड़ देता है/रद्द कर देता है।

5. यदि किसी व्यक्ति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ लेकर सीट लिया है तो वह आर्थिक-विकल्प/चुनाव का पात्र नहीं होगा।

6. बच्चे को 600 रूपए प्रति वर्ष का भुगतान केवल तभी मिलेगा जब उसके माता-पिता दोनों ने ही आर्थिक-विकल्प/चुनाव को चुना हो।

7. यदि माता-पिता दोनों ने आर्थिक-विकल्प/चुनाव लिया है तो उनके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 600 रूपए प्रति वर्ष मिलेगा जो अधिकतम (दो बेटे) या (2 बेटे, एक बेटी) पर लागू होगा।

<u>जाति गणना</u>

8. <u>एक संपूर्ण सम्पत्ति और उपजाति जनगणना कराना</u> : जाति संघर्ष एक सच्चाई है। इसे छिपाने से यह छूमंतर/समाप्त नहीं हो सकता है। और यदि इसे छिपाया गया तो इससे प्रशासनिक तरीके से नहीं निपटा जा सकेगा। किसी भी मुद्दे/मामले से उचित तरीके से निपटने के लिए प्रशासन को बिलकुल सही सही सूचना/जानकारी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम उपजाति जनगणना का प्रस्ताव करते हैं जिसमें हरेक व्यक्ति की उपजाति, वह सरकारी सेवा में किस पद पर है, और उसके स्वामित्व वाली भूमि/सम्पत्ति के बाजार मूल्य को नोट/दर्ज किया जाएगा। राष्ट्रीय पहचान-पत्र सिस्टम के लागू हो जाने पर जनगणना के काम में सुधार आएगा और 2-4 वर्षों में ही 1 प्रतिशत से भी कम गलतियों/त्रुटियों वाली एक सही सही प्रणाली(सिस्टम)/व्यवस्था बनाई जा सकेगी। लेकिन एक कामचलाऊ/अनुमानित प्रणाली(सिस्टम) 6 महीने में ही बनाई जा सकती है। हमलोग इस कामचलाऊ प्रणाली(सिस्टम) से काम करना शुरू कर देंगे और इस प्रणाली(सिस्टम) में हर दिन सुधार होता जाएगा और यह ठीक/सही होती जाएगी।

9. भारत में लगभग 200 उपजातियां हैं लेकिन चूंकि किसी भी जाति की एक राज्य में स्थिति और उसी जाति/उसके जैसे जाती की दूसरे राज्य में स्थिति अलग-अलग/भिन्न हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय सूची में ये उपजातियां अलग-अलग जाति के रूप में दर्ज हो जाती हैं। इसलिए राष्ट्रीय सूची में लगभग 5000 जातियां हैं जबकि अधिकांश राज्यों की सूचियों में लगभग 200-400 उपजातियां हैं। इसलिए जनगणना में यह ध्यान दिया

जाएगा कि कोई व्यक्ति 5000 जातियों में से राज्यवार किस उपजाति का है। कृपया ध्यान दीजिए, उपजातियां केवल राज्यवार होंगी।

10. यदि कोई व्यक्ति सामान्य जाति का होने का दावा करता है, तब उसे जाति या उपजाति विशेष रूप से बताने की जरूरत नहीं होगी और उसे आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन किसी व्यक्ति या उसके पिता ने आरक्षण का लाभ लिया है तो यह बताना होगा कि वह किस राज्य की किस जाती और उपजाति का है।

11. व्यक्ति-जात-सम्पत्ति आंकड़ों/डाटा का प्रयोग/उपयोग करके प्रधानमंत्री उपजातियों की प्रति व्यक्ति सम्पत्ति (की जानकारी) प्राप्त कर सकते हैं।

12. राजनीतिक कल्याण सूचक/चिन्ह : किसी जाति की राजनैतिक सूचक/चिन्ह की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी :-

पद	अंक
प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केन्द सरकार के नियामक/संचालक/रेगुलेटर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, बैंक अध्यक्ष	50,00,000 अंक
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रमुख सत्र न्यायाधीश, केन्द्र सरकार में उप सचिव, राज्य सरकार में नियामक/संचालक/रेगुलेटर, मुख्यमंत्री	40,00,000 अंक
सत्र न्यायाधीश, केन्द्र में मंत्री	10,00,000 अंक
अन्य निचली अदालतों के न्यायाधीश, राज्यों में मंत्री	5,00,000 अंक
सांसद, अनुसचिव/अंडर-सेक्रेटरी से उपर के/बड़े अधिकारी	1,00,000 अंक
विधायक, जिला पंचायत सरपंच	15,000 अंक
केन्द्र, राज्य और पुलिस आदि (सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाईयों के नहीं) के सभी श्रेणी – 1 अधिकारी	20,000 अंक
केन्द्र, राज्य और पुलिस आदि के सभी श्रेणी – 2 अधिकारी	10,000 अंक
केन्द्र, राज्य और पुलिस आदि के सभी श्रेणी – 3 अधिकारी	5,000 अंक
सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाईयों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार आदि (उपर लिखित सहित) के सभी कर्मचारी	वार्षिक वेतन को 100 से भाग देकर
प्रति व्यक्ति संपत्ति का 10,00,000 गुना वाले व्यक्ति	100,00,000 अंक
प्रति व्यक्ति संपत्ति का 1,00,000 गुना वाले व्यक्ति	10,00,000 अंक
प्रति व्यक्ति संपत्ति का 10,000 गुना वाले व्यक्ति	1,00,000 अंक
प्रति व्यक्ति संपत्ति का 1000 गुना वाले व्यक्ति	10,000 अंक
प्रति व्यक्ति संपत्ति का 100 गुना वाले व्यक्ति	1,000 अंक

पिछड़ों में भी पिछड़ा का निर्धारण करने की नीतियां/तरीके

13. कम अंक हासिल/प्राप्त करने वाली जातियों को इस कोटे में अधिक सीटें मिलेंगी।

14. उदाहरण : मान लीजिए, किसी जाति को अन्य जाति की तुलना में 10 गुना ज्यादा अंक मिले हैं। तब कम अंक हासिल करने वाली जातियों को अधिक अंक हासिल करने वाली जातियों की तुलना में 10 गुना ज्यादा सीटें मिलेंगी।

अध्याय 37 - कुछ नागरिक / सिविल व आपराधिक मामलों के संबंध में `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह`के प्रस्ताव

(37.1) नागरिक / सिविल कानून में जिन परिवर्तनों / बदलावों की हम मांग और वायदा करते हैं उनकी सूची (लिस्ट)

'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके, हम सिविल कानून में जिन परिवर्तनों की मांग और वायदा करते हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-

1. भूमि रिकार्ड प्रणाली(सिस्टम) (टोरेन्स टाइटल) लागू करना
2. सभी ऋणों का रिकार्ड रखना और सूदखोरी/अधिक ब्याज लेने से रोकना
3. कर्ज न चुका पाने/डिफाल्ट के मामलों को सुलझाने के लिए परिवर्तनों को लागू करना
4. प्रताड़ना/बुरा बर्ताव की शिकार महिलाओं/औरतों के लिए तलाक, तलाक-भत्ता(खर्चा) और बच्चे की अभिरक्षा/`देखभाल का अधिकार` की कार्रवाई तेजी से की जाए
5. **498 ए, डी.वी.ए. (कानून) समाप्त करना**
6. प्रशासनिक परिवर्तनों/बदलाव को लागू करना व विरासत/उत्तराधिकार संबंधी मामलों को सही/न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाना
7. अफीम को कानूनी मान्यता/रूप देने (के मामले) पर सार्वजनिक मतदान
8. व्यावसायिक यौनकार्य को कानूनी मान्यता/रूप देने के लिए सार्वजनिक मतदान

तथा और कई परिवर्तन।

(37.2) भूमि / फ्लैट मालिकी रिकार्ड प्रणाली (सिस्टम) लागू करना

मैं पाठकों से अनुरोध करता हूँ कि वे टोरेन्स टाइटल के बारे में http://en.wikipedia.org/wiki/Torrens_title पर पढ़ें। और टोरेन्स टाइटल के लिए गूगल पर जाएं तथा और भी लेख पढ़ें।

1. विक्रेता को अपने प्लॉट व फ्लैट का नक्शा, स्थान/अवस्थिति दर्ज करना होगा (और क्रम संख्या प्राप्त करनी होगी)।
2. यदि फ्लैट या प्लॉट को खण्डित/अलग-अलग किया गया हो या उसे इकट्ठा किया/मिलाया गया हो तो विक्रेता को अपने प्लॉट/फ्लैट का नक्शा, परिवर्तनों का स्थान/अवस्थिति को दर्ज करना होगा (और नई क्रम संख्या प्राप्त करनी होगी)।
3 खरीददारों और `बेचने वालों` को सरकारी कार्यालयों में सरकारी अधिकारी के समक्ष बिक्री समझौता(agreement of sale) पर हस्ताक्षर करना होगा।
4. बिक्री को तत्काल सरकारी रिकार्ड/अभिलेख में दर्ज किया जाए।

5. यदि कोई जाली/फर्जी विक्रेता अपना प्लॉट या फ्लैट को दो बार अलग-अलग व्यक्तियों को बेचने में कामयाब/सफल हो जाता है तो सरकार कम से कम एक ठगे गए खरीददार/क्रेता को मुआवजा देगी।
6. यदि कोई फर्जी `बेचने वाला`/विक्रेता स्वयं को कोई दूसरा व्यक्ति बताकर प्लॉट, फ्लैट बेचने में सफल हो जाता है तो सरकार सही/वास्तविक मालिक को मुआवजा देगी।
7. इसलिए खरीददार/क्रेता को पूर्व के मालिकों की चेन/श्रंखला का जांच द्वारा सही ठहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी – उसे केवल भूमि रजिस्ट्री में सूचीबद्ध/दर्ज मालिकों से ही कारोबार करने की जरूरत होगी।

टोरेन्स टाइटल (प्रणाली(सिस्टम)) विक्रेता द्वारा भूमि या फ्लैट दो बार बेचना असंभव बना देता है। और इसमें फर्जी मामले इतने कम, 10,000 मामलों में 1 से भी कम, होते हैं कि बिक्री राशि का मात्र 1 प्रतिशत शुल्क/फीस लेकर सरकार बीमाकर्ता(बीमा करने वाली) के रूप में काम करने में सक्षम/समर्थ है। टोरेन्स टाइटल सबसे पहले वर्ष 1860 की दशक में आष्ट्रेलिया में आया और तब से आष्ट्रेलिया ने ऐसी समस्या का सामना नहीं किया है कि किसी व्यक्ति ने दो लोगों को अपना प्लॉट बेच दिया हो। मैं राज्य स्तरीय ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’का प्रयोग करके भारत के सभी राज्यों में टोरेन्स टाइटल (प्रक्रिया) लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

(37.3) सूदखोरी / अधिक ब्याज लेने से रोकने के लिए कानून

सूदखोरी/अधिक ब्याज लेने की व्यवस्था केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि जमीन हड़पने वालों को मंत्रियों, जजों और पुलिस प्रमुखों द्वारा सुरक्षा/संरक्षण प्राप्त है। मैंने ऐसी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव किया है कि जिसके द्वारा नागरिक पुलिस प्रमुखों, जजों, मंत्रियों आदि को बदल सकें और मैंने छोटे/जूनियर पुलिसवालों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम) का प्रस्ताव किया है। ये प्रक्रियाएं पुलिसवालों, मंत्रियों, जजों आदि के मन में भय पैदा करेंगी और वे भूमाफियाओं/जमीन हड़पने वालों के साथ अपनी सांठ-गाँठ/मिली-भगत कम कर देंगे। इसके अलावा, मैंने सभी आपराधिक सुनवाइयों (मामलों) में जूरी सुनवाई का प्रस्ताव किया है। इससे कर्ज-माफियाओं की कर्ज लेने वालों के खिलाफ हिंसा/बल प्रयोग की क्षमता/ताकत में कमी आएगी।

कर्ज देने/इसका प्रबंध करने के संबंध में मैं एक ऐसा कानून लाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें प्रत्येक नेताओं को उस कर्ज/ऋण का खुलासा करना होगा जो उसने प्रत्येक कर्जदार को दिए हैं और जो ब्याज वह प्राप्त कर रहा है, उसका भी खुलासा करना होगा। ब्याज दर की उच्चतम सीमा `उधार देने की मुख्य दर(पी.एल.आर)` का 1.5 गुना होगा (उदाहरण – जनवरी, 2008 में, पी.एल.आर. हर महीने 1.25 प्रतिशत थी और इस प्रकार निजी उधार देने की सीमा हर महीने 2.5 प्रतिशत थी)। और मैं जूरी सुनवाई लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसका प्रयोग करके जूरी-मण्डल के सदस्यगण कर्ज-माफियाओं/जमीन हड़पने वालों को जेल भेज सकेंगे।

(37.4) सताई गई / `बुरी तरह से पीटी गयी` औरतों के लिए तलाक और बच्चे की अभिरक्षा / `देखभाल का अधिकार` की तेजी से सुनवाई

मैं उन कानूनों के प्रारूपों/ड्राफ्टों का प्रस्ताव करूंगा जिसका प्रयोग करके सताई गई(परित्यक्ता) औरतें तेज न्यायिक सुनवाइयों की मांग कर सकेंगी और जूरी उन्हें तलाक, तलाक-भत्ता(खर्चा) और बच्चे की `देखभाल का अधिकार` प्रदान कर सकेंगे। अलगाव या तलाक होने पर बच्चे की देखभाल पर विवाहित महिलाओं/औरतों का अधिकार होना चाहिए।

(37.5) 498 ए और डी.वी.ए. कानून समाप्त / रद्द करना

'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके हम नागरिकों को 498 ए और डी.वी.ए. कानून समाप्त करना चाहिए और हम नागरिक ऐसा कर सकते हैं।

(37.6) अफीम और / अथवा चरस को कानूनी मान्यता देने अथवा इन्हें अपराध घोषित करने का प्रस्ताव

मैं पाठकों से http://en.wikipedia.org/wiki/Opium . पढ़ने का अनुरोध करता हूँ।

चरस/हशिश, अफीम आदि जैसे `बहुत ही कम नशा वाली`(सॉफ्ट) औषध वर्ष 1800 से पहले से ही विश्व के लगभग सभी देशों में (प्रचलित) थे। अमेरिका में ये वर्ष 1900 तक वैध/कानूनी मान्यता प्राप्त थे और भारत में इन्हें वर्ष 1950 तक कानूनी मान्यता मिली हुई थी। चरस/हशिश अफीम और ऐसे अन्य `बहुत ही कम नशा वाली`(सॉफ्ट) औषध का हानिकारक प्रभाव/दुष्प्रभाव किसी दर्दनिवारक/`दर्द कम करने वाली ` अथवा मनोवैज्ञानिक दवाओं से कम होता है। अफीम तो तम्बाकू से भी कम हानिकारक है। उदाहरण – अफीम, चरस/हशिश से कैंसर, क्षयरोग/यक्ष्मा रोग आदि नहीं होता और अफीम व चरस शराब से कम हानिकारक हैं। उदाहरण – अफीम और चरस से जिगर/लीवर का रोग नहीं होता। अफीम और चरस/हशिश सामाजिक रूप से भी कम नुकसानदायक हैं। अफीम या चरस किसी व्यक्ति को बलात्कार करने के लिए हिंसक या इसका इच्छुक नहीं बनाता । वास्तव में, अफीम किसी व्यक्ति को कम हिंसक बना देती है। और अफीम इस बात की संभावना कम कर देती है कि वह बलात्कार करेगा। अफीम, चरस/हशिश की उत्पादन लागत तम्बाकू अथवा शराब से कम है। तब फिर, सरकार ने अफीम, चरस/हशिश पर रोक क्यों लगाई?

वर्ष 1900 की शुरूआत में `मन के रोगों की चिकित्सा(मनोचिकित्सा)` के क्षेत्र में दवाइयों का विकास हुआ। बहुत सी मनोवैज्ञानिक दवाइयों का पता लगाया(आविष्कार/इजाद हुआ) और कई दवाओं ने रोगियों को चमत्कारिक रूप से ठीक कर दिया। लेकिन आज भी, ये दवाएं रोगियों के एक बहुत बड़े भाग अर्थात 50 प्रतिशत रोगियों पर काम नहीं करतीं। ऐसे मामलों में अक्सर अफीम, चरस/हशिश सर्वोत्तम/सबसे बढ़िया उपलब्ध दवाईयों के रूप में काम करती है। ये रोगियों को शान्त करती हैं और कभी कभी रोगी खुद ही अपने विचारों को सही करने में सफल हो जाते हैं और वे ठीक/रोगमुक्त हो जाते हैं। **इसलिए अफीम, चरस/हशिश और अन्य `बहुत ही कम नशा वाली`/सॉफ्ट औषधें मानसिक औषधियों/दवाइयों की मांग कम कर देते हैं।** और इसलिए दवा बनाने वाली(फारमास्यूटिकल) कम्पनियां बुद्धिजीवियों को घूस देती हैं कि वे अफीम, चरस/हशिश के खिलाफ (गलत) प्रचार अभियान शुरू करें और फिर वे सांसदों आदि को घूस देती हैं कि वे अफीम, चरस/हशिश पर प्रतिबंध लगाने का कानून लागू करें। अफीम, चरस/हशिश पर

प्रतिबंध लगने से पुलिसवालों, मंत्रियों और जजों आदि को मिलने वाला घूस का पैसा भी पहले से बढ़ जाता है। प्रतिबंध लगने का दुष्प्रभाव यह होता है कि अफीम, चरस/हशिश की कीमतें 100 गुना बढ़ जाती हैं और इसलिए अफीम के लती/नशेबाज चोरी जैसे अपराध का सहारा लेने लगते हैं और इसका परिणाम अफीम खरीदने के लिए हिंसा के रूप में सामने आता है। लेकिन यदि अफीम को कानूनी मान्यता दे दी जाए तब अफीम तो कॉफी और चाय से भी ज्यादा सस्ती हो जाएगी और किसी को भी अफीम की कीमत/मूल्य चुकाने के लिए हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अफीम पर प्रतिबंध लगने से स्मैक आदि जैसे ज्यादा हानिकारक नशीले पदार्थों का प्रयोग अधिक होने लगता है जिसमें प्रति घन सेंटी-मीटर मात्रा में ज्यादा नशा होता है। और क्यों मात्रा का घन सेंटी-मीटर में होना एक कारक बन जाता है ? क्योंकि जब किसी वस्तु पर रोक/प्रतिबंध लगायी जाती है तो फेरीवालों/बेचनेवालों का फायदा क्यूबिक सेंटीमीटर मात्रा पर ज्यादा निर्भर करता है और ढलाई/परिवहन लागत पर नहीं। स्मैक आदि जैसे औषध/नशीले पदार्थ घन सेंटीमीटर में कम स्थान लेते हैं और इसलिए ये फेरीवालों/बेचनेवालों के लिए अफीम से ज्यादा सस्ते होते हैं। इससे नशेबाजों का स्वास्थ्य और भी खराब हो जाता है और दवाविक्रेता कम्पनियों/फार्मास्यूटिकल्स की बिक्री बढ़ जाती है।

इसके अलावा, अफीम पर प्रतिबंध लग जाने से तम्बाकू की बिक्री और कैंसर बढ़ जाता है। इससे दवा विक्रेता कम्पनियों की बिक्री और बढ़ जाती है। इसलिए कुल मिलाकर, अफीम (पर प्रतिबंध) से केवल दवा विक्रेता कम्पनियों और भ्रष्ट पुलिसवालों, जजों, मंत्रियों को ही फायदा होता है और नशेबाजों को यह बरबाद कर देता है और इससे समाज में अपराध की दर भी बढ़ती है।

चरस/हशिश को कानूनी मान्यता दे देने से अपराध कम होंगे या अपराध बढ़ेंगे? एक वास्तविक उदाहरण के रूप में, नीदरलैण्ड ने अफीम को कानूनी मान्यता दे दी और इससे गंभीर अपराधियों की की संख्या 14,000 से घटकर 12,000 रह गई और नीदरलैंड में कैदियों के कम जाने से 8 जेलें बंद करनी पड़ीं !! नीदरलैण्ड विश्व के कुछ ऐसे देशों में से है जहां उच्च सुरक्षा वाले जेलों को बन्द/समाप्त किया जा रहा है !!(http://www.lifemeanshealth.com/health-videos/health-politics/netherlands-closing-8-prisons-due-to-plummeting-crime-rates.html)

इसलिए क्या हमें अफीम को कानूनी मान्याता/रूप देनी चाहिए? मेरा मत तो हां है लेकिन यदि मैं प्रधानमंत्री भी होता ,तो भी मैं इस संबंध में खुद निर्णय नहीं लेता। क्योंकि वे लोग जिन्हें इससे लाभ मिलता है वे एक ऐसे प्रधानमंत्री का समर्थन नहीं करेंगे जो ऐसे निर्णय लेता हो, शत्रु पक्ष (दवाविक्रेता कम्पनियों, भ्रष्ट पुलिसवाले/ जज/ मंत्री) आदि उसके खिलाफ एक उच्चस्तरीय घृणा अभियान/प्रचार चलाएंगे। ऐसे निर्णय जनता के वोट द्वारा लिया जाना सबसे अच्छा होता है। जब अफीम को वैध/कानूनी बनाने को जनता के मतदान के लिए सामने लाया जाएगा तो अधिकांश नागरिक यह महसूस करेंगे कि अफीम पर प्रतिबंध लगाने से नशेबाजों का स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो जाता है और यह नशा न करने वाले लोगों की जिन्दगी और संपत्ति पर खतरा बढ़ा देता है(क्योंकि अपराध बढता है)। इसलिए ज्यादातर नशेबाज हां पर मतदान करेंगे और उसके परिवार के लोग भी ऐसा ही करेंगे। और ऐसा ही अधिकांश नशा न करने वाले लोग भी करेंगे। और इस प्रकार बिना किसी घृणा/बदनामी के अभियान के ही अफीम को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। **इसलिए मेरा प्रस्ताव 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके अफीम, चरस/हशिश को कानूनी रूप/मान्यता**

देना है। कैसे? मैं 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके एक कानून लागू करवाने का प्रस्ताव करता हूँ कि जूरी और केवल जूरी ही किसी नशेबाज अथवा एक फेरीवाले/पैडलर को सजा दे सकती है अथवा उसे रिहा/दोषमुक्त कर सकती है। इसलिए क्या कोई जूरी किसी नशेबाज या फेरीवाले को कभी सजा देगी? ऐसी संभावना नहीं है। मेरे अनुसार, वास्तव में, कोई जूरी किसी नशेबाज को कभी सजा नहीं देगी जिसने कोई और हिंसक अपराध नहीं किया है। इस प्रकार, एक ऐसा कानून लागू करके कि कोई जूरी ही किसी नशा के सौदागर अथवा नशेबाज को दण्ड दे सकती है, मैं `बहु कम नशे वाली`/सॉफ्ट औषधों को "कानूनी रूप से मान्य" बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। और जनता का मत अथवा फैसला जो भी होगा/आएगा, उसे मैं स्वीकार करूंगा।

(37.7) व्यावसायिक यौनक्रिया को कानूनी बनाने अथवा इसे अपराध घोषित करने पर प्रस्ताव

एक अच्छा राजनीतिज्ञ होने का श्राप यह है कि मुझे **सभी** महत्वपूर्ण मुद्दों, जो हमारे समाज पर प्रभाव डालते हैं, पर अपने विचार/राय देने पड़ते हैं और यदि वह मुद्दा गलत है तो उसे गलत कहना पड़ता है। और एक बेइमान और बुरा बुद्धिजीवी होने का लाभ यह है कि वह हमेशा असली मुद्दे को नजरअन्दाज कर सकता है और केवल अच्छे-अच्छे मुद्दों/विषयों पर ही बातें करता है, मानों अच्छी-अच्छी बातें करने से समस्याएं छूमंतर/समाप्त हो जाएंगी। मैं सभी वास्तविक/असली मुद्दों का सामना करना पसंद करूंगा क्योंकि अच्छी-अच्छी बातों में डूबे रहने से असली मुद्दे सुलझ नहीं जाएंगे।

भारत में लिंग अनुपात 1000 पुरूषों पर 930 महिलाएं है। `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' कानून और अन्य कानून जैसे गरीबी, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कानून, जो बूढ़े लोगों का ख्याल रखते हैं, वे लिंग अनुपात में सुधार लाकर (समस्याएं) कम कर देंगे। लेकिन लिंग अनुपात सुधरने में कम से कम 20 वर्ष लगेंगे। इसलिए अगले 10-20 वर्षों तक लिंग अनुपात 1000 पुरूषों पर 930 महिलाओं के आस-पास ही रहेगा। और इसलिए मेरे विचार से, यदि व्यावसायिक यौनक्रिया को कानूनी मान्यता नहीं दी गई तो हिंसक अपराध, चोरी और यहां तक कि यौन अपराध भी केवल बढ़ेंगे ही। इसके अलावा, व्यावसायिक यौनक्रिया को अपराध घोषित करना केवल हिंसक दलालों, भ्रष्ट पुलिसवालों, भ्रष्ट जजों और भ्रष्ट मंत्रियों को ही लाभ पहुंचाता है, किसी और को नहीं। यह केवल ग्राहकों पर लागत को ही बढ़ाता है और इसलिए बहुत से ग्राहक हिंसक/वित्तीय अपराधों को ही सहारा लेंगे। और जब व्यावसायिक यौनक्रिया पर रोक/प्रतिबंध लगाया जाएगा तो ईमानदार और अहिंसक लोग दलाल बनने से बचना चाहेंगे और इसलिए केवल हिंसक अपराधी लोग ही दलाल बनेंगे। और इसलिए यौन श्रमिकों को और अधिक शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। व्यावसायिक यौनक्रिया पर प्रतिबंध लगाने से औसत/सामान्य नागरिकों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। क्या व्यावसायिक यौनक्रिया से यौन-रोग तेजी से फैलते हैं? यदि ऐसा ही है तो सिंगापुर और अनेक अन्य देश, जिन्होंने व्यावसायिक यौनक्रिया को कानूनी रूप दिया है, उन देशों में यौन-रोग कम क्यों हैं? ऐसा इसलिए है कि यह रोग केवल जानकारी के अभाव में ही फैलता है। यौनक्रिया का व्यावसायिककरण करने से इसका कोई लेना देना नहीं है।

इसलिए व्यावसायिक यौनक्रिया को कानूनी रूप/मान्यता देने के पक्ष और विपक्ष में मैं किन कानूनों का प्रस्ताव करता हूँ?

'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके मैं एक ऐसा कानून लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ कि जिसमें किसी यौन-श्रमिक होने, यौनश्रमिक के पास जाने अथवा बिचौलिए के रूप में कार्य करने के दोषी किसी व्यक्ति के संबंध में फैसला केवल जूरी द्वारा किया जाएगा। भारत में 12 क्रमरहित तरीके से चुने गए लोग कभी भी अहिंसक व्यक्तियों को सज़ा नहीं देंगे | और "व्यावसायिक यौनक्रिया संबंधी अपराधों के लिए केवल जूरी" (प्रक्रिया होने) के परिणामस्वरूप व्यावसायिक यौनक्रिया को एक तरह से कानूनी मान्यता ही मिल जाएगी। इसके अलावा, जब नागरिकों के पास जिला पुलिस प्रमुख को हटाने/बदलने की प्रक्रिया मौजूद होगी तो जिला पुलिस प्रमुख को यह इशारा मिलेगा कि यौन-श्रमिकों को पकड़ने के उसके कार्य को जनता चाहती है या नहीं। यदि नागरिकगण उससे यह चाहते हैं कि वह यौन-श्रमिक(सेक्सवर्कर्स) को पकड़े तो वह ऐसा करेगा, नहीं तो वह उन्हें नहीं पकड़ेगा। यह व्यावसायिक यौनक्रिया को कानूनी मान्यता देने के मसले/मामले को सुलझा देगा।

(37.8) अपमिश्रण / मिलावट कम करने के लिए कानून

मिलावट रोकने / कम करने के लिए प्रजा अधीन – जिला स्वास्थ्य अधिकारी कानून आवश्यक और पर्याप्त है।

अध्याय 38 - बलात्कार (की घटनाएं) कम करने के लिए कानून में `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह``द्वारा प्रस्तावित बदलाव / परिवर्तन

(38.1) तकनीकी साधन

1. **राष्ट्रीय डी.एन.ए. आंकड़ा कोष (डाटाबेस)** : सभी पुरूषों के डी.एन.ए. का आंकड़ा कोष(डाटाबेस) तैयार करना बलात्कार के आरोपियों को कम लागत में और तेज गति से पकड़ने/खोज निकालने में उपयोगी होगा। पकड़े/खोज निकाले जाने का डर आरोपियों को बलात्कार करने से रोकेगा।
2. **जितनी ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर संभव हो सके, कैमरे लगाना :** जितना अधिक संभव हो सके उतने कैमरे लगाकर हम बलात्कार और बस अड्डों / स्टॉपों बसों के भीतर और अन्य भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ की घटनाओं को कम कर सकते हैं।
3. **प्रत्येक महिला को आवाज की सुविधा तथा खतरे का संकेत देने वाले पैनिक बटन उपकरण उपलब्ध कराना :** प्रत्येक महिला को ऐसा एक उपकरण दिया जा सकता है जिसे बन्द न किया जा सके (जब तक कि उसे तोड़ न दिया जाए), और वह उपकरण किसी नियंत्रण कक्ष को लगातार महिला के आसपास/चारो तरफ की आवाजें भेजता रहेगा। साथ ही, इस उपकरण में खतरे का(पैनिक) बटन लगाया जा सकता है। जब इस बटन को दबाया जाएगा तो यह खतरा का(पैनिक) बटन नजदीक के किसी फोन टावर के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों को खतरे का संकेत भेजेगा। ज्ञात तकनीकी तरीकों से महिला के उपस्थित रहने के स्थान का भी पता लगाया जा सकता है।
4. **महिलाओं को बंदूकें देना :** महिलाओं को बंदूकें और अन्य हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। और उन्हें इन हथियारों आदि को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(38.2) बलात्कार संबंधी कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन

बलात्कार के मामलों में मुकद्दमा चलाने में हम निम्नलिखित परिवर्तनों/बदलावों का प्रस्ताव करते हैं –

1. बलात्कार के सभी मामलों में सुनवाई जूरी और केवल जूरी द्वारा ही की जाएगी। जूरी में जिलों से क्रमरहित तरीके से चुने गए 25 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष के बीच के उम्र के 25 नागरिक होंगे। इन 25 नागरिकों में से 13 नागरिक महिलाएं होंगी और 12 पुरूष नागरिक होंगे।
2. यदि आरोपी चाहता हो या 25 जूरी सदस्यों में से 13 जूरी सदस्य यदि जरूरी समझते हों कि आरोपी पर सच्चाई सीरम जांच(नार्को जाँच) की जानी चाहिए, तो जांच अधिकारी मुलजिम पर सच्चाई सीरम जांच करेगा।
3. यदि शिकायतकर्ता चाहता हो या 25 जूरी सदस्यों में से 18 जूरी सदस्य यदि जरूरी समझते हों कि शिकायतकर्ता पर सच्चाई सीरम जांच की जानी चाहिए, तो जांच अधिकारी शिकायतकर्ता पर सच्चाई सीरम जांच करेगा।

4. यदि 25 जूरी सदस्यों में से 18 से ज्यादा जूरी सदस्य सच्चाई सीरम जांच के सीधे प्रसारण की अनुमति दे देते हैं तो सच्चाई सीरम जांच मीडिया के लिए उपलब्ध होगी और इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।

बलात्कार की सुनवाई में सच्चाई सीरम जांच अनिवार्य है क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष झूठ बोल सकता है और ज्यादातर सबूत/साक्ष्य ज्यादातर अधूरे होते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा यह बता सकते हैं कि (शारीरिक) संबंध बने हैं लेकिन जोर जबरदस्ती या धमकी के प्रयोग को प्रमाणित नहीं करते। वर्तमान कानूनों में सच्चाई सीरम जांच के लिए जज/न्यायाधीश की अनुमति की जरूरत होती है और चूंकि जज अनुमति नहीं भी दे सकते हैं इसलिए अपराधी अकसर छूट जाते हैं। इसलिए, सच्चाई सीरम जांच का निर्णय जूरी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह वर्तमान कानून गलत है कि महिला की गवाही ही अंतिम मानी जायेगी और इसे बदलकर इसके स्थान पर सच्चाई सीरम जांच(नार्को जांच) को अनिवार्य किया जाना चाहिए। भारत में बलात्कार के मामलों को रोकने में तकनीकी साधन और सच्चाई सीरम जांच का प्रयोग सशक्त/मजबूत साधन बनेगा।

अध्याय 39 - कानून बनाने (के कार्य में) सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

(39.1) कानून बनाने (के कार्य) में समस्याएं

1. <u>पहली समस्या</u> : सांसद, विधायक आदि वैसे कानून नहीं बनाते जैसा हम नागरिक चाहते हैं। उदाहरण : सांसदगण `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' कानून लागू करने से मना/इनकार करते हैं, जिस कानून से हम आम लोगों को `आई.आई.एम.ए.`प्लॉट, हवाई अड्डों आदि जैसे सरकारी प्लॉटों से जमीन का किराया मिल सकता था। इसी प्रकार, सांसदों ने प्रजा अधीन – सुप्रीम-कोर्ट के जज, प्रजा अधीन – हाई-कोर्ट के जज, प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री आदि कानून लागू करने से मना/इनकार कर दिया है।
2. सांसद वैसे कानून बनाते हैं जो नागरिकगण नहीं चाहते है। उदाहरण – जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सांसदों को घूस देती हैं तो सांसद पेटेंट कानून लागू करते हैं जो दवाइयों की कीमत कई गुना बढ़ा देती है।

क्यों सांसद, विधायक ऐसा बर्ताव/व्यवहार करते हैं? केवल भ्रष्टाचार के कारण, इसका और कोई कारण नहीं है। **सांसद और विधायक कुछ कानूनों को पारित/पास न करने के लिए घूस लेते हैं और कुछ कानूनों को पास/पारित करने के लिए घूस लेते हैं।** नागरिकों के पास उन्हें झेलते/सहन करते रहने के अलावा और कोई चारा/विकल्प नहीं है क्योंकि नागरिक इन्हें हटा/बर्खास्त नहीं कर सकते और ना ही कानून आदि ही बदल सकते हैं।

(39.2) पहली समस्या का समाधान

'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)', प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री और प्रजा अधीन – सांसद कानून पहली समस्या का समाधान कर देते हैं। यदि सांसद कानून बनाने/लागू करने पर राजी नहीं होते तो 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)'का प्रयोग करके नागरिक प्रधानमंत्री/सांसदों को उस कानून को लागू करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। और प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन – सांसद का प्रयोग करके नागरिक उन प्रधानमंत्री व सांसदों को निकाल सकते हैं, जो सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए, यह समस्या कि सांसद `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' , प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि जैसे कानून लागू नहीं कर रहे हैं, का समाधान 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' से हो सकता है।

(39.3) दूसरी समस्या का समाधान

कई बार, हम पाते/देखते हैं कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां आदि सांसदों को घूस दे देती हैं और कानून पास/पारित करवा लेती हैं। इस समस्या को दूर/कम करने के लिए मैं क्या प्रस्ताव कर रहा हूँ?

कानून बनाने में, कोई भी कानून प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बिना शायद ही कभी पारित/पास होता है। सर्वाधिक भ्रष्ट कानून भी प्रधानमंत्री के सहयोग से ही पास/पारित होता है। आज की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री नागरिकों की परवाह नहीं करते क्योंकि नागरिकों के पास प्रधानमंत्री को हटाने/बदलने की कोई प्रक्रिया/तरीका नहीं है। इसलिए प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री कानून प्रधानमंत्री को भ्रष्ट कानूनों को पारित/पास करने से रोकेगा। और प्रजा अधीन – सांसद (कानून) सांसदों को भी भ्रष्ट कानून पारित करने से रोकेगा। इसके अलावा, जिन कानूनों का प्रस्ताव मैंने किया है, उनमें से एक कानून नागरिकों को सांसदों तथा प्रधानमंत्री पर सच्चाई सीरम जांच(नार्को जांच) करने की इजाजत देता है यानि समर्थ बनाता है। और उन्हें जुर्माना लगाने, कैद में डालने और सांसदों/प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देने में भी सक्षम/समर्थ बनाता है। यह सांसदों/प्रधानमंत्री द्वारा घूस लेकर कानून पास करने में भयंकर रूकावट पैदा करेगा।

इसके अलावा, मान लीजिए, सांसद और प्रधानमंत्री अभी भी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से घूस लेकर या अन्य कारणों से किसी भ्रष्ट कानून को पारित करने का साहस करते हैं, तो प्रजा अधीन- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और प्रजा अधीन - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कानून इस बात की संभावना बढ़ा देगा कि उच्चतम न्यायालय के जज और उच्च न्यायालय के जज ऐसे कानून को तत्काल रद्द कर देंगे क्योंकि उन्हें भी यह चिन्ता रहेगी कि ऐसा न करने पर नागरिक उन्हें ही हटा/बर्खास्त कर देंगे।

'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' स्वयं ही इस बात की संभावना कम कर देती है कि सांसद और विधायक घूस लेकर किसी कानून को लागू भी करेंगे। क्योंकि मान लीजिए, कोई कम्पनी किसी कानून को लागू कराने के लिए हर सांसद को 1 करोड़ रूपए घूस देती है जिसका कुल योग 800 करोड़ रूपया होता है। अगले ही दिन, नागरिक 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके उस कानून को रद्द/समाप्त कर सकते हैं और इस प्रकार वह कम्पनी अपने सभी 800 करोड़ रूपए से हाथ धो बैठेगी और वास्तव में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा।

इन सभी सुरक्षा उपायों को देखते हुए, इस बात की संभावना अब नहीं रह जाती है कि सांसद घूस लेकर कानूनों को लागू करेंगे। इतना ही नहीं, निम्नलिखित प्रक्रियाएं ऐसी किसी भी संभावना को और भी कम कर देती हैं –

1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके मैं एक ऐसी प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसका प्रयोग करके नागरिक पटवारी/तलाटी के कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर संसद में प्रभावशाली ढ़ंग से हां/नहीं दर्ज करवा सकते हैं।
2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके मैं, कानून बनाने (के कार्य) पर भी जूरी प्रणाली(सिस्टम) लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

(39.4) नागरिकों को संसद में हां / नहीं दर्ज करने में समर्थ / सक्षम बनाने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह`के प्रस्ताव

जिस सरकारी अधिसूचना(आदेश) का मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ, वह निम्नलिखित है –

1. कोई भी नागरिक लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में जाकर किसी प्रस्तावित विधेयक/क़ानून/बिल का पाठ जमा करवा सकता है तथा एक निजी संख्या प्राप्त कर सकता है।
2. कोई भी नागरिक तलाटी (पटवारी) के पास जाकर अपना पहचान-पत्र दिखलाकर और 3 रूपए का शुल्क देकर किसी भी सुझाए गए बिल/विधेयक/क़ानून पर हां/नहीं दर्ज करवा सकता है। क्लर्क उसके हां/नहीं के लिए उसे रसीद देगा। नागरिक अपनी हां/नहीं किसी भी दिन बदल सकता है। इस हां/नहीं को अध्यक्ष की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा (कृपया ध्यान दें कि इसमें कुछ भी नहीं छिपाया जाता है)।
3. कोई सांसद अध्यक्ष के सामने अपनी हां/नहीं दर्ज कर सकता है। यदि सांसद हां/नहीं दर्ज नहीं कराता है तो उसे ‘ना’ के रूप में गिना जाएगा।
4. सांसद का वोट , उन सबके लिए गिना जाएगा , जिन्होंने किसी विधेयक/क़ानून पर अपना हां/नहीं दर्ज नहीं किया है । उदाहरण: मान लीजिए, किसी क्षेत्र में 50,000 मतदाता हैं और जहां मान लें, 15,000 (30%) ने ‘हां’ मत डाला, 5,000 (10%) ने ‘ना’ मत डाला और 30,000 (60 %) ने प्रस्ताव पर अपना मतदान नहीं किया। इस स्थिति में, अध्यक्ष, सांसदों (के वोटों की कीमत) को 100%-30%-10% = 60 % के बराबर मानेंगे। अब मान लीजिए कि सांसद ‘हां’ पर वोट देता है तो उस क्षेत्र का ‘हां’ भाग 30%+60% = 90% होगा और ‘ना’ भाग 10% होगा। यदि सांसद ‘ना’ के रूप में वोट देता है तो उस क्षेत्र का ‘हां’ भाग 30% होगा और ‘ना’ भाग 60%+10% = 70 % होगा।
5. लोकसभा अध्यक्ष प्रत्येक चुनावक्षेत्र के ‘हां’ और ‘ना’ भाग को जोड़ेगा।
6. यदि सभी ‘हां’ भाग का जोड़/योगफल 60 दिनों के भीतर 50% से अधिक होगा तो लोकसभा अध्यक्ष उस विधेयक/क़ानून को राज्यसभा अध्यक्ष को भेज देंगे। यदि प्रस्ताव को निजी संख्या जारी करने के 60 दिनों के भीतर 50% समर्थन नहीं मिलता तो लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को असफल घोषित कर देंगे।
7. राज्य सभा अध्यक्ष राज्य सभा के सांसदों को उस दिन से ही हां/नहीं दर्ज करने देगा जिस दिन बिल को निजी संख्या मिल जाएगी। यदि कोई सांसद अपना वोट दर्ज नहीं करवाता है तो उसे `ना` के रूप में समझा जाएगा।
8. राज्य सभा का अध्यक्ष विधेयक/क़ानून के हां भाग और ना भाग की गणना निम्नलिखित प्रकार से करेगा:-

(क): मान लीजिए किसी राज्य में **`क`** सांसद हैं।

(ख): मान लीजिए कि उस राज्य में मतदाताओं की संख्या **`ख`** के बराबर है जिनमें से **`ग`** के बराबर मतदाताओं ने हां दर्ज करवाया है और **`घ`** के बराबर मतदाता ना दर्ज करवाते हैं और (**ख-ग-घ**) मतदाताओं ने अपना हां या ना दर्ज नहीं करवाया।

(ग): तब उस राज्य के प्रत्येक सांसद का मत (**ख-ग-घ**)/**क** होगा।

9. यदि (बिल/विधेयक/क़ानून) पारित हो जाता है तो इसका महत्व संसद द्वारा पारित विधेयक/क़ानून के समान होगा।

उपर बताई गई प्रक्रिया से नागरिक अपनी मनचाही/मनपसंद कानून लागू करवाने में समर्थ होंगे।

(39.5) उपर्युक्त कानून लागू करवाने के लिए ड्राफ्ट / प्रारूप

<u>सरकारी अधिसूचना(आदेश)</u> – 1 : नागरिकों द्वारा हां/नहीं दर्ज करना

#	निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया	प्रक्रिया/अनुदेश
1	-	नागरिक शब्द का अर्थ एक पंजीकृत/रजिस्टर्ड मतदाता होगा।
2	कलेक्टर (अथवा उसका क्लर्क)	कलक्टर (उसका क्लर्क) किसी भी नागरिक से कोई कानून लागू करवाने के लिए 20 रूपए प्रति पृष्ठ का शुल्क लेकर प्रस्ताव स्वीकार करेगा और प्रस्ताव के लिए एक क्रम संख्या जारी करेगा । और प्रधानमन्त्री की वेबसाइट पर रकेगा	
3	तलाटी, पटवारी (अथवा उसका क्लर्क)	अगले 90 दिनों तक तलाटी/क्लर्क नागरिकों को इस (प्रस्तावित) विधेयक/क़ानून पर उनके हां/नहीं दर्ज करने की अनुमति देगा। क्लर्क नागरिकों से तीन रूपए का शुल्क, नागरिक पहचान पत्र बिल/विधेयक/क़ानून की क्रम संख्या और उसके हां अथवा नहीं की प्राथमिकता/पसंद मांगेगा/लेगा। तब वह क्लर्क कम्प्यूटर में प्रविष्टि/दर्ज करेगा और नागरिकों को कम्प्यूटर से निकाली गई रसीद देगा।
4	तलाटी, पटवारी	तलाटी नागरिकों से 3 रूपए का शुल्क/फीस लेकर उन्हें हां/नहीं बदलने की अनुमति देगा।
5	तलाटी, पटवारी	जिन नागरिकों ने अपना हां/नहीं दर्ज करवाया है, उन नागरिकों के नाम, क्रमसंख्या आदि तलाटी इन्टरनेट पर डालेगा।
6	लोकसभा अध्यक्ष	मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्येक सोमवार और प्रस्ताव प्रस्तुत/जमा किए जाने के 90 वें दिन प्रत्येक प्रस्ताव के लिए प्रत्येक चुनावक्षेत्र के हां/नहीं की गिनती चुनाव क्षेत्र अनुसार प्रकाशित करेगा।
7	लोकसभा, राज्यसभा के स्पीकर/अध्यक्ष	अध्यक्ष सांसदों को पूर्णत: या अंशत: हां/नहीं दर्ज करने की अनुमति/इजाजत देंगे(हां/ना प्रतिशत में होगा)। यदि कोई सांसद हां/नहीं दर्ज नहीं करता है तो अध्यक्ष उसके वोट की गिनती ना के रूप में ही करेंगे।
8	लोकसभा अध्यक्ष	अध्यक्ष प्रत्येक लोकसभा चुनावक्षेत्र के हां भाग और ना भाग की गिनती इस प्रकार करेंगे – टी – किसी चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या

		वाई – मतदाताओं की संख्या जिन्होंने `हां` मतदान किए हैं एन - मतदाताओं की संख्या जिन्होंने `नां` मतदान किए हैं एम – मतदाताओं की संख्या जिन्होंने विधेयक/क़ानून पर मतदान नहीं किया = टी-वाई-एन नागरिकों के हां भाग = वाई/टी नागरिकों के ना भाग = एन/टी तब उस चुनाव क्षेत्र के मामले में – यदि सांसद हां के पक्ष में मतदान करता है तो हां भाग होगा (वाई+एम)/टी और ना भाग होगा एन/टी यदि सांसद ना के पक्ष में मतदान करता है तो हां भाग होगा वाई/टी और ना भाग होगा (एन+एम)/टी यदि सांसद मतदान नहीं करता है तो हां भाग होगा वाई/टी और ना भाग होगा एन/टी
9	लोकसभा अध्यक्ष	अध्यक्ष किसी राज्य के कुल `हां` और `ना` भाग का योगफल/जोड़ प्राप्त करने के लिए सभी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के ‘हां’ भाग और ‘ना’ भाग को जोड़ेगा।
10.	लोकसभा अध्यक्ष	बिल को निजी संख्या मिलने के 60 दिनों बाद - 1. (लोकसभा)अध्यक्ष बिल/विधेयक/क़ानून को ‘असफल’ घोषित कर देगा यदि ‘ना’ भाग ‘हां’ भाग से ज्यादा हो या हाँ का भाग 50 % से कम है तो | 2. (लोकसभा)अध्यक्ष विधेयक/क़ानून को राज्यसभा के अध्यक्ष के पास भेज देंगे यदि ‘हां’ भाग ‘ना’ भाग से ज्यादा बड़ा हो।
11	राज्यसभा अध्यक्ष	किसी विधेयक/क़ानून के प्रस्तुत किए जाने के 30 दिनों के भीतर राज्य सभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के सामने ही विधेयक/क़ानून पर अपनी हां/ना दर्ज करा सकता है। यदि कोई सदस्य अपना हां/नहीं दर्ज नहीं करता है तो अध्यक्ष इसे ‘ना’ के रूप में मानेगा।
12	राज्यसभा अध्यक्ष	अध्यक्ष ‘हां’ भाग और ‘ना’ भाग का आकलन करने के लिए निम्नलिखित तरीके का प्रयोग करेगा वाई = भारत के उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने हां के पक्ष में मतदान किया है एन = = भारत के उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने ना के पक्ष में मतदान किया है टी = भारत के नागरिक-मतदाताओं की कुल संख्या यू = भारत के उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान नहीं किया है = टी-वाई- एन एम वाई = उन राज्य सभा सदस्यों की संख्या जिन्होंने हां के पक्ष में मतदान किया है एम एन = उन राज्य सभा सदस्यों की संख्या जिन्होंने ना के पक्ष में मतदान किया है (अथवा अपना मतदान दर्ज नहीं करवाया है)। एम टी = सदस्यों की कुल संख्या

		उस मामले में, हां भाग = वाई/टी + (एम वाई /एम टी) x (यू / टी) ना भाग = एन/टी +(एम वाई /एम टी)x (यू / टी) **(X=गुना)**
13	राज्यसभा के अध्यक्ष	यदि हां भाग ना भाग से ज्यादा हो जाता है तो अध्यक्ष विधेयक/क़ानून को पारित/पास घोषित कर देगा नहीं तो वह विधेयक/क़ानून को असफल घोषित कर देगा।
14	जिला कलेक्टर	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पन्ने का शुल्क/फीस लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
15	तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल)	यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।

(39.6) सांसदों द्वारा बनाए गए कानूनों पर जूरी प्रणाली (सिस्टम) लागू करने के लिए `नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' समूह की मांग और वायदा

किसी और कारण से नहीं बल्कि केवल घूस के कारण ही सांसद `*सेज*` अधिनियम, 498 ए, डी.ए.वी. आदि जैसे कानून लागू कर रहे हैं। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए मैं कैसा प्रस्ताव कर रहा हूँ? `प्रजा अधीन-राजा` का पहला प्रस्ताव नागरिकों को किसी भी ऐसे असंवैधानिक कानून को रद्द/समाप्त करने में नागरिकों को सक्षम/समर्थ बनाते हैं जिन्हें सांसदों ने बनाया है। लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब वे कानून पारित कर देते हैं। शुरू में ही ऐसे गलत कानूनों को नागरिक कैसे रोक सकते हैं? देखिए, निम्नलिखित कानून इस संभावना को समाप्त/कम कर देगा :

1. संसद द्वारा कानून पास/पारित हो जाने के बाद प्रधानमंत्री भारत के सभी तहसीलदारों को कानून की प्रति अंग्रेजी भाषा और उस राज्य की आधिकारिक/सरकारी भाषा में भेजेंगे।

2. हरेक तहसीलदार `मतदाता सूची` में से क्रमरहित तरीके से 30 नागरिक-मतदाताओं को जूरी सदस्य के रूप में बुलाएगा।
3. ये सभी 30 नागरिक एक-एक वक्ता/स्पीकर चुन सकते हैं। इन 30 सुझाए गए वक्ताओं में से क्रमरहित तरीके से 10 का चयन किया जाएगा। ये 10 सुझाए/चुने गए वक्ता अथवा उनके प्रतिनिधि पारित किए गए कानून पर 1 घंटे का भाषण देंगे।
4. जिस सांसद ने कानून का प्रारूप/ड्राफ्ट तैयार करेगा तथा इसका प्रस्ताव किया था, वह एक या अधिक प्रतिनिधि को भेज सकता है जिनके पास भाषण देने का कुल समय 3 घंटे का होगा।
5. प्रत्येक जूरी सदस्य से 30 मिनट तक बोलने के लिए कहा जाएगा जिसके दौरान वह भाषण दे सकता है या किसी व्यक्ति, जिसने पारित होने वाले कानून पर भाषण दिए हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकता है।
6. प्रत्येक दिन कार्यवाही 10.30 बजे सुबह शुरू/प्रारंभ होगी और यह 6.30 बजे शाम तक चलेगी जिसमें 2.00 बजे से 2.30 बजे तक लंच/भोजनावकाश का समय होगा।
7. तीसरे दिन की समाप्ति पर, जूरी सदस्यगण पास/पारित किए जाने वाले कानून पर अपने-अपने हां/नहीं बताएंगे।
8. यदि 30 जूरी सदस्यों में से 16 से अधिक सदस्य 'ना' या 'इनमें से कोई विकल्प नहीं' कहते हैं तो तहसीलदार उस कानून को रद्द के रूप में चिन्हित कर देगा।
9. यदि भारत में तहसील जूरी सदस्यों में से बहुमत कानून को रद्द कर देती है तो प्रधानमंत्री उस कानून को रद्द घोषित कर देंगे।

भारत में 6000 वार्ड और तहसील हैं। इसलिए लगभग 6,000 गुना 3 = 18000 नागरिकों से पारित किए गए कानून पर उनके हां/नहीं लिए जाएंगे। यह देखते हुए कि समय केवल तीन ही दिन का है, इसलिए लोगों की संख्या काफी अधिक है जिन्हें घूस देना कठिन होगा। इसलिए, यह प्रक्रिया/तरीका संसद पर एक प्रभावशाली चेक/नियंत्रण होगी। प्रत्येक जूरी (सदस्य) को लगभग 100 रूपए मिलेंगे और इसलिए लागत 1.8 करोड़ रूपए तथा अन्य लागत (जैसे तहसीलदार, जो सुनवाई आदि की व्यवस्था/आयोजित करेगा, उसका वेतन) होंगे। कुल लागत संसद द्वारा पास/पारित किए जाने वाले प्रत्येक कानून पर लगभग 5 करोड़ रूपए होगा। संसद एक वर्ष में लगभग 100 कानून पास/पारित करती है। इसलिए कुल लागत प्रति वर्ष 500 करोड़ रूपए के लगभग आएगा। यह लागत किसी गलत कानून के पारित हो जाने के कारण होनेवाली हानि की तुलना में बहुत छोटी/कम है। ऐसे व्यवस्था का प्रयोग करके, नागरिकों के लिए यह पक्का/सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि *सेज,* 498 ए, डी.ए.वी. आदि कानून नहीं आ पाऐंगे।

अध्याय 40 - चुनाव / निर्वाचन सुधारों पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव

(40.1) वे चुनाव सुधार, जिनके प्रस्ताव मैंने किए हैं -

1. प्रजा अधीन राजा भ्रष्ट को) राईट टू रिकाल/नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार(
2. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरपंच, मेयर का सीधा चुनाव
3. इलेक्ट्रानिक चुनाव मशीन/यंत्र(वोटिंग मशीन) (इ.वी.एम) पर रोक/प्रतिबंध लगाना और पेपर/कागजी मतदान-पत्रों का फिर से प्रयोग शुरू करना
4. एक ही दिन चुनाव आयोजित करना
5. चुनाव फार्म/प्रपत्र भरने (की प्रक्रिया) आसान बनाना
6. चुनाव की जमानत राशि बढ़ाना
7. उन नागरिक-मतदाताओं की संख्या बढ़ाना जो किसी उम्मीदवार को स्वीकृति देने के लिए जरूरी है ताकि उम्मीदवार को मान्यता मिल सके और चुनाव लड़ने की इजाजत मिल सके |
8. उम्मीदवारों की संख्या सीमित/नियंत्रित करना
9. तुरंत/तत्काल निर्णायक मतदान (इंसटैन्ट रन-ऑफ वोटिंग) (आई. आर. वी.') यानि अधिकपसंद/प्राथमिकता अनुसार मतदान
10. राज्य सभा में चुनाव और समानुपाति(समान तुलना वाली) उम्मीदवारी/प्रतिनिधित्व
11. पार्टी का अंदरूनी चुनाव/आंतरिक लोकतंत्र

(40.2) प्रजा अधीन राजा / राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)

हम चुनाव सुधारों की बात इसलिए करते हैं ताकि गलत/बुरे व्यक्ति के चुने जाने की 'संभावनाएं' कम हों और अच्छे/सही व्यक्ति के चुने जाने की संभावनाएं बढ़ें। लेकिन **जब तक प्रजा अधीन राजा भ्रष्ट को बदलने का) राईट टू रिकाल/अधिकार(कानून लागू नहीं होता तब तक चुने गए व्यक्ति के भ्रष्ट हो जाने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा होंगी**। इसलिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य प्रजा अधीन राजा) राईट टू रिकाल/नागरिकों द्वारा भ्रष्ट को बदलने का अधिकार(कानून लागू कराना है। लेकिन प्रश्न है कि : वर्तमान सांसद प्रजा अधीन राजाराईट टू / (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) रिकाल कानून कभी लागू नहीं करेंगे क्योंकि यह उनके आर्थिक/वित्तीय हितों के खिलाफ जाती है। तब क्या हम सांसदों को बदलेंगे? देखिए, इसमें हमें अगले पांच साल तक नुकसान होता रहेगा और इससे केवल सांसदों को ही फायदा/लाभ होगा। वे अगले पांच वर्षों तक बिना कोई चिन्ता किए घूस लेते रहेंगे। और आगे चुनकर आने वाले सांसदों के भी बिक जाने की संभावना अधिक रहेगी। इसलिए, इसका समाधान एक व्यापक आन्दोलन खड़ा करना है जिसमें नागरिकों से यह कहा जाए कि वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों पर 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)'पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालें। एक बार यदि प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों को 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)'पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य/मजबूर/लाचार कर दिया गया तो नागरिकगण कुछेक महीनों में ही प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन – मुख्यमंत्री, प्रजा अधीन – उच्चतम

न्यायालय के जज आदि कानून लागू कर/करवा सकते हैं। इन मुद्दों/बिन्दुओं की जानकारी पूर्व के पाठों में बताई जा चुकी है।

(40.3) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेयर, सरपंच का सीधा चुनाव

भारत में एक आम समस्या जो आप देखते/पाते हैं, वह है कि कोई मतदाता यह कहेगा "स्वतंत्र उम्मीदवार श्रीमान `**क**` अच्छे उम्मीदवार हैं लेकिन मैं श्री `**ख**` को मुख्यमंत्री बनवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं श्री `**ख**` के पार्टी को के पक्ष में मतदान करूंगा।" उदाहरण – गुजरात में कई लोग स्थानीय बीजेपी विधायक से घृणा करते थे लेकिन उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया, क्योंकि वे मोदी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। और मध्यप्रदेश में कई मतदाता स्थानीय बीजेपी विधायक उम्मीदवार को नहीं चाहते थे। फिर भी उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया क्योंकि वे चाहते थे कि शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बनें। यह विधायक के लिए होनेवाले चुनाव में बेहतर/अच्छे उम्मीदवार को आगे लाने के कार्य में नागरिकों के सामने एक बाधा बन जाती है। क्योंकि वे इस बात से बंधे रहते हैं कि "मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए?" इसलिए यदि मुख्यमंत्री और विधायक के चुनाव अलग-अलग कर दिए जांए अर्थात अलग चुनावों में यह तय हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और विधायक कौन बनेगा, तब मतदाताओं के पास ज्यादा विकल्प होगा और वे एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दे पाएंगे जिसे वे विधायक के पद के लिए चाहते हैं, और वह भी इस बात से डरे बिना कि इससे मुख्यमंत्री के चुनाव पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव नागरिकों को सीधे ही करना चाहिए। क्या इससे मुख्यमंत्री या विधायक निरंकुश हो जाएंगे? नहीं ,प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री और प्रजा अधीन – मुख्यमंत्री का प्रयोग करके, हम नागरिक यह पक्का/सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह उचित व्यवहार करेंगे। आज की स्थिति में, केवल विधायक और सांसद ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हटा/बर्खास्त कर सकते हैं और वे केवल इतना भर करते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को धमकाकर रिश्वत/घूस वसूल करते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया कि विधायक और सांसद ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हटा/बर्खास्त कर सकते हैं – नागरिकों की बिलकुल मदद नहीं नहीं करती – यह केवल विधायकों और सांसदों को ही धनवान बनाती है।

मेरा प्रस्ताव है कि – 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके, हम नागरिकों को एक सरकारी अधिसूचना(आदेश) लागू करानी चाहिए जिसके द्वारा नागरिक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को सीधे ही चुन सकें। और इस कार्य के लिए प्रस्तावित प्रक्रियाओं - प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन – मुख्यमंत्री में वे साधन मौजूद हैं जिनके द्वारा नागरिक अपनी पसंद के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पद पर बैठा सकते हैं।

(40.4) इलेक्ट्रानिक चुनाव मशीन (वोटिंग मशीन) (इ.वी.एम) पर रोक / प्रतिबंध लगाना और कागजी मतदान-पत्रों में कुछ परिवर्तन / बदलाव लाकर उनका प्रयोग करना

कृपया http://www.youtube.com/watch?v=AuJHih4fxYQ पर एक वीडियो प्रदर्शन देखें जो दिखलाता है कि इवीएम मशीनों में हेराफेरी/गड़बड़ी करना कागजी मतदान पत्रों से कहीं ज्यादा आसान है और इन गड़बड़ियों का पता भी नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, मैंने

एक तरीके के बारे में लिखा है कि कैसे फैक्ट्री के भीतर लाखों इवीएम मशीनों में गड़बड़ी/हेराफेरी की जा सकती है।

क्या इवीएम मशीनों में गड़बड़ी की जा सकती है? हां। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि हजारों इवीएम मशीनों में गड़बड़ी/हेराफेरी फैक्ट्री के भीतर कुछ ही लोगों द्वारा की जा सकती है। पेपर/कागज के मतदान-पत्रों का प्रयोग करने पर ऐसी गड़बड़ी/हेराफेरी नहीं की जा सकती। और कुछ प्रकार की हेराफेरी इस प्रकार की हैं कि जिनमें यह पक्का/निश्चित होता है कि इन हेराफेरियों का पता सारी जनता को कभी नहीं चल पाएगा। पेपर/कागजी मतदानों के मामले में कोई व्यक्ति कुल मतदान के मुश्किल से 0.1 प्रतिशत की ही हेराफेरी कर सकता है और ऐसा करने के लिए भी उसे हजारों अपराधियों की जरूरत पड़ेगी| ई.वी.एम मशीनों द्वारा चुनाव में , कोई व्यक्ति 10-15 ऊपर/शीर्ष के लोगों की मदद से और कलेक्टर के दफ्तर में एक छोटी सी चाल चलकर, कुल डाले गए मत में से 10 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक भी चुरा सकता है। (इसके लिए ये लिंक देखें-www.righttorecall.info/evm.h.pdf)

एक और तरीका है ,बेईमान डिस्प्ले/प्रदर्शन , जो ब्लू-टूथ द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है,जिसमें फैक्ट्री में 100 लोग चाहिए (बूथों पर रेडियो सिग्नल/इशारा देने के लिए) और उनके उपयोग से औसत 10% चुनाव-क्षेत्रों का, तक चुराया जा सकता है | (अधिक जानकारी के लिए ये विडियो देखें-http://www.youtube.com/watch?v=AuJHih4fxYQ)

यही वह मुख्य कारण है कि क्यों जर्मनी ने इवीएम मशीनों पर प्रतिबंध/रोक लगा दी और जापान तथा आयरलैण्ड ने इवीएम योजनाओं को रद्द/समाप्त कर दिया। और अमेरिका के कई राज्यों ने भी इवीएम पर रोक/प्रतिबंध लगा दिया।

कागज/पेपर के मतदान-पत्रों के मामले में लोग मतदान-केन्दों पर तथाकथित कब्जा कर लेने की शिकायत करते हैं। देखिए, इ.वी.एम से भी मतदान-केन्द्र पर कब्जा नहीं रूकता। यह निश्चित रूप से पुलिस(कानून-व्यवस्था) का मामला है। इ.वी.एम मशीन से दो लगातार बार वोट देने के बीच में केवल 20 सेकेन्ड की देरी लगती है ,और कोई देरी नहीं होती। इस 20 सेकेन्ड की देरी को कागज के मतदान पत्रों में भी प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए एक मशीन का उपयोग किया जा सकता है जो मतदान पत्रों के पीछे की तरफ 15 अंकों की एक क्रमसंख्या डाल देगी और यह मशीन प्रत्येक 20 सेकेंड में केवल एक मोहर/स्टैंप लगाएगी। इससे दो लगातार मतदानों के बीच 20 सेकेन्ड की देरी सुनिश्चित/पक्का की जा सकती है। इससे मतदान पत्र इवीएम मशीन से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा जितना है और इसमें फैक्ट्री/औद्योगिक स्तर के गड़बड़ी की समस्या बिलकुल भी नहीं आएगी। इसके अलावा सभी संवेदनशील मतदान केन्दों पर चुनाव आयुक्त 1000 से 2000 रूपए तक के कैमरे लगवा सकते हैं जो प्रत्येक 30 सेकेन्ड में चित्र/तस्वीर लेंगे और इन तस्वीरों को मोबाइल फोन लिंक/सम्पर्क के जरिए नियंत्रण कक्ष में भेज सकते हैं। कुल मिलाकर मतदान केन्द्रों पर कब्जा की घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि जज/पुलिसवाले अपराधियों को बढ़ावा दे रहे होते हैं जो इतने ताकतवर और निडर हो जाते हैं कि वे मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर लेते हैं। इसका समाधान है – ऐसी प्रक्रिया लागू करना जिसके द्वारा नागरिक जिला पुलिस प्रमुख और जजों को बदल/बर्खास्त कर सकें ताकि अपराधी इतने ताकतवर ना बन सकें। एक बार यदि अपराधी कमजोर हो जाए तो मतदान केन्द्र पर कब्जे की समस्या कम/समाप्त हो जाएगी।

साथ ही, यदि चुनाव की जमानत राशि बढ़ा दी जाए (देखिए, अगले भागों/शीर्षकों में से एक) तो नकली उम्मीदवारों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों की संख्या 5-10 हो जाएगी और तब (मतदानपत्र) दो पोस्टकार्ड से ज्यादा बड़े आकार का नहीं रह जाएगा। तब ऐसे मामले में मतगणना का काम एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा।

एक बार यदि नागरिकों द्वारा बदले/हटाए जा सकने वाले जिला पुलिस प्रमुखों और नागरिकों द्वारा बदले/हटाए जा सकने वाले जजों को नौकरी पर रख सकें, तो अपराधियों की समस्या कम हो जाएगी और तब प्रति मतदान केन्द्र पर कैमरे के साथ एक पुलिसवाले और 10 मतदान केन्द्रों के क्षेत्र में 10 पुलिसवालों की एक घूमती हुई(गतिशील) ,गश्त लगाने वाली/निगरानी (वाहन) की तैनाती करके ही चुनाव आयोजित करना संभव हो जाएगा। इसलिए 800000 मतदान केन्द्रों में मतदान आयोजित करने के लिए लगभग 16,00,000 पुलिसवाले पर्याप्त होंगे। भारत में 25,00,000 पुलिसकर्मी हैं। (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य पुलिस वालों को शामिल करके, सेना के जवानों और सीमासुरक्षा बल को छोड़कर)। और चाहे चुनाव के लिए जरूरत हो या न हो ,हमें भारत में 5000000 और पुलिसकर्मियों की जरूरत है। इसलिए पूरे देश में एक ही दिन में मतदान कराया जाना संभव है। और चुनाव होने के 3 दिनों के बाद मतगणना की जा सकती है।

इसलिए कुल मिलाकर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के सदस्य के रूप में इ.वी.एम और मतदान कराने के मामले पर मेरे प्रस्ताव ये हैं –

1 ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ का प्रयोग करके इ.वी.एम मशीन पर प्रतिबंध/रोक लगा दी जाए, केवल कागजी मतदान पत्रों के उपयोग को कानूनी मान्यता दी जाए।

2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ का प्रयोग करके पुलिस प्रमुख, जजों के ऊपर प्रजा अधीन राजा(भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) राईट टू रिकाल/ कानून लागू किया जाए।

3. भारत भर में 30,00,000 और पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाए।

4. सभी पुलिसकर्मियों को कैमरा दिया जाए।(कैमरे उनके घुमती हुई गाड़ियों में लगे होंगे)

5. सभी संवेदनशील मतदान केन्द्रों में कैमरा लगाया जाए।

6 ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ का प्रयोग करके चुनाव जमानत की राशि बढ़ाई जाए।

7. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ का प्रयोग करके उन नागरिकों की संख्या बढ़ाई जाए जिन्हें किसी उम्मीदवार को स्वीकृति देने की जरूरत है ताकि उम्मीदवार को मान्यता मिल जाये और चुनाव लड़ने की इजाजत मिल सके|

(40.5) चुनाव मशीन की लागत लगबग तीन गुना है प्रति चुनाव कागज-मतपत्र की तुलना में |

भारतीय चुनाव यंत्र (ई.वी.एम) की कुल लागत प्रति लोकसभा चुनाव-क्षेत्र

औसतन लोक सभा चुनाव-क्षेत्र में 1.5 लाख मतदाता होते हैं | और हर बूथ के औसतन 1000 मतदाता होते हैं | और मान लें कि औसतन हर लोक सभा चुनाव-क्षेत्र में औसतन 12 प्रत्याशी हैं और औसतन 60% मतदान है |

A- गणना- एक लोकसभा चुनाव-क्षेत्र में सात गणना कमरे ,हरेक कमरे में 15 गणना के लिए मेज =105 गणना मेज प्रत्येक लोकसभा चुनाव-क्षेत्र में | दो द्वितीय श्रेणिय के व्यक्ति (आमदनी =रु.1200 प्रति 8 घाटे प्रति दिन) हरिक मेज पर 6 घंटों में गिनती कर लेंगे. लागत=1200x2x105x6/8**= रु.1.89 लाख |**

B-प्रशिक्षण - दो द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति प्रशिक्षित होंगे प्रति बूथ दो दिन के लिए | औसतन 1500 बूथ हैं हरेक लोकसभा चुनाव-क्षेत्र | लागत =1200x2x1500= **रु 7.2 लाख**

C- मतदान लागत = चुनाव मशीन की लागत + मतदान से पहले मशीन की जांच की लागत

रियायती मूल्य चुनाव मशीन का रु 10,000 है जो अधिकतर 6 चुनावों के लिए काम में आती है | इसीलिए एक इलेक्ट्रोनिक चुनाव मशीन की लगत, एक बूथ के लिए रु.2000 है ब्याज को छोडकर , चुनाव के पहले जांच करने की लागत के सहित | और यदि रख-रखाव का खर्चा जोड़ा जाए तो कीमत रु. 2500 होगी |

लागत =1500x2500= **रु.37.5 लाख**

कुल लागत इलेक्ट्रोनिक चुनाव मचीन की प्रति लोकसभा चुनाव-क्षेत्र =A+B+C=रु.46.5 लाख

<u>कागज मतदान की कुल लागत प्रति लोक सभा चुनाव-क्षेत्र</u>

D- गणना

कुल 105 गणना के मेज एक लोकसभा चुनाव-क्षेत्र में | हरेक मेज पर तीन श्रेणी-4 के व्यक्ति (आमदनी = रु.700 प्रति 8 घंटे का दिन) को 2 दिन (=16घंटे) लगेंगे गिनती के लिए | लागत=4 लाख

E- प्रशिक्षण = शुन्य लागत |

F- मतदान लागत = कागज मतपत्र की लागत +मतदान पति की लागत

एक मत पात्र की लागत = 50 पैसा | एक मतदान पति की लागत = रु.200|

औसतन लागत एक बूथ की जिसमें औसतन 1000 मतदाता हैं = रु.500+200=रु.700

एक लोकसभा चुनाव-क्षेत्र की लागत = रु.10.5 लाख

कुल लागत कागज़ मतपत्र की प्रति लोकसभा चुनाव-क्षेत्र = D+E+F= रु.14.5 लाख

चुनाव मशीन की लागत लगबग तीन गुना है प्रति चुनाव कागज मतपत्र की तुलना में |

पर्यावरण के प्रेमियों को ये समझना चाहिए कि 75 करोड़ मतपत्र कम कागज़ लेते हैं जितना कि भारत के सारे समाचार पत्र एक दिन में लेते हैं | इसीलिए पर्यावरण-प्रेमियों का कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए |

और कागज मतदान में, केवल 1% बूथों में धोखा-धड़ी करना ही संभव है | भारत में 50 लाख या ज्यादा बूथ हैं | एक बूथ में धोखा-धड़ी करने के लिय कम से कम 2-4 गुंडे चाहिए | कोई भी पार्टी के पास 50,000 गुंडे भी नहीं हैं | इसीलिए वे ज्यादा से ज्यादा 10,000 बूथ पूरे भारत में धोखा-धड़ी कर सकते हैं | और यदि बूथों पर कमरा लगा दिया जाये , तो बूथों की वो संख्या/नंबर जिसमें धोखा-धड़ी होती है कुछ 100 हो जायेगी पूरे भारत में | ये कमरा लगाने पर भी कागज के द्वारा मतदान करना का खर्चा भारतीय चुनाव यंत्रों द्वारा मतदान से ज्यादा नहीं होगा |

(40.6) एक ही दिन चुनाव (आयोजित) कराना

वर्ष 1951 में, पूरा चुनाव एक ही दिन आयोजित कराया गया था। जहाँ तक मुझे याद है , लगभग वर्ष 1984 तक चुनाव केवल एक ही दिन में सम्पन्न होते रहे। 1984 के बाद से ही, भारतीय चुनाव आयोग को अलग-अलग दिनों में चुनाव कराना पड़ा। निम्नलिखित सुधारों को लागू करके चुनाव एक ही दिन में पूरे/सम्पन्न कराए जा सकते हैं :-

1. चुनाव जमानत राशि को `प्रति व्यक्ति वार्षिक ,सकल(कुल) घरेलू उत्पादों`(देश के भीतर सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन/उपज का बाजार मूल्य) के दो गुना बनाया जाए : इससे यह निश्चित होगा कि उम्मीदवारों की संख्या 10-12 से कम ही रहेगी और चुनाव सही तरीके से पूरे कराए जा सकेंगे।
2. कानून व्यवस्था में सुधार करना : अपराधी जितने कम होंगे, पुलिस स्टॉफ की जरूरत उतनी ही कम पड़ेगी।
3. मतदान केन्द्रों में (ड्यूटी करने वाले) पुलिसकर्मियों को कैमरा दिया जाए।
4. स्टैम्प लगाने वाली ऐसी मशीन का उपयोग किया जाए जो हर 20 सेकेन्ड के बाद स्टैम्प/मुहर लगाती हो ताकि मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने वाले कुछ ही मिनटों में सैकड़ों वोट न डाल सकें।

एक बार यदि मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की समस्याएं समाप्त/कम हो जाती है तो एक ही दिन में चुनाव कराना संभव हो जाएगा।(क्योंकि दुबारा चुनाव करना नहीं पडेगा | आज मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने से मतदान एक दिन में पूरा नहीं हो पाता)

(40.7) चुनाव के फार्म भरने और चुनाव लड़ने (की प्रक्रिया) आसान बनाना

फार्म/प्रपत्र भरने में जितना ही कम समय लगेगा और कम परेशानी होगी, उतने ही अधिक ईमानदार व्यक्ति राजनीति में आएंगे। यदि फार्म भरने में घंटों-घंटों का समय लगेगा तब केवल इस बात की ही संभावना होगी कि ईमानदार व्यक्ति (राजनीति) छोड़ देंगे, क्योंकि इससे उसकी आय में कमी होगी।

आज की स्थिति में, फार्म/प्रपत्र भरना एक परेशानी का काम बन गया है और हर चुनाव में हम देखते हैं कि अच्छे उम्मीदवारों का फार्म मामूली/छोटी गलती के कारण रद्द/निरस्त हो जाता है। फार्म/प्रपत्र भरने में तकनीकी माथापच्ची कम करने के लिए मेरे प्रस्ताव निम्नलिखित हैं –

1. कोई नागरिक किसी सीट/चुनाव-क्षेत्र के लिए स्वयं को उम्मीदवार घोषित कर सकता है। यह जरूरी नहीं रहे कि जब चुनावों की घोषणा हो जाए तभी वह ऐसा करे। वह स्वयं को अधिक से अधिक 2 लोकसभा चुनावक्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर सकता है।
2. वह उसी दिन अपनी जमानत राशि जमा कर देगा जिस दिन वह स्वयं की उम्मीदवारी की घोषणा करता है।
3. उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसे कलक्टर को कोई ऐसा सबूत/प्रमाण दिखलाना पड़ेगा कि वह भारत का नागरिक है। उसका नाम मतदाता सूची में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
4. फार्म/प्रपत्र भरने के समय किसी को उसके नाम का समर्थन करने की जरूरत नहीं होगी।
5. कोई भी नागरिक पटवारी (तलाटी) के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा करवाकर अपने चुनाव क्षेत्र के लिए किसी उम्मीदवार का समर्थन कर सकता है। कोई नागरिक बिना कोई शुल्क दिए अपना समर्थन किसी भी दिन रद्द कर सकता है। कोई नागरिक ज्यादा से ज्यादा 3 उम्मीदवारों का समर्थन कर सकता है। वह 3 रूपए की फीस देकर किसी उम्मीदवार का फिर से समर्थन कर सकता है।
6. कलेक्टर उसके आवेदन पत्र को 7 दिनों में स्वीकार/अस्वीकार करेगा।
7. कलेक्टर उसके आवेदन-पत्र की जांच तब करेगा जब 1000 नागरिक-मतदाताओं ने उसके नाम का समर्थन किया हो और यह गिनती लगातार 14 दिनों तक 1000 से उपर बनी रहे।
8. यदि आवेदन-पत्र रद्द हो जाता है तो वह अपना आवेदन-पत्र फिर से भरकर जमा करा सकता है। जिन नागरिकों ने उसका (पहले) समर्थन किया है वह समर्थन बना/बरकरार रहेगा।
9. आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि/तारीख चुनाव शुरू होने के 30 दिन पहले तक होगी।
10. उसे अपनी आय/सम्पत्ति की पूरी जानकारी का लिखकर खुलासा करना होगा (उस दिन की स्थिति के अनुसार)।
11. राजनैतिक दलों को कर/टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा। राजनैतिक दलों को दान/चन्दा देने वालों को भी टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा।
12. कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दलों को चन्दा/दान दे सकता है लेकिन राजनैतिक दलों को चन्दा/दान देने की इजाजत/अनुमति कम्पनियों को नहीं होगी।

13. (चुनाव) प्रचार/अभियान के खर्चों को व्यावसायिक खर्च बताकर, कम करके नहीं बताया जा सकेगा।
14. उम्मीदवारों को उनके द्वारा केवल चुनावों के कार्य के लिए किए गए खर्चों का हिसाब/सूची चुनावों के समाप्त हो जाने के 30 दिनों के भीतर ही देना जरूरी होगा। चुनावों के दौरान उन्हें खर्चे बताने/प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी।

किसी उम्मीदवार का समर्थन करने वाले नागरिकों की संख्या बढ़ाकर 1000 करने से नकली/फर्जी उम्मदवारों की संख्या कम होगी। इसलिए चुनाव प्रपत्र/फार्म भरने के संबंध में मेरा प्रस्ताव 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके एक ऐसा कानून लागू करवाने का है जिसमें उपर्युक्त 10-12 बातों/बिन्दुओं को शामिल किया जाए।

(40.8) चुनाव जमानत राशि बढ़ाना

मान लीजिए, भारत की प्रति व्यक्ति आय `**क**` रूपया है। तब लोकसभा के चुनाव में मेरे द्वारा प्रस्तावित जमानत जमाराशि इस प्रकार होगी :-

1. न्यूनतम जमा राशि `**क**` रूपए होगी |
2. यदि उम्मीदवार की वार्षिक आय `**क**` रूपए से ज्यादा है अथवा उसकी सम्पत्ति 10 × `**क**` रूपया से अधिक है तो जमानत जमाराशि `**क**` रूपया और [आय/5 और सम्पत्ति/50 में जो भी ज्यादा हो] के जोड़/योग के बराबर होगी।
3. अधिकतम जमानत जमाराशि `प्रति व्यक्ति आय` का 5 गुना (के बराबर) होगी।
4. यदि किसी व्यक्ति ने आय या सम्पत्ति की घोषणा/खुलासा करने में झूठ बोला है तो जूरी-मण्डल उसे अन्तर/बकाया का 50 गुना ज्यादा राशि का दण्ड/जुर्माना लगा सकती है।
5. यदि कोई व्यक्ति ` प्रति व्यक्ति आय ` की दस गुना राशि के बराबर राशि का भुगतान करने पर राजी हो जाता है तो उसे कम जमानत राशि जमा करवाने का दोषी नहीं माना जाएगा।
6. ` प्रति व्यक्ति आय ` वह होगी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चुनाव आयोग को बताया जाएगा। चुनाव आयोग इसे नजदीकी हजार में बदलकर सुविधा-जनक बना सकता है।

इस प्रकार अब, मई, 2009 के चुनाव पर विचार कीजिए। प्रति व्यक्ति आय लगभग 45,000 रूपए थी। तब यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 45,000 रूपए से कम है तो (उसके लिए) जमानत की जमाराशि 45,000 रूपए होगी। यदि उसकी आय मान लीजिए, 5,00,000 रूपए प्रतिवर्ष है और संपत्ति 40,00,000 रूपए की है तो उसके लिए जमानत की जमाराशि इस प्रकार होगी :- 45,000 + अधिकतम (500,000/5 रूपया, 40,00,000/50) = 45,000 रूपए + अधिकतम (10,000, 80,000) = 1,45,000 रूपए और सबसे अधिक देय जमानत राशि 22,50,000 रूपए होगी।

क्या 45,000 रूपए की जमानत राशि किसी गरीब आदमी के लिए बहुत अधिक है? देखिए, वर्ष 1951 में जमानत राशि 500 रूपए थी और `प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष` ,300 रूपए प्रति व्यक्ति से कम थी। इसलिए, लोकसभा चुनाव में प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1.5 गुना जमानत राशि होती है। मेरे द्वारा सुझाए गए इस फारमूले में, यह राशि अभी भी सबसे

गरीब व्यक्ति के लिए कम ही है और केवल धनवान उम्मीदवारों के लिए यह ज्यादा/अधिक हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति धनवान है तो चुनाव आयोग द्वारा उसपर दया दिखलाने का और कम शुल्क में ही उसे चुनाव लड़ने देने का कोई कारण नहीं बनता है। यदि व्यक्ति धनवान नहीं है तब जमानत की जमाराशि मात्र 45,000 रूपए है।

इसलिए मेरा प्रस्ताव 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके जमानत राशि से संबंधित कानून पारित/लागू करवाने का है।

(40.9) उन नागरिक-मतदाताओं की संख्या बढ़ाना जो किसी उम्मीदवार के लिए स्वीकृति देते हैं ताकि उम्मीदवार चुनाव लड़ सके

आज की स्थिति में, लोकसभा चुनाव में, किसी उम्मीदवार के नाम का समर्थन करने के लिए 10 नागरिक-मतदाताओं की जरूरत होती है। इसलिए, इस संख्या को बढ़ाकर 1000 कर देना चाहिए लेकिन किसी उम्मीदवार का स्वीकृति/समर्थन करने की प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहिए। किसी फार्म/प्रपत्र में उम्मीदवारों द्वारा घूम-घूम कर हस्ताक्षर करवाने के बदले, जो नागरिक समर्थन देना चाहते हैं, उन्हें पटवारी के कार्यालय जाने के लिए कहा जाना चाहिए और पटवारी को उसका नाम कम्प्यूटर में डालना चाहिए तथा पटवारी के कम्प्यूटर में लगे वेब-कैमरे से उस व्यक्ति की तस्वीर कम्प्यूटर में ले लेनी चाहिए। स्वीकृति/समर्थन किसी भी दिन दिया जा सकती है और किसी भी दिन रद्द कर सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार के समर्थन की गिनती 1000 से ज्यादा हो जाती है और लगातार 30 दिनों तक 1000 से ज्यादा/अधिक बनी रहती है तो वह अगले 6 वर्षों में लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र/योग्य होगा। यदि वह इस शर्त/अपेक्षा को पूरा करने में असफल रहता है तो उसकी जमा की गई जमानत राशि उसे वापस दे दी जाएगी।

(40.10) उम्मीदवारों की संख्या सीमित / नियंत्रित करना

'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके मैं निम्नलिखित कानून लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ –

यदि किसी चुनाव क्षेत्र के लिए 8 से ज्यादा उम्मीदवार हो जाते हैं तो पूर्व-चुनाव कराया जाएगा। मुख्य चुनाव से 30 दिन पहले जिन 4 पार्टियों/दलों (अथवा उम्मीदवार, यदि वह स्वतंत्र उम्मीदवार है) जिन्हें इसके पूर्व के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले थे, उन्हें पूर्व-चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होगी और केवल शेष/बाकी उम्मीदवार ही पूर्व-चुनाव मतदान पत्र पर होंगे। इस पूर्व-चुनाव मतदान पत्र में केवल एक पर ही वोट दिया जा सकेगा। जिन चार उम्मीदवारों को पूर्व-चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वे ही मुख्य चुनाव के लिए सफल माने जाएंगे। पूर्व-चुनाव के लिए जमानत राशि चुनाव के लिए ली जाने वाली जमानत राशि के बराबर होगी। और उन चार उम्मीदवारों, जिन्होंने पूर्व-चुनाव में जीत हासिल की है, उन्हें मुख्य चुनाव के लिए जमानत राशि देने की जरूरत नहीं होगी।

पूर्व-चुनाव फर्जी/नकली उम्मीदवारों की संख्या कैसे कम करेगा?

कई नकली/फर्जी उम्मीदवार एक या अधिक सही/सीरियस उम्मीदवारों के वोट काटने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। पूर्व-चुनाव ऐसे सही/गंभीर उम्मीदवारों के वोट काटने की उनकी क्षमता कम कर देता है।

(40.11) उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने के विकल्प को समाप्त करना

कोई उम्मीदवार, जो चुनाव लड़ने के लिए फार्म/प्रपत्र भरता है, वह अपने चुनाव फॉर्म को शून्य या अधिक उम्मीदवारों के साथ जोड़ सकता है। यदि उम्मीदवार को वह जोड़(टैग) प्राप्त है तो वह केवल तभी चुनाव लड़ सकता है जब लिस्ट/सूची, (उन उम्मीदवारों की,जिनका नाम इस उम्मीदवार के साथ जोड़ा गया है) के सभी उम्मीदवार नापास/असफल/अयोग्य हो जाएं। यदि कोई भी (उम्मीदवार) सफल रहता है तो उस जोड़(टैग)-प्राप्त उम्मीदवार के फार्म/प्रपत्र को वापस लिया गया माना जाएगा और जमानत राशि उसे वापस कर दी जाएगी। उसे यह निर्णय करने का अधिकार नहीं होगा कि वह नाम वापस लेना चाहता है कि नहीं।

(40.12) तुरंत / तत्काल निर्णायक मतदान या `अधिक पसंद अनुसार मतदान` (आई.आर.वी= इन्स्टैंट रन-ऑफ वोटिंग)

(विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया विकिपीडिया पर आई. आर. वी.' देखें)

40.12.1 - परिचय

जिस चुनाव प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं, वह है – "एक व्यक्ति, एक वोट, प्रथम आने वाला विजयी" अर्थात एक मतदाता केवल एक ही वोट दे सकता है और सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। इस प्रक्रिया में एक कमी है जिसका पता वर्ष 1200 से ही है – मतदाता जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसके पक्ष में वोट नहीं दे पाते हैं। वे लोग परिस्थितियों और प्रक्रियाओं द्वारा उस उम्मीदवार को वोट देने के लिए विवश/मजबूर होते हैं जो **जीतने योग्य** उम्मीदवारों में से सबसे बुरे/गलत उम्मीदवार को हरा सके। कहने का अर्थ यह नहीं है कि मतदाता चुनाव न जीतने वालों को छोड़कर चुनाव जीतने वालों को ही प्रमुखता/महत्व देते हैं अथवा किसी (मतदाता) को केवल जीतने की क्षमता/समर्थ वाले उम्मीदवार ही प्रभावित करते हैं।

इसे मैं एक उदाहरण द्वारा बताता हूँ। मान लीजिए, एक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चार अन्य स्वतंत्र उम्मीदवारों **`क`,`ख`,`ग`,`घ`** के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मान लीजिए, एक नागरिक **`क`** को चाहता है। लेकिन उसे डर है कि यदि कांग्रेस जीत जाती है तो वह बहुत बुरा करेगी उस क्षेत्र/जगह के लिए। ऐसे मामले में कांग्रेस की हार सुनिश्चित करना उसकी पहली प्राथमिकता है। और इसलिए, उसे मजबूर होकर बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा। हालांकि वह समझता है कि श्री **`क`** बीजेपी के उम्मीदवार से बेहतर उम्मीदवार है। पर उसके पास कांग्रेस को वोट देने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचता। इस प्रकार हम पाते हैं कि मतदाता जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसे वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसे उस उम्मीदवार को

वोट देना पड़ता है जो उस जीतने योग्य उम्मीदवार को हरा सके जिसे वह सबसे ज्यादा घृणा/नापसंद करता है, चाहे वह उस उम्मीदवार (जिसे उसने वोट दिया है) को नापसंद ही क्यों न करता हो।

इस समस्या के बारे में पिछले 800 वर्षों से सबको पता है। और इसका समाधान भी 800 साल पुराना है – इस समाधान को तुरंत/तत्काल निर्णायक मतदान (इन्स्टैंट रन-ऑफ वोटिंग=आई. आर. वी.) करने के नाम से जाना जाता है।

40.12.2 चुनावी तरीके की अधिक जानकारी

मैं 'तुरन्त निर्णायक मतदान(आई. आर. वी.)' के बारे में पूरा विवरण देकर इसे विस्तार से बताउंगा :-

1. मान लीजिए, 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जिनके नाम '**क`,`ख`,`ग`,`घ`,`च`,`छ`,`ज`,`झ**' हैं।
2. तब मतदान पत्र का डिजाइन निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है :-

उम्मीदवार की संख्या	1	2	3	4	5	6	7	8
दल/पार्टी	कांग्रेस	बीजेपी	सीपीएम	बीएसपी	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र
उम्मीदवार का नाम	व्यक्ति क	व्यक्ति ख	व्यक्ति ग	व्यक्ति घ	व्यक्ति च	व्यक्ति छ	व्यक्ति ज	व्यक्ति झ
चुनाव चिन्ह								
सबसे ज्यादा ईमानदार	सबसे ज्यादा ईमानदार	सबसे ज्यादा ईमानदार	सबसे ज्यादा ईमानदार	सबसे ज्यादा ईमानदार	सबसे ज्यादा ईमानदार	सबसे ज्यादा ईमानदार	सबसे ज्यादा ईमानदार	सबसे ज्यादा ईमानदार
दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार
तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार
चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार

तुरंत निर्णायक मतदान(इन्स्टैंट रन-ऑफ वोटिंग) यानि `अधिक पसंद/प्राथमिकता अनुसार मतदान` का प्रस्तावित मतदान पत्र (पट/ आड़ा डिजाईन)

3. मतदान पत्र के डिजाइन की अधिक जानकारी इस प्रकार है :-

(क) इस मतदान पत्र में 8 पंक्ति हैं।

(ख) पहली लाइन/पंक्ति में उम्मीदवार की संख्या, दूसरी में पार्टी का नाम, तीसरी लाइन/पंक्ति में उम्मीदवार का नाम और चौथी लाइन/पंक्ति में चुनाव चिन्ह छपा है।

(ग) पांचवी लाइन/पंक्ति उस उम्मीदवार के लिए है जिसे मतदाता सबसे ज्यादा ईमानदार समझते/मानते हैं।

(घ) छठी से आठवीं लाइन/पंक्ति उन उम्मीदवारों के लिए है जिसे मतदाता दूसरा, तीसरा और चौथा सबसे ज्यादा/अधिक ईमानदार उम्मीदवार समझते हैं।

(च) (उम्मीदवारों की संख्या + 2) स्तंभ/खम्भे होंगे - पहले और अंतिम स्तंभ/खम्भों में लाइन/पंक्ति के नाम/शीर्षक हैं और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक स्तंभ/खम्भा है।

(छ) **मतदान पत्र की उंचाई** 12 इंच होगी – 0.5 इंच का बार्डर सबसे उपर होगा और पहली लाइन/पंक्ति उम्मीदवार की संख्या होगी, दूसरी लाइन/पंक्ति 1 इंच की होगी जिसमें पार्टी का नाम लिखा होगा, तीसरी लाइन/पंक्ति 2 इंच की होगी जिसमें उम्मीदवार का नाम लिखा होगा। 1.5 इंच का स्थान चुनाव चिन्ह की पंक्ति का होगा और प्रत्येक पसंद/प्राथमिकता के लिए 1.5 इंच का स्थान होगा। सबसे नीचे 0.5 इंच का बार्डर होगा = (0.5 + 0.5 + 1 + 2 + 1.5 + 1.5 × 4 + 0.5) = 12 इंच

(ज) **मतदान पत्र की चौड़ाई** होगी – 0.5 इंच दोनों ओर बार्डर के लिए होगा, 2 इंच पहले स्तंभ/खम्भे के लिए होगा और 1.5 इंच प्रत्येक उम्मीदवार के लिए होगा । इस प्रकार, यदि कुल 8 उम्मीदवार हैं तो मतदान पत्र (0.5 + 2 + 1.5 × 8 + 0.5) = 15 इंच चौड़ा होगा। यदि 5 उम्मीदवार हैं तो मतदान पत्र (0.5 + 2 + 1.5 × 5 + 0.5) = 10.5 इंच चौड़ा होगा।

(झ) बार्डर/किनारा 0.2 इंच मोटा होगा ताकि मुहर दो खानों पर न चला जाए |

खड़ा / लम्बरूप / वर्टीकल डिजाईन इस प्रकार का होगा :-

#	दल/पार्टी	नाम	चुनाव चिन्ह	**सबसे ज्यादा ईमानदार**	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार
1	कांग्रेस	व्यक्ति क		सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार
2	बीजेए	व्यक्ति ख		सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार
3	सीपीएक्स	व्यक्ति ग		सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार
4	स्वतंत्र	व्यक्ति घ		सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार
5	स्वतंत्र	व्यक्ति च		सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार
6	स्वतंत्र	व्यक्ति छ		सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार
7	स्वतंत्र	व्यक्ति ज		सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार
8	स्वतंत्र	व्यक्ति झ		सबसे ज्यादा ईमानदार	दूसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	तीसरा सबसे ज्यादा ईमानदार	चौथा सबसे ज्यादा ईमानदार

| राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए नहीं तो वह जनता को लूट लेगा और राष्ट्र का विनाश कर देगा- सत्यार्थ प्रकाश पाठ 6 पृष्ठ 1

4. **मेरे द्‌वारा प्रस्तावित `तुरंत निर्णायक मतदान(आई. आर. वी.)' में, यदि आठ से अधिक/ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो पूर्व-चुनाव कराया जाएगा।** मुख्य चुनाव से 30 दिन पहले जिन 4 पार्टियों/दलों (अथवा उम्मीदवार, यदि वह स्वतंत्र उम्मीदवार है) जिन्हें इसके पूर्व के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले थे, उन्हें पूर्व-चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होगी और केवल शेष/बाकी उम्मीदवार ही पूर्व-चुनाव मतदान पत्र पर होंगे। इस पूर्व-चुनाव मतदान पत्र में केवल उम्मीदवार को ही वोट दिया जा सकेगा। जिन चार उम्मीदवारों को पूर्व-चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वे ही मुख्य चुनाव के लिए सफल माने जाएंगे।

5 मुख्य चुनाव में मतदाता 4 बार स्टैम्प/मुहर लगाएंगे। प्रत्येक लाइन/पंक्ति में एक जगह अपनी पसंद के किसी भी कॉलम/स्तंभ में मोहर लगाएंगे। इस प्रकार, वह 8 उम्मीदवारों में से 4 पसंद/प्राथमिकताएं बताएगा/देगा।

6 मतदान पेटी में चौड़ा सुराख होगा ताकि मतदान- पत्र को उपरी/उंचाई की तरफ से केवल एक बार मोड़ना पड़े।

40.12.3 <u>क्या कोई देश `तुरंत निर्णायक मतदान (आई. आर. वी.)' प्रयोग करता है?</u>

हां, आयरलैण्ड पिछले 70 वर्षों से अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए 'तुरंत निर्णायक मतदान(आई. आर. वी.)' का उपयोग करता आ रहा है। मतों की संख्या 30 लाख है जो कि हमारे संसदीय क्षेत्र का दोगुना है यद्धपि आयरलैण्ड छोटा देश है लेकिन तब हमारे पास गिनती करने वाले स्टॉफ/कर्मचारी ज्यादा हैं । आयरलैण्ड के अलावा, ऑस्ट्रेलिया और अनेक अन्य देशों में दशकों से 'तुरंत निर्णायक मतदान (आई. आर. वी.)' का प्रयोग दशकों/सदियों से होता आ रहा है।

40.12.4 <u>'तुरंत निर्णायक मतदान(आई. आर. वी.)' में मतगणना और परिणाम</u>

उपर बताए गए 'तुरंत निर्णायक मतदान(आई. आर. वी.)' में मतगणना के 7 दौर होते हैं –

- पहले दौर में पहली पसंद/प्राथमिकता के आधार पर आठ ढ़ेर होंगे।
- दूसरे दौर में, सबसे कम वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार हारा हुआ माना जाएगा। और कोई भी उम्मीदवार, जिसे मतदान किए गए वोटों का 1 प्रतिशत से भी कम मत मिला है, उसे भी हारा हुआ माना जाएगा। इसलिए, ज्यादा से ज्यादा 7 उम्मीदवार होंगे और उनके मतों को उन मतपत्रों पर दिए गए द्‌वितीय/दूसरी पसंद/प्राथमिकता के आधार पर फिर से बांटा जाएगा।
- तीसरे दौर में जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलेंगे, वह हारा हुआ माना जाएगा। इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा 6 उम्मीदवार बचेंगे। और उनके मतों को फिर से बांटा जाएगा। यह मतदान पत्र की द्‌वितीय/दूसरी पसंद/प्राथमिकता अथवा तीसरी पसंद/प्राथमिकता के आधार पर होगा।
- और इस प्रकार की कार्रवाई/प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक केवल दो ढ़ेर बचेंगे। और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिलेगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा।

- किसी भी समय/बिन्दु पर यदि किसी व्यक्ति/उम्मीदवार को 50 प्रतिशत से अधिक वोट मिल जाते हैं ,तो विजेता का निर्णय वहीं हो जाएगा। उसके बाद 7 दौर तक मतगणना चलती रहेगी लेकिन परिणाम प्रभावित नहीं होगा।
- अंतिम दौर में, जिस व्यक्ति/उम्मीदवार को सर्वाधिक मत/वोट मिलेंगे उसे जीता हुआ/विजेता घोषित कर दिया जाएगा।

40.12.5 मतगणना के बारे में प्रशासनिक जानकारी

- मान लीजिए ,औसत से (बीच का) , एक लोकसभा क्षेत्र में 15,00,000 मतदाता और 1500 मतदान केन्द्र हैं। इसलिए कुल 1500 मतदान पेटियां होंगी।
- तब कलेक्टर के पास लगभग 7 कमरे होंगे। प्रत्येक कलेक्टर को लगभग 200-250 मतदान केन्द्रों की जिम्मेदारी मिलेगी। प्रत्येक कमरे में 10-15 टेबल होंगे।इस तरह कुल लगभग 75 टेबल और 1500 मतदान पेटियां हैं ,तो हर एक टेबल को 20 मतदान पेटियां मिलेंगी | इसलिए सात दौरों में से प्रत्येक दौर में 20 उप-दौर की मतगणना होगी।
- प्रत्येक उप-दौर में प्रत्येक टेबल पर एक मतदान पेटी होगी। इससे 8 ढ़ेर बनेंगे । मतगणना के बाद मतपत्रों को ढ़ेर में मिला/जोड़ दिया जाएगा।

40.12.6 अधिकांश/अधिकतर मामलों में वास्तविक/असली गिनती

मान लीजिए, यदि मतदाताओं की संख्या 15,00,000 है तो औसतन अधिकांश मतदाता केवल 2-4 पसंद/प्राथमिकता देंगे, मान लीजिए औसतन 3 पसंद/प्राथमिकता होंगी। ऐसे मामले में एक मतदान में ढ़ेर ज्यादा से ज्यादा 2 बार पलटा जाएगा। इसलिए अधिकतर मामलों में वास्तविक मतदान की गिनती 7 गुना 15,00,000 बार नहीं होगी, लेकिन 15,00,000 से दोगुने से ज्यादा नहीं होगी।

40.12.7 'तुरंत निर्णायक मतदान(आई. आर. वी.)'/ अधिक पसंद अनुसार मतदान के लाभ

'तुरंत निर्णायक मतदान (आई. आर. वी.)' पर क्लोन प्रभाव का कोई असर/प्रभाव नहीं है और इसलिए 'तुरंत निर्णायक मतदान (आई. आर. वी.)' में फर्जी उम्मीदवार खड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हमारे विरोधी ऐसे उम्मीदवार को प्रायोजित करने वाले हमारा समय बरबाद नहीं कर पाएंगे। साथ ही, 'तुरंत निर्णायक मतदान (आई. आर. वी.)' मतदाता को अच्छे उम्मीदवार को वोट देने में समर्थ/सक्षम बनाता है। इस प्रक्रिया/तरीके द्वारा चुनाव न जीतने की अधिक सम्भावना लगने वाले उम्मीदवार ,लेकिन सबसे अच्छे उम्मीदवार को पहली पसंद/प्राथमिकता दी जा सकती है। और तब जीतने की अधिक संभावना लगने वाले उम्मीदवार को चौथी या अन्य पसंद/प्राथमिकता/स्थान पर वोट दिया जा सकता है। इस प्रकार मतदाता सुरक्षित महसूस करते हैं। और चुनाव न जीतने की अधिक संभावना लगने वाले, सबसे अच्छा उम्मीदवार सबकी नजर में आकर महत्वपूर्ण हो जाता है। और` न जीतने की अधिक संभावना लगने वाले उम्मीदवार भी वास्तव में जीत सकता है !! 'तुरंत निर्णायक मतदान(आई. आर. वी.)' का एक और महत्वपूर्ण, अच्छी बात यह है कि नए उम्मीदवार की मीडिया मालिकों पर

आसरा/निर्भरता कम होती है। और चुनाव के परिणाम को असर/प्रभावित करने में मीडिया मालिकों की ताकत भी कम हो जाती है। इसलिए 'तुरंत निर्णायक मतदान(आई. आर. वी.)' चुनाव की मीडिया मालिकों पर आसरा/निर्भरता कम कर देता है।

(40.13) राज्य सभा में चुनाव और समानुपातिक (सामान तुलना में) उम्मीदवारी / प्रतिनिधित्व

राज्य सभा के सांसदों का चुनाव भी नागरिकों द्वारा किया जाना चाहिए न कि विधायकों के द्वारा। विधायकों के द्वारा चुनाव से वास्तव में सीटों की बोली लगाई जाती है। यह कोई नई बात नहीं है – अमेरिका में भी जब सीनेटरों का चुनाव विधायकों द्वारा किया जाता था, तब सीटों की बिक्री आम बात थी। और यही कारण है कि नागरिकों ने सीनेटरों को एक ऐसा कानून लागू करने पर मजबूर/बाध्य कर दिया जिससे नागरिक को सीधे सीनेटर चुनने का अधिकार मिलता है न कि विधायक चुनने का।

और हमें राज्यों में समानुपातिक(समान तुलना में) मतदान का प्रयोग करके राज्य सभा के सांसदों का चुनाव करना चाहिए। प्रत्येक पार्टी /दल और स्वतंत्र उम्मीदवार समूह अपना-अपना (क्रमबद्ध) सूची दे सकता है। एक नागरिक एक वोट देगा और उम्मीदवारों की कोई भी 5 सूचियों पर 'तुरंत निर्णायक मतदान(आई. आर. वी.)' के तरीके से पसंद/प्राथमिकताएं दर्ज करेगा। और उम्मीदवारों की संख्या जो चुने जाएँगे, किसी सूची को मिलने वाले वोटों की संख्या पर निर्भर करेगी। जितने वोट किसी सूची को मिले होंगे, उसी तुलना/अनुपात में उस सूची में से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार चुने जाएँगे | इससे राज्य सभा में समानुपातिक प्रतिनिधित्व(समान तुलना में उम्मीदवारी) हो जाएगा।

(40.14) पार्टी में अंदरूनी चुनाव / आंतरिक लोकतंत्र

पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के लिए मैं निम्नलिखित कानून का प्रस्ताव करता हूँ –

1. कोई व्यक्ति, जो किसी राजनैतिक दल का सदस्य बनना चाहता है, उसे पटवारी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क देकर जिस पार्टी का वह सदस्य बनना चाहता है, उसकी क्रम संख्या बताने/प्रस्तुत करने की जरूरत पड़ेगी और वह ऐसा कर सकता है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को कितनी भी पार्टियों का सदस्य बनने की अनुमति देगा।
2. पटवारी/तलाटी नामों को चुनाव आयोग की वेबसाईट पर डालेगा।
3. पार्टी अध्यक्ष चुनाव आयोग को एक सूची सौंपेगा जिसमें उसके द्वारा अनुमानित सदस्यों की सूची होगी। चुनाव आयोग इस सूची को भी चुनाव आयोग की वेबसाईट पर डालेगा।
4 पार्टी अध्यक्ष किसी सदस्यता को बिना कोई कारण बताए अगले एक माह में रद्द/समाप्त कर सकता है।
5. पार्टी का संविधान सदस्यों को 5 या उससे कम की श्रेणियों – क ,ख, ग, घ, च - में बांट सकता है।
6. यदि पार्टी के संविधान में यह लिखा है कि विधायक के पद के लिए उम्मीदवार का चुनाव किसी श्रेणी विशेष के सदस्य द्वारा किया जाना जरूरी है तो जिला कलेक्टर किसी

तहसीलदार को रखेगा/नियुक्ति करेगा जो किसी विशिष्ट(स्पष्ट बताये गए) श्रेणी में पार्टी सदस्यों के बीच चुनाव आयोजित करवाएगा और चुनाव आयोग केवल उसी (जीते हुए) उम्मीदवार को टिकट देगा ।

अभी ऊपर प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है और चुनाव आयोग कलेक्टर, तहसीलदार और जजों में भ्रष्टाचार के स्तर को देखते हुए कोई भी पार्टी ऐसे क्लॉज/खण्ड को स्वीकार नहीं करेगी और बहुत कम नागरिक इस कानून को स्वीकार करने के लिए राजनैतिक दलों पर दबाव डालने के लिए राजी होंगे। यदि एक बार प्रजा अधीन राजाभ्रष्ट) राईट टू रिकाल/ (को बदलने का अधिकार कानून से चुनाव आयोग, कलेक्टर ,तहसीलदार और जजों में भ्रष्टाचार कम हो जाए तो नागरिक, राजनैतिक दलों पर पार्टी में अंदरूनी चुनाव के लिए दबाव बनाने के लिए राजी हो जाएंगे।

<u>राईट टू-रिकाल/प्रजा अधीन राजा और राजनैतिक पार्टी का खर्चा</u>

दोस्तों, यदि प्रजा अधीन-राजा(भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) के प्रक्रियाएँ/तरीके लागू हैं, तो राजनैतिक पार्टियों के सभी खर्चे अस्त-व्यस्त हो जाएँगे!! कैसे ? मान लीजिए कि एक पार्टी एक करोड़ का खर्चा करती है अपने लोकसभा क्षेत्र में और उनका उम्मीदवार जीत जाता है |

यदि उम्मीदवार भ्रष्ट और निकम्मा है और अपने चुनाव के वायदे नहीं निभाता , तो नागरिक उसे 2-3 महीनों में निकाल सकते हैं , जिससे पार्टी ने जो रिश्वतें दी हैं, उसका फायदा नहीं होगा, बल्कि नुक्सान होगा !!

इसीलिए सभी राजनैतिक पार्टियां सीट जीतने पर पैसा खर्च करना बंद कर देंगी और विकास पर ध्यान करना शुरू कर देंगी |

क्यों? क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि रिश्वत खिलाने और सीट जीतने पर एक करोड़ भी खर्चा करने के बाद भी , नया सदस्य अपने पद पर पूरे अवधि रह पाता है, यदि भ्रष्ट हो जाता है तो |

ये ही प्रजा अधीन-राजा या राईट टू रिकाल की प्रक्रियों की शक्ति है |

इसी कारण से भारत में सभी राजनैतिक पार्टियां प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल का विरोध करती हैं क्योंकि उनके गलत काम बंद हो जाएँगे |

(40.15) भारतीय अपने वोट बेचते हैं का मिथक / झूठी बात

कनिष्ट/जूनियर कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र के खिलाफ बनाने के लिए, मीडिया मालिक और कार्यकर्त्ता-नेता जो विशिष्टवर्ग और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ख़रीदे हुए हैं , ने झूठी बात बना दी कि नागरिक अपने वोट बेचते हैं | ये लेख ये दर्शाता/बताता है कि कार्यकर्ता जो ये दावा करते हैं कि “भारतीय मतदाता अपने वोट वेचते हैं” या तो गलत सूचित /ग़लतफ़हमी के शिकार हैं या तो सरासर झूठे हैं |

साथ ही , जो प्रजा अधीन राजा /भ्रष्ट को बदलने की प्रक्रिया हमने ने प्रस्ताव की है, वो वैसे भी "भारतीय अपने वोट बेचते हैं" तर्क से प्रभावशून्य(प्रभावित नहीं) है |क्यों? क्योंकि `प्रजा अधीन राजा भ्रष्ट को बदलने` की प्रक्रियाओं में (जैसे प्रजा अधीन-प्रजान मंत्री, प्रजा अधीन-जिला शिक्षा अधिकारी,प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री आदि)जो हमने प्रस्तावित की हैं, नागरिक अपने अनुमोदन/मत किसी भी दिन बदला सकता है|

तो यदि प्रत्याशी रु.100 देता है हर नागरिक को , तो नागरिक अगले सप्ताह/हफ्ते फिर से रु.100 मांग सकते हैं या फिर अपना अनुमोदन रद्द करने की धमकी दे सकते हैं | तो प्रत्याशी को रु.100 देना होगा हर मतदाता को हर हफ्ते/सप्ताह , जो व्यावहारिक और लाभकारी नहीं है| इसीलिए प्रस्तावित प्रजा अधीन राजा भ्रष्ट को बदलने की प्रक्रियाएँ "`प्रजा अधीन राजा भ्रष्ट को बदलने की प्रक्रिया` बुरी है क्योंकि भारतीय अपने वोट बेचते हैं " तर्क से प्रभावशून्य(प्रभावित नहीं) है| फिर भी, मैं इस झूठी बात का खंडन करूँगा साथी भारतीय नागरिकों का सम्मान बचाने के लिए |

=====

शुरुवात के लिए ,यहाँ **4 बुनयादी जवाबी-तर्क** प्रस्तुत हैं-

1.) पहला, मीडिया मालिकों ,कार्यकर्त्ता-नेताओं से पूछें " लगबग कितने प्रतिशत नागरिक अपने वोट बेचते हैं " और वो उसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे| एक बयान जैसे "भारतीय अपने वोट बेचते हैं " यदि सही है, नापा जाने योग्य होना चाहिए | क्या वो 90% है या केवल 5% है?

2.) दूसरा, ये सत्य है कि प्रत्याशी पैसा और उपहार देते हैं और मतदाता उन्हें स्वीकार करते/लेते हैं |लेकिन हर मतदाता ये जानता है कि मतदान गोपनीय है | इसिलिय कुछ भी उसे नहीं रोकेगा अपना वोट देने से उस व्यक्ति को जिसे वो अपना वोट देना चाहे |

3.) और तीसरा, जो ये दावा करते हैं " भारतीय अपने वोट बेचते हैं ", अक्सर ऐसा भी दावा करते हैं कि " भारतीयों के कमजोर नैतिक मूल्य हैं ". यदि मतदाता के कमजोर नैतिक मूल्य हैं, तो कुछ भी उसको रोक नहीं सकता पैसे लेने से `क` से और `ख` को वोट देने के लिए | लेकिन तब एक बयान आता है " मतदाता अपना वचन/वादा रखते हैं "| अभी दोनों बयान सही नहीं हो सकते |

4.) और अंत में, मैं विनती करता हूँ सभी से एक प्रश्न पूछने के लिए जो ये दावा करते हैं " `य` प्रतिशत भारतीय मतदाता अपने वोट बेचते हैं "| उनसे पूछें,"कितने प्रतिशत आपके अनुसार फैसले बेचते हैं", "कितने प्रतिशत मीडिया मालिक समाचार बेचते हैं" और "कितने प्रतिशत बुद्धिजीवी महत्वपूर्ण सत्य को छिपाते हैं ?" क्या ये `य` से अधिक है या `य` से कम है? आप देखेंगे कि जो हम आमजन पर दोष लगाते हैं वोट बेचने के लिए , मना कर देते हैं आमजन और विशिष्ट वर्ग के इमानदारी के स्तर के बीच तुलना करने के लिए |

=====

अब मैं इस झूठी बात कि **" नागरिक वोट बेचते हैं" का खंडन कुछ उदहारण से** करूँगा -

A. गुजरात विधानसभा चुनाव-2007 में , एक धनिक ,जिसका नाम `भुवन भरवाड` एक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नादियाड से लड़ रहा था | वो हार गया | साथ ही , कांग्रेस प्रत्याशी, नरहरी अमीन मटर चुनाव-क्षेत्र से लड़ रहा था| अमीन पूर्व मंत्री था और धर्मार्थ न्यासों के माध्यम से विशाल भूखंडों का मालिक है और उसने भारी मात्र में धन खर्च किया था , फिर भी चुनाव हार गया |

B. 1977 में कांग्रेस के पास जनता पार्टी से 10 गुना अधिक पैसे था ,फिर भी जनता पार्टी जीत गयी और कांग्रेस हार गयी| 1988 में कांग्रेस के पास भाजपा से 10 गुना अधिक पैसा था, फिर भी कांग्रेस हार गयी और भाजपा/एन.डी.ऐ जीत गयी|

C. बहुत मामलों में, सभी प्रमुख प्रत्याशी पैसे देते हैं| क्या मतदाता हमेशा उसी व्यक्ति के लिए वोट करती है जो सबसे अधिक पैसा का भुगतान करता है? मुझे शक है | और अक्सर मामले होते हैं जहाँ मतदाता उस प्रत्याशी के लिए वोट करते हैं जिसने कुछ नहीं भुगतान किया |

अनगिनित अन्य उधाहरण हैं |

ये सही है की बहुत प्रत्याशी पैसे और उपहार देते हैं | और ये भी सही है कि मतदाता उसे लेते हैं | **बहुत कम गरीब व्यक्ति रु.100 को मना करेंगे और कोई ही अमीर आदमी एक लाख रुपये मना करेगा | एक संपन्न व्यक्ति की ऊँची कीमत होगी ---- बहुत कम मुफ्त के पैसे को ना कहेंगे |** लेकिन प्रश्न ये है --- क्या मतदाता ने `क` के लिए वोट किया क्योंकि `क` ने पैसे दिए या क्योंकि उसे `ख` से घृणा/नफरत थी और कि उसे `क` पसंद था ? उत्तर है --- 90% से अधिक ने `क` के लिए वोट किया क्योंकि वे `क` को पसंद करते थे या `ख` से नफरत करते थे , ना कि क्योंकि `क` ने उसे पैसे दिए |

जो व्यक्ति ये कहता है " भारतीय वोट बेचते हैं", उसको मैं ये दो प्रश्न पूछूँगा-

1.) मानो आप एक प्रत्याशी को नापसंद करते हो और वो आप को रु.100 देता है| क्या आप उसको मना करोगे? यदि वो आपको एक लाख रुपये दे , तो क्या आप फिर भी उसको मना करोगे? यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वो एक लाख रुपये लेने से मना करेगा तो मैं उसे या तो अत्यधिक नैतिक या अत्यधिक पाखंडी का पद दूँगा |

2.) यदि व्यक्ति सहमत हो जाता /मान लेता है कि वो पैसे स्वीकार कर लेगा , तब अगला प्रश्न ये है : क्या फिर भी वो प्रत्याशी के लिए वोट करोगे जिसको तुम नापसंद करते हो ?

दूसरे शब्दों में, ये देखते हुए कि **मतदान गोपनीय है**,मतदाता को कोई अनदेखे परिणाम का कोई खतरा नहीं है | **क्योंकि मतदान गोपनीय है, ये आरोप लगाना कि उस व्यक्ति ने किसे वोट दिया , पता लगाना संभव नहीं और ये आरोप लगाना कि आम जन वोट के लिए विक गए सही नहीं है |** और इस प्रकार के धंधों में कोई बाध्यता नहीं है | ये ही कारण है कि इतने सारे धनिक/अमीर प्रत्याशी लोकप्रिय, कम धनी प्रत्याशियों के विरुद्ध/खिलाफ हार जाते हैं |

तो फिर यदि पैसे मायने नहीं रखते तो फिर प्रत्याशी भुगतान क्यों करते हैं /पैसे क्यों देते हैं ? क्योंकि यदि प्रत्याशी अमीर है और बेईमान भी और फिर भी वो कुछ भी नहीं देता , तो मतदाताओं के मुंह का स्वाद/जायका जरुर बिगड जायेगा | लेकिन यदि प्रत्याशी/पार्टी ईमानदार और नेक है , तो मतदाता कभी भी पैसे की आशा नहीं करेगा| यदि प्रत्याशी/पार्टी भ्रष्ट है , उनके लिए बेहतर है कुछ पैसे दें मतदाताओं को | लेकिन ये उन प्रत्याशियों पर लागू नहीं होता जो भ्रष्टाचार कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं|

अंत में , नए प्रत्याशी और नयी पार्टियां क्यों नहीं जीतते ? क्योंकि मतदाताओं ने दल और प्रत्याशी पिछले 60 सालों में पांच बार तक बदले हैं | राष्ट्रिय स्तर पर, ये दो बार हुआ 1977 और 1988 में | उत्तर प्रदेश में नागरिकों ने 3 नयी दल-भाजपा, सपा, बसपा को आजमाया है | गुजरात में , पहले मतदाताओं ने जनता दल और फिर भाजपा को आजमाया है | हर बार , भ्रष्टाचार 1% भी कम नहीं हुआ | कारण है ---- नागरिक के पास भ्रष्ट को बदलने/निकालने/अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है(प्रजा अधीन राजा) और इसीलिए नए प्रत्याशी छे महीनों में बिक जाते हैं | अब तो अतीत के तथ्य के आधार पर एक धारणा बन गयी है --- नए प्रत्याशी बिक जाएँगे , इसीलिए समय,प्रयास क्यों व्यर्थ करें नए प्रत्याशी के पर्चे और उसका जीवनी विवरण/बायोडाटा पढने में ? तो नए उम्मीदवारों और नई पार्टियों को पिछले बुरे अनुभवों की वजह से अविश्वास का सामना करना पड़ता है , किसी भी अन्य कारण की वजह से नहीं|

यदि वोट इतनी आसानी से बिकते , तो मुकेश अम्बानी अपनी पार्टी बना लेते और अपने 500 कटपुतली को जितवा देते और प्रधान मंत्री बन जाता बजाय कि सांसदों को खरीदने के | परन्तु ये तथ्य कि मुकेशभाई को सांसद खरीदने पड़ते हैं , ये दिखाता है कि वो वोटरों को खरीद नहीं सकता |

(40.16) भारत में लोग अपनी जाती के लिए वोट करते हैं का झूठ

हम आम नागरिक , जाती के आधार पर वोट नहीं करते, और ना ही हमने कभी किया है | ये एक झूठ/मिथ्या है | क्यों 90% निचले-वर्ग और बीच के वर्ग के पटेल अहमदाबाद में मोदी-समर्थक हैं ?

मोदी एक घांची (अन्य पिछड़ी जाती) का है और हर पटेल को पता है कि वो एक घांची है | ये ही नहीं , हर पटेल को ये भी पता है कि मोदी उच्च वर्गीय पटेलों का विरोधी है जैसे पटेलों के विधायक, तोगड़िया, केशुभाई पटेल आदि | पटेल नेताओं के लगातार कोसने के बावजूद , सभी निचले/बीच के वर्ग के पटेल मोदी के प्रेमी हैं (कुछ पटेल हैं , जो हमेशा से भा.ज.पा से नफरत करते आये हैं और हमेशा कांग्रेस प्रेमी रहे हैं | इसीलिए उनके मोदी-विरोधी होना नहीं गिना जायेगा |)

इसके बावजूद , हम आम नागरिकों को कोसा जाता है उस अपराध के लिए जो हमने कभी नहीं किया (जाती के अनुसार वोट करना) जाता है और ये एक पसंदीदा मनोरंजन है | लेकिन उन जजों को क्यों नहीं कोसा जाता जो भाई-भातिजेवाद (एक प्रकार का जातिवाद) करते हैं और जो ये अपराध खुले आम और आराम से करते हैं ? क्योंकि बुद्धिजीवी जज से दुश्मनी तो

लेंगे नहीं | तो आम नागरिकों को कोसो, वे निर्दोष हैं तो भी और जजों की तारीफ़ करो , उनहोंने समाज को बर्बाद किया इसके बावजूद | ये ही बहुत से बुद्दिजीवियों का आदर्श है |

(40.17) राजनीति क्यों भ्रष्ट हो गयी है और सड़ गयी है और अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते

राजनीती इसीलिए भ्रष्ट और सड़ गयी है क्योंकि भ्रष्ट जज अपराधी/मुजरिमों को बढ़ावा देते हैं और मुजरिम ये पक्का करते हैं कि अच्छे लोग चुनाव में खड़े नहीं हो सकें | इसीलिए मतदाताओं को मुजरिमों में से चुनना पड़ता है | और ये समस्या भ्रष्ट को बदलने के तरीके/प्रक्रियाएँ के ना होने से बढ़ जाती है | इसीलिए , मैं इस पर जोर देता हूँ कि जजों के चुनाव के साथ उनके बदलने की प्रक्रियाएँ/तरीके हों |

मतदाता मूर्ख नहीं हैं |

केवल इसीलिए कि वे उस तरह से वोट नहीं करते जैसे आप चाहते हैं, इससे वे मूर्ख नहीं बन जाते |

क्योंकि जजों में भ्रष्टाचार और भाई-भातिजेवादे है , हिंसा करने वाले और हफ्ता लेने वाले गुंडे शाशन करते हैं | और इसीलिए इन हिंसा कने वाले और हफता लेने वाले गुंडों ने ये पक्का कर दिया है कि `अच्छे लोग` विधायक, सांसद बाने के लिए इतने ताकतवर ना बनें और अच्छी तरह से ना जाने जायें | इसीलिए केवल मुजरिम ,गुंडे या इन गुंडों के समर्थक ही अच्छी तरह से नाम हो पाता है | कुछ नेता हिंसा करने वाले गुंडों का समर्थन करते है और कुछ जैसे प्रमोद ,मनमोहन सिंह आदि हफता लेने वाले गुंडों का समर्थन करते हैं |

यदि हमें अच्छे लोगों को जिताना है , तो हमें ये पक्का करना चाहिए कि अच्छे लोग जियें और सांस लें | और उसके लिए हमें हिंसा करने वाले और हफता लेने वाले गुंडों को कैद करने की जरूरत है, हमें भ्रष्ट पोलिस, जज,मंत्री आदि को कैद करने की जरूरत है | केवल उसी के बाद, अच्छे लोग चुनाव में जीत पाएंगे |

(40.18) पढ़े लिखे और चिंतित नागरिक अच्छे लोगों को क्यों नहीं बड़े , सरकारी पदों पर नहीं ला पाते ?

क्यों हम अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद,येचुरी, अरुण, नरेन्द्रभाई, करात, मनमोहन सिंह ,सोनिया, चिदंबरम आदि के साथ क्यों अटके हुए हैं ?

शिक्षित/पढ़े लिखे लोग इनसे अच्छे विकल्प/लोग पदों पर लाने के लिए केरल ,उत्तर प्रदेश और बाकी भारत में भी असफल/फेल हो गए हैं क्योंकि -

(1) बहुत से चिंतित नागरिक नैतिकता(अच्छा बर्ताव) और राष्ट्रिय चरित्र/चाल-चलन के बकवास में विश्वास करते हैं | वो ये बकवास में विश्वास करते हैं " कि बर्ताव/व्यवहार को सुधारों और

देश सुधर जायेगा"| इसीलिए वे बर्ताव/व्यवहार और चरित्र-निर्माण (अच्छा चाल-चलन बनाना) की बेकार पढ़ाई पर ध्यान देते हैं | इसीलिए वे प्रशासन, कोर्ट आदि में कोई रूचि नहीं लेते जहाँ समस्या है | और उनकी राजनीती में कोई भागीदारी / हिस्सेदारी नहीं है या केवल एक नेता को दूसरे से बदलने तक सीमित है | वे व्यक्ति पूजन से आगे नहीं सोच सकते , चाहे वो मोदी हो, बसु हो , अटल बिहारी हो, या लाल कृष्ण अडवानी हो आदि | इसीलिए वे ये नहीं सोचते कि उनको कोर्ट, प्रशाशन के कानूनों में बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए | तो नेता बदलते हैं, कोर्ट और प्रशासन की व्यवस्था नहीं बदलती है और गड़बड़ चलती रहती है |

(2) हमारे पाठ्य-पुस्तक लिखने वाले कालेज के प्रोफेस्सर (बढ़ा मास्टर) , उनके प्रायोजक-विशिष्ट वर्ग/ऊंचे लोग को खुश करने के लिए , पाठ्य-पुस्तकों में आम नागरिक-विरोधी कचरा भर दिया है | केवल यही पढ़ने के लिय मिलता हिया " आम भारतीय जातिवाद है, भावुक हैं ,सांप्रदायिक है ,बदमाश हैं आदि, आदि |" और वे ये छुपाते हैं कि ये बुराईयां भारतीय नेता-बाबु-जज-पोलिस-प्रभंधक-बुद्धिजीवी-ऊंचे/विशिष्ट लोग में भी है और भारतीय भ्रष्ट गठबंधन (नेता-बाबु-जज-पोलिस-प्रभंधक-बुद्धिजीवी-ऊंचे/विशिष्ट लोग) में दो और बुराइयां हैं जो आम नागरिकों में नहीं है - भाई-भतिजेवाद और गुंडों और दूसरे भ्रष्ट गठबंधन से मिली-भगत |

इसीलिए भारत में छात्र/विद्यार्थी , चिंतित नागरिकों समेत, लोकतंत्र (सारे देश के लोगों द्वारा देश के मामलों का फैसला) के विरोधी हो गए हैं | इसीलिए वे अल्प लोक-तंत्र (कुछ ही लोगों द्वारा देश के मामलों का फैसला) समाधानों के समर्थक हो गए हैं और लोकतान्त्रिक समाधानों जैसे `भ्रष्ट को नागरिकों द्वारा बदलने/सज़ा देने`, पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम),`एक से अधिक लोगों को वोट पसंद अनुसार`, चुनाव फॉर्म को सरल बनाना, चुनाव जमा राशि बढ़ाना ,आदि का विरोध करते हैं , जो अधिक अच्छे उम्मीदवारों को बढ़ावा देंगे |

नेता(उम्मीदवार) वायदा करता है व्यापारियों आदि को कि यदि वो चुनाव जीतता है और सांसद/मंत्री आदि बनता है , तो वो भारत सरकार के तोहफे/उपहारों की बौछार कर देगा , यदि ये आम नागरिकों का जीवन बरबाद कर देता हो तो भी | यहाँ शून्य विचारधारा या व्यक्तिवाद है - ये 100 % सौदेबाजी है या रिश्वतखोरी |

सभी विचार-धाराएं जैसे हिंदुत्व, धर्म-निरपेक्षता (सभी धर्म सामान हैं) ,और सबसे नए-शिक्षा- वाद, 85% बढौतरी-दर का वाद , कुछ नहीं ,केवल इस सौदेबाजी को छुपाने के लिए मुखौटे हैं | और ज्यादातर नेता आजकल केवल दलाल हैं , पूरे दलाल ,लेकिन दलाल भी ज्यादातर ईमानदार होते हैं |

सभी नेता, भारत में या पश्चिम में , का झुकाव रहता है कि उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए, जो उसके लिए खतरा नहीं है | इसीलिए, सभी नेता का झुकाव दूसरे नेताओं को काटने का रहता है ताकि दूसरे नेताओं का नाम न हो जाये और उनके लिए खतरा ना बनें | और ये पक्का करते हैं कि केवल उनका "कमजोर" जूनियर/निचला व्यक्ति को ही बढ़ावा मिले | पश्चिम देशों

ने ये समस्या को कम कर दिया है एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई है , जहाँ पहले तो , नेता इतना शक्तिशाली ही नहीं होता | उदाहरण- अमेरिका का राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री जितना देश के आंतरिक/भीतर के मामलों में 5% भी शक्ति-शाली नहीं है | और एक अमेरिका का गवर्नर के पास 1% भी भारतीय मुख्यमंत्री जितने अधिकार नहीं हैं | उदाहरण एक अमेरिका का गवर्नर जिला पोलिस मुखिया का तबादला नहीं कर सकता , जबकि भारतीय मुख्यमंत्री पलक जपकते ये काम कर सकता है | इसीलिए अमेरिका के नेता इस स्थिति में नहीं है कि गुणवान/कुशल जूनियर/निचले लोगों को ऊपर बढ़ने से रोक सकें | लेकिन भारत में , प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पास प्रशासन में इतने अधिकार है, कि वे पार्टियों में अपने विरोधियों को कुचल सकते हैं और ये पक्का कर सकते है कि केवल कमजोर निचले लोग ही ऊपर आयें और ताकतवर निचले लोगों को कोई ध्यान न मिले |

ऊंचे/विशिष्ट लोगों के आई.ऐ.एस.(बाबू) , पोलिस , कोर्ट और पार्टियों में दखल-अंदाज और पहुँच के कारण , एक अच्छे व्यवहार/बर्ताव वाला व्यक्ति कभी भी आई.ऐ.एस(बाबू), पोलिस, कोर्ट, राजनीति में ऊपर नहीं उठ सकता | `स्वतंत्र-सेनानियों` को छोड़ कर जो 1951 तक पहले ही ऊपर ऊठ चुके थे , कोई भी अच्छे व्यवहार/बर्ताव वाले लोगों को ऊंचे लोगों/विशिष्ट वर्ग से प्रयोजन नहीं मिला 1951 के बाद | और विदेशी कंपनियों/ ईसाई धर्म के कट्टरपंथी लोगों की पहुँच और दखल-अंदाज़ कांग्रेस, भा.जा.पा और दूसरी पार्टियों में, ने इस समस्या को और ज्यादा खराब कर दिया | अभी ,एक सच्चा राष्ट्रवादी/देशभक्त गुणवान व्यक्ति की कोई सम्भावना नहीं है कि वो आई.ऐ.एस (बाबू), पोलिस,कोर्ट और राजनैतिक पार्टियों में तरक्की कर सके |

केवल वे ही राष्ट्रवादी को विदेशी कम्पनियाँ/ईसाई धर्म के कट्टरवादी/रूढ़िवादी बढ़ावा देंगे ,जो बजरंगी किस्म के लोग है, जो गरम मिसाजी हैं ,जिससे देश को नुकसान पहुंचे | यदि कोई राष्ट्रवादी/देशभक्त किसी पार्टी ,आई.ऐ.एस(बाबू) , पोलिस में ठन्डे दिमाग का, दूर की सोच वाला, चुस्त/चतुर है , तो विदेशी कम्पनियाँ/ईसाई धर्म के कट्टरपंथी , ये सुनिश्चित करेंगे कि वो कभी भी ऊपर ना उठे , यानी तरक्की ना करे | तो उसका रास्ता रोक दिया जायेगा | इसीलिए वो पसंद करेगा कि वो इस सरकारी सिस्टम के बाहर काम करे , यानी प्राइवेट में काम करे |

अध्याय 41 - स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव

(41.1) पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कम्पनी (व्होल्ली ओन्ड बाय इंडियन सिटीजेंस = डब्ल्यू. ओ. आई. सी)

मैंने एक विचार/सिद्धांत का प्रस्ताव किया है जिसका नाम है – `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` । यह `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` क्या है? देखिए, कम्पनी अधिनियम में अनेक प्रकार की कम्पनियां हैं जैसे – प्रोपराईटरशीप, पार्टनरशीप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड इत्यादि। `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` इनमें एक और प्रकार की कम्पनी होगी जो निम्नलिखित प्रकार से है –

1. यदि कोई कम्पनी `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` है तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के निवासी भारतीय नागरिक उसका शेयर/हिस्सेदारी खरीद सकते हैं।
2. एक सरकारी संस्था `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` के शेयर खरीद सकती है।
3. एक ऐसी पार्टनरशिप/भागीदारी जिसमें सभी हिस्सेदार/पार्टनर निवासी भारतीय नागरिक हों, जो इसका शेयर खरीद सकें।
4 कोई `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` , (किसी अन्य) `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` में शेयर खरीद सकती है।
5. कोई और(कंपनी या गैर-भारतीय नागरिक) `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` में शेयर नहीं खरीद सकता।

इस प्रकार कोई विदेशी प्रत्यक्ष(सीधे) या अप्रत्यक्ष(किसी के द्वारा) तौर पर भी `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` कम्पनी का 1 प्रतिशत भी मालिक नहीं हो सकता है।

(41.2) `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` कम्पनी को बढ़ावा देना

इसके अलावा मैंने `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` कम्पनी को बढ़ावा देने के लिए अनेक कानूनों का प्रस्ताव किया है जैसे –

1. केवल `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` ही भारत में जमीन खरीद सकेगी। गैर-`पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` संशोधित किए अथवा बदले जा सकने वाले वास्तविक किराए पर अधिक से अधिक 25 वर्ष के लिए जमीन को पट्टे पर ले सकती है।
2. केवल `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` ही टेलिकॉम, सेटेलाईट और अन्य रणनीतिक(लड़ाई सम्बन्धी) क्षेत्र में आ सकती है।
3. केवल `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` ही कच्चे तेल की खुदाई के क्षेत्र में आ सकती है।
4. केवल `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` ही खनिजों की खुदाई के क्षेत्र में आ सकती है।
5. केवल `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` कम्पनी ही खाने पीने के चीजें, जो दवा ना हों (गैर-औषधीय खाद्यान्न) बना सकती है। इत्यादि, इत्यादि।

मैं 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) (सिस्टम)' का प्रयोग करके इन कानूनों को एक के बाद एक करके समूहों में लागू कराने का प्रस्ताव करता हूँ। इन कानूनों से स्वदेशी लागू हो जाएगा।

इसके अलावा स्वदेशी बढाना के लिए क़ानून-व्यवस्था सही करना होगा,भ्रष्टाचार कम करना होगा और तकनिकी/गैर-तकनिकी सभी तरह के सामान के निर्माण को बढावा देने के लिए सही कानून होने चाहिए| कानून-व्यवस्था सही नहीं होने से केवल बहु-राष्ट्रिय कंपनियों को ही फायदा होता है छोटे उद्योगों के मुकाबले क्योंकि छोटे उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले जजों, पुलिस को कम रिश्वत दे सकते हैं और मजदूर और धंधे सम्बन्धी गलत कानून उनको बहु-राष्ट्रिय कंपनियों से अधिक नुक्सान पहुंचाते हैं | ये क़ानून निम्न-लिखित हैं-
(1) `सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)` -इससे भूमि की जमा-खोरी कम होगी, सस्ती जमीन मिलेगी जिससे फैक्ट्री/कंपनी शुरू करने में आसानी होगी | (अधिक जानकारी देखें अध्याय 5 में)

(2) `नौकरी पर आसानी से रखने और निकालने के नियम` और `आसानी से धंधा खोलने और बंद करने के कानून`- ये कानून भी स्वदेशी उद्योगों को बदाव देंगे | (अधिक जानकारी देखें अध्याय 26 में)

(3) 300% सीमा-शुल्क सभी विदेशी उत्पादों के बाहर से मंगाने पर (कच्चा माल बाहर से मंगाने पर छूट होगी) -इससे भी स्वदेशी को बदाव मिलेगा |

(4) `कोर्ट, पुलिस और सेना के लिए संपत्ति-कर और विरासत-कर(बपौती-कर) - ये `कर` से कोर्ट, सेना और पुलिस की संख्या बढायी जा सकती है और क़ानून व्यवस्था सही की जा सकती है | (अधिक जानकारी के लिए देखें अध्याय 25)

(5) `प्रजा अधीन-सुप्रीम कोर्ट प्रधान जज(मुख्य न्यायाधीश) , प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री और अन्य प्रजा अधीन-राजा कानून, जूरी प्रणाली(सिस्टम) (सिस्टम) -इससे क़ानून व्यवस्था सही होगा जिससे फैसले न्यायपूर्ण और जल्दी आयेंगे ,भ्रष्टाचार कम होगा और स्वदेशी को बढावा मिलेगा | (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 2,6,7,21 देखें)

(6) ये सब और अन्य स्वदेशी को बढावा देने वाले कानून `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम) (सिस्टम) द्वारा ही आयेंगे | (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 1 देखें)

अध्याय 42 - बिजली बनने (पैदावार) और सप्लाई (आपूर्ति) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव

(42.1) बिजली बनने (पैदावार) और सप्लाई (आपूर्ति) में सुधार करने के लिए प्रस्तावों की सूची (लिस्ट)

1. प्रजा अधीन – केन्द्रीय बिजली (बिजली(विद्‌युत)) मंत्री, प्रजा अधीन – राज्य बिजली(बिजली(विद्‌युत)) मंत्री, प्रजा अधीन–केन्द्रीय बिजली(बिजली(विद्‌युत)) प्रबंध-कर्ता/नियामक/नियंत्रक, प्रजा अधीन – राज्य बिजली(विद्‌युत) प्रबंध-कर्ता/नियामक/नियंत्रक ।
2. बिजली कटौती को कम करने के लिए बिजली खपत पर समान **भत्ता(मासिक राशन;जो नियमित अंतराल पर दी जाती है)** प्रणाली(सिस्टम) ।
3. कैसे 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' कानून बिजली खपत/उपभोग में सुधार लाएगा ?
4. कैसे प्रजा अधीन – जज और जूरी प्रणाली(सिस्टम) बिजली बनाने में सुधार लाएगा?

(42.2) प्रजा अधीन - बिजली नियामक / प्रबंधकर्ता , प्रजा अधीन - मंत्री

बिजली के क्षेत्र में चार व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं – केन्द्रीय बिजली(विद्‌युत) नियामक, राज्य बिजली(विद्‌युत) नियामक, केन्द्रीय बिजली(विद्‌युत) मंत्री और राज्य बिजली(विद्‌युत) मंत्री। नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि वे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ' पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालें और तब 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ' का प्रयोग करके नागरिकों को चाहिए कि वे प्रजा अधीन – राज्य बिजली(विद्‌युत) मंत्री, प्रजा अधीन – केन्द्रीय बिजली(विद्‌युत) मंत्री, प्रजा अधीन – राज्य बिजली(विद्‌युत) नियामक और प्रजा अधीन – राष्ट्रीय बिजली(विद्‌युत) नियामक लागू कराएं। इसके अलावा 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ' का प्रयोग करके नागरिकों को सरकारी मालिकी(स्वामित्व) वाली बिजली कम्पनियों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम) भी लागू करानी चाहिए। इससे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार कम होगा, चोरी कम होगा और रख रखाव की कमी दूर होगी।

(42.3) कोई बिजली कटौती नहीं और सभी के लिए 24 घंटे बिजली : बिजली पर भत्ता (मासिक बिजली राशन) प्रणाली (सिस्टम)

भारत में अधिकारियों ने जानबूझकर कई गावों में बिजली के तार नहीं लगवाए हैं। ऐसा इसलिए है कि यदि इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बिजली प्राप्त करना शुरू कर देंगे तो शहर के विशिष्ट/ऊंचे लोगों को कम बिजली से गुजारा करना पड़ेगा। साथ ही कई क्षेत्रों में विशिष्ट/ऊंचे लोग बिजली की कटौती (लोड-शेडिंग) करवाकर गरीबों के क्षेत्र में बिजली सप्लाई (आपूर्ति) काटवा

देते हैं ताकि धनी (विकसित) क्षेत्र में रहने वाले इन विशिष्ट/ऊंचे लोगों को उनके अपने लिए ज्यादा बिजली मिल सके।

इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं किस प्रकार का प्रस्ताव कर रहा हूँ?

एक बार यदि हम प्रजा अधीन – बिजली मंत्री लागू कर सकें तो भारत भर में सभी क्षेत्रों में बिजली की कटौती(लोड शेडिंग) एक समान हो जाएगा। लेकिन इससे समस्या कम नहीं होगी। यदि संभव हो तो हमें बिजली कि कटौती (लोड शेडिंग) से 2 या 3 महीनों में ही छुटकारा पाना होगा। हम बिजली-घरों (पावर प्लॉन्टों) की संख्या बढ़ाना शुरू कर दें। लेकिन बिजली-घरों(पावर प्लांट) बनने में कुछेक वर्ष का समय लग जाएगा। इससे भी बड़ी समस्या बिजली के लिए कोयला आदि प्राप्त करना है। कच्चे इंधन की समस्या के समाधान की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं एक ऐसी स्थिति लाने के लिए कौन सा प्रस्ताव कर रहा हूँ जिसमें भारत भर में कम से कम बिजली कटौती हो। मेरा प्रस्ताव है कि नागरिकों को 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) ' का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रणाली(सिस्टम) लागू करवानी चाहिए –

1. नागरिक 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ' प्रक्रिया का प्रयोग करके केन्द्रीय बिजली(विद्युत) मंत्री और राज्य बिजली मंत्री को नागरिकों द्वारा बदल सकने वाली प्रक्रियाएँ ला सकते हैं।
2. केन्द्रीय बिजली मंत्री केन्द्र सरकार के अधीन आनेवाले बिजली-घर (पावर प्लांट) से प्रति नागरिक बिजली की जो पैदावार है,उसकी अनुमानित मात्रा बताएँगे ।
3. केन्द्र सरकार का इसमें एक तिहाई हिस्सा होगा और बाकी को नागरिकों में इस प्रकार बांटा जाएगा कि जहां बिजली-घर(पॉवर-प्लांट) हैं, वहां के राज्यों के नागरिकों को दोगुना हिस्सा मिलेगा और अन्य राज्यों के नागरिकों को शेष हिस्सा मिलेगा।
4. **उदाहरण** : मान लीजिए, केन्द्र सरकार के मालिकी(स्वामित्व) वाले बिजली के प्लांट से अनुमानित पैदावार, आनेवाले महीने में 1000 मिलियन यूनिट होगा। तब लगभग 333 मिलियन यूनिट केन्द्र सरकार को जाएगा। शेष 667 मिलियन यूनिट नागरिकों को मिलेगा। मान लीजिए कि किसी राज्य में 10 करोड़ नागरिक हैं और वहाँ पर बिजली-घर हैं और शेष भारत में 105 करोड़ नागरिक हैं। तब उस राज्य में प्रत्येक नागरिक को 1.06 यूनिट मिलेगा और उस राज्य से बाहर के नागरिक को 0.53 यूनिट मिलेगा।
5. राज्य बिजली(विद्युत) मंत्री राज्य सरकार के अंतर्गत आनेवाले बिजली-घर(पावर प्लांट) से प्रति नागरिक पैदावार की अनुमानित मात्रा बताएंगे।
6. राज्य सरकार को इसका एक तिहाई हिस्सा मिलेगा और शेष हिस्सा नागरिकों को इस अनुपात में बांटा जाएगा कि जिस जिले में बिजली-घर(पॉवर-प्लांट) स्थित होगा वहां के नागरिकों को अन्य जिलों के नागरिकों के हिस्से से दोगुना मिले।
7. कोई प्राइवेट/निजी बिजली(विद्युत) पैदा करने वाला(उत्पादनकर्ता) बंधुआ कारखाने (कैप्टिव संयत्र ; जो ग्रिड से नहीं जुड़े होते हैं) सहित ,बिजली के खपत(उपभोग) के अधिकार को उसी प्रकार बांटेगा जैसे राज्य सरकार के मालिकी(स्वामित्व) वाले बिजली पैदावार(उत्पादक) बांटते हैं।

8. यदि किसी व्यक्ति के पास उसके घर में बिजली जेनरेटर है तो यह कानून उस पर लागू नहीं होगा।
9. कोई नागरिक अपने हिस्से को अपने तय किए गए कितने भी भाग/अनुपात में मीटर संख्या अथवा पंजीकृत उपभोक्ताओं(खपत करने वाले) को दे सकता है। पंजीकृत उपभोक्ता आपस में एक दूसरे को भत्ता हस्तांतरित कर सकते हैं।
10. मीटर के बिजली कीउपभोग/खपत की सीमा का निर्णय, इस बात से होगी कि उस मीटर को कुल कितनी बिजली अन्य लोगों ने दी(आवंटन) है ।
11. **<u>उदाहरण</u>** : मान लीजिए, कोई मीटर नम्बर 1 है। मान लीजिए, पांच नागरिक, जिनमें से प्रत्येक को 50 यूनिट का भत्ता(मासिक राशन) मिला हुआ है, उन्होंने अपने आवंटित 50 यूनिट में से 50 प्रतिशत यूनिट इस मीटर नम्बर 1 को (आवंटित कर) दिया, तब उस मीटर की खपत सीमा 125 यूनिट होगी।
12. यदि कोई मीटर अपनी खपत(उपभोग) की सीमा से अधिक चल/बढ़ जाती है तो सरकार दण्ड लगा सकती है, जो आम(नियमित) शुल्क से 10 गुना ज्यादा हो सकता है।
13. किसी व्यक्ति को अपनी खपत यूनिट को (अन्य) मीटरों और पंजीकृत खरीददारों को बिजली देने/नामित (आवंटित करने) के लिए तलाटी के कार्यालय जाकर उसे अपनी बिजली जो देना चाहता है(आवंटन) इंगित करना/बताना होगा। बिजली , जो देना चाहता है(आवंटन), प्रति वर्ष 1 आवंटन तक नि:शुल्क होगा और उसके बाद उस व्यक्ति को 3 रूपए का शुल्क देना पड़ेगा।
14. राज्य/केन्द्र सरकार अपनी अपनी यूनिटों को अपने अपने विभागों जैसे सेना, कोर्ट और पुलिस आदि को देगी(आवंटित करेगी)। कितनी यूनिट दी जाएँगी, ये रक्षा-मंत्री, प्रधान-मंत्री और पोलिस विभाग के अध्यक्ष तय करेंगे और कम से कम 51 % नागरिकों की `जनता की आवाज़- पारदर्शी शिकायत प्रणाली(सिस्टम)` का प्रयोग करके स्वीकृति लेंगे | शेष (यूनिटों) की खुले बाजार में नीलामी की जाएगी।
15. कोई नागरिक अपनी बिजली यूनिटों को निम्नलिखित तरीके से आवंटित कर सकता है:- किसी खास/विशेष मीटर संख्या को **क1** यूनिट, किसी अन्य विशेष मीटर नम्बर को **क2** यूनिट और (उपभोग से) ज्यादा यूनिट किसी विशेष कंपनी को। यह “मीटर संख्या” उसके अपने घर का हो सकता है और/या उसके अपने दुकान का हो सकता है।
16. यदि कोई नागरिक यह महसूस करता है कि कतिपय/कुछ श्रेणियों के लोगों जैसे खेती-भूमि के मालिक आदि को ज्यादा बिजली(आवंटन) मिलना चाहिए तो वह इस क्लॉज को एफिडेविट के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और तब नागरिकगण ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ’ का प्रयोग करके निर्णय करेंगे अथवा संसद वर्तमान/मौजूदा अथवा नए कानूनों के अनुसार निर्णय करेगी।
17. अंतिम/वास्तविक उपभोक्ता(*ऐंड यूजर्स)* बिजली(विद्‌युत) प्रभंध-कर्ताओं/नियामकों द्‌वारा किए गए निर्णय के अनुसार वास्तविक रूप में किए गए अपने खर्च/उपभोग के लिए शुल्क देगा।

(42.4) सभी के लिए पंखा-ट्यूबलाईट के लिए बिजली अथवा उतनी बिजली के बराबर का नकद

वर्ष 2009 में भारत की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली खपत (क्षमता) 612 किलो-वाट थी अर्थात 612 यूनिट थी। एक यूनिट कितना होता है? एक यूनिट एक 60 वाट के ट्यूबलाईट को 16 घंटे या एक 60 वाट के पंखे को 16 घंटे चला सकता है। यदि कोई परिवार एक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे और एक पंखा प्रतिदिन 12 घंटे चलाता है तब वह परिवार एक वर्ष में 438 यूनिट उपभोग/खपत करेगा। बिजली के अन्य मशीनों/उपकरणों के लिए उन्हें निश्चित रूप से अधिक बिजली की जरूरत पड़ेगी।

मेरे द्वारा किए गए "बिजली के लिए समान मासिक राशन" के प्रस्ताव में प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग/खपत की सीमा है और यह दूसरों को भी हवाले कर सकते हैं। इस प्रकार, कोई व्यक्ति जिसके घर में बिजली नहीं है अथवा वह बिजली बन्द रखता है तो वह अपने खपत/उपभोग के अधिकार को किसी ऐसे व्यक्ति को बेच सकता है जिसे अधिक यूनिट की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, **बिजली की कटौती(लोड शेडिंग) को बिजली के मूल्य में वृद्धि करके इस तरह से न्यूनतम किया जाएगा कि केवल उन व्यक्तियों को इसका अधिक भुगतान करना पड़ेगा जो औसत से अधिक खपत/उपभोग करेंगे और इस अधिक(*एक्सेस)* (खपत) के भुगतान का निर्णय खुले बाजार में (अर्थात प्रत्येक नागरिक) द्वारा किया जाएगा और यह पैसा सीधे उन नागरिकों को जाएगा जो कम बिजली की खपत करते हैं।**

उदाहरण के लिए, प्रत्येक नागरिक प्रति महीने खपत का मासिक राशन(आवंटन)(कम दाम पर बिजली) 40 यूनिट है तब कोई परिवार, जिसे बिजली का कनेक्शन नहीं है वह प्रति माह 40 यूनिट बिजली किसी उद्योग को बेच सकता है और बाजार मूल्य के बराबर पैसे ले सकता है। मान लीजिए, चार व्यक्तियों का एक परिवार प्रति दिन 5 घंटे तक एक ट्यूबलाईट और प्रति दिन 12 घंटे एक पंखा उपयोग करता है तो उन्हें एक महीने में 30 यूनिट की जरूरत होगी। इसलिए वे 30 यूनिट का उपभोग कर सकते हैं और 130 यूनिट का अधिकार किसी अन्य को बेच सकते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो प्रति दिन 20 घंटे एयर कंडिशनर(ए.सी) का उपयोग करता है वह एक महीने में 600 यूनिट का उपभोग करेगा। उसे किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से 560 यूनिट खरीदने की जरूरत पड़ेगी जो कम खर्च करता है।

इस प्रकार, कैसे इस `समान मासिक बिजली राशन प्रणाली(सिस्टम)` से बिजली कटौती(पावर कट) कम होगी? क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति उतनी ही बिजली का उपयोग करते हैं जितनी यूनिट उसे मिली है तो पावर कट बिलकुल भी नहीं होगा। अब यह तथ्य कि किसी व्यक्ति को शुल्क का 10 गुना भुगतान करना पड़ेगा, यह पक्का/सुनिश्चित करेगा कि वह यूनिट बाजार से खरीदेगा ना कि नियम तोड़कर ज्यादा यूनिट का खपत/उपभोग करेगा। अथवा यदि वह यूनिट नहीं खरीद सकता है तो वह खुद ही अपना खपत कम कर देगा। दूसरे शब्दों में, कोई मॉल/बड़ी दुकान जो रात दिन 24 घंटे एसी चलाती है तो ऐसा करने के लिए उसका स्वागत है लेकिन अच्छा होगा यदि वह यूनिट उनसे प्राप्त करे जो कम उपभोग कर रहे हैं। यदि कम खपत करने वाले यूनिट दे देने की बजाए ज्यादा खपत करने का निर्णय करते हैं तो मॉल को बिजली खपत/उत्पादन बढ़ने तक इंतजार करना पड़ेगा।

(42.5) बिजली / ऊर्जा की परिस्थिति में 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' से कैसे सुधार होगा ?

'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' गरीबों की आय बढ़ा देगा। यह उसकी बिजली खरीदने की ताकत/क्षमता बढ़ा देगा। साथ ही 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' यह पक्का/सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों को कच्चे तेल, कोयले की रॉयल्टी से सीधी आय प्राप्त हो। इसलिए यदि बिजली की मांग बढ़ती है और यदि बिजली बनाने/उत्पादन करने वाली कम्पनी कच्चे तेल अथवा कोयले के लिए ज्यादा भुगतान करने का निर्णय लेती है तो नागरिकों की आय खुद ही बढ़ जाएगी। इस प्रकार 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' यह पक्का/सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम कुछ बिजली का उपयोग कर पाए।

(42.6) कैसे प्रजा अधीन - जज बिजली उत्पादन में सुधार करेगा?

प्रजा अधीन- जज यह सुनिश्चित करेगा कि जज योजनाओं को रोकने/बलॉक करने के लिए रोक(*स्टे आर्डर)* का आदेश नहीं देंगे। उदाहरण के लिए नर्मदा डैम योजना विभिन्न जजों द्वारा दिए गए रोक(*स्टे आर्डर)* के कारण 40 वर्षों तक रूका रहा। इसलिए जैसे ही रोक (*स्टे आर्डर)* कम कर दिए जाएंगे, जल बिजली(विद्युत) कारखाना और अन्य बिजली-घर(पावर प्लान्ट्स/ऊर्जा संयंत्र) का विकास/निर्माण तेजी से होगा। इससे बिजली पैदावार/उत्पादन में सुधार होगा।

अध्याय 43 - कच्चे तेल को बाहर से मंगाना (आयात), विदेशी कर्ज कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के प्रस्ताव

(43.1) मुख्य समस्या

भारत का व्यापार घाटा नियंत्रण से बाहर है। हम जितना निर्यात(बाहर माल भेजना) कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आयात(दूसरे देश से माल मंगाना) कर रहे हैं। इससे भारत सरकार डॉलर्स उधार लेने के लिए बाध्य/लाचार हो गई है और इससे विदेशी कर्ज और अमेरिका पर निर्भरता/आसरा बढ़ी है। हम व्यापार घाटा कैसे कम करेंगे और विदेशी कर्ज कैसे चुकाएंगे? और यह कैसे पक्का/सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कर्ज न बढ़े?

और व्यापार घाटा कम करने पर प्रस्ताव देते समय एक मुख्य बात/समस्या जिसे अवश्य सुलझाना होगा वह है – कच्चा तेल (और इससे जुडे उत्पाद)। भारत अपनी कच्चे तेल की कुल खपत का लगभग 75 प्रतिशत बाहर से मंगाता (आयात करता) है। और इस कार्य में बहुत अधिक विदेशी मुद्रा(विनिमय) चला जाता है। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों की बदौतरी, भारत सरकार को डॉलर उधार लेने और पेट्रोल के अंतिम/वास्तविक स्थानीय बिक्री दाम बढ़ाने पर मजबूर/बाध्य कर देती है। मेरे पास अंतिम पेट्राल के दाम/मूल्य को "स्थिर" करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन मैं यह अवश्य बताना चाहता हूँ कि जिन कानूनों का प्रस्ताव मैंने किया है, वे कैसे पेट्राल के बाहर से मंगाना(आयात) और पेट्राल के अंतिम बिक्री दाम पर प्रभाव डालेंगे और कैसे पेट्राल के बहार से मंगाने(आयात) से विदेशी कर्ज नहीं बढ़ेगा। मेरे प्रस्ताव के केन्द्र में निम्नलिखित बदलाव/परिवर्तन हैं:-

1. डॉलर खरीदने अथवा बहार से माल मंगाने(आयात) का खर्च को कोई आयकर छूट नहीं मिलेगी यानी आयकर गणितों के संबंध में घटाया जा सकने वाला खर्च नहीं होगा ।
2. निजी कम्पनियों को डॉलरों की बिक्री करके कमाए गए रूपए पर आयकर लगेगा।
3. भारतीय रिजर्व बैंक को डॉलर बेचकर कमाए गए रूपए पर ,तब तक टैक्स से छूट प्राप्त होगी, जब तक भारत का विदेशी कर्ज ना चुकाया गया हो और इसके बाद इस आय पर भी टैक्स लगेगा।

(43.2) बाहर से माल मंगवाने (आयात) और विदेशी कर्ज कम करने के लिए प्रस्तावों की सूची (लिस्ट)

1. अधिकांश समानों पर लगभग 300 प्रतिशत का आयात शुल्क।
2. कुछ वस्तुओं पर `आयात करने वाले` को आयात शुल्क का कुछ भाग डॉलर में चुकाना होगा रूपए में नहीं।

   उदाहरण – मेरे एक प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कार या कार के किसी पार्ट-पुर्जे का आयात करता है तो आयात शुल्क 300 प्रतिशत होगा और इसे डॉलर में चुकाना होगा।

3. बाहर से माल मंगवाने(आयात) की लागत को आयकर के उद्देश्यों के लिए घटाया जाने वाला खर्च नहीं माना जाएगा।
4. सीमा शुल्क के अंशत: या पूर्णत: (परिस्थिति के अनुसार) भुगतान को आयकर के उद्देश्यों के लिए "खर्चे" के रूप में अनुमति दी जाए।
5. **उदाहरण** – मान लीजिए कोई व्यक्ति लगभग 10 लाख रूपए के सामान बाहर से मंगाता है(आयात करता है)। और मान लीजिए उसे 30 लाख रूपए सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ा और वह उस सामान को 70 लाख रूपए में बेचता है। मान लीजिए, उसके द्वारा भुगतान किया गया वेतन और किराया 8 लाख रूपए है, तब उसका लाभ पूरे 70 लाख – वेतन के किराए आदि का 8 लाख रूपया = 62 लाख रूपया होगा। बाहर से मंगाने(आयात) के 10 लाख रूपए को घटाए जा सकने वाले खर्च के रूप में दर्शाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और चुकाए गए सीमाशुल्क 30 लाख रूपए का अंशत: या पूर्णत: भाग (परिस्थिति के अनुसार) को भी घटाए जा सकने वाले खर्चे की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसलए बाहर से माल मंगाने वाले व्यक्ति(आयातक) को तदनुसार/इसके अनुसार वस्तु का मूल्य बढ़ाकर रखना होगा।
6. निर्यातक(देश से बाहर माल भेजने वाले व्यक्ति) को विदेशी पैसा/विनिमय रखने के लिए अपने निर्यातों से होनेवाले लाभों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताये बैंक के खाते में डॉलर के रूप में रखना होगा।
7. यदि निर्यातक (देश से बाहर माल भेजने वाले व्यक्ति) अपनी आमदनी(राजस्व) को डॉलर में रखना चाहता है तब डॉलर के रूप में भुगतान किया जाने वाला 35 प्रतिशत टैक्स/कर उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली डोल्लर की आमदनी (राजस्व राशि) पर लागू होगा लेकिन यदि निर्यातक डॉलर प्राप्त करने के बाद 3 महीने के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर डॉलर भारतीय रिजर्व बैंक को बेचता है तो उस पूरी राजस्व राशि पर टैक्स से छूट प्राप्त होगा यानि टैक्स नहीं लगेगा।

उपर्युक्त कानून से आयात(बाहर के देश से माल मंगाना) में कमी आएगी और व्यापार घाटा भी कम होगा।

(43.3) कच्चे तेल के बहार से मांगने (आयात) और सम्पूर्ण सप्लाई (आपूर्ति) का प्रबंध करने के लिए प्रस्तावों की सूची (लिस्ट)

1. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' : 67 प्रतिशत कच्चे (तेल की) रायल्टी नागरिकों को और शेष/बाकी 33 प्रतिशत सेना को (दी जाए)
2. प्रजा अधीन –हिन्दुस्तान पेट्रोलियम अध्यक्ष, प्रजा अधीन –`तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम`(ओ.एन.जी.सी) अध्यक्ष, प्रजा अधीन – पेट्रोलियम मंत्री
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, `तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम(ओ.एन.जी.सी), पेट्रोलियम मंत्रालय आदि के कर्मचारियों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
4. तेल खुदाई और तेल साफ करने में स्थानीय तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना
5. अन्य देशों में तेल के कुएं खरीदना

6. पेट्रोलियम खपत कम करने के लिए सार्वजनिक बस प्रणाली(सिस्टम) में सुधार हेतु प्रजा अधीन –परिवहन/यातायात अध्यक्ष
7. पेट्रोलियम खपत कम करने के लिए सार्वजनिक बस प्रणाली(सिस्टम) में सुधार हेतु प्रजा अधीन – राज्य परिवहन/यातायात अध्यक्ष
8. प्रशासन में सुधार करना ताकि यात्रा की जरूरत कम पड़े।

(43.4) नागरिकों को कच्चे तेल की रॉयल्टी देना ['नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' कानून]

मेरा प्रमुख प्रस्ताव जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ' कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर/बाध्य करें और तब 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ' का प्रयोग करके नागरिकों को चाहिए कि वे 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव डालें। एक बार यदि 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' कानून लागू हो जाता है तो नागरिक कच्चे तेलों और प्राकृतिक गैसों से खनिज रॉयल्टी सीधे ही प्राप्त करना शुरू कर देंगे। और एक बार यदि ऐसा हो जाता है तो ऊंचे दामों पर कच्चा तेल खरीदने की नागरिकों की ताकत/क्षमता बढ़ जाएगी और वे कुछ हद तक मूल्य वृद्धि को सह सकेंगे। आईए, मैं इसे विस्तार से बताता हूँ।

पेट्रोल का अंतिम/निर्णायक मूल्य इनका जोड़/योग होता है – रॉयल्टी, टैक्स/कर (तेल), खोज/अन्वेषण की लागत, खुदाई, (तेल) साफ करने की लागत, यातायात/परिवहन की लागत, खुदरा लागत, खोज(अन्वेषण) में कम्पनियों के लाभ, खुदाई, शोधन/साफ करना और खुदरा बिक्री। खुदाई में यदि साफ करने का कार्य स्थानीय तौर पर किया जाता है तो प्रजा अधीन – हिन्दुस्तान पेट्रोलियम अध्यक्ष, प्रजा अधीन – तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम अध्यक्ष, प्रजा अधीन – पेट्रोलियम मंत्री का प्रयोग करने से यह पक्का हो सकता है कि ये कम्पनियां बहुत ज्यादा लाभ नहीं कमा सकें और न ही वे पैसा(आमदनी) चुरा रहीं हैं । खुदाई और साफ करने की लागतों के दो मुख्य घटक हैं – वेतन और सामग्री/माल। ये लागत छोटे समय/दौर के लिए तय होते हैं – ये क्रमरहित तरीके से बदलते नहीं/भिन्न नहीं होते हैं। मैं कच्चे तेल और गैस के अंदरूनी/घरेलू उत्पादन पर टैक्स न लगाने का प्रस्ताव करता हूँ और टैक्स के स्थान पर नागरिकों को केवल रॉयल्टी दिलवाना चाहता हूँ।

इसलिए रॉयल्टी निर्धारित/तय करने के लिए मैं किस प्रक्रिया का प्रस्ताव करता हूँ? खुदाई करने वाली कम्पनियां जैसे `तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम(ओ.एन.जी.सी) अंतरराष्ट्रीय दामों/मूल्यों (और सीमा शुल्क/कस्टम ड्यूटी जोड़कर) पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम जैसी कच्चा तेल साफ करने वाली कम्पनी को बेचेगी और खुदाई की लागत और जिस दाम पर `तेल शोधक कम्पनी` को कच्चा तेल बेचा जायेगा,इन दोनों का फर्क/अंतर, सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी होगी जिसमें से 67 प्रतिशत भाग नागरिकों को जाएगा। अब कच्चा तेल खुदाई कम्पनियों आदि को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ. एन. जी. सी.) से पैसा चुसकर अपने कर्मचारियों को ज्यादा वेतन देकर अथवा ठेकेदारों को ज्यादा भुगतान करने से कौन रोकेगा? प्रजा अधीन – ओ

एन जी सी अध्यक्ष और ओ एन जी सी के कर्मचारियों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम) लागू करने से यह सुनिश्चित होगा कि ऐसी घटनाएं/बातें न हों।

इसलिए, अब मान लीजिए, (खोज(अन्वेषण) की लागत + खुदाई की लागत + (तेल) साफ करने की लागत + परिवहन की लागत + खुदरा लागत आदि के बाद) प्रति लीटर पेट्रोल 10 रूपए है। अब मान लीजिए, घरेलू उत्पादन प्रति नागरिक प्रति महीने 20 लीटर है। और यदि बाहर से माल मंगाना (आयात) शून्य हो तो इस सप्लाई (आपूर्ति) स्तर पर बिक्री दाम 60 रूपए प्रति लीटर होगा। तो इसमें से 50 रूपए रॉयल्टी का होगा जो सेना और नागरिकों को 33 प्रतिशत और 67 प्रतिशत के अनुपात/सम्बन्ध में मिलेगा/जाएगा। रॉयल्टी से आय चाहे जितनी भी हो यह प्रत्यक्ष(सीधे) रूप से या परोक्ष(टेढ़ा) रूप से एक सीमा तक की राशि का पेट्रोल नागरिकों के लिए “नि:शुल्क” खरीदने की ताकत/क्षमता के बराबर है।

(43.5) दूसरे देशों से तेल मंगाने (आयात) का प्रबंध इस तरह से करना कि तेल आयात करने के लिए जरूरी विदेशी पैसा / विनिमय सरकार की जवाबदेही न बन जाए

दूसरे देश से मंगाया माल(आयात) के साथ समस्या यह है कि : विदेशी पैसा/मुद्रा का भार कौन सहेगा? कच्चे तेल के दूसरे देश से मंगाने (आयात) के लिए आवश्यक/जरूरी विदेशी मुद्रा/पैसा का प्रबंधन करने के लिए मेरा प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकार से है:-

1. कोई कम्पनी जो तेल खुदाई अथवा शोधन/सफाई के धंधे/व्यवसाय में है, उसे एक `पूरी तरह से भारतीय (नागरिक) मालिकी वाली कंपनी (डब्ल्यू. ओ. आई. सी.)` कम्पनी होना चाहिए।
2. भारत में तेल खुदाई अथवा तेल शोधन/सफाई का व्यावसाय कर रही कोई कम्पनी डॉलर के रूप में कोई कर्ज नहीं ले सकती।
3. कोई धंधा करने वाली(व्यापारी) कम्पनी कच्चा तेल या पेट्रोल का आयात(बहार से मंगाना) कर सकती है और इसे (तेल) शोधन कारखानों अथवा पेट्रोल थोक विक्रेता अथवा खुदरा विक्रेता को बेच सकती है। यह व्यापारी कम्पनी डॉलर के रूप में कर्ज ले भी सकती है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
4. व्यापारिक कम्पनी प्रचलित/वर्तमान बाजार दाम/मूल्य पर किसी भी कम्पनी जिसे वह ठीक समझे, से डॉलर खरीद सकती है।
5. धंधा करने वाली(व्यापारी) कम्पनी कच्चे माल पर खर्च किए गए धन/पैसे को घटाए जा सकने वाले खर्च के रूप में नहीं दिखा सकती है। और शोधक कम्पनियों को इसके द्वारा की जानेवाली सम्पूर्ण/सभी बिक्री को आय के रूप में माना जाएगा।
6. सरकार चाहे तो कच्चे तेल अथवा शोधित/तैयार पेट्रोल पर `आयात-शुल्क` लगा सकती है।

   इस प्रकार तेल का बाहर से मंगाने(आयात करने) वाली कम्पनी को स्वयं डॉलर प्राप्त करना होगा, न की भारत सरकार से। बाहर से तेल मंगाने वाली(आयातक) कम्पनी को आखिरकार उन कम्पनियों से डॉलर प्राप्त करना होगा जो भारत से सामान दूसरे देश भेजती(निर्यात) करती है। यदि दूसरे देश माल भेजने(निर्यात) में गिरावट आती है तो

स्वयं ही/खुद ही दूसरे देशों से तेल मंगाने वाली(आयातक) कम्पनियों को कम डॉलर मिलेंगे और इस तरह आयात में कमी आएगी, लेकिन भारत सरकार को तेल आयात (के कार्य) को सहायता करने के लिए कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

(43.6) कारखाने के बने माल को दूसरे देश भेजने (औद्योगिक निर्यात) को बढाना

1. कामगार/मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी बुद्धिजीवियों की पोल खोलना: अधिकांश बुद्धिजीवी विशिष्ट/ऊंचे लोगों के एजेंट होते हैं और इसलिए वे गरीबों को भारत सरकार के प्लॉटों से खनिज रॉयल्टी और जमीन का किराया दिए जाने का विरोध करते हैं। और दुखद बात यह है कि कार्यकर्ता समझते हैं कि ये बुद्धिजीवी लोग गरीब समर्थक, मजदूर-समर्थक (श्रमिक-हितैषी) हैं। मैं `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह' के सदस्य के रूप में यह प्रस्ताव करता हूँ कि हमें कार्यकर्ताओं को यह बताना चाहिए कि ये बुद्धिजीवी लोग गरीब विरोधी, अमीर-समर्थक हैं और उसका प्रमाण यह है : वे भारत सरकार के प्लॉटों से मिलने वाला किराया गरीबों को दिए जाने का विरोध करते हैं।
2. मजदूरों/श्रमिकों की सुरक्षा: 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' कानून सभी कामगारों को एक कम से कम (न्यूनतम) आमदनी देगा और इस तरह यह उन्हें शोषण(परोक्ष उपायों से किसी की कमाई या धन धीरे धीरे अपने हाथ में करना) से बचाएगा।
3. आसानी से नौकरी पर रखने-हटाने संबंधी (हायर-फायर) कानून : 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ' का प्रयोग करके भारत में आसानी से नौकरी पर रखने-हटाने (हायर-फायर) कानून लागू करवाया जाए।
4. सर्वजन भविष्य निधि(प्रोविडेंट फंड) और पेंशन प्रणाली(सिस्टम) : सभी नागरिकों के लिए भविष्य निधि(प्रोविडेंट फंड) और पेंशन प्रणाली(सिस्टम) लागू की जाए। सभी निजी/प्राइवेट भविष्य निधि और निजी/प्राईवेट योजनाओं को समाप्त/रद्द किया जाए। यह (व्यवसाय) शुरू करने वालों/*स्टार्टअप्स* का बोझ कम करेगा।
5. पर्यावरण संबंधी कानून को अमेरिका में इस कानून की उस वर्ष की स्थिति के समान बनाया जाए जिस वर्ष अमेरिका की `सकल(कुल) घरेलू उत्पाद(देश के सभी सामान और सेवाओं का बाजार का दाम) ` भारत की `सकल(कुल) घरेलू उत्पाद(देश के सभी सामान और सेवाओं का बाजार का दाम) ` के बराबर थी।
6. कृषि उपज के देश से बाहर भेजना(निर्यात) पर तब तक रोक/प्रतिबंध लगाया जाए जब तक सभी भारतीयों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन न हो।
7. भारतीय रिजर्व बैंक को डॉलर बेचने से प्राप्त आय पर आयकर से तबतक छूट दी जाएगी जब तक विदेशी कर्जा चुका नहीं दिया जाता। उसके बाद, किसी भी देश से माल बहार भेजने वाले (निर्यातक) को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(43.7) कच्चे तेल की खुदाई करने वाली और तेल शोधक भारतीय कम्पनियों के प्रशासन में सुधार करना

भारत की तेल कम्पनियां अपने कर्मचारियों को बहुत अधिक वेतन देती है और इसका मानक/आधार भ्रष्टाचार है। इसलिए इस समस्या के किस प्रकार का समाधान का मैं प्रस्ताव करता हूँ? प्रस्तावित हल निम्नलिखित हैं :-

1. प्रजा अधीन – पेट्रोलियम मंत्री
2. प्रजा अधीन – `तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम`(ओ.एन.जी.सी) अध्यक्ष
3. प्रजा अधीन – हिंदुस्तान पेट्रोलियम अध्यक्ष
4. पेट्रोलियम मंत्रालय, `तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम``(ओ.एन.जी.सी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और सभी तेल कम्पनियों के कर्मचारियों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम) लागू करना। ये उपाय बहुत काफी (अत्यन्त पर्याप्त) हैं।

(43.8) बस (परिवहन) प्रणाली (सिस्टम) में सुधार करके कच्चे तेल की खपत कम करना

फूटपाथ/पटरी (की दशा) में सुधार करके, नगर बसों की सेवाओं में सुधार करके, राज्य बस प्रणाली(सिस्टम) में सुधार करके, साझा टैक्सी सेवा व आटो रिक्शा सेवा प्रारंभ करके तथा ऐसी बस सेवा प्रारंभ करके, जिसमें लोग अपनी साईकल ले जा सकें और ऐसी ही (अन्य) सेवाएं प्रदान करके कच्चे तेल के उपभोग/खपत को घटाया जा सकता है।

एक बार यदि नागरिक प्रजा अधीन – नगर बस प्रणाली(सिस्टम) अध्यक्ष और प्रजा अधीन – राज्य बस प्रणाली(सिस्टम) अध्यक्ष लागू करवा सकें तो बस प्रणाली(सिस्टम) में सुधार हो जाएगा, निजी यातायात/परिवहन कम होगी और कच्चे तेल के दूसरे देश से मंगाने(आयात) में भी कमी आएगी।

(43.9) कच्चे तेल की खपत कम करने के लिए वाहन कर (वाहन-टैक्स) , पार्किंग शुल्क बढ़ाना

वार्षिक वाहन टैक्स की गिनती/गणना जमीन की कीमत और (वाहन द्वारा घेरी जाने वाली जमीन की माप और व्यस्त घंटों के दौरान प्रति व्यक्ति उपलब्ध स्थान का अंतर) के आधार पर गिनती/गणना करनी चाहिए और पार्किंग की कीमत में भी तदनुसार/इसके अनुसार बदौतरी/वृद्धि की जानी चाहिए क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति व्यस्त समय के दौरान प्रति व्यक्ति स्थान से कम अथवा उसके बराबर स्थान ले रहा हो तब तक कोई भीड़-भाड़ नहीं होगी लेकिन जिस पल कुछ लोग उपलब्ध प्रति व्यक्ति स्थान से अधिक स्थान लेना शुरू कर देंगे उसी पल भीड़-भाड़ बढ़ जाएगी। संक्षेप में(छोटे में), जब किसी चीज पर आर्थिक सहायता(रियायत) मिलती है तो उसका बेतहाशा दुरूपयोग होता है और उस चीज की कमी हो जाती है । वाहन टैक्स और पार्किंग शुल्क को कुछ बदलाव (समायोजन) के साथ जमीन के बाजार मूल्य के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। साथ ही, पार्किंग शुल्क और वाहन टैक्स का उपयोग केवल सड़कें और पटरी/फूटपाथ बनाने के लिए किया जाना चाहिए और किसी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना

चाहिए जिसका इससे संबंध न हो। इसके अलावा, वाहन टैक्स का उपयोग सार्वजनिक बस प्रणाली(सिस्टम) में आर्थिक सहायता(रियायत) देने के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक बस प्रणाली(सिस्टम) , कार का उपयोग करने वालों के लिए लाभदायक है। ये सभी फैसले/निर्णय नगर/राज्य स्तर के 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ' द्वारा लिया जाना चाहिए।

इसके बाद मैं यात्रा से जुड़े सभी खर्चों को आयकर में घटाए न जा सकने वाले खर्च बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें पेट्रोल खरीदना, वाहन खरीदना और वाहन के मूल्यों में समय बीतने के साथ आई कमी शामिल होगा। मैं इन सभी कानूनों को केवल 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ' का उपयोग करके लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। ये सभी प्रस्ताव आने वाले कल के लिए हैं। जैसे ही कच्चे तेल के उत्पादन में बदौतरी(वृद्धि) होगी, जैसे ही भारत, भारत से बाहर और अधिक तेल के कूएं खरीदेगा और जैसे ही दूसरे देश माल भेजना(निर्यात) में बदौतरी होगी वैसे ही उपर प्रस्तावित प्रस्तावों में से कई प्रस्ताव हटा लिए जाएंगे अथवा उनमें छूट दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए दूसरे देश माल भेजना(निर्यात) बढ़ाना और दूसरे देशों से माल लाना(आयात) कम करना, खासकर कच्चे तेल का दूसरे देश से लाना(आयात) कम करना और इसी तरह के अन्य/दूसरे कार्य की तत्काल जरूरत है।

अध्याय 44 - 302.h.pdf (पी.डी.एफ.), 302.h.doc (डोक.) में विस्तार से बताए जाने वाले विषय

(44.1) 302.h.pdf (पी.डी.एफ.), 302.h.doc (डोक.) क्या है?

यह किताब 301.h पी.डी.एफ. (अर्थात 301.h डोक.) है। कुछ दिनों के बाद मैं इस किताब की सामग्री पूरी कर दूंगा। बहुत से महत्वपूर्ण विषय अगली किताब में शामिल किए जाएंगे, जिसका नाम 302.h पी.डी.एफ. है। संक्षेप में, 302.h पी डी एफ इस किताब 301.h पी.डी.एफ. का अगला भाग है।

(44.2) जम्मू-कश्मीर और शेष भारत में इस्लामिक कट्टरपंथी से हिंसा कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

जम्मू-कश्मीर के पाठ,34 में मैंने भारत में इस्लामिक कट्टरपंथी से हिंसा में कमी लाने के लिए (आवश्यक) प्रशासनिक प्रस्तावों का वर्णन किया है। ये प्रस्ताव भारतीय सेना और औद्योगिक परिसरों(इमारतों) को सुदृढ़ बनाएंगे और इन इमारतों/परिसरों का उपयोग सऊदी अरब, अमेरिका, इंग्लैण्ड और चीन और उनके कटपुतली(एजेंट) पाकिस्तान और बांग्लादेश को रोकने में किया जाएगा। शेष भारत में इस्लामिक कट्टरपंथी से हिंसा को रोकना बहुत ही मामूली/आसान बात है। भारत में इस्लामिक कट्टरपंथी से हिंसा का उदाहरण बड़ी संख्या में है और एक मामले का अध्ययन http://www.dailypioneer.com/281865/People-flee-area-after-communal-clashes-in-Bengal.html पर पश्चिम बंगाल के *डगांगा* के बारे में है।

जिन समाधानों का प्रस्ताव मैं करता हूँ, वे हैं :-

1. प्रजा अधीन – जिला पुलिस प्रमुख
2. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री
3. प्रजा अधीन – मुख्यमंत्री
4. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट जज
5. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट जज
6. प्रजा अधीन – जिला जज
7. प्रजा अधीन – जिला राज्य और राष्ट्रीय लोक दण्डाधिकारी/प्रोजिक्यूटर/सरकारी वकील
8. बहुमत के अनुमोदन द्वारा प्रधान मंत्री (अथवा पूर्व प्रधानमंत्री) को कैद, फांसी
9. बहुमत के अनुमोदन द्वारा मुख्यमंत्री (अथवा पूर्व मुख्यमंत्री) को कैद, फांसी
10. बहुमत के अनुमोदन द्वारा सुप्रीम कोर्ट जज अथवा (पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज) को फांसी, कैद
11. बहुमत के अनुमोदन द्वारा हाई कोर्ट जज अथवा (पूर्व हाई कोर्ट जज) को फांसी, कैद
12. बहुमत के अनुमोदन द्वारा जिला पुलिस प्रमुख (अथवा पूर्व जिला पुलिस प्रमुख को फांसी, कैद

उपर बताए गए परिवर्तन भारत में इस्लामिक कट्टरपंथी से हिंसा रोकने/कम करने के लिए पर्याप्त होंगे।

(44.3) बेरोजगारी और गरीबी कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

“इंजिनियरिंग कौशल में सुधार के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव” शीर्षक में दिए गए पाठ में मैंने अपने प्रस्तावित कानून/ड्राफ्टों को विस्तार से बताया है। (कृपया इंजिनियरिंग कौशल पर पाठ 26 देखें)।

1. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) ड्राफ्ट/प्रारूप आम लोगों की आय बढ़ा देगा और इस प्रकार यह सामानों की मांग बढ़ा देगा। इससे निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा।
2. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूप/ड्राफ्ट जमीन की कीमत घटा देगा और इस प्रकार किराया कम हो जाएगा। इसके परिणाम से नया धंधा शुरू करना आसान होगा और इस प्रकार रोजगार बढ़ेगा।
3. `सम्पत्ति-कर` प्रारूप/ड्राफ्ट जमीन के मूल्य पर 2 प्रतिशत का टैक्स लगाता है और इस प्रकार जमीन की जमाखोरी कम होगी। और इसलिए जमीन की कीमत घटेगी। इस प्रकार व्यक्ति के लिए व्यावसाय शुरू करना आसान होगा और इसलिए बेरोजगारी घटेगी।
4. 300 प्रतिशत सीमा(आयात) शुल्क से आयात घटेगा और स्थानीय विनिर्माण बढ़ेगा।
5. धंधे/व्यवसाय में आने और छोड़ने की आसान शर्तों से भी रोजगार बढ़ेगा।
6. आसानी से काम पर रखने और काम से हटाने यानि हायर-फायर कानून लागू करने से वैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी जो व्यवसाय, उद्योग आदि शुरू करना चाहते हैं। इसलिए इससे भी बेरोजगारी घटेगी/दूर होगी।

<u>क्या गरीबी भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है ?</u>

सरकार के निचले स्तर के कर्मचारी भी आम नागरिकों से , पैसों के अनुसार,अच्छी स्थिति में हैं | और यदि गरीबी भ्रष्टाचार का कारण होता, तो क्या नेता-बाबू-जज-पुलिसवाले रिश्वत लेते , जब उन्होंने कुछ लाख रुपये कमा लिए हैं ? लेकिन हम तो देखते हैं कि रिश्वत लेना तो बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है |

ऐसे कई सरकारी विभाग हैं जहाँ प्रक्रियाएँ इतनी अच्छी हैं कि सरकारी कर्मचारी को कोई मौका नहीं मिलता रिश्वत लेने के लिए | उदाहरण , एक बैंक के क्लर्क को लें | उसे 1-2 दिनों में चेक पास करना होता है नहीं तो वापस करना होता है | उसके पास कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं होता है | इसीलिए वो रिश्वत नहीं लेता और कम पैसों के साथ रहता हैं राजस्व (सरकार/राज्य की आमदनी) विभाग के मुकाबले , जो सचमुच सालाना एक लाख से दस लाख रुपये बनाते हैं रिश्वत ले कर | अभी दोनों क्लर्क मिलते-जुलते वातावरण/हालात से आते हैं और फिर भी बैंक के क्लर्क को स्थिति से संतोष करना पड़ता है और साधारण / सामान्य जीवन जीना

पड़ता है | जबकी राजस्व(सरकार की आमदानी) विभाग के क्लर्क को मौका मिलता है और सज़ा का कोई डर नहीं है , वो भ्रष्टाचार करता है |

और हाँ , शक्ति ऊच स्तर में इतनी केंद्रित है कि हर कोई कैसे भी चाहता है कि वो और उसके रिश्तेदार न्यायतंत्र,नेता और बाबूओं, आदि की उच्च पदों को पा ले |

<u>गरीबी लोकतंत्र के नहीं होने के वजह से है</u>

लोकतंत्र ,यानी लोगों का शाशन, का मतलब कि लोग निर्णय ले सकें देश के मामलों में, केवल कुछ ही लोग नहीं |

गरीबी लोकतंत्र के नहीं होने के वजह से है | हम आम नागरिक भारत में, क़ानून नहीं बना सकते | हम आम नागरिक फैसले नहीं कर सकते जूरी सिस्टम के द्वारा | हम आम नागरिकों के पास जजों, जिला पोलिस मुखिया , जिला शिक्षा अधिकारी आदि को बदलने/निकालने का अधिकार नहीं है | इसीलिए ये नेता-बाबू-जज-प्रभंधक-पोलिस-बुद्धिजीवी और उच्च वर्ग हम आम नागरिकों को लूट लेते हैं | अम्बेडकर के वजह से हम आम नागरिकों को सांसद और विधायक को चूनने का अधिकार मिला है , जिससे कुछ सुधर हुआ है, लेकिन अकेला वो अधिकार 1% भी भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता |

यह अकेले लोकतंत्र के वजह से ही देश के सभी लोग अमीर बन सकते हैं |

अमेरिका पूंजीवाद के वजह से अमीर नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के वजह से अमीर है |

और बहुत से दक्षिणी अमेरिकी देशों ने पूंजीवाद अपनाया और फेल/असफल हो गए |ना ही पूंजीवाद, ना ही साम्यवाद काम करेगा गरीब और मेहनती के लिए | केवल लोकतंत्र काम करेगा गरीबों के लिए | मेक्सिको की लोकतंत्र भारत जितनी कमजोर है | यदि भारत से तुलना करो : अमेरिका में लोग जिला पोलिस मुखिया, जन/लोक दंडाधिकारी, जजों जिलों और राज्यों में, जिला शिक्षा अधिकारी और जूरी सिस्टम का प्रयोग/इस्तेमाल करते हैं|

जबकि , ये सभी लोकतान्त्रिक प्रशाशनिक प्रक्रियाएँ मेक्सिको में नहीं हैं | इसीलिए लोकतंत्र के 1-10 के पैमाने पर अमेरिका 7 है, मेक्सिको और भारत 2 से नीचे है |

(44.4) खाने-पीने की चीज की सप्लाई (आपूर्ति) व खेती (कृषि) में सुधार के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. प्रजा अधीन - केन्द्रीय/राज्य कृषिमंत्री और प्रजा अधीन - केन्द्रीय/ राज्य सिंचाई मंत्री लागू करने से कृषि और सिंचाई में भ्रष्टाचार मिटेगा । इससे माल-गोदामों में सुधार होगा और ठंडा गोदाम/*कोल्ड स्टोरेज* की संख्या बढ़ेगी।

2. समर्थन मूल्य(सरकारी दाम) में बढौतरी से किसान नहर के रखरखाव के शुल्क और पानी के शुल्क का भुगतान कर पाएंगे।
3. इ.ए.एस. 01 और इ.ए.एस. 03 के ड्राफ्ट से जलापूर्ति/ पानी की सप्लाई में सुधार होगा।
4. खेती के लिए पानी का मीटर लगाने से पानी की बरबारदी रूकेगी और सप्लाई(आपूर्ति) में सुधार होगा।
5. हानिकारक कीटनाशकों पर रोक लगाना, सभी कीटनाशकों पर आर्थिक सहायता/रियायत समाप्त करना।
6. बासमती (चावल), मांस, अंडा, दूध, रूई आदि सहित खेती के सभी सामानों के दूसरे देश को भेजने (निर्यात) पर रोक/प्रतिबंध लगाना।
7. चिकेन (मुर्गी), अंडा, मांस पर आर्थिक सहायता/रियायत समाप्त करना।
8. रासायनिक खाद पर आर्थिक सहायता/सब्सीडी समाप्त करना, समर्थन मूल्य बढ़ाना।
9. ट्रैक्टर पर आर्थिक सहायता/सब्सीडी समाप्त करना, खाने-पिने की चीजों के समर्थन दाम(मूल्य) बढ़ाना।
10. प्रजा अधीन - जिला राशन(आपूर्ति) अधिकारी द्वारा राशन कार्ड प्रणाली(सिस्टम) में सुधार लाना और नागरिकों को राशन कार्ड मालिक बदलने का विकल्प देना।
11. राशन कार्ड प्रणाली(सिस्टम) में दालों को शामिल करना।
12. राशन कार्ड प्रणाली(सिस्टम) में देशी गाय का दूध शामिल करना।

(44.5) जमीन का दाम और घर का दाम स्थिर/स्थायी करने और घर के बनाने (गृह निर्माण) में सुधार करने, झुग्गी कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1 सम्पत्ति-कर का ड्राफ्ट/प्रारूप जमीन की कीमतों में अस्थिरता कम/समाप्त कर देगा।
2 विरासत-कर ड्राफ्ट/प्रारूप से जमीन का दाम और भी स्थिर हो जाएगा।
3 ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) ड्राफ्ट से भारत सरकार के प्लॉटों के मूल्य में कमी आएगी।
4 सम्पत्ति-कर ट्रस्टों/न्यासों की सम्पत्ति पर भी यह कानून लागू होगा और इससे जमीन की कीमतों में और कमी आएगी तथा कीमतें स्थिर होंगी।
5 *हिंदू एकजुट/अविभाजित परिवार (हिंदू अन-डिवाइडिड फॅमिली=एच.यू.एफ.*) के स्वामित्व वाली सम्पत्ति को *कर्ता(*हिंदू अविभाजित परिवार में सबसे वरिष्ठ और सबसे पुराना व्यक्ति जो परिवार के सामाजिक और आर्थिक (पहलुओं के बारे में) निर्णय लेता है) की सम्पत्ति में जोड़ने से प्लॉट की कीमतें और भी कम होंगी और इससे प्लॉट की कीमतें और भी स्थिर रहेंगी।
6 जैसे जैसे जमीन की कीमतें कम होंगी वैसे वैसे झुग्गियां भी कम होंगी।

<u>झुग्गी-झोपडियां होने का असली कारण</u>

झुग्गी-झोपडियां इसीलिए हैं, क्योंकि झुग्गी-झोपडियों में रहने वाले स्थानीय नेता, बाबू, जजों, पोलिस-वालों आदि, को हफता देते हैं , झुग्गी-झोपडी यदि पब्लिक(सार्वजनिक)-जमीन पर

हो, तो भी | वे हफता झुग्गी के गुंडे को देते हैं , जो मुख्यमंत्री या कोई मंत्री द्वारा सीधे रखा होता है | झुग्गी का गुंडा अपना हिस्सा रखता है, लेकिन उसका ज्यादातर राशि/पैसा स्थानीय पोलिस इंस्पेक्टर या स्थानीय तहसीलदार को जाता है, जो कुछ हिस्सा रखता है और बाकी अपने मालिक तो दे देता है | ऐसे ऊपर तक ये पैसा , मुख्यमंत्री या मेयर/महापौर को जाती है , इस बात पर निर्भर करता है कि वो जमीन राज्य सर्कार की है या नगर पालिका की |

जज इस तरह पैसा बनाते हैं : किसी समय , झुग्गी खाली करने का नोटिस आता है , और झुग्गी के गुंडे को एक वकील चाहिए एक रोक-आदेश(स्टे-आर्डर) लेने के लिए | ये गरीबों की मदद करने का सम्मान , हमेशा उस वकील को जाता है , जो जज का रिश्तेदार भी होता है |

तो झुग्गियां वोट-बैंक के कारण नहीं हैं, लेकिन सिर्फ पैसे के कारण हैं

बहुत से बुद्धिजीवी हमेशा मौका देखते हैं हम आम नागरिकों को नीचा दिखाने कातंत्र -और लोक , और वे हम | इसीलिए वे लोकतंत्र को झुग्गियों का गलत कारण बताते हैं | को नीचा दिखाने का झुग् ,जबकि असल में | झोपड़ियों में रहने वालों को मुफ्तखोर बताते हैं-झुग्गी ,आम नागरिकगी-जजों को हफता देते हैं झुग्गी के गुंडे -बाबू-क्योंकि वे नेता ,नहीं हैं झोपड़ी के रहने वाले मुफ्तखोर | लेकिन बुद्धिजीवी इस सच्चाई को छुपाते हैं और इसका उल्टा बोलते हैं | के द्वारा

(44.6) भूमि अधिग्रहण (सरकार द्वारा जमीन लेना) के संबंध में `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

भूमि अधिग्रहण(प्राप्ति) औद्योगिक संपदा(कारखानों) के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारण है और औद्योगिक संपदा का विकास आगे चलकर हथियारों के निर्माणों के लिए आवश्यक तकनीकी गुण/प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही, निर्माण की काबिलियत(क्षमताओं) के अभाव में भारत दूसरे देशों से माल मंगाने(आयातों) पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है और निर्माण की ताकत/क्षमता कम होने के अनेक कारणों में से एक कारण है – उलझाव वाली जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया/तरीका । मेरे द्वारा प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया/तरीका छोटे में (संक्षिप्त सार) निम्नलिखित है :-

1. पहला कदम जमीन मालिकी(स्वामित्व) का आंकड़ा कोष(डाटाबेस) तैयार करना है। और प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग लेबल-- (क) किसी फ्लैट का मालिक नहीं (ख) एक फ्लैट का मालिक (ग) दो फ्लैटों का मालिक (घ) तीन फ्लैटों का मालिक (च) तीन से अधिक फ्लैटों का मालिक (छ) किसी भी प्लॉट का मालिक नहीं (ज) एक प्लॉट का मालिक (झ) दो प्लॉटों का मालिक (ट) तीन प्लॉटों का मालिक (ठ) तीन से ज्यादा प्लॉटों का मालिक (ड) प्रति वर्ष 2 लाख से कम की आय (ढ़) प्रति वर्ष 2 लाख से 5 लाख के बीच की आय (त) पांच लाख और 10 लाख के बीच की वार्षिक आय (थ) प्रति वर्ष 10 लाख अथवा ज्यादा के बीच की आय (द) परिवार के हर सदस्य पर 25 वर्ग मीटर से अधिक की सम्पत्ति का दाम(मूल्य)।

2. **बिन्दु 1. का उद्देश्य :** बहुत सारे लोग अपने आप को असहाय के रूप में दिखलाते हैं और बहुत अधिक मुआवजे की मांग करते हैं। बिन्दु 1. में इकट्ठा किए गए आंकड़ों(डाटा) का उपयोग इस बात के लिए किया जा सकता है कि क्या कोई व्यक्ति केवल बाजार दर पर मुआवजे का पात्र है अथवा उसे बाजार दर से अधिक का भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि उस व्यक्ति के पास अतिरिक्त धन के अनेक प्लॉट हैं तब वह बाजार दर से ऊंची दर पर मुआवजे का पात्र नहीं होगा।
3. यदि उस व्यक्ति जिसकी भूमि का लिया/अधिग्रहण किया जा रहा है, के पास कोई अन्य प्लॉट या फ्लैट नहीं है तब उसका मुआवजा बाजार (जूरी द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार) बाजार मूल्य का दूगना होगा। और इसमें उस जमीन से प्राप्त (बीस साल के लिए) कृषि आय के बराबर महंगाई के अनुसार ठीक किया गया (समायोजित वार्षिक मुद्रा स्फीति) का मासिक भुगतान जोड़ दिया जाएगा।
4. सरकार द्वारा प्राप्त(अधिग्रहित) भूमि को केवल किराए पर लगाया जा सकेगा और इसे बेचा नहीं जाएगा। और प्राप्त किराए को ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) ड्राफ्ट के अनुसार नागरिकों के बीच बांटा जाएगा।

(44.7) स्विस और अन्य `छुपे हुए` / गुप्त / भूमिगत बैंकों पर `राईट टू रिकाल ग्रुप` / `प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. भारतीय सेना की ताकत बढ़ाकर अमेरिकी स्तर का किया जाएगा।
2. जिस व्यक्ति के पास स्विस एकांउन्ट होने की शंका/संभावना होगी उसपर जूरी के अनुमोदन, बहुमत के पूर्व अनुमोदन के बाद सार्वजनिक रूप से नार्को टेस्ट किया जाएगा।
3. स्विट्जरलैण्ड के साथ सभी व्यापारिक, पर्यटन और राजनैतिक संबंध समाप्त/रद्द कर दिया जाएगा जब तक कि वह बैंकिंग कानूनों में परिवर्तन नहीं करता।
4. स्विटजरलैण्ड के साथ सभी व्यापारिक, पर्यटन और राजनैतिक संबंध समाप्त/रद्द करने के लिए दूसरे देशों से कहा जाएगा, जब तक कि वह बैंकिंग कानूनों में परिवर्तन नहीं करता।

(44.8) स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने और दवा की लागत कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. प्रजा अधीन - केन्द्रीय स्वास्थ्य(तबियत) मंत्री, प्रजा अधीन - राज्य स्वास्थ्य मंत्री , प्रजा अधीन - जिला स्वास्थ्य अधिकारी।
2. प्रजा अधीन - भारतीय चिकित्सा परिषद्(इलाज समिति) अध्यक्ष और प्रजा अधीन - राज्य चिकित्सा परिषद् अध्यक्ष।
3. कई बार डॉक्टर जानबूझकर महंगी दवाई लिखते हैं जबकि सस्ती दवा बाजार में उपलब्ध होती है। इसका समाधान क्या है, यदि मरीज, जो दवा वह ले जा रहा है उसके बारे में जानना चाहता है तो दवा विक्रेता/फार्मासिस्ट मरीज द्वारा लिए गए दवा की सूची

को उसके मोबाईल नम्बर और इ-मेल आई डी के साथ दर्ज कर लेगा ताकि प्रतियोगी कम्पनियां उसे सस्ते मूल्य वाली समान दवाओं की सूची भेज सके।

4. अनेक दवा-विक्रेता कम कमीशन पर दवाएं बेचना चाहते हैं लेकिन उसके साथी दवा-विक्रेता ऐसे दवा-विक्रेताओं को रोकने के लिए भाड़े पर अपराधियों को रखते हैं। प्रजा अधीन - पुलिस कमिश्नर कानून से अपराधियों की ताकत कम होगी और तब कम कीमतों पर दवाएं बेचने के इच्छुक दवा विक्रेता कम मूल्यों पर दवा बेचने में सफल होंगे।
5. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके पेटेंट कानून की प्रक्रिया समाप्त की जाए और 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके एक कानून लागू किया जाए कि एम.बी.बी.एस. आठ वर्षों तक भारत नहीं छोड़ सकते और डी.एम. दो और वर्षों तक भारत नहीं छोड़ सकते, और एम.डी. और 3 वर्षों तक भारत नहीं छोड़ सकते।
6. और 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके चिकित्सा में सभी स्व-वित्तपोषित(खुद का आर्थिक प्रबंद करने वाले) कॉलेजों को समाप्त किया जाए।
7. जो डॉक्टर भारत में एम.बी.बी.एस. करते हैं उन्हें 8 वर्ष के लिए भारत में ही रहना/कार्य करना पड़ेगा, जो एम.डी. करते हैं उन्हें 2 और वर्षों तक के लिए भारत में ही रहना होगा, जो डाक्टर डी.एम. करते हैं उन्हें 3 और वर्षों तक के लिए भारत में ही रहना होगा।

(44.9) दूरसंचार / टेलीफोन , टीवी लाईनों में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. प्रजा अधीन - ट्राई चेयरमैन, प्रजा अधीन - दूरसंचार मंत्री, प्रजा अधीन – संचार मंत्री, प्रजा अधीन - दूरदर्शन अध्यक्ष कानून लागू करने से टेलिविजन, केबल और दूरसंचार के व्यावसायों में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा।
2. मोबाईल फोन में पोर्टेबल नम्बर।
3. नागरिकगण प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) की ही तरह की प्रक्रिया अपनाकर केबल बिछाने वाली कम्पनियों को बुला/हटा सकते हैं।
4. प्रसारकों को विज्ञापनों को डिजिटल हेडर (*मेटा डेटा*) के साथ चिन्हित करना होगा ताकि अभिभावक/माता पिता विज्ञापनों को हटाने के लिए अपने डी.टी.एच. बाक्सों में प्रोग्रामिंग कर सके।
5. नागरिकगण किसी चैनल को काली सूची में डाल सकते हैं ताकि इसका आगे प्रसारण न हो सके।
6. डी.टी.एच. सेवा देने वाले (प्रदायक) को अपने चैनल-स्पेस(जगह) की नीलामी करनी होगी और सभी चैनलों से कुछ ढुलाई(कैरियर) शुल्क वसूलना होगा।
7. प्रसारक को प्रत्येक चैनल अलग अलग बेचना होगा।(क्योंकि ग्राहकों के लिए सुविधाजनक और किफायती/सस्ता है)
8. प्रत्येक नागरिक को एक मोबाईल नम्बर और एक नि:शुल्क मोबाईल फोन मिलेगा।
9. प्रत्येक नागरिक को एक लैण्डलाईन नम्बर और एक नि:शुल्क लैण्डलाईन फोन मिलेगा।

(44.10) नक्सलवाद की समस्या दूर करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूप/ड्राफ्ट से गरीबी कम होगी और इस प्रकार नक्सलवाद की समस्या भी कम हो जाएगी।
2. प्रजा अधीन – जिला पुलिस कमिश्नर ड्राफ्ट/प्रारूप, प्रजा अधीन – गृहमंत्री और प्रजा अधीन – मुख्यमंत्री ड्राफ्ट/प्रारूपों से पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार कम होगा। इससे पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचार तथा प्राइवेट/निजी अपराधियों द्वारा भी किए जाने वाले अत्याचार कम हो जाएंगे। तब आदिवासी लोग गांवों और शहरों में अत्याचार का शिकार हुए बिना रह पाएंगे। और तब नक्सलवाद और कम हो जाएगा।
3. प्रजा अधीन – पुलिस प्रमुख प्रारूप/ड्राफ्ट और प्रजा अधीन – गृहमंत्री से पुलिस बल में सुधार होगा और इससे पुलिसकर्मी नक्सल नेताओं को गिरफ्तार करने में समर्थ/सक्षम हो पाएंगे।
4. प्रजा अधीन – जिला राशन(आपूर्ति) अधिकारी से राशन कार्ड प्रणाली(सिस्टम) (अर्थात सार्वजनिक/जन वितरण प्रणाली(सिस्टम)) में सुधार आएगा और इससे भूखमरी कम होगी। इससे भी नक्सल नेताओं को भर्ती करने के लिए जो लोग मिल जा रहे हैं, उनकी संख्या घटेगी।
5. अन्य अधिकारियों पर भी प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून लगाने से संबंधित विभागों में भ्रष्टाचार कम होगा और इससे गरीबी और कम होगी।
6. जूरी प्रणाली(सिस्टम) से उन लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा जिनकी जमीनें ले ली जाती हैं और इसमें नक्सलियों को भर्ती के लिए मिलने वाले लोगों की संख्या कम होगी।
7. अन्य प्रस्तावित कानूनों से बेरोजगारी कम होगी (कृपया “बेरोजगारी” पाठ अथवा उप-पाठ देखें) और इससे नक्सलियों को भर्ती के लिए मिलने वाले लोगों की संख्या कम होगी।
8. जब हर आम आदमी को हथियार मिल जाएगा (कृपया “आम लोगों को हथियारों से लैस करना” पर पाठ(29) देखें) तो नक्सली लोग नागरिकों को परेशान नहीं कर पाएंगे।

(44.11) जनसंख्या बढौतरी को कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूप/ड्राफ्ट में ऐसे क्लॉज/खण्ड हैं कि यदि किसी माता-पिता के ज्यादा बच्चे होंगे तो खनिज रॉयल्टी के रूप में उन्हें मिलने वाली धनराशि/पैसा कम हो जाएगा।
2. वृद्ध आश्रमों (बूढ़ों के लिए घर) में सुधार करना होगा ताकि नागरिकों में अधिक बच्चे पैदा करने की इच्छा कम हो जाए।

(44.12) बालिका (लड़की) के गर्भ-हत्या कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) कानून के ड्राफ्ट में निम्नलिखित क्लॉज/खण्ड हैं जिनसे लड़कियों के प्रति माता-पिता के पक्षपातपूर्ण(तरफदारी वाला) रवैये में कमी आएगी।

इस कानून के पारित/पास हो जाने के एक वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को मिलने वाला किराया:-

- 33 प्रतिशत बढ़ जाएगा यदि उसका कोई बच्चा नहीं है।
- 33 प्रतिशत कम हो जाएगा यदि उसका (2 बेटी, 1 बेटा) अथवा (1 बेटी, 1 बेटा) अथवा 2 बेटे अथवा 3 बेटियों से अधिक बच्चे होंगे जिनमें से सबसे छोटा बच्चा इस कानून के पास/पारित होने के 1 वर्ष के बाद पैदा हुआ हो।
- 66 प्रतिशत कम हो जाएगा यदि उसके (3 बेटी, 1 बेटा) अथवा (2 बेटी, 2 बेटा) अथवा (1 बेटी, 2 बेटा) अथवा 3 बेटे अथवा 4 बेटियों से अधिक बच्चे होंगे जिनमें से सबसे छोटा बच्चा इस कानून के पास/पारित होने के 1 वर्ष के बाद पैदा हुआ हो।

(44.13) पानी पर झगड़ा सुलझाने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

राज्य के प्रत्येक नागरिक को उस राज्य में उपलब्ध पानी की मात्रा में (राज्य की) जनसंख्या से भाग देने के बाद मिलने वाले योगफल के बराबर पानी-राशन(भत्ता) मिलेगा। और नदियों के लिए किसी राज्य का हिस्सा उस राज्य से होकर गुजरने वाली नदी की (उस राज्य में) लम्बाई के बराबर होगा।

नागरिक इस पानी-राशन(भत्ते) को पानी के उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को अथवा किसी भी राज्य के पानी खरीददार को दे(आवंटित कर) सकते हैं। अत: अब पानी का देना(आवंटन) नागरिकों द्वारा नागरिकों को किया जाएगा और इस प्रकार सरकार विवादों से दूर रहेगी।

(44.14) राशन कार्ड प्रणाली (सिस्टम) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. प्रजा अधीन – नागरिक आपूर्ति(सप्लाई/राशन) मंत्री और प्रजा अधीन – जिला राशन(आपूर्ति) अधिकारी से राशन कार्ड विभाग में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा।
2. मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकों को ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ का प्रयोग करके एक प्रक्रिया लागू करवाना चाहिए जिससे नागरिक राशन कार्ड मालिक को किसी भी दिन (यदि चाहे तो) बदल सकें ताकि राशन कार्ड की दुकान पर होने वाली हेराफेरी कम हो सके और उसकी सेवा में सुधार हो सके।
3. नागरिक राशन(आपूर्ति) विभाग में सभी रिकार्डों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हो।

4. मनुष्यों के द्वारा खाए जाने वाले अनाज/`खाने की चीज(खाद्य पदार्थ) मवेशियों या जानवरों को खिलाने पर प्रतिबंध हो।
5. गाय का दूध राशन कार्ड की दुकानों के जरिए घटी/सब्सीडी दरों पर बेचा जाए (प्रति व्यक्ति प्रति दिन लगभग 100 मिलीलीटर देशी गाय के दूध को लागत के साथ 7 प्रतिशत का लाभ जोड़ कर ख़रीदा जायेगा और इसे 50 प्रतिशत कम कीमत पर राशन कार्ड दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा)।
6. राशन कार्ड दुकान मालिकों को लागत पर खाने-पीने की चीज और दूध घरों में सप्लाई करने में समर्थ/सक्षम बनाना होगा। अंतिम/वास्तविक उपभोक्ता लागत नकद अथवा वस्तु के रूप में देगा।
7. राशन कार्ड की दुकानों को एस.एम.एस. के जरिए वास्तविक/अंतिम ग्राहक/उपभोक्ता से जोड़ना होगा।

(44.15) झूठे टेलिविजन-विज्ञापनों / प्रचार को रोकने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. टेलिविजन पर दिए जानेवाले प्रचार/विज्ञापनों को जूरी-सदस्य के सामने चुनौती दी जा सकती है और जूरी-सदस्य झूठे प्रचार/विज्ञापनों के लिए दण्ड लगा सकते हैं।
2. ऐसी प्रक्रियाएं/तरीका लागू करें कि यदि कोई कम्पनी जो झूठे विज्ञापन देती है, उसे (नागरिकों के) बहुमत द्वारा बड़ा दण्ड लगाया जा सके।
3. टेलिविजन प्रचार/विज्ञापन (टैक्स में) घटाया जा सकने वाला खर्च नहीं होगा।

(44.16) अमेरिका की धमकी / खतरे से निपटने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` का प्रस्ताव

1. भारतीय सेना की ताकत बढ़ाई जाए।
2. मैक्सिको में अड्डे/बेस बनाएं जाएं।
3. अमेरिका में अफ्रीकियों को जो अमानवीय व्यवहार/अत्याचार का सामना करना पड़ता है, उसे कम करने की पहल की जाए।

(44.17) परमाणु बिजली और परमाणु हथियारों पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. अफ्रीकी देशों और मध्य एशिया के देशों से संबंध सुधारे जाएं क्योंकि ये देश युरेनियम ऑक्साईड शक्ति की सप्लाई(आपूर्ति) कर सकते हैं।
2. परमाणु बिजली के लिए जरूरी मशीनों के दूसरे देशों से मंगाने(आयात) पर प्रतिबंध लगाया जाए। परमाणु बिजली के निर्माण के लिए आवश्यक औजार(उपकरण) के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा दिया जाए।
3. परमाणु हथियार की नीति हो – “पहले (परमाणु हत्यारों की) चीन के साथ बराबरी ।”

(44.18) ट्रैफिक / यातायात को व्यवस्थित करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. प्रजा अधीन – पुलिस कमिश्नर कानून से यातायात देखरेख के कार्य में सुधार आएगा और ट्रैफिक/यातायात विभाग में भ्रष्टाचार कम होगा। साथ ही, पुलिस कमिश्नर को मजबूर/बाध्य किया जाए कि वे "राहगीर/पैदल चलने वालों को प्राथमिकता/सबसे ज्यादा महत्त्व(पहले पैदल वाला)" की नीति अपनाएं।
2. प्रजा अधीन – नगर निगम कमिश्नर(आयुक्त) से सड़कों के नक्शे/*ले आउट* में सुधार आएगा और "राहगीर/पैदल चलने वालों को प्राथमिकता/सबसे ज्यादा महत्त्व(पहले पैदल वाला)" की नीति भी बन जाएगी।
3. स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 33 प्रतिशत सीमा-शुल्क/आयात-शुल्क लागू की जाए और मजदूर सम्बंधित(श्रम) कानून समाप्त किया जाए।
4. सड़कों आदि पर हजारों कैमरे लगाए जाएं। इससे नजर रखने(मानिटरिंग)के कार्य में सुधार आएगा।
5. पटरी/फुटपाथ (की स्थिति) में सुधार किया जाए।
6. वाहन टैक्स का उपयोग करके बस सेवाओं में वृद्धि/बढ़ोत्तरी की जाए।
7. वार्षिक वाहन-कर/टैक्स में बढ़ोतरी/वृद्धि की जाए। केवल वाहन-कर के पैसे से सड़कें बनाईं जाएँगी और इस्तेमाल/उपयोग की जाएँगी |

(44.19) जी.एम.(जेनेटिक / वंश रूप से बदला हुआ) और बी.टी. (बैक्टीरिया कीटाणू युक्त) भोजन पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का प्रयोग करके बी.टी.(बैक्टीरिया कीटाणू युक्त) खाने-पीने की चीज पर प्रतिबंध लगाया जाए। एक बार यदि नागरिकों को `पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)`के जरिए कृषि मंत्री को हटाने, जेल भेजने, फांसी दिलवाने का अधिकार मिल जाए तो वे बी.टी. (बैक्टीरिया कीटाणू युक्त) खाने-पीने की चीज की तरह के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का साहस नहीं करेंगे।
2. जी.एम.(वंश रूप से बदला हुआ) खाने-पीने की चीज/खाने को बैन/प्रतिबन्ध किया जाना चाहिए |

(44.20) श्रम कानून (मजदूर सम्बन्धी क़ानून) पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) ड्राफ्ट/प्रारूप प्रत्येक मजदूर/श्रमिक को लगातार मासिक आमदनी देगा और इस प्रकार उन्हें अत्याचार से सुरक्षित/प्रतिरक्षित करेगा। इस प्रकार, मजदूर की मोलभाव करने की ताकत बढ़ेगी।
2. मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली (सिस्टम) और `अनिवार्य/जरूरी बचत योजना` लागू की जाए ताकि बेरोजगार रहने के दौरान वे गुजारा (जीवन-निर्वहन) कर सकें।

3. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ का प्रयोग करके, मजदूरों को आसानी से रखने, हटाने संबंधी (हायर-फायर) कानून लागू किया जाए ताकि मजदूर-अनुशासन-हीनता में कमी आए और कम व्यवसाय के समय मालिक अपनी आर्थिक बोझ कम कर सके।
4. सर्वजन/व्यापक भविष्य निधि(प्रोविडेंट फन्ड(पी.एफ) योजना) लागू की जाए और इसकी देखरेख सीधे वित्त-मंत्री द्वारा की जाए। प्राइवेट/निजी कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना(प्रोविडेंट फंड योजना) बन्द कर दी जाए।
5. सर्वजन पेंशन योजना लागू की जाये| प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना बंद की जाये |

<u>मजदूर / श्रम सम्बन्धी क़ानून</u>

बेकार मजदूर/श्रम सम्बन्धी क़ानून भारत में इसीलिए हैं क्योंकि नेता लोगों को विदेशी और देशी विशिष्ट वर्ग/ऊंचे लोगों द्वारा रिश्वत दी जाती है | मजदूर सम्बन्धी क़ानून , छोटे व्यापारियों को ज्यादा नुकसान करते हैं बड़े व्यापारियों के मुकाबले और बड़े व्यापारियों को ज्यादा नुकसान देते हैं विदेशी व्यापारियों के मुकाबले में | यदि मजदूर सम्बन्धी क़ानून नहीं होते , तो छोटे-मोटे उद्योगपति बड़े हो जाते और दर्जनों `एल एंड टी` डाल देते और `एल.एंड.टी` को भारत से भागना पड़ता |

इसीलिए , यदि “ सांसद में भ्रष्टाचार “ समस्या को ठीक कर दिया जाए (प्रजा अधीन-प्रधानमंत्री और प्रजा अधीन-सांसद द्वारा) तो , `मजदूर सम्बन्धी क़ानून` , कुछ ही हफ़्तों में `आसानी से मजदूरों को निकालने और रखने के क़ानून` हो जाएँगे |

(44.21) वनों / जंगलों के सुरक्षा पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. जमीन पर सम्पत्ति-कर लगाने से यह पक्का/सुनिश्चित होगा कि व्यावसायिक, औद्योगिक और रहने के(रिहायशी) उद्देश्यों/इरादा के लिए कम जमीन की जरूरत पड़ेगी।
2. राशन कार्ड प्रणाली(सिस्टम) में सुधार किया जाए, समर्थन दाम(मूल्य) बढ़ाया जाए, पूंजी(निवेश) पर सभी प्रकार की आर्थिक सहायता/रियारत हटा दी जाए। इससे मांसाहारी भोजन के लिए दी जाने वाली सभी रियायतें/आर्थिक सहायता समाप्त हो जाएंगी और इससे खाने-पीने की चीज के लिए जमीन की जरूरत कम हो जाएगी और वन/जंगल के लिए अधिक जमीन बचेगी।
3. लकड़ी पर समान राशन(भत्ता) प्रणाली(सिस्टम) लागू करें। इससे जंगल की लकड़ी की अवैध कटाई पर रोक लगेगी और लकड़ी की खपत भी कम होगी।

(44.22) वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. प्रदूषक पदार्थ पर समान राशन(भत्ता) लागू करें।
2. प्रजा अधीन – प्रदूषण रोक/नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष लागू होने से प्रदूषण विभाग में फैला हुआ/व्याप्त भ्रष्टाचार कम होगा और प्रवर्तन/*अमल* में सुधार होगा।

(44.23) इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. सभी नोडल कमिश्नर (अथवा मुख्य कमिश्नर(आयुक्त), अध्यक्ष) स्तर के अधिकारियों पर प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) लागू करने से यह पक्का/सुनिश्चित होगा कि वे गलती करने वाले इंस्पेक्टरों के खिलाफ सबूत प्राप्त करने के लिए जाल बिछाएं। इस प्रकार, इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। उदाहरण – जब नागरिकों के पास प्रदूषण जांच/नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने/बर्खास्त करने की प्रक्रिया (कानून) होगा तो अध्यक्ष यह पक्का/सुनिश्चित करेंगे कि इंस्पेक्टर घूस न ले/वसूले।
2 सरकारी कर्मचारियों पर जूरी सुनवाई से यह सुनिश्चित/पक्का होगा कि भ्रष्ट इंस्पेक्टर कैद होने/जेल जाने से न बच सके। इससे घूसखोरी कम हो जाएगी।
3. इसके अलावा, लेबर (मजदूर सम्बंधित) इंस्पेक्टर , पी.एफ.(प्रोविडेंट फंड) इंस्पेक्टर आदि जैसे कई पद समाप्त कर दिए जाएं।

(44.24) गो-हत्या समाप्त / कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. गौ-हत्या पर सारे भारत में प्रतिबंध/रोक लगायी जाएगी। सांढ़ का बध करना और मांस (बेचना) राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि वह इसकी अनुमति दे या न दे।
2. गाय को गर्भधारण कराने में लिंग चयन/चुनाव की तकनिकी/प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। इसलिए यदि कोई गाय मालिक गाय या सांढ़/बैल चाहे तो वह ऐसा कर सके।
3. टैक्टर के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता/रियायत समाप्त/रद्द कर दी जाए। इससे सांढ़/बैलों की संख्या बढ़ेगी।
4. गाय का मांस बेचने पर बैन/प्रतिबंध लगेगा। भारत भर में कहीं भी ऐसा करने पर जूरी 5 वर्ष की कैद/जेल की सजा दे सकती है।
5. भारत भर में कहीं भी गाय का कसाईघर चलाने वाले व्यक्ति को जूरी-मंडल ,10 वर्ष की कैद की सजा दे सकती है।
6. गाय के लिए गौशालों का खर्च भारत सरकार वहन करेगी।
7. गाय का निर्यात नहीं होगा। गाय के मांस का निर्यात करने वाले किसी भी व्यक्ति को 5 साल के कैद की सजा दे सकती है।
8. किसी एक राज्य की गाय किसी दूसरे राज्य में नहीं ले जाई जा सकेगी या दूसरे राज्य में नहीं बेची जाएगी।
9. सरकार बुढ़ी गायों को तय/नियत कीमत पर खरीदेगी।

10. गाय या भैंस के लिए कोई रियायत/आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी।
11. दूध पर 'गाय का दूध' या 'भैंस का दूध' का अलग-अलग लेबल चिपकाया जाएगा। इस लेबल में यह भी बताया जाएगा कि दूध "देशी" या "गिर" या "जर्सी" गाय में से किसका है।
12. राशन कार्ड की दुकानों के जरिए रियायती/कम दाम(मूल्य) पर देशी गाय का दूध बेचना (प्रति व्यक्ति प्रति दिन लगभग 100 मिलीलीटर देशी गाय का दूध इसकी लागत और 7 प्रतिशत लाभ के योग के बराबर मूल्य पर लाया जाएगा और राशन कार्ड की दुकानों के जरिए 50 प्रतिशत कम कीमत पर बेचा जाएगा।

(44.25) भूमि / जमीन से जुड़े अपराध कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. प्लॉटों और बिल्डरों पर *टोरेन्स प्रणाली (सिस्टम)* लागू करने से सम्पत्ति से जुड़े अपराध कम हो जाएंगे।
2. यदि मालिक चाहे तो सरकार उसकी सम्पत्ति का जानकारी/विवरण, जगह (की जानकारी) इंटरनेट पर डालेगी/प्रकाशित करेगी। इस प्रकार यदि मालिक धोखे/फर्जी तरीके से बदल दिया जाता है तो कुछ ही मिनटों में उसका पता चल जाएगा।
3. जब एक बार कोई सम्पत्ति प्रकाशित हो जाएगी तो यह अगले 30 वर्षों के लिए "प्रकाशित" ही रहेगी।

(44.26) हिंसा वाला अपराध को रोकने / कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. प्रजा अधीन – पुलिस कमिश्नर और पुलिसकर्मियों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम) लागू करने से पुलिस-अपराधी सांठ-गाँठ/मिली-भगत और पुलिसवालों में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। इससे हिंसक अपराध भी कम होंगे।
2. प्रजा अधीन – जज से जजों में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा और इसलिए हिंसक अपराध भी कम होंगे।
3. जूरी प्रणाली (सिस्टम) से इस बात की संभावना घटेगी कि हिंसक अपराधी छूट जाए और इसलिए हिंसक अपराध भी कम होंगे।
4. प्रत्येक नागरिक को अपने साथ बंदूक रखनी होगी और इससे हिंसक अपराध और भी कम हो जाएंगे।

(44.27) अंधविश्वास को कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. जूरी किसी व्यक्ति को जेल की सजा दे सकते हैं जो अंधविश्वास के नाम पर पैसे चुराता/ठगता रहा हो।
2. प्रजा अधीन – जिला शिक्षा अधिकारी से विज्ञान की शिक्षा में सुधार होगा।

(44.28) बुढ़ापा (वृद्धावस्था) पेंशन प्रणाली (सिस्टम) के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूप/ड्राफ्ट लागू हो जाने पर बुढ़ापा (वृद्धावस्था) पेंशन प्रणाली (सिस्टम) बन जाती है ।

(44.29) दलितों पर अत्याचार रोकने / कम करने और दलितों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. "जूरी के अनुमोदन से सार्वजनिक रूप से नार्को टेस्ट" का प्रयोग करने से यह जानना संभव हो जाएगा कि किसी व्यक्ति ने वास्तव में अत्याचार किया है या नहीं। इससे दोषी व्यक्ति के छूट जाने की संभावना घटेगी और सार्वजनिक रूप से नार्को टेस्ट का सामना करने का डर ,अपराध/अत्याचार रोकने का काम करेगा।
2. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) ड्राफ्ट से दलितों में व्यापक रूप से फैली हुई/व्याप्त गरीबी दूर होगी और इससे दलितों पर अत्याचार भी कम हो जाएगा।
3. प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) से भ्रष्टाचार कम होगा और भ्रष्टाचार कम होने से सभी गरीबों की गरीबी दूर होगी। इससे गरीब दलितों की स्थिति सुधरेगी, वे मजबूत होंगे और इससे दलितों पर अत्याचार में कमी आएगी।
4. **प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) अत्याचार कैसे कम करेगा ? :** दलितों पर अत्याचार/उत्पीड़न की अनेक घटनाएं इसलिए होती हैं कि जज और पुलिस प्रमुख बिक जाते हैं। उदाहरण- अनेक मंदिरों में दलितों को घुसने से मना कर दिया जाता है क्योंकि मंदिरों के मालिक यह जानते हैं कि जज और पुलिस प्रमुख उनके खिलाफ जाल नहीं बिछाएंगे और/अथवा उन्हें सज़ा नहीं देंगे। प्रजा अधीन – जज और प्रजा अधीन – पुलिस प्रमुख कानून जजों और पुलिस प्रमुखों को विवश/मजबूर कर देगा कि वे जाल बिछाएं और ऐसे मंदिर मालिकों को सजा भी दें। इससे दलितों के विरूद्ध अत्याचार कम हो जाएगा।
5. अनेक लोग जो दलितों पर अत्याचार करते हैं वे छूट जाते हैं क्योंकि उनका जजों के साथ सांठ-गाँठ/मिली-भगत होती है। जूरी प्रणाली(सिस्टम) इस समस्या को कम कर देती है और इसलिए जूरी प्रणाली(सिस्टम) लागू हो जाने के बाद दलितों पर अत्याचार कम हो जाएगा।

(44.30) महिलाओं के विरूद्ध अपराध को कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. "जूरी के अनुमोदन से सार्वजनिक रूप से नार्को टेस्ट" का प्रयोग करने से यह जानना संभव हो जाएगा कि किसी व्यक्ति ने असल में महिला पर अत्याचार किया है या नहीं जिसका आरोप उसपर लगाया गया है। इससे दोषी व्यक्ति के छूट जाने की संभावना घटेगी और सार्वजनिक रूप से नार्को टेस्ट का सामना करने का डर अपराध/अत्याचार रोकने का काम करेगा।
2. मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) का प्रयोग करके नागरिकों को एक प्रक्रिया लागू करनी/करवानी चाहिए जिससे महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को हटा/बर्खास्त कर सकें। इससे अध्यक्ष गरीब और असहाय महिलाओं की समस्या सुलझाने के लिए विवश/मजबूर होंगे। 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) प्रारूप/ड्राफ्ट गरीब महिलाओं की गरीबी कम/दूर कर देगा और इस प्रकार सभी गरीब महिलाओं को लाभ होगा।
3. राष्ट्रीय डी.एन.ए. आंकड़ा कोष(डाटाबेस) तैयार करने से पुलिसकर्मी बलात्कारियों को तेजी से पकड़ने में कामयाब/समर्थ होंगे और यह साबित भी कर पाएंगे कि वास्तव में बलात्कार हुआ है।

(44.31) खाने-पीने की चीज की मिलावट कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. प्रजा अधीन – जिला स्वास्थ्य अधिकारी और प्रजा अधीन – जज से अनाज में मिलावट कम हो जाएगा।
2. अनाज में मिलावट करने वालों को सजा देने के लिए जूरी प्रणाली(सिस्टम) लागू करने से मिलावट कम होगी।

(44.32) मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (पब्लिक धंधों) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. 'प्रजा अधीन - 'मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों(पब्लिक कारखाने) के प्रमुख' कानून लागू करने से इन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (पब्लिक धंधों) में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा और इनकी कार्य-क्षमता/कुशलता भी बढ़ेगी।
2. इन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों(पब्लिक कारखानों) के मजदूरों/कर्मचारियों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम) लागू करने से भी भ्रष्टाचार कम होगा और इन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (पब्लिक धंधों) की कार्य-क्षमता में सुधार होगा।

(44.33) टेलिविजन समाचार चैनल (मीडिया) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. प्रजा अधीन – ट्राई अध्यक्ष, प्रजा अधीन – दूरदर्शन प्रमुख, प्रजा अधीन – सूचना मंत्री से टेलिविजन चैनलों के प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा।
2. प्रत्येक राज्य/जिले का अपना एक समाचार चैनल होगा जिसके प्रमुख उस राज्य/जिले के नागरिकों द्वारा बदले जा सकेंगे और इससे समाचार चैनलों के स्तर में सुधार होगा।
3. प्रचार/विज्ञापनों को आयकर में हटाए जा सकने वाले खर्च के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. इंटरनेट के दाम(मूल्य) कम किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक इंटरनेट का उपयोग करने लगेंगे और इसलिए टेलिविजन चैनलों का प्रभाव कम हो जाएगा।

(44.34) समाचार पत्र (मीडिया) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. टेलिविजन, समाचारपत्र, होर्डिंग आदि में प्रचार/विज्ञापन को आयकर में घटाए जा सकने वाले खर्च के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. समाचारपत्र और पत्रिकाओं के पोस्ट/डाक द्वारा भेजने में रियायत/आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।
3. भारत सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर एक समाचार पत्र होगा, राज्य स्तर पर एक समाचार पत्र होगा और समाचार पत्र के प्रमुख नागरिकों द्वारा बदले जा सकेंगे।

(44.35) बेतहाशा / बेकार के सरकारी खर्चे में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. एकाउन्टेन्ट/मुनीम प्रत्येक लेन-देन का जानकारी(ब्यौरा), आपातकालीन लेनदेनों को छोड़कर, लेनदेन करने से कम से कम 7 से 45 दिनों पहले भेज देगा।
2. कोई नागरिक किसी भी लेनदेन को जूरी सदस्यों के सामने चुनौती दे सकता है। और जूरी सदस्य भुगतान को रद्द कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जूरी द्वारा की जाने वाली समीक्षा बेतहाशा/बेकार सरकारी खर्च कम कर देगा।

(44.36) पानी के मीटर लगाकर / प्रयोग करके पानी की बरबादी रोकने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. नागरिकों को बोरिंग, नदियों, तालाबों आदि से बेचे जाने वाले पानी का पैसा मिलेगा अथवा पैसे के बदले उन्हें मुफ्त कोटा मिलेगा।
2. सभी नए फ्लैटों (फ्लैटों में फ्लैट, बंगला, कार्यालय आदि शामिल हैं) में पानी का मीटर लगाना जरूरी है।
3. सभी बने हुए फ्लैटों के लिए सबसे महंगे फ्लैटों/बंगलों से शुरू करके सभी फ्लैटों में पानी का मीटर लगाना जरूरी होगा।
4. सभी बोरिंग और नगर निगम के कनेक्शनों में पानी का मीटर होगा।
5. पानी का सभी शुल्क मीटर के आधार पर ही लिया जाएगा।

इससे पानी की बरबादी कम होगी।

(44.37) सर्वजन बैंकिंग प्रणाली(सिस्टम) के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

1. हर नागरिक का 11 नम्बरों का राष्ट्रीय पहचान पत्र होगा (ग्यारहवां अंक जांचे जाने के लिए होगा)।
2 राष्ट्रीय पहचान पत्र ही नागरिकों का बैंक खाता संख्या, पासपोर्ट संख्या, टैक्स संख्या इत्यादि इत्यादि होगा।
3. सभी लेनदेन चाहे वह चेक से हो या नकद के रूप में, उसमें वही/समान पहचानपत्र लगाया/जोड़ा जाएगा।

(44.38) मासिक आयकर (आय पर टैक्स) भरना

1. इस प्रस्ताव का लाभ यह है कि नागरिकों को केवल पिछले 24 महीनों का बिल/इनव्वायस/बैलेंस शीट का लेखा जाखा ही रखने की जरूरत होगी।
2. भुगतान करने वाली और भुगतान प्राप्त करने वाली कम्पनियों के बैलेंस शीट के बीच तेज़ी से तालमेल।
3. भुगतान करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच भुगतान और प्राप्ति रसीद में तेज़ी से तालमेल।
4. भुगतान करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच केवल देय खाते और प्राप्ति खाते में तेज़ी से तालमेल।
5. कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले के बीच कर्ज और सम्पत्ति का तेज़ी से तालमेल।
6. मासिक सम्पत्ति और सम्पत्ति-कर विवरण/टैक्स रिटर्न से आय के साथ सम्पत्ति को जोड़कर उनमें तालमेल बिठाया जाएगा।

मासिक विवरण देने से समय सीमा नियमित हो जाएँगी और लोगों के पास सम्पत्ति या आय छिपाने और टैक्स से बचने का अवसर कम होगा और ईमानदार करदाता को केवल पिछले 24 महीनों का ही बिल आदि रखने की जरूरत होगी और कुछ भी नहीं।

(44.39) सामाजिक अन्याय कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

निम्नलिखित प्रस्तावित कानूनों से सामाजिक अन्याय कम होगा :-
1. साक्षात्कार/इंटरव्यू समाप्त करना, भर्ती/नियुक्ति केवल लिखित परीक्षा द्वारा।
2. आरक्षण पर आर्थिक विकल्प
3. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)

4. आम लोगों को हथियारों से लैस करना
5. प्रजा अधीन – जिला पुलिस प्रमुख
6. प्रजा अधीन – जज
7. प्रजा अधीन – जिला शिक्षा अधिकारी

(44.40) साम्प्रदायिक हिंसा कम करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्ताव

सभी प्रकार के साम्प्रदायिक, जातिवादी आदि सभी प्रकार की हिंसा पर जूरी सुनवाई करान जरूर/आवश्यक होगा और ये सांप्रदायिक हिंसा समाप्त करने के लिए काफी/पर्याप्त होगा ।

अध्याय 45 - यदि खून की नदियां नहीं , तो खून की कुछ बूंद बह सकती हैं

(45.1) 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)' के खिलाफ इतनी शत्रुता / दुश्मनी क्यों?

जैसा कि हम लोगों में से अधिकांश लोग जानते हैं कि भारत की शीर्ष राजव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था लगभग 10,000 विशिष्ट/उच्च लोगों द्वारा चलाई जाती है, जिसमें से अधिकांश विशिष्ट/उच्च लोग अब विदेशी विशिष्ट/उच्च लोगों के हितों के लिए काम करते हैं। यदि 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) कानून लागू हो जाए तो 10000 देशी/विदेशी विशिष्ट/उच्च लोगों के हाथों से खनिजों की रॉयल्टी(आमदनी) निकलकर नागरिकों के हाथों में आ जाएगी। इससे विशिष्ट/ऊंचे लोग कमजोर होंगे और आम आदमी की ताकत बढ़ेगी। इसी प्रकार, प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून से विशिष्ट/उच्च लोगों की मंत्रियों, अधिकारियों, जजों आदि को घूस देने की अधिकार/क्षमता कम हो जाएगी। इससे विशिष्ट/उच्च लोगों की ताकत एक बार फिर घटेगी। अब 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का सहारा लेकर 3 से 4 महीने के भीतर ही 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी(आमदनी) (एम. आर. सी. एम.), प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून लागू कर/करवा दिए जाएंगे। और इसलिए विशिष्ट/उच्च लोग 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' से नफरत/घृणा करते हैं।

अब जैसा कि हम लोगों में से अधिकांश लोग यह जानते हैं कि सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इन 10000 विशिष्ट/उच्च लोगों के खिलौने हैं, वे खुद भी इन विशिष्ट/उच्च लोगों में से कोई एक हो सकते हैं। ये लोग इन 10000 विशिष्ट/उच्च लोगों की सामूहिक इच्छा/हितों के खिलाफ कहीं किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ये बुद्धिजीवी लोग बड़े लालची होते हैं और आर्थिक मदद(अनुदान) चाहते हैं, इसलिए अधिकांश बुद्धिजीवी लोग इन विशिष्ट/उच्च लोगों के हितों को साधने के लिए पूरी ताकत से काम करते हैं। विशिष्ट/उच्च लोग 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' से नफरत करते हैं और लगभग सभी बुद्धिजीवी लोग 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' से नफरत करते हैं। और अधिकांश विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि भी ऐसा ही करते हैं। नफरत/घृणा इसका कारण नहीं है बल्कि इसका कारण है कि यदि 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' लागू हो जाएगी तो विशिष्ट/उच्च लोग घूस के जरिए और खनिजों के जरिए जो आय प्राप्त करते हैं, उसका 95 प्रतिशत उनके हाथ से निकल जाएगा।

(45.2) तो क्या विशिष्ट / उच्च लोग , मंत्री, आई.ए.एस. (सरकारी बाबू) बिना एक भी बूंद खून बहाए हथियार डाल देंगे?

मैं `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के सामने 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' का केवल

तीन लाईन के ड्राफ्ट का प्रस्ताव करता हूँ। मेरी और कोई मांग नहीं है। मैं 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) अथवा प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून अथवा कुछ भी और नहीं मांग रहा हूँ। 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)`, `प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)` आदि कानून लागू करवाना तब नागरिकों से मेरा विनती/अनुरोध होगा जब एक बार प्रधानमंत्री 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने की मांग मान लें।

और 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' केवल यही कहती है कि "जनता को उनकी शिकायतें प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डालने (की अनुमति) दी जाए।"

तो क्या इतनी छोटी मांग खून खराबा करेगी?

क्या विशिष्ट/उच्च लोग बिना किसी खून खराबे के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' प्रारूप पर हस्ताक्षर करने दे देंगे?

(45.3) मेरा विचार

मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, लेकिन यह आशा करता हूँ कि विशिष्ट/उच्च लोग खनिजों से होनेवाली आय नागरिकों के लिए छोड़ देंगे और मंत्री आदि हिंसा का सहारा लिए बिना घूस से होनेवाली आय छोड़ देंगे। यह इतनी अच्छी बात है कि सच हो ही नहीं सकती है। मैं केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों पर जनता द्वारा दबाव डलवाकर ही 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' लागू करवाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई नागरिक किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री विधायक, सांसद और आई.ए.एस., आई.पी.एस., जज, विशिष्ट/उच्च लोगों आदि के खिलाफ किसी प्रकार की हिंसा करें। और मेरी कामना है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री विशिष्ट/उच्च लोग आदि भी हम 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का प्रयोग न करें। लेकिन विशिष्ट/ऊंचे लोग 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का प्रयोग करने का फैसला/निर्णय करते हैं तब भी मैं 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' कार्यकर्ताओं से हिंसा का प्रयोग न करने का ही अनुरोध करूंगा लेकिन मैं नहीं कह सकता कि तब क्या होगा?

अभी की स्थिति के अनुसार मेरा ऐसा मान लेता हूँ कि विशिष्ट/उच्च लोग, मंत्रियों आदि की ओर से कोई हिंसा नहीं होगी और इसलिए नागरिकों की ओर से भी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। यदि विशिष्ट/उच्च लोग, मंत्री आदि हिंसा का सहारा लेते हैं तब हम नागरिकों को भी फिर से विचार करने की जरूरत होगी।

अध्याय 46 - यदि विशिष्ट / ऊंचे लोग या राजनेता तानाशाही चलाते हैं , तो महात्मा उधम सिंह योजना

यदि विशिष्ट/ ऊंचे लोग भारत में तानाशाही चलाना चाहते हैं तो, यदि सिर्फ 500 महात्मा उधम (सिंह) कार्यकर्ता उधम सिंह योजना लागू करने का फैसला/निर्णय करें, तो ऐसी तानाशाही का तख्ता पलटा जा सकता है। कैसे?

1. सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि **उधम को अकेले ही काम को अंजाम देना होगा** और उसे कभी भी कोई संगठन नहीं बनाना होगा। यदि कोई व्यक्ति इतिहास पढ़े तो उसे पता चलेगा कि भगत सिंह (अपनी जान) हारे क्योंकि उनके समूह में विभिषण था। और कोई भी व्यक्ति ऐसी लंका नहीं बना सकता जिसमें विभिषण न हों। यदि हिंदुस्तान सामाजिक क्रांति दल(हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिवोल्यूशन पार्टी) के सभी अच्छे लोग अकेले-अकेले काम कर रहे होते तो वे ज्यादा अंग्रेजों को मार सकते थे, अनेक अन्य लोगों को प्रेरणा दे सकते थे, और अंग्रेजों के लिए और अंदरूनी व गंभीर खतरा पैदा कार सकते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने एक समूह बनाया और किसी भी समूह में एक विभिषण होता ही है, इसलिए वे सभी पकड़े गए और मारे गए और वे केवल एक ही अंग्रेज को मार सके। इसलिए किसी भी उधम सिंह को कोई समूह कभी बनाना/तैयार करने की गलती कदापि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे समूहों में 10 में से कोई 1 विभिषण होगा, और वह शेष/बाकी 9 लोगों को गिरफ्तार करवा देगा या मरवा देगा।
2. प्रत्येक उधम को अकेले ही काम करना चाहिए और किसी तानाशाही शासन, जिसमें एक तानाशाह और उसके अनेक अधिकारी होते हैं, उनमें से क्रमरहित तरीके से किसी एक को चुन लेना चाहिए जो किसी डॉयर की ही तरह का हो।
3. और उधम को इन डॉयरों से छोटे समूह या बड़े समूह में निपटना चाहिए। समूह के सदस्य जितने अधिक हों, उतना ही अच्छा होगा। और जितने ही ऊंचे पद पर बैठा अधिकारी हो, उतना ही अच्छा होगा। लेकिन बहुत ही ऊंचे पदों पर बैठे लोगों/डॉयरों को निशाना नहीं बनाएं क्योंकि इन लक्ष्यों/निशानों की सुरक्षा बहुत ही कड़ी होती है और इन तक पहुंचने में खतरा बहुत ही ज्यादा रहता है।
4. सैकड़ों डॉयरों की मौत से डॉयर का उत्साह/मनोबल टूट जाएगा और तानाशाह अपने को अकेला महसूस करेगा।

चाहे कोई उधम अकेला काम करे या समूह में काम करे, किसी भी स्थिति में उसे मरना ही है। लेकिन यदि वह समूहों में काम करता है, मान लीजिए, 10 अथवा 50 उधम एक साथ काम करते हैं और उनमें से एक भी सदस्य विभिषण निकला तो सारे उधम एक भी डॉयर को मौत के घाट उतारे बिना खुद शहीद हो जाएंगे। जबकि यदि ये 10 या 50 उधम अकेले-अकेले काम करते हैं तो यह पक्का/गारंटी है कि हर एक उधम शहीद होने से पहले कम से कम 1 या 10 डॉयरों से निपटेगा। इस तरह यदि उधम समूह में काम करने की बजाए अकेले-अकेले काम करते हैं तो जिन डॉयरों से वे निपटेंगे उनकी संख्या कहीं ज्यादा होगी।

यदि पहले वर्ष में, यदि 10 उधम तैयार होते हैं तो अनेक लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वे उनके (10 के) कदमों/पदचिन्हों पर चलेंगे।

उधमों का खतरा सभी डॉयरों का साहस/मनोबल तोड़ कर रख देगा और तानाशाह तो मर ही जाएगा।

मैं और थोड़ा भी विस्तार से बताना नहीं चाहता। और मुझे ऐसा करने/विस्तार से बताने की जरूरत भी नहीं है – कोई भी बुद्धिमान पाठक समझ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है।

(46.1) सबसे अहिंसक तरीका

मैं अहिंसा को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और हिंसा को पूरी तरह से विरोध करता हूँ | लेकिन मोहनभाई (मोहन चंद करम दस गाँधी) के पास कोई एकाधिकार/समस्त अधिकार नहीं है | खुले मन से , बिना किसी पक्ष के , किसी को फैसला/निर्णय करना चाहिए कि उसे मोहनभाई के अहिंसक तरीकों पर चलना है या उधम सिंह के अहिंसक तरीकों पर | हरेक को फैसला/निर्णय करने की छूट होनी चाहिए कि उसे कौन से अहिंसक तरीकों पर चलना है, जब तक कि वो अहिंसक तरीकों पर चल रहा है |

कुल मिलाकर, मैं मोहनभाई के चेलों के मोहनभाई के अहिंसक तरीकों को थोपने का विरोध करता हूँ कि ये ही केवल और केवल तरीके हैं |

क्या हिंसा है और क्या अहिंसा(किसी को ना मरने की भावना) है, इसपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे परिभाषा करते हैं | मेरे अनुसार, मोहनभाई के तरीकों से ज्यादा हिंसा हुई उधम सिंह और भगत सिंह जी के तरीकों के मुकाबले |

मोहनभाई ने बाद में लोगों को हथियार न रखने के लिए राजी किया (हथियार चलाना तो भूल ही जाएये) जब कि 1931 में उसने और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने `हथियार रखने के लिए अधिकार` की मांग की थी | और लाखों लोग बंगाल में गरीबी से मर गए क्योंकि वे अंग्रेजों के लूट से अपने को बचा नहीं सके |और लाखों , निहत्थे लोग , अपने आपको बटवारे के दौरान हिंसक लोगों से बचा नहीं पाये, जिससे लाखों लोगों की जानें गयीं | दूसरे व्यक्ति के पास हथियार है, का डर ,हथियार से भी ज्यादा काम करता है | और इसीलिए ये स्थिति ज्यादा अहिंसक है , उस स्थिति के मुकाबले जिसमें केवल एक पक्ष के पास ही (वैध/`लिसेंसे के साथ` या अवैध/`बिना लिसेंस) के` हथियार हैं |

`हथियार रखने का अधिकार 1931 में मोहनभाई, सरदार, नेहरु आदि कांग्रेसी द्वारा माँगा गया था, ये कई लोगों को सदमा(शौक)/हैरानी हो सकता है, लेकिन नीचे लिखी ,इसका सबूत है, जो `महात्मा गाँधी के एकत्र लेख ` नाम की पुस्तक से लिए गया है | उसका लिंक ये है-

http://www.gandhiserve.org/cwmg/VOL051.PDF

उसमें पन्ना 327 देखें और आयटम संख्या 1(h) देखें -

“ लोगों के मूल अधिकार , जिसमें सम्मिलित है-

(a)सम्बन्ध रखने की स्वतंत्रता;

(b)भाषण/बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता

....

(h) हथियार रखने का अधिकार , उसके लिए बनाये गए नियम और रोक के अनुसार ;

...

तो नेहरु, सरदार और गांधी ने " हथियार रखने का अधिकार" को एक मूल/मुख्य अधिकार बनाने की मांग की थी | एक तरह से, इस का मतलब एक वायदा था , कि `हम हथियार रखने का अधिकार` को नागरिकों के लिए मूल अधिकार बनायेंगे यदि हम सत्ता में आये !!

खूब निभाया गया वायदा !

कोई काम/क्रिया तभी अहिंसक है जब, लंबे समय में, उससे कम से कम हिंसा होती है | उदाहरण, यदि दावूद आता है, और आप उसको मार देते हो ---तो आपने एक व्यक्ति को मारा | क्या ये हिंसा लगती है ? देखिये, यदि आप उसे नहीं मारते, तो वो 1000 लोगों को बम से उड़ा देगा | और इसीलिए आपका दावूद को ना मरने के कार्य ने 1000 लोगों को मारा | तो क्या कम हिंसक है ? मेरे अनुसार, दावूद को मारना कम हिंसक है उसको छोड़ देने से | इसीलिए कि कौन सा तरीका कम अहिंसक है- मोहनभाई का तरीका या भगत सिंह का तरीका या उधम सिंह का तरीका या सुभाष चन्द्र बोसे का तरीका या मदन लाल का तरीका आदि, ये सब व्यक्ति की सोच पर निर्भर है | मेरे अनुसार, उधम सिंह का तरीका सबसे अधिक अहिंसक है |

एक कार्यकर्ता को केवल अहिंसक तरीकों तक ही सीमित रहना चाहिए | **उसे पहले ये साबित करना होगा कि बहुमत उसका प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है |** फिर , वो या तो महात्मा गाँधी के अहिंसक तरीके का चुनाव कर सकता है, या तो महात्मा उधम सिंह जी का या महात्मा भगत सिंह का या तो महात्मा सुभाष चन्द्र बोस का | मैं महात्मा उधम सिंह का तरीका सबसे अच्छा मानता हूँ- हरेक अपने दम पर ,आज़ाद हो कर ,काम करे |

अध्याय 47 - `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` की सदस्यता, सदस्य / उम्मीदवार का चयन आदि (से संबंधित) नियम

(47.1) विभाजन (अलग दल बनाना)

मैं `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर सदस्यों को 'प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार)' कानून के लिए प्रचार-प्रसार करने हेतु एक और दल/समूह बनाने के लिए उत्साहित करता हूँ। वास्तव में, मैं सांसद/विधायक स्तर के किसी उम्मीदवार का स्वागत करूंगा यदि वह अपना अलग दल बनाए और सांसद/विधायक चुनाव-क्षेत्र में `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के मामलों/विषयों की व्यवस्था/संचालन करे। इससे उसे इस बात की पूरी सुरक्षा मिलेगी कि उसे ही (चुनाव में) टिकट मिलेगा और वह अपने चुनाव क्षेत्र में ध्यान केन्द्रित करके इस बात की पूरी गारंटी/वायदे के साथ काम कर सकता है कि टिकट उसे ही मिलेगा।

(47.2) वित्त पोषण / धन जुटाना

`राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` किसी सदस्य या बाहरी लोगों से कोई चंदा/दान नहीं लेगा। कृपया साफ-साफ जान लें कि **`राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` किसी से भी चंदा/दान का एक भी पैसा नहीं लेगा, सदस्यों से भी नहीं।** सदस्यगण या समर्थकगण समाचारपत्रों में प्रचार/विज्ञापन दे सकते हैं या होर्डिंग लगा सकते हैं अथवा जेरोक्स/फोटोकॉपी ,पर्ची/पम्फलेट्स (छपवाकर) लगवा सकते हैं लेकिन **किसी भी समर्थक को `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के किसी भी पदधारी/अधिकारी को नकद पैसा नहीं देना चाहिए। दल/समूह के पदधारियों/अधिकारियों और समर्थकों को कोई वेतन नहीं मिलेगा और न ही उनके द्वारा किए गए किसी भी खर्चे की भरपाई/प्रतिपूर्ति ही की जाएगी।**

(47.3) सदस्य बनना

कोई सदस्यता-शुल्क/फीस अथवा (`राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` में) शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं है। दल/समूह में दान/चन्दा लाने की कोई जरूरत नहीं होगी। वास्तव में, `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` नकद चन्दा/दान के खिलाफ है। समाचार पत्रों में प्रचार/विज्ञापन देने के लिए पैसा लगाने का खुली विनती/अनुरोध किया जाएगा, लेकिन इसकी भी अपेक्षा/उम्मीद नहीं की जाती है। *व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, और एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। वह दूसरे दल/पार्टी का सदस्य हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है।*

(47.4) सदस्यों से खुली / साफ-साफ अपेक्षा (उम्मीद)

1. सदस्यों से आशा/उम्मीद की जाती है कि वह http://righttorecall.info/003.h.pdf में उल्लिखित कदम उठाएगा।

2. उसे http://www.petitiononline.com/rti2en/ पर दी गई याचिका पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
3. उसे निम्नलिखित 14 नेताओं में से किसी को भी पत्र लिखना चाहिए : प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, सांसद के लिए हुए पिछले चुनाव में दूसरे नम्बर पर रहने वाले उम्मीदवार, तीसरे नम्बर पर रहने वाले उम्मीदवार, विधायक के लिए हुए पिछले चुनाव में दूसरे नम्बर पर रहने वाले उम्मीदवार, तीसरे नम्बर पर रहने वाले उम्मीदवार, उन दलों/पार्टियों के नेताओं को, जिनकी पार्टी ने (पिछले चुनाव में) भारत में और अपने-अपने राज्यों में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इन नेताओं को लिखे जाने वाले पत्र में कहा जायेगा कि पब्लिक/स्पष्ट/सार्वजनिक रूप से `प्रजा-अधीन समूह` की पहली मांग- `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)` सरकारी आदेश का समर्थन करे ।*पत्र में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि यदि वह नेता `प्रजा अधीन-राजा समूह`की पहली मांग-* `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)`*सरकारी आदेश का समर्थन नहीं करता तो पत्र लिखने वाला, प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक रूप से बता देगा कि वह नेता आम आदमी के खिलाफ है।*
4 यदि सदस्य को कम्प्यूटर का ज्ञान है तो उसे ऑर्कूट.कॉम, फेसबुक.कॉम और *लिंक्ड-इन.कॉम* पर अपना एकाउन्ट/खाता खोलना चाहिए और उसे http://www.orkut.co.in/Community.aspx?cmm=21780619 पर समूह/पार्टी के ऑर्कूट समुदाय(समूह), फेसबुक समुदाय और *लिंक्डइन* समुदाय - "नागरिकों के लिए खनिज रॉयल्टी" में शामिल हो जाना चाहिए।
5. यदि सदस्य को कम्प्यूटर का ज्ञान **नहीं** है तो उसे किसी ऐसे `प्रजा अधीन-राजा समूह/राईट-टू-रिकाल ग्रुप (एम.आर.सी.एम.-रिकॉल)` के सदस्य का पता लगाना चाहिए जिसे कम्प्यूटर का ज्ञान है और जिसपर वह भरोसा कर सकता है। वह अपना खाता कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` सदस्य के द्वारा/जरिए चला सकता है। लेकिन ऑर्कूट खाता रखना अनिवार्य होगा। और कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाला एक `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` सदस्य अधिक से अधिक 100 वैसे सदस्यों के लिए कम्प्यूटर खाता संचालित करने/चलाने का काम कर सकता है इससे ज्यादा का नहीं।
6. सदस्य को हफ्ते/सप्ताह में एक बार अपने संदेशों/मैसेजेज को खोलना चाहिए और लिखना चाहिए कि पिछले एक सप्ताह में उसने पार्टी/समूह के एजेंडे को फैलाने/इसमें अन्य लोगों को शामिल करने के लिए क्या कार्यकलाप चलाया/किया है।
7. सदस्य को दल/समूह के अध्यक्ष द्वारा पूछे गए हरेक/प्रत्येक इंटरनेट सर्वेक्षण/चुनाव में मतदान अवश्य करना चाहिए।
8. सदस्य को ऐसेम्बली स्तर की बैठक में वर्ष में चार बार भाग लेना होगा, लोक सभा स्तर की बैठक एक वर्ष में 4 बार होती है, राज्य स्तर की बैठक वर्ष में एक बार होती है, और राष्ट्रीय स्तर की बैठक प्रत्येक 2 साल/वर्ष में एक बार होती है।
9. राष्ट्रीय अध्यक्ष 24 सदस्यों की जूरी बुला सकता है और यदि 18 से अधिक जूरी सदस्यों ने किसी सदस्य को हटाने/बर्खास्त करने का सुझाव दे दिया तो उसने पार्टी/समूह पर अब

तक जितना भी पैसा खर्च किया है, उतना पैसा उसे देकर पार्टी/समूह से निकाल दिया जाएगा।

10. यदि कोई सदस्य 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' , प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए पैसे खर्च करने का निर्णय करता है तो उसका बढ़ावा दिया जाएगा लेकिन उसे `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के कार्यकलाप के लिए अलग से बचत खाता खोलने और समय-समय पर उस बचत खाते की जानकारी देने और/अथवा उसने 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)', 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.), प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए उसके द्वारा खर्च किए गए पैसे की पूरी जानकारी देने की जरूरत नहीं है।

शेष/बाकी के कार्यकलाप http://righttorecall.info/003.h.pdf पर विस्तार से बताए गए हैं।

(47.5) लोकसभा के लिए पहले उम्मीदवार का निर्णय करना

1. किसी जिले का पहला व्यक्ति ,जिसने जिले के किसी प्रमुख समाचारपत्र में 1,00,000 रूपए का विज्ञापन `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के पक्ष में दिया है, वह उस संसदीय चुनावक्षेत्र से `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` का उम्मीदवार होगा।
2. यदि ज्यादा लोग उम्मीदवार हो/बन जाते हैं तो इस राशि को बढ़ा दिया जाएगा।
3. यह राशि दर्जे/श्रेणी-3 के शहर के लिए दोगुनी, दर्जे/श्रेणी-2 के शहर/नगर के लिए चार गुनी और दर्जे/श्रेणी-1 के लिए छह गुनी बढ़ा दी जाएगी। उदाहरण – यदि कोई व्यक्ति मुंबई से `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` का उम्मीदवार होना/बनना चाहता है तो प्रचार/विज्ञापन की राशि 600,000 रूपए होगी।
4. ऊपर दी गई राशि वर्ष 2009 के आधार पर है। यह धनराशि समाचारपत्र के प्रचार/विज्ञापनों में होने वाली वृद्धि/बढ़ोत्तरी के तुलना/अनुपात में बढ़ा दी जाएगी।

(47.6) सांसद पद का उम्मीदवार बदलना

यदि कोई व्यक्ति `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रचार/विज्ञापन देकर सांसद का उम्मीदवार बन जाता है ,तो वह तब तक के लिए सांसद उम्मीदवार रहेगा जब तक कि उसे पार्टी/समूह के आंतरिक मतदान द्वारा हटा नहीं दिया जाता। ऐसा तभी होगा जब प्रतिद्वंद्वी/`मुकाबले में` उम्मीदवार को मतदाताओं की कुल संख्या के कम से कम 5 प्रतिशत के बराबर मत मिल जाएं और पिछले चुनाव में उसे जितने वोट मिले थे, उससे अधिक वोट मिल जाएं।

साथ ही, जीतने वाले उम्मीदवार को उसके द्वारा समाचारपत्र के प्रचार/विज्ञापनों में सांसद उम्मीदवार के लिए खर्च की गई धनराशि का तीन गुना/तिगुना पैसे का भुगतान करना होगा।(ये एक सुरक्षा/बचाव है) **उदाहरण** – मान लीजिए, श्री **`क`** ने 'जनता की आवाज़ पारदर्शी

शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' और प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के लिए समाचार पत्र विज्ञापनों पर 5,00,000 रूपए खर्च करके सांसद पद के लिए उम्मीदवार बने हैं। मान लीजिए, उस संसदीय चुनाव क्षेत्र में 15,00,000 मतदाता हैं। अब यदि श्री **`ख`** श्री **`क`** को हटाकर खुद उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तब श्री **`ख`** को कम से कम 75,000 मतदाताओं को 10 रूपए, उनके अपने मोबाईल नम्बर और बिलिंग पता दर्शाने वाला बिल प्रमाण भेजने के लिए कहना/राजी करना पड़ेगा और मोबाईल नम्बरों को `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के पास दर्ज/पंजीकृत कराना होगा। `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के अध्यक्ष (मैं खुद) एस.एम.एस. द्वारा मतदान/सर्वेक्षण करवाएंगे। वे लोग जो श्री **`क`** अर्थात वर्तमान उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं, वे दर्ज/पंजीकरण नि:शुल्क/बिना कोई पैसा दिए करा सकते हैं। और यदि एक बार श्री **`ख`** विजेता साबित हो जाते हैं तो उन्हें श्री `क` को 15,00,000 रूपए का भुगतान करना होगा।

(47.7) विधायक, नगर निगम के लिए पहले उम्मीदवार का निर्णय

विधानसभा की सीट के लिए प्रचार/विज्ञापन की धनराशि संसदीय सीट के लिए प्रचार/विज्ञापन धनराशि का एक तिहाई होगी और नगर निगम के लिए यह धनराशि विधानसभा के लिए धनराशि का एक तिहाई होगी।

(47.8) चुनाव में सदस्यों की भूमिका

चुनाव में सदस्यों को खुली छूट होगी कि वे उस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करें जिसे वे समझते हैं कि वह उम्मीदवार 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)', प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) आदि कानून लाने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है। सदस्यों को पार्टी/समूह द्वारा अधिकारिक तौर पर खड़े किए गए उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने की जरूरत/बंधन नहीं होगा ।

(47.9) पार्टी / समूह के अध्यक्ष को बदलना

1. इसके लिए चुनाव आर्कूट समूह/समुदाय अथवा किसी अन्य कम्प्यूटर समुदाय के जरिए ही होगा।
2. कोई भी सदस्य पार्टी/समूह के अध्यक्ष के पद के लिए खड़ा हो सकता है।
3. **सदस्यों के पास मतों की अलग अलग गिनती/संख्या होगी।** किसी सदस्य के वोटों की संख्या की गिनती होगी – (समाचार प्रचार/विज्ञापन पर उसके द्वारा खर्च किए गए रूपए)/1000
4. सदस्य अपना-अपना वोट डालेंगे।
5. सबसे अधिक मत पाने वाला व्यक्ति पार्टी/समूह का अध्यक्ष बनेगा।
6. जिन लोगों/सदस्यों को कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है वे लोग अपने ऐसे मित्र, रिश्तेदार आदि के जरिए अपना वोट डाल सकेंगे जिन्हें कम्प्यूटर का ज्ञान हो।

7. चुनकर आनेवाला अध्यक्ष ,वर्तमान अध्यक्ष द्वारा समाचार पत्र प्रचार/विज्ञापनों पर किए गए खर्च का तीन गुना खर्च करेगा। हटने वाले अध्यक्ष को कोई मुआवजा/पैसा नहीं मिलेगा।
8. किसी अध्यक्ष को आने वाले आम लोक सभा चुनाव के खत्म होने से केवल, कम से कम एक वर्ष पहले ही बदला जा सकता है।

(47.10) अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति

अध्यक्ष के अलावा, प्रतीक्षारत/*इन्तेज़ार-में* उम्मीदवार होंगे और कोई अन्य पदाधिकारी नहीं होगा।

(47.11) चुनाव आयोग को दिया गया पार्टी-संविधान

चूंकि चुनाव आयोग ने पार्टी/दल के गठन से संबंधित कोई विस्तृत नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए चुनाव आयोग को दी जाने वाली संविधान की प्रति `छोटे में`/संक्षिप्त होगी, पूरा/विस्तृत नहीं। संविधान में मेरे द्वारा प्रस्तावित 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' और प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के प्रारूप/ड्राफ्ट का उल्लेख होगा।

(47.12) `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` जैसे अन्य समूहों की पहचान करना

यदि भारत का कोई नागरिक किसी पार्टी/दल का बनाता(गठन करता) है जिसके संविधान में 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' और प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) के **ड्राफ्ट** हों, तो मैं `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के सदस्य के रूप में उस दल/पार्टी को सहयोगी पार्टी/दल के रूप में समझूंगा। और यदि उस दल/पार्टी का अध्यक्ष 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' और प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) प्रारूपों/ड्राफ्टों के प्रचार/विज्ञापन समाचार पत्रों में देता है तो जिस संसदीय या विधान सभा चुनाव क्षेत्र में वह अपने उम्मीदवार खड़े करेगा ,वहां मैं कोई उम्मीदवार खड़े नहीं करूंगा। असल/वास्तव में, **मैं इसे पसंद करूंगा यदि सांसद, विधायक उम्मीदवार अपने अपने दल/पार्टी का गठन करें/बनाये – हर चुनाव क्षेत्र के लिए एक दल/पार्टी। इस प्रकार से कुल लगभग 543 उम्मीदवार `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` संसदीय चुनाव क्षेत्र स्तर के होंगे और लगभग 5000 `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` विधायक/विधानसभा स्तर के होंगे।** जितने अधिक समूह हों उतना ही अच्छा है।

अध्याय 48 - यदि 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)`, प्रजा अधीन राजा / राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) आदि कानून लागू नहीं होते तो भारत का संभव / संभावित भविष्य क्या होगा

भारत का एक संभव/संभावित भविष्य क्या होगा यदि प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार), 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) आदि कानून भारत में लागू नहीं आयेंगे तो ?

आज की स्थिति में भारत एक संसदीय ,न्यायतांत्रिक, अल्प-तन्त्र (वह राज्य जिस में थोड़े लोग देश के बारे में निर्णय कर सकें/शासन करें) है। हमारे देश में जूरी प्रणाली(सिस्टम) नहीं है जिसके द्वारा नागरिकगण सांसदों के बनाए कानून को रद्द/समाप्त कर सकें। हमारे यहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, विधायकों, सांसदों, जजों, पुलिस प्रमुखों आदि को बर्खास्त करने/हटाने की भी कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके कारण न्यायतंत्र, प्रशासनतंत्र, मंत्रियों आदि (के स्तर) में बहुत ही ज्यादा गिरावट/कमी आई है। और नागरिकों को खनिज रॉयल्टी या भारत सरकार के प्लॉटों का किराया नहीं मिलता। इससे गरीबी बढ़ गई है।

यदि प्रस्तावित 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.), प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री, प्रजा अधीन – जज, जूरी प्रणाली(सिस्टम) आदि कानून लागू नहीं होते हैं तो यह गिरावट/कमी जारी रहेगी। ईमानदार व्यक्तियों आई.ए.एस.(भारतीय प्रशंस्निक सेवक/बाबू), आई.पी.एस.(पोलिस-कर्मी), न्यायपालिका में नौकरी करना कम कर देंगे और ईमानदार व्यक्तियों चुनाव लड़ना भी कम कर देंगे । और जो ईमानदार व्यक्ति मौजूद भी हैं, वे नौकरी छोड़ देंगे या सेवानिवृत/रिटायर हो जाएँगे या तो अप्रासंगिक(उनकी ऐसी स्थिति हो जायेगी कि वे कुछ भी अच्छा कम नहीं कर पाएंगे,सिस्टम की कमी के कारण) हो जाएँगे | सेना भी कमजोर होती रहेगी और विदेशों में बने हथियारों पर ही और ज्यादा निर्भर होती जाएगी। और पुलिस और कोर्ट/न्यायालय भी कमजोर होते रहेंगे। विशिष्ट/ऊंचे लोग सेजों के नाम पर ,और अधिक जमीन हड़पना जारी रखेंगे और वे सेवा कर/सर्विस टैक्स, वैट, जी.एस.टी. आदि जैसे प्रत्यावर्ती/प्रतिगामी(जो आय बढने से आय के प्रतिशत के अनुसार घटते हैं) टैक्सों का ज्यादा से ज्यादा सहारा लेते रहेंगे। इससे गरीबी बढ़ती जाएगी और इससे गरीब लोग खाना/भोजन, दवा, शिक्षा आदि के लिए या तो नक्सलवाद या इसाई मिशनों या दोनों ही ओर और भी ज्यादा मुड़ते चले जाएंगे (नक्सलवादियों और इसी आदि मिशनों को हमदर्दी है, गरीबों से ऐसा नहीं है, वे इसीलिए धर्म-परिवर्तन करवाते हैं ताकि धर्म-परिवर्तित लोग उनके समर्थक बनें और उनका समर्थन से ऐसे क़ानून बनाएँ जिसके द्वारा 99% देश की जनता को लूट सकें) | इतना ही नहीं, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम आदि दलों के ये वर्तमान सड़े हुए/बेकार सांसद, राष्ट्रीय पहचानपत्र प्रणाली(सिस्टम) कभी लागू नहीं करेंगे और इसलिए बांग्लादेशियों का घूसपैठ करके भारत आना भी जारी रहेगा।

भारत में विशिष्ट/उच्च लोगों के अधिकांश (अधिकांश, सभी नहीं) बच्चे भारत छोड़ कर अमेरिका जाने या भारत को लूटने में ही रूचि/दिलचस्पी दिखलाते हैं। वे अपना कीमती समय कानूनों की गलतियां ठीक करने/करवाने में बरबाद करना नहीं चाहते और उन कानूनों को सुधारने/ठीक करने में तो बिलकुल ही नहीं अपना समय देना चाहते , जो कानून मंत्रियों, सांसदों,

विधायकों, जजों, आई.ए.एस., आई.पी.एस. और विशिष्ट/उच्च लोगों के आर्थिक/वित्तीय हितों के खिलाफ जाएगा। वे कोई भी टकराव नहीं चाहते। ये विशिष्ट/उच्च लोग और उनके प्रमुख पालतू बुद्धिजीवी लोग इस बात पर ही जोर देते हैं कि आम आदमी को कानून और अंग्रेजी की शिक्षा तो दी ही **नहीं** जानी चाहिए और न ही इन्हें सरकारी प्लॉटों से किराया और खनिजों से रॉयल्टी ही मिलनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली(सिस्टम) को और बरबाद/खराब करके ये मंत्री/आई.ए.एस. लोग शिक्षा प्रणाली(सिस्टम)/पद्धति को ही बरबाद कर देंगे। इससे आम आदमी दिनों-दिन गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। उदाहरण – वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2007 में, प्रति व्यक्ति दाल की खपत 25 प्रतिशत कम हो गई और अनाज का खपत/उपभोग 10 प्रतिशत कम हो गया था। इसके अलावा, हम देखते हैं कि अधिक से अधिक हिन्दू इसाईयत और नक्सलवाद की ओर मुड़ते जा रहे हैं जो सिर्फ यही दिखलाता है कि इन वर्गों के लोगों में गरीबी बढ़ती जा रही है।

बढ़ती गरीबी के कारण, अनेक गरीब हिन्दू इसाई मिशनरियों की ओर खिंचे चले जाते हैं जो इन्हें खाना/भोजन, दवा, शिक्षा आदि देते हैं। अंत में यह सब लोगों को हिंसक/उग्रवाद बना देगा जैसा कि इसने नेपाल में किया और उड़ीसा, आंध्रप्रदेश के कुछ भागों, मध्य प्रदेश के कुछ भागों, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों आदि में चल रहे झगडे/कलह और ज्यादा बिगड़ जाएँगे।

जब किसी देश की सेना विदेशी हथियारों पर ही निर्भर हो जाती है तो बाहरी देश यदि और जब भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं तो उस (निर्भर) देश को सीधा ही खा लेते हैं यानि उस देश के 99 % नागरिकों को लूट लेती है, और गुलाम बना लेती है । समुद्र का नियम है कि – बड़ी/ताकतवर मछली छोटी/कमजोर मछली को खा जाती है, कोई दया नहीं दिखलाती, इसका कोई अपवाद भी नहीं। इसलिए यदि सेना, कारखानों/औद्योगिक परिसरों का कमजोर होना जारी रहा तो यह देश इतना कमजोर हो जाएगा कि अमेरिका भारत को जब चाहेगा, इराक ही बना डालेगा यानि भारत के साथ वही व्यवहार करेगा जो उसने इराक के साथ किया है। दूसरे शब्दों में यदि 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)`, जूरी, रिकॉल आदि कानून भारत में लागू नहीं कराए जाते तो भारत हर तरह से बहुत ही बुरी दशा में होगा। इसलिए मैं `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के सदस्य के रूप में भारत के नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने-अपने पसंद की पार्टी के नेताओं से 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) की पहली पांच सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) को लागू करने के लिए कहें ताकि रिकॉल, 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.), जूरी आदि से संबंधित अन्य कानून भारत में लागू हो जाएं।

अध्याय 49 - `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के क़ानून-ड्राफ्ट को कौन-कौन समर्थन दे सकता है ? और कौन `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के क़ानून-ड्राफ्ट का विरोध अवश्य करेगा?

1. यदि आप हम आम लोगों को "अच्छे बर्ताव/नैतिकता" का पाठ पढ़ाना चाहते हैं अथवा यदि आप आम लोगों के व्यवहार/दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं तो `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` आपके लिए नहीं है। `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` ड्राफ्ट/प्रारूप इस तथ्य/सुक्ति का अनुसरण करता है कि हम आम लोग मंत्रियों आई.ए.एस.(भारतीय प्रशाशनिक सेवक/बाबू), जजों, विशिष्ट/उच्च लोगों और बुद्धिजीवियों से ज्यादा अच्छा व्यवहार वाले(नैतिकतावादी) नहीं हैं और न ही इनसे कम अच्छे व्यवहार वाले(नैतिकतावादी) हैं।
2. यदि आप हम आम लोगों को "जगाने/सचेत करने" के इच्छुक हैं तब `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के कानून प्रारूप/ड्राफ्ट आपके लिए नहीं हैं। `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` ड्राफ्ट मौन/सांकेतिक रूप से यह मान कर चलता है कि हम आम लोग उतने ही जागरूक/सचेत हैं जितने जागरूक ये मंत्री आई.ए.एस., जज, विशिष्ट/उच्च लोग और बुद्धिजीवी हैं।
3. यदि आप आम लोगों की गरीबी दूर/कम करना चाहते हैं और जिस अत्याचार का ये आम लोग सामना करते हैं, उसे दूर करना चाहते हैं तो `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के कानून प्रारूप/ड्राफ्ट आपके लिए हैं।
4. सबसे ऊपर/शीर्ष पर बैठे 2 करोड़ लोगों में से अनेक लोगों का मानना है कि भारत के आम लोगों के पास अच्छा व्यवहार/नैतिकता नहीं है, इनका कोई अच्छा, राष्ट्रिय चरित्र/चाल-चलन नहीं है, ये नासमझ/अविवेकी होते हैं, ये भावुक होते हैं (पढ़ें : अनिश्चित स्वाभाव वाले) और आम लोगों बुरे व्यवहार वाले होते हैं, आदि। और उनका यह भी मानना है कि विशिष्ट/उच्च लोग और बुद्धिजीवी लोग, जो ईमानदार और `दूध के धुले` हैं, उन्हें पूरी तरह से अधिकार/शासन दिया जाना चाहिए। वे हम आम लोगों का अपमान करना पसंद करते हैं और यह कहने में गर्व महसूस करते हैं कि भारत के आम लोग कायर, डरपोक, आलसी आदि हैं। यदि आप इन सभी आम आदमी-विरोधी और विशिष्ट/उच्च हितैषी की फालतू/बेकार की बातों पर विश्वास रखते हैं तो `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के कानून प्रारूप/ड्राफ्ट आपके लिए नहीं हैं।

5 मैंने यह भी देखा/पाया है कि तथाकथित "जनता हितैषी" लोग शायद ही मेरे `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के कानून-ड्राफ्टों को पसंद करते हैं। ये तथाकथित "जनता हितैषी" जो अपने को सामाजिक कहते हैं और मिलना जुलना पसंद करते हैं और वे लोग जो "मानव स्वभाव" और संस्कार/संस्कृति को जानने/समझने का दावा करते हैं वे `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के ड्राफ्टों को कभी पसंद नहीं करते। सबसे खराब बात यह है कि वे इस बात/विचार से ही नफरत करते हैं कि पार्टी/दल के कानून प्रारूप/ड्राफ्ट होने चाहिएं – वे जोर देते हैं कि पार्टी की राजनीतिक कथन/विचार बिलकुल अनिश्चित/अस्पष्ट होने चाहिए, यानि समझ में आने लायक नहीं होने चाहिए।

तकनीकी और हिसाब-किताब के काम-काज करने वाले लोग `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रारूपों/ड्राफ्टों को कहीं ज्यादा पसंद करने वाले होते हैं।

6. सेना विरोधी लोगों की तुलना में, सेना समर्थक लोग द्वारा `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रारूपों/ड्राफ्टों को पसंद करने की संभावना ज्यादा होती है।

7. भ्रष्टाचार के "छिपे सकारात्मक/अच्छा पक्ष " को देखने वाले लोग, जैसे कि `भ्रष्टाचार से काम हो जाता है`, वे `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के कानूनों के प्रारूप/ड्राफ्टों को पसंद नहीं करना चाहेंगे।

8. कई लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार भारत के लोगों के स्वभाव में ही है, इसलिए जजों, आई.ए.एस., आई.पी.एस., मंत्रियों आदि के अधिकार कम करने के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए बल्कि केवल लोगों को ही सुधारना चाहिए। ऐसे लोग भी `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के कानून के प्रारूप/ड्राफ्टों से नफरत करेंगे।

9. सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोग भी होते हैं, जो मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भाई-भतीजावाद कभी नहीं चलता। ऐसे लोग भी 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) – प्रजा अधीन जैसे कार्य-सूची/ऐजेंडे से नफरत करेंगे क्योंकि ये कार्य-सूची/ऐजेंडे यह मानकर चलते हैं कि भाई भतीजावाद व्याप्त है, यानि भाई भतीजावाद का बोलबाला है।

10. और यदि आपका लक्ष्य चुनाव जीतना है या किसी सांसद या विधायक का नजदीकी/मित्र बनना है तो आपको कभी भी 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) – रिकॉल पार्टी/दल में शामिल नहीं होना चाहिए। इस पार्टी/समूह का आधारभूत और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है – मुख्य मंत्रियों और प्रधानमंत्री को पहला प्रस्तावित सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर/बाध्य करना। चुनाव लड़ना केवल इन प्रस्तावित सरकारी अधिसूचनाओं(आदेश) का प्रचार-प्रसार करना मात्र है।

सामान्यतया, जनसंख्या के शीर्ष/सबसे उपर बैठे एक करोड़ में से 98,00,000 लोग जानबूझकर 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) समूह/पार्टी और इसके ऐजेंडे/कार्यसूची से घृणा करेंगे। भारत के शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों में से केवल 2 प्रतिशत लोग ही 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) के कार्य-सूची/ऐजेंडे को पसंद करेंगे। जैसे-जैसे आम लोगों की आय/सम्पत्ति घटती जाएगी वैसे-वैसे (इस ऐजेंडे को) चाहने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ता जाएगा।

<u>एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी (प्रश्न और उत्तर)</u>

मैं आपसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा। कृपया जैसे उत्तर/बात आप <u>जनता</u> के सामने खड़े होकर खुलासा करेंगे/बताएंगे, वैसे ही "पूरी तरह से, पक्के से सहमत" अथवा "पूरी तरह से, पक्के से सहमत नहीं" में से एक उत्तर दें। दूसरे शब्दों में, कल्पना कीजिए, कि निम्नलिखित प्रश्नों पर आपके दिए गए उत्तर की जानकारी आपके हरेक दोस्त, ग्राहक, साथी/सहकर्मी, रिश्तेदार आदि को हो जानी है। तब आपका उत्तर क्या होगा : "पूरी तरह से ,पक्के से सहमत" अथवा " पूरी तरह से, पक्के से सहमत नहीं"?

1. प्रधानमंत्री को भेजी गई जनता की शिकायतें एवं सुझाव कुछ शुल्क लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर आनी चाहिए
2. जनता द्वारा प्रस्तावित सुझावों पर नागरिकों से कुछ शुल्क लेकर उन्हें हां/नहीं दर्ज करने की इजाजत/मंजूरी दी जानी चाहिए
3. जनता को सांसदों और विधायकों द्वारा पारित/पास किए गए कानूनों पर कुछ शुल्क देकर हां/नहीं दर्ज करने की इजाजत/मंजूरी देना चाहिए
4 आई.आई.एम.ए., जे.एन.यू. आदि सार्वजनिक,आम जनता के, प्लॉटों से जनता को जमीन का किराया मिलना चाहिए
5. नागरिकों को हवाई अड्डे/एयरपोर्ट से जमीन का किराया मिलना चाहिए
6 नागरिकों को खदानों से जमीन का किराया मिलना चाहिए
7. जनता के पास प्रधानमंत्री को बदलने की प्रक्रिया/तरीका अवश्य होनी चाहिए
8. 90 प्रतिशत से अधिक जज अपने रिश्तेदार वकीलों का पक्ष/तरफदारी करते हैं
9. हर नागरिक को कानून का ज्ञान दिया जाना चाहिए
10. जजों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर अथवा चुनावों द्वारा किया जाना चाहिए, इसके लिए साक्षात्कार नहीं लिया जाना चाहिए
11. नागरिकों के पास सुप्रीम-कोर्ट के जजों को बदलने की प्रक्रिया/तरीका अवश्य होनी चाहिए
12. <u>संपत्ति-कर और विरासत-कर का प्रयोग करके</u> हमें अपनी सेना को दिए जा रहे पैसा/धन को अवश्य बढ़ाना चाहिए
13. मैं वैट और उत्पादन-शुल्क(एक्स्साईज़) के स्थान पर विरासत-कर का समर्थन करता हूँ।
14. मैं सेना, पुलिस और कोर्ट को पैसा/धन दिलवाने/देने के लिए तम्बाकू पर कर/टैक्स लगाने का विरोध करता हूँ।
15. आज की स्थिति में सेना का वेतन बहुत ही कम है और इसे कम से कम दोगुना किया जाना चाहिए
16. भारत को परमाणु जांच/परीक्षण और तैयार परमाणु हथियार के मामले में चीन के साथ बराबरी करनी होगी।
17. जनता के पास भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुखों को बदलने की प्रक्रिया/तरीका अवश्य होनी चाहिए
18. **हर नागरिक को हथियार चलाना सिखाना होगा।**
19. **हर नागरिक को बंदूक रखना जरूरी है**
20. जनता के पास भारतीय जिला पुलिस प्रमुखों को बदलने की प्रक्रिया/तरीका अवश्य होनी चाहिए
21. आई.ए.एस.(भारतीय प्रशासनिक सेवक/बाबू), आई.पी.एस.(पोलिस-कर्मी), जजों आदि को अपनी सम्पत्ति और उन संस्थाओं/ट्रस्ट की संपत्ति जिससे वे या उनके रिश्तेदार जुड़े हैं, का खुलासा/विवरण इंटरनेट पर देना होगा।
22. सेना/पुलिस को पूंजी/फंड/कोष के लिए मैं बिक्री-कर के बदले सम्पत्ति-कर का समर्थन करता हूँ।
23. संस्थाओं/ट्रस्टों/न्यासों को दी गई टैक्स से छूट समाप्त की जानी चाहिए

24. सेज को दी गई टैक्स से छूट समाप्त की जानी चाहिए
25. 498 ए और डी.वी.ए. कानून समाप्त किए जाने चाहिए
26. बुद्धिजीवी और जज आदि उतने ही बुरे बर्ताव/अनैतिक होते हैं जितना कि आम लोग
27. बुद्धिजीवी और जज आदि उतने ही भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार करने वाले हो सकते हैं जितना कि आम लोग

यदि आप इन सभी 27 प्रश्नों का उत्तर "पूरी तरह से, पक्के से सहमत" देते हैं तो आप जितनी जल्दी 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) पार्टी/समूह में शामिल हो सकते हैं, उतनी जल्दी आपको शामिल हो जाना चाहिए। और यदि आपका उत्तर 15 से अधिक प्रश्नों के लिए "पूरी तरह से सहमत" है तो आपको 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) पार्टी/दल और अन्य दलों के बारे में और अधिक अध्ययन करना/पढ़ना चाहिए और कुछ समय गुजरने के बाद ही आप सभी 27 प्रश्नों से सहमत हो जाएंगे। यदि आपका उत्तर 15 से कम प्रश्नों के लिए ही "दृढ़ता से सहमत" है तो 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) पार्टी/दल आपके लिए नहीं है। और यदि आपका उत्तर 5 से कम प्रश्नों पर "पूर्ण सहमत" है तो आपको यह भी सीखना चाहिए कि 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.) पार्टी/दल से नफरत कैसे करें।

अध्याय 50 - आखरी में बात / उपसंहार

(50.1) जमीन किराया और खदान रॉयल्टी के लिए लड़ाई / संघर्ष के कुछ संभव / संभावित भविष्य

भविष्यवाणी करना ज्योतिष-विज्ञान (एस्ट्रोलॉजी) है। मैं इससे नफरत/घृणा करता हूँ लेकिन ऐतिहासिक/इताहस के घटनाओं पर आधारित संभव परिस्थितियों/स्थितयों का अनुमान लगाना उपयोगी है। इतिहास के बारे में एक चेतावनी जो मैं देना चाहता हूँ – इतिहासकारों के कारण इतिहास बेकार/अनुपयोगी हो गया है। अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट/उच्च लोगों के ऐजेंट रहे हैं और इसलिए उन्होंने सावधानीपूर्वक उन ऐतिहासिक जानकारियों/सूचनाओं के पन्ने/पृष्ठ किताबों से निकाल दिए हैं जिनमें कार्यकर्ताओं को ऐसी बातों का पता चलता जो विशिष्ट/उच्च लोग नहीं चाहते हैं और इतिहासकारों ने अपने लोगों के विचार-नजरियों और मतों को “सत्य/तथ्यों” और “सत्य/तथ्यों पर आधारित विचार” के रूप में बताया है। तब भी, इतिहास जितना भी उपयोगी है, उसके आधार पर मैं उन परिस्थितयां/स्थितियां बताता/कल्पना करता हूँ कि तब क्या हो सकता है, यदि हजारों कार्यकर्ता करोड़ों नागरिकों को राजी/आशवस्त कर सकें कि वे मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री को प्रजा अधीन समूह द्वारा प्रस्तावित पहली सरकारी अधिसूचना(आदेश)(पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर/बाध्य कर दें।

यदि पहली सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर हो जाता है तो कुछ ही सप्ताहों में करोड़ों आम आदमी को जमीन किराया और खदान रॉयल्टी देने की मांग स्पष्ट हो जाएगी। विशिष्ट/उच्च लोगों के धन और उनकी आय में भारी गिरावट आएगी। यदि ऐसा हो गया तो बुद्धिजीवी लोग, जो विशिष्ट/ऊंचे लोगों के ऐजेंट होते हैं, वे भी अपनी आय में गिरावडेट देखेंगे। इसलिए विशिष्ट/उच्च लोग और बुद्धिजीवी लोग सभी सरकारी आदेशों के खुलेआम विरोधी हो जाएंगे। चाहे यह पहला सरकारी आदेश हो या दूसरा,तीसरा या चौथा या पांचवीं या सौंवा। तब क्या होगा जब **गैर-80-जी कार्यकर्ता** *(जो 80-जी आयकर में छूट के खंड/नियम को रद्द करवाना चाहते हैं क्योंकि ये आय के चोरी करने में मदद करती है जिससे सेना,कोर्ट,पोलिस और देश के अन्य विकास लिए जरुरी धन में कमी आती है |)* जमीन किराया की मांग करेंगे अथवा दूसरा या तीसरा सरकारी आदेश की मांग करेंगे और विशिष्ट/उच्च लोग इस को पास करने से ईनकार करेंगे। कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं :-

50.1.1 पहली परिस्थिति :

बुद्धिजीवी विशिष्ट / उच्च लोग बिना किसी हिंसा के हार स्वीकार कर लेंगे

एक संभावना यह है कि विशिष्ट/उच्च और उनके ऐजेंट बुद्धिजीवी लोग बहुमत के फैसले को स्वीकार कर लेंगे। मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री तीसरे सरकारी आदेश और 50 प्रतिशत नागरिकों के द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत सरकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर देंगे और आम आदमी की ही तरह रहने लगेंगे। यह एकमात्र परिस्थिति/परिदृष्य है, जिसमें खून खराबा नहीं है और मुझे

उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। पहले भी ऐसा हो चुका है। वर्ष 1930 के दशक में अमेरिकी और यूरोपियन विशिष्ट/उच्च लोगों ने 70 प्रतिशत विरासत- कर, 75 प्रतिशत आयकर और 1 प्रतिशत संपत्ति कर लागू करने (के फैसले) को स्वीकार कर लिया ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके । ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों में 70 प्रतिशत से अधिक आम लोगों के पास हथियार थे। यह एक ऐसी स्थिति है जो भारत में नहीं है। इसलिए हांलांकि भारत के विशिटवर्ग/ऊंचे लोगों द्वारा 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)'-रिकॉल(भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानूनों को बिना किसी हिंसा के स्वीकार करने की संभावना है, लेकिन इसकी 100 प्रतिशत गारंटी नहीं है।

50.1.2 <u>परिस्थिति 2: बुद्धिजीवी, विशिष्ट / उच्च लोग पुलिसवालों और सिपाहियों से उन गैर-80-जी कार्यकर्ताओं की हत्या करने के लिए कहेंगे, जो पहली सरकारी अधिसूचना(आदेश) की मांग कर रहे हैं।</u>

मैं इतिहास से कुछ उदाहरण दूंगा।

कृपया http://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius_Gracchus और http://en.wikipedia.org/wiki/Gaius_Gracchus पढ़ें।

<u>टिबेरियस ग्राकूस</u>

(नि:शुल्क इनसाइक्लोपिडीया के विकिपेड़िया से)

<u>भूमिका / शुरुवात</u>

टिबेरियस का जन्म 168 ईसा पूर्व में हुआ था। वह टिबेरियस ग्राकुस मेजर और कॉरनेलिया अफ्रिकाना का बेटा था। ग्राकची रोम के सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से संपर्क वाले परिवार हुआ करते थे। उसके नाना-नानी प्यूब्लियस कार्नेलियस स्किपियो अफ्रिकानस और ऐमिलिया पाउला थे। उसकी बहन,सेम्प्रोनिया प्यूबिलियस कोरनेलियस स्क्रिपीयो ऐमिलियानुस, एक महत्वपूर्ण जनरल की पत्नी थी । टिबेरियस की सेना की नौकरी पूनिक युद्ध में अपने साले स्क्रिपीयो ऐमिलियानुस के स्टॉफ में सेना का प्रबंधकर्ता के रूप में नियुक्त होकर शुरू हुई। 147 ईसा पूर्व में वह सेनापति (कॉउन्सल) गैयस्क होस्टिलियस मैन्सीनस के अफसर(क्वास्टर) के रूप में नियुक्त हुआ और अपना कार्यकाल न्यूमान्टिया (हिस्पानिया जिला) में पूरा किया। अभियान सफल नहीं हुआ और मॉन्सिनस की सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अफसर(क्वास्टर) के रूप में यह टिबेरियस ही था जिसने दुश्मन के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करके सेना को बरबाद होने से बचा लिया। इधर रोम में स्क्रिपियो ऐमिलियानुस ने टिबेरियस के इस कार्य को कायरतापूर्ण समझा और इस शांति संधि को रद्द करवाने के लिए सिनेट में कार्रवाई करवाई। यह टिबेरियस और सिनेट के बीच राजनैतिक शत्रुता की शुरूआत थी।

<u>भूमि का झगड़ा</u>

रोम की आंतरिक राजनैतिक स्थिति शांतिपूर्ण नहीं थी। पिछले 100 वर्ष में अनेक युद्ध हुए थे। चूंकि सैनिकों को एक सम्पूर्ण अभियान के लिए काम करना पड़ता था इसलिए चाहे कितना भी लम्बे समय के लिए क्यों न हो, सैनिकों को अक्सर अपने खेत पत्नियों और बच्चों के हाथ छोड़ने पड़ते थे। इन परिस्थितियों में चुंकि ये खेत दीवालिया होने की ओर तेजी से अग्रसर हो गया और उंच्च वर्ग के धनवानों द्वारा उन्हें खरीद लिया गया इसलिए, बड़ी भूमि-सम्पदाओं (लैटिफुन्डिया) का निर्माण हुआ। इसके अलावा, कुछ जमीनें इटली और दूसरे स्थानों में यानि दोनों जगह युद्ध लड़ रहे राज्यों द्वारा ले लिए जाने के कारण समाप्त हो गईं।

युद्ध समाप्त हो जाने के बाद, अधिकांश जमीनें जनता के विभिन्न सदस्यों को बेच दी जाती थी या किराए पर दे दी जाती थी। इससे बहुत सी जमीनें केवल कुछ ही किसानों को दे दी गई थी, जिनके पास तब बड़ी मात्रा में जमीनें थीं । बड़े खेतों वाले किसानों के जमीन पर कृषि कार्य गुलामों द्वारा कराए जाते थे और वे खुद काम नहीं करते थे, जबकि छोटे खेतों के किसान लोग अपनी खेती का काम खुद ही किया करते थे। जब फ़ौज(लेजियन्स) से वापस लौटे तो उनके पास कोई ठिकाना नहीं बचा था। इसलिए वे रोम में जाकर उन हजारों की भीड़ में शामिल हो गए जो शहरों में बेकार/बेघर घूमा करते थे।चूँकि केवल जिन लोगों के पास जमीन थी, वे ही सेना में जा सकते थे, इसके कारण, सेना की ड्यूटी के लिए योग्य माने जाने के लिए पर्याप्त सम्पत्ति वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही थी।

133 ईसा पूर्व में टिबेरियस लोगों का हाकिम/नेता(ट्रिब्यून) चुन लिया गया। जल्दी ही उसने बेघर सैनिकों(लोगोनियरियों) के मामले पर विधान/कानून बनाना शुरू कर दिया। *तिबेरियस ने देखा कि कितनी ही जमीन बड़ी भू-संपदाओं(लाटिफुन्डिया) में एक ही जगह थी जो कि बड़े खेतों के कब्जे में थी, जिन पर गुलाम काम करते थे। और दूसरी ओर छोटी सम्पदा थी जिसके मालिक छोटे किसान थे और खुद ही अपनी खेती करते थे।*

<u>लैक्स सेम्प्रोनिया ऐग्रेरिया –</u>

इसके विपरित, <u>टैबेरियस ने लैक्स सेम्प्रोनिया ऐग्रेरिया नामक कानूनों का प्रस्ताव किया।</u> उन्होंने यह सुझाव दिया कि सरकार को उन सार्वजनिक जमीनों को वापस दिलाना चाहिए, जिन्हें पहले राज्य द्वारा प्रारंभिक युद्धों के दौरान ले लिया गया था और वे 500 युगेरिया अर्थात लगभग 310 एकड़ (1.3 वर्गकिलोमीटर से ज्यादा) बड़े क्षेत्र में फैले थे और उन्हें पहले के जमीन कानूनों में इजाजत/अनुमति दी गई थी। इन जमीनों में से कुछ जमीनें बड़े भूस्वामियों के कब्जे में थी जिन्होंने इन्हें बहुत ही पहले के काल/समय में यानि अनेक पीढ़ियों पहले खरीदा था, उसपर बसे थे अथवा उस सम्पत्ति को किराए पर दिया हुआ था। कभी –कभी इन जमीनों को पट्टे या किराए पर दिया जाता था या प्रारंभिक बिक्री या किराया लेने के बाद दूसरे भूस्वामियों को फिर से बेच दिया जाता था।

किसी न किसी तरीके से यह 367 ईसा पूर्व में पारित किए गए लिसिनियन कानूनों को लागू करने का एक प्रयास था जिन्हें कभी रद्द भी नहीं किया गया था और न ही कभी लागू किया गया था। इससे दो समस्याओं का समाधान हो सकता था :- सेना के लिए सेवा कर लगाए

जा सकने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती थी और बेघर लेकिन युद्ध में निपूर्ण लोगों की देखभाल हो सकती थी।

सिनेट और उसके रूढ़िवादी(कंजर्वेटिव) लोग सेम्प्रोनियन ऐग्रेरियन सुधारों के घोर विरोधी थे और टिबेरियस के सुधारों को पास/पारित करने के अत्यन्त पारंपरिक तरीके का भी खासकर विरोध करते थे क्योंकि **टिबेरियस अच्छी तरह यह जानता था कि सिनेट उसके सुधारों का अनुमोदन नहीं करेगी इसलिए वह सीधे ही कान्सिलियम प्लेविस (लोकप्रिय विधानसभा) में चला गया और सीनेट की उपेक्षा की। इस विधान सभा ने इन सुधारों का पूरा समर्थन किया।** ऐसा करना वास्तव में न कानून के खिलाफ थे और न हीं परंपरा के (मौसमई ओरम) के खिलाफ थे। लेकिन यह कुछ ऐसा था कि जिससे सीनेट का अपमान होता था और यह सीनेटरों को अलग करने का खतरा भी पैदा कर दिया था जो इसका समर्थन कर सकते थे |

लेकिन सीनेट के पास एक और तरकीब थी। एक नेता(ट्रिब्यून) कोई प्रस्ताव को "नहीं" कहा अथवा रोक/वीटो का इस्तेमाल करके उसे विधानसभा में आने से रोक सकता था | इसलिए टिबेरियस को रोकने के प्रयास के रूप में सीनेट ने एक और नेता(ट्रिब्यून) ओक्टावियस का सहारा लिया ताकि वह अपने वीटो का इस्तेमाल करके विधान सभा में विधेयक प्रस्तुत न कर सके। टिबेरियस ने तब यह प्रस्ताव रखा कि एक ट्रिब्यून के रूप में औक्टावियस को तुरंत हटाया जाये क्योंकि उसने अपने लोगों के खिलाफ काम किया था । औक्टावियस डटा रहा। लोगों ने औक्टावियस को हटाने के लिए वोट देना शुरू किया लेकिन औक्टावियस ने उनकी कार्रवाईयों पर वीटो लगा दिया। टिबेरियस ने उसे विधान सभा की बैठक के स्थान से बलपूर्वक हटा दिया और उसे ठप करने के लिए वोट की कार्रवाई जारी रखी।

इन कार्रवाईयों ने औक्टावियस के पवित्र-पावन अधिकार(सेक्रोसेंकटिटी) का उल्लंघन किया और टिबेरियस के समर्थकों को चिन्ता में डाल दिया और इसलिए औक्टावियस को हटाने की कार्रवाई के बजाए टिबेरियस ने अपने रोक/वीटो का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया, जब नेताओं(ट्रिब्यूनों) से यह पूछा गया था कि क्या वे अनुमति देंगे कि मुख्य पब्लिक स्थान जैसे बाजार , मंदिर खुल जायें | इस तरह टिबेरियस सभी व्यावसायों, व्यापार और उत्पादन सहित पूरे रोम शहर को बन्द कर सका ,जब तक सीनेट और विधान सभा द्वारा कानूनों को पारित ना करे । विधानसभा ने टिबेरियस की सुरक्षा के डर से उसे उसकी सुरक्षा करते हुए घर पहुंचा दिया।

सीनेट ने टिबेरियस के कानूनों को लागू करने के लिए नियुक्त किए गए अग्रेरियन आयोग को मामूली धन दिया हालांकि, 133 ईसा पूर्व के अन्त में पेरगामम का राजा अटालूस III की मौत हो गई। टिबेरियस ने मौका देखा और तुरंत ही धन बांटने की अपनी कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए कानून को धन दे दिया। यह सीनेट की शक्ति पर सीधा प्रहार था क्योंकि यह खजाने के प्रबंधन के लिए और विदेशी मामलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए परंपरागत रूप से जिम्मेदार था। सीनेट का विरोध बढ़ता गया।

<u>टिबेरियस की मौत</u>

टिबेरियस ग्राकूस जिसने एक नेता(ट्रिब्यून) के रोक/वीटो की अनदेखी की थी, उसे अवैध समझा गया और उसके विरोधी उसके एक वर्ष के शासन के अन्त में उसपर महाभियोग लगाने

का निश्चय कर चुके थे क्योंकि उसे संविधान का उल्लंघन करने और एक नेता(ट्रिब्यून) के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया था। अपने आप को आगे बचाने के लिए टिबेरियस ग्राकुस ने 133 ईसा पूर्व में नेता(ट्रिब्यून) के रूप में पुनर्मतदान की कोशिश की और वायदा किया कि वह सैनिक शासन की अवधि कम कर देगा, केवल सिनेटर की जूरी सदस्य के रूप में कार्य करने के विशेषाधिकार को समाप्त कर देगा और देश के सहयोगियों को रोमन नागरिकता मिल सकेगी । चुनाव के दिन टिबेरियस ग्राकूस रोम के सीनेट में सशस्त्र गार्डों/रक्षकों के साथ प्रकट हुआ ।

जैसे-जैसे मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ी, दोनों पक्षों से हिंसा फूट पड़ी। टिबेरियस का भतीजा प्यूबिलियस कार्नेलियस स्कीपीयो नासका यह कहते हुए, कि टिबेरियस राजा बनना चाहता है, सीनेटरों को लेकर टिबेरियस की ओर आगे बढ़ा। निर्णायक लड़ाई में टिबेरियस मारा गया। उसके कई सौ समर्थक जो सीनेट के बाहर इंतजार कर रहे थे, उसके साथ ही मारे गए या दफन हो गऐ। प्लूटार्च कहता है कि “टिबेरियस की सीनेट में हुई मौत अचानक और कम समय में हो गई हालांकि वह सशस्त्र था फिर भी उस दिन अनेक सीनेटरों के सामने ये हथियार उसके काम न आए।”

<u>टिबेरियस ग्राकूस का विरोध</u>

टिबेरियस का विरोध तीन लोगों ने किया : मारकस ऑक्टावियस, सीपीयो नासिका और सीपीयो ऐमिलियानुस । ऑक्टावियस ने टिबेरियस का विरोध इसलिए किया कि टिबेरियस ने उसे लेक्स सेम्प्रोनिया अग्रेरिया पर रोक/विटो लगाने नहीं दिया। इसने ऑक्टावियस का विरोध किया जिसने तब सीपीयो नासिका और सीपीयो ऐमिलियानस के साथ मिलकर टिबेरियस की हत्या करने का षड़यंत्र किया। नासिको को इससे लाभ होता क्योंकि टिबेरियस ने एक ऐसी जगह से कुछ जमीन खरीदी थी जो नासिका खरीदना चाहता था। इसके कारण नासिका को 500 *सेसटेर्स(रोम साम्राज्य के चांदी के सिक्के)* का नुकसान हुआ। नासिका अक्सर इस मामले को सीनेट में उठाकर टिबेरियस का मजाक उड़ाया करता था। ऐमिलियानुस ने टिबेरियस ग्राकूस का विरोध किया क्योंकि टिबेरियस ने उसे राजी किया था कि वह उसकी बहन सेम्प्रोनिया से शादी कर ले । यह शादी असफल हो गई और अलगाव के समझौते में ऐमिलियानुस को काफी ज्यादा लागत देनी पड़ी। ऐमिलियानुस भी कड़वाहट से भर गया क्योंकि टिबेरियस लोगों के बीच बेहतर भाषण दिया करता था जिससे अक्सर अमेलियानुस को सिनेट में शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता था।

<u>इसके प्रभाव / परिणाम</u>

सिनेट ने तब ग्राकसन कानूनों को लागू कराने के लिए परामर्श करके प्लेबियन्स को शांत कराने का कार्य किया। अगले दशक में नागरिकों के पंजीकरण में वृद्धि से भूमि आवंटन की बड़ी संख्या का संकेत मिलता है। हालांकि ऐग्रेरियन आयोग को अनेक कठिनाईयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। टिबेरियस का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई गाइयस था जो एक दशक के

बाद और भी ज्यादा क्रांतिकारी विधान/कानून लागू करने की कोशिश में टिबेरियस के ही भाग्य का साझेदार बना यानि उसकी तरह का ही भाग्य पाया।

गाईयस ग्राकूस

(विकिपेडिया से, नि:शुल्क इनसाइक्लोपिडिया देखें)

प्रारंभिक जीवन

गाईयस का जन्म 154 ईसा पूर्व में हुआ था, वह टिबेरियस सेम्प्रोनियस ग्राकूस (टिबेरियस ग्राकूस मेजर, जिसकी मौत उसी वर्ष हो गई थी) और कार्नेलिया अफ्रिकाना का बेटा था और टिबेरियस सेम्प्रोनियस ग्राकूस का भाई था। ग्राकची महान खनदान से थे और वह खानदान रोम के राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण परिवारों में से एक था जो कि बहुत ही अमीर और अच्छी पहुंच वाले थे । उसकी मां कार्नेलिया अफ्रिकाना, सीपीयो अफ्रिकनस मेजर की बेटी थी और उसकी बहन सेम्प्रोनिया सीपीयो ऐमिलियानस, जो कि एक और महत्वपूर्ण जनरल था, की पत्नी थी। गाईयस का पालन-पोसन उसकी मां, जो कि उंची नैतिक स्तर और भाग्य वाली थी, के द्वारा हुआ था। सेना में गाईयस का कैरियर/नौकरी न्यूमान्तिया में अपने साले सीपीयो आमेलियानस के स्टाफ में भर्ती सेना अफसर के रूप में शुरू हुआ। अपनी जवानी में ही उसने अपने बड़े भाई टिबेरियस ग्रकूस द्वारा किए गए राजनीतिक उथल-पुथल को ध्यान से देखा था जब उसने ऐग्रेरियन सुधारों के लिए कानून लागू करने की कोशिश की थी। टिबेरियस 133 ईसा पूर्व में कैपिटोल के निकट मारा गया था जब वह अपने चचेरे भाई प्यूब्लियस कोर्नेलियस सीपीयो नासिका के नेतृत्व में राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों से सशस्त्र युद्ध करता हुआ मारा गया था। इस मौत के साथ ही, गाईयस ने ग्राकूस परिवार की सम्पदा को विरासत में मिल गयी | इतिहास यह साबित करता कि उसने अपने भाई के आदर्शों को भी विरासत में मिला था।

अफसरी(क्वास्टरशिप) और पहला नेता का पद(ट्रिब्यूनेट)

गाईयस अपने भाई और ऐपियस क्लॉडियस के साथ ऐग्रेरियन आयोग में रहा था। गाईयस ने अपना राजनैतिक जीवन/कैरियर 126 ईसा पूर्व में सारडिनिया में ल्यूसियस ऑरेलियस ऑरेस्ट के राजनयिक के अफसर(क्वास्टर) के रूप में शुरू किया। रोम में कुछ वर्षों की राजनीतिक शांति के बाद, 123 ईसा पूर्व में, गाईयस, लोगों का नेता(ट्रिब्यून) चुना गया जैसा कि उससे पहले उसके परिवार के हर सदस्य पहले ही चुन लिए गए थे। रूदिवादियों(केजरवेटिवों) ने पहले ही महसूस कर लिया कि उनको उससे कुछ कठिनाईयां हो सकती हैं। गाईनियस के विचार टिबेरियस के ही समान थे, लेकिन उसके पास अपने भाई की गलतियों से सीखने का मौका/समय था। उसके कार्यक्रमों में न केवल ऐग्रेरियन कानून ही शामिल थे, जिसके कारण यह शुरू हुआ कि अमीरों द्वारा गैरकानूनी रूप से अधिग्रहित की गई जमीन गरीबों में बांटी जानी चाहिए, बल्कि ऐसे भी कानून थे जिसने अनाज के मूल्यों को निश्चित कर दिया। उसने भी यह कोशिश की कि किसी व्यक्ति द्वारा सेना में अनिवार्य रूप से की जाने वाली सेवा और अभियान के वर्ष सीमित किए जाएं। अन्य उपायों में वसूली कोर्ट में सुधार ,एक कानून द्वारा ,करना

शामिल था। इस कोर्ट में सीनेट के सदस्यों द्वारा धन के गैरकानूनी अनियमितताओं के लिए मुकद्दमा चलाया जाता था और जूरी का गठन केवल सीनटरों द्वारा होता था जिसे दोषी सेनेट के सदस्य और जूरी के सदस्यों में सांठ-गाँठ हो जाती थी । **उसके(गाईनियस) कानून ने ये बदलाव लाया कि जूरी-ड्राफ्ट पूल में आम लोगों को शामिल करने की इजाजत दे दी ।** उसने अनेक इटलीवासियों और संबंद्ध राष्ट्रों को रोम की नागरिकता के देने का भी प्रस्ताव किया। इन सभी कार्रवाईयों ने सीनेटरों को नाराज कर दिया।

दूसरा नेता का पद(ट्रिब्यूनेट) और मौत

122 ईसा पूर्व में, गाईयस ने लोगों के नेता(ट्रिब्यून) के रूप में एक और अवधि के लिए पाया और रोम के निम्नवर्गों के असंख्य/जोरदार समर्थन से सफल भी रहा। इस वर्ष के दौरान, उसने अपने सुधार कार्य करना और सीनेट के बढ़ते विरोध से निपटना जारी रखा। गाईयस ने मार्कस फ्युलवियस फ्लॉकूस को अपने सहयोगी और भागीदार के रूप में रखकर तीसरी बार शासन चलाना चाहा लेकिन वे हार गए और नए कंजरवेटिव/रूढ़िवादी राजदूतों, क्विंटस फाबियस माक्सिमस और ल्यूसियस ओपिमियस द्वारा अपने लागू किए गए सभी कानूनों को हटते देखने के सिवाय और कुछ न कर सके। अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों की हानि को रोकने के लिए गाईयस और फ्यूलवियस फ्लाकूस ने हिंसक तरीकों का सहारा लिया। सीनेट ने उन्हें गणतंत्र के दुश्मन के रूप में बदनाम/चित्रित किया और उन्हें आखिरकार भागना पड़ा था। फ्लूवियस फ्लाकूस और उसके बेटों की हत्या कर दी गई लेकिन गाईयस अपने विश्वस्त गुलाम, फिलोक्रेट्स के साथ बच निकलने में कामयाब रहा। बाद में, शायद उसने फिलोक्रैट्स को आदेश दिया कि वह उसे मार डाले। उसके मरने के बाद लगभग 3000 वैसे लोगों को भी मार दिया गया था और सम्पदाएं जब्त कर ली गई थी, जिन लोगों पर उसका समर्थन करने का शक था। प्लुतार्श की *लाइव्स ऑफ नोबल ग्रीक्स एण्ड रोमन्स(पुस्तक)* के अनुसार, गाईयस ग्राकूस, फिलोक्रैट्स द्वारा मारा गया था, जिसने खुद भी बाद में आत्महत्या कर ली थी। ग्राक्शू के एक शत्रु ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और सर को सेप्टिम्यूलियस (ओपीमियस का एक ग्राहक) द्वारा ले लिया गया जिसने, ऐसा कहा जाता है कि, खोपड़ी को तोड़कर खोल दिया और इसमें पिघला हुआ शीशा भर दिया जिसे फिर ओपिमियस के पास ले जाया गया। इसे तराजू में तौला गया और यह 17 पाउन्ड का निकला। इसलिए ओपीमियस ने इतने ही वजन का सोना सेप्टीमुलियस को दिया जैसा कि उसने वायदा किया था।

दूसरे शब्दों में, इन विशिष्ट वर्गों/ऊंचे लोगों और बुद्धिजीवियों ने मानवाधिकारों और आजादी के बारे में बहुत शोर मचाया लेकिन वे सभी जानते थे कि खदान रॉयल्टी और जमीन किराया के बिना उनकी तथाकथित "गुणों/खूबियों" का कोई उपयोग नहीं है। और वे उसी दिन आम आदमी की तरह बन जाएंगे जिस दिन बैंकों , खदानों, भारत सरकार के प्लॉटों आदि तक उनकी पक्षपातपूर्ण पहुंच खत्म हो जाएगी। इसलिए शायद वे `प्रजा अधीन समूह` द्वारा प्रस्तावित प्रथम सरकारी अधिसूचना(आदेश)(चैप्टर 1 देखें) की मांग करने वालों के खिलाफ पूरी हिंसा का सहारा ले सकते हैं क्योंकि उन्हें यह समझ आ जाएगा कि पहला सरकारी आदेश ही

दूसरे सरकारी आदेश का रास्ता खोल देगा जो जमीन किराया और खनिज रोयल्टी (आमदनी) से संबंधित है और वो पास हो जायेगा और आम लोगों को उनका ये हक वाला पैसा मिल जायेगा ।

रोम में 2000 वर्ष पहले ठीक यही हुआ था। ऐसा इतिहास में सैंकड़ो बार हो चुका है। इसलिए **व्यावहारिक रूप से कहा जाए तो इस बात की संभावना है कि भारतीय विशिष्ट/उच्च लोग और बुद्विजीवी कानूनी शक्तियों का प्रयोग करके सैनिकों और पुलिसकर्मियों से कहेंगे कि वे इन गैर 80 – जी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दें जो `प्रजा अधीन-रजा समूह` द्वारा प्रस्तावित प्रथम सरकारी अधिसूचना(आदेश) की मांग कर रहे हैं।**

यदि ऐसा होता है तो गैर 80-जी कार्यकर्ताओं के पास ताकत से उलटा प्रहार करने के अलावा और कोई रास्ता/विकल्प नहीं बचेगा। (भारत में) 15 लाख पुलिसकर्मी और 10 लाख सैनिक हैं। एक ऐसी ताकत का निर्माण करने के लिए, जो पुलिस और सैनिकों के बीच के स्तर के अफसर(प्रबंधन) को गैर 80 – जी कार्यकर्ताओं और प्रथम सरकारी आदेशों की मांग करने वाले आम लोगों की हत्या नहीं करने का निर्णय करने से रोक सके, कम से कम 25 लाख हथियारों से लैस(सशस्त्र), ट्रेनिंग लिए हुए(प्रशिक्षित) आम नागरिकों की जरूरत होगी। यही कारण है कि मैं जोर देता हूँ कि प्रत्येक 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)'-रिकॉल सदस्य को चाहिए कि वे जितनी अधिक संख्या में संभव हो, आम युवाओं को बंदूकों का ट्रेनिंग/शिक्षा दे।

50.1. 3 <u>परिस्थिति 2 (क) : पहले,दूसरे सरकारी आदेश की मांग कर रहे आम आदमियों को मौत के घाट उतारने का सैनिकों और पुलिसकर्मियों का फैसला</u>

सेना के 35,000 अधिकारियों में से, 33,000 से ज्यादा अधिकारी, भ्रष्ट नहीं हैं और उनकी राजनीतिक मांगों को पूरा करने के लिए साधारण गैर-अलगाववादी आम लोगों को जान से मारने के लिए सैनिकों को आदेश देने के भयंकर परिणाम को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन तब, सैनिकों को आदेश मानने का ट्रेनिंग/शिक्षा दी जाती है और मैं उनसे यह आशा नहीं करूंगा और यह चाहूंगा भी नहीं कि वे प्रधानमंत्री के आदेशों की अवहेलना/अनदेखी करें। इसलिए यदि प्रथम ' प्रजा अधीन-राजा समूह` सरकारी अधिसूचना(आदेश) की मांग कर रहे गैर - 80 – जी कार्यकर्ताओं की हत्या का आदेश प्रधानमंत्री सैनिकों को दे देते हैं तो इसके परिणाम अराजकता फैलाने वाले होंगे।

50.1.4 <u>परिस्थिति – 2 ख : सैनिकों के शीर्ष(सबसे ऊंचे पद वाले)/मध्य स्तर के अफसर विशिष्ट वर्ग(ऊंचे लोगों) को राजी कर लें कि वे आम आदमियों की हत्या न करवाएं</u>

भारतीय सेना की मध्य प्रबंधन अधिकतर भ्रष्ट नहीं है और इसमें प्रतिबद्ध/कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं जो यह पक्का/सुनिश्चित करने में दिलचस्पी रखते हैं कि भारत किसी विदेशी ताकत का गुलाम न बने, जैसा कि नेपाल बन गया है। इसलिए वे शायद मंत्रियों को आश्वस्त करने में सफल हो जाएं कि वे मंत्री आम लोगों और गैर - 80- जी कार्यकर्ताओं की हत्या करने का आदेश न दें और हम लोगों द्वारा मांग की जा रही पहली सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर करके तीसरी (अधिसूचना(आदेश)) की मांग स्वीकार कर लें। यही वह मांग है जिसकी आशा मैं कर रहा हूँ। मैं सच्चे मन से यह आशा करता हूँ कि सैन्य अधिकारी मंत्रियों,

बुद्धिजीवियों और विशिष्ट वर्गों/ऊंचे लोगों को मनाने में सफल रहेंगे कि वे भारत पर पुलिस राज/सैनिक शासन न थोपें। हालांकि, यदि भारतीय विशिष्ट/उच्च लोग, मंत्री आदि सेना के बीच के स्तर के अफसर(मध्य प्रबंधन) की बातों को अनसुनी कर देते हैं और भारत में सैनिक राज/पुलिस शासन थोप देते हैं तो भारत एक और नेपाल बन जाएगा और उससे भी बुरी स्थिति कि एक और पाकिस्तान बन जाएगा और छोटे-छोटे बांग्लादेश की तरह के कई इलाके चारों ओर उभरने लगेंगे। इन नए राज्यों में से अधिकांश अमेरिका/इंग्लैण्ड के प्रति भक्ति दिखलाएंगे और भारत फिर से वर्ष 1757 की स्थिति में पहुंच जाएगा।

अब निर्णय भारतीय विशिष्ट/उच्च लोगों को ही करना है। उनके निर्णय ही भारत का भविष्य तय करेंगे।

अध्याय 51 - सूची (लिस्ट) 1 : `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्तावों से हम आम नागरिकों को मिलने वाली शक्तियों / अधिकारों की सूची (लिस्ट)

[वर्तमान में, भारत के हम आम लोग को केवल तीन ही शक्तियां दी गई हैं: पंचायत सदस्यों, विधायकों, सांसदों के चुनावों में मतदान करने का अधिकार। कोई और विशेष शक्तियां हमें नहीं मिली हैं। **सुझाई गई प्रशासनिक प्रक्रियाएं आम लोगों को दर्जनों विस्तृत/स्पष्ट/निश्चित शक्तियां प्रदान करेगी,** जिनमें से कुछ नीचे दी गई हैं]

‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम)’ से हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)

1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ क्लॉज/खण्ड 1 : यदि कोई नागरिक चाहे तो अपनी शिकायत प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल सकता है।
2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ क्लॉज/खण्ड 2: यदि कोई नागरिक चाहे तो प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाली गई शिकायत में अपना नाम जोड़ सकता है।

‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’ क़ानून-ड्राफ्टों से हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)

3. नागरिक भारत सरकार के सभी प्लाटों से जमीन किराया सीधे ही प्राप्त करेंगे।
4. नागरिक खनिज रॉयल्टी सीधे ही प्राप्त करेंगे।
5. नागरिक राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी को बदल सकते हैं।

प्रजा अधीन राजा / राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून के प्रथम चार क़ानून-ड्राफ्टों से हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)

6. नागरिक बिना पांच वर्ष इंतजार किए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को बदल सकते हैं।
7. नागरिक किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, हाई कोर्ट के चीफ जज को बदल सकते हैं।
8 नागरिक किसी भी दिन भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख को बदल सकते हैं।
9. नागरिक किसी भी दिन जिला पुलिस प्रमुख को बदल सकते हैं।

आरक्षण के संबंध में हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछडे वर्ग के किसी भी व्यक्ति को आरक्षण के बदले 600 रूपए प्रति वर्ष प्राप्त करने का विकल्प/`चुनाव की छूट` होगा।

प्रजा अधीन राजा/राईट टू रिकाल (भ्रष्ट को बदलने का अधिकार) कानून के विभिन्न कानून-ड्राफ्टों से हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)

11. प्रजा अधीन – जिला कोर्ट के प्रिंसिपल/मुख्य जज
12. प्रजा अधीन – चार वरिष्ठे/बड़े सुप्रीम कोर्ट जज
13. प्रजा अधीन – चार वरिष्ठे/बड़े हाई कोर्ट जज
14. प्रजा अधीन – चार वरिष्ठे/बड़े जिला कोर्ट जज
15. प्रजा अधीन – भारत का जूरी प्रशासक
16. प्रजा अधीन – राज्य जूरी प्रशासक
17. प्रजा अधीन – जिला जूरी प्रशासक
18. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी
19. प्रजा अधीन – राज्य भूमि किराया अधिकारी
20. प्रजा अधीन – सांसद
21. प्रजा अधीन – विधायक
22. प्रजा अधीन – कॉरपोरेटर, जिला पंचायत सदस्य
23. प्रजा अधीन – तहसील पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य
24. प्रजा अधीन – मेयर, प्रजा अधीन – जिला पंचायत सरपंच
25. प्रजा अधीन – तहसील पंचायत सरपंच
26. प्रजा अधीन – ग्राम पंचायत सरपंच
27. प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
28. प्रजा अधीन – चीफ स्टेट एकाउन्टेन्ट/मुख्य राज्य लेखाकार(मुनीम)
29. प्रजा अधीन – चीफ डिस्ट्रिक्ट एकाउन्टेन्ट/मुख्य जिला लेखाकार(मुनीम)
30. प्रजा अधीन – भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष
31. प्रजा अधीन – भारत के सॉलिसिटर जेनरल(भारत की सरकार की तरफ से अदालतों में स्वयं या सहायक द्वारा हाजिर होने वाला वकील ; सरकारी न्यायिक एजेंट) (महा न्यायाभिकर्ता)
32. प्रजा अधीन – भारत के ऐटार्नी जनरल(भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार)(महान्यायवादी)
33. प्रजा अधीन – राज्य सॉलिसिटर जेनरल
34. प्रजा अधीन – राज्य ऐटार्नी जनरल
35. प्रजा अधीन – जिला प्रमुख लोक/जन दण्डाधिकारी(जनता का फर्यादी)
36. प्रजा अधीन – जिला सिविल प्लीडर/वकील(न्यायालय आदि में नागरिकों के पक्ष का समर्थन करनेवाला)(नागरिक अधिवक्ता)
37. प्रजा अधीन – भारतीय चिकित्सा परिषद(इलाज सभा) के अध्यक्ष
38. प्रजा अधीन – राज्य चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष
39. प्रजा अधीन – भारत के गृह मंत्री
40. प्रजा अधीन – सी.बी.आई. के निदेशक/डाइरेक्टर
41. प्रजा अधीन – राज्य गृह मंत्री
42. प्रजा अधीन – सी.आई.डी. के निदेशक/डाइरेक्टर
43. प्रजा अधीन – जिला पुलिस कमिश्नर

44. प्रजा अधीन – भारत के वित्त-मंत्री
45. प्रजा अधीन – राज्य वित्त-मंत्री
46. प्रजा अधीन – भारत के शिक्षा मंत्री
47. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक अधिकारी
48. प्रजा अधीन – राज्य के शिक्षा मंत्री
49. प्रजा अधीन – राज्य पाठ्य पुस्तक अधिकारी
50. प्रजा अधीन – जिला शिक्षा अधिकारी
51. प्रजा अधीन – भारत के स्वास्थ्य मंत्री
52. प्रजा अधीन – राज्य स्वास्थ्य मंत्री
53. प्रजा अधीन – जिला स्वास्थ्य अधिकारी
54. प्रजा अधीन – यू.जी.सी.(विश्वविद्यालय अनु-दान आयोग/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) (बड़े कालेज के लिए विशेष दान अरने वाली समिति)के अध्यक्ष
55. प्रजा अधीन – विश्वविद्यालय उप-कुलपति(बड़ा कालेज का उप-राष्ट्रपति)
56. प्रजा अधीन – वार्ड स्कूल के प्रिंसिपल(कालेज का अध्यक्ष)
57. प्रजा अधीन – भारत के कृषि मंत्री
58. प्रजा अधीन – राज्य कृषि मंत्री
59. प्रजा अधीन – भारत के नागरिक राशन(आपूर्ति) मंत्री
60. प्रजा अधीन – राज्य नागरिक राशन(आपूर्ति) अधिकारी
61. प्रजा अधीन – राज्य नागरिक राशन(आपूर्ति) मंत्री
62. प्रजा अधीन – जिला राशन(आपूर्ति) अधिकारी
63. प्रजा अधीन – भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक/ कम्पट्रोलर आडिटर जनरल(भारत-सरकार के हिसाब-किताब को रखने व जाँच करने वाले)
64. प्रजा अधीन – राज्य प्रमुख निरीक्षक
65. प्रजा अधीन – प्रमुख लेखा परीक्षक/ऑडिटर/प्रमुख हिसाब-किताब रखने वाला
66. प्रजा अधीन – नगर निगम आयुक्त/कमिश्नर, प्रजा अधीन – प्रमुख अधिकारी
67. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय बिजली(विद्युत) मंत्री
68. प्रजा अधीन – राज्य बिजली(विद्युत) मंत्री
69. प्रजा अधीन – जिला बिजली सप्लाई(ऊर्जा आपूर्ति) अधिकारी
70. प्रजा अधीन – केन्द्रीय प्रत्यक्ष(सीधा/खुला) कर(टैक्स) बोर्ड के अध्यक्ष
71. प्रजा अधीन – केन्द्रीय अप्रत्यक्ष(छुपा हुआ) कर बोर्ड के अध्यक्ष
72. प्रजा अधीन – राज्य कर इकट्ठा करने वाला/वसूली(संग्रहण) अधिकारी
73. प्रजा अधीन – जिला कराधन/टैक्सेशन अधिकारी
74. प्रजा अधीन – रेल मंत्री
75. प्रजा अधीन – राज्य ढुलाई/यातायात/परिवहन मंत्री
76. प्रजा अधीन – जिला ढुलाई/परिवहन अधिकारी
77. प्रजा अधीन – ट्राई/दूरसंचार नियामक (टेलीफ़ोन प्रबंध करने वाला) के अध्यक्ष
78. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय विद्युत नियामक(बिजली प्रबंध करने वाला)

79. प्रजा अधीन – राज्य विद्युत नियामक (बिजली प्रबंध करने वाला)
80. प्रजा अधीन – केन्द्रीय दूरसंचार(टेलीफ़ोन) मंत्री
81. प्रजा अधीन – जिला दूरसंचार(टेलीफ़ोन) मंत्री
82. प्रजा अधीन – जिला दूरसंचार(टेलीफ़ोन) केबल अधिकारी
83. प्रजा अधीन – जिला जलापूर्ति(पानी सप्लाई) अधिकारी
84. प्रजा अधीन – केन्द्रीय चुनाव कमिश्नर(आयुक्त)
85. प्रजा अधीन – राज्य चुनाव कमिश्नर(आयुक्त)
86. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय पेट्रालियम मंत्री
87. प्रजा अधीन – जिला पेट्रोलियम मंत्री
88. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय कोयला मंत्री
89. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय खनिज/खान मंत्री
90. प्रजा अधीन – राज्य कोयला मंत्री
91. प्रजा अधीन – राज्य खनिज/खान मंत्री
92. प्रजा अधीन – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(पुरानी,इतिहास की चीजों/वस्तुओं की जांच) के अध्यक्ष
93. प्रजा अधीन – राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण(पुरानी,इतिहास की चीजों/वस्तुओं की जांच) के अध्यक्ष
94. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय इतिहास परिषद्(सभा) के अध्यक्ष
95. प्रजा अधीन – राज्य इतिहास परिषद्(सभा) के अध्यक्ष
96. प्रजा अधीन – संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (यू.पी.एस.सी) (भारत के नागरिक सेवा के नौकरी के लिए परीक्षा का प्रबंध करने के लिए जनसमूह/समिति)
97. प्रजा अधीन – राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (भारत के नागरिक सेवा के नौकरी के लिए परीक्षा का प्रबंध करने के लिए जनसमूह/समिति)
98. प्रजा अधीन – केन्द्रीय सरकार भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष
99. प्रजा अधीन – राज्य सरकार भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष
100. प्रजा अधीन – जिला भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष
101. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय महिला आयोग(सरकारी संस्था/कमीशन) की अध्यक्ष (महिला मतदातागण उन्हें बदल सकती हैं)
102. प्रजा अधीन – राज्य महिला आयोग (सरकारी संस्था) की अध्यक्ष
103. प्रजा अधीन – जिला महिला आयोग (सरकारी संस्था) की अध्यक्ष
104. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय दलित अत्याचार रोकथाम (निवारण) आयोग (सरकारी संस्था) के अध्यक्ष (दलित मतदातागण उन्हें बदल सकते हैं)
105. प्रजा अधीन – राज्य दलित अत्याचार रोकथाम (निवारण) आयोग (सरकारी संस्था) के अध्यक्ष
106. प्रजा अधीन – जिला दलित अत्याचार रोकथाम (निवारण) आयोग (सरकारी संस्था) के अध्यक्ष

107. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय धर्मार्थ आयोग के कमिश्नर/अध्यक्ष (जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारी संस्था)
108. प्रजा अधीन – राज्य धर्मार्थ आयोग के कमिश्नर/अध्यक्ष (जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारी संस्था)
109. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय बार काउन्सिल के अध्यक्ष (वकीलों की संचालन/प्रबंध करने वाली संस्था)
110. प्रजा अधीन – राज्य बार काउन्सिल के अध्यक्ष (वकीलों की संचालन/प्रबंध करने वाली संस्था)
111. प्रजा अधीन – जिला बार काउन्सिल के अध्यक्ष (वकीलों की संचालन/प्रबंध करने वाली संस्था)
112. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय लोकपाल के अध्यक्ष
113. प्रजा अधीन – राज्य लोकपाल के अध्यक्ष
114. प्रजा अधीन – जिला लोकपाल के अध्यक्ष
115. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय सूचना कमिश्नर/आयुक्त
116. प्रजा अधीन – राज्य सूचना कमिश्नर/आयुक्त
117. प्रजा अधीन – जिला सूचना कमिश्नर/आयुक्त
118. प्रजा अधीन – राज्य मिलावट रोकथाम(अपमिश्रण निवारण) अधिकारी
119. प्रजा अधीन – जिला मिलावट रोकथाम(अपमिश्रण निवारण) अधिकारी
120. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय समाचारपत्र के संपादक
121. प्रजा अधीन – राज्य समाचारपत्र के संपादक
122. प्रजा अधीन – जिला समाचारपत्र के संपादक
123. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय महिला समाचारपत्र के संपादक (महिला मतदाताओं द्वारा बदले जा सकते हैं)
124. प्रजा अधीन – राज्य महिला समाचारपत्र के संपादक (महिला मतदाताओं द्वारा बदले जा सकते हैं)
125. प्रजा अधीन – जिला महिला समाचारपत्र के संपादक (महिला मतदाताओं द्वारा बदले जा सकते हैं)
126. प्रजा अधीन – दूरदर्शन के अध्यक्ष
127. प्रजा अधीन – राज्य दूरदर्शन के अध्यक्ष
128. प्रजा अधीन – जिला चैनल के अध्यक्ष
129. प्रजा अधीन – आकाशवाणी के अध्यक्ष
130. प्रजा अधीन – राज्य रेडियो चैनल के अध्यक्ष
131. प्रजा अधीन – जिला रेडियो चैनल के अध्यक्ष
132. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय पहचानपत्र प्रणाली(सिस्टम) के अध्यक्ष
133. प्रजा अधीन – राज्य पहचानपत्र प्रणाली(सिस्टम) के अध्यक्ष
134. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय जमीन/भूमि रिकॉर्ड प्रणाली(सिस्टम) के अध्यक्ष
135. प्रजा अधीन – राज्य जमीन/भूमि रिकॉर्ड प्रणाली(सिस्टम) के अध्यक्ष

136. प्रजा अधीन – जिला जमीन/भूमि रिकॉर्ड प्रणाली(सिस्टम) के अध्यक्ष
137. प्रजा अधीन – लोकसभा के अध्यक्ष
138. प्रजा अधीन – राज्यसभा के अध्यक्ष
139. प्रजा अधीन – विधानसभा के अध्यक्ष
140. प्रजा अधीन – विधानपरिषद् के अध्यक्ष
141. प्रजा अधीन – जिला पंचायत, नगर परिषद(सभा) के स्पीकर/अध्यक्ष
142. प्रजा अधीन – तहसील पंचायत के स्पीकर/अध्यक्ष
143. प्रजा अधीन – `तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग(ओ.एन.जी.सी)` के अध्यक्ष
144. प्रजा अधीन – `हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड(एच.पी.सी.एल)` के अध्यक्ष
145. प्रजा अधीन – राज्य पेट्रोल कंपनी के अध्यक्ष

यह सूची(लिस्ट) 10 अगस्त, 2010 की तिथि के अनुसार है। यह सूची(लिस्ट) केवल बढ़ती ही है घटती नहीं।

<u>ऊंचे पद पर बैठे लोगों का भ्रष्टाचार कम करने के लिए हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)</u>

146. प्रजा अधीन – उंच्च पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति/अधिकारी
147. बहुमत(आबादी) के मतदान द्वारा अर्थदण्ड/जुर्माना
148. बहुमत(आबादी) के मतदान द्वारा जेल/कैद की सजा
149. **बहुमत(आबादी) के मतदान द्वारा फांसी की सजा**

<u>पानी से संबंधित प्रस्तावों से हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)</u>

150. ई.ए.एस. .01 : नागरिकगण भूजल के लिए वाटर गार्ड बदल सकते हैं **अफसर को बदलने की प्रक्रियाओं** द्वारा (जो अध्याय 9 में दिए प्रजा अधीन-रिसर्व बैंक गवर्नर के सामान होगा)
151. ई.ए.एस. .01 : कोई नागरिक अपने पानी भत्ते को किसी बोरिंग-मालिक को दे(आवंटित कर) सकता है
152. नागरिकगण डैम/नदी/तालाब के पानी के लिए वाटर गार्ड बदल सकते हैं
153. कोई नागरिक अपनी पानी भत्ता खरीददार के प्राप्तकर्ता को बदल सकता है

<u>कोर्ट / न्यायालय से संबंधित `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्तावों से हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)</u>

154. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज
155. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के मुख्य जज
156. प्रजा अधीन – जिला कोर्ट के प्रमुख जज
157. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठे/बड़े जज
158. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के चार बड़े/वरिष्ठे जज
159. प्रजा अधीन – जिला कोर्ट के चार बड़े/वरिष्ठे जज

160. निचली अदालतों में जूरी प्रणाली(सिस्टम)
161. हाई कोर्ट में जूरी प्रणाली(सिस्टम)
162. सुप्रीम कोर्ट में जूरी प्रणाली(सिस्टम)
163. छात्रगण कक्षा 6 से कानून की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे
164. सभी वरिष्ठे/बड़े नागरिकों के लिए कानून की नि:शुल्क शिक्षा

पुलिस से संबंधित `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्तावों से हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)

165. प्रजा अधीन – जिला पुलिस प्रमुख
166. नागरिकगण पुलिसकर्मी पर जूरी सुनवाई का प्रयोग करके कनिष्ठ/छोटे पुलिसकर्मियों को हटा/बर्खास्त कर सकते हैं

बैंक से संबंधित `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्तावों से हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)

167. प्रजा अधीन – रिजर्व बैंक के गवर्नर
168. प्रजा अधीन – भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष
169. भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक के बैंक कर्मचारियों पर जूरी सुनवाई
170. रूपए की मात्रा केवल नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति के बाद ही बढ़ाई जाएगी

टैक्स / कर लगाने से संबंधित `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्तावों से हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)

171. प्रजा अधीन – प्रत्यक्ष-कर(खुला टैक्स) बोर्ड के अध्यक्ष
172. प्रजा अधीन – अप्रत्यक्ष-कर(छुपा हुआ टैक्स) बोर्ड के अध्यक्ष
173. नागरिकगण टैक्स/कर अधिकारियों पर जूरी सुनवाई का प्रयोग करके उन्हें हटा/बर्खास्त कर सकते हैं

शिक्षा से संबंधित `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्तावों से हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)

174. प्रजा अधीन – शिक्षा मंत्री
175. प्रजा अधीन – जिला शिक्षा अधिकारी
176. प्रजा अधीन – स्कूल के प्रधानाचार्य/ प्रिंसिपल(कालेज का अध्यक्ष)
177. जूरी सुनवाई का प्रयोग करके स्कूल शिक्षकों को हटाना/बर्खास्त करना

चुनाव सुधारों से संबंधित `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के प्रस्तावों से हम आम लोगों को मिलने वाली शक्तियों की सूची (लिस्ट)

178. नागरिकगण आई.आर.वी. अर्थात तत्काल निर्णायक मतदान (यानि अधिक पसंद और कम पसंद बताने के लिए मतदान) में एक से ज्यादा मत/वोट देने में समर्थ होंगे यानि इसके पात्र होंगे

अध्याय 52 - सूची (लिस्ट) 2 : समस्याएं और `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` के वे प्रस्ताव जो इन समस्याओं को सुलझा देंगे

संख्या	समस्या	कौन सा प्रस्तावित प्रारूप/ड्राफ्ट समस्या को कम करेगा
गरीबी से जुड़ी समस्याएं		
1.	गरीबी	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' 4. सम्पत्ति-कर 5. विरासत-कर
2.	बुजुर्गों/वृद्धों के लिए पेंशन	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)'
3.	स्वच्छ पेयजल/पीने के साफ पानी की आपूर्ति/सप्लाई की कमी	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. जल पर समान/बराबर भत्ता प्रणाली(सिस्टम)
4.	घटिया/उच्च लागत (वाली) प्राथमिक(शुरू की) शिक्षा	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – जिला शिक्षा मंत्री 4. प्रजा अधीन – जिला शिक्षा अधिकारी
5.	घटिया/उच्च लागत (वाली) उच्चतर/उच्च स्कूली शिक्षा	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – जिला शिक्षा मंत्री 4. प्रजा अधीन – जिला शिक्षा अधिकारी
6.	स्वास्थ्य – उच्च लागत	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन

	(वाली) और घटिया स्तर की कॉलेज शिक्षा	2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3 प्रजा अधीन – राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री 4. प्रजा अधीन – राज्य शिक्षा मंत्री 5. प्रजा अधीन – यू.जी.सी. अध्यक्ष.(विश्वविद्यालय अनु-दान आयोग/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) (बड़े कालेज के लिए विशेष दान अरने वाली समिति) 6. प्रजा अधीन – विश्वविद्यालय उप-कुलपति (बड़ा कालेज का उप-राष्ट्रपति) 7. छात्रों को सीधे ही छात्रवृत्ति/स्कॉलरशिप
7.	एड्स महामारी	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' 4. जूरी प्रणाली(सिस्टम)
8.	घटिया/खराब पोषण/खाना-पीना	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)'
9.	घटिया घर (गृहनिर्माण)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' 4. सम्पत्ति-कर कानून 5. विरासत-कर
10.	भगवान की सम्पत्ति की चोरी	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' 4. प्रजा अधीन-मुख्यमंत्री 5. प्रजा अधीन-पोलिस कमिश्नर
11.	चोरी की गई भगवान की	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन

	सम्पत्ति को चोरी न समझना	2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
12.	जनसंख्या वृद्धि/विकास	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’
क़ानून-व्यवस्था सम्बंधित समस्याएं		
13.	चोरी, फिरौती, खुला संगठित अपराध	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’ 4. प्रजा अधीन – पुलिस आयुक्त/कमिश्नर 5. प्रजा अधीन – जज 6. जूरी प्रणाली(सिस्टम) **7. (नागरिकों के) बहुमत के मतदान/फैसले द्वारा कैद, फांसी देना**
14.	बिहार में अराजकता/कानून नाम की कोई चीज नहीं	[उपर की ही तरह/ जैसा उपर दिया गया है]
15.	उत्तर प्रदेश में अराजकता/कानून नाम की कोई चीज नहीं	[उपर की ही तरह/ जैसा उपर दिया गया है]
16.	बड़े पैमाने पर नकल	[उपर की ही तरह/ जैसा उपर दिया गया है]
17.	आतंकवाद	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’ 4. सेना के लिए सम्पत्ति-कर

		5. सेना के लिए विरासत-कर 6. परमाणु हथियारों का विकास 7. सेना को मजबूत/सुदृढ़ करना **8. (नागरिकों के) बहुमत के मतदान/फैसले द्वारा फांसी देना**
महिलाओं, दलितों आदि के खिलाफ अपराध		
18.	महिलाओं के खिलाफ छेड़-छाड़, बलात्कार और अत्याचार जैसे बढ़ते अपराध	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' 4. प्रजा अधीन – जिला पुलिस आयुक्त/कमिश्नर 5. प्रजा अधीन – जज 6. जूरी सुनवाई 7. बलात्कार के मामलों/मुकद्दमों में सच्चाई सीरम जांच **8. (नागरिकों के) बहुमत के मतदान/फैसले द्वारा कैद, फांसी देना**
19.	अकेली औरत पर बढ़ता अत्याचार	[उपर की ही तरह/ जैसा उपर दिया गया है]
20.	महिलाओं, बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा	[उपर की ही तरह/ जैसा उपर दिया गया है]
21.	दलितों पर बढ़ता अत्याचार	[उपर की ही तरह/ जैसा उपर दिया गया है]
सिविल (नागरिक) / समाजिक समस्या		
22.	सामानों और सेवाओं का घटिया स्तर / गुणवत्ता	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – जज 4. जूरी सुनवाई
23.	अधिक ब्याज लेना ;ऋण/कर्ज न चुकाना	[उपर की ही तरह/ जैसा उपर दिया गया है]
कानूनी बुनियादी ढ़ाचे से संबंधित समस्या		

24.	कोर्ट में धीमी गति से सुनवाई, जरूरत से कम कोर्ट होना	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – जज 4. जूरी प्रणाली(सिस्टम) 5. नए 1,00,000 कोर्ट स्थापित करना/बनाना 6. जजों की भर्ती/नियुक्ति में इंटरवीयू(साक्षात्कार) समाप्त करना
25.	कानून बनाने की धीमी गति / प्रक्रिया	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर
भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद से जुड़ी समस्याएं		
26.	नागरिक आपूर्ति विभागों (राशन कार्ड प्रणाली(सिस्टम)) में भ्रष्टाचार	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – नागरिक राशन(आपूर्ति) मंत्री 4. प्रजा अधीन – जिला राशन(आपूर्ति) अधिकारी 5. राशन की दुकान बदलने की प्रक्रिया
27	पुलिस का अत्याचार	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – जिला पुलिस कमिश्नर/आयुक्त 4. पुलिसकर्मियों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
28.	कनिष्ठ/निचले स्तर के (पुलिस अधीक्षक से नीचे) पुलिस में भ्रष्टाचार	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – जिला पुलिस आयुक्त 4. पुलिसकर्मियों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
29.	राजस्व (भू) विभाग(राज्य या शासन को भूमि में से होनेवाली	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – मुख्यमंत्री

	आय) में भ्रष्टाचार	4. प्रजा अधीन – राज्य भूमि रिकॉर्ड अधिकारी 5. टॉरेन्स प्रणाली(सिस्टम) : बिक्री की जरूरी/अनिवार्य रजिस्ट्री 6. भूमि रिकॉर्ड नेट पर डालना (मालिक की इजाजत/अनुमति से)
30.	निचली अदालतों के जजों में भ्रष्टाचार	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. जूरी प्रणाली(सिस्टम) 4. प्रजा अधीन – प्रमुख सेशन जज 5. प्रजा अधीन – चार बड़े/वरिष्ठ सेशन जज 6. लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती (कोई साक्षात्कार/इंटरव्यू नहीं)
31.	बड़े/वरिष्ठ (जिला पुलिस कमिश्नर अथवा उससे उपर) पुलिसकर्मियों में भ्रष्टाचार	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – मुख्यमंत्री 4. प्रजा अधीन – गृह मंत्री 5. प्रजा अधीन – जिला पुलिस कमिश्नर/आयुक्त 6. प्रजा अधीन – पुलिस महानिरीक्षक(तहकीकात सम्बन्धी उच्च पद का अधिकारी) 7. (नागरिकों के) बहुमत के मतदान द्वारा जेल, फांसी
32.	कनिष्ठ/निचले अधिकारियों में भ्रष्टाचार	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – (विभिन्न बड़े/वरिष्ठ/सीनियर अधिकारीगण) 4. कनिष्ठ/जूनियर/छोटे अधिकारियों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
33.	भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों/ विशेषज्ञों (एक्सपर्ट / कुशल व्यक्ति) में भ्रष्टाचार	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 4. भारतीय रिजर्व बैंक के स्टॉफ पर जूरी प्रणाली(सिस्टम) 5. नागरिकों की रूपया प्रणाली(सिस्टम) : रूपया केवल नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति से ही छापा जाएगा 6. (नागरिकों के) बहुमत के मतदान द्वारा जेल, फांसी
34.	बैंक के	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के

	अधिकारियों में भ्रष्टाचार	लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष 4. सभी राष्ट्रिय बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय 5. बैंक स्टॉफ/कर्मचारियों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
35.	राष्ट्रिय धंधे/उद्योगों (पी.एस.यु) के निदेशकों (डाइरेक्टर) / प्रबंधकों में भ्रष्टाचार	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री 4. प्रजा अधीन – मुख्य मंत्री 5. प्रजा अधीन – राष्ट्रिय धंधे/उद्योगों (पी.एस.यु) (सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों) के (प्रभारी) मंत्री 6. प्रजा अधीन – राष्ट्रिय धंधे/उद्योगों (पी.एस.यु) (सार्वजनिक क्षेत्र) के महत्वपूर्ण अध्यक्ष जैसे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड(एच.पी.एन.एल) के अध्यक्ष आदि 7. राष्ट्रिय धंधे/उद्योगों (पी.एस.यु) (सार्वजनिक क्षेत्र) के स्टॉफ पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
36.	समाचारपत्र मालिकों, टेलिविजन चैनल मालिकों द्वारा ब्लैकमेल करना (धमकी द्वारा रुपया लेना)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय समाचारपत्र संपादक 4. प्रजा अधीन – राज्य समाचारपत्र संपादक 5. प्रजा अधीन – जिला समाचारपत्र संपादक 6. प्रजा अधीन – दूरदर्शन अध्यक्ष 7. प्रजा अधीन – राज्य टेलिविजन चैनल अध्यक्ष 8. प्रजा अधीन – जिला टेलिविजन चैनल अध्यक्ष 9. (नागरिकों के) बहुमत के मतदान द्वारा जेल, फांसी
37.	सांसदों, विधायकों आदि में भ्रष्टाचार	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – सांसद 4. प्रजा अधीन – विधायक
38.	आयकर,	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के

	उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क आदि के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार	लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय वित्त मंत्री 4. प्रजा अधीन – राज्य वित्त मंत्री 5. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय प्रत्यक्ष-कर(खुला टैक्स) बोर्ड के अध्यक्ष 6. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष-कर(छुपा हुआ टैक्स) बोर्ड के अध्यक्ष 7. कर विभाग के स्टॉफ पर जूरी प्रणाली(सिस्टम) 8. उत्पादन शुल्क/आबकारी घटाना 9. वैट, बिक्री कर, जी.एस.टी., ऑक्ट्राय रद्द/समाप्त करना 10. सीमा शुल्क संग्रहण का 33 प्रतिशत नागरिकों को देना 11. (नागरिकों के) बहुमत के मतदान द्वारा जेल, फांसी
39.	हाई कोर्ट के जजों में भ्रष्टाचार	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के प्रधान जज/मुख्य न्यायाधीश 4. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के चार बड़े/सीनियर जज 5. केवल वरीयता (सूची) के अनुसार पदोन्नति, कोई इंटरवियू/साक्षात्कार नहीं 6. हाई कोर्ट में जूरी प्रणाली(सिस्टम) 7. (नागरिकों के) बहुमत के मतदान द्वारा जेल, फांसी
40.	सुप्रीम कोर्ट के जजों में भ्रष्टाचार	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस/मुख्य न्यायाधीश 4. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ/सीनियर जज 5. केवल वरीयता (सूची) के अनुसार पदोन्नति, कोई इंटरवियू/साक्षात्कार नहीं 6. सुप्रीम कोर्ट में जूरी प्रणाली(सिस्टम) 7. (नागरिकों के) बहुमत के मतदान द्वारा जेल, फांसी
41.	भ्रष्टाचार/सांठ-गाँठ (मिली-भगत) के अन्य मामले	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – विभिन्न विभागों के प्रमुख

		4. जूरी प्रणाली(सिस्टम)
42.	पुलिसकर्मियों की अकुशलता (निकम्मा होना)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय गृह मंत्री 4. प्रजा अधीन – राज्य गृह मंत्री 5. प्रजा अधीन – केन्द्रीय जांच ब्यूरो/सी.बी.आई. निदेशक 6. प्रजा अधीन – पुलिस कमिश्नर/आयुक्त 7. राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली(सिस्टम) 8. नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति से, उनके आपराधिक रिकॉर्ड इंटरनेट पर डाले जाएंगे 9. पुलिसकर्मियों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
43.	राशन(सिविल आपूर्ति) अधिकारी की अकुशलता (निकम्मा होना)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – जिला राशन(आपूर्ति) अधिकारी 4. नागरिकों को अपने राशन कार्ड की दुकान बदलने का अधिकार
44.	निचली अदालतों में जजों की अकुशलता (निकम्मा होना)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. 1,00,000 नए कोर्ट बनाना/स्थापित करना 4. जूरी प्रणाली(सिस्टम) 5. राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली(सिस्टम) 6. (जिले के 51 %) नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति से, उनके आपराधिक रिकॉर्ड इंटरनेट पर डाले जाएंगे
45.	अन्य अधिकारियों की अकुशलता (निकम्मा होना)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. जूरी प्रणाली(सिस्टम)
46.	सांसद, विधायक, मंत्रियों की अकुशलता	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर

	(निकम्मा होना)	3. प्रजा अधीन – सांसद 4. प्रजा अधीन – विधायक 5. प्रजा अधीन – मंत्री
47.	हाई कोर्ट में जजों की अकुशलता (निकम्मा होना)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के प्रधान जज/मुख्य न्यायाधीश
48.	सुप्रीम कोर्ट में जजों की अकुशलता (निकम्मा होना)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज/मुख्य न्यायाधीश
49.	भारतीय रिजर्व बैंक के डाइरेक्टर (निदेशकों) / अधिकारियों की अकुशलता (निकम्मा होना)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष
50.	कनिष्ठ / जूनियर /छोटे स्टॉफ की अकुशलता (निकम्मा होना)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. जूरी प्रणाली(सिस्टम)
बैंकिग, वित्त में समस्याएं		
51.	नागरिकों की इजाजत/अनुमति के बिना पैसे/रूपए की सप्लाई में बढौतरी(आपूर्ति में वृद्धि) करना	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – रिजर्व बैंक के अध्यक्ष 4. नागरिकों की रूपया प्रणाली(सिस्टम) : रूपया केवल नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति से ही छापा जाएगा 5. (नागरिकों के) बहुमत के मतदान द्वारा जेल, फांसी
52.	नागरिकों की	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के

	इजाजत/अनुमति के बिना राष्ट्र पर ऋण/कर्ज बढाना	लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – वित्त मंत्री 4. प्रजा अधीन – रिजर्व बैंक के अध्यक्ष
53.	नागरिकों की इजाजत/अनुमति के बिना सरकार द्वारा गारंटी दिया जाना	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – वित्त मंत्री 4. प्रजा अधीन – रिजर्व बैंक के अध्यक्ष
54.	बैंक में अंदर के लोगों को कर्ज जारी करना	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – रिजर्व बैंक के अध्यक्ष 4. नागरिकों की रूपया प्रणाली(सिस्टम) : रूपया केवल नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति से ही छापा जाएगा
55.	स्टॉक बाजार में अंदर के लोगों द्वारा व्यापार/ट्रेडिंग	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – रिजर्व बैंक के अध्यक्ष 4. नागरिकों की रूपया प्रणाली(सिस्टम) : रूपया केवल नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति से ही छापा जाएगा
बुनियादी / आधारभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याएं		
56.	कमजोर / घटिया दूरसंचार (टेलीफोन लाइन)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – संचार मंत्री 4. प्रजा अधीन – ट्राई (टेलीफ़ोन प्रबंध करने वाला) के अध्यक्ष 5. बाहर से माल मंगाने(आयात) पर 300 प्रतिशत सीमा शुल्क
57.	घटिया सड़कें, सबसे बेकार / खराब फूटपाथ / रेहड़ी	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर

		3. प्रजा अधीन – मेयर/महापौर 4. प्रजा अधीन – नगर निगम कमिश्नर 5. नगर इंजिनियरिंग कर्मचारियों/स्टॉफ पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
58.	घटिया ट्रैफिक /यातायात प्रणाली (सिस्टम)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – मेयर/महापौर 4. प्रजा अधीन – नगर निगम कमिश्नर/आयुक्त 5. प्रजा अधीन – जिला पुलिस कमिश्नर 6. प्रजा अधीन – नगर बस प्रणाली(सिस्टम) अध्यक्ष 7. यातायात/ट्रैफिक पुलिस पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
59.	कमजोर/घटिया रेलवे	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – रेल मंत्री 4. टिकट के मूल्य में वृद्धि (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 5 सस्ते टिकट)
60.	महंगी टेलिविजन-केबल, डी.टी.एच. सेवाएं	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – संचार मंत्री(संदेश, समाचार आदि तथा आदमी सामान आदि भेजने की क्रिया और साधन;संपर्क)
61.	बिजली : महंगी, अनियमित/बेकार सप्लाई	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – राष्ट्रीय बिजली/विद्युत मंत्री 4. प्रजा अधीन – राज्य बिजली/विद्युत मंत्री 5. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के जज 6. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के जज 7. प्रजा अधीन – बिजली/विद्युत मंत्री 8. बिजली पर राशन प्रणाली(सिस्टम)
62.	बेकार/घटिया सिंचाई	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर

		प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – राज्य सिंचाई मंत्री 4. जल/पानी पर राशन(समान/बराबर भत्ता) प्रणाली(सिस्टम)
63.	गलत नगर योजना	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – मेयर/महापौर 4. प्रजा अधीन – नगर निगम कमिश्नर/आयुक्त
पर्यावरण से संबंधित समस्याएं		
64.	गंदी सड़कें	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – मेयर/महापौर 4. प्रजा अधीन – नगर निगम कमिश्नर/आयुक्त
65.	प्रदूषित हवा/वायु	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – अध्यक्ष, प्रदूषण रोक/नियंत्रण बोर्ड 4. पर्यावरण इजाजत/अनुमति किसी विकास योजना के लिए कम से कम उन जिलों के 75 % की अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा
66.	प्रदूषित जल/पानी	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – अध्यक्ष, प्रदूषण रोक/नियंत्रण बोर्ड 4. पर्यावरण इजाजत/अनुमति किसी विकास योजना के लिए कम से कम उन जिलों के 75 % की अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा
67.	भूजल का दोहन/घटता जलस्तर	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – जल गार्ड(चौकीदार) 4. वर्षा जल संग्रहण (इकठ्ठा करना) 5. भूजल पर राशन(समान भत्ता) प्रणाली(सिस्टम)

68.	जंगल/वन और वन्य जीवों/पशुओं का घटना /कम होना	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – जल गार्ड(चौकीदार) 4. वृक्षारोपण को बढ़ावा देना व स्थायी, प्राकृतिक वन लगाना|
69.	समुद्र में प्रदूषण (तेल रिसाव)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – प्रदूषण नियंत्रण मंत्री 4. पर्यावरण इजाजत/अनुमति किसी विकास योजना के लिए कम से कम उन जिलों के 75 % की अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा
70.	पर्यावरण संबंधी अन्य समस्याएं	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – प्रदूषण नियंत्रण मंत्री 4. पर्यावरण इजाजत/अनुमति किसी विकास योजना के लिए कम से कम उन जिलों के 75 % की अनुमोदन/स्वीकृति द्वारा
कर / टैक्स वसूली (कराधान) में समस्या		
71.	अस्पष्ट(क्लीयर नहीं) टैक्स/कर कानून	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – वित्त मंत्री 4. प्रजा अधीन – अध्यक्ष, कर/टैक्स बोर्ड(संस्था)
72.	आय-कर की चोरी	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – वित्त मंत्री 4. प्रजा अधीन – अध्यक्ष, कर बोर्ड(टैक्स समिति) 5. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के जज 6. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के जज 7. कर/टैक्स वसूली(कराधन) के मामले/मुकद्दमें में जूरी प्रणाली(सिस्टम)
73.	बिक्री-	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के

	कर/टैक्स की चोरी	लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. बिक्री-कर/टैक्स को रद्द/समाप्त करना
74.	उत्पादन शुल्क की चोरी	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – वित्त मंत्री 4. प्रजा अधीन – अध्यक्ष, उत्पादन बोर्ड(समिति) 5. अधिकांश सामानों पर उत्पादन शुल्क रद्द/समाप्त करना 6. अन्य सामानों पर उत्पादन शुल्क घटाना/कम करना 6. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के जज 6. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के जज 7. उत्पादन शुल्क (वसूली) के मामले/मुकद्दमें में जूरी प्रणाली(सिस्टम)
75.	संपत्ति-कर/टैक्स की चोरी	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. सम्पत्ति-कर/टैक्स कानून 4. भूमि(जमीन) रिकॉर्ड के लिए टॉरेन्स प्रणाली(सिस्टम) 5. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के जज 6. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के जज 7. सम्पत्ति-कर/टैक्स के मामले/मुकद्दमें में जूरी प्रणाली(सिस्टम)
76.	चुंगी टैक्स (ऑक्ट्रॉय) की चोरी	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. चुंगी टैक्स(ऑक्ट्राय) समाप्त करना/हटाना
77.	अन्य करों की चोरी	1. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ के लिए आंदोलन 2. ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – वित्त मंत्री 4. प्रजा अधीन – अध्यक्ष, कर बोर्ड(टैक्स समीति) 5. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के जज 6. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के जज

		7. कर/टैक्स के मामले/मुकद्दमें में जूरी प्रणाली(सिस्टम)
78.	किसानों पर कर/टैक्स न लगाना	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3 किसानों को (कर/टैक्स से) अधिक छूट ,परिवार के प्रति सदस्य को 1,00,000 रूपए अधिक छूट ; सभी कर वसूली समान रूप से (वो ही स्लैब रहेंगे)
सरकारी खर्च से संबंधित समस्याएं		
79.	बढ़ते सरकारी खर्चे	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – मंत्रीगण 4. प्रजा अधीन – विभाग/डिपार्टमेंट अध्यक्ष 5. सभी खर्चों का खुलासा/इसकी घोषणा 6. खर्चों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
80.	अलाभकारी (नुक्सान उठाने वाली) राष्ट्रिय धंधे/उद्योगों (पी.एस.यु) (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – राष्ट्रिय धंधे/उद्योगों (पी.एस.यु) (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के (अगुवाई/नेतृत्व करने वाले) मंत्रीगण 4. प्रजा अधीन – राष्ट्रिय धंधे/उद्योगों (पी.एस.यु) (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के अध्यक्ष
81.	बढ़ती अलाभकारी (नुक्सान उठाने वाली) सम्पत्तियां	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 4. नागरिकों की रूपया प्रणाली(सिस्टम) : रूपया केवल नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति से ही छापा जाएगा
बाहरी / वाह्य व्यापार से संबंधित / जुड़ी समस्याएं		
82.	रूपए का अवमूल्यन	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर

		प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 4. नागरिकों की रूपया प्रणाली(सिस्टम) : रूपया केवल नागरिकों के अनुमोदन/स्वीकृति से ही छापा जाएगा
83.	बढ़ता विदेशी /बाहरी कर्ज	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. भारत सरकार के कर्ज पर निषेध/मनाही
84.	बाहर के देश से माल मंगाना (आयात) और बहार के देश को माल भेजना (निर्यात) में बढ़ता अंतर	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. 300 प्रतिशत सीमा शुल्क 4. सीमा शुल्क संग्रहण का 33 प्रतिशत नागरिकों को देना 5. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)'– श्रमिकों/मजदूरों के लिए स्थिर/लगातार मासिक आय 6. मजदूरी (की दर) बढ़ाकर श्रमिकों/मजदूरों के लिए जरूरी/अनिवार्य बचत (खाता) 7. मजदूर को आसानी से रखने और निकालने (हायर-फायर) सम्बन्धी कानून 8. प्रदूषण कानून (के अधिकार) कम करके इसे 1930 के अमेरिका (यू.एस.) के स्तर पर लाना 9. सर्वजन भविष्य निधि(सर्वजन प्रोविडेंट फंड) योजना 10. मालिक की भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) योजना हटाना/समाप्त करना 11. अधिकांश सामानों पर उत्पादन शुल्क हटाना/समाप्त करना
सेना से संबंधित / जुड़ी समस्याएं		
85.	कमजोर रक्षा सेनाएं	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री 4. प्रजा अधीन – रक्षा मंत्री 5. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' 6. सम्पत्ति-कर, विरासत-कर 7. आयकर में सुधार करना

		8. 300 प्रतिशत सीमा शुल्क 9. सीमा शुल्क वसूली(संग्रहण) का 33 प्रतिशत नागरिकों को देना 10. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)'– श्रमिकों/मजदूरों के लिए स्थिर/लगातार मासिक आय 11. मजदूरी (की दर) बढ़ाकर श्रमिकों/मजदूरों के लिए अनिवार्य बचत (खाता) 12. मजदूर को आसानी से रखने और निकालने (हायर-फायर) सम्बन्धी कानून 13. प्रदूषण कानून (के अधिकार) कम करके इसे 1930 के अमेरिका(यू.एस.) के स्तर पर लाना 14. सर्वजन भविष्य निधि(सर्वजन प्रोविडेंट फंड) योजना 15. मालिक की भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) योजना हटाना/समाप्त करना 16. क्षेत्रीय/जोनल प्रतिबंध/रोक को कम करना 17. 20,00,000 और सैनिकों को काम पर रखना 18. हथियार निर्माण/बनाने के लिए 20,00,000 इंजिनियरों आदि को काम पर रखना 19. कक्षा 8 के बाद सैनिक प्रशिक्षण को जरूरी/अनिवार्य बनाना
86.	सेना में भ्रष्टाचार	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री 4. प्रजा अधीन – रक्षा मंत्री 5. जूरी प्रणाली(सिस्टम)
87.	सैनिकों की नाकाफी / अपर्याप्त संख्या, सैनिकों को कम वेतन	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री 4. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' 5. सम्पत्ति-कर, विरासत-कर 6. आयकर में सुधार करना 7. सैनिकों का वेतन बढ़ाना 8. 20,00,000 और सैनिकों को काम पर रखना
88.	हथियार निर्माण की	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन

	बुरी हालत/घटिया स्तर	2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री 4. प्रजा अधीन – रक्षा मंत्री 5. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' 6. सम्पत्ति-कर, विरासत-कर 7. आयकर में सुधार करना 8. 300 प्रतिशत सीमा शुल्क 9. सीमा शुल्क वसूली(संग्रहण) का 33 प्रतिशत नागरिकों को देना 10. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)'– श्रमिकों/मजदूरों के लिए स्थिर/लगातार मासिक आय 11. मजदूरी (की दर) बढ़ाकर श्रमिकों/मजदूरों के लिए जरूरी/अनिवार्य बचत (खाता) 12. आसानी से मजदूरों को रखने और निकालने (हायर-फायर) सम्बन्धी कानून 13. प्रदूषण कानून (के अधिकार) कम करके इसे 1930 के अमेरिका (यू.एस.) के स्तर पर लाना 14. सर्वजन भविष्य निधि (सर्वजन प्रोविडेंट फंड) योजना 15. मालिक की भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) योजना हटाना/समाप्त करना 16. क्षेत्रीय/जोनल प्रतिबंध को कम करना 17. हथियार निर्माण/बनाने के लिए 20,00,000 इंजिनियरों आदि को काम पर रखना 18. कक्षा 8 के बाद सैनिक प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाना
जाति / प्रजाति की समस्याएं		
89.	जाति (आधारित) आरक्षण में कमी लाना	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. आरक्षण पर आर्थिक विकल्प/चुनाव 4. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के जज 5. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के जज 6. जातिसूचक टिप्पणी, अत्याचार पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
90.	जातिवाद के कारण तनाव	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर

		3 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' 4. आरक्षण पर आर्थिक विकल्प/चुनाव 5. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के जज 6. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के जज 7. प्रजा अधीन - जिला पुलिस कमिश्नर 8. जातिसूचक टिप्पणी, अत्याचार पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
91.	दलितों का अत्याचार	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के जज 4.. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के जज 5. प्रजा अधीन – जिला पुलिस कमिश्नर 6. प्रजा अधीन – दलित अत्याचार रोकने के लिए संगठन(उत्पीड़न निवारण आयोग) के अध्यक्ष 7. जातिसूचक टिप्पणी, अत्याचार पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
92.	राम जन्मभूमि	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. राष्ट्रीय हिन्दू ट्रस्ट(संगठन) को प्लॉट (पर कब्जा) देने के लिए कानून
93.	हिन्दू-मुस्लिम तनाव	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री 4. प्रजा अधीन – मुख्यमंत्री 5. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के प्रधान(मुख्य) जज 6. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के प्रधान जज 7. प्रजा अधीन – जिला पुलिस कमिश्नर 8. प्रजा अधीन – दलित अत्याचार रोकने के लिए संगठन(उत्पीड़न निवारण आयोग) के अध्यक्ष 9. जातिसूचक टिप्पणी, अत्याचार पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
94.	कश्मीर में अलगाववादी आन्दोलन	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर

		प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर/साईन 3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री 4. धारा 370 समाप्त करने/हटाने के लिए जम्मू-कश्मीर के विधायकों को विधान पारित करने के लिए मजबूर करना 5. जम्मू-कश्मीर का हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड़ में मिला देना (विलय करना)
95.	असम में अलगाववादी आन्दोलन	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' 4. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री 5. राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली(सिस्टम) 6. बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें (देश से) निकाल बाहर करने के लिए रिश्तेदारों/संबंधियों (बंधु-बांधव) की रेजिस्ट्री प्रणाली(सिस्टम) का बनाना(निर्माण करना)
96.	मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय में अलगाववादी आन्दोलन	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. 'नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)' 4. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री 5. राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली(सिस्टम) 6. बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें (देश से) निकाल बाहर करने के लिए रिश्तेदारों/संबंधियों (बंधु-बांधव) की पंजीकरण प्रणाली(रेजिस्ट्री सिस्टम) का बनाना(निर्माण करना)
97.	बांग्लादेश से गैर-हिन्दू घुसपैठ	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री 4. राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली(सिस्टम) 5. बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें (देश से) निकाल बाहर करने के लिए रिश्तेदारों/संबंधियों (बंधु-बांधव) की पंजीकरण प्रणाली(रेजिस्ट्री सिस्टम) का बनाना(निर्माण करना)
98.	बांग्लादेश, पाकिस्तान,	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन

	फिजी आदि में हिन्दुओं पर अत्याचार	2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री 4. बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि में रह रहे हिन्दूओं को अगले/आने वाले 10 वर्षों के लिए भारत में प्रवेश का अधिकार देने के लिए कानून बनाना
नागरिक(सिविल) समस्याएं		
99.	तलाक की धीमी और थकाने वाला प्रक्रियाएं/कार्यवाही	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. पारिवारिक झगड़े/वाद-विवाद पर जूरी प्रणाली(सिस्टम) 4. महिलाओं के लिए (चाहने पर) त्वरित/तुरंत तलाक की व्यवस्था 5. डी.वी.ए. रद्द/समाप्त करना 6. 498 ए समाप्त/रद्द करना
100.	किराया, पट्टा आदि से जुड़े मुकद्दमों पर धीमी कार्यवाही	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. किराया से संबंधित सभी समझौते के बताये हुए/निश्चित मानदण्ड/स्टैण्डर्ड/मानकों वाली रेजिस्ट्री करवाने के लिए कानून (विशिष्ट वस्तुओं के आकार, प्रकार महत्त्व आदि जाँचने का कोई आधिकारिक आदर्श, मानदंड या रूप। (स्टैन्डर्ड)) 4. किराया संबंधी झगडों/विवादों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
101.	अमानवीय/बेदर्द/कठोर स्थिति पैदा किए बिना कर्ज वसूली में सुधार	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – प्रधानमंत्री 4. प्रजा अधीन – मुख्यमंत्री 5. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज 6. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के मुख्य जज 7. सभी ऋणों/कर्जों का पंजीकरण 8. कर्ज/ऋण पर जूरी प्रणाली(सिस्टम) 9. कर्ज माफियाओं पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
102.	धर्मार्थ संगठन (जरूरतमंद	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन

	लोगों के लिए संस्था) , धार्मिक/गैर-धार्मिक न्यास / ट्रस्ट का बिगड़ता स्वभाव / स्थिति	2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के प्रधान(मुख्य) जज 4. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के प्रधान जज 5. प्रजा अधीन – चैरिटी कमिश्नर/ दान आयुक्त 6. धर्मार्थ (संस्थाओं) (जरूरतमंद लोगों के लिए संस्था) पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
103.	कोआपरेटिव सोसाईटियों (सहायक / सहकारी समितियां) (साझे की पूंजी का कारोबार) का बिगड़ता स्वभाव/स्थिति	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के प्रधान(मुख्य) जज 4. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के प्रधान जज 5. प्रजा अधीन – कोआपरेटिव/सहकारी सोसाईटियों के रजिस्ट्रार/पंजीयक 6. प्रजा अधीन – पुलिस कमिश्नर 7. प्रजा अधीन – सहकारी/कोआपरेटिव सोसाईटियों के अध्यक्ष, (कोआपरेटिव/सहकारी सोसाईटियों के भीतर) 8. धर्मार्थ (संस्थाओं) पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)
104.	मजदूर यूनियन/ सरकारी कर्मचारियों की यूनियन आदि की खराब होती स्थिति	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के प्रधान(मुख्य) जज 4. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के प्रधान जज 5. प्रजा अधीन –श्रम/लेबर मंत्री 6. प्रजा अधीन – लेबर कमिश्नर/आयुक्त 7. प्रजा अधीन – लेबर कोर्ट/श्रम कोर्ट के जज 8. `नारिकों और सेना के लिए खनिज रोयल्टी (आमदनी)`(एम आर सी एम) - श्रमिकों/मजदूरों के लिए स्थायी आमदनी 9. अधिक वेतन वाले मजदूरों के लिए जरूरी बचत (खाता) 10. आसानी से मजदूर को रखने और निकालने (हायर-फायर) सम्बंधित श्रमिक/लेबर कानून 11. मजदूरी/श्रम संबंधी विवादों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम)

105.	कंपनी मामले के प्रशासन की बिगड़ती हालत	1. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' के लिए आंदोलन 2. 'जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)' पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर 3. प्रजा अधीन – सुप्रीम कोर्ट के प्रधान(मुख्य) जज 4. प्रजा अधीन – हाई कोर्ट के प्रधान जज 5. प्रजा अधीन – कंपनी मामलों के मंत्री 6. प्रजा अधीन – कंपनियों के रजिस्ट्रार/पंजीयक

अध्याय 53 - सूची (लिस्ट) - 3 : `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह` और बुद्धिजीवियों के प्रस्तावों के बीच अन्तर

बुद्धिजीवियों के प्रस्ताव	मेरा प्रस्ताव
मानवीय / मनुष्यता वाले समाधान मेरे कुछ (सभी नहीं) प्रतियोगी/विरोधी मानवीय/मनुष्यता वाले समाधान पर ध्यान/जोर देते हैं, और इसमें से कुछ लोगों को व्यवस्था (में बदलाव करके निकाले जाने वाले) समाधानों में जरा भी विश्वास नहीं है। वे दान/चन्दा और मानवीय/मनुष्यता के मूल्यों में सुधार आदि पर जोर देते हैं।	मैं निम्नलिखित दो कारणों से मानव/मनुष्य के मूल्यों द्वारा समाधान को रद्द/खारिज करता हूँ :- (क) यदि पश्चिमी देशों में लोग भ्रष्ट नहीं हैं तो पश्चिमी देशों में भी कुछ विभाग/क्षेत्र अनियमितताओं/भ्रष्टाचार का बोलबाला क्यों है? (ख) यदि भारत के लोग भ्रष्ट हैं तो अनेक विभागों/क्षेत्रों (रेलवे में टिकट छपाई, चेक क्लीयरिंग जैसे) में क्यों भ्रष्टाचार बिलकुल भी नहीं है?
अधिकारीयों , प्रबंधकों , जजों के विवेक / समझ और अधिकार द्वारा समाधानों पर जोर वे लोग जो व्यवस्था द्वारा (किए जाने वाले) समाधान में विश्वास करते हैं वे ऐसे समाधानों में विश्वास करते हैं जिसमें अधिकारियों/ जजों/ प्रबंधकों(नियामकों) को विवेकाधिकार दे दिए जाते हैं।	**सांठ-गाँठ रहित समाधानों पर जोर** मेरे प्रस्तावों में सांठ-गाँठ रहित अनेक समाधान शामिल हैं जिनमें नागरिक या जूरी देखभाल करने वाले / निरीक्षक के रूप में होंगे।
गरीबी की समस्या अधिकांश बुद्धिजीवी अब गरीबी को **मुख्य/प्रमुख** समस्या के रूप में नहीं मानते। उनके जोर शिक्षा, कुछ अन्य कारकों का विकास और एक सुनहरी आशा कि शिक्षा, विकास आदि से गरीबी अपने आप कम हो जाएगी।	मेरे अनुसार, "गरीबी कम करना" मुख्य समस्या है और मैं मानता हूँ कि गरीबी कम/दूर करने से शिक्षा, विकास/वृद्धि अपने आप आ जाएगी । मेरे विचार में, **गरीबी कम करने का एकमात्र रास्ता प्राकृतिक संसाधनों / साधनों पर सबका बराबर हक लागू करके निकलेगा।**
भ्रष्टाचार कम करने से संबंधित प्रस्ताव अधिकांश बुद्धिजीवी अधिकारीयों/प्रबंधकों/जजों के विवेक/समझ और अधिकार के साधनों पर विश्वास करते हैं जिसमें सबसे ऊंचे पदों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त अधिकारी-गण जैसे निगरानी आयोग और लोकपाल, न्यायिक कमीशन(आयोगों) आदि के लिए रखा जाता है।	भ्रष्टाचार को कम करने के रास्ते और साधन के रूप में मेरा सिर्फ जूरी, पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम),भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने का अधिकार और प्रतियोगी(मुकाबले वाली) परीक्षाओं पर ही भरोसा है किसी भी और पर नहीं।

पुलिस में भ्रष्टाचार / अत्याचार की समस्या तत्काल समाधान ; विशेष कुछ नहीं	मेरे प्रस्ताव के तीन भाग हैं :- वेतन बढ़ाने के लिए सम्पत्ति-कर ; सभी नियमित/रूटिन स्थानान्तरण **केवल** क्रमरहित मिलान के माध्यम से ही ; पुलिसकर्मियों को अनियमित स्थानान्तरित करने/नौकरी से हटाने की शक्ति जूरी सदस्यों को दी जाए।
कानून बनाने (की प्रक्रिया) में सुधार कानून बनाने में सुधार करने के लिए, मेरे प्रतियोगी/विरोधी लोक-सभा और राज्य-सभा में अपराधियों को प्रतिबंधित करने के कानूनों पर सहमति जताते हैं। और कानूनों के स्तर में सुधार करने का कोई और विशेष समाधान नहीं है।	मेरे विचार से, कानून बनाने का सबसे अच्छा और शायद एकमात्र तरीका है – नागरिकों को नगर-निगम परिषदों, पंचायतों, विधानसभाओं और संसद में सीधे मतदान करने का अधिकार प्रदान करना/देना। इसके लिए आने वाली लागत की भरपाई 2 से 5 रूपए का शुल्क लेकर की जाए।
न्यायालयों / कोर्ट में सुधार मेरे विरोधियों/प्रतियोगियों का जज-वकील सांठ-गाँठ/मिली-भगत की समस्याओं का समाधान निकालने का कोई इरादा ही **नहीं** है।	मेरा प्रस्ताव **सभी** जजों को हटा करके उनके स्थान पर क्रम-रहित तरीके से चुने गए, हर मामले के लिए अलग-अलग माननीय जूरी सदस्यों की जूरी-मंडल लाना है।
प्राकृतिक साधन / संसाधनों का आवंटन / बंटवारा मेरे विरोधी/प्रतियोगी कृषि भूमि को छोड़कर, यह पक्का/सुनिश्चित करने में बहुत कम रूची दिखलाते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त आय को नागरिकों के बीच बांटा जाना चाहिए। विरोधियों/प्रतियोगियों में से बहुत कम ही लोग “प्राकृतिक साधन/संसाधन” को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं।	मेरे प्रस्तावों में, नागरिकों सांठ-गाँठ रहित **अच्छी तरह से लिखी हुई** प्रक्रियाएं/तरीके हैं जिसके माध्यम से वे प्राकृतिक साधनों/संसाधनों के उनके अपने हिस्सों पर पहले उपयोग करने वाले को सीधे ही/खुद ही चुन/बदल सकते हैं। इसके अलावा, मेरे प्रस्तावों में, नागरिकों के पास साधनों/संसाधनों की निगरानी करने वाले अधिकारियों को हटाने की सांठ-गाँठ/मिली-भगत रहित प्रक्रियाएं/तरीके हैं।
बरबादी / बेकार के सरकारी खर्चों को कम करना मेरे विरोधी/प्रतियोगी उच्च अधिकार प्राप्त कमीशन(आयोग)/प्रभंधक(नियामक) वाले समाधान में विश्वास करते हैं।	मेरे प्रस्तावों में, जूरी के पास किसी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए खर्च के विनती/अनुरोध को रद्द करने का अधिकार होगा और इस तरह बेकार/फालतू के खर्चे रूकेंगे।
घाटा कम करना किसी क्लीयर/स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बिना ही कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या कम करना।	वेतन/किराया और टैक्स/कर वसूली(संग्रहण) को आपस में **सीधे** जोड़कर एक करना। ताकि घाटा बिलकुल ही न हो।

शिक्षा मेरे अनेक विरोधी/प्रतियोगी शिक्षा के संबंध में बहुत ही आशावादी हैं। एक ओर तो वे शिक्षा के महत्व पर जोर देते ही चले जाते हैं तो दूसरी ओर उनमें से कुछ ही लोग शिक्षा में सुधार लाने के लिए किसी प्रकार की सही-सही प्रशासनिक प्रक्रियाओं/तरीकों का सुझाव देते हैं। साथ ही, कुछ ही विशेषज्ञ/एक्सपर्ट ,कानून और हथियारों की शिक्षा देने पर जोर देते हैं।	मेरे प्रस्तावों में विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रियाऐं/तरीके शामिल हैं जो नागरिकों को यह अधिकार/अनुमति देती हैं कि वे जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल के प्राचार्य को बदल सकें। इसके अलावा, मेरे प्रस्तावों में शिक्षकों/छात्रों के लिए एक पूरी(विस्तृत) जांच/पुरस्कार प्रणाली शामिल है जो उच्च स्तर की प्रेरणा देती है और धन/पैसे की कम बरबादी कराती है।
कबेल / टेलीफोन को नियंत्रित करना मेरे विरोधी/प्रतियोगी सबकुछ प्रभंधाकों/नियामकों और प्राइवेट/निजी कम्पनियों पर ही छोड़ देने में विश्वास रखते हैं और नागरिकों को कोई अधिकार देना ही नहीं चाहते।	मेरे प्रस्तावों अनुसार , नागरिकों को कबेल कम्पनियाँ और फोन कंपनियों को बदलने की प्रक्रियाएँ/तरीके मिलते हैं |
बिजली सप्लाई को नियंत्रित करना मेरे विरोधी/प्रतियोगी सबकुछ प्रभंधाकों/नियामकों और प्राइवेट/निजी कम्पनियों पर ही छोड़ देने में विश्वास रखते हैं और नागरिकों को कोई अधिकार देना ही नहीं चाहते।	मेरे प्रस्तावों के अनुसार, नागरिकगण को विद्युत/बिजली बांटने वाली(वितरण) कम्पनी को बदलने, नगर के मालिकी वाली बांटने वाली (वितरण) कम्पनी को बदलने और नगर के मालिकी वाली, बिजली बनने वाली(निर्माण) कम्पनी के अध्यक्ष हो बदलने की प्रक्रिया मिलती है।
करेंसी / नोट प्रणाली(सिस्टम) को नियंत्रित करना मेरे विरोधी/प्रतियोगी संपूर्ण/पूरी वैध निविदा टेंडर प्रणाली(सिस्टम) को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, डाइरेक्टर/निदेशकों और विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि ये यह मानकर चलते हैं कि ये लोग/व्यक्ति ईमानदार हैं और आम नागरिकों की भलाई पर ध्यान देते हैं। मेरे विरोधियों/प्रतियोगियों के अनुसार, निदेशकों, गवर्नरों और विशेषज्ञों को उनकी अपनी इच्छा से रुपये की सप्लाई(धन आपूर्ति) को बदलने का अधिकार दिया जाना चाहिए।	मेरे प्रस्तावों के अनुसार, नागरिकों को वह प्रक्रियाएं/तरीके मिलते हैं जिनसे वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों और डाइरेक्टर/निदेशकों को बदल सकें। ये लोग `जनता की आवाज़-पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) `अथवा जनमतसंग्रह द्वारा केवल नागरिकों की इजाजत/अनुमति मिलने के बाद ही धनापूर्ति बढ़ा सकते हैं यानि और रूपए बना सकते हैं।